


प्रकाशक  
गौतम बुक डिपो  
नई सड़क, दिल्ली



मु. क  
न्यू इण्डिया प्रेस  
नई दिल्ली

जिनके श्रीचरणों में बैठ कर  
विविध शास्त्रों के अध्ययन  
एवं सूक्ष्म विवेचन का  
सौभाग्य प्राप्त हुआ

जिनके शुभ आशीर्वाद ने  
इस दुरुह प्रन्थ के परिष्कार  
की ज्ञमता प्रदान की

उन प्रातःस्मरणीय गुरुजनों के  
करकमलों में,  
या पुण्य सृष्टि में,  
गुरुपूर्णिमा सं० २००६ की  
यह विनाश भेट  
सादर समर्पित ।

## दो शब्द

राष्ट्र-भाषा हिन्दी को गोरख-वृद्धि के लिए जहाँ आधुनिक विषयों पर उच्च कोटि के नवीन ग्रन्थों के प्रकाशन की आवश्यकता है, वहाँ प्राचीन साहित्य, दर्शन आदि के सर्वोत्तम ग्रन्थों को हिन्दी-पाठक तक पहुँचाना भी आवश्यक है। इसी दृष्टि से सस्कृत साहित्य शास्त्र के इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' की यह विस्तृत हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। 'ध्वन्यालोक' काव्य-दर्शन का ग्रन्थ है अतएव उसका शब्दानुवादमात्र यथेष्ट नहीं है—विषय के स्पष्टीकरण के लिए सर्वत्र ही व्याख्या भी अनिवार्य है। अत 'हिन्दी ध्वन्यालोक' में शब्दानुवाद के अतिरिक्त प्रत्येक पारिभाषिक प्रसङ्ग की साझेपाझ व्याख्या भी कर दी गई है। स्वभावत अनुवाद-भाग से व्याख्या-भाग का कलेवर कई गुणा होगया है और 'ध्वन्यालोक' को 'आलोक-दीपिका' एक प्रकार से एक मौलिक ग्रन्थ ही बन गई है।

यद्यपि 'हिन्दी ध्वन्यालोक' की रचना मुख्यतः हिन्दी के विद्वानों के

- लिए ही हुई है, फिर भी क्योंकि वह सस्कृत साहित्य का एक प्रौढ़ ग्रन्थ है इस-लिए कठिन दार्शनिक विषयों की चर्चा भी अनेक स्थलों पर अनायास आ ही गई है। यह चर्चा, सम्भव है, हिन्दी के विद्वानों के लिए विशेष उपयोगी अथवा एचिकरन हो, परन्तु हिन्दी व्याख्या के उपलब्ध होने पर सस्कृतज विद्वान् और सस्कृत के अधिकाश विद्यार्थी भी इससे सामने उठाने का यत्न करेंगे ही—इस विचार से उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए यत्किञ्चित् कठिन शास्त्रीय भीमासा को भी स्थान दे दिया गया है। वस्तुत सस्कृत के इस युग प्रवर्तक ग्रन्थ की व्याख्या में सस्कृत की भीमासा-पद्धति का पूर्ण बहिष्कार सम्भव भी नहीं था।

ग्रन्थ के मुद्रण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लोग सरल रूप से केवल मूल ग्रन्थ का शब्दानुवाद पढ़ना चाहें उन्हें इसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके लिए शब्दानुवाद तथा व्याख्या भाग में अलग अलग प्रकार के टाइपों का प्रयोग किया गया है। शब्दानुवाद को काले और शेष व्याख्या भाग को सफेद टाइप में छापा गया है। जो लोग केवल अनुवाद पढ़ना चाहें वह सफेद टाइप को छोड़ कर केवल काले टाइप में देखे अनुवाद भाग को पढ़ सकते हैं।

प्रन्थ में आए हुए प्राकृत भाषा के उदाहरणों का छापानुवाद मुखिया की दृष्टि से उसके साथ ही दे दिया गया है। परन्तु सर्वत्र वह मूल प्रन्थ का भाग नहीं है इसलिए उसे भिन्न प्रकार के इंटर्लिक टाइप में छापा गया है।

पुस्तक के प्रारम्भ में विषय-सूची एक विशेष घर के अनुसार दी गई है। मूल 'ध्वन्यालोक' और 'ग्रामोकारीपिका' दोनों की विषय सूची उसमें सम्मिलित है। उसमें पृष्ठ संख्या के अतिरिक्त कारिका संख्या का भी निवेदा किया गया है। एक कारिका के अन्तर्गत मूल तथा व्याख्या में जिन-जिन विषयों का प्रतिपादन हुआ है उनको पाठक सरलतापूर्वक जान सकेंगे। प्रन्थ के अन्त में दो परिशिष्ट दिए हैं जिनमें से पहिले परिशिष्ट में अकारादि कम से कारिकाओं के आधे भागों की सूची है और दूसरे में ध्वन्यालोक में आए उदाहरण आदि को अकारादि कम से सूची है। उदाहरणों की सूची में उनके मूल प्रन्थों का सकेत भी यथासम्भव कर दिया गया है।

इस प्रन्थ के निर्माण की प्रेरणा का थेष मुख्यत थी डा० नगन्न, साहित्याचार्य थी० विद्वम्भरप्रसाद जी डबराल एम ए, तथा मेरे स्नेह भाजन प्रो० विजयेन्द्र स्नातक को है। उनकी प्रबल प्रेरणा एवं अनवरत आग्रह के बशीभूत होकर मुझे सन १९५१ के श्रीमावकाश में ही अहनिश परिष्ठम कर इस प्रन्थ को पूर्ण करना पड़ा। उनकी इस प्रेरणा ने न केवल इस प्रन्थ की रचना के लिए ही मुझे उत्साहित किया अपितु मेरी चिरप्रमुखत लेखन प्रवृत्ति को भी किर से उद्वोधित कर दिया जिसके फलस्वरूप में लगभग एक वर्ष के स्वल्प काल में ही १. 'ध्वन्यालोक', २. 'न्यायकुमुमाङ्गलि', ३. 'तकंभाषा', ४. 'नीति-शास्त्रम्, तथा ५. 'मनो-विज्ञान शास्त्रम्' इन पाँच प्रन्थों के निर्माण में समर्थ हो सका। इसके लिए इन बन्धुओं का जिनवा आभार माना जाय पोडा है।

इन के साथ ही प्रन्थवाद के पात्र 'गोतम युक डिपो, दिल्ली' के अध्यक्ष थी दिलावरसिंह शर्मा है, जिन्होंने इस चिर-विक्रेय प्रन्थ को प्रचुर धन-दाय प्रदान करके इस मुन्दर रूप में प्रकाशित करने का साहस किया है। इस मुन्दर हरे में प्रन्थ को प्रकाशित करने में शर्मा जी ने जो दलायनीय साहस किया है उसके लिए वह हम सबकी धर्षाई के पात्र है।

थी नगन्न जो का आभार तो और भी अधिक है क्योंकि उन्होंने इस प्रन्थ के प्रारंभन और प्रकाशन में इतनी अधिक दिलायनी दिलाई है मानों यह उनकी ही प्रपत्ती कोई हृति हो। उन्होंने अपने अध्यवसायपूर्वक

## तीन

इस ग्रन्थ की विस्तृत भूमिका लिखी है जिसमें पौरस्त्य और पाश्चात्य दोनों प्रकार की आलोचना-पढ़तियों का समन्वय करते हुए प्राचीन ध्वनि-सिद्धान्त का आधुनिक ढंग से व्याख्यान किया है। मुझे विश्वास है कि उन जैसे मरम्मत आलोचक को भूमिका के साथ आज के पाठक को 'हिन्दी ध्वन्यालोक' और भी प्राप्त हो सकेगा।

गुहवर श्री काशीनाथ जी महाराज, श्री प० हरिमाथ जी शास्त्री, श्री प० रामसुख जी साहित्याचार्य एवं पूज्य श्री गोस्वामी दामोदरलाल जी महाराज जिन के चरणों में बैठ कर मुझे विविध शास्त्रों का अभ्यास एवं इस ग्रन्थ के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ या, आज इस संसार में नहीं है। यदि वे होते तो इस कृति को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते। आज गुरु-पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर उनके चरणों में न सही उनकी पुण्य स्मृति में ही इस ग्रन्थ को विद्वजनों के कारकमलों में समर्पित करके—

**"जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा ॥"**

ग्रन्थ में सम्भवत् कुछ श्रुटियाँ रह गई हैं, विद्वान् पाठक यदि उनका निर्देश करेंगे तो मुझ पर आभार होगा और श्रगले सस्करण में उनको दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा।

गुरु-पूर्णिमा

स० २००६

विश्वेश्वर

गुरुकुल विश्वविद्यालय, बृन्दावन

# ध्वन्यालोक

तथा आलोकदीपिका की

## विषय-सूची

---

### प्रथम उद्योग

( पृ० १-६५ तक )

(अ) मङ्गलाचरण

मङ्गलाचरण की उपयोगिता । मङ्गलाचरण के तीन भेद ।  
मङ्गल वा कर्णा व्यास्याता श्रोता में ममवन्ध ।

३  
४. ध्वनि विषयक त्रिविध विप्रतिपत्ति तथा प्रश्नारम्भ का प्रयोजन  
[का० १]

ध्वनि विरोधी तीनों पक्षों का प्राचीन आधार । उन तीनों पक्षों  
का विषयेय, सन्देह तथा अज्ञानमूलकत्व तथा उपादेयता तारतम्य ।

५  
५. अभाववादी (प्रथम) पक्ष के तीन भेद

(अ) गुणालङ्घारा व्यतिरिक्तत्व । (ब) प्रवादमानत्व ।  
(स) गुणालङ्घारान्तर्भाव । अभाववादी पक्ष का इलोक  
हारा उपसहार ।

६  
६. भवितवादी (द्वितीय) पक्ष का निष्पत्ति

'भवित' पद की चतुर्विध व्यास्या । सक्षणा और गुण-  
वृत्ति विषयक धीमासक मन । 'गुणवृत्ति' पद की शब्द,  
शर्यं तथा व्यापार परक त्रिविध व्यास्या । 'भावतमाहुभ्नमन्ये'  
का सामानाधिकरण्य और उम्मे भूचित तादाम्य वा  
प्रयोजन ।

७  
७. भूतज्ञाणीयतावादी (तृतीय) पक्ष

ध्वनि निष्पत्ति का प्रयोजन

प्रथम कारिका के पदों का पदवृत्त्य । रसध्वनि के इवान्य तथा ग्रन्थकार भी प्रतिष्ठा की सूचना । 'लक्षणता' पद की सूचन व्याख्या की आलोचना । अनुवन्ध चतुष्टय और उनका आधार । ध्वन्यालोक के अनुवन्ध चतुष्टय ।

२. ध्वनि सिद्धान्त की भूमिका [का० २]

द्वितीय कारिका की व्याख्या में साहृदयदपेणकार विश्वनाथ की आन्ति, उसका वीज और कारिका की व्याख्या का वैशिष्ट्य । प्रतीयमान अर्थ की अनपहुँचनीयता ।

३. प्रन्थ में वाच्य [अलङ्कारादि] के प्रतिपादन का अभाव [का० ३]

वाच्य पद की अलङ्कारवोधकता ।

४. प्रतीयमान अर्थ का वाच्यव्यतिरिक्तत्व [का० ४]

प्रतीयमान अर्थ के वस्तु, अलङ्कार और रसादि स्थि तीन भेद

(प्रथम भेद) वस्तु ध्वनि की वाच्यभिन्नता के दोसक पांच उदाहरण २०

वाच्य और व्यङ्ग्य के स्वरूप भेद प्रदर्शक चार उदाहरण ।

प्रथम उदाहरण में विध्यर्थ निष्पत्ति । मीमासकों की शास्त्री तथा आर्थी भावना । मीमासक भत में प्रवर्तना का विध्यर्थत्व ।

प्रृथम उदाहरण में प्रतिप्रसव की विध्यर्थता । चतुर्थ उदाहरण की विविध व्याख्या । विषय भेद परक पञ्चम उदाहरण ।

पञ्चम उदाहरण में वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थों के विषय भेद का निष्पत्ति ।

(द्वितीय भेद) अलङ्कार ध्वनि की वाच्यभिन्नता का सर्वेत

(तृतीय भेद) रसादि ध्वनि का वाच्यभिन्नत्व

प्रभिधा शब्द से व्यङ्ग्यप्रबोध का निराकरण । प्रभिहितान्वयवाद में प्रभिमत तात्पर्यस्था शक्ति में व्यङ्ग्य-व्योध का निराकरण । प्रभिताभिधानवाद और व्यङ्ग्यार्थवाद ।

प्रभिहितान्वयवाद तथा प्रभिताभिधानवाद का भेद । व्यङ्ग्यवोधक में उन दोनों की प्रक्षमता । प्रभिहितान्वयवाद तथा प्रभिताभिधानवाद के प्रवर्तन भट्ट तथा प्रभावर का परिचय । भट्ट लोक्लट का रम भिद्धान्त और उसकी आलोचना । धनञ्जय वा प्रनीयमान अर्थ विषयक निदान

और उसकी आलोचना। लक्षण से प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति का निराकरण। विशिष्ट लक्षणावाद का निराकरण। अखण्डार्थतावादी वेदान्तभूत। अखण्डार्थतावादी वंयावरणमन। वाच्यार्थ व्यङ्ग्यार्थ का भेद। महिम भट्ट का ग्रनु-मितिवाद और उसका निराकरण।

-४.	इतिहास द्वारा रस के काव्यात्मत्व का उपादान [का० ५]	४३
	आदि कवि वाल्मीकि वे इलोक वी ध्वन्यालोक तथा लोचन कृत व्याख्या में असन्तुति और उसने निराकरणार्थ विशेष व्याख्या।	-
६.	महाकवियों की प्रतीभा का शोतक [का० ६]	४५
७	प्रतीयमान अर्थ का सहृदयस्वेच्छात्व [का० ७]	४६
	स्वर थ्रुति आदि वे लक्षण। प्रत्यनिज्ञा का लक्षण। श्री उत्पल-पादावार्य का प्रत्यभिज्ञादर्शन।	-
८.	व्यङ्ग्य-व्यङ्ग्यक वी पहिचान आवश्यक [का० ८]	४७
९.	व्यङ्ग्य का प्राधान्य होने पर भी वाचक के प्रथम उपादान करने का सहेतुक सदृष्टान्त उपादान [का० ९]	५०
१०.	व्यङ्ग्यार्थ का वाच्यार्थ प्रतीतिपूर्वकत्व [का० १०]	५१
	रस ध्वनि वी ग्रसलधात्रमव्यङ्ग्यपना	-
११, १२	वाच्य की प्रथम प्रतीति होने पर भी व्यङ्ग्यार्थ के प्रापान्य का उपादान [का० ११, १२]	५२
	योग्यता, आवाधा, आसत्ति वे लक्षण	-
१३.	ध्वनि काव्य का लक्षण [का० १३]	५३
	ध्वनि वी गुणान्वदोरन्पता का संडरन। ध्वनि वी अलद्वारान्तर्भाव का निराकरण। समासोवित, आशेष आदि अलद्वारा में व्यङ्ग्यप की प्रतीति होने पर भी उसका प्रापान्य न होने से उन अलद्वारा में ध्वनि वी अनभीव का उदाहरण महिन निराकरण। इनके उपादानार्थ उन अलद्वारों का सोदाहरण विवेचन।	-
	समासोवित में व्यङ्ग्यप वी अपेक्षा वाच्य के प्रापान्य का उपादान	५६
	गमागोवित का भाष्ट हृत संश्लग्न।	-
१४.	आशेष अलद्वार में भी व्यङ्ग्यप वी अपेक्षा वाच्य के चारों वा उपादान।	५८
	आशेष अलद्वार का भाष्टहात संश्लग्न। भाष्ट नया वामन वे आशेष अलद्वार वी शुभना। वामा वे आशेषानद्वार और	-

## आठ

नवीन आचार्यों के प्रतीपालद्वार की तुलना ! वामन के आक्षेपालद्वार की भामह के समासोवित अलद्वार से तुलना । दीपक अपन्हुति आदि में व्यञ्जन प्रतीत होने पर भी अविवक्षित होने से उसका अप्राधान्य

६१

भामह कृत दीपक के तीन भेद । अपन्हुति का भामहोवत लक्षण । अनुवत्तनिमित्तक विशेषोवित अलद्वार में व्यञ्जनकृत चारत्व-प्रतीति का अभाव

६२

विशेषोवित का लक्षण और उसके तीन भेद ।

पर्यायोवत अलद्वार में यदि व्यञ्जन का प्राधान्य भी हो तो उसका ध्वनि में अन्तर्भवि हो सकता है । ध्वनि का उस अलद्वार में अन्तर्भवि नहीं हो सकता

६३

पर्यायोवत अलद्वार का भामह कृत लक्षण उदाहरण और उसके व्यञ्जन की अप्राधानता ।

अपन्हुति तथा दीपक अलद्वारी में वाच्य के प्राधान्य का उपादन सङ्करालद्वार में उसका सङ्कर नाम ही व्यञ्जन की प्रधानता का

६४

निराकरण कर देता है किर भी यदि कहीं प्राधान्य हो तो उसका ध्वनि में अन्तर्भवि हो सकता है । ध्वनि के महाविषय होने पर उसका अन्तर्भवि अलद्वार में नहीं हो सकता है । इसका उपादन

६५

सङ्करालद्वार का लक्षण और नवीन आचार्यों द्वारा कृत तीन भेद । भामह एवं भटोद्वृट कृत सङ्करालद्वार के चार भेद और उनके उदाहरण । सङ्करालद्वार में व्यञ्जन के सम्भावित प्राधान्य का उदाहरण ।

अप्रस्तुतप्रशस्ता अलद्वार में ध्वनि के अन्तर्भवि का लक्षण

६६

अप्रस्तुतप्रशस्ता अलद्वार का लक्षण और उसके पाँच भेद । उनमें से पञ्चम भेद के तीन अवान्तर भेद । भामह कृत

अप्रस्तुतप्रशस्ता का लक्षण तथा उदाहरण । ध्वनि को अलद्वारी में अन्तर्भवि मानने वाले पूर्वपक्ष, वे निराकरण का उपमहार । ध्वनि के अभाववादी प्रथम पक्ष के तीनों अवान्तर पूर्वपक्षों वे निराकरण का उपमहार । ध्वनि शब्द के प्रयोग का ऐतिहासिक विवेचन । शब्द की उन्नति और चार नि-

प्रतिया । वीचि-तरज्जु-न्याय और कदम्ब-मुकुल-न्याय । स्फोट-वाद का परिचय । वैयाकरणों के ध्वनि शब्द का साहित्य-शास्त्र में प्रयोग का आधार । ध्वनि के अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य रूप दो भेद और उन दोनों के उदाहरण । ध्वनि विरोधी तीनों पक्षों का खण्डन किए बिना पहिले ही उसके विभाग करने लगने का उपपादन ।

२४. ध्वनि विरोधी द्वितीय पक्ष भक्तिवाद का निराकरण [का० १४] ८१  
भक्तिवाद के तीन विकल्प—(अ) भक्ति तथा ध्वनि की पर्याय-रूपता, (ब) भक्ति का ध्वनि लक्षणत्व, (स) भक्ति ध्वनि का उपलक्षण । लक्षण, उपलक्षण, विशेषण का भेद । भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अतिव्याप्ति दोष के उपपादनार्थ ध्वनि के अभाव में भी भावत व्यवहार प्रदर्शक पाँच उदाहरण ।
२५. उक्त उदाहरणों में भावत व्यवहार के होते हुए भी ध्वनि के अभाव के उपपादनार्थ ध्वनि विषय का निर्देश [का० १५] ८६
२६. रुढ़ि लक्षणास्थल में भक्ति या लक्षणा के होते हुए भी व्यञ्जन प्रयोजन का अभाव प्रदर्शन [का० १६] ८६
२७. प्रयोजनवती लक्षणा में व्यञ्जन प्रयोजन होने पर भी उस फल का लक्षणा से अगम्यत्व प्रदर्शन [का० १७] ८७  
रुढिलक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा अथवा विशिष्ट लक्षणा द्वारा प्रयोजन का दोष असंभव होने से उसकी व्यञ्जनता अनिवार्य ।
२८. भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष [का० १८] ८१  
लक्षणा तथा गौणी या भेद । अव्याप्ति दोष के समावान का प्रयत्न और उसका निराकरण । रस ध्वनि के अनुमानगम्यत्व का निराकरण ।
२९. भक्ति के कहीं उपलक्षण होने पर भी ध्वनि उसके अन्तर्गत नहा [का० १९] ८४  
ध्वनि विरोधी तृतीय अलक्षणीयता पक्ष का निराकरण ।

## द्वितीय उद्योग

[ पृ० ६६—८१० तक ]

- |  |     |
|--|-----|
| १. अविवक्षितवाच्य (लक्षणाभूत) ध्वनि के अर्थन्तरसमिति-वाच्य और अत्यन्ततिरस्तृतवाच्य दो भेद [का० १]  | ६६  |
| अर्थन्तरसमिति-व तथा अत्यन्ततिरस्तृतव वा आधार। अर्थन्तरसमिति के दो उदाहरण। अत्यन्ततिरस्तृत वाच्य के दो उदाहरण।  |     |
| २. विवक्षितवाच्य (अभिधाभूत) ध्वनि के असत्त्वयक्त्य और सत्त्वयक्त्य व्यङ्ग्य दो भेद [का० २]   | ८०३ |
| असत्त्वयक्त्य व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि [का० ३]   | ८०४ |
| रस प्रक्रिया। स्थायी भाव और उनके वर्णकरण वा आधार। आलम्बन और उदीपन विभाव। अनुभाव। व्यभिचारी भाव। रसास्वाद और रस संग्रह। शान्त रस की स्थिति। रसानुभव-कालीन चतुर्विध चित्तवृत्ति। रस-चतुष्टयवाद। भट्ट लोलट की आलोचना। श्री शङ्कुल का अनुमित्तिवाद। शङ्कुल के अनुमित्तिवाद की आलोचना। भट्ट नायक का भोजकत्ववाद और उसकी आलोचना। श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य वा अभिव्यक्तिवाद। अन्य मत। वाच्य रस। काव्य रस। भाव। रसाभास तथा भावाभास। |     |
| ४ रसवदलझूर से ध्वनि के भेद प्रदर्शनार्थ ध्वनि विषय का निर्देश [का० ४]  | ११८ |
| रसवदलझूर और ध्वनि के भेद प्रदर्शनार्थ रसवदलझूर का विषय निर्देश [का० ५]   | ११९ |
| मुँह रसवदलझूर का उदाहरण। सहीण रसवदलझूर का उदाहरण। ध्वनि तथा रसवदलझूर वा विषय भेद। रसा का परस्पर विरोधाविरोध। विरोधी रसा के अविरोध सम्पादन वा उपाय। स्पृहरस्या मा सञ्चारी रस। रसवदलझूर विषयक मत-भेद। रसवदलझूर तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य। ध्वनि, उपमादि तथा रसवदलझूर। अन्या के मत में चेन्न व्यापार में ही रसवदलझूर भानने पर अचेन्न बगुन परक काव्य की नीरसत्व प्रमिति। इम प्रकार के नीन उदाहरण जिनमें रसानुभूति होने              |     |

हुए भी अचेतन वस्तु वर्णन परक होने से नीरसत्व प्राप्त होता है ।	
अतएव रसादि की अङ्गता में रसवदलङ्घारत्व तथा उनकी प्रधानता में ध्वनित्व का सिद्धान्त ।	
✓ ६. गुण तथा अलङ्घारों का अलङ्घार्य ध्वनि से तथा परस्पर भेद प्रदर्शन [का० ६]	१३०
सिद्धान्त पक्ष । वामन मत । भामह मत । नव्य मत ।	
७. माधुर्य गुण का प्रधान विषय शृङ्खार [का० ७]	१३२
एकारस्त्रिनधा मत ।	
✓ ८. सम्भोग, विप्रलभ्म शृङ्खार और करण रस में माधुर्य का उत्तरोत्तर उत्कर्ष [का० ८]	१३४
प्राचीन दश गुणों का तीन गुणों में अन्तर्भाव प्रदर्शक चिन ।	
✓ ९. रोदादि रसों में ओज की स्थिति [का० ९]	१३६
दीर्घ समास वाली रचना से युक्त ओज प्रकाशक उदाहरण । दीर्घ समासादि रहित ओज प्रकाशक उदाहरण ।	
१०. प्रसाद गुण का सर्वरससाधारणत्व [का० १०]	१३८
११. श्रुतिदुष्टादि अनित्य दोषों का शृङ्खार में हेयत्व प्रतिपादन [का० ११]	१३९
१२. रसादि ध्वनि के भेदों का आनन्दत्य [का० १२]	१४०
सम्भोग शृङ्खार तथा विप्रलभ्म शृङ्खार के अवान्तर भेदों का प्रतिपादन ।	
१३. दिष्मान प्रदर्शन [का० १३]	१४१
१४. शृङ्खार में अनुग्रास का द्यञ्जकत्वाभाव [का० १४]	१४२
१५. शृङ्खार में और विशेषत विप्रलभ्म शृङ्खार में यमकादि का प्रतियेष [का० १५]	१४२
आदि शब्द के चार अर्थ । आदि पद से आह्य समझ, अभझ इलेप ।	
१६. शृङ्खारादि में अपूर्यपत्तसम्पाद्य अलङ्घार ही प्रपूर्क्त होना चाहिए [का० १६]	१४५
अपूर्यपत्तनिर्वर्त्य अलङ्घार का उदाहरण । इसी विषय के सप्तह इलोक ।	
१७. शृङ्खारादि में समीक्ष्य विनिवेशित व्यक्तादि ही वस्तुत अलङ्घार होते हैं [का० १७]	१४६

१६. अलङ्कारों के सन्निवेश को समीक्षा का प्रकार [का० १८, १९] १६  
तत्परत्वेन विवक्षा का उदाहरण। नाज्ञित्वेन का उदाहरण।  
अवसर पर ग्रहण का उदाहरण। अवसर पर परित्याग का उदा-  
हरण। सङ्कर तथा समृद्धि का विषय-भेद। नातिनिवंहणंपिता  
का उदाहरण। अत्यन्त निर्वाह होने पर यत्नपूर्वक अलङ्कार  
के अज्ञत्व का उदाहरण।

२०. सलक्ष्यकम्यव्यञ्जय के शब्दशक्त्युत्य तथा अर्थशक्त्युत्य भेद [का० २०] १६  
२१. शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि [का० २१] १६  
शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि तथा इलेप। अलङ्कार की विषय-व्यवस्था।  
अलङ्कारान्तर की वाच्यता में इलेप और व्यञ्जयता में ध्वनि  
व्यवस्था। शब्द शब्दिन से अलङ्कारान्तर की वाच्यता के ४ उदा-  
हरण जिनमें द्वितीयार्थ के अभिधा से बोध होने का साधक  
प्रमाण है। अभिधा नियामक हेतु के, प्रबलतर वाधकवश अकि-  
चिलकर हो जाने से अर्थान्तर की वाच्यता का १ उदाहरण।  
शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि के उदाहरण। द्वितीयार्थ प्रतीति के विषय  
में तीन निदान। शब्दशक्तिमूल उपमा ध्वनि का १ और  
उदाहरण। शब्दशक्तिमूल विरोधालङ्कार ध्वनि के ३ उदा-  
हरण। शब्दशक्तिमूल व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि का उदाहरण।

२२. अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि [का० २२] १८  
अर्थशक्त्युद्भव सलक्ष्यकम व्यञ्जय का उदाहरण। असलक्ष्यकम  
व्यञ्जय से इसवा भेद। उविन निवेदित वाच्य सिद्धघञ्ज व्यञ्जय।  
इस ध्वनि वा विषय नहीं होता इसवा उदाहरण।

२३. स्व शब्द से निवेदित अर्थ, शब्दशक्त्युद्भव अर्थवा अर्थशक्त्युद्भव  
ध्वनि नहीं रहता, वाच्य सिद्धघञ्ज गुणोभूत व्यञ्जय हो जाता है [का० २३] १८  
शब्दशक्त्युद्भव का उदाहरण। अर्थशक्त्युद्भव वा उदाहरण।

२४. अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के स्वतं सम्भवी तथा प्रोटोक्रित सिद्ध  
भेद [का० २४] १८  
कविप्रोटोक्रितिमिद वस्तुध्वनि वा उदाहरण। कविनिवद-  
प्रोटोक्रितिमिद वस्तुध्वनि के उदाहरण वा सरेत। स्वतं सम्भवी  
वस्तुध्वनि के २ उदाहरण।

२५. अर्थदाक्त्युद्भव अलङ्घार ध्वनि [का० २५]	१६०
२६. अलङ्घार ध्वनि की व्युत्पत्तिप्रयत्ना [का० २६]	१६१
२७ अलङ्घार के व्युत्पत्ति पर भी, वाच्य के व्युत्पत्तिप्रयत्न होने पर ध्वनि नहीं [का० २७]	१६१
इसका उदाहरण। वाच्य अलङ्घार के व्युत्पत्तिपर होने पर ही ध्वनि व्यवहार के स्पष्ट ध्वनि के २ उदाहरण। उपमा ध्वनि के २ उदाहरण। आधेष ध्वनि का उदाहरण। शब्दशक्तिमूल अर्थान्तरन्यास ध्वनि का उदाहरण। अर्थशक्तिमूल अर्थान्तरन्यास ध्वनि का उदाहरण। शब्दशक्तिमूल व्यतिरेक ध्वनि का उदाहरण। उत्प्रेक्षा ध्वनि का उदाहरण। उत्प्रेक्षा वाचक शब्दों के अभाव में भी उत्प्रेक्षा के समर्थक दो उदाहरण। अर्थशक्त्यु- द्भव श्लेष ध्वनि का उदाहरण।	
२८. ध्वन्यङ्गता से अलङ्घारों का चारत्वोत्कर्ष [का० २८]	२०४
२९ वस्तु से अलङ्घार व्युत्पत्ति होने पर ध्वनित्व [का० २६]	२०४
३०. अलङ्घार से अलङ्घार व्युत्पत्ति होने पर ध्वनित्व [का० ३०]	२०५
३१. ध्वन्याभास या गुणीभूतव्युत्पत्ति [का० ३१]	२०६
ध्वन्याभास के दो उदाहरण। वाच्यार्थ के पुन व्रतीयमान का अङ्ग होने पर ध्वनित्व ही होता है इसका, उदाहरण।	
३२. अविवक्षित वाच्य [लक्षणामूल] ध्वनि का [गुणीभूत व्युत्पत्ति] आभासत्व [का० ३२]	२०६
३३. केवल व्युत्पत्ति प्राप्तान्य ही ध्वनि का लक्षण [का० ३३]	२१०

## तृतीय उद्योग

[पृ० २११—३४०]

१ अविवक्षित वाच्य [२ भेद] और विवक्षित वाच्य के सतत्यकम् व्युत्पत्ति [१५ भेद] की पदप्रकाशता तथा चाकप्रकाशता स्थ दो भेद [का० १]	२११
अविवक्षित वाच्य के अस्त्यन्त निरस्त्रुत वाच्य भेद वी पद प्रपा- शता के ३ उदाहरण। अविवक्षित वाच्य के अर्थान्तर सत्रमित वाच्य भेद वी पद प्रकाशता के २ उदाहरण। अविवक्षित वे अस्त्यन्त-	

तिरस्कृत वाच्य भेद की वाक्यप्रकाशता का एवं उदाहरण। अविवक्षित के गर्थन्तरसनमितवाच्य की वाक्यप्रकाशता का उदाहरण। विवक्षितवाच्य के शब्दशब्दत्युद्धव भेद में पदप्रकाशता का उदाहरण। विवक्षितवाच्य के शब्दशब्दत्युद्धव भेद में वाक्यप्रकाशता का उदाहरण। विवक्षितवाच्य के अर्थशब्दत्युद्धव भेद के अन्तर्गत विविधोवितसिद्ध प्रभेद की पदप्रकाशता का उदाहरण। विवक्षितवाच्य के अर्थशब्दत्युद्धव भेद के अन्तर्गत विविधोवितसिद्ध भेद की वाक्यप्रकाशता का उदाहरण। विवक्षितवाच्य के अर्थशब्दत्युद्धव भेद के अन्तर्गत स्वतं सम्भवी की पदप्रकाशता का उदाहरण। विवक्षितवाच्य के अर्थशब्दत्युद्धव भेद के अन्तर्गत स्वतं सम्भवी वी वाक्यप्रकाशता का उदाहरण। अध्यनि की पदप्रकाशता का उपपादन।

२. असलक्ष्यनम् व्यञ्जन के प्रकाशक के चार भेद [का० २]

३-४ वर्णों की रसद्योतकता [का० ३-४]

पदों की असलक्ष्यनम् रसद्योतकता का उदाहरण। पदावयव की रसद्योतकता का उदाहरण। वाक्यप्रकाश असलक्ष्यनम् व्यञ्जन के शुद्ध तथा सहृदीणं भदा के उदाहरण।

५. प्रिविध सघटना [का० ५]

रीति, सहृदटना, मार्गं शैली का एतिहासिक विस्लेषण।

६. सघटना को रसव्यञ्जनकता [का० ६]

सहृदटना तथा गुणों के सम्बन्ध विषयक तीन मत। गुण तथा सहृदटना का अभेदवादी वामन मत। गुण तथा सहृदटना को सहृदटनाथित मानने वाला भट्टोदभट मत। सहृदटना को गुणाथित मानने वाला सिद्धान्त पक्ष। वामन तथा उद्भट के प्रथम तथा द्वितीय मत में गुणों के विषय नियम वा व्यभिचार दोष। उसके उपपादन के लिए शृङ्खार में दीर्घसमाप्ता रचना के दो उदाहरण। तथा रोद में असमाप्ता रचना के दो उदाहरण। गुणों के सहृदटनास्वरूप तथा सहृदटनाथयत्व का स्पष्टन तथा रसाथितत्व का समर्थन। गुणों के शब्दाथितत्व का वैविध्यक समाधान और शब्दालङ्घारों में गुणों का भेद। घोज गुण का अनियन्त्रण सहृदटनाथितत्व। अव्युत्पत्तिहृत दोष यवि की

प्रतिभा के बल से दब जाना है। महुटना का नियामक वक्ता, वाच्य आदि वा श्रीचित्य। विधि या कविनिवेद वक्ता के रसभाव-रहित होने पर रचना का बीमाचार, रसभाव समन्वित होने पर सहुटना का नियम। प्रमाद गुण का सर्वरससाधारणत्व।

७. रचना का नियामक विषयाधित श्रीचित्य [का० ७] २४८
- वाच्य के प्रबन्ध, मुक्तव, आदि भेद। पर्यायवन्ध आदि भेदों में रचना के नियम।
८. पद्धतिमक काव्यों के नियामक श्रीचित्य ही, गद्य रचना के भी नियामक [का० ८] २५४
९. रसवन्धोवत् श्रीचित्य में, विषय भेद से किञ्चित् परिवर्तन [का० ९] २५४
- १०-१४. प्रबन्ध में असालश्यत्रम् रसादि ध्वनि के व्यञ्जकत्व के पांच प्रकार [का० १०-१४] २५६-२५७
- दिव्य, मानुष्य, उत्तम, भव्यम् प्रटृति के पात्रा के अनुरूप स्थायी-भावों का बण्णन ही विभावादि का श्रीचित्य है। उत्तम प्रटृति के नायव आदि के ग्राम्य शृङ्खार बण्णन का नियेष। ऐतिहासिक कथा में भी रस के अनुरूप परिवर्तन बरने की अनुमति। नाटक आदि में भी वेवल शास्त्रीय मर्यादा के पात्रन के लिए सम्मतादि रचना का नियेष। प्रवसर पर रमा वा उचित उदीपन और प्रवाशन तथा अनद्वारा के अनिश्चय प्रयोग का नियेष।
१५. सतश्यकम् अपद्धृप्य ध्वनि से भी असालश्यत्रम् अपद्धृप्य रसादि ध्वनि अभिश्ववत् होनी है [का० १५] २६७
- इसके चार उदाहरण।
१६. मुष्, तिइ, यचन, दृत्, तद्वित, सामारा, कारव आदि से रसादि की प्रशाशना [का० १६] २७०
- मुवादि के व्यञ्जकवर्त्त में १६ उदाहरण। शदा के रस व्यञ्जकत्व का उपाराजन। प्रबन्ध तथा मूलदों में रमवन्पायं।
१७. रस विरोधियों के परिहार की प्रावधानना [का० १७] २८८
- १८-१९. पांच प्रवार से रस विरोधी तत्त्व [का० १८-१९] २८९
२०. विरोधी रसों अपवा रसाद्वारों के सहसनिवेदा के दो नियम [का० २०] २९६
- विद्वान् शृङ्खार में मृगा की पद्मना वा रिमेचन। वाप्तस्तेन

विरोधी रस के सह समावेश के २ उदाहरण। स्वाभाविक और समारोपित अनुभाव प्राप्ति के उदाहरण। दो विरोधी रसाज्जों की तीसरे प्रधान रस के अन्तर्गत में वर्णन की अदोपता। अनुवादात्म में विरोध की अदापता। नाटक में विरुद्ध रसाज्जों के अभिनय का प्रकार। समर्यादाएँ विरोधी रसाज्जों की अदोपता।

१. २१	एक रस की प्रधानता अविरोध का मुख्य उपाय [का० २१]	३१२
२२	अनेक रसों में एक को अस्तिता वा उपपादन [का० २२]	३१३
२३.	प्रधान रस का अन्य रसों द्वारा पोषण [पा० २३]	३१३
२४	रस विरोध के परिहार का द्वितीय उपाय, विरोधी रस के परिपोषण का अभाव [का० २४]	३१४
२५.	रस विरोध परिहार का तृतीय उपाय एकाधय विरोधी का भिन्नाभ्यवृत्ति [का० २५]	३१५
२६	विरोधी रसों के बीच में दोनों के अविरोधी रस से व्यवधान चतुर्थ प्रकार [का० २६]	३१६
२७.	रसान्तर से व्यवधान होने पर विरोधी रसों का अविरोध [का० २७]	३१७
२८.	रसों के विरोधाविरोध का उपभावार [का० २८]	३१८
२९.	शृङ्खला में विरोध परिहार अनिवार्य [का० २९]	३१९
३०.	विरोधी रसों में भी शृङ्खला का पुट सम्भव [का० ३०]	३२०
३१.	विरोधाविरोध के ज्ञान से व्यामोहानाव [का० ३१]	३२१
३२.	रसानुग्रह दात्वाद्य योजना कवि का मुख्य वर्ण [का० ३२]	३२२
३३.	द्विविध वृत्तिया [का० ३३]	३२३
	वाच्य और व्याक्य की सहप्रयोगि का पूर्वपक्ष और उग्रता समाधान। वाच्य और व्याक्य प्रयोगि में वर्म का उपपादन। व्यञ्जकत्व के विपरीत सीमानक आदि का पूर्वपक्ष और उग्रता समाधान। अभिधा और व्यञ्जना का वायमेद। अभिधा और व्यञ्जना का ह्य भेद। पदार्थ-वास्तव-व्यायाम के राश्ट्र डारा तात्पर्यालालि से व्यञ्जना का भेद निष्पत्ति। गुण प्रधान भेद तथा भावधय भेद से वाच्य और व्याक्य का भेद। 'अभिधा' और गुणवृनि सक्षमता का ह्य भेद ने भेद। अभिधा संतर लक्षणा का विद्य भेद। अभिधा, लक्षणा व्यञ्जना तीन विभिन्निया को स्पारना। अविविधि वाच्य ध्वनि वा गुणवृनि लक्षणा में	३२४

अभेद का पूर्वपक्ष । इसका समाधान । गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का भेद । वाचकत्व व्यञ्जकत्व का स्वाभाविकत्व तथा ओपाधिकत्व कृत भेद । लिङ्गत्व न्याय से अभिधा व्यञ्जना का भेद । शब्दार्थ का नित्य सम्बन्ध मानने वाले मीमांसक के मत में भी व्यञ्जकत्व रूप ओपाधिक सम्बन्ध का उपयोग । मीमांसक मत में व्यञ्जकत्व का अविरोध । वैयाकरण तथा नैयायिक मत में व्यञ्जकत्व का अविरोध । व्यञ्गच की अनुमेयता विषयक पूर्वपक्ष । उसका १ प्रीढिवाद से और २ यथार्थ उत्तर । शब्दों का अनुमेय तथा प्रतिपाद्य द्विविध विषय । प्रतिपाद्य विषय के वाच्य और व्यञ्गच दो भेद । व्यञ्गार्थ का शब्द सम्बद्धित्व । व्यञ्जकत्व का लिङ्गत्व अनावश्यक । स्वतः परतः प्रामाण्य वाद ।

३४. अनुमेय अभिप्राय आदि व्यञ्गच घटनि नहीं । घटनि का उपसंहार [का० ३४] २८८

३५. गुणीभूत व्यञ्गच [का० ३५] २८९

३६. गुणीभूत व्यञ्गच की उपादेयता [का० ३६] २९२

३७. व्यञ्गच के संस्पर्श से वाच्य का चारूत्य [का० ३७] २९३

अतिशयोक्ति से वाच्यालङ्कार चारूत्य । अलङ्कारों की गुणीभूत व्यञ्गचता के नियम ।

३८. प्रतीपमान काव्य का भूपण [का० ३८] ४०३

३९. काकु से प्रकाशित गुणीभूत व्यञ्गच [का० ३९] ४०४

४०. गुणीभूत व्यञ्गच में घटनि योजना का नियेध [का० ४०] ४०७

४१. गुणीभूत व्यञ्गच की भी रसादि की आलोचना से घटनिहप्ता सम्भव [का० ४१] ४०८

प्राधान्याप्राधान्य विवेक के अभाव में आन्ति के उदाहरण । अप्रस्तुतप्रशासा में वाच्य के विवक्षित, अविवक्षित, विवक्षिता-विवक्षित होने के उदाहरण ।

४२-४३. वित्र काव्य का संक्षण [का० ४२-४३] ४१८

वित्र वाच्य की स्थिति और उसके अधिकारी की व्यवस्था ।

४४. सङ्कुर संसृष्टि में घटनि के भेद [का० ४४] ४२८

सोचनकार के अनुसार ३५ घटनि भेद । काव्यप्रकाशहृत ५१ घटनि भेद । सोचन तथा काव्यप्रकाश के भेदों की तुलना ।

संसृष्टि सङ्कर भेद से लोचन की गएना। लोचन की एक और चिन्त्य गएना। वाव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण की गएना। गुणन-प्रतिया। सङ्कलन-प्रतिया। साहित्यदर्पण की सङ्कलन प्रतिया की शैली। सङ्कलन की लघु प्रतिया। काव्यप्रकाश की द्विविध शैली का कारण। स्वप्रभेद सङ्कीर्ण, स्वप्रभेद ससृष्ट, गुणीभूत व्यञ्जय सङ्कीर्ण, गुणीभूत व्यञ्जय संसृष्ट, वाच्यालङ्कार सङ्कीर्ण, वाच्यालङ्कार संसृष्ट, संसृष्टालङ्कार सङ्कीर्ण, संसृष्टा-लङ्कार संसृष्ट ध्वनि के द उदाहरण।

४५. ध्वनि के भेद-प्रभेदों की गएना अशक्य होने से यह विड्मात्र प्रदर्शन है [का० ४५] ४४७

४६. सत्काव्य के करने या समझने के लिए ध्वनितत्व का परिज्ञान आवश्यक है [का० ४६] ४४७

४७. ध्वनितत्व को स्पष्ट रूप में न समझने के कारण ही पुर्ववायों ने 'रीतिया' प्रबूत की [का० ४७] ४४७

४८. ध्वनि में ही धूतियों का अन्तर्भाव [का० ४८] ४४८  
वामनाभिमत उपनागरिका आदि शब्दाधित, तथा भरताभिमत वैशिवी आदि धूतियों का ध्वनि में अन्तर्भाव। ध्वनि के अलक्षणीयत्व या अनास्थेयत्व वा निराकरण। ध्वनि लक्षण वा उपस्थार।

### चतुर्थ उद्योग

[पृ० ४५४ से ४६१ तक]

१. ध्वनि तथा गुणीभूत व्यञ्जय से प्रतिभा का अनन्त्य [का० १] ४५४
२. ध्वनि रास्पदों से पुरातान विषयों में नूतनता वा सचार [का० २] ४५५  
प्रविविधिन वाच्य के अन्तर्निर्मित वाच्य तथा अर्थान्तर सन्दर्भित वाच्य ध्वनि भेदों के सम्बन्ध से पुराने विषय में अपूर्वना सचार के तुननात्मक दो उदाहरण। अमनश्य व्यञ्जय के मध्यदर्श में अपूर्वना सचार के दो उदाहरण।
३. इसी प्रकार से रसादि वा अनुभरण [का० ३] ४५६
४. रस वे रास्पदों से अर्थों को अपूर्वना [का० ४] ४६१

शब्दशब्दक्षयुदभव ध्वनि, अर्थशब्दक्षयुदभव ध्वनि, कविप्रीढोकित-  
सिद्ध तथा कवि निवद्वक्तृप्रीढोकितसिद्ध के सम्पर्क से अपूर्वत्व  
के चार उदाहरण ।

५.	अनेक प्रकार के व्यङ्गचो में से रस की प्रधानता [का० ५]	४६५
	प्रवन्ध वाच्य में एक ही मुख्य रस होना चाहिए । रामायण में करण रस की मुख्यता । महाभारत में शान्त रस तथा मोक्षहृषि पुरुषार्थ की मुख्यता । इस विषय पर पूर्वपक्ष और उसका समाधान ।	
६.	ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्गच के सम्बन्ध से काव्यार्थ की अनन्तता [का० ६]	४७३
७.	वाच्यार्थ से भी अर्थ का आनन्दता [का० ७]	४७४
	अवस्थाभेद से एक ही अर्थ के नूतनत्व का उदाहरण । अचेतन में चेतनारोप से नूतनत्व । देशभेद तथा कालभेद पर ही अर्थ का नानात्व । इस विषय में पूर्वपक्ष और उसका समाधान ।	
८-१०	अवस्था, देश, कालादि भेद से रसानुकूल रचना का आनन्दत्व [का० ८, ६, १०]	४८३
११.	अन्यों के साथ विषयों का सादृश्य कवि के लिए दोषाधारक नहीं [का० ११]	४८४
१२.	प्रतिविम्बवत्, आलोह्यवत्, तुल्यदेहिवत् त्रिविध सादृश्य [का० १२]	४८५
१३.	प्रथम दो सादृश्य हेय, तृतीय उपादेय [का० १३]	४८५
१४.	चन्द्र के सादृश्ययुक्त मुख के सौन्दर्य के समान सादृश्य होने पर भी काव्य सौन्दर्य सम्भव [का० १४]	४८६
१५.	अक्षरयोजना से विविध वाड्भय के समान परिमित अर्थों से आपरिमित काव्य [का० १५]	४८७
१६.	पूर्वच्छापा से अनुगत होने पर भी मुन्दर वस्तु की रचना अनुचित नहीं [का० १६]	४८८
१७.	स्वयं सरस्वती कवि की सहायक [का० १७] उपसहार के दो इलोक ।	४८९

—भूमिका—

ध्वनि सिद्धान्त

ले० डा० नगेन्द्र

## ध्वनि-सिद्धांत (भूमिका)

- १ गूर्ववृत्त [ ध्वनि सम्बद्धाय का संबंधित इतिहास ]
- २ ध्वनि का अर्थ और परिभाषा
- ३ ध्वनि की प्रेरणा—स्पोट सिद्धांत
- ४ ध्वनि की स्थापना  
[क] व्यष्टिजनन का आधार  
[ख] ध्वनि के विरोधी
- ५ काव्यत्व का अधिकास चार्यार्थ में या व्यङ्ग्यार्थ में ?— आचार्य शुश्रव के मत की आलोचना ।
- ६ ध्वनि के भेद—ध्वनि की व्यापकता ।
- ७ ध्वनि और रस
- ८ ध्वनि के अनुसार काव्य के भेद
- ९ ध्वनि में अन्य सिद्धांतों का समाहार
- १० ध्वनि और पाश्चात्य साहित्य  
[क] ध्वनि का भौतिकीय-विवेचन  
[ख] पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ध्वनि की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इच्छीकृति :  
तद्विपयक संकेतों का विश्लेषण  
[ एकेटो से लेकर अधुनातन आचार्यों तक ]
- ११ हिन्दी में ध्वनि-सिद्धांत की मान्यता ।  
[ प्राचीन तथा नवीन काव्य एवं काव्य शास्त्रों में ध्वनि विपयक संकेतों का विश्लेषण विवेचन ]
- १२ उपसहार ध्वनि सिद्धांत की परीक्षा  
[अ] ग्रथकार  
[आ] अवन्यालोक का प्रतिपाद्य रिएव

## भूमिका

### ध्वनि सिद्धान्त

G [ लेसक — डॉ नरेन्द्र एम्. ए., डी. लिट् ]

**पूर्ववृत्त** — ग्रन्थ सम्प्रदायों की भाँति ध्वनि सम्प्रदाय का जन्म भी उसके प्रतिष्ठापक के जन्म से बहुत पूर्व ही हुआ था। “काव्यसामान्यात्मा ध्वनिरिति बुधंयः समानात्पूर्वः” । ध्वन्यालोक १, १ । अर्थात् काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसा मेरे पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत है । वास्तव में इस सिद्धान्त के मूल संकेत ध्वनिकार के समय से बहुत पहले वेयाकरणों के सूत्रों में स्फोट आदि के विवेचन में मिलते हैं । इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन में भी व्यञ्जना एवं अभिव्यक्ति [ दीपक से घर ] की चर्चा बहुत प्राचीन है । ध्वनिकार से पूर्व रस, अलड्डार और रीतिवादी आचार्य अपने-अपने सिद्धान्तों का पुष्ट प्रतिपादन कर चुके थे, और पद्यपि वे ध्वनि सिद्धान्त से पूर्णतः परिचित नहीं थे, किर भी प्रानन्दवर्धन का कहना है कि वे कम से कम उसके सीमान्त तक अवश्य पहुंच गये थे । अभिनवगुप्त ने पूर्ववर्ती आचार्यों में उद्भूत और वामन को साक्षी माना है । उद्भूत, का ग्रन्थ भामह-विवरण आज उपलब्ध मर्ही है, अतएव हमें सबसे प्रथम ध्वनि-संकेत वामन के वक्रोक्ति विवेचन में ही मिलता है । वहाँ “सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्ति” लक्षणा म जहा सादृश्य गर्भित होता है, वहा वह वक्रोक्ति कहलाती है । सादृश्य की यह व्यञ्जना ध्वनि के होती है, इसीलिए वामन को साक्षी माना गया है ।

ध्वन्यालोक एक युग-प्रवर्तक ग्रन्थ था । उसके रचयिता ने अपनी ग्रासाधारण मेधा के बल पर एक ऐसे सावंभीम सिद्धान्त को प्रतिष्ठा की जो युग-युग तक सर्वमान्य रहा । अब तक जो सिद्धान्त प्रचलित थे वे प्रायः सभी एकाङ्गी थे । अलड्डार और रीति तो काव्य के बहिरङ्ग को ही छूकर रह जाते थे, रस सिद्धान्त भी ऐन्द्रिय आनन्द को ही सर्वस्व मानता हुआ बुद्धि और कल्पना के आनन्द के प्रति उदासीन था । इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह

या कि प्रबन्ध काव्य के साथ तो उसका सबूप ठीक बैठ जाता था, परन्तु स्फुट छद्मों के विषय में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि का सञ्ज्ञन संबंध न हो सकने के कारण कठिनाई पड़ती थी और प्राय स्वत्यन्त सुन्दर पदों को भी उचित गौरव न मिल पाता था। ध्वनिकार ने इन त्रुटियों को पहिचाना और सभी का उचित परिहार करते हुए शब्द की तीसरी शक्ति व्यञ्जना पर आश्रित ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया।

ध्वनिकार ने अपने सामने दो निश्चित लक्ष्य रखे हैं—१ ध्वनि-सिद्धान्त की निर्भागत शब्दों में स्थापना करना, तथा यह सिद्ध करना कि पूर्ववर्ती विस्तीर्ण भी सिद्धान्त के अन्तगत उसका समाहार नहीं हो सकता। २—रस, अलङ्कार, रोति, गुण और दोष विषयक सिद्धान्तों का सम्यक् परीक्षण करते हुए ध्वनि के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित करना और इस प्रकार काव्य के एक सर्वाङ्गपूर्ण सिद्धान्त की एक व्यप-रेखा बांधना। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में ध्वनिकार सर्वथा सफल हुए हैं। यह सब होते हुए भी ध्वनि सम्प्रदाय इतना लोकप्रिय न होता यदि अभिनवगृह्ण की प्रतिभा का वरदान उसे न मिलता। उनके लोचन का यही गौरव है जो महाभाष्य का। अभिनव ने अपनी तत्त्वज्ञानी प्रका और प्रोड विवेचन के द्वारा ध्वनि-विषयक रामस्त भान्तियों और आक्षेपों को निर्मूल कर दिया और उपर रता की प्रतिष्ठा को अकाटप शब्दों में स्थिर किया।

### ध्वनि का अर्थ और परिमापा

ध्वनि की ध्यालया के लिए निःसंगत सबसे उपयुक्त ध्वनिकार वे ही शब्द हो सकते हैं।

यत्पार्थः शब्दो चा तमर्थमुपसज्जन्मृतस्वाधीं।  
च्यन्त्वं काव्यविशेष सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥

जहाँ अर्थ रवय को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गोण बरके 'उस अर्थ को' प्रकाशित करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है।

उपर्युक्त वारिका को इय ध्वनिकार ने ही और आगे ध्यालया करते हुए लिखा है। यथार्थो वाच्यविशेषो वाच्यविशेष शब्दो वा तमर्थं व्युक्तं, स वाच्यविशेषो ध्वनिरिति।

अर्थात् जहा विशिष्ट वाच्य रूप अर्थ तथा विशिष्ट वाचक रूप शब्द 'उस अर्थ को' प्रकाशित करते हैं वह काव्य विशेष ध्वनि कहलाता है।

यहा 'तमर्थम्' 'उस अर्थ' का वर्णन पूर्व कथित दो इसोंको में किया गया है।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।  
यत्तत्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु॥

प्रतीयमान कुछ और ही चीज़ है जो रमणियों के प्रसिद्ध [मुख, नेत्र, ओंग्र, नासिकादि] अवयवों से भिन्न [उनके] लावण्य के समान महाकवियों की सूक्षितयों में [वाच्य अर्थ से अलग ही] भासित होता है।

अर्थात् 'उस अर्थ' से तात्पर्य है उस प्रीतोष्यमान स्वादु (चर्वणीय, सरस) अर्थ का जो प्रतिभा जन्य है, और जो महाकवियों की वाणी में वाच्याभित अलङ्कार आदि से भिन्न, स्त्रियों में अवयवों से अतिरिक्त लावण्य की भाँति कुछ और ही वस्तु है। अतएव यह विशिष्ट अर्थ प्रतिभाजन्य है, स्वादु [सरस] है, वाच्य से अतिरिक्त कुछ दूसरी ही वस्तु है, और प्रतीयमान है।

सरस्तती स्वादु तदर्थवस्तु नि प्यन्दमाना महता करीनाम् ।  
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥

उस स्वादु अर्थवस्तु को विवेरती हृदृ बड़े-बड़े कवियों की सरस्तती अलोकिक तथा अतिभासमान प्रतिभा विशेष को प्रकट करती है।

इस पर लोचनकार की टिप्पणी है—

सर्वत्र शब्दार्थ्योरुभयोरपि ध्वननव्यापार । . । स [काव्य विशेष] इति । अर्थो वा शब्दो वा, व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दोऽप्येव व्यञ्जयो वा ध्वन्यत इति । व्यापारो वा शब्दार्थ्योर्ध्वननमिति । कारिक्या तु प्राधान्येन समूदाय एव वाच्यरूपमुषेत्योऽध्वनिरिति प्रतिपादितम् ।

अर्थात् सब शब्द और अर्थ दोनों का ही ध्वनन व्यापार होता है। ..... 'वह काव्यविशेष' का अर्थ है। अर्थ, या शब्द या व्यापार। वाच्य अर्थे भी ध्वनन करता है और शब्द भी, इसी प्रकार व्यञ्जय [अर्थ] भी ध्वनित होता है। अथवा शब्द अर्थ का व्यापार भी ध्वनन है। इस प्रकार कारिका के द्वारा प्रथाननतया समूदाय शब्द, अर्थ—वाच्य [व्यञ्जक] अथ और व्यञ्जय अर्थ तथा शब्द और अर्थ का व्यापार ही ध्वनि है।

अभिनवगुप्त के कहने का सात्यर्थ यह है कि कारिका के जनुसार ध्वनि सज्जा केवल काव्य को ही नहीं दी गई बरन् शब्द, अर्थ और शब्द अर्थ के व्यापार इन सब को ध्वनि कहते हैं।

ध्वनि शब्द के व्युत्पत्ति-अर्थों से भी ये पाचों भेद सिद्ध हो जाते हैं :

१. ध्वनति य स व्यञ्जक शब्द ध्वनि —जो ध्वनित करे या कराये वह व्यञ्जक शब्द ध्वनि है।

२. ध्वनति ध्वनयति वा य स व्यञ्जकोऽर्थं. ध्वनि —जो ध्वनित करे या कराये वह व्यञ्जक अर्थ ध्वनि है।

३. ध्वन्यते इति ध्वनि—जो ध्वनित किया जाये वह ध्वनि है। इसमें रस, अतङ्कार और वस्तु—व्यञ्जन अर्थ के ये तीनों रूप आ जाते हैं।

४. ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि—जिसके द्वारा ध्वनित किया जाये वह ध्वनि है। इससे शब्द अर्थ के व्यापार—व्यञ्जना आदि शक्तियों का बोध होता है।

५. ध्वन्यतेऽस्मिन्मिति ध्वनि—जिसमें वस्तु, अतङ्कार रसादि ध्वनित हो उस वाय को ध्वनि कहते हैं।

इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग पाच भि न-भिन्न परन्तु परस्पर सम्बद्ध अर्थों में होता है। १. व्यञ्जक शब्द, २. व्यञ्जक अर्थ, ३. व्यञ्जन अर्थ, व्यञ्जना [व्यञ्जना व्यापार] और व्यञ्जन प्रधान काव्य।

सक्षेप में ध्वनि का अर्थ है व्यञ्जन, परन्तु पारिभाविक रूप में यह व्यञ्जन वाच्यातिशायी होना चाहिए वाच्यातिशायिनि व्यञ्जने ध्वनि [ताहित्य दर्पण]। इस आतिशाय प्रयोग प्राप्ताय का भावार है चाल्य अयात् रमणीयता का उत्तर 'चाल्योत्तर्य नियन्धना हि वाच्यव्यञ्जयो प्रापान्यविवक्षा' [ध्वन्यालोक]। अतएव वाच्यातिशायी का अर्थ हृषा वाच्य से अधिक रमणीय—और ध्वनि का संधिका सक्षण हृषा "वाच्य से अधिक रमणीय व्यञ्जन को ध्वनि कहते हैं।"

### ध्वनि की प्रेरणा—स्फोट मिद्दान्त

ध्वनि मिद्दान्त वो प्रेरणा ध्वनिकार वो विद्याकरणों के स्फोट मिद्दान्त से मिलती है। उहोंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'मूरिभि विद्यत' में

सुरिभि (विद्वानों द्वारा) से अभिप्राय वैयाकरणों से है वर्षोंकि वैयाकरण ही पहले विद्वान हैं और व्याकरण ही सब विद्याश्रो का मूल है। वे श्रूपमाण (मुने जाते हुए) वर्षों में ध्वनि का व्यवहार करते हैं।

लोचनकार ने इस प्रसंग को और स्पष्ट किया है। उन्होंने वैयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त के साथ आलकारिकों के इस ध्वनि सिद्धान्त का पूर्णत सामजस्य स्थापित करते हुए तदविषयक पृष्ठाधार की साङ्गोपाङ्ग व्याख्या की है। ध्वनि के पांचों रूप—व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्जन अर्थ, व्यञ्जना व्यापार तथा व्यञ्जन काव्य—सभी के लिए व्याकरण में निश्चित एव स्पष्ट सकेत हैं।

लोचनकार की टिप्पणी का व्याख्यान करने के लिए मैं अपने मित्र थी विश्वम्भरप्रसाद ड्वाराल की ध्वन्या- लोक टीका से दो उच्चारण देता हूँ।

“जब मनुष्य किसी शब्द का उच्चारण करता है तो थोता उसी उच्चरित शब्द को नहीं सुनता। मान लीजिये मैं आप से १० गज की दूरी पर सड़ा हूँ। आपने किसी शब्द का उच्चारण किया। मैं उसी शब्द को नहीं [मैं सुन सकता जो आपने उच्चरित किया। आपका उच्चरित शब्द मुख के पास ही अपने दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। दूसरा शब्द तीसरे को, तीसरा चौथे को और इस प्रकार त्रै चलता रहता है जब तक कि मेरे कान के पास शब्द उत्पन्न न हो जावे। इस प्रकार सतत रूप में आये हुए शब्दज शब्द ही को मैं सुन सकता हूँ। यह शब्दज शब्द ध्वनि कहलाता है। भगवान् भर्तृहरि ने भी कहा है “य सपोगविदोगाभ्या करणं रूपजन्मते। स स्फोट शब्दज शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुर्धे ॥” करणों (Vocal organs) के स्थोग और विद्योग (वर्णोंकि उनके खुलने और बन्द होने से ही आवाज पैदा होती ह) से जो स्फोट उपजनित होता है वह शब्दज शब्द विद्वानों द्वारा ध्वनि कहलाता है। वक्ता के मुख से उच्चरित शब्दों से उत्पन्न शब्द हमारे मस्तिष्क में नित्य धतंमान स्फोट को जागा देते हैं। यही वैयाकरणों की ध्वनि है। इसी प्रकार आलकारिकों के अनुसार भी घटानाद के समान अनुरणन रूप, शब्द से उत्पन्न, व्यञ्जन अर्थ ध्वनि है।

वैयाकरणों के अनुसार “गो” शब्द का उच्चारण होने पर हम “ग गो गोर (विसंग)” इन की पृथक् पृथक् प्रतीति करते हैं। इनकी एक साथ तो स्थिति हो नहीं सकती। यदि ऐसा हो तो पीवापिंय का अवकाश ही नहीं

रहेगा। तो भिन्न शब्द एक साथ हो ही नहीं सकते। “गौः” शब्द के सुनने पर हमारे मन्त्रिक में नित्य बत्तमान स्फोट रूप “गौः” की प्रतीति होती है। किन्तु इसके पहले ही केवल “गौः” शब्द को सुनते ही इस प्रतीति के साथ स्फोट रूप “गौः” की अस्पष्ट प्रतीति भी होती है जो “ओर” और “ः” तक आ जाने पर पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है।” (थो विश्वम्भरप्रसाद द्वरा)

इसको आचार्य ममट की व्याख्या के आधार पर और स्पष्ट रूप से समझ लीजिये : गौः शब्द में “गौः”, ‘ओर’ और “ः” ये तीन वर्ण हैं। इन तीन वर्णों में से गौः का अर्थ बोध किसके द्वारा होता है ? यदि यह कहे कि प्रत्येक के उच्चारण द्वारा तो एक वर्ण ही पर्याप्त होगा, तो यह व्यर्थ है। और यदि यह कहे कि तीनों वर्णों के समुदाय के उच्चारण द्वारा तो वह असम्भाव्य है, क्योंकि कोई भी वर्ण-ध्वनि दो धारण से अधिक नहीं छहर सकती अर्थात् विसाँ तक आते आते ‘गौः’ की ध्वनि का सोप होजाएँगा जिसके कारण तीनों वर्णों के समुदाय की ध्वनि का एक साथ होना सम्भव न हो सकेगा। अतएव अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन के उपरान्त वैयाकरणों ने स्थिर किया कि अर्थ-बोध शब्द के ‘स्फोट’ द्वारा होता है अर्थात् पूर्व-पूर्व वर्णों के संस्कार अन्तिम वर्णों के उच्चारण के साथ संयुक्त होकर शब्द का अर्थ-बोध करते हैं।

“भतुं हरि भी यही कहते हैं : ‘प्रत्ययरनुवाहयेपर्यंग्रहणानुग्रहस्तया। ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वस्थपमवधार्यते।’” प्रह्लाद के तिए अनुग्रह (अनुकूल), अनुपाल्येष (जिन्हें स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता) प्रत्यर्थी (Cognitions) द्वारा ध्वनि रूप में प्रकाशित शब्द (स्फोट) में स्वस्थप स्पष्ट हो जाता है। यही वैयाकरणों के अनुसार, नाद वहसानेकाले, अनुपशुद्धि से प्राप्त स्फोटध्यञ्जक वर्णं ध्वनि वहसाते हैं। इसके अनुसार ध्यञ्जक शब्द और अर्थ भी ध्वनि वहलाते हैं—यह आलंबारिकों का भत है।

हम एक इतोक वो कई प्रवार से पढ़ सकते हैं। कभी धोरे-धोरे कभी बहुत शोध्र, कभी भप्पतय, कभी गाते हुए तथा कभी सोये-सोये। किन्तु सभी समय पर यद्यपि हम भिन्न भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अर्थ केवल एक ही प्रतीत होता है। यह क्यों? वैयाकरणों का इहना है कि शब्द दो प्रवार का होता है। एक तो स्फोट रूप में चतुंमान प्राप्त होता शब्द दूसरा विहृत। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे उस स्फोट-रूप प्राप्त हो अनुश्रुति मात्र हैं।

प्राकृत शब्द का एक नित्य स्वरूप होता है, उसकी अनुकृतियों (models) में विभिन्नता हो सकती है। विकृत शब्दों का उच्चारण-रूप यह विभिन्न व्यापार भी वैयाकरणों के अनुसार ध्वनि है। आलंकारिकों के अनुसार भी प्रसिद्ध शब्द-व्यापारों से भिन्न व्यञ्जकत्व नाम का शब्द-व्यवहार ध्वनि है। इस प्रकार व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ और व्यञ्जकत्व व्यापार—यह चार तरह की ध्वनि हूई। इन चारों के साथ एक रहने पर समुदाय-रूप काव्य भी ध्वनि है। इस प्रकार लोचनकार ने वैयाकरणों का अनुसारण करके पाचों में ध्वनित्व सिद्ध कर दिया।”

[ श्री विं प्र० प्र० ड्वराल ]

इस विवेचन का सारांश यह है—

१. जिसके द्वारा अर्थ का प्रस्फुटन हो उसे स्फोट कहते हैं।

२. शब्द के दो रूप होते हैं—एक व्यक्त अर्थात् विकृत रूप। दूसरा अध्यक्त अर्थात् प्राकृत (नित्य) रूप। व्यक्त का सम्बन्ध वैखरी और अध्यक्त का सम्बन्ध मध्यमा वाणी से है जो वैखरी की अपेक्षा सूक्ष्मतर है। पहला स्थूल ऐंट्रिय रूप है, यह उच्चारण की विधि के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा सूक्ष्म मानस रूप है जो नित्य तथा अखड़ है। यह हमारे मन में सर्वं वर्तमान रहता है और शब्द अर्थात् वर्णों के संघात विशेष को सुनकर उद्भुद्ध हो जाता है। इसको शब्द का स्फोट कहते हैं। स्फोट का दूसरा नाम 'ध्वनि' भी है।

३. जिस प्रकार पथर-पथक वर्णों को सुनकर भी शब्द का बोध नहीं होता है वह केवल स्फोट या ध्वनि के द्वारा ही होता है, इसी तरह शब्दों का वाच्यार्थ प्रहुणकर भी काव्य के सौंदर्य की प्रतीक्षा नहीं होती वह केवल व्यञ्जयार्थ या ध्वनि के द्वारा ही होती है।

४. व्याकरण में व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्जकत्व-व्यापार तथा व्यञ्जक अर्थ—ध्वनि के इन पाँचों रूपों के लिए निश्चित संकेत मिलते हैं। यह स्फोट शब्द, वाच्य और प्रबन्ध तक का होता है।

इस प्रकार शब्द-साम्य और व्यापार-साम्य के आधार पर ध्वनिकार ने व्याकरण के ध्वनि-सिद्धान्त से प्रेरणा प्राप्त कर अपने ध्वनिसिद्धान्त की उद्भावना की।

## ध्वनि की स्थापना

आगे चलकर ध्वनि का सिद्धान्त पद्धति सम्भवान्य सा ही गया परन्तु बारम्ब में इसे पोर विरोध का सामना करना पड़ा। एक तो ध्वनिकार ने ही पहले से बहुत कुछ विरोध का निराकरण कर दिया था, उसके उपरान्त ममट ने उसका अत्यन्त योग्यतापूर्वक समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त सभी विरोध शात हो गया।

ध्वनिकार ने तीन प्रकार के विरोधियों की कल्पना की थी—एक अभाववादी, दूसरे लक्षणा में ध्वनि (व्यञ्जना) का अन्तर्भव करने वाले, और तीसरे वे जो ध्वनि का अनुभव तो करते हैं, परन्तु उसकी व्याख्या असम्भव मानते हैं।\*

सबसे पहले अभाववादियों को लोजिए। अभाववादियों के विवर इस प्रकार है । ध्वनि को आप काव्य की आत्मा (सौदर्य) मानते हैं—पर काव्य शब्द और अर्थ का सम्बद्ध शरीर ही तो है। स्वयं शब्द और अर्थ तो ध्वनि हो नहीं सकते। अब यदि उनके सौदर्यं अथवा चारत्व को आप ध्वनि मानते हैं, तो वह पुनरावृत्ति मान्र है, क्योंकि शब्द और अर्थ के चारत्व के तो सभी प्रकारों पा विवेचन किया जा चुहा है।

शब्द का चारत्व तो शब्दानुद्धार तथा शब्द गुण के अन्तर्गत आजाता है, और अर्थ का चारत्व अर्थात् शब्दानुद्धार तथा अर्थगुण में। इनके अतिरिक्त यद्यर्भी आदि रीतियाँ और इनसे अभिन्न उपनामरिका आदि वृत्तियाँ भी हैं जिनका सम्बन्ध शब्द अर्थ के राहित्य (मिथ शरीर) से है। सभी प्रकार के शब्द और अर्थगत सौदर्यं पा अन्तर्भव इनमें हो जाता है। अतएव ध्वनि से मानाय यदि शब्द और अर्थ-गत चारत्व से है तो उसका तो सम्पूर्ण विवेचन पहले ही किया जा चुहा है—किर ध्वनि की वया आवश्यकता है। यह या तो पुनरावृत्ति या अधिक से अधिक ऐ नवीन नामकरण मान्र है, जिसका कोई महत्व नहीं।

\* पाव्यात्मा ध्वनिरिति युर्ध्यं गमान्नान्तर्पूर्वे-  
स्तम्याभाव जग्नुरपरे भास्तमान्तर्मये ।  
वेचिद वाचा म्यितमविषये तवमूचुम्तदीय,  
तेन बूम मद्ददयमनश्रीषये तत्स्वप्नपृ ।

२. दूसरे विकल्प में परम्परा की दुहाई दी गई है। यदि प्रसिद्ध-परम्परा से आये हुए मार्ग से भिन्न काव्य-प्रकार माना जाय तो काव्यत्व की ही हानि होती है। इनको युक्ति यह है कि आत्मिर ध्वनि की चर्चा से पहले भी तो काव्य का आस्त्वादन होता रहा है, यदि काव्य की आत्मा का अन्वेषण आप अब कर रहे हैं तो अब तक क्या लोग मूँखों की भाँति अभाव में भाव की कल्पना करते रहे हैं। यदि ध्वनि प्रसिद्ध काव्य-परम्परा से भिन्न कोई मार्ग है तो अब तक के काव्य के काव्यत्व का क्या हुआ? वह तो इस प्रकार रह ही नहीं जाता। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि ध्वनि से पूर्व भी तो काव्य था और सहृदय उसके काव्यत्व का आस्त्वादन करते थे। यदि काव्य की आत्मा ध्वनि आप ने अब हूँढ़ निकाली है तो पूर्ववर्ती काव्य का काव्यत्व तो प्रसिद्ध हो जाता है।

कुछ लोग ध्वनि के अभाव को एक और रीति से प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि ध्वनि वर्मनोयता का ही कोई रूप है तब तो वह कथित चाहत्व कारणों में ही अन्तर्भूत हो जाता है। हा, यह हो सकता है कि वाक् के भेद-प्रभेदों की अनन्तता के कारण लक्षणकारों ने किसी प्रभेद विशेष की समाध्या न की हो और उसी को आप खोज निकाल कर ध्वनि नाम दे रहे हों। परन्तु यह तो कोई बड़ी बात न हुई। यह तो भूठी सहृदयता मात्र है।

ध्वनि के अस्तित्व का नियेष करने वालों की युक्तियों का सारांश यही है। ये एक प्रकार से अभिधा या वाच्यार्थ में ही व्यञ्जना या ध्वनि का अन्तर्भाव करते हैं।

ध्वनि-विरोधियों का दूसरा वर्ग उसको लक्षणा के अन्तर्गत मानता है इन लोगों को भाषतवादी कहा गया है।

तीसरा वर्ग ऐसे लोगों का है जो ध्वनि को सहृदय-सवेद्य मानते हुए भी उसे धारणी के लिए अगोचर मानते हैं, अर्यात् उसकी परिभाषा को असम्भव मानते हैं। इनको ध्वनिकार ने 'लक्षण करने में अप्रगति' कहा है।

इन विरोधियों को कल्पना तो ध्वनिकार ने स्वयं कर ली थी—परन्तु उनके घाद भी तो इस सिद्धान्त का विरोध हुआ। परवर्ती विरोधियों में सबसे अधिक परात्रमी थे—भट्ट नायक, महिम भट्ट तथा कुन्तक। भट्ट नायक ने रसास्त्वादन के हेतु-रूप शब्द की भावकल्प और भोजकल्प दो शक्तियों की

उद्भावना की और व्यञ्जना का निषेध किया। महिम भट्ट ने ध्वनि को अनुमिति मात्र मानते हुए व्यञ्जना का निषेध किया और अभिधा को ही पर्याप्त माना। कुन्तक ने ध्वनि को उकोशित के अन्तर्गत माना। भट्ट नायक का उत्तर अभिनव गुप्त ने तथा अन्य का भम्मट ने दिया, और व्यञ्जना की अतिरिक्त सिद्ध करते हुए ध्वनि को अकाद्य माना।

बास्तव में ध्वनि का विद्याल भवन व्यञ्जना के आधार पर ही खड़ा हुआ है, और ध्वनि की स्थापना का अर्थ व्यञ्जना की ही स्थापना है।

सबसे पहले अभाववादियों के विकल्प सौजिए। उनका एक तर्क यह है कि ध्वनि-प्रतिपादन के पूर्व भी तो काव्य में काव्यत्व था, और सहृदय निर्बाध उसका आस्वादन करते थे। यदि ध्वनि काव्य की आत्मा है तो पूर्ववर्ती काव्य में काव्यत्व को हानि हो जाती है। इसका उत्तर ध्वनिकार ने ही दिया है—और वह यह है कि ध्वनि का नामकरण उस समय नहीं हुआ था, परन्तु उसकी स्थिति तो उस समय भी थी। उदाहरण के लिए पर्यायोक्त आदि अलक्षणों में व्यञ्जन अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है से यत्मान रहता है—उसका महत्व गोण है, परन्तु उसका अस्तित्व तो असंदिग्ध है। इस व्यञ्जनार्थ के लिए केवल व्यञ्जना ही उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त रस आदि की स्वीकृति में भी स्पष्ट व्यञ्जन की स्वीकृति है क्योंकि रस आदि अभिधेय तो होते नहीं। उपर सर्व पर्यों में भी काव्य के विषयात् इस तत्व की प्रतीति निश्चित है, चाहे निष्पण न हो।

अभाववादियों की सबसे प्रथम युक्ति यह है कि व्यञ्जना का पृथक् अस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं है। वह अभिधा के या फिर लक्षणा के अन्तर्गत था जाती है।

इसका एक अभावात्मक उत्तर तो यह है कि ध्वनि के जो हो प्रमुख भेद किये गये हैं उन दोनों का अन्तर्भाव अभिधा या लक्षणा में नहीं किया जा सकता। अविविश्ट-वाच्य ध्वनि अभिधा के आधित नहीं है। अभिधा के विपल हो जाने के उपरांत लक्षणा को सामर्थ्य पर ही उसका अस्तित्व अवलम्बित है। उपर विविश्टात्यपरवाच्य में लक्षणा बोच में आती हो नहीं। अतएव यह सिद्ध है कि ध्वनि का एक प्रमुख भेद तथा उसके उपभेद अभिधा के अन्तर्गत नहीं रामा करते, और दूसरा भेद तथा उसके अनेक प्रभेद लक्षणा से बहिर्गत है। अर्थात् ध्वनि अभिधा और लक्षणा में नहीं समा सकती। भावात्मक उत्तर यह है कि

अभिधार्थ और लक्षणार्थ का ध्वन्यर्थ से पार्थक्य प्रकट करने वाले अनेक अतिर्क्षण तथा स्वयसिद्ध प्रमाण हैं।

अभिधार्थ और ध्वन्यर्थ का पार्थक्य :

बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, काल, आश्रय और विषय आदि के अनुसार व्यङ्ग्यार्थ प्राप्त वाच्यार्थ से भिन्न हो जाता है :-

बोद्धस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् ।

आश्रयविषयादीनाभेदादिभन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग्यः ॥ सा० द०

बोद्धा के अनुसार पार्थक्य :—वाच्यार्थ को प्रतीति कोश व्याकरणादि के प्रत्येक जाता को हो सकती है, परन्तु ध्वन्यर्थ को प्रतीति केवल सहृदय को ही हो सकती है।

स्वरूप :—कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है तो व्यङ्ग्यार्थ नियेधरूप । कहीं वाच्यार्थ नियेधरूप है, पर व्यङ्ग्यार्थ विधिरूप । कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है, या कहीं नियेधरूप है, पर व्यङ्ग्यार्थ अनुभयरूप है । कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक है, पर व्यङ्ग्यार्थ निश्चयात्मक ।

संख्या :—संख्या के अन्तर्गत प्रकरण, वक्ता और श्रोता वा भेद भी आ जाता है । उदाहरण के लिए 'सुर्यास्त हो गया' इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिए एक है, पर व्यङ्ग्यार्थ वक्ता, श्रोता तथा प्रकरण के भेद से अनेक होंगे ।

निमित्त :—वाच्यार्थ का बोध साक्षरता मात्र से हो जाता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति प्रतिभा द्वारा ही सम्भव है । घास्तव में निमित्त और बोद्धा का पार्थक्य बहुत कुछ एक ही है ।

कार्य :—वाच्यार्थ से वस्तु-ज्ञान मात्र होता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ से अमत्वार—प्रानन्द का आस्थादान होता है ।

काल :—वाच्यार्थ की प्रतीति पहले और व्यङ्ग्यार्थ की उसके उपरान्त होती है । यह कम सक्षित हो या न हो, परन्तु इसका अस्तित्व प्रसिद्धिग्रन्थ है ।

आश्रय :—वाच्यार्थ के वेल शब्द या पद के आधित रहता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ शब्द में, शब्द के अर्थ में, शब्द के एक अर्थ में, वर्ण या वर्ण रचना आदि में भी रहता है ।

विषय :—कहीं वाच्य और व्यङ्ग्य का विषय ही भिन्न होता है :

वाच्यार्थ एक व्यक्ति के लिए अभिप्रेत होता है, और व्यङ्गचार्थ दूसरे के लिए।

पर्याय :— इसके अतिरिक्त, पर्याय शब्दों के भी व्यङ्गचार्थ में अन्तर होता है। स्पष्टत सभी पर्यायों का वाच्यार्थ एकसा होता है, परन्तु व्यङ्गचार्थ भिन्न हो सकता है। उपयुक्त विशेषण का चयन बहुत कुछ इसी पार्यावर्य पर निर्भर रहता है।

आधुनिक हिन्दी काव्य में तथा विदेश के साहित्य-शास्त्र में विशेषण-चयन काव्य शिल्प का विशेष गुण माना गया है और उसका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन भी किया गया है।

अनन्वित अर्थ की व्यञ्जना :— अभिधा के बल अनन्वित अर्थ वा ही वोध करा सकती है, परन्तु कहीं कहीं अनन्वित अर्थ के अतिरिक्त किसी अनन्वित अर्थ की भी व्यञ्जना होती है। इस प्रकरण में ममट ने 'कुह रचि' और 'रचिकुर' का उदाहरण दिया है। अनन्वित अर्थ को दृष्टि से 'रचिकुर' सर्वथा निर्दोष है, परन्तु इसमें 'चिकु' के द्वारा, जो सवया अनन्वित है, अश्लील अर्थ वा वोध होता है। चिकु काश्मीर की भाषा में अश्लील अर्थ वा वोधक है। ५० रामद्विन मिश्र ने पत की निम्नलिखित परितयों में भी यही उदाहरण घटाया है :—

'सरतपन हो या उसका मन' से 'सरत पनहो (जूता) या उसका मन' इस अनन्वित अर्थ वा व्यञ्जना भी हो जाती है।

यह अनन्वित अर्थ अभिधा का व्यापार तो हो नहीं सकता। यैसे भी यह वाच्य न होवर व्यङ्गप हो है, अतएव व्यञ्जना का ही व्यापार सिद्ध हुआ।

रसादि भी अभिधाधित घनि भेद के अन्तर्गत आते हैं। ये विविध तात्परवाच्य के असतह्यक्रम भेद के अन्तर्गत हैं। ये रसादि भी व्यञ्जना के अस्तित्व का प्रबल प्रमाण है। क्योंकि वे कहीं भी वाच्य नहीं होते सदा वाच्य द्वारा आकिञ्च व्यङ्गप होने हैं। शृङ्खार शब्द के अभिधेयार्थ के द्वारा शृङ्खार रस की प्रतीति असम्भव है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाना है कि वस से वस रसादि की प्रतीति अभिधा की सामर्थ्य से बाहर है। इस प्रमाण को सेकर ससृत वे आवायों में वहा शास्त्रार्थ हुआ है। रावणे पहुँचे तो भट्ट नायक ने व्यञ्जना का निवेद बरते हुए शब्द की भावात् और भोग्यत्व दो ग्राहितयां मानीं और चार अर्थ वा भावन तथा रस वा आवाद उहों के द्वारा माना। परन्तु अनि-

नव गुप्त ने भावकर्त्त्व और भोजकर्त्त्व की कल्पना को निरापार और अनावश्यक माना, तथा ध्याकरण आदि के आधार पर ध्यञ्जना की ही स्थापना की।

वास्तव में भट्ट नायक अपने सिद्धान्त को अधिक वैज्ञानिक रूप नहीं दे सके। शब्द की भावकर्त्त्व और भोजकर्त्त्व जैसी शक्तियों के लिए न तो ध्याकरण में और न मीमांसा आदि में ही कहीं कोई आधार मिलता है, और इधर मनोविज्ञान तथा भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। भावकर्त्त्व का कार्य भावन कराने में सहायक होना है, और भावन बहुत कुछ कल्पना की क्रिया है। अतएव भावकर्त्त्व का कार्य हुआ कल्पना को उद्बुद्ध करना। उधर भोजकर्त्त्व का कार्य है साधारणीकृत श्रथ के भावन द्वारा रस की चर्चणा कराना। भट्ट नायक के कहने का तात्पर्य आवृत्तिक शब्दावली में यह है कि काव्यगत शब्द पहले तो पाठक को—अर्थ बोध कराता है, फिर उसकी कल्पना को जाग्रत् कराता है और तदनन्तर उसके मन में वासना रूप से स्थित स्थापी मनोविकारों को उद्बुद्ध करता हुआ उसको आनन्द मान करा देता है। उनका यह सम्पूर्ण प्रयत्न इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए है कि शब्द और अर्थ के ढारा काव्यगत 'उस विचित्र आनन्द' की प्राप्ति कैसे होती है। जहा तक काव्यानन्द के स्वरूप वा प्रदेश है, भट्ट नायक को उसके विषय में कोई आति नहीं है। वे जानते हैं कि यह आनन्द वासना मूलक तो अवश्य है, परन्तु केवल वासनामूलक नहीं है। वासनामूलक आनन्द के अर्थ रूपों से इसका विचित्र स्पष्ट है। वास्तव में, जैसा कि मैंने अन्यथा स्पष्ट किया है, काव्यानन्द एक मिथ्या आनन्द है—इसमें वासना-जन्य आनन्द और बौद्धिक आनन्द दोनों का समन्वय रहता है। उसके इसी मिथ्या स्वरूप को एडीसन ने कल्पना का आनन्द कहा है जो मनोविज्ञान की दृष्टि से ठीक भी है क्योंकि कल्पना चित्त और बूद्धि की मिथित क्रिया ही तो है। इसी मिथ्या रूप की व्याख्या में (पद्यपि भट्ट नायक ने स्वयं इसको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया है और इसका कारण परम्परा से चला आया हुआ 'अनिर्वचनीय' शब्द या) भट्ट नायक ने भावकर्त्त्व और भोजकर्त्त्व की कल्पना की है—भावकर्त्त्व उसके बोद्धिक भदा का हेतु है और भोजकर्त्त्व उसके वासना जाप रूप का व्याख्यान करता है। अभिनव न ये दोनों विशेषताएँ अकेली ध्यञ्जना में मानी हैं। ध्यञ्जना ही हमारी कल्पना वो जगह कर हमारे वासनारूप स्थित मनोविकारों की घरम परिषेति वे आनन्द वा आस्तादान कराती है। इस प्रकार मूलत भावकर्त्त्व और भोजकर्त्त्व दोनों का उद्देश्य भी यही छहरता है जो अकेली ध्यञ्जना का। ध्याकरण और मीमांसा

आदि के सहारे व्यञ्जना का आधार चूंकि अधिक पुष्ट है, इसलिए अन्ततोगतवा यही सर्वमान्य हुई। भट्ट नायक को दोनों शक्तियाँ निराधार घोषित कर दी गई।

इस प्रकार अभिधावादियों का यह तर्क खण्डित हो जाता है कि अभिधा का अर्थ ही तीर की तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता है।

बाद में महिमभट्ट ने व्यञ्जना का प्रतियेद किया और कहा कि अभिधा को ही शब्द की एकमात्र शक्ति है, जिसे व्यञ्जन कहा जाता है वह अनुमेय मात्र है, तथा व्यञ्जना पूर्व-सिद्ध अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे वाच्याय और व्यञ्जयार्थ में व्यञ्जक-व्यञ्जन सम्बन्ध न मानकर लिङ्ग-लिङ्गी सम्बन्ध ही मानते हैं। परन्तु उनके तर्कों का मम्ट ने अत्यन्त युक्तिपूर्वक खण्डन किया है। उनकी युक्ति है कि सर्वत्र ही वाच्याय और व्यञ्जयार्थ में लिंग-लिंगी सम्बन्ध होना अनिवार्य नहीं है। लिङ्ग-लिङ्गी सम्बन्ध निश्चयात्मक है अर्थात् जहाँ नियंत्रण (साधन या हेतु) निश्चय रूप से बताया जाता होगा, वहाँ लिङ्गी (अनुमेय वस्तु) का अनुमान दिया जा सकता है। परन्तु स्वनिप्रसंग में वाच्याय सदा ही निश्चयात्मक हेतु नहीं हो सकता—वह प्राय अनेकांतिक होता है। ऐसी स्थिति में उसे व्यञ्जयार्थ-रूप चमत्कार के अनुमान का हेतु कौसे माना जा सकता है? मनोविज्ञान की दृष्टि से भी महिम भट्ट का तर्क अधिक सगत नहीं है क्योंकि अनुमान में साधन से साध्य की सिद्धि तर्क या बुद्धि के द्वारा होती है, पर स्वनि में वाच्याय से व्यञ्जयार्थ की प्रतीति तर्क के सहारे न होकर सहदपता, (भावकर्ता, कल्पनाप्राणों आदि) के द्वारा होती है।

अब भावत (सक्षणा) वादियों को लोजिए। उनका वहना है कि वाच्याय के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अर्थ होता है तो वह सक्षणाय के ही अतिरिक्त भा जाता है। व्यञ्जयार्थ सक्षणाय का ही एक रूप है, अतएव सक्षणा से भिन्न व्यञ्जना जैसी कोई शक्ति नहीं है। इस मत का खण्डन अधिक सरल है।

इसके विद्वद् पहली प्रबल युक्ति तो स्वयं स्वनिकार ने प्रस्तुत की है। वह यह कि वाच्याय की तरह लक्षणाय भी नियत ही होता है। और वह वाच्याय के भूत में ही होना चाहिये। अर्थात् सक्षणाय वाच्याय से निश्चय ही सम्बद्ध होगा। “‘गंगा पर घर’ वाक्य में गंगा वा जो प्रवाह-रूप अर्थ है वह तट को ही लक्षित कर सकता है, सड़क को नहीं, क्योंकि प्रवाह वा तट के साथ ही नियत सम्बन्ध नहीं।” (काव्यालोक)। इसके विपरीत व्यञ्जयार्थ का वाच्याय के साथ नियन-

सम्बन्ध अनिवार्य नहीं हैं—इन दोनों का नियत सम्बन्ध, अनियत सम्बन्ध और सम्बन्ध-सम्बन्ध भी होता है। ध्वनिकार ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्षणार्थ एक ही हो सकता है और वह भी सर्वथा सम्बद्ध होगा, परन्तु व्यञ्जयार्थ अनेक हो सकते हैं, और उनका सम्बन्ध अनियत भी हो सकता है।

दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग सर्वदा किसी प्रयोजन से किया जाता है। उदाहरण के लिए 'गङ्गा' के किनारे 'धर' के स्थान पर 'गङ्गा पर धर' कहने का एक निश्चित प्रयोजन है और वह यह है कि 'पर' के द्वारा अतिनैकट्य और तज्जनन्य शैत्य और पावनत्व आदि की सूचना अभिप्रेत है। लक्षणा का यह प्रयोग सर्वत्र सप्रयोजन होगा अन्यथा यह केवल वितडा-भाव रह जाएगा। यह प्रयोजन सर्वत्र व्यञ्जय रहता है और इसकी सिद्धि व्यञ्जना के द्वारा ही हो सकती है।

तीसरा तर्क पहले ही उपस्थित किया जा चुका है और वह यह है कि रत्नादि सीधे वाच्यार्थ से व्यञ्जय होते हैं, लक्षणार्थ के माध्यम से उनकी प्रतीति नहीं होती। अतएव उनका लक्षणार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार लक्षणा में व्यञ्जना का अन्तर्भव सम्भव नहीं है।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमाण हैं जिनसे ध्वनि की सिद्धि होती है। उदाहरण के लिए, दोष दो प्रकार के होते हैं : नित्य दोष जो सर्वत्र हो काव्य की हानि करते हैं, और अनित्य-दोष जो प्रसङ्ग-भेद से काव्य के साधक भी हो जाते हैं—जैसे भूति-कटुत्वादि जो शृङ्गार में वाधक होते हैं वे भी वोर तथा रोद्र के साधक हो जाते हैं। दोषों की यह नित्यानित्यता व्यञ्जयार्थ की स्वीकृति पर ही अवलम्बित है। भूतिकटु वृण्ड वीर अपवा रौद्र के साधक इसी लिए हैं कि वे कर्कशता की व्यञ्जना कर उत्ताह और शोष की कठोरता में योग देते हैं। इनके द्वारा कर्कशता व्यञ्जय रहती है वाच्य नहीं। इत्यादि। ध्वनि के अन्य विरोधियों में कुन्तक की गणना की जा सकती है। कुन्तक ने ध्वनि को व्यक्तित्व के अन्तर्गत ही माना, और प्रतिहृतेन्दुरज्जने जैसे अलद्धुर्मे से पृथक् मानना अनावश्यक समझा।

**काव्यत्व का अधिग्रास : वाच्यार्थ में या व्यञ्जयार्थ में ?**

आचार्य शुश्राव ने इस प्रसङ्ग से सम्बद्ध एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा

रोचक प्रश्न उठाया है . काव्यत्व वाच्यार्थ में रहता है या व्यञ्जनार्थ में ? अपने इन्द्रीर भाषण में उन्होंने लिखा है :

“वाच्यार्थ के अयोग्य और अनुपपत्ति होने पर योग्य और उपपत्ति अर्थ प्राप्त करने के लिए लक्षणा और व्यञ्जना का सहारा लिया जाता है । अब प्रश्न यह है कि काव्य की रमणीयता किसमें रहती है ? वाच्यार्थ में अथवा लक्ष्यार्थ में या व्यञ्जनार्थ में ? इसका बेधड़क उत्तर यही है : ‘वाच्यार्थ में’ चाहे वह योग्य हो वा उपपत्ति हो अयवा अयोग्य और अनुपपत्ति ।”

इसके आगे उन्होंने सारेत से दो उदाहरण दिए हैं :—

१. “‘त्री दर हाय पतंग मरे क्या ?’ इसमें भी यही बात है । जो कुछ वंचित्य या चमत्कार है वह इस अयोग्य और अनुपपत्ति वाक्य या उसके वाच्यार्थ में ही है । इसके स्थान पर यदि इसका यह लक्ष्यार्थ कहा जाय कि जीकर पतंग वर्षों कष्ट मोरे तो कोई वंचित्य या चमत्कार नहीं रह जायगा ।”

### अथवा

२. “आप अवधि बन सहूँ कहीं तो क्या कुद्द देर लगाऊं ।  
मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं ॥”

इसका वाच्यार्थ बहुत दी अत्युचित, ध्याहृत सत्या बुद्धि को सर्वथा अप्राप्त है । उमिला आप ही मिट जाएगी, तब अपने प्रियतम लक्षण को बन से सायेमो देया ? पर सारा रस, सारी रमणीयता इसी ध्याहृत और बुद्धि को अप्राप्त वाच्यार्थ में ही है, इस योग्य और बुद्धि-प्राप्त व्यञ्जनार्थ में नहीं कि उमिला को अत्यन्त शोभुरूप है । इसते स्पष्ट है कि वाच्यार्थ ही काव्य होता है व्यञ्जनार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं ।”

शुक्ल जी के मुख से यह उचित मुनकर साधारणतः हिन्दी का विद्यार्थ ग्रामव्यंतरभित्ति हो सकता है । ऐसा लगता है मानो जीवन भर घमन्कार का उचितोप करने के उपरान्त अन्त में आचार्य ने उससे समझौता कर लिया हो स्वयं शुक्लजी के ही अपने लेखों से अनेक ऐसे वाक्य उद्धृत किए जा सकते हैं जिनमें इसके विपरीत मन्तव्य प्रकट किया गया है । ४० रामदहिन मिथ्र = उनका हृषीला देते हुए, तथा अनेक दाहत्र-सम्मत युक्तियों के द्वारा शुक्ल जी के अभिमत वा नियेत्र किया है, और अन्त में इस दास्त्रोत्तम भत की ही स्थापन की है कि काव्यत्व व्यञ्जनार्थ में है—वाच्यार्थ में नहीं ।

परन्तु शुक्ल जी द्वारा उठाया गया यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। वास्तव में शुक्ल जी को प्रतिभा का सब से बड़ा गुण यही था कि उन्होंने परम शास्त्र-निष्ठ होते हुए भी प्रमाण सदा अपनी बुद्धि और अनुभूति को ही माना। ये किसी प्राच्य अथवा पाश्चात्य सिद्धांत को स्वीकार करने से पूर्व उसे अपने विवेक और अनुभूति की कस्तौटी पर कस्तकर देख लेते थे। किसी रसात्मक वाक्य को पढ़कर हमें जो आनन्दानुभूति होती है, उसके लिए उस वाक्य का कौन सा तत्त्व उत्तरदायी है? उस वाक्य का वाच्यार्थ, जिसमें शब्दार्थ गत चमत्कार रहता है? अथवा व्यञ्जार्थ जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाव की रमणीयता रहती है? उदाहरण के लिये उपर्युक्त दोनों उद्घारणों को ही लीजिए। उनसे प्राप्त आनन्द के लिए उनका कौनसा तत्त्व उत्तरदायी है? १—“जोकर हाय पतझ मरे क्या?” इसमें ‘मरे’ शब्द का लाक्षणिक प्रयोग ‘जो करके’ साथ घैठकर विरोधाभास का चमत्कार उत्पन्न करता है। अतएव जहा तक इस चमत्कार का सम्बन्ध है, उसका अधिवास वाच्यार्थ में ही है, लक्षणा अर्थ को उपर्युक्त करा कर इस चमत्कार को तिद्धि अवश्य करता है, परन्तु उसका कारण वाच्यार्थ ही है, लक्ष्यार्थ दे देने से चमत्कार ही नहीं रह जाता। परन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या उक्ति का सम्पूर्ण सौरस्य इस ‘मरे’ और ‘जो कर’ के उपर्युक्त या अनुपर्युक्त अर्थ पर ही आधित है? यदि ऐसा है, तो इस उक्ति में रमणीयता नहीं है क्योंकि यह विरोधाभास अपने आप में कोई सूक्ष्म या गहरी आनन्दानुभूति उत्पन्न नहीं करता। इसमें जो रमणीयता है (और यह यहा स्पष्ट कर देना चाहिये कि इसमें रमणीयता वास्तव में पर्याप्त मात्रा में नहीं है) वह प्रेम की उत्कटता (आतिशय्य) पर निर्भर है जो यहा लक्ष्यार्थ का प्रयोजन रूप व्यञ्जय है, और जो अत में जाकर वस्ता बोद्धा आदि के प्रकारण से उमिला की अपनी रति जन्य व्यप्रता द्वा अभिव्यक्ति करती है। इस प्रकार इस उक्ति को वास्तविक रमणीयता का सम्बन्ध रतिजन्य व्यप्रता से हो जो व्यञ्जय है—और स्पष्ट शब्दों में जो उपर्युक्त लक्ष्यार्थ के प्रयोजन रूप व्यञ्जय का भी व्यञ्जय है।

दूसरे उद्घारण में यह तथ्य और जो स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें रमणीयता वास्तव में अधिक है।

आप भवयि यन सकू रहीं तो क्या कुछ देर समाऊ ।

मैं अपने को आप मिटा कर जाकर उनको साझ ॥

उमिला और सध्मणे दे यीच भवयि वा व्यप्रता है। मिलने के लिए

इस व्यवधान अर्थात् अवधि को मिटाना आवश्यक है। अवधि साधारणतः तो अपने समय पर ही मिटेगी, तुरन्त मिटना उसका सम्भव नहीं। उमिला उसके एक उपाय को कल्पना करती है—यह स्वयं यदि अवधि बन जाय तो उसका अन्त करना उसके अपने अधिकार की बात हो जाये। अपने को तो वह तुरन्त मिटा ही सकती है और जब अवधि उसका अपना रूप हो जाएगी, तो उसके अन्त के साथ अवधि का अन्त भी हो जाएगा। इस तरह व्यवधान मिट जाएगा और लक्षण से मिलन हो जाएगा। परन्तु जब उमिला ही मिट जाएगी तो फिर मिलनसुख का भोक्ता कौन होगा; अतएव अपने को मिटाने का अर्थ यहाँ अपने जीवन का अन्त कर लेना न होकर लक्षण की सहायता से बड़े से बड़ा कष्ट भोगना या बड़े से बड़ा बलिदान करना आदि ही हो सकता है। परन्तु यह लक्ष्यार्थ देते ही उक्ति में कोई चमत्कार नहीं रह जाता। चमत्कार तो अर्थ की बाहु अनुपपन्नता परन्तु आन्तरिक उपपन्नता के विरोधाभास में। किन्तु क्या उक्ति की रमणीयता इसी चमत्कार तक सीमित है? वास्तव में बात इतनी नहीं है, जैसा कि शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है, इससे उमिला का “अत्यन्त औत्सुक्य” व्यञ्जित होता है। इस “अत्यन्त औत्सुक्य” की व्यज्ञना ही उक्ति की रमणीयता का कारण है—यही पाठक के मन का इस “अत्यन्त औत्सुक्य” के साथ तादात्म्य कर उसमें एक मध्यर अनुभूति जगाती है। यही उक्ति की रमणीयता है जो सहृदय को आनन्द देती है। शुक्ल जी का यह तक बड़ा विचित्र सगता है कि सारी रमणीयता इसी व्याहृत और दुष्टि को अप्राह्य वाच्यार्थ में है, इस योग्य और दुष्टिप्राह्य व्यञ्जपार्थ में नहीं कि उमिला को अत्यन्त औत्सुक्य है। इसमें दो शुटियाँ हैं: एक तो उमिला को “अत्यन्त औत्सुक्य है” यह व्यञ्जपार्थ नहीं रहा—वाच्यार्थ ही गया। औत्सुक्य को व्यज्ञना ही चित की चमत्कृति का कारण है, उसका कथन नहीं। दूसरे जिस अनुपपन्नता पर वे इतना बल दे रहे हैं वह रमणीयता का कारण नहीं है, उसका एक साधनमात्र है। उसका पर्ही वही योग है जो रस की प्रतीति में घ्रनंकार का। उत्तरेण विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है मानो विरोध करते-करते अनायास ही किसी दुर्बल क्षण में शुक्ल जी पर श्रोते का जादू छल गया हो। श्रोते का यह मत अवश्य है कि उक्ति ही काव्य है, और इसके प्रतिपादन में उनकी युक्ति यह है कि व्यञ्जपार्थ और वाच्यपार्थ दोनों का पार्थक्य असम्भव है—एक प्रतिप्रिया ही बेवल एक ही अभिव्यक्ति सम्भव है। श्रोते के अनुसार ‘प्राप्य अवधि बन सहूँ’ प्रादि उक्ति और ‘उमिला को अत्यन्त औत्सुक्य है’ पह उक्ति सर्वथा पुष्ट हैं—ये दो सर्वथा भिन्न प्रतिप्रियाओं की अभिव्यञ्जनाएँ।

है। अतएव 'आप अवधि बन सकूँ' आदि का सौन्दर्य (काव्यत्व) उसका अपना है जो केवल उसी के द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है 'उमिला की अत्यन्त श्रोतुक्षय है' यह एक दूसरी ही बात है।

वास्तव में रमणीयता का अर्थ है हृदय को रमाने की योग्यता और हृदय का सम्बन्ध भाव से है—वह भाव में ही रम सकता है क्योंकि उसके समस्त व्यापार भावों के द्वारा ही होते हैं। अतएव वही उक्ति वास्तव में रमणीय हो सकती है जो हृदय में कोई रम्य भाव उद्भुद्ध करे; और यह तभी हो सकता है जब वह स्वयं इसी प्रकार के भाव की बाहिका हो। यदि उसमें यह शक्ति नहीं है तो वह बृद्धि को चमत्कृत कर सकती है चित्त को नहीं, और इसतिए रमणीय नहीं कही जा सकती। स्वयं शुक्ल जी ने अत्यन्त सबल शब्दों में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, और चमत्कार शब्द की भ्राति को दूर करने के लिए ही रमणीयता शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है।

निष्कर्ष यह है कि यदि शुक्ल जी कोचे का सिद्धान्त स्वीकार कर लेते तब तो स्थिति बदल जाती है। तब तो अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यङ्ग्यार्थ आदि का प्रपञ्च ही नहीं रहता है। साथें उक्ति केवल एक ही हो सकती है। उसके अर्थ को उससे पृथक् करना सम्भव नहीं है। परन्तु यदि वे उसको स्वीकार नहीं करते हैं,—और वे वास्तव में उसे स्वीकार नहीं करते—तो वाच्यार्थ में रमणीयता का अधिवास नहीं माना जा सकता, व्यङ्ग्यार्थ में ही माना जाएगा—लक्ष्यार्थ में भी नहीं क्योंकि वह भी वाच्यार्थ की तरह माध्यम मात्र है। रमणीयता का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अनिवार्यतः रस के साथ है; और रस कथित नहीं हो सकता, व्यञ्जित ही हो सकता है। शुक्ल जी के शब्दों से ऐसा भालूम होता है कि वे लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ को अनुपर्यन्त अर्थ को उपर्यन्त करने का साधन मानते हैं। परन्तु वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है। वाच्यार्थ स्वयं ही अपने चमत्कारों के साथ व्यङ्ग्यप्र (रस) का साधन या माध्यम है। मैं उपर्युक्त विवेचन को शुक्ल जी का एक हृतका सर दिशान्तर-भ्रमण मानता हूँ, यह उनके अपने काव्य-सिद्धान्त के ही विषद् है।

### ध्वनि के भेद

ध्वनि के मुख्य दो भेद हैं—१. लक्षणा-मूला ध्वनि और २. अभिधा-मूला ध्वनि।

\. लक्षणा-मूला ध्वनि :—लक्षणा मूला ध्वनि स्पष्टतः लक्षणा के आश्रित होती है, इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। इसमें वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती। अर्थात् वाच्यार्थ वाधित रहता है, उसके द्वारा अर्थ की प्रतीति नहीं होती। लक्षणा-मूला ध्वनि के दो भेद हैं : (अ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और (आ) अत्यन्त-निरस्कृत वाच्य। अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से 'अभिप्राय है' 'जहा वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में समित हो जाए' अर्थात् जहा वाच्यार्थ वाधित होकर दूसरे अर्थ में परिणत हो जाए। ध्वनिकार ने इसके उदाहरण-स्वरूप अपना एक इतोक विद्या है जिसका स्थूल हिन्दी-रूपान्तर इस प्रकार है :

तब ही गुन सौभा लहैं, सहदय जवहि सराहि ।  
कमल कमल हैं तवहि, जब रविकर सो विकसाहि ॥

यहाँ कमल का अर्थ ही जायगा "मकरन्द-थी एवं विक्रता आदि से छुल्ल"—अल्ला यह लिखकर ही रहें अर्ल छुल्ल कोल छा. भागी, भी, होगा। इस प्रकार कमल का साधारण अर्थ उपर्युक्त व्यञ्जितार्थ में समित हो जाता है।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य :—अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य में वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्कृत रहता है—उसको लगभग ठोड़ ही दिया जाता है। यह ध्वनि पदगत और वाक्यतत दोनों ही प्रकार की होती है। ध्वनिकार ने पदगत ध्वनि वा उदाहरण दिया है :

रविसंकान्त सौभायस्तुपारायृतमखलः ।  
निःश्वासान्धैश्वादर्शैचन्द्रमा न प्रकाशते ॥

"साँस सों आँधर दर्पन है जस वादर ओट लगात है घन्दा !"

यहा अर्थ या अन्धर शब्द का अर्थ नेत्रहीन न हीकर लक्षणा की सहायता से 'पदार्थों को स्फुट करने में अद्यत' होता है। इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार हो जाता है। इसका व्यञ्जितार्थ है "झासापारण विचार-यत्व, अनुपर्योगित्व तथा इसी प्रकार के अन्य धर्म।"

ताना जापन्ति गुणा जाला दे सहिपएहि पेणन्ति ।  
रइ तिरणानुग्नहिपाइ होल्नि बमलाइ बमलाइ ॥

वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण ध्वन्यालोक में यह दिया गया है

सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय  
शुरश्च, कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥

“सुवर्ण-पुष्पा भूमि कों, चुनत चतुर नर तीन ।  
सूर और विद्या-निपुन, मेवा माँहि प्रवीन ॥”

(काव्य कल्पद्रुम की सहायता से)

यहाँ सम्पूर्ण वाक्य का ही मुख्यार्थ सर्वथा असमर्थ है क्योंकि न तो पृथ्वी सुवर्णपुष्पा होती है और न उसका चयन सम्भव है । अतएव लक्षणा की सहायता से इस का अर्थ यह होगा कि तीन प्रकार के नरशेष्ठ पृथ्वी की समृद्धि का अर्जन करते हैं ।

इस ध्वनि में लक्षण-लक्षण रहते हैं ।

लक्षणामूला ध्वनि अनिवार्यत प्रयोजनवती लक्षणा के ही आधित रहती हैं क्योंकि रुढ़ि-लक्षणा में तो व्यञ्जन होता ही नहीं ।

**अभिधामूला ध्वनि** :— जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ध्वनि अभिधा पर आधित है । इसे विवक्षितान्यपरवाच्य भी कहते हैं । विवक्षितान्य-परवाच्य का अर्थ है । जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य-परक अर्थात् व्यञ्जनिष्ठ हो । अर्थात् यहा वाच्यार्थ का अपना प्रस्तित्य प्रबन्ध होता है, परन्तु वह अन्तत व्याघ्यार्थ का माध्यम ही होता है । अभिधामूला ध्वनि के दो भेद हैं असलक्ष्यप्रभम् और सलक्ष्यक्षम् । असलक्ष्यक्षम में पूर्वापिर का क्रम सम्पूर्ण रूप से लक्षित नहीं होता, यह क्रम होता प्रबन्ध है और उसका आभास भी निश्चय ही होता है, परन्तु पूर्वापिर अर्थात् वाच्यार्थ और व्याघ्यार्थ की प्रतीति का अन्तर प्रत्यन्तात्यन्त स्वल्प होने के कारण “उदपत्र-भेद न्याय” से स्पष्टतया लक्षित नहीं होता । समस्त रस प्रपञ्च इसके अन्तर्गत आता है । सलक्ष्यप्रभम भेद यह पौर्वापिर्य क्रम सम्पूर्ण रूप से लक्षित होता है । कहीं यह शब्द के आधित होता है, कहीं अर्थ के आधित और कहीं शब्द और अर्थ दोनों के आधित । इस प्रकार इसके तीन भेद हैं ।

शब्द-शक्ति-उद्भव, अर्थ-शक्ति-उद्भव और शब्दार्थ-उभय-शक्ति-उद्भव । यस्तु ध्वनि और अलज्जार-ध्वनि सलक्ष्यक्षम के अन्तर्गत ही आती हैं क्योंकि इनमें वाच्यार्थ और व्याघ्यार्थ का पौर्वापिर्य क्रम स्पष्ट लक्षित रहता है ।

ध्वनि के मुख्य भेद ये ही हैं । इनमें अवान्तर भेदों की संत्या का

ठीक नहीं। मम्मट के अनुसार कुल संख्या १०४४५ तक पहुँचती है : ५१ शुद्ध और १०४०४ मिथ्र। इधर पं० रादहिन मिथ्र ने ४५१६२० का हिसाब लगा दिया है।

## ध्वनि की व्यापकता

उपर्युक्त प्रस्ताव से ही ध्वनि की व्यापकता सिद्ध हो जाती है। वैसे भी काव्य का कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो ध्वनि के बाहर पड़ता हो। ध्वनि की व्यापकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उसकी सत्ता उपसर्ग और प्रत्यय से लेकर सम्पूर्ण महाकाव्य तक है। पद-विभक्ति, क्रिया-विभक्ति, वचन, सम्बन्ध, कारक, कृत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय, समात, उपसर्ग निपात, काल प्रादि से लेकर वर्ण, पद, वाक्य, मुक्तक पद्य, और महाकाव्य तक उसके ध्वधिकार-क्षेत्र का विस्तार है। जिस प्रकार एक उपसर्ग या प्रत्यय या पदविभक्ति मात्र से एक विशिष्ट रमणीय श्वर्य का ध्वनन होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण महाकाव्य से भी एक विशिष्ट श्वर्य का ध्वनन या रूफोट होता है। प्र, परि, कु, वा, डा प्रादि जहाएँ एक रमणीय श्वर्य को ध्वक्त करते हैं, वहाँ रामायण और भगवान् राम का भी एक ध्वन्य श्वर्य होता है जिसे आधुनिक शब्दावली में गर्डेन, मूलायं प्रादि इनके नाम दिए गये हैं।

## ध्वनि आर रस

भरत ने रस की परिभाषा की है : विभाव, अनुभाव, संचारी प्रादि के सयोग से रस की निष्पत्तिहो सी है। इससे स्पष्ट है कि काव्य में केवल विभाव-अनुभाव प्रादि का ही कथन होता है—उनके सयोग के परिपाक रूप रस का नहीं। अर्थात् रस वाच्य नहीं होता। इसना ही नहीं रस का वाचक दावदो द्वारा कथन एक रस-वोय भी माना जाता है—रस केवल प्रतीत होता है। दूसरे, जैसा कि अभी ध्वजना के विषय में कहा गया है विसी उक्ति का वाच्यायं रस-प्रतीति नहीं कराता बेवल श्वर्य-बोध कराता है। रस सदृश्य की दृढ़प्रसिद्धि यासना की मानन्दशय परिणामिति है जो श्वर्य-बोध से भिन्न है अतएव उक्ति द्वारा रस का प्रत्यक्ष वाचन नहीं होता अप्रत्यक्ष प्रतीति होती है—परिभादिक दावदों में ध्वजना या ध्वनन होता है। इसी तर्क से ध्वनिकार ने उसे केवल रस न मानकर रस-ध्वनि माना है।

## ध्वनि के अनुसार काव्य के भेद

ध्वनिवादियों ने काव्य के तीन भेद किये हैं—उत्तम, मध्यम और ग्रथम। इस वर्ग-व्रम का आधार स्पष्टतः ध्वनि ग्रथया व्यञ्जन की सापेक्षिक प्रधानता है। उत्तम काव्य में व्यञ्जन की प्रधानता रहती है अर्थात् उसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यञ्जनार्थ प्रधान रहता है, उसी को ध्वनि कहा गया है। ध्वनि के भी अर्थात् उत्तम काव्य के भी तीन भेद-प्रम हैं : रस-ध्वनि, अलङ्कार ध्वनि और वस्तु-ध्वनि। इनमें रस-ध्वनि सर्वश्रेष्ठ है। मध्यम काव्य को गुणीभूत-व्यञ्जन भी कहते हैं। इसमें व्यञ्जनार्थ का अस्तित्व तो अवश्य होता है, परन्तु वह वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक रमणीय नहीं होता।—वरन् समान रमणीय या कम रमणीय होता है, अर्थात् उसकी प्रधानता नहीं रहती। अधम काव्य के अन्तर्गत चित्र आता है जो वाच्तव में काव्य है भी नहीं। उसमें व्यञ्जनार्थ का अस्तित्व ही नहीं होता और न अर्थात् चारत्व ही होता है। ध्वनिकार ने उसकी अप्रमता स्वीकार करते हुए भी काव्य की कोटि में उसे स्थान दे दिया है—परन्तु रस का सर्वदा अभाव होने के कारण अभिनव ने और उनके बाद विश्वनाय ने उसको काव्य को थेणौ से प्रृणातः बहिर्गत कर दिया है। इस प्रकार ध्वनि के अनुसार काव्य का उत्तम रूप है ध्वनि और ध्वनि में भी सर्वोत्तम है रस-ध्वनि। पडितराज जगन्नाय ने इसे उत्तरोत्तम भेद कहा है, अर्थात् रस या रस-ध्वनि ही काव्य का सर्वोत्तम रूप है। दूसरे शब्दों में रस ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है। शास्त्रीय दृष्टि से रस और ध्वनि वा यही सम्बन्ध एवं तारतम्य है।

## ध्वनि में अन्य सिद्धान्तों का समाहार

ध्वनिकार अपने सम्मुख दो उद्देश्य रखकर चले थे : एक ध्वनि सिद्धान्त की निर्भ्रान्ति स्थापना, दूसरा अन्य सभी प्रचलित सिद्धान्तों का ध्वनि में समाहार। वाच्तव में ध्वनि-सिद्धान्त की सर्वमान्यता का मृद्य बाराणी भी यही हुआ। ध्वनि को उन्होंने इतना स्थापन करा दिया कि उसमें न वेष्ट उन्हें पूर्ववर्ती रस, गुण, रीति, अलङ्कार आदि का ही समाहार हो जाता या यरन् उन्हें पूर्ववर्ती यशोज्ञि, दोचित्य आदि भी उससे याहर नहीं जा सकते थे। इससे सिद्धि दो प्रकार से हुई :—एक तो यह कि रस की भाँति गुण, रीति, अलङ्कार, वशना-प्रादि भी व्यञ्जन हो एते हैं। पाषण शब्द द्वारा न तो मापुर्यं प्रादि गुणों का स्थान होता है न

वैदमी आदि रीतियों का न उपनां आदिक अलङ्कारों का और न वक्ता वा ही । ये सब ध्वनि रूप में ही उपस्थित रहते हैं । दूसरे गुण, रीति, अलङ्कार, आदि तत्त्व प्रत्यक्षत अर्थात् सोधे वाच्यार्थ द्वारा मन को आह्वाद नहीं देते । शुतएव ये सब ध्वन्यर्थ के सम्बन्ध से, उसी का उपकार करते हुए, अपना अस्तित्व सार्यक करते हैं । इसके अतिरिक्त इन सबका महत्व भी अपने प्रत्यक्ष रूप के कारण नहीं है वरन् ध्वन्यर्थ के ही कारण है । क्योंकि जहां ध्वन्यर्थ नहीं होगा वहां ये आत्मा विहीन पञ्चतत्त्वों अथवा आभूयणों आदि के समान ही निरर्थक होंगे । इसीलिए ध्वनिकार ने उन्हें ध्वन्यर्थ रूप अङ्गी के अङ्ग ही माना है । इनमें गुणों का सम्बन्ध चित्त की द्रुति, दीन्ति आदि से है, अतएव वे ध्वन्यर्थ के साथ [जो मुख्यतया रस ही होता है] अन्तरङ्ग रूप से सम्बद्ध हैं जैसे कि शौष्ठुर्दि आत्मा के साथ । रीति अर्थात् पद-संघटना का सम्बन्ध शब्द-अर्थ से है इसलिए वह काव्य के शरीर से सम्बद्ध है । परन्तु फिर भी जिस प्रकार कि सुन्दर शरीर-सास्यान मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाता हुआ वास्तव में उसकी आत्मा का ही उपकार करता है इसी प्रकार रीति भी अन्तत काव्य की आत्मा का ही उपकार करती है । अलङ्कारों का सम्बन्ध भी शब्द-अर्थ से ही है । परन्तु रीति का सम्बन्ध स्थिर है, अलङ्कारों का अस्थिर—अर्थात् यह मावश्यक नहीं है कि सभी काव्य-शब्दों में अनुप्राप्त या किसी भ्रान्त अलङ्कार का, और सभी प्रकार के काव्यार्थों में उपमा या किसी भ्रान्त अर्थातङ्कार का चमत्कार नित्य रूप से वर्तमान ही हो । अलङ्कारों को स्थिति आभूयणों की सी है जो अनित्य रूप से शरीर की शोभा बढ़ाते हुए अन्तत आत्मा के सौन्दर्य में ही युद्ध करते हैं । क्योंकि शरीर-सौन्दर्य की स्थिति आत्मा के बिना सम्भव नहीं है—शब्द के तिए सभी आभूयण व्यर्थ होते हैं । [यहां पहले स्पष्ट कर देना चाहित होगा, कि ध्वनिकार न अलङ्कार को अत्यन्त सकुचित अर्थ में पहला किया है । अलङ्कार को ध्यापक रूप में प्रहण करने पर, अर्थात् उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के उकिन चमत्कार को प्रहण करने पर चाहे उसका नाम इतरण हुआ या नहीं, चाहे वह सक्षमा का चमत्कार हो अथवा ध्यञ्जना का जैसा कि कुन्तश ने यशोवित के विषय में किया है, उसको न तो शब्द-अर्थ का अस्थिर रूप सिद्ध करना ही सरल है, और त अलङ्कार-अलङ्कार्य में इतना स्पष्ट भेद हो किया जा सकता है । ]

## ध्वनि और पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र

सबसे पहले मनोविज्ञान की दृष्टि से ध्वनि के आधार और स्वरूप पर विचार कीजिये। मनोविज्ञान के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा कवि अपनी रागात्मक अनुभूति को सहृदय के प्रति संवेद्य बनाता है। संवेद्य बनाने का अर्थ यह है कि उसको इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि सहृदय को केवल उसका अर्थ बोध ही नहीं होता बरन् उसके हृदय में समान रागात्मक अनुभूति का सचार भी हो जाता है। इस रीति से कवि सहृदय को अपने हृदय रस का बोध न कराकर संवेदन करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सहृदय की दृष्टि से रस संवेद्य है बोधव्य अर्थात् वाच्य नहीं। यह सिद्ध हो जाने के उपरान्त, अब प्रश्न उठता है कि कवि अपने हृदय रस को सहृदय के लिये संवेद्य इस प्रकार बनाता है ? इसका उत्तर है भाषा के द्वारा। परन्तु उसे भाषा का साधारण प्रयोग न कर [ क्योंकि हम देख चुके हैं कि साधारण प्रयोग तो केवल अर्थ बोध ही करता है ] विशेष प्रयोग करना पड़ता है अर्थात् शब्दों को साधारण 'वाचक रूप' में प्रयुक्त न कर विशेष 'वित्र रूप' में प्रयुक्त करना पड़ता है। चित्र रूप से तात्पर्य यह है कि वे श्रोता के मन में भावना का जो चित्र जाए वह लीण और धूमित न होकर पुष्ट और भास्वर हो; और यह कायं कवि को बल्पना शक्ति की अवेक्षा करता है क्योंकि कवित्वना की सहृदयता के बिना सहृदय को बल्पना में यह चित्र साकार नहीं होगा ? उससे लिए कवि को निदर्शय ही अपने शब्दों को बल्पनार्थित करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह 'विशेष प्रयोग' भाषा का बल्पनात्मक प्रयोग है। अपनी बल्पना-दास्तिन का नियोजन करके कवि भाषा-शब्दों को एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि उन्हें मुनक्कर सहृदय वो केवल अर्थ-बोध ही नहीं होता बरन् उससे मन में एक अतिरिक्त बल्पना भी जग जाती है जो परिणामित अध्यय्या में पहुँचकर रस संवेदन में विनेतृत्व पा सहृदयक होती है। शब्द की इस अतिरिक्त बल्पना जगाने वाली शक्ति को ही ध्वनिकार ने 'ध्वनिन' और रस के इस संवेद्य रूप को ही 'रसध्वनि' कहा है। ध्वनि स्थापना के द्वारा लास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में बल्पनात्मक एवं महत्व की ही प्रतिष्ठा की है।

पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में ध्वनि का सोधा विवेचन दृढ़ता से धस्त्वन

होगा क्योंकि पश्चिम की अपनी पृथक् जीवन दृष्टि एव स्वत्तु और उसमें  
अनुसार साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान आदि के प्रति अपना पृथक् दृष्टिकोण  
रहा है। परन्तु मानव-जीवन की मूलभूत एकता के कारण जिस प्रकार जीवन  
के अन्य भौतिक तत्वों में अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समानताएँ मिलती हैं,  
इसी प्रकार साहित्य और कला के क्षेत्र में भी मूल तत्व अत्यन्त भिन्न नहीं हैं।

जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है ध्वनि का सिद्धान्त मूलत कल्पना  
को महत्व-स्वीकृति ही है और कल्पना का प्रभुत्व पश्चिमी काव्य-शास्त्र में  
आरम्भ से ही रहा है। पश्चिम के आद्याचार्य प्लेटो हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष विधि  
से काव्य में सत्य के आधार की प्रतिष्ठा की। परन्तु वे विज्ञान के सत्य और  
काव्य के सत्य का अतर स्पष्ट नहीं कर सके—उन्होंने बुद्धि के (दर्शन के)  
सत्य और कल्पना के सत्य को एक मानते हुए काव्य और कवि के साथ घोर  
अन्याय किया। प्लेटो ने काव्य को अनुकृति माना—यह भौतिक पदार्थों या  
घटनाओं का अनुकरण करता है, और भौतिक पदार्थ एव घटनाएँ आध्यात्मिक  
(ideal) पदार्थों और घटनाओं की प्रतिकृति मान है। और चूंकि वास्तविक  
सत्य आध्यात्मिक घटनाएँ ही हैं, अतएव कवि की रचना सत्य की भौतिक  
प्रतिकृति की प्रतिकृति है। और प्रतिकृति रूप में भी वह सर्वया शुद्ध नहीं है,  
क्योंकि उसमें अनेक विकृतियाँ हैं। अतएव निष्कर्ष यह निष्काला कि काव्य सत्य  
से दूर है। एक तो वह सत्य की प्रतिकृति की प्रतिकृति है और उस पर भी  
विकृति है। भारतीय काव्य-शास्त्र की दृष्टिवली में उन्होंने वाच्यार्थ को ही  
काव्य में मुख्य मान लिया व्यञ्जनार्थ की प्रतीति वे नहीं कर सके। और, इसी-  
लिए वे काव्य की आत्मा को अपश्त नहीं कर पाये। दार्शनिक धरातल पर  
प्लेटो के उपर्युक्त सिद्धान्त में बहुत कुछ भारतीय दर्शन के अभिव्यक्तियाव और  
व्याकरण के स्फोटवाद का आभास मिलता है जिससे भारतीय आचार्यों को  
ध्वनि-सिद्धान्त की प्रेरणा मिली थी। यह एक विचित्र सयोग है कि इनकी  
दार्शनिक अनुभूति होने पर भी प्लेटो काव्य का रहस्य समझने में असमर्प रहे।

प्लेटो की श्रुटि का समाधान अरस्तू ने किया। उन्होंने भी प्लेटो की भाँति  
काव्य को अनुकृति ही माना। परन्तु उन्होंने अनुकृति का अर्थं प्रतिकृति न करते  
हुए पुनर्निर्माण अपवा पुन सृजन किया। प्लेटो की पारणा थी कि काव्य वस्तु  
को विषयगत प्रतिकृति है, परन्तु अरस्तू ने उसे वस्तु का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण  
अपवा पुन सृजन माना। कवि कथन नहीं करता प्रस्तुत करता है, और श्रोता  
या पाठक तदनुसार वस्तु के प्रत्यक्षरूप को यहाँ नहीं करता, वरन् इविज्ञानस

जात रूप को ही प्रहण करता है, शुक्ल जी के शब्दों में यह कवि को उचित का अर्थ प्रहण नहीं करता, विष्व प्रहण करता है। इस प्रकार उरस्तू ने ध्वनि पा व्यञ्जन आदि शब्दों का प्रयोग न करते हुए भी काव्यार्थ को बाच्य न मान कर व्यञ्जन ही माना है। उनकी 'मिर्मिसिस'—प्रतुकरण की व्याख्या में "वस्तु के कल्पनात्मक पुनर्सृजन" का अर्थ विभाव, अनुभाव, आदि के द्वारा (वस्तु से उद्युद) भाव को व्यञ्जना होता है। इस प्रकार उरस्तू के सिद्धान्त में प्रकारान्तर से ध्वनि की स्वीकृति प्रसिद्धि है।

उरस्तू के उपरात यूनान, रोम तथा मध्य यूरोप के आलोचकों ने काव्य के स्वरूप और उषादानों का विवेचन किया। इन आलोचकों में से प्राय एक बात तो सभी को स्पष्ट योग्य कि काव्य में शब्द अपने साधारण—कोश और व्यवहारण अर्थ के अतिरिक्त असाधारण भयवा विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस तथ्य को अनेक प्राचीन आचार्यों ने स्थान स्थान पर व्यक्त किया है। रोमन आलोचक-कवि होरेस ने शब्दों के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए एक स्थान पर लिखा है—“कवि को अपने शब्दों के संग्रहन में अत्यन्त सावधानी और सूक्ष्म कौशल से काम लेना चाहिये।” यदि आप किसी विष्व प्रसङ्ग की उद्भावना कर किसी प्राचीन शब्द को नवीन अर्थ दे सकें, तो आप पूर्णत सकल होंगे।” प्रसङ्ग के द्वारा साधारण (प्राचीन) शब्द में विशेष (नवीन) अर्थ का उद्भास ध्वनिवादियों की अत्यन्त परिचित युक्ति है। इसी प्रकार विवरणेलियन ने बाणी में चमत्कार लाने के लिए कला का गोपन आवश्यक माना है। वे कला का मूल रहस्य यह मानते हैं कि यह “अपने कर्ता के प्रतिरिक्त और सभी के लिए अव्यक्त रहे।” कला वे अध्यक्षत रूप की यह स्थापना भी ध्वनि की प्रकारान्तर से स्वीकृति है।

यूनान और रोम के साहित्यिक ऐश्वर्य के उपरान्त योरूप में अधकार पुण माता है जो ज्ञान विज्ञान और कला-साहित्य के चरम हृत्त का मुग था। इस अन्यकार में केवल एक ही उच्चवत नक्षत्र है और वह है दाने। दाने न विषय और भाषा दोनों की गतिमा पर बल दिया। भाषा के विषय में उन्होंने प्रामीण भाषा को बचाने और और्जवल्यमयी मातृभाषा के प्रयोग का समर्थन किया है। उन्होंने दोनों वे विषय में विस्तार से लिखा है। उदात्त शीतो वे तिए उन्होंने सो-जाइनस ही भाँति उदात्त शब्दों के प्रयोग को अनिवार्य माना है। शब्दों को उन्होंने अनेक बाँध में विसर्जन किया है—कुछ शब्द बच्चों ही

तरह पुतलाते हैं<sup>१</sup> — वे अत्यन्त सरल-सामान्य नित्य प्रति के हल्के-फुलके शब्द होते हैं। कुछ शब्दों में शक्ति का अभाव और पैदल स्थिरों जैसी लोच-तचक मात्र होती है<sup>२</sup>, उसके विपरीत कुछ शब्दों में पौरुष होता है। इस तीसरे बगं में भी दो प्रवार के शब्द होते हैं प्रामीण और नागरिक—नागरिक शब्दों में भी कुछ मसुए<sup>३</sup> और चिकण<sup>४</sup> होते हैं और कुछ प्रकृत<sup>५</sup> और अनगड़<sup>६</sup> हैं। इनमें चिकण और अनगड़ में केवल नाद-प्रभावमात्र होता है। उदात्त शंती के अवयव केवल मसुए और प्रकृत शब्द ही हैं। शब्दों में इस प्रकार के गुणों की कल्पना असदिग्द शब्दों में उनकी व्यञ्जकता की स्वीकृति है—व्यञ्जना शक्ति को स्वीकार किये बिना शब्दों की उपयुक्त विशेषताओं और वगाँ की उद्भावना सम्भव ही नहीं हो सकती।

अन्धकार युग के उपरान्त योहप में पुनर्जागरण-काल का आरम्भ हुआ। यह काव्य और कला के लिए मध्ययुगीन बन्धनों से मुक्ति वा युग था। इस युग के काव्य और साहित्य में जहाँ जीवन के निकट सम्पर्क और उसकी पूर्णता की प्रभित्यशक्ति मिलती है, वहा काव्य-शास्त्र में प्राय प्राचीन आदर्शों की ही स्थापना है। परन्तु धीरे-धीरे नवीन जीवन आदर्श उसमें भी प्रतिफलित होने लगे और सर फिलिप सिङ्टो को स्वीकार करना पड़ा कि शिक्षण और प्रसादन के अतिरिक्त काव्य का एक और महत्तर प्रयोजन है आनंदोलित करना। इसके साथ ही प्राचीन काव्य-कला के मानों में भी परिवर्तन होने लगा—गरिमा और निपत्रण के स्थान पर कल्पना और प्रकृत भावोच्चार का महत्त्व बढ़ने लगा। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा है कल्पना का व्यञ्जना से अनिवार्य सम्बन्ध है, और यह बात विलकुल स्पष्ट है। कल्पना का कार्य है मूर्ति-विधान या चित्र-विधान और कवि अपने मन की इन मूर्तियों या चित्रों को पाठक के मन तक प्रेपित करने के लिए निःर्गत चित्रभाषा का ही प्रयोग करता है। चित्र-भाषा का कलेवर साक्षेत्रिक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से बनता है और ये दोनों व्यञ्जना की विभूतिया है। अठारहवीं शताब्दी में ड्राइडन ने अपनी स्वच्छ-प्रखर दृष्टि से इस रहस्य का निर्भ्रान्त रूप से उद्घाटन कर दिया था “कवि के लिए विवेक आवश्यक है, परन्तु कल्पना (प्रथात् मूर्ति-विधायिनी शक्ति) ही उसकी कविता को जीवन-स्पर्श और अव्यवत छविया प्रदान करती है।” कहने की

<sup>१</sup>. childlike <sup>२</sup> womanish <sup>३</sup> combed <sup>४</sup> slippery  
<sup>५</sup> shaggy <sup>६</sup> rumpled.

आवश्यकता नहीं कि ये अव्यक्त छवियां व्यञ्जना की ही छवियां हैं। पोप के ऐसे आनंदितिज्ञम् में कुछ पंचितया है जिनका आनन्दवर्धन के घटनि-विषयक श्लोक के साथ विचित्र साम्य हैः—

In wit, as nature, what affects our hearts  
Is not the exactness of peculiar parts;  
'T is not a lip, or eye, we beauty call  
But the joint force and full result of all.

अर्थात् प्रकृति की भाँति काव्य में भी अंगों का समुचित अनुक्रम एवं अनुपात हमारे भन का अनुञ्जन नहीं करता। नारी के शरीर में अधर अथवा नेत्र को हम सौन्दर्य नहीं कहते परन्तु सभी अंगों के संयुक्त और सम्पूर्ण प्रभाव का नाम ही सौन्दर्य है। तुलना कीजिएः

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।  
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥

अर्थात् महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु है जो हित्यों में उनके प्रसिद्ध (अधर नेत्र आदि) अवयवों से अतिरिक्त साध्यण्य के समान शोभित होता है—अथवा जो ग्रलङ्घारादि काव्य-अवयवों से भिन्न उसी प्रकार शोभित होता है जिस प्रकार हित्यों में प्रसिद्ध (नेत्रादि) अवयवों से भिन्न लाभण्य ।

उपर्युक्त उद्दंडणों का मूल भाव तो स्पष्टतः एक ही है केवल अवधान का अन्तर है। आनन्दवर्धन ने लाभण्य शब्द के द्वारा इस सौन्दर्य की अव्यवस्थिता अथवा अपर्याप्यता पर योड़ा अधिक बल दिया है। पोप ने इसको इतना स्पष्ट नहीं किया परन्तु वह उनकी अपनी परिसीमा थी। सौन्दर्य की इस अनिवार्यताका पूर्ण उत्तर्यं रोमानो पुग में हुआ। जर्मनी के १८-१९ वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने और इधर इंगलैण्ड में इनेक, बड़े सवर्यं, शैली आदि में काव्य में दंडी प्रेरणा और कल्पना के रहस्य-स्पर्शों का मुक्त हृदय से गुण-शान किया है। वास्तव में रोमानो काव्य मूलतः घटनिशास्य ही है। उसकी सौन्दर्य-चिन्तना में रहस्य-भावना वा अनिवार्य योग है और इस रहस्य-भावना की प्रभिष्ठिति के लिए भाषा की सांकेतिकता (व्यञ्जना) की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। बड़े सवर्यं के लिए सामान्य वस्तुओं में भाष्यात्मक अर्थ की प्रतीत बरना वास्तवानुभूति की चरम सार्थकता थी; ख्लेष और शैली के लिए

भी, प्रश्नारान्तर से, सामाज्य में असामान्य वो प्रतीति ही काव्य-संवर्त्तन थी। रोमानी कवि ग्रालोचकों ने कविता में जिस 'रहस्यमय अनिवार्यता' को काव्य-संवर्त्तन माना वह आनन्दवर्धन के 'प्रतीपमान पुनररन्यदेव वस्तु' से मिल नहीं है।

बोतवीं शताब्दी में योग्य में ग्रालोचना शास्त्र पर मनोविज्ञान का आकर्षण हुआ। इटली के दार्शनिक ओचे ने अभिव्यजनावाद का प्रवर्तन किया और इधर जर्मनी से प्रतीकवाद का उद्भव हुआ। ओचे के अनुसार काव्य सहजानुभूति है और सहजानुभूति अनिवार्यता अभिव्यञ्जना है—प्रतएव काव्य मूलत अभिव्यञ्जना है। ओचे अभिव्यञ्जना को अखण्ड-रूपिणी मानते हैं—अभिव्यञ्जना का एक ही रूप होता है, उसमें अभिधा, लक्षणा, ध्यञ्जना अथवा वाच्य और व्याय का भेद नहीं होता। परन्तु फिर भी ओचे की सहजानुभूति कल्पना की किया है। ओचे के ही अनुसार वह चेतना की अरूप भृत्यतयों का एक समर्चित विम्ब रूप होती है। स्पष्टतः ही यह विम्ब रूप सहजानुभूति कथित नहीं हो सकती, ध्वनित ही हो सकती है। फहने का अभिप्राय यह है कि ओचे के लिए वाच्य-व्याय का भेद तो सर्वथा अनगत है, परन्तु उन्होंने व्याय का कहीं नियेध नहीं किया। उन्होंने अभिव्यञ्जना को अखण्ड और एकरूप माना है, उसके प्रकार और अवयव-भेद नहीं माने यह ठीक है। परन्तु विम्ब रूप सहजानुभूति की यह अभिव्यञ्जना कथन-रूप तो हो नहीं सकती, होगी तो वह ध्वनि रूप हो। ओचे के लिए सिद्धान्त-रूप में ध्वनि अप्राप्तिक थी—परन्तु व्यवहार रूप में तो वे भी इसको यचा नहीं सके। वास्तव में ओचे आत्मवादी दार्शनिक थे। उन्होंने अभिव्यञ्जना का आत्मा की किया के रूप में विवेचन किया है, उसके मूलं शब्द-अर्थं रूप में उन्हें अभिहचि नहीं थी। परन्तु ओचे के उपरान्त उनके अनुगमियों ने अभिव्यञ्जना के रूप को अधिक प्रहण किया है और अभिव्यञ्जना के चमत्कार को ही कला का सार-तत्व माना है। स्वभावत ही इन सोगों का ध्वनि से निकटतर सम्बन्ध है। प्रतीकवाद तो स्वीकृत रूप से प्रतीकात्मक तथा साकेतिक अभिव्यक्ति के ही प्राधित है। उसकी तो सम्पूर्ण किया-प्रक्रिया ध्वनि (साकेतिक अर्थ) को लेकर ही होती है।

इस शताब्दी के काव्य और कला सम्बन्धी विचारों पर क्रायड का

गहरा प्रभाव है परन्तु फ़ायड ने कला के मूल दर्शन का हा विवेचन किया है—  
उसकी मूर्त अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने चिन्ता नहीं की। वे काव्य और कला  
को स्वप्न का समोक्त्री मानते हुए उसे मूलत स्वप्न-चित्र<sup>1</sup> रूप जानते हैं। कहने  
को आवश्यकता नहीं कि ये स्वप्न चित्र भी अनिवार्यत व्याय के ही आश्रय से  
ध्वनि हो सकते हैं। कवि अपने मन के कुण्ठा जन्य स्वप्न-चित्र को इष्टपृथत  
ध्वन्जना ही बर सकता है कथन नहीं। क्रोचे और फ़ायड का उल्लेख मैंने  
केवल इस लिए किया है कि आधुनिक कला विवेचन पर इनका गहरा और  
सार्वभीम प्रभाव है तथा किसी भी काव्य-सिद्धान्त की समीक्षा में इनकी अपेक्षा  
नहीं की जा सकती। वैसे इनका सौधा सम्बन्ध प्रस्तुत विषय से नहीं है—  
(यद्यपि इनके सिद्धान्तों में ध्वनि की अप्रत्यक्ष स्वीकृति सर्वथा असदिग्ध है।)  
इनकी अपेक्षा डा० ब्र० डले जैसे कलावादी<sup>2</sup> तथा श्री रीड जैसे अतिवस्तुवादी<sup>3</sup>  
आलोचकों का ध्वनि-सिद्धान्त से अधिक रुजु सम्बन्ध है। कलावादियों का  
‘कलात्मक अनुभव को अनिवंचनीयता’ वा सिद्धान्त भी आनन्दवर्धन के  
“प्रतीयमान पुरन्यदेव” वा ही रूपान्तर है। फ़ास के अतिवस्तुवादी और उनके  
अगरेज प्रवक्ता श्री रीड और उधर स्पिगान जैसे प्रभाववादी<sup>4</sup> तो व्याय वे ही  
नहीं—गूढ ध्याय के समर्थक हैं। प्रभाववादी तो एक शब्द से केवल एक अर्थ  
वा ही नहीं सारे प्रकरण की व्यञ्जना का दुष्कर कार्य लेते हैं। देखिये स्पिगान  
की कविता का शुल्क जो कृत विश्लेषण (चितामणि भाग, २)

उपर्युक्त प्राप्य सभी काव्य सिद्धान्तों में अतिवाद है। इगलैंड के  
भेदावी आलोचक रिचर्ड० स ने मनोविज्ञान की वैज्ञानिक क्सीटी पर कस कर इन  
सबको खोटा ठहराया और काव्यानुभूति की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करने का  
प्रयत्न किया। उन्होंने ‘अपन प्रिसिपिल्स आफ लिटरेरी फ्रिटिसिज्म (काव्य-  
सोचन के सिद्धान्त)’ और ‘मोनिग आफ मोनिग (अर्थ का अर्थ)’ नामक प्रसिद्ध  
प्राचीनों में शब्दों की व्यञ्जक शक्ति और कविता की ध्यायात्मकता के विषय में  
वही स्थानों पर यहुमूल्य विचार प्रवर्ठ किये हैं। काव्यानुभूति की प्रक्रिया में ये  
छ रास्तान मानते हैं १. शब्द को पढ़कर या मुन बर उत्पन्न होने वाले दृष्टि-  
पोचर सबेदन ध्यया कण्योचर सबेदन, २. सम्बद्ध मूत्रिविधान, ३. स्वतन्त्र  
दूतिविधान, ४. विचार, ५. भाव और ५. रागात्मक दृष्टिकोण।

काव्य को पढ़कर या सुनकर पहले तो सर्वथा भौतिक, दृष्टिगोचर पा  
इएंगोचर सबेदन उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपरान्त उनसे सम्बद्ध वाक्‌चित्र<sup>1</sup>—  
उत्पन्न हो जाते हैं, किर यह प्रतिमा और आगे बढ़ती है और एक स्वतन्त्र चित्र-  
जाल मन की आखो में समृख जाग जाता है। तदुपरान्त उनसे सम्बद्ध विचार  
और किर भाव और अन्त में इस किया के फलस्वरूप विदेष रागात्मक दृष्टि-  
कोण बन जाता है। जैसा कि स्वयं रिचर्ड्स ने ही स्पष्ट किया है, इनमें से  
२ अर्थात् वाक्‌चित्रों का सम्बन्ध शब्द से है और ३ का शब्द के अर्थ से<sup>2</sup>।  
बहुत बी आवश्यकता नहीं कि इस विश्लेषण में ध्वनि-सिद्धान्त का स्पष्ट  
आभास है। २ में रिचर्ड्स प्रकारान्तर से बाणध्वनि की चर्चा कर रहे हैं, और  
३ और उसके आगे ४, ५, ६, में शब्द और अर्थ ध्वनि की (of things  
words stand for)। आगे चलकर भाषा के विवेचन में उन्होंने अपना  
मन्तव्य और स्पष्ट किया है। भाषा के वे दो प्रयोग मानते हैं एक वैज्ञानिक<sup>3</sup>  
प्रयोग दूसरा रागात्मक<sup>4</sup> प्रयोग। वैज्ञानिक प्रयोग किसी वस्तु का जान भर  
बरा देने के लिए किया जाता है, रागात्मक प्रयोग भाव जगाने के लिए किया  
जाता है। शुभल जी के शब्दों में पहले से अर्थ का प्रहण होता है दूसरे से विष्व  
ए।—भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावली में, पहले प्रयोग का आधार शब्द  
की अभिधा शक्ति है, और दूसरे का आधार व्यञ्जना अथवा लक्षणा-आधित  
व्यञ्जना।

अब तक मैंने जिन पश्चिमीय आचार्यों का उल्लेख किया है, उनमें से प्रायः  
अधिकादा में प्रकारान्तर से ही ध्वनि सिद्धान्त की स्वीकृति मिलती है। अब  
अन्त में मैं एक ऐसे पश्चिमीय आलोचक का उद्दरण देकर इस प्रसंग को  
रामान्त करता हूँ जिन्होंने काव्य में ध्वनि सिद्धान्त का सीधा प्रतिपादन किया  
है। ये हैं अगरेजी के कवि आलोचक एवरट्रोम्बो। उनका मत है “साहित्य का  
कार्य है अनुभूति का प्रेषण—परन्तु अनुभूति भाषा में तो घटित होती नहीं।  
(अतएव) कवि की अनुभूति इस प्रकार की प्रतीक भाषा में अनुदित होनी  
चाहिए जिसका सहृदय किर अपनी अनुभूति में अनुवाद कर सके—दोनों  
अवस्थाओं में ही अनुभूति भावित तो होगी ही। × × × ×

1 Verbal images

2 They differ from those to which we are now proceeding  
(i.e. 3) in being images of words not of things words stand for.

3 Scientific 4 Emotive

× × इस प्रकार, अनुभूति जैसी अत्यन्त तरल (परिवर्तनशील) वस्तु का अनुवाद भाषा में करना पड़ता है जिसको शक्ति स्वभाव से ही अत्यन्त सीमित है। अतएव काव्य कला सदा ही किसी न किसी अश में घटनि रूप होती है और काव्य कला का चरम उत्कर्ष है भाषा की इस व्यञ्जना शक्ति को अधिक से अधिक व्यापक, प्रभावपूर्ण, प्रत्यक्ष, स्पष्ट तथा सूक्ष्म बनाना। यह व्यञ्जना शक्ति भाषा की साधारण अर्थ विद्यायिनी (अभिधा) शक्ति की सहायक होती है।

भाषा की इसी शक्ति का परिज्ञान कवि को सामान्य व्यक्ति से पृथक् करता है। इसी व्यञ्जना वृत्ति के प्रति सबेदनशीलता सहृदय की पहचान है। (अतएव) कर्ता में प्रेरक, और भोक्ता में प्राहक रूप से वर्तमान यही वह विशेष गुण है जिसे कि काव्य की आत्मा मानना चाहिए।”

उपर्युक्त उद्धरण पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। इसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो प्रो॰ एवरक्राम्बी भारतीय ध्यनि सिद्धात का अप्रेज़ी में ध्याल्यान कर रहे हों।

पाइचात्य काव्य-शास्त्र के अलङ्कार विधान में ध्वनि को स्वीकृति और भी प्रत्यक्ष है। हमारे यहाँ लक्षणा-व्यञ्जना को शब्द की शक्तियाँ मान कर उनके चमत्कार वा पृथक् विवेचन किया गया है, परन्तु परिचय में उनके चमत्कार अलङ्कार रूप में प्रहण किये गये हैं। उदाहरण के लिए यमतामूलक इनुएडों और आपरनी में व्यञ्जना का प्रत्यक्ष आधार है। इन दोनों के अनेक उदाहरण शुद्ध ध्वनि के उदाहरण रूप में प्रस्तुत दिए जा सकते हैं। भारतीय काव्य-शास्त्र के अनुसार उनका समावेश अलङ्कारों के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता वयोंकि उनमें धार्वाय का चमत्कार नहीं, प्राय ध्वन्यार्थ फा ही चमत्कार होता है। पूर्णभिद्म में बहुता को बचाने के लिए अप्रिय यात को प्रिय शब्दों में सेट कर करा जाता है—सकृत के पर्याय की भाँति उसका भी आधार निश्चय ही व्यञ्जना है।—इत्यादि ।

## हिन्दी में धनि

साधारणत हिंदी का आदि विधि धर्म और आदि काल्य पृथ्वीराज रासो माना जाता है, परंतु इससे पूर्वती पुरानी हिंदी का काल्य भी आज उपनिषद् होणा है—जिससे भ्रमण घनेक प्रयाप-काल्य तथा सुट नोति-साहित्य मिलता

है। प्रबन्ध काव्यकारों में सबसे प्रसिद्ध थे स्वयभुदेव कविराज, जिनका समय चन्द से ढाई शताब्दी पूर्व सन् ८६० ई० के आसपास था। उनका रामायण प्रबन्ध अनेक रूपों में तुलसी के रामचरित मानस का प्रेरणा-न्योत था। स्वयभुदेव ने तुलसीदास की तरह ही अपनी विनम्रता का बएन किया है अथवा यो कहिये कि तुलसीदास ने ही उनसे प्रेरणा प्रहण करते हुए अपनी दीनता आदि का बखान किया है। स्वयभुदेव ने कुछ स्थलों पर काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी दो एक सकेत दिये हैं :

बुद्धयण सयंभु पई विणवई। महु सरिसउ अणण णाहि कुरई ॥  
वायरणु कयारण जणियड। सउ वित्ति मुत्तं वक्खाणियड ॥  
णा णिसुणिड पंच महायकब्बु । णड भरदण लक्खणु छंदु सब्बु ॥  
णड बुझडउ पिंगल पञ्चद्वार । णड भामह ददियलंकार ॥

बुधजनों के प्रति स्वयभु विनती करता है कि मेरे तरिस अन्य कुकवि नहीं हैं। मैं व्याकरण किंचित् भी नहीं जानता। बृति सूत्र का वर्णन भी नहीं कर सकता। मैंने पच महाकाव्य नहीं सुने हैं और न भरत [के नाट्य शास्त्र] का अध्ययन किया है, मैं सब छन्दों के लक्षण भी नहीं जानता। न मैं पिंगल-प्रस्तार से अभिज्ञ हूँ और न मैंने भामह तथा दडी के अलड्डार-प्रबन्ध ही पढ़े हैं।

इसके अतिरिक्त एक और स्थान पर स्वयभु ने लिखा है—

अवखर वास जलोहू मणोहर । सुखलङ्घार छन्द मच्छ्रोहर ॥  
दीह-समासा पवाहा वंकिय । सक्षय पायय पुर्णिणालङ्घकिय ॥  
देसी-भासा उभय तहुजाल । कविं-दुक्कर घण-सद-सिलायल ॥  
अध्य वहुल कल्लोल णिट्ठिय । आसा-सय-सम उह परिट्ठिय ॥

इसमें [रामकथा में]

अधर भनोहर जलोक है, गु अलङ्घार और छन्द मछलिया हैं। दीर्घ समारा बकिम प्रश्याह हैं। सस्तृत प्राहृत पुलिन है। देसी भाषा वे उभय उज्जवल तट हैं। कवियों के लिए दुखर धने शब्द शिलातत हैं। अर्थ-वहुला बहसोले हैं। शत-शत आशाएं तरगे हैं।.. आदि।

प्रबन्ध-काव्यकार होने के भाने स्वयभुदेव दो रस के प्रति आपह होना चाहिए था। परन्तु उपर्युक्त सरेतों में रस का उल्लेख नहीं है, इवनि का तो प्रदर्श ही नहीं उठता क्योंकि स्वयभुदेव आनन्ददर्शन के पूर्वतों कवि थे। वास्तव

में उन पर पूर्वं ध्वनि कालीन प्रभाव था, इसीलिए उन्होने भामह और दड़ी के अलड्डार निष्पण, और बामन की सूत्र वृत्ति [ रीति निर्णय ] का हो उल्लेख किया है । उन्होने बोध समास और घनी शब्दावली [ रीति, वृत्ति ] अलड्डार, उन्ह प्रस्तार को अधिक महत्व दिया है । अथ बहुलता' में भी भी रसवादी कवियों को छोड़ भारवि और माध्य आदि शब्द अथ विल्पी कवियों की ओर ही सकेत हैं । परन्तु यह समय का प्रभाव था ।

हिन्दी के आरन्मिक काल—बीर गाया काल—में मुख्यत बीर गायाओं और और यीतों तथा साधारणत नीतिपरक कुटकर कविताओं को ही रचना हुई थी । इनके अतिरिक्त सम्बन्ध हैं कुछ पण्डित गोठियों में साहित्य शास्त्र को भी नवाँ होती रही ही जिसमें रस, ध्वनि, अलड्डार आदि शास्त्र सिद्धान्तों का खड़न भड़न, अध्ययन अध्ययन होता रहा होगा । परन्तु उसका कोई निखित प्रमाण या परिणाम आज उपलब्ध नहीं है । बीर-गायाकार कवि विशेषत ध्वनि निश्चय ही शास्त्र ममन कवि थे । उन्होने छ भायाओं का तथा विभिन्न शास्त्र पुराण आदि का विधिवत अध्ययन किया था ।

उनके काव्य में व्यापक धमनीति और राजनीति का समावेश तथा नवरस वा परिपाक है

उक्ति धर्म विसालस्य । राजनीति नव रस ॥

पट्भाषा पुराण च । कुरान कथित मया ॥

पृथ्वीराज रातों में जिस प्रचुरता के साथ अलड्डार, गुण, रीति तथा रस सामग्री आदि वा प्रयोग किया गया है उससे स्पष्ट है कि कवि यद ने काव्य शास्त्र के भ्रम्भ उपाल्फों का सम्यक अध्ययन किया था । परन्तु यह सब होने हुए भी सिद्धान्त विवेचन उनके काव्य के लिए अवासद्विक था । येंसे इनके काव्य का अध्ययन करने के उपरात मही निष्टय निकलता है कि बीर और शृङ्खार का परिपाक करने वाले ये कवि रसवादी ही थे । प्रद्याय काव्यकार होने के नाते भी ध्वनि वी अवैदा रस सम्प्रदाय से ही इनका प्रनिष्ठितर सम्बन्ध था । यद ने निलाल भी है “ राजनीति नव रस । ”

बीरगायापालास वे उपरात निर्गुण वाव्य पारा प्रयाहित हुई । ये कवि सिद्धान्त और व्यवहार दोनों वी द्वितीय से नास्त्रीय परम्परा से दूर थे । इन्हे तो वाव्य में सिए भी वाव्य सिद्धान्तों वा शान भी अप्राप्तिकृत था, विवेचन तो दूर वी यात रहो । किंतु भी इन्हे वाव्य वा ध्वनि सिद्धान्त से अनिवार्य तथा

प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। जैसा कि भैंने पाइचात्य काव्य-शास्त्र के प्रसङ्ग में स्पष्ट किया है रहस्यवाद का ध्वनि से अनिवार्य सम्बन्ध है क्योंकि रहस्यानुभूतियों का कथन नहीं हो सकता, व्यञ्जना ही हो सकती है। इसीलिए कबीर ने अपने रहस्यानुभव को गूगे वा गुड बताते हुए सेना-बैना के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति सम्भव भानी है। सेना बैना का स्पष्ट अर्थ है साकेतिक भाषा अर्थात् व्यञ्जना-प्रधान भाषा। इसी प्रकार प्रेमाध्ययी कवियों की रचनाएँ भी ध्वनि-काव्य के अन्तर्गत ही आती हैं। जायसी ने अपने काव्य को अन्योक्ति कहा है। प्रबन्धगत अन्योक्ति अथवा समासोक्ति या रूपक गूढ व्यञ्जन्य पर आधित रहता है। उसका मूलार्थ सबवा ध्वनित होता है। परन्तु चूंकि इस प्रकार के अन्योक्ति या रूपक काव्य के द्वारा रस की व्यञ्जना न होकर अन्ततः सिद्धान्त [ वस्तु ] की ही व्यञ्जना होती है इसलिए यह उत्तमोत्तम [ रस-ध्वनि ] काव्य के अन्तर्गत नहीं आता। रूपक काव्य जहा तक कि उसके रूपक तत्व का सम्बन्ध है भूलत वस्तु-ध्वनि के ही अन्तर्गत आता है और यह वस्तु भी गूढ व्यञ्जन्य होती है अतएव इसको ऐसी रस ध्वनि से निम्नतर ठहरती है। यही कारण है कि शुक्लजी ने पद्मावत को मूलत प्रबन्ध काव्य ही भाना है, उसके अन्योक्ति रूप को आनुयायिक भाना है।

और यह ठीक भी है। इसमें सन्देह नहीं कि जायसी ने अपने काव्य में सूफो सिद्धात (वस्तु की) व्यञ्जना की है, परन्तु वे प्रहृत रससिद्ध कवि थे। अतएव उनका सिद्धान्त पीछे रह गया है और प्रीति में डूबा हुआ रसमय काव्य ही प्रमुख हो गया है। जायसी ने स्वय कहा भी है—

जोरी लाइ रकत के लेर्ड। गाढ़ि प्रीति नयनहि जल भेर्द॥  
मैं जिय जानि गीत अस कीन्हा। मकु यह रहै जगत महै चीन्हा॥

प्राणों के रकत से लिली हुई और गाढ़ि प्रीति से उद्भूत नयनों के जल से भीगी हुई कविता वस्तु [ सिद्धान्त ] को ही व्यञ्जना करके बैंसे रह जाती ? उसमें रस की व्यञ्जना निस्सदेह है।

कबीर-जायसी के युग के थाद मूर-तुलसी का युग आता है। रामभृत और कृष्णभृत कवि प्राय सभी शास्त्र निष्ठ थे, उनका दर्शन और काव्य दोनों का शास्त्रों से सम्पर्क था, परन्तु फिर भी सिद्धान्त रूप में ये भक्ति को शास्त्र से अर्पात् भावना को बुद्धि से धर्मिक महत्व देते थे। तुलसी ने काव्य के हो उद्देश्य माने हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो स्वान्त मुखाय रघुनाथ गाया का धरण लगता,

और अप्रत्यक्ष रूप से उसके हारा लोकधर्म की प्रतिष्ठा करना। दूसरे शब्दों में तुलसी के काव्य में आत्मरजन और लोकरजन का पूर्ण समन्वय है, व्यक्ति-परक और वस्तु-परक दृष्टिकोणों का सम्भव्य है। उधर भाव तत्व के साथ ही उनमें धुँढ़ि तत्व और कल्पना तत्व का भी उचित समन्वय है, किर भी कुल मिलाकर तुलसी और उनके अनुयायी रामभक्तों को इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत ही मानना पड़ेगा।

काव्य रचना के अतिरिक्त तुलसी के संदर्भान्तिक सकेतों से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है। काव्य के उपकरणों के विषय में उन्होने लिखा है —

आत्मर अरथ अलंकृति नाना। छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥

भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोपर गुण विविध प्रकारा ॥

उपर्युक्त उद्धरण में उन्होने शब्दार्थ, अलङ्कार, छन्द, दोष और रस और भाव को काव्य के उपकरण माना है—व्यक्ति का उल्लेख भी नहीं किया।

परन्तु ये उपकरण तो साधन माने हैं—साध्य है राम भक्ति।

भनिति विचित्र सुकपिरूत जोऊ ।

राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥

अतएव तुलसी के मत में भक्ति रस ही काव्य का प्राण है। और स्पष्ट शब्दों में —

हृदय सिंहु मति सीप समाना। स्पाति सारदा कहहि सुजाना ॥

जो वरसइ वर वारि निचान। होइ कवित मुहुतामनि चाहु ॥

जुगुति वेधि पुनि पोहिहरि, रामचरित वर ताग ।

पहिहरि सज्जन निमल वर, सोभा अति अनुराग ॥

काव्य की मूल गामग्री है भाव [हृदय-तिष्ठु] उत्तरी सपोजिता है (मति वारिविश्री प्रतिभा) जिसी सरस्वती में प्रेरणा प्राप्त होनी है—पर्यात् पह प्रतिभा ईश्वर-प्रदत्त है। येष्ठ विचार यर्ता वा जस अर्थात् पोषण ताव है। परन्तु इस प्रवार उद्भूत काव्य-मणियों सम्बन्धों वा हृदय हार तभी बनती है जब रामचरित वे सुन्दर तार में एकिन्यूर्वं उहें पिरो दिया जाए। अर्थात् येष्ठ काव्य के तिये निम्न लिखित उपकरणों और तथ्यों को काव्ययत्ता होनी है—भाव-नमुदि, वारिविश्री ईश्वर प्रदत्त प्रनिभा, घट विचार [उग्रृष्ट झोपत-हस्त] और रामभक्ति जो इस सम्बन्ध प्राप्तात्मक है।

उन्होंने भारम्भ में ही कहा है : “वर्णानां अर्थसप्तानाम् रसानां एव-  
रामपि । भगतानाम् च पर्तारो घदे वाणीविदायद्वै ।”

कृष्णभक्त कवियों में तो रागतत्त्व का और भी अधिक प्राप्तान्य है ।  
इसका अभिप्राय यह नहीं है, इन कवियों वे काव्यों में ध्वनि को किसी प्रकार  
भी उपेक्षा की गई है । वास्तव में तुलसी, सूर और अन्य सगुण भक्त कवियों  
की रचनाओं में रस ध्वनि, वस्तु-ध्वनि तथा अलङ्कार-ध्वनि के अगणित उत्कृष्ट  
उदाहरण मिलते हैं । सूर तथा अन्य कृष्णभक्त कवियों का भ्रमरगीत काव्य जो  
मूलत उपालम्भ काव्य है, रस-ध्वनि का उत्कृष्ट नमूना है । फिर भी इन  
अतिशय रागी कवियों को रसवादी न मानना इनके काव्य की आत्मा के प्रति  
अन्याय करना होगा ।

इन कवियों के उपरान्त हिन्दी साहित्य में रीति कवियों का आविर्भाव  
हुआ । ये सभी कवि मूलत काव्य सिद्धान्त के प्रति जागरूक थे । इन्होंने काव्य-  
शास्त्र और उसके विभिन्न सम्प्रदायों का विधिवत् अध्ययन किया था, और  
अनेक ने अपने काव्य में उनका विवेचन भी किया । व्यवहार रूप से भी यह  
युग मुक्तक काव्य का युग था—और जैसा कि अन्यत्र कहा गया है ध्वनि-  
सिद्धान्त का आविष्कार ही वास्तव में मुक्तव्य-काव्य को उचित स्वीकृति देने  
के लिए हुआ था । अतएव हिन्दी साहित्य वे इतिहास में ध्वनि सिद्धान्त की  
वास्तविक महत्व-स्वीकृति इसी युग में हुई । वैसे तो इसमें सन्देह के लिए  
अबकाश नहीं है कि रीति युग पर रसवाद और उसमें भी शृङ्खारवाद का ही  
आधिपत्य रहा, फिर भी अन्य वादों को भी पूर्णत उपेक्षा नहीं की गई—  
अलङ्कार और ध्वनि के समयकों का स्वर भी मन्द नहीं रहा । सबसे पहले तो  
सेनापति ने ही अपने काव्य की सिफारिश करते हुए उसकी ध्वन्यात्मकता पर  
विशेष बल दिया है—‘सरस अनूप रस रूप या में धुनि है’ । उनका रीतिप्राप्त  
काव्य कल्पद्रुम आज अप्राप्य है, अतएव इसके विषय में कुछ कहना असङ्गत  
होगा । उनके उपरान्त हिन्दी में अनेक आचार्यों ने मम्मट के अनुसरण पर  
काव्य का सर्वोग विवेचन किया है जिनमें से मुख्य है कुलपति, धीपति, दास  
और प्रतापसाहि । इन कवियों की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत बोलिक थी और ये मम्मट  
की ही भाँति ध्वनि अथवा रसध्वनियादी थे । इनके काव्य को पढ़ति और  
रीति सिद्धान्त दोनों ही इसके प्रमाण हैं । कुलपति ने स्पष्टत ही ध्वनि को  
काव्य की आत्मा माना है ।—

व्यंग्य जीव ताको कहत, शब्द अर्थ है देह ।

गुन गुन, भूपन भूपनै, दूपन दूपन देह ॥ (रस-रहस्य)

दास ने यद्यपि आरम्भ में रस को कविता का अंग अर्थात् प्रधान अंग माना है—

रस कविता को अंग, भूपन हैं भूपन सकल,

गुन सरूप और रंग दूपन करै कुरुपता । (काव्य-निर्णय)

परन्तु फिर भी उनके ग्रंथ में इस प्रकार के स्पष्ट सङ्केत हैं कि रस से उनका तात्पर्य रस-ध्वनि का होता है ।

भिन्न भिन्न यद्यपि सकल, रस भावादिक दास,

रसैं व्यंगि सबको कहयो, व्यनि कौ जहां प्रकास । (का० नि०)

इसके अतिरिक्त मम्मट की ही तरह इन्होने अलंकार को भी बहुत महत्व दिया है—

अलंकार यिनु रसहु है, रसौं अलंकृति छंडि,

मुकवि बचन रचनान सौं, देत दुहन को मंडि । (का० नि०)

प्रतापसाहि तो स्वोकृत रूप में ध्वनिवादी ये हो :—

व्यंग जीव है कवित में, शब्द, अर्थ गति अंग ।

सोई उत्तम काव्य है, वरनै व्यंग्य प्रसंग ॥ (व्यायाम कीमुदी)

उन्होने ध्याय पर एक स्वतंत्र ग्रंथ ही रचा है जिसमें सारे रस-प्रसंग का ध्याय (ध्वनि) के द्वारा धर्णन किया गया है ।

हिन्दी रीति काव्य में ध्वनिवाद का सर्वोत्कृष्ट रूप यिहारो और प्रतापसाहि में मिलता है । यिहारो ने यद्यपि सदाशुन्यों की रचना नहीं की परन्तु उनके काव्य की प्रवृत्ति सर्वप्रथम ध्वनिवाद के ही अनुकूल थी । उनके दोहों के काव्यगुण का विश्लेषण वरने पर यह संदेह नहीं रह जाता कि ये रसायाद के सुदूर मानसिक-प्राकृतिक धानन्द की अरेका ध्वनिवाद के शोद्धिक धानन्द वो हो परिक भृत्य देते थे । उन्होने ( अरेका उनके इसी अतरंग गमरासीन में ) सतसईं वो ध्वन्यात्मकता पर ही यत दिया है :—

मतसैया के दोहरे, ज्यों नायक के तीर ।

देमन में दोडे लगे, पाय करें गम्भीर ॥

यह विश्लेष ही उत्तरे ध्याय-गुण की प्रतीति है ।

इस युग मध्यनि का प्रबल विरोध दो आचार्यों ने किया—केशवदास ने और देव ने। केशवदास ने अलकारवाद की निर्भ्राति स्थापना की, साथ ही रसिकप्रिया में शृङ्खारवाद को भी मान्यता दी, परन्तु ध्वनि का उन्होंने सर्वथा बहिष्कार किया। उन्होंने भामह-दडी को ध्वनिपूर्वं अलकारवादी परम्परा को तो मूलत अपनाया ही, इसके साथ ही ध्वनि-उत्तर शृङ्खारवाद को भी प्रहण किया, परन्तु ध्वनि की उन्होंने सर्वथा उपेक्षा की। दूसरे आचार्यं रसमूर्ति देव रसवाद के प्रबल पृष्ठपोषक थे। उन्होंने तो व्यजना को अधम ही कह दिया

अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लन्धनान्लीन ।

अधम व्यजना रस-रुद्गुल, उलटी कहत नवीन ॥

उपर्युक्त दोहे को मूल-प्रसग से विच्छिन्न कर आचार्यं शुबल ने अपनी अभिधा शैली में उसकी आवश्यकता से अधिक छीछालेदर कर डाली है, और दूसरे लोग भी मूल-प्रसग को देखे बिना ही उसका अनुकरण करते गये हैं। उपर्युक्त दोहा पात्र वर्णन प्रसग का है देव ने शुद्ध-स्वभावा स्वकीया को चार्य-वाचक पात्र माना है, गर्व-स्वभावा स्वकीया को लक्ष्य लाक्षणिक पात्र, और शुद्ध-परकीया को व्यञ्जन-व्यञ्जक पात्र। इस प्रकार शुद्ध-स्वभावा मुआपा स्वकीया का सम्बन्ध अभिधा से है अर्थात् वह मुग्ध-स्वभावा होने के कारण अभिधा का प्रयोग करती हुई सौधी-सादी बात करती है। गर्व-स्वभावा प्रोढ़ा स्वकीया के स्वभाव और वाणी में मुख्य सारलय की बसी हो जाती है, और उसकी अभिव्यक्ति का साधन लक्षणा हो जाती है। परकीया के स्वभाव और वाणी में वक्ता होना अनिवार्य है, अतएव उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है व्यञ्जना। इसी कारण देव का भत है कि,

स्वीय मुभ्य मूरति सुधा, प्रीढ़ सिता पय सिक्त ।

परकीया करकस सिता, मरिच परिचयनि तिक्त ॥

कहने वा तात्पर्यं यह है कि देव ने अभिधा को शुद्ध-स्वभावा स्वकीया से और व्यञ्जना को परकीया से एकहय कर देता है, अतएव उपर्युक्त दोहे में व्यञ्जना वी भत्संना वा सङ्घ वहृत कुछ परकीया को रसाभिव्यक्ति ही है। उपर्युक्त व्याख्या के उपरान्त भी देव के काव्य विदेशन वा सर्वाग्रहण से पर्यवेक्षण करने पर इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता ऐ देव को रस के प्रति अत्यन्त प्रबल आपह था और उन्होंने ध्वनि का बहिष्कार ही किया है। उन्होंने

काव्य के सभी अङ्गों का—यहा तक कि पिंगल का भी धृतिक्चित् विस्तार से विवेचन किया है, परन्तु ध्वनि का उल्लेख मात्र भी नहीं किया। धास्तव में देव हृदय की रागात्मक अनुभूतियों को ही काव्य का सर्वस्व मानते थे, अतएव उन्हें स्वभावोचित और अभिधा से ही ममता थी—ध्वन्जना को पहेली बुझीबल मानने की मूड़ना तो उन्होंने नहीं की, परन्तु उनकी रस योजना में उसका स्थान गौण ही है।

स्थान गोण ही है। सस्कृत में ध्वनि के समर्थ प्रवक्ता मम्मट ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए रस आदि का असलक्षणम् ध्वनि के ग्रन्तर्गत वर्णन करने की परिमानते हुए, जिसका पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अनुसरण किया। परन्तु पाटी चला दी थी, जिसका पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अनुसरण किया। परन्तु विश्वनाथ ने रस को अग्री घोषित करते हुए मम्मट को पढ़ति में सशोधन किया। उहोंने रस का स्वतन्त्र विवेचन करते हुए ध्वनि की एक पृथक् परिच्छेदित व्याख्या की। रीतिकालीन आचार्यों ने रस और ध्वनि के सम्बन्ध में प्राप्त विश्वनाथ का ही मार्ग प्रहण किया है।

विश्वनाथ का ही मार्ग प्रहण किया है। इस युग के तीर सण्ड किये जा सकते हैं—भारतेन्दु काल, द्विवेदी-काल, वतमान काल। इनमें से भारतेन्दु काल प्रयोग काल था, उसमें मुर्यत गद्य की रूपरेखा का निर्माण हुआ। कविता के प्रति दृष्टिकोण भी बदलना आरम्भ हो गया था और वह कभी पीछे भवित्युग की ओर देखती हुई और कभी आगे जीवन की वास्तविकताएँ पर दृष्टि डालती हुई अपने नूतन पथ का निर्माण कर रही थी। यह दृष्टिकोण द्विवेदी काल तक आते आते स्थिर हो गया। हिन्दी कविता ने अपना मार्ग चुन लिया था—उसने जीवन की वास्तविकता को प्रपना सबेद्य मान लिया था। घ्यवहार रूप में हिन्दी के किसी युग में ध्वनि का इतना तिरस्कार नहीं हुआ। इस दृष्टि से यह ध्वनि के चरम पराभव वा समय था। इस काल सण्ड की कविता शेनी को आचार्य शुक्ल न इसीलिए इतिहृत कहा है। इतिहृत शेनी ध्वनि का एकात् विपरीत रूप है। घ्यञ्जना वा वंपरीत्य इति-

द्विवेदी युग की वित्ता और आलोचना में एक विचित्र व्यवधान मिलता है। वित्ता में जहाँ नये युग की इतिवृत्तात्मकता और गद्यमयता है, वहाँ काव्य सिद्धांतों में प्रायः परम्परा वा ही प्रबन्ध प्राप्त है। इस युग के प्रतिक्रिया आनोखों में मिथ्रवन्धु—प० कृष्णपिहारो मिथ्र सहित, ला० भगवान्-

दीन तथा पं० पर्यासिंह शर्मा का नाम उल्लेख है । इनमें मिथुनधुश्रो के काव्य-सिद्धान्तों की परिधि व्यापक है—उनमें पूर्व और पश्चिम के सिद्धान्तों का मिश्रण है । प० कृष्णविहारी मिथ की दृष्टि अधिक स्थिर है, उन्होंने भारतीय काव्य सिद्धान्तों को अधिक स्वच्छ रूप में प्राप्त किया है और स्थान-स्थान पर रस, अलकार, घटनि आदि की चर्चा की है । परन्तु सब मिलाकर ये रसवादी ही है—कृष्णविहारी जो की रस-दृष्टि विहारी और केशव के काव्यों की अपेक्षा देव, मतिराम और देवी प्रवीन के सरस काव्यों में ही अधिक रमी है । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में रस-सिद्धान्त की मान्यता घोषित की है ।

“बास्तव में रसात्मक काव्य ही सत्काव्य है ।”

“रसात्मक वाक्य में बड़ी ही सुन्दर कविता का प्रादुर्भाव होता है । नोरस एवं अलकार-प्रधान कविता में बहुत थोड़ी रमणीयता पाई जाती है । शब्द-चित्र से पूर्ण वाक्य तो केवल कहने भर को कविता के अन्तर्गत मान लिया गया है ।”

“रमणीय वह है जिसमें चित्त रमण करे—जो चित्त को अपने श्वास में लगा ले । रमणीयता आनन्द की उत्पत्ति करती है । कविता की रमणीयता से जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह लोकोत्तर है ।”

“कविता कई प्रयोजनों से की जाती है । एक प्रयोजन आनन्द भी माना गया है । यह आनन्द लोकोत्तर होता है । कविता को छोड़ अन्यथा इस आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । यों तो भूत-मात्र की उत्पत्ति आनन्द से है, जीवन की स्थिति भी आनन्द से ही है तथा उसकी प्रशंसा और नितय भी आनन्द में ही है, फिर भी कविता का आनन्द निराला है । आत्मा के आनन्द का प्रवादा कला द्वारा ही होता है ।”

“कविता में सौन्दर्य की उपासना है । सौन्दर्य से आनन्द को प्राप्ति है । कविता के लिए रमणीयता परमावश्यक है । आनन्द के अभाव में रमणीयता का प्रादुर्भाव बहुत कठिन है । तो कविता के सभी प्रयोजनों में आनन्द का ही बोलबाला है ।”

(मतिराम-प्रन्यावती की भूमिका)

ला० भगवानदीन के दृष्ट कवि थे केशव । निदान उनकी प्रवृत्ति अलकार-वाद को ओर ही थी, उधर विहारी थी कविता को उत्तम काव्य वा आदर्श भानने वाले पं० पर्यासिंह शर्मा का उभान स्वभावत घटनि भान्नार की ओर

अधिक था। इन आलोचकों ने सिद्धात-विवेचन विशेष रूप से नहीं किया है अलोच्य काव्य की व्याख्या में ही प्रसगवश सिद्धात्-कथन मात्र किया है। किर भी लाला जी अपनी अलकार प्रियता के कारण अलकारवादियों की श्रेणी में और शर्मा जी व्यञ्जन चमत्कार के प्रति आग्रह तथा काइयांपन और बांकपन के हासी होने के कारण ध्वनि सम्प्रदाय के अन्तगत आते हैं। शर्मा जी ने स्थान-स्थान पर विहारी के दोहों के ध्वनि सौन्दर्य पर बल दिया है—

१ “इस प्रकार के स्थलों में (जहां विहारी पर पूबवर्ती महाकवियों की छापा है) ऐसा कोई अवसर नहीं जहां इन्होंने ‘बात में बात’ पेंदा न कर दी हो” (विहारी की सतसई पृ० २५)

कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ‘बात में बात’ पेंदा करना आनंद वधन का ‘रम्य स्फुरित (ध्वन्यातोक ४१६) का ही अनुवाद है जिसमें वे यह घोषणा करते हैं कि ‘जिस कविता में सहृदय भावुक को यह सूख पड़ कि हाँ इसमें कुछ नूतन चमत्कार है (जो सबथा ध्वनि आभित ही होगा), किर उस में पूर्य कवि की छापा ही बयो न भलकती हो तो भी कोई हानि नहीं।’

२ “‘विहारीलाल’ पद यहा बड़ा ध्वनि पूण ह।” (पृ० ६७)

३ “इनके इस बणेन में (विरह बणेन में) एक निराला बाकपन ह कुछ

विशेष बक्तव्य है, व्यञ्जन का प्रावल्प है।” (पृ० १६०)

४ “कविता को तरह और भी युछ चीजें ऐसी हैं जहां बक्तव्य (बाकपन, बकई) ही कदर और कीमत पातो हैं। विहारी ने कहा है—

‘गढ़ रचना बहुनी अलक चितवनि भौंह कमान।  
आपु वर्कई ही व (च) दै तरुनि तुरगमि तानि !!’

(पृ० २१६)

और सिद्धात् रूप में—

“मुक्तक में ग्रलोकिता लाने के लिए कवि को अभिधा से बहुत कम और ध्वनि, व्यञ्जना से अधिक काम लेना पड़ता है। यही उसके चमत्कार का मुख्य हेतु है। इस प्रकार के इस ध्वनिवादी काव्य के निर्माता ही आस्तव में ‘महाकवि’ पद के समुचित अधिकारी हैं।”

आचाय रामचान्द्र शुद्ध भी इन्होंने के सम-सामयिक थे—परन्तु सिद्धात्-विवेचन की दृष्टि से वे अपने समय से बहुत प्राचे थे। आस्तव में वे श्री मंसितीशरण गुप्त की भाँति द्विवेदी युग और परंमान युग के सामस्यत पर-

खडे हुए थे। उन्होंने भारत के प्राचीन काव्य-शास्त्र और पूरोप के नवीन आलोचना-सिद्धान्तों का सम्पूर्ण अध्ययन कर दोनों का साधु समन्वय करने का सफल प्रयत्न किया। मौलिक सिद्धान्त विवेचन ही दृष्टि से प्राचीन आचार्यों की थेणी में केवल उन्हें ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है। भारतीय काव्य-शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय शुक्लजी की मर्मभेदी दृष्टि की परिधि में आये और उन्होंने अपनी अनुभूति और विवेक के प्रकाश में उनका परीक्षण किया। ध्वनि की महत्ता से वे परिचित थे—कुल मिलाकर ध्वनि सिद्धान्त का आधार इतना पुष्ट है कि शुक्ल जी जैसे प्रोढ विचारक उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते थे? परन्तु फिर भी वे ध्वनिवादियों की थेणी में नहीं आते। ध्वनि [व्यञ्जना] के विषय में उनका मन्तव्य इस प्रकार है—

‘व्यञ्जना के सम्बन्ध में कुछ विचार करने की आवश्यकता है। व्यञ्जना दो प्रकार की मानी गई है—वस्तु-व्यञ्जना और भाव-व्यञ्जना। किसी तथ्य या वृत्त की व्यञ्जना वस्तु-व्यञ्जना कहलाती है और किसी भाव की व्यञ्जना भाव-व्यञ्जना। (भाव की व्यञ्जना ही जब रस के सब अवयवों के सहित होती है तब रस व्यञ्जना कहलाती है)। यदि थोड़ा ध्यान देकर विचार किया जाय तो दोनों भिन्न प्रकार की वृत्तिया छहरती है। वस्तु-व्यञ्जना किसी तथ्य या वृत्त का बोध कराती है, पर भाव-व्यञ्जना जिस रूप में मानी गई है उस रूप में किसी भाव का सचार करती है उसकी अनुभूति उत्पन्न करती है। बोध या ज्ञान कराना एक बात है और कोई भाव जगाना दूसरी बात। दोनों भिन्न वोटि की क्रियाएँ हैं। पर साहित्य के ग्रन्थों में दोनों में केवल इतना ही भेद स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्यार्थ से व्यञ्जनार्थ पर आने वा पूर्वापर त्रम थोटा या पाठक को लक्षित नहीं होता। पर बात इतनी ही नहीं जान पड़ती। रति, श्रोथ श्रादि भावों का अनुभव करना एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाना नहीं है, अत किसी भाव की अनुभूति वो व्यञ्जनार्थ कहना बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता। यदि व्यञ्जन वोई अर्थ होगा तो वस्तु या तथ्य ही होगा और इस रूप म होगा कि अमूल प्रेम कर रहा है, अमूल श्रोथ कर रहा है। पर केवल इस बात का ज्ञान करना कि अमूल श्रोथ या प्रेम कर रहा है स्वयं श्रोथ या रति-भाव वा रमात्मक अनुभव करना नहीं है। रस-व्यञ्जना व्यञ्जना से सर्वथा भिन्न वोटि भी वृत्ति है।

रस-व्यञ्जना की इसी भिन्नता या विशिष्टता के बल पर “ध्वनि-

"विवेक" कार महिम भट्ट का सामना किया गया था जिनका कहना था कि "व्यञ्जना" अनुमान से भिन्न कोई वस्तु नहीं। विचार करन पर वस्तु-व्यञ्जना के सम्बन्ध में भट्ट जी का पक्ष ठीक ठहरता है। व्यञ्जन वस्तु या तथ्य तक हम वास्तव म अनुमान द्वारा ही पहुँचते हैं। पर रस-व्यञ्जना लेकर जहा वे चले हैं वहा उनके मार्ग में बाधा पड़ी है। अनुमान द्वारा वेधड़क इस प्रकार के ज्ञान तक पहुँच कर कि 'अमृक के मन मे प्रेम है' उन्हे फिर इस ज्ञान को 'आत्माद-पदवी' तक पहुँचाना पड़ा है। इस 'आत्माद-पदवी' तक रत्यादि का ज्ञान विस प्रक्रिया से पहुँचता है, यह सवाल ज्यो का त्यो रह जाता है। अत इस विषय को स्पष्ट कर लेना चाहिए। या तो हम भाव या तथ्य के सम्बन्ध में 'व्यञ्जना' शब्द का प्रयोग न करें, अथवा वस्तु या तथ्य के सम्बन्ध में।

इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :

इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है  
 १. शुब्द जो भाव-व्यञ्जना (रस-व्यञ्जना) और वस्तु व्यञ्जना को  
 दो भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ मानते हैं।

दो भिन्न प्रकार की वृत्तिया मानत है।  
२. इन दोनों में प्रकार का ही अन्तर है 'लक्ष्यनम्' की माना का महों।

३. भाव का बोध कराना और अनुभूति कराना दो अलग-अलग बातें हैं, और, किसी भाव का बोध कराना या किसी वस्तु का बोध कराना एक ही बात है।

४. वस्तु और भाव दोनों के सम्बन्ध में ध्यञ्जना शब्द का प्रयोग भास्मक है। वस्तु-ध्यञ्जना के सम्बन्ध में शुक्ल जी महिम भट्ट की "अनुमिति" को ठीक मानने के लिए तैयार है।

को ठीक भानते के लिए तैयार है। जहाँ तक मे समझता हूँ आचार्य शुवल का अभिप्राय यह है कि वस्तु-व्यञ्जना में काव्यत्व नहीं होता, परन्तु वह भाव-व्यञ्जना की सहायक अवश्य है। इसी प्रसंग में अन्यथा उन्होंने लिखा है कि वस्तु-व्यञ्जना से अभिप्राय वास्तव में 'उपरन्त अर्थ' का है [जो व्यञ्जना की सहायता से उपरन्त होता है] और इसे वे काव्य न भानते हुए 'काव्य को धारण करने वाला सत्य मानते हैं।' (चितामणि भाग २, पृष्ठ १६०)। काव्यत्व के विषय में ये निर्भान्ति रसवादी है। व्यञ्जना उन्हें यहा तक मान्य है जहाँ तक उसका 'सम्बन्ध किसी न विसी प्रकार भाव से अवश्य हो। उन्होंने 'काव्य में रहस्य भाव' में स्पष्ट लिखा है:

हमार यहां के पुरान ध्वनिवादिया के समान आधुनिक 'व्यञ्जनावादी' भी भाव-व्यञ्जना और वस्तु-व्यञ्जना दाना में काव्यतत्व मानते हैं। उन्होंने निषट अनुठ दग में दूर्द व्यञ्जना भी काव्य ही है। इस सम्बन्ध में हमारा यही वक्तव्य है कि अनूठी स अनूठी उकिन काव्य तभी हो सकती है जबकि उसका सम्बन्ध—युद्ध दूर का सही—हृदय के किंगी भाव या वृत्ति न होगा। मान त्रीजिय कि अनूठे भाष्यकार स वक्तिन विगी लक्षणा पूर्ण उकिन में सौन्दर्य का यथान है। उम उकिन में चाहे गाई भाव सीपें-मीपें व्याप्त न हो पर उसकी तह में सौन्दर्य का एक अनूठ दग में रहन की प्ररणा वस्तु याता रहि भाव या प्रम लिया हुआ है। जिस यस्तु की गुदरता का वर्णन में हम प्रकृत शंग वह हमारे रहि भाव का आत्मवन होगी। आत्मवन मात्र का यथा भी रसायन मात्रा जाता है और वास्तव में होता है।

॥ चित्राभिर ॥ ३३ ॥

वहा व्यावहारिक आधार हिन्दी काव्य को ही माना है। इसलिए उनका विवेचन अधिक स्पष्ट और ग्राह्य हो सका है। मिश्र जी ने हिन्दी काव्य से उदाहरण हूँढने में अद्भुत सूझ का परिचय दिया है। साथ ही आधुनिक सिद्धातों से भी उनका अच्छा परिचय है, और उनके आधय से वे अपने विवेचन को यत्किञ्चित् आधुनिक रूप भी दे सके हैं। विशुद्ध ध्वनिवादियों की परम्परा में मुर्यत, हिन्दी के ये दो विद्वान् ही आते हैं। ये लोग हैं कहुर ध्वनिवादी—इन्होंने रस को स्वतंत्र न मान कर ध्वनि के अन्तर्गत ही माना है और असलकपरम व्यञ्जन के प्रपञ्च रूप में ही उसका वर्णन किया है।

द्विवेदी युग के इतिवृत्त काव्य की भीषण प्रतिक्रिया रूप छायावाद का जन्म हुआ। द्विवेदी-कविता की इतिवृत्त शंखो के विपरीत छायावाद की शंखो अतिशय व्यजनापूर्ण है। द्विवेदी युग का कवि जहा व्यञ्जना के रहस्य-सौन्दर्य से अपरिचित रहा, वहा छायावाद में लक्षणा-व्यञ्जना का आवर्णण इतना अधिक बढ़ गया कि अभिधा की एक प्रकार से उपेक्षा हो गई। छायावाद के प्रबत्तक प्रसाद ने छायावाद के व्युत्पत्ति-अर्थ के मूल में ही व्यञ्जना का आधार माना। जिस प्रकार भोटी में वास्तविक सौन्दर्य उसकी छापा है, जो दाने की सारभूत छवि के रूप में पृथक् ही भलकती है, इसी प्रकार काव्य में वास्तविक सौन्दर्य उसकी ध्वनि में पृथक् ही भलकती है व्यञ्जित होती है। इसकी प्रेरणा प्रसाद जी है जो शब्दों के वाच्यार्थ से पृथक् ही व्यञ्जित होती है। आनन्दवर्धन ने ऐसी स्पष्टत, स्फूर्त के ध्वनिवादी आवायों से ही प्राप्त की है। आनन्दवर्धन ने ध्वनि को अङ्गना-शरीर में लावण्य के सदृश कहा है। वाद में सावण्य की परिभाषा इस प्रकार की गई:

मुक्ताफलेपु यच्छ्रायायारत्तरलत्यमिवान्तरा ।

संलद्यते यद्ग्नेपु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥

मोतियों में काति की तरलता (पानी) की तरह जो वस्तु अङ्गों के अन्दर दिलाई देती है उसे लावण्य कहा जाता है।

इसी रहस्य को और स्पष्ट करते हुए कवि पन्त ने पल्लव की भूमिका में लिखा:

“कविता के लिए चित्रभाया वी आवश्यकता पड़ती है, उसके दाव्य रास्तर होने चाहिए, जो घोलते हो, सेव की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर भलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में शासों के सामने चिह्नित कर सकें, जो भक्तार में चित्र, चित्र में भक्तार हो..... । × × ×

कविता में शब्द तथा अर्थ की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती, वे दोनों भाव की अभिव्यक्ति में ढूब जाते हैं। किसी के कुशल करों का मायाव स्पर्श उनकी निर्जीवता में जीवन फूक देता, वे अहल्या की तरह शाप-मुक्त हैं जग उठते, हम उन्हे पायाएँ खड़ो का समुदाय न वह ताजमहल कहने लगते वाक्य न वह काव्य कहने लगते हैं।"

इसी प्रसाग में उन्होंने पर्याय शब्दों के व्यञ्जनार्थ-भेद को भी बढ़ा हैं मामिक व्याख्या की है 'भिन्न भिन्न पर्यायबाची शब्द, प्राय समीत भेद वे कारण, एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जैसे, भ्रू रे नोध वी बत्ता, भृकुटि से कटाक्ष वी चञ्चलता, भौंहों से स्थाभाविक प्रसन्नता अज्ञुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही हिलोर में उठान, लहर रे सलिल के वक्ष स्थल का कोमल कम्पन, तरङ्ग में लहरों के समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठकर गिर पड़ना, बढ़ो-बढ़ो वहन का शब्द मिलता है, बीचि रे जैसे किरणों में चमकती, हवा के पलने में हौले हौले भूलती हुई हँसमुख लहरियों का, ऊँचि से भपुर-मुखरित हिलोल-बल्लोल से ऊँचौ-ऊँची याहे उठाती हुई उत्पातपूर्ण तरङ्गों का आभास मिलता है।'

उपर्युक्त विवेचन 'पिनाकिन' और 'कपालिन' के व्यञ्यर्थ-भेद-विवेचन का नवीन कलात्मक सम्बरण मात्र है।

इधर श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी छायावाद की अभिव्यक्ति में व्यञ्जना के महत्व पर प्रकाश डाला है "व्यापक अर्थ में तो यह वहा जा सकता है कि प्रत्येक सौदर्य या प्रत्येक सामजस्य की अनुभूति भी रहस्यानुभूति है।"

(महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य पृ० २६)

" इस प्रसार की अभिव्यक्ति में भाव इप चाहता है, अत दीनी का कुछ सबेतमयी हो जाना सहज सम्भव है। इसके अतिरिक्त हमारे पहा तत्त्वचित्तन वा बहुत विकास हो जाने के कारण जीवन रहस्यों को इष्ट करने के लिए एक सरेतात्मक दीनी बहुत पहले बन चुकी थी। अहप दर्शन से लेकर रूपात्मक काव्यवसा तक सबने ऐसी दीनी का प्रयोग किया है जो परिचित के माध्यम से अपरिचित और स्थूल के माध्यम से मूलम तक पहुंचा सके।"

(म० का वि० ग० पृ० ६२)

छायावाद से आगे बी नयों प्रयोगवादी कविता में व्यञ्जना वा आधार और भी घनिश्यम हो गया है। प्रयोगवादी कवि ने जब शब्द में साधारण अर्थ

से अधिक अर्थ भरना चाहा तो स्वभावत ही उसे ध्यजना का आश्रय लेना पड़ा। बास्तव में इस नदी कविता की भाषा अत्यधिक साकेतिक तथा प्रतीकात्मक है। यहा शब्द में इतना अधिक अर्थ भरने का प्रयत्न किया गया है कि उसकी ध्यजना शक्ति जगाव दे जाती है—यह ध्यजना के साथ बलात्कार है। हिन्दी में ध्वनि-सिद्धात वे विकास सूत्र का यही संक्षिप्त इतिहास है।

## उपसंहार

### ध्वनि सिद्धांत की परीक्षा

अत में, उपसंहार एप में, ध्वनि-सिद्धात का एक सामान्य परीक्षण और आवश्यक है। वया ध्वनि-सिद्धात सर्वया निर्भ्रांत और काव्य दा एक मान स्त्रोशायं सिद्धात है? वया वह रस-सिद्धात से भी अधिक मान्य है? इस प्रश्न का दूसरा एप यह है काव्य की आत्मा ध्वनि है अथवा रस? जैसा कि प्रतग ने इहा गया है अतोगत्वा रस और ध्वनि में बोई अतर नहीं रह गया था। यो तो आनन्दव्यञ्चन ने ऐसी रस को ध्वनि का अविवायं तत्त्व माना था, पर अभिनव ने इसदो और भी स्पष्ट करते हुए रस और ध्वनि सिद्धातों को एक-एक पर दिया। फिर भी इन दोनों में सूक्ष्म अतर न हो यह बान नहीं है—इस अतर की चेतना अभिनव के उपरात भी निस्सदैह बनी रही। विद्यनाथ दा रस-प्रतिपादन और उसदे उपरात पद्मितराज जगन्नाथ द्वारा उत्तरी आत्मोद्यना तथा ध्वनि का पुनर्स्पायन इस सूक्ष्म अतर के अस्तित्व दा साक्षो है। जहाँ तर दोनों के महाय का प्रश्न है, उसमें सदैह नहीं रिया जा सकता। ध्वनि रस के किना काव्य नहीं बन सकती, और रस ध्वनि हए बिजा वेवस क्षयित होपर दात्य नहीं हो सकता। काव्य में ध्वनि को भगव रमारीप होना पड़ेगा, और रस को ध्वनि होना पड़ेगा। 'सूर्य दरम हो गया' से एक धृति पड़ेगा, विषय वास यद बरो—परन्तु ध्वनि को विषय ग्राहित्य यह निश्चनी है कि वय वास यद बरो—परन्तु ध्वनि को विषय ग्राहित्य होने पर भी रस के अभाव में यह काव्य नहीं है। इसी प्रवार दुष्यन दुष्यन दा से प्रेम बरता है यह वायर रम दा वयन बरने पर भी ध्वनि में अभाव में दात्य नहीं है। अतएव दोनों की अनियायना ग्राहित्य है परन्तु प्रश्न सारेति दात्य दा है। विषय और तन्द दोनों दा ही महाय है, परन्तु निर भी तात्पर, तात्पर ही है। रस और ध्वनि में तन्द दा का अधिकारी कौन है? इसका उत्तर विश्वित है—रस। या और धृति दोनों में रग ही अद्वित भृत्यदूर

है—उसी के कारण ध्वनि में रमणीयता आती है। पर इसको व्यापक अर्थ में प्रहण करना चाहिए। रस को मलत परम्परागत सदीण विभावानभाव-ध्यभिचारी द्वे सयोग से निष्पन्न रस के अथ में प्रहण करना सामान नहीं। रस के अत्यगत समस्त भाव-विभूति अथवा अनुभूति-वैभव आ जाता है। अनुभूति की वाहक (व्यजक) वन वर ही ध्वनि में रमणीयता आती है, अन्यथा वह वाक्य नहीं बन सकती। अनुभूति ही सहृदय के मन में अनुभूति जगाती है। ही कवि की अनुभूति को सहृदय के शानस तक प्रेपित करने के लिए कल्पना का प्रयोग अनिवार्य है—उसी के द्वारा अनुभूति का प्रेपण सम्भव है। और कल्पना द्वारा अनुभूति का प्रेपण ही तो शास्त्रीय शब्दावली में उसकी व्यञ्जना या व्यन्त है। इस प्रकार रस और ध्वनि का प्रतिद्वंद्व अनुभूति और कल्पना का ही प्रतिद्वंद्व ठहरता है। और, अत में जाकर यह निश्चय करना रह जाता है कि इन दोनों में से काव्य के लिए कौन अधिक महत्वपूर्ण है? यह निर्णय नी अधिक कठिन नहीं है—अनुभूति और कल्पना में अनुभूति ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि काव्य पर सबैद्व वही है। कल्पना इस सबैद्व का अनिवार्य साधन अवश्य है, परन्तु सबैद्व नहीं है। इसीलिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आतोचक रिचर्ड्स ने प्रत्येक विविता को मूलत एक प्रकार की अनुभूति ही माना है। और वैसे भी 'रसा वै स' रस तो जीवन चेतना का प्राण है—काव्य के क्षेत्र में या आवश्यक उसको अपने पद से कौन स्फुट कर सकता है? ध्वनि सिद्धात का सब रो महत्वपूर्ण योग यह रहा कि उसने जीवन के प्रत्यक्ष रस और काव्य के भावित रस के बीच का अनर स्पष्ट कर दिया।

## यन्थकार

ध्वन्यालोक की रचना के विषय में सस्कृत के पण्डितों में तीव्र मतभेद है। ग्रन्थ के तीन अङ्ग हैं—कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। कारिका में सिद्धान्त का सूत्र हप में प्रतिपादन है, वृत्ति में कारिकाओं की व्याख्या है, और फिर उदाहरण है। उदाहरण प्राय सस्कृत के पूर्व-ध्वनिकालीन कवियों से दिए गये हैं पर अनेक स्वय आनन्दवर्धन के अपने भी हैं। जहाँ तक वृत्ति का सम्बन्ध है, यह निर्विवाद है कि उसके रचयिता आनन्दवर्धन ही थे। प्रश्न कारिकाओं की रचना का है। सस्कृत की प्रवलित परम्परा के अनुसार कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना आनन्दवर्धन ने ही की है। ध्वन्यालोक एक ही ग्रन्थ है और उसका एक ही रचयिता है। उत्तर ध्वनिकाल के प्राय सभी आचार्य आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार श्राव्योत् कारिका और वृत्ति दोनों का रचयिता मानते हैं। प्रतिहारेन्दुराज, कुतक, महिम भट्ट, क्षेमेन्द्र, ममट सभी के वाक्य इसके प्रमाण हैं। परन्तु शङ्कु का बीज अभिनवगुप्त के लोचन में है। कारिकाओं और वृत्ति की व्याख्या करते हुए अभिनव ने अनेक हप नों पर कारिकाकार और वृत्तिकार का पूर्यक-पूर्यक उत्तरेख किया है। इसके अतिरिक्त कारिकाकार के लिए मूलग्रन्थकृत् (कार) तथा वृत्तिकार के लिए ग्रन्थकृत् (कार) शब्द वा भी प्रयोग लोचन में मिलता है। अतएव डा० बुद्धर और उनके पड़चात् प्रो० जेकोची, प्रो० कीय और इधर डा० डे तथा प्रो० काणे का मत है कि कारिका-कार ग्रन्थित मल-ध्वनिकार और वृत्तिकार आनन्दवर्धन में भेद है। इस थेणी के पण्डितों का अनुमान है कि कारिकाकार का नाम सहृदय था—उसीके आधार पर अभिनव ने ध्वन्यालोक को कई हप नों पर सहृदयालोक भी लिया है। मुकुल श्रादि पुष्ट कवि-आचार्यों ने भी ध्वनिकार के लिए सहृदय शब्द वा प्रयोग रिया है। “तथाहि तत्र विविधरात्यपरता सहृदयं काव्यरत्नं निर्विता।” इसके अतिरिक्त प्रो० काणे ने प्रयम कारिका के ‘सहृदयमन् प्रीतये’ ग्रन्थ की वृत्ति में ‘सहृदयानामानदो मनमि लभना प्रतिष्ठाम्’ श्लोकों के आधार पर इस अनुमान को पुष्ट करने की चेष्टा की है। उनकी पारणा है कि आनन्द ने जान-यूक कर इतेष के आधार पर इस वृत्ति में अपने गुण मूल ध्वनिकार सहृदय और अपने नाम का समावेश किया है। परन्तु उधर दुनरे विसरोत डा० सहरन का मत है कि लोचन में अभिनवगुप्त ने देवत सप्तश्लोकों का अनुमान किया है।

उद्धरण के उद्देश्य से ही पारिकाकार और वृत्तिकार का पृथक् उल्लेख किया है। सस्कृत के अनेक आचार्यों ने कारिका और वृत्ति की शैली अपनाई है। हूँ रूप में सिद्धान्त-कारिका देकर वे स्वयं ही किर उसका वृत्ति द्वारा ध्याह्यान करते हैं—वामन, मम्मट आदि ने यही पद्धति प्राहण की है।

इसके अतिरिक्त स्वयं अभिनव ने ही अभिनव भारती में अनेक स्थलों पर दोनों का अभेद माना है। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सम आसपेक्टस आफ लिटरेरी शिटिसिज्म इन सस्कृत' में डा० सकरन ने अभिनव के उद्धरणों द्वारा ही इस भेद सिद्धान्त का लड़न किया है, और सस्कृत की परम्परा को ही माय घोषित किया है।

डा० गवरन का तक है कि यदि कारिकाकार वा ध्यजितत्व पृथक् या तो उनके लगभग एक शताब्दी पश्चात् युतक भहिमभृत तथा अभिनव के शिष्य क्षमेन्द्र को इस विषय में आन्ति के लिए अधिक अवकाश नहीं था। इसके अतिरिक्त यह वसे सम्भव हो सकता है कि स्वयं आनन्द ही उनसे परिचित न हो या उन्होंने जानधूँझ कर अपने गुरु पा नाम छिपाकर अपने को ही ध्वनिकार घोषित कर दिया हो। आनन्द ने स्पष्ट ही अपने को ध्वनि का प्रतिष्ठाता कहा है।

इति काव्यार्थपिवेको योऽय चेतश्चमत्कृतिविधायो ।  
मरिभिरनुसृतसारैरसमदप्त्वा न पिस्मार्य ॥

अथ — इस प्रकार चित्त को चमत्कृत बरने वाला जो काव्यार्थ पिवेक हमारे द्वारा प्रस्थापित किया गया वह सारप्राही विद्वानों द्वारा विस्मरण योग्य नहीं है।

यहाँ 'असमुपज्ञ — हमने उसकी प्रतिष्ठा की है' स्वयं व्यक्त है।  
इसके अतिरिक्त अन्तिम इलोक —

सत्त्वाव्यतत्त्वविषय ऋुरितप्रमुप्तकल्प मन मु परिपक्वविद्या यदासीत् ।  
तद्व्याकरोत्सद्योदयलाभेतोरानन्दवर्धन इति प्रविताभिवान ॥

अथ — काव्य (रचना) का तत्त्व और नीति का जो माग परिपक्व बुद्धि (सहृदय विद्वानों) के मनों में प्रमुप्त-सा (भव्यवत् स्वयं में) स्थित या, सहृदयों की अभिवृद्धि और लाभ के लिए, आनन्दवर्धन नामक (पटित ने) उमरों प्रकाशित किया।

इस प्रकार वो स्पष्टोर्विषया के रहने द्वाए भी यदि पारिकाकार वा

पृथक् अस्तित्व माना जाय तो यह दूसरे शब्दों में आनन्दवर्धन पर साहित्यिक चीज़ का अभियोग लगाना होगा—जो सर्वथा अनुचित है। अतएव यही निकार्य निकलता है कि आनन्दवर्धन ने ही कारिका और वृत्ति दोनों की रचना की है, और घब्घातोक एक ही प्रम्य है। जिन सहृदय-शिरोमणि आनन्दवर्धन ने पहली कारिका में प्रतिज्ञा की थी कि “तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्” अर्थात् इसनिए ग्रन्थ सहृदय-समाज की मनःप्रीति के लिए उसका स्वरूप बर्णन करते हैं, उन्होंने ही युति के अन्त में “तद्व्याकरोत्सहृदयोदय-साभेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः” अर्थात् उसका सहृदयों के उदय-नाम (व्युत्पत्तिविकास) के लिए आनन्दवर्धन ने व्याख्यान किया।

आनन्दवर्धन का समय-निर्धारण कठिन नहीं है। राजनराज्ञिणी में स्पष्ट लिखा है कि वे ग्रन्तिवर्मा के राजव के स्थानितव्य कथियों में से थे।

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविराजनन्दवर्धनः ।

प्रथां रत्नाकरश्चागत्साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ॥

अथन्तिवर्मा या वर्मन् काश्मीर के महाराज थे और उनका राज्यकाल सन् ८५५ ई० से ८८३ ई० तक था। दूसरे सूत्रों से भी इस निर्णय की पुष्टि लहज ही हो जाती है। उदाहरण के लिए एक और आनन्दवर्धन ने उद्भट का मत उद्भूत किया है, और दूसरी ओर राजशेषर ने आनन्दवर्धन का उद्भरण दिया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे उद्भूत के समय अर्थात् ८०० ई० के पश्चात् और राजशेषर के समय अर्थात् ६०० ई० के पूर्व हुए थे। अतएव आनन्दवर्धन का समय ६०० शताब्दी-ईसा का था सध्य भाग अर्थात् ८५० ई० के आसपास भाना जा सकता है। इनके विद्यम में और फौई उपरोक्त तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। देवीदातक इतोक संख्या १०१ से यह सबैत मिलता है कि इनके दिता का नाम जोए था; यस।

आनन्दवर्धन की प्रतिभा बहुमूली थी। वात्य-वास्त्र के अपूर्व मेयादी पात्रायं होने के अतिरिक्त वे कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने घन्यातोक के अनिरिक्त अमृनचरित, विष्मवाल्मीकी, देवीदातक तथा तत्त्वातोक आदि एव्यों को रचना हो है। इनमें भर्मनवर्ति और विष्मवाल्मीकी के अनेक संरक्षण-प्राप्त एवं व्यवारोर में उद्भूत है। देवीदातक में यमर, इन्द्र, विष्णु-व्याप्त धारि वा धम्यारार दिलाया गया है—इसमें स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने वित्र औ वात्य-येणी से बहिर्भूत एव्यों महों किया। तत्त्वातोक दर्शन-शाय है। अभिनव में सोधन में इन एव्यों का उल्लेख किया है।

## धन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय

धन्यालोक का प्रतिपाद्य मूलत ध्वनि सिद्धान्त है। आनन्दवधन ने इस सिद्धान्त का अत्यन्त साझोपाझ़ विवेचन करते हुए काव्य के एक सार्वभीम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। ध्वनि के विरुद्ध सम्भाव्य आपत्तियों का निराकरण करते हुए उन्होंने फिर 'प्रतीयमान' की स्थापना और 'वाच्य' से उसकी व्येष्ठता का निर्धारण किया है। इसके उपरान्त ध्वनिकाव्य की व्येणिया और ध्वनि के भेदों का वर्णन है। फिर ध्वनि की व्यापकता अर्थात् तद्वित, कृदन्त, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से लेकर महाकाव्य तक उसकी सत्ता का प्रदर्शन किया गया है। और, अन्त में काव्य के गुण, रीति, अलङ्कार सिद्धान्तों वा ध्वनि में समाहार किया गया है। यह तो हुआ धन्यालोक का मूल प्रतिपाद्य।

मूल प्रतिपाद्य के साथ-साथ प्रसङ्ग रूप से धन्यालोक में काव्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का भी विवेचन मिलता है—उदाहरण के लिए गुण, सघटना और अलङ्कार का रस के साथ सम्बन्ध। ध्वनिकार ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में गुण और रस का सहज सम्बन्ध माना है—कहण और शृङ्खार का माधुर्य से सहज सम्बन्ध है और रोद का ओज से। पर सघटना का गुण और रस के साथ अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है—साधारणत माधुर्य के लिए असमासा और ओज के लिए मध्यमसमासा या दीर्घसमासा सघटना अधिक उपयुक्त होती है, परन्तु यह कोई अटल नियम नहीं है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है—मध्यम या दीर्घसमासा सघटना के साथ भी माधुर्य गुण तथा शृङ्खार या कहण रस की स्थिति सम्भव है, और असमासा सघटना द्वारा भी ओज, गुण और रोद रस का परिपाक हो सकता है। यही बात अलङ्कारों के सम्बन्ध में भी है। अलङ्कारों को भी रस का सहकारी होना चाहिए—उनकी स्वतन्त्र स्थिति, जो रस में वापर हो, इतन्य नहीं है। शृङ्खार और कहण जैसे व्योमन रसों के लिए यमक आदि अनुकूल नहीं पड़ने, स्पष्ट पर्यायोक्त आदि व्यु उन्हें साथ सञ्ज्ञित अच्छी तरह से देंठ जाती हैं। आदि आदि।

आगे चतुर धन्यालोक में रस के परिपाक भी चर्चा है। रसों के विरोप और अविरोप का उल्लेख है। ध्वनिकार ने स्पष्ट लिखा है कि सार्वत्रि को रस के परिपाक पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। प्रतिभासाती इवि अपने काव्य में भिन्न-भिन्न रसों का समावेश करता हुआ एक मूल रस का सम्पूर्ण परिपाक बताता है। इसी प्रसङ्ग में आनन्द ने शामत रस भी रखने

## पचहत्तर

शब्दों में मान्यता दी है। शान्त का स्थायी है शम, जो सासारिक विषयों का नियंत्रण है। यह अपने आप में परम सुख है। अन्य भावों का आस्वाद इसकी तुलना में नगण्य है। यह ठीक है कि इसको सभी प्राप्त नहीं कर सकते, परन्तु इससे शात रस की अमान्यता सिद्ध नहीं होती।

अन्त में, चौथे उद्योग में प्रतिभा के अनन्त्य का वर्णन है। प्रतिभाशाली द्विद्वनि के द्वारा प्राचीन भाव, अव्य, उचित आदि को नृतन चमत्कार प्रदान कर सकता है। इस प्रदार अनक प्राचीन काव्यों के रहते हए भी काव्य-क्षेत्र असीम है। प्रतिभाशाली कवियों में भाव साम्य या उचित साम्य का पाया जाना कोई दोष नहीं है। यह साम्य तीन प्रकार का होता है विम्बवत्, चित्रवत् और देहवत्। इनमें विम्ब और चित्र साम्य स्पृहपूरीय नहीं है, परन्तु देह साम्य में कोई दोष नहीं है, वह प्रतिभा का उपकार ही करता है।



श्रीमदानन्दर्धनाचार्यप्रणीतो

## ध्वन्यालोकः



श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिमिरचितया

आलोकदीपिकाख्यया हिन्दीव्याख्यया

विभूषितः



# अथ श्रीमद्भानन्दवर्धनाचार्यप्रणीतो चक्रलिपेभिरः

—३०८—

## प्रथम उद्योतः

---

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छ्रस्वच्छ्रायायासितेन्दवः ।  
श्रायन्तां घो मधुरिपोः प्रपनातिंच्छिदो नखाः ॥

---

अथ श्रीमदाचार्यदिश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता  
‘आतोकदीपिका’ हिन्दीव्याख्या

उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पति हृयताम् ।  
सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिष्ठ ॥ अथर्वेद ॥  
ध्यन्यमान गुणीभूतस्वरूपाद् विश्वरूपकात् ।  
रसरूपं पर ब्रह्म शाश्वतं समुपास्महे ॥  
ध्यायं ध्यायं निगमविदितं विश्वरूपं परेण,  
स्मारं स्मारं चरणयुगलं श्रीगुरोस्तत्वदीपम् ।  
आवं आवं ध्वनिनवनयं वर्धनोपज्ञमेत,  
धन्यालोकं विवृतिविशदं भाषया सन्तनोमि ॥

समस्त शुभ कार्यों के प्रारम्भ में भगवान् का स्मरण, मार्ग में आने वाली वाचाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए ग्रन्थारम्भ जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रारम्भ में भी उसकी निर्विज्ञ परिसमाप्ति की भावना से भगवान् के स्मरण रूप मंगलाचरण की परिपाठी सदाचारप्राप्त रही है। यद्यपि भगवान् का स्मरण मानसिक व्यापार है, परन्तु ग्रन्थकार जिस रूप में भगवान् का स्मरण करता है उसको शिष्यों की शिक्षा के लिए ग्रन्थ के आरम्भ में अंकित

कर देने की प्रथा भी सस्कृत साहित्य की एक सदाचारप्राप्ति परिपाठी है। इसलिए सस्कृत के ग्रन्थों में प्रायः सर्वत्र म गलाचरण पाया जाता है।

ध्यन्यालोककार श्री आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने प्रारीपित ग्रन्थ की निर्विध समाप्ति और उसके मार्ग में आने वाले विष्णों परं पित्रिय प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद, नमस्तिरुद्योग तथा वस्तुनिर्देश रूप निर्विध मगल प्रसारों में से आशीर्वचन रूप मगलाचरण करते हुए नरसिंहायतार के प्रभन्नार्तिव्यौद्धक नखों का स्मरण किया है।

स्वयं अपनी हृच्छा से सिह [ नृसिंह ] रूप धारण किए हुए [ मधुरिषु ] विष्णु भगवान् के, अपनी निर्मल कान्ति से चन्द्रमा को लिव [ लज्जित ] करने वाले शरणागतों के दुर्घटनाशन में समर्थ नर, तुम सब [ व्याख्याता तथा श्रोता ] की रक्षा करो।

विद्वानों के नाश और उन पर विजय प्राप्ति के लिए वीररस के स्थायीभाव उत्साह की विशेष उपयोगिता की हृषि से ही ग्रन्थकार ने अपने इष्ट देव के वीरत्साभिव्यजक स्परूप का स्मरण किया है।

रत्नपत्ती के टीकाकार श्री नारायण दत्तानेय के मतानुसार इस प्रकार के अवसरों पर ‘त्यदादीनि सर्वे नित्यम्’ अप्या० १,२, ७२ इस सूत्र तथा उसके अन्तर्गत ‘त्यदादीना मिथ् सहोक्तौ यत्तर तच्छ्रुप्यते’ इत्यादि वार्तिक अथवा ‘पूर्वशेषोऽपि दृश्यते’ इत्यादि भाष्य के आधार पर एकशेष मानवर ‘व’, पद हम, तुम, सरका, इस अर्थ का वाचक भी हो सकता है और उस दशा में ग्रन्थकर्ता, व्याख्याता और श्रोता आदि सभका ग्रहण इस ‘व’ पद से किया जा सकता है। परन्तु लोचनसार ने इस एकशेष प्रक्रिया को अपलब्धन न करके ‘व’ का सीरा ‘युध्मान्’ अर्थ करना ही ठीक समझ है। और इस प्रकार स्वयं ग्रन्थकार को इस आशीर्वचन से अलग कर दिया है। इसका बारण बताते हुए उन्होंने “स्वयम् युच्छुल्लभमेश्वरनमस्वारसमर्तिचरितार्थोऽपि याख्यातुशोतुणामविजेना॒ भीष्माख्याख्याश्रवण्णलक्षणप्रलसम्पत्तये समुचिताशी॑ प्रकटनद्वारेण परमेश्वरमामुर्त॑ करोति वृत्तिकार द्वेच्छेति ।” लिखा है। अर्थात् मगलाचरणकार स्वयं तो निरन्तर द्वेष्वर नमस्कार बरते हुने के बारण कृतार्थ ही हैं, अतः व्याख्याता और श्रोताओं के लिए ही आशीर्वद्वारा हस्ता ही प्रार्थना की है। ‘सोनेन’ की ऊपर उद्धृत वी हृदै पत्तियों में “वृत्तिकार” शब्द वे प्रयोग से यह भी प्रतीत होता है कि यह मंगलाचरण का श्लोक कारिका ग्रन्थ का नहीं अपितु वृत्तिग्रन्थ का भाग है। इसी

काव्यस्यात्मा धनिरिति बुधैर्यः समान्नातपूर्व-  
स्तस्याभावं जगदुपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।  
केचिद् वाचां स्थितमनिष्टे तत्त्वमूचुस्तदीयं  
तेन ब्रूमः सहदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् ॥ १ ॥

द्युधै. काव्यतत्त्वविद्धि, काव्यस्यात्मा धनिरिति सज्जित,

लिए इसे ऊपर कारिता की सख्ता १ अकित नहीं की गई है। इससे आगला श्लोक कारिता भाग का प्रथम श्लोक है अतएव उस पर कारिता सख्ता १ दी गई है। इस प्रकार इस प्रथम वे कारिता भाग तथा वृत्तिभाग का भेद यहीं से स्पष्ट हो जाता है। परन्तु उन दोनों भागों के रचयिता एक ही हैं अथवा अलग-अलग इस विषय में मतभेद है। प्राचीनविद्वान् दोनों भागों का रचयिता श्री आनन्दवर्धनाचार्य को ही मानते हैं। इसलिए कारिता भाग के प्रारम्भ में अलग आनन्दवर्धनाचार्य को ही मानते हैं। परन्तु इससे कारिता वार तथा वृत्तिभाग के इस मगल श्लोक की जो कि मूल प्रथम के नाम देना चाहिए, मूल कारिता के पूर्व रखा गया है। परन्तु इससे कारिता वार तथा वृत्तिभाग की एकता निश्चिन रूप से सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि उदयनाचार्य की न्याय कुमुमाजलि की हरिदासीय टीका में भी टीका का मगलश्लोक मूल के पूर्व दिया है।

श्रोताओं के मन को प्रवृत्त विषय में एकाग्र करने के लिए सून्य के प्रति-पाद्य विषय और उसके प्रयोजन का प्रतिपादन करते हुए प्रथमकार ग्रथ का आरम्भ इस प्रकार करते हैं—

काव्य के आत्मभूत निस तत्त्व को विद्वान् लोग ध्यनि नाम से कहते आए हैं, कुछ लोग उसका अभाव मानते हैं। दूसरे लोग उसे भाक्त [ गौण, लद्धणगम्य ] कहते हैं और कुछ लोग उसके रहस्य को वाणी का अविषय [ अरण्णनीय, अनिर्वचनीय ] यत्त्वाते हैं। अतपूर्व [ ध्यनि के विषय में इन नाम विप्रतिपत्तियों के होने के कारण उनका निराकरण कर ध्यनि स्थापना द्वारा ] सदृदयों [ काव्य मर्मन जनों ] की मन की प्रसन्नता [ हृदयाङ्काद ] के लिए हम उम [ ध्यनि ] के स्वरूप का निष्पत्ति करते हैं।

बुध अर्थात् काव्य मर्मनों न काव्य के आत्मभूत निम्न तत्त्व को ध्यनि यह नाम दिया और [ इसके पूर्व इसी विरोध पुस्तक आदि में निरेश स्तिष्ठिता भी ] परम्परा में निम्नों पार पार प्रकाशित किया है। भला प्रकार विराद स्तप्त मध्यनक पार प्रकार किया है, महद्य ( काव्य मर्मन ) जनों के

परम्परया यः समाम्नातपूर्वे<sup>१</sup> सम्यक् आसमन्ताद्, म्नातः प्रकटितः, तस्य सहृदयजनमनः रकाशमानस्याभ्यभावमन्ये जगदुः। तदभाववादिना चामी विमल्ल्पाः सम्भवन्ति ।

तत्र केचिदाचक्षीरन्, शब्दार्थशरीरन्तावत् काव्यम् । तत्र

मन में प्रशास्त्रमान [ मरुल सहृदय समेत ] उम ( चमकार जनक काव्याम भूत अनि ] तस्य का भा [ भामह, भट्टभट आदि ] उद्ध लोग अभाव कहते हैं ।

उन अभावगादियों के ये [ निम्न लिखित तीन ] विमल हो सकते हैं ।

१—मीढ़ [अभावगादा] कह सकते हैं कि काव्य, शब्दार्थ शरीर वाला है । [अथान् गच्छ अंत अर्थ काव्य वे गरार हैं ।] यह तो निर्विचार है । [तावन् शब्द अनिश्चिती महित इम विषय में सर्वांग मानवि मूचित करता है । काव्य के शरीरभूत उन शब्द अर्थ के चार प्रदेश दो प्रकार के हो सकते हैं । एक

\* बनारस में मुद्रित ध्यान्यालोक के दीपिति टीका युक्त सखरण में यहीं के बल 'समाम्नात' पाठ है । और निष्ठापमागरीय सखरण में 'समाम्नात रामाल्यात' इतना पाठ दिया गया है । बनारस से ही प्रशास्त्रिय चान त्रिया टीका सहित सखरण में 'समाम्नातपूर्व सम्यह् आ समन्तान् म्नान प्रकटित' इस प्रवार का पाठ है । इर तीनों पाठों में से अनिम पर्यान यात्रिया वाने सखरण का पाठ सोचनसमन और अधिक ग्रामालिङ्ग पाठ है । 'सोचनवार' में इम स्थान की व्याख्या करते हुए लिखा है—'तदाह् समाम्नातपूर्व इनि । पूर्वप्रह्लेनेदम्प्रयमना नाम सम्भावयन इत्याह्, व्याचटे च, सम्यग् आ समन्तान् म्नान प्रकटित इत्यनेन ।' इस सेव में स्पष्ट प्रतीत होता है कि सोचनवार यहीं 'समाम्नातपूर्व सम्यह् आ समन्तान् म्नान प्रकटित' यहीं पाठ भागते हैं । इसी में यात्रिया सखरण में वही पाठ रहता है । इसी लिये हमने भी मूलपाठ में उमी वो ह्यान दिया है । पाठभेद के काव्य स्थलों पर भी यात्रिया वाने सखरण में जो पाठ पाए जाते हैं वह प्राय सोचन की ऊरारोह करके याममन्त्र 'सोचनमम्त्र' पाठ होते रहे हैं । इस लिये हमने भी मूल पाठ प्राय उमी के प्रमुमार रखे हैं और 'दीपिति' तथा निष्ठापमागरीय सखरण के पाठभेद नीचे दे दिए हैं । हनें साय प्रयुक्त निः निष्ठापमागरीय सखरण का और दोः दीपिति टीकायुक्त सखरण का दूसरा है ।

शब्दगताश्चाहत्वहेतरोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अर्थगताश्चोपमादय । वर्णसघटनाधर्माश्च ये मातुर्यादियस्तेऽपि प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तवृत्तयोऽनुप्राप्तिः या कैश्चिद्गुप्तागरिकाद्याः प्रकाशिताः ता अपि गताः श्रवणगोचरम् । रीतयश्च वैदर्भप्रभृतयः । तद्ब्रव्यतिरिक्तः कोऽय ध्वनिनामेति ।

, स्वरूपगत और दूसर सम्बन्धनागत ।] उनमें शब्द गत [शब्द के स्वरूपगत] चाहत्व हेतु अनुप्राप्तिडि [शब्दालंकार] और अर्थगत [अर्थ के स्वरूपगत] चाहत्व हेतु उपमादि [अर्थालंकार] प्रसिद्ध होते हैं । और [इन शब्द अर्थ के सघटनागत चाहत्वहेतु] वर्णसघटना धर्म जो मातुर्यादि [गुण] है वे भी प्रतीत होते हैं । उन [अलंकार तथा गुणों] से अभिन्न जो उपनागरिकादि वृत्तियाँ किन्तु [भद्रोऽमट] न प्रकाशित की है वह भी श्रवणगोचर हुई है । और [मातुर्यादि गुणों से अभिन्न] वैदर्भी प्रमृति रोतिया भी । [परन्तु] उन सब से भिन्न यह अनि कोन सा [नया] पदार्थ है ।

ग्रन्थ रूप में 'ध्वन्यालोक' ध्वनि का प्रतिगादन करने वाला प्रथम ग्रन्थ है । अलंकार शास्त्र में इसके पहिले भरत मुनि का नाम्यरास्त्र, भामद का काव्या संस्कार उद्मट की इस काव्यालंकार पर 'भामदविवरण' नामक दीक्षा, वामन का काव्यालंकार सुन और रुद्रट का काव्यालंकार यही पाच मुख्य ग्रन्थ लिखे गए प्रतीत होते हैं । इनमें भी 'भामदविवरण' अभी तक उपलब्ध या प्रकाशित नहीं हुआ है । परन्तु ध्वन्यालोक की लोचन दीक्षा में उसका उल्लेख बहुत मिलता है । इन पाचों आचारों ने अपने ग्रन्थों में ध्वनि नाम से कहीं ध्वनि का प्रतिगादन नहीं किया और न उसका ग्रहण ही किया है । इस लिए यह अनुमान किया जा सकता है कि ये ध्वनि नो नहीं मानते थे । ध्वन्यालोकनार आनन्दवर्धनाचार्य ने इन्हीं के ग्रन्थों के आधार पर समाप्ति तीन ध्वनिविरोधी पक्ष बनाए हैं । एक अभावयादी पक्ष, दूसरा भक्तियादी पक्ष और तीसरा अलक्षण्यायतामादी पक्ष । इन्हीं तीनों पक्षों का निर्देश इस कारिका में 'तत्याभाव, भाव और वाचा रिथ्त-भविष्ये' शब्दों से किया है । ये तीनों पक्ष उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पक्ष हैं । इनमें से प्रथम अभावयादी पक्ष भिर्यंगमलक, दूसरा भक्तिपक्ष सन्देह मलक और तीसरा अलक्षण्यायतामाद अज्ञानमूलक है । अपांत् प्रथम अभावयादी पक्ष ने प्राचीन

<sup>१</sup> तदनतिरिक्तवृत्तप्रोऽपि निं० ।

आचार्या के ग्रन्थों को जो धनि का अभाव बोधक समझा है यह उनका भ्रम या विपर्ययशान है। इसलिए वह सर्वथा हेम या निष्ठुष्ट पक्ष है। दूसरे भक्तिवादी पक्ष ने भामह के काव्यालकार और उस पर उद्भट के विवरण में गुणवृत्ति शब्द का प्रयोग देख कर धनि को भक्तिमात्र कहा है। उनका यह पक्ष सन्देहमूलक होने और धनि का स्पष्ट निरपेक्ष न करने से मन्यम पक्ष है। भामह ने अपने काव्यालकार में लिखा है कि—

“शब्दा शब्ददोऽभिधानाथा इतिहासाश्रया कथा ।

लोको मुक्ति क्लाश्चेति मन्तव्या काव्यहेतव ॥”

इस कारिका में भामह ने शब्द, छन्द, अभिधान, अर्थ, इतिहासाश्रित कथा, लोक, मुक्ति और क्लाश इन काव्य हेतुओं का सम्प्रह किया है। इनमें शब्द और अभिधान का भेद प्रदर्शित वरते हुए विवरणकार उद्भट ने लिखा है—

“शब्दानामभिधान अभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च ।”

इस प्रस्तरण का अभिप्राय यह है कि शब्द पद से तो शब्द का ग्रहण करना चाहिए और अर्थ पद से अर्थ का। शब्द का अर्थ बोधन परक जो व्यापार है उसे अभिधान पद से ग्रहण करना चाहिए। यह अभिधान या अभिधा व्यापार मुख्य और गुणवृत्ति या गोण भेद से दो प्रकार का है।

इस प्रकार भामह ने अभिधान पद से, उद्भट ने गुणवृत्ति शब्द से और धनि ने “सादृश्यात् लक्षणा वर्तोचि” में लक्षणा शब्द से उस धनिमार्ग का तनिक स्पर्श तो किया है परन्तु उसका स्पष्ट लक्षण नहीं किया है इसलिए यह सन्देहमूलक भक्तिवादी मध्यम पक्ष नहा।

जब प्राचीन आचार्य धनिमार्ग का स्वर्णमात्र करके बिना लक्षण किए हुए गए तो उसका कोई लक्षण नहा हो सकता। यह अभावगाद का तृतीय अलक्षणीयता पक्ष है। यह पन प्रथम पक्ष की भावित धनि का न स्पष्ट निरेध करना है और न द्वितीयपक्ष की भावित सन्देह के बारण उसका अपहर ही करता है। केवल उसका लक्षण करना नहा जानता है। इसलिए यह पक्ष अनानमूलक और तीनों में सभी से कम दूषित पक्ष है।

धनि के निरोध म समाप्ति इन तीनों पक्षों में से प्रथम अभावगादी पक्ष के भी तीन रिक्त्यं प्रथमार्द ने किए हैं। इनमें पहिले रिक्त्यं न आशय यह है कि शब्द और अर्थ ही काय के शरीर हैं। उनमें शब्दं वै स्पृष्ट्यगत चारद्वदेतु अनुप्रासादि शब्दालकार, और अर्थ के स्पृष्ट्यगत चारद्वदेतु उपमादि अथालकार

अन्ये ब्रूयु नास्त्येव ध्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः  
काव्यप्रस्थानस्य काव्यत्वहानेः । १ सहृदयहृदयाहादि शब्दार्थमयत्प्रमेव  
काव्यलक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणे मार्गस्थ तत्संभवति । न  
च तत्समयान्तःपातिजः सहृदयान् कांशिचित् परिकल्प्य २ तत्प्रसिद्धश्च  
ध्वनौ काव्यव्यपदेश प्रतिर्तिओऽपि सकलविद्वन्मनोप्राहितामवलम्बते ।

और उनके स्वयंनागत चारखडेतु माधुर्यादि गुण प्रसिद्ध ही हैं । इनसे भिन्न और  
फोई काव्य का चारखडेतु नहा हो सकता । उद्भट ने नागरिका, उप नागरिका  
और ग्राम्या इन तीन वृत्तियों को और वामन ने वैदम्भा आदि चार रीतियों को भी  
काव्य का चारखडेतु माना है । परन्तु उन दोनों का अन्तमांग शलकार और गुणों  
में ही ही जाता है । उद्भट ने वृत्तियों का निरूपण करते हुए स्वयं भी उनको  
अनुप्राप्त से अभिन्न माना है । उन्होंने लिखा है

“सरुपर्यजनन्यास तिष्ठप्येतामु वृत्तिपु ।  
पृथक् पृथग्नुप्राप्तमुरान्ति वव्य. सदा ॥”

पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयु । न सभवत्येऽध्यनिर्नामा-  
पूर्व कश्चित् । कामनीयकमनतिर्तमानस्य तस्योक्तोष्ट्वेव चारुत्य-  
हेतुष्वन्तर्भावान् । तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे  
यत्किञ्चन उधन स्यात् ।

कि च, वाग्मिकलपानामानन्त्यात् सभवत्यपि वा ऋस्मिश्चित्  
काव्यलक्षणविद्यायिभि प्रसिद्धैरप्रदर्शिते प्रमारलेशे, ध्वनिर्ध्वनिरिति  
यदेतदलीकसहदयत्प्रभावतामुक्तितत्त्वं च नृश्यते, तत्र हेतुं न  
विद्या । सहस्रो हि महात्मभिरन्यैरलकारप्रकारे प्रकाशिता ।

हृदयाङ्गादक शब्दार्थ युक्तताव ही काव्य का लक्षण है । और उक्त [ शब्दार्थ  
शरीर काव्य पाले ] मार्ग का अतिक्रमण करने पाले मार्ग में वह [ काव्यलक्षण ]  
सभव नहीं है । और न उक्त [ ध्वनि ] सम्बद्धाय के [ मानवाला के ] आन्तर्गत  
[ ही ] किन्हीं [ व्यक्तियों को स्वेच्छा से ] सहदय मान कर, उनके कथन-  
मुसार ही [ इसी परिस्थिति मधीन ] ध्वनि में काव्य नाम का व्यवहार प्रचलित  
करने पर भी वह सब विद्वानों द्वारा स्वरार्थ [ मनाप्राही ] नहीं हो सकता ।

ग्रामार्थादियों वा तीसरा विकल्प निम्न प्रकार हो सकता है —

३—तीसरे [ अभाववादी ] उपर्युक्त [ ध्वनि ] का अभाव अन्य प्रकार से  
कह सकते हैं । ध्वनि नाम का कोई नया पदार्थ संभव ही नहीं है । [ व्यक्ति  
यदि वह ] अमनोर्यता का अतिक्रमण नहीं करता है तो उसका उक्त [ गुण,  
अलंकारादि ] चारुत्य हेतुओं में ही अनिभाव ही जायगा । अपरा यदि उन्हीं  
गुण, अलंकारादि ] में से किसी का [ ध्वनि ] यह नया नाम रख दिया जाए  
तो वह वही तुच्छ सी वात होगी ।

और [ वक्तोति वाक् शब्द, उच्चते इति वाग्यं, उच्चतेऽन्तरा इति  
चाराभिधाव्यापार । अयनं शब्द, यदि और शब्दशक्ति इष्य वाणि द्वारा ]  
कपन शैलियों के अनन्त प्रकार होने से, प्रमिद्र काव्यलक्षणशरों द्वारा अप्रशित  
कोई स्थूला भोग प्रकार संभव भी हो तो भी ध्वनि ध्वनि कह कर और मिथ्या  
सहदयत्व का भावना से अविषेष वन्द करके जो यह अकाँड लाड्य [ नवन ] दिया  
जाता है इमर्झा [ तो कोई उचित ] कारण प्रतान नहीं होता । अन्य विद्वान्  
महामात्यों ने [ काव्य के शोभा सम्पादक ] सहस्रों प्रकार क अलंकार प्रकाशित

<sup>१</sup>प्रकरणे निं० । <sup>२</sup>तदसोऽनि० दो० ।

प्रकारयन्ते च । न च तेषामेषा दशा श्रूयते । तस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनिः ।  
न स्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं किञ्चिद्विपि प्रकाशयितुं शक्यम् । तथा चान्येन  
कृते एवात्र इलोकः ॥

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मन-प्रलहादि सालकृति,  
ब्युत्पन्नैरुचित न चैव वधनैर्बक्षोक्तिशून्यं च यत् ।  
काव्यं तद् ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशसन् जडो,  
नो निदृष्टोऽभिद्वाति ॥ सुमतिना पृष्ठ-स्पस्य ध्वनेः ॥

किये हैं और प्रकाशित कर रहे हैं । उनको तो यह [ मिथ्या महाद्वयताभिमान-  
मूलक अराद ताड़ि को ] अरस्या मुनने में नहीं आतो । [ इस लिए ध्वनिगाढ़ी  
का यह अर्कांड ताड़ि सर्वथा ध्यर्थ है । ] इस लिए ध्वनि यह एवं प्रवादमात्र  
है । उमसा रिचार्योग्य वब लुक्ख भी नहीं चताया जा सकता है । इसी आशय  
का अन्य [ धन्यालोकसार आज्ञान्दरर्जनाचार्य के समशालीन मनोरथ करि ] का  
इलोक भी है ।

जिसमें अलंकारयुक्त अतण्ड मन को आङ्गादित करने याना कोई धरण-  
नीय अपेतत्व [ वस्तु ] नहीं है [ इसमें अर्वलक्ष्मी का अभाव मूर्चित होता  
है ], जो चाहुर्य में युक्त मुन्द्र शब्दों से प्रिचित नहीं हुआ है [ इसमें गद्दा-  
लंसारशून्यता मूर्चित होती है ], और जो मुन्द्र उकियों से शून्य है [ इसमें  
युण्ठरादिय सूचित होता है । इस प्रकार जो शब्द के चार पट्टनु अनुशासनादि शब्द-  
लंकारों, अपि के चार पट्टनु उपमादि अर्थालंकारों और शब्दार्थमेवना के चार-  
हेतु मात्रुर्यादि गुणों से सर्वथा शून्य है । ] उस की यह ध्वनि युक्त [ उमस ]  
वाच्य है यह कह कर [ गतानुगतिक, गृहलिका प्रवाह में ] प्रीनिरूपं द प्रगमा  
परने याना मूर्चं, जिसी युद्धिमान् के पृष्ठों पर मानूस नहीं ध्वनि का क्या  
स्वरूप पतायेगा ।

यह अभावगाढ़ी वब का उपस्थार हुआ । आगे ध्वनिविरोधी दूसरा  
भेदयादी पक्ष आता है । प्रथम अभावगाढ़ी और तृतीय अलंकारगतादी पक्ष  
दोनों पक्ष सम्भवित पक्ष हैं अतएव उन दोनों का निर्देश 'जगदु' तथा 'जु' इन पराय-  
निदृष्टलक्षण के प्रयोगों द्वारा दिया गय है । परन्तु यीच के भौक्तिकादी पक्ष का  
जीवा कि ऊपर कहा जा सकता है, 'भास्त्र' के 'कल्पास्त्रार' और 'उद्धृत' के  
'भास्त्र फिरण' द्वारा परिचर प्राप्त हो सकता है, इसलिए उमस का निर्देश

**मात्रमाहुस्तमन्ये । अन्ये त ध्वनिसंहित काव्यात्मानं गुणवृत्ति ।**  
रित्याहु ।

परोदता सूचक लिङ् लकार द्वारा न करके नित्य प्रत्ययान सूचक लट् लगार के 'आहु' पद स किया है ।

'भक्तिनाद' में प्रयुक्त 'भक्ति' शब्द की व्युत्पत्ति चार प्रकार से की गई है । भक्ति शब्द से आलकारिका की लक्षणा और मीमांसकों की गौणी नामक दो प्रकार की शब्द शारियों का प्रहण होता है । आलकारिकों की लक्षणा के मुख्यार्थ बाध, सामीप्यादि सम्बन्ध और शैत्यादि वोध रूप प्रयोजन यह तीन बीज हैं । भक्ति शब्द की तान प्रसार की व्युत्पत्तिया द्वन तीन लक्षणा गीर्णों को वोधन करने के लिए वी गई है । 'मुख्यार्थंत्य भज्ञो भक्ति' इस भज्ञार्थक व्याख्यान से मुख्यार्थवाध, 'भक्त्यते से यते पदार्थेन इति सामीप्यादिघमा भक्ति' इस सेवनार्थक व्याख्यान से सामी प्यादि सम्बन्ध रूप निमित्तसिद्धि, और 'प्रतिवादे शैत्यपावनत्वादौ भद्रातिशयो भक्ति' इस अद्वातिशयार्थक व्याख्यान से भक्ति पद प्रयोजन का सूचक होता है । 'तत आगत भावत'—मुख्यार्थवाधादि तीना गीर्णों से जो अर्थ प्रतीत होता है उस लक्ष्यार्थ को भाव बढ़ते हैं ।

आलकारिकों ने लक्षणा के दो भेद किए हैं, शुद्धा और गौणा । साट्टयेतर सम्बन्ध से शुद्धा और साट्टय सम्बन्ध से गौणी लक्षणा मानते हैं । परन्तु मीमांसकों ने लक्षणा से भिन्न गौणी को अलग ही वृत्ति माना है, लक्षणा का भेद नहा । प्रहृत भाव पद से मीमांसकों की उस गौणी वृत्ति का भी समझ होता है और उसके वोधन के लिए भक्ति पद वी चौथी व्युत्पत्ति 'गुणसमुदायवृत्ते शब्दस्य अर्थमाग-स्तैश्यादि [ शौर्यनीयादि ] भक्ति', तत आगतो भावन । 'सिद्धो भागवत' आदि प्रयोगों में तैदय अर्थात् शौर्यनीयादिगुणवृत्तिशिष्टप्राणिशिष्टप के बाचत् गुण समुदायवृत्ति मिह शब्द से उसके अर्थमाग शौर्यनीयादि का प्रहृण भक्ति है, और उससे प्राप्त होने वाला गौण अर्थ भावन है । इस प्रकार भात्र शब्द के लक्ष्य और गीण यह दीर्णों अर्थ हैं । आगे इस भक्तिगदी पूर्वपक्ष का निष्पत्ति करते हैं ।

४—दूसरे लोग उसको लक्ष्य या गौण कहत है । अन्य लोग उम प्लनि नामक काव्य को गुणवृत्ति गौण कहते हैं ।

गुणवृत्ति पद काव्य के शब्द और अर्थ दोनों के लिए प्रयुक्त है । गुण अर्थों सामीप्यादि और तेद्वयादि उनके द्वारा निम शब्द की अर्थात्तर में वृनि वोधनल्य होता है वह शब्द, और उनके द्वारा शब्द वी वृत्ति जहाँ होती है वह

यद्यपि च ध्वनिशब्दस कीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिरुणवृत्ति-  
रन्यो वा न कश्चित् प्रकार प्रकाशित, तथापि 'अमुरयवृत्त्या काव्येषु  
व्यवहार दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि' न लक्षित इति परि-  
कल्प्यैवमुक्तम्, भाक्तमाहुस्तमन्ये इति ।

अर्थ, इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों ही गुणवृत्ति शब्द से गृहीत हो सकते हैं। अथवा 'गुणद्वारेण वर्तन गुणवृत्ति' अर्थात् अमुरय अभिधा व्यापार भी गुणवृत्ति शब्द से नोक्षित होता है। इसका आशय यह है कि दूसरे लोग ध्वनि का शब्द से नोक्षित होता है। ध्वनि शब्द 'व्यनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति से शब्द का, गुणवृत्ति बहते हैं। ध्वनि शब्द 'व्यनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति से शब्द का, 'व्ययते इति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति से अर्थ का, और 'व्यन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति से काव्य का गोधक होता है। इसी प्रकार गुणवृत्ति शब्द 'गुणै सामीप्या व्युत्पत्ति से काव्य का गोधक होता है। इसी प्रकार गुणवृत्ति शब्द 'गुणै सामीप्या दिभिस्तैद्वयादिभिर्गोपायैर्थातेर वृत्तिरस्य स गुणवृत्ति शब्द तैर्वायै शब्दस्य वृत्तियत्र सोऽर्था गुणवृत्ति, गुणद्वारेण वर्तन वा गुणवृत्तिरमुरयोऽभिधा व्यापार', इस प्रकार ध्वनि शब्द के समान गुणवृत्ति शब्द भी शब्द, अर्थ और व्यापार तीनों का गोधक होता है।

मूल कारिका में त भाक्त' और उसकी वृत्ति में 'त ध्वनिशक्ति काव्यात्मान' इन पदों का जो समानाधिकरण-समानविभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसका पिण्डोप प्रयोजन है। पदों के सामानाधिकरण का अर्थ एककर्मिरोधकत्व अथात् उनके पदार्थों का अभेदान्तव्य ही होता है। जैसे 'नीलमुत्तरलम्' इस उदाहरण में समान-गिभिर्यन्त नील और उत्तरल पदों स नील और उत्तरल का अभेद या तादात्म्य ही गोक्षित होता है। उसका अर्थ 'नीलाभिन्नमुत्तरलम्' ही होता है। इसी प्रकार यद्याँ भक्ति और ध्वनि का जो सामानाधिकरण है उससे उन दोनों वा तादात्म्य ही गूचित होता है। इन दोनों के तादात्म्य का ही सठन आगे मिदान्तपद में बताया है। जैसे अनेक स्थलों पर लक्षणा और ध्वनि या गोणी और ध्वनि दोनों हैं। मर्णु अनेक स्थलों पर लक्षणा या गोणी क अभाव में माय पाई जाती हैं। परन्तु अनेक स्थलों पर लक्षणा या गोणी क अभाव में भी ज्ञाति रहती है। इसलिए गोणी या लक्षणा और ध्वनि का तादात्म्य या अभेद नहीं है। यश्च आगे चल कर मिदान्त पक्ष रिधर बताया है इसलिए दूरवर्त में सामानाधिकरण द्वारा उन दोनों वा तादात्म्य धतिादन किया है।

यद्यपि काव्यलक्षणकारों न ध्वनि शब्द का उल्लाप करक [ ध्वनि नाम स्वर ] गुणवृत्ति या अन्य [ गुण अनेकारादि ] काद प्रसार प्रदर्शित नहीं किया

<sup>१</sup> गुणद्वया निः०। <sup>२</sup> मनार स्पृष्टा सभ्यत निः०। स्पृष्ट इति, दा०।

केचित् पुर्वलंकाणकरणशालीनवुद्धयो ध्वनेसतत्वं गिरामगोचरं  
सहदयहृदयसरेशमेव समाख्यातवन्तः । तेनैवविधासु विमतिपु  
स्थितासु सहदयमनःप्रीतये तत्स्तरूप ब्रूमः ।

तस्य हि ध्वने स्वस्य सरुलसरुहृषिकाव्योपनिषदभूतं,  
अतिरमणीय, 'अग्नीयसीभिरपि चिरन्तनमाव्यलङ्घणविधायिना वुद्धि-  
भिरनुन्मीलितपूर्वम् । अथ च रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये  
सर्वत्र प्रसिद्धव्यथहार लक्ष्यता सहदयाना, आनन्दो मनसि लभतां  
प्रतिष्ठामिति प्रसाश्यते ॥१॥

है, किर भी [ भामह के 'शब्दाशद्वन्द्वोऽभिधानार्थो' के व्याख्या प्रसंग में 'शब्दाना-  
मभिधान मभिधाव्यापारी मुख्यो गुणवृत्तिश्च' लिखकर ] काव्यों में गुणवृत्ति  
से व्यवहार दियाने वाले [ भट्टोद्धर या उनके उपजीव्य भामह ] ने ध्वनिमार्ग  
का थोड़ा सा स्वर्ण करके भी [ डमा स्पष्ट ] लक्षण नहीं किया [ इसलिए अर्थात्  
उनके मत में गुणवृत्ति ही ध्वनि है ] पेसी कल्पना करके 'मान्माहुस्तमन्ये' यह  
कहा गया है ।

— लक्षण निर्माण में अप्रगल्भतुडि किन्हों [ तीसरे वादी ] ने ध्वनि के  
तत्त्व को [ 'न शब्दयते वर्णयितु गिरा तदा स्वयं तदन्तं प्ररणेन गृष्णते' के समान ]  
वेगसे सहदयहृदयमन्तव्य और वाणों के परे [ अलघणीय, अनिर्वचनीय ] कहा  
है । इस लिए इस प्रसार के मतभेदों के हाँरे में महदयों के हृदयाहाद के लिए  
हम उसका स्वरूप प्रतिपादन करते हैं ।

काव्य के प्रयोजनों में यश और अर्थ दो प्राप्ति, व्यवहारशान और सत्त-  
परिनिरूपि परमानन्द आदि अनेक पल माने गए हैं । परन्तु उन सब में सत्त-  
परिनिरूपि या आनन्द ही सबसे प्रधान पल है । अन्य परा और अर्थ आदि दो  
चरम परिणाम आनन्द में ही होती है इसलिए यहा काव्यात्मभूत ध्वनितत्व के  
निरूपण का एकमात्र आनन्द पल मूल कारिका में 'सहदयमनःप्रीतये' शब्द से  
और उसकी वृत्ति में 'आनन्द' शब्द से दिताया है ।

उस ध्वनि का स्वरूप समस्त सत्तियों के काव्यों का परमरहस्यभूत,  
आयन्त सुन्दर, प्राचीन काष्ठलङ्घणकारों की सूख्मतर वुद्धियों में भी द्रम्कुटित  
नहीं हुआ है । इसलिए, और रामायण महाभारत आदि लक्ष्य अन्यों में सर्वत्र

<sup>1</sup> अणोपसीभिरिचरन्तन नि०, दी० ।

उसके प्रसिद्ध व्यवहार को परिलिप्त करने वाले सहृदयों के मन में आनन्द [ प्रद ध्वनि, ] प्रतिष्ठा को प्राप्त करे इसलिए उसको प्रकाशित किया जाता है ।

ऊपर जो ध्वनिविरोधी पद्म दिखाए हैं उनमें अभाववादी पद्म के तीन विकल्प और अन्त के दो पद्म मिला कर तुल पाच पद्म बन गए हैं । इन ऊपर की परिणयों में ध्वनि का जो विशिष्ट रूप प्रदर्शित किया है उसमें प्रयुक्त विशेषण उन पूर्वपद्मों के निराकरण को ध्वनित करने वाले और सामिप्राय हैं । सबल और सत्कवि शब्द से 'कस्मिश्चित् प्रनारलेशो' वाले पद्म का, 'अतिरमणीश्चम्' से भाकपद्म का, 'उपनिपदभूत्' से 'आपूर्वसमास्यामाग्वरणे' वाले पद्म का, 'अणीयसीभिश्चिर-न्तनकायलक्षणपिधायिना बुद्धिभिरनुभीलितपूर्वे' विशेषण से गुणालकार अन्तभू-तत्ववादी पद्म का, 'अथ च' इत्यादि से 'तत्समयान्त पतिन काश्चित्' वाले पद्म का, रामायण के नामोल्लेप से आदिकवि से लेकर सबने उसका आदर किया है इससे स्वकल्पितत्व दोष का, 'लक्ष्यता' इस पद से 'वाचा स्थितमविपर्ये' का निराकरण ध्वनित होता है ।

'आनन्दो मनसि लभता प्रतिष्ठम्' इस उचित से साधारण अर्थ के अतिरिक्त दो बातें और भी ध्वनित होती हैं । पहिली बात तो यह है कि आगे चल कर ध्वनि के वस्तुध्वनि, अलगारध्वनि और रसध्वनि यह तीन भेद करेंगे । परन्तु इनमें आनन्दरूप रसध्वनि ही प्रधान है, यह बात इससे सुचित होती है ।

दूसरी बात यह है कि इस ध्वन्यासोक ग्रन्थ के रचयिता श्री आनन्द-र्धमनाचार्य है । वह न केवल इस ग्रन्थ के रचयिता अधितु वस्तुत ध्वनिमार्ग के सम्पादक हैं । इसलिए इस ध्वनि के स्पष्ट स्थापन रूप कार्य से सहृदयों के मन में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो यह भाव भी अपने नाम के आदि भाग 'आनन्द' शब्द द्वारा यहाँ व्यक्त किया है ।

'लोचन' और 'बालप्रिया' दोनों टीकाओं के लेखकोंने 'लक्ष्यता' पद की व्याख्या में 'लक्ष्यते अनेन इति लक्षो लक्षणम् । लक्षण निरूपयन्ति लक्षणन्ति, तैपा लक्षणद्वारेण निरूपयताम्' यह अर्थ किया है । और 'लक्ष्यतेऽनेन इति लक्ष' इस प्रकार करण में धन् प्रत्यय करके लक्ष शब्द बनाया है । साधारणत लक्ष्य प्रत्यय से गाधित होने के कारण करण में धन् प्रत्यय मुलभ नहीं है । परन्तु महाभाष्यकार ने 'उपदेशेऽजनुनातिक इत्' इस सूत्र में बाहुलकात् करण धनन्त उपदेश शब्द का साधन किया है उस प्रकार बाहुलकात् करण धनन्त बाला मार्ग यहाँ भी निकाला जा सकता है । परन्तु यहाँ तो 'लक्ष्यता' का सीधा 'निरूपयता' अर्थ करने

से उस बाहुलक की किलष कल्पना से वचा जा सकता है। निरुपण में, लक्षण-दिना निरुपण धात्वर्थान्तर्गत हो जाने से अर्थ में भी अन्तर नहीं होता तब उस अगतिक्रमति बाहुलक का आश्रय लेकर करणपत्रन्त लक्ष पद के व्युत्पादन का प्रयास क्यों किया, यह विचारणीय है।

‘वनेः स्वरूप’ में प्रयुक्त ‘स्वरूपम्’ पद, ‘लक्षयता’ में लक्ष धात्वर्थ और ‘प्रजाशयते’ में वाश धात्वर्थ दोनों में आवृत्ति द्वारा कर्मतया अन्वित होता है। और प्रधानभूत काश धात्वर्थ के अनुरोध से उसे प्रथमान्त समझना चाहिए, गुणीभूत लक्षक्रियानुरोध से द्वितीयान्त नहीं। इसमें ‘स्वादुमि यमुल’ पा० सू० ३-४-२६ इस सूत्र के भाष्य में स्थित निम्न कारिका प्रमाण है :

“प्रधानेतरयो यंत्र द्रव्यस्य [निययोः] पृथक् ।

शक्ति गुणाश्रया तत्र प्रधानमनुरूपयते ॥”

प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थ का [१] प्रयोजन, [२] पिपय, [३] अधिकारी [४] सम्बन्ध इन अनुबन्ध चतुर्थ को प्रदर्शित करने वाली व्यवस्था है।

“सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शास्त्रादौ तेन वक्तव्यं सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥” श्लो० वा० ११७।

अनुबन्धचतुर्थ के ज्ञान से ही ग्रन्थ के शास्त्रयन अध्यापनादि में प्रवृत्ति होती है। ‘प्रवृत्तिप्रयोजकशानिप्रयत्य अनुबन्धस्त्वम्’ यही अनुबन्ध का लक्षण है। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान का स्वरूप ‘इदं मदिष्टसाधनम्’ या ‘इदं मत्वृतिसाध्यम्’ है। इसमें इदं पद से विपय, मन् पद से अधिकारी, इष पद से प्रयोजन, और साधन पद से साध्यसाधनभाव सम्बन्ध सूचित होता है। तदनुसार पिपय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध वे चार अनुबन्धचतुर्थ माने गए हैं और प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ में उनका निरूपण आवश्यक माना गया है।

अतएव इस ध्यान्यालोक के प्रारम्भ में भी ग्रन्थकार ने उन अनुबन्ध-चतुर्थ को सूचित किया है। ‘तत् स्वरूपं द्रूमः’ से ग्रन्थ का प्रतिशाश्रय पिपय धनि का स्वरूप है, यह सूचित किया। पिमति निवृत्ति और उससे ‘सदृदयमन् प्रीतये’ से मनः प्रीति स्वयं मुख्य प्रयोजन सूचित हुआ। धनिस्त्रूपजिशामु सदृदय उसका अधिकारी और शास्त्र का प्रयत्न के साथ प्रतिशाश्रयनिशाश्रद्वभाय तथा प्रयोजन के साथ साध्य-साधनभाव सम्बन्ध है। इन प्रधार अनुबन्ध चतुर्थ की भी सूचना हुई ॥१॥

१ तत्र धनेरेव लक्ष्यितुमारव्यस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते—

२ योऽर्थः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीयमानान्वयौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥२॥

काव्यस्य हि लक्षितोचितसन्निवेशचारणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थितः सहृदयश्लाध्यो योऽर्थः, तस्य वाच्य प्रतीयमानश्चेति ही भेदौ ॥२॥

[यहा तत्र पद भावलक्षण सतमी के या सति सतमी के द्विवचनान्त से त्रल् प्रत्यय करके बना है, इसलिए उससा अर्थ उन दोनों अर्थात् प्रिप्य और प्रयोजन के स्थित होने पर होता है ।]

प्रिप्य और प्रयोजन के स्थित हो जाने पर, जिस धनि का लक्षण करने जा रहे हैं उससी आधार भूमि [भूमिरिव भूमिका] निर्माण के लिए यह कहते हैं ।

सहृदयों द्वारा प्रशसित जो अर्थ वाच्य की आत्मा रूप में प्रतिष्ठित है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद कहे गए हैं ।

शरीर में आत्मा के समान, सुन्दर [गुणालकार युक्त], उचित [रसादि के अनुरूप] रचना के कारण रमणीय काव्य के साररूप में स्थित, सहृदय प्रशसित जो अर्थ है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद हैं ।

‘योऽर्थं सहृदयश्लाध्यं’ इत्यादि दूसरी कारिका वैसे सरल जान पढ़ती है परन्तु उस की सगति तनिक छिप्त है । उसके आपाततः प्रतीत होने वाले अर्थ ने साहित्यदर्पणकार श्री विश्वनाथ को भी भ्रम में डाल दिया, जिसके बारण उन्होंने अपने ग्रन्थ में इस कारिका का घटन करने की आवश्यकता सुमझी । उन्होंने लिखा कि सहृदयश्लाध्य अर्थ अर्थात् धनि तो सदा प्रतीयमान ही है, वाच्य कभी नहीं होता । पिर, धनिकार ने जो उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद सिए हैं वह उनका बदतो व्याख्यात—स्वप्रचन विरोध है—।

इस समाप्ति भ्रान्ति को समझ कर टीमाझार ने इस कारिका की व्याख्या विशेष प्रकार से की है । धनि के स्वस्थ-निरुपण की प्रतिश्लोक करके वाच्य का कथन करने लगना भ्रमजनक हो सकता है, इसीलिए स्वयं ग्रन्थकार ने भी इस कारिका की अवतरणिका में सकेत कर दिया है कि यह धनि की भूमिका [भूमिरिव

तत्र वाच्यः प्रमिद्वो यः प्रकारैरुपमादिभिः ।  
वहुधा व्याकुतः सोऽन्यैः,

<sup>१</sup>काव्यलक्ष्मविधायिभिः ।

ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥

केवलमनूद्यते पुनर्यथोपयोगम् ॥३॥

भूमिका] है। जिस प्रकार आधार भूमि का निर्माण हो जाने पर ही उसके ऊपर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ होता है उसी प्रकार वाच्याथ, खनि की आधार भूमि है, उसी के आधार पर प्रतीयमान अर्थ की व्यक्ति होती है। पूर्णपक्ष प्रदर्शित करते हुए लिखा था 'शब्दार्थशरीर काव्यम्'। इनमें से शब्द तो शरीर के स्थूलत्वादि के समान सर्वजनसंवेद्य होने से शरीरभूत ही है। परन्तु अर्थ तो स्थूल शरीर की भाँति सर्वजनसंवेद्य नहीं है। वाच्यार्थ तो सहृदयसंवेद्य है और उससे भिन्न अर्थ भी सर्वत्र पूर्वक व्युत्पन्न पुरुषों को ही प्रतीत होता है अतएव अर्थ सर्वजनसंवेद्य न होने से स्थूल शरीर स्थानीय नहीं है। जब शब्द को शरीर मान लिया तो फिर उसको अनुप्राणित करने वाले आत्मा का मानना भी आवश्यक है। और यह अर्थ उस आत्मा का स्थान लेता है। परन्तु सारा अर्थ नहीं बेवल सहृदयशलाघ्य अर्थ काव्यात्मा है। इसलिए अथ के दो भद्र किए हैं। एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। सहृदयशलाघ्य या प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है। दूसरा जो वाच्य अर्थ [वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः] काव्य की आत्मा नहीं उसे हम इस रूपमें खूदम शरीर या अन्तःकरण अथवा मन स्थानीय मान सकते हैं। जिस प्रकार आत्मतत्त्व के विषय में विप्रतिवन्न चार्चाशादि कोई स्थूल शरीर को और कोई सुचम मन आदि को ही आत्मा समझ लेने हैं इसी प्रकार यहाँ शब्द, अर्थ, गुण, अलगाव, रीति आदि में से किसी एक या उनकी समड़ि को काव्य समझ लेना चार्चाक मत के सटृप्त है।

कारिकाकार ने 'वाच्यप्रतीयमानार्थयौ' पद में वाच्य और प्रतीयमान दोनों का द्वन्द्व समाप्त किया है। 'उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः' अर्थात् द्वन्द्वसमाप्त में द्वन्द्व पदक समस्त पदों का सम प्राप्यन्य होता है। इसलिए यहा वाच्य और प्रतीयमान दोनों का सम प्राप्यन्य सूचित होता है। जिसका भाव यह है कि जिस प्रकार वाच्य

१. निं०, दी० ने 'काव्यलक्ष्मविधायिभिः' को कारिका भाग और 'ततो नेह प्रतन्यते' को वृत्ति भाग मानकर छापा है। परन्तु सोचने में अनुमार हमारा पाठ हो टौर है।

प्रतीयमान पुनरन्यदेव, प्रस्तुस्ति वाणीपु महाकवीनाम् ।  
यत् तत् प्रसिद्धापयवातिरिक्तं, पिभाति लापण्यमिवाङ्गनासु ॥४॥

प्रतीयमान पुनरन्यदेव वाच्याद् वस्त्वास्त वाणीपु महाकवीनाम् ।  
यत् तत् ॑महदयसुप्रसिद्ध, प्रसिद्धेभ्योऽलकृतेभ्य प्रतीतेभ्यो वाच-  
यवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लापण्यमिवाङ्गनासु । यथा ह्यङ्गनासु  
लापण्य पुथड् निवेष्यमान निगिलापयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव  
सहदयलोचनामृत, तत्त्वान्तर, तदूबदेव सोऽर्थ ।

अर्थ का अपहृत नहा किया जा सकता है उसी प्रकार प्रतीयमान अथ भी अपहृत नीय है । उसका अपहृत निपध-नहा किया ना सकता है । इस प्रतीमान अर्थ के निपय में की जाने वाली विप्रतिपत्ति आमतत्व के विषय में की जाने वाली चार्यांक की विप्रतिपत्ति के समकक्ष ही है । अतएव सबथा है ।

उनमें स, वाच्य अर्थ वह है जो उपमादि [गुणालकार] प्रकारों स प्रसिद्ध है और अन्यों न [पूर्व काच्य लक्षणकारों न] अनेक प्रकार स उसका प्रदर्शन किया है । इसलिए हम यहा उसका विस्तार स प्रतिपादन नहीं कर रहे । केवल आपरण्यकतानुसार उसका अनुवाद मात्र करेंगे ।

वाच्य पद से घट पगदि रूप अभिधेयाथ का ग्रहण अभीष्ट नहों है अपितु उपमादि अलकारों का ग्रन्थ अपेक्षित है इसलिए दूसरी कारिका में वाच्य की व्याख्या दी । उसका यहा अनुगाद करेंगे । अशात् अथ का ज्ञापन यहा प्रतनन है और ज्ञाताथ का श पन अनुगाद कहाता है । भद्रातिक में यहा है —

‘पञ्चलक्ष्योग प्राप्यम्य सिद्धत्व चाप्यनृता ।

तञ्चलक्ष्योग श्रीतये साध्यत्व च विधयता ।’

इलोक के पूर्वार्द्ध में अनुवाद का लक्षण किया है और उत्तरार्द्ध में विधेय का ॥३॥

प्रतीयमान कुछ और ही चीज़ है ना रमणियों के प्रमिद्द [मुख, नास, आंग, नामिशारि] अवयवों से भिन्न [उनक] लापण्य के समान महारूपियों का सूनियों में [वाच्य अर्थ स अलग ही] भासित होता है ।

महारूपिया का वाणिया में वाच्याप से भिन्न प्रतीयमान कुछ और ही अस्तु है । ना प्रमिद्द अलकारों अथवा प्रतीत होने वाल अवयवों से भिन्न, सहदय-

स हृषीं, वाच्यसामर्थ्याहित वस्तुमात्र, <sup>१</sup> अलकाररसादयरचे  
त्यनेकप्रभेदप्रभिज्ञो दर्शयिष्यत । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्या-  
दन्यत्वम् । तथा हि, आद्यस्तावत् प्रभेदो वान्याद् दूर विभेदवान् । स हि  
कदाचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतिपेधरूप । यथा—

भम धम्मित्र बीसत्थो सो सुनओ अज्ज मारिओ देण ।

गोलाणइ कन्छकुड़गवासिणा दरिच्च सीहेण ॥

[ भ्रम धामिनु <sup>२</sup> विस्तव्य स शुनको<sup>३</sup> य मारितरतन ।

<sup>३</sup> गोदानदीक ब्रुजुगमिना हससिहेन ॥ इति च्छार्या ]

सुप्रसिद्ध, अद्वनाथो क लापण्य के समान [अलग ही] प्रशाशित होता है । जिस प्रकार सुन्दरियों का सौन्दर्य शृणक् दियाई देने वाला समस्त अप्यवों से भिन्न सहदय नेत्रों के लिए अमृत तुल्य कुछ और ही तर है, इसी प्रकार यह [प्रतीयमान] अर्थ है ।

वह [प्रतीयमान] अर्थं वाच्य सामर्थ्य म आहित वस्तुमात्र, अलकार,  
और रसादि भेद स अनेक प्रकार का दियाया जायगा । उन सब ही भेदों में  
वह वाच्य से अलग हो है । जैस पहला [वस्तु धनि] भेद वाच्य से अन्यन्त  
भिन्न है । [क्योंकि] कहीं वाच्य विधि रूप होने पर [भी] वह [प्रतीयमान]  
निवेद रूप होता है । जैसे —

पटित जी महाराज ! गोदावरी के फिनार कुज म रहने वाल मदमत्त  
सिंह ने आन [आपको तंग करन वाले, आप पर दौड़न याल] उम कुचे को मार  
दाला है, अब आप निश्चन्त होकर भ्रमण कानिष्ठ ।

गोदावरी तट का कोई सुन्दर स्थान किसी कुलगा का सबेत स्थान है ।  
उस स्थान की सु दरता के कारण कोई धार्मिक पटित नी—भगत जी—म घोपासुन  
या भ्रमण के लिए उधर आ जाते हैं । इसके कारण उस कुलगा के काय में ग्रन्थ  
पढ़ता है और वह चाहती है कि यह उधर न आया करें । ऐसे रिना चात उनको  
आने का सीधा निरप करना तो अनुचित और उसकी अनधिकार चक्षा होना  
इसलिए उसने सीधा निरप न करके उस प्रदेश में भर्त खिंद का उपस्थिति की  
खूबना द्वारा पटित जी को भयभीत कर उनके रोकने का यह माग निराला है ।  
प्रहृत श्लोक में वह पटित जी महाराज को यही खूबना दे रही है । परन्तु उसके

१ अलक्ष्मीर रसादयश्च नि० । २ विध्रव्य नि० । ३ गोदावरी नदी  
कूलतामहनवासिना लो० ।

कहने का एक विशेष ढंग है। वह कहती है कि पडित जी महाराज। वह कुत्ता जो आपको रोज़ तग़ बिया करता था गोदावरी के सिनारे कु ज में रहने वाले मदमत्त सिंह ने मार डाला है अर्थात् प्रतिदिन आपके भ्रमण में वाधा डालने वाले कुत्ते के मर जाने से आपके मार्ग की वह गाधा दूर हो गई है और अब आप निर्भय होकर भ्रमण करें। कुलय जानती है कि पडित जी तो कुत्ते से ही ढरते हैं, जब उन्हे मालूम होगा कि उसे सिंह ने मार डाला और वह सिंह यहाँ कु ज में रहता है तो निश्चय ही पडित जी भूल कर भी उधर आने का साहस नहा करेंगे। इसी लिए वह पडित जी को निश्चन्त होकर भ्रमण करने का निमत्रण दे रही है परन्तु उसका तात्पर्य यही है कि कभी भूल कर भी इधर पैर न रखना नहा तो फिर आपकी कुशल नहा है। श्लोक में 'धार्मिक' पद पडित जी महाराज की भीतता का, 'दृष्ट' पद सिंह की भीषणता के अतिरेक का और 'वासिना' पद सिंह की निरन्तर विद्यमानता का सूचक है। इस श्लोक का वाच्यार्थ तो विधिरूप है परन्तु जो उससे प्रतीयमान अर्थ [वस्तु खनि] है वह निपथ रूप है। इसलिए वाच्यार्थ से प्रतीय मान अथ अस्त्यन्त मित्र है।

लिट्, लोट्, तत्वत् प्रत्यय 'विधि प्रत्यय' कहलाते हैं। विधि प्रत्ययान्त पदों को सुनने से यह प्रतीत होता है कि 'अय मा प्रवर्तयति'। विधि प्रत्यय के प्रयोग को सुन कर सुनने वाला नियम से यह समझता है कि यह कहने वाला सुझे किसी विशेष कार्य में प्रवृत्त कर रहा है। इसलिए विधि प्रत्यय का सामान्य अर्थ प्रवर्तना ही होता है। यह प्रवर्तना वर्का का अभिप्राय रूप है। मीमांसकों ने विद्यर्थ का विशेष रूप से विचार किया है। उनके मत में वेद अपौरुषेय है। वेद में प्रमुख 'स्वर्गानामो यजेत्' आदि विधि प्रत्यय द्वारा जो प्रवर्तना घोषित होती है वह शब्दनिष्ठ व्यापार होने से शाब्दी भावना कहलाती है। लौकिक वाक्यों में तो प्रवर्तकत्व पुरुष-निष्ठ अभिप्राय विशेष में रहता है परन्तु वैदिक वाक्यों का वर्का पुरुष न होने से यहा यह प्रवर्तकत्व व्यापार वेवल शब्दनिष्ठ होने से शाब्दी भावना कहलाता है। और उस वाक्य को सुन कर फ्लोइंशेन पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है उसे आथा भावना कहते हैं। 'पुरुषपृथ्यनुवूलो भावयितुञ्चापारविशेष शाब्दी भावना', प्रयोगनेच्छापनितप्रियाविशेषो व्यापार आर्थी भावना। साधारणत विधि शब्द का अथ प्रवर्तकत्व या भावना आदि रूप होता है परन्तु यहा 'कवचिद् वाच्ये विधि रूपे निरेष्यरो वथा' में यह अथ सगत नहा होगा। इसलिए यहा विधि का अथ प्रतिप्रसव या प्रतिपैथनिपर्तन माना गया है। कुत्ते की उपस्थिति धार्मिक के भ्रमण में प्रतिरोधात्मक या वाधा रूप थी। कुत्ते के मर जाने से उस वाधा की

क्वचिद् गान्धे प्रतिषेवरूपे विधिस्तो यथा—

अता एत्य गिमा न ह एत्य अहं दिग्ब्रसञ्च पलोष्टि ।

मा पदित्ता रत्ति अव्यत्र सेजनाए मह गिमज्जहिमि ॥

[ श्वशरत्र निमज्जति, अत्राह दिवसकु प्रलोक्य ।

मा पविक रायन्धक शम्याया मम निभद्यसि ॥ इति-च्छाया ]

नित्ति हो गई । यही प्रतिषेधनिवृत्ति या प्रतिप्रसव यहा विधि शब्द का अर्थ है, न कि नियोगादि । भ्रम पद का जो स्रोत् लकार है वह 'प्रेमतिरुग्मासकालेमु, कृ याश्च पा० स० ३, १०३' सूत्र से अतिसग अथात् कामचार, स्वेच्छा विहार और प्राप्त काल अर्थ में हुआ है । ऐप [प्रमाणान्तरप्रमितेऽयं पुरुषनिष्ठा प्रवतना प्रैप] अर्थ में नहा है ।

निर्णयसागरीय सत्करण में विषय पाठ है उसकी अपेक्षा अर्थदृष्टि से विषयव्य पाठ अधिक उपयुक्त है । 'ममु रिश्वासे', 'ममु प्रमादे' दस्य दि द्विसम्मु धातु रिश्वासाथक और तालव्यादि अम्मु धातु प्रमादाथड़ है । यहा विश्वा 'साथक दन्त्यादि अम्मु धातु का ही प्रशोभ अधिक उपयुक्त है । इसलिए विषय पाठ अधिक अन्यथा है ।

कहीं वाच्यार्थ प्रतिवर रूप होने पर [प्रतीयमानाथ] विधिरूप हीता है । जैसे —

हे पविक ! दिन में अच्छी तरह दात लो, यहा साय जा सोती है और यहा में सोती है । [रात को] रत्तींधि प्रस्त [होस्त] कहीं हमारा खार पर न गिर पड़ना ।

यहा वाच्यार्थ नियेधरूप है परतु व्याघ्यार्थ [प्रतीयमानाथ] विधिरूप है । यही भा विधि रा श्रथ प्रवर्त्ता नहा अरितु प्रतिप्रसव अथात् नियध निरत्तन रूप लेना चाहिए । निक्षी प्रोपितमर्त्तुका जो दास्तर मदनाङ्गुरमभन्न पविक पुष्ट

१ आवयोमाशी नि०, दो० । गाया सप्तगतो मे मूल पाठ भिन्न है । उसका पाठ और दृष्टा निम्न ह—

एय निमज्जन्ड धतो एय धह, एत्य परिवलो सधलो ।

पवियम रत्ती भाधम भा मह सधए निमज्जहिमि ॥

दृष्टा—अय निमज्जति इवभूरत्राहमय परिजन सङ्ग ।

पविक रायपर भा मम नयन निमध्यसि ॥

कवचिद् वाच्ये विधिरुपेऽनुभयरूपो यथा—

वज्र मह विद्वा एस्के इहोन्तु णीसास्वरोड्ड्वा०माइ ।

मा तुञ्ज वि तीअ प्रिणा दक्षिरण्ण हत्यास्स जाअन्तु ॥

[ ब्रज ममैकस्था भवन्तु नि इनासरोदितव्यानि ।

मा तवापि तथा पिना दाक्षिरण्णहत्य जनिपत ॥ इति च्छाया ]

कवचिद् वाच्ये प्रतिपे० रुपेऽनुभयरूपो यथा—

दे आ पसिअ पिण तसु मुहससि० लोहापिलुत्तमणिमह ।

अहेसारित्राणै० पिण्घ करोमि अण्णाणै० पि हत्यासे ॥

[ प्रार्थय तापत् प्रसीद नि तैर्त मुसशशिज्योत्स्नाविलुप्तमोनिगहे ।

अभिसारिकाणा पिण करो यन्यासामपि हताशे ॥ इनि॒च्छाया ]

को इस निरेष द्वारा उक्तकी ओर से निषेध निर्गतन रूप स्वीकृति या अनुमति प्रदान का जा रही है। अग्रवृत्त प्रर्गतन रूप निमन्त्रण नहा। विधि को निमन्त्रण रूप मानने पर तो प्रथम स्वानुयाग प्रकाशन से सोभाग्याभिमान स्वरित होगा। इसे लिए यहा विधि शब्द निरेगमाप रूप अभ्युगम मात्र सूचर है।

कहीं वाच्ये प्रियरुप होते पर [प्रतीयमान अर्थ] अनुभयात्मक [विधि, निषेध दोनों से भिन्न] होता है। जैसे—

[तम] नाथो, मैं अकेनो हो इन निष्पास और सो० को भोग् [सो अच्छा है] कहीं, दाक्षिण्य [मेरे प्रतिमुभो अनुराग,] 'अनेकमहिलासमरणो दक्षिण कथित' के चक्कर में पड़ कर, उसके पिना तुमको भी यह सर न भोगना पड़े।

इस श्लोक में प्रसेइना [पाइर्मेति प्रियो यस्या अन्यष्टमोगचिन्दित । सा स्पष्टितेति कथिता धीरैरीप्याकाशयिता ॥ सा० द० ३, ११७ ॥] नाथिका का प्रगाढ़ मन्त्रु [दुर्घ] प्रतीयमान है। वह न तो वज्राभाव रूप निरेष ही है और न अपि निरेगमाप रूप विधि ही है। इस लिए यहा प्रतीयमान अर्थ अनुभय रूप है।

कहीं वाच्यार्थं प्रतिरूप होते पर [भो प्रतीयमान अर्थ] अनुभय रूप होता है। जैसे—

[मे] प्राप्तना करता हूं, मान जाओ, सौर आओ। अपन सुखचन्द्र की चरो स्ना से गढ़ अंगार कानुश करक आओ हत गे। तुम अन्य अभियारिकाओं [के कार्य] का भी दिल कर रही हो।

इस श्लोक की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। पहिली व्याख्या के अनुसार यह नायक के घर पर आई परन्तु नायक के गोप्रस्थलनादि अपराध से नाराज होकर लौट जाने के लिए उद्यत नायिका के प्रति नायक की उक्ति है। नायक चाढ़ुक मूँछ क उसको लौटाने का यत्न करता है। न बेवल अपने और इमारे सुख में मिन डाल रही हो बल्कि अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी विघ्न न रही हो तो पिर हुम्ह कभी सुख कैसे मिलेगा। इस प्रकार का वल्लभामि प्राय रूप चाढ़ु विशेष व्यग्य है।

दूसरी व्याख्या के अनुसार सखी के समझाने पर भी उसकी बात न मान कर अभिसारोद्यत नायिका के प्रति सरी की उक्ति है। लाघव प्रदर्शन द्वारा अपने को अनादरास्पद करके है दत्ताशे। तुम न बेवल अपनी मनोरथसिद्धि में विजय कर रही हो अपिगु अपने मुख चन्द्र की ज्योत्स्ना से अन्धकार का नाश करके अन्य अभिसारिकाओं ने कार्य में भी विघ्न डाल रही हो। इस प्रकार सखी का चाढ़ुरूप अभिप्राय व्यग्य है।

इन व्याख्याओं में से एक में नायकगत चाढ़ु अभिप्राय और दूसरे में सखीगत चाढ़ु अभिप्राय व्यग्य है। सखी पक्ष में नायिका विपथक रति रूप भाव [‘रतिदेवादिविषया भावो व्यभिचारी तथाङ्गित,’ अर्थात् नायक नायिका से भिन्न विपथक रति और व्यञ्जनागम्य व्यभिचारी को ‘भाव’ कहते हैं] व्यग्य है और वह अनुभावरूप ‘अन्यासामपि विघ्न करोपि दत्ताशे’ आदि वाक्यार्थ द्वारा, ‘निवर्तस्य’ इस वाच्यार्थ के प्रति अग रूप ही जाने से वरतुत गुणीभूत व्यग्य का उदाहरण यन जाता है व्यनि का नहीं। इसी प्रकार जहा ‘भाव’ दूसरे का अग हो उसे ‘प्रेय’ कहते हैं वह भी गुणीभूत व्यग्य ही है। नायकोंकित के पक्ष में उसी प्रकार से नायक गत रति उक्त अनुभावरूप अर्थ द्वारा ‘निवर्तस्य’ इस वाच्य का अग हो जाने से [‘रसवत्’, जहा रस अन्य का अग हो जाने वहा ‘रसवत्’ अलझार होता है।] यह भी गुणीभूत व्यग्य न्यू ही है। अतएव इन दोनों व्याख्याओं में यह व्यनि काय का उदाहरण न होकर गुणीभूत व्यग्य का उदाहरण यन जाता है इमलिए यह व्याख्या उचित नहीं है।

अतएव इसकी तीसरी व्याख्या यह की गई है कि शीघ्रता से नायक के घर को अभिसार करती हुई नायिका वे प्रति, उसने मैं मिलै हुए और नायिका वे पर की ओर आते हुए नायक की यह उक्ति है। यहा ‘निवर्तस्य’ लौट चलो यह वाच्यार्थ है। परन्तु यह लौट चलना नायक के घर की ओर भी हो सकता है और

करचिद् वाच्याद् विभिन्नविपयत्वेन व्यवस्थापितो यथा  
 कस्म व ए होइ रोसो ढहुए पिअएँ सब्यण अहरम् ।  
 सभमरणउभग्धाइणि वारिअगमे सहसु एन्हिम् ॥

[ कस्य वा न भवति रोपो दृष्ट्वा प्रियाया सत्रणमधरम्  
 सभमर पद्माधायिणि वारितगमे सहस्रेदानीम् ॥ इतिच्छाया ]

नायिका के घर भी । जाहे तुम मेरे घर चलो या हम दोनों तुम्हारे घर चलें यह तात्पर्य व्यग्य है । यह तात्पर्य न विधि रूप है और न नियेध रूप । अतएव याच्य प्रतिग्रिध रूप होने पर भी व्यग्य अनुभव रूप होने से प्रतीयमान ग्रथ वाच्यार्थ से अत्यन्त भिन्न है ।

अपर के चारों उदाहरणों में धार्मिक, पान्थ, प्रियतम और अभिसारिका ही क्रमशः, वाच्य और व्यग्य दोनों के विषय हैं । इस प्रकार विषय का ऐक्य होने पर भी वाच्य और व्यग्य जा स्वरूप भेद से भेद दिखाया है । अगले उदाहरण में यह दिखाते हैं कि वाच्य और व्यग्य का विषय भेद भी हो सकता है और उस विषय भेद से भी वाच्य और व्यग्य दोनों को अलग मानना होगा ।

अथवा प्रिया के [इतरनिमित्तरु] व्यवण अधर को दरख कर लिस्तो म्रोध नहीं आता । मना करने पर भी न मान कर्त्तृभ्रमर सहित कमल को सूधने वाली त् अथ उसका फल भोग ।

मिसी अभिनीता के अधर मे दशनजन्य ब्रण कहीं चौर्यरति के समय हो गया है । उसका पति जप उसको देखेगा तो उसकी दुश्चरिता वो समझ जावेगा और अप्रसन्न होगा । इसलिए उसकी सरी, उसके आस पास कहीं गियमान पति को लक्ष्य में रख कर उसको मुनाने के लिए इस प्रकार से जैसे मानों उसने पति को देखा ही नहा है उस अभिनीता से उपर्युक्त वचन कह रही है । यहा वाच्यार्थ का विषय तो अभिनीता है परन्तु उसका व्यग्य अर्थ है नि इसका वण परपुण जन्य नहीं अपितु भ्रमरदशननन्य है अत इसका अपराध नहीं है इस व्यग्य का विषय नायक है । इसलिए यहा वाच्य और व्यग्य का विषय भेद होने से व्यग्य अर्थ वाच्यार्थ से अत्यन्त भिन्न है ।

इसमें और भी अनेक विषय बन सकते हैं । वाच्यार्थ का विषय तो प्रथेक दशा में अभिनीता नारिका ही रहेगी परन्तु व्यग्य के विषय अन्य भी हो सकते हैं जैसे आज तो इस प्रकार से उच गई आगे कभी इस प्रकार क, प्रकृति चिन्हों का अपसर न आगे रहा । इस व्यग्य में प्रतिनायक ।

अन्ये चैवं प्रकारा वाच्याद् विभेदिनः प्रनीयमानमेदाः संभवन्ति ।  
तेषां दिव्याप्रमेतन् प्रदर्शितम् । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् विभिन्नः  
सप्रपञ्चमग्रे दर्शयिण्यने ।

द्वितीयस्तु रसादिलज्ञणं प्रभेदो वाच्यसामर्याक्षिप्तः प्रकाशते,  
न तु मात्स्ताच्छब्दव्यापारविपय इति वाच्याद् विभिन्न एत् । तथा हि,  
वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दनिवेदिनत्वेन वा स्यात्, विभावादिप्रतिपादनमुग्नेन  
वा । पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्दनिवेदिनत्वाभावं रमादीनामप्रतीतिप्रसंग ।  
न च सर्वत्र तेषा स्वशब्दनिवेदिनत्वम् । यत्रात्यस्ति तत् १, तत्रापि विशिष्ट-  
विभावादिप्रतिपादनमुग्नेनैषापि प्रतीति । स्वशब्देन मा केवलमनृग्रहे,  
ननु तत्त्वता । विपयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात् । न हि केवल शृण्गारादि-  
शब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागते रमयन्त्वप्रतीति-

इस प्रकार वाच्यार्थं से भिन्न प्रतीयमान [वस्तु ध्वनि] के आंग भी भेद  
हो सकते हैं । यह तो उनका केवल द्रिघदर्शन मात्र कराया है । दूसरा [अल्लकार  
ध्वनि रूप] प्रकार भी वाच्यार्थं से भिन्न है उसे आगे [द्वितीय उद्योत में]  
समिस्तर दिया गया ।

तीसरा [रमधनि] रसादि रूप भेद वाच्य को सामर्थ्यं से आक्षिप्त हो  
कर ही प्रशाशित होता है, साक्षात् शब्द व्यापार [धर्मिधा, लहणा, तापर्या शक्ति-  
व्यापार] का विषय नहीं होता, इसलिए वाच्यार्थं से भिन्न ही है । क्योंकि,  
[यदि उसको वाच्य माना जाय तो] उसको वाच्यता [दो ही प्रकार से हो सकती  
है] या तो स्वशब्द [वर्थनि, रमादि शब्द अथवा शहारादि नामों] से हो सकती  
है अथवा विभावादि प्रतिपादन द्वारा । [इन दोनों में से] पहले पर में [जहां रस  
शब्द अथवा शहारादि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु विभावादि  
का प्रतिपादन किया गया है वहा] स्व शब्द से निवेदित न होने पर रमादि की  
प्रतीति का अभाव प्राप्त होगा । [रमादि का अनुभव नहीं होगा] आंग सब  
जगह स्व शब्द [रमादि अथवा शहारादि नाम शब्द] से उन [रमादि] का  
प्रतिपादन नहीं किया जाता । जहां कहीं [स्व शब्द रमादि अथवा शहारादि  
संज्ञा पदों का प्रयोग] होता भी है वहां भी विगेच विभावादि के प्रतिपादन द्वारा  
ही उन [रमादि] की प्रतीति होता है । संज्ञा शब्दों से तो वह केवल अनुदित  
होती है । उनमें जन्य नहीं होतो । क्योंकि दूसर स्थानों पर उस प्रकार में

१. निं० में तत् पाठ नहीं है ।

रस्ति । । यतश्च स्वाभिवानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावान्तिभ्यो विशि  
प्टेभ्यो रसानीना प्रतीति । केवलान्तच स्वाभिवानान्तप्रतीति । तस्मा  
दन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याद्विवरणे उत्सादानाम् । न त्वभि-  
धेयत्वं कथचित् । इति तृतीयोऽपि प्रभानो वाच्याद् भित्र एतेति सिंहतम् ।  
वाच्येन त्वस्य सहवं' प्रतीतिरप्य नृशयिष्यते ॥ १ ॥

[विभावाद क अभाव म केवल सना शब्दों के प्रयाग स] वह [रमादि प्रतीति]  
दिलाई नहीं देती । विभावादि के प्रतिपादन रहित केवल [रस या] श्वासरादि  
शब्द के प्रयोग वाल काव्य में तिनिं भी रसपत्ता प्रतीत नहीं हाती । नयाकि  
[रसादि] सना शब्दों के बिना केवल विशिष्ट विभावादि स भी रसादि को प्रतीति  
होती है और [विभावादि क बिना] केवल [रसादि] सना शब्दों स प्रतीति नहीं  
होती इसलिए अन्य व्यतिरेक स रसादि वाच्य की सामर्थ्य स आविष्ट ही हात  
है किसी भी दृश्य में गाव्य नहीं होते । इसलिए तो सरा [रम भाव रसाभास,  
भावाभास भाव प्रशम, भावाद्य, भावसि इ भावशब्दता आदि रूप] भूत भी  
वाच्य स भिन्न ही है यह निश्चित है । वाच्य के साथ सो [असलव्य क्रम]  
इसको प्रतीति आगे दिखलाइ नायगी ।

जपर अन्य व्यतिरेक शब्द आए हैं । साधारणत 'तत् सर्वेऽत् सत्ता  
अन्यव', 'तदभाव तदभावो व्यतिरेक' य अन्य व्यतिरेक का लक्षण है । परन्तु इस  
के स्थान पर अन्य व्यतिरेक में 'तत् सर्वे तदितरसारग्रस्ते' कायसु रमन्यव 'तदभाव  
कार्यभावो व्यातरक' लक्षण अधिक उपयुक्त है । अन्य में सर्वल कारण सामग्रा अप  
द्वित है । व्यतिरेक तो एक के अभाव में भी हो सकता है । प्रतीयमान वस्तु अलकार  
और रसादि रूप अथ लौकिक तथा अलौकिक दो भगा में विभक्ति ना सकते  
हैं । वस्तु और अलकार कभी य शब्द वाच्य भी होते हैं इस लिए वह लौकिक  
के अन्तर्गत आते हैं और रस सदैव वाच्य सामर्थ्याद्वित हा हाता है इस लिए  
काय व्यापारैकगात्र होने स अलौकिक माना जाता है । लौकिक क वस्तु और  
अलकार दो भेद इस आधार पर । किए हैं कि इन में एक [अलकार] भेद एका  
है जो कभी सिरी अन्य प्रधानभूत अनन्यव रसादि का शोभाधारण होने स  
उपमाद अलकार रूप में भी व्यक्त होता है । परन्तु जहा वह गाव्य नहा अभितु  
वाच्य सामर्थ्याद्वित-व्यग्र है वहा वह विसा टूरे का अलकार नहा अभितु व्यग्र  
प्रधान भूत अलकाय है । तिर भी उसकी भूताद्वारामध्या के भारण 'प्राक्षण-अमण्ड

न्याय, से अलगार बनि रहते हैं। 'प्राणण श्रमण न्याय' का अभिधाय यह है कि कोई पूर्णाग्रस्था का ग्रामण पाठ्य यौद्द या जैग भिन्न 'श्रमण' नहीं गया। उस समय भी उसकी पूर्णाग्रस्था के नारण उसे श्रमण न कर कर 'व्राणण श्रमण' ही कहा जाता है। इस प्रकार उपमादि अलगार जड़ा प्रतीयमान या व्यय होते हैं वहाँ प्रधानता के कारण यह अलगार नहा अपितु अलगार्य कहे जाने योग्य होते हैं पर भी उनकी पूर्णाग्रस्था के आधार पर उनको अलगार धनि नाम से कहा जाता है। यह अलगार धनि प्रतीयमान का एक लौकिक भेद है। और जो अनलकार वस्तुमात्र प्रतीयमान है उसको वस्तु धनि कहते हैं। प्रतीयमान का तीसरा भेद रसादि रूप धनि कभी वाच्य नहा होता इस लिए यह अलौकिक प्रतीयमान कहा जाता है। इन तीनों में रसादि रूप धनि भी प्रधानता होते हुए भी सब से पहिले वस्तु धनि का निरूपण इस लिए किया जाता है कि लौकिक और वस्तु रूप होने से वाच्य से अतिरिक्त उस का अस्तित्व, अलौकिक रसादि के अस्तित्व की अपेक्षा सरलता से समझ में आ सकता है।

### अभिधा शक्ति स व्याख्यार्थ बोध का निरासरण—

इस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा, लक्षण और तात्पर्याख्या तीनों प्रसिद्ध वृत्तियों से भिन्न व्यजना नामक वृत्ति से ही होती है। उसके अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ के बाध का और कोई प्रभार नहीं है। लोचनकार ने 'भ्रम धार्मिन' आदि पत्र की व्याख्या में इस विषय पर विशद रूप से निवेदन की है। उसका सारांश इस प्रभार है। शब्द से अर्थ का बोध करने वाली अभिधा लक्षणा आदि जो शब्द शक्तिया भानी गई हैं उनमें सबसे प्रथम अभिधा शक्ति है। इस अभिधा शक्ति से ही यदि प्रतीयमान अर्थ का बोध माने तो उसके दो रूप हो सकते हैं। या तो वाच्यार्थ के साथ ही साथ व्याख्यार्थ का भी अभिधा से ही बोध माना जाय या पर पहिले वाच्यार्थ का और बीले प्रतीयमान का दूसरे प्रकार क्रमशः दोनों अर्थों का अभिधा से ही बोध माना जाय। इनमें से वाच्य और प्रतीयमान दोनों का साथ साथ बोध तो इस लिए नहा बनता कि ऊपर के उदाहरणों में विधि निषेधादि रूप से वाच्य और प्रतीयमान का भेद दिखाया है उसके रहते हुए दो विधि निषेध रूप परिवर्धी अर्थ एवं साथ एक ही व्यापार से बोधित नहा हो सकते। अब दूसरा पक्ष क्रमशः वाला रह जाता है वह भी सुनि सगत नहीं है। क्योंकि 'शब्दबुद्धिकर्मणा विरभ्य व्यापाराभाव,' अथवा 'विशेष्य नाभिधा गच्छेत् त्वीण-शक्तिरिशेषणे' आदि सिद्धान्तों के अनुसार अभिधा शक्ति एक ही बार व्यापार कर सकती है और उस व्यापार द्वारा वह वाच्यार्थ को उभस्थित करा सकती है।

अतएव वाच्यार्थ वोध में शक्ति का द्वय हो जाने से अभिधा शक्ति से प्रतीयमान अर्थ का वोध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह भी है कि अभिधा शक्ति सकेतित अर्थ को ही वोधित वर सकती है। प्रतीयमान अर्थ तो सकेतित अर्थ नहीं है।

इस लिए भी वह अभिधा द्वारा वोधित नहीं हो सकता है।

‘अभिहितान्वयनाद’ में अभिमत तात्पर्यांशक्ति से व्यंग्य वोध का निराकरण—

अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थपरिस्थिति के बाद ‘अभिहितान्वयनादी’ उन पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध के [अन्वय] वोध के लिए तात्पर्यांश का एक शक्ति मानते हैं। इसके द्वारा पदार्थ के समग्र रूप वाक्यार्थ का वोध होता है। ‘स. [तत्] वाच्यार्थं पर. प्रधानतया प्रतिपाद्य येषा तानि तत्परण्ये पदानि, तेषा भाव. तात्पर्यम्, तद्रूपा शक्ति. तात्पर्यांशक्ति।’ इस अभिहितान्वयनादियों की अभिमत तात्पर्यांशक्ति का प्रतिग्राह तो केवल पदार्थ समग्र रूप वाक्यार्थ ही है अतएव इस अति रिशापभूत प्रतीयमान अर्थ को वोधन करने की ज़मता उस में भी नहीं है।

‘अन्विताभिधाननाद’ और व्यंग्यार्थ वोध—

इस तात्पर्यांशक्ति को मानने वाला ‘अभिहितान्वयनाद’ भी मासकों में बुमारिल भट्ट का है। उसका विरोधी प्रभावकर का ‘अन्विताभिधाननाद’ है। ‘अभिहितान्वय वाद’ के अनुसार पहिले पदों से अनन्वित पदार्थ उपस्थित होते हैं। यीं तात्पर्यांशक्ति से उनका परस्पर सम्बन्ध होने से वाक्यार्थ वोध होता है। परन्तु प्रभावकर के ‘अन्वित भिधाननाद’ में पदों से, अन्वित-पदार्थ ही उपस्थित होते हैं। इस निए उनके अन्वय के लिए तात्पर्यांशक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। इस ‘अन्वित अभिधाननाद’ का प्रतिग्राहन प्रभावकर ने इस आधार पर किया है कि पदों से जो अर्थ वीं प्रतीति होती है वह शक्तिप्रद या सकेतप्रद होने पर ही होती है।

इस सकेतप्रद के अनेक उदाहरण [शक्तिप्रद इष्टकरणोर्मानसोराण्डगव्याद् अवश्यरतश्च। वाक्यरूप शेषाद् गिर्हतोर्दन्ति सामिल्यत सिद्धादस्य शृदा.] परन्तु इनमें सभी प्रथान उदाहरण हैं। व्यश्वार में उच्चम शृद [मितादि] भज्यमशृद [नोपर या वालक के भाई आदि] को कियी गाय आदि पदार्थ के साने का आदेश देता है। पास में वेदा वालक उच्चम शृद के उन ‘गामानव’ आदि पदों को मुनता है और भज्यमशृद को सास्नादिमान् गवादिन्प विद को लौटे हुए देता है। इस प्रकार प्रारम्भ में ‘गामानव’ इस आपद वाक्य में सास्नादिमान् दिट का अन्वयन स्वरूप समिल अर्थ प्रदृश करता है उसके बाद दूसरे वाक्यों में

गो के स्थान पर ग्रशंय या आनय के स्थान पर वधान आदि श्रलग-श्रलग पदों का अथ समझने लगता है। इस प्रकार व्यवहार से जो शक्तिग्रह होगा वह केवल पदार्थ में नहा अभितु अन्वित पदार्थ में ही होगा। क्योंकि व्यवहार अन्वित पदार्थ का ही समर है केवल का नहीं। इस लिए प्रभासर अन्वित अथ में ही शक्ति मानते हैं।

इस 'अन्विताभिधानगाद' के अनुसार इतना तो कहा जा सकता है कि केवल पदार्थ में शक्तिग्रह नहा होता अभितु अन्वित अर्थ में ही होता है। परन्तु जब यह प्रश्न होगा कि 'गाम्' पद का व्यवहार तो 'आनय' पद के साथ भी हुआ और वधान पद के साथ भी। तो आनयनान्वित गो में गो पद का शक्तिग्रह होगा या यन्धनान्वित में। इसका निषेध किसी एक पक्ष में नहीं हो सकता क्याकि वाक्यान्तर में प्रयुक्त आनयनादि पद तो वही है। इसलिए सामान्यत पदार्थान्वित में शक्तिग्रह होता है और अन्त में 'निर्विशेष न सामान्य' के अनुसार उस सामान्यान्वित का पर्याप्तान अन्वित विशेष में होता है यही 'अन्विताभिधानगाद' का सार है। इस मत के अनुसार विशेषपर्याप्तित सामान्य विशेष रूप पदार्थ सर्वेन विषय है परन्तु प्रतीयमान तो उसके भी वाद प्रतीत होने से 'अतिविशेष' रूप है। उस अतिविशेष रूप प्रतीयमान का ग्रहण अन्विताभिधानगादी के मत में भी अभिधा द्वारा नहा हो सकता है।

'अभिहितान्ययगाद' में अन्वित अर्थ और 'अन्विताभिधानगाद' में पदार्थान्वित अर्थ वाच्य अर्थ है। प्रथम् वाक्यार्थ तो अन्वित विशेष रूप है इस लिए वस्तुत दोनों ही पक्षों में वाक्यार्थ अव्याच्य ही है। और जब वाक्यार्थ ही अव्याच्य है तो फिर प्रतीयमान अर्थ को वाच्य कोटि में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

'अभिहितान्ययगाद' के आचार्य कुमारिल भट्ट और 'अन्विताभिधानगाद' के सरथापक प्रभाकर दोनों ही भी मामक हैं। यों तो प्रभाकर कुमारिल के शिष्य हैं परन्तु दार्शनिक मादित्य में प्रभाकर का मन 'गुरुमन' नाम स और कुमारिल भट्ट का 'तौतीतिरु' नाम से उल्लिखित हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रभाकर वहे प्रतिभाशाली थे। अपन गुरु क सामने हर एक विषय पर वे अपना तर्पसगत नया मत उत्परिणय करते थे। इस लिए इन दोनों के दार्शनिक मनों में यहुन भेद पाया जाना है। जिनमें से यह 'अभिहितान्ययगाद' और 'अन्विताभिधानगाद' का भद्र एक प्रमुख मैदानिक भेद है। एक वर कुमारिल भट्ट अपने विद्यार्थियों को पदा रहे। उसमें एक पक्षि इस प्रकार दी आगई 'अथ तु नेच तथानि नोच मिति पीनशक्यम्।' यहा तो नहीं कहा और कहा भी नहीं कहा इस लिए पुनर्दक्षि है यह

उस पक्षि का अर्थ प्रतीत होता है। परन्तु यह तो पुनरुक्ति नहीं हुई। पुनरुक्ति तो तब होती जब दो जगह एक ही बात कही जाती। कुमारिल भट्ट पढ़ाते-पढ़ाते सुन गए। यह पुनरुक्ति उनकी समझ में नहीं आ रही थी। इस लिए पाठ अगले दिन के लिए रोक दिया और पुस्तक बन्द बरके रख दी। प्रभाकर भी पाठ सुन रहे थे। गुरु जी के चले जाने पर थोड़ी देर बाद प्रभाकर को यह पक्षि समझ में आया। प्रभाकर ने गुरु जी की पुस्तक उठाई और उस पाठ को सनिधि लोड कर अलग अलग पदों में इस प्रकार लिख दिया। ‘अत्र तुना उक्तम्, तत्र अविना उक्तम्।’ यहा तु शब्द से वही बात कही है और वहा अपि शब्द से वही बात कही है इस लिए पुनरुक्ति है। गुरुथी सुलभ गई। गुरु जी को जब मालूम हुआ कि यह प्रभाकर ने लिया तो बहुत प्रसन्न हुए और उसको ‘गुरु’ की उपाधि प्रदान की। उस दिन से उसका मत ‘गुरुमते’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कुमारिल मत ‘तौतातिक’ मत के नाम से। ‘तौतातिक’ शब्द का अर्थ है ‘तु शब्दः तात् तिक् यस्य स. तुतात् तस्येद् मत तौतातिक मतम्।’

### भट्ट लोहट के मत की आलोचना—

‘अभिदितान्यवादी’ भट्ट के मतानुयायी ‘भट्ट लोहट’ प्रभति ने ‘यत्तरः शब्दः सः शब्दार्थ’ और ‘सोऽप्यमितोरिव दीर्घदीर्घतर्हैभिधाव्यापारः’ की युक्तिया देकर व्यग्य को अभिधा द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। [ ध्वन्यालोक के दीक्षाकार ने इस मत को ‘योऽप्यन्विताभिधानवादी यत्तरः शब्दः स. शब्दार्थः इति हृदये गृहीत्वा शरवद्विभिधाव्यापारमेव दीर्घदीर्घमिच्छति’ लिख कर इस मत को अन्विताभिधानवादी का मत दिखाया है परन्तु भान्यप्रमाण के दीक्षाकारों ने इसे ‘भट्टमतोपजीविनां लोहटप्रभृतीना मतमाशस्ते’ लिख कर ‘अभिदितान्यवादी’ मत उत्तेलाया है।] इस मत का अभिग्राय यह है कि जैसे गतगान सैनिक द्वारा छोड़ा गया एक ही वाण एक ही व्यापार से शत्रु के बर्म [ बर्म ] का छेदन, गर्म भेदन और प्राण हरण तीनों काम रुता है इसी प्रकार सुर्भि प्रयुक्त एक ही शब्द एक ही अभिधा व्यपार से पदार्थोरिथति, अन्यथ वोध और व्यव्य प्रतीति तीनों कार्य कर सकता है। इसलिए प्रतीयमान अर्थ भी वाच्यार्थ ही है। उसकी उपरिधि अभिधा द्वारा ही होती है। क्या तो यही कृषि का तात्त्विकीयीभूत अर्थ है। ‘यत्तरः शब्दः स. शब्दार्थः’।

इस मत की आलोचना करते समय हम उसको ऊर उद्दृत किए हुए यत्तरः शब्दः स. शब्दार्थः। और ‘सोऽप्यमितोरिव दीर्घदीर्घतर्है अभिधा व्यापारः’, इन

दो भागों में विभक्त होते हैं। इस मत के प्रतीगदन में भट्ट लोक्ष्मट ने 'अभिहितान्वय चादी मीमांसक होने के कारण मीमांसा के 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस प्रसिद्ध नियम का आश्रय लिया है परन्तु उन्होंने उसे टीक अथ में प्रयुक्त नहा किया है। इस नियम का प्रयोग मीमांसकों ने इस प्रसार किया है कि वाक्य के अन्तर्वर्ती पदार्थ की उपस्थिति होने पर उपस्थित पदार्थों में कुछ त्रिया रूप और कुछ सिद्ध रूप पदार्थ होता है। उनमें साध्यरूप त्रिया पदार्थ ही विभेद होता है। 'आम्नायस्य त्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदयनम्। मीमांसा २० अ० १ पा० २ सू० १' के अनुसार 'अग्निहोत्र उद्युयात् स्वगाराम' आदि विधि वाक्य त्रियारूप होम का ही विधान करते हैं। जहा होमादि किया किसी प्रमाणान्तर से प्राप्त होती है वहा तदुद्देश्येन गुणमात्र का विधान भी करते हैं। जैसे 'दध्ना उहोति' इस विधि में होम रूप त्रिया का विधान नहा है क्याकि होम तो यहा 'अग्निहोत्र उद्युयात्' इस विधि वाक्य से प्राप्त ही है। इसलिए यहा केवल दधि रूप गुण का विधान है। [ वैशेषिक दर्शन की परिभाषा के अनुसार दधि द्रव्य है गुण नहा। किसी द्रव्य में रहने वाले रूप, रस, गन्ध, सर्पण, सख्या, परिमाण आदि घमा को गुण कहते हैं और 'गुणाध्यो द्रव्यम्' गुणों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। इसलिए वैशेषिक की परिभाषा के अनुसार तो दधि द्रव्य है परन्तु मीमांसा में जहा दधि आदि द्रव्यों का विधान होता है उसे गुणविधि या गुणमात्र का विधान कहते हैं। इसका कारण यह है कि यहा गुण शब्द का अर्थ गौण है। इनके यहा किया ही विधान है और द्रव्यादि गौण हैं। इस गौण के अर्थ में 'गुणमान विधत्ते' से द्रव्यादि के विधान को गुणविधि कहा है।] जहा किया और द्रव्य दोनों अप्राप्त होते हैं वहा दोनों का भी विधान होता है। जैसे 'सोमेन यजत्', मैं सोम द्रव्य और याग दोनों के अप्रप्त होने से दोनों का विधान है। इस प्रसार भूत [सिद्ध] और भव्य [साध्य] के सहोच्चरण में 'भृत भव्यायोपदिश्यते' सिद्ध पदार्थ किया का अग्र होता है। और जहा जितना अश अप्राप्त होता वहा उतना ही अश 'अदग्ध दहन' न्याय से विहित होता है। वही उस वाक्य का तात्पर्यविपरीभूत अर्थ होता है। इस रूप में मीमांसक ने 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस नियम का प्रयोग या व्यवहार किया है। भट्ट लोक्ष्मट उस नियम को प्रतीयमान व्याय अथ को अमिधा से वोधित करने के लिए जिस रूप में प्रयुक्त करते हैं वह टीक नहा है। वे या सो उसके तात्पर्य को टीक समझते ही नहा, या फिर जान बूझ कर उसकी अन्यथा व्याख्या करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनकी यह संगति ठीक नहा है।

भट्ट लोक्ष्मट के मत का दूसरा भाग है 'सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽमिधा

व्यापार.' वाला भाग है। इस वाक्य का अभिधाय यह हुआ कि शब्द प्रयोग के बाद जितना भी अर्थ प्रतीत होता है उसके बोधन में शब्द का बैबल एक अभिधा व्यापार होता है। यदि यह ठीक है तो मिर न तात्पर्या शक्ति की आवश्यकता है और न लक्षणा की। भइ लोक्ट यदि अभिहितान्वयनादा है तभ तो वह तात्पर्या शक्ति को भी मानते हैं। और 'मानान्तरविश्व' तु मुख्यार्थस्य परिग्रह। अभिधेयानिमाभूत-प्रतीति लक्षणोच्यते॥ लदशमाणगुणे योगाद् वच्चेरिण तु गौणता।' इत्यादि भइ चार्तिर के अनुसार लक्षणा वक्ति भी मानते हैं। जब दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार से तात्पर्या तथा लक्षणा के भी बाद में हाने वाले प्रतीयमान अर्थों का ज्ञान हो सकता है तभ उसके पूर्ववता वाच्यार्थ तथा लक्षणार्थ का रोप भी उसी दीर्घदीर्घतर व्यापार द्वारा अभिधा से ही हो सकता है मिर इन दोनों को मानने की क्षमा आवश्यकता है। दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार के साथ तात्पर्या और लक्षणा शक्ति को भी मानना बदतो व्यापात है।

इसी प्रकार 'ग्राहण पुत्रस्ते जात' इस पुत्रोत्तरति के समाचार को सुन कर हर व्यक्ति को प्रसन्नता होता है। और 'कन्या ते गर्भिणी जाता,' कन्या अर्थात् अविधाहिता कन्या गर्भिणी हो गई इस वाक्य को सुन कर शोक होता है। इन शोक और हर्ष के प्रति यह वाक्य कारण है। परन्तु यह कारणता उत्तरति के प्रति है जप्ति के प्रति नहीं। वाक्य हर्ष शोक का उत्तरादक कारण है, ज्ञापक नहीं। यदि शब्द प्रयोग के बाद सभी अर्थ अभिधा शक्ति से ही रोधित होता है तो यह हर्ष, शोकादि भी वाच्य मानने चाहिए। परन्तु सिद्धान्त यह है कि वाक्यों से यह हर्ष शोक पदा होते हैं और मुग्ध विज्ञान आदि से अनुमान द्वारा ज्ञात होते हैं। 'उत्तरतिरिधत्य मिव्यन्तिरिग्नारप्रत्यवाप्तय। वियोगान्यतद्पृनय वारण नरधा मृतम्॥ योग २० ३,२८।' के अनुसार उत्तरति रिधति आदि के भेद से जी प्रकार के कारण माने गए हैं। उपर्युक्त 'ग्राहण पुत्रस्ते जात' आदि वाक्य हर्ष शोकादि के उत्तरति मान के कारण है। परन्तु उनका ज्ञान शब्द द्वारा न होकर मुग्ध विज्ञानादि से होता है। यदि शब्द व्यापार के बाद प्रतीत होने वाला द्वारा यह शोकादि को भी वाच्य मानना होगा। जो कि युक्ति-संगत नहीं है और मीमांसक स्वयं भी नहीं मानते।

एक जात और है। 'भूति लिंग वाक्य प्रस्तर्य रथन समाख्यना समग्रये पारदीर्घत्य अर्थविवरकर्त्ता' यह मीमांसा दर्शन का एक प्रमुख विद्वान् है। यदि उठ दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार यान्मा सिद्धान्त मन हित्या जाय तो यह भूति-निगादि का पारदीर्घत्य याला सिद्धान्त नहीं यह सकता। मीमांसा में विवेच-

याहे के पर नेत्र द्वारा हह है। उत्तमिति, विनिरेगिति, वरेगिति और अवित्तर इति। इनमें 'गाहृकमात्रावस्थेष्टि' इति, विनिरेगिति। यह विनिरेगिति का 'हठा' वित्त है। अबां॑ विग्रहे द्वारा गुण स्वीकृतप्रधान के सम्बन्ध यह है 'हठा तन।' विनिरेग वित्त वे गहृती भूति, लिंग, पात्र, प्रदाता, स्वाम या वाक्यात्मक गहृत है, वस्त्रात् घने गहृत है। और जहाँ इनमा गहृतप्रधान हा वहा वर्तीर्णक अथवा उत्तमात् प्रधान की दुर्बल माना जाता है। इसका परम् पद है वि भूति वे भवत्यमात् में द्वय प्रधान भाव वा गहृत हो जाता है परन्तु निंग आदि में वे वहा विनिरेग गहृत नहीं होते अरिहु उनकी वस्त्रना बरना होती है। जैसे 'हीरेभिष्यतः' यहा 'हीरेभि।' इस गृहीता विनिरेग में गुहना ही आदि वी वहा व प्रति वरद्वापा स्व अवगता प्राप्ति हा जाती है। परन्तु निंगादि में विनिरेग वी वस्त्रना करनी पड़ती है। जब तक उगते निंग वे आपार पर विनियोजक कावय की वस्त्रना वी जायगी उगके पूर्ण ही भूति से उत्तमा गाहृत् विनियोग हो जाने से निष्ठा वी कल्पवत्तयाकि आहत हा जाती है। अतएव लिङ्गादि वी अपेक्षा भूति प्रवर्ण है। जैसे 'ऐन्द्र्या गाहृत्यमुरिष्टते।' यह लिङ्ग वी अपेक्षा भूतिकी प्रवलता का उदाहरण है। जिन शृचाथ्रों का देवता इद है ये शृचा ऐन्द्रा शृचा वरलाती है। ऐन्द्री शृचाथ्रों ने इन्द्र का लिङ्ग होने से उनको इन्द्र वी रुक्ति का अंग होना चाहिए यह वान लिङ्ग से योग्यता होती है। परन्तु भूति प्रत्यक्ष स्व से 'ऐन्द्र्या' गाहृत्यमुरिष्टते' इस वचन द्वारा ऐन्द्री शृचा का गाहृत्य अभिनि [प्राचीन कर्णशांक के अनुगार रिगाइ के समय के यश की अभिन] वी भूति के अग स्व में विनियोग करती है। भूति के प्रवल होने के कारण ऐन्द्री शृचा गाहृत्य वी भूति का अग होती है लिङ्ग में इद रुक्ति का अग नहीं होता।

यदि भट्ट लोलट के अनुगार 'दीर्घीर्वत्तरोऽभिभाव्यागार' वाला सिद्धांत माना जाय तो भूति, लिंग आदि से जो जो अर्थ उत्तिथत होना है यह सब एक ही दीर्घीर्वत्तर अभिभाव्यागार से योग्यता हो जायगा। तर किर उनमें दुर्बल और प्रवल को कोइ वान ही नहीं रहेगा। इस लिए भट्ट लोलट का यह दीर्घीर्वत्तर अभिभाव्यागार वाला सिद्धांत मीमांसा के सुप्रतिष्ठित भूतिलिंगादि के पार-दीर्घीर्वत्तर सिद्धांत के विवरीत होने से भी अमाल है। इस प्रकार भट्ट लोलट का गारा ही सिद्धांत मीमांसा को दार्शनिक-परम्परा और साहित्य की शक्ति-परम्परा दोनों के ही विश्व और अमाल है।

इस भट्ट लोहपट के सिद्धात का ही पुच्छभूत मीमांसक का ही एकदेशी सिद्धात 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते' भी है। इस सिद्धात का भाव यह है कि व्यग्य या प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति किसी निमित्त से ही हो सकती है क्यों कि वह जन्य या नैमित्तिकी है। प्रकृत में उस प्रतीति का निमित्त शब्द के अति-रित् और कुछ उन ही नहीं सकता इसलिए शब्द ही उसका निमित्त है। और शब्द अभिधा द्वारा ही उस अर्थ को व्योधन कर सकता है अर्थ कोई मार्ग है ही नहीं इसलिए अभिधा द्वारा ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो सकती है। इस मत का यण्डन तो सष्ट ही है। अभिधा द्वारा 'सकेतित' अर्थ ही उपस्थित हो सकता है। यदि प्रतीयमान को अभिधा द्वारा उपस्थित मानना है तो उसको सकेतित अर्थ मानना होगा। यह युक्तिसंगत नहीं है। यह कहना भी ठीक नहा है कि निमित्तभूत शब्दों में तो सकेत की आवश्यकता होती है भिन्न नैमित्तिक व्यग्य प्रतीति के लिए सकेतप्रद की आवश्यकता नहीं है उसकी प्रतीति विना सकेतप्रद के ही हो जाती है। अत यह मत भी युक्ति विस्तृद होने से अग्राह्य है।

### धनञ्जय तथा धनिक मत की आलोचना—

आलकारिकों में दशरथक के लेखक धनञ्जय और उसके टीकाकार धनिक ने भी अनेक अभिधा और तात्त्वां शक्ति से ही प्रतीयमान अर्थ का वोध दिखाने का प्रयत्न किया है। धनञ्जय ने दशरथक क चतुर्थ प्रकाश में 'वाच्या प्रकरणादिभ्यो उद्दिष्यथा वा यथा किया। वाक्यार्थं कारके युक्त्वा, स्थायी-भवत्तयेतरै ॥' यह कारिका लिखी है। इसका आशय यह है कि जित प्रकार वाक्य में कही वाच्या अर्थात् अवयव या और कहीं 'द्वार द्वार' आदि अथव्यमाण्य-किया याले वाक्यों में प्रकरणादिवशा उद्दिष्य किया ही अन्य कारणों से सम्बद्ध होकर वाक्यार्थं रूप में प्रतीत होती है। इसी प्रकार निभाव, अनुभाव, सचारीमाप आदि के साथ मिलकर रसयादि रसायी भाव ही वाक्यार्थं रूप से प्रतीत होता है। विनामादि पदार्थस्थानीय और तत्क्षण रत्यादि वाक्यार्थं स्थानीय हैं। अर्थात् पदार्थ सकर्त्तरोप के समान तात्त्वां शक्ति स ही उनका वोध हो जाता है। इसका कारिका की व्याख्या में टीकाकार धनिक ने लिखा है 'तत्त्वांश्चित्तिरेषां च व्यजक्त्वस्य न अभिनीते । यथन्यायंप्रवार्तित्वात् तात्पर्ये न तुलाधृतम् ॥' तात्त्व का लेख वहा धनिक है। यह कोई नहीं तुला वदार्थं नहीं है कि इससे अधिक नहीं हो सकता। यह तो याकारांश्चित्तिरेषां ही है। जहा जंकी और जिनी आवश्यकता हो पहाँ सह तात्त्वं का व्याकरण हो सकता है। धनिकादी ने प्रथम कहा मैं वाक्यार्थं,

द्वितीय कक्षा में तात्पर्यार्थ, तृतीय कक्षा में लक्षणार्थ और चतुर्थ कक्षा में व्याख्यार्थ को रखा है। परन्तु इस कक्षा प्रिभाग से तात्पर्य की शक्ति कुठित नहा होती। उस चतुर्थकक्षानिविष्ट अथ तक तात्पर्य की पहुच हो सकती है। इस लिए चतुर्थकक्षानिविष्ट व्याख्य श्रय भी तात्पर्य की सीमा में ही है उससे जाहर नहीं है। धनञ्जय और धनिक के व्यजना पिरोधी मत का यही सारांश है।

इसका उत्तर यह है कि आपसी यह तात्पर्य शक्ति 'अभिहितान्वयगाद' में मानी गई तात्पर्य शक्ति ही है अथवा उससे भिन्न रोई और ? यदि अभिहितान्वयगादियों वाली ही तात्पर्य शक्ति है तो उसका ज्ञेन तो नहा सीमित है, असीमित नहा। उसका काम देवल पदाथ सप्तग्रोध करना है, उससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकती। इस लिए प्रतीयमान ग्रन्थ का गाध वरा सर्सना उसकी सामर्थ्य के जाहर है। वह तो द्वितीयकक्षानिविष्ट सप्तग्रोध तर ही सामित है। चतुर्थकक्षा निविष्ट व्याख्य श्रय तक उससी गति नहीं है। इस लिए आपको यह तात्पर्य शक्ति जो यावत्कार्यप्राप्तारिणी हो—आवश्यकतानुसार हर जगह पहुच सके—वह तो उससे भिन्न कोई अलग ही शक्ति माननी होगी। और उस दशा में व्यनिगाद के साथ उसका नाम मात्र का भेद हुआ। अभिवा, लक्षणा, तात्पर्य से भिन्न एक चौथी शक्ति मानी ही गई तब उसका नाम चाह व्यजना रसो या तात्पर्या, अर्थ में कोई भेद नहा आता।

### लक्षणापाद का निराकरण—

व्यजना को न मान कर अन्य शब्द शक्तियों से ही उसका काम निकालने वाले मनों में से एक मन और रह जाता है। 'भ्रम धार्मिक' इत्यादि स्थलों में कुछ लोग पिरीत लक्षणा द्वारा नियंत्रण या विविध रूप अर्थ की प्रतीति मानते हैं। इस मत की आलोचना करते हुए लाचनशार ने जो युक्तिया दी हैं उनमा सप्रद श्री मग्मयचार्य ने अपने ऋष्यप्रकाश में उही अच्छी तरह एक ही जगह ४ कारिकाओं में कर दिया है।

यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुदास्यते ।  
 पले शब्दैकगम्यज्ञ व्यजनान्नापरा निया ॥  
 नाभिधा समयाभावान्, हेत्वभावान् लक्षणा ।  
 लक्षण न मुख्य नाप्यत्र वाधो योग पलेन नो ॥  
 न प्रयोजनमेतरिमन्, न च शब्द स्पलाद्गनि ।  
 एवमप्यननन्त्या स्पाद् या मूलक्षणकारिणी ॥

प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न युत्थते ।

शानस्य पिपयो हन्त्य. फलभन्यदुदाहृतम् ॥ का० प्र० २, १४-१७

इन कारिकाओं का भावार्थ इस प्रकार है :

१. जिस शैत्य पावनत्व के अतिशय आदि रूप प्रयोजन की प्रतीति करने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है यह बेप्रल शब्द से गम्य है और उसके बोधन में शब्द का व्यजना के अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं हो सकता है ।

२. उस फल के बोधन में अभिधाव्यापार काम नहीं दे सकता है क्योंकि फल सरेति अर्थ नहीं है । इस लिए समय अर्थात् सकेतग्रह न होने से अभिधा से फल की प्रतीति नहीं हो सकती है । और मुख्यार्थ वाध, मुख्यार्थ सम्बन्ध तथा प्रयोजन रूप लक्षणा के तीन कारणों में से किसी के भी न होने से फल का बोध लक्षणा से भी नहीं हो सकता है । यदि शैत्य पावनत्व को लक्ष्यार्थ मानना चाहें तो उससे पहिले उपरिख्यत होने वाले तीर रूप अर्थ को जो कि इस समय लक्षणा से बोधित माना जाता है उसको मुख्यार्थ मानना होगा, उसका वाध मानना होगा और शैत्य पावनत्व का भी कोई और प्रयोजन मानना होगा । ये तीनों बातें नहीं बनती हैं । लद्य अर्थात् तीर रूप अर्थ मुख्यार्थ नहीं है, मिर उस तीर रूप अर्थ का वाध भी नहीं है और उसका शैत्य पावनत्व से सम्बन्ध भी नहीं है । शैत्य पावनत्व से तो गगा का सम्बन्ध है तीर का नहीं, इसलिए शैत्य पावनत्व तर का लक्षणार्थ नहीं हो सकता है ।

३. शैत्य पावनत्व का अतिशय जो इस समय प्रयोजन रूप से प्रतीत होता है उसको यदि लक्ष्य भी मानें तो उसका मिर कोई और प्रयोजन मानना होगा परन्तु उस शैत्य पावनत्व के अतिशय बोध का कोई दूसरा प्रयोजन प्रतीत ही नहीं होता और नहीं गंगा शब्द उसके बोधन के लिए स्वरूपगति-व चिनार्थ ही है । और यदि कथचित् उस शैत्य पावनत्व के अतिशय में भी कोई प्रयोजन मान कर उसको लक्षणार्थ मान निश्चय जाय तो मिर यह जो दूसरा प्रयोजन प्रतीत हुआ उसको मालक्षणार्थ मानने के लिए उसका भी एक और तासय प्रयोजन मानना होगा । इसी प्रकार नींसरे प्रयोजन का घीगा, घीघे का पानसा आदि प्रयोजन मानने होने और यह प्रयोजन की परम्परा कही समाप्त नहीं होगी । इसलिए अनन्तरथा दोप होगा जो नूल शर्पां-शैत्य पावनत्व के अतिशय बोध को लक्षणार्थ मानने की ही समाप्ति पर देगा ।

### विशिष्ट लक्षणामाद का निराकरण—

४ ऊपर की कारिका में जो दोष दिसाए गए हैं कि, तीर मुख्यार्थ नहीं है, उसका गाध नहीं होता, और उसका शैत्य पावनत्व रूप फल के साथ सम्बन्ध नहीं है, ये सब दोष उस अवस्था में आते हैं जब शैत्य पावनत्व को लक्ष्यार्थ माना जाय। इस लिए पूर्व पक्ष, उस स्थिति को नदल कर यह कहता है कि न केवल तीर लक्ष्यार्थ है और न केवल शैत्य पावनत्व का अतिशय। अपितु शैत्य पावनत्व विशिष्ट तीर में लक्षणा माननी चाहिए इस प्रकार व्यजना की आवश्यकता नहीं होगी। इस पूर्व पक्ष का समाधान करने के लिए आगली कारिका दी है। ‘प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न विद्यते’। प्रयोजन सहित अर्थात् शैत्य पावनत्व विशिष्ट तीर लक्षित नहीं हो सकता है। क्योंकि तीर अर्थ लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल दोनों अलग अलग ही होते हैं। तो कभी एक नहा हो सकते। इस लिए लक्षणा जन्य ज्ञान का विषय तीर और उसका फल शैत्य पावनत्व इन दोनों का रोध एक साथ नहीं हो सकता। उनमें कारण काय भाव होने से पौर्वी पर्य आवश्यक है। पहिले कारण भूत तीर बोध और उसके गाद फल रूप शैत्य पावनत्व का रोध दोनों अलग अलग ही होगे, एक साथ नहीं। अतएव शैत्य पावनत्व के रोध के लिए लक्षणा से अतिरिक्त व्यजना अलग माननी ही होगी।

ज्ञान का विषय और फल दोनों अलग-अलग होते हैं यह सभी दार्शनिकों का सिद्धान्त है। न्याय के मत में ‘अय घट’ इस ज्ञान का विषय घट होता है और उसस आत्मा में एक ‘घटज्ञानग्रन्थ’ या ‘घटमह जानामि’ इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को नैयायिक अनु प्रवसाय कहता है। यह अनुप्रवसाय ‘अय घट’ ज्ञान का फल है। इसलिए नैयायिक मत में ज्ञान का विषय घट और ज्ञान का फल अनु प्रवसाय होने से दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार भीमासक के मत में भी ‘अय घट’ इस ज्ञान का विषय तो घट है और उस ज्ञान का फल ‘शातता’ नामक घम है। इस लिए उसके यहाँ भी ज्ञान का विषय घट और ज्ञान का फल ‘शातता’ दोनों अलग होने से दानों का प्रदण एक काल में नहा हो सकता।

नैयायिक और भीमासक दोनों ही ‘अय घट’ इस ज्ञान का विषय घट को मानते हैं। परन्तु फल के विषय में दोनों मध्योंसा सत भद्र है। नैयायिक ‘अय घट’ इस ज्ञान का फल ‘अनुप्रवसाय’ को और भीमासक ‘शातता’ को मानता है। इन ‘अनुप्रवसाय’ और ‘शातता’ के स्वरूप में अन्तर यह है कि नैयायिक क

मत में 'अनुव्यवसाय' आत्मा में रहने वाला धर्म है। 'धट ज्ञानजगद्भू' या 'धटमहं ज्ञानामि' इत्यादि रूप 'अनुव्यवसाय' आत्मा में उत्पन्न होता है। ज्ञान के ज्ञान का नाम 'अनुव्यवसाय' है। 'अय धट' इस व्यवसायात्मक ज्ञान का विषय धट होता है 'धटज्ञानवानहम्' इस अनुव्यवसायात्मक ज्ञान का विषय 'धट ज्ञान' होता है। और वह 'अनुव्यवसाय' आत्मा में रहता है यह नैयायिक सिद्धान्त है। दूसरी ओर मीमांसक की 'ज्ञातता' आत्मा में नहा अपितु धटरूप पदार्थ में रहने वाला धर्म है। इसी 'ज्ञातता' के आधार पर यह और ज्ञान का विषय विषयभाव बनता है। अर्थात् 'अय धट' इस ज्ञान का विषय धट है पट नहा — यह नियम कैसे बनेगा। धट ज्ञान धट से पैदा होता है इसलिए धट उसका विषय होता है पट नहा यदि यह कहा जाय तो फिर धट ज्ञान आलोक से भी पैदा होता है और चक्षु भी उसका कारण है। तब तो फिर आलोक और चक्षु भी उस ज्ञान का विषय होने लगेंगे। इस लिए इस उत्पत्ति के आधार पर विषयविषयभाव का उपादन नहा हो सकता। अत विषयविषयभाव का उपादन 'ज्ञातता' के आधार पर ही समझना चाहिए। 'अय धट' इस ज्ञान से जो 'ज्ञातता' नामक धर्म पैदा होता है वह धट में रहता है, पट में नहा रहता। इस लिए धट ही उस ज्ञान का विषय होता है, पट नहा होता। यह मीमांसक का कहना है। इस प्रकार यश्चपि नैयायिक और मीमांसक दोनों ज्ञान का पल अलग-अलग अनुव्यवसाय और ज्ञातता दो मानते हैं। परन्तु वे दोनों ही इस विषय में एकमत हैं कि ज्ञान का विषय और पल दोना अलग ही होते हैं। इसलिए यहाँ भी लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय तीर और उससा पल शैत्य-पापनत्य का अतिशय ग्रलग-ग्रलग ही मानते होंगे और उन दोनों का नोध एक साथ नहा हो सकता है। अतएव शैत्य-पापनत्य विशिष्ट तीर को लक्ष्यार्थ मानते का जो पूर्य पक्ष उठाया गया था वह ठीक नहा है। उन दोनों का नोध अलग अलग क्रमसा लक्षणा तथा व्यजना द्वारा ही मानना होगा। फलितार्थ यदि हुआ कि अभिधा, तात्त्वां और लक्षणा इन तीनों में से किसी शक्ति से व्यजना का काम नहा निभाला जा सकता है। इसलिए व्यजना को अलग वृत्ति मानना ही होगा।

### अपदार्थतापादी वेदान्त मत—

अद्वैतरूप ब्रह्मगादी वेदान्ती तथा स्पोर्हण शब्द ब्रह्मकादी वैयाकरण अपद वाक्य और अपद वाक्यार्थ मानते हैं। वेदान्त मत में निया, कारक भाव औ स्वीकार कर उत्तर द्वारा वाली वुद्धि गद्वित या सख्त और उमस भिन्न निया वारक भाव रहित वुद्धि अपद वुद्धि है। उनके मत में यह सारा सिवार ही मिथ्या

है अतएव धर्मिं-धर्म भाव या मिथ्या-कारक भाव आदि सब मिथ्या हैं इस लिए चात्मयों में यह वाच्यार्थ है, यह लद्यार्थ है, यह व्यभ्यार्थ है इस प्रकार का विभाग नहीं किया जा सकता। अग्रिमु समस्त अरण्ड वाक्य से वाच्य, लद्य, व्यभ्य और उससे भी आगे जितना भी अथ प्रतीत होता है वह सब अरण्ड रूप में उपस्थित होता है। यतः व्यजना आदि को मानने की आवश्यकता नहीं है। वेदान्ती अरण्ड वाक्य मानते हैं। उसका लक्षण कहा 'स सर्गांगोचरप्रमितिजनकत्यमरणदार्थत्यम्' अथात् क्रिया-कारक भावादि रूप सर्गांविषयक प्रतीति को पैदा करने वाला वाक्य अरण्डार्थक वाक्य है इस प्रसार किया गया है और कहा 'अविशिष्टमपर्यायानेक-शब्दप्रकाशितम्। एक वेदान्तनिष्ठणाता स्तम्भण व्येदिरे।' इत्यादि रूप में मिथ्या गया है।

### अखण्डार्थतावादी वैयाकरण मत—

लगभग इसी प्रसार स्फोटरूप शब्द ब्रह्मवादी वैयाकरणों ने भी अरण्ड वाक्य की कल्पना की है। उसना उपपादन करते हुए भर्तु हरि ने लिखा है—“नाहाणांथो यथा नास्ति कश्चिद् ब्राह्मणकम्बले। देवदत्तादयो याक्ये तथैव स्युरनर्थका ॥” इसका भाव यह है कि ब्राह्मण का कम्बल इस अर्थ में प्रयुक्त ब्राह्मणकम्बल इस शब्द में अकला ब्राह्मण शब्द अनर्थक है क्योंकि अबेले ब्राह्मण शब्द से किसी अर्थ का बोधन नहा होता है। ब्राह्मणकम्बल इस सम्मिलित सम्पूर्ण शब्द से ब्राह्मण सम्बन्धी कम्बल यह अरण्ड अर्थ वोधित होता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष वाक्य में अलग अलग देवदत्तादि शब्द अनर्थक हैं। समस्त अरण्ड वाक्य से अरण्डवाक्यार्थ उपस्थित होता है।

इस प्रकार वेदान्ती और वैयाकरण मत में अरण्ड वाक्यार्थ बोध मानने से वाच्य, लद्य, व्यभ्य भी अलग प्रतीति नहीं होती है। परन्तु इस हेतु को नैवेल व्यजना के विरोध में प्रमुख नहीं किया जा सकता है। उससे तो व्यभिधा, लक्षण और तात्त्वयों का भी सोर हो जाता है। फिर वेदान्ती जो जगत् को मिथ्या कहते हैं वे भी उसका व्यावहारिक अस्तित्व स्वीकार करते ही हैं। और व्यवहारिक रूप में सर लोक व्यवहार अन्य जगत्-सत्य-दर्शादियों के समान ही मानते हैं। 'व्यवहारे भद्रनय' यह उनका प्रसिद्ध सिद्धान्त है। इसी प्रकार वैयाकरण भी जो अरण्ड वाक्यार्थ की कल्पना करते हैं वह भी 'पचति, गच्छति' आदि प्रत्येक पद में प्रहृति प्रत्यय का विभाग व्यावहारिक रूप से करते हैं। स्वयं भर्तु हरि ने भी तो लिखा है—“उपाया शिद्यमाणाना गालानामुपलालना।

असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्य समीहते ।” इसलिए जब व्यवहार-दशा में ‘पचति, गच्छति’ आदि में प्रकृति प्रत्यय का प्रभाग बन सकता है तर उस दशा में अभिधा, लात्यायों, लक्षणा और उन सभ्य से भिन्न व्यजना का अस्तित्व मानने में बोई वाधा नहीं प्रतीति होती । अत. व्यजना को अलग वृत्ति मानना ही चाहिए ।

### वाच्यार्थ व्याख्यार्थ के भेद :—

वाच्यार्थ से भिन्न व्याख्यार्थ की सिद्धि के लिए आलोककार तथा अन्य आचार्यों ने अनेक हेतु दिए हैं । साहित्यर्दर्शकार विश्वनाथ ने उन सभ देहुओं का सुन्दर सग्रह केवल एक कारिका में इस प्रकार कर दिया है । “बोद्ध, स्वरूप, सरया, निमित्त, वार्य, प्रतीति, कालानाम् । आध्य, विषयादीना भेदाद् भिन्नोऽभिधेयतो व्यग्य ।” यथोत् बोद्धा, स्वरूप आदि ने भेद होने के कारण व्य य अर्थ वाच्य अर्थ से भिन्न ही मानना होगा । १. बोद्धा के भेद का आशय यह है कि वाच्यार्थी प्रतीति तो पद पदार्थ मात्र में व्युत्पन्न वैयाकरण आदि सभ को हो सकती है परन्तु व्यग्य अर्थ की प्रतीति केवल सहृदयों का ही होती है । इसलिए बोद्धा के भेद के कारण वाच्य से व्यग्य को अलग मानना चाहिए । २. स्वरूप भेद के उदाहरण यही ‘भ्रम धार्मिक’ इत्यादि दिए हैं । जिनमें कही वाच्य विधिसुप्त और व्यय निपुण रूप और कही वाच्य दृनिपेष रूप और व्यग्य निधि रूप इत्यादि स्वरूप भेद पाया जाता है । ३. सख्या भेद का अभिप्राय यह है कि जैसे सन्त्या के समय उसी ने कहा है ‘गतोऽस्तमकः’ सूर्य छिर गया । यहा वाच्यार्थ तो सरन छिर गया यह एक ही है परन्तु व्यग्य अनेक हो सकते हैं । कही सन्त्योषासना का समय ही गया, कही पेल घन्द करो, कही धूमने चलो, कही ‘कान्तमभिसर’ आदि अनेक रूप के व्य य हो सकते हैं । ४. वाच्यार्थ के वोध का निमित्त संज्ञेत प्रह आदि ही है और व्यग्यार्थ का निमित्त प्रतिभानैर्मल्य, सहृदय-स्वादि हैं । इसलिए दोनों का निमित्तभेद भी है । ५. इसी प्रकार वाच्यार्थ केवल प्रतीति मात्र करने वाला और व्यग्यार्थ चमत्कारजनक होने से दोनों के वार्य में भी भेद है । ६. दोनों में काल का भी भेद है क्योंकि वाच्यार्थ की प्रतीति प्रथम और व्यग्य की प्रतीत पीछे होती है । ७. वाच्यार्थ शब्दाश्रित होता है और व्यग्य उसके एकदैरा प्रहति-प्रत्यय-पर्ण-समझना आदि में रह सकता है अत. आध्य भेद भी है । ८. और प्रियत्र भेद का उदाहरण अभी मूल में दिया जा चुका है । ‘कस्य न भरति रोगो’ इत्यादि में वाच्यार्थ वोध का विषय नायिका और व्यग्यार्थ का

कर्तृक, अथवा कौचोदेश्यक व्रींचीकर्तृक] के बन्दन से उत्पन्न आदि कवि - वालमीकि [वालमीकि निष्ठ करण रस का स्थायीभाव] का शोक श्लोक ['मा निपाद' इत्यादि काव्य] रूप में परिणत हुआ।

हे व्याध तू ने दाममोहित, कौच के जोड़े में से एक [कौच] को मार डाला अतएव तू अनन्त काल तक [कभी] प्रतिष्ठा [सुरुहीति] को प्राप्त न हो।

शोक करण रस का स्थायीभाव है। [वद्यपि] प्रतीयमान के और [उस्तु अलमार च्वनि] भी भद्र दिलाएँ गए हैं परन्तु [रसादि के] प्राधान्य से रसभाव द्वारा ही उनका उपलक्षण [ज्ञापन] होता है।

कौच वध की जिस घटना का उल्लेख यहा फ़िया गया है वह वालमीकि रामायण के प्रारम्भ में मिलती है। उठूत 'मा निपाद' इस श्लोक में 'एकम्' इस पुलिंग प्रयोग से प्रतीत होता है कि उस जोड़े में से नर कौच ही मारा गया था और उसके वियोग में व्रींची रो रही थी। आगे दे श्लोक "त गोणितपरीताग, चैषमान महीतले। दृष्ट्या कौची द्वोदाता करणे मे परिभ्रमा ॥" में इसका सम्मुखी वर्णन है। परन्तु यहा धन्यालोककार ने अपने वृत्तिभाग में 'निहतसहचरीनिरह कातरव्रींचाक्रन्दजनित' पाठ दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वध सहचरी मौंची का हुआ और रोदन करने वाला नर कौच है। इस की टीका में लोचनमार ने भी 'सहचरीहननोदभूतेन, तथा निहतसहचरीति यिमान उक्त लिख कर इसी की पुष्टि भी है। न केवल इन दोनों ने अग्नि का-र्मामासाकार ने भी अपने ग्रन्थ में 'निपादनिहतसहचरीकौचयुगानम्' लिखा है। यह सब वालमीकि रामायण के विश्वद प्रतीत होता है। इसलिए दीधितिकार आदि कुछ लोग मूल वृत्तिग्रन्थ और उसके लोचन दोनों से पाठ पदल कर उसमें व्याख्या करते हैं। दूसरे विद्वानों का मत यह है कि धन्यालोक ध्वनिप्रधान ग्रन्थ है। इसमें कौच मिथुन से सीता और राम की जोड़ी, निपाद पद से रामण, और वध से सीता का अतिशय पीड़न रूप वध अभियन्त होता है इसलिए धन्यालोककार ने सहचरी पद से सीता रूप अर्थ को अभियन्त करने के लिए 'निहतसहचर' के स्थान पर 'निहतसहचरी' पाठ रखा है। दूसरे जो लोग 'सहचरी' के स्थान पर 'सहचर' पाठ परिवर्तन करते हैं ने भी यहा व्यग्रार्थ इस प्रकार निशालगे हैं कि भारी रामणपद के सूत्रमार्थ सहचर रामण के निरह से कातर व्रींची मन्दोदरी उसके आकृत्ति से जनित शोक श्लोकस्त्र को प्राप्त हुआ। हमने जो उपर इस अशा का अनुवाद किया है वह इन-

सरस्वती स्नादु तदर्थवस्तु निःप्यन्दमाना महतां कर्मानाम् ।  
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥६॥

\*तत् वस्तुतत्वं नि प्यन्दमाना महतां कर्मीना भारती<sup>३</sup> अलोकसा-  
मान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तं अभिव्यनक्ति । येनाम्भिन्नतिविचित्र-  
कविपरम्परावाहिने संसारे कलिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चपा एव वा  
महाकवय इति गण्यन्ते ॥६॥

मर से भिन्न है। अन्यालोक और लोचन की सभी प्रतिनों में सहचरी वाला पाठ  
ही पाया जाता है इसलिए हमने उसको प्रामादिक पाठ न मान कर 'स्थितस्य गति-  
श्चन्तनीया' के अनुसार उसकी समति लगाने का प्रयत्न किया है। "निदृतः,  
सद्चरीविरहस्तरश्चासौ व्रांचः निदृतमहचरीविरहस्तरम्बैव, तदुद्देश्यम्. व्रांची-  
कर्तृको य आकृदः, तद्जनित शोमः ।" इस प्रगार की व्याख्या नहने से पाठ की  
कथचिन्तन-गति लग जाती है। और पाठ परिवर्तन किए गिना भी रामायण में उसके  
विरोध का परिहार हो जाता है। इस व्याख्या ना भगवार्थ यह हुआ कि 'निदृत'  
यदि 'सद्चरी' का विरोध नहीं अभिन्न 'निदृतः' और 'सद्चरीविरहस्तरः' यह दो  
विशेषण 'व्रांचः' के हैं। मरने समय से साताग्रिम पुण्य वा अपने स्त्री-बच्चों का  
विषेषण 'व्रांचः' के हैं। ऐसे अर्थ करने से  
प्रादिवि वालमार्कि का शोक, श्लोक स्पष्ट में परिणत हुआ। ऐसा अर्थ करने से  
मूल गृहे में जो रामायण का विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार हो सकता है।  
लोचन में जहा 'सद्चरहननोद्भूत' पाठ है वहाँ 'सद्चरहननोद्भूत' यही पाठ  
होना चाहिए। लोचन के 'निदृतसद्चरी' ते विभव उच्च । इस पाठ को प्रतीक मान  
कर निदृतसद्चरी इत्यादि ग्रन्थ से विभव कहा है यह अर्थ मानने से रामायण का  
विरोध नहीं रहता है। परन्तु काव्यमीमांगलार ने जो 'निरादनिदृतसद्चरीक व्रांच-  
युरानन्' लिखा है यह इस ग्रन्थ को टीका न लगानने के द्वारा ही कह दिया है  
इसलिए यदि टीका नहीं है ॥५॥

उम आम्यादमप [ रम भाव रूप ] अर्थ तत्त्व को प्रगाहित करने पाली

१. प्रति स्फुरन्त निः । २. तत् यह यदि निः में नहीं है । ३. सरस्वती  
विः । वीः में भारतीय वार्ष वे प्रारम्भ में रखा है ।

इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावसाधनं प्रमाणम्—

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेदते ।

वेदते स तु' काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥७॥

\*सोऽर्थो यस्मात् केवलं काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवासार्वर्थ स्यात्, तद् वाच्यवाचकस्यरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीति स्यात् । अय च वाच्यवाचकलज्ञानमात्रं तत्प्रमाणा काव्यं तत्त्वार्थभावनानिमुपाना स्वरश्रुत्यादिलक्षणमिवाप्रगीतानां<sup>३</sup> गन्धर्वं लक्षणविदामगोचरं एवासार्वर्थ ॥७॥

महाकवियों की वाणी [ उनके ] अलौकिक, प्रतिभासमान प्रतिभा, [ अपूर्ववस्तु निमाणक्षमा प्रज्ञा ] के वैशिष्ट्य को प्रकट करती है ।

उस [ प्रतीयमान रस भावादि ] अर्थताव को प्रवाहित करने वाली महा कवियों की वाणी [ उनके ] अलौकिक, प्रतिभासमान, प्रतिभाविशेष को व्यक्त करती है । जिसके कारण नानाविधि कवि परम्परा शाली हस्त ससार में कालिदास आदि दो तीन अथवा पाँच छ ही महाकवि गिने जाते हैं ॥६॥

प्रतीयमान अर्थ की सत्ता सिद्ध करने वाला वह और भी प्रमाण है । वह [प्रतीयमान अर्थ] शब्दशास्त्र [व्याकरणादि] और अर्थशास्त्र [कोशादि] के भाव मात्र स ही प्रतीत मही होता, वह तो केवल काव्यमर्मज्ञों को ही विदित होता है ।

कर्योकि केवल काव्यार्थतत्त्वज्ञ ही उस अर्थ को जान सकते हैं । यदि वह अर्थ केवल वाच्यरूप ही होता तो शब्द और अर्थ के भावमात्र स ही उसकी प्रतीति होती । परन्तु [केवल पुस्तक स] गन्धरविद्या को सीख लेने वाले उद्घृष्ट गान के अनभ्यासी [ नौसिखिया ] गायकों के लिए स्वर ध्रुति आदि के रहस्य के समान, काव्यार्थभावना स रहित केवल वाच्य-वाचक [ कोशादि अर्थ निरूपक शास्त्र और व्याकरणादि शब्दशास्त्र ] में कृतअम पुरुषों के लिए वह [प्रतीयमान] अर्थ अनात ही रहता है ।

यहाँ गालप्रिया गीका वाले वाराणसीय सस्करण में 'अप्रगीतानाम्' पाठ

१ निं० में तु के स्फूर्ति पर हि पाठ ह । २ 'शब्दाप्यासनज्ञानमात्रं परि पह न वेदते' इतना पाठ निं० में वारपारम्भ में अधिक ह । ३ निं० में प्रगीतार्थ ७१७ ह ।

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं  
तस्यैवेति दर्शयति—

सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च करचन ।

यत्नतः प्रत्याभिज्ञेयौ तौ शब्दाथो महाकवेः ॥८॥

आया है। उसके स्थान पर निर्णयसागरीय तथा दीविति वाले सत्करण में पदच्छेद की दृष्टि से 'प्रगीताना' पाठ भी रखा है। लोचन ने दोनों ही पाठों का अर्थ किया है। दोनों ही दशाओं में उसका अर्थ नैसिपिया गायक ही होगा। 'अप्रगीताना' पाठ मानने पर 'प्रगीत गान येपा ते प्रगीता न प्रगीताः अप्रगीताः' अर्थात् उत्तर गानपिया के अनन्यासी यह अर्थ होगा। और 'प्रगीताना' पाठ मानने पर 'आदि वर्षणि कृत. कर्तरि च । अष्टाध्यायी ३, ४, ७१' इस पाणिनि सूत्र से आदि वर्षणि के सुनने पर 'गातुं प्रारब्धा. प्रगीता.' जिन्होंने गाना अभी प्रारम्भ किया है ऐसा अर्थ होगा।

स्वर श्रुति आदि गान्धर्व शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। स्वर शब्द की व्युत्पत्ति 'स्वत सहकारिकारणनिरपेक्ष रजयति श्रोतुश्चित्त अनुरक्त करोतीति स्वरः' जो अन्यों की सहायता के बिना स्वय ही श्रोता के चित्त को आहूलादित नरे उसे स्वर कहते हैं। सगीत शास्त्र में पट्टज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और नियाद ये सात स्वर माने गए हैं। इन्होंने का सक्षिप्त रूप सुरगम के स, र, ग, म, प, ध, नि यह प्रसिद्ध रूप है। स्वर के प्रथम अवयव को श्रुति कहते हैं। सगीत रत्नाकर में उनके लक्षण इस प्रकार कहे हैं—

"प्रथमभवणाच्चव्यः श्रुयते हस्तभाषक ।

सा श्रुति समरिजेया स्वरावयनलक्षण ॥

अत्यन्तरभावी य. स्तिर्घोऽनुरणनात्मक ।

स्वतो रजयति श्रोतुश्चित्त स स्वर उच्यते ॥

श्रुतिम्य. स्यु. स्वरा. पट्टनार्थमगान्धारमध्यमा ।

पंचमो धैवतश्चाथ नियाद इति सप्त ते ॥

तेषा सज्जाः स रिग म प ध नि इत्यरा मता ।

द्वाविद्यति वेचिदुदाहरन्ति श्रुती. श्रुतिशानविचारदद्वाः ।

पर्यपृष्ठिभिन्ना रस्तु वेचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति" ॥७॥

इस प्रकार वाच्यार्थ से भिन्न व्यग्य की सत्ता को मिठ करके प्राधान्य

(भी) उसी का है यह दियाते हैं।

स' व्यम्योऽर्थं स्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च करचन, न शब्दमात्रम् । तावेव शब्दार्थीं महारुपे प्रत्यभिज्ञेयौ । व्यग्रव्यजकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महामवित्वलाभो महामनीना, न वाच्यग्राचकरचनामात्रेण ॥३॥

वह [प्रतीयमान] अर्थ और उसकी अभिव्यक्ति में समय विशेष शब्द इन दोनों को भली प्रकार पहिचानने का प्रयत्न महारुपि को [जा महारुपि बनना चाहे उसको] करना चाहिए ।

वह व्यग्र अर्थ और उसको अभिव्यक्त करने की शक्ति से युक्त कोई विशेष शब्द [ही] है । शब्दमात्र [सार शब्द] नहीं । महारुपि [बनने के अभिलाप्ती] को वही शब्द और अर्थ भली प्रकार पहिचानन चाहिए । व्यग्र और व्यजरु के सुन्दर प्रयोग से ही महारुपियों को महारुपि पद की प्राप्ति होती है, वाच्य वाचक रचना मात्र से नहीं ।

प्रत्यभिज्ञा शब्द का प्रयोग यहा किया गया है । प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है 'तत्तेदन्तावग्म हिनी प्रतीति प्रत्यभिज्ञा ।' तत्ता अथात तदश तत्काल सम्बन्ध अर्थात् पूर्वदेश और पूर्वकाल सम्बन्ध तथा इदन्ता अथात एतदेश एतत्काल सम्बन्ध को अनुगमाइन करने वाली प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं । जैस 'सोऽय देवदत्त' यद वही देवदत्त है जिसे हमने जाशा में देखा था यह प्रत्यभिज्ञा का उदाहरण है । इसमें 'स' पद तत्ता अर्थात् पूर्वदेश और पूर्वकाल सम्बन्ध को और 'अय' पद इदन्ता अर्थात् एतदश और एतत्काल सम्बन्ध को वोधन करता है । इस प्रकार इस प्रतीति में तत्ता और इदन्ता दोनों का वोध होने से यह प्रतीति प्रत्यभिज्ञा कहलाती है । अर्थात् परिचित वस्तु के पुन दर्शन व अनुसर पर पूर्व वैशाख्य सहित उसकी प्रतीति 'प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है । प्रत्यभिज्ञा शब्द साटीक हिन्दी रूप पहिचान शब्द ही सकता है । पहिचान में भी पूर्व और वर्तमान दोनों का सम्बन्ध प्रतीत होता है । यही प्रत्यभिज्ञान या 'पहिचान' का प्राण है । अतः प्रत्यभिज्ञान का हिन्दी रूप पहिचान ही है । 'प्रत्यभिज्ञेयी' पद में अर्हार्थ में 'अर्हे कृत्यवृच्छच ३, ३, १६८' इस रूप के साथ एकवाक्यतापन्न 'अर्चो यत् अ० २, ३, ६७' रूप से यत् प्रत्यय हुआ है ।

१. बाल प्रिया बाले सस्करण में स पाठ नहीं है । २ 'न शब्दमात्र' के स्थान पर 'न सर्वं' पाठ निं०, दो०, में है ।

और कृत्य प्रत्यय के योग में 'कृत्याना कर्तारे वा श्र० २, ३, ७१' सूत्र से कर्ता में 'महाकवे' यह पष्ठी विभक्ति हुई है। शेष पष्ठी मान कर 'सहृदयै महाकवे सम्बन्धिनौ तौ शब्दार्थौ प्रत्यभिशेषौ' ऐसी व्याख्या करने से उस प्रतीयमान अर्थ के प्राधान्य में, सहृदयलोकसिद्धत्व प्रमाण है, यह बात भी व्यक्त होती है और नियोगार्थक कृत्य [ यत् ] प्रत्यय के द्वारा शिक्षानुम अर्थात् कविशिक्षा प्रकार भी घनित होता है।

व्यन्यासोक के दीक्षाकार श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य के परम गुरु श्री उत्पलपादाचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त भी प्रत्यभिशा दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रत्यभिशा दर्शन काश्मीर का विख्यात दर्शन है और उस पर यहुत बड़े साहित्य की रचना हुई है। इस सिद्धान्त के अनुसार, ईश्वर के साथ आत्मा के अमेद की प्रत्यभिशा करना ही परमपद का हेतु है। उत्पलपादाचार्य ने लिखा है —

तै स्तै रप्युपयाचितैश्पनतस्तन्व्या। स्थितोऽप्यन्तिके,  
कान्तो लोकसमान एवमपरिशतो न रन्तु यथा।  
लोकस्यैप तथानवेन्नितगुण स्वात्मापि विश्वेश्वरो,  
नैवाल निजैभग्नाय तदिय तत्प्रत्यभिशोदिता ॥

जिस प्रकार अनेक कामनाओं और प्रार्थनाओं से प्राप्त और रमणी के पास में स्थित होने पर भी जर तक वह अपने पति को पतिरूप में जानती नहीं है तर तक अन्य पुरुषों के समान होने से वह उसके सहवास का सुख प्राप्त नहा कर पाती इसी प्रकार यह निश्वेश्वर परमात्मा समस्त संसार का आत्मभूत होने पर भी जर तक हम उसको पहिचाने नहीं उसके श्रानन्द का अनुभव नहा कर सकते। इसीलिए उसकी पहिचान के निमित्त यह प्रत्यभिशादर्शन यनाया गया है।

इसी प्राप्ति प्रवृत्त में व्यञ्जनकृम शब्दार्थ की प्रत्यभिशा से ही महाकवि पद प्राप्त ही सकता है ॥८॥

ऊर व्यञ्जय अर्थ का प्राधान्य प्रतिशब्दित किया है परन्तु क्यि तो व्यञ्जय के पूर्व वाच्य-वाचक को ही ग्रहण करते हैं। वाच्य-वाचक के प्रथमोपादान से तो उनकी प्रधानता प्रतीत होती है इस शब्द को दूर करने के लिए अगली कारिका है। उसका भाव यह है कि वाच्य वाचक का प्रथम उपादान उनकी प्रधानता को नहा अप्रिता उनकी गौणता को ही सूचित करता है। क्योंकि उनका प्रथमोपादान सो केवल उपायभूत होने के कारण किया जाता है। उपेय प्रधान, और उपाय सदा गौण ही होता है।

इदानी व्यङ्ग्यव्यञ्जकयो ग्राधान्येऽपि यद वाच्यवाचकापेव  
प्रथममुपाददते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह —

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नगान् जनः ।

तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः ॥६॥

यथा आलोकार्थी सन्नपि दीपशिखाया यत्नगान् जनो भवति,  
तदुपायतया । नहि दीपशिखामन्तरेण आलोक सभवति । तद्वद्  
व्यङ्ग्यमर्थं प्रत्याहतो जनो वाच्येऽर्थे यत्नवान् भवति । अनेन प्रतिपाद-  
कस्य केव्यङ्ग्यमर्थं प्रति व्यापारो दर्शित ॥ ६ ॥

अब व्यङ्ग्य और व्यञ्जक के प्राधान्य होते हुए भी किंगण जो पहले  
वाच्य वाचक को ही ग्रहण करते हैं वह भी ठीक ही है यह कहते हैं —

जैस आलोक [ प्रकाश अथवा 'आलोकनमालीक वनितावदनारमिन्दादि  
गिलोकनमियर्थं 'पदाथ' दशम] की इच्छा करने वाला पुरुष उसका उपाय  
होने के कारण दीप शिखा [के विषय] में यन्न करता है इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थं में  
आदरवान् करि वाच्यार्थं का उपादान करता है ।

निस प्रकार आलोकार्थी होन पर भी मनुष्य दीप शिखा [के विषय]  
में उपायरूप होने से [प्रथम] प्रयन करता है, दीप शिखा के विना आलोक  
नहीं हो सकता है । इसी प्रसार व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति आदरवान् पुरुष भी वाच्यार्थं  
में यत्नवान् होता है । इससे प्रतिपादक [वक्ता] वरि का व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति  
व्यापार दिखाया ।

कारिका में आलोक शब्द आया है उसका कीधा अर्थ प्रकाश होता है  
परन्तु लोचनकार ने 'आलोकनमालोक । वनितावदनारमिन्दादिगिलोकनमियर्थं'  
अथात् वनितावदनारविदादि किसी पदाथ क अदलोक अर्थात् चाच्छुभान को  
आलोक कहते हैं, यह अर्थ बिया है । किसी वस्त को देखने की इच्छावाला व्यक्ति  
जैस पहले दीपशिखा का यन करता है । लोचनकार ने साधारण प्रसिद्ध प्रकाश  
अथ मोहोड़ कर जो यौगिक अथ करने का यन किया है उसका अभिप्राय यह  
है कि दीपशिखा तो प्रकाश रूप ही है इसलिए दीपशिखा और प्रकाश में भेद  
स्थ न होने के उन्नरुप स्थिरता भी, स्थान भी, है । 'चाच्छुभान और  
दीपशिखा में भद्र स्थ है । भद्र की स्थिता के कारण उनमें उपाय और उपयमय  
स्थ रूप से हो सकता है । इसी प्रकार वाच्य से व्यङ्ग्य का स्थ भेद और उनके

प्रतिपाद्यस्यापि त दर्शयितुमाह —

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थं सप्रतीयते ।

वाच्यार्थपूर्विका तदृग्त् प्रतिपत्तस्य<sup>१</sup> वस्तुनः ॥१०॥

यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थापगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्रतिपत्ति ॥१०॥

तथा उपाय उपेय भाव को व्यक्त करने के लए ही इस प्रकार की व्याख्या की गई है ।

अब प्रतिपाद्य [वाच्यार्थ] के भी उस [व्यङ्ग्यवोधन के प्रति व्यापार] को दिखाने के लिए कहते हैं —

जैसे पदार्थ द्वारा [पदार्थों को उपस्थिति हाने के बाद पदार्थ समर्ग-रूप,] वाक्यार्थ की प्रतीति होती है उसी प्रकार उस [व्यङ्ग्य] अर्थ की प्रतीति वाच्यार्थ [के ज्ञान] पूर्वक होती है ।

जैसे कि पदार्थ द्वारा वाक्यार्थ का बोध होता है उसी प्रकार वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्वक व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है ।

निर्णय सागरीय सम्मरण में ‘प्रतिपत्तव्यवस्तुन’ पाठ है । लाचनकार ने ‘प्रतिपदिति भावे किवप् । तस्य वस्तुन् व्यङ्ग्यरूपस्य सारस्यत्वर्थ’ व्याख्या की है । इसलिए लोचनविशद होने से वह पाठ प्रामादिक है । जैसे जिस व्यक्ति को भाषा या वाक्यार्थ पर पूरा अधिकार नहीं होता उसनो पहिले पदार्थ समझने होते हैं तर वाक्यार्थ समझ में आता है परन्तु जिनका भाषा पर अधिकार है वे भी यद्यपि पदार्थ ग्रहण पूर्वक ही वाक्यार्थ ग्रहण करते हैं पर भी वह इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि वहा कम अनुभव में नहीं आता । जैसे बमल के बहुत से पत्ते रख कर उनमें सुई चुभाई जाय तो यद्यपि वह एक-एक को कम से ही भेदेगी पर भी शीघ्रता के कारण वह कम लक्षित नहीं होता । इसी प्रकार जो अत्यन्त सहृदय नहीं हैं उनको वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ क्रम से ही प्रतीत होते हैं । परन्तु अत्यन्त सहृदय व्यक्तिया का व्यङ्ग्य की प्रतीति तुरन्त हो जाती है । वहा प्रतीति में क्रम रहते हुए भा ‘उत्पलशतपत्रव्यतिभेदवल्लाघवान् सलद्यते ।’ कम अनुभव में नहीं आता । इसी लिए रस ध्वनि को असलव्यवस्था व्यङ्ग्य ध्वनि कहा है यह बात भी यदा सूचित की है ।

इदानी वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीते , व्यङ्गश्यार्थस्य  
प्राधान्यं यथा विलुप्येत्<sup>१</sup> तथा दर्शयति —

स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि<sup>२</sup> ।

यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥

यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापार-  
निष्पत्तौ न भान्यते<sup>३</sup> विभक्ततया ॥१२॥

तदूवत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् ।

बुद्धौ तत्वार्थदर्शिन्यां भटित्येवावभासते<sup>४</sup> ॥१२॥

अथ, व्याक्यार्थ को प्रतीति वाच्यार्थ के बाद होने पर भी, व्याक्यार्थ का  
प्राधान्य जिसमें लुप्त न हो वह [प्रकार] दिखाते हैं।

जैसे पदार्थ अपनी सामर्थ्य [योग्यता, आकाङ्क्षा, आसत्ति] से [पदार्थ समर्गरूप,] वाक्यार्थ को प्रकाशित करते हुए भी, [अपने वाक्यार्थ योधन रूप] व्यापार के पूर्ण हो जाने पर [वाक्यार्थ योध हो जाने पर] अलग प्रतीत मर्ही होता है।

जैसे अपनी सामर्थ्य [योग्यता, आकाङ्क्षा, आसत्ति रूप] से वाक्यार्थ का प्रकाशित करने पर भी व्यापार के पूर्ण हो जाने पर पदार्थ विभक्त रूप में अलग प्रतीत नहीं होने ॥११॥

इसी प्रकार वाच्यार्थ से विमुख [उसमें पिशान्ति रूप परितोष को प्राप्त न करने वाले] सहृदयों की तद्वदर्शन समर्थ बुद्धि में वह [प्रतीयमान] अर्थ तुरन्त ही प्रतीत हो जाता है।

‘स्वसामर्थ्यवशेनैव’ कारिका में स्वसामर्थ्य अर्थात् पदार्थ की सामर्थ्य से अभिप्राय योग्यता, आकाङ्क्षा और आसत्ति से है। ‘वाक्य स्याद् योग्यता-  
वाक्तासत्तियुक्तं पदोच्चय’<sup>५</sup> योग्यता, आकाङ्क्षा और आसत्ति से युक्त पद समूह का वाक्य कहते हैं। ‘योग्यता नाम पदार्थाना परस्परसम्बन्धे वाधाभाव’<sup>६</sup> पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में राधा का अभाव योग्यता कहता है। योग्यता रहित पदसमूह

१. विलुप्यते वालप्रिया० । २. प्रनिपादयन् वा०प्रि० । ३. दिनास्थते नि० ।

४. पत्रा (न्ना) वभासते । (?) नि० में वृत्ति रूप में अधिक दिया है ।

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत  
उपयोजननाह :—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ ।

व्यङ्ग्यतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१३॥

यत्रार्थे वाच्यविशेषः, वाचकविशेषः शब्दो वा, तमर्थं व्यङ्ग्यतः

वाक्य नहीं होता इसलिए 'वहिना सिचति' इसमें वाक्य नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ  
यहि में सिञ्चन की ज्ञमता वाधित है। 'पदम्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त' अन्यथान-  
नुभावकल्पमाकाढा ।' जिन पदों में एक पद दूसरे पद के बिना अन्य बोध न करा-  
सके वह पद साकाढ़ा या आकाढ़ायुक्त है उनमें रहने वाला धर्म आकाढ़ा है ।  
उसके अभाव में 'गौरश्च पुरुषो हस्ती शकुनि मृगो ब्राह्मण ।' आदि पद समूह  
वाक्य नहीं कहलाता है । दूसरे लोगों ने आकाढ़ा का यही लक्षण इस  
प्रकार किया है । 'यत्पदस्य यतदाभावप्रयुक्तमन्ययोधाजननत्व तत्पदविशिष्टतत्पद  
त्वमाकाढा । वैशिष्ट्य चायप्रदित्पूर्ववृत्तित्या०वद्वितोत्तरत्वान्यतरक्षव्येष बोध्यम् ।'  
'ग्रासत्तिर्द्वयविच्छेदः' अपिलिम्बित उच्चारण के बारण बुद्धि के अविच्छेद को  
आसन्नि कहते हैं । धरणे दो धरणे के व्यवधान से बोले गए 'देवदत्त गा आनन्द'  
आदि पद आसन्नि के अभाव में वाक्य नहीं कहते हैं । इन तीनों धर्मों में से  
योग्यता साक्षात् पदार्थ का धर्म है, आकाना मुख्यत श्रोता की जिजासा रूप होने  
से आत्मा का धर्म है परन्तु वह पदार्थ बोध द्वारा ही आत्मा में दैदा होती है इस  
लिए परमरथा, अथवा अन्यथानुभावत्वे रूप होने से आकाना साक्षात् भी पदार्थ  
धर्म है । आसन्नि पद द्वारा पदार्थ धर्म है । इस प्रकार योग्यता, आकाना और  
आसन्नि से युक्त होने पर ही पदार्थ वाक्यार्थ का बोध करा सकते हैं ।

दूसरी 'तद्वत् सचेतसा' कारिका ने 'भक्तियेनाभासते' से यह सूचित  
किया कि यत्रपि वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति में कम अवश्य रहता है परन्तु  
वह लक्षित नहीं होता । इसलिए रसादि रूप ध्वनि असलद्य कम व्यङ्ग्य ध्वनि है,  
अप्रम व्यङ्ग्य नहीं ॥१२॥

इस प्रकार वाच्यार्थ में अनिरिक्त व्यङ्ग्यार्थ की मत्ता तथा प्राधान्य  
[ सद्भाव शब्द का मत्ता तथा माधुभाव अभाव प्राधान्य दोनों अर्थ है ] प्रति-  
पाठन करके प्रकृत में उमका उपयोग दिखाते हुए कहते हैं :—

जहा अर्थ अपने दो [स्य] अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके

स काव्यविशेषो ध्वनिरिति । अनेन वाच्यगाचकचास्तवहेतुभ्य उपमा-  
दिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एत उपनेत्रिपय इति दशितम् ।

यदप्युक्तं—“प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य काव्यत्वद्वानेऽर्थ-  
निर्णास्ति”, इति तदप्युक्तम् । यतो लक्षणकृतामेव स केवल न प्रसिद्ध,  
लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव सहदयद्याहादकारि काव्यतत्त्वम् । ततो-  
अन्यचिच्चप्रमेवेत्यत्रे दर्शयिष्याम ।

यदप्युक्तम्—“कामनीयमनतिर्तमानस्य तस्योत्तालक्षारादिप्रसा-

उस [ प्रतीयमान ] अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उस काव्यविशेष को विद्वान्  
खोग ध्वनि [ काव्य ] कहते हैं ।

स्वश्चार्थश्च ती स्वार्थो । तौ गुणाकृतौ याभ्या यथासर्वेन, स अर्थो  
गुणीकृतात्मा, शब्दश्च गुणीकृताभिवेय । ‘यकृत’ यह द्विवचन इस बात का  
खूबसूर है कि व्यञ्जय अर्थ की अभिव्यक्ति में शब्द और अर्थ दोनों ही कारण होते  
हैं । एक प्रधान कारण होता है और दूसरा सहकारी कारण । ‘यनाथ शब्दो वा’  
में पठित ‘वा’ पद, शब्द और अर्थ के प्राधान्याभिप्रायेण विकल्प को प्रोधन करता  
है । इसमा भाव यह हुआ कि अभिव्यक्ति में कारण दोनों होते हैं परन्तु प्राधान्य  
शब्द और अर्थ में एक का ही होता है इसीलिए शब्दी और आथा दो प्रमार की  
व्यञ्जना मानी गई हैं । और इसीलिए साहियदर्पणकार ने दोनों की व्यञ्जकता  
दिखाते हुए लिखा है—‘शब्दो यो व्यनवत्यय, शब्दोऽयर्थान्तराश्रय । एतस्य  
व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ सा० द० २, १८ ।’

जहा अर्थ, वाच्य विशेष, अथग्र वाचक विशेष शब्द, उम [प्रतीयमान]  
अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उस वाच्य विशेष को ध्वनि काव्य कहते हैं । इसमें  
वाच्य वाचक के चाहवहेतु उपमादि और अनुप्रासादि स अलग ही ध्वनि का  
विषय है यह दिखाया ।

विषय शब्द ‘पिन् वन्धने’ धातु स बना है । उसमा अर्थ ‘विशेषण  
सिनोति वधाति स्वसर्वन्धनं पदार्थमिति विषय’ इस व्युत्पत्ति से ध्वनि को वाच्य  
वाचक चाहत हेतुओं से पृथक अनुग्रह कर दिया है ।

और जो यह कहा था कि प्रमिद् [शब्दार्थशरीर वाच्य वाले] मार्ग में  
भिन्न मार्ग म वाच्यस्य ही नहीं रहेगा इसलिए ध्वनि नहीं है यह तीक नहीं है  
क्योंकि वह केवल [उन] लक्षणमाणों को प्रसिद्ध [नात] नहीं है, परन्तु लक्ष्य

रेष्वन्तर्भावि ”, इति, तदप्यसमोचीनम् । वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्ग्यव्यञ्जकमाश्रयेण व्यपस्थितस्य ध्वने कथमन्तर्भावि । वाच्यवाचकचारुत्प्रहेतवो हि तस्याङ्गभूता, स त्वज्जिरूप<sup>१</sup> एतेति प्रतियाद्विष्यमाणत्वात् । परिकरश्लोकश्चात् ।

व्यङ्ग्यव्यञ्जकसब्धनिवन्तया ध्वने ।  
वाच्यवाचकचास्त्वहेत्वन्तं पातिता कुत् ॥

“ ननु यत्र प्रतीयमानार्थस्य वैश्येनाप्रतीति स नाम मा भूद्ध्वनेर्पिय । यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समामोक्त्यादेषानुरुचनिमित्त-

[ रामायण, महाभारत प्रभृति ] की परीक्षा करन पर तो सहदयों के हृदयों को आहादित करने वाला काव्य का सारभूत वही [ध्वनि] है । उससे भिन्न [काव्य] चित्र [काव्य] ही है यह हम आगे दिखलायेंगे ।

ओर जो यह कहा था कि यदि वह रमणीकता का अतिक्रमण नहीं बरता है तो उक्त [गुण, अलकारादि] चारत्व हेतुओं म ही उस [ध्वनि] का अन्तर्भाव हो जाता है । वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि करल वाच्य-वाचक भाव पर आश्रित मार्ग के अन्दर व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव पर आश्रित ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे हो सकता ह । वाच्य वाचक [अर्थ और शब्द] के चारत्व हेतु [उपमादि तथा अनुप्रासादि अलकार] तो उस ध्वनि के अङ्ग रूप हैं और वह [ध्वनि] तो अङ्गी [प्रधान] रूप हैं यह आगे प्रतिपादन करेंगे ।

इस सम्बन्ध में एक परिमर श्लोक भी है ।

वारिका में अनुक परतु अपेक्षित अर्थ को कहने वाला श्लोक परिकर श्लोक कहलाता है । ‘कारिकाथस्य अधिकागाप कतु’ श्लोक परिकरश्लोक । कारिकायामनुरुस्यापेक्षितस्यार्थस्य आवाप प्रदेष त कतु’ श्लोक परिकर ।

ध्वनि के व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव सम्बन्ध मूलक होने से वाच्य-वाचक चार त्रय हेतुओं [अलकारादि] में अन्तर्भाव कैस हो सकता है ।

यदि कोई यह कहे कि [ननु] नहा प्रतीयमान अर्थ की स्पष्ट रूप से प्रतीति नहीं होती यह ध्वनि [क अन्तर्भाव का] का गियप न माना जाय तो न

<sup>१</sup> ‘स त्वज्जिरूप’ के स्थान पर नि० स० में ‘न तु तदेवरूपा,’ पाठ ह । दी० में भी ।

विशेषोक्तिपर्यायोक्तापद्मुतिदीपकसङ्करालङ्कारादी, तत्र ध्वनेरन्तर्भागो भविष्यति, इत्यादि अनराकर्तुं ममिहितम्, “उपसर्जनीरूपतस्याथौ” इति । अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभिषेय । शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिष्यन्तकि स ध्वनिरिति । तेषु कथं तस्यान्तर्भागं । व्यङ्गच्चप्राधान्ये हि ध्वनि । न चैतत् समासोक्त्यादिष्टस्ति । समासोक्तौ तात् —

उपोद्धरागेण विलोलतारक तथा गृहीत शशिना निशामुखम् । यथा समस्त तिमिराशुक तथा, पुरोऽपि रागाद् गलित न लक्षितम् ॥

सही, परन्तु जहा [उसको] प्रतीति हाती है, जैसे समासाक्षि, आचष, अनुकूल-निमित्त विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपद्मुति, दीपक, तथा सङ्कर आदि अलङ्कारों में, वहा ध्वनि का अन्तर्भाग हो जायेगा । इस भत के निराकरण के लिए पिछली कारिका में कहा है, “उपसर्जनीरूपतस्याथौ” । जहा अर्थं अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके अर्थान्तर [प्रतीयमान] को अभिष्यन्त करते हैं उसको ध्वनि कहते हैं । उन [समासोक्ति आदि अलङ्कारों] में उस [ध्वनि] का अन्तर्भाग कैसे होगा । व्यङ्गगार्थ की प्रधानता में ध्वनि [काव्य] होता है । और समासोक्ति आदि में यह [व्यङ्गग का प्राधान्य] नहीं है । समासोक्ति में तो —

सन्ध्याकालीन आस्थय को धारण किए हुए [दूसरे पक्ष में व्रेमोन्मत्त] शशी [अर्थात् चन्द्र, पक्षान्तर में पुलिङ्ग शशी पद से व्यङ्गग नायक] न, निशा [राति, पक्षान्तर में स्त्रोलिङ्ग निशा शब्द से नायिका] के चचल वारों स युक्त [तारक नद्य व पक्षान्तर में नायिका के चचल घनीनिका वाले] मुख [प्रारम्भिक अप्रभाग प्रदोषकाल, अन्यथा आनन] को [कुम्हन करने के लिए] इस प्रकार ग्रहण किया वि राग [सन्ध्याकालीन अरण प्रकाश, पक्षान्तर में नायक के स्पर्श से समुद्रभूत अनुरागातिशय] के कारण सारा तिमिर रूप वस्त्र गिर जाने पर भी उसे [निशा तथा नायिका को] दियाई नहों निया ।

यह समासोक्ति अलङ्कार का उदाहरण है । भामह ने समासोक्ति का लक्षण निम्न प्रकार किया है,

यत्रोक्तौ गम्यतेऽन्योऽर्थं स्तलममनेविशेषरै ।

सा समासाक्षिदिता उद्दितार्थतया द्युषी ॥ भामह २,७६

जिस उक्ति में, समान विशेषणों के कारण प्रस्तुत से अन्य अर्थ की प्रतीति हो उस उक्ति को [संक्षेप में] सक्षिप्तार्थ होने से [एक साथ प्रकृत अप्रकृत दोनों का

इत्यादौ व्यज्ञये नानुगतं वाच्यमेऽ प्राधान्येन प्रतीयते । समारो-  
पितनायिकानायकव्यवहार्योर्निशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वात् ।

वर्णन करने से] समासोकि कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में सन्ध्यामाल में चन्द्रोदय का वर्णन किया कर रहा है। उसमें निशा और शशी का वर्णन प्रकृत है। निशा और शशी के समान लिंग और समान विशेषणों के कारण नायक-नायिका की प्रतीत होती है और उनके व्यवहार का समारोप निशा और शशी पर होने से यह समासोकि अलङ्कार माना जाता है। पूर्वपक्ष यह है कि यहा नायक-नायिका व्यवहार व्यज्ञय है वाच्य नहा। अर्थात् इस श्लोक में समासोकि के साथ छुनि भी है। इसलिए धनि का अन्तर्भुक्त समासोकि अलङ्कार में माना जा सकता है। इसमें उत्तर में ग्रन्थसार लिखते हैं।

यहा समारोपित नायक नायिका व्यवहार स युक्त शशी और निशा के ही वाक्यार्थ होने से व्यज्ञय से अनुगत याच्य ही प्राधानतया प्रतीत होता है। [अर्थात् व्यज्ञय का प्राधान्य न होने से यहा धनि नहीं है अतः धनि का समासोकि में अन्तर्भुक्त नहीं हो सकता ह]

धनि ना अलङ्कार में अन्तर्भुक्त करने के लिए पूर्वपक्ष की ओर से दूसरा उदाहरण आक्षेप अलङ्कार का प्रस्तुत किया गया है। आक्षेप अलङ्कार का लक्षण भामह ने निम्न प्रकार किया है:—

प्रतिपद इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्वया ।

वद्यमाणोऽविषय स आक्षेपो दिधा भत ॥ भामह २,६८

जहा विशेषता योधन करने के अभिप्राय से, कहना चाहते हुए भी वात का निषेध किया जाता है वहा आक्षेप अलङ्कार होता है। वह निषेध कहा वद्यमाण अर्थात् आगे कही जाने वाली वात का पूर्व ही निषेध और कही उठ अर्थात् पूर्व कही हुई वात का पीछे निषेध करने से वद्यमाणविषयक और उठविषयक आक्षेप अलङ्कार दो प्रकार का होता है। वद्यमाणविषयक का उदाहरण भामह ने यह दिया है —

अह त्वा योद नेत्रेय क्षणमप्युलुका तत ।

इयदेनास्त्वतोऽन्येन किनुक्तेनाप्रिवेण ते ॥ भामह २, ६९ ॥

मैं यदि तुमसो तनिक देर भी न देत् तो उल्काशतिरेक से इतना ही रहने दो आगे मुम्हारी अप्रिय वात कहने से बया लाभ। यहा आगे मर जाऊगी यह वद्यमाण अर्थ है उसका पूर्व ही निषेध कर दिता है आगे मुम्हारे अप्रिय

गत कहने से क्या लाभ । इस प्रकार यहा 'निये' मर जाऊंगी यह व्यङ्ग्य है । इसलिए यहा आक्षेप अलङ्कार में व्यङ्ग्य होने स खनि का अन्तर्भूत आक्षेप, अलङ्कार में किया जा सकता है । यह पूर्व पक्ष है । उत्तर लगभग उसी आशय का होगा जो समासोति में दिया जा चुका है । अर्थात् खनि वही होता है जहा व्यङ्ग्य का प्राधान्य हो । यहा व्यङ्ग्य है तो परन्तु वह प्रधान नहीं । उस व्यङ्ग्य से वाच्यार्थ ही अलकृत होता है इसलिए यहा खनि है ही नहा । तर आक्षेप में उसके अन्तर्भूत का प्रश्न ही नहा उठ सकता है ।

यह भामह के अनुसार आक्षेप अलङ्कार का विवरण किया । परन्तु वामन ने आक्षेप सा लक्षण, 'उपमानाक्षेप । वामन स० ४, ३, २७' किया है । इसका अभिप्राय यह है कि जहा उपमान का आक्षेप अथात् निष्पलत्वाभिधान किया जाय उसे आक्षेप अलङ्कार कहते हैं । नवीन आचाय लाग इस स्थिति में प्रतीप अलङ्कार मानते हैं । और आक्षेप का लक्षण भामह के लक्षण न समान ही करते हैं । साहित्यदर्पणार ने प्रतीप का लक्षण 'प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वं प्रकल्पनम्' । निष्पलत्वाभिधान या प्रतीपमिति कथ्यते ॥ सा० द० १०, ८७' किया है । और उसका उदाहरण —

तदु वक्त यदि मुद्रिता शशिकथा, हा हेम सा चन्द्र चुति,  
स्तन्चन्द्रुर्बदि द्वारित कुबलयैस्तच्चत् रिमति का सुधा ।

धिक् कन्दर्पधनुभूदी यदि च ते, कि वा वहु वृमद्द,

य सत्य पुनरुत्तरस्तुविमुख सर्गत्रमो वेधस ॥ सा० द० १०, ८७ ।

दिया है । वामन के 'उपमानाक्षेप' सूत वी व्याख्या नरते हुए लोचनशार ने उपमानस्य चन्द्रादेशाक्षेप, अस्मिन् सति कि त्वया कृत्यमिति' लिखा है और उसका उदाहरण दिया है । यह लक्षण और उदाहरण दोनों साहित्यदर्पण के प्रतीप अलङ्कार से मिलते हैं । लोचनशार ने वामन के लक्षणानुसार आक्षेप का निम्न उदाहरण दिया है —

तस्यास्तन्मुखमस्ति सीम्यमुभग, कि पार्वणेन्दुना,  
सीन्दर्यस्य पद दृशी यदि च, ते दिनाम नीलोत्तरै ।

कि वा दोमलकान्तिमि किमलयै, मत्यत त्वाराधरे,  
हा धातु पुनरुत्तरस्तुरचनारम्भेष्यूर्णो ग्रहः ॥

यहा पूर्णिमाचन्द्र के साथ मुख का सादृश्य आदि रूप उपमा व्यङ्ग्य है, परन्तु वह प्रधान नहा । अपितु वाच्य को ही अलकृत करती है । 'कि पार्वणेन्दुना' से चन्द्रमा का निष्पलत्वाभिधान रूप अपमानात्मक वाच्य ही अधिक

आक्षेपेऽपि व्यङ्गचरिशोपाचेषिणोऽपि<sup>१</sup> वान्यत्वैव चारुत्वं,  
प्रावान्येन वाक्यार्थं आक्षेपेत्तिसामर्थ्यादेव ज्ञायते । तथाहि<sup>२</sup> तत्र  
शन्दोपास्त्वा<sup>३</sup> विशेषाभिवानेन्द्रया प्रतिपेधस्त्वो य आक्षेप स एत  
व्यङ्गचरिशेषप्राप्तिपन् मुख्य काव्यशरीरम् । चारुत्वोत्कर्त्तिपन्वना हि  
वान्यव्यङ्गचयो व्राधान्यविवक्षा । यथा —

चमत्कारी है । अतएव यह व्यङ्गय व्राधान्य रूप ध्वनि का अस्तित्व न होने से उसके आक्षेपालङ्कार में अन्तर्भाव का प्रश्न ही नहा उठता ।

इन सभ उदाहरणों में यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यङ्गय और ध्वनि शब्द समानार्थक नहीं हैं । सभी प्रतीयमान अर्थ व्यङ्गय हैं परन्तु ध्वनि काय वही माना जाता है जहा व्यङ्गय का प्राधान्य होता है ।

कुछ लोगों ने वामन के 'उपमानाक्षेप वा० स० ४, ३, २७' की व्याख्या में 'उपमानस्य आक्षेप सामर्थ्यादार्थरूपम्' किया है । अर्थात् जहा उपमान का सामर्थ्य से आकर्षण निया जाय, वह शब्दत उपात्त न हो उसे आक्षेप अलङ्कार कहते हैं । इस व्याख्या के अनुसार आक्षेपालङ्कार का निम्न उदाहरण दिया है —

ऐन्द्र धनु पाहुपयोधरण, शरद् दधानार्द्दनसज्जताभम् ।

प्रसादयन्ती सकलाङ्कमिन्दु, ताप रवरम्यधिक चकार ॥  
पाहु वर्ण के पयोधर मेन- [पक्षान्तर में स्तन] पर आर्द्र गाले सच । समुत्पादित-  
नखद्रवत के समान इन्द्रधनुप की धारण करने वाली और कलरु [चिह्न] सहित  
[पक्षान्तर में नायिकोपभोगजन्य कलरु से सुरु] चन्द्र की प्रसन्न अर्थात् उच्चल  
और पक्षान्तर में हपित करती हुई शरद् मृतु [रूप नायिका] ने रनि [रूप  
नायक] के सन्ताप को और बढ़ा दिया ।

यहा भी ईर्ष्यांकलुपित नायकान्तर रूप उपमान आकृप्त होता है परन्तु यह वाच्यार्थ को ही अलृत करता है । वामन के मत से यह आक्षेप का उदाहरण दिया गया है परन्तु भामह शादि के मन से तो यह समासोक्ति अलङ्कार का ही उदाहरण है ।

[इस प्रश्न] आक्षेपालङ्कार में भा व्यङ्गय पिशेप दा आक्षेप कराने वाले होने पर भी वाच्य का ही चारुत्व है । यर्थोक्ति आक्षेप वचन के सामर्थ्य में ही प्रधानत वाच्यार्थ प्रतीत होता है । यर्थोक्ति वहा शिशेप के वोधन का दृच्छा

१ दी० में अपि नहीं है । २. दी०, नि० तथाहि इतना पाठ नहीं है ।

३ शब्दोपाहृदयपो नि० ।

अनुरागपती सन्ध्या दिवसस्तत्पुर सर ।  
अहो दैवगति कीट्कृतथापि न ममागम ॥

अत्र सत्यामपि व्यज्ञयप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारत्ममुल्कर्पदिति ।  
तस्यैव प्राधान्यनिवद्धा ।

से शब्दोपात्त प्रतिपेध रूप जो आक्षेप है, वहो व्यज्ञय पिशेष का आक्षेप कराता  
हुआ मुख्य काव्य शरीर है । चारत्म के उक्तर्व मूलक ही वाच्य और व्यज्ञय  
का प्राधान्य विभक्ति होता है । जैसे—

सन्ध्या [नामक या रूपिणी नायिका] अनुराग [अधात् सन्ध्यास्तालीन  
लालिमा पशान्तर में प्रेम] से युक्त है और दिवस [नामक या रूप नायक]  
उसके सामने [स्थित ही नहीं 'पुर सरति गच्छति इति पुर सर ।'] बहु रहा है  
[सामने आ रहा है] ओह दैव की गति कैसी [विलरण] है कि फिर भी [उनका]  
समागम नहीं हो पाता ।

यहा [नायक नायिका व्यग्रहार रूप] व्यज्ञय की प्रतीति होने पर भा गाव्य  
का ही चारत्म अधिक होने से उससी ही प्रधानता विभक्ति है ।

यहा वामन के मन से आक्षेपगलङ्कार और भामह के मत से समासोक्ति  
अलङ्कार है इस बात को ध्यान में रख कर समासोक्ति और आक्षेप का सम्मिलित  
यह उदाहरण प्रन्थसार ने दिया है । वास्तव में यहा समासोक्ति है या आक्षेप यह  
विचारणीय प्रश्न नहीं है । यहा चाहे समासोक्ति हो या आक्षेप उससे तुष्टि हानि  
लाभ नहीं है । प्रकृत गत तो इतनी ही है कि अलङ्कार स्थल में व्यज्ञय सर्वथा  
वाच्य में गुणीभूत हो जाता है इसलिए व्यज्ञय का प्राधान्य न होने से उसे धनि  
काव्य नहीं कह सकते हैं इसलिए धनि के अलङ्कारों में अन्तमूर्ति होने का प्रश्न  
ही नहा उठता ।

दीपक का लक्षण कायप्रसाशसार ने 'सङ्कृतिस्तु धर्मस्य प्रकृता-  
प्रहृतात्मनाम् । सैन त्रिय मु नहीं तु वारक्षस्येति दीपकम् ।' किया है, जिसका अभिप्राय  
यह है कि प्रकृत और अप्रकृत अनेक पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध वर्णन करना  
अथवा अनेक मिथाओं में एक ही कारक का सम्बन्ध वर्णन करना दीपकालङ्कार है ।  
लोचनसार ने भामह के अनुसार 'आदिमव्यान्तपिपथ विधा दीपकमिथ्यने ।  
भामह, २, २५' दीपक के तीन भेद किए हैं, और उसका निम्न उदाहरण  
दिया है —

मणि शाश्वोल्लीद , समरविच्छी इनिदलित ,  
बलाद्येपरचन्द्र , सुरतमृदिता गलालजना ।

यथा च दीपकापहुत्यादौ व्यङ्गचत्वेनोपमायाः प्रतीतावर्णि  
प्राधान्येनाविवक्षितत्वात् तथा व्यपदेशस्तद्वद्वापि द्रष्टव्यम् ।

मदक्षीणो नागः, शरदि सरिदाश्यानपुलिना,  
तनिमा शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु जनाः ॥

यहाँ याचनों को दान देकर क्षीणविभव पुरुष प्रकृत हैं और शाखोल्लीड मणि, शस्त्रों से दलित युद्धविजयी वीर, क्लावशिष्ठ चन्द्रमा, सुरतमृदित ललना, मदक्षीण हाथी, शरत्काल में क्षीणकाय नदी ये सब अप्रकृत हैं। उन सबके साथ 'तनिमा शोभन्ते' 'कृशता से शोभित होते हैं' इस एक धर्म का सम्बन्ध चर्णित होने से यह दीपकालङ्कार ना उदाहरण हुआ। इस दीपकालङ्कार में चर्णित प्रकृत और अप्रकृत में परस्पर उपमेयोपमान भाव व्यङ्गय होता है। इस प्रसर उपमा व्यङ्गय होने पर भी दीपकालङ्कार ही चारण के कारण दीपकालङ्कार ही प्रधान होता है। इसलिए वहा उपमालङ्कार न कहला कर, प्राधान्य के कारण दीपकालङ्कार ही कहलाता है।

इसी प्रकार अपहुति अलङ्कार का लक्षण भामह के अनुसार निम्न प्रकार है—‘अपहुतिरभीष्टस्य किञ्चिदन्तर्गतोपमा’। भामह ३,२१। और उसका उदाहरण है:—

नेय मिरौति भृ गाली मदैन मुरय मुहु ।

ग्रयमाकृष्यमाणस्य कन्दर्पघनुयो ध्वनि ॥ भामह ३,२२ ।

यह मद के कारण बाचाल भ्रमर पक्षि नहीं गूंज रही है अपितु यद्य चढाए जाते हुए कामदेव के धनुप की ध्वनि है।

यहाँ भी भृ गग्न जन और मदनचापनि में उपमेयोपमान भाव व्यङ्गय होने से उपमालङ्कार व्यङ्गय है। परन्तु प्राधान्य, उपमा का नहीं, अपितु अपहुति अलङ्कार ही का है इसलिए इसको उपमालङ्कार नहीं अपितु अपहुति अलङ्कार ही कहते हैं। यही बात मूल ग्रन्थ में कहते हैं।

और जैसे दीपक तथा अपहुति इत्यादि में व्यङ्गय रूप से उपमा की प्रतीति होने पर भी प्राधान्य मिलित न होने से उपमा नाम से व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए।

अर्थात् समाप्तोक्ति अग्नेयादि अलङ्कारों में व्यङ्गय की प्रतीति होने पर भी उपमा प्राधान्य मिलित न होने से वहा ध्वनि व्यवहार नहीं होता।

साहित्यदर्शकार ने विशेषोक्ति का लक्षण किया है, 'सति हेतौ पला भावे विशे रोक्ति ।' सा० द० १०, ६७ । कान्यप्रसाशकार ने इसी गत को यों कहा है—'विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फ्लावच ।' का० प्र० १०, १०८ । अर्थात् आरण्यसामग्री होने पर भी कार्य न होना विशेषोक्ति कहलाता है। भासह ने उसका लक्षण 'एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसत्तु त । विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्ति रिति स्मृता ॥ भासट ३, २२ ।' किया है। यह विशेषोक्ति तीन प्रकार का होती है। उच्चनिमित्ता, अनुकूलनिमित्ता और अचिन्त्यनिमित्ता। इन तीनों में से से अचिन्त्यनिमित्ता और उच्चनिमित्ता मेदा में तो व्यङ्गय की सत्ता ही नहीं होती है। जैसे अचिन्त्यनिमित्ता का उदाहरण है—

एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुमुमायुध ।

हरतापि ततु यस्य शम्भुना न हृत थलम् ॥

शिव जी ने जिसके शरीर को हरण-भस्म- करके भी उल को हरण नहीं किया वह कामदेव अकेला ही तीनों लोकों को जीत लेता है। इस अचिन्त्य-निमित्ता विशेषोक्ति में तो व्यङ्गय है ही नहा। इसी प्रकार उच्चनिमित्ता का उदाहरण है—

कर्यूर इव दम्योऽपि शक्तिमान् यो जने जने ।

नमोऽसरवायीर्यांय तद्मै मरुरङ्गतये ॥

इस उच्चनिमित्ता विशेषोक्ति में भी व्यङ्गय के सद्भाव की शङ्खा नहीं है। इस लिए ग्रन्थकार ने विशेषोक्ति के इन दोनों मेंों को छोड़ दर बेवल अनुकूल निमित्ता विशेषोक्ति वा उल्लेख किया है और उसका उदाहरण दिया है। 'आहूतो०' साधियों द्वारा बुलाये जाने पर भी, हा कह कर जाग जाने पर भी और जाने वी इच्छा रहने पर भी पथिक सकोच की नहीं छोड़ रहा है। यहाँ सकोच न छोड़ने का निमित्त उच्च न होने से अनुकूलनिमित्ता है। निमित्त के अनुकूल होने पर भी वह आचार्य नहा है, उसकी कल्पना की जा सकती है। भट्टेचार्ट ने शीत के आधिक्य को उसका निमित्त माना है और अन्य रसिक प्रास्त्याता यह कल्पना करते हैं कि पथिक, गमन की अपेक्षा भी स्वप्न को प्रियासमागम का मुख उत्तर उत्तर समझ कर स्वप्न लोभ से सकोच नहीं छोड़ रहा है, सिमर-सिमटाए खाट पर पढ़ा ही हुआ है। इन दोनों में से चाहे कोई भी निमित्त कल्पना दरो परन्तु वह निमित्त चारत्व देतु नहा है अपितु अभि यज्ञमान निमित्त से उपस्थृत विशेषोक्तिभाग के ही चमत्कारजनक होने से यहा भी अवनि का अन्तमान अलङ्कार के अन्तर्गत मानने

अनुक्तनिमित्तायामपि प्रिशेषोत्ते —

आहूतोऽपि सहाये, 'ओमित्युक्त्वा पिमुक्तनिद्रोऽपि ।

गन्तुमना अपि पथिक सङ्कोच नैव शिथिलयात् ॥

इत्यादौ व्यज्ञयस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमानम् । न तु तत्-  
प्रतीतिनिमित्ता काचिच्चारत्यनिष्पत्तिरिति न प्रायान्यम् ।

का अवसर नहीं है । इस प्रवार भगवेद्भृत् श्रीर अन्य रसिक जन दोनों के अभि-  
प्राय का मन में रख कर ही ग्रन्थकार ने इस पर वृत्ति लिखी है ।

अनुक्तनिमित्ता विशेषोत्ते में भी—

माधियो द्वारा पुकारे जाने पर भी, हाँ कह कर जाग जाने पर भी, और  
जाने को हृदय होत पर भी पथिक सङ्कोच को नहीं छोड़ रहा है ।

इत्यादि [उदाहरण] में प्रकरणस्य व्यज्ञय का प्रतीति मात्र होती है ।  
विनु उस प्रतीति के बारण कोई मौल्य उत्पन्न नहीं होता, इसी लिए उसका  
प्राप्तान्य नहीं है ।

पर्यायोऽ वा लक्षण भामद ने इस प्रवार किया है —

पर्यायोऽत यदन्येन प्रकारेणामिधीयते ।

वाच्य-याचक गृहित्यं प्रदन्येनावगमामना ॥भामद ३, ८

कायप्रशाशकार और गादित्यदर्पणकार आदि ने भी पर्यायोऽत के इसी  
प्रवार के लक्षण लिखे हैं ।

पर्यायोऽत यदा भद्रसा गम्यमेगाभिपीयते । का०द० १०, ६०

पर्यायोऽत विना वाच्यायाचक नेन यद् यत् । का०द० १०, ११५ ।

'पर्याय प्रशाशनरण, अवगमामना अन्येन उपलक्षित गद्, यदभि-  
पीयो तदभिपीयमना उत्त चारू पर्यायोऽत् ।' यह पर्यायोऽत शब्द का अर्थ है ।  
इसका अभिप्राय हुआ कि जहाँ प्रशाशनरण पर्याय भद्रसे अवगत अर्थ को  
ही अन्यसा से बहु राय वहाँ पर्यायोऽत अन्यार होता है । जैस —

शुद्धयस्तदस्य मुनेश्वरप्रामिन ।

एमरुदेन पञ्च देहिणा धमेश्वन ॥

मुनि का विद रायु भव रामन री अनुचित है । चिर उस राम के उच्छ्रद-  
— १ एवा १०

या विनाश की नात सोचना और भी अनुचित है । उसकी भी द्रष्टिमा आग्रह अत्यंत अनुचित है । इसलिए शनु क पिनश के लिए इत्सकल्प अतएव उमार्गयामी परशुराम भागप मुनि फो भीष्म के इस घनुप ने अपने धर्म पालन की शिक्षा दे दी । यहा भीष्म की शक्ति भार्गर परशुराम की शक्ति से अधिक है । भीष्म ने परशुराम को पराजित कर दिया यह व्यङ्ग्य अर्थ है उसी को 'देशिता धर्म देशना' के शब्दों से अभिधया रोधन किया गया है इसलिए यह परायोक्त अलङ्कार का उदाहरण है । यहा व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति तो अवश्य होती है । परन्तु वह प्रधान नहा है । अपितु यात्य को ही अलकृत करती है । अतएव यहा ध्वनि का अपसर नहा है ।

भामह न परायोक्त का उदाहरण निम्न दिया है —

गृह्ण वसु वा ना न भु भमह यदधीतिन ।

विप्रा न भु जते तच्च रसदाननिवृत्तये ॥ भामह ३, ६ ।

यह कृष्ण की शिशुपाल के प्रति उक्ति है । उसका भाव यह है कि 'अधीती ब्राह्मण लोग जिस अन्न को नहा राते उसे हम न घर पर खाते हैं और न मार्ग में अर्थात् याता मैं ।' अर्थात् विद्वान् ब्राह्मणा को खिलाने के बाद हा भोजन करते हैं । यहा विप दान निवृत्ति व्यङ्ग्य है । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है । 'तच्च रसदाननिवृत्तये ।' रस शब्द का अर्थ यहा विप है । 'शु गारादी विरे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रस इति कोप ।' भामह प्रदत्त इस उदाहरण में रसदान निवृत्ति व्यङ्ग्य है परन्तु उस से कोई चाक्षत्व नहीं आता इसलिए उसका धार्य नहीं है अपितु यिन्होंने भोजन कराए विना भोजन न करना यह जो याच्यार्थ है वही पर्याय अर्थात् प्रकारान्तर से उत्तर होकर भोजनार्थ को अलकृत करने से पवा योक्त अलङ्कार का उदाहरण यनता है ।

भामह ने जो उदाहरण दिया है उसमें व्यङ्ग्य की प्रधानता न होने से ध्वनि का अवसर नहीं है परन्तु परायोक्त अलङ्कार के इस प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं जहा व्यङ्ग्य का प्राधार्य हो । उस दशा में उसे हम ध्वनि काय के दूसरे भेद अलकार ध्वनि का उदाहरण मानेंगे परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ध्वनि का अलङ्कार में अन्तभाव हो गया अपितु वस्तुत अलङ्कार का ध्वनि में अन्तर्भूत कहा जा सकता है । क्योंकि ध्वनि तो महाविषय ०पापक है इस प्रकार के पर्यायोक्तन के व्यङ्ग्य प्रधान उदाहरणों को छोड़ कर अन्यत्र भी ध्वनि रहता है इसलिए महाविषय व्यापक होने से ध्वनि का अन्तभाव अलङ्कार में नहा माना जा सकता । व्यङ्ग्य

पर्यायोक्तेऽपि यदि प्रावान्येन व्यज्ञयत्वं तद् भवतु नाम तस्य  
ध्यनावन्तभावं । न तु अपनेस्तप्रान्तभावं । तस्य महाविपयत्वेन,  
अङ्गितेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । न पुन वर्यायोक्ते भामहोदाहृत-  
सहशो व्यज्ञयस्येव प्रावान्यम् । वाच्यस्य तपोपसर्जनीभावेनाविवक्षि-  
तत्वात् ।

अपन्हुतिदीपकयोः पुनर्वच्यस्य प्रावान्य व्यज्ञयस्य चानुयायित्वं  
प्रसिद्धमेव ।

प्रधान पर्यायोक्त का उदाहरण ‘भ्रम धार्मिक’ इत्यादि पूर्वादाहृत श्लोक हो सकता  
है । मूल ग्रन्थ की पक्षियों का अनुबाद इस प्रमाण है ।

पर्यायोक्त अलङ्कार [के ‘भ्रम धार्मिक’ सदृश व्यज्ञयप्रधान उदाहरणों] में  
भी यदि व्यज्ञय की प्रधानता हो तो उस [अलङ्कार] का ध्वनि [अलङ्कार  
ध्वनि] में अन्तभाव किया जा सकता है, न कि ध्वनि का उस [अलङ्कार] में ।  
क्योंकि ध्वनि तो महाविपय और अङ्गी अथात् प्रधान रूप से प्रतिपादित किया  
जायगा । परन्तु मामह द्वारा उदाहृत जैसे [पर्यायोक्त के] उदाहरण में तो  
व्यज्ञय का प्रावान्य ही नहीं है । क्योंकि वहा वाच्य का गोणत्व विवक्षित नहीं है ।

अपहुति तथा दीपक में वाच्य का प्रावान्य और व्यज्ञय का वाच्यानु-  
गामित्व प्रसिद्ध ही है ।

अपहुति और दीपक के विषय में ग्रन्थकार इसवे पूर्व भी लिख चुके हैं ।  
यहाँ दुगारा उनका उल्लेख इस लिए किया कि यहा तो उनका वर्णन उद्देश्य नम से  
प्राप्त है । अर्थात् पीछे “यत्र तु प्रतातिरस्ति, यथा समासोचि, आदेष, अनुव निमित्त  
प्रिशेषोचि, पर्यायोक्ति, अपहुति, दीपक, सङ्करालङ्कारादी” इस पक्ति में पर्यायोक्त  
के गाद अपहुति और दीपक का नामोल्लेख किया था । अतएव पर्यायोक्त के  
बाद उनका वर्णन नम प्राप्त होने से यहाँ उनका उल्लेख करना आवश्यक  
था । इसके पूर्व जो उनका उल्लेख हुआ है वह तो केवल दृष्टान्त रूप में किया  
गया है कि, दीपकादि में उपमा की प्रनीति होने पर भी अप्रधान होने के कारण  
उपमा का व्यवहार यहा नहीं होता । यहा उद्देश नम प्राप्त होने से उनका दुगारा  
उल्लेख किया गया ।

आगे सङ्करालङ्कार का वर्णन किया है । सङ्करालङ्कार के नीन लोगों ने  
हीन भेद माने हैं अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर, एकाभ्रयानुप्रवेश सङ्कर और सन्देश सङ्कर ।  
भामद आदि ने एकाभ्रयानुप्रवेश को दो भागों में विभक्त कर दिया है । ए

वाक्यानुवर्तन और एक-वाक्याशसमावेश रूप । इस प्रकार भट्टोद्धट के अनुसार सङ्कर के चार भेद हो गए । इन के लक्षण भामह ने और उनके उदाहरण भामह विवरण कार भट्टोद्धट ने निम्न प्रकार दिए हैं । सन्देह सङ्कर का लक्षण और उदाहरण यह है — ।

विशदालिपियोल्नेले सम तदवृत्त्यसभ्ये ।

एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे च सङ्कर ॥

विशद अलङ्करों का वर्णन होने पर, उनकी एक साथ स्थिति असम्भव होने और किसी एक के मानने में युक्ति या दोष न होने पर सन्देह सङ्कर अलङ्कार होता है । इसका उदाहरण लोचनसार ने अपना निम्न श्लोक दिया है ।—

शशिवदनाऽसितसरसिजनयना सितकुसुमदशनपक्तिरियम् ।

गगनजलस्थलसमवद्याकारा कृता विधिना ॥

चन्द्रमुखी, छृष्णकमलनयनी और शुभ्रकुसुमदन्ती इस सुन्दरी को विधाता ने गगन, जल और स्थल से उत्पन्न मनोहर आकार वाली बनाया है । इस में ‘मयूर व्यसकादयश्च अ० २, १, ७२ इस सूत्र से ‘शशी एव वदन यस्या सा शशिवदना’ ऐसा समाप्त मानने से रूपक, और ‘उपमित व्याघ्र दिभि सामान्याप्रयोगे अ० २, १, ५६’ इस सूत्र से ‘शशिवद् वदन यस्या’ यह समाप्त मानने से उपमा होती है । श्लोक में ‘शशिवदना’ आदि तीन विशेषण दिए हैं व तीनों क्रमशः गगन, जल, स्थल से सम्बद्ध होने से ‘शशिवदना’ पद गगनसमरपता, ‘अक्षितखरसिजनयना’ पद जलसम्बवत्य और ‘सितकुसुमदशनपक्ति’ पद स्थलसम्बवत्य को रोधन करते हैं । इस प्रकार मानो विधाता ने उस नायिका को गगन, जल और स्थल तीनों से बनाया है । यह श्लोक का भाव है । इसमें उपमा और रूपक में से क्या माना जाय उसका कोई निर्णायक विनिगमक हेतु न होने से यहा तन्मूलक सन्देह सङ्कर अलङ्कार है । इसलिए यहा कौन वाच्य है और कौन व्यञ्जय है इससा ही जब निर्णय नहीं है तब उसकी प्राधानता या गौणता के निर्णय का प्रश्न ही नहा उठता ।

सङ्कर का दूसरा भेद एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर है । भट्टोद्धट ने इसके दो भेद कर दिए हैं—एक वाक्यानुप्रवेश और एक वाक्याशानुप्रवेश । इन दोनों भेदों का वर्णन और लक्षण भामह ने निम्न प्रकार किया है ।—

शब्दार्थपर्यालङ्कारा वाक्य एकवर्तिन ।

सङ्करस्त्रैकवाक्याशप्रवेशाद्याभिषीयते ॥ भामह ३, ४८

जहा शब्दवर्तीं तथा अर्थनाता, अर्थात् शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार दोनों एक ही वाक्य में स्थित हों वहा एकवाक्यप्रवेश अथवा एकवाक्याशप्रवेश भेद से दो प्रकार का सङ्कर अलङ्कार होता है। इन दोनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं—

‘स्मर, स्मरमित प्रिय रमयसे यमालिङ्गनात्’

कामदेव के समान जित प्रिय को आलिंगन से रमण कराती ही, उसको रमण करो। यहा ‘स्मर स्मर’ पद की आवृत्ति से यमक रूप शब्दालङ्कार, और ‘स्मरमित’ इस उपमा रूप अर्थालङ्कार वा एकाश्रयानुप्रवेश रूप सङ्कर है। यहा प्रतीयमान की शङ्का का भी अवसर नहीं है। उनके गुणप्रधान भाव का निर्णय तो दूर रहा। इसका दूसरा उदाहरण है—

तुल्योदयापसानताद् गतेऽस्त प्रति भास्यति ।

वासाय वासर कलान्तो विशतीव तमोगुहाम् ॥

सूर्य और वासर [दिन] दोनों तुल्योदयावसान हैं, दोनों का उदय और अस्त साथ साथ होता है। इसलिए जब सूर्य अस्त होने लगा तो मानो रित्व होकर वासर भी तमोगुहा में प्रविष्ट था हो जाता है। यह इस श्लोक का भाव है। यहा ‘विशतीव’ यह उपेक्षा अलङ्कार है। और ‘तमोगुहाम्’ यह एक देशविवरिति रूपक है। यहा सूर्य स्वामी, और वासर सेवक है। सूर्य का अस्त स्वामिविपत्ति, और वासर का तमोगुहाप्रवेश स्वामिविपत्तिसमुचित मतभ्रहण रूप है। परन्तु इन सबका आरोप नहीं किया है केवल तम पर गुहा का आरोप है इसलिए यह एकदेशविवरिति रूपक है। इस प्रकार यहा रूप और उपेक्षा दोनों समान रूप से वाच्य होने से उनमें गुण प्रधानभाव ही नहा है।

सङ्कर का चौथा भेद अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है। उसका लक्षण और उदाहरण निम्न है—

परस्पराप्तारण्य यत्तद्वय रित्वता ।

स्वातत्त्वेणात्मलाभ नो लभन्ते सोऽपि सङ्कर ॥ भाग्मद ३, ४८

जहाँ अनेक अलङ्कार परस्परोपकारक भाव से स्थित हों, स्वातन्त्र्य से नहीं, वह भी [अङ्गाङ्गिभाव] सङ्कर होता है जैसे—

प्रगतीलोत्पलनिर्विशेष श्रीधीरप्रेदितमायताद्या ।

तथा गृहीत तु मृगाङ्गनाम्यस्ततो गृहीत तु मृगाङ्गनाभि ॥

यह कुमार सभर [ १,४६ ] का श्लोक है। उस आयतात्त्वी पार्वती ने प्रश्नात—तेज्ज्ञ हस्त से चम्पल नील कम्पल के भग्नान, श्रीधीर दृष्टि क्या मृगों से ली

सङ्कुरलङ्कारेऽपि यदालङ्कारोऽलङ्कारान्तरच्छ्रायामनुगृहाति, तदा  
व्यङ्ग्यस्य प्रायान्येनाविष्वक्षितत्वान्न ध्वनिविपयत्तम् । अलङ्कारद्वय-  
संभावनायान्तु वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं प्रायान्यम् । अथ वाच्योपसर्जनीभावेन  
व्यङ्ग्यस्य तत्रावस्थानं<sup>१</sup> तदा सोऽपि ध्वनिविपयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनि-  
रिति वक्तुं शक्यम् । पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्यायात् । अपि च सङ्कुरलङ्कारे-  
ऽपि<sup>२</sup> च क्वचित् सङ्कुरोक्तिरेव ध्वनिसंभावना निराकरोति<sup>३</sup> ।

अथवा मृगों ने उस-पार्वती से ली । यह कालिदास के इस श्लोक का भाव है ।  
अर्थात् उसकी दृष्टि हरिणी की दृष्टि के समान चञ्चल है । इस प्रकार यहा उपमा  
अलङ्कार व्यङ्ग्य है और सन्देहलङ्कार वाच्य है । परन्तु व्यङ्ग्य उपमा, वाच्य सन्देह-  
लङ्कार को ही चाहत्योक्तर्प प्रदान कर अनुगृहीत करती है । उसका पर्याप्तान  
सन्देह की पुष्टि में ही होता है इसलिए वह गुणभूत है । और उपमाजनित  
चमत्कृति में सन्देह साहाय्य करता है इसलिए दोनों का परस्पर अङ्गाङ्गिभाव है ।

इस प्रकार सङ्कुर के चारों भेदों में से बीच के दो भेदों में तो व्यङ्ग्य  
समाप्ता ही नहा है । चतुर्थ अङ्गाङ्गिभाव सङ्कुर में और प्रथम सन्देह सङ्कुर में  
व्यङ्ग्य की सम्भावना हो सकती है परन्तु वहाँ भी व्यङ्ग्य का प्रायान्य निश्चित न  
होने से ध्वनि व्यप्त्तार नहीं हो सकता । इसी बात को ग्रन्थकार आगे कहते हैं—

सङ्कुरलङ्कार में भी जहा एक अलङ्कार दूसरे की लाया [सौन्दर्य] को  
उष्ट [अनुगृहीत] करता ह [अथान् अङ्गाङ्गिभाव रूप चतुर्थ भेद में] वहा व्यङ्ग्य  
का प्रायान्य विचित न होने से वह ध्वनि का विषय नहीं है । [ सन्देह सङ्कुर  
रूप प्रथम भेद में] दो अलकारों की संभावना होने पर तो वाच्य और व्यङ्ग्य  
दोनों का सम प्रायान्य होता है । [अत वहा भी ध्वनि का समाप्ता नहीं है]  
और यदि वहा [अङ्गाङ्गिभाव सङ्कुरलङ्कार में] व्यङ्ग्य वाच्य के उपसर्जनीभाव  
[गौण रूप] से स्थित हो तब तो वह भी ध्वनि [अलङ्कार ध्वनि] का विषय  
हो सकता है । न कि केवल वही ध्वनि है । पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्याय से । और  
एक बात यह भी है कि सङ्कुरलङ्कार में सर्वंत्र सङ्कुर शब्द का प्रयोग हा ध्वनि  
संभावना का निराकरण कर देता है ।

यहा 'सङ्कुरलङ्कारेऽपि च क्वचित्' इस की व्याख्या करते ममय 'क्वचिदपि  
सङ्कुरलङ्कारे' इस प्रकार अन्वय करना चाहिए । उसमें भी 'क्वचिदपि' का अर्थ

१. तत्रापि व्यवस्थानम् निं०, दी० । २. सङ्कुरलङ्कारस्य मङ्गुरोक्तिरेव  
ध्वनिसंभावना करोति । निं० ।

सर्वत्र होगा । 'व्यचिदपि सङ्करलङ्घरे' का अर्थ हुआ कि सङ्करलङ्घर में सर्वत्र अर्थात् सङ्करलङ्घर के सभी भेदों में सङ्कर शब्द का प्रयोग उनकी सङ्कीर्णता का प्रतिपादक है । वहा यदि किसी एक की प्रधानता हो जाय तो फिर सङ्कर ही कहा रहगा ? इसलिए सङ्कर शब्द का प्रयोग ही वहा व्यङ्ग्यप्राधान्यरूप ध्वनि का नियंत्रण कर देता है । फिर भी यदि आप —

न भवति गुणानुराग सलानां केवल प्रसिद्धिशरणानाम् ।

किल प्रसन्नौति शशिमणि चद्रे न प्रियामुखे हप्ते ॥

केवल प्रसिद्धि चाहने वाले दुष्टों को गुणों से प्रेम नहा होता चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा को देख कर तो द्रवित हो जाता है प्रिया के मुख को देख कर नहीं । यहाँ शशि मणि अर्थात् चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा को देख कर द्रवित होने लगता है परन्तु चद्र से भी अधिक सुन्दर प्रिया मुख को देख कर द्रवित नहीं होता । इस विशेष उदाहरण से प्रसिद्धि मान चाहने वाले दुष्टों को गुणों से अनुराग नहा होता इस सामान्य नियम का समर्थन करने से अर्थात्तरन्यास अलङ्घार वाच्य है । और प्रियामुख चन्द्र से भी अधिक सुन्दर है यह व्यतिरेक अलङ्घार तथा यह चद्र नहीं है प्रिया मुख ही चन्द्र है यह अपहृति अलङ्घार व्यङ्ग्य है ।

इस प्रकार के किसी उदाहरण में व्यङ्ग्य की प्रधानता पर ही नल दें तो फिर उस स्थान पर अलङ्घार ध्वनि हो जायगी । अर्थात् वहा सङ्कर का अन्तर्भाव अलङ्घार ध्वनि में हो जायगा । क्योंकि पर्यायोक्त न्याय में ध्वनि के महाविषय आर अहङ्कार होने से उसमें अन्य अलङ्घारादि का अन्तर्भाव दिखाया जा चुका है । उसी न्याय से यहा भी समझना चाहिए ।

अप्रस्तुत के बण्णन से जहा प्रस्तुत का आक्षेप किया जाता है वहा अप्रस्तुत प्रशासा नामक अलङ्घार होता है । अप्रस्तुतप्रशासा तीन प्रकार भी होती है । पहिली सामान्य विशेष भाव मूलक, दूसरी राय कारण भाव मूलक और तीसरी साहश्य मूलक । इनमें से पहिली और दूसरी प्रकार की अप्रस्तुतप्रशासा के दो दो भेद हो जाते हैं । इस प्रकार उन दोनों के दो दो भद्र होकर चार भेद और एक साहश्यमूलक इस प्रकार पाच भेद हो जाते हैं । सामान्य विशेष भाव मूलक के दो भद्र इस प्रकार होते हैं कि १—एक जगह सामान्य अप्रस्तुत होता है और उससे प्रस्तुत विशेष का आक्षेप होता है । और २—दूसरी जगह अप्रस्तुत विशेष होता है उससे प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप होता है । इसी प्रकार कार्य-कारणभाव मूलक के दो भेद हो जाते हैं । एक जगह कारण अप्रस्तुत होता है उससे प्रस्तुत

कार्य का आक्षेप होता है और दूसरी जगह अप्रस्तुत नार्य से प्रस्तुत कारण का आक्षेप होता है । इस प्रकार चार भेद हुए और पाववा भेद सादृश्यमूलक होता है । इस भेद के भी श्लोप निमित्तक, समासोकि निमित्तक और सादृश्यमान निमित्तक इस प्रकार तीन भेद हो जाने से अप्रस्तुत प्रशसा के सात भेद बन जाते हैं । परन्तु भामह ने केवल पहिले तीन भेद ही किए हैं । एक सामान्य विशेष भावमूलक, दूसरा काय ग्राण भावमूलक और तीसरा सादृश्यमूलक । इनमें पहिले दोनों भेदों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का सम प्राधान्य होने से व्यनि का अवसर ही नहा है । इसलिए उसके अन्तर्भीकर का विचार ही नहीं हो सकता । तीसरे सादृश्यमूलक भेद में यदि अभिधीयमान अप्रस्तुत का अप्राधान्य और प्रतीयमान प्रस्तुत का प्राधान्य विवक्षित होगा तो अलङ्कार का व्यनि में अन्तर्भीकर हो जायगा अन्यथा अप्रस्तुत अभिधीयमान का प्राधान्य विवक्षित होने पर अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार होगा । इसी भाव से मन में रख कर ग्रन्थकार ने प्रकृत सदर्भ लिखा है ।

भगवत् अप्रस्तुत प्रशसा का लक्षण तथा उसके उदाहरणादि निम्न प्रकार हैं । —

अधिकारादपेतम्य वस्तुनाऽन्यस्य या स्तुति ।

अप्रस्तुत प्रशसा सा निविधा परिकोर्तिता ॥ भामह ३,२६

अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष के आक्षेप का उदाहरण —

अहो ससारनैषु रथ, अहो दीरात्म्यमापदाम् ।

अहो निर्गंजिह्वस्य दुरन्ता गतयो विधे ॥

यहा सर्वत्र दैव का ही प्राधान्य है इस अप्रस्तुत सामान्य से फिरी प्रस्तुत वस्तु के निनाश रूप विशेष से आक्षेप होता है । परन्तु यहा वाच्य सामान्य, और प्रतीयमान विशेष दोनों का समप्राधान्य है अत भवनिविश्वत नहीं है ।

अप्राकरणिक विशेष से प्राकरणिक सामान्य के आक्षेप का उदाहरण निम्न है । —

पतत् तस्य मुखात् क्रियत् कमलिनीने कण गरिणो,

यन्मुक्तामणिरित्यमस्तु स जटः शरणनपदस्मादपि ।

अगुल्यप्रज्ञुकियाप्रविलयि यादीयमाने शनैः ,

कुञ्चोद्दीय गतो ममेत्यनुदिन निद्राति नान् शुचा ॥

उस मूर्ख ने कमलिनी के पत्र पर पड़े पानी के कण को मुक्तामणि समझ

लिया यह उसके लिए कौन बड़ी बात है। इससे भी आगे जी बात सुनो। वह जब अपनी उस मुकामणि को धीरे से उठाने लगा तो अगुली के अग्रभाग की किया से ही उसके फूटों विलुप्त हो जाने पर, न जाने मेरा मुका मणि उड़ कर कहा चला गया इस सोच में उसको नाद नहीं आती है। यह श्लोक का भाव है। यहाँ जल विन्दु में मुकामणित्व समावन रूप अप्रस्तुत विशेष से मूँहों की अस्थान में समत्व समावना रूप प्रस्तुत सामान्य का बोध होता है। यहा बन्ध और अलङ्घन का सम प्राधान्य होने से ध्वनि की समाप्ति नहा है। इसी प्रकार निमित्त-निमित्तिभाव में भी समझना चाहिए। उसके उदाहरण यहाँ नहीं देंगे।

साहश्यमूलक अप्रस्तुत प्रशसा में जहा वर्णित अप्रस्तुत से आकृष्यमाण प्रस्तुत अधिक चमत्कारकारी होता है वहा वस्तु ध्वनि समझना चाहिए। उसे अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्घार का उदाहरण नहा समझना चाहिए। अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्घार वही बनेगा जहा व्यङ्ग्य इस अभिव्यमान से अधिक चमत्कारी न हो। जैसे निम्न श्लोक में प्रतीयमान त अभिव्यमान अप्रस्तुत की अपेक्षा अधिक चमत्कारी है इसलिए वह वस्तुध्वनि का उदाहरण है अलङ्घार का नहीं ।—

भाववात् हठाजनस्य हृदयान्याकम्य यन्तर्यन्,  
भङ्गीभिविधिभिरात्महृदय प्रच्छाय सबीडसे ।  
स त्वामाह जड तत् सहृदयम्भव्यत दुशिक्षितो,  
मन्येऽमुख्य जडात्मता स्तुतिपद् त्वत्साम्यसमावनात् ॥

हे भाववात्-अर्थात् पदार्थ समूह ! समग्र विश्व सौन्दर्य के आकर इस प्राकृतिक जगत् के चन्द्रमा आदि पदार्थ समूह ! तुम विविध प्रकारों से अपने आन्तरिक रहस्य को छिपा कर और लोगों के हृदयों को हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर, स्वेच्छापूर्वक नचाते हुए जो ब्रीहा करते हो, उसी से सहृदयम्भव्यत भी भावना से दुशिक्षित अपने सहृदय होने का मिथ्याभिमान करने वाले लोग तुमको जङ्गकहते हैं। उम्मुक् वह स्वयं जड़, मूर्ख है। परन्तु उनसे जड़ कहना भी तुम्हारी समानता का संगादक होने से उनके लिए स्तुति रूप ही है यह प्रतीत होता है।

यह इस श्लोक का भाव है। परन्तु इससे किसी महापुरुष का अप्रस्तुत चरित प्रतीयमान है जो अत्यन्त विद्वान् और गुणवान् होते हुए भी साधारण लोगों के बीच अपने पायिदत्य आदि को प्रकाशित नहीं करता इस कारण लोग उसे मूर्ख कहते हैं। यहा जो लोकोत्तर चरित प्रतीयमान है वही प्रधान है। यहा अप्रस्तुत

अप्रस्तुतप्रशसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्त-  
निमित्तिभावाद्वाभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेना-  
भिसपन्वस्तदा<sup>१</sup> अभिधीयमानप्रतीयमानयो सममेव प्राधान्यम् । यदा  
तावत् सामान्यस्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण  
प्रतीयमानेन सबन्वस्तदा विशेषप्रतीतो सत्यामपि प्राधान्येन <sup>२</sup> तत्सामा-  
न्येनाविनाभावात् सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य  
सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये, सामान्ये सर्वविशेषाणामन्तं  
भावाद् विशेषस्यापि प्राधान्यम् । निमित्तनिमित्तिभावे<sup>३</sup> चायमेव न्याय ।  
यदा तु सारुप्यमात्रवर्णेनाप्रस्तुतप्रशसायामप्रकृतप्रवृत्तयो सबन्व  
स्तदाप्यप्रस्तुतस्य सरुपस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षाया ध्वना  
वेवान्तं पात् । इतरथा त्वलकारान्तरमेव ।

से प्रस्तुत की प्रतीति होने पर अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार नहा अग्रितु वस्तु ध्वनि  
है । लोचनकार ने भावत्रात वाला यह जो श्लोक उदाहरण रूप में यहा प्रस्तुत किया  
है वह कुछ कठिन होगया है । वस्तुत सभी अन्योक्तिया इसका उदाहरण ही  
सकती हैं ।

इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार में व्यङ्ग्य प्रतीति रहते हुए सामान्य  
विशेषभाव मूलक और वाय कारणभाव मूलक चार भेदों में आभिधीयमान और  
प्रतीयमान दोनों का सम प्राधान्य होने से ध्वनि का अवसर नहा और पाचवें सादृश्य  
मूलक भद्र में जहा प्रतीयमान का प्राधा य है उस अन्योक्ति रूप भेद में अप्रस्तुत  
प्रशसा अलङ्कार ही नहा अन्त वस्तु ध्वनि है । इसलिये ध्वनि का अतभाव  
अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार में भी नहा हो सकता । यहा प्रस्तुत सन्दर्भ का अभि-  
प्राय है । शब्दानुयाद इस प्रकार होगा —

अप्रस्तुतप्रशसा में भी जब सामान्यविशेषभाव स अधजा निमित्तनिमित्ति  
भाव से, अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत के साथ सम्बन्ध हाता है  
तथा अभिधीयमान और प्रतीयमान दोनों का समान ही प्राधान्य होता है । जब  
कि अभिधीयमान अप्रस्तुत सामान्य का प्रतीयमान प्रस्तुत विशेष स सम्बन्ध

१ 'अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानन् प्रस्तुतेनाभिस्वरूपस्तदा'  
इतना पाठ निं० में नहीं है । २ तस्य निं० दी० । ३ वायवारणभावे दी० ।

## तद्यमन संक्षेप ।

‘व्यङ्ग्यस्य यन्नप्राधान्य वान्यमात्रानुयायिन ।  
समासाक्त्याद्यस्तत्र वाच्यालकृतय सुटा ॥  
व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्र वाच्यार्थानुगमेऽपि वा ।  
न ध्वनिर्यन वा तस्य प्राधान्य न प्रतीयते ॥  
तत्परवव शशार्थां यत्र व्यङ्ग्य प्रति स्थिती ।  
ध्वने म एत विषयो मन्तव्य सद्वाराजित ॥

तस्मात् ध्वनरन्तभाव ।

होता है तथ प्रधानत विशेष की प्रतीति होने पर भी [ 'निर्विशेष न सामान्यम्' इस नियम के अनुयाय ] उसका सामान्य स अविनाभाव होने के कारण सामान्य का भी प्राधान्य होता है । और जब विशेष सामान्यनिष्ठ होता है [ अथात् जब अभिधीयमान अप्रस्तुत विशेष से प्रतीयमान प्रस्तुत सामान्य का आवेप होता है ] तब भी सामान्य के प्राधान्य होने पर सामान्य म ही समस्त विशेष का अन्तभाव होने स विशेष का भी प्राधान्य होता है । निमित्त निमित्तिभाव म भी यही नियम लागू होता है । जब सूदृश्यमान मूलक अप्रस्तुत प्रशस्ता में अप्रकृत और प्रकृत का सम्बन्ध होता है तथ भी अभिधीयमान अप्रस्तुत तुल्य पदाय का प्राधान्य अविवित होने की दशा में [वस्तु] व्यनि म अन्तर्भूत हो जाएगा । [ वहा अप्रस्तुत प्रशस्ता अलङ्कार नहीं होगा ] अन्यथा ही अलङ्कार होगा ।

‘इतरथा त्वलङ्कारान्तरम्’ इस मूल में एवमार भिन व्यंग्य है और इतरथा के गाद उसका अन्वय करना चाहिए । इतरथैत्र अलङ्कारान्तरम् ।

इस सबका सारांश यह है कि —

नहा वाच्य का अनुगमन करन वाल व्यङ्ग्य का अप्राधान्य है वहा समासानि शादि वाच्य अलङ्कार स्पष्ट है ।

नहा व्यङ्ग्य की केवल प्रतीतिमात्र हाती है अथवा वह वाच्य का अनुगमा पुरुषभूत है अथवा नहा उसका स्पष्ट प्राधान्य नहीं है वहा व्यनि नहीं है ।

१ य सोना कारिका नहीं सम्भव या परिवर इतोक ह । इसी से इन पर युति भी नहीं ह । नि० सा० तथा दो० म इन पर १४, १५ १६ कारिका सर्वांग दो ह जो उचित नहीं ह ।

इतर्च नान्तर्भाव । यत् काव्यविशेषोऽङ्गी धनिरिति कथित । तस्य पुनरङ्गानि, अलङ्गारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चायत्य एव पृथग्भूतोऽप्ययमीति प्राप्सद्ध । अग्रयम्भावे तु तदङ्गत्य तस्य । तेन तु तत्त्वमेव । यत्रापि तत्त्वं तत्रापि धनेमहावपयत्वान्न तत्त्विष्ठत्वमेव ।

सूरिभि कथित इति विद्वदुपज्ञेयमुक्ति, न तु यगाकथञ्चित् प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते । प्रथमे हि विद्वासो वैयाकरणा, व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम् । ते च अयमाणेषु गणेषु धनिरिति व्यवहरन्ते । तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभि सूरिभि काव्यतत्त्वार्थदर्शिभेर्वाच्यमाचक

जहा शब्द और अर्थ व्यङ्ग्य व्योधन के लिए ही त पर है उसी को सङ्कर रहित धनि का विषय समझना चाहिए ।

इसलिये धनि का [अन्तर अलङ्गारादि में] अन्तभाव नहीं हा सहना ।

इस कारण भी [ धनि का अन्त अलङ्गारादि में ] अन्तभाव नहीं हो सकता कि अङ्गोभूत [ व्यङ्ग्य व्यापान ] काव्यविशेष को 'धनि' कहा है । अलङ्गार गुण, और वृत्तिया उसके अङ्ग हैं यह आगे प्रतिपादित किया जावेगा । और [ पृथग्भूत ] अलग अलग अवयव ही अवयवों नहीं कहे जाते । अग्रयम्भूत [ मिलकर समुदाय ] रूप में [ भी ] वह [ अवयव रूप अलङ्गारादि ] उस [ धनि ] के अङ्ग ही हैं न कि अङ्गों [ धनि ] हैं । उहा कहीं [ जैसे पर्यायोक्त के 'अम घामिर' सदृश उदाहरणों में अथवा सङ्कर के—'भयति न गुणानुराग' सदृश उदाहरणों में ] व्यङ्ग्य का अङ्गि व [ या धनिर ] होता भी है वहा भी धनि के महाविषय [ अपिकृदेशवृत्ति, अर्थात् उन उदाहरणों से भिन्न स्थलों पर भी विषयमान ] होने से [ धनि ] अलङ्गारादि में अन्तभूत नहीं होता ।

'सूरिभि कथित' [ कारिका सं० १३ के इस वचन से ] से यह [ धनि प्रतिपादनपरक ] उक्ति [ धनिवाद ] विद्वन्मनमूलक है यों हो [ अगमाणिक स्वकलित रूप से ] प्रचलित नहीं हो गयी है यह सूचित किया है ।

[ 'विद्वन्म्य उपज्ञा, प्रथम उपनमो ज्ञान ता यस्या उक्ते सा' इस प्रकार बहुत्रीहि समाप्त ही करने से तपुषपत्तमासाप्तिन 'उपज्ञोपक्षम तदाग्निलग्नासायाम् अप्या० २, ४, २१' सूत्र से नपु सकल्व का अवकाश नहीं रहता । अवयवा तपुषपत्तमास करने पर तो 'विद्वदुपज्ञा' यह स्वीलिंग प्रयोग न होकर 'विद्वदुपज्ञा' यह नपु सकलिंग प्रयोग ही होगा । अत यदा बहुत्रीहि समाप्त ही करना चाहिए ।

संमिश्र शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद् ध्वनि-  
रित्युक्तः । नचैवंविधस्य ध्वनेर्वद्यमाणप्रभेदतद्भेदसङ्कलनया महाविप-  
यस्य यत् प्रकाशनं १ तदप्रसिद्धालङ्कारविशेषमात्रप्रतिपादनेन तुल्यमिति  
तद्वाचित्येतसां युक्त एव संरभम् । नच तेषु कथञ्चिदोर्पारुपित-  
शेषुयीकृत्वमाविष्करणीयम् । तदेवं २ ध्वनेरभाववादिनः प्रत्युक्ताः ।

प्रथम [ सबसे मुख्य ] विद्वान् वैयाकरण हैं । व्याख्यात्मक विद्वानों का भूल है । वे [ वैयाकरण ] सुनाइ देने वाले वर्णों को ध्वनि कहते हैं । उसी प्रकार उनके मत को मानने वाले, काव्य तत्वार्थदर्शी अन्य विद्वानों ने भी वाच्य, वाचक, [ संमिश्र्यते विभागामुभावसंग्रहनयेति समिश्रः व्यञ्जयार्थ ] व्यञ्जयार्थ, [ शब्दतं शब्दः तदात्मा व्यञ्जनरूपः शब्दव्यापारः ] व्यञ्जना व्यापार, और काव्य पद से व्यवहार्य [ अर्थात् काव्य, इन पांचों ] को ध्वनि कहा है । [ ‘ध्वनतीति ध्वनिः’ इस व्युत्पत्ति से वाचकशब्द और वाच्यार्थ को, ‘ध्वन्यते इति ध्वनि’ इस व्युत्पत्ति से व्यञ्जयार्थ को, ध्वनन् ध्वनि । इस व्युत्पत्ति से व्यञ्जना व्यापार को और ‘अन्यतेऽस्मिन्नति ध्वनिः’ इस व्युत्पत्ति से एवेंकृत ध्वनि चतुर्थ युक्त काव्य को ध्वनि कहते हैं । यह व्याख्या लोचनशार के अनुसार है । ] इस प्रकार के और आगे कहे जाने याने भेद प्रभेद के सङ्कलन से अ पन्त व्यापक [ महाविपय ] ध्वनि का जो प्रतिपादन है वह केवल अप्रसिद्ध अलङ्कार विशेषों के प्रतिपादन के समान [ नगरण ] नहीं है इस लिए उसके समर्थकों का उत्साहातिरेक उचित ही है । उनके प्रति किसी प्रकार की ईर्पणी कलुपित वृत्ति प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार ध्वनि के अभाववादियों [ १ ‘तदसङ्कारादिव्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति’ २ ‘तस्मयान्तः पातितः सदृशान् काव्यं परिनिरूप तप्रसिद्धगा ध्वनी काव्य-  
व्यपदेशः परिपतितोऽपि सङ्कल्पिद्वन्मतोप्राहितामयनमरते’ इयादि, और ३ तेपामन्यतमस्यैव वापूर्वसमार्थाभाव वरणे यक्षिञ्चन कथनं स्यात् इत्यादि तीनों पक्षों ] का निराकरण हो गया ।

प्रथम विद्वान् वैयाकरण अव्यमाण वर्णों को ध्वनि कहते हैं इसलिए उनके अनुगामी श्रालङ्कारिकों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया । यहा वैयाकरणों के साथ जो श्रालङ्कारिकों का सिद्धान्त साम्य प्रदर्शित किया है उसके स्थान से समझने के लिए वैयाकरणों के ‘स्फोट्याद्’ और उसके साथ शब्द तथा उससे अर्थ वोध

१ तदप्रप्रसिद्ध निं०, दी । २ ध्वनेस्तावदभाववादिनः निं०, दी० ।

की सारी प्रतिया का समझना आवश्यक है। इसलिए सद्देष में उसका उल्लेख यहां कर रहे हैं।

शब्द जिसको हम कानों से सुनते हैं उसके तीन कारण वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं। १ सयोग, २ विभाग और ३ शब्द। शब्द का आश्रय आकाश है। उसका प्रहण थोरेन्ट्रिय से होता है और सयोग, विभाग अथवा शब्द इनमें से किसी एक से उसकी उत्पत्ति होती है। घटा या भेरी के बजाने से जो शब्द पैदा होता है वह सयोगज शब्द है। उसकी उत्पत्ति घटा और मुगरी अथवा भेरी और दण्ड के सयोग से होती है। बास या कागज आदि के फाइने से जो शब्द उत्पन्न होता है वह विभागज शब्द है, वश के दलदूष या कागज के दोनों खण्डों के विभाग से उसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रारम्भिक प्रथम शब्द की उत्पत्ति तो सयोग या विभाग इन दो ही कारणों से होती है। परन्तु वह प्रारम्भिक शब्द हमको सुनाई नहीं देता। घटा विद्यालय में बजता है, हम आश्रम में वैठे हैं। इस देश भेद के बारण उस प्रथमोत्पन्न शब्दको हम साज्जात नहीं सुनते हैं। उस शब्दसे वायु मण्डल में क्रियिक शब्द धारा उपलब्ध होते होते जो शब्द हमारे ओर देश में आकर उत्पन्न होता है वह शब्द हमको सुनाई देता है। आद्य शब्द या वीच के शब्द सुनाई नहीं होते। घटे का शब्द सुना यह द्रतीति सादृश्य के कारण होती है।

इस शब्द-धारा में प्रथम शब्द के बाद जितने भी शब्द उत्पन्न होते हैं वे सब शब्दज शब्द हैं। इस शब्द धारा की प्रगति के विषय में दो प्रकार के मत हैं एक 'वीचीतरङ्ग न्याय' और दूसरा 'कदम्ब-मुकुल न्याय' नाम से बहा जाता है। जिस प्रकार तालाब में एक ककड़ ढाल देने से उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। प्रारम्भ में वह लहरएक बहुत छोटा सा गोलाकार चक बनाती है। जो बढ़ते-बढ़ते सारे तालाब में व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रथम शब्द से उसके उत्पत्ति स्थान के चारों ओर एक शब्द तरङ्ग का चक उत्पन्न होता है जो बढ़ते बढ़ते मुद्रूरवर्ती आकाश द्वे तक व्यापक हो जाता है। और जहा जहा उस शब्द को, प्रहण करने का उपकरण थोव-यन्त्र अथवा रेहियो आदि अन्य यन्त्र होता है वह शब्द सुनाई देता है। यह 'वीची तरङ्ग न्याय' हुआ इसमें सब दिशाओं में उत्पन्न होने वाली शब्द धारा परस्पर सम्बद्ध और एक है।

दूसरा 'कदम्ब-मुकुल-न्याय' है। कदम्ब-मुकुल का अर्थ है कदम्ब की छली। इस छली के बेन्द्रशीर स्थानमें एक नन्ही सी कील जैसी खड़ी रहती है। पिर उस

केन्द्र विन्दु के चारों ओर उसी प्रकार का अवयवों का एक बृहत् बन जाता है। इसी प्रकार यह बृहत् नद्दता हुआ सारे कदम्ब मुकुल में व्याप्त हो जाता है। यही शब्द की स्थिति है। इसको 'कदम्ब मुकुल न्याय' कहते हैं। इन दोनों न्यायों में अन्तर यह पड़ता है कि 'वीची तरङ्ग न्याय' के अनुसार सर दिशाओं में चलने वाली शब्द धारा एक है और 'कदम्ब मुकुल न्याय' में सर वीलों के ग्रलग-ग्रलग व्यक्तिल के समान सब ओर उत्पन्न होने वाले शब्द अनेक हैं।

यह शब्द के सुनने की प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया से जिस समय उस शब्द धारा का हमारे श्रोत से सम्बन्ध होता है उस समय हमारी शब्द का प्रहण होता है। पर जब शब्द धारा आगे बढ़ जाती है तब हमारी शब्द का सुनाई देना बन्द हो जाता है। इसी को शब्द को अनित्य मानने वाले नैयायिक आदि शब्द का नाश और नित्यतावादी वैयाकरण आदि तिरोभाव कहते हैं। इसलिए शब्द आशुतर विनाशी अथवा तिरोभावी है, द्यणिक है। ऐसी दशा में तीन चार वर्णों से मिल कर बने हुए घट पट इत्यादि शब्दों में प्रत्येक वर्ण सुनाई देने के बाद अगले दशा में नष्ट या तिरोभूत हो जाने से सर का एक समुदाय रूप में इकट्ठा होना सभव नहीं है। इस लिए अनेक वर्णों के समुदाय रूप पद और अनेक पदों के समुदाय रूप वाक्य आदि का निर्माण भी नहीं हो सकता। पर उनसे अर्थ बोध करने होगा, मह एक प्रश्न है। इसके समाधान के लिए प्राचीन शब्दशास्त्री वैयाकरणों ने 'स्फोटवाद' की कल्पना की है। 'स्फोट' शब्द का अर्थ है 'स्फुटति अर्थ यस्मात् सु. स्फोट' जिस से अर्थ प्रस्फुटित होता है, अर्थ की प्रतीति सुनाई देने वाले वर्णों से नहीं होती। क्योंकि उनके व्याख्यिक और आशुतर विनाशी अथवा तिरोभावी होने से उनके समुदाय रूप पद ही नहीं बन सकते। इसलिए इन श्रूयमाण वर्णों से ही जिनको व्यनि भी कहते हैं और नाद भी, पूर्व-पूर्व वर्णानुमतजनितस्त्वारहसृत-चरमवर्णं श्वरण से सदसद् अर्थात् विन्द्रमान और पूर्व तिरोभूत समस्त वर्णों को प्रहण करने वाला सदसदनेकवर्णविगाहिनी पदप्रतीति होती है। अर्थात् तुदि में समस्त वर्णों का समुदाय रूप एक नित्य गृह्य अभिन्युत होता है। इसी को वैयाकरण 'स्फोट' कहते हैं। इसी से अर्थ की प्रतीति होती है। वैयाकरण जब शब्द को नित्य कहते हैं तब उसका अभिग्राय इसी 'स्फोट' रूप शब्द की नित्यता से होता है। इसी प्रकार अनेक पदों के समुदाय रूप 'वाक्य स्फोट' की अभियक्षि पदों द्वारा होती है। वैयाकरणों ने १ वाणिस्त्रोट, २ पदस्फोट, ३ वाक्यस्फोट, ४ अर्थात्तदस्त्रोट, ५ अर्थात्तदवाक्यस्फोट,

अस्ति ध्वनिं । स च विवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति  
द्विविध सामान्येन । तप्राद्यस्योदाहरणम् ॥

सुवर्णपुण्या पृथिवीं चिन्वन्ति पुम्पास्त्रय ।  
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥

६ वर्ण, ७ पद, ८ वाक्य गत तीन प्रकार के जाति स्फोट इस प्रकार आठ तरह के स्फोटों का वर्णन वैयाकरण—भूपण अदि ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक किया है । उन सब का मूल महर्षि पतञ्जलि का महाभाष्य और भत्त हारि का वाक्यपदीय ग्रन्थ है ।

आलङ्कारिकों ने वैयाकरणों के ध्वनि शब्द का प्रयोग इस आधार पर हिया है कि वैयाकरण उन वर्णों को ध्वनि कहते हैं जो 'स्फोट' को अभिव्यक्त करते हैं । अर्थात् 'ध्वनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वैयाकरण 'स्फोट' के अभिव्यक्त वर्णों को ध्वनि कहते हैं इसी प्रकार ध्वनिवादियों ने 'ध्वनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वाच्य नाचक से भिन्न व्यञ्जय अर्थ को बोधन करने वाले शब्द, अर्थ आदि के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है । इसी बात का सङ्केत ऊपर ग्रन्थकार ने किया है और उसी के आधार पर काव्यप्रकाशकार ने, 'ुपैयैयाकरणे प्रधानभूतस्मोट्ट्व्यञ्जय यज्ञकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहार कृत , ततस्तनुसारिभिरन्यैरपि न्यग्मावितवाच्यव्यञ्जयव्यञ्जयमस्य शब्दार्थ सुगलस्य' लिखा है । इस प्रकार मुख्य रूप से १ शब्द + अर्थ के लिए और पिर ३ व्यञ्जना व्यापार, ४ व्यञ्जय अर्थ, तथा ५ व्यञ्जय प्रधान काव्य के लिए ध्वनि शब्द का व्यवहार होने लगा । अत एव ध्वनिगाद स्वकलित नहा अपितु पाणिनि पतञ्जलि सद्श मुनियों के मत के आधार पर आभित है ।

[ इसलिए ] ध्वनि है । वह सामान्यत अविवित वाच्य [ लक्षणा मूल ] और विवितान्यपरवाच्य [ अभिधा मूल ] भेद से दो प्रकार का होता है । उनमें से प्रथम [ अविवित वाच्य, लक्षणा मूल ध्वनि ] का उदाहरण यह है —

सुवर्णं जिसका पुण्य है ऐसी पृथिवी का चयन [ अथात् पृथिवी रूप संता के सुवर्णं रूप पुण्यों का चयन ] तीन ही पुरुष करते हैं । शूर, निद्वार् और जो सेवा करना जानता है ।

१ च के बाद असौ निं० तथा दी० में अधिक है । २ सामान्येन द्विविध निं० दी० ।

### द्वितीयस्थापि —

शिखरिणि कव तु नाम कियचिर, किमभिवानमसावकरोत्तप ।  
सुमुखि येन तवाधरपाटल, दशति विम्बफल शुकशावक ॥१३॥

इस श्लोक की व्याख्या में लोचनकार ने 'सुवर्णानि पुष्पयतीति सुवर्णपुष्पा' यह व्याख्या की है । वह चिन्त्य है । इस विग्रह में कर्म सुवर्ण उपपद रहते नाम धातु से 'कर्मण्य' सूक्ष्म से अण् प्रत्यय और उक्ते प्रभाव से 'गिर्दाणं' इत्यादि सत्र से दीप् होकर सुवर्णपुष्पी प्रयोग बनेगा सुवर्णपुष्पा नहीं । इस लिए उसका विग्रह 'सुवर्णमेव पुष्प यस्या सा सुवर्णपुष्पा' इस प्रकार करना चाहिए । हमने इसी विग्रह को मानहर अर्थ किया है । लोचन ग्रन्थ का अर्थप्रदर्शनात्मक मान मान कर न कि विग्रह मान कर कथनित् उपयादन करना चाहिये ।

यहा, न तो पृथिवी कोई लाता है, न सुवर्ण पुष्प और न उसका चयन ही हो सकता है अतः 'सुवर्णपुष्पा पृथिवी का चयन' यह वाक्य यथाश्रुत रूप में अन्वित नहा हो सकता इसलिए मुख्यार्थ बाध होने से लक्षणा द्वारा निपुल धन और उसके अनायासोभाजन से मुलभ समृद्धिसम्भारभाजनता को व्यक्त करता है । लक्षणा का प्रयोजन शूर कृतविद्य और सेवको का प्राशस्य स्वपद से वाच्य न होकर गोप्यमान कामिनी कुचकलशवद् सौन्दयातिशय रूप स भवनित होता है । लक्षणा मूल होने स इसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं । यहा यदि अभि हितान्वयगादियों की तात्पर्या शक्ति को भी माना जाय तो अभिधा, तात्पर्या, लक्षणा, व्यञ्जना चरों, अप्रथा तीरों वृत्तिया व्यापार बरती हैं ।

दूसरे [ प्रिवित्तान्यपर वाच्य, अभिधामूल ध्वनि ] का भी [ उदाहरण निम्न है ] —

हे सुमुखि ! इस शुक शावक ने किस पर्यंत पर, कितने दिनों तक, कौन सा तप किया है जिसके कारण तुम्हारे अधर के समान रक्तवर्ण विम्ब फल को कार [ न का सौभाग्य पुण्यातिशयलभ्य सौभाग्य प्राप्त कर ] रहा है ।

श्लोक में 'तगाधर पाटल' में 'तग' पद को असम्मत स्वतन्त्र पञ्चन्त पद के रूप में प्रयोग किया है । 'तगधरपाटल' ऐसा समस्त प्रयोग नहा किया है । इसे कुछ लोग वैवल लून्द के अनुराध से किया हुआ प्रयोग मानते हैं । परन्तु वह वात्तप में ठीक नहीं है । यहा अधर के साप त्वत् पदार्थ अर्थात् सम्बोधित की जाने वाली नायिका, का सप्तन्ध, प्राधान्येन गोघन करना अभीष्ट है । यदि 'तग' पद को समास में ढाल दिया जाय तो वह अधर पदार्थ का विशेषणमात्र हो जाने से

## यदप्युक्त भक्तिधर्वनिरिति, तत् प्रतिसमाधीयत—

प्रधान नहीं रहेगा। उस को असमत रखने का अभिप्राय यह है कि जैसे 'ग्रस्तया विज्ञाद्या एक्षायन्या गवा सोम क्रीणाति, इस वैदिक वाक्य में 'ग्रस्तया गवा' गौ के विशेषणीभूत आरण्य का साध्यता सम्बन्ध से क्रय किया भी सम्बन्ध हो जाता है। अथवा 'धनवान् सुखी' इस लौकिक वाक्य में वान् इस मतुप्रत्ययार्थ में अन्वित धन शब्द का प्रयोज्यत्व सम्बन्ध से सुख के साथ भी अन्वय होकर अर्थवौध होता है। इसी प्रकार अधरान्वित स्वत् पदार्थ का प्रयोज्यत्व सम्बन्ध से विम्बफलरूपक दशन के साथ भी अन्वय होकर तुम्हारे अधरारण्यलाभ से गर्वित विम्ब फल को तुम्हारे सम्बन्ध से ही, मुख्यत तुम्हारे लक्ष्य में रख कर ही दशन कर रहा है। यह अथ विवक्षित है इसलिए 'तव' इस असमत पद का प्रयोग किया है। 'दशति' का अर्थ श्रौदरिक अर्थात् पेटू के समान या जाना नहा अपितु रसास्वाद 'करना' है। शुक शावक की उचित तारण्यकाल पर उसकी प्राप्ति और रसज्ञता यह सब पुण्यातिशय लभ्य है यह अर्थे और इस के साथ अनुरागी का स्वाभिप्राय ख्यापन व्यङ्ग्य है।

यहा अभिधा, तात्पर्या और व्यञ्जना इन तीन वृत्तियों के ही व्यापार होते हैं। वीच में मुख्यार्थ वाघ न होने से लक्षण की आग्रह्यकृता नहीं होती। अथवा इस आरस्मिक प्रश्न की असङ्गति मान कर यदि लक्षण का भी उपयोग किया जाय तो मिर यहा भी पूर्व श्लोक के समान चार व्यापार ही जावगे। मिर भी इस की पूर्व लक्षण मूलक अभिवक्षित वाच्य धनि से भिन्न इस आधार पर निया जायगा कि पूर्व उदाहरण में केवल लक्षण ही धनन व्यापार में प्रधान सहारणी भी और यहा वाक्यार्थ सीन्दर्भ से ही व्यङ्ग्य की प्रतीति होने से अभिधा और तात्पर्य शार्च मुख्य सहारणी हैं। लक्षण का तो नाम मात्र का उपयोग होता है।

ऊपर 'धनेस्तावदभाववादिन प्रत्युत्ता' लिखा था। धनि के अभाव वादियों के खण्डन के बाद 'भावमाहुस्तमन्ये' इस मिद्दान्त का खण्डन करना चाहिए था। उसको न करके अन्यकार धनि के अभिवक्षित वाच्य और विवक्षितान्यवर्वाच्य भेद प्रतिपादन करने में लग गए। इसका कारण यह है कि इन उदाहरणों के आधार पर भक्तिवाद और अलक्षणीयतावाद का खण्डन सुन्न रहे गए। अत इन उदाहरणों के बाद उन दोनों भत्तों का खण्डन करेंगे ॥१३॥

[ अब दूसरे 'भावमाहुस्तमन्ये' इस पक्ष का खण्डन प्रारम्भ करते हैं ]

जो यह कहा था कि भक्ति धनि है उसका समाधान करत है,—

**भक्त्या विभति नैकत्वं रूपमेदादयं धनिः ।**

अयमुक्तप्रकारो धवनिर्भक्त्या नैकत्वं विभति, भिन्नरूपत्वात् ।  
वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यपाचकाभ्या तात्पर्येण प्रकाशन यत्र  
व्यङ्गश्चाधान्ये स धनि । उपचारमात्रन्तु भक्तिः ।

यह उक्त [शब्द, अर्थ, व्यञ्जना व्यापार, व्यङ्ग अर्थ और उन सबका समुदाय रूप काव्य यह पार्चे भेद वाला] धनि, [भक्ति या लक्षण से] भिन्न रूप होने के कारण भक्तिः [लक्षणः] के साथ अभेद [एक व] को प्राप्त नहीं हो सकता है ।

यह उक्त प्रकार का [पञ्चविध] धनि भिन्न रूप होने के कारण भक्तिः [लक्षणः] से अभिन्न नहीं हो सकता । वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ को वाच्य-वाचक द्वारा तात्पर्य रूप से व्यङ्ग का प्राधान्य होते हुए जहा प्रकाशित किया जाता है उसको धनि कहते हैं । और भक्ति तो केवल उपचार का नाम है ।

‘भाववाद’ के तीन विकल्प करके उसका रखण्डन करेंगे । उनमें १—पद्मिला विकल्प यह है कि जब पूर्वपक्षी भक्ति को धनि कहता है तो क्या भक्तिः और धनि शब्द, को घर, कलश आदि के समान पर्याय रूप मान कर दोनों का अभेद प्रतिपादन करना चाहता है । २—दूसरा विकल्प यह है कि क्या यह भक्तिः का धनि का लक्षण कहना चाहता है । ३ अथवा ‘नाकवद् देवदत्तस्य गद्म’ के समान भक्तिः को धनि का उगलक्षण मानता है । यह तीसरा विकल्प है । इतरव्यावर्तक अर्थात् अन्य समानजातीय और असमानजातीय पदार्थों से भेद कराने वाले असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं । जैसे गन्धवत्स्य पृथिवी का लक्षण है । ‘गन्धवती पृथिवी’ । यह गन्धवत्स्य धर्म पृथिवी में रहता है परन्तु उसको छोड़ कर उसके समानजातीय या असमानजातीय और किसी भी पदार्थ में नहा रहता है इसलिए वह पृथिवी का लक्षण होता है । पृथिवी द्रव्य है । उसके समानजातीय अप्, तेजः, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन् ये ज्ञान द्रव्य और नमों पृथिवी, इस प्रकार कुल चौ द्रव्य चैषेषिक् दर्शन में माने गए हैं । उनमें पृथिवी को छोड़कर और किसी में गन्धवत्स्य नहीं रहता । [जल या वायु में जो सुग्राघ, दुर्ग्राघ प्रतीत होता है वह पार्थिव परमाणुओं के समष्टि से ही होता है] इसी प्रकार पृथिवी के असमानजातीय गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि पदार्थ चैषेषिक ने माने हैं उनमें भी गन्ध नहीं रहती इसलिए

गन्धर्व पृथिवी को समानजातीय और असमानजातीय पदार्थों से भिन्न करने वाला पृथिवी का असाधारण धर्म होता है। इसी को लक्षण कहते हैं। ‘लक्षणत्वसाधारणधर्मन्त्वनम्’ समानासमानजातीय से भेद करना ही लक्षण का प्रयोजन है। ‘समानासमानजातीय व्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः’

विशेषण वर्तमान व्यावर्तक धर्म होता है और अवर्तमान व्यावर्तक धर्म को ‘उपलक्षण’ कहते हैं। जैसे ‘काकवद् देवदत्तस्य गद्म’ यहा काकवत्त देवदत्त के गृह का लक्षण या विशेषण नहीं अपितु ‘उपलक्षण’ है। इसका अभिप्राय यो समझना चाहिये कि कभी दो आदमी साथ-साथ कहीं गए। एक मरुन पर उन्होंने बहुत कौए से बैठे देखे जिसके कारण उन दोनों का ध्यान उस ओर गया। वह अपने घर चले आए। पीछे किसी दिन उनमें से एक आदमी को देवदत्त के घर का परिचय देने की आवश्यकता पड़ी। उस समय यह वाक्य प्रयुक्त किया गया है। उसका अभिप्राय यह है कि जिस घर पर कौए बैठे थे वही देवदत्त का घर है। यहा जिस समय यह वाक्य देवदत्त के घर का परिचय करा रहा है उस समय उस पर कौए न बैठे होने पर भी यह काकवद् पद देवदत्त के गृह का अन्य गृहों से विभेद बोध करता है। इस प्रकार वर्तमान व्यावर्तक धर्म को विशेषण तथा अवर्तमान व्यावर्तक को ‘उपलक्षण’ कहते हैं। यही विशेषण और उपलक्षण का भेद है।

धनि को मात्र मानने वाले पक्ष के तीन विकल्प करके उनका खण्डन किया गया है। इनमें से पहले भक्ति और धनि का अभेद मानने वाले विकल्प का खण्डन तो ‘भक्त्या प्रिभति नैस्त्व’ इत्यादि कारिका के पूर्वार्द्ध से हो गया और दूसरे लक्षणवादी विकल्प का खण्डन कारिका के उत्तरार्द्ध से मुरयत, और आगे की कारिकाओं में भी किया है। तीसरे ‘उपलक्षण’ पक्ष के विषय में आगे १६ वीं कारिका में कहो।

‘उपचारमात्र भक्तेः’ में उपचार शब्द का अर्थ गौण प्रयोग है। जो शब्द जिस अर्थ में सङ्केतित है उस अर्थ को छोड़ कर उससे सरद अन्य अर्थ को बोधन करना उपचार कहता है। और व्यङ्ग्य का जहा प्राधान्य होता है उसे धनि कहते हैं इस लप्तभेद के कारण धनि और भक्ति अभिन्न नहीं हो सकते। यह प्रथम विकल्प का खण्डन हुआ।

२-यह भक्ति धनि का लक्षण भी नहीं हो सकती है, यह कहते हैं—

‘मा चैतत् स्याद् भवितर्लक्षणं ध्वनेरित्याहः—

अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेने चासौ लक्ष्यते तया ॥१४॥

२नैव भवत्या ध्वनिर्लक्ष्यते । कथम् ? अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च । तत्राति-  
व्याप्तिर्ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भवते, संभवात् । यत्र हि ३व्यङ्ग्य-  
कृत महत् सौष्ठव नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्धचनुरोध-  
प्रवर्तितव्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते । यथा—

परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्घादुभयतः,  
तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् ।  
इदं व्यस्तन्यासं<sup>४</sup> श्लथभुजलताञ्चेपवलनैः,  
दृशाङ्गाचाः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम् ॥

अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण ध्वनि भवित से लक्षित भी नहीं हो सकता ।

भवित ध्वनि का लक्षण भी नहीं हो सकती है । क्यों ? अतिव्याप्ति  
और अव्याप्ति के कारण । उसमें अतिव्याप्ति इसलिए है कि ध्वनि से भिन्न  
विषय में भी भवित [लक्षण] हो सकती है । जहाँ व्यङ्ग्य के कारण विशेष सौन्दर्य  
नहीं होता वहाँ भी कवि, प्रसिद्धवश उपचार या गौणी शब्द वृत्ति से व्यवहार  
करते हुए देखे जाते हैं । जैसे—

यह श्लोक रत्नावली नाटिका में सागरिका के मदनशय्या को होड़ कर  
लूताकुञ्ज से चले जाने के बाद राजा और विदूपक के उस कुञ्ज में प्रवेश करने  
पर उस मदनशय्या की अवस्था को देख कर विदूपक के प्रति राजा की उक्ति  
है । उसमें राजा शय्या का वर्णन करता है ।

कमलिनी पत्रों का यह शयन [सागरिका] के पीनस्तन और जघन के संसर्ग  
से दीनों और मलिन हो गया है और शरीर के बीच के [कमर] भाग का पत्रों से  
स्पर्श न होने के कारण [शय्या का] वह भाग हरा है । शिथिल मुजाओं के हृधर  
उधर फैकरने वें कारण इसकी रचना अस्तव्यस्त हो गई है । इस प्रकार यह  
कमलिनी पत्र की शय्या कृशाङ्गी [सागरिका] के सन्ताप को कहती है ।

१ तत्रैत् । नि० च नि० दी० । ३ इडज्जवद्वृत नि० ।

४ प्रशिथितभुजाञ्चेपवलनै नि० ।

तथा :—

चुम्बिद्वज्जइ सअहुतं अवरुन्धिज्जइ सहस्रहुन्तम्भि ।  
विरमिअ पुणो रमिद्वज्जइ पिओ जणो णत्थि पुनरुत्तम् ॥  
[चुम्भयं शनहत्वोऽवरुभ्यते सहस्रहत्वः ।  
विरम्य पुना रम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम् ॥ इतिच्छाया]

तथा :—

कुविआओ पसन्नाओ औरण्यमुहीओ विहममाणाओ ।  
जह गहिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छ्वन्त महिलाओ ॥  
[कुपिता, प्रसन्ना अवरुदितमुख्यो] गिहस्त्यः ।  
यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरभित स्वैरिण्यो महिलाः ॥ इतिच्छाया]

यहा 'वदति' का अर्थ प्रकट करना है, यह बात स्पष्ट है । इस अगृह बात को यदि 'वदति' पद से लक्षणा से कहने के बजाय 'प्रकटयति' पद से अभिधा द्वारा प्रकाशित किया जाता तो भी कोई अचार्यत्व नहीं होता । और अब लक्षणा द्वारा कहने से उसमें कोई अधिक चार्यत्व नहीं हो गया । इस प्रकार यहा व्यञ्जयशाधान्य रूप ध्वनि के न होने पर भी 'वदति' पद में लक्षणा रूप भवित वा आधय लिया गया है अतएव भवित के अतिव्याप्त होने से वह ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार—

प्रिय जन को सैकड़ों बार चुम्बन करते हैं, हजारों बार आलिङ्गन करते हैं । रक-रक कर घार-घार रमण किया जाता है फिर भी पुनरुक्त नहीं प्रतीत होता ।

यहा पुनरुक्त अर्थ तो असम्भव है इसलिए पुनरुक्त पद से अनुपादेयता लक्षित होती है । यहा भी व्यञ्जय-शाधान्य रूप ध्वनि न होने पर भी पुनरुक्त पद से लक्षणा द्वारा अनुपादेयता अर्थ लक्षित होने से अतिव्याप्ति के कारण भवित ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार :—

स्वैरिण्यी स्थियां नाराज़ या प्रसन्न, हँसती हुई या रोती हुई, जैसे भी देखो [ सभी रूप में ] वह मन को हरण कर लेती है ।

तथा :—

अज्ञाए पहारो गवलदाए दिष्णो पिष्ण थणवहू ।

मित्रो वि दूसहो जाओ हिअए सवत्तीणम् ॥

[‘आर्याः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे ।

मृदुकोऽपि दुस्सह इव जातो हृदये सपलीनाम् ॥ इतिच्छाया]

तथा :—

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो,

यदीयः सर्वेषामिह सलु विकारोऽप्यभिमतः ।

न संप्राप्तो वृद्धि यदि स भृशमचेत्रपतितः,

किमिद्वार्देषोऽसी न पुनरगुणाया मरुभुवः ।

अप्रेक्षुपच्छेऽनुभवतिशब्दः ।

न चैवंविधः कदाचिदपि ध्वनेर्विषयः ॥ १४ ॥

यहा यहीता पद से उपादेयता और हरण पद से उनकी आधीनता लक्षणा द्वारा योग्यिता होती है। परन्तु घनि का अवसर न होने से यहाँ भी अतिव्याप्ति है। अतः भक्ति घनि का लक्षण नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार—

नहु नरेलो होने से कनिष्ठा भार्या के स्तनों पर दिया हुआ प्रिय [नायक] का मृदु प्रहार भी सपनियों के हृदय के लिए दुःख हो गया।

यहाँ ‘दत्तः’ पद में लक्षणा है। ‘दत्तः’ प्रयोग ‘हुदाय् दाने’ धातु से यना है। दान का लक्षण ‘रसस्तरनिष्टिपूर्वकं परस्त्योत्तादन दानम्’ अर्थात् किसी वस्तु पर से अग्रमे अधिकार को हटा कर दूसरे का अधिकार स्थापित कर देना होता है। यह दान का अर्थ यहाँ असद्गत होने से प्रतिष्ठित रूप अर्थ को लक्षणा योग्यित करता है। यहाँ भी घनि के अभ्याय में भी लक्षणा होने से अतिव्याप्ति है। अतः भक्ति [लक्षणा] घनि का लक्षण नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार :—

जो [सञ्जन पश्च में] दूसरों के जिए पीडा सहन करता है, [इष्ट पश्च में शोश्ह में पेला जाना है] जो [सञ्जन पश्च में] अपमानित होने पर भी [इष्ट पश्च में तोड़ा जाने पर भी] मधुर रहता है, जिसका विकार [सञ्जन पश्च में]

१ भार्या चातुर्विशात्, एविष्ट भार्या दोऽनि० । द्वचनेर्विषयोऽभिमत्. नि० ।

यतः—

उक्त्यन्तोणशक्यं यत् तच्चारुत्वं प्रकाशयन् ।

शब्दो व्यञ्जकर्ता विभ्रद् धन्युक्तेऽपिष्ठीभवेत् ॥ १५ ॥

अत्र चोदाहते विषये नोक्त्यन्तराशक्यवान्तव्यविनहेतुः  
शब्दः ॥१५॥

किञ्च—

रुदा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः सरविषयादपि ।

लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं धनेः ॥ १६ ॥

क्रोधादि, इन्हु पह में उससे बनी गुइ शब्दकर आदि] भी सबको अच्छा लगता है वह यदि किसी अनुचित स्थान [इन्हु पह में ऊतर खेत] में पढ़ कर वृद्धि [पद समृद्धि या उत्तरि को इन्हु पह में आकार वृद्धि को] प्राप्त नहीं होता है को क्या यह इन्हु [ईर, गांडा] का दोष है उस निषुण भूमि [खासी, इन्हु पह में खेत] का दोष नहीं है ।

[यहा इन्हु पह में 'अनुभवति' पद का मुख्यार्थ असङ्गत होने से लक्षण हारु पीड़यमानत्व का योष करता है । परन्तु व्यङ्ग्य का प्राधान्य न होने से ध्वनि नहीं है और ध्वनि के अभाव में भी भक्ति [लक्षण] है इसलिए साध्याभाववद्वृत्तित्व रुप अतिग्राहित होने से भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

यहाँ इन्हु पह में 'अनुभवति' शब्द [भावत] है । परन्तु ऐसा कभी भी ध्वनि का विषय नहीं होता ॥१४॥

कथोकि—

उक्त्यन्तर से जो चारू प्रकाशित नहीं किया जा सकता उपरो प्रकाशित करने वाला व्यञ्जना व्यापार युक्त शब्द ही ध्वनि कहलाने का अधिकारी हो सकता है ।

और यहाँ ऊपर उद्धत उदाहरणों में ओह शब्द उक्त्यन्तर से अशरण चारू को प्रकाशित करने का हेतु नहीं है [इसलिए ध्वनि का विषय नहीं है] ॥१५॥

ओर भी—

जो लावण्य आदि शब्द अपने विषय [लक्षणयुक्तव] से भिन्न [सीन्दर्यादि] अर्थ में सह [प्रसिद्ध] है, वे भी प्रयुक्त होने पर ध्वनि का विषय नहीं होते ।

तेषु चोपचरितशन्दवृत्तिरस्तीति । तथाविधे च विपये क्यचित् सभवन्नपि धनिव्यवहार प्रकारान्तरेण प्रवर्तते, न तथाविधशब्द-मुखेन ॥१६॥

अपि च —

मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्याऽर्थदर्शनम् ।

यदुदिश्य फलं, तत्र शब्दो नैव स्वललदूगतिः ॥ १७ ॥

तत्र हि चारत्तरातिशयविशिष्टार्थप्रकारानलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि शब्दस्यामुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात् । न चैवम् ॥१७॥

लक्षण में रुढ़ि या प्रयोजन में से एक का होना आवश्यक है इस दृष्टि से लक्षण के दो भेद हो जाते हैं । इन दोनों भेदों में से पहिले रुढ़ि याले भेद में भवित लक्षण तो रहती है परन्तु प्रयोजन रूप व्यञ्जन या ध्वनि का अभाव होता है । दूसरे प्रशंसन याज्ञे भेद में प्रयोजन व्यञ्जन तो होता है परन्तु वह लक्षण से नहीं, व्यञ्जना स वाधित होता है । इसलिये भवित ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती । इसी बात का क्रमशः प्रतिपादन करने के लिए १६ तथा १७ कारिका लिखी हैं ।

उन [ लाशय आदि शब्दों ] में उपचरित गौणी शब्द वृत्ति तो है [ परन्तु ध्वनि नहीं है ] । इस प्रकार के उदाहरणों में यदि कहीं ध्वनि व्यवहार सम्भव भी हो तो वह उस प्रकार के [ लाशय, आनुलोभ्य, प्रातिकूल्य आदि ] शब्द द्वारा नहीं अपितु प्रकारान्तर से होता है ॥१६॥

और भी —

निस [ शैत्यपानत्यादि ] फल को लक्ष्य में रख कर [ 'गङ्गाया धोप' इत्यादि वाक्यों में ] मुख्य [ अभिधा ] वृत्ति को छोड़ कर गुण वृत्ति [ लक्षण ] द्वारा अर्थ घोष कराया जाता है उस फल का घोषन करने में शब्द वाधितार्थ [ स्वललदूगति ] नहीं है ।

उस चारत्तरातिशय विशिष्ट अर्थ के प्रकाशन रूप प्रयोजन के सपादन में यदि शब्द गौण [ वाधितार्थ ] हो तब तो उस शब्द का प्रयोग दूषित ही हागा । परन्तु ऐसा नहीं है ।

इससा अभिप्राय यह है कि शब्द का मुख्य अध्योधक व्यापार अभिधा है । साधारणत अभिधा द्वारा वोधित मुख्यार्थ में ही इम शब्दों का प्रयोग करते हैं । परन्तु कहा कहा मुख्यार्थ को छोड़ कर उससे सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ में

१ तेषु से अस्ति तक का पाठ दी० मे नहीं है ।

भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रयोगों के समय कोई विशेष कारण हमारे सामने अवश्य होता है। ये कारण दो प्रकार के हैं एक तो रुढ़ि दूसरा विशेष प्रयोजन। रुढ़ि का अर्थ प्रसिद्धि है। रुढ़ि का उदाहरण लावण्य, आनुलोभ्य, प्रातिकूल्य आदि शब्द हैं। 'लवण्यस्य भानो लावण्यम्'। लवण के भाव अथवा लवण्युक्तत्व को लावण्य कहना चाहिये। यही उसका मुख्यार्थ है। परन्तु हम लावण्य शब्द का प्रयोग इस अर्थ में न करके सौन्दर्य के अर्थ में करते हैं। इसका कारण रुढ़ि या प्रसिद्धि ही है। लावण्य शब्द बहुल प्रयोग के कारण सौन्दर्य अर्थ में रुढ़ हो गया है। इसी प्रकार 'लोमामनुकूल अनुलोम मर्दनम् ।' शरीर की रोमों के अनुकूल मालिश अनुलोम मर्दन है। पैर में मालिश बरते समय यदि नीचे भे ऊपर भी और मालिश की जाय तो वह अनुलोम नहीं प्रतिलोम मर्दन होगा। रोमों के अनुकूल यह अनुलोम शब्द का अर्थ हुआ। इसी प्रकार 'कूलस्य प्रतिपक्षतया स्थित स्रोत प्रतिकूलम् ।' नदी की धारा कूल अर्थात् किनारे से नाट देती है इसलिए कूल के प्रतिपक्ष विरोधी रूप होने से प्रतिकूल नहलाती है। यह उनम् मुख्यार्थ हैं। परन्तु उसका प्रयोग उस मुख्यार्थ को छोड़ कर तट सदृश अनुकूल और विशद् अर्थ में होता है। यह अर्थ यदि उन शब्दों के वाच्यार्थ नहीं हैं पर भी बहुल प्रयोग के कारण उन शब्दों में रुढ़ हो गए हैं। इसलिए रुढ़ि लक्षण के उदाहरण होते हैं। इनमें भवित 'लक्षण' तो होती है परन्तु व्यञ्जन का ही अभाव होने से व्यञ्जन व्याघात्य रूप अनिन नहीं होती। इसका प्रतिगदन १६वीं कारिका में किया है।

दूसरी प्रयोजनगती लक्षण होती है। इसमें इसी विशेष प्रयोजन से मुख्यार्थ को छोड़ कर गौण अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 'गङ्गाया घोषः ।' गङ्गा का अर्थ गङ्गा की जलधारा है, और घोष का अर्थ आमीर पहली-रोपियों की रसी या नगला है। 'गङ्गाया' में सत्तमी विभक्ति का अर्थ आधारत्व है। इस प्रकार जलधारा के ऊपर घोष है यह वाच्यार्थ होता है। परन्तु जलधारा के ऊपर घोषों की वस्ती वन नहीं सकती। इसलिए गङ्गा शब्द तट रूप अर्थ का वोध करता है और उसका अर्थ [गङ्गा के] किनारे पर घोष है, यह होता है। इस वास को साधे 'गङ्गातटेघोषः ।' इन शब्दों में भी कह सकते थे। और उस दशा में अभिधा शान्ति से ही काम चल जाता। परन्तु वस्ता ने 'गङ्गातटे घोषः' न कह कर जो 'गङ्गाया घोषः' कहा है उसका विशेष प्रयोजन है। तट की सीमा बहुत दूर तक है। इलाशनद और कानपुर गङ्गा तट के नगर हैं। उनका गङ्गा से सरम अधिक दूर का माग भा जो कई मील दूर हो सकता है, गङ्गा तट

की सीमा में आ जाता है। वहा तक गङ्गा के शैत्य पावनत्वादि धर्मों का कोई प्रभाव नहीं रहता। परन्तु जो स्थान ठीक गङ्गा के तट पर ही है वहा शैत्य भी होगा और पावनत्व भी। यह आभीर पहली [धोप] विलक्षण गङ्गा में ही है अतः वहा शैत्य-पावनत्व का अतिशय है इस बात को बोधन करने के लिए 'गङ्गाया धोप'। इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। शैत्यपावनत्व का बोधन करना लक्षणा का प्रयोजन है। यहा लक्षणा शक्ति से तट रूप अर्थ बोधित होता है और शैत्यपावनत्व के अतिशय रूप प्रयोजन का बोध व्यञ्जना वृत्ति से होता है। उसका बोध लक्षणा से नहीं हो सकता। इसी बात का प्रतिपादन १७वा कारिका में किया गया है।

'गङ्गाया धोपः' इस बाक्य में पढ़िले अभिधा शक्ति से बाच्यार्थ उपस्थित होता है उसका बाध होने पर लक्षणा से तट रूप अर्थ प्रतीत होता है यह लक्ष्यार्थ होता है। अर्थात् जिस अर्थ को इस लक्ष्यार्थ कहते हैं उससे पूर्व मुख्यार्थ का उपस्थित होना और उसका बाध होना यह दोनों बातें लक्षणा में आवश्यक हैं। अब यदि शैत्यपावनत्व के अतिशय के लक्ष्यार्थ मानना चाहें तो उससे पूर्व उपस्थित तट रूप अर्थ को मुख्यार्थ मानना और फिर उसका अन्वयानुपर्याप्ति या तात्पर्यानुपर्याप्ति रूप बाध मानना आवश्यक है। इसी के लिए कारिका में वाधितार्थ बोधक स्खलदूगति शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु शैत्यपावनत्वातिशय बोध के पूर्व उपस्थित होनेवाला तट रूप अर्थ न तो गङ्गा शब्द का मुख्यार्थ ही है और न वाधित ही है। क्योंकि उसका धोप के साथ आधाराधेयमाव सम्बन्ध मानने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी दुर्जन-तोष-न्याय से उसको वाधितार्थ मानें तो भी फिर उसके बाद उपस्थित होने वाले शैत्यपावनत्व के अतिशय को लक्ष्यार्थ कहना होगा। ऐसी दशा में गङ्गा पद के इस अर्थ में रुद्ध न होने से उस लक्षणा का कोई प्रयोजन मानना पड़ेगा। उस दूसरे प्रयोजन को भी लक्ष्यार्थ कहोगे तो फिर उसका भी तासरा प्रयोजन मानना होगा और इस प्रकार अनवस्था होगी। इसलिए यह मार्ग ठीक नहीं है। यही १७वीं कारिका का अभिप्राय है। इसी विषय को ममट ने अपने काव्यप्रकाश में निम्न शब्दों में लिखा है :—

यस्य प्रनीतिमाधानुं लक्षणा समुपास्यते ।

फने शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनानापरा किया ॥

नाभिधा समयाभावात्, देव्यमावान्न लक्षणा ।

लक्ष्य न मुख्य, नाप्यत्र वाधो, योग. फनेन नो ॥

न पयोजनमेनरिमन्, न च शब्द. स्खलदूगतिः ।

एवमायनन्तथा स्वाद् या मूलक्ष्यकारिणी ॥ १० प्र० २, १४, १६

जिस फल की प्रवृत्ति बराने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, शब्द मात्र से शोध्य उस फल के वोधन में व्यञ्जना के अतिरिक्त दूसरा व्यापार सभव नहीं है।

सकेत न होने से अभिधा नहीं हो सकती और मुख्यार्थ वाधादि हेतुओं के न होने से लक्षणा नहीं हो सकती है। लक्षणार्थ न तो मुख्यार्थ ही है न उसका वाध ही होता है, न उसका फल के साथ सम्बन्ध है, न उसमें कोई प्रयोजन है और न शब्द स्खलदृगति है। और यह सब मानें भी तो मूल का ही विनाश कर देने वाली अनप्रस्था हो जावेगी।

अधिकाश लोग अन्यानुप्रस्थि को लक्षणा का बीज मानते हैं। परन्तु नागेश ने तात्पर्यानुप्रस्थि को लक्षणा का बीज माना है। इसका कारण यह है कि 'काकेम्पो दधि रक्षपत्रम्' में अन्यानुप्रस्थि नहीं है। कोई अपना दही बाहर छोड़ कर जूध देर के लिए भीतर गया। उसे डर था कि मैं जितनी देर भीतर जाऊगा उतने मैं कोई दधि को खाएँ न रुह दें। इस लिए वह अरने पास क आदमी से कहता गया कि जरा बीओं से दही ना बचाना। इस वाक्य के अन्यथा मैं कोई बाधा न होने से लक्षणा का अवसर नहीं है। परन्तु यहाँ काक पद की लक्षणा 'रक्षपत्रातक' अर्थ में होती है। कहने वाले का तत्त्व यह नहीं है कि केवल बीओं से बचाना और यदि कुत्ता आवें तो उसे खा जाने देना। उसका अभिप्राय तो दही के उपचारक सबसे ही बचाने में है। इस लिए तात्पर्यानुप्रस्थि को लक्षणा का बीज मनने से ही लक्षणा हो सकती है। अतएव नागेश अन्यानुप्रस्थि के वजाय तात्पर्यानुप्रस्थि का लक्षणा का बीन मानते हैं।

इसलिए जिस शैत्यगवन शादि रुप प्रयोजन के वोधन के लिए मुरुपहृति अभिधा को छोड़ कर गुणहृति लक्षणा से अर्थ प्रनिगदन किया जाता है वह प्रयोजन लक्षणा से नहीं अस्ति व्यञ्जना से वोधन होता है। इस लिए लक्षणा व्यापार और व्यञ्जना व्यापार दोनों का विषय भेद है। 'गङ्गावा धोयः' में भृति का विषय टट और घनि का विषय शैत्यगवनत्व है। विषय भेद होने से उन दोनों में धर्म धर्मि भाव नहीं हो सकता। धर्मिगत कोई धर्म विशुद्ध ही लक्षण होता है। अन और भृति में धर्म-धर्मिभाव न होने से भी मनि घनि का लक्षण नहीं। बाचन शब्द से वोधन मुख्यार्थ का वाध होने पर ही लक्षणा प्राप्त होती है। इस लिए लक्षणा शाचकाभिन या अभिधापुच्छभूता है, वह विषय भेद होने से व्यञ्जना मानाभिन घनि का लक्षण नहीं हो सकती। विषना सम्बन्ध से मनि का अधिकरण तीर और घनि का अधिकरण योत्यगवनत्व है। अन एवं विषय-

तस्मात् ।—

वाचकल्याश्रयेणैर् गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता ।  
व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम् ॥ १८ ॥  
तस्मादन्यो ध्वनि, अन्या च गुणवृत्ति ।

अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य । नहि ध्वनिप्रमेदो विवक्षितान्यपर-  
चाल्यलक्षण, अन्ये च प्रहव प्रकारा भक्त्या व्याप्त्यन्ते । तस्माद् भक्ति-  
रलक्षणम् ॥ १८ ॥

धट्टित स्वप्नियमिपयकल्य रूप परम्परासमन्वेन भक्ति के ध्वन्यवृत्ति होने से भक्ति  
ध्वनि का लक्षण नहा हो सकती ॥ १८ ॥

इस लिए—

वाचक के आश्रय स्थित होने वालो गुणवृत्ति भक्ति व्यवल व्यञ्जनामूलक  
ध्वनि का लक्षण कैस हो सकती है ।

इसलिए ध्वनि अलग है और गुण वृत्ति अलग ।

१४ धी कारिका में “अतिव्याप्तेऽन्वानेत्रथव्याप्तेऽन्वासौ लद्यते तथा” कहा था ।  
उसमें यहा तक अतिव्याप्ति [‘अलद्यवृत्तिरमति याप्ति’] दोष के निरूपण  
किया । आगे ‘लद्यकृदेशावृत्तिरमव्याप्ति’ रूप अव्याप्ति दोष का प्रतिपादन  
करते हैं । अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों लक्षण के दोष हैं । इनक अतिरिक्त  
एक असमव दोष और है ‘लद्यमात्रावृत्तिरमव्याप्ति’ । यहा कारिकाकार ने  
अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति का ही उल्लेख किया है । जो लक्षण लद्य के एक  
देश में न रहे उसको अव्याप्तिदोषप्रस्त कहा जाता है । यहा भक्ति को ध्वनि  
का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष भी आता है । ध्वनि के अभी अविवक्षित  
वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य दो भेद बताए थे । अतएव भक्ति की यदि  
ध्वनि का लक्षण माना जाय तो इन दोनों भेदों में भक्ति का अस्तित्व  
अपेक्षित है ।

इस लक्षण की अव्याप्ति भी है । विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल ]  
ध्वनि और ध्वनि के अन्य अनेक प्रकारों में भक्ति या लक्षण व्याप्त नहीं  
रहती है इस लिए भक्ति ध्वनि का लक्षण नहा है ।

यहा भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष दिया है  
कि विवक्षितान्यपरवाच्य अभिधामूल-ध्वनि क उदाहरणों में ध्वनि तो रहती है  
परन्तु वहां भक्ति या लक्षण नहा रहती इसलिए भावत अव्याप्त है । यह गिय



थोड़ा विचादग्रस्त है इसलिए उसका अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। ऊपर विवक्षितान्यपरवाच्य खनि का उदाहरण 'शिखरिणि' आदि श्लोक दिया था। उसकी व्याख्या करते हुए [ पृष्ठ ७६ पर ] लिखा था कि साधारणतः उसमें अभिधा, तात्पर्य और व्यञ्जना—इन तीन वृत्तियों के व्यापार होते हैं। परन्तु उसके साथ दूसरा विकल्प यह भी दिखाया था कि "यदि वा आकर्सिकविशिष्टप्रश्नार्थी-नुपपत्तेमुख्यार्थगाधाया सादृश्यालक्षणा भवतु मध्ये । तेन च द्वितीयभेदेऽपि चत्वार एव व्यापाराः ।" लोचन। अर्थात् इस श्लोक में यह जो प्रश्न किया गया है उस आकर्सिक प्रश्न का कोई अवसर न होने से वह अनुपम है इस प्रकार मुख्यार्थ वाच मान कर बीच में सादृश्य से लक्षण व्यापार भी मानने से इस उदाहरण में भी चार व्यापार हो जाते हैं। परन्तु खनन में लक्षण के विशेष सहजारी न होने से लक्षणमूल खनि से भेद रहेगा। इस सादृश्य-मूलक लक्षण को आलङ्कारिक गौणी लक्षण नाम से व्यवहृत करते हैं। परन्तु मीमांसक गौणी को लक्षण से भिन्न अलग वृत्ति मानते हैं। उनके मत से लक्षण और गौणी का भेद यह है कि 'गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्'। "सिंहो माणवकः" यह गौणी का उदाहरण है इसमें ऐह शब्द गौणी वृत्ति से क्रीयोदि विशिष्ट प्राणी का वोधक होता है और उसका माणवक पद के साथ सामानाधिकरण होता है। पदों के सामानाधिकरण का अभिप्राय भिन्न रूपेण एकार्थीवोधकत्व है सिंह और माणवक पद के सामानाधिकरण का अभिप्राय यही है कि वे दोनों भिन्न-भिन्न रूप से एक माणवक अर्थ को ही वोधन करते हैं। इस प्रकार सिंह पद और माणवक पद दोनों सामानाधिकरण के बारण एक ही अर्थ को वोधन करते हैं। निर भी दोनों शब्दों का प्रयोग होता है इसी से यह गौणी है। 'गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्।' 'गङ्गाया वोपः' इस लक्षण के उदाहरण में तद्यर्थ के वोधक शब्द का प्रयोग नहीं होता यही लक्षण और गौणी का भेद है। परन्तु आलङ्कारिकों के मत में यह शब्द प्रयोग भी गौणी तथा लक्षण का भेदक नहीं है। क्योंकि आलङ्कारिकों ने प्रसारान्तर से लक्षण के सारोपा और साध्यवदाना भेद भी माने हैं।

गिरयस्यानिगीर्णं गन्यतादात्म्यप्रतीतिहृत् ।

सारोपा स्यानिगीर्णस्य मता साध्यवदानिका ॥

जिसमें विषय का निगरण नहीं होता अर्थात् माणवक शब्द का भी प्रयोग होता है उसे सारोपा कहते हैं और जहाँ उसका निगरण हो जाता है वहाँ उसे साध्यवदाना कहते हैं। इस प्रकार जिसे मीमांसक गौणी कहता है वहाँ भी

लक्षणा व्याप्ति रहती है। तब 'शिखरिणि' में सादृश्य से गौणी लक्षणा मानकर वहां भी चार व्यापार मान ही लिए तब यह कसे कहा जा सकता है कि विवक्षिता न्यपरवाच्य घनि में लक्षणा अव्याप्त होने से भक्ति को घनि का लक्षण नहा माना जा सकता।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विवक्षिता-यपरवाच्य घनि के असलद्वय क्रम और सलद्वयक्रम व्यङ्ग्य यह दो मुख्य भेद आते हैं। इन दोनों में रसादि घनि को असलद्वयक्रम व्यङ्ग्य घनि कहते हैं। और सलद्वयक्रम व्यङ्ग्य के पन्द्रह भेद किए गए हैं इनमें विवक्षितान्यपरवाच्य घनि के समस्त भेदों में रस घनि ही सबसे अधिक प्रधान है और उसमें मुख्यार्थ गाध आदि का कोई अवसर नहीं है। इसलिए उस मुख्य भेद से लक्षणा का अवसर न होने से विवक्षितान्यपरवाच्य घनि में भक्ति की अव्याप्ति प्रदर्शित की है।

कुछ मामासक इस रसग्रोध में शब्द व्यापार की आवश्यकता नहा मानते हैं। वह रस को अनुमान या स्मृति का निषय मानते हैं। उनका कहना है कि धूम दर्शन के बाद जैसे अभिन की स्मृति हो आती है इसी प्रकार विभावादि के ज्ञान के अनन्तर रत्यादि चित्तवृत्ति की स्मृति हो आती है। इसलिए उसमें शब्द व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है। तब उसमें भक्ति या लक्षणा की अव्याप्ति दिखाना और उसके आधार पर भक्ति को घ्यान का अलक्षण कहना व्यर्थ है।

इस शङ्का का समाधान यह है कि क्या दूसरे की वृत्ति के परिज्ञान मान को आप रस समझते हैं अथवा स्वानुभवगोचरचवणात्मा अलीकिक आनन्दानभन्न इसमें रस कहते हैं। यदि आप दूसरों की चित्तवृत्ति के परिज्ञान मान को रस समझते हैं तो यह आपका भ्रम है। हम उसे रस नहा कहते। यह अवश्य है कि उसका परिज्ञान अनुमान या स्मृति आदि से हो सकता है परन्तु वह हमारे यहा रस नहीं है हम तो अपने आत्मा में होने वाली आनाकिक आनन्द की अनुभूति को रस कहते हैं। वह अनुमेय नहा है अत इमारे यहा तो रस अनुमान का विषय नहीं है। उसकी अनुमान द्वारा सिद्ध करने के लिए जो भी हेतु दिए जा सकते हैं वह सभ देत्याभास मान है, रस यस्तु उससे परे है। इसलिए विवक्षितान्यपरवाच्य घनि के प्रधान भेद रस घनि और उसके प्रभेद रसाभास, भाव, मावाभास, मावोपराम, भावादय, भावसंघि, भावशब्दलता आदि घनियों में मुख्यार्थ गाध न भिन्ना ही रसादि की प्रतीति होने से भक्ति के प्रवेश का अवसर नहीं है और इस प्रकार अव्याप्ति होने से भक्ति घनि का लक्षण नहीं हो सकती। यह स्पष्ट हो गया ॥१८॥

कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम् ।

सा पुनर्भवितव्यद्यमाणप्रभेदमाद्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि भासोपलक्षणतया समाव्येत, यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लिप्यते इत्युन्यते तदभिधाव्यापारेण तदितरोऽलङ्घारवर्गः समग्र एव लक्ष्यते इति प्रत्येकमलङ्घाराणां लक्षणकरणवैयर्थ्यप्रसङ्गः ॥

किञ्च,

लक्षणेऽन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥१६॥

कृते वा पूर्वमेयान्यैर्ध्वनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव न, यस्माद्ध्वनिरस्तीति न पक्ष । स च प्रागेव संसिद्ध इति, अथलसम्पन्नसमीक्षितार्थो सम्पन्नाः स्म ।

वह भनि [ वद्यमाण प्रभेद वाले ] ध्वनि के इसी विशेष भेद का [ 'काक्षयद् देवदत्तस्य गृहम्' ] के समान अविद्यमान व्याख्यातंक ] उपलक्षण हो सकती है ।

यदि वह भनि वद्यमाण के प्रभेदों में से इसी विशेष भेद का 'उपलक्षण' [ चतुर्थकक्षानिवेशी व्यञ्जना व्यापार वाल में अवतंमान ध्यारतंक ] समझ हो और यदि [ उसो के आपार पर ] गुणवृत्ति में [ समग्र ] ध्वनि लक्षित हो भवती है यह कहा जाय तो अभिधा व्यापार में ही समग्र अलङ्घार वर्ग भी लक्षित हो सकता है इयलिए [ वैयाकरणों और मीमांसकों द्वारा अभिधा का लक्षण कर देने पर और उसके द्वारा समस्त अलङ्घारों के लक्षित हो जाने में ] अलग-अलग अलङ्घारों के लक्षण करना [ भासोपलक्षण आदि आलङ्घारिकों का प्रश्नाम् ] व्यर्थ ही है ।

और भी—

यदि अन्य लोगों ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो हमारी पक्षमिदि ही होती है ।

अपवा यदि पहिले ही विन्हीं ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो हमारी पक्षमिदि ही होती है । यद्योऽकि ध्वनि है—यही हमारा पक्ष है । और वह पहिले विदि हो गया हमलिए हम विना प्रश्नन के ही मरुल मनोरव हो गए [ हमारी हममिदि हो गए ] ।

येऽपि सहदयहदयसवेद्यमनारथेयमेव ध्वनेरात्मानमान्नासिपुस्तेऽपि  
न परीक्ष्यवादिन । यत उक्त्या नीत्या वक्ष्यमाण्या च ध्वने सामान्य-  
पिशेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत् सर्वेषामेव वस्तूना  
तत्प्रसङ्गम् ।

यदि पुनर्ध्वनेरतिशयोक्त्यानया कान्यान्तरातिशयि तै स्वरूप-  
माख्यायते तत्तेऽपि युक्ताभिधायिन एव ॥१६॥

इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचायेपिरचिते ध्वन्यालोके  
प्रथम उद्योत ।

उद्योत के प्रारम्भ में तीन अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयता-  
वादी मत इस प्रकार ध्वनि परोधी पात्र पक्ष दिखाए थे । इनमें अभाववादी और  
भक्तिवादी मतों का खण्डन विस्तारपूर्वक इस उद्योत में किया है । इसी खण्डन  
प्रसङ्ग में 'यत्रार्थं शब्दो वा' [कारिका स० १३] में ध्वनि का सामान्य लक्षण  
करके ध्वनि के अलक्षणीयतावाद का भी निराकरण कर ही दिया है । यह मान  
कर मूलकार ने अलक्षणीयतावाद के खण्डन के लिए अलग कारिका नहा  
लिए । परन्तु चृत्तिसार विषय को परिपूर्ण करने के लिए 'येऽपि' से प्रारम्भ कर  
'युक्ताभिधायिन' तक उस अलक्षणीयतावाद का खण्डन बरते हैं ।

निहोने सहदय हृदय सवेद्य ध्वनि के आमा की अपर्णीय अलक्षणीय  
कहा है उन्होने भी सोच-समझ कर ऐसा नहीं कहा है । क्योंकि अब तक कही  
हुई तथा आगे कही जान वाली नीति से ध्वनि के सामान्य और पिशेष लक्षण  
प्रतिपादित कर देने पर भी यदि ध्वनि को अलक्षणीय कहा जाय तो किर  
ऐसा अलक्षणीयत्व तो सभी वस्तुओं में आ जायेगा ।

यदि वह इस अतिशयोनि द्वारा [वेदान्तियों के अनिवार्यतायता वाद  
के समान] ध्वनि का अन्य काव्यों से उत्कृष्ट स्वरूप वा प्रतिपादन करते हैं  
तथ तो वह भी ठीक ही कहते हैं ॥१६॥

इति श्रीमदाचार्यपिश्वेश्वरसिद्धान्तशिरामणिविरचिताया  
आलीकदीपिकारयादा हिन्दीव्यारयाया  
प्रथम उद्योत ।

## द्वितीय उद्योतः

~~~~~

एवमविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन १ ध्वनिद्विप्रकार प्रकाशित । तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेदमुच्यते ।

अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ।

अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम् ॥ १ ॥

तथाविधाभ्यां च ताभ्या व्यद्वयस्यैव विशेष २ ।

आथ 'आलोकदीपिकायां' द्वितीय उद्योतः

~~~~~

इस प्रकार [ प्रथम उद्योत में ] अविवक्षितवाच्य [ लक्षणामूल ] और विवक्षितान्यपरवाच्य [ अभिधामूल ] भेद से दो प्रकार के ध्वनि का वर्णन किया था । उसमें से अविवक्षितवाच्य [ लक्षणामूल ] के भेदों [ प्रभेद शब्द का अर्थ अर्थान्तर भेद और विवक्षितान्यपर वाच्य से अविवक्षितवाच्य का भेद दोनों किए हैं । ] के प्रतिपादन के लिए यह [ कारिका ] कहते हैं ।

अविवक्षितवाच्य ध्वनि का वाच्य [ जिस वाच्य के अविवक्षित होने के कारण इस का नाम अविवक्षितवाच्य रखा गया है वह वाच्य ] कहीं अर्थान्तर संक्रमित और कहीं अर्थान्त तिरस्कृत होने से दो प्रकार का माना गया है ।

उस प्रकार के [ अर्थान्त अर्थान्तर संक्रमित और अर्थान्त तिरस्कृत स्फरण ] उन दोनों [ वाच्यों ] से व्यद्वयार्थ का ही विशेष [ उत्कर्ष ] होता है । [ इस-लिए व्यद्वयात्मक ध्वनि के प्रभेद के प्रसङ्ग में जो यह वाच्य के दो भेद प्रदर्शित किए हैं वह अप्रासन्निक नहीं हैं । क्योंकि उनके द्वारा व्यद्वय का ही उत्कर्ष संपादन होता है । ]

अर्थान्तर संक्रमित में गिजन्त संक्रमित शब्द का प्रयोग किया है इसनिए उसका प्रयोजक कर्ता अपेक्षित है इसी प्रकार तिरस्कृत में भी कर्ता की अपेक्षा है । इन शब्दों के प्रयोग से यह सूचित किया है कि इस ध्वनि के व्यञ्जना

१ वाच्यत्वे निः । २ इति व्याप्रकाशनपरस्य ध्वनेरेवार्थं प्रवार । निःदी० में अधिक है ।

व्यापार में जो सहकारी चर लक्षणा, वर्णारंगदादि हैं उहाँ का प्रभाव स वान्याथ की यह दोना अवस्थाएँ होती हैं। कहीं वह अथातर में सुक्रमित कर दिया जाता है और कहा अत्यत तिरस्कृत। यह व्यक्तिका सहकारी वर्ग मुख्यत लक्षणा—का प्रभाव है। इसीलए इस आविवक्ति वाच्य ध्यान का दूसरा नाम लक्षणामूल भूमि भी है। आविवक्ति वाच्य इन में लक्षणा का प्रभाव स वाच्य अव्यान्तर-सुक्रमित या अव्यान्त तिरस्कृत क्यों और कैस हो जाता है इसके भूमभने के लिए लक्षणा की प्रक्रिया पर धोषा सा ध्यान देना चाहिए।

वाव्यप्रसाशकार ने लक्षणा का निरूपण करते हुए उसके मुख्य दो भेद किए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षण। लक्षण का सामान्य लक्षण है —

मुख्याथराधे तन्मोगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् ।

अच्योऽथां लक्ष्यते यसा लक्षणाऽरोपिता क्रिया ॥३० प्र० २, ६ ।

अथात् मुख्याथ के वाधित होने पर रूढ अथवा प्रयोजन में स अन्यतर निमित्त से मुख्यार्थ स सम्बद्ध अथवा अथ की प्रतीति निस शब्द शक्ति स होता है, शब्द में आरोपित उस शक्ति का नाम लक्षणा है। इस कारिका में 'तन्मो' शब्द से मुख्यार्थ और लक्षणाथ का सम्बन्ध आवश्यक नहीं गया है। मुख्याथ से सम्बद्ध अथ ही लक्षणा स व्यधित हो सकता है असम्बद्धाथ नहीं। असम्बद्धार्थ में यदि लक्षणा होने लगे तो उसी दद की कहा भा लक्षणा होने लगेगा। कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए सर व का होना आवश्यक है। लक्षणा का नियन्त्रण करने वाले यह सराध मुख्यत पात्र प्रकार के माने गए हैं।

अभिपेयेन रयोगात्मामीप्या समवायित

वेन्मीपात् कियायोगात्मलक्षणा पद्धता मता ॥

इन पञ्चरिधि सरधों में साहश्य सराध परिगणित नहीं हुआ है इसलिए भीमातुक साहश्यमूलक अन्यार्थ प्रतीति जनक 'गोणी' वृत्ति को लक्षणा से अलग मानते हैं। आलड़ रिक इन पांचों को इवल 'गुदा लक्षणा' का ही नियमक सम्बन्ध मानहर साहश्यमूलक लक्षणा को गाँणो लक्षणा नाम से लक्षणा का ही अवातर भेद मानते हैं।

सद्गुण के अवान्तर भेद वरने हुए काव्यवचारकार ने उसके उत्तरान लक्षणा और लक्षण लक्षणा यह मुख्य दो भेद माने हैं और उनके लक्षण हैं इस प्रकार किए हैं —

स्वसिद्धये पराक्रेप, परार्थे स्वसमर्पणम् ।

उपादान, लक्षण, वेत्सुक्ता शुद्धैव सा द्विधा ॥ वा० प्र० २, १० ।

जहा मुख्यार्थं अपनी सिद्धि अर्थात् अन्वयानुपत्ति को दूर करने के लिए किसी अन्य अर्थ का आक्रेप करा लेता है और उस आकृष्टि अर्थ की सहायता से अपने अन्वय को उपग्रह करा देता है उसको उपादान लक्षण कहते हैं। इसका दूसरा नाम अजहस्त्वार्था भी है। जसे, 'श्वेतो धावति' या 'कुन्ता प्रविशन्ति' उदाहरणों में धावन किया श्वेत गुण में नहीं किसी द्रव्य में ही रह सकती है। श्वेत गुण के साथ धावन क्रिया का साक्षात् अन्वय वाधित है। इस लिए मुख्यार्थ वाधित होने से श्वेत शब्द समवाय समन्वय से समद्ध अश्व का आक्रेप करा लेता है। इस प्रकार लक्षण से अश्व अर्थ के आ जाने पर 'श्वेत गुणवान् अश्वो धावति' यह अन्वय बन जाता है उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रहती। इसमें श्वेत पद का अर्थ भी बना रहता है इसलिए इसको उपादान लक्षण कहते हैं। इसी प्रकार 'कुन्ता प्रविशन्ति' में अचेतन कुन्तों [भालों] में प्रवेश क्रिया का अन्वय अनुपपत्ति है। इसलिए कुन्त शब्द, कुन्त क साथ समोग समन्वय समद्ध कुन्तधारी पुरुष का आक्रेप करा लेता है। और उसकी सहायता से अन्वय उपग्रह हो जाता है यह दोनों उपादान लक्षण के उदाहरण हैं।

लक्षण लक्षण का उदाहरण 'गङ्गाया धोप' है। इस वाक्य में जलप्रवाह रूप गङ्गा के साथ आभीर-गल्ली-धोसियों की वस्ती का आधाराधेय भाव से अन्वय अनुपपत्ति होने पर धोप पदार्थ की आधेयता सिद्धि के लिए गङ्गा शब्द अपने अर्थ को समर्पित कर देता है। अर्थात् गङ्गा शब्द अपने अर्थ को होड़ कर तट रूप अर्थ का लक्षणया धोध करता है। इस प्रकार गङ्गा शब्द ने अपने अर्थ को होड़ कर सार्वार्थ समन्वय से तट रूप अर्थ का धोध कराया इसलिए यह लक्षण लक्षण का उदाहरण है इसको जहस्त्वार्था भी कहते हैं।

इस प्रकार लक्षण के दो मुख्य भेदों में से एक अजहस्त्वार्था उपादान लक्षण में शब्द अपने मुख्य अर्थ को होड़ता नहीं अपितु लक्षण उसके सामान्य व्यापक अर्थ को किसी प्रियोप अर्थ में सक्रान्त करा देती है। इसी से उसको अजहस्त्वार्था कहते हैं। यही अर्थान्तर सत्रमित वाच्य घनि का मूल है। इसी के प्रभाव से अपिवृति वाच्य घनि के अर्थान्तर सत्रमित वाच्य भेद में वाच्य अर्थ अपनी स्थिति रखते हए स्व प्रियोप में पर्याप्ति होता है। इसलिए उसको अर्थान्तर-सत्रमित वाच्य घनि कहते हैं। 'नयने तरयैव नयने' उसी के नेत्र नेत्र हैं जिसने...। इस में द्वितीय नयन शब्द मायपत्रादि गुण विधिष्ठ

तत्रार्थान्तरसंक्षिप्तवाच्यो यथा :—

स्त्रिग्यश्यामलमन्तिलिप्तविद्यतो वेल्लद्वलासा धना,  
वाताः शीकरिण् पयोद्दुषुहृदामानन्दकेकाः क्लाः ।  
काम मन्तु हृदं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे,  
वैदेही तु कर्थं भविष्यति हृषा हा देवि धीरा भव ॥

इत्यत्र रामशब्दः । अनेन हि व्यङ्गचर्यमान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याक्ष्यते, न संज्ञिमात्रम् ।

नयन का बोधक है । यदि दोनों शब्दों का साधारण नेत्र ही अर्थ करें तो पुनरुक्ति होगी इसलिए दूसरा नयन शब्द भाग्यवत्तादि गुण विशिष्ट नेत्रों का प्रतिपादक होने से अर्थान्तर संक्षिप्तवाच्य ध्वनि का उदाहरण होता है ।

लक्षण का दूसरा भेद लक्षण-लक्षण है । इसमें दूसरे के अन्वयसिद्धि के लिए एक शब्द अपने अर्थ को बिल्कुल छोड़ देता है । इसलिए इसको जहस्त्वार्था कहते हैं । मुर्यार्थ का अत्यन्त परित्याग हा उसका तिरस्कार है । इसलिए लक्षण लक्षण में वाच्यार्थ के अत्यन्त तिरस्कार सर्वथा परित्याग-के कारण ही उसको जहस्त्वार्था कहते हैं । यही अपिविद्वित वाच्य ध्वनि में अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य भेद का मूल है । इस प्रकार अर्थान्तर संक्षिप्तवाच्य ध्वनि के नाम में जो खिजन्त संक्षिप्त पद का प्रयोग है वह व्यञ्जना की सहकारिणी लक्षण के प्रभाव को द्योतित करता है । आगे इन दोनों के उदाहरण देते हैं :—

स्त्रिग्य एव श्याम कानित से आकाश को व्याप्त करने वाले, और बलाका, वक्ष्यवित जिनके पास दिहार कर रही हैं ये स धन मेघ [ भले ही उमड़े ], शीकर-छाटे छोटे जल कणों से युक्त [ शीतल मन्द ] समार [ भले ही यहे ] और मेघों के मित्र मयूरों की आनन्दभरी कूँकें भी चाहे कितनी ही [ अवणगोचर ] हों, मैं तो कठोर हृदय राम हूँ सब कुछ सह लूँगा । परन्तु [ अति सुकुमारी, कोमल हृदया, वियोगिनी ] वैदेही की क्या दशा होगी ? हा देवि पैर्यं रखना ।

इसमें राम शब्द [अर्थान्तर संक्षिप्तवाच्य] है । इससे बेवल संज्ञिमात्र राम का बोध नहीं होता अपितु व्यङ्गय धर्म विशिष्ट [ अय-त दु रसादप्तु रूप संज्ञी ] राम का बोध होता है ।

यथा च ममैत प्रिपमवाणीलायाम्—

ताला जार्थाति गुणा जाला दे सहिअएहि घेष्पति ।

रह्विकिरणानुगगहिआइ होति कमलाइ कमलाइ ॥

[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयैर्गृह्णन्ते ।

रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ इति द्वाया ]

इत्यत्र द्वितीय कमलशास्त्र ।

इस श्लोक के वक्ता राम हैं । अतएव 'रामोऽस्मि' के स्थान पर वक्ता 'अस्मि' कहने पर भी 'अहम्' पद की प्रतीति द्वारा राम का बोध हो जाता । इस लिए प्रकृत में राम पद का मुरशार्थ अनुपयन होकर [ अजहस्त्वार्था उपादान ] लक्षणा द्वाह, अत्यन्त हुखसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोध कराता है । मैं राम हूँ अर्थात् पिता के अत्यन्त वियोग, राज्य व्याग, वनवास, जटाचीर धारण, स्त्री हरण आदि अनेक हुखों का सहन करने वाला अत्यन्त कठोर हृदय राम हूँ मैं सर ऊँच सहन कर सकूँगा । यहाँ 'हृद कठोरहृदय' यह पद उक्त लक्षण्य की प्रतीति में विशेष सदृश्यक होता है । और राम पद अत्यन्त हुखसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोधक होने से अर्थान्तरसत्रमित वाच्य धनि का उदाहरण है । उन्हीं हुख सहिष्णुत्व आदि धर्मों का अतिराय व्यङ्गय है ।

यत्रपि प्रनथकर ने इसे वेयल अर्थान्तर समित वाच्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और अत्यन्त तिरस्तृत वाच्य का उदाहरण आगे देंगे । परन्तु यहा आकाश के निराकार होने से उसका लेपन समय न होने से हित शब्द अपने अर्थ को सर्वया छोड़न, व्याप्त अर्थ का बोध कराता है । इसी प्रकार 'पयोदसुहृदा' में सीहार्द चेतन का धर्म ही हो सकता है इसलिये मेघ में समय न होने से गुह्य शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर लक्षणलक्षणा से आनादायक अर्थ को बोधन कराता है इस प्रकार यह दोनों पद अत्यन्त तिरस्तृत वाच्य के उदाहरण भी हो सकते हैं । परन्तु प्रथमार ने अत्यन्त तिरस्तृत वाच्य का अलग ही उदाहरण देना उचित समझ इसलिए वह आगे इसका उदाहरण देंगे । अभी श्रगला एक और उदाहरण अर्थान्तर समित वाच्य का ही स्वरचित प्रिपम वाणी सीला नामक काव्य से देते हैं ।

और जैसे मरे ही 'विपमवाणीलीला' [नामक काव्य] में—

[ गुण ] गुण तभी होत है जब महदय उनको प्रहण करते हैं, मूर्ख की किरणों से अनुगृहीत कमल ही कमल होते हैं ।

यहा द्वितीय कमल शब्द ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेर्वाल्मीकेः—

रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुपारावृतमण्डले ।

निश्वासान्य इवादर्शश्चनन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति  
अग्रान्धशब्दः ।

३४३४५

यहाँ द्वितीय कमल शब्द लक्षणा द्वारा लक्ष्मीभाजनत्वादि धर्म विशिष्ट कमल का बोधक होने से अर्थान्तर सक्रिय है और चाल्त का अतिशय व्यङ्ग्य है। इसी प्रकार पूर्णद्वार्द्ध में गुण शब्द की भी आवृत्ति मान कर गुण तभी गुण होते हैं जब सहृदय उनको ग्रहण करते हैं। ऐसा अर्थ करना चाहिये। उस दशा में द्वितीय गुण शब्द उत्तमत्वादि धर्म विशिष्ट गुण का बोधक होने से अर्थान्तर सक्रिय वाच्य होगा और उस उत्तर्कर्त्ता का अतिशय व्यङ्ग्य होगा। यह दोनों श्लोक अर्थान्तर सक्रिय वाच्य धर्मि के उदाहरण हुए। आगे अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण देते हैं।

अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [ का उदाहरण ] जैसे आदि करि वाल्मीकि का [ पचवटी में हेमन्त वर्णन के प्रसङ्ग में रामचन्द्र जी का कहा हुआ यह श्लोक ] :—

[ हेमन्त में सूर्य के चन्द्रमा के समान अनुप्य और आहाददायक हो जाने से ] जिस [ चन्द्रमा ] की शोभा सूर्य में सकान्त हो गई है [ अथवा सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करने वाला ] तुपार से आच्छादित मण्डल वाला चन्द्रमा निश्वास से मलिन दर्पण के समान प्रकाशित नहीं होता है।

यहा अन्ध शब्द ।

अन्ध शब्द नेत्रहीन का वाचक है। चन्द्रमा में नेत्रहीनत्वरूप अन्धत्व अनुपन होने से अन्ध शब्द अपने नेत्रविहीनत्व अर्थ को सर्वथा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को जट्टस्थार्थी लक्षणलक्षणा से बोधित करता है और अप्रकाशातिशय व्यङ्ग्य होता है। अन्ध शब्द अपने अर्थ को सर्वथा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को वापन करता है इसलिए अन्ध शब्द का मुख्यार्थ यहा अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। इसी से इसको अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य धर्मि का उदाहरण माना है।

मह नायक ने इस शब्द की व्याख्या में ‘द्व’ शब्द का यथाधुत अन्ध भान कर “इव शब्दयोगाद् गौणतात्प्रयन न काचित्” लिख कर अन्ध पद में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं समझी है। परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्गत

यथा च ममैव विपमयाणलीलायाम्—

ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहित्रएहि घेष्पन्ति ।

रहकिरणानुगगहिआँ होन्ति कमलाँ हृ कमलाँ ॥

[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयैर्घृह्यन्ते ।

रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ इति छाया ।

इत्यत्र द्वितीय कमलशब्द ।

इस श्लोक के बताता राम हैं । अतएव 'रामोऽस्मि' के स्थान पर बबल 'अस्मि' कहने पर भी 'यहम्' पद की प्रतीति द्वारा राम का बोध हो जाता । इस लिए प्रस्तुत में राम पद का मुख्यार्थ अनुपमन होकर [ अजहस्त्वार्था उपादान ] लक्षण द्वारा, अत्यन्त दुखसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोध कराता है । मैं राम हूँ अर्थात् पिता के अत्यन्त वियोग, राज्य त्याग, वनवास, नगचीर धारण, स्त्री हरण आदि अनेक दुखों का सहन करने वाला अत्यन्त कठोर हृदय राम हूँ मैं सर कुछ सहन कर सकूँगा । यहा 'हृद कठोरहृदय' यह पद उक्त लक्ष्यार्थ की प्रतीति में पिशेष सदृश्यक होता है । और राम पद अत्यन्त दुखसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोधक होने से अर्थान्तरसन्मित वाच्य धनि का उदाहरण है । उन्होंने दुख सहिष्णुत्व आदि धर्मों का अतिशय व्यङ्ग्य है ।

यथापि ग्रन्थकार ने इसे देवल अर्थान्तर सन्मित वाच्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और अत्यन्त तिरस्तृत वाच्य का उदाहरण आगे देंगे । परन्तु यहा आकाश के नियकार होने से उसका लेपन सभव न होने से हित शब्द अपने अर्थ को सर्वथा छोड़कर, व्याप्त अर्थ का बोध कराता है । इसी प्रकार 'पयोदसुहृदां' में सौहार्द चेतन का धर्म ही हो सकता है इसलिये मैत्र में सभव न होने से सुदृढ़ शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर लक्षणलक्षण से आनन्ददायक अर्थ को बोधन कराता है इस प्रकार यह दोनों पद अत्यन्त तिरस्तृत वाच्य के उदाहरण भी हो सकते हैं । परन्तु अन्यथाकार ने अत्यन्त तिरस्तृत वाच्य का अलग ही उदाहरण देना उचित समझ दसलिए वह आगे इसका उदाहरण देंगे । अभी अगला एक और उदाहरण अर्थान्तर सन्मित वाच्य का ही स्वरचित विपमय शास्त्रीला नामक काव्य से देते हैं ।

और जैसे मेरे ही 'विपमयाणलीला' [नामक काव्य] में—

[ गुण ] गुण तभी होने हैं जब सहदय उनको प्रदण करते हैं, मूर्ख की विरणों से अनुगृहीत कमल ही कमल होते हैं ।

यहाँ द्वितीय कमल शब्द ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेषाल्मीके:—

रविसंकान्तसौभाग्यस्तुपारायृतमण्डलः ।

निश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति

अत्रान्वशब्दः ।

38385

यहाँ द्वितीय कमल शब्द लक्षणा द्वारा लद्भीभाजनत्वादि धर्म विशिष्ट कमल का बोधक होने से अर्थान्तर सक्रमित है और चारुत का अतिशय व्यङ्गय है। इसी प्रकार पूर्णदूर्द में गुण शब्द की भी आवृत्ति मान कर गुण तभी गुण होते हैं जब सहृदय उनको व्रहण करते हैं। ऐसा अर्थ बरना चाहिये। उस दशा में द्वितीय गुण शब्द उत्कृष्टत्वादि धर्म विशिष्ट गुण का बोधक होने से अर्थान्तर सक्रमित वाच्य होगा और उस उत्कर्प का अतिशय व्यङ्गय होगा। यह दोनों श्लोक अर्थान्तर सक्रमित वाच्य धनि के उदाहरण हुए। आगे अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण देते हैं।

अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [ का उदाहरण ] जैसे आदि कवि बाल्मीकि का [ पञ्चवटी में हेमन्त वर्णन के प्रसङ्ग में रामचन्द्र जी का कहा हुआ यह श्लोक ] :—

[ हेमन्त में सूर्य के चन्द्रमा के समान अनुवण और आह्वाददायक हो जाने से ] जिस [ चन्द्रमा ] की शोभा सूर्य में संकान्त हो गई है [ अथवा सूर्य से प्रकाश को महण करने वाला ] तुपार से आद्यादित मण्डल वाला चन्द्रमा निश्वास से मलिन द्रपेण के समान प्रकाशित नहीं होता है।

यहाँ अन्ध शब्द ।

अन्ध शब्द नेत्रहीन का वाचक है। चन्द्रमा में नेत्रहीनत्वरूप अन्धत्व अनुपम्न होने से अन्ध शब्द अपने नेत्रविहीनत्व अर्थ को सर्वपा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को जहस्तरार्थ लक्षणलक्षणा से बोधित करता है और अप्रकाशतिशय व्यङ्गय होता है। अन्ध शब्द अपने अर्थ को सर्वपा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को बोधन बरता है इसलिए अन्ध शब्द का मुर्यार्थ यहा अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। इसी से इसको अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य धनि का उदाहरण माना है।

मट नायक ने इस श्लोक की व्याख्या में ‘इव’ शब्द का यथाश्रुत अन्वय मान कर “इव शब्दयोगाद् गीणताप्यन न काचित्” लिख कर अन्ध शब्द में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं समझी है। परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्केत

गच्छणं च मत्तमेह धारालुलिअज्जुणाइँ अ वणाइँ ।

सिरहङ्कारमिअड्हा हरनित नीलाओ वि सिंसाओ ॥

[ गगन च मत्तमेघ धारालुलिताजुं नानि च उनानि ।

निरहङ्कारमृगाङ्का हरनित नीला अपि निशा ॥ इति व्याया ॥

अत्र मत्तनिरहङ्कारशब्दौ ॥१॥

नहा है । ‘इव’ शब्द चन्द्रमा और आदर्श के उरमानोरमेय भाव का वोधक है । निश्चासान्ध पद आदर्श का विशेषण है । ‘निश्चासान्ध आदर्श इव चन्द्रमा न प्रकाशते’ इस प्रकार अन्यथ होने से इव शब्द भिन्नक्रम है । इसलिए अन्ध पद को स्वार्थ में वाधित हाने से जहत्स्वार्थ लक्षणलक्षण द्वारा अप्रकाशरूप अथ का वोधक मानना ही होगा और उस दशा में अप्रकाशातिशय को व्यञ्जना द्वारा वोधित कर वह अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य खनि का उदाहरण होगा ।

[ न केवल ताराओं से भरा निर्मल आकाश हो अपितु ] मदमाते उमझे मेघों से आच्छादित आकाश [भी, न केवल मन्द मन्द मलय मारत से आन्दो-लित आम्र वन हो अपितु वर्षा को ] धाराओं से आन्दोलित अहुंन वन [ और न केवल उम्बल चन्द्र फिरणों से उवलिन चादरीं रातें ही मन को लुभान वाली नहीं होतीं अपितु सौन्दर्य से रहित ] गर्वहोन चन्द्रमा वाली [वर्षाकाल की अन्धकारमयो] काली रातें भी मन को हरण करने वाली होती हैं ।

यहा मत्त और निरहङ्कार शब्द ।

मत्त के उपयोग से पैदा हुई कीमता मत्त शब्द का, और सौन्दर्यादि के कारण उत्तम दर्प, अहङ्कार शब्द का मुख्यार्थ हैं । वह दोनों धर्म वेतन में ही ए सकते हैं । यदां मत्तता का भेद के साथ और निरहङ्कारत्व का चन्द्रमा के साथ जो सबन्ध वर्णन किया है वह अनुपपत्त है । अत मुख्यार्थ वाध व कारण यह ‘मत्त’ शब्द सादृश्यता असमुच्चितकारित्व, दुर्निवारत्व आदि तथा निरहङ्कार शब्द विच्छायत्वादि धर्मों को व्यक्त करता है । अतएव यहा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य खनि है ॥१॥

ऊर खनि के दो भेद किए थे । अविवक्तिवाच्य या लक्षणामूल खनि और दूसरा विवक्तिवाच्य या अभिधामूल खनि । इनमें से पहले अर्थात् अविवक्तिवाच्य [ लक्षणामूल ] खनि के अर्थात् उपरक्षितवाच्य और अत्यन्त-विवक्तिवाच्य यह दो अवान्तर भेद और किए । इसी प्रकार अब विवक्तिवाच्यवाच्य [ अभिधामूल ] खनि के अवान्तर भेद दिखावेंगे । इसके भी पहले दो

असंलङ्घकमोद्योतः क्रमेण योर्तितः परः ।

विवक्षितामिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥ २ ॥

मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्गचोऽर्थे ध्वनेरात्मा । स च वान्यार्थ-  
पेत्तया कश्चिदलङ्घकमतया<sup>१</sup> प्रकाशते, कश्चित् क्रमेणेति द्विधा मत ॥२॥

भेद होते हैं । एक असललङ्घकम व्यङ्गय और दूसरा सललङ्घकम व्यङ्गय । रस, भाव,  
तदाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि, भावशब्दता रूप आस्वादप्रधान  
ध्वनि को असललङ्घकम व्यङ्गय ध्वनि कहते हैं । इसके अवान्तर भेदों का अनन्त  
विस्तार हो जायेगा इस कारण उसका विस्तार नहा किया गया है । अपितु  
असललङ्घकम व्यङ्गय को एक ही भेद माना है । दूसरे सललङ्घकमव्यङ्गय के अनेक  
भेद किए गए हैं । आगे विवक्षितान्यपरवाच्य [ अभिधामूल ] ध्वनि के  
असललङ्घकम और सललङ्घकम व्यङ्गय दो भेद करके पहिले असललङ्घकम व्यङ्गय  
के विषय में तुछ विशेष बातें लिखते हैं ।

विवक्षितवाच्य [ अभिधामूल ] ध्वनि का आत्मा [ स्वरूप ] असललित  
कम से और दूसरा सललित कम से प्रकाशित [ होने से ] दो प्रकार का  
माना गया है ।

प्रधान रूप से प्रकाशित होने वाला व्यङ्गय अर्थ, ध्वनि का आत्मा  
[ स्वरूप ] है । और वह कोई वाच्यार्थ की अपेक्षा से अललित कम से प्रकाशित  
होता है और कोई [ सललच्य ] कम से, उस प्रकार दो तरह का माना गया है ।

कारिका में विवक्षितामिधेय और ध्वनि दोनों का समानाधिकरण रूप से  
प्रयोग किया गया है । यों अभिधेय अभिधा शक्ति का और ध्वनि व्यञ्जना शक्ति  
का विषय होने से दोनों अलग अलग हैं । परन्तु यहा दोनों का साक्षिन्य और  
सामानाधिकरण, अभिधेय की अन्यपरता को व्यक्त करता है । तदनुसार विवक्षिता-  
मिधेय का अर्थ विवक्षितान्यपरवाच्य करने से ध्वनि पे साथ उसका सामानाधि-  
करण उपलब्ध हो जाता है । पहिली कारिका में अविवक्षितवाच्य [ लक्षणमूल ] ध्वनि  
के जो अर्थान्तरसक्तिवाच्य और अत्यन्ततिरस्तुवाच्य दो भेद दिखाए हैं वह  
वाच्यार्थ की प्रतीति के स्वरूप भेद से दिखाए हैं और इस कारिका में विवक्षितान्य-  
परवाच्य ध्वनि के जो असललङ्घकमव्यङ्गय और सललङ्घकमव्यङ्गय दो भेद दिखाए  
हैं वह व्यञ्जना व्यापार के स्वरूप भेद से दिखाए हैं ॥२॥

तत्र,

रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्तमः ।

ध्वनेरात्माऽङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥ ३ ॥

रसादिरथों हि 'सहेव वान्येनावभासते । स चाङ्गित्वेनावभास-  
मानो ध्वनेरात्मा ॥३॥

प्रधान रूप से प्रगाशित होने वाला व्यङ्गय ही ध्वनि का स्वरूप है ।

अर्थात् जहा व्यङ्गय अर्थ का प्रधान्य होता है वही ध्वनि काव्य माना जाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि जहा व्यङ्गय का प्राधान्य नहा होता उसको ध्वनि काव्य नहा माना जाता । इसलिए रस आदि व्यङ्गय भी अप्रधान होने की दशा में ध्वनि नहीं कहलाते हैं । केवल प्रधान होने की दशा में ही ध्वनि कहलाते हैं । और जहा वह किसी दूसरे अङ्गी के अङ्ग बन जाते हैं वहा रसादिं आलङ्घार कहलाते हैं । अगली दो कारिकाओं में रसादि की प्रधानता और अप्रधानता मूलक ध्वनिव और रसबदलङ्घारत्र का प्रतिशादन करते हैं ।

उनमें से :—

रस, भाव, तदाभास, [अथात् रसाभास और भावाभास] और भाव-  
शान्ति आदि [आदि शब्द से भावोदय, भावशन्ति और भावशब्दता का भी  
प्रहण करना चाहिए] अकम [असंलचय क्रम व्यङ्गय] अङ्गीभाव से [ अर्थात् प्रा-  
धान्येन ] प्रतीत होता हुया ध्वनि के आमा [ स्वरूप ] रूप से स्थित होता है ।

रसादि रूप अर्थ वाच्य के साथ ही सा प्रतीत होता है । और वह  
प्रधान रूप से प्रतीत होने पर ध्वनि का आमा [ स्वरूप ] होता है ।

निर्णयसामरीय सत्करण में सहेव क स्थान पर सहेव पाठ है । 'वाक्यन  
सहेव अवभासते' वाच्य के साथ ही प्रगाशित होता है यह वाक्यार्थ उस पाठ के  
अनुमार होता है । इस पाठ और उसके अर्थ में कई दोष आ जाते हैं । एवबार  
के बल से, रसादि की प्रतीति वाच्य प्रतीति के साथ ही होती है यह अर्थ माना  
जाय तो वाच्य और रसादि री प्रतीति में कोई क्रम न होने से रसादि की अन्य  
व्यङ्गय कहना चाहिए परन्तु सिद्धान्त पक्ष यह है कि रसादि की प्रतीति में क्रम  
होता तो अवश्य है परन्तु शीघ्रता के नारण [ उत्तमशतपत्र यनिमेदवन् हाथवान् ]

न सलद्यते ] प्रतीत नहा होता । इसलिए रसादि को श्रसलद्यकम् व्यज्ञय कहा जाता है अक्षमव्यज्ञय नहा । दूसरी बात 'युगपञ्चानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् न्याय दर्शन १, १, १६ सूत' के अनुसार वाच्य और व्यज्ञय दोनों की एक साथ प्रतीति हो भी नहीं सकती । दूसरी बात यह है कि लोचनकार ने यहाँ 'एव' पाठ न मान कर 'इव' पाठ ही माना है । और लिखा है कि "सहेवेति इव शब्देनासलद्यता विद्यमानत्वेऽपि क्रमस्य व्याख्याता ।" अर्थात् वाच्य और रस आदि व्यज्ञय की प्रतीति में त्रम होते हुए भी शीघ्रता के कारण प्रतीत नहीं होता यह श्रसलद्यता ही इव शब्द से सूचित होती है । इसलिए निर्णयसागर य पाठ असङ्गत है ।

कारिका में रस के साथ भाव आदि का भा उल्लेख प्रक्षया है । रस्यते आस्वाद्यते इति रस । इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस, भाव, रसाभास, भ वाभास, भावशान्त्यादि सब ही रस श्रेणी में आते हैं । परन्तु फिर भा उन सब में उछु  
मेद है ।

रतिदवादिविभया व्यभिचरी तथाज्ञित ।

भाव ग्रोक , तदाभासा ह्यनीचित्यप्रर्तिता ॥ का० प्र० ४, ३५

अर्थात् देवता, गुरु आदि विषयक रति प्रेम, तथा अभियक्ष व्यभिचारी भव को भाव कहते हैं । आर रस तथा भव के अनुचित बण्णन को रसाभास एव भावाभास कहते हैं ।

**रस प्रक्रिया—**

"विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिधत्ति" यह भरत मुनि का सूत्र है । इसमा आशय यह है कि विभाव, अनुभाव और सज्जारीभाव के सयोग से परिषुष रत्यादि स्थायीभव आस्तादावस्थापन होकर रस कहलाते हैं । यह भरत का मूल सूत्र सीधा सा जान पड़ता है परन्तु यह बड़ा विवादप्रस्त रहा है । अनेक आचार्या ने अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या की है । कान्यप्रकाश में मध्मटाचार्य ने उनमें से १ भद्र लोहाट, २ श्री शकुण, ३ भद्र नायक, ४ अभिनवगुप्तपादाचार्य वे चार मनों का उल्लेख किया है । 'लोचन' में भी इस सम्बन्ध में अनेक मनों का उल्लेख मिलता है । उन सब मनों को समझने के लिए पहिले रस प्रक्रिया के पारिभाषिक शब्द विभाव, अनुभाव, सज्जारी भाव, स्थायी भाव आदि को समझ लेना चाहिए ।

**स्थायी भाव—**

मनुष्य जो कुन्तु देवता, मुनता या अन्य किंवदि प्रकार अनुभव करता

है उस सबका सस्कार उसके मन पर रहता है। वह अनुभव तो क्षणिक होने से नष्ट हो जाता है परन्तु वह अपने पीछे एक स्थायी रस्तु 'सस्कार' छोड़ जाता है। जिसे 'वासना' भी कहते हैं। ये सस्कार अपने योग्य उद्बोधन सामग्री पाकर उद्बुद्ध हो जाते हैं। उस उद्बोधक सामग्री से न केवल इस समय या इस जन्म के अपितु पूर्वकालीन अनेक जन्म जन्मान्तर से व्यवहित अथवा इस जन्म में भी अनेक देश-देशान्तर व्यवहित सस्कारों का उद्बोध हो सकता है। योगदर्शन ने इन वासनाओं अथवा सस्कारों के अनादिल और अत्यन्त सुदूरवता सस्कारों की भी अभिव्यक्ति का वर्णन किया है।

तासामनादित्यशाशियो नित्यत्वात् । योगसूत्र ४,६ ।

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्ये स्मृतिसस्कारयोरेकरूपत्वात् । यो० ४,१० ।

यदि हम इन सस्कारों की गणना करना चाहें तो वह असम्भव है। एक पुरुष में मन के एक जन्म के सस्कारों का परिगणन भी सम्भव नहा है फिर उसके अपरिगणित पूर्व जन्म और सदार के अपरिमित प्राणियों के सस्कारों की गणना तो सर्वथा असम्भव ही है। फिर भी प्राचीन आचार्यों ने उन सस्कारों का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है। साहित्य शास्त्र की रस प्रतिया में स्थायीभाव शब्द से कहा चार, कहा आठ, कहा नी और कहा दस स्थायीभावों का वर्णन किया गया है। वह उन अनादि कालीन सस्कारों या वासनाओं का वगाहृत रूप ही है। मन में स्थायी रूप से रहने वाली वासना या सस्कार का नाम ही स्थायी भाव है। इन सस्कारों में सबसे प्रबल और बहुसख्यक वासनाएँ १. राग, २. द्वेष, ३. उत्साह और ४. जुगुप्सा से सम्बन्ध रखने वाली होती है। क्योंकि वह प्राणी की सबसे अधिक स्थायीविक प्रवृत्तिया है। और न केवल मानव योनि में अपितु पशु, पक्षी, बीट, पतझ आदि सभी योनियों में पाई जाती है। साहित्यिक आचार्यों ने इन स्थायी भावों का परिगणन इस प्रकार किया है —

रतिद्वांसक्ष शोकश्च ब्रोधोत्साही भयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायीभावाः प्रवीर्तिताः ॥ का० प्र० ४, ३०

रति, द्वांस, शोक, ब्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, और विस्मय यह आठ और कहीं नियेंद या वैराग्य को भी मिला कर नी स्थायीभाव माने हैं।

आलम्बन और उद्दीपन विभाव—

इन स्थायी भावों को उद्बुद्ध करने वाली सामग्री मुख्यतः दो प्रकार की है। एक आलम्बन और दूसरी उद्दीपन। नायक और नायिकादि के आलम्बन

से स्थायीभाव उद्बुद्ध होते हैं इमलिए उनको आलम्बनात्मक सामग्री या आलम्बन विभाव कहते हैं। वाह्य परिस्थिति उद्यान, प्राकृतिक सौन्दर्य आदि उसके उद्दीपक होने से उद्दीपन सामग्री में आते हैं और उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आलङ्कारिकों ने स्थायी भावों की इस द्विध उद्बोधक सामग्री को विभाव नाम से निर्दिष्ट किया है —

रत्य दुद्वोधम् लोक विभावा काव्यनाम्ययो ।

आलम्बनोदीपनाख्यौ तत्य भेदाबुभौ स्मृतौ ॥

आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोदगमात् । सा० द० ३, २६

उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ।

आलम्बनस्य चेष्टाचा देशकालादयस्तथा ॥ सा० द० ३, १३१ ।

अनुभाव—

भन के भीतर स्थायी रूप से विवरान रत्यादि वासनाओं या स्थायीभावों का इस आलम्बन तथा उद्दीपन सामग्री अर्थात् विभवा से उद्बोधन मात्र होता है उत्पत्ति नहीं। भट्ट लोलट ने ‘विभावैर्ललनोद्य नादिभिरालम्बनोदीपनकारणे रत्यादि को भावो जनित’ लिखा है वहाँ ‘जनित’ का अर्थ ‘उद्बुद्ध’ ही करना चाहिए। क्योंकि यदि रत्यादि की उत्पत्ति मान तो फिर वह स्थायीभाव ही रहा रहा। इस प्रकार जब इस सामग्री से रत्यादि वासना उद्बुद्ध हो जाती है तो उन वासनाओं का प्रभाव बाहर दिसाई देने लगता है। मनागत उद्बुद्ध वासना के अनुसार ही मनुष्य की चेष्टा, आकार भड़ो आदि में भेद हो जाता है। इसी को आलङ्कारक लोग अनुभाव कहते हैं। विभाव तो रत्यादि के उद्बोध के कारण हैं और अनुभाव उनके कार्य हैं। इसीलिए इनको ‘अनु पश्चात् भवन्तीति अनुभावा’ अनुभाव कहते हैं। यह अनुभाव हर एक चासना या स्थायी भाव के अनुसार अलग अलग देखते हैं।

उद्बुद्ध कारणे रवैयहिर्भाव प्रकाशयन् ।

लोके य कार्यरूप सोऽनुभाव काव्यनाम्ययो ॥ सा० द० ३, १३२ ।

इन अनुभावों में —

स्तम्भ स्वेदोऽथरोमाङ्ग स्वरभङ्गोऽथवेष्यु ।

वैवर्यमशु प्रलय इत्यौ सात्विका स्मृता ॥ सा० द० ३, १३५ ।

इन आठ सात्विक भावों को प्रधान होने के कारण ‘गोवलावर्दन्याय’ से अलग भी गिना दिया जाता है।

### स्थायी भाव—

स्थायी भाव से उल्टा व्यभिचारी भाव है उसको सज्जारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव की स्थायिता ही उसकी विशेषता है इसी प्रकार व्यभिचारी भाव का अस्थायित्व उसकी विशेषता है। स्थायी भाव को उपमा 'लगणाकर' से दी गई है। सामर भील में जो कुछ डाल दो थोड़े समय में नमक बन जाता है। इसी प्रकार जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छुन नहीं होता है वही स्थायी भाव है।

विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छुयते न यः ।

आत्मभाव नयत्याणु स स्थायी लगणाकरः ॥ दशरूपक ४,३४

अपिरुद्धा विरुद्धा वा य तिरोधातुमक्षमाः ।

आस्तादाकुरक्नरोडसौ भावः स्थायीति सम्पतः ॥ सा० द० ३,१७४

इसके निपरीन सज्जारी भाव या व्यभिचारी भाव सुनुद्र की तरङ्गों के समान अस्थिर है। वह स्थाया भाव के पुरिपोय में सहकारी होते हैं। उनमी सख्ता मानी गई है।

विशेषादाभिसुरयेन चरन्तो व्यभिचारिणः ।

स्थायिन्युनमननिर्ममा. कल्पोला इव वारिधे ॥ दशरूपक ४,७५

निर्वेदग्लानिशङ्काश्रमधृतिजडताहर्पदैन्यीप्रथ्यचिन्ता-

स्त्रासेन्यीपर्यग्याः स्मृतिमरणमदाः सुन्तनिद्रापिवोधाः ।

ब्रीडाप्रस्मारमोहा. समतिरलसता वेगतर्कानहित्या,

व्याख्युन्मादी निपादोत्सुक्ष्यपलयुतास्त्रिशदेते नयश्च ॥

### रसास्वाद और रससंरक्षण—

यही दिभाव, अनुभाव और सज्जारीभाव रस की सामग्री है। आलम्बन और उद्दीपन विभाव स्थायीभाव को उंटूद्ध करते हैं। अनुभाव उसको प्रतीति योग्य बनाते हैं और व्यभिचारी भाव उसको परिपुष्ट करते हैं। इस प्रकार इन सरके सयोग से स्थायीभाव रसन योग्य-आस्वाद योग्य हो जाता है। उसका आस्वाद होने लगता है। इसी आस्वादन या रसन को 'रस' कहते हैं। उस आस्वादन अवरण का नाम ही रस है। उसस अनिरिक्त रस मुख आर नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं 'रसः आस्वाद्यते' आदि व्यवहार होता है वहाँ 'रहोः शिरः' के समान विकल्प प्रतीति का विषय अथवा 'ओदन पचति इतिवद्' औपचारिक प्रयोगमात्र समझता चाहिए।

शुगारहास्यकरणे रौद्रवीरभयाननः ।

बीमत्साद्भुतसज्जी चेत्यष्टी नाट्ये रसाः स्मृता. ॥ का० प्र० २६

निवेदं दरथायिभावो हि शान्तोऽपि नवमो रसः । का० प्र० ३५

काव्य में शुद्धारादि आठ और नवम शान्त रस इस प्रकार नी रस माने गए हैं परन्तु नाटक में शान्त रस का परिपाक सम्भव न होने से उसको छोड़ कर आठ ही रस माने गए हैं । शान्त रस के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए दरालूपक में लिखा है ।

शममपि केचित् प्राहु. पुष्टिनीक्षेपु नैत्य । दश० ४, ३५

निवेदादिरताद् प्यादस्थायी स्वदते कथम् ।

वैरस्यायैव तत्पोपस्तेनाष्टी स्थायिनो मताः ॥ दश० ४, ३६ ।

इह शान्तरस प्रति वादिनामनेकविधाः विप्रतिपत्तय । केचिदाहु. नारत्येन शान्तो रसः तस्याचायेण विभागाद्यप्रतिपादनाङ्गकरणान्तरणात् । अन्ये तु बलुतस्त-स्पामावं वर्णयन्ति । अनादिकालप्रगाह्यायतरागद्वयोरुच्चेत्तुमशक्यत्वात् । अन्ये तु वीरवीमत्सादावन्तमावं वर्णयन्ति । तथा यथा अस्तु । सर्वया नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभि. शमम्य निपित्यते । तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात् । यत्तु केश्चिन्नेगानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णित तत्तु मलयवत्यनुरागेण आप्रवन्धप्रवृत्तेन, विद्याधरचरन्यर्तित्वप्राप्त्या विक्षम् । नद्ये कानुगायंविभावालम्बनी विषयानुरागापरागाकुण्डलधूमी । अतो दयावीरोत्तादृश्येव तत्र स्थायित्वम् ।

विष्वाविष्वाविच्छेदित्यस्य निवेदादीनामभावादस्थायित्वम् । अतएव ते चिन्तादयः स्वस्वव्यभिक्षायन्तरिता अपि परिपोष नीयमाना वैरस्यमावदन्ति ।

इस का भाव यह है कि शम को स्थायी भाव मानने के विषय में कई प्रकार की विप्रतिपत्तिया पार्दे जाती है । १-भरत ने नाट्यशास्त्र में शान्त रस के विभावादि का प्रतिपादन भी नहीं किया है और न शम का लक्षण ही किया है इसलिए कुछ लोग शम को स्थायीभाव नहीं मानते । २-दूसरे लोगों या कहना यह है कि राग-द्वेष आदि दोरों का सर्वया नाश हो जाने पर ही शम की स्थिति उत्तम हो सकती है । परन्तु अनादि काल-प्रगाह से आने वाले राग-द्वेष का सर्वया शमाव सम्भव नहीं है इसलिए शम ही ही नहीं सकता है । ३-अन्य सोग यीर, वीमन आदि रसों में उसका अन्तमावं करने हैं । इनमें से कोई कुछ ठीक हो । इमारा [ दरालूपक भीर उष क टीकाघर का ] कहना यह है कि उमरा व्यापारविलयरूप शम का अभिनय संभव नहीं है इसलिए अभिनयस्मक

नाम्य में शम का स्थायीभावत्व हम नहीं मान सकते । जिन लोगों ने नागानन्द नाटक में शान्त रस माना है उनका वह रथन नागानन्द में आदि से अन्त तक पाए जाने वाले मलयवती के प्रति श्रनुराग और विनाधरचक्रवर्तिन की प्राप्ति के विशद् होने से बहा शान्त रस नहा । अपितु दयावीर का उत्साह ही वह स्थायीभाव और दीर रस है ।

स्थायीभाव का लक्षण 'विशद्वायिशद्वायिच्छुदित्व' ऊपर वहा गया है वह भी शम में नहा घरता । अतएव शम स्थायीभाव नहा है । नाटक में उसका परिषोप वैरस्यतापदक ही होगा इसालए दशरूपकार धनञ्जय के मत में कम से कम नाटक में शम स्थायीभाव नहा है ।

### रसानुभवकालीन चित्तवृत्ति—

विभाव, अनुभव, सज्जारी भाव के योग से स्थायीभाव का परिषोप होकर जो आस्यादन होता है इसी को रस कहते हैं । यह आस्यादन या रस वस्तुत चित्त की एक अवस्थाविशेष है । ऊपर हमने लिखा था कि हमारे अन्त करण में अनादि काल से सक्षित जो वासनाएँ हैं, जिन्हें मस्कार भी कहते हैं, उन्हा को सादित्यशास्त्र या श्रलङ्घार शास्त्र के आचार्यों ने वर्णोंकरण करके स्थायीभाव नाम दिया है । यह वगारण वस्तुत, रसानुभूति काल में चित्त की जो अवस्था होती है उसी के आधार पर किया गया है और वह उन्हीं सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचना शर्ति का परिचायक है । ऊपर जो आठ स्थायीभाव दिखलाए हैं उनको भी सक्षित करके चार प्रकार यी मनादशाओं का विवेचन दशरूपकार ने किया है । रसात्वाद के समय चित्त की नो-जा भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होती हैं उन्हें विकाश, विस्तार, विद्वाम, और विद्वप इन चार रूपों में विभन्न किया गया है । प्रेम व समय या शृगार रस के अनुभव काल में जो चित्त की अवस्था होती है उसका नाम विकाश रखा गया है । इसी प्रकार दीर रस के अनुभवकालीन चित्तवृत्ति को विस्तार, दीभासानुभूति कालीन स्थिति को विद्वाम और रीढ़ानुभूतिकालिक मन स्थिति को विद्वप नाम दिया गया है ।

### रसचतुष्टयवाद—

इस प्रकार चित्त की चार प्रकार की दशा ही होने से शृगार, यार, दीभास और रीढ़ इन चार रूपों को ही इन लोगों ने मौलिक रस माना है और शेष चार करण, हास्य, अद्भुत और मनक दो उनके आधिन । क्योंकि इन चारों में भी वही चार प्रकार की मनोदरा होती है । इसलिए हास्य में शृङ्खार के ममान चित्त

का विकाश, अद्भुत में वीर रस के समान चित्त का विस्तार, भयानक रस में वीभत्तम के समान ज्ञोभ और करण रस में रौद्र रस के समान चित्त में विद्वेष का प्राधान्य होता है। इस प्रकार रसानुभूति-काल में चित्त की चार प्रकार की मनोदशा सभव होने वे कारण चार ही भौतिक रस हैं और शेष चार की उनके द्वारा उत्पत्ति होती है।

शृंगाराद्धि भवेदास्यो रौद्राच्च करणो रसः ।  
शीराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिं द्वांस्मत्ताच्च भयानकः ॥

इसीलिए मरत के नाट्य शास्त्र में हास्य का लक्षण करते हुए लिखा है,  
शृंगारानुकृतिर्या तु सा हास्य इति वीर्तिः ।

इस सारे विषय का प्रतिपादन दशरूपक में इस प्रकार किया है ।

स्नाद् काव्यार्थसभेदादात्मानन्दसमुद्भवः ।

विकाशविस्तरक्षोभविद्वैष. स चतुविधः ॥ ४, ४३

शृंगारवीरवीभत्सरौद्रेषु मनसः क्रमात् ।

हास्याद्भुतभयोत्कर्पं करणाना त एव हि ॥ ४, ४४

अनस्तज्जन्यता तेषामतएवावधारणम् ।

काव्य और नाटक से रसोत्पत्ति विषयक विविध मत—

नाटक और काव्य में रसोत्पत्ति के विषय में भी कुछ थोड़ा भेद सा प्रतीत होता है। नाटक के देखते समय रसोत्पत्ति कहा होती है और कैसे होती ? है इस विषय में भट्ट लोल्लट, श्री शारुक, भद्रनायक और अभिनवगुप्त क मत अलग-अलग है।

### १—भट्टोल्लट का ‘उत्पत्तिवाद’

इनमें से भट्ट लोल्लट रस की उत्पत्ति मुख्य रूप से अनुकार्य अर्थात् सीतारामादिनिष्ठ मानते हैं। और उनका अनुकरण करने के कारण नट में भी रस की प्रतीति होती है ऐसा उनका मत है। उनके अनुसार ललना और उद्यानादि आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों से रामादि में रत्यादि की उत्पत्ति अर्थात् उद्योग होता है उसके कार्यभूत कायाक्षादि अनुभावों से रामगत रत्यादि स्थायीभाव प्रतीतियोग्य यन जाता है और निवेदादि व्यभिचारी भावों की सहायता से परिपुष्ट होकर मुख्यतः रामादि में और उनके अनुकरण करने के कारण गौण रूप से नट में रस की प्रतीति होती है यह भट्ट लोल्लट आदि का प्रथम मत है।

### भट्टलोहुर की आलोचना—

लोल्लट के मत में मुख्यत अनुकार्य रामादिगत और गौण रूप से नयगत रस की उत्तमत मानने से सामाजिक में रसोत्पत्ति का कोई श्रवसर नहा रहता। इसलिए सामाजिक को उस रस का आस्थाद होना सम्भव प्रतीत नहा होता यह एक उड़ी त्रुटि रह जाती है। इसलिए शकुक ने इस मत का सरावन कर अपने 'रसानुमितिवाद' की स्थापना दी है।

### २—श्री शकुक का अनुमितिवाद—

इस मत अर्थात् शकुक क 'रसानुमितिवाद' में रस अनुकार्य रामादि-निधि नहा अपितु अनुकर्ता अर्थात् नटगत उत्पन्न हाता है। नट को राम समझ कर उसके द्वारा शिद्धाभ्यास चारुर्य से प्रदशित कृतिम यिमाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा नट में रस का अनुमान होता है। इस दशा में नट में जो राम बुद्धि होती है उसे हम न सम्यज्ञान कह सकते हैं और न मिद्याज्ञान, न सराय कह सकते हैं श्रीर न साहश्यमान प्रतीति। वह इन सब प्रतीतियों से विलक्षण 'चित्रतुरगन्याय' से अनिर्वचनीय प्रतीति है। जैसे चित्राङ्कित घाड़े को देख कर जो तुरग भी प्रतीति होती है वह यथार्थ प्रतीति नहीं है क्योंकि वास्तविक तुरग वर्द्धा नहीं है। "तद्वति तत्प्रकारक ज्ञान प्रमा" यह यथार्थज्ञान या प्रमा का लक्षण है वह नदा धटता इसलिए चित्र तुरग बुद्धि या नाम्यराला गत रामरूपधारी नट में राम बुद्धि यथार्थ नहीं है। न वह मिद्या ही है और न साहश्य या सराय रूप। इन सबसे विलक्षण अनिर्वचनीय राम प्रतीति से नट को राम रूप में प्रदण करके उस नट के द्वारा प्रकाशित अनुभावादि भी जो वास्तव में कृतिम है पर उनको कृतिम न मान कर उन के आधार पर न भै रत्यादि का अनुमान होता है। वह अनुमिति प्रतीति भी अन्य अनुमीयमान पदार्थों से भिन्न प्रकार भी होती है। क्योंकि साधारणत अनुमिति परोक्ष ज्ञान है और रस की अनभूति प्रत्यक्षात्मक होती है। इसलिए रसादि प्रताति के अनुमिति रूप होते हुए भी अन्य अनुमितियों से विलक्षण होने से नयगत रत्यादि का सामाजिक को अनुभव होता है। यह शकुक का मत है।

### शकुक के 'अनुमितिवाद' की आलोचना—

परन्तु यह शकुक महोदय वस्तुत नियुक्ती की भाँति अधर लटके हुए है। उनका सब कुछ कलिपत है। अनुमिति के लिए जिस नट रूप राम को पक्ष बनाया है उसका रामत्य निश्चिन नहीं। उस अनुमान के लिए जिन अनुभावादि को

लिङ्ग या हेतु बनाया वह भी कल्पित कृत्रिम हैं पर उनको अवृत्तिम माना जा रहा है। उस हेतु के द्वारा जिस रत्यादि स्थायो भाव की सिद्धि करनी है वह भी सम्भवित मात्र अर्थात् है। उस परोक्ष अनुभिति को जो अपरोक्षात्मक या साक्षात्कारात्मक अनुभूति स्वरूप माना है वह भी कल्पित है। यह सब उनका स्व-कल्पित मत है इन्हीं सारी कल्पनाओं में भरत के “विभावानुभावव्यभिचारिस्योगाद् रस निष्पत्ति” इस सूत्र में आए हुए ‘स्योगात्’ शब्द का अर्थ उन्होंने ‘गम्य-गमकभावरूपात् सम्बन्धात्’ किया है। और उस गम्यगमकभाव से ‘रामोऽय सीता-विषयकरतिमान् सीताविषयकविभावादिसम्बन्धिताद् सीताविषयककटाक्षादिमत्वा-द्वा यो नव स नव यथाहम्’ यह जो अनुमान किया है उसमें ‘अह’ को व्यतिरेकी उदाहरण बनाया है और उसी अह पद वौव्य सामाजिक को रस का चर्चणाश्रय माना है। यह सब कुछ एक दम असङ्गत है।

भृष्णायक द्वारा ‘उत्पत्तिवाद’ ‘अनुभितिवाद’ और ‘अभियक्षिवाद’ की आलोचना —

तीसरा मत भट्ट नायक का ‘भोजस्त्व वाद’ है। भट्ट नायक ने लिखा है, कि रस यदि परगत अर्थात् अनुकार्यगत या अनुकर्ता नटगत प्रतीत हो तो दोनों ही दशाओं में उसका सामाजिक सहदय से कोई सम्बन्ध नहीं बन सकेगा और वह सामाजिक के लिए तटस्थ के समान निष्पत्तियोजन होगा। दूसरी ओर यदि उसकी उत्पत्ति स्वगत अर्थात् सामाजिकगत मानें तो भी सङ्गत नहीं है क्योंकि उसकी उत्पत्ति सीता आदि विभावों के द्वारा होती है वह सीता आदि राम के प्रति तो विभावादि हो सकते हैं सामाजिक के प्रति नहा। साधारणीकरण व्यापार से सीता और रामादि का व्यक्तित्व निकल कर उनमें सामान्य कान्तात्व आदि रूप ही रह जाता है इसलिए वह सामाजिक के प्रति भी विभावादि हो सकते हैं यह कहना भी ठीक नहीं है। अथवा चीच में स्व कान्ता का स्मरण मानने से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि देवतादि के वर्णन—जैसे ‘कुमारसभन आदि में पार्वती आदि के वर्णन प्रसग—में भी रसास्वाद होता है और उनको भी होता है जिनकी कान्ता न थी, न है। देवता वर्णन स्थल में वर्णयमान पार्वती आदि में देवत्य बुद्धि और पूज्यता प्रतीति ही साधारणीकरण में बाधक है। इसलिए रस की न स्वगत [सामाजिकगत] उत्पत्ति बनती है और न परगत [अनुकार्य रामादि गत अथवा अनुरूप नयादिगत]। इसी प्रकार स्वगत या परगत न प्रतीति बनेगी और न अभियक्षि। अभियक्षि पच्च में और भी दोष है। अभियक्षि पूर्व सिद्ध अर्थ की ही होती है। परन्तु रस तो अनुभूति का नाम है अनुमय काल के पूर्वे या

पश्चात् उसका कोई अस्तित्व ही नहा है। इसलिए भी अभिव्यक्ति नहीं बनती। यदि यह कहे कि रस वासना या स्थायीभाव के रूप में स्थित है उसी की अभिव्यक्ति होती है तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभिव्यक्ति स्थल में दीपकादि अभिव्युक्त सामग्री में उत्कृष्टता निष्ठता का तारतम्य भी उपलब्ध होता है वहा तारतम्य रसाभिव्युक्त सामग्री में नहीं बनता है इसलिए रस की स्तरता या परंगततया उत्पत्ति प्रतीति या अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं बनती। ‘इसलिए न ताटस्थेन [अनुकार्यगतत्वेन नटगतत्वेन या] नामगतत्वेन [सामाजिक गतत्वेन] वा रस प्रतीयते, नोत्पत्ते, नाभिव्यज्यते’ [का० प्र०] ‘तैन न प्रतीयते, नोत्पत्ते नाभिव्यज्यते काव्येन रस’ [लोचन०]

#### ४—भट्टाचार्य का ‘भोजस्तवाद्’—

यह तो अन्य मतों की आलोचना हुई तब भट्ट नायक का अपना मत क्या है? उनका अपना मत यह है कि काव्यात्मक शब्दों में अन्य शब्दों से विलक्षण ‘अभिधायकत्व’ ‘भावस्तव’ और ‘भोजस्तव रूप’ तीन व्यापार रहते हैं। अभिधायकत्व व्यापार अर्थविपयक, भावस्तव व्यापार रसादि विषयक और भोजस्तव व्यापार सहृदयक विषयक होता है। यदि यह तीन व्यापार न मान कर केवल एक [शुद्ध] अभिधा व्यापार ही माना जाय तो ‘तत्र’ आदि शास्त्र न्याय और श्लेषादि अलङ्कारों में कोई भेद न रहेगा। ‘तत्र नाम अनेकार्थवोधे छ्या पदम्बैकस्य सहृद्द न्वारणम्’ अनेक अथा के शेषन की इन्हाँ से एक पद का एव ही गर उत्तरण करना यह शास्त्र में ‘तत्र’ नाम से प्राप्त है। जैसे पाणिनि व ‘हल त्यम्’ खूब में ‘तत्र न्याय’ से दो अथ होते हैं। ‘हलनि त्यने अन्यम् इत् स्यात्। श्रीरउपरेण्ये अन्य हल इत् स्यात्’। यहा ‘तत्रन्याय’ से दो अर्थ तो प्रतीत हो जाते हैं परंतु सहृदयस्त्रेण काई चमत्कार प्रतीत नहा होता। इसी प्रकार ‘भावस्तव’ और ‘भोजस्तव’ व्यापार के अभाव में ‘सबदो माधव’ आदि श्लेषालङ्कार के स्थलों में दो श्रथों की प्रतीति तो हो जायेगा। परन्तु सहृदयस्त्रेण वोऽचमत्कार अनुभवगोचर नहीं होगा। इसलिए दूसरे ‘भावस्तव’ व्यापार मानना आवश्यक है। इस ‘भावस्तव’ व्यापार के गल से अभिधा शर्ति में विलक्षणता हो जाती है। यह भावस्तव व्यापार रस के प्रति होता है और वह अभावादि का माध गणाकरण करता है। डसस साधा रणीकरण द्वारा रसादि वे भावित हो जाने पर तीसरे ‘भोजस्तव’ व्यापार द्वारा अनुभव और स्मृति रूप द्विषेषलौकिक जन से विलक्षण, चित्त के विस्तार विकासादि रूप, रजस्तमोवैचिंयानुविद्दसत्त्वमय, निजचेतनन्यरूप, आनन्दरूप, परब्रह्मास्वादसद्वीदा

अनुभूतिरूप, भोग निष्ठन्न होता है यह भट्ट नायक का मत है। लोचनकार ने उनके मत का इस प्रकार उल्लेख किया है।

“रसो यदा परगततया प्रतीयते तर्हि ताटस्थ्यमेव स्यात् । न च स्वगतत्वेन रामादिचरितमथात्काव्यादसौ प्रतीयते । स्वात्मगत वेन च प्रतीनौ स्वात्मनि रसस्यो त्पत्तिरेवाभ्युपगता स्यात् । सा चायुक्ता । सीताथा. सामाजिक प्रत्यविभावत्वात् । कान्तात्वं साधारण वासनाविकासदेतुप्रिभावताया प्रयोजकमितिचेत्—देवतावर्णनादौ तदपि कथम् । न च स्वकान्तास्मरणं मध्ये सवेद्यते ।

अलोकसामान्याना च रामादीना ये समुद्रसेतुबन्धनादया विभावारते कथ साधारण भनेयु । न चोत्साहादिभान् राम स्मर्थते । अनुभूतत्वात् । शब्दादपि तत् प्रतिपत्तौ न रसोपजन । प्रत्यक्षादिव नायकमिथुनप्रतिपत्तौ । उत्पत्तिपत्ते च करुण स्पोतमादाद् दुखिते वद्युरसप्रेक्षासु पुनरप्रवृत्ति स्यात् । तज्ज्ञत्वत्तिरपि । नाप्यभि व्यक्ति, शक्तिरूपस्य हि शृङ्गारस्याभिव्यक्तौ वियार्जनतारतम्यप्रवृत्ति स्यात् । तनापि किं स्वगतोऽभियज्यते रस परगतो वेति पूर्ववदेव दोष ।

तेन न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते काव्येन रस । किन्त्यन्यशब्दवैलोक्य काव्यात्मन शब्दस्य “यशताप्रसादात् । तनाभिधायकाच वाच्यविषय ‘भावकत्व’ रसादिविषय, ‘भोगवृत्त्व’ सहृदयविषयमिति नयोऽशभूता व्यापार । तनाभिधाभागो यदि शुद्ध स्यात् तनादिभ्य शास्त्रन्यायेभ्य श्लोपायलङ्कारणा दो भेद । वृत्तिभेदवैचित्र्य चाक्षिक्तरम् । श्रुतिदुष्टादिवर्नन च किमर्थम् । तेन रसभावनाख्यो द्वितीयो व्यापारः । यदशादभिधाविलक्षणैव । तन्वतद्वावस्त्वं नाम रसान् प्रति यत्काव्यस्य तद्विभायादीना साधारणत्वापादननाम । भाविते च रसे तस्य भोगो योऽनुभवस्मरणप्रतिपत्तिभ्यो विलक्षण एव द्रुतिविस्तरविकासात्मा रजस्तमोवैचित्रानुविद्ध सत्त्वमनिज्जित्वभावनिर्वृतिविश्वान्तलक्षणं परवलास्वादसर्विध । स एव प्रधान भूतोऽश सिद्धरूप इति । व्युत्तिर्नामाप्रधानमेवेति ।

#### ४—अभिनवगुप्तपादाचार्य का अभिव्यक्तिग्राद—

अगला चौथा मत लोचनकार अभिनवगुत का है। भट्ट नायक के मत में जो ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’ दो नये व्यापार माने गए हैं उन्हें अभिनवगुप्त अनवश्यक मानते हैं और अप्रामाणिक भी । ये काव्य से व्यक्तनाव्यापार द्वारा गुण अलङ्कार आदि के श्रोत्रियरूप इतिकर्तव्यता से रस को सिद्ध करते हैं । यहा साधक काव्य है । साध्य रस । साधन व्यक्तना व्यापार है और इतिकर्तव्यता रूप में गुणालङ्कारादि श्रोत्रिय का अन्वय होता है । इस प्रकार ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’

दोनों दो व्यञ्जना रूप मान कर उस व्यञ्जना से सामाजिक में रस की अभिव्यक्ति मानते हैं। अत उनसे मत 'अभिव्यक्तिवाद' कहलाता है।

#### ४—अन्य मत—

इन के अतिरिक्त कुछ और भी छोटे छोट मत हैं जिनमा उल्लेख लोचन कार ने बहुत सक्षेप में इस प्रकार किया है—

'अन्ये तु शुद्ध विभाव, वैचित्र स्थायिमात्रम्, इतरे व्यभिचारिण, अन्ये तत्सयोग, एके अनुसार्ये, केवन सकलमेव समुदाय रसमाहु ।'

#### नाट्य रस—

यह सब मत नाट्य रस के सम्बन्ध में है। नाट्यरस शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने किया है। ऊपर के 'व्यास्त्याताआ' ने नाट्यरस शब्द की व्युत्पत्ति भी अपने अपने सिद्धान्त के अनुसार अलग अलग ढंग से की है। लाल्लार के मत में अनुकायगत रस का उत्पत्ति होती है और 'नाट्य' प्रयुज्यमानत्वानाट्यरस' यह नाट्य रस का विग्रह होता है। शुकुक के मत में अनुकायाभिन्न नर्तक में अनुभीय मान रस का सामाजिक आस्तादन करता है। इसलिए उनके मत में 'नाट्य', नाट्याश्रये नटे रस नाट्यरस' यह विग्रह होता है। इसी प्रकार दूसरे मतों में 'नाट्याद्रस' अथवा 'नाट्यमेव रस नाट्यरस' यह विग्रह होते हैं।

नाट्य के भी दो रूप माने गए हैं—एक लोकधमा नाट्य और दूसरा नाट्य धमा नाट्य। लोकधमा नाट्य उसमें कहते हैं जिसमें स्वाभाविक अभिनय होता है अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का रूप धारण वरके अभिनय नहीं करता। 'स्वभावाभिनयोपेत न नास्त्रीपुरुषाश्रय नाट्य लोकधर्मि'। और जहा स्थर, अलझार और स्त्री पुरुषादि के बेप परिवर्तन आदि की आवश्यकता होती है वह नाट्यधर्मि नाट्य होता है। 'स्वरालङ्घारसयुक्तमस्वस्थपुरुषाश्रय नाट्य नाट्यधर्मि'।

#### काव्य रस—

काव्यरस की प्रक्रिया नाट्यरस की प्रक्रिया से तभिक भिन्न है। क्योंकि वहा नाट्य के समान आलम्बन और उद्दीपन विभाव हाँगोचर मही अन्ति काव्य शब्दों से बुद्धिरथ होते हैं। काव्य में, विभावादि उपरस्थापक लोकधर्मि नाट्य के स्थान पर सभारोक्ति और नाट्यधर्मि नाट्य के स्थान पर वक्रोक्ति को माना है। इनसे विभावादि की उपरिष्ठति हा जाने पर आगे रस की प्रक्रिया प्राय समान ही है।

## भाव—

रसों के बाद दूसरा स्थान भावों का है । देवादिविषयक श्रार्थात् देवता, गुरु, राजा आदि विषयक रति और प्रधान रूप से व्यक्तित्व व्यभिचारी भाव इन दोनों को भाव कहते हैं । “रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाङ्गितः भावः प्रोक्तः ।” देवादि विषयक रति रूप भाव के निम्न उदाहरण हो सकते हैं—

१—करण्ठकोणविनिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महामुत्तम् ।

अप्युपात्तमसूतं भवद्वपुर्मेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥

२—हरत्यं संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः ।

शरीरमाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्तिं कालत्रितयेऽपि योग्यताम् ॥

इनमें पहिले में शिवविषयक और दूसरे में नारदमुनिविषयक रति [प्रेम, श्रद्धा] प्रदर्शित की है । अतएव यह भाव है । इसके अतिरिक्त जहाँ व्यभिचारी भाव प्रवानतया व्यक्त होता है वहाँ भी भाव व्यवहार ही होता है ।

व्यभिचारी भाव की स्थिति में उदय, स्थिति और अपाय यह तीन दशा हो सकती हैं । इनमें से उदय वाली स्थिति को भावोदय नाम से और अपाय वाली दशा को भाव-प्रशम नाम से अलग कह दिया है । स्थिति वाली दशा के भी तीन प्रकार हो सकते हैं । अकेले एक भाव की स्थिति, अथवा दो भावों की स्थिति अथवा दो से अधिक भावों वी स्थिति को भावशबलता कहा जाता है । भावों की यह सभी अवस्थाएं आस्वाद योग्य होने से ‘रस्यते इति रसः’ इस व्यस्ति के अनुसार रस श्रेणी में आती हैं । इसलिए कारिका में ‘तत्प्रशमादि’ में आदि पद से भावोदय, भाव-सन्धि, भाव-शबलता का भी ग्रहण किया गया है । विस्तारभय से इन सब के उदाहरण यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं ।

## रसाभास और भावाभास—

कारिका का तदाभास शब्द रसाभास और भावाभास का वोधक है । ‘अनौचित्यप्रवर्तिः रसा रसाभासः ।’ और ‘अनौचित्यप्रवर्तिः भावा भावाभासः ।’ अनुचित रूप से वर्णित रस रसाभास और अनुचित रूप से वर्णित भाव भावाभास कहलाते हैं । जैसे पशु-कियों के शृङ्खार का वर्णन अथवा गुद आदि पूज्य शृङ्गों के सम्बन्ध में हास्य का प्रयोग रसाभास के अन्तर्गत होता है ॥३॥

[पिछली कारिका] में कहा था कि अन्तिमेन अर्थात् प्राधान्येन प्रतीत होने

इदानी रसवदलङ्कारादलद्यन्तमयोत्तनात्मनो ध्वनेर्भिंभक्ते विषय  
इति प्रदर्शयते ।

वाच्यवाचरुचारुत्वहेतूनां विविधात्मनाम् । ८

रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्भिंपयो मतः ॥ ४ ॥

रस-भाव-तदाभास-तत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यम  
शब्दार्थालङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यापेक्षया<sup>१</sup> विभिन्नरूपा व्यव-  
स्थितास्तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः ॥४॥

वाले रस आदि ध्वनि के आत्मा है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि रसादि की  
प्रतीति कहीं कहीं अङ्ग अर्थात् अप्रथान-रूप में भी होती है । जहा रस किसी अन्य  
के अङ्ग रूप में प्रतीत होते हैं वहा रसादि ध्वनि रूप न होकर रसवदलङ्कार बहलाते  
) है । रसवदलङ्कार चार प्रकार के होते हैं । एक रसमत्, दूसरा प्रेय, तीसरा ऊर्जवित्,  
श्रीर चौथा भेद समाहित नाम से कहा जाता है । 'रस्यते इति रस' इस युत्तरति  
से रस, दूसरे भाव, तीसरे तदाभास श्रीर चौथे भावशान्यादि यह चारों रस कहे  
ये । इन्हीं चारों की अङ्ग रूप में प्रतीति होने पर रसवदलङ्कार चार प्रकार के कहे  
लाते हैं । जहा रस किसी अन्य रसादि का अङ्ग हो जाय वहा रसवदलङ्कार होता  
है । इसी प्रकार यदि भाव अन्य का अङ्ग प्रतीत हो तो प्रेय अलङ्कार, रसाभास  
या भावाभास की अङ्गता में ऊर्जवित् श्रीर भावशान्यादि की अङ्गता होने पर  
समाहित नाम का अलङ्कार बहा जाता है । इन रसवदलङ्कार और रस ध्वनि के  
प्राधान्य और अप्राधान्य मूलक इसी भेद का अगली दो कारिकाओं में प्रति-  
पादन है ।

अब असंलेख्यवर्म व्यहार रूप ध्वनि का विषय रसवदलङ्कारों से पृथक्  
है यह वात दिव्यलाते हैं ।

जहा नाना प्रकार के शब्द [वाचक] और अर्थ [वाच्य] तथा उनके चारूच्य  
हेतु [शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार] रम आदि परक [रमादि के अङ्ग] होते हैं वह  
ध्वनि का विषय है ।

रस भाव तदाभास और तप्रशम स्वय मुराय अर्थ के अनुगामी शब्द अर्थ  
उनके अलङ्कार तथा गुण और परस्पर ध्वनि से भिन्न स्वरूप जहा [अनुगामी  
रूप में] स्थित होते हैं उसी काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं ।

<sup>१</sup> च अधिक है निं०, दी० ।

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसाद्यः ।

काढ्ये तस्मिन्नलङ्घारो रसादिरिति मे मतिः ॥ ५ ॥

यथपि रसवदलङ्घारस्यान्यैर्दर्शितो विषयस्तथापि यस्मिन् काव्ये प्रधाननयाऽन्योऽर्थो वाक्यार्थभूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसाद्यस्ते रसादेरलङ्घारस्य पिपया इति मामकीन पक्ष । तथाथा चाढुपु प्रेयोऽलङ्घारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते ।

यहाँ 'वाच्य च वाचक च तत्त्वारुत्यहेतवश्च [तयोरुचादत्यहेतवश्च] इस प्रकार दून्दू समाप्त करना चाहिये । इसी प्रकार वृत्ति में भी । पिछले उच्चोत में यह दिखाया था कि समासोक्ति आदि अलङ्घारों में वस्तु व्याप्ति का अन्तर्भौम नहीं हो सकता है । यहाँ यह दिखाया है कि रसवदलङ्घारों में रसव्याप्ति का अन्तर्भौम नहीं होगा ॥४॥

जहाँ अन्य [अर्थात् अङ्गभूत रसादि से भिन्न, रम या वस्तु अथवा अक्ष-कार] प्रधान वाक्यार्थ हो और उसमें रमादि [रस भाव, तदाभास, भावशास्त्रादि] अङ्ग हों उस काव्य में रसादि अलङ्घार [रसगत, प्रेय, ऊर्जस्ति, समाहित] होते हैं यह मेरी सम्मति है ।

यथपि रसवदलङ्घार का पिपय अन्यों ने प्रदर्शित किया है फिर भी जिस काव्य में प्रधानतया कोई अन्य अर्थ [रस, या वस्तु, या अलङ्घार] वाक्यार्थ हो उस [प्रधान वाक्यार्थ] के अङ्गभूत जो रसादि [हो] वह रसादि अलङ्घार के विषय होते हैं यह मेरा पक्ष है । जैसे चाढु [वाक्यों चापल्सो के वचनों] में प्रेयोऽलङ्घार [भामह ने गुह, देव, चृपति, पुत्रप्रियक प्रेम वर्णन को प्रेयोऽलङ्घार कहा है उस] के [मुरुद्य] वाक्यार्थ होने पर भी रसादि अङ्गस्प में दिखाई दते हैं । [वहा रसादि अलङ्घार होगा यह मेरा मत है] ।

इस ग्रन्थवृत्ति भाग की व्याख्या में लोचनवार ने बहुत खांचतान की है । यथपि मूल वृत्ति ग्रन्थ की रचना यहा कुछ अटपटी-सी है फिर भी लोचनवारकृत खांचतानी के रिना भी उसकी सङ्गति लग सकती है । उन्होंने 'तस्य चाङ्गभूतः' में 'तस्य' शब्द का अर्थ 'काव्यस्य समर्पितिनो ये रसादय' ऐसा किया है उसके बजाय 'तस्य वाक्यार्थभूतस्य अङ्गभूता ये रसादय' यह अर्थ अधिक सरल और सङ्गत होगा ।

'तस्य चाढुपु' इस अर्थ की व्याख्या में भी दो पक्ष दिखाए हैं । भामह के

स च रसादिरलङ्घार् शुद्धं सङ्कीर्णं वा । तत्राद्यो यथा—  
किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुन , प्राप्तश्चिरादर्शनम्,  
केयं निष्फरण । प्रवासरुचिता ? केनासि दूरीकृतः ।  
रसप्नान्तेष्ठिति ते वदन्, प्रियतमव्यासक्तकण्ठप्रहो,  
बुद्ध्या रोदिति रिष्टवाहुप्रलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥

अभिग्राय से इस सब को एक वाक्य माना है । और उद्घट के मतानुसार वाक्य-  
में भैरव मन भर व्याख्या की है ।

भायहाभिप्रापेण चादुपु प्रेयोऽलङ्घारस्य वाक्याथत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता  
दृश्यन्त इतीदमैक वाक्यम् । ..उद्घट मतानुसारिणस्तु भद्रकल्पा व्याकृते ।

‘किं हास्येन’ इत्यादि आगे उदाहरण रूप में उद्धत पन्थ में वर्णयमान नरपति  
प्रभाव ही वाक्यार्थ है न कि अलङ्घार ही वाक्यार्थ है । इसलिये मूल के ‘प्रेयोऽल  
ङ्घारस्य वाक्यार्थत्वे’ वा अर्थ बहुदीहि समाप्त मान कर ‘प्रेयानलङ्घारो यत्र स.  
प्रेयोऽलङ्घार’ अर्थात् प्रेयान् अलङ्घार जिसका है वह वर्णयमान नरपति प्रभाव रूप  
अलङ्घार नहीं, अपितु अलङ्घारसीय वाक्यार्थ है । अथवा ‘प्रेयोऽलङ्घारस्य वाक्या-  
र्थत्वे’ में ‘वाक्यार्थत्वे’ का अर्थ वाक्यार्थ न मान कर प्राधान्य किया जाय इस प्रकार  
की द्विविध व्याख्या भामह मत से बी है ।

और उद्घट मतानुसार इन दोनों को अलग वाक्य मान कर पूर्व वाक्य  
का अर्थ रसपदलङ्घार का प्रिष्य होता है, यह किया है । और इस उत्तर वाक्य  
का अर्थ वाक्यों चादु के वाक्यार्थ होने पर प्रेयोऽलङ्घार का भी प्रिष्य होता है ।  
न वेष्टल रसपदलङ्घार का अपितु प्रेयोऽलङ्घार का भी प्रिष्य होता है इस प्रकार  
किया है । रसपन् और प्रेय शब्द से ऊर्जास्ति, समाहित, भावोदय, भारसन्धि,  
भाव-शपलता सहित सातों रसपदलङ्घारों का ग्रहण है ।

वह रसादि अलङ्घार शुद्ध और सङ्कीर्ण [यो प्रकार का होता है । जो  
अहभूत अन्य रस या अलङ्घार में मिथित नहीं है अर्थात् जहा एक ही रस आदि  
प्रेयोऽलङ्घार अधान् शुद्धेत्र, नृपति, तुत्र विषयक प्रीति का अह है वहा शुद्ध  
रसपदलङ्घार] होता है । उनमें से प्रथम [अर्थात् शुद्ध रसपदलङ्घार का  
उदाहरण] जैसे—

[इस श्लोक में किसी राजा को स्तुति की गई है उसका भाव यह है कि  
तुमने अपने शत्रुओं का नाश कर डाला । उनकी हित्रिया रात को स्वप्न में अपने  
पति को देखती है और उनके शत्रु में हाथ डाल कर कहती है] इस हंसी करने से

इस्यत्र करुणस्य शुद्धस्याङ्गभावात् स्पष्टमेव रसवदलङ्घारत्यम् ।  
एवमेवंविधे विषये रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गभावः ।

सङ्कीर्णे रसादिरङ्गभूतो यथा—

निष्ठो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्तं,  
गृह्णन् केशेष्वपास्तरचरणनिपतितो नेत्रितः संभ्रमेण ।  
आलिङ्गन्योऽवधृतास्त्रपुरयुवतिभिः माशुनेत्रोत्पलाभिः  
कामीवाद्र्दर्पराधः स दद्वतु दुरितं शास्त्रबो वःशराग्निः ॥

क्या लाभ है । बडे डिन बाद दर्शन हुए हैं । अब मैं जाने नहीं दूँगी, हे निष्ठुर ! बताओ तुम्हारी प्रवास में [धाहर रहने की] हचि क्यों हो गई है । तुमको किसने मुझसे अलग कर दिया है । स्वप्न में, पति के करण का आलिङ्गन कर इस प्रकार कहने वाली तुम्हारी रिपु-स्त्रियां उठ कर [देखती हैं कि प्रियतम के करणप्रहण के लिये जो अपने बाहुओं का बलय उन्होंने बना रखा था वह तो रिक्त है] अपने रिक्त बाहु बलय को देख कर तारस्वर से रोती है ।

इस उदाहरण में शुद्ध [रसान्तर अथवा अलङ्घाराम्तर से असङ्कीर्ण] करुण रस [राजचियक भीति का] अङ्ग है इसलिये स्पष्ट ही रसवदलङ्घार है । इसी प्रकार इस तरह के उदाहरणों में अन्य रसों का भी अङ्गभाव स्पष्ट है ।

सङ्कीर्ण रसादि [ भी ] अङ्गरूप [ होता है ] जैसे :—

ग्रिपुर दाह के समय शास्त्रु के बाय [ मे ] समुद्भूत, ग्रिपुर की युवतियों द्वारा आदर्शपराध [ वर्काल छृत पराङ्गनोपभोगादि अपराध दुःख ] कामी के समान, हाथ दूने पर मटक दिया गया, ज्ञोर से ताङ्गित करने पर भी चस्त्र के ढोर को पकड़ता हुआ, केशों को पकड़ते समय हडाया गया, पैरों में पढ़ा हुआ भी सम्ब्रम [ क्रीध अथवा घबराहट ] के कारण न देखा गया, और आलिङ्गन [ करने के प्रयत्न ] करने पर आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रकम्पल याली [ कामीपद में ईर्पर्ण के कारण और और अग्नि पह में यज्ञाव की आशा से रहित होने के कारण रोती हुई ] ग्रिपुर-सुन्दरियों द्वारा तिरस्तृत [ कामीपद में प्रत्यालिङ्गन द्वारा स्वीकृत न करके और अग्नि-पह में सारे शरीर को मटकाकर फेंका गया ] शास्त्रु का शराग्नि तुम्हारे दुःखों को दूर करे ।

इत्यत्र त्रिपुरिपुरभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य  
श्लेषपद्धितस्याङ्गभाव इति ।

एवंविध एय रमवदाद्यलङ्घारस्य<sup>१</sup> न्यायो विषयः । अतएव  
चेष्याविप्रलम्भकरणयोरङ्गत्वेन व्यपस्थानात्समावेशो न दोषः ।

यत्र हि रसस्य वास्यार्थभावस्तत्र कथमलङ्घारत्वम् । अलङ्घारो  
हि चारत्वहेतुः प्रसिद्धः । न त्यसावात्मैवात्मनश्चारत्वहेतुः । तथा  
चायमन्त्र संक्षेपः—

‘रमभावादितात्मर्यमाग्रित्य विनिवेशनम् ।

अलङ्घतीना सर्वासामलङ्घारत्वसाधनम् ॥

इस [श्लोक] में त्रिपुरारि [शिव] के प्रभावातिशय के [मुर्त्य] वाक्यार्थं  
होने पर श्लेषपद्धित ईर्ष्याविप्रलम्भ उसका अङ्ग है । [इसलिए यहां सङ्कीर्ण  
रसादि अङ्ग है ।]

इसी प्रसार के उडाहरण रमवदलङ्घार के उचित विषय होते हैं ।  
इसीलिए [यहां] ईर्ष्याविप्रलम्भ और वरण दोनों [विरोधी रसों] के अङ्ग  
रूप में स्थित होने से दोष नहीं है ।

जहां रस का वाक्यार्थत्व है [अर्थात् जहां रम ही प्रधान है वहां तो]  
यह अलङ्घार्य है अलङ्घार नहीं अतपूर वहा अनि होता है रमवदलङ्घार नहीं]  
यहां उसको [रमवद्] अलङ्घार के माने । [अर्थात् नहीं मान सर्वते हैं]  
चारत्वहेतु को ही अलङ्घार कहते हैं । यह स्वयं ही अपना चारत्वहेतु [अर्थात्  
प्रधान होने से स्वयं ही अलङ्घार्य है और रमवदलङ्घार होने से चारत्वहेतु भी]  
हो यह तो नहीं हो सकता । इसलिए इसका सारांश यह हुआ कि :—

रस, भाव आदि [को प्रधान मान कर तत्परतया उनके अङ्ग रूप]  
सार्थक से अलङ्घारों की स्थिति हाँ यथा अलङ्घारों के अलङ्घार्य [चारत्व-  
हेतुत्व] का साधक है ।

१. रमवदलङ्घारस्य दो० । २. नि० तथा दो० ने इस पर बारिशा की  
सहमा दो० है । बालप्रिया वाले सहमरण ने नहीं ।

तस्मादात्र रसादयो वाक्यार्थीभूताः । स सर्वं न रसादेरलङ्घारस्य<sup>३</sup>  
विषयः, स ध्वनेः प्रभेद् । तस्योपमादयोऽलङ्घाराः । यत्र तु प्राधा-  
न्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थीभावे रसादिभिश्चास्त्रनिष्पत्तिः क्रियते स  
रसादेरलङ्घारताया विषयः ।

इसलिए जहाँ रसादि वाक्यार्थीभूत [अर्थात् प्रधानतया वोधित] होते हैं,  
वह सय [स्थल] रसादि अलङ्घार के विषय नहीं [अपितु] वह ध्वनि [रसादि  
ध्वनि] के भेद हैं । उस के [रसादि ध्वनि के चार बहेतु] उपमादि अलङ्घार होते  
हैं । और जहाँ प्राधान्येन कोई दूसरा अर्थ वाक्यार्थीभूत हो और रसादि उसके  
चाहत्व का संपादन करते हैं वह रसादि अलङ्घार का विषय है ।

‘क्षिप्तो इस्तावलग्नः’ इस्तादि पत्र में कविनिष्ठ शिवप्रियक नवित  
प्रधानतया व्यज्यमान है तथा शिव का विपुरदाह के प्रति उत्साह उसका पोषक  
है । परन्तु वह उत्साह अनुभाव-विभाव आदि से परिपुण न होने के कारण परिपक्व  
रस न होकर भाव भाव रह गया है । वितयों के मर जाने पर अग्नि वी इस आपत्ति  
में पहीं हुई विपुर मुन्दरियों के वर्णन से प्रस्तु होने वाला कवण रस उस उत्साह  
का अङ्ग है । और ‘कामीगार्दीपराधः’ में प्रदर्शित कामी ए साम्य से उपमा द्वारा  
प्रतीति होने वाला शृङ्खर रस उस कवण रस का अङ्ग है । परन्तु वह कवण भी  
अन्तिम विश्वान्तिधाम नहीं है वहिक उत्साह का अङ्ग है । इस प्रकार कवण और  
शृङ्खर दोनों ही उत्साहोपेति शिवप्रियक रति-प्रति- रूप भव के उपकारक  
अङ्ग हैं । परन्तु प्रथमार ने ऐपल ‘शेष उद्दितस्य ईर्ष्यां विपलभस्य अङ्गमावः’  
कहा है । उस अङ्गभाव में कवण को नहा दियाया । उनसा अभिग्राय यह है कि  
यत्रि यश कवण रस है तो, परन्तु चारुत्वनिष्पादन में उसका अधिक योग नहीं  
है इसलिए ‘शेष उद्दितस्य ईर्ष्यां विपलभस्य लिखा है ।

### रसों का परस्पर विरोधाभिरोध—

रसों में परस्पर शान्त मिश्र भाव भी माना गया है । कुछ रस ऐसे होने हैं  
जिनका साध-साध वर्णन हो सकता है । कुछ ऐसे हैं जिनका साध साध । वर्णन  
नहा किया जा सकता । इस प्रकार के विरोधी रसों में शृङ्खर रस का कवण,  
वीभस, रीढ़, वीरभयानक के साध विरोध माना गया है । आशः ‘उम्म-  
यीभसुरोदीरभयानके’ । इस नीति के अनुसार कवण और शृङ्खर का एकत्र

वर्णन नहीं किया जा सकता है। परन्तु इस 'क्षिप्तो०' इत्यादि श्लोक में कहण और शृङ्खार दोनों का वर्णन आया है। इसी के समाधान करने के लिए ग्रन्थकार ने "अतएव चर्याविप्रलभकरण्योरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोष।" यह पक्ष लिखी है।

(3) रसों के इस विरोध के तीन प्रकार हैं। किन्हीं का विरोध आलम्बन (1)  
ऐक्यमें होता है। किन्हीं का आश्रय ऐक्य में विरोध है और किन्हीं का 2  
नैरन्तर्य विरोधजनक है। जैसे शृङ्खार और वीर रस का आलम्बनैक्य से विरोध है। उस एर ही आलम्बन विभाव से शृङ्खार और वीर दोनों का परिपोष नहीं हो सकता। इसी प्रकार हास्य, रौद्र और बीमत्स के साथ सम्मोग शृङ्खार का तथा वीर, करुण, रौद्रादि के साथ विप्रलभम् शृङ्खार का आलम्बनैक्येन विरोध है।

वीर और भयानक रस का आश्रय ऐक्य से विरोध है। एक ही आश्रय व्यक्ति में एक साथ वीर और भयानक के स्थायीभाव भय और उत्साह उद्भूत नहीं हो सकते। इसी प्रकार शान्त और शृङ्खार रस का नैरन्तर्य विरोधजनक है। अर्थात् शृङ्खार से अव्यवहित शान्त रस का वर्णन दोषजनक है। यह रसों के विरोध की व्यपरथा हुई। इस रूप में यह रस एक दूसरे के विरोधी या शत्रु है। परन्तु शृङ्खार का अद्भुत रूप से साथ, भयानक का वीमत्स के साथ, वीर रस का अद्भुत और रौद्र रस के साथ किसी प्रकार विरोध नहीं है। न आलम्बनैक्येन, न आश्रयैक्येन, और न नैरन्तर्येण, इसलिए इनको मित्र रस कहा जा सकता है।

प्रकृत 'क्षिप्त' इत्यादि श्लोक में पतियों के मरने से आग वी विपत्ति में पहीं विपुर सुन्दरिया कहण रस का आलम्बन विभाव है और 'कामीग्रांपराचः' इस 'कामीव' उपमा का सम्बन्ध भी उनके साथ ही होने से शृङ्खार का आलम्बन विभाव भी वही है। इस प्रकार यहा वृश्ण और विप्रलभम् शृङ्खार दोनों का आलम्बन ऐक्य में वर्णन किया है। परन्तु आलम्बनैक्य से ही इन दोनों रसों का विरोध है इसलिए यहा अनुचित रस वर्णन किया गया है। यह शद्गा है जिसका समाधान मूल में "ईर्याविप्रलभकरण्योरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोष।" लिख कर किया है।

विरोधी रसों के अविरोध सम्पादन का उपाय—

विरोधिनोऽपि स्मरणे, साम्येन वचनेऽपि वा।

भवद् विरोधो नायोन्यमहिन्यङ्गत्वम् सयोः ॥ सा० द० ७,३० ।

अर्थात् दो विरोधी रसों का स्मरणात्मक वर्णनमात्र हो, अथवा दोनों का सम्भाव से अर्थात् गुणप्रधानभाव रहित वर्णन हो अथवा दोनों यदि किसी तीसरे के अङ्ग रूप में वर्णित हों तो इन तीन अवस्थाओं में उक विरोधी रसों का एक साथ वर्णन भी दोषजनक नहीं होता। यह सिद्धान्त माना गया है। यह करण और विप्रलभ्म शृङ्खाला दोनों उत्साह परिपोषित भगवद्विषयक रति-भर्ति-के अङ्ग हैं। इसलिए उनका साथ वर्णन दोषजनक नहीं है। यही भाव “विप्रलभ्मकरणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः” इस समाधान का है।

श्लोक में जिस त्रिपुर दाह के अग्निकाशड का वर्णन है वह पौराणिक कथा के आधार पर है। तारमासुर नाम का एक प्रसिद्ध असुर था। उसके तीन पुत्र हुए, तारकाच्छ, विन्युन्माली और कमललोचन। इन तीनों ने महा धोर तप करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे अन्तरिक्ष के तीनों पुरों का अधिकार प्राप्त किया। परन्तु वीछे अधिकार मद से मत्त हो वे नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे। तप सब देवताओं ने विष्णु के नेतृत्व में शिव जी से मिल कर उनके नाश करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना मान कर शिव जी ने एक ही वाण लौटा जिससे वह तीनों पुर अग्नि से प्रवृत्तित हो उठे और भस्म हो कर नष्ट हो गए। तप से शिव का एक नाम त्रिपुरारि भी हो गया है। प्रकृत श्लोक में उसी समय के इस अग्नि काशड का वर्णन किया गया है।

### खण्ड रस का सञ्चारी रस —

अभी रसों के अङ्गाङ्गिभाव तथा विरोध की जो चर्चा की गई है उसके सम्बन्धमें एक शङ्खा यह रह जाती है कि रस को अत्तरेड समूहालम्बनात्मक, नद्वास्ताद सहोदर माना गया है। ऐसे दो रसों का युगपत् एक न समावेश या प्रादुर्भाव ही सम्भव नहा है इसलिए उनके विरोध अथग अङ्गाङ्गिभाव का उपशादन कैसे होगा। इसका उत्तर यह है कि आपका कहना ठीक है। इसलिए ऐसे अपूर्ण रसों को रस न कह कर प्राचीन लोग ‘सञ्चारी’ रस नाम से व्यवहृत करते हैं और चरहीदास ने उनको ‘रसरस’ नाम से कहा है।

अङ्ग चाप्योऽप्य ससर्वा यद्यङ्गी स्पादकान्तरः ।

नास्वाद्यते समग्र तत्ततः रसरसः स्मृतः । सा० द० ७ ।

### रसगद्वलङ्कार विषयक मतभेद —

अभी चौथी कारिका में रसगद्वलङ्कारों का वर्णन करते हुए कारिकाकार ने लिखा है कि “काव्ये तस्मिन्लङ्कारो रसादिर्घिति मे भविः ।” अर्थात् जहा अन्य

कोई मुख्य वाच्यार्थ हो और रसादि अङ्ग रूप में वर्णित हों यहा रसादि अलङ्कार होता है यह मेरी सम्मति है। यह “मेरी सम्मति:” शब्द इस विषय में मतभेद को सूचित करते हैं। इसी की वृत्ति में वृत्तिसार ने भी यत्रपि ‘रसवदलङ्कारस्यान्वै-दर्शितो विषय.’ लिख कर उस मतभेद की सूचना दी है। इस मतभेद के दो रूप हैं। मुछ लोगों का कहना है कि अलङ्कार तो कठक-कुण्डल के समान हैं वह साक्षात् वाच्य वाचक के उपकारक और परभरया रस के उपकारक होते हैं। जैसे कठक कुण्डल साक्षात् शरीर के उपकारक और शरीर द्वारा आत्मा के उपकारक होने से अलङ्कार कहलाते हैं। इसलिए—

उपकुर्वन्ति त मन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदनङ्कारसोऽनुप्रासोपमादय ॥ का० प्र० १०, १ ।

इत्यादि अलङ्कार के लक्षणों में अनुप्रास उपमादि को अङ्ग अर्थात् शब्द और अर्थ द्वारा ही रसोपकारक माना है। परन्तु रसवदलङ्कार वाच्य और वाचक अर्थ या शब्द के उपकारक न होकर साक्षात् रसादि के उपकारक होते हैं इसलिए उनमें

✓ अलङ्कार का लक्षण ही नहीं घटता है इसलिए रसवदलङ्कार नहीं होते। ऐसी दशा में जहा रसादि अन्य के अङ्ग हैं यहा यह लोग रसवदलङ्कार न मान कर उसको गुणीभूत व्यञ्जय ही कहते हैं।

रसवदलङ्कारों के विषय में उठाई गई इम आपत्ति को दूर करने के लिए मुछ लोग चिरन्तन व्यवहारानुरोध से रसोपकारकत्वमात्र स गुणीभूतरसों में भाज अलङ्कार व्यवहार मान कर क्यञ्चित् उनके रसवदलङ्कारत्व का उपयादन करते हैं।

दूसरे लोग इस समस्या को हल करने के लिए अलङ्कार के लक्षण में शब्दार्थ का समावेश वर्थ बता कर रसोपकारकत्वमात्र को अलङ्कार का मुख्य लक्षण मानकर गुणीभूत रसा में साक्षात् रसोपकारकत्व होने से उनमें रसवदलङ्कारत्व का उपयादन करते हैं। इनके मत में यह अलङ्कार-व्यवहार भाज नहीं अपितु मुख्य ही है।

इस दूसरे मत के लोग “उपकुर्वन्ति त मन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित्” इत्यादि अलङ्कार के लक्षण में अलङ्कारिणिश्चन्द्रार्थज्ञानवेन और चमत्कारवेन कार्यकारण माव मान कर उस अलङ्कार लक्षण का इस प्रकार परिचार करते हैं :—

समवायमध्यन्धावच्छिन्ननवमत्कृतित्वार्च्छिन्नजन्यतानिरूपित, समवाय-  
समवन्धावच्छिन्न ज्ञानत्वार्थच्छिन्न जनकतानिरूपित, प्रिपयत्समधावच्छिन्न शब्द-  
र्थान्यतरनिष्ठावच्छिन्नकतानिरूपितपच्छेदकतावत्यमलङ्कारत्वम् ।

### रसवदलङ्कार तथा मुण्णीभूत व्यङ्ग्य की व्यवस्था—

रसवदलङ्कारों के साथ ही गुणीभूत व्यङ्ग्य का प्रश्न भी सामने आ जाता है। अलङ्कार साक्षात् शब्दार्थ के ही उपरारक होते हैं और गुणीभूत रस शब्दार्थ के उपरारक न होकर साक्षात् रसान्तर के उपरारक होते हैं इसलिए उनमें अलङ्कार का सामान्य लक्षण न घटने से जो लोग उनको रसवदलङ्कार न कह कर गुणीभूत व्यङ्ग्य कहते हैं उनका मत तो स्पष्ट हो गया। उनके मत में व्यनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दो ही वस्तु हैं इनसे भिन्न रसवदलङ्कार नाम की तीसरी वस्तु नहीं है परन्तु ध्वनिकार ने रसवदलङ्कार भी माने हैं और गुणीभूत व्यङ्ग्य भी। इनके मत में रसादि ध्वनि के अपराङ्ग होने में रसवत् तथा प्रेयालङ्कार और वस्तु या अलङ्कार ध्वनि के अपराङ्ग दि होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य मानने स ही दोनों का सम्बन्ध हो सकेगा।

### ध्वनि, उपमादि तथा रसवदलङ्कार—

रसवदलङ्कारों के विषय में दूसरा मतभेद जिसका आर कारिका और वृत्ति में संरेत किया गया है उसका स्वरूप यह है कि कुछ लोग १-चेतन के वाक्या थाभूत होने पर रसवदलङ्कार और २-अचेतन के वाक्याथाभूत होने पर उपमादि अलङ्कार मानते हैं। उनमा आशय यह है कि अचेतन के वाक्याथाभूत होने पर उसमें चित्तवृत्तरूप रसादि सम्भव न होने से उनमें वरण में रसवदलङ्कार की सम्भावना नहा है। अतएव उनको उपमादि अलङ्कार विषय चेतन के वाक्याथाभाव में रसवदलङ्कार का विषय मानना चाहिए। आलोककार ने 'इति मे मति' लिख कर इसी मत के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रदर्शित की है। उनका आशय यह है कि—

१—जहा रसादि की प्रतीति प्रधान रूप से होती है वहा रसध्वनि का विषय समझना चाहिए।

२—जहाँ मुरय रस अलङ्काय है और कोई दूसरा रस भी अङ्गभूत नहीं है वहाँ उपमादि अलङ्कार का ज्ञेय है।

३—जहा रसादि अङ्ग रूप में हैं वहा रसवदलङ्कार का विषय है।

इस प्रकार १-ध्वनि, २-उपमादि अलङ्कार और ३-रसवदलङ्कारों का विषय भेद हो जाता है। इसके विपरीत उक्त चेतन और अचेतन के वर्णन भेद से भेद मानने वाले मत में यह विभाग नहीं बन सकता है। इसी विषय को ग्राघकार आगे उपस्थित करते हैं।

एवं धनेः, उपमादीनां, रसवदलङ्घारस्य च विभक्तिविपयता भवति । यदि तु चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसाद्यलङ्घारस्य विपय इत्युच्यते तर्हि, उपमादीनां प्रविरलविपयता निर्विपयता वाभिद्विता स्यात् । यस्माद्चेतनवस्तुवृत्ते वाक्यार्थीभूते पुनर्चेतनवस्तुवृत्तान्तःयोजनया कथञ्चिद्वितव्यम् । अथ सन्यामपि तस्यां यत्राचेतनानां वाक्यार्थीभावो नासौ रसवदलङ्घारस्य विपय इत्युच्यते, तन्महतः<sup>१</sup> काव्यप्रबन्धस्य रसनिधानभूतस्य नीरसत्यमभिर्दितं स्यात् ।

यथा—

तरङ्ग-भ्रूभङ्गाकुभितविहगश्चेणिशाना,  
विकर्पन्तीं फेनं, वसनमिव संरम्भशिरिलम् ।  
यथाविद्वं याति स्मलितमभिसन्धाय वहुशो,  
नदीरूपेणोर्यं ध्रुवमसदना सा परिणता ॥

इस प्रकार [ ऊपर बणित पद्धति से ] ध्वनि, उपमादि अलङ्घार और रसवदलङ्घारों का चेत्र अलग-अलग हो जाता है । [ इसके गिरीत अन्यों के मत से ] यदि चेतन के वाक्यार्थीभाव [ चेतन को मुख्य वाक्यार्थ मानने ] में रसवदलङ्घार का विपय होता है यह मानें तो उपमादि अलङ्घारों का विपय बहुत विरल रह जायगा अथवा सर्वथा ही नहीं रहेगा । क्योंकि जहाँ अचेतन वस्तुवृत्त मुख्य वाक्यार्थ है वहाँ इसी न इसी प्रकार [विभावादि द्वारा] चेतनवस्तु के वृत्तान्त योजना होगी ही । [ इस प्रभार उन सब स्थलों में चेतन वस्तु के वाक्यार्थ बन जाने पर वह सब ही रसवदलङ्घार के विपय हो जावेंगे । ] उपमादि के नहीं इसलिए उपमादि प्रविरल विपय अथवा निर्विपय हो जावेंगे । ] और यदि चेतनवृत्तान्त योजना होने पर भी जहाँ अचेतन का वाक्यार्थीभाव [ प्राथान्य ] है वहाँ रसवदलङ्घार नहीं हो सकता यह कहा जाय तो धनुत वर्षे रसमय काव्य भाग का नीरसत्य कथित हो जायगा ।

जैसे—

देढ़ी भाँहों के समान तरङ्गों को और रशना के समान चुच्छ विहग रंकि को धारण इए हुए क्रोधापेश में यिसके हुए वस्य के समान फेनों को खीचती हुई [ यह नदी ] बार-बार टोमर खाकर जो देढ़ी चाल से जा रही है सो जान

यथा वा—

तन्वी मेघजलाद्र्पल्लवतया धौताधरेवाश्रुभिः,  
शून्येवाभरणैः स्वकालविरहाद्विश्रान्तपुष्पोदगमा ।  
चिन्तामौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्दैर्विना लक्ष्यते,  
चरणी मामवधूय पादपर्तिं जातानुतापेव सा ॥

यथा वा—

तेपां गोपवधूविलाससुहृदां राधारहस्याक्षिणां,  
क्षेमं भद्रं कलिन्दशैलतनयातीरे लतावेशमनाम् ।  
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना,  
ते जाने जरठी भवन्ति विगलन्नीलत्विपः पल्लवाः ॥

इत्येवमादौ विपयेऽन्येतनानां वाक्यार्थीभावेऽपि चेतनवस्तुवृत्तान्त  
योजनाऽस्त्वयेव । अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्ति तत्र रसादि  
रलङ्कारः । तदेवं सत्युपमादयो निर्विपयाः प्रविरलविपयाः वा स्युः ।

पहला है कि मेरे अनेक अपराधों को देख कर रुठी हुई वह [ उर्वशी ही ] नदी  
रूप में परिणत हो [ बदल ] गई है ।

अथवा जैसे—

तन्वी [उर्वशी] पैरों पर पड़े हुए मुझे तिरस्कृत करके पश्चात्तापयुक्त  
होकर आँसुओं से गीले अधर के समान वर्षा के जल से आर्द्ध पहचान को धारण  
किए, परतुकाल न होने से पुष्पोदगमरहित आभरण शून्य सी, भौंरों के शब्द  
के अभाव में चिन्ता मौन सी [ लता रूप में ] दिखाई देती है ।

अथवा जैसे—

है भद्र ! गोपवधुओं के रिलास सदा, राधा की एकान्त क्रीडाओं के  
साची यमुना टट के लता कुञ्ज तो कुशल से है । अथवा [ अथ तो ] मदनशश्या  
के निर्माण के लिए मृदु किसलयों के तोड़ने का प्रयोजन न रहने पर नील-  
कान्ति को द्विकाते हुए वे पल्लव [ पुराने ] रुढ़े हो जाते होंगे ।

इत्यादि उदाहरणों में अथेतन [ अभशः पहिले श्लोक में नदी, दूसरे में  
सता और तीसरे में लताफूल ] वस्तुओं के वाक्यार्थीभाव [ प्रधानता ] होने पर  
भी [ गिभावादि द्वारा कथित ] चेतन वस्तु के व्यपहार की योजना है ही ।  
और जहां चेतनवस्तु वृत्तान्त योजना है वहा रसादि अलङ्कार है । ऐसा होने पर

यस्मान्नास्त्वेवासावचेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना  
नास्त्वयन्ततो विभावत्वेन । तस्मादद्वात्वेन च रसादीनामलङ्घारता । यं  
पुनरङ्गी रसो भावो वा सर्वाकारमलङ्घार्यः स ध्वनेरात्मेति ॥५॥

किञ्च—

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

✓ अङ्गाश्रितास्त्वलङ्घारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥६॥

ये तमर्थ रसादिलङ्घणमङ्गिन सन्तमवलम्बन्ते ते गुणा. शौर्यादिवत्।  
वाच्यवाचकलङ्घणान्यङ्गानि ये 'पुनरतदाश्रितास्त्वेऽलङ्घारा मन्तव्याः  
कटकादिवत् ॥६॥

उपमादि अलङ्घार सर्वथा निर्विपय हो जावेंगे अथवा उनके उदाहरण बहुत ही  
कम मिल सकेंगे । क्योंकि ऐसा कोई अचेतन वृत्तान्त नहीं मिलेगा जहाँ चेतन  
वस्तु वृत्तान्त का संबन्ध अन्ततः विभाव रूप से [ ही सही ] न हो । इसलिए  
रसादि के अद्व होने पर रसवदलङ्घार होते हैं और जो अहीं रस या भाव सब  
प्रकार में अलङ्घार्य है वह ध्वनि का [ आत्मा ] स्वरूप है ।

इस प्रकार आलोककार ने रसवदलङ्घार के विषय में परमत का  
निराकरण करते हुए अपने मत वा उपस्थित किया । इनका भाव यह  
हुआ कि चेतनपस्तु के वास्तवार्थभाव के आधार पर रसवदलङ्घार और  
अचेतन वस्तु के वास्तवार्थभाव में उपमादि अलङ्घार होते हैं यह जो दूसरों का मत  
है वह इसलिए टीका नहीं है क्योंकि अचेतन वस्तु के साथ चेतन वृत्तान्त का  
सम्बन्ध हो ही जाता है अतः सर्वेत्र रसवदलङ्घार ही होगा । उपमादि का विषय  
बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलेगा । या फिर अन्ततः परक वाय्य को नीरस  
ठहराना पड़ेगा ॥५॥

गुण और अलङ्घार का भेद [मिदान्त पष्ठ]—

और—

जो उस प्रधानमूल [ रस ] अहीं के आधित रहने वाले [ मातुर्यादि ]  
हैं उनको गुण कहते हैं और जो [ उसके ] अद्व [ शब्द सभा अर्थ ] में आधित  
रहने वाले हैं उनको कटकादि के समान अलङ्घार कहते हैं ।

जो उस रसादि रूप अहींमूल का अवलम्बन करते हैं [ तदाधित रहते

है] वे शौर्य आदि के समान गुण कहते हैं। और वाच्य तथा वाचक रूप [अर्थ तथा शब्द उस काच्य के] अह है, जो उन [अङ्गों] के आश्रित है वे कटक आदि के समान अलङ्कार समझने चाहिए।

पाचवा कारिका की व्याख्या में रस-ध्वनि, रसवदलङ्कार तथा उपमादि अलङ्कार का विषय विभाग किया था। छठी कारिका में गुण तथा अलङ्कारों का विषय विभाग किया है। जो साक्षात् रस के आश्रित रहने वाले माधुर्य आदि हैं उनको साक्षात् आत्मा में रहने वाले शौर्य आदि के समान गुण कहते हैं और जो उसके अङ्गभूत शब्द तथा अर्थ में रहने वाले धर्म हैं उनको कटकादि के समान अलङ्कार कहते हैं। यह गुण और अलङ्कार का भेद हुआ।

वामन मत—

भामह के काव्यलङ्कार की वृत्ति में भट्टोद्धट का, तथा वामन का मत इस विषय में इससे भिन्न है। वामन ने तो “काव्यशोभाया, कर्तारो धर्मा गुणा, तदतिशयहेतप्रत्यलङ्कारा,” लिया है। अर्थात् काव्य के शोभाजनक धर्मों को गुण और उस शोभा के वृद्धिकारक हेतुओं को अलङ्कार कहा है। काव्यप्रकाश ने इस का खण्डन करते हुए लिया है कि जो लोग यह लक्षण करते हैं उनके मत में “किं समर्तै गुणै काव्यव्यवहार उत्त कतिपयै”। क्या समस्त गुण मिल कर काव्यव्यवहार के प्रयोजक होते हैं अथवा कुछ ही पर्याप्त होते हैं। यदि सर गुणों वी समष्टि को ही काव्यव्यवहार का प्रयोजक मानें तो गोद्वी पाञ्चाल। आदि रीति जिनमें समरत गुण नहीं रहते उनको वैसे काव्य की आत्मा मानोगे। इस आक्षेप का भाव यह है कि वामन तो रीतिसम्प्रदाय के प्रयतक है। “रीतिरात्मा काव्यस्य” यह उनका सिद्धान्त है। गोद्वी, पाञ्चाली आदि रीतियों में समस्त गुणों का समान्य तो होता नहा फिर उनको काव्य का आत्मा कस मानोगे। और यदि एक-एक गुण की उपरिथित को ही काव्यव्यवहार के लिए पर्याप्त मानों तो “अद्रावन प्रत्यलत्यग्निहन्त्यै, प्राच्य प्रोग्ननुलसयेप धूमः” इत्यादि में ओज आदि गुण होने के कारण उनमें भी काव्य व्यवहार क्यों नहा होगा। मम्मट ने वामन के सरदन में यहाँ जो युक्ति प्रवाह उपरिथित निया है वह कुछ शिर्घिल् सा जान पड़ता है।

भामह मत—

भामह के विवरण में भट्टोद्धट ने तो गुण और अलङ्कार के भेद को ही नहीं माना है। उनका कहना है कि लौकिक गुण [शौर्यादि] और अलङ्कार [कटक युग्मदलादि] में तो भेद स्पष्ट है। शौर्यादि गुण आत्मा में समवाय

तथा च—

**शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः ।**

**तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतिष्ठिति ॥७॥**

शृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्लादहेतुत्वात् । 'तत्रकाशनपर-  
शब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यलक्षणे गुणः । शब्दत्वं पुनरोजसोऽपि  
साधारणमिति ॥७॥

सम्बन्ध से रहते हैं और कटक-नुएडलादि अलङ्कार शरीर में सयोग सम्बन्ध से  
आश्रित होते हैं । इचलिए लौकिक गुण और अलङ्कारों में वृत्तिनियामक सम्बन्ध  
सयोग तथा समवाय के भेद से भेद हो सकता है । परन्तु ओज प्रभृति गुण और  
अनुप्रासादि अलङ्कार दोनों ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं इचलिए [समवायवृत्त्या  
शौर्यादय., सयोगवृत्त्या तु हायदयः इत्यस्तु गुणालङ्काराणा भेद. ओज. प्रभृतीना  
अनुप्रासोपमादीना चोभयेणामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गड्डलिङ्गप्रवाहेणैवैषा  
भेदः] इन दोनों का भेद मानना गड्डलिङ्गप्रवाह [भेदचाल] के समान ही है ।  
परन्तु आलोक और काव्यप्रकाशादिनार ने रसनिष्ठ धर्मों को गुण और शब्दार्थ  
निष्ठ धर्मों को अलङ्कार मान कर दोनों का भेद किया है । अर्थात् वृत्तिनियामपि  
सम्बन्ध के भेद से नहा, अपितु श्राव्य भेद से गुण और अलङ्कार का भेद है ।

नव्य मत—

नव्य लोगों का यह मत है कि गुणों को रसमात्र धर्म मानने में कोई  
दृढ़तर प्रमाण भी नहीं है और वेदान्त में प्रतिपादित निर्गुण आत्मतत्त्व स्थानीय  
रस को भी निर्गुण ही मानना चाहिए । अतएव गुणों को रसधर्म मानना उपहासा-  
स्पद ही होगा । [‘अपि चात्मनो निर्गुणत्वस्य सर्वप्रमाणमौलिभूतवेदान्तै प्रति  
पादिततया आत्मभूतरणगुणत्व माधुर्यादीना कथमिव नोपहासास्यदम् ।’] ॥८॥

इसी से,

शहार ही सबसे अधिक आनन्ददायक भुर [माधुर्य युक्त] रस है ।  
उस शहारमय काव्य के आधित ही माधुर्य गुण रहता है ।

शहार ही अन्य रसों वी अपेक्षा अधिक प्रह्लादजनक होने से भुर है ।

१. निं० तथा दी० मे प्रह्लादहेतुत्वात्प्रकाशनपर । शब्दार्थयो ऐसा  
पाठ है ।

उसको प्रकाशित करने वाले शब्दार्थ युक्त काव्य का वह माधुर्य गुण होता है। अर्थात् तो ओज का भी साधारण धर्म है। [ अर्थात् माधुर्य के समान ओज में भी अव्यत्त्व रहता है। ]

‘एवकारस्त्रिधा मत.’—

शृङ्खार एव मधुर , इत्यादि सातवा कारिका में ‘एव’ पद का प्रयोग किया गया है। इस ‘एव’ का प्रयोग तीन प्रकार से होता है और उन तीनों में उसके अर्थ में भेद हो जाता है। वह कभी विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है कभी विशेष्य के साथ और कभी क्रिया के साथ। विशेष्य के साथ प्रयोग होने पर वह अन्य योग का व्यच्छेदक होता है [ विशेष्यसङ्गतस्त्वेवकारो अन्ययोग व्यच्छेदक ] जैसे ‘पार्थ एव धनुर्धर’। यहा पार्थ विशेष्य है उसके साथ प्रयुक्त एव का अर्थ अन्य योग का व्यच्छेद करता है। अर्थात् वह विशेष्य पार्थ से अन्य में विशेषण धनुर्धर के सबन्ध का निपथ करता है। ‘पार्थ एव धनुर्धरो नान्य’ यह उसका भावार्थ होता है। विशेषण के साथ प्रयुक्त एव अयोग व्यवच्छेदक होता है [ विशेषण सङ्गतस्त्वेव कारो अयोग व्यच्छेदक ] जैसे ‘पार्थो धनुर्धर एव’ यहा विशेषण धनुर्धर के साथ प्रयुक्त ‘एव’ विशेष्य में विशेषण के अयोग अर्थात् सबन्धभाव का निपथ करता है और उस में धनुर्धरत्व का नियमन करता है। इसी प्रकार जब ‘एव’ क्रिया के साथ अन्वित होता है तब अत्यात् योग-व्यच्छेदक होता है। जैसे ‘नील कमल भवत्येव’ इस वाक्य में ‘भवति’ क्रिया के साथ अन्वित एवकार कमल में नीलत्व के अत्यन्त असम्बन्ध का निपथ कर किसी विशेष कमल में नील के सबन्ध को नियमित करता है। इस प्रकार एय के तीन प्रकार के प्रयोग होते हैं। [ ‘अयोग अन्ययोग चात्यन्तायोगमेव च। व्यवच्छृन्नन्ति धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मत ।’ ]

प्रकृत ‘शृङ्खार एव मधुर’ इत्यादि कारिका में विशेष्य के साथ अन्वित एय के अन्ययोग व्यच्छेदक होने से उसका अर्थ ‘शृङ्खार एव मधुरो नान्य’ यह होगा। परन्तु अगली ही कारिका में [ शृङ्खारे विप्रलभ्मारये करणे च प्रस्तर्पत् । ] करण आदि रस में भी उसका अस्तित्व ही नहीं माना अपितु सभोग शृङ्खार की अपेक्षा विप्रलभ्म में और उससे भी अधिक करण रस में माधुर्य का उत्कर्ष माना है। यदि ‘शृङ्खार एव’ का एवकार अन्ययोग व्यवच्छेदक है तो इसी सङ्गति के से लगेगी यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अन्य के भीतर दो प्रकार की वस्तुएँ आती हैं विशेष की सजातीय और विजातीय। यद्यपि विशेष शृङ्खार है। उसके सजातीय अन्य रस करणादि भी अन्य की श्रेणा में आते हैं। अन्य-व्यवच्छेदक

शुद्धरे विप्रलभ्माख्ये करुणे च प्रर्फवत् ।

माधुर्यमाद्र्दतां याति यतस्तत्राधिरुं मनः ॥८॥

विप्रलभ्मशृङ्गारकर्णयोस्तु माधुर्यमेव प्रर्फवत् । सद्वद्यहृदया-  
वर्जनातिशयनिमित्तत्वादिति ॥८॥

एवकार कही सज्जातीय का व्यवच्छेदक हाता है आर कहा विजातीय का व्यवच्छेद  
करता है । यहा यदि उसे सज्जातीय व्यवच्छेदक मनें तब तो वह करें अदि में  
माधुर्य के योग का व्यवच्छेदक होगा और उस दशा में अगली कारिका से विरोध  
होगा । परन्तु यदि उसे विजातीय अन्न का व्यवच्छेदक मनें तो वह, शब्द तथा  
अर्थ में माधुर्य का व्यवच्छेदक होगा और इस प्रकार गुण के शब्दधर्मस्त्र अथवा  
अर्थधर्मस्त्र का नियेष कर के रसीकधर्मस्त्र का प्रतिशादक होगा । यही आलोककार  
का उद्घान्त पक्ष है । इसी के द्योतन के लिए यहा शृङ्गार के साथ एव पद का  
प्रयोग किया गया है ।

कारिका की वृत्ति में “श्रव्यत्वं पुनरोजसोऽपि सापारणम्” लिखा है । यह  
पक्षि भामह के “श्रव्य नातिसमस्त र्थंशब्दं मधुरमिष्यते” भामह २,२,३ इस  
वचन की आलोचना में लिखी गई है । लोचनकार ने इन की टीका में लिखा है  
कि इस प्रकार का अव्यत्यत तो “यो य शस्त्र विभर्ति स्वभुतगुरुमद् पाण्डीना  
चमूना” इत्यादि ओज के उदाहरण में भी पाया जाता है अतएव यह माधुर्य का  
लक्षण नहीं हो सकता है ॥८॥

विप्रलभ्म शृङ्गार और करण रस में माधुर्य [ गुण का प्रयोग, विशेष  
रूप से ] उत्कर्ष युक्त होता है क्योंकि उसमें मन अधिक आद्रता को प्राप्त  
हो जाता है ।

विप्रलभ्म शृङ्गार और करण में तो सद्वदयों के हृदयों को अतिशय  
आकृष्ट करन का निमित्त होने से माधुर्य [ गुण ] ही उत्कर्षयुक्त होता है ॥८॥

प्राचीन भामह आदि आचार्यों ने [ ‘श्लेष, प्रसादसमता माधुर्यं मुकु-  
मारता । अर्थयत्तिश्वारत्वमोजः कान्ति समाधय ॥’ ] यह दश शब्द-गुण और  
दश अर्थ गुण माने हैं । शब्दगुणों और अर्थगुणों के नाम तो एक ही है परन्तु  
उनके लक्षण दोनों जगह अलग-अलग हो जाते हैं । आलोक, लोचन, काव्य  
प्रकाशादि ने इन दस गुणों का अन्तर्भाव अपने तीन गुणों में कर लिया है ।  
और इस प्रकार माधुर्य, ओज और प्रसाद केवल यह तीन गुण ही माने हैं ।  
उन गुणों के अन्तर्भाव प्रकार को निम्न चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है ।

रात्रि गुणों तथा अर्थों गुणों के समान	शरद-गुणों के लक्षण तथा उनका अन्तर्भव		अर्थ-गुणों के लक्षण तथा उनका अन्तर्भव	
	शरद गुण दिवा में लक्षण	शरद भारी	शरद-गुण दिवा में लक्षण	शरद भारी
१. इति:	यद्यतो एवाचोमेष्टदाद्वापनम्	ओजसि	वम्मोट्टियान्तर्वश्चयोगहप्यदना	विचित्रतामात्रम्
२. द्वाद:	ओ लो मिधायैषिलग्नामा	ओजसि	आर्गेमलग्नम्	आपुण्यभक्ताभावे
३. एष ग	माणिषेष्टराहस्ती, [वरचिरोऽः]	यगायाम्	प्रसान्तप्रस्त्रयादिनिंगः	प्रसमाहृदोग्यभावे
४. एष गुणैः	पृष्ठरूपान्,	मधुर्ये	माधुर्यमुक्तिवैचि यम्	यननीकृत दोपाभावे
५. उपरागा	विकरा, पदानी नृयत्प्रायम्	ओजसि	आपायनम्	आपायत्वाभावे
६. अर्थात्	पदानी भवित्यग्नेत्पर्यग्नम्	प्रसादे	वस्तुस्त्रगारसुख्यम्	स्वभावोक्ति अलङ्कारे
७. वृत्तमाता	श्वासाद्यप्	दु श्रावतात्यग्ने	श्रावायम्	आमङ्गलाश्लीलात्यग्ने
८. योऽः	पृष्ठैकट्टग्नः	ओजसि	सामिग्रायालम्	आपुण्याभावे
९. याति:	श्वीकरलग्नम्	ग्रामत्वाभावे	दीप्तरसात्मम्	वनिगुणीभृत्यङ्गयोः
१०. गमापि:	आपेदारोहनम्	ओजसि	अर्थदिव्यप्. आयोनि:	अर्थदिव्यं गुणः;
				अन्यच्छुद्यायायोनिश्वेति द्विधिः;

रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः ।  
तदूव्यक्तिहेतु शब्दार्थाग्राश्रित्यौजो व्यवस्थितम् ॥ ६ ॥

रौद्रादयो हि रसाः परां दीप्तिमुज्ज्वलतां जनयन्तीति लक्षणाया त  
एव दीप्तिरित्युच्यते । तत्प्रकाशनपरः शब्दो दीर्घसमासरचनालंकृतं  
वाक्यम् ।

यथा—

चञ्चद्भुजभ्रमित-चण्डगदाभिघात-  
सञ्चूणितोरुगलस्य सुयोवनस्य ।  
स्त्यानापविद्ध-घन-शोणित-शोणपाणि-  
कर्त्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥

काव्य में विद्यमान रौद्रादि रस दीप्ति [ चित्तविरतार रूप रौद्रादि रसों  
में अनुभूयमान चित्तावस्था विशेष ] से लक्षित होते हैं । उस दीप्ति के अभियुक्त शब्द और अर्थ के आधार ओज रहता है ।

रौद्रादि [ आदि पद से वीर और अद्भुत ] रस अत्यन्त उज्ज्वलता रूप  
[ चित्तावस्था ] दीप्ति को पैदा करते हैं इसलिये लक्षण से वह ही  
दीप्ति रूप कहे जाते हैं । [ज्ञाता के हृदय की विस्तार या प्रज्वलन स्वभाव अन्तर्णा  
विशेष का नाम दीप्ति है । यही मुराय रूप से ओजः शब्द वाच्य है । उसके  
सम्बन्ध से तदास्वादमय रौद्रादि रस भी लक्षण से दीप्ति शब्द से गृहीत  
होते हैं । और उसके प्रकाशक दीर्घसमास रचना से अलंकृत शब्द भी लिपि  
लक्षण से दीप्ति शब्द से गृहीत होते हैं । जैसे 'चञ्चद्भुजः' और उसका  
प्रकाशन करने वाला अर्थ भी दीप्ति शब्द से बहा जाता है । ] उसके प्रकाशक  
शब्द दीर्घसमास रचना से अलंकृत वाच्य है ।

जैसे—

[इन] फड़कती हुई मुजाहों में घुमाई गई गदा के भीपण प्रहार से जिय  
की दोनों जहाजों को चूर-चूर कर दिया गया है उस सुयोधन के जैसे हुए [स्वाव]  
गाएँ रक्त से रगे हुए हाथ वाला यह भीम, हे देवि ! तेरे बेशों को योगिना ।

इस श्लोक में दीर्घसमास रचना से अलंकृत वाच्य उस चित्त विस्तार रूप  
दीप्ति का अभियुक्त है । अतएव यह ओज का उदाहरण है ।

तत्रकाशनपरश्चार्थोऽनपेक्षितदीर्घसमासरचनः प्रसन्नवाचका-  
भिधेयः ।

यथा—

यो यः शस्त्रं विभर्ति स्यभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां,  
यो यः पाञ्चाल-गोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशाय्यां गतो वा ॥  
यो यस्तत्कर्ममाद्वी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः,  
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि लगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥  
इत्यादौ द्व्योरोजस्त्वम् ॥६॥

उस [ ओज ] का प्रकाशक अर्थ दीर्घसमास रचना से रहित प्रसाद गुण युक्त पदों से वोधित अर्थ [ भी ] होता है ।

जैसे—

पाण्डवों की सेना में अपने भुजवल से गरिमं जो भी शस्त्रधारी हैं, अथवा पाञ्चालवया में द्वोषा, वहा अथवा गर्भस्थ जो कोई भी है, और [ कर्णादि ] जो जो उस कर्म [ द्रोणवध ] का साही है [ जो-जो रणा हुआ उस द्रोण के वध को हेतुता रहा है ] और मेरे युद्ध वरते समय जो कोई उसमें यादा ढालेगा, आज द्रोण अन्धा से हुआ मैं उसका नाश कर दूँगा किर चाहे वह सब जगत् का अभितक स्वयं यमराज ही क्यों न हो ।

इन दोनों उदाहरणों में [ कर्मशः शब्द और अर्थ ] दोनों ओज स्वरूप है ।

यह दोनों श्लोक वेणीसहार नाटक के हैं । इनमें से पहली भीम की ओर दूसरी अश्वतथामा की उक्ति है । पहले मैं समाप्त वहुल रचना है यहां शब्द ओज का अभियुक्त है और दूसरे उदाहरण में अनपेक्षित दीर्घ समास की रचना है यहां अर्थ ओज का अभियुक्त है । इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों ओज के अभियुक्त होते हैं यह प्रदर्शित किया ।

कारिका की कृति में ‘एतद्युग्या त एव दीप्तिरित्युच्यते’ लिखा है । साधारणतः “विशेषगच्छपदसमानद्यन्तचनक्षयमाख्यातस्य” यह नियम माना गया है । इहका अर्थ यह है कि आख्यत श्र्वर्णन् त्रिया पद का यचन विशेष वाचक पद के समान होना चाहिए । इसीलिये प्रकृति विहित रथल में ‘इतः पव नौका भवति’ और उभयार्थंभेदारेऽप्यरथल में ‘एको द्वौ शायते’ इत्यादि प्रयोग उत्तरव्य माने गये हैं । यहां त एव दीप्तिरित्युच्यते में विशेषगच्छपद के ‘ते’ इस

: समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति ।

स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥१०॥

प्रसादस्तु स्यच्छता शब्दार्थयो । स च सर्वरससाधारणे गुण ।  
सर्वरचनासाधारणश्च<sup>१</sup> व्यङ्ग्यार्थपित्तयैव मुख्यतया व्यप्रस्थितो  
मन्तव्य ॥१०॥

बहुवचनान्त रूप के समान आख्यात 'उभ्यते' का भी बहुवचनान्त प्रयाग होना उचित था फिर एकवचन का प्रयाग कैसे साधु होगा । इसका व्यञ्जित समाधान यह करना चाहिये कि इति शब्द स उपस्थाप्यमान वाक्यार्थ ही यहा वचनधात्वर्थनिरूपित कर्मना का आवश्य है । और उस सामान्य में सख्ता पिशेव की अविद्या से एक वचन का प्रयाग भी अभीष्ट है । यह यात मद्यमाध्य में वचनविधायक [ द्वयेक्योद्दिवचनैकपचने, नद्युप बहुवचनम् ] सूत्रों का 'एकवचनम्' 'द्विवहेद्विवचनैकपचने' इस प्रकार का न्यास करते हुए भाष्यकार ने सूचिया है । तदनुसार सामान्य में एकपचन वा प्रयोग है ।

कारिका के रीढ़दयोपद में 'आदि' पद से 'बोराद्भुतयोरपि प्रदणम्' यह लोचनकार ने लिखा है । अर्थात् यहा आदि पद को ग्राम्भार्थक न मान कर प्रकार अथवा सादृश्य वाचक माना है तभी रीढ़ रस के सदृश बीरादि का प्रदण किया है । अतएव उसमें बीर रस के विभावों से उत्तन अद्भुत रस का ही प्रदण करना चाहिये ॥६॥

[ शुद्धकेन्द्रिय में अग्नि के समान अथवा स्यच्छ वस्त्र में जल के समान काव्य का समस्त रसों के प्रति जो समर्पक [ वादा के हृदय में भनित एव पनस्तर्त्य ] है, समस्त रसों में और रचनाओं में [ सर्वसाधारणी क्रिया वृत्ति, स्थितियस्य स ] रहने वाला वह प्रसाद गुण समझना चाहिए ।

प्रसाद [का अर्थ] शब्द और अर्थ की स्वच्छता है । वह सब रसों का साधारण गुण है और सब रचनाओं में समान है में रहता है । [ फिर वहै वह रचना शब्दगत हो या अर्थगत, समस्त हो अममस्त ] मुख्य है में स्यद्वर्गार्थ की अवैज्ञानिकी से हो [ मुख्यतया स्यद्वर्गार्थ का हो समर्पक ] नियत होता है ।

यह गुण मुख्यतया प्रतिरक्षा के आस्ताइमय होते हैं, फिर रस में उत्तर्वर्ति

<sup>१</sup> निः०, दो० में इवेत पाठ है प्रवर्त्त इति पाठ अविष्ट है ।

श्रुतिदुष्टादयो दोपा अनित्या ये च दर्शिताः ।  
धन्यात्मन्येऽ शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥११॥

अनित्या दोपाश्च ये श्रुतिदुष्टादय सूचितास्तेऽपि न वाच्ये अर्थमात्रे, न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारव्यतिरेकिणि, शृङ्गारे वा ध्वनेरनात्मभूते । किन्तर्हि धन्यात्मन्येऽ शृङ्गारेऽङ्गितया व्यङ्ग्ये ते हेया इत्युदाहृता । अन्यथा हि तेपामनित्यदोपतैव न स्यात् ॥११॥

होते हैं और फिर लक्षण से शब्द और अर्थ में भी उनका व्यवहार होता है । साहित्यदर्पणकार ने इसी प्रसाद का लक्षण इस प्रकार किया है । 'चित्त व्याप्तोति य त्रिप्रशुष्केऽधनमित्यानन् । स प्रसाद समस्तेषु रतेषु रचनासु च ॥'

इस प्रकार ग्रन्थकार ने यह सिद्ध किया कि जहा रसादि का असन्दिग्ध प्राधान्य है वहा रस व्यनि जहा वह किसी अन्य का अङ्ग है वहा रसवदलङ्घार और जहाँ रस अलङ्घार्य है और अय कोई रसान्तर अङ्गभूत नहा है वहा उपमादि अलङ्घार होते हैं । यह इनका विषय विभाग है । इसी प्रमार अङ्गभूत रसादि के आक्षित धर्म गुण, और शब्द या अर्थ के आक्षित चर्त्वहेतु धर्म अलङ्घार कहलाते हैं । इसके आगे यह कहते हैं कि हमने जा रस व्यान आदि का क्षेत्र निर्धारित किया है उसको मानने पर ही नित्य आर अनित्य दोयों की व्यवस्था भी यन सकती है ॥१०॥

श्रुतिदुष्टादि [ श्रुतिदुष्ट, अर्थदुष्ट कल्पनादुष्ट । 'श्रुतिदुष्टार्थदुष्टरे कल्पनादुष्टमि यपि । श्रुतिकष्ट तवैवाहुर्वाचा दाष चतुर्विधम् ॥ भामह ] जो अनित्य दोप वराएँ गए हैं वह धन्यात्मक शृङ्गार [ रसधनिरूप प्रधानभूत शृङ्गार ] में ही स्थान कहे गए हैं ।

जो अनित्य श्रुतिदुष्टादि दोप सूचित किए गए हैं वे न वाच्यार्थमात्र में, न शृङ्गार से भिन्न व्यङ्ग्य [ रसादि ] में, और न ध्वनि के अनामभूत शृङ्गार [ गुणी भूत शृङ्गार ] म, अपितु प्रधानतया व्यङ्ग्य धन्यात्मक शृङ्गार में ही हेय कहे गए हैं । अन्यथा उनको अनित्यदोपता ही न बन ॥११॥

१ निं० में 'न वाच्यार्थमात्रे, न च व्यङ्ग्य शृङ्गारे, शृङ्गारव्यतिरेकिणि या ध्वनेरनात्मभावे' पाठ है । दी० में 'ध्वनेरनात्मभूते' में 'भूते' के स्थान पर 'भावे' पाठ है ।

एवमयमसंलङ्घकमद्योतो<sup>१</sup> ध्वनेरात्मा प्रदर्शितः सामान्येन ।  
तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्च ये ।  
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने ॥१२॥

अङ्गितया व्यङ्ग्यो रसादिर्विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरेक आत्मा  
य उत्स्तस्याङ्गाना वाच्यवाचकानुपातिनामलङ्गाराणां ये प्रभेदा निरवधयो,  
ये च स्वगतास्तस्याङ्गिनोऽर्थस्य रस-भाव-तदाभास-तत्प्रशमलक्षणा  
विभावानुभावव्यभिचारिप्रतिपादनसहिता अनन्ता स्वाश्रयापेक्षया नि-  
सीमानो विशेषास्तेषामन्योन्यसंबन्धपरिकल्पने क्रियामाणे कस्यचिदन्यतम-  
स्याऽपि रसस्य प्रशारा. परिसंख्यातु' न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम् ।

तथा हि—

**‘शृङ्गारस्याङ्गिनस्तावदाद्यौ द्वी भेदी । सम्भोगो विप्रलम्भरच ।**

इस प्रकार यह असंलङ्घय प्रक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि का स्वरूप सामान्यत प्रदर्शित  
किया ।

उस [ असंलङ्घयक्रम व्यङ्ग्य रस ध्वनि ] के अङ्गों [ अलङ्गारादि ] के जो  
अनेक भेद हैं और [ स्वयं रसादि के ] जो स्वगत भेद हैं उनका एक दूसरे के  
साथ सम्बन्ध [ समृष्टि सङ्करादि, प्रस्तारविधि से, ग्रिस्तारादि ] कल्पना  
करने पर उनकी गणना अनन्त हो जायगी ।

प्रियक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का अङ्गितया [प्रधानतया] व्यङ्ग्य रसादि रूप  
जो एक स्वरूप [ आमा, प्रभेद ] कहा है उसके अङ्गभूत अर्थ तथा शब्द के  
आधित [ उपमादि तथा अनुग्रासादि ] अलङ्गारों के जो अपरिमित भेद हैं, और  
उस प्रगतनभूत [ रसादि ध्वनिरूप ] अर्थ के जो स्वगत भेद रम, भाव, तदाभास,  
तत्प्रशम रूप विभावानुभावव्यभिचारिभाव प्रतिपादन सहित अनन्त और अपने  
आश्रय [ स्थी, पुरुष आदि प्रकृति के भेद से ] के कारण नि सीम जो श्रवान्तर  
विशेष [ भेदोपभेद ] हैं उनका एक दूसरे के साथ सम्बन्ध [ समृष्टि, सङ्कर पा-  
प्रस्तारादि ] कल्पना करने पर, उनमें से किंवी एक भी रम के भेदों की गणना  
कर सकना सम्भव नहीं है फिर सबकी तो थान ही क्या है ।

जैमे [ उदाहरण के लिए ] प्रथान भूत शङ्खार रम के, प्रारम्भ में दो

१ द्योप्यध्वने नि० । २ शृङ्गारस्याङ्गिन नि० दी० ।

सम्भोगस्य च परस्परेमदर्शनसुरतविहरणादिलक्षणाः प्रकारा । विप्रलभ्मस्याप्यभिलापेष्या-विरह-प्रवास-विप्रलभ्मादयः । तेषां च प्रत्येकं विभावानुभावव्यभिचारिभेदः<sup>१</sup> । तेषां च देशकालाद्याश्रयावस्थाभेदः<sup>२</sup> इति स्वगतभेदापेक्षयैकस्य<sup>३</sup> तस्यापरिमेयत्वम् । किं पुनरङ्गप्रभेदकल्पनायाम्<sup>४</sup> । ते ह्यङ्गप्रभेदाः<sup>५</sup> प्रत्येकमङ्गिप्रभेदसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे सत्यानन्त्यमेवोपयान्ति ॥१२॥

दिङ्मात्रं तृच्यते येन, व्युत्पन्नानां सचेतसाम् ।  
बुद्धिरासादितालोका सर्वत्रैव भविष्यति ॥१३॥

दिङ्मात्रस्थनेन हि व्युत्पन्नानां सहृदयानामेकत्रापि रसभेदे सहालङ्गारैङ्गाङ्गिभावपरिज्ञानादासादितालोका<sup>६</sup> बुद्धिः सर्वत्रैव भविष्यति ॥१३॥ । ।

भेद होते हैं, सम्भोग [ शङ्कार ] और विप्रलभ्म [ शङ्कार ] । उनमें भी सम्भोग के परस्पर प्रेम दर्शन [ दर्शन सम्भापणादि का भी उपलब्ध है ] सुरत, [ और उद्यान ] विहारादि भेद हैं । [ इसी प्रकार ] विप्रलभ्म के भी अभिलाप, ईर्ष्या विरह, प्रवास और विप्रलभ्मादि [ शापादि निमित्तक वियोगादि भेद हैं ] । उनमें से प्रत्येक [ भेद ] के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव के [ भेद से ] भेद है । और उन [ विभावादि ] का भी देश, काल, आश्रय, अवस्था [ आदि से ] भेद है । इस प्रकार स्वगत भेदों के कारण उस एक [ शङ्कार ] का परिमाण करना [ ही ] असम्भव है किर उनके अहों के भेदोंपर भेद करपना की तो बात ही क्या है । वे अहों [ अलङ्गारादि ] के प्रभेद प्रत्येक अहो [ रसादि ] के प्रभेदों के साथ सम्बन्ध करपना करने पर अनन्त ही हो जाते हैं ॥१२॥

[ उसका ] दिङ्मात्र [ कुछ थोड़ा सा, आगे ] कहते हैं । जिससे व्युत्पन्न सहृदयों की बुद्धि सर्वत्र प्रकाश प्राप्त कर सकेगी ।

[ इस ] दिङ्मात्र कथन से अलङ्गारादि के साथ रस के एक ही भेद के अलङ्गिभाव के परिज्ञान से व्युत्पन्न सहृदयों की बुद्धि को अन्य सब स्थानों पर [ स्वयं ] ही प्रकाश मिल जायगा ॥१३॥

१. भेदाः निं० दी० । २. भेदा निं० दी० । ३. अपेक्षयैव निं० दी० ।  
४. कल्पनया निं० दी० । ५. ते हि प्रभेदा दी० । ६. सहालङ्गारं के स्थान पर कर्तव्येऽलङ्गारे पाठ निं०, दी० में है ।

तत्र,

शृङ्खारस्याङ्गिनो यत्नादेकरूपानुवन्धवान् ।

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ १४ ॥

अङ्गिनो हि शृङ्खारस्य ये, उक्ताः प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेवकप्रकारानु-  
वन्धितया प्रवृत्तोऽनुप्रासो न व्यञ्जक । अङ्गिन इत्यनेनाङ्गभूतस्य शृङ्खार-  
स्यैकरूपानुवन्धयनुप्रासनिवन्धने कामचारमाह ॥ १४ ॥

ध्वन्यात्मभूते शृङ्खारे यमकादिनिवन्धनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलभ्मे विशेषतः ॥ १५ ॥

ध्वनेरात्मभूत शृङ्खारस्तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्या प्रकाशयमान-  
स्तस्मिन् यमकादीना यमकप्रकाराणा निवन्धनं दुष्करशब्दभङ्गश्लेषादीनां  
शक्तावपि प्रमादित्वम् ।

उसमें—

प्रथानभूत [ अङ्गी ] शृङ्खार के सभी प्रभेदों में यत्नपूर्वक समानरूप से  
उपनिषद् अनुप्रास [ रस का ] अभिध्यञ्जक नहीं होता ।

प्रथानभूत [ अङ्गी ] शृङ्खार के जो प्रभेद यह है उन यथा [ ही ] में पृकाशार  
रूप से निरन्तर निषद् अनुप्रास [ रस का ] अधिक्षयञ्जक नहीं होता । [ कारिका  
में अङ्गिन शृङ्खारस्य जो कहा है उसमें ] अङ्गिन इस पट में अङ्गभूत [ अग्रधान,  
शुणीभूत ] शृङ्खार में समानरूप में [ निरन्तर ] अनुप्रास की रचना का यथेष्ट  
उपयोग किया जा सकता है यह सूचत किया है ॥ १५ ॥

शक्ति होते हुए भी, ध्वन्यात्मक शृङ्खार में और शिरेष रूप में विप्रलभ्म  
शृङ्खार में यमकादि का निवन्धन [ कवि के ] प्रमादित्व [ का ] ही [ मूलक ] है ।

[रसादि] ध्वनि का आगमभूत शृङ्खार [रस] शब्द और अर्थ द्वारा सामर्थ्य  
[ सारपर्यविषयीभूत, प्रथानतया ] स्पष्ट से प्रकाशित होता है, उसमें यमकादि  
[यहा आदि शब्द प्रसारार्थक अर्थात् सारश्यार्थ है] यमक सदृश दुष्कर शब्द  
श्लेष या समझश्लेष थाड़ि [ और मुरज्जन्धादि क्लिट अलडारों ] का  
शक्ति होने पर भी प्रयोग करना [ कवि के ] प्रमादित्व का मूलक है ।

प्रमादित्यमित्यनेन एतदर्थ्यते काकतालीयेन वदाचित् कस्यचिदेकस्य यमकादेनिष्पत्तावपि भूम्नालङ्कारान्तरवद्रसाङ्गत्वेन निमन्धोन कर्तव्य इति । विप्रलम्भे विशेषत इत्यनेन विप्रलम्भे सौखुमार्यातिशय ख्याप्यते । तस्मिन् द्योत्ये यमकादेहङ्गस्य निवन्यो नियमान्नकर्तव्य इति ॥१५॥

प्रमादित्य से यह सूचित किया है कि काकतालीय न्याय से कभी किसी एक यमकादि की रचना हो जाने पर भी अन्य अलङ्कारों के समान बाहुल्येन रसाङ्ग रूप में उनकी रचना नहीं करनी चाहिए । 'विप्रलम्भे विशेषत' इन पदों से विप्रलम्भ [शङ्कार] में सुखुमारता का अतिशय दोतित किया गया है । उस [विप्रलम्भ शङ्कार] के द्योत्य हाने पर यमकादि [अलङ्कारों] का प्रयोग नियमत नहीं करना चाहिए ।

आदि शब्दन्तु मेधावी चतुर्थ्येषु भाषते ।

प्रकारे च व्यवस्थाया सामीष्यऽवयवे तथा ॥

यमकादि में आदि शब्द प्रकार अर्थात् सादृश्यपरक है । यमकादि का अर्थ 'यमक सदृश दुष्कर' यह है । यमक सदृश दुष्कर अलङ्कारों में मुरजमन्यादि और सभङ्ग श्लेष या शब्द श्लेष भी सम्मिलित हैं । 'श्लेष' पदैरनेकार्थीभिधाने श्लेष इध्यते । श्लेष पदों से अनेक अर्थों का गोधन करना श्लेष अनङ्ग कहलाता है । पुनर्स्त्रिधा सभङ्गोऽथाभङ्गस्तदुभयात्मक । वह सभङ्ग श्लेष, अभङ्ग श्लेष और उभयात्मक श्लेष भेद से तीन प्रकार वा है । शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष भेद से भी श्लेष के दो भेद हैं । प्राचीन आचार्य सभङ्ग श्लेष और शब्द श्लेष को तथा अभङ्ग श्लेष और अर्थश्लेष को एक ही मानते हैं । 'पायात्स स्वयमन्धकृत्यकरस्त्वा सर्वदो माधव ।' इस पद्याश में शिव और निष्पु दोनों की सुति है । सर्वद सब ऊँच देने वाले और अन्धकृत्यकर अन्धव अर्थात् यादवों के कृत्यकर विनाश हेतु अथवा क्षय माने गृह को बनाने वाले यादवों को बसाने वाले माधव कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें । और सर्वदा उमाधव शिव जो अन्धकासुर वे मारने वाले हैं सर्वदा तुम्हारी रक्षा करें । यह दो अर्थ होते हैं ।

सर्वदो माधव पद के दोनों पक्षों में श्रलग अलग पदन्धेद होते हैं । विष्पु पक्ष में सर्वद माधवः पदन्धेद होता है और शिव पक्ष में सर्वदा उमाधव पदन्धेद होता है । यह सभङ्ग श्लेष कहलाता है और अन्धकृत्यकर का पदन्धेद दोनों पक्ष में एक सा रहता है । इसलिए वह अभङ्ग श्लेष कहलाता है । सभङ्ग श्लेष में भिन्न प्रयत्न से उचाय, दो भिन्न भिन्न शब्दों को जनुकाठ न्याय से—जसे लकड़ी के गाणादि में लाल चिपका दी जाय—श्लेष होता है ।

जतु अर्थात् लाख और काष्ठ दोनों अलग-अलग पदार्थ हैं। वह दोनों एकन जु़ह जाते हैं इसी प्रकार जहा दो अलग अलग शब्द एक साथ जु़ह जाते हैं वही सभज्ज श्लेष होता है और उसी को शब्द श्लेष कहते हैं। जैसे सर्वदो माधव में। अन्ध-कन्धयकर का पदच्छेद या उच्चारण दोनों पक्षों में समान ही रहता है इसलिए यह दो शब्द नहा एक ही समस्त शब्द है। उस एक ही शब्द में दो अर्थ एकत्रितगत पलदृश्यन्याय से सम्बद्ध हैं। जैसे बृक्ष के एक ही ढटल में दो पल लग जाते हैं इसी प्रकार जहा एक ही शब्द से दो अर्थ सम्बद्ध हो वहा एक वृन्तमत-पलदृश्य न्याय से अर्थदृश्य का श्लेष होता है यह अभज्ज श्लेष अर्थ श्लेष होता है।

प्राचीन आचार्य सभज्ज श्लेष को शब्द श्लेष और अभज्ज श्लेष को अर्थ श्लेष मानते हैं। इसी लिए यहा मूल ग्रन्थ में 'यमसादीना यमकप्रकारणा, दुष्कर शब्दभज्जश्लेषादीना' यह शब्द श्लेष और सभज्ज श्लेष को एक ही मानकर लिखा है।

नवीन लोग सभज्ज तथा अभज्ज दोनों को ही शब्द श्लेष मानते हैं। उनके मत में गुण, दोष तथा अलङ्कारादि में उनकी शब्द निष्ठता या अर्थनिष्ठता का निर्णायक अन्यव्यतिरेक ही है। 'तत् सत्वे तत् सत्ता ग्रन्थ्य'। 'तदभावे तदभावो व्यतिरेक'। जहा किसी विशेष शब्द के रहने पर ही कोई गुण, दोष या अलङ्कार रहता है और उस शब्द को बदल कर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देने पर वह गुण, दोष या अलङ्कार नहीं रहता वहा यह समझना चाहिए कि उस गुण, दोष या अलङ्कार का सम्बन्ध विशेष रूप से उस शब्दविशेष से ही है। इसलिए शब्दनिष्ठ माना जाता है।

इसी प्रकार जहा किसी शब्द के होने पर अलङ्कारादि है और उस शब्द को बदल कर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी वह अलङ्कारादिज्यों का त्यो बना रहे तो वह गुण, दोष या अलङ्कार शब्द से नहीं वल्कि अर्थ से सम्बद्ध या अर्थनिष्ठ माना जायगा। इस कसौटी पर यदि सभज्ज श्लेष और अभज्ज श्लेष की परीक्षा की जाय तो अभज्ज श्लेष भी शब्दनिष्ठ ही निकलेगा अर्थनिष्ठ नहा। अभज्ज श्लेष का उदाहरण 'अन्धकर्त्त्वकर' दिया है। इस शब्द से एक पक्ष में याद्यों का नारा करने वाला या बसाने वाला और दूसरी ओर अन्धकामुर को मारने वाला यह दो अर्थ निरूपित हैं। परन्तु यदि अन्धक पद को ह्य वर 'यदवक्षयवर' आदि पद रख दिए जायें तो दो अर्थ निरूपित असम्भव हो जायगा और श्लेष अलङ्कार नहीं रहेगा। इसलिए अन्य व्यतिरेक से यहा सभज्ज श्लेष की भाँति अभज्ज श्लेष भी शब्दनिष्ठ ही ठहरता है। इस लिए नपानो के मत में सभज्ज और अभज्ज दोनों श्लेष शब्दरूप ही हैं।

अत्र युक्तिरभिधीयते —

रसाच्छिस्तया यस्य वन्धः शक्यक्रियो भवेत् ।

अपृथ्ययत्ननिर्वर्त्यः साऽलङ्कारा धनौ मतः ॥१६॥

निष्पत्तावाश्र्वयं भूतोऽपि यस्यालङ्कारस्य रसाच्छिस्तयैव वन्ध शस्य

अर्थश्लेप इन दोनों से भिन्न है और वह वहा होता है जहा शब्द का परिवर्तन कर देने पर भी दोना अथ निकलते रहते हैं । जैस—

स्तोकेनेन्नतिमायाति स्तोऽनायात्य गोगतिम् ।

अहो मुसद्दी वृत्तिगुलाकोट सलस्य च ॥

तराजू की डण्डी और दुष्पुरुष की वृत्ति एक समान ही है । तनिस से तोला माशा रत्ती में नीचे भुक जाता है और तानक में ऊपर चढ़ जाती है । यहा ‘उन्नतिमायाति’ आदि को बदल नर उसका पशायवाचा ‘ऊर्ध्व प्रतात आद कोद दूसरा शब्द रख दिया जाय तो भी दोनों अर्थ प्रतात होते रहते हैं । अतएव यहा अथश्लेप होता है । यह अथश्लेप तो शङ्कार में भी प्रयुक्त हो सकता है । उल्क मूल ग्रन्थ में तो दुष्कर शब्द भङ्ग श्लेप का ग्रहण किया है उससे तो यह दूचत होता है कि किलए सभङ्ग श्लेप ही वर्जित है । सरल सभङ्ग श्लेप और अभङ्ग श्लेप का प्रयोग भी शङ्कार में वर्जित नहा है । जैसे आगे उद्घृत हाने वाले ‘रक्तच नवपल्लवैरहमपि श्लायै प्रियाया गुरुँ’ । सर्वे तुल्यमशोक नवलमह धारा सशोक वृत्त । इत्यादि श्लोक में अशोक पद को एक पक्ष में रुद्र वृक्ष पिशोर ना वाचक और दूसरे पक्ष में ‘नास्त शाको यस्य’ इस व्युत्पत्ति से यौगक मान फर और ‘रक्त’ पद में सरल श्लेप ना प्रयोग किया गया है ।

‘शक्तावपि प्रमादित्व’ का माव यह है कि ‘अव्युत्पत्तिरूपो दोय शास्त्या सवित्यते क्वे’ के अनुसार प्रतिभासभ्यान कपियों से कभी रुभी अव्युत्पत्ति मूलक दोय हो जान पर भी उनकी प्रतिभा क प्रभाव स छिप जाता है । इसी प्रकार यमादि का प्रयोग भी शक्ति के प्रभाव से कुछ दर सकता है परन्तु पिर भी वह कपि क प्रमा दित्व का सूचक हो गा हा । ऐसे रसास्वाद में विनाकारक यमादि का प्रयाग न होना ही अच्छा होता है ॥१५॥

इस विषय में युनि [ व्यापक नियम ] भी कहत है —

[ रमादि ] व्यनि में, नियम [ अलङ्कार ] का रचना रस स आरिष्ट [ रस क ध्यान स रिमादि की रचना करते हुए स्वयं निष्पत्त ] रूप में दिना किसी दूष प्रयाग क हो सक [ व्यनि में ] वही अलङ्कार मात्र है ।

क्रियो भवेत् सोऽस्मिन् अलद्यकमव्यज्ञये ध्वनावलङ्घारो मतः ।  
तस्यैव रसाङ्गत्वं मुख्यमित्यर्थः ।

यथा—

कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता,  
निपीतो निःश्वासैरयममृतहृद्योऽधररसः ।  
मुहुः कण्ठे लग्नस्नरलयति वाष्पः स्तनतटी<sup>१</sup>  
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरुदुरोधे न तु वयम् ॥

[ यमकादि ] निष्पत्ति [ रचना ] हो जाने पर आश्चर्यजनक होने पर भी [ विना प्रयत्न के इतना सुन्दर यमकादि कैसे बन गया, इस प्रकार आश्चर्य का निष्पत्ति होने पर भी ] जिस अलङ्घार की रचना रस से आतिथ्वा [ विना प्रयत्न के स्वयं अनायाससाध्य ] रूपसे हो सके वही इस असंलक्षकम् व्यङ्गय [ रसादि ] ध्वनि में अलङ्घार माना जाता है । वही मुख्य रूप से रस का अन्त होता है ।

इसलिए न वेवल शङ्खार या विप्रलभ्म शङ्खार में अपितु चीर तथा अद्भुतादि रस में भी प्रयत्नपूर्वक गढ़ कर रखे गए यमकादि रसविष्वकारी होते हैं । अन्यकार ने जो वेवल शङ्खार का नाम लिया है वह इस दृष्टि से ही कहा है कि शङ्खार या विप्रलभ्म शङ्खार में वह रस के विष्वकारी है यह बात जो विशेष रूप से सहृदय नहीं है वह साधारण पुरुष भी समझ सकते हैं । उनकी दृष्टि से शङ्खार का नाम विशेष रूप से लिख दिया है । वास्तव में तो वह आदि अन्य रसों में भी वृत्तिम् यमकादि प्रतिवन्धक होते हैं इस लिए आगे सामान्य रूप से 'रसेऽङ्गत्य तस्मादेषां न विद्यते' लिख कर मामान्य रूप से सभी रसों में उनकी रसाङ्गता का निरेष किया है ।

जैसे :—

[ तुम्हारे ] गाल पर यनी हुई पत्रालो को हाथ की रगड़ ने मल ढाला, [ तुम्हारे ] अमृत के समान मधुर अधर रस का पान [ यह उप्प ] निष्पत्तम् कर रहे हैं, यह अन्न बिन्दु वार-चार तुम्हारे कण्ठ का आतिथ्वा कर स्तनों को छिला रहे हैं, अस्मि किंदिषे यही व्योध तुम्हें [ इतना ] प्रिय हो गया और हम [ हमारी कहीं पूँछ हो ] नहीं ।

रसाङ्गत्वे च तस्य लक्षणमप्यन्ननिर्वर्त्यत्वमिति<sup>१</sup> । यो<sup>२</sup> रम  
नन्दुमध्यप्रसिनस्य, कपेरलङ्घारस्ता वासनामत्यूद्य यत्ना तरमास्थितस्य  
निष्पत्यते स<sup>३</sup> न रसाङ्गमिति । यमके च प्रवन्धेन वुद्धिपूर्वक त्रियमाण  
नियमेनैव यत्नान्तरपरिप्रह आपतति शत्रुविशेषान्वेषणहृष्ण ।

अलङ्घाराण्तरप्रप्यति ततुल्यमिति चेत्, नैवम् । अलङ्घाराण्तराण  
हि निहृष्यमाण्डुर्धटनान्याप रससमाहितचेतस प्रतिभावत  
कपेरहम्पूर्विकया परापतन्ति । यथा कादम्बयां कादम्बरीदर्शनावसरे ।  
यथा च मायारामशिरोदर्शनेन निह्लाया सोतादेव्या सेती ।

युक्तञ्चेतत् । यतोरसा वाच्यनिशेषैरेवाचेष्टन्या । तत्प्रतिपादकैश्च  
शत्रुस्तत्प्रकाशिनो वाच्यायशेषा एव रूपमाण्ड्योऽलङ्घारा । तस्मान् तेषा  
वहिञ्छत्वं रसाभिज्यकौ । यमकुदुप्तरमार्गेषु तु तत् स्थितमेव ।

उस [ अलङ्घार ] के रसाङ्ग होने पर अपृथग्यत्वनिर्वर्त्यत् ही उसका  
लक्षण है । जा अलङ्घार रसवन्धन में तापर कवि की उस [ रसवन्धनाध्यवमाय  
वासना ] वासना का अतिमण्य करके [ अलङ्घारनिष्पादनार्थ ] दूसर प्रयत्न  
का आधार लेने पर [ ही ] बनता है वह रस का अङ्ग नहीं है । [ यदि ] नान  
दूसर कर यमक का निरन्तर प्रयोग किया जाय ता [ उसके लिए उपयुक्त ]  
विशेष शब्दों की ग्योन रूप नया प्रयत्न अपश्य ही करना पड़ता है ।

[ पूर्वपक्षी पूछता है कि यह बात आप यमक के लिए ही क्यों कहते  
हैं, उपयुक्त शब्दों की खान का प्रयत्न तो अन्य अलङ्घारों में भी ऊरना पड़ता  
है । ] यह [ बात ] तो अन्य अलङ्घारों में भी समान ही है—यह कहना ठीक  
नहीं है । क्याकि, दूसरे अलङ्घार रचना में वठिन दिखाई देने पर भी रम में  
दृतचित प्रतिभामान् कवि के सामन होड लगा कर स्वय दृष्टे आते हैं । जैसे  
कादम्बरी [ ग्रन्थ ] में कादम्बरी [ नायिका ] के दर्शन के अवसर पर । अथवा  
जैस सनुवन्ध [ काव्य ] में रामचन्द्र के बनायटी [ कर हुए ] मिर का देख  
कर सोतादी के मिह्ल होने पर ।

और यह [ अहम्पूर्विकया परापतन ] उचित भी है क्योंकि रसों की  
अभिज्ञना वाच्यविशेष स हा होती है । और उन [ वाच्य विशेष ] के प्रति

१ लक्षणमभुषणमपूर्यग्यत्वं निवर्त्यत इनि नि० दी० । २ 'यो' यह पद  
कवे के बाद ह दी० । नि० में यो पद ह ही नहीं । ३ स भी ह नि० ।

यत्तु रसवन्ति कालिचिद्यमरुदीनि दृश्यन्ते तत्र रसादीनामङ्गता,  
यमरुदीनान्त्वज्ञितैव । रसाभासे चाङ्गत्वमप्यविरुद्धम् । अङ्गितया' तु  
व्यङ्गये रसे नाङ्गत्यं<sup>३</sup> पृथक्षप्रयत्नलिंगरसरुद्धम् यमकादेः ।

अस्यैवार्थस्य संप्रहश्लोका ।—

'रसवन्ति हि वस्तुनि सालङ्गाराणि कानिचित् ।  
एकेनैव प्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते महाकवेः ॥

पादक शब्दों से उन [ रसादि ] के प्रकाशक रूपकादि अलङ्गार [ उन शब्दों से प्रकाशित ] वाच्यनिशेष ही है । इसलिए रस की अभिव्यक्ति में उन [ रूपकादि अलङ्गारों ] की वदिरहता नहीं है । यमक आदि के हुफ्कर [ बुदि-पूर्वक वहुप्रयन्त्रसाध्य ] मार्ग में तो बहिरङ्गत्य [ भिन्नप्रयत्ननिरापाद्यत्य ] निरिचत ही है ।

जहा नहीं कोई-कोई यमकादि [ अलङ्गार ] रस सहित दियाई देते हैं वहा यमकादि ही [ अङ्गी ] प्रधान हैं रसादि उनके अङ्ग हैं । [ अर्थात् वहा रस घटि नहीं है । ] रसाभास में [ यमकादि को ] अङ्ग रूप मानने में भी कोई निरोध [ हानि ] नहीं है । परन्तु जहा रस प्रधानतया [ अङ्गितया ] व्यङ्गय हो, वहा तो पृथक्षप्रयत्नसाध्य होने से [ यमकादि ] अङ्ग नहीं हो सकते ।

मूल ग्रन्थ के 'निरूप्यमाणादुर्बन्नानि' पद को 'निरूप्यमाणानि सन्ति दुर्बन्नानि', बुद्धिपूर्वक चिरीपितान्यपि वर्तुमशवयानि' अर्थात् बुद्धिपूर्वक सोच पिचार कर रचना करना चाहे तो भी जिनसे रचना न हो सके इतने कठिन, और साथ ही जब आनायास ही उनकी रचना हो जाय तो 'निरूप्यमाणे दुर्बन्नानि' यह देख तर आश्चर्य ही कि यह इतना सुन्दर अलङ्गार ऐसे आ गया । यह दो प्रभार वे अर्थ हो सकते हैं । यह दोनों ही अर्थ प्रकृत विषय को परिपूर्ण करने वाले हैं । इसीलिए लोकनकार ने इस पद की व्याख्या भरते समय दोनों अर्थ दिखाए हैं । और यहा इन दोनों अर्थों से विकल नहा अपितु समुच्चय ही टीकाकार को अभीष्ट है ।

इसो [ उपर्युक्त गदापत्र विषय ] अर्थ के संग्रह [ आमत्र यह निम्न ] स्वेच्छा है ।—

कोई कोई गदयुक्त वस्तुपूर्ण [ रसवन्ति वस्तुनि ] महाकवि के [ रस

१. अङ्गिता निः०, दो० । २. पृथक्षप्रयत्न दो० ।

यमकादिनिवन्धे तु पृथग्यलोऽस्य जायते ।  
शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेपा न विद्यते ॥  
रसाभासाङ्गभायस्तु यमकादेन वार्यते ।  
धन्यात्मभूते शृङ्गारे तद्वता नोपपथते ॥

इदानी धन्यात्मभूतस्य शृङ्गारस्य व्यञ्जकोऽलङ्कारवर्गं  
आख्यायते—

धन्यात्मभूते शृङ्गारे समीच्य विनियेशितः । ✓  
रूपकादिरलङ्कारवर्गं एति यथार्थताम् ॥१७॥

अलङ्कारो हि वाच्यालङ्कारसाम्यादङ्गिनरचारत्वहेतुरुच्यते । वाच्या-  
लङ्कारवर्गश्च रूपकादिर्यावानुक्तो, वद्यते च कैश्चिद्, अलङ्काराणामनन्त-

निवन्धनानुकूल ] एक ही व्यापार से सालङ्कार [ भी ] दन जाते हैं । [ अर्थात्  
उनमें अलङ्कारनिष्पादनार्थ अलग व्यापार नहीं करना पड़ता ] ।

परन्तु यमक आदि की रचना में तो प्रतिभावान् [ शक्तस्यापि ] किए  
को भी पृथक् प्रयत्न करना पड़ता है इसलिए वह [ यमकादि ] रस के अङ्ग  
नहीं होते । ✓

[ हा ] रसाभासों में उनको अङ्ग मानने का नियेव नहीं है, [ केवल ]  
प्रधानभूत [ धनि रूप ] शृङ्गार [ आदि रसों ] में ही वह अङ्ग नहीं बन  
सकते हैं ॥१६॥

[ शृङ्गारादि रसों में हेय यमकादि वर्ग का घण्टन कर दिया अब आगे  
उपादेय वर्ग का निरूपण करेंगे । ]

अब धनि के आमभूत शृङ्गार के अभिव्यञ्जक अलङ्कार वर्ग का निरूपण  
करते हैं —

धन्यात्मक शृङ्गार में [ अग्रिम कारिकाओं में प्रतिपादित पद्धति से ]  
सोच समझ कर [ उचित रूप में ] प्रयुक्त किया गया रूपकादि अलङ्कार वर्ग  
वास्तविक अलङ्कारता को प्राप्त होता है । [ अलङ्कार्य प्रधानभूत शृङ्गारादि का  
चारत्व हेतु होने से अपन अलङ्कार नाम को चरितार्थ करता है । ]

याहु आभूपणा के समान प्रधानभूत [ अङ्गी ] रस के चारत्व हेतु [ रूप  
कादि ही ] अलङ्कार कहे जाते हैं । जितने भी रूपकादि वाच्यालङ्कार प्राचीन  
[ भास्महादि ] कह चुके हैं अथवा अलङ्कारों [ चारत्व हेतुओं ] की अनन्तता के

त्वात् स<sup>१</sup> सर्वोऽपि यदि समीद्य विनिवेश्यते तदलद्यक्रमव्यज्ञयस्य  
धनेरङ्गिन सर्वस्यैव<sup>२</sup> चारुत्वहेतुनिष्पद्यते ॥१५॥

एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा —

*unforseen*

विवक्षा तत्परत्वेन नाहित्वेन कदाचन ।

काले च ग्रहणत्यामो नातिनिर्वहणैषिता ॥ १८ ॥

निर्मूढापि चाहृत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम् ।

<sup>३</sup>रूपकादिरलङ्कारगम्स्याहृत्वसाधनम् ॥ १६ ॥

कारण, थाएं वहे जायगे उन सब को यदि विचारपूर्वक [ काव्य में ] विवेद  
किया जाय [ अगड़ी कारिकाओं में प्रशंशित नियमों के अनुकूल प्रयुक्त  
कथा जाय ] तो वह असलचयत्रम् व्यव्याप्त प्रधानभूत सभी धनि [ रसों ] का  
आहव हेतु [ अलङ्कार ] होते हैं ॥१७॥

इस [ रूपकादि अलङ्कार ] क [ काव्यान्तर्गत ] प्रयोग में यह समीक्षा  
[ इन वाकों का विचार करना आवश्यक ] है —

१—[ रूपकादि की ] विवक्षा [ सदैव रस की प्रधान मानसर ] रसपर-  
त्वेन ही [ वर्य ] हो, २—प्रधान रस से किसी भी दशा में नहीं । ३—  
[ उचित ] समय पर [ उनका ] ग्रहण और ४—स्वयम् होता चाहिए, ५—  
[ आदि से अन्त तक ] अ यन्त निर्वाह की हव्या [ यत्न ] नहीं करना चाहिए ।

६—[ यदि कहाँ अनापाम आयन्त निर्वाह हो जाय तो ] निर्वाह हो जाने  
पर भी [ वह ] अहरपर में [ हो ] हो यह आत सावधानी से सिर देय लेनी  
चाहिए । यही [ समीक्षा ] रूपकादि अलङ्कार वर्ग के अहर्य का साधन है ।

इन कारिकाओं में प्रथम कारिका वे चारों चरणों और दूसरी कारिका के  
पूर्वार्द्द इन पाचों व साथ अन्तिम कारिका वे उत्तराद्दोन्त 'रूपकादिरलङ्कारगम्स्या-  
हृत्वसाधनम्' का अन्वय होता है । तिरङ्गन सभी मिला कर १—[ प० १५१ ]  
“यमलङ्कार तदहृत्वा विग्रहति २—[ प० १५१ ] नाहित्वेन, ३—[ प० १५३ ]  
यमवसरे यद्यति, ४—[ प० १५४ ] यमवसरे यद्यति, ५—[ प० १५५ ] य  
नायन्त निर्वोद्धुमिद्यति, ६—[ प० १६० ] निर्मूढागर्पि य यत्नादहृत्वेन प्रय-

१ स निं, दो० में नहीं है । २. सब एव निं दो० । ३ रूपकादि निं, दो० ।

रसवन्धेष्पाद्यतमना कविर्यमलङ्घार तदङ्गतया पिवक्षति ।  
यथा —

चलापाङ्गा दृष्टि स्त्रशसि वहुशो वेपशुमतीं,  
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकरणान्तिकचर १ ।  
करो व्याधुन्वत्या पिनास रातसर्वस्यम गर,  
वय तत्पान्वेपान्मधुकर हतास्त्व यतु वृती ॥

अत्र हि भ्रमरस्वभावोक्तिरलङ्घारो रसानुगुण ।

नाङ्गित्वेनेति न<sup>३</sup> प्राधान्येन । कदाचिद्रसादेतात्पर्येण विवक्षितो  
अपि<sup>३</sup> ह्यलङ्घार कश्चिदङ्गित्वेन विवक्षितो नश्यते ।

यद्यते स एवमुपनिवद्यमानो रसाभि यक्षिहेतुभवति” [ पृ० १६० ] यह उक्ता  
लभ्या महावाक्य है। उस महावाक्य के रीच में उदाहरणों के देने, उमकी सङ्गति  
लगाने, और उस सङ्गति का समर्थन आदि करने के लिए वीच का शोप ग्रन्थ है।  
इस विस्तृत महावाक्य का प्रारम्भ अगले वाक्य से होता है और उमकी समाप्ति  
आगे चल कर पृ० १६० पर होगी ।

१—रस वन्ध में आदरवान् करि जिस अलङ्घार को उस [ रस ] के  
अह रूप में कहना चाहता है । [ उसका उदाहरण ]

जैसे —

[ कालिदास के शारुन्तला नाटक में, धाटिविश्वन में लगी हुई  
शारुन्तला को दिव पर देखते हुए दुर्घ्यन्त, उसके पास मटराते हुए अमर को  
दूर पर कहते हैं ] हे मधुकर तुम इस शारुन्तला की [ भय परिकम्पित ]  
चश्मा और तिरदी चितवन का [ रूप ] स्पर्श कर रह हो, पकान्त में या रहस्य  
निरेदन करने वाले के समान कान के समोप जारर गुनगुनात हो, [ उडाने के लिए  
इधर उधर ] हाथ झटकती हुई इस [ तरणी शारुन्तला ] के रतिमर्वस्य धधर  
[ अमृत ] का पान भर रह हो । ह मधुकर ! हम तो रायान्वेषण [ अपान् हमारे  
प्रहय करने योग्य एविया है या आङ्गरो इस ग्रोज ] में ही मारे गए, और  
तुम हृतहृष्य हो गए ।

१ गन नि० । २ नि०, दो०, में 'न' पाठ नहीं है । ३ दी० में 'प्रति'  
नहीं है ।

यथा .—

चक्राभिषातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य ।  
आलिङ्गनोद्दामविलास्यन्ध्य रतोत्सर्वं चुम्बनमाग्रशेषम् ॥

अत्र हि पर्यायोक्तस्याङ्गित्वेन विवक्षा रसादितात्पर्यं सत्यपीति ।

---

यहाँ भ्रमर के स्वभाव का वर्णन रूप [ स्वभावीकि ] अलङ्कार रस के अनुरूप ही है ।

[ उपर्युक्त समीक्षा प्रश्न में दूसरी बात थी “नाङ्गित्वेन कदाचन” इसका अर्थ ‘न प्राधान्येन’ अर्थात् “प्रधान रूप से नहीं” यह है । कभी-कभी रसादि तात्पर्य से निष्ठा होने पर भी अलङ्कार अङ्गी प्रधान रूप में दियार्ह देता है इसी बात का आगे कहते हैं । ]

२—नाङ्गित्वेन [का अर्थ] न प्राधान्येन, प्रधान रूप से नहीं [ऐसा] है । कभी रसादि तात्पर्य से [ रसादि को प्रधान मान कर ] विवित होने पर भी कोई अलङ्कार प्रधान रूप से विवित दियार्ह देता है ।

जैसे.—

[ विष्णु ने ] चक्र प्रहार रूप [ अपनी ] अनुरूपनीय आना से राहु की परित्योक्ति के सुरतोत्सव को, [ आलिङ्गनोपयोगी हस्तादि न रहने से ] आलिङ्गनप्रधान विलासों से विहीन, चुम्बनमाग्रावशेष बर दिया ।

यहाँ रसादि तात्पर्य होने पर भी पर्यायोक्त [ अलङ्कार ] प्रधानतया विवित है ।

इस श्लोक में यहु के कण्ठच्छ्रेद की घटना का प्रकारान्तर से उल्लेख करने से यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार है । यहु के कण्ठच्छ्रेद की घटना पीरणिक कथा के आधार पर हस्त प्रभार है । समुद्र-मन्थन के समय उन समुद्र से अमृत निकला तब देवता और देव्य दोनों उत्तरे लिए लाने लगे । विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत-कलर का अपने हाथ में ले लिया । देव्य उनके मोहिनी रूप पर मोहित हो गए और अमृत का ध्यान भूल गए । विष्णु ने उन समको अलग अलग परित्योक्त-प्रकार और देवताओं को और दूसरी और देव्यों को विटा बर देना शर्ताओं की ओर से अमृत बांटना शुरू बर दिया । उनका आशय यह था कि परित्योक्त देवताओं में अमृत बांट बर वही उसको समाप्त बर दिया जाय । यहु नाम वा देव्य इस अभिप्त्य को समझ गया और तुम्हें से उट कर देवताओं की परित्योक्त

अङ्गत्वेन<sup>१</sup> विवक्षितमपि यमवसरे गृह्णाति नानवसरे । अवसरे गृहीतिर्यथा—

सूर्य और चन्द्रमा के बीच में बैठ गया । मोहिनी ने उसे भी अमृत पिला दिया और वह अग्रमर हो गया । परन्तु पास बैठे सूर्य और चन्द्रमा दे संदेत से जब मोहिनी-रूपधारी विष्णु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने चक्र से राहु के सिर को अलग कर दिया । उसका सिर का भग राहु और धड़ का भाग बेतु कहा जाता है । अमृत-पान कर चुकने के कारण सिर कट जाने पर भी वह मरा नहीं । तभी से सूर्य और चन्द्रमा के साथ राहु का चैर है ।

इस श्लोक में चक्र प्रहार रूप आशा से राहु वी पत्नियों वे मुरतोत्सव को आलिङ्गनप्रधान विलासों से विदीन चुम्बनमान शेष बर दिया इस कथन पद्धति से उसके करण्डल्लेद का प्रकाशन्तर से कथन किया है । इस लिए पर्यायोजन अलङ्कार है ।

रसादि में तात्पर्य होते हुए भी यहा पर्यायोजन अलङ्कार का प्राधान्य है । यदि इतनी ही व्याख्या इसकी मानी जाय तो यह 'नाङ्गत्वेन कदाचन' के विपरीत होने से दोष का उदाहरण होना चाहिए । परन्तु लोचनकार ने इसकी व्याख्या प्रसारान्तर से करके यह सिद्ध किया है कि यह दोष का उदाहरण नहीं है । क्योंकि आगे प्रश्नकार ने महात्माओं के दूषणोद्घाटन को अपना ही दोष बताया है । अतएव इस श्लोक में उन्होंने दूषणोद्घाटन नहीं किया है यह लोचनकार का बहना है । इसकी रसादिप्रता सिद्ध करने के लिए लोचनकार बहते हैं कि यद्यु वासुदेव के प्रताप का ही मुख्यतः वर्णन है इसलिए प्रधान तो वही भाव है क्योंकि भावरूप होने से यह चारत्वहेतु नहीं है, चारत्व हेतु अलङ्कार तो पर्यायोजन ही है । यद्यपि इस श्लोक में किसी प्रश्नकार के दोष की आशङ्का नहीं है । निर भी यह इस बान का एक उदाहरण है कि कहीं वही पोषणीय वस्तु अलङ्कार्य को भी अङ्गमृत अल-कार तिरस्त कर देता है ।

३—अङ्ग रूप से प्रियंकित होने पर भी जिसको अग्रमर पर प्रहर करता है, अनग्रमर में नहीं । अग्रसर पर प्रहर [ का उदाहरण ]

जैसे :—

आज मदनावेश युक्त अन्य नारी के समान, [ लवायन में मदन नामक

१. अङ्गत्वेन विवक्षितमपि, नि० दो० ।

उदामोत्कलिकां यिपाण्डुरुचं प्रारब्धजूम्भां लता-  
दायासं श्वसनोद्भैरविरलैरातन्वीमातमनः ।  
अथोद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं,  
पदयन् कोपनिपाटलवृत्ति मुग्दं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥

इत्यत्र उपमा<sup>१</sup> श्लेषस्य ।

वृत्तिशिरोप के साथ स्थित, उस पर चढ़ी हुई ] शब्दल उत्कण्ठा से युक्त, [लता-पत्त में प्रचुर मात्रा में कलियों से लदी हुई ], अथवा [ नारी पत्त में उत्कण्ठा-तिशय के कारण] पाण्डुवर्ण [ और लता पत्त में कलिका बाहुल्य के कारण ऊपर से नीचे तक श्वेतप्रण ] और उसी समय [नारी पत्त में मदनावेश के प्रभाव से] जम्भाई लेती हुई [ और लता पत्त में रिक्षित होती हुई ] तथा [ नारी पत्त में ] लम्बी सौंसों से अपने मदनावेश या हृदय के सम्पाद को प्रकट करती हुई [ लता पत्त में वायु की निरन्तर झोड़ों से रुक्षित हुई ] समदना [ नारी पत्त में काम-प्रिकासयुक्त और लता पत्त में मदनफल के बृक्ष के साथ अर्थात् उस पर चढ़ी हुई ] इस उद्यान लता को देखते हुए निश्चय ही आज मैं रानी के मुख को क्रोध से लाल कर दूगा । [ यहाँ राजा उद्धयन ने भारी सागरिका प्रेम मूलक ईर्ष्या विप्रलभ्म को अनजाने सूचित किया । ]

यहाँ उपमा श्लेष का [ अवसर में ग्रहण है । ]

यहा उपमा श्लेष भावी ईर्ष्या विप्रलभ्म के माग शोधक के रूप में स्थित है । उसना रस के प्रमुखीभाव दशा के पूर्ववता अवसर पर ग्रहण किया गया है । इसलिए अवसर प्रहण का उदाहरण है ।

यह पद्य रमावली नाटिका वा है । राजा की नवमालिङ्ग लता दोहद-विशेष के प्रयोग से अकाल में बुझुभित हो उठी है और रानी वासवदत्ता वी नहीं । यह जान कर राजा अपने नर्म सचिव विदूपक से कह रहा है कि आज जब मैं मदनावेशायुक्त परनारी के समान इस लता को देखूँगा तो रानी वासवदत्ता का मुख ईर्ष्या से लाल हो जायगा । ईर्ष्या का मुख्य कारण तो यही है कि प्रस्तुत विशेषणों से लता काम के आवेश से युक्त परनारी के समान प्रतीत ही रही है अतः उसकी ओर देखना रानी को असह्य होगा । इस कारण से जब मैं उद्यान लता को देखूँगा तो रानी का मुख क्रोध से आरक्षण्य हो जायगा ।

१. निंदो० में 'उपमा' पद नहीं है ।

गृहीतमपि यमवसरे त्यजति तद्रसानुगुणतयालङ्घारान्तरा-  
पेत्तुया । यथा :—

रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गृण्यै-  
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरथनुर्मुक्ताः सखे मामपि ।

कान्तापादतलाहृतिस्तव मुदे, तद्वन्ममाज्यावयोः,  
सर्वं तुल्यमशोक । केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥

अब हि प्रवन्वप्रवृत्तोऽपि श्लेषो व्यतिरेकविवक्ष्या त्यज्यमानो  
रसविशेषं पुष्पणाति ।

४— प्रहण करने पर भी उस रस के अनुगुण होने से अलङ्घारान्तर की  
अपेक्षा से [ कपि ] जिसको अवसर पर छोड़ देता है । [ उस अवसर त्याग रूप  
धनुर्य समीक्षा प्रकार का उदाहरण ] जैसे :—

[ यद श्लोक भी रत्नावली नाटिका का ही है । राजा अशोक वृच्छ से कह  
रहे हैं ] हे अशोक तुम अपने नरीन पल्लवों से रक्त [ ज्ञात हो रहे ] हो, मैं भी  
प्रिया के गुणों से रक्त [ अनुरागयुक्त ] हूँ । [ इस श्लोक में प्रत्येक चरण का  
पूर्णार्द्ध, उद्दीपन विभाव परक समझना चाहिए ] तुम्हारे पास शिलीमुख [ भ्रमर ]  
आते हैं और हे मित्र ! कामदेव के धनुष से छोड़े गए शिलीमुख [ बाण ] मेरे  
ऊपर मी आते हैं । [ “पादाधातादशोको विकसति, वकुलं योपितामास्यमध्ये.”  
की कवि प्रसिद्धि के अनुसार ] कान्तो का पाद प्रांहार तुम्हारे लिए आनन्ददायक  
है [ तो तुम्हारे रिकास द्वारा, अथवा कान्तापादहति स्वप्न सुरतयन्ध  
मिशेप द्वारा ] तो वह मेरे लिये भी आनन्ददायक है । [ इस प्रकार ] हे अशोक  
[ हम तुम ] सब प्रकार वरावर हैं केवल [ अन्तर यह है कि ] रिधाता ने मुझे  
सशोक [ शोकयुक्त ] कर दिया [ और तुम अशोक-शोकरहित हो ] ।

यहाँ [ आदि से अन्त तक ] निरन्तर विद्यमान श्लेष [ अन्त में ]  
व्यतिरेक [ अलङ्घार ] की रिधासे छोड़ देने से रस मिशेप को परिपुष्ट करता  
है ।

आगे पृ० १५६ तक के इस लभ्ये प्रस्तुत “रक्तस्त्वम्”  
इत्यादि श्लोक में श्लेष और व्यतिरेक की समूहित है अथवा सङ्कर इस विषय को  
विचार किया गया है । पूर्णसंक्ष सङ्करणादियों का है और तिदान्त पक्ष में यहाँ श्लेष  
और व्यतिरेक की लंसूहि मानी है । प्रस्तुत प्रस्तुत्य से ग्रन्थकार ने ऐसे अनुसरों  
पर समूहित और सङ्कर के भेद का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है ।

नामालङ्घारद्युसन्निपातः, किन्तर्हि, अलङ्घारान्तरमेव श्लेषव्यति-  
रेकलक्षणं नरमिदयदिनि चेत्, न । तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात् ।  
यत्र हि श्लेषविषय एव शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीतिर्जायते, स  
तस्य विषय । यथा ।—

“स हर्तिर्निम्ना देव, सहर्विरतुरगन्तिग्रहेन”  
इत्यादी ।

अत्र ह्यन्य एव शब्द<sup>१</sup> श्लेषस्य विषयोऽन्यश्च व्यतिरेकस्य । यदि  
चैवविधे विषयेऽलङ्घारान्तरत्वकल्पना क्रियते<sup>२</sup> तत्संसूष्टेविषयापहार  
एव स्यात् ।

[ सक्रवादो पूर्वपदो की शब्दा यह है कि ] यहा दो अलङ्घार [ श्लेष  
और व्यतिरेक ] नहीं हैं [ इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि व्यतिरेक की  
अपेक्षा से अन्तिम चरण में श्लेष को छोड़ दिया गया है ] तब यदा है ? नरसिंह  
के समान [ श्लेष और व्यतिरेक वा एकाश्रयानुप्रवेश रूप सङ्कर ] श्लेष-  
व्यतिरेक रूप दूसरा ही [ सङ्कर ] अलङ्घार है ।

[ सद्विद्यादो सिद्धान्त पद ] यह कहता ठीक नहीं है । क्योंकि उस  
[ एकाश्रयानुप्रवेश रूप सङ्कर ] वी स्थिति प्रकारान्तर से होती है । जहा श्लेष  
अलङ्घार के रिपदभूत [ शिलष्ट ] शब्द में ही प्रकारान्तर से व्यतिरेक वी प्रतीति  
होती है वही उस [ श्लेष और व्यतिरेक के एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर ] का विषय  
होता है । जैसे —

वह देव तो नाम मात्र से स हरि है और यह [ राजा ] श्रेष्ठ अथ समूह  
के कारण सहरि है ।

इत्यादि उशाहरण में [ श्लेष और व्यतिरेक दोनों 'सहरि' इस पृक ही  
पद में आधित हैं । इसलिए पहां तो श्लेष और व्यतिरेक वा एकाश्रयानुप्रवेश  
सङ्कर यह जाता है । ]

[ परन्तु यहा 'रक्षस्व' इत्यादि श्लोक में ] यहा तो श्लेष के रिषय  
अन्य [ रक्ष आदि ] शब्द है और व्यतिरेक के रिषय [ अशोक तथा सशोक  
शब्द ] अन्य शब्द हैं । [ अतः यहा एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर नहीं हो सकता । ]

[ अत्यधि श्लेष और व्यतिरेक के रिषय भिन्न हैं परन्तु वह है तो पृक

श्लेषमुखेनैवात्र व्यतिरेकस्यात्मलाभ इति नायं संसृप्टेविंपय इति  
चेत् न । व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात् । यथा'—

नो कल्पापायवायोरदयरयदलत्त्वाधरस्यापि शम्या,  
गाढ़ोदृगीर्णेऽज्ज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमः कल्पलेन ।  
प्राप्नोत्पत्तिः पतञ्जान्न पुनरुपगता मोपमुष्णत्विपो घो,  
वतिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीपिः ॥

अत्र हि साम्यप्रपञ्चप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दर्शितः ।

वास्य के अन्तर्गत । इसलिए श्लेष और व्यतिरेक का विषय शब्द को न मान कर उस वास्य को माना जाय तथा तो उन दोनों का एक वास्य रूप पूर्क आधार में अनुप्रवेश रूप सङ्कर यन जाता है । सङ्करवादी यदि यह शङ्का करे तो ] यदि ऐसे [ एक वास्य को विषय मान कर ] विषय में [ सङ्कर रूप ] अलङ्कारान्तर [ सङ्कर ] की कल्पना की जाय तब किर संस्कृटि का विषय ही कहीं नहीं रहेगा । [ क्योंकि एकवाक्याध्यय की सीमा तो बहुत विस्तृत है । संस्कृटि के सभी उदाहरण इस प्रकार के सङ्कर की सीमा में आ जायेंगे । इसलिए यहाँ 'रक्षस्य' इत्यादि में सङ्कर मानना उचित नहीं है । संस्कृटि ही माननी चाहिए । ]

[ सङ्करवादी फिर शङ्का करता है कि अन्दर यहाँ पूर्काध्यात्मुप्रवेश सङ्कर न सही, फिर भी सङ्कर का दूसरा भेद अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर ही सम्भव है । क्योंकि व्यतिरेक तो उपमागम्भ होता है । किन्हीं दो की तुलना करके ही उनमें एक का आधिक्य यहाँ जा सकता है और यहाँ अशोक युज और नायक वा साम्य 'रक्षस्यम्' इत्यादि लिए प्रियेषणों के कारण ही प्रतीत होता है । इसलिए श्लेष, व्यतिरेक का अनुप्राप्त है । आत्पत्ति फिर भी यहाँ अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर ही है संस्कृटि नहीं । यदि एक ही सङ्करालङ्घार है तब व्यतिरेक के लिए श्लेष को दोइ दिया गया यह 'अपसरे व्याग' का जो उदाहरण दिया है यह टीक नहीं ] श्लेष द्वारा ही यही व्यतिरेक की मिदि होती है इसलिए यह संस्कृटि का विषय नहीं है । यह नाड़ा करो तो—

[ संस्कृटियादी सिद्धान्त एव ] यह एक ठीक नहीं है । क्योंकि व्यतिरेक [ उपमा के ऊपर ही आधित नहीं है, उपमा कथन के विना भी ] प्रकारान्तर से [ उपमा या साम्य कथन के विना ] भी देखा जाता है । जैसे—

अग्निः विषय के प्रकारक [ दीपक ] एवं देव की भीति, रूप यह

नात्र श्लेषमात्राच्चारुत्वनिष्पत्तिरस्तीति श्लेषस्य व्यतिरेकाङ्गत्वे-  
नैव विवक्षितत्वान्<sup>१</sup> न स्पतोऽलङ्कारतेत्यपि<sup>२</sup> न वाच्यम् । यत एवंविधे  
विषये साम्यमात्रादपि सुप्रतिपादिताचारुत्वं दरयत एष । यथा :—

लोकोत्तर यत्ती जो निरुर वेग से पर्वतों को निलिपि करने वाले कल्पाभूत व यु से  
भी तुम नहीं सकती, जो दिन में भी अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाश देती है, जो तमोल्प  
कञ्जल से सर्वथा रहित है जो पत्तन [ कीट विशेष ] से तुम्हती नहीं वल्कि  
[ पत्तन = सूर्य से ] उत्पन्न होती है, वह [ लोकोत्तर वती ] हम सब को सुखी करे ।

यहां साम्य कथन के बिना ही व्यतिरेक दिखाया गया है । [ अत व्यतिरेक के लिए शब्द उपमा की अपेक्षा न होने से 'रक्तरत्न' में श्लेषोपमा को व्यतिरेक का अनुग्राहक मानने की भी आवश्यकता नहीं । उस दशा में श्लेष और व्यतिरेक दोनों अलग-अलग अलङ्कारों की समृद्धि ही माननी चाहिए ] ।

[ सङ्करवादी पूर्वपक्षी फिर शङ्का करता है कि यदपि "नो कल्पापाय-  
चायो" वाले इस लोक में व्यतिरेकानुग्राहिणी उपमा नहीं दियाई देती है ।  
बिना उपमा के भी व्यतिरेक है । परन्तु "रक्तस्त्वम्" वाले उदाहरण में तो  
व्यतिरेक के लिए श्लेषोपमा ग्रहण की गई है । क्योंकि उसके बिना केवल श्लेष से  
धारत्यप्रतीति नहीं होती इसलिए अकेले श्लेष को स्वतन्त्र अलङ्कार—  
चारुत्व है—नहीं मान सकते । अत श्लेषोपमानुगृहीत व्यतिरेक के ही चारन्य  
हेतुत्व सम्भव होने से यहां सङ्कर ही है संस्थापित नहीं । ]

यहा [ "रक्तस्त्वम्" में ] केवल श्लेष मात्र से चारन्यप्रतीति नहीं  
होती है इसलिए श्लेष यहां व्यतिरेक का अङ्ग [ अनुग्राहक ] रूप से ही विविध  
है अत वह स्वयं अलङ्कार नहीं है । यह शङ्का करो तो—

[ संस्कृतिवादी सिद्धान्त पत्र ] यह भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस  
प्रकार के [ व्यतिरेक के ] विषय में [ श्लेष रहित ] साम्यमात्र [ उपमागम्भ  
व्यतिरेक ] के सम्यक् प्रतिपादन से भी चारुत्व दिखाई देता है । जैसे—

[ मेरे ] कन्दन तुम्हारे गर्जन के समान है, [ मेरे ] ध्रुव तुम्हारी निरन्तर  
यहने घाली जल धारा के समान है, उस [ विषयमा ] के वियोग से उत्पन्न  
शोकाग्नि तुम्हारी विद्युच्छटा के समान है, मेरे हृदय में [ अपनी ] विषयमा  
का मुख है और तुम्हारे हृदय में चन्द्रमा है इसलिए हमारी तुम्हारी वृत्ति

आव्रन्दा स्तनिर्विलोचनजलान्यथान्तधाराम्बुभि-  
स्तद्विच्छेदभुवश्च शोकशिरिनस्तुल्यास्तडिद्विभ्रमै ।  
अन्तर्म दयितामुख तव शशी वृत्ति समैवाप्यो-  
स्तत् कि मामनिश सगे जलधर त्व दग्धुमेवोद्यत ॥  
इत्यादी ।'

\*सनिर्वदणैकतानहृदयो यज्ञ नात्यन्तं निर्वोदुमिच्छति ।

यथा—

समान ही है [ हम तुम दोनों सधर्मा मित्र हैं ] है मित्र जलधर फिर तुम रात-  
दिन मुझको जलाने को ही क्यों तैयार रहवे हो ।

इत्यादि में ।

यहाँ श्लोक के चतुर्थ पद में अनुजन पीड़ाकारित्व रूप से जलधर का  
अपनी अपेक्षा व्यतिरेक दिया गया है और पूर्व के तीनों चरणों में अपना और  
जलधर का साम्य दिखाया है । परन्तु उनमें श्लोप नहीं है । इसलिए यहाँ श्लोप  
के लिना उपमा और व्यतिरेक, “नो वल्यापाय” में विना उपमा क व्यतिरेक पाया  
जाता है अत रक्षस्त्वम् में श्लोप और व्यतिरेक को अलग अलग अलङ्कार मान  
कर उनकी “मिथोऽनपेक्षतयैपा स्थिति रसुषिष्ठ्यते” ससुष्टि मानने में कोई  
आपत्ति नहीं हो सकती । अत यहाँ ससुष्टि ही है । इसलिए व्यतिरेक की अपेक्षा  
से तीन चरणों में निरन्तर चलने वाले श्लोप का परित्याग चतुर्थ चरण में कर देने  
से अवश्य रुप चतुर्थ समीक्षा प्रकार का जो उदाहरण दिया गया है वह  
ठीक ही है । यह सिद्धान्त पन्थ स्थित हुआ ।

४—रस निष्पन्थ में अत्यन्त स्तप्त [ फनि ] निस [ अलङ्कार ] का  
अत्यन्त निर्वाह करना भहीं आहुता है । [ उसका उदाहरण ] जैसे—

कोधावेश में अपन कोमल तथा अद्वल धाकुलता के पाश में जकड़ कर  
अपने केद्वि भयन में से जाफर सायकाल को सरियों के सामने [ पराद्वनो-  
पभोगानन्य, नखहत आदि चिह्नों स ] उसके दुर्घेषित को भली प्रकार सूचित  
कर, फिर कभी ऐमा न हो [ काष के कारण ] धाइलहाती हुई धारी स ऐसा

१ आगता रसनिष्पहुएंकतानहृदयस्त यह पाठ नि० में इत्यादी के साथ  
रहता है । २ इत्यादी रसनिष्पहुएंकतान हृदयस्त । यो यज्ञनात्यन्तं निर्वोदु-  
भिष्ठति यथा—यह पाठ नि० में है ।

कोपात् कोमललोलवाहुलतिकापाशेन वद्ध्वा दृढं,  
नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः ।  
भूयो नैवभिति स्वलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टिं,  
घन्यो हन्यत एव निहुतिपरः प्रेयान् रुदत्या हसन् ॥

अत्र हि रूपकमाच्छिमनिव्यूढं परं रसपुष्टये ।'

निर्वोद्धुमिष्टमपि यं यत्नादद्वत्वेन प्रत्यवेक्षते । यथा—

श्यामास्वद्भु चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं,  
गण्डच्छाया शशिनि शिखिनां वर्हभारेपु केशान् ।  
उत्पश्यामि प्रतनुपु नदीवीचिपु भ्रू विलासान्,  
हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमस्ति ॥

इत्यादौ ।

कह कर, रोती हुई प्रियतमा के द्वारा, हसते हुए [अपने नयवतादि को] छिपाने वाला सौभाग्यशाली प्रिय पीटा ही जाता है । [सरियों के मना करने पर भी नायिका उसमें भारती है ।]

[ वाहुलतिकापाशेन से ] रूपक [आच्छिम] प्रारम्भ किया गया था परन्तु ऐपल [परं, अथवा अत्यन्त] रस उष्टि के लिए उसका निर्गाह नहीं किया गया । [यह पद्मम समीक्षा प्रकार हुआ । छुटे का उदाहरण आगे देते हैं ।]

६—[अन्त तक] निर्गाह हृष्ट होने पर भी जिसको सामधानी से अद्वैत में ही देपता [निवद्ध करने का ध्यान रखता है] है । जैसे—

हे भीरु ! मुझे तुम्हारे अद्व [का सादृश्य] विद्यंगु लतायों में, तुम्हारा दृष्टिपात चकित हरिणियों की चब्दल चितवन में, तुम्हारे कपोल की कानित चन्द्रमा में, तुम्हारे केशपाश नायूरपिञ्च में और तुम्हारे भ्रूभद्ध नदी की तरफ्यों में दिखाई पड़ते हैं [इसकिए मैं इधर-उधर मारा मारा फिरता हूँ ।] परन्तु ये द हैं कि तुम्हारा सादृश्य वहाँ इवद्वा नहीं दिखाई देता [नहीं तो मैं उसी एक से सन्तोष कर लेता । तुम भीह ही जो दहरी कदाचित् इसीकिए अपनी सारी विभूति को एक चाह नहीं रखता ।]

इत्यादि में । [यहाँ सदागाध्यारोप रूप उत्पेक्षा के अनुग्रालित बरने

१. नि०, यो० में 'परं रसपुष्टये' को घगले वाक्य में जोड़ा है ।

स एमुपनिषध्यमानोऽलङ्कारे रसाभिव्यक्तिहेतु करेभवति । उत्तप्रकारातिक्रमे तु नियमेनैव रसभङ्गहेतु सपद्यते । लद्य च तथाविधं महारविप्रवन्धेष्टपि<sup>१</sup> इश्यते वहुश । तचु सूक्तिसहस्रदोतितात्मना महात्मना दोषोद्घोपणमात्मन एत दृपण भवतीति न विभर्य दशितम् ।

किन्तु रूपकादेरलङ्कारर्पणस्य येय व्यञ्जकत्वे रसादिविषये<sup>२</sup> लक्षणदिग्दशिता, तामनुसरन् स्वय चान्यलक्षणमुल्येत्तमाणो<sup>३</sup> यद्यलद्य-त्रम प्रतिममनन्तरोत्तमेन ध्वनेरात्मानमुपनिषध्नाति सुकरि समाहित-चेतास्तदा तस्यात्मलाभो<sup>४</sup> भवति महीयानिति ॥१६॥

बाले सादृश्य को प्रारम्भ से उठा कर अन्त तक उसका निर्गाह किया है परन्तु वह अद्वैत रूप ही रहे इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है । इसलिए वह प्रियतम्भ शङ्खार का पौष्पक ही है ।

वह [ रूपकादि शङ्खार वर्ग ] इस प्रकार [ उपयुक्त अहंता साधक पद्मिध समीक्षा प्रकार को ध्यान में रख कर ] उपनिषद् शङ्खार करि के रस को अभिव्यक्त करने का हेतु होता है । उत्त पद्यति का उल्लंघन करन से तो अपश्य ही रसभङ्ग का हेतु बन जाता है । इस प्रकार [ समीक्षा नियमभङ्ग मूलक रसभङ्ग प्रदर्शक ] के बहुत से उदाहरण महारपियों के ग्रन्थाद्यो [ काव्यों ] में भी पाए जाते हैं । [ परन्तु ] सहस्रों सूक्तियों की रचना द्वारा लव्यप्रतिष्ठ उन महामाण्यों के दोषों का उद्घारण करना अपन ही लिए दोषनक होता है इस लिए उस [ महारपियों के दोषुक उदाहरण भाग ] को अलग नहीं दियाया है ।

किन्तु [ अन्तिम सिद्धान्त यह है कि ] रूपकादि शङ्खार वर्ग का रसादि विषयक व्यञ्जकत्व का जो यह मार्ग प्रदर्शित किया है उसका अनुसरण करते हुए, और स्वय भी और लक्षणों का अनुसन्धान करते हुए यदि कोई सुकरि पूर्वकथित असकल्यक्रम व्यञ्जय सदृश ध्वनि के आत्मभूत [ रसादि ] को सावधानता से नियन्त्र करता है तो उस बड़ा आत्मलाभ [ आत्मपद-करिष्यद का महालाभ—महाकवि पद का लाभ ] होता है ।

१ निं०, दी० में अपि शब्द को तथाविधमपि यहा जोड़ा है ।

२ लक्षणा निं०, दी० । ३ यद्यतस्यत्रमपतितमनन्तरोत्तमेव निं०, दी० ।

४ तदस्यात्मलाभो० निं० ।

क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽनुस्पानसन्निभः ।  
शब्दार्थशक्तिमूलत्वात् सोऽपि द्वेधा व्यवस्थितः ॥ २० ॥

अस्य पिवाच्चितान्यपरवाच्यस्य ६ प्रने 'सलद्यक्षमव्यङ्गचत्वारं-  
नुरणनप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति  
द्विप्रकार ॥२०॥

इस प्रगार पृष्ठ १५० पर १६ वा कारिका की व्याख्या में जिस लम्बे  
महानाक्षय का उल्लेख किया था वह इस पृष्ठ पर आकर समाप्त हुआ ॥१६॥

धनि के प्रारम्भ में दो भेद किए गए थ अविद्यक्षित वाच्य [ लक्षणमूल  
धनि ] और पिवाच्चितान्यपरवाच्य [ अभिधामूल धनि ] । उसके बाद अविद्यक्षित  
वाच्य [ लक्षणमूल धनि ] के भी अर्थान्तर सम्प्रसितवाच्य और अत्यन्त  
तिरस्तवाच्य दो भेद किए गए । इसके आगे पिवाच्चितान्यपरवाच्य [ अभिधामूल  
धनि ] के भी असलद्यक्षमव्यङ्गय और सलद्यक्षमव्यङ्गय दो भेद किए जा  
ते हैं । और असलद्यक्षमव्यङ्गय सम्बन्ध में वहा तक पर्याप्त आलोचना  
भी जा चुकी है । अब आगे सलद्यक्षमव्यङ्गय धनि के भेद करेंगे ।

सलद्यक्षमव्यङ्गय के भी प्रारम्भ में दो भेद होते हैं एक शब्दशक्तयुक्त  
और दूसरा अर्थशक्तयुक्त । प्राय सभी आचार्या ने इन दोनों के अतिरिक्त उभय-  
शक्तयुक्त नाम से तीसरा भी सलद्यक्षमव्यङ्गय का भेद माना है । शब्दशक्तयुक्त में  
वस्तु धनि और ग्रलङ्घार धनि दो भेद, अथ शक्तयुक्त के १२ भेद और उभय  
शक्तयुक्त का एक भेद इस प्रगार सलद्यक्षम के तुल १५ भेद और एक असलद्य  
क्षम मिल कर १६ भेद पिवाच्चितान्यपरवाच्य [ अभिधामूल ] धनि के और दो  
भेद अविद्यक्षितवाच्य [ लक्षणमूल धनि ] के इस प्रगार १६ भेद होते हैं । ऐसे  
आगे इनमा और विस्तार चलना है । इस समय सलद्यक्षमव्यङ्गय का निरूपण  
प्रारम्भ करते हैं ।

[ पिवाच्चितान्यपरवाच्य धनि का ] अनुस्पान सद्श शम से प्रतीत होन  
वाला जो [ न्यरा ] स्वस्त्र [ आमा ] है वह भी शब्दशक्ति मूल और अर्थ  
शक्तिमूल होने में भी दो प्रकार का होता है ।

इस पिवाच्चितान्यपरवाच्य धनि का सलद्यक्षमव्यङ्गय होने में अनु-

ननु शब्दशक्त्या यत्रार्थन्तर प्रकाशते स यदि ध्वनेः प्रकार उच्यते  
तदिदानीं श्लेषस्य विपय एवापहृत् स्यात् । नापहृत इत्याह —

**आकृप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।**

**यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ॥२१॥**

स्वान तु व्य जो [ दूसरा ] स्वरूप है, वह भी शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल  
इस प्रकार दो तरह का है ॥२०॥

घटा चजा कर अन्द कर देने के बाद भी कुछ ध्वनि भ्रमण देर तक  
सुनाई देती रहती है । इसी को अनुस्वान अथवा अनुरणन कहते हैं । विवक्षितान्य-  
परयाच्य का दूसरा भेद सलव्यक्रम है अर्थात् उसमें वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ की  
प्रतीति का क्रम अनुस्वान के समान स्पष्ट प्रतीति होता है । वाच्यार्थ की प्रतीति  
के बाद अनुस्वान के समान ही वहा व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है । इसी से  
अनुस्पानमन्त्रिभ इस ध्वनि को सलव्यक्रमव्यङ्ग्य भी कहते हैं ।

इस सलव्यक्रमव्यङ्ग्य में दो भेद किए हैं एक शब्दशक्तिमूलक और  
दूसरा अर्थशक्तिमूलक । शब्दशक्तिमूलक ध्वनि उसको कहेंगे जहा वाच्यार्थ की  
प्रतीति के बाद अनुस्वान के समान दूसरे अथ की प्रतीति भी बाद में हो । इस  
स्थिति में शङ्का यह होती है कि शब्द शक्ति से दो अर्थों की प्रतीति श्लेष ।  
अलङ्कार में भी होती है । जहा दूसरे अर्थ की प्रतीति शब्दशक्ति से होती है  
उसको आप श्लेष न कह कर शब्दशक्ति सुत्य सलव्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि कहना चाह  
रहे हैं । तब फिर श्लेष ना अवसर कहा रहेगा ? शङ्का का आशय यह है कि  
शब्दशक्तिमूल ध्वनि और श्लेष की विपय व्यवस्था कैसे होगी ? इसका समाधान  
यह है कि जहा वाच्यन्य में वस्तुद्वय की शब्दशक्ति से प्रतीति होती है वहा श्लेष  
अलङ्कार और उससे भिन्न, जहा अलङ्कार की शब्दशक्ति से प्रतीति होती है ऐसे  
स्थलों में ध्वनि रहेगी ।

[ प्रश्न ] शब्दशक्ति से जहाँ अर्थन्तर प्रकाशित होता है यह यदि  
ध्वनि का भेद [ माना जाय ] हो तो फिर श्लेष का विपय ही लुप्त हो  
जायगा ।

[ उत्तर ] नहीं लुप्त होगा, यही [ बात ] कहते हैं :—

जहाँ शब्द से अनुकृत [ साक्षात् सकेतित होने पर भी ] आहेप सामर्थ्य  
से ही शब्दशक्ति द्वारा अलङ्कार की प्रतीति होती है वह शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि  
कहलाता है ।

यस्माद्गलद्वारो, न वस्तुमात्रं यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते  
स शब्दशक्त्युद्भवो 'प्रनिरित्यस्माकु विवक्षितम्' । वस्तुद्वये च शब्द-  
शक्त्या प्रकाशमाने<sup>१</sup> श्लेष । यथा—

येन ध्वस्तमनोभवेन वलिजित्काय पुरास्त्रीकृतो ,  
यश्चोदूरुच्चमुज्ज्ञहारपलयो, गङ्गा च योऽधारयत् ।  
यस्याहुं शशिमन्दिरो हर इति स्तुत्य च नामामरा ,  
पायात् स रथयमन्यरुद्धयकरस्त्वा सर्वदोमाधवः ॥

वयोंकि हमारा यह अभिप्राय है कि अलङ्कार, न कि केवल उस्तु, जहाँ  
शब्दशक्ति से [ आकृष्ट होनेर ] प्रकाशित होती है वहा शब्दशक्त्युद्भव  
ध्वनि है । और जहा दो उस्तु शब्दशक्ति [ अभिधा ] से प्रकाशित हों वहा  
श्लेष है । जैसे —

[ 'येन ध्वस्तमनोभवेन' इत्यादि श्लोक में श्लेषपश शिव और शिव  
दोनों अर्थों की प्रतीति होती है । सारे पिण्डोपण दोनों पक्षों में लगते हैं । विष्णु  
पक्ष में अर्थ इस प्रशार होगा ] 'येन अभवेन' जिन अजन्मा शिवानु ने 'अन ध्वस्तं  
यालपन में 'अन' अर्थात् शक्त अर्थात् वर्त्तों की गाढ़ी अथवा शस्त्रासुर को नह  
कर डाला, 'पुरा' पहिले अमृत हरण के समय 'वलिजित्' वलि राजा को अथव  
बलगान् दैत्यों को जोतने वाले शरीर को [ मोहिनी रूप ] स्त्री बना डाला, और  
जो भवाद्विमण्य करने वाले 'कालिय नाग' को मारने वाले हैं जिनमें 'रव' वेद  
वा लय होता है अथवा, 'रवे शब्दे लयो यस्य' 'अमरो शिव' अकाररूप शब्द  
में चिसका लय होता है, जिन्होंने 'अग' गोरवनं पर्वत और 'गा' वराहावतार में  
पृथ्वी को धारण किया । जो 'शशिन भञ्जातीति शशिमय् राहु, उसके शिर की  
काटने वाले होने से देवता खोग जिनका 'शशिमन्दिरोहर' यह प्रशंसनीय नाम  
लेते हैं । अन्यक अर्थात् याद्वयों का द्वारिका में ज्य निवाम स्थान बनाने वाले  
अथवा मौसल दर्व में याद्वयों का नाश कराने वाल और सब मनोकामनाओं को  
पूर्ण करने वाले 'मात्रव' शिव तुम्हारी रक्षा करें ।

[ शिव पक्ष में ] 'ध्वस्त मनोभवः कामो येन स, ध्वस्तमनोभव' कामदेव  
का नाश करने वाले जिन शङ्कर ने 'पुरा' शिवरदाह के समय 'वलिजित्काय' विलु  
के शरीर को 'शस्त्रोहृत' थाए बनाया, जो महाभयानक मुज़हों सर्पों को हार

१. विवक्षित नि० दो० । २. प्रशाद्यमाने नि० ।

न शब्दलङ्घान्तरप्रतिभाण्यमपि श्लेषव्यपदेशो भवतीति दशित भट्टो  
झटेन तत् पुनरपि शब्दशक्तिमूलो धनिर्निरवकाश इत्याशङ्क्येदमुक्त  
‘आचिप्त’ इति । तद्यमर्थ, ‘यत्र शब्दशक्त्या साक्षादलङ्घारान्तर<sup>१</sup> वाच्य  
सत् प्रतिभासते स सर्वं श्लेषप्रिपय । यत्र तु शब्दशक्त्या सामध्याचिप्त  
वाच्यव्यतिरिक्तं व्यङ्ग्यमेवालङ्घारान्तरं प्रकाशते स ध्वर्नेप्रिपय ।

**शब्दशक्त्या साक्षादलङ्घारान्तरप्रतिभा यथा—**

तस्या विनापि हारेण निसगादेव हारिणो ।  
जनयामासतु कस्य विस्मय न पयोवरौ ॥

और वलय के रूप में धारण करते हैं जो गङ्गा को धारण किये हुए हैं जिनका [ मस्तक ] शिर शशि चन्द्रमा से युक्त है और देवता लोग जिनका प्रशसनीय हर नाम कहते हैं आधकासुर का विनाश करने वाले वे ‘उभाध्व शावंती के पति [ गौरीपति ] शङ्कर सदैव तुम्हारी रक्षा करें ।

[ यहां दोनों अर्थ वस्तु रूप हैं और अभिधा शक्ति स प्रकाशित हाने स यहा श्लेषपालङ्घार है ] ।

[ पूर्णपक्षी की शङ्का ] भट्टाज्ञट ने [ न केवल वस्तुद्वय की प्रतीति में अपितु ] अलङ्घारान्तर की प्रतीति होने पर भी श्लेष व्यवहार [ होता है यह ] दिखाया है । इसलिए शब्दशक्तिमूल अनि का अपसर फिर भी [ कहीं ] नहीं रहता ।

[ उत्तर ] इसी आशङ्का के कारण [ कारिकाकार ने ] आचिप्त यह [ पद ] कहा है । इसका यह अर्थ हुआ कि जहां शब्द शक्ति से साक्षात् वाच्य रूप में अलङ्घारान्तर की प्रतीति होती है वह सत्र श्लेष का विषय है और नहीं शब्द शक्ति के बल से आचिप्त वाच्यरूप स मिन, अपहर रूप स ही दूसर अलङ्घार की प्रतीति होती है वह अनि का विषय है ।

शब्द शक्ति से साक्षात् [ वाच्य रूप स भी ] दूसरे अलङ्घार की प्रतीति हा समर्थी है । चैसे—

हार के विना भी रथभापत ही [ मन ] हारी उसके स्तवन रिस [ के मन ] में विस्मय उपन्न नहों करते ।

१ अथ दी० । २ अलङ्घार निं० ।

अत्र शृङ्खारव्यभिचारी विस्मयारथो भावः साक्षात् विरोधालङ्कारश्च प्रतिभासते, इति विरोधच्छायानुप्राहिण. श्लेषस्यायं विपयः । न त्वनु-  
स्वानोपमव्यङ्ग्यस्य ध्वने । अलद्यकमव्यङ्ग्यस्य<sup>१</sup> तु ध्वनेवाच्येन  
श्लेषेण विरोधेन वा व्यञ्जितस्य विपय एव ।

यथा भूमैव—

श्लाघ्याशेषततुं सुदर्शनकर. सर्वाङ्गलीलाजित-<sup>१</sup>  
त्रैलोक्या चरणारविन्दललितेनाकान्तलोको हृषि ।  
विभ्राणा मुखमिन्दुरुपमरिल चन्द्रात्मचक्षुर्दधत्  
स्थाने या स्वतनोरपश्यदधिका सा रक्षिमणी चोडवतान् ॥  
अत्र वाच्यतयैव व्यतिरेकन्द्वायानुप्राही श्लेष प्रतीयते ।

यहाँ शङ्खार [ इस । इस व्यभिचारो भाव प्रिस्मय [ प्रिस्मय शब्द से ] और [ अपि शब्द से ] विरोधालङ्कार [ दोनों ] साक्षात् [ वाच्य रूप में ] प्रतीत होते हैं । इसलिए यह विरोध को द्वाया में अनुगृहीत श्लेष का विपय है, अनुस्वानसन्ति भ [ सलव्यकम व्यङ्ग्य ] ध्वनि का नहीं । परन्तु [ श्लोक में श्लेष तथा विरोध का अङ्गाभिभाव महर होते से ] वाच्य, श्लेष अथवा विरोध [ अलङ्कार ] से अभिव्यक्त असलव्यकम ध्वनि का [ तो यह श्लोक ] विपय है ही ।

[ अलङ्कारान्तर के वाच्यतया प्रतीत होने का दूसरा उदाहरण ] जैसे मैता ही :—

[ सुदर्शनकरः ] जिनका केवल हाथ ही सुन्दर है [ अथवा सुदर्शन चक्र युक्त होने से सुदर्शनकर पिण्ड ] जिन्होंने केवल चरणारविन्द के सौन्दर्य से [ अथवा पाद रितेप से ] तीनों लोकों को आक्रान्त किया है और जो चन्द्र रूप [ से केवल ] नेत्र द्वी प्राप्त करते हैं [ अर्थात् जिनका केवल पृथक नेत्र ही चन्द्र रूप है ] ऐसे पिण्ड ने अन्वित देहव्यापि सौन्दर्यशालिनी, सर्वाङ्ग सौन्दर्य से वैलोक्य प्रिज्य करने वाली और चन्द्रसटश समूर्ण मुख को धारण करने वाली जिन [ रक्षिमणी देवी ] को उचित रूप से ही अपन शरीर से उत्कृष्ट देखा वह रक्षिमणी देवी तुम सबसी रक्षा करें ।

यहाँ व्यतिरेक वी द्वाया को परिपुष्ट करने वाला श्लेष [ ‘स्वतनोरपश्य-  
दधिका’ इस पद से ] ही वाच्य रूप में प्रतीत होता है ।

१ व्यङ्ग्यप्रतिभासस्य नि०, दो० । १. जीत नि० ।

यथा च —

भ्राममरतिमलसन्दयता प्रलय मूढ़ां तम शरीरसादम् ।  
मरण च जलदभुजगत ग्रसह्य कुरते विष वियोगिनीनाम् ॥

यथा चा —

चमहिअमाणसरुद्धणपङ्ग्याणिमहिअपरिमिला जस्स ।

अर्तेहिअदाणपसारा वाहुप्पलिहा विष्य गइन्दा ॥

सरिडतमानसकाञ्चनपङ्ग्यजनिमधितपरिमिला यस्य ।

असणिडतदानप्रसरा वाहुपरिष्ठा इव गजेन्द्रा ॥ इति छाया ।

अन्न सूपकच्छायानुग्राही श्लेषो वाच्यतयैवावभासते ।

[ अलङ्कारान्तर वाच्यतया प्रतीत होने का इसी प्रकार का तीसरा उदाहरण ] और जैसे —

मेघरूप सर्द स उत्पन्न विष [ विष शब्द के जल और हालाहल दोनों वाच्यार्थ होते हैं ] नियोगिनी को चक्कर, वैचैनी, अलसहदयत्व ज्ञान और चेष्टा का अभाव [ 'प्रलय सुष्टुप्याम्या चेष्टाज्ञाननिराकृति' ], मूर्ढा, तम, शरीरसाद और मरण बलात् उपन्न कर देता है ।

यहा निष शब्द के जल तथा जहर दोनों वाच्यार्थ होते हैं । वैसे प्रकरणादि द्वारा नियन्त्रित हो जाने पर तो अभिधा शक्ति एक ही अर्थ का वोधन करती परन्तु यहा भुजग शब्द भी दिया हुआ है इसलिए अभिधा शक्ति वेवल जल रूप अर्थ को वोधन करके विआत न होकर दोनों ही अर्थों को वोधन करती है । इसलिए नरीन मतानुसार यहा शब्दश्लेष और प्राचीन मतानुसार अमङ्गश्लेष अर्थश्लेष — है । नरीन मतानुसार 'भ्रमिमरति' आदि पदों में 'स्तोऽनेन्नति मायाति, आदि के समान अर्थश्लेष है । और 'जलदभुजग' में रूपक है । इस प्रकार रूपक और रूपकच्छायानुग्राही श्लेष दोनों वाच्यतया प्रतीत होते हैं । यह भी श्लेष का ही स्थल है । शब्दशक्तिमूल व्यनि का नहा ।

अथवा जैसे —

निराश शपुर्थों के मन रूप स्वर्ण कमलों के निर्भयन के कारण यश सौंरभ को फैलाने वाले और निरन्तर दान में लग हुए निषके बाहु दण्ड ही मानसरोवर के स्वर्णकमलों को ताङ्ने स सुगन्धयुक्त और अनग्रहत मड़ प्रथाहित करने वाले हाथी के समान हैं ।

यहाँ [ इन दोनों उदाहरणों ] रूपकच्छायानुग्राही श्लेष वाच्य रूप से ही प्रतीत होता है ।

यहा गणेन्द्र शब्द के कारण ‘निर्मिति’ ‘परिमल’ और ‘दान’ शब्द अमश तोड़ना, सोरभ, और मद इस रूप अर्थ को प्रतिपादन वरके भी पैलाने, प्रतापसौरभ अथवा यश परिमल और दान [ स्वस्मत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वलोक्यादन दानम् ] अर्थ को भी प्रोधित करते हैं । इस प्रकार यहा रूपकच्छायानुग्राही श्लेष वाच्यतया ही प्रतीत होता है । अतः यह सब श्लेष के विषय हैं शब्दशक्तिमूल ध्वनि के नहा ।

इस इकीसवा कारिका “आक्षिप्त एवालङ्कार शब्दशक्त्यावभासते । यस्मिन्ननुक्त शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि स ।” में शब्द शक्तिमूलध्वनि का विषय निधारित किया है । जहा अलङ्कार वाच्य न हो अपितु आक्षिप्त-शब्द सामर्थ्य से व्यञ्जय हो वहा शब्दशक्तिमूल ध्वनि का विषय है । यह उसका तात्पर्य है । और जहा वस्तुदय या अलङ्कारान्तर वाच्य हों वहा श्लेष का विषय होता है । इस प्रकार यहा तक कारिकागत ‘आक्षिप्त’ शब्द के व्यवच्छेत्र का प्रदरण किया । जहा अलङ्कारान्तर आक्षिप्त हो-व्यञ्जय हो—वहीं शब्दशक्तिमूल [ अलङ्कार ] ध्वनि होगा । जहा वाच्य होगा, वहा नहा । इसी प्रकार के उदाहरण ‘येन ध्वस्त०’ से लेकर ‘खण्डित मान०’ तक दिए हैं । इनमें से पहिले ‘येन ध्वस्त मनो०’ में वस्तुदय वाच्य हैं और शेष उदाहरणों में अलङ्कारान्तर वाच्य प्रतीत होते हैं । इसलिए यह सब शब्दशक्तिमूल ध्वनि के उदाहरण न होकर श्लेष के उदाहरण हैं । आगे कारिकागत ‘एव’ शब्द का व्यवच्छेत्र दिखलाएंगे ।

सभी भाषाओं में बहुत से शब्द अनेकार्थक होते हैं परन्तु वह अधिकाश स्थलों पर प्रकरणादिवश एक ही अर्थ को वोधन कराते हैं अनेक अर्थों को नहीं । इसका कारण उनसा प्रकरण आदि द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रण हो जाना हो इसरे यहा अनेकार्थक शब्द के एकार्थ में नियन्त्रण के विशेष हेतु माने गए हैं । उन हेतुओं का समझ बरने वाली निम्नाद्वित कारिकाएँ वस्तुत भर्तृहरि के वाक्यपदीय नामक व्याकरण ग्रन्थ की हैं परन्तु आलङ्कारिकों ने वैयाकरणों के ध्वनि शब्द के समान इन कारिकाओं को भी अपना लिया है । इसी से साहित्य के सभी मुर्य ग्रन्थों में उनसा उल्लेख मिलता है । कारिकाएँ निम्न प्रसार हैं —

। “सुयोगो विग्रहोगज्ज्व साहचर्ये विरोधिता ।

अर्थ प्रकरण लिङ्ग शब्दरवान्प्रस्त्र मन्त्रिधि ॥

स चाक्षिप्तोऽलङ्कारो यत्र पुन शादान्तरेणाभिहितस्वरूपस्तत्र  
न 'शादशब्दत्युद्घवानुरणनरूपव्यञ्जय' नित्यवहार । तत्र वक्तोक्त्यादि  
वाच्यालङ्कारव्यवहार एत्र । यथा—

सामर्थ्यमौचिती देश कालो व्यक्ति स्वरादय ।  
शब्दार्थस्याननन्द्येदे विशेषत्मृतिहेतव ॥१॥

शब्दार्थ का निश्चय न होने की दशा में अथात् अनेकार्थ शब्द प्रयोग की अवस्था में उसका विशेषतया एक अर्थ विशेष में नियमन करने के हेतु संयोग, विप्रयोग साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रस्तरण, लिङ्ग, शब्दात्तर का सन्निधान, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्याकृत और स्पर आदि होते हैं ।

जहा अनेकार्थक शब्द का प्रयोग तो हो परतु उसके एकाध में नियमण करने वाले इन कारणों में स प्रकारणादि रूप कोई कारण उपस्थित न हो यहां शब्द के दोनों अर्थ वाच्य होते हैं । नैसे 'येन खस्तमनोभवेन' श्लोक में एकाध नियामक हेतु न होने से दोनों अर्थ वाच्यतया प्रतीत होते हैं । इसलिए स्पष्ट ही श्लोक का विषय माना जाता है, शब्दशक्तिमूल ध्वनि का नहीं । क्योंकि वहा अर्थ आक्षिप्त नहा है वाच्य है ।

इसके अतिरिक्त जहा द्वितीय अर्थ को अभिधा से वोधन करने के लिए कोई साधक प्रमाण उपस्थित है वहा द्वितीयाध की प्रताति अभिधा से ही होती है । इस प्रकार के चार उदाहरण 'तम्या विनापि हारेण०' 'श्लाच्याशोपतनु०' 'अग्मरतिं०' और 'सरिङ्गत मानस०' उपर दिए गए हैं । इनमें अपि शब्दों के प्रयोग रूप से 'हारिणी' आदि शब्द 'हारयुक्ती' और 'मनोदरी' दोनों अर्थों को अभिधया वोधन करते हैं । इसलिए इन सर उदाहरणों में रूपालङ्कार है । शब्दशक्ति मूल ध्वनि नहा । इसके अतिरिक्त जहा अभिधा ना नियामक हेतु होने पर भी प्रबल वाधक हेतु के कारण वह आक्षिप्त कर हो जाता है वहा भी शब्दशक्तिमूल ध्वनि नहा होती । यदों यात्र आगे सोदाहरण लिखते हैं ।

[ 'स चाक्षिप्तो में च शाद अपि वे अर्थ में भिन्न वस्तु है अत आक्षिप्त के बाद अपि अर्थ म प्रयुक्त हानि म आक्षिप्ता पि ।' ] आक्षिप्त होने पर भी अर्थात् आक्षिप्ततता प्रतीत हानि पर भी, [ प्रबलतर वाधक हेतु के कारण एकार्थ नियामक हेतु के अक्षिप्त कर हा चाने स ] जहा वह अलङ्कार दूसर शाद से

१ न नहीं ह नि० दी० । २ (नव किन्तु) दी० में अधिक ह ।

यथा—

हृष्टया केशव गोपरागडतया किञ्चिन्न हृष्टं मया,  
तेनैव स्त्रलितास्मि नाथ पतिता किन्नाम नालभ्वसे ।

एकुस्त्व विषमेषु खिन्नमनसा सर्वापलना गति—  
गोप्यैव गदित सुलेशमयताद् गोणे हरिर्वशिचरम् ॥

एवज्ञातीयक सर्वे एव भवतु काम वाच्यश्लेपस्य विषय ।

अभिहित रूप ही जाता है वहा शब्द शक्युद्भव सलव्यक्रम ध्वनि का व्यवहार नहीं होता वहा वक्त्रोचित आदि वाच्यालङ्कार का ही व्यवहार हीता है । जैसे—

हे केशव [ कृष्ण ] गोपी की [ उडाई ] धृति से दृष्टि हरण ही जाने से मैं [ रास्ते की विषयता आदि ] बुद्ध नहीं देय सकी, इसी से [ टाकर खाकर ] गिर पड़ो हूँ । हे नाथ गिरीहुई [ मुझ ] को [ उठाने के लिए आप अपने हाथ से ] पकड़ते क्यों नहीं हैं । [ हाथ का सहारा देकर उठाने में क्यों सङ्कोच करते हैं । ] विषय [ ऊबड़ सापड़ रास्ते ] स्थला में घबडा जाने वाले [ न चल सकने वाले बाल बृद्ध वनितादि ] निर्वल जनों के [ अवन्त शक्ति शाली ] बैरल आप ही एक मात्र सहारा हो सकते हैं । गोप्य [ गोशाला ] में द्वयर्थक शब्दों में गोपी द्वारा [ अथवा सलेश समूचर्ण । अल्पीभवन हि सूचनमेष्ट ] इस प्रकार कहे गए कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ।

[ सलेश पद की सामर्थ्य से दूसरा अर्थ इस प्रकार प्रतीत होता है ] इस पच में ‘केशवगोपरागमहतया’ की व्याख्या दो प्रकार से होती है पूक तरह तो केशव और गोप दोनों सम्बोधन पद हैं । गोप का अर्थ रक्षक, स्वामी है । हे स्वामिन् केशव आपके अनुराग में अन्धी होकर मैंने बुद्ध नहीं देखा भाला । अध्यया [ केशवग य उपराग केशवगोपराग ते॒ हनया मु॒ गया ] हे केशव स्वामिन् आपके अनुराग से अन्धी होकर मैं ने बुद्ध देखा भाला नहीं । सोचा विचारा नहीं [ इसलिए ] अपने पतित धर्म स भट्ट [ पति । ] होगहूँ हूँ । हे नाथ [ अथ आप मेरे प्रति ] पतिभाव क्यों ग्रहण नहीं करत [ मेरे ग्राथ पति बदू व्यवहार, सम्मोगादि क्यों नहीं करते । ] क्योंकि काम [ वायना ] म सम्भवत भव चालो [ विषमेषु रूच्याल काम ] सम्भव अपलायों [ गोपियों ] की पूर्मात्र आप ही गति [ देव्यादि रहित तृष्णियाथन ] हो । इस प्रकार गोशाला में गोपी द्वारा लेश पूर्वक कहे गए कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ।

इम प्रकार के मत उदाहरण भवे हो वाच्य श्लेष के विषय हों ।

यत्र तु सामर्थ्याङ्गिप्त सदलेष्टारान्तरं शब्दशक्तया प्रकाशत सर्वे एव धनेविषयः । यथा—

“अग्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसहरननुभवत श्रीप्रामिदान फुल-  
मलिलकावयलाद्वाहासो महाराज ।”

यथा च—

उन्नत श्रोल्लसद्वार कालागुरुमलीमस ।  
पश्योधरभरस्तन्या क न चक्रेऽभिलापिणम् ॥

यहाँ यदि सलेश पद का प्रयोग न होता तो वेश्वरोपरागहृतया, पतिता आदि शब्दों के अनेकार्थ समय होने पर भी प्रकरणादि वरा एकार्थ में नियन्त्रण हो जाने से वह एक ही अर्थ को गोधन करते। परन्तु सलेश पद की उत्तरस्थिति ने प्रकरणादि की एकार्थ नियामन सामर्थ्य को कुरिड़त कर दिया है जिससे अभिधा प्रतिप्रसूत सी होने दोना अर्थों को वायतया बोधिन करती है। इसलिए वह शब्दशास्त्रिमूल भवनि का नहा अधितु प्रलेप का ही विषय है।

इस प्रसार यहा तक श्लेष का विषय दिखाया। परन्तु इसमा अर्थ यह नहीं है कि पृष्ठ १६५ पर भड़ोदमर का उल्लेख करते हुए 'पुनरपि शब्दशक्ति मूलो भवनिनिरवगाश' यह जो आशङ्का की थी वह ठाक ही हो। वस्तुत उनसे मिन शब्दशक्तिमूल भवनि का विषय भी है। यह आगे दिखाते हैं।

जहा शब्द शकि से सामर्थ्यानित होकर अलङ्कारान्तर प्रतीत होता है वह सब घनि का विषय है। जैसे — अपु अपु suggestive प्राप्ति

इसी समय पुष्पसमृद्धि युग [ अथान् वर्मन के चैत्रपौशाष युगल मास ] का उपसहार करता हुआ, यिलो हुई मलिलकाश्या [ उको ] के, अटालि काश्यों की धमलित कर र बाल हास [ रिसास ] स परिपूर्ण, [ दूसरा शर्य ] प्रलय काल म हृतयुग आनि का सहार करते हुए आर यिला हुई जुही क समान धवल अद्भुत्य करत हुए महाकाल शिव क समान, ग्राम नामक महाकाल प्रकर हुया ।

और जैस —

काले अगर के समान छप्पण वर्षा, रियुद्धारा अथवा जल धारा से सुशाभित, [ उस वया जनु के उमड़त हुए ] मां समृह न [ दूसरा अर्थ ] काल अगर [ के लिए ] स छप्पण वर्षा, हारों स अच्छज्ज्ञत [ उस बामिनी के ] उन्नत

उरोजों के समान इस [पथिक या किस युवक] को [उस कामिनी अथवा अपनी दयिता के मिलन के लिए] उत्कर्षित नहीं कर दिया।

इस श्लोक का उपलब्ध पाठ 'पयोधरभरस्ताव्या' के न चक्रेऽभिलापिण्म् है। उसने अनुसार एक पक्ष में तो तन्वी के स्तन युग ने किस को [उसको प्राप्ति के लिए] उत्कर्षित नहा न दिया। यह सीवा अर्थ संग जाता है। पयोधर और तन्वी का सम्बन्ध निरन्तर है। परन्तु दूसरे वर्षा वर्णन वाले अर्थ में किस पथिक को तन्वी का अभिलापी नहीं जनाया इस प्रकार का अर्थ करने से ही सङ्गति होगी। लोचन की गालप्रिया टीकाकार ने 'तन्या' की जगह 'तस्या' पाठ माना है। उस सर्वनाम 'तस्या' का सम्बन्ध दोनों पक्षों में पयोधर के साथ ही रहता है। उस प्रावृद्ध वर्षा के मेघ और उस कामिनी के उरोज यह अर्थ दोनों पक्षों में संग जाता है।

इन दोनों गद्य और पञ्चात्मक उदाहरणों में द्वितीयार्थ की प्रतीति शब्द शक्ति से वान्य न होकर सामर्थ्यान्तिष्ठित रूप में व्यञ्जना द्वारा होती है इसलिए शब्द शक्ति मूल खंडन का विषय है।

इस स्थल पर 'शब्दशक्त्या' और 'सामर्थ्यान्तिष्ठित' दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। शक्ति और सामर्थ्य शब्द समानार्थक होने से उन दोनों शब्दों के प्रयोग का प्रयोजन या भेद प्राय समझ में नहा आता। इसलिए उसको यो समझना चाहिए कि सामर्थ्य शब्द का अर्थ यहा सादृश्यादि होता है। अर्थात् दूसरे अर्थ की प्रतीति शब्दशक्ति से सादृश्य आदि के द्वारा होती है। इस द्वितीयार्थ प्रतीति के पिछे में मुख्यत तीन प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं।

पहिले मत यह है कि महाराल आदि शब्दों की शिव अर्थ में अभिधा शक्ति जाता को पूर्व से गृहीत है। महाराल शब्द शिव रूप अर्थ में रुद्ध है। और दूसरा 'मशन् दीप दुरतिग्रह कल' यह ग्रीष्म पक्ष में अन्वित होने वाला अर्थ यौगिक अर्थ है। साधारणत "योगादृष्टिर्लीयसी" इस न्याय के अनुमार यौगिकार्थ की अनेका रूप अर्थ मुख्यार्थ होता है। पहिले गायात्मक उदाहरण में परन्तु वर्णन प्रकृत होने से ग्रीष्म पियरु अर्थ प्रकृत अर्थ है। परन्तु वहा महाराल शब्द का रूप अर्थ प्रकरण में अन्वित नहा होता इस लिए उस साधारण नियम का उल्लंघन करके यौगिक अर्थ लिया जाना है। परन्तु श्रोता को उस शब्द का शिव, अर्थ, ये, मुकेन-ग्रह है। इसलिए प्रकरणवश अभिधा शक्ति का एकार्थ में नियन्त्रण हो जाने पर गृहीत सहत पद से सादृश्यादि सामर्थ्यवश ध्यनम व्यापार द्वारा अप्राकृतिक शिव रूप अर्थ की भी प्रतानि होती है। इस प्रकार द्वितीयार्थ के योधन के सबैतेग्रह

मूलक आर ध्वनन व्यापार मूलक होने से उसको शब्दशक्तिमूल ध्वनि कहते हैं। इसमें 'शब्दशक्तिमूल' शब्द उसके अभिधा सहजत और 'ध्वनि' शब्द उसके व्यञ्जना व्यापार का बोधक है। अत उसके नामकरण में दोनों शब्दों का प्रयोग पिछल नहा है।

दूसरा भत "शाब्दी हि आरांक्षा शब्देनैव पूयते" सिद्धात के अनुसार भीमासक कुमारिल भट्ट क 'शब्दाःयाहारवाद' पर आधित है। इसके अनुसार जहा जितने भी अर्थ प्रतीत होते हैं वह सर शब्द से अभिधा द्वारा ही बोधित होते हैं। उस वाक्य में शब्द चाहे एक ही सुनाई देता हो परन्तु अर्थरोध के समय प्रत्येक अर्थ के बोधन के लिए अलग अलग शब्द अभ्याहार द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। यह अनेक शब्दों की उपस्थिति भी कहा एकार्थ म नियन्त्रण न होने पर अभिधा द्वारा और कहा एकार्थ में नियन्त्रण हो जाने पर ध्वान या व्यञ्जना द्वारा होती है। जैसे श्लेष न शब्दश्लेष और अथ श्लेष दा भद्र माने गए हैं। प्रचीन ग्राचार्यों ने 'सर्वदोमाधव' [पृष्ठ १६४ देखो] आदि सभज्ञ श्लेष को शब्द श्लेष माना है। इसमें दोनों अर्थों को बोधन करने वाले शब्द अलग अलग ही हैं। एक पक्ष में 'सर्वद माधव' शब्द हैं और दूसरे में 'सर्वदा उमाधव' शब्द हैं। यह दोनों अर्थरोधक शब्द विद्यमान ही हैं इसलिए दोनों अभिधा शक्ति से अपने अपने अर्थ को बोधन करा दते हैं। दूसरे अभज्ञ अर्थात् अथश्लेष में यत्रपि 'अन्वय-क्षयर' यह एक ही शब्द सुनाई देता है परन्तु अर्थरोध के समय समानानुपूर्गार इसी शब्द की "प्रत्यर्थी शब्दा भिन्नते" इस न्याय के अनुसार दुवारा कल्पना की जाती है और वह कल्पित दुआ दूसरा शब्द अभिधा द्वारा द्वितीयार्थ का बोधन करता है।

प्राचीन विद्वानोंमध्यी में प्रदेलिकाभ्यों के रूप में वैदग्ध्यप्रदर्शक प्रश्नात्तर का एक विशेष प्रकार पाया जाता है। इस समन्वय का विशिष्ट ग्राम विदग्धमुग्ध मण्डन है। इस प्रश्नोत्तर प्रकार के अनुसार 'क इतो धावति' और 'किंगुण-विशिष्टस्च इतो धावति' कौन इधर दोऽर रहा है और इस गुण स सुच इधर दोऽर रहा है यह न्यौ प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का एक उत्तर 'श्वेतो धर्मात् है। पद्मिले प्रश्न 'क इतो धावति' के उत्तर में उसक 'श्वा इतो धावति' यह दो खण्ड किए जाते हैं और द्वितीय प्रश्न 'किंगुणविशिष्ट इतो धावति' के उत्तर में 'श्वेतो धावति' यह एक पद रहता है। इस प्रकार दो अर्थ बोध करने के लिए दो गार शब्द की कल्पना की जाती है। इन अर्थश्लेष और प्रश्नोत्तरादि क प्रकृत्ती में

यथा वा —

दत्तानन्दा प्रजाना समुचितसमयाकृप्रसृष्टे पयोभि ,  
पूर्वाहे पिप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यहि सहारभाज ।  
दीपाशोर्दीर्घदु रप्रभवभग्भयोदन्वदुत्तारनाचो,  
गाचो व पावनाना परमपरिमिता प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥

द्वितीय शब्द की उपस्थिति एकाथ में नियन्त्रण न होने से अभिधा द्वारा ही होती है इसलिए यह सब वाच्य श्लेषालङ्कार के उदाहरण होते हैं।

परन्तु 'उमुमसमययुगमुपसहरन्' इत्यादि उदाहरणों में प्रकरणादिवश अभिधा के नियन्त्रित हो जाने से द्वितीय बार पद की उपस्थिति अभिधा से न होकर अनन्त व्यापार से होती है और अनन्त व्यापार से उपस्थित होने के बाद शब्द अभिधा शक्ति से द्वितीयाथ का बोधन करता है। इस प्रमाण यत्यपि द्वितीयाथ की प्रतीति अभिधा से ही होती है परन्तु उस शब्द की उपस्थिति अनन्त या अनन्त व्यापार द्वारा होने से इसको शब्दशक्तिमूल बान ही रुहा जाता है।

तृतीय मत के अनुसार प्रथम प्राकरणिक ग्रथ आभधा से उपस्थित हो जाता है उसके बाद प्रकरणादि वश आभधा का एकार्थ में नियन्त्रण होने पर भी जो अथ सामय्य, सादृश्यादि है उसके कारण अभिधा शक्ति प्रतिप्रसूत होता है। इस प्रमाण द्वितीयाथ आभधा शक्ति से ही बोधित होता है। द्वितीयाथ के बोधन हो जाने के बाद उस अप्राकरणिक अथ की प्राकरणिक अथ के साथ अत्यन्त असमर्दाथता न हो जय इसालए उन दोनों अर्थों के उपमानोपमेय भाव आदि की कल्पना का जाती है। यहाँ यह कल्पना व्यञ्जना वृत्ति का विषय होती है। इसलिए वहाँ उपमालङ्कार व्यञ्जय कहलाता है। प्रहृत 'उमुमयुगसमयमुपसहरन्' व ले उदाहरण में रूपर के व्यञ्जना वृत्ति वा विषय होन स रूपमालङ्कार व्यञ्जय है। इसीलिए इसको शब्दशक्तिमूल अनि कहते हैं।

आगे शब्दशानमूल भान के और उदाहरण देते हैं।

अथवा ऐसे—

समुचित समय [मूर्यकिरण वक्त व ग्राम अनु और गाय वक्त व में दाहन पूर्वकाल ] पर आहृष्ट [ समुद्रादि स वापरस्य मे आहृष्ट पक्षान्तर में अयन म चडाण हुए ] और प्रदत्त जन्म तथा दृग्यों म प्रना को आनन्द उन याली, प्रात

एपदाहरणेषु शादशक्त्या प्रकाशमान सत्यप्राकरणके अर्थान्तरे, वाक्यस्यासम्बद्धार्थाभिधायित्वं मा प्रसाचीदित्यप्राकरणप्राकरणका अर्थयोग्यमानोपमेयभाव कल्पयित्वाय । सामर्थ्यादित्यर्थाच्छिप्तोऽयं श्लेषो न गद्वोपासु इति विभिन्न एव श्लेषादनुस्वानोपमव्यङ्ग्यस्य धृने-प्रिप्य ।

काल [ सूर्योदय के कारण पचान्तर म चरने जाने के कारण ] चारों दिशाओं में फैल जाने वाली और सूर्यास्त के समय [सूर्यास्त के कारण पचान्तर म चर कर लौट आने के कारण ] एकमित हो जाने वाली दीर्घकालब्यापी दुख के कारण भृत भग्सागर को पार करने के लिए नौकारूप पिश्व के पवित्रपदार्थों में सर्वोक्तुष्ट गौआओं के समान सूर्यदर को किरणेण तुम्ह अनन्त सुप्र प्रदान करें ।

इन [ १ उसुमसमययुगमुपसहरन् २ उद्धत प्रोल्लसद्वार ३ दत्तानन्दा इन तीनों ] उदाहरणों म शब्द शक्ति से अप्राप्तरणिक दूसरे अर्थ के प्रकाशित होने पर वाक्य की असबद्धार्थोधकता न हो जाय इसलिए प्राप्तरणिक और अप्राप्तरणिक अर्थों का उपमानोपमेयभाव कृपना करना चाहिए । इस प्रकार शब्दसामर्थ्य [ सादर्यादि ] वश श्लेष आच्छिस रूप म उपस्थित होता है न कि शब्दनिष्ठ रूप म । इसलिए [ इन उदाहरणों में ] श्लेष स अनुस्पानसञ्जिभ सलच्यकम व्यङ्ग्य का विषय अलग ही है ।

इसका अभिग्राय यह हुआ कि १ अथातरे २ उनत तथा ३ दत्तानन्दा इन तीनों उदाहरणों में प्रस्तुतवशा अभिधा का एकार्थ में नियशण हो जाने से प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति अभिधा से हो जाने के बाद शब्द शार्त अर्थात् अभिधा मूला व्यञ्जना से अप्राप्तरणिक दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है । इन वाच्य और व्यङ्ग्य, प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों में यदि विसी प्रभार वा सम्बन्ध न हो तो वाक्य म अनन्वितार्थोधकत्व दोष हो जायगा । इसलिए उनका उपमानोपमेयभाव सम्बद्ध कल्पना अर्थात् व्यञ्जना गम्य मानना होता है । इस प्रभार वाच्याथ प्रस्तुत होने से उपमेय और व्यङ्ग्यार्थ अप्रस्तुत होने से उपमान रूप में प्रतीत होता है । इस प्रकार द्वितीय अर्थ वाच्य न होने से शब्दोपासु न होने स यह श्लेष का विषय नहा है अपितु शब्दशक्ति मूल [ ग्रलङ्घार ] व्यनि का विषय है । इस प्रभार श्लेष और व्यनि का विषय विभाग स्पष्ट हा जाता है । ‘उपमानोपमेयभाव १ कल्पयित्वाय’ से यह सूचित किया है कि अलङ्घार व्यनि में सर्वत्र व्यतिरचन निष्ठ्य आदि ‘प्रभार’ ही आस्वाद प्रतीति के प्रभान विभान्नस्थान होते हैं, उपमेयादि नहा ।

अन्येऽपि चालङ्गारा शब्दशक्तिमूलानुभानहपद्यद्वयं तत्त्वे  
सम्भवन्त्येव । तथाहि विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूलानुभानस्पो दृश्यते ।  
यथा स्याएवीश्वरारथजनपदवर्णने भट्टवाणस्य—

“यत्र च ‘मातङ्गगामिन्य शीलपत्यश्च, गौर्यो विभवरतारच,  
श्यामा पद्मरागिण्यश्च, ववलद्विजशुचिवदना भद्रिमोदश्वसनाश्च’  
प्रमदा ।”

शब्दशक्तिमूल सलव्यक्तमध्यद्वय ध्वनि में [पूर्वोक्त उपमा के अतिरिक्त] और भी अलङ्कार हो ही सकते हैं । इसी से शब्दशक्तिमूल सलव्यक्तमध्यद्वय पिरोध [अलङ्कार] भी निखार्दे देता है । जैसे थानेश्वर नामक नगर के घर्षण [प्रसन्न] में वाणि भट्ट का —

जहाँ गजगामिनी और शीलपती [दूसरे पक्ष में मातङ्ग का अर्थ चालङ्गाल, मातङ्गगामिनी अर्थात् चालङ्गाल स भोग करने वाली और शीलपती यह पिरोध प्रतीत होता है जो गजगामिनी अर्थ करने से नहीं रहता] । गौरवर्ण और वैभव निमग्न [दूसरे पक्ष में गौरी पार्वती और भव शिव, विभव शिव निमग्न से रमण करने वाली यह पिरोध हुआ जो प्रथम अर्थ करने पर नहीं रहता । ‘श्यामा यौवन मध्यस्था’] तरणी और पद्मराग मणियों [के अलङ्कारों] से युक्त [पक्षान्तर में श्यामवर्ण और कमल के समान रागयुक्त यह पिरोध हुआ जो प्रथम अर्थ करने पर नहीं रहता । निमंल वाह्यण के समान परिग्रह मुख वाली और भद्रिमान्ध सुकृ श्यास वाली यह पिरोध] शुभ दून्तयुक्त स्वर्वद्व मुख वाली [अर्थ करने से परिहृत हो जाता है] दिया है ।

आलोककार ने हर्ष चरित वा यह उद्धरण पूरा नहा दिया है । अन्तिम ‘प्रमदा’ पद के पूर्व चार पाक्षया इसी प्रभार के विशेषणों की और भी हैं । परन्तु इतने ही अश से उद्धरण पूरा बन जाता है इसलिए ग्रन्थकार ने शेष भाग को छोड़ दिया है । निर्णयष्टागरीय सम्परण ने उस परित्यक्त भाग को भी बोधक के भीतर देकर मूल ग्रन्थ के साथ ही छोप दिया है । परन्तु वह यस्तुत

१ मत्तमातङ्ग नि०, दी० । २ ‘चन्द्रकान्तवपुष शिरीषबोमलाङ्गयश्च,  
अभुजङ्गगम्या छञ्चुकिन्यश्च, पृथुवलश्रिष्ठियो दरिद्रमध्यक्षिताइश्च, लावण्यवत्पो  
मधुरनाविष्णश्च, अपमत्ता प्रतमोऽग्नदलरागश्च, अङ्गौनुवा प्रोढाइश्च’ इतना  
पाठ प्रमदा के पूर्व और है । नि०, दी० ।

अन हि वाच्यो विरोधस्तच्छायानुप्राही वा श्लेषोऽयमिति न  
शक्य चक्तुम्<sup>१</sup> । साक्षाच्छब्देन निरोधालङ्कारस्याप्रकाशितत्वात् । यत्र  
हि साक्षाच्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारस्तत्र हि शिलष्टोक्ते वाच्यालङ्कारस्य  
विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम् । यथा तत्रैव<sup>२</sup>—

मूल ग्रन्थ का पाठ नहीं है । मूल ग्रन्थ में इतना ही अर्थ उदाहरण रूप में उद्धृत  
हुआ है ।

इस प्रकार यहा श्लेषानुग्राणित विरोधाभास की प्रतीति होने पर भी  
विरोधाभास के बाचक अपि शब्द क अभाव के कारण निरोधाभास को  
वाच्य नहीं कहा जा सकता है । इसी प्रकार प्रसुत और अप्रसुत दानों अर्थों  
के वाच्य न हास्तर अप्रसुत अर्थों की प्रतीति अभिधामूला व्यञ्जना से होने के कारण  
श्लेष को वाच्य नहीं कहा जा सकता है, अपितु व्यञ्जय ही है । अतएव यह  
अभिधामूल अलङ्कार ध्वनि का उदाहरण है ।

जिस श्लेष मुक्त वाक्य में विरोध साक्षात् शब्द से बोधित होता है वहाँ  
वाच्य निरोधाभास अलङ्कार अर्थवा श्लेषालङ्कार वाच्य का विषय होता है । अपि  
शब्द अर्थवा विरोध शब्द ही विरोध के बाचक शब्द हैं । अगले ‘समराय इव  
विरोधिना पदार्थनाम्’ इत्यादि उदाहरण में निरोध शब्द होने से निरोधालङ्कार  
वाच्य है और उसका उपकारी श्लेष भी उसके अनुरोध से वाच्य माना जाता है ।

यहा प्रश्न यह होता है कि अपि शब्द और विरोध शब्द को तो आप  
विरोध का बाचक शब्द मानते ही हूं परन्तु उनके अनिरिक्ष पुन एवं प्रयुक्त  
समुच्चयार्थक च शब्द भी विरोध का बाचक शब्द मानना चाहिए । ‘मत्तमातङ्ग-  
मिन्य शीलवत्प्रश्च, गौयो रिभरताश्च’ इत्यादि उदाहरणों में और  
‘उन्निदित्तशालान्धकारा भास्यन्मूर्तिश्च इत्यादि उदाहरणों में चकार का पुन एवं  
प्रयोग होने से निरोधालङ्कार को वाच्य ही मानना चाहिए, वाच्य नहा । इसलिए  
यहाँ भी ‘मास्यन्मूर्तिश्च’ के समान ‘शीलवत्प्रश्च’ आदि में निरोधालङ्कार को  
वाच्य ही मानना चाहिए इस अद्वितीय को मन में रख कर अनना बनाया दूसरा  
उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं ।

यहाँ विरोधालङ्कार अर्थवा निरोपच्छायानुप्राही शब्द वाच्य है यह नहीं  
कह सकते हैं क्योंकि साक्षात् शब्द स निरोधालङ्कार नकारित नहीं हुआ है ।

१ अरिकुम् दी० । २ तत्रेव के स्थान पर हृष्णरत्ने नि०, दी० ।

‘समवाय इव विरोधिनां पदार्थनाम । तथाहि, सन्निहितवालान्ध-  
कारापि भास्वन्मूर्ति ।’ । इत्यादौ ।

यथा वा ममैव—

सर्वे क्षारणमक्षयं, अधीशमीश धियां, हरि कृष्णम् ।

चतुरात्मानं निष्क्रिय, अरिमधनं नमत चक्रधरम् ॥

अत्र हि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो विरोध स्फुटमेव प्रतीयते ।

जहाँ विरोधालङ्कार शब्द से साज्जात् बोधित होता है उस रिलए वाक्य में ही विरोध अथवा श्लेष [ तन्मूलक सन्देह सङ्कर ] के वाच्यालङ्कारत्व का विषय हो सकता है । [ वहाँ विरोध अथवा श्लेष में वाच्यालङ्कारत्व कहा जा सकता है ] जैसे वहाँ, [ हर्षचरित के उसी प्रसङ्ग में ]—

पिरोधी पदार्थों के समुदाय के समान [ थे ] । जैसे, [ चाल आपौड़ रूप अन्धवार से युक्त सूर्य की मूर्ति यह विरोध हुआ, पशान्तर में ] अन्धवार [रूप] कृष्णकेरणों से युक्त भी देवीप्यमान मूर्ति थे ।

अथवा जैसे मेरा ही—

सव के पूर्णमात्र शरण, आध्यस्थान और अविनाशी [ पशान्तर में शरण और जय दोनों शब्द का अर्थ गृह होता है । हस दशा में सबके गृह और अच्छय अगृह यह पिरोध आता है जो प्रथम अर्थ में नहीं रहता । ] अधीश ईश धिया जो सबके प्रभु और बुद्धि के स्वामी है [ पशान्तर में ईश धिया बुद्धि के स्वामी और अधीश जो धीश बुद्धि के स्वामी नहीं है यह पिरोध आता है जो प्रथम अर्थ से परिहृत होता है ] पिण्णु [स्वरूप] कृष्ण [ पशान्तर में हरित और कृष्ण वर्ण का विरोध प्राप्त होता है उसका परिहृत प्रथम अर्थ से होता है ] सर्वज्ञस्वरूप निष्क्रिय [ पशान्तर में पराक्रम युक्त और निष्क्रिय ] अरियों के नाश करने वाले चतुर्भारी [पिण्णु, पशान्तर में चक्र के अन्यत्र अरों के नाश करने वाला चक्रधर कैसे होगा यह पिरोध प्रथम अर्थ से दूर होता है ] को नमस्कार करो ।

इन [ गण पदार्थमुख दोनों उद्घाहरणों ] में पिरोधालङ्कार शब्द शक्ति मूल संलग्नव्यक्ति व्यङ्गयनि के रूप में स्पष्ट प्रतीत होता है ।

एवंविधो व्यतिरेकोऽपि दृश्यते । यथा ममैव—

य येऽस्त्युज्जलयन्ति लूनतमसो ये वा नसोद्ग्रासिन्,  
ये पुष्पणन्ति भरोद्धश्चियमपि क्षिप्रावृज्जभासश्च ये ।  
य मूर्खस्ववभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरां-  
स्युत्कामन्त्युभयेऽपि ते दिनपते: पात्राः त्रिये सन्तु वः ॥

पूर्वमन्येऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्तानस्यव्यहृत्यव्यव्यनिप्रसाराः सन्ति  
ते सहृदयैस्वयमनुमत्वाः । इह तु प्रन्थप्रिस्तरभयान्तत्प्रपञ्चः कृत् ॥२१॥

इस प्रकार का [शब्दशक्तिमूल संताच्यकम व्यहृत ध्वनि रूप] व्यतिरेका-  
लद्वार भी पाया जाना है । जैसे, मेरा ही [ बनाया निम्न इलोर इसका  
उदाहरण है ] —

[ इसमें सूर्य के प्रसिद्ध किरण रूप पाद और प्रिप्रहनदेवता पत्र के  
अनुसार देहधारो सूर्य के चरण रूप पाद हन दोनों प्रकार के पादों की स्तुति  
को गढ़ रही है और उनमें व्यतिरेकालद्वार व्यहृत है । शब्दार्थ इस प्रकार होगा ] ।

[ सूर्यदेव के ] अन्धकार का नाश करने वाले [ जो किरण रूप पाद ]  
आकाश को प्रशाशनान करते हैं और जो [ चरण रूप पाद ] नरों से सुशोभित  
[ तथा आकाश को उद्भासित न करने वाले ] है, जो [ सूर्यकिरण रूप में ]  
कमलों की ध्री को भी पुष्ट करते हैं और [ चरण रूप में ] कमलों की शोभा को  
तिरस्त करते हैं, जो [ पर्वतों के रिपर पर शोभित होते हैं अथवा ] क्षितिभृता  
राजाओं के शिरों पर अभासित होते हैं और [ प्रणाम काल में ] देवताओं  
के शिरों का भी अनिक्षमय करते हैं, सूर्यदेव के यह दोनों [ प्रशार के ] पाद  
[ किरण आर चरण रूप ] तुम सब के लिए कल्याणकर हों ।

इस प्रकार शब्दशक्तिमूल मलाश्यकम व्यहृत ध्वनि के और भी  
[ अनुद्वार सपा वस्तु रूप ] प्रकार होते हैं । सद्ददय उनका इवय अनुमन्यान  
कर सके । प्रन्थ प्रिस्तर के भय से हमन यहा उनकाप्रतिपादन नहीं किया है ।

प्रन्थसार ने इस इलोर में नसोद्ग्रासी, यमल व्याप्ति को तिरस्तृत करने  
वाले और राजाओं के मनों पर शोभित होने वाले चरणों की अदेवी आकाश  
यो ग्रस्तारित करने वाले यमलों को प्रिप्रित करने वाले और देवताओं के शिरों  
का अनिक्षमय करने वाले किरण रूप पदों वा अर्धशय होने से व्यतिरेक अलद्वार  
माना है । परन्तु यह सर्वेऽक्षयरर्जु आदि पर्वतों इलोक के समान निरोधालद्वार का  
उदाहरण भी हो सकता है ।

अर्थशक्त्युद्भवस्त्वन्यो यत्रार्थः नः प्रकाशते ।

यस्तात्पर्येण यस्त्वन्यद् व्यनक्त्युक्ति गिना स्पृतः ॥२२॥

यत्रार्थं सप्तसामध्याद्यान्तरमभिव्यनक्ति शब्दव्यापार विनैव सो-  
इर्थशक्त्युद्भवो नामानुस्वानोपमव्यङ्गचो ध्वनि ।

विवक्षितान्यपर वाच्य [ अभिधामूल ] ध्वनि के शब्दलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य  
और सलद्यक्रम व्यङ्ग्य दो भेद किए थे । सलद्यक्रम व्यङ्ग्य के फिर शब्द-  
शक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युक्ति और उभयशक्त्युत्थ तीन भेद किए गये हैं । इन  
में से शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि का उहुत विस्तारपूर्वक विचार यहा किया गया है ।  
इसीलिए इस २१ वा कारिका की इतनी लम्बी व्याख्या हो गई है कि पाठक  
जनने लगता है । परन्तु फिर भी ग्रन्थसार ने इस सारे विवेचन में वस्तु ध्वनि का  
कही नाम नहीं लिया है । जार गार घुमा-फिरा कर अलङ्कार ध्वनि का ही विस्तार  
किया है । अलङ्कार ध्वनि के स्थानरण के लिए जो इतना अधिक प्रयत्न ग्रन्थ  
कार ने किया है वह सभवत उसके विवादास्पद स्वरूप और महत्व को ध्यान  
में रख कर किया है । वस्तुध्वनि के अधिक स्पष्ट और विवाद रहित होने के  
कारण ही उसका विवेचन नहा किया है । उत्तरवर्ण आचार्यों ने अपने शब्दशक्ति  
मूलध्वनि के विवेचन में वस्तुध्वनि का भी सोशाहरण विवेचना कर इस कमी को  
पूरा कर दिया है ॥२१॥

शब्दशक्त्युत्थ के बाद अर्थशक्त्युत्थ सलद्यक्रम व्यङ्ग्य का यर्णन क्रम-  
प्राप्त है । नवीन आचार्यों ने उसक स्थित मम्भवी, क्षिप्रोडोक्तिसिद्ध और तत्त्विद  
वक्तु ग्रीष्मेचिसिद्ध यह तीन भेद और उनमें से प्रत्यक के वस्तु से वस्तु, वस्तु से  
अलङ्कार, अलङ्कार से वस्तु, और अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य यह चार, तुल  
मिला कर बारह भेद किए हैं । आलोककार ने भी यह भद्र सिद्ध ह परन्तु  
उतने स्पष्ट नहीं हुए हैं ।

सलद्यक्रमव्यङ्ग्यमध्येण ध्वनि के प्रथम शब्दशक्त्युत्थ भेद के सर्वस्तर निरूपण  
के बाद उसके दूसरे भेद अर्थशक्त्युत्थ सलद्यक्रमव्यङ्ग्य का निरूपण करते हैं ।

अर्थशक्त्युद्भव [ नामक सलद्यक्रमव्यङ्ग्यमध्येण ध्वनि का ] दूसरा भेद [ वह ]  
है जहाँ देसा अर्थ [ अभिधा में ] प्रतीत होता है जो शब्दव्यापार के विना-

यथा—

एन वादिनि देवर्पा पार्श्वं पितुरभीमुखी ।  
लीलामलभ्रातिं गणयामाम पार्वतो ॥

अत्र हि लीलामलभ्रगणनमुसर्वनोहनस्यस्य शब्दव्यापारं  
विनैवायान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रभाशयति ।

[ ध्वनन व्यापार से ] स्वत हो तात्पर्यविषयीभूत रूप स अथान्तर को अभिव्यक्त करे । [ यहा तात्पर्य शब्द पदार्थसंसर्गे रूप वाक्यार्थे बोध में उपचीण तात्पर्यांत्या शक्ति का नहीं, ध्वनन व्यापार का ग्राहक समझना चाहिए । ]

जहा अर्थ [ वाक्यार्थ ] शब्दव्यापार के विना अपने [ ध्वनन ] सामर्थ्य से अथान्तर को अभिव्यक्त करता है वह अर्थशास्यभ्रम सलव्यप्रसव्यहर नामके घटनि है ।

जैसे —

देवपि [ सप्तर्णि मण्डल ] के ऐसा झहने [ शिव के साथ पार्वती के विवाह की घटां और शिव की सहर्मति प्रस्त करन ] पर पिता [ परंतरान हिमालय ] के पास बैठी हुई पार्वती मुह जीवा करक लीला कमल की पखुड़िया गिनने लगी ।

यहा लीलामल पत्रों की गणना [ रूप पार्वती का व्यापार ] स्वयं शुणीभूत रूप होकर शब्दव्यापार के चिना ही [ लोचनकार के मत म लज्जा और विश्वनाथ के मत से अवद्विष्टा रूप ] व्यभिचारिभावरूप अथान्तर को अभिव्यक्त [ प्रकट ] करती है ।

लोचनकार ने इसे लज्जारूप व्यभिचारिभाव का अभिव्यक्त भाना है परन्तु सादित्यदर्पणकार ने अवद्विष्टा वे उदाहरण में इस श्लोक को उद्दो लिया है । अवद्विष्टा का लक्षण इस प्रकार किया गया है—“भयगौरवलज्जादृदर्शद्रापारगुप्तिरद्विष्टा । व्यापारान्तरानन्ति अन्यथाभावण रिलाकनादिकरी ।” भय, गौरव, लज्जा आदि के खारण व्यापारान्तर, अन्यथा भावण या अन्यथा रिलाकनादि जनक आकार गोपन का नाम अवद्विष्टा है । इस अवद्विष्टा में भी लज्जा का समयेता रहता है और भय, गौरव, लज्जा आदि आकारगुप्ति के हुओं में से यही लज्जा ही हतु है इसलिए विश्वनाथ और लोचनकार के मत में तर्चक भेद न होने से निरोप भी शहा नहीं करनी चाहै ।

न चायमलद्यक्रमव्यङ्गयस्येव धनेविषयः । यतो यत्र साक्षा-  
च्छब्दनियेदितेभ्यो विभावानुभावव्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः स  
तस्य केवलस्य मार्गं । यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गे वसन्तपुण्याभरणं  
वहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णनं भनोभप्रशारसन्वानपर्यन्तं शम्भोश्च  
परिवृत्तवर्णस्य चेष्टाविशेषवर्णनादि साक्षाच्छब्दनियेदितम् ।

इह तु सामर्थ्यात्मिकात्व्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः । तस्माद्यमन्यो-  
ध्यनेः प्रकारः ।

यह असंलच्य क्रम व्यङ्ग [ रसादि ] ध्यनि का ही उदाहरण [ भी ]  
नहीं है । क्योंकि जहां साक्षात् शब्द से बण्डित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी  
भावों से रसादि की प्रतीति होती है वही केवल असंलच्यक्रमव्यङ्ग ध्यनि का  
मार्ग है ।

[ पहिले यह लिख आए है कि व्यभिचारिभावों का वाचक शब्दों  
से कथन उचित नहीं है और यहा उनके साक्षात् शब्द नियेदित होने से  
ही रसादि प्रतीत होते हैं यह कह रहे हैं यह दोनों बाँतें परस्पर विरुद्ध हैं ।  
ऐसी शब्दों उपन्थ हो तो उसका समाधान यह है कि वाच्यार्थप्रतीति से  
अव्यग्रहित व्यभिचारिभाव की प्रतीति होनो चाहिए यही यहा साक्षात् शब्द-  
नियेदितप्रति से अभिप्रेत है । व्यभिचारिभाव का वाच्यस्त्र दूष नहीं है । ]

जैसे कुमारसम्भव के वसन्त वर्णन प्रथम में वसन्ती पुष्पों के आभूपल्ली  
से अलंकृत देवी पार्वती [ १—आलम्यन विभाव ] के आगमन से लेकर  
[ आलम्यन विभाव ] कामदेव के गरसनगन पर्यन्त [ अनुभाववर्णन ] और धैर्य  
च्युत शिव की चेष्टाविशेषवर्णनादि [ व्यभिचारिभाव ] साक्षात् शब्द नियेदित  
है । [ अतः वहा असंलच्यव्यङ्ग्यरसध्यनि है । ]

कुमारसम्भव के प्रहृत श्लोक निम्न प्रकार हैं :—

१—निराणभूयिष्ठमथास्य वीर्यं, मनुसयन्तीव वपुरुणेन ।

अनुप्रयाता वनदेवताभिरश्यत स्थावरराजवन्या ॥

२—प्रतिगृहीतु प्रखयिप्रियतात्, प्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च ।

सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्या, धनुध्यमोर्ध्वं समधत्त सायकम् ॥

३—हरस्तु किञ्चित् परिवृत्तवर्णं वसन्तप्रथम्यन्दोदयारम्भ इवामुराशि ।

उमामुखे विम्बफलाघरोद्देष, व्यापारयामाम्य विलोचनानि ॥

यत्र च शब्दव्यापारम् इयोऽर्थाद्याद्यन्तस्य व्यञ्जकत्वेनोपादीयते स  
नास्य ध्वनेविषयः ।

यथा—

संकेतकालमनस विट्ठं झात्वा विद्गम्यथा ।  
हसन्नेशार्पिताकृत लीलापद्मा निमीलितम् ॥

अत्र लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वमुक्त्यैष निवेदितम् ॥२६॥

यहा [ एवगादिनि देवर्यां० में ] तो [ लोलाकमल के पत्रों की गणना द्वारा ] सामर्थ्य से आकृष्ट [ लज्जा रूप ] व्यभिचारिभाव द्वारा रम की प्रतीति होती है । इसलिए [ रसवनि रूप असलव्यक्तमव्यङ्ग्य भेद से भिन्न अर्थशक्त्युद्ग्रह संलघ्यक्तमव्यङ्ग्यरूप ] यह दूसरा ही ध्वनि का प्रकार है ।

[ इससे यह सूचित किया कि यद्यपि रसादि सदा व्यङ्ग्य ही होते हैं वाच्य नहीं परन्तु उनका असंलघ्यक्तमव्यङ्ग्य होना अनिवार्य नहीं है । यह उभी संलघ्यक्तमव्यङ्ग्य अर्थशक्त्युद्ग्रहध्वनि के द्वारा भी प्रतीत ही सकते हैं । परन्तु उत्तरवर्ती आवार्य रसादि ध्वनि को असलव्यक्तमव्यङ्ग्य ही मानते हैं । संलघ्यक्तमव्यङ्ग्यरूप के जितने भेद उन्होंने किए हैं उन सबके उदाहरण वस्तुध्वनि या अलङ्कारध्वनि में से ही दिए हैं । ]

जहाँ शब्द व्यापार की सहायता में अर्थ, दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करता है वह इस [ अर्थशक्त्युद्ग्रह संलघ्यक्तमव्यङ्ग्यरूप ] ध्वनि का रिपय नहीं होता ।

जैसे :—

[ नायक के शहार महायक ] विट [ सभोगार्दीनसंदद् विष्टु धूं  
वलैकंदेशङ् । वेशोभगारकुशलो मुउरोऽप्य वहुभतो गोऽन्याम् ॥ ] की संकेत काल [ नायक-नायिका के मिजन ममय ] कि निजामा को समझकर चतुरा [ नायिका ] न नेत्रों में [ अपना ] अभिव्याय इष्ट करते हुए हमने हुए [ अपने हाथ के ] लोलाकमल को दद्दू कर दिया ।

यहाँ लोलाकमल निमोजन [ की संकेतकाल, मृयांस्त के समय हम मिलेंगे इस अर्थ ] की रूपञ्जकता [ 'नेशार्पिताइन' पद ने ] शब्द द्वारा ही गृहित कर रही । [ इसलिए अर्थशक्त्युद्ग्रह ध्वनि का उदाहरण नहीं है । ] ॥२७॥

तथा च—

शब्दार्थशक्त्याच्चिसोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनः ।

यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या सान्यैवालंकृतिर्धनेः ॥२३॥

शब्दशक्त्या, अर्थशक्त्या, शब्दार्थशक्त्या वाचिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थ कविना पुनर्यत्र स्वोक्त्या प्रभाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्ग्याद् धनेरन्य एवालङ्कारः । अलद्यत्मव्यङ्ग्यस्य चा ध्यने सति सम्बवे स ताहगन्योऽलङ्कार ।

और इसी से [ कहा भी है फि ] —

शब्दशक्ति, अर्थशक्ति, अथवा शब्द, अर्थ उभय शक्ति से आकृष्ट [ व्यङ्ग्य ] होने पर भी जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ को कवि पुन अपने वचन द्वारा प्रकट कर देता है वह ध्यनि से मिल अन्य ही [ गुणीभूत व्यङ्ग्य ] अलङ्कार है ।

शब्दशक्ति, अर्थशक्ति अथवा शब्दार्थोपम शब्दित से आकृष्ट होने पर भी व्यङ्ग्य अर्थ को जहाँ कवि फिर अपनी उनि से [ भी ] प्रकाशित कर देता है वह इस अनुस्वानोपम [ संलक्षणमव्यङ्ग्य ] ध्यनि से अलग ही [ गुणीभूत व्यङ्ग्य ] अलङ्कार होता है । अथवा असलव्यङ्ग्यमव्यङ्ग्य ध्यनि का यदि कोई इस प्रकार का उदाहरण मिल सके तो [ वाच्यालङ्कार से भिन्न ] वह उस प्रकार का [ विशेष चमत्कार जनक ] अन्य ही अलङ्कार होता है ।

इस कारिका से पूर्व सलद्यनमव्यङ्ग्य ध्यनि के शब्दशक्त्युद्धव और अर्थशक्त्युद्धव व्यङ्ग्य दो भेद किए थे । परन्तु इस कारिका में उभयशक्त्युद्धन तृतीय भेद भी सूचित किया है । 'शब्दशक्त्युद्धव इति शब्दार्थी' इतने विश्रेत से शब्दशक्त्युत्य तथा अर्थशक्त्युद्धव और पर शब्दार्थी च शब्दार्थी चेतयेषोप । इस प्रकार दून्दू सप्तास में एकरोप वरवे शब्दार्थी पद से ही उभयशक्त्युत्य स्पृति भेद का भी प्रतिपादन किया है ।

'सान्यैवालंकृतिर्धने' की व्याख्या भी दृच्छकार ने दो प्रकार से की है । एक पक्ष में 'धने' पद को पदाभ्यन्त और सलद्यनम का नोधक मानकर 'सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्ग्याद् धनेरन्य एवालङ्कारः' यह व्याख्या की है और दूसरे पक्ष में 'धने' को असलव्यङ्ग्यमव्यङ्ग्य ध्यनि का नोधक और दण्डनम पद मानकर

## तत्र शब्दशक्त्या यथा—

वत्से मा गा विपादं, शब्दसनमुरुजवं सन्त्यजोध्वप्रद्वृत्तम्,  
कम्प को वा गुरुस्ते, भवतु<sup>१</sup> बलभिदा नृमितेनात्र याहि।  
प्रत्याख्यान सुराणामिति भवशमनद्वद्वाना कारयित्वा,  
यस्मै लद्धीमदाद् व स द्वहतु दुरित मन्यमूढा पयोधि॥

असुलद्यनमव्ययद्वस्य वा ध्वनेः सति सभवे स तादगन्योऽलङ्घार<sup>१</sup> यह व्याख्या  
की है।

मम्मट, विश्वनाथादि नवीन ग्राचाया ने इसी प्रसार को गुणीभूत व्यङ्ग्य  
का वाच्यसिद्धयद्व भेद माना है। जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ वाच्यसिद्धि का अङ्ग वन  
जाय अर्थात् उसके विना श्लोक का वाच्यार्थ ही उपर्यन्त न हो, उसे वाच्य-  
सिद्धयद्व नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य कहा है। उसके उदाहरण इसी प्रसार के दिए  
गए हैं।

उसमें शब्द शक्ति से [आविष्ट, शब्दशक्त्युद्धर का उदाहरण] जैसे—

[समुद्र-मन्थन वेला में स्वभावतः सुकुमारी होने के कारण समुद्र की  
भीषण तरंगों को देख कर भयभीत ] मन्थन से भीत लद्धी को [उसके पिता]  
समुद्र ने भय दूर करने के बहाने [ यह कह कर कि ] बेटी घयदाओं नहीं  
[ व्यङ्ग्यार्थ 'विषमत्तीति विपाद' ] विष को भवण करने वाले भयानक शिव  
के पास मत जाना ] तीव्रगति से चलने वाली लम्ही उसासों को यन्द करो  
[ व्यङ्ग्यार्थ तीव्रगति वाले भयकर वायु और ऊर्ध्वजलन स्वभाव वाले भयकर  
अग्निदेव वी यात छोड़ो ] यह इतना काप क्यों रही हो और शक्ति को नन्द  
करने वाली इन जंभाइयों को यरा यन्द करो [ व्यङ्ग्यार्थ 'क जलं पाठीति कम्पः  
यरण , क प्रजापतिः पश्चा कम्प शर्पात् ] पश्चादेव और प्रनापति व्रहा तो तुम्हारे  
गुर, पितृ सद्गा है “जृमितेन-बलभिदा भवतु ऐश्वर्यमदमस” इन्द्र देव को भी  
छोड़ो इस प्रकार भय शमन करने के बहाने अन्य सब देवांशों [ के साथ  
पिपाद ] का प्रश्याख्यान [ निषेध ] करा कर और यहाँ [ विष्णु के पास ]  
जापो ऐसा कह कर जिन [ विष्णु ] को [ अपनी पुत्री ] सुधमी को [ वपु-  
रूप में ] प्रदान किया यह [ विष्णु ] तुम्हारे दूर गों को दूर परे।

अर्थशक्त्या यथा—

अम्बा शोनेऽत्र वृद्धा, परिणतमयसामप्रणीरत्रनात् ,  
नि शोपागारुकर्मश्रमशिलतनु, कुम्भदासी तथात् ।  
अस्मिन् पापाहमेना क्विपयद्विवसप्रोपितप्राणनाथा,  
पान्थायेत्य तस्या कवितमनसरव्याहृतिव्याजपूर्वम् ॥

उभयशक्त्या यथा, 'दृष्ट्या केशव गोपरागहतया' इत्यादी ॥३॥

यहा देनताओं के प्रत्यारथान का रावण अथ व्यङ्ग्य होता परन्तु 'मयशमन छुड़ना' में छुड़ शब्द द्वारा कवि ने उसमी व्यङ्ग्यता का वाच्य बना दिया इसी से क मिनीदुचक्कनशमन् गापनहृत चारुत न रहने से यह सनद्यम व्यङ्ग्य धन का उदाहरण नहा है । 'नारयिता' में ऐच प्रत्यप समथन का रूचक है, अप्रवृत्त प्रवतन का नहा । अथात् दयताओं का प्रयारथान करने वी प्रेरणा पिता ने मही की अपितु लद्धी द्वारा किए गए प्रयारथान का समथन मात्र किया । यही ऐच का तात्पर्य है । 'हनोरन्यतरस्याम्' सूत स लद्धी की कम सज्जा हुइ है ।

अर्थ शक्ति स [ आचिप्त, अर्थशक्त्युद्धर व्यङ्ग्य जहा शब्द से कवित कर दिया है उसका उदाहरण ] जैस—

यदी माता जा यहा सोती है और वृद्धो के अग्रगत्य पिता जी यहा । सरे घर का काम बरन से अत्यन्त थकी हुई दासी यहा सोती है । मैं अभागिनी जिस के पति कुछ दिन से परदरा चन गय है इस [ कम८ ] में अकेली पड़ी रहती हैं । इस प्रसार तरही न अपसर यताने के लिए यहाने से पथिक को यह [ सपके सान का स्थान और व्यवस्था आदि का पूरोक रिपरण ] कहा ।

यहा तरली की सभागेष्ठा और अनियध यथप सभोग के अवसर की खेलना रूप जो व्यङ्ग्य है उसको कवि ने 'श्वसरव्याहृतिव्याजपूर्व' स अपने शब्द में ही कह दिया इसलिए यह सलद्यकम अथवा असलद्यम व्यङ्ग्य धनि का उदाहरण नहा रहा उनस मिन ही, नरीनमत में वाच्य सिद्धव्यङ्ग नामक गुणी भूत व्यङ्ग्य है ।

[ इसी प्रकार ] उभय शक्ति से [ आचिप्त उभयशक्त्युद्धर व्यङ्ग्य जहा शब्द से कवित कर दिया गया है उसका उदाहरण ] जैस 'दृष्ट्या केशव गोपराग हतया' इत्यादि [ पूर्व उद्दत तथा व्यारथात रलाक ] में ।

'दृष्ट्या केशवगोपराग' इत्यादि उभयशक्त्युद्धर व्यङ्ग्य धनि में उभय शक्त्य-

प्रोटोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्ततः ।  
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥ २४ ॥

रथना का समन्वय लोचनकार ने इस प्रकार किया है कि गोपरागादि पदों में श्लेष होने से उस अश में शब्दशक्त्युत्थता और प्रकरणगतात् अर्थशक्त्युत्थता आने से यह उभय शक्त्युद्धव का उदाहरण होता है । परन्तु नवीन आचार्य ऐसे स्थलों पर उभयशक्त्युत्थता का समावय शब्दपरिवृत्तिसहत्व तथा शब्दपरिवृत्ति अस हरय के आधार पर करते हैं । उनके मत से यहा 'केशव गोपराग हृतया' में 'केशव गोपराग' शब्दों के रहने पर ही ध्वनि की सत्ता रहती है और यदि उनको बदल कर राग के पर्याय वाचक रूपेशादि शब्द रख दें तो ध्वनि की सत्ता नहीं रह सकती इसलिये शब्दपरिवृत्यसह होने के बारण यह ध्वनि शब्दशक्त्युत्थ है । परन्तु आगे अर्थशक्त्युत्थ अप्यज्ञाय में कोई वाधा नहीं पड़ती इसलिए उस अश में शब्दपरिवर्तन करके 'पतितास्मि' आदि रख देने पर 'स्तपलितास्मि' इत्यादि में शब्द का परिवर्तन करके 'पतितास्मि' आदि रख देने पर शब्दपरिवर्तन को सहन न कर सकने वाले गुण ग्रलङ्घार ध्वनि आदि को शब्दनिष्ठ, तथा शब्दपरिवर्तन को सहन करने वाले को अर्थ निष्ठ मान कर शब्द परिवृत्ति, असहव और शब्दपरिवृत्तिसहत्व के आधार पर ही नवीन आचार्य शब्दनिष्ठता या अर्थनिष्ठता का निर्णय करते हैं ॥ २३ ॥

इस प्रकार सलद्यमम व्यज्ञय ध्वनि न शब्दशक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युत्थ और उभयशक्त्युत्थ तीन भेद प्रदर्शित किये । उनमें से शब्दशक्त्युत्थ का मध्यस्तार विवेचन हो चुका । इस समय अर्थशक्त्युद्धव का विवेचन चल रहा है । इसी मैं प्रसङ्गत उभयशक्त्युद्धव का प्रदर्शन भी कर दिया है । अब अर्थशक्त्युत्थ के स्वत सम्भवी, कथि प्रोटोक्तिसिद्ध और कविनिरद्वीपारिवृत्तिसिद्ध इन तीन भेदों का निरूपण करते हैं ।

चतुर्थ वस्तु [ अलङ्घार या वस्तु ] का अभिप्त्यमत्तक अर्थ भी स्वत सम्भवो तथा प्रोटोक्तिसिद्ध मात्र मिद् [ इसमें कविनीरोपित मिद् तथा कविनिषद् वस्तु प्रोटोक्तिसिद्ध यह दो भेद सम्मिलित है ] इस प्रकार यह दो प्रकार का [ वास्तव में तीन प्रकार का ] होता है ।

यह तीन प्रकार के व्यष्टः अर्थ, वस्तु तथा अलङ्घार भेद से दो प्रकार

अर्थशस्त्युद्रवानुरणनरूपव्यज्ञये धनौ यो व्यञ्जनकोऽर्थ  
उक्तस्तस्यापि द्वौ प्रकारौ, क्वेः कविनिवद्वस्य वा वक्तु प्रौढोकिनमात्र-  
निष्पन्नशरीर एक स्वत सम्भवी च द्वितीय ।

### कविप्रौढोकिनमात्रनिष्पन्नशरीरो यथा—

सन्जेहि सुरहिमामो ण दाव अप्पेह जुम्रइजणलमरमुहे ।  
अहिणनसहआरमुहे एवपल्लवपत्तले अण्डस्स शरे ॥

[ सञ्जयति सुरनिमासो न तानदंयति युवतिजनलद्यमुखान् ।  
अभिननसहवारमुखान् नवपल्लवपत्रलानन्नस्य शरान् ॥ ]

इतिच्छाया ॥

के होनेर ६ व्यञ्जक अथ और उसी प्रकार ६ व्यज्ञयार्थ कुल मिला कर अर्थ-  
शब्दयुद्धव के गारद भेद हो जाते हैं । इन बारह भेदों का वर्णन नवीन आचार्यों ने  
स्वयं रूप से किया है ।

अर्थशब्दयुद्धव रूप मन्त्रवक्तम व्यज्ञय धनि में जो व्यञ्जक अर्थ कहा  
हैं उसके भी दो भेद होते हैं । पूरु [ तो ] कवि या कविनिवद्वपत्ता की प्रौढो-  
कितमात्र से सिद्ध और दूसरा स्वत सम्भवी ।

### कवि प्रौढोकितमात्रमिद [ का उदाहरण ] जैसे—

[ कामदेव का सवा ] वसन्त मास युवतिजनों को लघ्य यनाने [ यिद  
यरने ] धाले मुग्यों [ अमनाग फलभाग ] म युक्त नवपल्लवों से पत्र [ याण के  
पिढ़ले भाग में लगे पत्रों में ] युक्त, सहवार प्रभृति कामदेव के याणों का  
निर्माण करता है [ परन्तु ] अभी [ प्रदारार्थ उसको ] डता नहीं है ।

यही वसन्त याण यनाने वाला है कामदेव उनका प्रयोग करने वाला  
अन्य या योद्धा है आत्र मच्ची आदि राण हैं और युवतिया उनका लघ्य हैं इत्यादि  
अर्थ, कविप्रौढोकितमात्र से मिद्द हैं । लोक में इस प्रकार वा न कोई धातुक  
दीप्तता है न उमड़े याण । इसी से कविप्रौढोकितमात्रमिद वस्तु से मदनो-  
न्मयन का प्ररम्भ और उत्तरेन्द्र उमका रित्यमण रूप दस्तु व्यज्ञय है । इस  
प्रकार यह कविप्रौढोकितमिद गन्तु से वस्तु व्यज्ञय का उदाहरण है ।

करिनिनद्वयक्तुप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथोदाहतमेव ।—

‘शिखरिणि’ इत्यादि<sup>३</sup> । यथा वा<sup>३</sup>—

साअरविद्वण्णजोवणहत्यालम्ब समुण्णमन्तेदिम् ।

अवभुद्गाण विश्व मम्महस्स दिण्ण तुइ थणेदिम् ॥

[ सादरवितीर्णयीवनहस्तावलम्बं समुन्नमद्भ्याम् ।

अभ्युत्थानमिव मन्मथस्य दत्त तव स्तनाभ्याम् ॥

इतिच्छाया ॥ ]

स्वत सम्भवी य औचित्येन वहिरपि सम्भाव्यमानसद्गावो न  
केवल भणितिवशेनैवाभिनिष्पन्न शरीर । यथोदाहतम्—‘एववादिनि’  
इत्यादि ।

कविनिषद् वक्तुप्रौढोक्तिका उदाहरण जैसा कि पहले लिख चुके हैं  
शिखरिणि इत्यादि [ श्लोक ] है ।

उसमें जो चमत्कारजनक व्यङ्ग्य अर्थ है उसकी प्रतीति कविनिषद्  
सामिलाय तदण रूप वक्ता की विशेषता से ही होती है । अन्यथा उसी बात को  
केवल कवि के शब्द में अधर के सामान विषयक को तोता कार रहा है इस रूप में  
फह दिया जाय तो उसमें कोई भी चमत्कार नहीं आता है । इसीलिए सद्दद्य  
पुश्च कपि प्रौढोक्तिसिद्ध से कविनिषद्वक्तु प्रौढोक्ति सिद्ध को अधिक चमत्कार-  
जनक मानते हैं और उसकी गणना कविप्रौढोक्तिसिद्ध से अलग करते हैं । कवि  
में स्वत रागाद्याविष्टता नहीं होती परन्तु कविनिषद् में रागाद्याविष्टता होती है ।  
इसी से उसका वचन अधिक चमत्कारकजनक होता है ।

आदरपूर्वक [ आगे थड़ कर ] सहारा देत हुए यौवन के सहार उठने  
चाले तुम्हारे स्तन [ उठ कर ] कामदय को [ स्वागत में ] अन्युरपान सा प्रदान  
कर रहे हैं ।

[ करि और कवि निषद् की कल्पना के स्रोत से ] याहर भी उन्नित स्त्री  
में जिनके अस्तित्व की सम्भावना हो, केवल [ करि या कविनिषद् की ] उन्नित  
माप्र म ही सिद्ध न होता हो [ उस अर्थ का ] स्वत सम्मरो [ कहत ] है । नैम  
[ १८, गृष्ठ पर ] ‘प्ययादिनि दयरो’ इत्यादि उदाहरण द शुक है ।

१ उदाहतमेव पह पाठ निं० दो० में नहीं है । २ इत्यादि निं० । ३ दोपिनि  
में यथा या और उत्तर धार्म चद्गत उदाहरण नहीं दिया है ।

यथा चा—

सिहिपित्तद्वकण्णपूरा जाआ वाहस्स गव्विरी भमइ ।  
 मुक्ताफलरद्वअपसाहणाणं मज्जे सवत्तोणम् ॥  
 [ शिरिपित्तद्वर्णपूरा जाया व्याधस्य गर्विणी भ्रमति ।  
 मुक्ताफलरचितप्रमाधनाना मध्ये सप्तनीनाम् ॥ इतिच्छाया ॥२४॥

अर्थशक्तेरलङ्घारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते ।

अनुस्यानोपमव्यङ्ग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ २५ ॥

वाच्यालङ्घारव्यतिरिक्तो यत्रान्योऽलङ्घारोऽर्थसामर्थ्यात् प्रतोयमानोऽवभासने सोऽर्थशस्त्युङ्गवो नामानुस्यानस्पव्यङ्ग्योऽन्यो ध्वनिः ॥२५॥

अथवा जैसे—

[ केवल ] भोर पात्र का कण्णपूर पहिने हुए व्याध की [ मरीन ] पत्ती मुक्ताफलों के आभूषणों से अलंकृत सप्तनियों के बीच अभिमान से फूली हुई किरणी है ।

यहाँ श्लोकोक्त वस्तु केवल कवित्तल्पनासिद्ध नहीं है, अपितु वास्तव में लोक में भी उसका अस्तित्व सम्भव है, अतएव वह स्वतःसम्भवी है । गर्व का कारण यह है कि जब सप्तनियों के दिन य तप तो व्याध हाथी आदि मार कर लाता था जिससे मुक्ताभूषण बनते थे । परन्तु मेरे पात्र से तो निकलने का अवकाश ही नहीं मिलता है । यह सौमाण्यानिश्चय व्यङ्ग्य है । इस प्रकार स्वतःसम्भवी के 'एवगादिनिः' तथा रितिपित्तद्वा० दो, रपिनिरुद्यक्तुप्रोटोकित सिद्ध के 'शिवरिणी०' और 'सादर०' दो तथा कपि प्रोटोकित सिद्ध का एक 'मजजयति०' ये दुल पाँच उदाहरण दिए । इन सब में वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य है आगे अलङ्घार से अलङ्घार व्यङ्ग्य न निष्पत्ति न रहते हैं ॥२६॥

जहाँ अर्थशक्ति में [ वाच्यालङ्घार में भिन्न ] दूसरा अलङ्घार प्रतीयमान होता है वह ध्वनि [ काच्य ] का दूसरा संलग्नक मव्यङ्ग्य [ नामर ] भेद है ।

जहाँ वाच्य अलङ्घार में भिन्न दूसरा अलङ्घार अर्थसामर्थ्य में इवद्वयस्प में प्रतीन होता है वह संज्ञयकमन्यङ्ग्य रूप अर्पणकानुज्ञन ध्वनि [ वा अलङ्घार में अलङ्घार व्यङ्ग्य रूप दूसरा भेद ] अस्य है ॥२७॥

[ शद॒ शक्ति में तो ग्नेपाहि अलङ्घारान्तर की प्रतीति हो सकती है । परन्तु अर्पणशक्ति में अलङ्घारान्तर की प्रतीति नहीं हो सकती है यह मानकर ]

तस्य प्रविरलविषयत्वमाशङ्कयेदमुच्यते —

रूपकादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यतां श्रितः ।

स सर्वो गम्यमानत्वं विभ्रद् भूम्ना प्रदर्शितः ॥ २६ ॥

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कारं सोऽन्यत्र प्रतीय-  
मानतया बहुल्येन प्रदर्शितस्तत्र भवद्विभ्रद्दोऽटादिभि । तथा च सन्देहा-  
दिपूपमान्तरस्तिशयोक्तीनां प्रसाशमानत्वं प्रदर्शितमित्यलङ्कारान्तरस्या-  
लङ्कारान्तरे व्यञ्जयत्वं न यत्नप्रतिपाद्यम् ॥॥२६

इयत् पुनरुच्यते एव —

अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते ।

तत्परत्वं न वाच्यस्य नामौ मार्गो धनेर्मतः ॥ २७ ॥

उस [ अधंशक्ति मूल अलङ्कार से अलङ्कार व्यञ्जय ध्वनि ] का विषय बहुत ही  
कम होगा ऐसी आशङ्का से [ ही आगे ] यह कहते हैं कि —

[ सावारणत ] वाच्यरूप से प्रतीत होने वाला जो रूपक आदि अलङ्कार  
समूह है वह [ दूसरे स्थलों पर, दूसरे उदाहरणों में ] सब गम्यमान रूप में  
[ भटोऽटादिने ] प्रचुर मात्रा में दियाया है ।

अन्य उदाहरणों में वाच्यरूप से प्रसिद्ध जो रूपसादि अलङ्कार समूह है  
वह अन्य स्थलों पर प्रतीयमान रूप से भटोऽटादिने वहुत [ विस्तार से ]  
दियाया है । इसी से सन्देहादि [ अलङ्कारों ] में रूपर, उपमा, अतिशयोक्ति  
आदि [ अलङ्कारान्तरों ] का प्रतीयमानत्र [ व्यञ्जन ] दियाया है । इसलिये  
अलङ्कार का अलङ्कारान्तर में व्यञ्जय [ अलङ्कार से अलङ्कार व्यञ्जय ] हो  
सकता है इसका प्रतिपादन प्रयत्न साध्य [ कठिन ] नहीं है ॥२६॥

[ किर भी वेचल ] इतनी धात [ विशेष रूप से ] कहते हो हैं कि —

[ ऐस वाच्य अलङ्कार से दूसरे ] अलङ्कारान्तर का प्रतीति होने पर भी  
जहा यात्य [ अलङ्कार ] तपर नहीं [ प्रतीयमान अलङ्कार को प्रधानतया  
योग्यिता नहीं करता ] है [ हमारे मत में ] यह ध्वनि का विषय नहीं माना  
जाना ।

[ दीपक आदि ] दूसरे अलङ्कारों में संलग्नवस्तुव्यञ्जय [ उपमादि ]  
दूसरे अलङ्कार की प्रतीति होने पर भी जहाँ यात्य [ दीपक आदि अलङ्कार ] की

यथा वा ममैव—

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्गुरेऽस्मिन्  
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायतात्ति ।  
क्षीरं यदेति न मनागपि तेन मन्ये  
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥

कम्म में, पिशाल सेना समेत समुद्र तट पर आये हुए राजा को देखकर मथन या सेतुग्राहादि सन्देह निमित्तक भयोद्भूत वेपशु रूप कम्पतया उत्पेक्षा की गई है। इसलिये यहा सन्देह और उत्पेक्षा का अङ्गाङ्गभाव सङ्करणकार [ कविप्रौढोऽस्मिदिद ] वाच्यालङ्कार है उससे राजा की वासुदेवरूपता अर्थात् राजा में वासुदेव का आरोप मूलरूपक अलङ्कार व्यङ्ग्य है। इस प्रकार यह कविप्रौढोऽस्मिदिद अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य का उदाहरण है।

यद्यां यह शब्दा हो सकती है कि वासुदेव की अपेक्षा राजा में प्राप्त श्रीकृत, अनलसमनरसत्व, और द्वीपनाथानुगतत्व आदि धर्मों का आधिक्य प्रतीत होने से वासुदेव भैर रूप रूपकालङ्कार नहीं अपितु व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य हो सकता है। परन्तु यह व्यतिरेक वास्तव नहीं है। वासुदेव का जो स्वरूप वर्तमान में प्रसिद्ध है उसमें उनके साथ भी प्रातंश्ची आदि यह सर धर्म नियमान ही हैं अतः व्यतिरेक के अवास्तव होने से, और अभेदारोप में कोई वाधक न होने से यहा रूपक धर्मि ही है। व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य नहीं है।

अथवा जैसे मेरा ही :—

[ प्रसन्नता के कारण चब्बलता और पिशाल से युक्त अतप्रय ] हे चब्बल और दीर्घनेत्रधारिणी [ प्रिये ] शब्द [ कोपकालुप्य के बाद प्रसादोन्मुख मुख के ] लावण्य [ मंस्थान-सौष्ठुर ] और कान्ति से दिग्दिग्मतर यो [ पूर्णिमा के चन्द्र के समान ] परिपूर्ण कर देने वाले तुम्हारे सुप के मन्द सुसकान युक्त होने [ स्मेरे ] पर भी इस [ समुद्र ] में उनिह भी चब्बलता डियाई नहीं पड़ती है इसमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह पदोधि [ निरा ] जलराशि [ जात्युं ज तथा जलसमूह माय ] है।

यदि यह जह नहीं सदृश्य होता तो पूर्णचन्द्र मटश तुम्हारे मुतर की देखदर उसमें मदननिरार रूप क्षीरं और समुद्र में यदि चन्द्रमा और तुम्हारे मुख के मीन्दर्यगत दारतम्भ को ममभने की उद्दि होती तो उसमें चन्द्र में मी अधिक मुन्द्र तुम्हारे मुख को देखदर जल चब्बल्य रूप क्षीरं अवश्य होता।

इत्येवंविदे प्रिपयेऽनुरणनरूप<sup>१</sup> रूपमाश्रयेण काव्यचारस्त्वव्यव-  
स्थानाद् रूपकध्वनिरिति व्यपदेशो न्यायः ।

उपमाध्वनिर्यथा—

बीरण रमइ धुसिणरणम्मि ए तदा पिअथगुच्छज्ज्ञे ।

टिडी रिउगअकुभ्यलम्मि जह बहलसिन्दूरे ॥

[ बीरणां रमते धुसिणरणे न तथा प्रियास्तनोत्पज्जे ।

दृष्टी रिपुगजकुभस्थले नथा बहलसिन्दूरे ॥

[ इतिच्छाया ]

यथा चा ममैव विपमवाणलीलायामसुरपराक्रमणे<sup>२</sup> कामदेवस्य :—

यह कवि निबद्ध नायक की उन्नि है। जड़राशि में श्लेषालङ्कार वाच्य है उससे नायिका के मुपर पर पूर्णिमा चन्द्र का आरोप रूप रूपकालङ्कार व्यङ्ग्य है। इसलिये यह कविनिबद्ध वक्तृप्रीढोकि सिद्ध अलङ्कार से अलङ्कारव्यङ्ग्य का उदाहरण है।

इस प्रकार के उदाहरणों [ रियथ ] में संलग्ध्यक्तमव्यङ्ग्यरूपक के आश्रय से ही काव्य का चारस्त्र व्यवस्थित होता है इसलिये [ यहा ] रूपक ध्वनि व्यवहार [ नामकरण ] ही उचित है।

उपमाध्वनि [ के उदाहरण ] जैसे :—

बीरों की दृष्टि प्रियतमा के कुंकुमरजित डरोजों में उतनी नहीं रमती जितनी सिन्दूर से पुते हुए शत्रु के हाथियों के कुभस्थलों में [ रमती है । ]

यहां पर बीरदृष्टि के प्रिया के स्तनोत्सङ्घ में रमण की अपेक्षा रिपुगजों के कुभस्थल रमण करने में अतिशय प्रतिपादन से स्वत सभी व्यतिरेकालङ्कार से गजकुभस्थल में [ गजकुभ्य-थलानुयोगिक ] प्रिया के कुर्जों के [ प्रियाकुचकुद्मल-प्रतियोगिक ] साहश्यरूप उपमा व्यङ्ग्य है। उसके कारण उन कुभस्थलों के मर्दन में वीरों को अधिक आनन्द आता है। इस प्रसार व्यङ्ग्य उपमानूलक वीरतातिशय के चमत्कारजनक होने से यह स्वत सभी अलङ्कार से अलङ्कारव्यङ्ग्य उपमाध्वनि वा उदाहरण है।

धर्मवा जैसे विपमवाणलीला [ नामक स्वरचित काव्य ] में [ वैलोक्य

१. अनुरणनरूपकाश्रयेण निं०, दी० ।      २. पराप्रमे दी० ।

तं ताण सिरिसहोअररथणाहरणम्भि दिव्रथमक्करसम् ।  
विम्बाहरे पिथाणं सिवेसिअ कुसुमवाणेन ॥

तत्तेषां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम् ।  
निम्बाधरे प्रियाणा निवेशितं कुसुमवाणेन ॥ [इतिच्छाया]

रिजयो] कामदेव के असुरविपयक पराक्रम के वर्णन [ के प्रसङ्ग ] में मेरा ही [ वनाया निम्ब श्लोक उपमाच्चनि का दूसरा उदाहरण ] है ।

लक्ष्मी के सहोदर [ अ तन्त उद्घट ] रत्न के आहरण में तत्पर उम [ असुरों ] के उस [ सदैव युद्धोदयत ] हृदय को कामदेव ने प्रियाओं के अधर-विम्ब [ के रसास्तगद ] में तत्पर कर दिया ।

यहा अतिशयोक्ति अलङ्कार वाच्य है और उससे प्रिया का अधरविम्ब सकलरत्नसाररूप कौसुभमणि के समान है यह उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है । अतः कवि प्रीढोदितसिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

काव्यप्रकाशकार ने पर्याय अलङ्कार के उदाहरण रूप में इस श्लोक को उद्धृत किया है । और उसके टीकाकारों ने इसका अर्थ भी अन्य प्रकार से किया है । ‘श्रीसहोदररत्नाहरणे’ के स्थान पर उन्होंने ‘श्रीसहोदररत्नाभरणे’ यह छायानुगाद किया है परन्तु मूल प्राकृत श्लोक में ‘रथणाहरणम्भि’ यही पाठ रखा है । इस प्राकृत पाठ का छायानुगाद तो रत्नाहरणे ही हो सकता है ‘रत्नाभरणे’ नहा । इसलिये काव्यप्रकाश के टीकाकारों का छायानुगाद टीक नहीं है । इसीलिये, उसके आधार पर जो व्याख्या उन्होंने बी है वह भी टीक प्रतीत नहीं होती । उन्होंने श्लोक का अर्थ इस प्रकार लगाया है कि श्रीसहोदर रत्न अर्थात् कौसुभमणि जिनका आभरण है ऐसे विष्णु में एकरस एकाग्र देत्यों का मन, मोहिनी रूपधारिणी प्रिया के अधर विम्ब के पान में कामदेव ने प्रवृत्त कर दिया । यह अर्थ भी टीक नहीं है । मूल में ‘प्रियाणा’ यह स्पष्ट ही बहुवचन है उससे एक मोहिनी के साथ उसकी सङ्गति नहीं हो सकती है । वह स्पष्ट ही उनकी अपनी प्रियाओं का वोधक है । मोहिनी का नहा । परि विष्णु में असुरों के हृदय की एकाग्रता, एकरसता भी असङ्गत है । टीकाकारों ने यह सब अनर्थ पर्यायोक्त का लक्षण समन्वित करने के लिये किया है । असुरों का हृदय पद्मिले विष्णु में एक-रस था कामदेव ने उसको प्रियाओं के अधरविम्ब में लगा दिया । इस प्रकार ‘एक रसेण अनेकग्न विष्टे’ इस पर्याप्त अलङ्कार के लक्षण का समन्वय करने का

## आचेपध्वनिर्यथा —

स वक्तुमखिलान् शक्तो हयप्रीवाधितान् गुणान् ।  
योऽभ्युक्तमै परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदये ॥

अतिशयोक्त्या हयप्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिषादनरूपस्या-  
साधारणतद्विशेषप्रकाशनपरस्य आचेपस्य<sup>१</sup> प्रकाशनम् ।

अर्थान्तरन्यासध्वनिः शब्दशक्तिमूलानुररणरूपत्वज्ञयोऽर्थ-  
शक्तिमूलानुररणरूपत्वज्ञयरच सम्बवति । तत्राद्यस्योदाहरणम् ॥

दैव्याएत्तमिम फले कि कोइ एत्तिअ पुणा भणिमो ।

कद्गुल्लपल्लवा पल्लवार्णं अरणाण ए सरिच्छा ॥

दैवायत्ते फले कि कियतामेतावत् पुनर्भणाम ।

[रन्ताशोकपल्लवा पल्लवानामन्येषा न सद्शा ॥]

[ इतिच्छाया ]

प्रथम उन्होंने किया है । परन्तु उनका और स्वयं काव्यप्रकाशनार मग्मदाचार्य का यह प्रयत्न लोचनकार और इस पश्च के निमाता स्वयं घन्यालोककार—जिहोंने इसे उपमाघनि का उदाहरण माना है—के अभिप्राय के बिहद है । लोचनकार की प्रामाणिक व्याख्या सामने रहते हुए भी इन लोगों ने अपने दृष्टिकोण से इस पकार का भिन्न ग्रन्थ किया है ।

आचेप ध्वनि [ का उदाहरण ] दैसे—

जो पानी के घड़ों से [ नाप कर ] समुद्र के परिमाण को जान सकता है वही हयप्रीव के समस्त गुणों के वर्णन करने में समर्थ हो सकता है ।

यहा अतिशयोक्ति [ वाच्यालङ्कार ] से हयप्रीव के समस्त गुणों की अवरण्नीयता प्रतिषादन रूप [ गुणों को ] अमाधारण विशेषता प्रशाशन परक आचेप अलङ्कार व्यङ्ग्य है [ अत यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार में अलङ्कार व्यङ्ग्य आचेपध्वनि का उदाहरण है । ]

अथान्तरन्यास ध्वनि शब्दशक्तिमूल संलग्नकम व्यङ्ग्य और अर्थशक्ति-  
मूल संलग्नकम व्यङ्ग्य [ दोनों तरह का ] हो सकता है । उनमें से प्रथम [ शब्दशक्तिमूल संलग्नकमव्यङ्ग्य ध्वनि ] का उदाहरण [ निभ है ] :—

पदप्रकाशश्चाय ध्वनिरिति वाक्यस्यार्थान्तरतात्पर्येऽपि सति न  
विरोध ।

द्वितीयस्योदादृशणं यथा —

हिअअद्वृनिअमल्लणु अद्रृशणमुह दि म पसाअन्त ।

अवरद्वस्स पि ए हु दे पहुजाणअ रोसिङ सकम ॥

फल, भाग्य के आवीन है [ इसमें हम ] क्या करें । [ कुछ भी नहीं  
कर सकते हैं ] किर भी इतना [ तो ] कहते हैं कि रक्ताशोक [ कुछ ] के  
पछुर अन्य पहुंचों के समान नहीं होते ।

यह ध्वनि पद प्रकाश भी होता है इसलिए वाक्य का अर्थान्तर  
[ अप्रस्तुतप्रशास ] में तात्पर्य होने पर भी [ अर्थान्तरन्यास के पदप्रकाश होने  
से ] कोइं विरोध नहीं होता है ।

यहा अर्थान्तरन्यास और अप्रस्तुत प्रशास दो अलङ्कार व्यङ्ग्य हो सकते  
हैं । सामान्य और विशेष के समर्थ समर्थक भाव होने से अर्थान्तरन्यास और  
गम्य गमक भाव होने से अप्रस्तुतप्रशास होती है ।

“सामान्य वा विशेषणं पिशेषस्तेन वा यदि ।

समर्थ्यते . . . सोऽर्थान्तरन्यास ॥

“वरचिद् विशेषं सामान्यात् सामान्यं वा विशेषत् ।

अप्रस्तुतात् प्रस्तुतं चेद् गम्यते पञ्चधा तत् ।

अप्रस्तुतप्रशास स्यात् ॥”

यह अर्थान्तरन्यास तथा अप्रस्तुतप्रशास के लक्षण है ।

अप्रस्तुत रक्ताशोक कुछ के कुत्तान्त से लोडोत्तर प्रयत्न करने पर भी विफल  
होने याले किसी व्यक्ति की प्रशास रूप प्रस्तुत की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशास  
अलङ्कार होता है । परन्तु फल शब्द से भाग्यप्रश दोने याली विफलता का समर्थक  
पहिले ही प्राप्त हो जाता है । इसलिए यहां फल रूप शब्द की शाल से सामन्य  
से विशेष समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है और उसभी पद स  
प्रथम प्रतीति हो जाने से यह अर्थान्तरन्यास ध्वनि का ही उदाहरण है, वाक्यगम्य  
अप्रस्तुतप्रशास ध्वनि का नहीं । ध्वनि के जितने भेद किये गये हैं वे पदप्रकाश  
और वाक्यप्रकाश होते हैं यह आगे प्रतिपादन किया जायगा—यहां अर्थान्तर-  
न्यास ध्वनि पदप्रकाश और अप्रस्तुतप्रशास वाक्यप्रकाश है इसलिए उनमें कोई  
विरोध नहा है ।

हृदयस्थापितमन्युमपरोपमुखीमपि मा प्रसादयन् ।

अपराज्जस्यापि न खलु ते वहुज्ञ रोपितुं शम्यम् ॥

[ इतिच्छाया ]

अत्र हि वाच्यविशेषेण सापराधस्यापि वहुज्ञस्य कोप कर्तुं मशक्य

इति समर्थकं 'सामान्यमन्वितमन्यतात्पर्येण प्रकाशते ।

व्यतिरेकव्यनिरप्युभयरूप सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरण प्राक्

प्रदर्शितमेव । द्वितीयस्योदाहरण यथा —

जाएज्ञ वणुदेसे खुज्ज व्यञ्ज पाअद्योऽगदिअवत्तो ।  
मा माणुसम्म लोए ताएककरसो दरिद्दो अ ॥

[ जायेय उनोदेशे कुञ्ज एन पादपो गलितपत्र ॥ ] [ इतिच्छाया ]

मा मानुपे लोके त्यागैकरसो दरिद्रिश्च ॥ ]

अत्र हि त्यागैकरस्य दरिद्रस्य जन्मानभिनन्दन तुटितपत्रुं ज-  
पादपजन्माभिनन्दन च साक्षाच्छब्दवाच्यम् । तथाविधादपि पादपात्

दूसरे [ अर्थशक्तिमूल संलब्ध्यक्रमव्यङ्ग्य ] का उदाहरण —

हृदय में क्रोध भरा होने पर भी मुख पर उसका [ क्रोध का ] भाव  
प्रकट न करने वाला मुझ को भी तुम मना रहे हो इसलिये [ प्रकट भाव से  
अधिक हृदयस्थित भाव को भी जानने वाले ] हे वहुज्ञ, तुम्हारे अपराधी होने  
पर भी तुमसे रुठा नहीं जा सकता ।

यहा वाच्यार्थ विशेष से, वहुज्ञ के सापराध होने पर भी [ उस पर ]  
क्रोध करना सम्भव नहीं है यह समर्थक, अर्थ सामान्य तात्पर्य से सम्यद्ध अन्य  
विशेष को अभिव्यक्त करता है [ अत अर्थान्तरन्यास ध्वनि है ]

व्यतिरेक ध्वनि भी [ शब्दशक्तयुत्थ और अर्थशक्तयुत्थ ] दोनों प्रकार  
का हो सकता है । उनमें से प्रथम [ शब्दशक्तयुत्थ ] का उदाहरण [ ये यत्त्यु-  
ज्ज्वलयन्ति० इत्यादि ] पढ़िले दिखा ही चुके हैं । दूसरे [ अर्थशक्तयुत्थ का ]  
उदाहरण लैसे —

[ एकान्त निर्नय ] यन में पत्र रहित कुयका यूज्ञ यन कर नले ही पैदा  
ही जाऊ परन्तु दान की रुचि युक्त और दरिद्र होकर मनुष्य लोक में पैदा  
न होऊ ।

तादृशस्य पुंस उपमानोपमेयत्वप्रतीतिपूर्वकं शोच्यतायामाधिक्यं  
तात्पर्येण प्रकाशयति ।

### उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा—

चन्दनासक्तमुजगनिःश्वासानिलमूर्छितः ।  
मूर्छयत्येप पथिकान् मवौ मलयमारुतः ॥

अत्र हि मवौ मलयमारुतस्य पथिकमूर्छाकारित्वं मन्मथोन्माथ-  
दायित्वेनैव । तत्तु चन्दनासक्तमुजगनिश्वासानिलमूर्छिततत्वेनोप्रेक्षित-  
मित्युत्प्रेक्षा साक्षादनुक्तापि वाक्यार्थसामर्थ्यादनुरणनरूपा लक्ष्यते । न  
चैवंविदे विषये इवादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासंवद्धतैवेति । शक्यते<sup>२</sup>  
वक्तुम् । गमकत्वादन्यतापि तदप्रयोगे तदर्थाविगतिर्दर्शनात् । यथा—

यहा दान की रचि वाले दरिद्र [ पुरुष ] के जन्म की निन्दा और पर-  
विहीन कुछ वृक्ष के जन्म का अभिनन्दन शब्दों से साक्षात् वाच्य है । और  
वह [ वाच्य ] उस प्रकार के वृक्ष से भी उस प्रकार के पुरुष की शोचनीयता  
के आधिक्य को वाच्य से उपमानोपमेयभाव [ सादृश्य ] प्रतीतिपूर्वक तात्पर्य  
रूप से व्यक्तिना द्वारा प्रकाशित करता है । अतएव यहाँ अर्थशक्तिमूल व्यतिरेक  
ध्वनि है । [ यहा वाच्य कोई अलक्षार नहीं है अतएव स्वत संभवी वस्तु से  
व्यतिरेकलक्षार ध्वनि व्यहाय है ।

### उत्प्रेक्षा ध्वनि [ का उदाहरण ] जैसे —

चन्दन [ वृक्ष ] मे लिपटे हुए सर्पों के निश्वास वायु से [ मूर्छित ]  
शृंदिन्द्रित यह मलयानिल वसन्त ऋतु में पथिकों को मूर्छित करता है ।

यहा, वसन्त ऋतु में कामोदीपन द्वारा पीड़ाकारी होने से ही मलया-  
निल पथिकों को मूर्छाकारी होता है । परन्तु यह वह [ मूर्छाकारित्व ] चन्दन  
में लिपटे हुए सर्पों के निश्वास वायु से मूर्छित-शृंदिन्द्रित-होने के कारण  
उत्प्रेक्षित किया गया है । [ विषयाकृत वायु के मिल जाने से मलयानिल मूर्छां-  
कारी होता है । अथवा पथिकों में से एक की मूर्छां अन्यों को भी धैर्यध्युति  
द्वारा उनके मूर्छां का कारण बन सकती है ] इस प्रकार उत्प्रेक्षा साक्षात्  
[ उत्प्रेक्षाप्राचक हवादि शब्दों से ] कथित न, होने पर भी वाक्यार्थ सामर्थ्य  
से संलक्षणक्रम व्यहाय रूप में प्रतीत होती है । [ इस लिए यहाँ करि प्रीतेक्षित-

१. असददंव नि० दो० । २. शक्यम् नि० दो० ।

ईसा कलुसस्स वि तुह मुहस्स ए एस पुर्णिमाचन्द्रं  
अज्ज सरिसत्तण पाविउण अङ्ग विष्ण ए माइ ॥

ईर्ष्याकलुपस्यापि तव मुसर्य नन्वेप पूर्णिमाचन्द्रं ।  
अद्य तद्वशत्वं प्राप्य अह एन न मानि ॥ [ इतिच्छाया ]

यथा वा —

त्रासाकुल परिपतन परितो निकेतान् ,  
पुम्बिर्न कैरिचिदपि धन्विभिरन्ववन्धि ।  
तस्यौ तथापि न मृग क्वचिदद्वन्नाभि—  
राकर्णपूर्णनयनेपुहतेत्तुणश्री ॥

सिद्ध वस्तु से 'उत्प्रेक्षालक्ष्मा ध्वनि व्यझ्य है । ] इस प्रकार के उदाहरणों [ पियय ] में [ उत्प्रेक्षावाचक ] इव आदि शब्दों के प्रयोग के बिना [ उत्प्रेक्षा ] आदि का सम्बन्ध नहीं हो सकता यह नहीं कहा जा सकता है । योद्वा की प्रतिभा के सहयोग से चन्द्रनासक्त हृथ्यादि निशेषण के [ उत्प्रेक्षा ] योधक होने से अन्य उदाहरणों में भी उन [ इवादि ] के प्रयोग के बिना भी उत्प्रेक्षा रूप अर्थ ] की प्रतीति देखी जाती है । जैसे —

आज यह पूर्णिमा चन्द्र तुम्हारे ईर्ष्या से मलिन मुख की भी समानता पाकर मानों अपने शरीर में समावा ही नहीं है ।

यहा पूर्णिमा चन्द्र का सब दिशाओं को प्रकाश से भर देना जो एक स्वामाविक कार्य है वह मुखसादृश्यप्राप्तिहेतुकर्त्तव्य उत्प्रेक्षित है । यहा प्राकृतै श्लोक में 'विश्व' पाठ है । उसका छायानुवाद एव किया गया है । वैसे उसका इव अनुवाद भी हो सकता है परन्तु यहा इस श्लाक को इसी ग्रात के सिद्ध करने के लिए तो उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है कि यहा इव शब्द का प्रयोग न होने पर भी उत्प्रेक्षा है । 'विश्व' के 'एव' अनुवाद करने से अर्थ की सङ्गति अधिक बलवती हो जाती है । फिर भी कोई यही कहे कि हम तो निश्च का अनुवाद इव ही करेंगे इसलिए यह उदाहरण नहीं बन सकता है । उसके सन्तोष के लिए प्रत्यक्षार इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण भी देते हैं —

भय से व्याकुल, घरों के चारों ओर धूमत हुए इस हिरण्य का किन्होंने अनुर्धारी पुरुषों ने पीदा नहीं किया फिर भी स्त्रियों के बानों तक फैले हुए भयनों के बायों से अपनी [ अपनी सर्वस्वभूत ] नयनश्री के नष्ट कर दिए जाने के कारण ही मानों कहीं ठहर महों सका ।

शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम् ।

श्लेषपद्धतिर्निर्यथा—

रम्या इति प्राप्तयतीः पताकाः रागं<sup>१</sup> विविक्ता इति वर्धयन्तीः ।  
यस्यामसेवन्त नमद्वलीका समं वधूभिर्वलभीर्युद्यानः ॥

अत्र यधूभिः सह वलभीरसेवन्तेति वाक्यार्थप्रतीतेरनन्तरं धध्व  
इव लभ्य इति श्लेषप्रतीतिरशाब्दार्थर्थसामर्थ्यान्मुरयत्येन वर्तते<sup>२</sup> ।

शब्द और अर्थ के व्यवहार में [ सहदपानुभव रूप ] प्रसिद्ध ही  
[ अपंप्रतीति में ] प्रमाण है ।

यहा भी इव शब्द के अभाव में हेतुप्रेक्षा प्रतीत होती है । इसलिए  
इवादि शब्द के अभाव में असमदार्थकता नहीं कही जा सकती । यहा फिर यह  
शङ्का की जा सकती है कि 'चन्दनासक्त' इत्यादि श्लोक में इव शब्द के  
अभाव में उत्प्रेक्षा की असचदार्थकता की जो शङ्का हमने की थी उसका खण्डन  
करने के लिए आपने यह उदाहरण दिया । परन्तु यह उदाहरण भी तो उसी  
प्रकार का है इसलिए यहा असचदार्थकता नहीं है इसमें ही क्या विनिगमक  
होगा । इस शङ्का के समाधान के लिए ग्रन्थकार ने 'शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धि  
रेव प्रमाणम्' यह पक्षित लिखी है । इसका अभिप्राय यह है यहा इवादि के  
अभाव में भी सहदय लोग उत्प्रेक्षा का अनुभव करते हैं । अतएव शब्दार्थ-  
व्यवहार में प्रसिद्ध अर्थात् सहदयों का अनुभव ही प्रमाण है । उस अनुभव से  
वहाँ इवादि के अभाव में भी प्रतीति होने से असमदार्थकता नहीं हो सकती ।

श्लेषपद्धति [ का उदाहरण ] जैसे—

जिस [नगरी] में नवयुवकगण अपनी सुन्दरता के लिपि प्रसिद्ध [अमुक  
सुन्दर है इस पश्चात् की प्रसिद्धि को प्राप्त ] एकान्त अथवा शुद्धउज्ज्वल [ वेष-  
भूषादि ] होने से अनुराग को बढ़ाने वाली, त्रिपलीयुक्त [ अपनी ] वधुओं के  
साथ, रमणीयता के कारण पताकाओं से अलकृत, एकान्त होने से कामोदीपर  
और मुके हुए छुज्जों से युक्त अपने कूटगारों [ गुप्त निजी कमरों ] का सेवन  
करते थे ।

यहाँ वधुओं के साथ [ वलनियों ] कूटगारों का सेवन करते थे इस

## यथासंख्यधनिर्यथा —

अंकुरितः पल्लवितः कोरकित् पुण्यितश्च सहकारः ।

अंकुरितः पल्लवितः कोरकितः पुण्यितश्च हृषि मदनः ॥

अत्र हि यथोदेशमनुद्देशे यच्चाहत्प्रभनुरणनरूपं मदनविशेषण-  
भूताङ्गं तिवादिशब्दगतं तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोगितासमुच्चयलक्ष-  
णाद वान्यादतिरिच्यमानमालद्यते ।

एवमन्येऽप्यलङ्कारं यथायोगं योजनीयाः ।

एवमलङ्कारधनिमार्गं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्ता स्थापयितु-  
मिदमुच्यते :—

वाक्याख्यं प्रतीति के बाद वाच्यों के समान कृदागार इस श्लोप की प्रतीति भी  
अपेक्षामध्ये से मुख्य रूप में होती है । [ अत यहा स्वत सभवी वस्तु से  
अलङ्कार व्यङ्ग्यरूप श्लोप ध्वनि है । ]

यथासंख्य [ अलङ्कार ] ध्वनि [ का उदाहरण ] जैसे :—

आम के बृक्ष में जैसे पहिले [ पत्तों के ] अंकुर निकले फिर वह  
पेलव बन गए फिर और की कली आई और वह रिल गई इसी क्रम से  
[ उसी के साथ साथ ] हृषि में कामदेव अंकुरित, पल्लवित, मुकुलित और  
विकसित हुआ ।

यहा [ यथा उड्डेश ] प्रथम वाक्यपठित क्रम के अनुसार अंकुरित  
आदि शब्दों का उसी क्रम से [ अनूड्डेश ] हुआरा वहने से मदन विशेषण  
रूप अंकुरितादि शब्दों में जो संलग्नकमव्यङ्ग्य चारन्व प्रतीत होता है  
वह कामदेव और अत्र बृक्ष के तुल्ययोगिता या समुच्चय कलण वाच्य  
चारत्व से उत्कृष्ट दिखाई देता है । [ अतपृथक् यहा स्वत सभवी अलङ्कार से  
अलङ्कार व्यङ्ग्यरूप यथासंख्य अलङ्कार ध्वनि स्पष्ट है । ]

इस प्रकार अन्य [ ध्वनि रूप ] अलङ्कार भी यथोचित रूप से [ रूप ]  
समझ लेने पाहिए ।

इस प्रकार अलङ्कार ध्वनि के मार्ग का [ विस्तारपूर्वक ] प्रतिपादन  
कर के [ अथ ] उस [ व्युत्पादन ] को सार्पकता सिद्ध करने के लिए यह  
कहते हैं —

[ कटक-कुरुद्वस्थानीय ] जिन अलङ्कारों की वाच्यान्वय में शारीर-

एवं ध्वनेः प्रभेदान् प्रतिपाद्य तदाभासविवेकं कर्तुं मुच्यते—  
यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रमिलष्टत्वेन भासते ।  
वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥३१॥

द्विविधोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटश्च । तत्र य एव स्फुटः शब्द-  
शक्त्यार्थशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेमांगो नेतरः, स्फुटोऽपि योऽभि-  
धेयस्याङ्गत्वेन प्रतीयमानोऽवभासते सोऽस्यानुरणनरूपव्यञ्जयस्य ध्वने-  
रगोचरः । यथा—

मैं से ही समझ लेना चाहिए । [ हमने 'आलोक दीपिका' व्याख्या में  
यथास्थान वस्तुव्यञ्जय अलङ्कारों को प्रदर्शित कर दिया है । ] इस प्रकार वस्तु  
मात्र से अथवा अलङ्कारमिश्रप रूप अर्थ से दूसरे वस्तुमात्र अथवा अलङ्कार के  
प्रकाशन में चारोंरूप के कारण प्राधान्य होने पर अर्थशक्त्युद्धव रूप संलग्न-  
क्रम व्यञ्जय ध्वनि समझना चाहिए ।

यहाँ यह स्टट कर दिया है कि वस्तु और अलङ्कार दोनों व्यञ्जय और दोनों  
व्यञ्जक हो सकते हैं । इसलिए १. वस्तु से वस्तु व्यञ्जय, २. वस्तु से अलङ्कार व्यञ्जय,  
३. अलङ्कार से वस्तु व्यञ्जय और ४. अलङ्कार से अलङ्कार व्यञ्जय ये चार मेद हो  
जाते हैं । पहिले त्वत् सम्भवी, कविप्रीढोक्तिसिद्ध और कविनिवद्प्रीढोक्तिसिद्ध  
ये तीन मेद अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के किये थे । उन तीनों मैं से प्रत्येक मेद के १. वस्तु  
से वस्तु, २. वस्तु से अलङ्कार, ३. अलङ्कार से वस्तु ४ अलङ्कार से अलङ्कार व्यञ्जय  
ये चार मेद होकर [ ३ × ४ = १२ ] कुल वारह मेद अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के हो  
जाते हैं । इसके अतिरिक्त शब्दशक्त्युत्थ के वस्तु तथा अलङ्कार रूप दो मेद,  
उभयशक्त्युत्थ का एक, और असलद्यक्षम व्यञ्जय एक, इस प्रकार ( १२ + २ +  
१ + १ = १६ ) कुल सोलह मेद विनितान्यपरवाच्य ध्वनि के हो जाते हैं । और  
दो मेद अपिवक्तिवाच्य ध्वनि के अर्थान्तर समित वाच्य और अत्यन्त तिरस्कृत  
वाच्य किये थे । उनसे मिलाकर ध्वनि के कुल १६ + २ = १८ अठारह मेद यहाँ  
तक हुए ।

इस प्रकार ध्वनि के प्रमेदों का प्रतिपादन करके उस [ ध्वनि ] के  
आभास [ ध्वन्याभास गुणीभूत व्यञ्जन ] को समझाने [ पृथग् ज्ञान, भेदज्ञान  
कराने ] के लिए कहते हैं ।

जहाँ प्रतीयमान अर्थं अस्फुट [ प्रमिलष्ट ] रूप से प्रतीत होता है  
अथवा वाच्य का अह धन जाता है वह इस ध्वनि का विषय नहीं होता ।

कमलाअथ्रा ए मलिआ हसा उड्हायिआ ए आ पितृच्छा ।  
केण पि गामतडाए अ॒भ उत्ताएअ फलिहम् ॥  
[ कमलाकरा न मलिना हसा उड्हायिता न च पितृप्वस ।  
कनारि ग्रामतडागे, अम्रमुत्तानितं ज्ञाप्तम् ॥  
[ इतिच्छाया ]

अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्ना ललवरप्रतिविम्बदर्शनस्य वाच्याङ्गत्तरमेव ।

एवयिवे विषयेऽन्यत्रापि यत्र व्यङ्गयापेक्षया वाच्यस्य चारत्वो-  
ल्कर्षप्रतीत्या प्रावान्यमवसीयते, तत्र व्यङ्गयस्याङ्गत्वेन प्रतीतेष्वनेर-  
पिपयत्यम् । यथा —

वाणीरकुड्डोड दीणसउणिकोलाहल सुण-तीए ।  
घरकन्मवावडाए वहुए सोअन्ति अहाइ ॥  
वानारकुज्जोड्हीनशकुनिसुलकोलाहलं शुरुन्त्या ।  
गृहकर्मव्यापृताया रध्ना सीदन्त्यहानि ॥ [ इतिच्छाया ]

[ अविविति वाच्य या लक्षणामूल और विवितान्यपर वाच्य या अभिधामूल ध्यनि ] दोनों ही प्रकार का व्यङ्गय अर्थं स्फुट और अस्फुट [ दो प्रकार का ] होता है । उनमें से शादशक्ति अथवा अर्थशक्ति से जो स्फुट रूप से प्रतीत होता है वही ध्यनि का विषय है । दूसरा [ अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाला ध्यनि का विषय ] नहीं [ अपितु ध्वन्यामाय ] होता है । स्फुट [ व्यङ्गय ] में भी जो वाच्य के अङ्ग रूप में प्रतीत होता है वह इस संलग्नव्यक्तम-  
व्यङ्गय ध्यनि का विषय नहीं होता । जैसे—

अरी हुआ [ पितृप्वस ] जा । [ देसी तो ] न तालाब ही मैला हुआ  
और न हस ही उषे । [ किर भी ] इस गाय के तालाब में इसी ने घावल  
को उलग करके [ इतनी सफाई से ] रख दिया है ।

यहाँ भोली भाली [ ग्राम ] धध् का मेघ प्रतिविम्ब दर्शन रूप व्यङ्गय  
वाच्य का अङ्ग ही [ वहा हुआ गुलीभूत व्यङ्गय ] है । — :

इस प्रकार के उदाहरणों में और नगद भी जहा चारत्वोकर्य के कारण  
व्यङ्गय की अपेक्षा वाच्य का माधान्य लित होता है यहा व्यङ्गय की अङ्ग  
[ अशर्थान् ] रूप में प्रतीति होने के कारण [ यह ] ध्यनि का विषय नहीं होता ।  
[ अपितु वाच्यमिद्यत्वं नामक गुलीभूत व्यङ्गय का भेद होता है । ] जैसे—

एवंविवो हि विषयः प्रायेण गुणीभूतव्यज्ञवस्योदाहरणत्वेन  
निर्देश्यते ।

यत्र तु प्रकरणादिप्रतिपत्त्या निर्धारितविशेषो वाच्योऽर्थः पुनः  
प्रतीयमानाङ्गत्वेनैवाभान्ते सोऽस्यैवानुरणनरूपव्यज्ञवस्य ध्वने-  
र्मांगः । यथा :—

उच्चिचणसु पडिअ कुमुमं मा धुण सेहालिअ हालिअसुहे ।

अह दे विसमविराघो ससुरेण सुओ वलअसदो ॥

उच्चितु पतित कुमुमं मा धुनीहि शेफालिकां हालिकस्तुपे ।

एप ते नियमनिरापः नशुरेण शुतो वलयशब्दः ।

[ इनिच्छाया ]

[ अपने प्रणथी से मिलने का स्थान और समय नियत करके भी समय पर नियत स्थान पर न पहुंच सकने वाली नायिका के ] वेतस लता-  
कुञ्ज के उड़ते हुए पतियों के कोलाहल को सुन कर घर के काम में लगी हुई-  
यहू के अङ्ग शिथिल हुए जाते हैं ।

काव्य प्रकाशकार तथा साहित्यदर्पणकार ने इस श्लोक को गुणीभूत  
व्यहृत के असुन्दर व्यहृत नामक भेद का उदाहरण दिया है । यहां दत्त संकेत  
पुरप लता गृह में पहुंच गया यह व्यहृत अर्थ है परन्तु उसकी अरेष्ठा 'वधा,  
सीदन्यव्यज्ञानि' यह वाच्यार्थ ही अधिक चमकारजनक प्रतीत होता है ।  
अतएव यह ध्वनि का विषय नहीं, अपितु ध्वन्याभास अर्पाद् असुन्दर व्यहृत  
रूप गुणीभूत व्यहृत का उदाहरण है ।

इस प्रकार का विषय प्रयः गुणीभूत व्यहृत के उदाहरणों में दिखाया  
जायगा ।

जहां प्रकरण आदि की प्रतीति से विशेष अर्थ का निर्धारण करके  
वाच्यार्थ ऐर प्रतीयमान अर्थ के अङ्ग रूप से भासता है वह इसी सलक्षणम-  
व्यहृत ध्वनि का विषय होता है । जैसे—

दे कृषक [ की उध ] वृ ! [ नीचे ] गिरे हुए फूलों को ही बीन,  
शेफालिका [ हरतिंगार की ढाल ] को मत हिला । जोर से बोलने वाले तेरे  
कहण की आशान रवसुर जी ने सुन ली है ।

अत्र ह्यविनयपतिना सह रसमाणा सखी वहि श्रुतरलयरुल-  
कलया सख्या प्रतिबोध्यते । एतदपेक्षणीय वाच्याथप्रतिपत्तये । प्रतिपन्ने  
च वाच्येऽर्थं<sup>१</sup> तस्यायिनयप्रच्छादनतात्पर्येणाभिधीयमानत्वात् पुन  
व्यङ्ग्याङ्गत्वमेवेत्यस्मिन्ननुरणरूपव्यङ्ग्यव्यङ्ग्यवनावन्तर्भावं ।

एव विवक्षितवाच्यस्य ध्यनेस्तदाभासपित के प्रस्तुते सत्यविग  
क्षितवाच्यस्यापि त कर्तुंभाव —

अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निवन्धो यः सखलदूगते ।

शब्दस्य स च न ज्ञेयः स्मरिभिनिपयो ध्यनेः ॥३२॥

— सखलदूगतेरपचरितस्य शब्दस्य अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निवन्धो य  
स च न ध्यनेविपय ।

यहा किसी जार [ अविनयपति ] के साथ सम्बोग [ और वह भी  
पुरुषायित रूप ] करती हुई सखी का घाहर मे उसके बलय की आगाज  
सुन कर सखी साक्षात् करती है । यह [ व्यङ्ग्यार्थ ] वाच्यार्थ की प्रस्तीति  
के लिए अपेक्षित है । [ उस ] वाच्यार्थ को प्रतीति हो जान पर उस  
[ वाच्यार्थ ] के [ सखी के परपुरपोषभोग रूप ] अविनय को द्विपाने  
के अभिन्नाय से ही कथित होने से फिर [ अविनय प्रच्छादन रूप ] व्यङ्ग्य का  
अङ्ग हो हो जाता है अतएव यह संलग्नव्यवहार व्यङ्ग्य ध्यनि में ही अन्तर्भूत  
हाता है ।

इस प्रकार विवक्षितवाच्य ध्यनि के ध्यम्याभास [ गुणोभूतत्व ] विशेष  
के प्रसङ्ग में [ उसके निरूपण के थाद ] अविवक्षित वाच्य ध्यनि का भी आभा-  
सता [ गुणीभूत व ] प्रियेचन करने के लिए कहर है—

प्रतिभा या शक्ति के अभाव म जा लाज्जिक या गौण [ सखलग्नात-  
-यापित रिपय—] शब्द का प्रयोग हा उसको भी गिरानों का ध्यनि का विषय  
नहीं समझना चाहिए ।

सखलदूगति अर्थात् गौण शब्द का प्रतिभा या शक्ति के अभाव म जा  
प्रयोग है वह भी ध्यनि का रिपय नहीं हाता ।

१. निं० में अर्थे पाठ नहीं है ।

यत् । :-

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम् ।  
यद् व्यञ्जयस्याङ्गिभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम् ॥३३॥  
तच्चोदाहृतविषयमेव ।

इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके  
द्वितीय उद्घोतः ।



क्योंकि—

[ ध्वनि के ] सभी भेदों में प्रथानभूत ध्वनि की जो स्फुट रूप से  
प्रतीति होती है वही ध्वनि का पूर्ण लक्षण है ।  
उसके विषय में उदाहरण दे ही चुके हैं ।



श्री राजानक आनन्दवर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक में  
द्वितीय उद्घोत समाप्त ।



इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिताया  
'आलोकदीपिकाखण्डाया' हिन्दीव्याख्यायार्था  
द्वितीय उद्घोतः समाप्तः ।



## तृतीय उद्योतः

---

एव व्यज्ञचमुपेनैव ध्वने प्रदर्शिते सप्रसेदे स्पृहपे पुनर्व्यञ्जक-  
मुग्नेनैतत् ॥ प्रकाश्यते ॥

अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता ।

तदन्यस्यानुरणनरूपव्यज्ञचस्य च ध्वनेः ॥१॥

इम प्रकार [ गत उद्योत में ] व्यज्ञन द्वारा ही [ व्यज्ञन की दृष्टि से ] भेदों सहित ध्वनि का स्वरूप निरूपण करने के बाद व्यञ्जक द्वारा [ व्यञ्जक की दृष्टि से यहाँ ] किर [ उसके भेदों का ] निरूपण करते हैं ॥

अविवक्षित वाच्य [ लक्षण मूल ध्वनि ] और उससे भिन्न [ विवक्षितान्यपरवाच्य अभिधामूल ध्वनि के भेद ] संलग्नवर्मव्यज्ञय ध्वनि [ अर्थात् ध्वनि के १८ भेदों में से एक, असल व्यञ्जक को छोड़ कर शेष १७ भेद ] पद और वाक्य से प्रकाश्य [ होने से दो अपवा १७ × २ = ३४ प्रकार का ] होता है ।

द्वितीय उद्योत में 'आलोकदीपिका' टीका के पृष्ठ २०६ पर अविवक्षितवाच्य अर्थात् लक्षणमूल ध्वनि के १. अर्थान्तरसमित वाच्य तथा २. अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य यह दो भेद और विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधा मूल ध्वनि का असल व्यञ्जय एक + सलदय क्रम व्यञ्जय के शब्दशक्त्युत्थ २ भेद + अर्थ शक्त्युत्थ के १२ भेद + उभय शक्त्युत्थ का १ भेद, इस प्रकार २ अविवक्षित वाच्य + [ १ + २ + १२ + १ ] १६ विवक्षित वाच्य कुल मिलाकर ध्वनि के १८ भेदों की गणना करा नुके हैं । इस तृतीय उद्योत में उन भेदों का और अधिक विचार करेंगे । उसमें से एक उमय शक्त्युत्थ को छोड़कर शेष सुनह के पदव्यञ्जयता और वाक्यव्यञ्जयता भेद से दो प्रकार के भेद और होते हैं । अतएव ध्वनि क कुल जो १७ × २ = ३४ भेद बन जाते हैं । उनमें से विवक्षितान्यपरवाच्य के अर्थ-शक्त्युत्थ के जो वारह भेद कह हैं वह प्रबन्ध व्यञ्जय भी होते हैं । उनकी प्रबन्ध व्यञ्जयता के वारह भेद और मिला कर ३४ + १२ = ५६ और एक

१—अविदक्षितवाच्यरयात्यतिरस्मृतवाच्ये प्रमेदे<sup>१</sup> पदमकाशता यथा महर्षेव्योसस्य . —

‘सप्तैता समिवः श्रिय ।’

यथा या कालिङ्गसत्य —

‘कः सन्नद्दे पिरहिंधुरा त्रयुषेदेत जायाम् ।’

यथा या<sup>२</sup> —

‘किमिव हं मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम् ।’

एते गूढाहरणेषु ‘समिव’ इति ‘सन्नद्दे’ इति ‘मधुराणमिति’ च पदानि व्यञ्जकत्वाभिप्रायेणैव कृतानि ।

उपर्युक्त्युक्त्य जो नेवल वाक्यमात्र व्यङ्ग्य हो सकता है उसको मिलाकर  $46+1=47$ , और असलव्यक्तम् व्यङ्ग्य के १. पदाश, २. वर्ण, ३. रचना, और ४. प्रबन्धगत, ४ भेद और मिला कर व्यनि के कुल  $47+4=51$  भेद शुद्ध होते हैं। इस प्रकार व्यनि के इक्यावन भेदों की गणना की गई है। इस उच्चोत में उन्हीं पिछले भेदों के प्रकारान्तर से पद और वाक्य व्यङ्ग्यरूप के भेद से भेद प्रदर्शित करते हैं। गत उच्चोत में जो व्यनि विभाग किया गया था वह व्यङ्ग्य की दृष्टि से किया गया था यहा पद-वाक्य व्यङ्ग्यरूप के भेद से जो विभाग इस उच्चोत में स्थित जा रहा है उह व्यञ्जक भेद की दृष्टि से किया गया विभाग है। इस प्रकार गत उच्चोत के साथ इस उच्चोत के विवरण सां समन्वय करते हुए प्रधान ने नवीन उच्चोत का प्रारम्भ किया है।

१—अविदक्षित वाच्य [ लक्षणामूल व्यनि ] के आत्यन्त तिरस्तृत वाच्य [ नामक ] भेद में पदव्यङ्ग्य [ का उदाहरण ] लैसे—महर्षि व्यास का—‘सप्तैता समिव श्रिय ।’ यह सात लक्षणों की समिधापू है।

अथवा लैसे—कालिङ्गस का—

‘कः सन्नद्दे पिरहिंधुरा त्रयुषेदेत जायाम् ।’

अथवा :—

‘किमिव मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम् ।’

‘मधुराहृति के जलन्, को दीन् दिम्बूरल् नाहि॒’

१. रथप्रभेद नि० । २. तर्येव नि०, दो० में अधिक है।

इन उदाहरणों में 'समिध' 'सन्नद्दे' और 'मधुराणाम्' पद व्यञ्जकत्व के अभिप्राय से ही [ प्रथुत ] किए गए हैं ।

महपि व्यास का पूरा श्लोक निम्न प्रकार है—

धृति च्छमा दया शौच वारुण्य वाग्निधुरा ।

मित्राणा चानभिद्रोह सप्तैता समिध श्रिय ॥

इस श्लोक में आए 'सप्तैता समिध श्रिय' इस चरण में 'समिध' शब्द अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य है । 'समिध' शब्द सुरथठ यह की समिधाओं के लिए प्रयुक्त होता है । ये समिधाएँ यज्ञीय अग्नि को उनने बाली—प्रवलित करने वाली होती हैं । 'तन्त्या समिद्धरङ्गिरो धृतेन वर्धयामसि' इत्यादि मन्त्र प्रतिपादित वर्धन साधन्य से यहाँ 'समिध' शब्द लक्ष्मी की अन्यामपेत्र वृद्धहतुता को बोधित करता है । अतएव अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य धनि का उदाहरण होता है ।

"क सन्नद्दे विरहिधुरा त्वयुपेक्षेत जायाम्" यह दूसरा उदाहरण कालिदास के मेघदूत से लिया निया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है —

त्वामारुद्द पदमपदीमुद्गृहीतलसन्ता ,

प्रेक्षिध्यन्ते पथिकउनिता ग्रत्यशदाश्वसन्त्य ।

क सन्नद्दे विरहिधुरा त्वयुपेक्षेत जाया ,

न स्यादन्योऽयहमित्र जनो य पराधीनहृति ॥

अर्थात्, हे मेघ वायु मार्ग से जाते हुए तुम्होंकी परिमितमतुर्का स्त्रिया बाला को हाथ में धाम कर, अब उनके पति आते होंगे इस विश्वास से धैर्य धारण करती हुई देखेंगी । क्योंकि मेरे समाज पराधीन [ शापग्रस्त यज्ञ ] को छोड़कर तुम्हारे [ मेघ के ] आ जाने पर अपनी विरहप्रकृति पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा ।

इस श्लोक में 'सन्नद्दे' शब्द अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य धनि का उदाहरण है । सन्नद शब्द यह राधने धारु स बना है । उसका मुरथार्थ बमर कसे हुए, कपचादि धारण इए हुए होता है । यहाँ उसका यह मुख्यार्थ अन्तिम नह्य होता है अतएव यहाँ अग्ने मुरथार्थ को छोड़ कर यह उत्तरत्व का बोधन करता है इस प्रकार अत्यन्त तिरस्कृत राज्य है ।

तासदा उदाहरण भी कालिदास के ही 'शुद्धतल' नाम से लिया गया है । पूरा श्लोक निम्न प्रकार है—

२—तस्यैवार्थान्तरसकमितवाच्ये यथा ।—

‘रामेण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेमण प्रिये नोचितम् ।’

अत्र रामेण इत्येतत् पद साहसैकरसत्प्रादिव्यज्ञयाभिसकमित-  
वाच्यं व्यञ्जकम् ।

सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्य,

मलिनमपि हिमाशो र्लद्म लद्मी तनोति ।

इयमधिकमनोशा वल्कलेनापि तन्वी,

किमिव हि मधुराणा मरणम नाष्टीनाम् ॥

कमल का फूल सिवार में लिपटा होने पर भी सुन्दर लगता है । च द्रमा का काला कलङ्क भी उसकी शोभा बढ़ाता ही है । यह तन्वी शानुन्तला इस वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए होने पर भी और अधिक सुन्दरी दीख पड़ती है । मधुर आनुष्ठि वालों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहा है ।

इस श्लोक में मधुर रस का वाचक मधुर शब्द अपने उस अर्थ कोछोड़कर सुन्दर अर्थ का वोधक होने से अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य खनि का उदाहरण है ।

२—उसी [ अविगित वाच्य लक्षणा मूल खनि ] के अर्थान्तर-  
सकमित वाच्य [ नाभक भेद के उदाहरण ] में जैसे :—

हे प्रिये वैदहि ! अपने जीवन के लोभी राम ने प्रेम के अनुरूप [कार्य] नहीं किया ।

इस [ श्लोक ] में ‘राम’ यह पद साहसैकरसत्प्रादिव्यज्ञय [ सत्यसन्वत्त ] आदि व्यञ्जय [ प्रियं राम रूप अर्थान्तर में ] समित वाच्य [ रूप से अर्थान्तर समित वाच्य ] व्यञ्जक है ।

पूरा श्लोक इस प्रकार है ।—

प्रत्याख्यानदृष्टि. कृत समुचित, नूरण ते रक्षा,  
सोढ तच तथा तथा तुलजनो, धत्ते नयोच्चै शिर ।

व्यर्थं सम्प्रति प्रिभ्रना धनुरिद, तद्रायापदः साक्षिणा,  
रामण प्रियजीवितेन तु कृत, प्रेमण प्रिय नोचनम् ॥

कूर राज्ञस रावण ने तुम्हारे अस्तीकार करने पर उम तिप्पद्यजन्य बोध के अनुरूप ही तुम्हार साथ व्यवहार किया । और तुमने मी उमर्हे कूर व्यवहार को इस प्रकार वीरतादूर्यक सहन किया कि आज भी तुलवतुए उसर कारण आपना

यथा वा :—

एमेत्र जणो तिस्सा देउ कपोलोपमाइ ससिविम्बम् ।  
परमत्यविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ ॥

एवमेन जनसत्स्या ददाति कपोलोपमाया शशिविम्बम् ।

परमार्थविचारे पुनश्चन्द्रश्चन्द्र इव वराक ॥ [ इतिच्छाया ]  
अत्र द्वितीयश्चन्द्रशब्दोऽर्थान्तरसंकमितवान्य ।

३—अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे वाक्य-  
प्रकाशता यथा—

या निशा सर्वभूताना, तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाप्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

अनेन वाक्येन निशार्थो न च<sup>१</sup> जागरणार्थः कश्चिद् विवक्षितः ।  
किं तर्हि ? तत्त्वज्ञानावहितत्वं अतत्वपराङ्मुखत्वं च मुने प्रतिपाद्यत  
इति तिरस्कृतवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम् ।

सिर ऊचा उठाए है । इस प्रकार तुम दोनों ने अपने-अपने अनुरूप कार्य किया  
परन्तु तुम्हारी विपस्ति के साक्षी बन कर भी आज व्यर्थ ही इस घनुप को धारण  
करने याले—अपने जीवन के लोभी इस राम ने है प्रिये वैदेहि अपने प्रेम के  
योग्य कार्य नहीं किया ।

अथवा जैसे :—

उसके गालों की उपमा में लोग [ उपमान रूप में ] चन्द्रविम्ब को यों  
ही रख देते हैं । वास्तविक पिचार करने पर तो विचारा ‘चन्द्रमा’ चन्द्रमा  
ही है ।

यहाँ दूसरा चन्द्र शब्द [ चयित्व, विलासशून्यत्व, मलिनत्वादि विशिष्ट  
चन्द्र अर्थ में ] अर्थान्तर संकमित वाच्य है ।

३—अविवक्षित वाच्य [ लक्षण मूल व्यनि ] के अन्यन्त तिरस्कृत  
वाच्य भेद में वाक्यप्रकाशता [ का उदाहरण ] जैसे :—

जो अन्य सब प्राणियों को रात्रि है उसमें सबमाँ [ तत्त्वज्ञानी जितेन्द्रिय  
पुरुष ] जागता [ रहता ] है । और जहा सब प्राणी जागते हैं वह तत्त्वज्ञानी  
मुनिकी रात्रि है ।

१. (न) निशार्थो न (वा) जागरणार्थ दी० । न जागरणार्थं निं० ।

४—तस्यैवार्थान्तरसक्रमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा —  
‘प्रिसमइओ’ काण वि काण पि बालेइ अमिश्रणिम्माओ<sup>३</sup> ।  
काण पि विसामिश्रमओ काण वि अविसामओ कालो ॥

[ विषयमित<sup>४</sup> केषामपि<sup>५</sup> प्रवात्यमृतनिर्माण<sup>६</sup> ।

कषामपि विषामृतमय रुपामध्यविषामृत काल ॥ [ इतिच्छाया ]

अत्र हि वाक्ये ‘विषामृत’ शब्दाभ्या दु यसुखरूपसक्रमित-  
वाच्याभ्या व्यवहार इत्यर्थान्तरसक्रमितवाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् ।

इस वाक्य से निशा [ पद ] और जागरण [ वोधक ‘जागति’ तथा ‘जाग्रति’ शब्द का वह ] कोई अर्थ [ मुर्त्यार्थ ] विवरित नहीं है । तो [ निर ] क्या [ विरचित ] है । [ तद्यनानी ] मुनि की तद्यनाननिष्ठता और अत्यधि परामृखता प्रतिपादित है । इसलिए अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [ निशा तथा जागति, जाग्रति आदि अनेक शब्द रूप वाच्य ] की ही व्यञ्जकता है ।

४—उसी [ अभिवित वाच्य ध्वनि अर्थात् लक्षणमूल ध्वनि ] के अथान्तरसक्रमितवाच्य [ भेद ] की पद प्रकाशता [ का उदाहरण ] जैसे —

किन्हीं का समय विषमय [ दुखमय ] किन्हीं का अमृत रूप [ सुखमय ] किन्हीं का विष और अमृतमय [ सुख हु प मिथ्रित ] और किन्हीं का न विष और न अमृतमय [ सुख हु ज रहित ] व्यर्तीत होता है ।

इस वाक्य में विष और अमृत शब्द दु य और सुख रूप अथान्तर संबंधितवाच्य [ रूप भे ] व्यवहार में आए हैं । इसलिए अथान्तरसक्रमित वाच्य [ अनेक पद रूप वाक्य ] का ही व्यञ्जकत्व है ।

‘या निशा०’ और ‘वेषामपि०’ इन दोनों श्लोकों में अनेक वदों के व्यञ्जक होने से वे वाक्यगत व्यञ्जकत्व के उदाहरण हैं । विषमित ‘विषमयता प्राप्त’ विषमित शब्द का अर्थ विषरूपता को प्राप्त है । इस श्लोक में काल की चार अवस्थाएँ प्रतिपादित की हैं । एक विष रूप, दूसरी अमृतरूप, तीसरी उभयात्मक अर्थात् विषामृतरूप और चौथी अनुभावात्मक अविषामृतरूप । पापी और अतिविषेकियों के लिए काल विष रूप अर्थात् दुखमय, किन्तु पुण्यात्माओं

<sup>३</sup> विषमइओ च्चिम नि० । <sup>४</sup> अभिष्ममओ नि० । <sup>५</sup> विषमय इव नि० ।

<sup>६</sup> अमृतमय नि० ।

१—विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनस्पव्यज्ञव्याप्त्य शब्दशक्त्युद्गवे  
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा —

प्रातुं धनैरधिंजनस्य याङ्गां, दैवेन सूष्ट्रो यदि नाम नास्मि ।

पथं प्रसन्नाम्बुधरस्तडागः, कूपोऽथवा किन्न जड़. कृतोऽहम् ॥

अत्र हि 'जड़' इति पदं निर्विलेण वस्त्रात्ममानाधिकरणतया  
प्रयुक्तमनुरणनस्पतया कूपसमानाधिकरणां स्वशक्त्या प्रतिपद्यते ।

अथवा अत्यन्त अविचेकियों के लिए अमृतमय अर्थात् सुख रूप, मिहीं मिथ्र  
कर्म और विवेकापिवेक स्प मिथ्र इन वालों के लिए उभयात्मक सुख-दुःखरूप  
और किंहीं अत्यन्त मृद अथवा योग भूमिका को प्राप्त लोगों के लिए अनुभयात्मक  
अर्थात् सुख-दुःख से रहित है । प्रत्येक अवस्था के साथ उत्तमता और  
निमृष्टता की चरम सीमा सबद्ध है । अत्यन्त पापी के लिए पारों के फल रूप  
दुःख भोग के कारण काल दुःखमय है और अत्यन्त विवेकी मी पूर्ण वैराग्ययुक्त  
होने से काल की दुःख रूप मानता है । यहा विष और अमृत शब्द दुःख  
मुखमयता को वीधन करते हैं इसलिए अर्थान्तरसंक्षिप्तवाच्य के उदाहरण हैं ।

अविवक्षितवाच्य अर्थात् लक्षणामूल घनि के अर्थान्तरसंक्षिप्तवाच्य  
और अत्यन्ततिरसमूलवाच्य रूप दोनों भेदों के पदप्रशाशता तथा वाक्य-  
प्रकाशता भेद से कुल चार भेद हुए । उन चारों के उदाहरण देवर अव  
विवक्षितवाच्य अर्थात् अभिधामूल घनि के सलद्वरकम भेद के १५ अवान्तर  
भेदों में से कुछ उदाहरण आगे देते हैं :—

१—विविक्षितान्यपरवाच्य [अर्थान्त अभिधामूल घनि] के [अन्तर्गत]  
सलच्यक्रमव्याप्त्य के शब्द शब्दयुद्ध [ नामक ] भेद में पदप्रशाशता [ ना  
उदाहरण ] जैसे :—

यदि दैव ने मुझे धनों से याचक जनों की डरदा पूर्ण करने योग्य  
नहीं बनाया तो स्पष्ट जल से परिपूर्ण रास्ते या तालाय या जड [ परटःपान-  
भिज, किस को किस वस्तु की आशयस्ता है इसके समक्षे की शक्ति से  
रहित अतपूर जड और शोतुल अर्थात् निर्दद सन्तापादिरहित ] कुंचा क्यों न  
बना दिया ।

यहा लिख [ हुए ] बना ने जड शब्द का प्रयोग [ आममानाधिरण-  
तया, अर्थात् अपने को बोध करते वाले अहम् पद के माध्य जटोऽहम् इस रूप  
में समान भिन्न, समान वचन में ] अपने लिए किया या परन्तु सलच्यक्रम रूप ।

२— तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा हर्षं दरिते सिंहनादवाक्येषु—  
‘वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं शोपः।’

एतद्विंशति वाक्यमनुरणनरूपमर्थान्तरं शब्दशाक्त्या सुट्टमेव प्रकाशयति ।

से [ स्वशक्ति-शब्द शक्ति-अभिधामूल व्यञ्जना- ] द्वारा वह [ कूपसमान-विशेष ] कूप का विशेषण बन जाता है ।

तृतीयकार का आशय यह है कि वक्ता ने जड़ शब्द को ‘जड़हम्’ इस प्रकार अपने को बोध कराने वाले अहम् पद के साथ समानाधिकरण-समान विभक्ति, समान वचन में प्रयुक्त किया था । समानविभक्त्यन्त-समानाधिकरण-पदों का परस्पर अभेद सम्बन्ध से ही अन्वय होता है क्योंकि “निपातातिरिक्तस्य नामार्थद्वयस्य अभेदातिरिक्तसवन्धेनान्वयोऽव्युत्पन्नः” इस सिद्धान्त के अनुसार विशेष-विशेषण का अभेदान्वय ही होता है । जैसे ‘नील उत्पलम्’ इन दोनों प्रातिपदिकार्थों का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होकर ‘नीलाभिन्न उत्पल’ ‘नीलगुण वदभिन्नभुत्पलम्’ इस प्रकार का शब्द बोध होता है । इसी प्रकार यहा जड़ः पद का अहम् और कूप के साथ अभेदान्वय होगा । दरिद्रता के कारण याचक जनों की इच्छापूर्ति में असमर्थ अत एव लिन्न हुए वक्ता ने, मुझको जड़ अर्थात् याचकों की आवश्यकता समझने में असमर्थ अतएव इस निवेद सन्ताप से रहित इस अर्थ में जड़ शब्द अपने लिए प्रयुक्त किया था परन्तु शब्द शक्ति [ अभिधामूल व्यञ्जना ] से वह ‘जड़’ पद कुआ का विशेषण बन जाता है । और जड़ अर्थात् शीतल जल से युक्त, अतएव तृप्ति पर्यायों के हित साधक, परोपकार समर्थ, इस अर्थ को दर्यन करता है ।

२०. उसी [ दिवचित्तान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के अन्तर्गत संलग्नवक्त्वम् व्यञ्जन के रात्रेशाक्त्युत्पन्न भेद ] की वाच्य प्रकाशता [ का उदाहरण ] जैसे [ वाणभट्टहत ] हपेंद्रित [ के पाठ उच्च्वास ] में [ सेनापति ] सिंहनाद के वाक्यों में :—

इस [ अर्थात् तुम्हारे पिता प्रभाकरपर्यन्त और जयेष्ठ आता राज्य-वर्धन की सृष्टिरूप ] महाप्रलय के होजाने पर शृणिवा [ अर्थात् राज्य भार ] को धारण करने के लिए अत तुम शेष [ शेषनाम ] हो ।

यह वाच्य [ इस महाप्रलय के हो जाने पर शृणिवा के धारण करने के लिए अकेले शेषनाम के समान ] संलग्नवक्त्वम्-व्यञ्जन [ शेषनाम रूप ] अर्थान्तर को स्वशक्ति से स्पष्ट ही प्रकाशित करता है ।

३—अस्यैव कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्यार्थशक्त्युद्भवे  
अभेदे पदप्रकाशता यथा हरिविजये —

चूअकुरावचसं १छणमप्यसरमहृष्णमणहरसुरामोअम ।

असमपित्रि पि गहिअ कुसुमसरेण महुमासलच्छमुहम्॥

चृताँसुरावतसं २क्षणप्रसरमहार्वमनाहरसुरामोदम् ।

असमपित्रमपि गृहीत कुसुमशरण मधुमासलच्छमुखम् ॥

[इति॑च्चाया ]

अत इसमर्पितमपि कुसुमशरणे मधुमासलच्छम्या मुख  
गृहीतमित्यसमपित्रमपीत्येतद्वस्थामिधाय पदमर्थशक्त्या कुसुमशरस्य  
बलात्कार प्रकाशयति ।

विवाक्षत वाच्य अथात् अभिधामूल ध्वनि के १ शब्द शक्त्युथ, २ अर्थ  
शक्त्युथ और ३ उभय शक्त्युथ ये तीन भेद किए थे । उनमें शब्दशक्त्युथ  
प्रथम भेद के पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के दो उदाहरण ऊपर दिया  
दिए हैं । अब दूसरे अर्थशक्त्युद्भव भेद के उदाहरण दिखावेंगे । इस अर्थ  
शक्त्युद्भव ध्वनि के भी १ स्वत सम्बवी, २ कविप्रौढोक्ति सिद्ध और ३ कविनिष्ठद  
प्रौढोक्तिसिद्ध ये तीन भेद होते हैं इनमें से कविनिष्ठदप्रौढोक्तिसिद्ध को  
कविप्रौढोक्तिसिद्ध में अन्तर्भूत मानने उसके अलग उदाहरण नहा दिए हैं ।  
आगे कविप्रौढोक्तिसिद्ध को पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के उदाहरण  
देते हैं —

१ इसी [ विवक्षितन्यपरवाच्य अथात् अभिधामूल ध्वनि ] के कवि  
प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अर्थशक्त्युद्भव भेद में पदप्रकाशता [ का उदाहरण ]  
जैसे [ प्रवरसेन कृत प्राकृत रूपक ] हरिविजय में —

आधमञ्जरियों से विभूषित, जण [ अथात् वसन्तोत्सव ] के प्रसार में  
आयन्त मनोहर, सुर [ अर्थात् कामदव ] के चमत्कार स युक्त, [ पशान्तर में  
यहुमूल्य सुन्दर सुरा की सुगन्धि स युक्त ] वासन्तो लक्ष्मी के मुख [ प्रारम्भ ]  
को कामदेव न यिना दिए हुए भी [ बलात्कार ज्ञायदस्ती से ] परह लिया ।

यहा कामदेव ने यिना दिए हुए भी वसन्तलक्ष्मा का मुख परह लिया  
इसमें यिना दिए हुए भी इस [ नदाङ्गा नायिका की ] अरस्था

१ छणप्रसरमहृष्णमहुरामोपम् निं० । २ महदधनमधुरामोदम निं०, दी० ।

४—अत्रैव प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहतं प्राक्—  
“सज्जेहि सुरभिमासो” इत्यादि ।

अत्र सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयत्यनङ्गाय शरानित्ययं  
वाक्यार्थं कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो मन्मथोन्माथकद्वनावस्थां  
वसन्तसमयस्य सूचयति ।

५—स्वत सभविशरीरार्थशस्त्युद्धवप्रभेदे पदप्रकाशता यथा—

गणिअच्च हत्तिदन्ता कुत्तो अह्माण वावकित्ती अ ।

जाव लुलिआलश्चमुही घरभिमि परिसम्मुखे सुहा ॥

[ बणिजक हस्तिदन्ता कतोऽस्माक व्यापकृत्यश्च ।

यावल्लुलितालऽमुखी गृहे परिष्पडन्ते रूपा ॥ [ इतिच्छाया ]

का सूचक शब्द अर्थशक्ति से कामदेव के [ हठ कामुक व्यवहार रूप ]  
यलाकार को प्रकाशित करता है [ इसलिए यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से  
वस्तु व्यहय अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि का उदाहरण है ] ।

२ इसी [ प्रिवक्तितान्यपरवाच्य अथात् अभिधामूल ध्वनि के अर्थ-  
शक्त्युद्धव सतत्यकम व्यहय ] भद्र में वाक्यप्रकाशता [ का उदाहरण ] जैसे  
“सज्जयति सुरभिमासो” इत्यादि पहिले उदाहरण दे चुके हैं ।

यहा वसन्त मास [ चैत्र मास ] वाणों को बनाता है परन्तु कामदेव  
को दे नहीं रहा है यह कविप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध वाक्यार्थ वसन्त समय की कामो-  
दीपनातिशयजन्य [ विरहिजनों की ] दुरगस्था को सूचित करता है ।

आगे प्रिवक्तितान्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के अर्थशक्त्युद्धव मेद  
के अन्तर्गत स्वत सम्भवी भद्र के पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के दो  
उदाहरण देते हैं ।

३ [ प्रिवक्तितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के ] स्वत सम्भवी  
अर्थशक्त्युद्धव भेद में पदप्रकाशता [ का उदाहरण ] जैसे —

हे विषिङ् जय तक चञ्चल अलको [ लटों ] म युक्त मुख धाखी  
पुत्रगम् घर में घूमती हैं सब तक हमारे यहा हाथीदात और व्याघ्रचर्म कहा  
से आए ।

कारिका १ ]

अत्र 'लुलितालकमुखी' इत्येतत् पदं व्याधवध्वा: स्वतःसम्भावित-  
शरीरार्थशक्त्या सुरतकीडासक्ति 'सूचयत्तदीयस्य भर्तुः सततसम्भोग-  
क्षमता प्रकाशयति ।

६—तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा —

सिहि पिण्ड्यकरणऊरा वहुआ वाहस्स गठिवरी भमइ ।

मुक्ताप्लरइअपसाहणाणं मजमे सवत्तीणम् ॥

[ शिसिमिच्छकर्णपूरा भार्या व्याधस्य गर्निरणी भ्रमति ।

मुक्ताप्लरचितप्रसाधनाना मध्ये सपल्लीनाम् ॥ [ इतिच्छाया ]

अनेनाप वाक्येन व्याधवध्वा: शिखपिण्ड्यकर्णपूराया नवपार-  
णीतायाः कस्यारिच्चत् सौभाग्यातिशयः प्रकाशयते ।

३ तत्सम्भोगैकरतो मयूरमात्रमारणसमर्थः पतिर्जाति इत्यर्थप्रकाशनात्  
सदन्यासा चिरपरिणीताना मुक्ताप्लरचितप्रसाधनार्ता दीर्भाग्यातिशयः  
ख्याप्यते ।

तत्सम्भोगकाले स एव व्याध. व रिवरदधव्यापारसमर्थं आसी-  
दित्यर्थप्रकाशनात् ।

यहा 'लुलितालकमुखी' यह पद स्वतःसमझी अर्थशक्ति से व्याध  
वधू [ पुत्रपृथू ] की सुरत की कीडासक्ति को सूचित करता हुआ उसके पति  
[ व्याधउथ ] की निरन्तर सभोग से उत्पन्न दुर्बलता को प्रकाशित करता है ।

६—इसा [ संलच्यक्रमव्यङ्घय के अर्थशब्दयुद्भव स्वतः समझी वस्तु  
से वस्तु व्यङ्घय ] की वाक्यप्रकाशता [ का उदाहरण ] जैसे :—  
[ केवल ] मोरपथ का कर्णपूर पहिने हुए व्याध को [ नवपरिणीता ]  
यत्नी, मुक्ताप्लों के आभूपणों से अलंकृत सप्तिनियों के बीच अभिमान से  
फूला हुई फिरती है ।

इस वाक्य से मोरपथ का कर्णपूर धारण किये हुए नवपरिणीता  
इसी व्याध पत्नी का सौभाग्यातिशय सूचित होता है । केवल [ रातडिन-  
हर समय ] उसके साथ सभोग में रत उसका पति [ अव्य ] केवल मयूरमात्र  
के मारने में समर्थ रह गया है । इस अर्थ के प्रकाशन से । पहिले की व्याधी  
हुई मोतियों के आभूपणों से सज्जी अन्य पतिनियों के सभोग काल में तो

१. सूचयस्तदीयस्य निं० दी० वा० । २. निं०, दी० में यह मनुच्छेद नहीं है ।

ननु धनि. काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कर्थं तस्य पदप्रकाशता ? काव्यविशेषो हि विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतु शब्दसन्दर्भविशेषः । तद्वावश्च पदप्रकाशत्वे नोपपदाते । पदाना स्मारकत्वेनावाचकत्वात् । ॥

उच्यते । स्यादेप दोपो यदि वाचकत्वं प्रयोजकं धनिव्यवहारे स्यात् । न त्येवम् । तस्य व्यञ्जकत्वेन व्यवस्थानात् ।

वही व्याख बड़े बड़े हाथियों के मारने में समर्थ या इस अर्थ के प्रकाशन से उनका दीर्घांग्यातिशय प्रकाशित होता है ।

इस तृतीय उत्तोत की प्रथम कारिका में अविवक्तित वाच्य, और विवक्तित वाच्य में सलव्यक्रम व्यङ्ग्य नामक भेद के अन्तर्गत, पदप्रकाश और वाक्यप्रकाश रूप से दो भेद किये थे और तदनुसार अविवक्तितवाच्य के अर्थान्तर सक्रियत्वाच्य तथा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य दोनों भेदों के, और विवक्तित वाच्य के शब्दशक्त्युत्थ भेद के, तथा अर्थशक्त्युत्थ के कविप्रीदोक्षिणिद तथा स्वतः सम्भवी भेदों के उदाहरण दिखा चुके हैं । अब व्यञ्जक मुख से किये गए पदप्रकाश और वाक्यप्रकाश इन दो भेदों के विषय में पूर्ववक्ता की यह शङ्खा है कि धनि की वाक्यप्रकाशता तो ठीक है परन्तु धनि को पदप्रकाश नहीं माना जा सकता क्योंकि धनि तो काव्यविशेष का नाम है । जैसा प्रथम उत्तोत की “यत्यार्थः शब्दो वा तर्मर्थमूपसर्जनीकृतस्वार्थोऽप्यकृतः वाक्यविशेषः स धनिरूपिति सूरिभिः कथितः ॥१-१३ ॥” में कहा गया है । इसका समाधान करने के लिए पूर्व पक्ष उठाते हैं :—

[ प्रश्न ‘काव्यविशेषः स धनि’ इत्यादि कारिकांश में ] काव्य विशेष को धनि कहा है तो वह [ काव्यविशेष रूप धनि ] पद प्रकाश कैसे हो सकता है । [ वाच्य और व्यङ्ग्य रूप ] विशिष्ट अर्थ की प्रतीति के हेतु-भूत शब्दसमुदाय को वाच्य कहते हैं । [ धनि के ] पदप्रकाशत्व [ पक्ष ] में [ विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतु शब्दार्थसन्दर्भत्व रूप ] काव्यत्व नहीं यन सकता । यथोऽपि पदों के स्मारक होने से उनमें वाचकत्व नहीं रहता । [ पद के बल पदार्थस्मृति के हेतु हो सकते हैं । इसलिए यह पदार्थसंमग्र रूप याक्यार्थ के वाचक नहीं होते हैं । तब धनि काव्य में पदप्रकाशत्व कैसे रहेगा । ]

[ उत्तर ] उहों हैं । अपक्ष, कहा, दोष [ पदों के अवाचक होने से

किञ्च काव्यानां शरीरिणामिव संस्थानविशेषावच्छिद्धन्नसमुदा  
यसाध्यापि चारुत्वप्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु कल्प्यत इति  
पदानामपि व्यञ्जकत्वमुरेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न विरोधी ।

अनिष्टस्य श्रुतिर्यद्वदापादयति दुष्टाम् ।

श्रुतिदुष्टादिपु व्यक्तं तद्विष्टस्मृतिगुणम् ॥

पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिनः ।

तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वेष्वेवास्ति रम्यता ॥

विनिष्ठतिशोभिनैकेन भूपणेनेव कामिनी ।

पदशोल्येन सुकवेष्वनिना भाति भारती ॥

इति परिकरश्लोकाः—

ध्वनि में पदप्रकाशता की अनुपत्ति ] तब आता यदि वाचकत्व को ध्वनि-  
व्यवहार का प्रयोजक माना जाय । परन्तु ऐसा तो है नहीं । ध्वनि व्यवहार  
तो व्यञ्जकत्व से व्यवस्थित होता है ।

तात्पर्य यह है कि यदि वाचकत्व के कारण ध्वनि व्यवहार होता तब  
तो यह कहा जा सकता था कि पदों के वाचक न होने से ध्वनि, पदप्रकाश  
नहीं हो सकता । परन्तु ध्वनि व्यवहार का नियामक तो वाचकत्व नहीं व्यञ्जकत्व  
है । इसलिए पद भले ही स्मारक मात्र रहे, वाचक न हो तो भी वह ध्वनि के  
व्यञ्जक तो हो ही सकते हैं । इसलिए आपका दोष ठीक नहीं है । यह यथार्थ  
उत्तर नहीं अपितु प्रतिबन्दी उत्तर है । लोचनकार ने इसे छुलोत्तर कहा है ।  
अतः दूसरा यथार्थ उत्तर देते हैं ।

इसके अतिरिक्त जैसे शरीरधारियों [ नायक-नायिकादि ] में सौन्दर्य-  
की प्रतीति अव्यवसहृदनाविशेष रूप समुदायसाध्य होने पर भी अन्वय-  
व्यतिरेक से [ सुखादि रूप ] अवयवों में मानी जाती है । इसी प्रकार  
व्यञ्जकत्व मुख से पदों में ध्वनि व्यवहार की व्यवस्था मानने में [ कोई  
विरोध नहीं है ।

जैसे [ पाणि पहलपेलः इत्यादि उदाहरणों में पेलब आदि शब्द  
के असम्यार्थ के वाचक न होने पर भी व्यञ्जकत्व होने से ] श्रुतिदुष्टा  
[ दोष स्थलों ] में अनिष्ट अर्थ के अव्यवस्था [ अनिष्ट अर्थ की सूचनामात्र ]

यस्त्वलद्यक्रमव्यङ्ग्यो धनिवर्णपदादिपु ।

वाक्ये सहृष्टनायां च स प्रवन्धेऽपि दीप्यते ॥ २ ॥

तत्र वर्णनामनर्थकत्वाद् योतक्त्वमसम्भवित् इत्याशक्येद-  
मुच्यते ।

से [ काव्य में ] हुएता आजाती है । इसी प्रकार [ धनि स्थल में ] पदों से  
इटार्प की स्मृति भी गुण [ धनि व्यवहार प्रवर्तक ] हो सकती है ।

इसलिए पदों के समारक होने पर भी एक पदमात्र से प्रतीक होने  
वाले धनि के सभी प्रगेदों में सम्यता रह सकती है ।

[ और ] निरोप शोभाशाली एक [ ही व्यङ्ग में धारण किए हुए ] आम-  
पण से भी जैसे कामिनी शोभित होती है इसी प्रकार पदमात्र से धोतित होने  
वाले धनि से भी सुकृदि की भारती शोभित होती है ।

यह परिकर [ कारिकोक्त अर्थ से अतिरिक्त अर्थ को प्रतिपादन करने  
वाले ] श्लोक है ।

अधिकृत वाच्य धनि के दोनों अचान्तर भेदों के और उसके बाद  
विवितवाच्य धनि के सलद्यन्तम व्यङ्ग्य के अचान्तर भेदों के व्यञ्जक मूल से  
पदप्रसाश और वाक्यप्रकाश दोनों भेद से धारणा कर दिए । अब  
प्रियकृत वाच्य धनि के दूसरे भेद असलद्यक्रम व्यङ्ग्य के १ वर्ण पदादि,  
२. वाक्य ३. सहृष्टना और ४. प्रवन्धाधित चार भेद दिखाते हैं । यहाँ वर्णपदादिपु  
को एक ही भेद माना है । वैसे प्रहृति प्रत्यय आदि भेद से यह अनेक भेद हो सकते  
हैं । परन्तु सम्प्रदाय के अनुसार इन पदप्रकाश की गणना एक ही भेद में की जाती  
है । अतः असलद्यक्रम व्यङ्ग्य के चार भेद ही परिगणित होते हैं । इस उत्तोत  
के प्रारम्भ में धनि के ५१ भेदों की गणना करते हुए हमने इन चारों को दिखा  
दिया था । मूल कारिकार इन चारों भेदों की दिखाते हैं ।

और जो असलद्यक्रम व्यङ्ग्य [ नामक विवितान्यपर वाच्य धनिभा-  
मूल धनि का भेद ] यह १. वर्णपदादि, २. वाक्य ३. सहृष्टना और ४. प्रवन्ध  
में भी प्रकाशित होता है ।

उनमें से वर्णों के अनर्थक होने से उनका धनि योतक्त्व असम्भव है  
इस आशङ्का से [ सम्भव है कोई ऐसी आशङ्का करे इसलिए ] यह कहते हैं —

शपौ सरेफसंयोगौ ढकारश्चापि भूयसा ।

विरोधिनः स्युः शङ्खारे तेन वर्णा रसच्युतः ॥ ३ ॥

त एव तु निवेश्यन्ते वीभत्सादौ रसे यदा ।

तदा तं दीप्यन्त्येव ते न वर्णा रसच्युतः ॥ ४ ॥

श्लोकद्वयेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां वर्णानां चोतकत्वं दर्शितं भवति ।

पदे चालह्यक्रमव्यज्ञयस्य चोतनं । यथा :—

रेफ के संयोग से युक्त श, प और ढकार का बहुलप्रयोग रसच्युत [ रसापक्यंक ] होने से श्खार रस में पिरोधी होते हैं । [ अथवा लोचन में ते न को दो पद और रसच्युतः पाठ मान कर, वे वर्ण रस को प्रशाहित करने वाले नहीं होते, यह व्याख्या भी की है । ]

और जब वे ही वर्ण वीभत्सादि रस में प्रयुक्त किये जाते हैं तो उस रस को दीप्त करते ही हैं । वे वर्ण रस हीन नहीं होते । [ अथवा तेन को एक पद और रसच्युतः पाठ मान कर, इसलिए वह वर्ण रस के त्वरण करने वाले प्रशाहित करने वाले होते हैं, यह व्याख्या भी लोचन की है । ]

यहां इन दोनों श्लोकों से पदों की चोतकता अन्वय व्यतिरेक से प्रदर्शित की है ।

इन दो श्लोकों में अन्वय-व्यनिरेक से वर्णों की चोतकता सिद्ध है । अन्वयव्यतिरेक में साधारणतः पहिले अन्वय और पीछे व्यतिरेक का प्रदर्शन होता है परन्तु यहा प्रथम श्लोक में व्यतिरेक और दूसरे में अन्वय का प्रदर्शन किया गया है । इसलिए वृत्तिकार ने श्लोकद्वयेन कहा है । इसका अभिप्रय यह तुआ कि यहा अन्वय-व्यतिरेक का यथासर्व अन्वय न करके यथायोग्य अन्वय करना चाहिए । कारिका में 'वर्णमदादिपु' यह निमित्त सरभी वर्णादि की सहकारिता चोतन के लिए ही की है । 'वर्णे रेव रसाभिःशक्तिः' ऐसा नहीं कहा है । रसाभिप्रकृतिं संवर्णं तो बेवल्ल महाकारिष्माद् है । मुख्य कारण वो विमायादि हैं ।

पद में असंलग्यव्यञ्जक व्यञ्जय के चोतन का उदाहरण ] जैसे :—

[ वल्लराज उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता के आग में जल कर मर जाने

उत्कम्पिनी भयपरिस्तरलितांशुकान्ता,  
ते लोचने प्रतिदिशां विधुरे च्छिन्ती ।  
क्रूरेण दारुणतया सहसैव दग्धा,  
धूमान्धितेन दंहनेन न वीक्षिताऽसि ॥

‘अंत्र हि ते’ इत्येतत् पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवाऽभासते  
सहदयानाम् ।

का समाचार सुनकर विलाप कर रहे हैं, उसी प्रसङ्ग में से यह श्लोक है। राजा  
कह रहे हैं ] :—

[ आग के ढर से ] कांपती हुई, भय से विगलितवसना, उन [कातर]  
नेत्रों को [ रक्षा की आंशा में ] सब दिशाओं में केंकती हुई, तुमको, आर्यन्त  
निष्ठुर पूर्व धूमान्ध अग्नि ने [ एक बार ] देखा भी नहीं और निर्दयतापूर्वक  
एकदम जला ही डाला ।

यहा ‘ते’ यह पद सहदयों को स्पष्ट ही रसमय प्रतीत होता है।

यहा ‘उत्कम्पिनी’ पद से वासवदत्ता के भयानुभावों का उत्प्रेक्षण है।  
‘ते’ पद उसके नेत्रों के स्वसरेव, अनिर्वचनीय, विभ्रमैकायतनत्वादि अनन्त  
गुणगण की स्मृति का द्योतक होने से रसाभिव्यक्ति का असाधारण निमित्त हो  
रहा है। और उसका स्मर्यमाण सीन्दर्य इस समय अतिशय शोकावेश में  
पिमारूपता की प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ते’ पद के विशेष रूप से रसाभि-  
व्यक्त होने से यहा शोक रूप स्थायी भाव बाला बरुण रस प्रधानतया इस ‘ते’  
पद से अभिव्यक्त हो रहा है। रस प्रतीति यत्रपि मुख्यतः विभावादि से ही होती है  
परन्तु वे विभावादि जप तिसी विशेष शब्द से असाधारण रूप से प्रतीत होते हैं  
तब वह पदग्रोत्य ध्वनि बहलाता है।

निर्णयसामरीय सत्करण में, इसके बाद यह श्लोक भी पाया  
जाता है.—

भगिति घनरचिने तत्र हप्ते कुरङ्गे,  
रभसपिकसितास्ते दृष्टिशता. विशया ।  
पतन यत्तुलितानामुत्पलाना पलाश—  
प्रकर्मित निरन्त रस्यमाणा दद्वित ॥

उस विचित्र घनरूप को यहा दर्शते ही वेग में गिल उठने वाले

पदान्वयवेन द्योतन यथा —

त्रोडायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरुणा,  
बद्धोत्कम्प मुचकलशयोर्मन्त्युमातनिगृह्ण ।  
तिष्ठेत्युक्त किमिव न तया यत् समुत्सृज्य वाप्प,  
मव्यासक्तश्चकितहग्णिहारिनेप्रिभाग ॥

इत्यन् 'प्रिभाग' शब्द ।

याक्यरूपश्चालक्ष्यमस्यङ्गचो ध्वनि शुद्धोऽलङ्कारसङ्कीणरचेति  
द्विधा मत । तत्र शुद्धस्योदाहरण यथा रामाभ्युदये, “कृतकुपितै”  
इत्यादि श्लोक ।

और पवनविरुद्धित उत्पलों के पत्र समूह से चारों ओर विसरते हुए प्रिया [सीता]  
के बैठकिए थाद आकर आज जलाते हैं ।

यहा भी 'ते' शब्द अलक्ष्यकम व्यङ्गय का द्योतक है । लोचनसार ने  
इस श्लोक पर कोई टिप्पणी नहीं की है । अत यह मूलपाठ नहीं जान पड़ता  
इसी से हमने मूल पाठ में उसके स्थान नहीं दिया है ।

पद के अर्थवत् स [ अस्तलक्ष्यकम व्यङ्गय ध्वनि के ] धातन [ का उद्दा  
हरण ] नैसे —

गुरुनां [ साम इत्युर आदि ] क समोप होने क कारण लज्जा से  
सिर मुक्ख, युचकलशों को विकसित करन याले मान्यु [ दुष्कारेण ] को  
हृदय में [ हो ] दयासर [ भी ] आमृ टप्पात हुण चक्षित हरिणी [ क राणि  
पात ] के समान हृदयासपक नैप्र प्रिभाग [ स नो कराण ] जो मुक्ख पर कौंका  
सो बया उसन तिष्ठ —हरा मत जापा— यह नहीं कहा ।

यहा प्रिभाग शब्द । [ गुरुनां की उपेदा करक भी नैसे हैस अभि  
षाय, मान्यु नैन्य, गायादि स मध्यर जो मरी आर दग्गा था उसके स्मरण  
स, प्रयाम रिमलाभ का उद्दीपन सुायत प्रिभाग शब्द के महायाग म हाला  
है । अत अप यह लभ्य समस्त पद क अर्थवत् अप्रिभाग पद म पाय  
पदावयवयाव अमलदरवदमाप्नूँ का उदाहरण है ]

प्राप्तप्र अर्मन्तरगङ्गम व्यङ्गय ध्वनि शुद्ध और अलङ्कारसङ्कीर्ण श्री  
प्रहर का हाला है । इनमें शुद्ध का उदाहरण नैप्र रामाभ्युदय में 'हृतक  
शुरितै' द्वायादि श्लोक ।

एतद्वि वाक्यं परस्परानुरागं परिपोपप्राप्तं प्रदर्शयत् सर्वत एव परं रसतत्वं प्रकाशयति ।

अलङ्कारान्तरसङ्कीणेण यथा, “स्मरनवनदीपूरेणोदा” इत्यादि श्लोकः ।

पूर्ण श्लोक इस प्रकार है ।—

कृतकुपितैर्वीष्टाभ्योभि सदैवविलोकितैः,  
वनमपि गता यस्य ग्रीत्या धृतापि तथाऽम्बवा ।  
नवजलधरश्यामाः पश्यन् दिशो भवता विना,  
कठिनहृदया जीवत्येव प्रिये स तव प्रियः ॥ [ रामाम्बुदये ]

माता [ कौशल्य ] के उस प्रसार रोकने पर भी जिस [ राम ] के प्रेम के बारण तुम [ सीता ] ने बन जाने वा कष मी उठाया । है प्रिये ! तुम्हारा वह कठोरहृदय प्रिय [ राम ] अभिनव जलधरों से श्यामवर्ण दिहमण्डल को बनायटी क्रोधयुक्त, अश्रुपूर्ण और दीन मेंतों से देखता हुआ जी ही रहा है ।

दीधितिन्नर ने प्रथम चारण के विशेषणों को ‘वनमपि गता’ के साथ जोड़ा है । अर्थात् बनायटी क्रोध आदि हेतुओं से बन की भी गई—यह अर्थ किया है ।

यह वाक्य परिपुष्टि रो प्राप्त [ सीता और राम के ] परस्परानुराग को प्रदर्शित करता हुआ सब आर [ सब शब्दों से, सम्पूर्ण वाक्य रूप ] से ही रसतत्व को अभिव्यक्त करता है ।

अलङ्कारान्तर से सङ्कोच [ मिथित वाक्य प्रकाश अमलधरम व्यङ्ग्य घनि का उदाहरण ] जैसे,—‘स्मरनवनदीपूरेणोदा.’ इत्यादि श्लोक ।

पूरा श्लोक इस प्रकार है :—

स्मरनवनदीपूरेणोदा. पुनगुरुसेनुभिः,  
यदपि विधुनस्तिथिन्यारादपूर्णमनोरथाः।  
तदपि लिपितप्रस्त्रीरङ्गैः. परस्परमुन्मुखाः,  
नयननलिनीनालानीति पिभन्ति रस प्रियाः ॥ [ अमरक्षशतक १०४ ]

‘काम’ रूप अभिनव नदी की बाढ़ में धृते हुए [ परन्तु गुद अर्थात् माता पिता, सास श्रमुर आदि गुदनन और पक्षान्तर में पियाल ] गुदजन रूप पियाल बाधों से रोके गए अर्द्धेकाम प्रिय [ प्रिया और प्रिय ] यवपि दूर-दूर [ अलग-अलग या पाछ-पास । ‘आरदूरसमीपयोः’ आरत् पद दूर और समीर

अत्र हि स्परेण यथोक्तव्यज्ञकलज्ञानुगतेन प्रसाधितो रस  
सुतरामभिव्यज्यते ॥४॥

अलद्यकमव्यद्वय सहृटनाया<sup>१</sup> भासते धनिरित्युप्त, तत्र  
सहृटनास्थस्पमेव तावन्निस्प्यते ॥—

असमासा, समासेन मध्यमेन च भूषिता । ✓  
तथा दीर्घसमासेति विधा सहृटनोदिता ॥ ५ ॥  
कैश्चित् ॥५॥

दोनों अर्थों का वोधक होता है । ] वैठे रहते ह परन्तु विश्वलिपित सहशा  
[ निश्चल ] अङ्गों से [ उपलज्जणे तृतीया ] एक दूसरे को निहारते हुए नेत्ररूप  
कमलनाल छारा लाए गए [ खाने जाते हुए ] रस का पान करते हैं ।

यहा व्यञ्जक [ अलङ्कार ] के यथोक्त [ दूसरे उद्योत को इन वीं  
कारिका में कहे हुए 'रिषातत्परत्वे०, भाति निर्यहस्यपिता' इत्यादि ] लज्जणों से  
युक्त, [ अनिव्यूदि ] रूपक [ अलङ्कार ] से अलंकृत [ विभाशादि के अलंकृत  
होने से रस की भी अलंकृत बहा है ] रस भली प्रकार अभिव्यक्त होता है ।

[ यहा 'स्मरनउत्ती' से रूपक प्रारम्भ हुआ और 'नयननलिनी-  
मालानोर्तं पियन्ति रसं' से समाप्त । परन्तु यीव में नायकयुगल पर इंसाडि  
का आरोप न होने से रूपक अनिव्यूद रहा ] ॥५॥

असलव्यकमव्यद्वय ध्वनि सहृटना में [ भी ] अभिव्यक्त होता है यह  
[ इसी उद्योत वीं दूसरी कारिका में ] कह चुके हैं । उम्में सहृटना के  
स्वरूप का ही सबस पहिले निरपय करते हैं ॥—

१. [ सर्वया ] समाप्त रहित, २. मध्यम [ ध्रेयी के, झोटे झोटे ] ।  
समार्थों से अलंकृत, और ३. दीर्घसमाप्तयुक्त [ होन स ] सहृटना तीन  
प्रकार वीं मानी है ।

[ वामन, उद्गट आदि ] उद्ग [ विद्वानों ] ने ।

'रीत मध्यदाय' साहित्य का एक विशेष सम्बद्धाय है । इस सम्बद्धाय  
के मुख्य प्रतिष्ठापक 'वामन' है । उन्होंने अपने 'चत्वार सूत्र' में  
'रीत' का वाच्य का आमा माना है । 'प्रियामा कामता' का० अ० २,६ ।

यह उनका प्रसिद्ध सूत्र है। 'रीति' का लक्षण 'विशिष्टपदरचना रीति'। का० अ० २,७ और विशेष का अर्थ 'विशेषो गुणात्मा'। का० अ० २,८ किया है। अर्थात् विशिष्ट पद रचना का नाम 'रीति' है। पदरचना का वैशिष्ट्य उसकी गुणात्मकता है। इस प्रकार गुणात्मक पदरचना का नाम 'रीति' है। यह 'रीति' का लक्षण हुआ।

'सा विधा, वैदमा, गौडीया, पाञ्चाली नेति।' का० अ० २, ६। यह रीति तीन प्रकार की मानी गई है—१. वैदमा, २. गौडी और ३. पाञ्चली। 'विदर्भादिषु द्वित्यात् तत्समाख्या'। का० अ० २, १० विदर्भादि प्रदेशों के कवियों में विशेष रूप से प्रचलित होने के कारण उनके वैदमों आदि देशसंश्लेषणमूलक नाम रख दिए गए हैं। उनमें से 'समग्रगुणा वैदमा' का० अ० २, ११। श्रोज. प्रसादादि समग्र गुणों से युक्त रचना के वैदर्भी रीति कहते हैं। 'श्रोज. कान्तिमती गौडी।' का० अ० २, १२। श्रोज और कान्ति गुणों से युक्त रीति गौडी कही जाती है। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य या अभाव रहता है, समाचरबहुल उग्र पदों का प्रयोग होता है। 'माधुर्यसीकुमार्योरपना पाञ्चाली।' का० अ० २, १३। माधुर्य और सौकुमार्य से युक्त रीति पाञ्चाली कहलाती है। 'सारि समाचारवे गुदा वैदमा।' जिसमें सर्वथा समाचार का अभाव हो उसे विशेष रूप से गुदा वैदमा कहते हैं। इस प्रकार वामन ने रीतियों का विवेचन किया है।

वामन से पूर्व इस 'रीति' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। दरहीने 'सी' को 'मार्ग' नाम से व्यवहृत किया है परन्तु अधिक प्रचलित न होने से इसका लक्षण नहीं किया है। और दरही के पूर्वतरी साहित्यशास्त्र के आचार्य भामह ने तो न 'मार्ग' अथवा 'रीति' शब्द का उल्लेख ही किया है और 'बोहे' लक्षण आदि। इस प्रकार 'राति उम्बदाय' के आदि प्रतिटापक 'गमन' ही टहरते हैं। रचना की विशेष पद्धति का नाम 'रीति' है। दरही उसको 'गमन' नाम से कहते हैं। आनुनिक हिन्दी में उसको 'शैस्ती' कहते हैं। गुनन्दर्घनाचार्य ने उसी को 'सहृदाम' नाम से निर्दिष्ट किया है। 'वामन' तीन रीतिया मानी थी। आनन्दर्घनाचार्य ने भी १. 'असमाधा' से वैदमा, २. 'समासेन मध्यमेन च भूषिता' से पाञ्चाली, और ३. 'दीर्घसमाधा' से गौडी का लक्षण करते हुए तीन ही सहृदामप्रकार या रीतिया मानी है। 'यजश्वर' यद्यपि 'कूरमधारी' की नान्दी में 'मार्गधी गैति' का भी उल्लेख किया है तु वैसे तीन ही रीतिया मानी है। तिर भी जैथी मार्गधी रीति के निर्देश में उ के मने जाने की प्रवृत्ति परिवर्तित होती है। 'मोजराज' ने उन सार में क 'द्विनेनका रीति' का नाम और जोड़ दिया और इस प्रकार पञ्च रीतिया

तां केवलमनूद्योदमुच्यते :—

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ति, माधुर्यादीन्, व्यनक्ति सा ।  
रसान्,

मानी है। यो दूर देश की रीति में कुछ बैलक्षण्य हो सकता है। उस दृष्टि से विभाग करें तो अनन्त विभाग होते जावेंगे। इसलिए अधिकाश आचार्यों ने मुख्य तीन ही रीतियां मानी हैं और तीन ही का निर्देश आनन्दवर्धनाचार्य ने भी किया है।

यद्यपि आनन्दवर्धनाचार्य रीति सम्प्रदाय के मानने वाले नहीं हैं। अपितु वे 'ध्वनि सम्प्रदाय' के संस्थापक हैं। वह 'रीति' को नहीं अपितु ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। मिर भी उन्होंने रीतियों का विवेचन बड़े विस्तार के साथ किया है। 'रीति' का रस से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है इस तथ्य का प्रिवेचन आनन्दवर्धन ने ही सब से पहिले किया है। प्रमुख प्रसङ्ग में 'सहृटनास्वरूपमेव तावनिन्नरूप्यते' से सप्तटना यथावा 'रीति' के विवेचन के आरम्भ करने की प्रतिशोध कर, बहुत विस्तारपूर्वक उसकी विवेचना प्रारम्भ करते हैं ॥५॥

उस [पूर्वतीं वामन आदि प्रतिपादित रीति अथवा सहृटना] का केवल अनुवाद करके यह कहते हैं :—

माधुर्यादि गुणों को आश्रय करके स्थित हुई वह [सहृटना] रसों को अभिव्यक्त करती है।

'गुणानाश्रित्य' कारिका के इन शब्दों से सहृटना और गुणों का सम्बन्ध प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध के विषय में तीन विकल्प हो सकते हैं। वामन ने 'विशिष्टपदरचना रीतिः' और 'पिशीषो गुणात्मा' लिखा है। इससे 'विशिष्ट पदरचना' रूप रीति का गुणात्मकत्व अर्थात् गुणों से अभेद 'वामन' को अभिप्रेत प्रतीत होता है। इसलिए पहिला पक्ष, गुण और रीति का 'अभेद' पक्ष बनता है। इस पक्ष में कारिका के 'गुणानाश्रित्य' आदि भाग को व्याख्या इस प्रकार होगी। 'गुणान्', आस्तम्भूण्, माधुर्यादीन्, गुणान्, अश्रित्य तिष्ठन्ति सहृटना रसादीन्, ध्यनकि । अथात् अपने स्वरूपभूत माधुर्यादि गुणों

१. निं साठ स्पृहरण में 'रसान्' को जगह 'रस' पाठ है और पूरे कारिका एक साध छपी है।

‘सा सहृटना रसादीन् व्यनक्ति गुणानाभित्य तिष्ठन्तीति । अत्र च विकल्पं, गुणानां सहृटनायादचैक्यं व्यतिरेको वा । व्यतिरेकेऽपि द्वयी गतिः । गुणाश्रया सहृटना, सहृटनाश्रया वा गुणा इति ।

के आश्रित स्थित सहृटना रसों से व्यक्त करती है । इस पक्ष में गुण और सहृटना के अभिन्न होने पर भी आश्रितत्व व्यवहार ‘इद वने तिलका’ आदि के समान गौण है ।

दूसरे पक्ष में गुण और रीति भिन्न-भिन्न मानी गई हैं । इन भिन्नतावादियों में भी दो प्रकार हो जाते हैं । एक ‘सहृटनाश्रया गुणा’ अर्थात् सहृटना के आश्रित गुण रहते हैं और दूसरा ‘गुणाश्रया वा सहृटना’ सहृटना गुणों के आश्रित रहती है । इन दोनों भव्यों में से ‘सहृटनाश्रया गुणा’ यह पक्ष भट्टोद्धृट आदि का है । उन्होंने गुणों को सहृटना का धर्म माना है । धर्म सदा धर्म का आश्रित रहता है इसलिए गुण सहृटना के आश्रित रहते हैं । अर्थात् गुण आधेय और सहृटना आधार रूप है । इस पक्ष में ‘गुणानाभित्य तिष्ठन्ती’ इस कारिका की ‘आधेयभूतान् गुणान्, आश्रित्य’ अर्थात् आधेय रूप गुणों के आश्रय से सहयोग से सहृटना रसादि को व्यक्त करती है—इस प्रकार व्याख्या होगी ।

तीसरा पक्ष ‘गुणाश्रया सहृटना’ अर्थात् ‘सहृटना गुणों का आश्रित रहती है’ यह सिद्धान्त पक्ष है । यही आनन्दवधनाचार्य का अभिमत पक्ष है । इसमें ‘गुणानाभित्य तिष्ठन्ता’ अर्थात् आधारभूत गुणों के आश्रित स्थित होने वाली सहृटना रसादि को व्यक्त करती है । इस प्रकार यथापि श्रन्निम पक्ष ही आलोकन कार का अभिमत पक्ष है निर भी उन्होंने तीनों पक्षों में कारिका की सङ्गति लगाने और तीनों मतों के अनुसार सहृटना का रसाभियन्ति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दिलाने का यत्न किया है । यही ऊपर वी मूल पक्षियों का सारांश है । उनका शब्दानुशास इस प्रकार है—

वह सहृटना गुणों के आश्रित होकर रसादि को अभित्यन् करती है । यहाँ [ इस प्रकार ] विकल्प बरने यादियें । गुणों का और सहृटना का ऐक्य [ अभेद ] है यथवा भेद [ व्यतिरेक ] । व्यतिरेक [ भेद पक्ष ] में भी दो मायं हैं । गुणाश्रित सहृटना [ है ] यथवा ‘सहृटनाश्रित गुण’ [ है ] ।

तत्रैस्यपक्षे सहृटनाश्रयगुणपक्षे च गुणानात्मभूतान्, आधेय-  
भूतान् वाग्नित्य तिष्ठन्ती सहृटना रसादीन् व्यनक्तीत्ययमर्थः । यदा  
तु नानात्वपक्षे<sup>१</sup> गुणाश्रयसहृटनापक्षः<sup>२</sup>, तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती  
गुणपरतन्त्रस्वभावा न तु गुणरूपैवेत्यर्थः ।

किं पुनरेवं विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ?

अभिवीयते । यदि गुणा-सहृटना चेत्येकं तत्त्वं, सहृटनाश्रया वा  
गुणाः, तदा सहृटनाया इव <sup>३</sup>गुणानामनियतविषयत्वप्रसङ्गः । गुणानां  
हि माधुर्यप्रसादप्ररूपः करुणविप्रलभ्मश्वारविषय एव । रौद्राद्भुतादि-  
विषयमोजः । माधुर्यप्रसादौ रसभावतदाभासविषयावेव । इति विषय-  
नियमो व्यवस्थितः । सहृटनायास्तु स विघटते । तथाहि शृङ्गारेऽपि  
दीर्घसमासा दृश्यते<sup>४</sup>, रोद्रादिष्वसमासा<sup>५</sup> चेति ।

इनमें से [गुण और सहृटना के] १ 'अभेद पक्ष' में और २ 'सहृटनाश्रित  
गुण पक्ष' [ इन दो पक्षों ] में आमभूत [ 'अभेद पक्ष' में ] आपना आवेयभूत  
['सहृटनाश्रित गुण पक्ष' में] गुणों के आवश्य से स्थित होती हुई सहृटना रसादि  
को व्यक्त करती है—यह अर्थ होता है । जब [ गुण और सहृटना के ] 'भेद  
पक्ष' में 'गुणाश्रित सहृटना पक्ष' [ सिद्धान्तपक्ष ] लैं तब गुणों के आश्रित स्थित  
[ अर्पाद् ] गुणों के अधीन स्वभाव-वाली-गुणस्वरूप ही नहीं—[ सहृटना रसों  
को अभिव्यक्त करती है ] यह अर्थ होगा ।

[ प्रस्तु ] इस प्रकार विकल्प बरने का क्या प्रयोजन है ?

[ उत्तर ] बतावे हैं । यदि गुण और सहृटना एक तत्त्व है [ इनका  
अभेद है यह मानें तो ] अथवा सहृटना के आश्रित गुण रहते हैं [ यह पक्ष  
मानें ] तो सहृटना के समान गुणों का भी अनियत विषयत्व हो  
जायगा । गुणों का [ विषय नियत है 'विषयनियमो व्यवस्थित'  
इन आगे के शब्दों से अन्वय है ] तो विषय नियम निश्चित है । जैसे, करण  
और विप्रलभ्म श्वार में ही माधुर्य और प्रसाद का प्रकृपं [ होता है ] ओज,  
रौद्र और अद्भुत विषय में [ ही प्रथानव रहता है ] माधुर्य और प्रसाद, रस,  
मार और तदाभास विषयक हो होते हैं । [ इस प्रकार गुणों का विषय-नियम

१. यदा तु नानात्वपक्षो निं० दी० । २. गुणाश्रय सप्टनापक्षश्च निं० ।

३. गुणाश्रयसप्टनापक्षश्च दी० । ४. गुणानामप्यनियनविषयत्वप्रत्यग दी० ।

५. दृश्यन्ते निं० दी० । ६. असमासादिवेति निं० दी० ।

तत्र शङ्कारे दीर्घसमासा यथा,—‘मन्दारकुसुमरेणुपिभजरितालका’ इति ।

यथा या—

अनवरतनयनजललबनिपतनपरिमुपितपवलेखं १ ते ।

करतलनिपणमवले वदनमिदं कं न तापयति ॥

इत्यादौ ।

तथा रौद्रादिष्वच्यसमासा दृश्यते<sup>२</sup> । यथा—‘यो य शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरुमद्’ इत्यादौ ।

यना हुआ है । परन्तु ] सहृटना में वह विगड़ जाता है । क्योंकि शङ्कार में भी दीर्घसमासा [ रचना—सहृटना— ] पाई जाती है और रौद्रादि रसों में भी समास रहित [ रचना पाई जाती है ] ।

उनमें से शङ्कार में दीर्घसमास वाली [ रचना सहृटना का उदाहरण ] जैसे—‘मन्दारकुसुमरेणुपिभजरितालका’ यह पढ़ । [ यह उदाहरण शङ्कार में दीर्घसमास वाली रचना का दिया है । परन्तु पूर्व प्रस्तरण सामने न होने से यहाँ शङ्कार की कोई प्रतीति नहीं होती । इसलिए यह उदाहरण टीक नहीं है यदि कोई ऐसी आशङ्का करे तो उसके सन्तोष के लिए दूसरा उदाहरण देते हैं । ]

अथवा जैसे—

हे अथवे, निरन्तर अशु विम्बुद्यों के गिरने से मिटी हुई पत्रावली वाला और हथेली पर रखा हुआ [ दुख का अभिभ्यञ्जक ] तुम्हारा मुख विम को सन्तप्त नहीं करता । इत्यादि में ।

और रौद्रादि में भी समामरहित [ रचना सहृटना ] पाई जाती है ।

जैसे—‘यो य शस्त्रं-विभर्ति स्वभुजगुरुमद्, इत्यादि [ पूर्व उदाहृत श्लोक ] में [ समाम रहित सहृटना है । ]

यदि गुणों को सहृटना से अभिन्न या उहृटना पर आधिन माने तो जैसे असमास और दीर्घसमास रचना की विषय व्यवस्था नहीं पाई जानी है इसी प्रकार गुणों को भी विषय नियम से रहित मानना होगा । परन्तु गुणों का विषय नियम व्यवस्थित है ।

तस्मान् सहृटनास्वरूपाः, न च सहृटनाश्रया गुणाः<sup>१</sup> ।

ननु यदि सहृटना गुणानां नाश्रयस्तत्<sup>२</sup> किमालम्बना एते परि-  
कल्प्यन्ताम्<sup>३</sup> ।

उच्यते : प्रतिपादितमेवैपामालम्बनम् ।

‘तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥’

इसलिए गुण न तो सहृटनारूप हैं और न तो सहृटनाश्रित हैं ।

[ प्रश्न ] यदि सहृटना गुणों का आश्रय नहीं है तो किर इन [गुणों] को किसके आश्रित मानेंगे ?

[ उत्तर ] इनमा आश्रय [ द्वितीय उद्योग की छठी कारिका में ] बता ही चुके हैं । [ वह कारिका नोचे किर उद्धृत कर दी है । जैसे ]

जो उस प्रधानमूल [ रस ] का अवलम्बन करते हैं [ रस के आश्रय रहते हैं ] वह गुण कहलाते हैं । और जो उसके अन्त [ शब्द तथा अर्थ ] के आश्रित रहते हैं वे कटक कुण्डल आदि के समान अलङ्कार कहलाते हैं ।

प्रश्न कर्ता का आशय यह है कि शब्द अर्थ और सहृटना यह तीन ही गुणों के आश्रय हो सकते हैं । उनमें से शब्द या अर्थ को गुणों का आश्रय मानने से तो वह शब्दालङ्कार अथवा अर्थालङ्कार रूप ही हो जावेगे । अर्थात् अलङ्कारों से मिन उनमा अस्तित्व नहीं रहेगा । गुणों का अलङ्कारों से अलग अस्तित्व चनाने के लिए एक ही प्रकार है कि उनको सहृटना रूप अथवा सहृटनाश्रित माना जाय । यदि आप उसका भी खण्डन करते हैं तो फिर गुणों का आश्रय और व्याप्ति होगा ।

इसके उत्तर का आशय यह है कि गुणों का आश्रय मुख्यतः रम है जैसा कि दूसरे उद्योग की छठी कारिका में कहा जा चुका है । और गोण रूप से उनको शब्द तथा अर्थ का धर्म भी कह सकते हैं । गोण रूप से शब्द तथा अर्थ का धर्म मानने पर भी शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार से उनका अभेद नहीं होगा, क्योंकि अनुप्रापादि अलङ्कार अर्थालङ्कार रहते शब्द धर्म है, अर्थान् अनुप्रापादि में अर्थ विचार की आवश्यकता नहीं होती । और गुण, व्यङ्ग्यार्थ-व्यभासक वाच्यसापेक्ष शब्द धर्म है । अर्थात् गुणों की स्थिति के लिए व्यङ्ग्यार्थ के विचार की आवश्यकता होती है ।

१. नि० तथा दी० में इस ‘गुणा’ पद से तस्मान् के बाद रक्षा है ।

२. ताहि दी० । ३. परिवर्त्यन्ते नि० ।

अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः । न चैपामनुप्रासादितुल्यत्वम्<sup>१</sup> । यस्मादनुप्रासादयोऽनपेक्षितार्थं शब्दधर्मां<sup>२</sup> एव प्रतिपादिताः<sup>३</sup> । गुणास्तु व्यहृचविशेषावभासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थं शब्दधर्मां एव<sup>४</sup> । शब्दधर्मत्वं चैपामन्याश्रयत्वेऽपि शरीराश्रयत्वमिव शौर्यादीनाम् ।

ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत् सहटनारूपत्वं तदाश्रयत्वं वा तेपां प्राप्तमेव । न ह्यसहटिताः शब्दा अर्थविशेषप्रतिपाद्यरसाद्याश्रितानां<sup>५</sup> गुणानामवाचकत्वादाश्रया भवन्ति ।

नैवम् । वर्णपदव्यहृचत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात् ।

अथवा [ उपचार से ] गुण शब्दाधित ही [ कहे जा सकते ] हैं । [ फिर भी ] वह अनुप्रासादि [ शब्दालङ्घार ] के समान नहीं [ समझे जा सकते ] हैं । क्योंकि अनुप्रासादि, अर्थ निरपेक्ष शब्दमात्र वे धर्म ही बताये गए हैं । और गुण तो [ शहारादि रस रूप ] व्यहृयविशेष के अभिव्यञ्जक, वाच्यार्थ के प्रतिपादन में समर्थ शब्द [ अर्थसापेक्ष शब्द ] के धर्म कहे गए हैं । इन [गुणों] की शब्दधर्मता [ वस्तुतः ] अन्य [ अर्थात् आत्माका ] का धर्म हीवै हुए भी शौर्यादि गुणों के शरीराधित धर्म [ मानने ] के समान [ केवल शौर्यचारिक, गौण व्यवहार ] है ।

[ प्रश्न ] यदि [ आप उपचार से ही सही ] गुण शब्दाश्रय हैं [ ऐसा मान लेते हैं ] तो उन्ना सहटनारूपत्व अथवा सहटनाधितत्व [ स्वयं ] ही सिद्ध [ प्राप्त ] हो जाता है । क्योंकि सहटना रहित शब्द अवाचक होने से अर्थविशेष [ शहारादि रस के अभिव्यञ्जन में समर्थ वाच्य ] से अभिव्यञ्जन रसादि के आधित रहने वाले गुणों के आश्रय नहीं हो सकते हैं ।

[ उत्तर ] यह यात् भत् कहो । क्योंकि [ हमी उद्योत की दूसरी कारिका में अवाचक ] (रसादि की) वर्ण पदादि [ से भी ] व्यहृयता-का-प्रतिपादन कर द्युके हैं ।

पूर्व पक्ष का आशय यह था कि जब उपचार से भी गुणों को शब्द-

१. इसके बाद शंखनोयम् पाठ दो० में अधिक है । २. अनपेक्षितार्थविस्तारा, शब्दधर्मा एव नि० दो० । ३ नि० दो० में प्रतिपादिता, नहीं है । ४: गुणास्तु व्याप्ति विशेषावभासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थं शब्दधर्मा एव' नि० में नहीं है । ५. अर्थविदोषं प्रतिपाद्य रसाद्याधितानां नि० दो० ।

का धर्म माना जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि शृङ्गारादि सराभिव्यञ्जक वाच्य प्रतिपादन सामर्थ्य ही शब्द का माधुर्य है। तभ यह वाच्य प्रतिपादन सामर्थ्ये तो प्रकृति प्रत्यय के योग से सहृदित शब्द में ही रह सकती है। इसलिए गुणों को जैसे उपचार से शब्द धर्म मानते हो यैसे ही उनको सहृदानाधर्म भी स्वयं ही माना जा सकता है। क्योंकि असहृदित पद तो वाचक नहीं होते। और विना वाचक के रसादि की प्रतीति नहीं हो सकती है।

उत्तर पक्ष का आशय यह है कि अवाचक वर्ण और पदादि से भी रस प्रतीति हो सकती है। इसलिए उसको सहृदानाधर्म मानने की आवश्यकता नहा है। हा लक्षण या गौणी वृत्ति से गुणों को शब्द धर्म तो कहा जा सकता है।

गुणों और सहृदाना के सम्बन्ध में तीन विकल्प किए थे। उनमें से गुण और सहृदाना अभिन्न है यह प्रथम विकल्प, 'विशिष्टदरचना रीति' 'विशेषो गुणात्मा' कहने वाले 'वामन' का मत है। और दूसरा पक्ष, गुण और सहृदाना अलग अलग हैं परन्तु गुण सहृदाना में रहने वाले सहृदानाधित धर्म है यह भट्टोद्गट का मत है। इन दोनों पक्षों का खण्डन कर यहा तक यह स्थापित किया जा चुका है कि गुण न सहृदाना रूप है और न सहृदाना में रहने वाले धर्म हैं। अपितु वह मुरयत रस के धर्म है। परन्तु कभी कभी 'आकार एवास्य शूर' आदि व्यवहार में आत्मा के शौर्यादि धर्म का जैसे शरीराधितत्व भी उपचार से मान लिया जाता है इसी प्रकार गुण मुरयत रसनिष्ठ धर्म है परन्तु उपचार से रसाभिव्यञ्जक वाच्य प्रतिपादनसमर्थ शब्द के धर्म भी माने जा सकते हैं।

इस पर गुणों को सहृदानाधित धर्म मानने वाले भट्टोद्गटादि का कहना यह है कि जब उपचार से गुणों को शब्द धर्म मन लेते हो तो फिर सहृदाना धर्म तो ये स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि आपने मतानुसार शृङ्गारसाभि-पञ्चक वाच्यप्रतिपादनकृमता ही शब्द का माधुर्य है। इसलिए रसाम वर्ति के लिए अर्थ की अपेक्षा है। और यह वाचकत्व, सहृदित शब्द रूप वाच्य में ही होता है। अब वे वर्णों या पदों में नहीं। क्योंकि वेवल वर्ण तो अनर्थक हैं। और वेवल पद स्मारक मान हैं, वाचक नहीं। इसलिए वाचकत्व केवल सहृदित शब्दों अर्थात् वाक्य में ही रह सकता है। और जहाँ वाचक न रह सकता है वहाँ उपचार से माधुर्यादि गुणों की रिथति हो सकती है। इसलिए वाचकत्व के सहृदित शब्द रूप वाक्य निष्ठ होने से माधुर्यादि गुण भी उपचार से सहृदाना धर्म ही हुए। इसलिए सहृदानाधित गुणवाद का सर्वथा खण्डन न किया जा सकता है। यह 'भट्टोद्गट' के मत का सार है।

अन्युपगते वा वाक्यव्यञ्जयत्वे रसादीना न नियता काचित्  
सहृटना तेपाभाशयत्वं प्रतिपद्यते इत्यनियतसहृटना. शब्दा एव गुणानां  
व्यञ्जयित्वेषानुगता आश्रयाः ।

इस मत के अनुसार 'मटोन्ट' भी पदों को अवाचक केवल स्मारक-  
मात्र मानते हैं । इस स्मारकत्वाद की चर्चा इसी उद्योत में हो चुकी है । परन्तु  
वहां भी पदों के 'स्मारकत्व' और 'वाचकत्व' पक्ष के निर्णय को ग्रन्थकार ने  
ठाल दिया था । अब वही प्रश्न यहा परि उपस्थित हो जाता है । परन्तु यहां  
भी ग्रन्थकार ने उसका निर्णय करने का प्रयत्न नहीं किया है । इसका अभिप्राय  
यह है कि पदों का वाचकत्व है, या द्योतकत्व, अथवा स्मारकत्व, यह एक अलग  
प्रश्न है । उसके निर्णय को छोड़ कर भी गुणों के रसधर्मत्व, और उपचार से  
शब्दधर्मत्व के निश्चय किये जा सकते हैं । अतएव उस लाए और गोण प्रश्न को  
यहां भी छोड़ दिया है ।

अब रह जाता है 'मटोन्ट' के सहृटनाभ्रय गुणवाद के श्रीचित्य या  
अनौचित्य के निर्णय का प्रश्न । उसके विषय में ग्रन्थकार यह कहते हैं कि यदि  
'दुर्जनतोप न्याय' से 'मटोन्ट' के अनुसार शब्दों के स्मारक, और वेष्ट  
वाक्य के वाचकत्व, को भी मान लिया जाय तो भी नियत सहृटना वाले सभी  
शब्द अर्थात् वाक्य, अर्थ के वाचक हो सकते हैं । परन्तु असमासा रचना  
से शृङ्खार के समान ओज के आश्रय रीढ़ादि की भी अभिव्यक्ति हो  
सकती है और समासरहुल या दीर्घसमासा सहृटना से रीढ़ादि के समान  
शृङ्खार की भी अभिव्यक्ति हो सकती है । इसलिए शृङ्खारादि वी अभिव्यक्ति  
के लिए किसी नियत सहृटना का नियम न होने से भाग्याद गुणों को नियत  
सहृटनाभ्रय धर्म नहीं माना जा सकता है । इसी बात को आगे कहते हैं—

[ दुर्जन तोप न्याय मे ] यदि रस को वाक्यव्यञ्जय ही मान लिया  
जाय [ अर्थात् वर्ण पटादि को रसाभिव्यञ्जक न माना जाय ] तो भी कोई  
नियत सहृटना [ जैसे असमासा या दीर्घसमासा आदि ] उन [ रसों ] का  
आश्रय नहीं होती इमलिए व्यञ्जन विशेष से अनुगत [ शृङ्खारादि ] अनियत-  
सहृटना वाले शब्द ही गुणों के आश्रय हैं । [ अर्थात् गुण सहृटना धर्म  
नहीं है । ]

[ प्रश्न—अनियत सहृटना वाले शब्द ही गुणों के आश्रय होते हैं ]  
यह बात यदि आप मानुष के विषय में है तो कह सकते हैं परन्तु ओज

न तु मोघुर्ये यदि नामैव मुच्यते तदुच्यताम् । ओजिसः पुन कथमनियत सहृटनशब्दाश्रयत्वम् । न ह्यसमासा सहृटना कदाचिदोर्जस आश्रयता प्रतिपद्यते ।

उच्यते । यदि न प्रसिद्धिमात्रप्रहृष्टपितं चेतस्तद्वापि न न व्रम् । ओजस कथमसमासा सहृटना नाश्रय । यतो रीढ्रादीन् हि प्रकाशयत् काव्यस्य दीप्तिरोज इति प्राक् प्रतिपादितम् । तच्चौजो यद्यसमासायामपि सहृटनायां स्यात्, तत्को दोषो भवेत् । न चाचारत्वं सहृदयहृदयसंवेद्यमस्ति । तस्मादनियत सहृटनशब्दाश्रयत्वे गुणानां न काचित् ज्ञति । तेषां तु चलुरादीनामिव यथास्वं विषयनियमितस्य स्वरूपस्य न कदाचिद् व्यभिचार । तस्मादन्ये गुणाः, अन्या च सहृटना । न च सहृटनाश्रिता गुणाः, इत्येक दर्शनम् ।

तो अनियत सहृटनाश्रित कैसे हो सकता है । क्योंकि [ ओज की प्रकाशक तो दीर्घसमासा सहृटना नियत ही है ] असमासा [ अर्थात् समास रहित ] सहृटना कभी ओज का आश्रय नहीं हो सकती ।

[ उत्तर ] कहते हैं यदि<sup>१</sup> केवल प्रसिद्धिमात्र के आग्रह से [आपका] मन दूषित न हो तो वहा भी हम [ ओज को प्रतीति असमासा रचना से ] नहीं [ होती यह ] नहीं कह सकते हैं [ अर्थात् केवल प्रसिद्धि को बात छोड़ कर विचारे तो असमासा रचना से भी ओज की प्रतीति होती ही है । ] असमासा रचना ओज का आश्रय क्यों नहीं होती [ अर्थात् अग्रस्य होती है ] क्योंकि रीढ्रादि रसों को प्रकाशित करने वाली काष्ठ की दीप्ति का नाम ही तो ओज है । यह यात पहिले कह चुके हैं । और वह दीप्ति रूप ओज यदि समाप्त रहित रचना म भी रहे तो क्या दोष है । [ अर्थात् कोई दोष नहीं है । उस समास रहित रचना से आन प्रकाशन म ] मिसी प्रकाश का अचारत्व सहृदय हृदय के अनुभव में नहीं आता । इमलिष् गुणों को अनियत सहृटना याले शब्दों का धर्म यदि [उपचार से] मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं है । और चलुरादि इन्द्रियों के समान उनके अपने अपने विषयनियमित स्वरूप का कभी व्यभिचार नहीं होता । इमलिष् गुण अलग हैं, सहृटना अलग हैं और गुण सहृटना के

अथवा सहृदनारूपा एव गुणाः । यत् कम् 'सहृदनायद् गुणाना-  
मप्यनियतविषयत्वं प्राप्नोति लद्ये व्यभिचारदर्शनात्' इति । तत्राप्ये-  
तदुच्यते—यत्र लद्ये परिरुल्पितविषयव्यभिचारस्तद् विरूपमेवास्तु ।

'कथमचारस्त्वं तादृशे' विषये सहृदयानां 'नायभातीति चेत् ?  
कविशक्तितिरोहितत्वात् । द्विविधो हि दोषः, कवेरव्युत्पत्तिकृतो, अशक्ति-  
कृतद्वय । तत्राव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्तितिरस्फृतत्वात् कदाचिन्नलद्यते ।  
यस्त्वशक्तिकृतो दोषः स भाटिति प्रतीयते । परिमरशलोकश्चात्रः—

आधित नहीं रहते यह एक सिद्धान्त है । [ यह स्वाभिमत सिद्धान्त पक्ष का  
उपसंहार किया । ]

अथवा [ वामन मतानुसारी प्रथम पक्ष में ] सहृदना रूप ही गुण है ।  
[ अर्थात् इस गुणों को सहृदना रूप मानने वाले वामन मत में भी कोई हानि नहीं  
है । इस पक्ष में जो दोष दिया था उसका समाधान करते हैं ] और जो यह  
कहा था कि लद्य [ अर्थात् 'यो यः शस्त्र' तथा 'अनवरतनयनजललब्दः' आदि  
उदाहरणों ] में [ सहृदना नियम का ] व्यभिचार पाप जाने से सहृदना के  
समान गुणों में भी अनियतविषयत्व प्राप्त होगा । उसका भी समाधान यह है  
कि जिस उदाहरण में [ सहृदना के ] परिरुल्पित विषय नियम का व्यभिचार  
पाया जाय उस [ की सहृदना ] को [ विस्प ] दूषित ही मानना चाहिए ।

[ प्रश्न—यदि 'यो यः शस्त्रं विभति' हृत्यादि को सहृदना दूषित है  
तो ] उस प्रकार के विषयों में सहृदयों को अचारस्त्र की प्रतीति क्यों नहीं  
होती ? [ यह राहा हो तो ]

[ उत्तर ] करि की प्रतिभा [ शक्ति के बल ] से दृष्ट जाने से [ तिरोहित  
[ हो जाने से वह अचारस्त्र प्रतीत नहीं होता । ] दो प्रकार के दोष [ काव्य में ]  
हो सकते हैं—१. [ करि की ] अव्युत्पत्तिहृत और २. [ करि की ] अशक्तिहृत ।  
[ करि की नरनयोन्नेपशालिनी वर्णनीय वस्तु के मण-मण छंग से वर्णन कर सकने  
की प्रतिभा को शक्ति कहते हैं । और उसके उपयुक्त समस्त वस्तुओं के पौराणियं

१. तादृशविषये निः०, दी० । २. प्रतिभाति निः०, (न) प्रतिभाति,  
दी० । ३. यस्त्रचित्यत्याग निः०, दी० ।

‘अद्युत्पत्तिकृतो दोप शक्त्या संवियते कवे ।  
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य’ स भट्टित्यवभासते ॥

तथाहि—महाकवीनामप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसम्भोगशृङ्खार-  
निवन्धनाद्यनैचित्यं शक्तिरस्तुत्यात्<sup>१</sup> प्राम्यत्येन न प्रतिभासते । यथा  
कुमारसम्भवे देवीसम्भोगवर्णनम् । एवमादौ च विषये<sup>२</sup> यथोचित्या-  
त्यागस्तथा दर्शितमेवाप्ने ।

के विवेचन कौशल को व्युत्पत्ति कहते हैं । इन्हीं शक्ति या व्युत्पत्ति की  
न्यूनता से काव्य में दोप आ सकते हैं ] उनमें से अद्युत्पत्तिकृत दोप शक्ति  
[ प्रतिभा के प्रवाह ] से दब जाने के कारण कभी कभी अनुभव नहीं होता ।  
परन्तु जो अशक्तिकृत दोप है वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है । इस विषय में  
परिकर श्लोक भी है —

अद्युत्पत्ति के कारण होने वाला दोप कवि को शक्ति के बल से छिप  
जाता है । परन्तु कवि की अशक्ति के कारण जो दोप होता है वह तुरन्त  
प्रतीत हो जाता है ।

जैसे कि [ कालिदास आदि ] महाकवियों के उत्तम देवता विषयक  
प्रसिद्ध सम्भोग शृङ्खारादि के वर्णन [ माता पिता के सम्भोग वर्णन के समान  
अ यन्त अनौचित होते हुए भी ] का अनौचित्य भी शक्ति से दब जाने के  
कारण ग्राम्यरूप से प्रतीत नहीं होता । जैसे कुमारसम्भव म देवी [ पार्वती ]  
के सम्भोग का वर्णन ।

इस प्रकार क उदाहरणों म श्रौचित्य के अध्याग का [ उपपादन ] कसे  
किया जाय यह आगे [ इसी उद्योत में १० से १४ कारिका तक ] दियलाया  
हो है ।

यहा कवि कालिदास ने प्रतिभा बल से शिव और पार्वती के सम्भोग  
शृङ्खार का वर्णन इस सुन्दरता से किया है कि पाठक का हृदय उसके रसास्वाद  
में ही मग्न हो जाता है और उसके श्रौचित्य अनौचित्य के विचार का अवसर ही  
भद्र पता है । जैसे भल्लाकुद्ध या रेतु आदि की किंचि प्रतिष्ठनिदा में साहुराद के  
स्थान पर आशीर्वाद के योग्य किसी छोट व्यक्ति के कौशल को देखकर प्रेत्कृक के

१ यस्त्वद्वितीयत्वस्तस्य निः० । २ शक्तिरस्तुत्यात् निः० । ३ यथोचित्य-  
त्याग निः० ।

शक्तिरस्तुत्वं चान्द्रय यतिरेसाभ्यामवसीयते । तथाहि शक्ति-  
रहितेन कविना एवविधे विषये शृङ्गार उपनिषद्यमान स्फुटमेव दोषत्वेन  
प्रतिभासते ।

नन्दस्मिन् पक्षे 'यो य शस्त्रं विभति' इत्यादौ रिमचारत्वम् ?  
अप्रतीयमानमेवारोपयाम ।

मुँह से हठात् साधुगाद निकल पड़ता है और उसका अनौचित्य प्रतीत नहीं  
होता । इसी प्रकार कवि की प्रतिभावश सहृदय उस शृङ्गार में इतना तन्मय हो  
जाता है कि उसे अनौचित्य अनौचित्य की मीमांसा का अवसर नहीं मिलता । यहीं  
शक्ति रूप से दोष का तिरस्फृत हो जाना अथवा दर जाना है ।

यहा वृत्तिकार लिख रहे हैं 'दर्शितमेवाग्रे' अर्थात् आगे दिखाया  
जायगा परन्तु भूताथरु के प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं । इसकी सङ्गति इस  
प्रकार लगानी चाहिये कि वृत्ति के पूर्व कारिकाओं का निर्माण हो चुका था । इसी  
आशय से इसी में 'दर्शितम्' इस पद से भूत काल का निदश किया है ।

[ अव्युत्पत्तिहृत दोष का ] शक्तिरस्तुत्वं च अन्यथ व्यतिरेक से सिद्ध  
होता है । वयोँक शक्तिरहित कवि यदि ऐस [ उत्तम देवतादि के ] विषय में  
शृङ्गार का वर्णन करे तो [ माता पिता के सम्भागवर्णाण समान ] स्पष्ट ही  
दोष रूप से प्रतीत होता है । [ और महाकवि कालिदास जैसे प्रतिभागाद् का  
रिया हुआ पार्वती का सम्भोगवर्णन दोष रूप में प्रतीत नहीं होता अतः  
अन्यथ व्यतिरेक से दोष का शक्तिरस्तुत्वं सिद्ध होता है । ]

[ प्रश्न—गुणों को सहृदानाल्प मानन में, विषय विषय का अविक्रमण  
करने वाली सहृदाना को दूषित सहृदाना ठहरान का जो मत आपने स्थिर किया  
है उसके अनुसार ] इस पक्ष में 'यो य शस्त्रं विभति' इस उत्तरण में क्या  
अचारत्र है ।

[ उत्तर—वास्तव में कोई अधार्म अनुभव में नहीं आता विर  
भो ] अविद्यमान अचारत्र का आताप करते हैं ।

अविद्यमान प्रप्रतीयमान अचार्म व मी आरोप करने पा भाव यह है  
कि सहृदाना और गुण को अभिन्न मानने गाले वामन के पक्ष में 'यो य शस्त्रं  
विभति' इत्यादि उदाहरणों में रीढ़ादि इस में भी समारोह रहित अतएव श्रोजो-  
विहीन रखना के पाए जाने के कारण सहृदाना के विषयनियम की अनुशप्ति आती  
है और उसके कारण 'माधुयप्रसाददर्कर्यं करण्यविग्रहमभृङ्गारप्रियं इव ।

तस्माद् गुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सहृटनाया अन्यः कन्धि-  
नियमहेतुर्यत्तम्यः । इत्युच्यते :—

'तन्मियमे हेतुरौचित्यं वक्तुवाच्ययोः ॥६॥

तत्र वरा, कविः, कविनिवद्वो वा ३ । कविनिवद्वश्चापि रसभाव-

रीद्राद्भुतादिप्रियमोज ।' इत्यादि गुणों ना जो निर्धारेत प्रिय प्रिय है वह भी अव्यवस्थित होने लगता है तब गुणों के प्रियनियम की रक्षा के लिए इस प्रसार के उदाहरणों में दोषप्रस्त मानना ही अच्छा है । इस प्रसार के अपवाद-स्थलों के हठ जाने से गुण और सहृटना दोनों का प्रियनियम व्यवस्थित हो सकता है । गुण और सहृटना दोनों के प्रियनियम को व्यवस्थित करने का यह एक प्रकार है ।

इस प्रकार में व्यवस्था का नियामक रस तत्व को माना है । पर भी इस प्रसार में, 'यो य. शत्रु विभति' इत्यादि उदाहरणों में दोष की प्रतीति न होने पर भी दूषित मानना पड़ता है । यह कुछ अच्छी रचित वात नहीं है । इसीलिए प्रन्थकार प्रियनियम के व्यवस्थापन अन्य तत्त्वों की चर्चा आगे कर रहे हैं जिससे उन नियामक तत्त्वों की हड्डी से गुण और सहृटना का एक माना जान या अलग प्रत्येक दशा में प्रियनियम दा उपयोग किया जा सके । इसी दृष्टि से रसातिरिक नियामक तत्त्वों की चर्चा प्रारम्भ करते हैं ।

इसलिए [ सहृटना के गुणव्यतिरिक्त मानने पर सहृटना नियामक कोई हेतु ही न होने और सहृटना रूप मानने में रस को टीक तरह से नियामक नहीं माना जा सकता है वयोऽसि 'यो य.' इत्यादि में उपका व्यभिचार दिसाया जा शुरा है । अपूर्व ] गुणव्यतिरिक्त और गुणरूपत्व [ दोनों ही पक्षों ] में सहृटना के नियमनार्थ कोई और ही हेतु दत्ताना चाहिए । इसलिए कहते हैं —

उम [ सहृटना ] के नियमन का हेतु यका तथा याच्य का श्रीचित्य [ ही ] है ।

उनमें से यका, क्यों या कविनिवद [ दो प्रकार का ] हो सकता है ।

१ निं० में इस कारिका भाग को यहा वृत्ति इव में आया है और पर्ति से कारिका एवं साप्त रखी है । २. वृत्तिवृ निं० दो० में घटित है ।

रहितो रसभावसमन्वितो वा । रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तद्विपक्षा-  
अयो वा । कथानायकश्च धीरोदात्तादिभेदभिन्नः पूर्वस्तदनन्तरो वेति  
विकल्पाः ।

वाच्यं च, धन्यात्मरसाङ्गं' रसाभासाङ्गं' वा, अभिनेयार्थमन-  
भिनेयार्थं वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रय वेति वहुप्रकारम् ।

ओर क्विनिवद् [ वक्ता ] भी रसभाव [ आदि ] रहित अथवा रसभाव  
[ आदि ] युक्त [ दो प्रकार का ] हो सकता है । [ उसमें ] रस भी कथानायक-  
निष्ठ अथवा उसके विरोधी [ प्रतिनायक ] निष्ठ [ दो प्रकार का ] हो सकता  
है । कथानायक भी धीरोदात्तादि [ धर्मयुद्धोतप्रधानो धीरोदात्तः । वीररौद्र-  
प्रधानो धीरोद्धत । वीरशृङ्खारप्रधानो धीरललित । दानधर्मवीरशान्तप्रधानो  
धीरप्रशान्तः । इति चत्वारो नायका, प्रमेण सावती, आरभटी, कैशिकी,  
भारतीलक्षणगृह्णितप्रधाना ।—दशरूपक टीका ] भेद से भिन्न, मुख्य नायक  
अथवा उसके बाद का [ उपनायक पीठमई ] हो सकता है । इस प्रकार  
[ वक्ता के अनेक ] विकल्प हैं ।

वाच्य [ अर्थ भी ] धनिरूप [ प्रधान ] रस का अङ्ग [ अभिव्यञ्जक ]  
अथवा रसाभास का अङ्ग [ अभिव्यञ्जक ], अभिनेयार्थ, या अनभिनेयार्थ, उत्तम  
प्रकृति में आधित, अथवा उससे भिन्न [ मध्यम, अधम ] प्रकृति में आधित  
इस तरह नामा प्रकार का हो सकता है ।

अभिनेयार्थ और अनभिनेयार्थ दोनों वाच्य के भेद हैं, अतएव  
यहा उसके विशेषण हैं । साधारणत, वहुबीहि समाप्त 'अभिनेय, अर्थो यस्य सो  
अभिनेयार्थ.' के अनुसार अर्थ करने से 'यस्य' पद तो वाच्य का ही परामर्शक  
होगा । उस दशा में वाच्य और अर्थ दोनों के एक होजाने से 'राहो शिर.' इत्यादि  
प्रयोग के समान व्यपदेशिवद्वाच की वल्पना करनी होगी । अतएव इसकी  
व्याख्या 'अभिनेयो वागाङ्गसत्वाहार्यैः अभिमुख्येन साक्षात्कारप्राय नेयो अर्थो  
व्यङ्गयरूपो धनिरूपो यस्य तदभिनेयार्थे वाच्य' इस प्रकार करनी चाहिए ।  
इसका भाव यह हुआ कि वाचिक, आङ्गिक, सात्त्विक और आहार्य-आरोपित चेतादि  
द्वारा आभिमुख्य अर्थात् साक्षात्कार रूपता को जिसका व्यङ्गय या धनिरूप अर्थ  
नेय हो उस चात्य को अभिनेयार्थ चात्य कहा जाहिए । इस प्रकार रुद्धना के  
नियामक वक्ता तथा वाच्य के अनेक भेद प्रदर्शित कर अब उनके श्रीचित्य से  
सहृष्टना के नियम का निरूपण करते हैं ।

तत्र यदा कविरपगतरसभावो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः । यदा हि कविनिवद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एव । यदा तु कविः कविनिवद्धो वा वक्ता रसभावसमन्वितो, रसच्च प्रधानाधितत्वाद्<sup>१</sup> ध्वन्यात्मभूतस्तदा<sup>२</sup> नियमेनैव तत्रासमासमध्यसमासे एव सहृट्टने । करणविप्रलभ्यशृङ्खारयोस्त्वसमासैव सहृट्टना ।

कथमिति चेत्, उच्यते । रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीतौ व्यवधायका द्विरोधिनश्च सर्वात्मनैव परिहार्याः । एवं च दीर्घसमासा सहृट्टना, समासानामनेकप्रकारसम्भावनया, कदाचिद् रसप्रतीतिं व्यवदधातीति तस्यां नास्यन्तमभिनिवेशः शोभते । विशेषतोऽभिनेयार्थं काव्ये । ततोऽन्यत्र च विशेषतः करणविप्रलभ्य-शृङ्खारयोः । तयोर्हि सुकुमारतरत्वात् स्वल्पायामप्यस्वन्ध्रतायां शब्दार्थयोः प्रतीतिर्मन्थरीभवति ।

उन [ अनेकप्रिय-वक्ताओं ] में से जब रसभावरहित करि [ शुद्ध करि ] वक्ता हो तब रचना की स्वतन्त्रता है । और जब रसभावरहित कविनिवद्ध वक्ता हो तब भी वही [ कामचार ] स्वतन्त्रता है । जब कि कवि अथवा कविनिवद्ध रसभाव समन्वित वक्ता हो और रस भी प्रधानाधित होने से ध्वन्यात्मभूत हो तब वहा नियम से ही असमास अथवा मध्यम समास वाली रचना ही करनी चाहिए । करण और विप्रलभ्य शृङ्खार में तो समाप्त रहित हो सहृट्टना होनी चाहिए ।

क्यों ? यदि यह प्रश्न हो तो उत्तर यह है कि जब रस प्रधानरूप से प्रतिपाद्य है तब उसस्थी प्रतोति में त्रिष्ठ डालने वाले और उसके विरोधियों का पूर्ण रूप से परिदृष्ट ही करना चाहिये । इस प्रकार [ एक समस्त पद में ] अनेक प्रकार के समास [ विप्र ] की सम्भागना होने से दीर्घसमास वाली रचना रसप्रतीति में कदाचित् याधर हो इसलिए उस [ दीर्घसमास रचना ] के विषय में अस्यन्त आग्रह धृच्छा नहीं है । विशेष रूप से अभिनेयार्थक काव्य में । [ क्योंकि दीर्घसमास घाले पढ़ों को अलग इए विना उनका अभिनय टीक तरह से नहीं हो सकता है । और न काहु से दो-य अर्थ, और दो-दो च में प्रसादार्थक हास्य गान आदि की सहृति हो ठीक होती है इसलिए अभिनेय

रसान्तरे पुनः प्रतिपाद्ये रीढ़ादी मध्यमसमासापि सहृटना कडाचिद् धीरोद्भूतनाय रुसग्न्यव्यापाराश्रयेण, दीर्घसमासापि वा तदाक्षेपाविनाभाविरसोचितवान्यापेक्षया न विगुणा भगतीति सापि नात्यन्तं परिहार्या ।

सर्वामु च सहृटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी । स हि सर्वरससावारण सर्वसहृटनासाधारणश्चेत्युक्तम् । प्रसादातिक्रमे हासमासापि सहृटना करणिप्रलभ्मश्छारौ न व्यनक्ति । तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि न न<sup>१</sup> प्रसाशयति । तस्मान् सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्तं त्या ।

व्याख्य काव्य में भी दीर्घसमासा रचना ठीक नहीं होती ] और उससे भिन्न विशेषत करण तथा विवलभ्म श्छार में [ दीर्घसमास रचना उचित नहीं है । क्योंकि ] उनके अत्यन्त सुक्षमार [ रस ] होने से शब्द और अर्थ की तात्त्विक सी भी अस्पष्टता होन पर [ रस का ] प्रतीति शिथिल हो जाता है ।

और रीढ़ादि दूसरे रसों के प्रतिपादन में तो धीरोद्भूत नायक क सम्बन्ध या व्यापारादि के सहारे मध्यमसमासा सहृटना अथवा दीर्घसमासा रचना भी उस [ दीर्घसमासा रचना ] के विना प्रतात न हो सकते वाले इन्हु रसोचित वाच्यार्थ प्रतीति की आपर्यञ्जानश [ इस पद का समास इस प्रकार बनना चाहिए, 'तस्या दीर्घसमाससहृटनाया य अक्षेप, तेन विना यो न भगति व्याख्याभिव्यञ्जक, तादृशो रसोचितो रमण्यञ्जस्तयोपादीयमानो वाच्यस्तस्य याप्यपेक्षा दीर्घसमाससहृटना प्रति सा अपैगुण्ये हेतु । ] प्रतिकूल नहीं होती है इसलिए उसका भी अव्यन्त व्याग नहीं कर देना चाहिए ।

प्रसाद नामक गुण भव सहृटनाओं में व्यापक है । वह समस्त रसों और समस्त रचनाओं में समान रूप में रहने वाला साधारण गुण है यह [ प्रथम उद्योत की ११ वीं कारिका में ] कहा जा सुना है । [ वह क्यन मात्र कडाचिद् पर्याप्त न समझा जाय इसलिए अन्य व्यतिरेक स भी प्रसाद गुण की सर्वसम और सर्वसहृटना साधारणता सिद्ध करते हैं ] प्रसाद के विना समान रहित रचना भी करण तथा विवलभ्म श्छार को अभिव्यञ्जित नहीं करती है [ यह व्यतिरेक हुआ । 'तदभावे तदभावे व्यतिरेक' ] और उस [ प्रसाद गुण ] के हांते पर मध्यमसमास वाली रचना भी [ करण या विवलभ्म श्छार की ] नहीं

१ नि० दो० में न न पाठ नहीं है ।

अतएव च 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादौ यदोजस स्थितिर्नव्यते तत् प्रसादारूपं एव गुणोः, न माधुर्यम् । न चाचारस्त्रम् । अभिप्रेतरम्-प्रकाशनात् ।

तस्माद् गुणाव्यतिरिक्तत्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा सहृष्टनाया यथोक्तादीचित्याद् विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकत्वम् । तस्याश्च रसाभिर्यक्तिनिमित्तभूताया योऽयमनन्तरोक्तो नियमहेतु स एव गुणाना नियतो विषय इति गुणाश्रयेण व्यवस्थानमप्यविस्त्रितम् ॥६॥

प्रकाशित करती है यह वात नहीं है । [ अर्थात् प्रकाशित करती ही है यह अन्य दृश्य हुआ । ] इसलिए प्रसाद का सर्वेन [ सब रसों और सब रचनाओं में ] अनुसरण करना चाहिए ।

इसलिए 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादि [ उदाहरण ] में [ दीर्घ समाप्त रचना न होने के कारण ] यदि ओज गुण की स्थिति अभिमत नहीं है तो [ उसमें ] प्रसाद गुण ही है माधुर्य नहीं । और [ सर्वेन साधारण उस प्रसाद गुण के होने से ] किसी प्रकार का अचारण नहीं होता है । क्योंकि [ प्रसाद गुण से भी ] अभिप्रेत [ रोद ] रस की अभिव्यक्ति ही सकती है ।

इसलिए [ सहृष्टना को ] गुणों में अभिन्न माने या भिन्न [ दोनों अवस्थाओं में ] उक्त [ वक्ता तथा वाच्य के ] औचित्य से सहृष्टना का विषय नियम [ वन ही जाता ] है इसलिए वह भी रस की अभिव्यञ्जक होती है । रस की अभिव्यक्ति में हेतुभूत उस [ सहृष्टना ] का नियामक जो यह [ वक्ता और वाच्य का औचित्य रूप ] हेतु अभी [ ऊपर ] कहा है वही गुणों वा नियत विषय है । इसलिए [ सहृष्टना की ] गुणाश्रय रूप में व्यवस्था में भी विरोध नहीं है ।

इस प्रकार यदि गुण और सहृष्टना एक रूप अर्थात् अभिन्न हैं तो गुणों का नो विषय नियम है वही सहृष्टना का भी विषय नियम होगा इसलिए वामनोक्त अर्भेद पक्ष में कोई दोप नहा है । इसी प्रकार गुणाधीन सहृष्टना पक्ष अर्थात् स्वाभिमत सिद्धान्त पक्ष में भी गुणों के नियामक हेतु ही सहृष्टना नियामक होंगे अतएव वह भी निरुद्योग पक्ष है । अब रहा तीमरा भट्टेज्जट का सहृष्टनाधीन गुण पक्ष उसमें भी वक्ता वाच्य का औचित्य सहृष्टना का नियामक वन सन्ता है इसलिए इस पक्ष की सङ्गति भी लग सकती है । इस प्रकार रस कारिका के

विपयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति ।  
काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥ ७ ॥

वक्तव्याच्यगतौचित्ये सत्यपि<sup>१</sup> विपयाश्रयमन्यदौचित्यं सहृटना नियच्छति । यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तकं<sup>२</sup> सस्तृतप्राकृतापभ्रंशनियद्ध, सन्दानितक-विशेषक-कलापक-कुलकानि<sup>३</sup>, पर्यायवन्य., परिकथा, खण्ड-कथासरलकथे<sup>४</sup>, सर्गवन्धो, अभिनेयार्थं, आख्यायिकाकथे,<sup>५</sup> इत्येव-माद्य<sup>६</sup> । तदाश्रयेणपि सहृटना प्रिशेषवती भवति ।

प्रारम्भ में उठाए गए तीनों विकल्पों की सङ्गति हो जाने से सहृटना की रसाभिव्यञ्जकता भी उन जाती है ॥६॥

[ वक्ता तथा वाच्य के औचित्य के अतिरिक्त ] विपयाधित औचित्य  
[ अर्थात् काव्य शास्त्र की समुदाय रूप में स्थिति आदि, जैसे सेना रूप समुदाय के अन्तर्गत कापुरुष भी उस सैनिक मर्यादा का पालन करता हुआ उचित रूप में स्थित रहता है इसी प्रकार सन्दानितक आदि आगे कहे गए समुदायारमक काव्य वाच्य का औचित्य उसका नियामक होता है ] भी उस [ सहृटना ] का नियंत्रण करता है । काव्य के [ मुक्तक आदि ] भेदों से भी उस [ सहृटना ] का भेद हो जाता है ।

वक्ता तथा वाच्य गत औचित्य के [ सहृटना नियामक ] होने पर भी दूररा विपयाधित औचित्य भी उस सहृटना का नियंत्रण करता है । वयोंकि काव्य के सस्तृत प्राकृत अपभ्रंश में नियद्ध मुक्तक [ स्वयं में परिष्यं स्फुट श्लोक जैसे अमरु शतक, गाया सप्तशती, आर्यासप्तशती आदि के श्लोक ], सन्दानितक [ दो श्लोकों में विद्या का अन्यत होने वाले युग्म ], प्रिशेषक [ सीन श्लोकों में विद्या समाप्त होने वाले ], कलापक [ चार का पूर्ण व्याय अन्वय होने वाले श्लोक ], कुलक [ पाच या पाच से अधिक पूर्ण व्याय अन्वित होने वाले

१. सत्यपि पाठ दो० में नहीं है ।

२. मुक्तक इलोक एवं इचमत्वारकम् । सताम् ।

३. द्वाभ्यान्तु मुमक व्येय, प्रिभि इलोऽदिशेषम् ॥

चतुर्भिस्तु वलाप स्यात्, पञ्चनि युतक मनम् ॥

—प्रानेष पुराण ।

४. सक्तसक्त्यालप्तिक्या नि०दो० । ५. आख्यायिका क्येत्पदमाद्य । नि०दो० ।

तत्र मुक्तकेषु रसवन्धाभिनिवेशिन् कवेतदाश्रयमौचित्यम् । तच्च दर्शितमेव । अन्यत्र कामचारः । मुक्तकेषु<sup>१</sup> प्रवन्धेष्ठिव रसवन्धाभिनिवेशिनः कवयो हृश्यन्ते । यथा ह्यमरुकस्य कवेमुक्तिकाः शृङ्गाररसस्थन्दिनः प्रवन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । सन्दानितकादिपु तु विकटनिवन्धनौचित्यान्मध्यमसमासादीर्धममासे एव सहृटने । प्रवन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रवन्धौचित्यमेवानुसर्तव्यम् ।

इलोक ] । पर्याय वन्ध [ वसन्वादि एक विषय का वर्णन करने वाला प्रकरण पर्यायवन्ध कहलाता है ], परिकथा [ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय में से इसी एक के सम्बन्ध में बहुत सी कथाओं का संग्रह परिकथा कहलाता है ], खण्डकथा [ किसी बड़ी कथा के एक देश का वर्णन करने वाली कथा ], सकल कथा [ फल पर्यन्त सम्पूर्ण इतिवृत्त की कथा सकल कथा कहाती है ] । खण्डकथा और सम्पूर्ण कथा, दोनों का प्राकृत में अधिक प्रयोग होने से द्विवचनान्तर द्वन्द्वसमास का रूप दिया है ], सर्गवन्ध [ महाराष्य ], अभिनेशार्थ [ नाटक, प्रकरण, भाषण, प्रहसन, डिम, व्यापोग, समवकार, वीथी, अङ्ग आदि दरशविध रूपरूप ], आर्यायिका [ उच्चवासादि भागों में निवद्ध वरता प्रतिवत्ता आदि युक्त कथा आर्यायिका और उससे रहित कथा, कथा कहलाती है ] और कथा आदि अनेक प्रकार [ काव्य के ] हैं । इन के आधार से भी सहृटना [ रचना ] में भेद हो जाता है ।

उनमें से मुक्तकों में रसनिवन्धन में आग्रहवान् कवि के लिए [ जो ] रसाधित औचिय [ नियामक और ] है उसे दिखा ही चुके हैं । अन्यत्र रसाभिनिवेशरहित काव्य में कवि चाहे जैसी रचना करें ] कामचार [ स्वतप्रता ] है । प्रवन्ध [ काव्यों ] के समान मुक्तकों में भी रस का अभिनिवेश करने वाले कवि पाए जाते हैं । जैसे अमरक कवि के शृङ्गार रस को प्रवाहित करने वाले प्रवन्ध काव्य सद्वा [ भिभागादि परिपूर्ण ] मुक्तक प्रसिद्ध ही हैं । [ हम भी पूछ २८ पर उद्धृत वर चुके हैं ] सन्दानितक आदि में तो विकट वन्ध के उचित होने से मध्यमसमासा और दीर्घसमासा सहृटना ही [ होनी ] है । प्रवन्ध [ काव्य ने ] आधितो [ सन्दानितक से बुलक पर्यन्त भेदों ] में प्रवन्ध [ काव्य ] के यथोक्त [ पूर्व वर्णित वक्ता और वाच्यादिगत ] औचिय का ही अनुसरण करना चाहिए ।

१. हि निं० दी० में अधिक है ।

२१११८०

पर्यायवन्धु पुनरसमासामध्यमसमासे एव सहृदाने । कदाचिदथौं-  
चित्वाश्रयेण दीर्घसमासायमपि महृदानाया, परपा ग्राम्या च वृत्ति-

यह प्रमन्य काव्य के अन्तर्गत मुकुर भी समझ लेने चाहिए । अन्य काव्य के प्रत्यन्धसाय और मुकुर के अन्य अन्धकाव्य के महाकाव्य तथा खण्डकाव्य भेद इसे जाते हैं । इनमें से प्रवन्धनाव्य और मुकुर के भेद तो पन्थ या रचना के आधार पर स्थित हैं और महासाय तथा खण्डकाव्य भेद विषय के आधार पर हैं । प्रवन्ध और मुकुर के रचना के आधार पर भेद किये जाने का आशय यह है कि मुकुर का प्रत्येक श्लोक परिपूर्ण स्वतन्त्र होता है । अमृक शतक का प्रत्येक पत्र स्वयं में परिपूर्ण है । पिंडी के दोहे भी स्वयं में परिपूर्ण हैं । गायाचाप्तशती और आदी सप्तशती के पत्र भी स्वतन्त्र परिपूर्ण हैं । प्रवन्ध काव्य के पत्र मुकुर पत्रों का भावि स्वतन्त्र नहीं है । उनमा पूर्वापर समन्वय होता है । उस पूर्वापर समन्वय के दिना जाने उनके रस की अनुभूति नहीं हो सकती । यह प्रवन्ध और मुकुर काव्यों का भेद हुआ । अब रह जाते हैं महाकाव्य और खण्डकाव्य । ये दोनों पूर्वापत्र प्रवन्ध काव्य के अन्तर्गत हैं और उनमा दरखर भेद विषय की व्यापकता के आधार पर किया जाता है । जो जीवन के किसी एक भाग का निरूपण करे वह खण्डकाव्य कहलाता है । ‘खण्डकाव्य भवत् काव्यस्यैक-देशानुसारि च’ । सा० द० ३, ३६ । और महासाय एक व्यक्ति अथवा एक वशाद के समस्त जीवन चित्र को प्रस्तुत करने वाला, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भिन्न भिन्न पत्रों में निर्मित, कम से कम आठ सगों से अधिक, शुङ्गार, धीर अथवा शान्त रस में से एक रस को प्रधान बनापर, सत्या, सूर्य, रजनी, चन्द्रमा, प्रभात, मन्याह आदि के प्रकृतिगणनों से युक्त काव्य महाकाव्य कहलाता है । खण्डकाव्य और महाकाव्य दोनों प्रवन्धनाव्य के अन्तर्गत हैं । मुकुर उनसे अलग स्वतन्त्र स्वतन्त्र परिपूर्ण काव्य है । लोचनज्ञार ने यह प्रवन्धकाव्यों के भीतर भी ‘नामालिख्य प्रणयनुपिता धानुरागी शिलायाम्’ । उत्तर मेव ४२ को मुकुर माना है । ‘पूर्वापरनिरपेक्षेणापि दि येन रसचरणा नियते तन्मुकुरम्’ ।

पर्यायवन्ध [ वसन्तवर्णनादिरेकवर्णनीयोद्देशेन प्रवृत्त पर्यायवन्ध । वसन्तादि किसी एक ही विषय के वर्णन के उद्देश्य से प्रवृत्त काव्य विशेष को पर्यायवन्ध कहते हैं । इस पर्यायवन्ध नामक काव्य भेद ] में [ साधारणत ] असामासा तथा मध्यसमासा सहृदाना होनो चाहें । [ परन्तु ] कभी अप्य के अधिकारी के कारण दीर्घसमासा सहृदाना होने पर भी परपा और ग्राम्या वृत्ति को बचाना ही चाहिए । परिकथा [ एक घमादिपुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकार-

परिहर्तव्या । परिविधाया नामचार । तत्रेतदृत्तमात्रोपन्यासेन नात्यन्त  
रससन्वाग्निनिपशात् । खण्डकथासभलकथयासु<sup>१</sup> प्राकृतप्रसिद्धयो  
कुलकादिनिन धनभूयस्त्राद् दार्घसमासायामरे न दिरोव । वृत्त्यौ  
चित्यन्तु यथारसमनुसर्त्यम् ।

बैचिंवेणान तदृत्तान्तर्यानप्रकारा परिकथा । धम अर्थ आदि इसी एक  
पुरुषार्थ को लकर अनेक प्रकार से बहुत सी कथाओं का बणन परिकथा  
कहलाता है । उस परिकथा नामक कायमेद ] म कामचार [ स्वतन्त्रता ] है ।  
वयाकि उसम केवल कथाश [ इतिवृत्त आरयाननन्तु ] का बण [ मुरव्य ]  
होने से रसग्रन्थ का विशेष आपह नहा होता । प्राकृत [ भषा ] म  
कुलकादि [ तत् ऊर्ध्वे तुलसे स्मृतम् चार स अधिक श्लोका का अन्वय एक  
साथ होने पर कुलस कहलाता है ] का बहुल प्रयोग होने से दीघसमासा सम्भवना  
में भी विराध नहा है । [ परन्तु ] वृत्तियों का रस क अनुसार आचित्य अन्वय  
अनुसरण करना चाहिए ।

इस प्रसङ्ग मे वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है । यलझार शास्त्र मे  
वृत्त नाम स अनेक का यत्वों का उल्लेख मलता है । १ शब्द की आभधा,  
२ लक्षणा ता भया और व्यञ्जना शक्तियों से भी वृत्ति नाम म वहा जाता है ।  
३ 'वत्तते अनुप्राप्तमेदा आमु इति वृत्तप इस नप्रह न अनुसार प्रनप्राप्त प्रसारा  
को भा वृत्त कर जाता है । भटोद्धर न इन्हा अनप्राप्त प्रसारों को पश्या, उप  
नागरिका और ग्रभ्या तीन वृत्तयों के रूप मे माना है आर उनक लक्षण इस  
अकार दिए है —

शप या रेपसयोगैप्टवगण च योजता ।  
पहगा नाम वृत्ति स्यात् हृष्ट्याग्रैश्च सयुता ॥  
सरूपसयोगर्त्ता दृष्टि वगात्योगाम ।  
सर्वैर्गता च मयते उपनाग रमा तुधा ॥  
शेषैवयैसु धायोग कथिता कोमलास्यथा ।  
ग्राम्या वृत्ति प्रशसन्ति ऋष्येष्वादतुदय ॥

—द्वादश का० १, ५, ३, ७ ।

नाम्य शास्त्र आदि मे नाम्योपयोगी कै शभी आदि चर प्रसार की  
वृत्तियों का निरूपण किया गय है ।

तद् [नायन] व्यापाराद्विमका वृत्तिश्चतुर्धां तत्र वैशिखी ।  
गीतनृत्यनिलासायैमूर्दु शृङ्गारचेष्टिते ॥

दशरूपक २, ४७

'निशोका सात्वती सत्त्वशीर्यत्यागदयार्जवे.' ।

'एभिरङ्गैश्चतुर्धेयं सात्वती, आरभयी पुनः ॥

मायेन्द्रजालसप्रामदोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः' । द० २, ५६ ।

'भारती सत्त्वतप्रायो वाग्यापारो नगधय.' ॥ द० ३, ५ ।

शृङ्गारे वैशिखी, वीरे सात्वत्यारभयी पुनः ।

रसे रीढ़े च वीभत्से, वृत्ति सर्वत्र भारती ॥ दश० २, ६२ ।

इस प्रकार साहित्य शास्त्र का 'वृत्ति' शब्द अनेकार्थ में परिभासित होने से रड़ा सन्देहजनक है। उससी यह सन्देहजनकता रीति और सहृदाना शब्दों के साथ मिल वर और भी अधिक नढ़ जाती है। प्रहृत प्रसङ्ग में आनन्दवर्धनाचार्य ने जो 'वृत्ति' शब्द का प्रयोग किया है वह 'मट्टोऽद्भृ' की पहरा, उपनागरिक्य और ग्राम्या जिसका दूसरा नाम कोमला भी है, के लिए ही किया है यह तो स्पष्ट है। परन्तु यहा उससा सहृदाना के साथ सम्बन्ध निरूपित होने से वृत्ति, सहृदाना और रीति इन तीनों के भेद का प्रश्न सामने आ जाता है। आलोककार ने यहा पर्यायपन्थ में दीर्घसमाप्त रचना होने पर भी ग्राम्या वृत्ति का व्यवहार वर्जित यताया है। इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि रचना को वर्ण और पद की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पदों की दृष्टि से रचना के असमाप्त, मध्यसमाप्त और दीर्घसमाप्त ते तीन भद्र किये जा सकते हैं। आलोककार ने इन्हा तीनों भेदों को सहृदाना शब्द से कहा है। परन्तु वर्ण के प्रयोग की दृष्टि से रचना के पहरा, उपनागरिका और ग्राम्या या कोमला यह तीन विभाग भट्टोऽद्भृ आदि ने किये ह और उनको 'वृत्ति' कहा है। इसका प्रथ यह हुआ कि पदस्थिति प्रधान रचना के लिए सहृदाना शब्द, तथा वर्णस्थिति प्रधान रचना के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। वामन ने रचना प्रकार के प्रसङ्ग में रीति शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रीतियों वा सम्बन्ध माधुर्य आदि गुणों से जोड़ा है। गुणों की अभिव्यक्ति में पद और वर्ण दोनों की विशेष उपयोगिता है। अतएव वामन की रीति में सहृदाना तथा वृत्ति दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिए व्याप्ति के पद, जो रीतियों वा विषेशन किया गया है उसमें रीतियों के प्रत्येक भेद में रचना वा एक वर्णगत और एक पदगत भेद स्पष्ट रूप से दुड़ा हुआ है। जैसे रुद्रट ने रीतियों के लक्षण इस प्रकार किए हैं —

सर्गवन्ध तु रसतात्पर्ये<sup>१</sup> यथारसमीचित्य, अन्यथा तु कामचार ।  
ज्ञयोरपि मार्गयो सर्गवन्धविधायिना दर्शनाद् रसतात्पर्ये साधीय ।  
अभिनेयार्थं तु सर्वथा रसप्रन्धेऽभिनिप्रेश कार्य । आख्यायिकाकथयोस्तु  
गद्यनिवन्धनवाहुल्याद्, गद्ये च <sup>२</sup>छन्दोबन्धभिन्नप्रस्थानत्वादिह नियम-  
हेतुरकृतपूर्वोऽपि मनाकृ कियते ॥ ७ ॥

असमस्तैकसमस्ता युक्ता दशभिरुचैश्च वैदभा ।

वर्गद्वितीयवहुला स्वल्पप्राणाद्युरा च सुविधेया ॥

इसमें 'असमस्तैकसमस्ता' पद आनन्दवर्धन की सहृदाना के प्रथम भेद  
असमासा का ग्राहक है और यह रचना के पदगत वैशिष्ठ्य से सम्बन्ध रखता  
है । इस वैदभा का दूसरा भाग 'वर्गद्वितीयवहुला' स्वल्पप्राणाद्युरा है । यह भट्टोद्धट  
की वृत्ति का स्थानीय प्रतीत होता है । रचना के इन दोनों भागों का सम्बन्ध गुणों  
के स्वरूप से है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वृत्ति और सहृदाना ये  
दोनों राति के अङ्ग हैं और उन दोनों की समधिक का नाम रीति है ।

सर्गवन्ध [ महाकाव्य ] में रसप्रधान होने पर रस के अनुसार औचित्य  
होना चाहिए अन्यथा [ केवल इतिवृत्तप्रधान महाकाव्य, जैसे भट्ट जयन्त का  
कादम्बरी कथासार, होने पर ] तो कामचार [ स्वतत्त्वा ] है । [ रसप्रधान और  
इतिवृत्तमात्र प्रधान ] दोनों प्रकार के महाकाव्य निर्माता देखे जाते हैं [ उनमें  
से ] रसप्रधान [ महाकाव्य ] श्रेष्ठ है । अभिनेयार्थ [ नारकादि ] में तो सर्वथा  
रसयोजना पर पूर्ण बल देना चाहिए । आरयायिका और कथा में तो गद्यरचना  
की [ ही ] प्रधानता रहने और गद्य में छन्दोबद्ध रचना से भिन्न मार्ग होने से  
बसके रियत में काँड़े नियामक हेतु इसके पूर्ण निर्मित न होने पर भी कुछ थोड़ा  
सा [ निर्भेश ] करते हैं ।

'द्वयारपि मार्गयो' की व्यारथा कुछ लोगों ने 'सकृत प्रावृत्योद्दयो'  
की है । उनके अनुमार दो मार्ग से तात्पर्य सम्भृत तथा प्रावृत महाकाव्यों से है ।  
पर तु वास्तव में यह व्यारथा उचित नहा है क्योंकि उनमें से 'रसतात्पर्ये साधीय'  
रस प्रधान को श्रेष्ठ ठहराया गया है । इसकी सङ्गति तो तभी ठीक लगती है  
जब 'द्वया' से रस प्रधान और इतिवृत्तमात्र प्रधान इन दो भेदों का महण किया  
जाय । उन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से रसप्रधान महाकाव्य नि सन्देह अधिक

अथवा पद्यवद् गद्यवन्धेऽपि रसवन्धोक्तमौचित्य सर्वत्र संधिता रचना भाति । ततु विपयापेक्ष किञ्चिद् पिशेषपद भवति । न तु सर्वाकारम् । तथाहि गद्यवन्धेऽपि अतिदीघसमासा रचना न विप्रलम्भ-शङ्खारकरण्योरारत्यायिकायामपि शोभते । नाटकादावप्यसमासैव सहृटना । रौद्रवीरादिवर्णने विपयापेक्ष त्वौचित्य प्रमाणतोऽपत्रूप्यते प्रकृप्यते च । तथा ह्यारत्यायिकाया नात्यन्तमसमासा स्वविपयेऽपि, नाटकादौ नातिदीर्घसमासा चेति सहृटनाया विगतुसर्तव्या ॥६॥

करने वाली रचना सर्वत्र [ गद्यपद दोनों में ] शोभित होती है । विपयगत [ शौचित्य ] को दृष्टि से उसमें कुछ [ योजा ] भेद हो जाता है ।

अथवा पद्य [ रचना ] के समान गद्य में भी रसवन्धोक्त शौचित्य का सर्वत्र आधय लेने वाली रचना शोभित होती है । वह [ शौचित्य ] विपय [ गत शौचित्य ] की दृष्टि से कुछ विशेष होजाता है [ परन्तु ] सर्वथा नहीं । उदाहरणार्थ गद्य रचना में भी करण और विप्रलम्भ शङ्खार में आरत्यायिका तक में भी अत्यन्त दीर्घ समास वाली रचना अच्छी नहीं लगती । नाटकादि में भी असमासा सहृटना ही होनी चाहिए । [ नाटकादि में ] रौद्र, वीर आदि के वर्णन में विपय की अपेक्षा करने वाला शौचित्य प्रमाण [ रसवन्धोक्त शौचित्य रूप प्रमाण ] के बल स धर बड़ जाता है । नैसे आरत्यायिका में स्वविपय [ करण विप्रलम्भ शङ्खार ] में भी अत्यन्त समासहीन, और नाटक आदि म [ स्वविपय रौद्र वीरादि म ] भी अत्यन्त दीर्घसमासा रचना नहीं होभी चाहिए । सहृटना क इसी मान वा [ सर्वत्र ] अनुसरण करना चाहिए ॥६॥

निर्णयसामरीय तथा दीधितिरीका वाले सम्मुखण में इसके बाद निम्न लिखित एक श्लोक भी मिलता है । परन्तु लोचनकारने उसनी नारत्या नहीं थी है अतएव उसकी प्रामाणिकता सन्दर्भ दाने से वालप्रिया युक्त वाराणसीय सम्मुखण में उसको मूल पाठ में नहा रखा है । इसीलिए हमने भी उस मूल पाठ में स्थान नहीं दिया है । फिर भी अन्य सम्मुखणों में पाया जाता है अतएव यहा उसकी व्याख्या कर देते हैं ।

इति कायार्थविवेको योऽप्य चेतश्चमत्तृतिविधायी ।

तूर्मिरनुदत्यारेस्मदुपज्ञे न वित्मार्य ॥ इति ।

इदानीमलद्यकमव्यङ्ग्यो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायणमहा-  
भारतादौ प्रकाशमानः प्रसिद्ध एव । तस्य तु यथा प्रकाशनं तत्  
प्रतिपाद्यते :—

पिभाव-भावा-नुभाव-सञ्चार्योचित्य-चारुणः ।

विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ॥१०॥

इस प्रकार चित्त को चमकूत करने वाला, और हम [ श्री आनन्दवर्धनाचार्य ] जिसके आव्र प्रवर्तक हैं ऐसा जो यह काव्यार्थ का विवेक है, सार तत्त्व का अनुसरण करने वाले निदानों द्वारा उसको भुलाया नहीं जाना चाहिए । इति ।

यह श्लोक स्वयं और उसके अन्त में प्रयुक्त इति शब्द वस्तुतः ग्रन्थ समाप्ति के अवसर पर अधिक उपयुक्त होते हैं । यहाँ भी यद्यपि एक अद्वान्तर प्रकरण की समाप्ति हो रही है परन्तु फिर भी यह स्थान उनके लिए उपयुक्त नहीं है । सम्भवतः इसीलिए लोचनशार ने इसे अप्रामाणिक मान कर उसकी व्याख्या नहीं की है ॥ ६ ॥

प्रबन्धान्तर्गत रमाभिव्यक्ति के लिए निम्न ६ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । सब से पहिले, एक मुन्दर मूल कथा का निर्धारण । दूसरे, उस कथा का रसानुदृश सञ्चरण । तीसरे, कथा रिस्तार में अपेक्षित सन्धि तथा सञ्चयङ्ग की रचना । चौथे, (अ) वीच में यथास्थान रस का उद्दीपन प्रशमन और (ब) ग्रन्थ में प्रधान रस का आदि से अन्त तक अनुभवान् अर्थात् अविस्मरण । पादमें, उचित मात्रा में ही और उचित स्थानों पर ही अलङ्कारों का सन्निरेश । इन्हीं अङ्कों का वर्णन इन १० से १४ तक की पात्र कारिकाओं में किया है और उन्हीं का नृत्तिशार ने आगे वहुत रिस्तार में सिवेचन किया है

अब, अमलस्यकम व्यद्वाग् (रसादि) ध्वनि जो रामायण, महाभारत आदि में प्रयन्धगत स्वर में प्रकाशित होता हुआ प्रसिद्ध हो रहा है । उसका जिय प्रकार प्रकाशन [होना चाहिए] यह [प्रकार] कहते हैं :—

१. विभाव, [स्थायी] भाव, अनुभाव और सदाराभाव के शीघ्रित्य में सुन्दर, [वृत्त पूर्व धटित-अर्थात्] ऐंविहायिक अथवा [ उप्रेक्षित अर्थात् ] कल्पित कथा शारीर का निर्माण ।

इतिवृत्तवशायातां त्वक्त्वाऽननुगुणां स्थितिम् ।  
 उत्प्रेच्याप्यन्तराभीष्ट-रसोचित-कथोन्नयः ॥११॥  
 सन्धिसन्ध्यङ्गवटनं रसाभिव्यवस्थपेक्षया ।  
 न तु क्वलया शास्त्र-स्थितिसंपादने च्छया ॥१२॥  
 उदीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा ।  
 रसस्यारब्धविश्रान्तेरनुसन्धानमङ्गिनः ॥१३॥  
 अलंकृतीना शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम् ।  
 प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निवन्धनम् ॥१४॥

प्रबन्धोऽपि रसादीनां व्यञ्जक इत्युक्त तस्य व्यञ्जकत्वे निवन्धनम् ।  
 प्रथमं तावत्, विभावभावानुभावसञ्चार्याचित्यचारण, कथा-  
 शरीरस्य विधिः । यथायर्थं प्रतिपिपादयिपितरसभावादपेक्षया य  
 उचितो विभावो भावोऽनुभाव सञ्चारी वा तदौचित्यचारणः कथा-  
 शरीरस्य विधिव्यञ्जकत्वे निवन्धनमेकम् ।

२. ऐतिहासिक व्रत से प्राप्त होने पर भी रस के प्रतिकूल स्थिति [ कथांशादि ] को छोड़ कर, वीच में अभीष्ट रस के अनुकूल नीन कल्पना करके भी कथा का संस्करण ॥११॥

३ केवल शास्त्रीय विधान के परिपालन की हस्त्रा से नहीं, अपितु [ शुद्ध ] रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से सन्धि और सन्ध्यङ्गों की रधना ॥१२॥

४ यथावसर [ रसों के ] उदीपन तथा प्रशमन [ की योजना ] और विश्रान्त होते हुए प्रधान रस का अनुसन्धान [ स्मरण रखना ] ॥१३॥

५ [ अलङ्कारों के योद्धु प्रयोग की पूर्ण ] शक्ति होने पर भी [ रस के ] अनुरूप ही [ परिमित सारा में ] अलङ्कारों दी योजना ।

[ यह पाच ] प्रबन्धगत रस के अभिव्यञ्जन हेतु है ।

६—प्रबन्ध [ काव्य ] भी रसादि का व्यञ्जक होता है यह [ इसी उद्योग की दूसरी कारिता में ] कहा है । उसके व्यञ्जकत्व के हेतु [ निम्न-लिखित पाच हैं ] ।

सब से पहिले विभाव, [ स्थायी ] भाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव

तत्र विभावौचित्यं तावत् प्रसिद्धम् । भावौचित्यं तु प्रकृत्यौ-  
चित्यात् । प्रकृतिहि, उत्तममध्यमाध्यमभावेन दिव्यमानुपादिभावेन च  
विभेदिनी । तां स्थायीयमनुसृत्यासद्गौर्णे स्थायीभाव उपनिवध्यमान  
आौचित्यभाग<sup>१</sup> भवति । अन्यथा तु केवलमानुपाश्रयेण दिव्यस्य, केवल-  
दिव्याश्रयेण वा<sup>२</sup> केवलमानुपस्य, उत्साहादय उपनिवध्यमाना अनुचिता  
भवन्ति<sup>३</sup> । तथा च केवलमानुपस्य राजादेवर्णेन सप्तार्णवलहृनादि-  
लक्षणा व्यापारा उपनिवध्यमाना सौष्ठुपश्चिमानि नीरसा एव नियमेन  
भवन्ति<sup>३</sup> । तत्र त्वनौचित्यमेव हेतु ।

के श्रौचित्य से सुन्दर कथाशरीर का निमाण [ है ] । उचित प्रकार से  
प्रतिपादनाभिमत रस भाव आदि की दृष्टि से जो उचित रिभाव, [ स्थायी ]  
भाव, अनुभाव, या सब्बारीभाव उनके श्रौचित्य से सुन्दर कथाशरीर का  
निर्माण [ रस का ] अभिव्यञ्जक पहिला कारण है ।

उनमें से विभाव का श्रौचित्य तो [ लोक तथा भरत नाथशास्त्र  
आदि में ] प्रसिद्ध ही है । [ स्थायी ] भाव का श्रौचित्य प्रकृति के श्रौचित्य  
से होता है । प्रकृति उत्तम, मध्यम, अध्यम और दिव्य तथा मानुप भेद से  
भिन्न प्रकार की होती है । उसको यथोचित रूप से अनुसरण करते हुए  
असद्गौर्ण [ विना मिलापट के, शुद्ध ] रूप से उपनिवद्ध स्थायी भाव श्रौचित्य  
युक्त माना जाता है । नहीं तो केवल मानुप [ प्रकृति ] के आधाय,  
दिव्य [ प्रकृति ] के [ उत्साहादि ], अथवा केवल दिव्य [ प्रकृति ] के आधाय  
से उपनिवध्यमान केवल मानुप के उत्साहादि [ स्थायीभाव ] अनुचित  
होते हैं । इसलिए केवल मानुप [ प्रकृति ] राजा आदि के वर्णन में, सात समुद्र  
पार करने आदि के उत्साह के वर्णन सुन्दर होने पर भी निश्चित रूप से  
नीरस ही [ प्रतीत ] होते हैं । इसका कारण अनौचित्य ही है ।

यहा 'व्यापारा उपनिवध्यमाना' में व्यापार शब्द से व्यापारोचित उत्साह  
का ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि यहा स्थायीभाव के श्रौचित्य की चर्चा ही रही  
है, अनुभाव के श्रौचित्य की नहीं । व्यापार तो अनुभाव में आ सकता है  
स्थायी भाव में नहीं । अतएव व्यापार शब्द व्यापारोचित स्थायीभाव उत्साह वा  
ही ग्रहण है ।

१. वान् नि०, दी० । २. मानुषस्य नि०, दी० । ३. भान्ति नि०, दी० ।

ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रभृतीनां श्रूयन्ते, तदलोकुं  
सामान्यप्रभावातिशयवर्णने<sup>१</sup> किमनौचित्यं सर्वोर्वभिरण्डमाणां  
हमाभुजामिति ।

नैतदस्ति । न यदं द्वूमो यत् प्रभावातिशयवर्णनमनुचितं  
राज्ञाम् । किन्तु केवलमानुपाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा कियते तस्यां  
दिव्यमौचित्यं न योजनीयम् । दिव्यमानुप्यायान्तु<sup>२</sup> कथायामुभयौचित्य-  
योजनमविस्तुद्धमेव । यथा पाण्डवादिकथायाम् । सातवाहनादिषु तु येषु  
यायदपदानं<sup>३</sup> श्रूयते तेषु तावन्मात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रति-  
भासते । व्यतिरिक्तं तु तेषामेवोपनिवध्यमानमनुचितम् ।

तद्यमन्त्र परमार्थः—

‘अनौचित्यादते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा ॥’

[ प्रश्न ] सातवाहन आदि राजाओं के नागलोक गमन आदि का  
वर्णन मिलता है तो समस्त शृणिवी के धारण में समर्थ राजाओं के अलौकिक  
प्रभावातिशय के वर्णन में क्या अनौचित्य है ?

[ उत्तर ] यह बात नहीं है । हम यह नहीं कहते कि राजाओं के  
प्रभावातिशय का वर्णन करना अनुचित है । किन्तु केवल मानुष [ प्रकृति ]  
के आधार पर जो कथा कल्पित की जाय उसमें दिव्य [ प्रकृति ] के अौचित्य  
को नहीं जोड़ना चाहिए । दिव्य और मानुष [ उभय प्रकृतिक ] कथा में वे  
दोनों प्रकार के अौचित्यों का वर्णन अविस्तृद्ध है । जैसे पाण्डु आदि की कथा में ।  
सातवाहन [ की कथा ] आदि में तो जिन [ के विषय ] में जितना पूर्ण वृत्तान्त  
[ दिव्य प्रकृति सम्बन्धी ] सुना जाता है उन [ कथाओं ] में केवल उतने  
[ अंग ] का अनुसरण तो उचित प्रतोत होता है [ परन्तु ] उनका ही उससे  
अधिक का वर्णन अनुचित है । [ ‘यापदपदानं श्रूयते’ ] इस मूल में ‘अपदानं’ शब्द  
आया है । अपरकोप में उसका अर्थ “अपदानं कर्मनृत्तम्” अर्थात् प्राचीन प्रशास्त  
चरित किया है । ]

इसलिए इस सव का सारांश यह हुआ कि—

१. प्रभावादनिशयवर्णने, नि०, दो० । २. दिव्यमानुपायाम् नि० दो० ।
३. ‘अपदानं कर्मनृत्तम्,’ अपरकोप ।

अतएव च भरते 'प्रख्यातवस्तुचिपयत्वं प्रख्या' उदात्तनायकर्त्वं च नाटकस्यावश्यरुच्यतेऽपन्यस्तम् । तेन हि नायकौचित्यानौचित्यचिपये कविर्ण व्यामुहृतिः<sup>१</sup> । यस्तृप्ताद्यवस्तु नाटकादि कुर्यात्, तस्याप्रसिद्धानुचितनायकस्वभावयर्णने महान् प्रमादः ।

ननु यद्युत्साहादिभाववर्णने कथश्चिद् दिव्यमानुप्याद्यौचित्यपरीक्षा क्रियते तत् कियताम् । रत्यादौ तु किन्तया प्रयोजनम् । रतिर्हि भारतवर्षोचितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः ।

नैवम् । तत्रौचित्यातिकमेण सुतरां दोषः । तथा ह्यमप्रकृत्यौचित्येनोत्तमप्रकृते शृङ्गारोपनियन्धने का भवेन्नोपहास्यता ।

<sup>३</sup> विविधं प्रकृत्यौचित्यं भारते वर्णेऽप्यस्ति शृङ्गारविपयम् ।

अनौचित्य के अतिरिक्त इस भङ्ग का और कोई कारण नहीं है और प्रसिद्ध औचित्य का अनुसरण ही इस का परम रहस्य है ।

इसीलिए भरत [ के नाट्यशास्त्र ] में नाटक में प्रख्यात वस्तु [ कथा ] को नियम और प्रख्यात उदात्त नायक का रखना अनिश्चय [ अप्रश्य कर्तव्य ] प्रतिपादित रखा है । इससे नायक के औचित्य अनौचित्य के नियम में कवि भ्रम में नहीं पड़ता । और जो कलिपत कथा के आधार पर नाटकादि का निर्माण करता है उससे अप्रसिद्ध और अनुचित नायक स्वभावादि वर्णन में बड़ी भूल हो सकती है ।

[ प्रश्न ] उत्साह आदि [ स्थायी ] भावों के वर्णन में यदि दिव्य, मानुप्य आदि [ प्रहृति ] के औचित्य को परीक्षा करते हैं तो करें परन्तु रत्यादि [ स्थायीभाव के वर्णन ] में उप [ परीक्षा ] में क्या लाभ ? रति यो भारतवर्षोचित व्यवहार से ही [ दिव्यों ] देवताओं की भी वर्णन करनी चाहिये यह [ भरत के नाट्यशास्त्र २०, १०१ का ] मिदान्त है ।

[ उत्तर ] यह यात नहीं है । वहा [ रतिनियम में ] भा औचित्य का उलझन करने में दोष ही है । वयोंकि उत्तमप्रहृति [ के नायक-नायिका ] के अधमवक्ति के उचित शृङ्गारादि के वर्णन में कैसे सो उपहास्यता नहीं होगी ?

१. प्रवन्धप्रख्यान नि० दो० ।

२. विमुहृति नि० दो० ।

३. विविध नि० ।

यज्ञु<sup>१</sup> दिव्यमौचित्यं तत्<sup>२</sup> तदानुपकारकमेवेति चेत्<sup>३</sup> ?  
न वयं दिव्यमौचित्यं शृङ्गारविषयमन्यत्किञ्चिद् ब्रूमः ।  
किं तद्दिः ?

भारतवर्षविषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु शृङ्गारोपनिवन्धस्तथा  
दिव्याभ्योऽपि शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धग्राम्यशृङ्गारोपनिवन्धनं  
प्रसिद्धं नाटकादौ, तथैव देवेषु तत् परिहर्तव्यम् ।

नाटकादेरभिनेयार्थत्वादभिनयस्य<sup>४</sup> च \* सम्भोगशृङ्गारविषयस्या-  
सभ्यत्वात् तत्र परिहार इति चेत् ?

न । यदभिनयस्यैवंविषयस्यासभ्यता<sup>५</sup> तत् काव्यस्यैव विषयस्य सा

[ प्रश्नकर्ता ] भारतवर्ष में भी तीन प्रकार का शृङ्गारविषयक प्रकृति  
का औचित्य पाया जाता है । [ उत्तरे भिन्न ] जो [ कोई और ] दिव्य औचित्य हैं  
वह उस [ रसाभिव्यक्ति ] में अनुपकारक हो देते हैं । [ क्योंकि उस दिव्य रति  
आदि विषयक संस्कार न होने से प्रेक्षक को उससे रसानुसूति नहीं होगी । ]

[ उत्तर ] हम शृङ्गार विषयक दिव्य औचित्य [ भारतवर्षोचित औचित्य  
से ] अलग कुछ और नहीं बताते हैं ।

[ प्रश्न ] तो किर ? [ आप क्या कहते हैं ]

[ उत्तर ] भारतवर्ष [ के ] विषय में उत्तम नायक राजा आदि में जिस  
प्रकार के शृङ्गार का वर्णन होता है वह दिव्य [ नायक आदि ] आधित भी  
शोभित होता है । [ और जैसे ] राजा आदि [ उत्तम नायकादि ] में प्रसिद्ध  
ग्राम्य शृङ्गार का वर्णन नाटकादि में प्रचलित नहीं है उसी प्रकार देवों में भी  
उसको बचाना चाहिये । [ यह हमारे कहने का अभिप्राय है । ]

[ प्रश्नकर्ता ] नाटकादि अभिनेयार्थ होते हैं । सम्भोगशृङ्गारविषयक  
अभिनय के अंसम्य [ ता पूर्ण ] होने से नाटकादि में उसका परिहार सिया  
जाता है [ परन्तु काव्य में तो अभिनय न होने से उसके परिहार को  
आवश्यकता नहीं है । ] यदि ऐसा कहें तो ?

[ उत्तर ] उचित नहीं है । यदि हस प्रकार का [ सम्भोगशृङ्गार-

१. यस्त्वन्यद् नि० । २. तदत्र नि० । ३. अभिनेयत्वाद् नि०, अभिनेयस्य  
नि० दी० । ४. सम्भोगशृङ्गारविषयस्त्वात् नि० दी० । ५. असहृता नि०, दी०

केन निवार्यते । तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे<sup>१</sup> या काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेहत्तमप्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत् पित्रोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यम्<sup>२</sup> । तथैवोत्तमदेवताविषयम् ।

न च सम्भोगश्टङ्गारस्य सुरतलक्षणे एवैकः प्रकारः, यावदन्येऽपि प्रभेदाः परस्परप्रेमदर्शनाद्य मम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न वर्ण्यन्ते । तस्मादुत्साहवद् रत्नावपि प्रकृत्यौचित्यमनुसर्तव्यम् । तथैव विस्मयादिषु । यत्त्वेवंविधे विषये महाकवीनामप्यसमीक्ष्यरारिता लक्ष्ये दृश्यते स दोष एव । स तु शक्तिरस्कृतत्वात् तेषां न लक्ष्यते, इत्युक्तमेव ।

अनुभावीचित्यं तु भरतादौ प्रसिद्धमेव । इयत्तूच्यते । <sup>३</sup>भरतादि-विरचितां स्थितिं चानुवर्तमानेन महाकविप्रवन्धाश्च पर्यालोचयता

**विषयक ]** अभिनय असम्यतापूर्ण है तो इस प्रकार के [ सम्भोग-श्टङ्गारविषयक ] काव्य में उस [ असम्यता दोष ] को कौन नियारण कर सकता है । [ यहा भी वह दोष होगा ही ] इसलिए अभिनेयार्थं या अनभिनेयार्थं [ सभी प्रकार के ] काव्य में उत्तम प्रहृति राजा आदि का उत्तम प्रहृति की नायिका के साथ जो ग्राम्य सम्भोग का वर्णन [ करना ] है वह माता पिता के सम्भोग वर्णन के समान अस्यन्त [ अनुचित और ] असम्यतापूर्ण है । उसी प्रकार उत्तम देवता विषयक [ सम्भोग श्टङ्गार वर्णन अनुचित और असम्य ] है ।

सम्भोग श्टङ्गार का केवल सुरत वर्णन रूप एक ही प्रकार तो नहीं है । अपितु उसके परस्पर प्रेम दर्शन आदि और भी भेद हो सकते हैं । उत्तम प्रहृति के [ नायकादि ] के विषय में उनका वर्णन क्यों नहीं करते । [ अथान् उन्होंका वर्णन करना चाहिये ] इसलिये उत्साह के समान रति में भी प्रकृत्यौचित्य का अनुसरण करना ही चाहिये । इसी प्रकार विस्मयादि में भी । इस प्रकार के विषय में जो [ कालिदासादि ] महाकवियों की अगमीचयरारिता [ कुमारसम्भवादि ] लक्ष्य दृश्यों में देखी जाती है वह दोष रूप ही है । केवल उनकी प्रतिभा से अभिभूत हो [ दय ] जाने से प्रतीत नहीं होगी यह कह ही चुके हैं ।

अनुभावों द्वा आँचिय तो भरतादि [ के नाट्यशास्त्रादि ] में प्रविद ही

१. अभिनेयार्थं च नि०, दी० । २. असहृष्टं नि० दो० । ३. भरतादि-स्थिति नि०, दी० ।

स्त्रप्रतिभां चानुसरता कविनाऽवहितचेतसा भूत्वा विभावाद्यौचित्यश्र श-  
परित्यगे परः प्रयत्नो गिवेय ।

ओचित्यवत् कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा अहो व्यञ्जक  
इत्येतेनैतत् प्रतिपादयति यदितिहासादिपु कथासु रसवतीयु<sup>१</sup> विभिधासु  
सतीष्वपि यत्तत्र विभावाद्यौचित्यवत् कथाशरीरं तदेव प्राण्य<sup>२</sup> नेतरन ।  
वृत्तादपि च कथाशरीरादुत्प्रेक्षिते विशेषत प्रयत्नवत्ता भवितव्यम् । तत्र  
घनवधानात् स्तपलत् कपेरव्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति ।

परिकरश्लोकश्चात्र :—

कथाशरीरमुत्पाद्य वस्तु कार्यं तथा तथा ।  
यथा रसमय<sup>३</sup> सर्वमेव तत्प्रतिभासते ॥

है । केवल इतना तो [ विशेष रूप से ] कहना है कि भरतादि मुनियों द्वारा  
निर्धोरित मर्मादा का पालन करते हुए, महारूपियों के प्रबन्धों [ काव्यों ] का  
पर्यालोचन करते हुए और अपनी प्रतिभा का अनुसरण करते हुए कि वो  
सावधान होकर विभावादि के ओचित्य से पतित होने से बचने के लिये पूर्ण  
प्रयत्न करना चाहिये ।

ऐतिहासिक अथवा कल्पित ओचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण करना  
[ रस का ] अभिव्यक्त होता है, इससे [ कारिकाकार ] यह प्रतिपादन दरते हैं  
कि इतिहासादि में [ साधारणजनों के अर्थभ्रात्र से ] रसवती चाना प्रसार की  
कथाओं के होने पर भी उनमें जो विभावादि के ओचित्य से युक्त कथावस्तु है  
उसी को ग्रहण करना चाहिये, अन्यों को नहीं । और ऐतिहासिक कथावस्तु से  
भी अधिक कल्पित कथावस्तु में [ साधारण होने का ] प्रयत्न करना चाहिये ।  
यहा [ कल्पित कथावस्तु में ] असाधारणी से भूल कर जाने पर करि की  
अद्युत्पत्ति [ प्रदर्शन ] की यहुत सम्भावना रहती है ।

इस विषय में साराश श्लोक [ यह ] है ।

कल्पित कथावस्तु को इस प्रसार निर्माण करना चाहिये । जिसमें यह  
सथका सब रसमय ही प्रतीत हो ।

१. रसवतीयु कथामु नि०, दो० । २. सर्वमेवंत् नि०, दो० ।

२६४ ]

तत्र चाभ्युपाय सन्यग् विभावाद्यौचित्यानुसरणम् । तच  
दर्शितमेव ।

किञ्चिः—

सन्ति सिद्धरसप्रत्या ये च रामायणादय ।

कथाश्रया न तैर्येज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥

तेषु हि कथाथयेषु तावत् स्वेच्छैव न योज्या । यदुत्तम् “कथामार्गे  
न चाल्पोऽप्यतिकम् ।” स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या ।

इदमपरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यज्ञकत्वे<sup>१</sup> निवन्धनम् । इतिवृत्तवशायाता  
कथाद्विद्रसाननुगुणा स्थितिं त्यक्त्या पुनरत्प्रेद्याप्यन्तराभीष्टरसोचितकथो-  
न्तयो विधेय । यथा कालिदासप्रबन्धेषु । यथा च सर्वसेनविरचिते  
हरिविजये । यथा च मदीय एवार्जुनचरिते महाकाव्ये । कविना<sup>२</sup> काव्य-  
मुपनिमध्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम् । तत्रेतिवृत्ते यदि  
रसाननुगुणा स्थितिं पश्येत्<sup>३</sup> तदेमा भड्कत्यापि स्वतन्त्रतया रसानुगुण  
कथान्तरमुल्यादयेत् । न हि कवेरितेवृत्तमात्रनिर्वहणेन किञ्चित् प्रयोजनम्,  
इतिहासादेव तत्सिद्धे ।

उसका उपाय धिभागादि के आचित्य का भली प्रशार अनुसरण करना  
[ ही ] है । और उसे दिखा ही चुके हैं ।

ओर भी [ वहा है ] —

सिद्ध रसों के समान [ सद्य आस्वादमात्र योग्य न कि भावनीय या  
परिकल्पनीय ] कथाओं के आश्रय जो रामायणादि [ इतिहास ] हैं उनके साथ  
रस विरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

पहिली बात तो यह कि उन कथाश्रयों में स्वेच्छा लगानी ही नहीं  
चाहिये । जैसा कि कहा है ‘कथा में योङ्ग भी हेर-फेर न करे’ । और यदि  
[ प्रयोजनपश ] स्वेच्छा का प्रयोग कर भी तो रसविरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग  
न करे ।

२. प्रबन्ध [ काव्य ] के रसाभिव्यज्ञस्त्व का यह भी [ दूसरा ] और  
कारण है कि ऐतिहासिक परम्परा में प्राप्त [ होने पर भी ] किसी प्रकार [ से भी ]  
रसविरोधिनी स्थिति [ कथाश ] को छोड़ कर और दीर्घ में वल्पना करके भी अभीष्ट

१. न चातिकम् नि०, दी० । २. प्रबन्ध नि० । ३. ताम् नि० दी० ।

रसादिव्यञ्जकत्वे प्रवन्धस्य चेदमन्यन्मुख्यं निवन्धनं, यत् सन्धीनां मुखप्रतिमुखगर्भावमर्शनिर्वद्याख्याना, तदङ्गानां चोपदेशादीनां घटनं रमाभिव्यक्त्यपेक्ष्या । यथा रत्नावल्याम् । न तु केवलं शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया यथा वेणोमहारे विलासाख्यस्य प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य प्रकृतरसनिवन्धनाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमतानुसरणमात्रेच्छया घटनम् ।

रसोचित कथा का निर्माण करना चाहिए । जैसे कालिदास की रचनाओं में [ रुद्रपंश में अजादि राजाओं का विवाह वर्णन और 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' नाटक में शकुन्तला का प्रत्याख्यान आदि इतिहास में उस रूप में वर्णित नहीं है किन्तु कथा को रसानुगुण और राजा दुर्धन्त को उदात्तवरित बनाने के लिए उनकी कल्पना की गई है ] और जैसे सर्वसेनविरचित हरिविजय [ महाभाष्य ] में [ कान्ता के अनुनय के लिए पारिज्ञातहरण का वर्णन ] और जैसे मेरे ही बनाए अङ्ग 'मचरित महाभाष्य' में [ अङ्गुन का पावाल प्रियरादि उस रूप से इतिहास में वर्णित न होने पर भी कथा को रसानुगुण बनाने के लिए कल्पित किया गया है ] । काव्य का निर्माण करते समय कवि को पूर्ण रूप से रसपरतन्त्र बन जाना चाहिए । इसलिए यदि इतिहास में रम के विपरीत स्थिति देखे तो उसकी तोड़ कर स्वतन्त्र रूप से रस के अनुरूप दूसरी [ प्रकार से ] कथा बना सके । इतिवृत्त का निर्वाह कर देने साम्राज्य से कवि का कोई लाभ नहीं है क्योंकि वह प्रयोजन तो इतिहास से भी सिद्ध हो सकता है ।

इसी नियम के अनुसार कालिदास ने शकुन्तला नाटक में दुर्घासा के शाप, मत्स्यावतार में अंगृष्टी का गिरना, शापप्रसुनप्रिमृतिमूलक शकुन्तलाप्रत्याख्यान आदि की कल्पना कर इतिहास [ महाभास्त ] के 'भ्रमरवृत्ति' दुर्धन्त को उदात्त नायक बना दिया है । और इसी के अनुसार महाकवि भरभूति ने उत्तररामचरित के दृतीय अङ्क में 'द्वाषा मीता' की कल्पना कर पत्थरों को रुकाने और बत्र को गलाने में समर्थ कहण रस की सुषिक्षा की है—‘अपि ग्रावा रोदित्यपि दलनिवद्रस्य हृदयन्’ ।

३. प्रवन्ध [ काव्य ] के रसादिव्यञ्जकत्वा दह और [ तोप्परा ] सुर्त्य कारण है कि [ नाव्यशास्त्रोक्त ] सुख, प्रतिसुख, गम, निमंश, और निवंहण नामक [ पश्च ] सन्धियों और उनके उपरैपत्रि [ इध ] यज्ञों का रसाभिव्यक्ति की दर्शन से जोड़ना । जैसे 'रामावली' [ नाटिका ] में । न कि केवल शास्त्रमयादा का पालन करने मात्र ही हृदया से, जैसे 'वैणोमहार' [ नाटक ] में,

इदं चापरं प्रवन्धस्य रसव्यञ्जकत्वे निमित्तं यदुदीपनप्रशमने  
यथावसरमन्तरा' रसस्य, यथा रलावल्यामेव । पुनरारव्यविश्रान्ते  
रसस्याङ्गिनोऽनुसन्धिरन्व, यथा तापसवत्सराजे ।

प्रवन्धविशेषस्य नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं २चापरमवगन्तव्यं  
यदलहू कृतीना शक्तावप्यानुरूपेण योजनम् । शक्तो हि कवि. कदाचित्  
अलङ्कारनियन्धने तदाक्षिप्रतयैवानपेक्षितरसवन्ध. प्रवन्धमारभते तदु-  
पदेशार्थमिदमुक्तम् । दृश्यन्ते च कवयोऽलङ्कारनियन्धनैकरसा अनपेक्षित-  
रसाः प्रवन्धेषु ॥१४॥

'प्रतिमुख' सन्धि के 'ग्रिलास' नामक अङ्ग को प्रकृतरस [ वीर रस ] के विस्तर  
होने पर भी भरत मत के अनुसरण मात्र की इच्छा से द्वितीय अङ्ग में  
[ दुर्योधन और भानुमती के शुद्धार वर्णन के रूप में ] जोड़ना है ।

४ प्रवन्ध [ कार्य ] के रसाभिव्यञ्जकत्व का यह और [ चौथा ] कारण  
है कि थीच थीच में यथावसर रस का उद्दीपन और प्रशमन करना । जैसे 'रत्ना-  
वली' में ही । और प्रधान रस के विभ्रान्त [ विच्छिन्न सा ] होने लगने पर  
उसको फिर संभाल लेना । जैसे 'तापसवत्सराज' में । [ तापसवत्सराज नाम का  
कोई नाटक इस समय उपलब्ध नहीं है ] ।

५. प्रवन्धविशेष नाटकादि की रसाभिव्यक्ति का यह और [ पाँचवाँ ]  
निमित्त समझना चाहिए कि [ अलङ्कारों के यथेष्ट प्रयोग की पूर्ण ] शक्ति  
रहने पर भी [ रस के ] अनुरूप ही अलङ्कारों की योजना करना । [ अलङ्कार  
रचना में ] समर्थ करि कभी-कभी अलङ्कार रचना में ही मग्न होमर रस-  
वन्ध की पर्वाह न घरके ही प्रवन्ध रचना करने लगता है । उसके उपदेश के  
लिए यह [ पद्मम हेतु ] कहा है । काष्ठों में रस की चिन्ता न वर अलङ्कार-  
निरूपण में ही आनन्द लेने वाले कवि भी पाप जाते हैं ॥१५॥

इस १५ वीं कारिका के पूर्ण यहा तक भी असलद्यत्रम् व्यङ्ग्य ध्वनि  
का प्रकरण चल रहा है और आगे १६ वीं कारिका १में भी असलद्यत्रम्  
व्यङ्ग्य का ही वर्णन है परन्तु यीच की १५ वीं कारिका में अनुस्वानोपम

१ निर्णय सा० स०—ये यथावसर ....रसस्य के थीच में पाठ छूटा  
हुआ है । दीर्घितिकार ने 'नियध्येयता' लिख कर उसकी पूर्ति भी है । या०  
प्रि० में 'मन्तरा' पाठ रखा है । २ धावगन्तव्यम् नि०, दो० ।

किञ्चित् :—

अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः ।

ध्वनेरस्य प्रवन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित् ॥१५॥

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्ग्योऽपि यः प्रभेद उदाहृतो द्विप्रकारः सोऽपि प्रवन्धेषु केषुचिद् द्योतते । तथाथा-

अर्थात् सलदयकमव्यङ्ग्य का वर्णन प्रतीत होता है । यदि इस कारिका की सीधी व्याख्या करें तरं तो वीच में इस सलदयकमव्यङ्ग्य की चर्चा अप्राकरणिक और असङ्गत प्रतीत होगी । अतएव इस कारिका और उसकी वृत्ति में ‘व्यङ्ग्यतया’ और ‘व्यञ्जकतया’ पदों का अध्याहार करने कारिका के पदों का अन्य ‘अनुस्वानोपमात्मा यो ऽन्मे । प्रभेद उदाहृतकेषुचित् प्रवन्धेषु [ व्यञ्जकेषु सत्तु ] व्यङ्ग्यतया स्थितो भवति सोऽपि, अस्य शतंलदयकमत्य रसादिष्वने व्यञ्जकतया भासते ’ अर्थात् जो सलदयकमव्यङ्ग्य का जो भेद प्रवन्ध में साक्षात् व्यङ्ग्य प्रतीत होता है वह भी इस असंलदयकमव्यङ्ग्य का व्यञ्जक होता है— इस प्रकार करना चाहिए । अर्थात् प्रवन्ध से साक्षात् तो उलदयकमव्यङ्ग्य ध्यनि अभिष्यन्त होता है परन्तु पीछे उसीसा प्रहृत रसादि रूप असलदयकमव्यङ्ग्य ध्यनि के रूप में पर्यंत्यान हो जाता है ।

अथवा ‘अनुस्वानोपमात्मा ध्वनेरुदाहृतो य, प्रभेद, केषुचित् प्रवन्धेषु भासते’ इस प्रकार का अन्य करके अन्त में कारिकारथ ‘अस्य’ पद का सम्बन्ध अगली १६ या कारिका के ‘द्योत्योऽलदयकमः द्यन्ति’ के साथ करके ‘अस्य सलदयकमव्यङ्ग्यरस्यापि द्योत्यो अलदयकम, क्वचिद् भवति’ कही वही इस सलदयकम का भी द्योत्य अगलदयकमव्यङ्ग्य होता है इस प्रकार सङ्गति लगानी चाहिए । तदनुसार इस कारिका की व्याख्या निम्न लिखत हो प्रकार होगी—

१. संलदयकमव्यङ्ग्यरूप रूप ध्यनि का जो प्रभेद इन्हीं कार्यों में [ माणार ] व्यङ्ग्यरूप से स्थित [ वसित ] होता है यह भी [ पर्यंत्यान में ] इस असंलदयकमव्यङ्ग्यरूप ध्यनि के व्यञ्जक रूप में भासता है ।

२. अथवा, अनुस्वानोपम सलदयकमव्यङ्ग्यरूप ध्यनि का जो उदाहृत भेद इन्हीं कार्यों में प्रतीत होता है, उस सलदयकमव्यङ्ग्यरूप का भी द्योत्य असंलदयकमव्यङ्ग्यरूप कही-कही होता है ।

इस विवक्षितान्यपरवाच्य [ अभिष्यामूल ] पर्ने वा [ शब्दशास्युप और व्यंत्यानुप भेद में ] दो प्रकार का जो संलदयकमव्यङ्ग्यरूप भेद वसित हिया

मधुमथनविजये पाञ्चजन्योक्तिपु । यथा वा ममैव कामदेवस्य सहचर-  
समागमे विषमवाणीलायाम् । यथा च गृग्रगोमायुसवादादौ महाभारते ।

हे वह भी किन्हीं काव्यों में व्यङ्ग्य होता है [ और असलचयक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि का व्यञ्जक भी होता है ] जैसे 'मधुमथन विजय' [ नामक महाराष्ट्र ] में 'पाञ्चजन्य' की उक्तियों में । अथवा जैसे मेरे ही 'विषमवाणीला' [ नामक महाकाव्य ] में कामदेव के सहचर [ यौवन ] के समागम [ के प्रसङ्ग ] में । और जैसे महाभारत में 'गिरि और शृगाल के सम्बाद' आदि में ।

'मधुमथनविजय' की पाञ्चजन्योक्ति में —

लीलादादादाशुभूद्वासश्रालमद्विमण्डलसिंचन्न श्रज्ज ।

कीर्मसुणालाहर तुञ्जआइ अङ्गमि ॥

लीलादध्नाम्रोदधृतसकलमहीमरडलस्थैराय ।

कस्मान्मृणलाभरणमपि तव गुरु भवत्यङ्गे ॥॥॥ इतिच्छाया ।

वासुदेव के प्रति यह 'पाञ्चजन्य' की उक्ति है । इसका अभिप्राय यह है कि वराहावतार के समय जिन वासुदेव ने अपनी दाढ़ के ग्रन्थभाग पर सारी पृथिवी का भार उठा लिया था, आज [ रुक्मिणी के वियोग में ] मृणाल के आभरण घारण कर सक्ना भी उनसे लिए क्यों भारी हो गया है । यहा रुक्मिणी के विरह में रुक्मिणी के प्रति वासुदेव ना अभिलाप रूप अभिप्राय सलव्यन्त्रम रूप से व्यङ्ग्य होकर विप्रलम्भ शृङ्गार रूप असलव्यन्त्रम व्यङ्ग्य को अभिव्यक्त करता है ।

२ 'विषमवाणीला' में कामदेव के सहचर यौवन के समागम प्रसङ्ग में—

हुम्मि अवहस्तिअर होणिरकुसी अह विवशरहश्चोवि ।

मिविणेवि तुम्मिम पुणा भन्ति ग पसुमरामि ॥

भवाम्परहस्तितरेखो निरकुशोऽथ विवकरहितोऽपि ।

स्वप्नेऽपि तपु पुनभवित न प्रस्मरामि ॥ इतिच्छाया ।

यह कामदेव के प्रति यौवन की उक्ति है । इससे आशय यह है कि मर्यादा का अतिवर्मण करने वाला [ अवहस्तित रेखा मर्यादा थन स । रेखा अर्थात् मर्यादा का रिकाइने वाला ] भने ही है । लाग चाहे भने ही वह कि वह यौवन निरकुश है या 'वयव रहित है । परन्तु मैं [ यौवन ] स्वप्न में भी तुम्हारी [ कामदेव का ] भाँति को नहीं भूलता हूँ । इस यौवन की उक्ति में यौवन

का कामोपासक स्वभाव व्यक्त होता है और उसका पर्यवेक्षण प्रकृत शृङ्खार रस, रूप असलद्यक्रम व्यङ्ग्य धनि में होता है।

३ महाभारत के 'गृग्रोमायु सजाद' में कुछ लोग मरे हुए यालक को लेकर श्मशान में आते हैं। श्मशानचारी गिद्ध और शृगाल दोनों उस समय वहाँ उपस्थित हैं। लगभग सन्ध्या का समय है। गिद्ध चाहता है कि यह लोग इसे मरे यालक को छोड़ कर अभी चले जाय तो मुझ खाने को मिले। शृगाल चाहता है कि यह लोग ज़रा देर और रस, जिससे सूर्योत्तर हो जाय तो पिर रात में गिद्ध तो चला जायगा हम निर्विश्वरूप से उसका भक्षण करेंगे। इस प्रकार दोनों की इच्छा एक दूसरे से भिन्न है। वह दोनों मरे यालक को लाने वालों को अपने प्रपने स्वाध से समझते हैं। यही सजाद 'गृग्रोमायु सजाद' नाम से प्रसिद्ध है। उसके श्लोक निम्न प्रकार हैं —

गृग्र उचाच —

अल स्थित्या श्मशानेऽस्मिन् गृग्रोमायुसहुले ।  
कङ्कालबद्धे धोरे सर्वप्रणिभयङ्करे ॥  
न चेद जीवित करिचन् कालधर्ममुपागत ।  
प्रियो वा यदि वा द्रेष्य प्राणिना गतिरीदृशी ॥

गिद्ध बोला—गिद्ध और शृगालों से व्याप्त, बङ्कालों से भरे हुए, सब प्राणियों को भयमीत करने वाले इस भयङ्कर श्मशान में बैठने से क्या लाभ। जो मर गया वह जी तो सकता नहा। पिर चाह वह अपना प्रिय ही अर्थात् शत्रु हो। जो मर गया सो तो मर ही गया। सब प्राणियों की यही हलत होनी है। इसलिए ग्रव आप लोग अपने घर जाओ। यही गिद्ध का अभिप्राय सलद्यक्रम व्यङ्ग्य है। और उससे प्रकृत शान्तरस रूप असलद्यक्रम व्यङ्ग्य धनि अभिप्रक होता है।

तप शगाल बोला —

आदित्योऽय स्थितो मूढा स्नेह कुरुत साप्रतम् ।  
रहुमिनो मुहूर्तोऽय जीवेदपि कदाचन ॥  
श्रमु कनकरण्यमि गलमपात्यौवनम् ।  
गृध्रवाक्यात् कथ मूढास्त्वयज्ञमविशङ्किता ॥

अरे अभी भूर्य निकल रहा है इस नृचे को ध्यार करो। यह मुहूर्त वडा विष्वमय है सम्भव है यह यालक जी ही उठे। अरे मूर्धा, सोने जैसे रंग व और

सुप्-तिङ्-वचन-सम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः ।

कृत्-तद्वित्-समासैश्च घोत्योऽलद्यक्रमः क्वचित् ॥१६॥

अलद्यक्रमोऽवनेरात्मा रसादिः<sup>१</sup> सुविवशेषैः, तिङ्-विशेषैः, वचन-

अभिप्राय यौवन इस मुन्दर बालक को इस गिर्द के कहने से विना किसी शङ्का के छोड़ कर वैसे चले जाना चाहते हो ।

रात्रि में अपना काम साध सकने वाले शृगाल की यह उक्ति उसके अभिप्राय को व्यक्त करती है और उसका भी पर्यवसान प्रकृत शान्तरस रूप असलद्यक्रम व्यङ्गय की अभिव्यक्ति में होता है ।

इस प्राचार ‘मधुमथनविजय’, ‘विषम वाण लीला’ और ‘महाभारत’ के इन तीनों उदाहरणों में प्रबन्ध से साक्षात् तो सलद्यक्रम वस्तु ध्वनि व्यक्त होता है परन्तु उसका पर्यवसान प्रकृत रस रूप असलद्यक्रम व्यङ्गय के रूप में होता है ।

अतः सलद्यक्रम व्यङ्गय ध्वनि भी असलद्यक्रम व्यङ्गय ध्वनि का अभिव्यक्त होता है । यह अभिप्राय हुआ ॥१५॥

आगे उस असलद्यक्रम व्यङ्गय के और अभिव्यक्त गिनाते हैं ।

सुप् [अर्थात् प्रथमा आदि विभक्तिपा], तिङ् [अथात् त्रिया विभक्तिपा], वचन [एक, द्वि, यहुवचन], सम्बन्ध [पट्टी विभक्ति], कारक शक्ति, कृत् [धातु से विद्वित तिङ् भिन्न प्रत्यय], तद्वित् [प्रतिपदिक से विद्वित सुप् भिन्न प्रत्यय] और समास से [अभिव्यक्त जो सलद्यक्रम व्यङ्गय उस से भी] कहीं-कहीं असलद्यक्रमध्वर ध्वनि अभिव्यक्त होता है ।

पूर्वकारिका में दिराई इस कारिका के साथ सङ्गति यो स्थान में रखते हुए यहाँ भी लोचनशार ने “मुरादिमि योऽनुभ्यानोपमो भासुते वक्त्रभिप्रायादिस्त्वयापि मुरादिविवर्धकस्यानुसानोपमस्य असलद्यक्रमव्यङ्गयो योत्य वर विदित पूर्वकारिकाय सह सम्भील्य सङ्गविरिति” यह पञ्चि लिखी है । अर्थात् मुरादि स अभिव्यक्त जो सलद्यक्रमव्यङ्गय वक्ता वा अभिप्रायादि रूप ध्वनि है उससे भी असलद्यक्रम व्यङ्गय रसादि ध्वनि अभिव्यक्त होता है इस प्राचार पूर्व कारिका के साथ मिला कर इस की सङ्गति लगानी चाहिए । तदनुसार ही इमने यहाँ इस कारिका की और पूर्व कारिका के उदाहरण से से दिये हुए श्लोकों के व्यङ्गयार्थ की सङ्गति लगाई है ।

ध्वनि का आमभूत [प्रधानभूत] अङ्गद्यक्रम व्यङ्गय रसादि, मुद्-

विशेषैः, सम्बन्धविशेषैः, कारकशक्तिभिः, कृद्विशेषैः, तद्दितविशेषैः, समासैश्चेति । च शब्दान्विपातोपसर्गकालादिभि. प्रयुक्तैरभिव्यज्य-  
मानो दृश्यते । यथा—

न्यकारो ह्यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः,  
सोऽप्यत्रैव, निहन्ति रात्रसुलं, जीवत्यहो रावण ।  
धिग् धिक् शक्तिर्त प्रयोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा,  
स्वर्गप्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥

विशेष, तिहू विशेष, वचनविशेष, सम्बन्धविशेष, कारक शक्तियों, कृत् तिशेष, तद्दित विशेष और समासविशेष से [ व्यक्त होता है ] । च शब्द से [ सगृहीत ] निपात, उपसर्ग कालादि के प्रयोग से [ अभिव्यक्त होने वाले संलग्नकमध्यहृष्ट घनि से भी ] अभिव्यक्त होता देखा जाता है । जैसे—

मेरे शत्रु हों यही [ बड़ा भारी ] अपमान है उनमें भी यह [ विचारा भिन्नुक ] तापस । वह भी यहा [ लङ्घा में मेरी नाक के नीचे ] ही रात्रस कुल का नाश कर रहा है और [ यह देख कर भी ] रावण जी रहा है । यह बड़ा आश्चर्य है । इन्द्र को विजय करने वाले मेघवाद को विकार है । कुम्भकर्ण को जगाने से भी क्या लाभ हुआ और [ दूसरों की बात छोड़ो ] स्वर्ग की उस छोटी सी गडिया को लूट कर अभिमान से व्यर्थ ही कूली हुई मेरी इन भुजाओं से ही क्या लाभ है ?

जब रामचन्द्र जी लङ्घा में रात्रों का नाश कर रहे थे उस समय अपने चारों को भर्तना करने और शत्रु की तुच्छता आदि सूचित करते हुए अपने सैनियों को उत्तेजित करने के लिये यह रावण की गर्वपूर्ण वोधोवित है । जो प्रतिरद व्यङ्ग्य से परिपूर्ण है । पहिले तो शत्रुओं का होना ही मेरे लिए अपमानजनक है । जिसने इन्द्र जैसे देवों को भी कैद कर लिया हो, यमराज भी जिससे कामते हों उसके शत्रु हों और जीने रहें । किंतु आश्चर्य और अनोचित है । यह भाव 'मे' पद से व्यक्त होता है । अस्मद् शब्द से बताता रावण के पूर्वकृत इन्द्रविजयादि लोकोत्तर चरित, तथा सम्बन्ध वोधक धृष्टि विमक्ति से शत्रुओं के साथ अपने सम्बन्ध का अनोचित व्योतित होता है । और उससे रावण के हृदय का मोथ अभियक्त होता है । 'अरय' का बहुवचन उसी सम्बन्धानोचित्य के अतिशय को वोधन करता है । उसमें भी यह तापस, तपत्वी नहीं । 'तत्रापि' इस

अत्र हि श्लोके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं  
दृश्यते । तत्र 'मे यदरथः' इत्यनेन सुप्तसम्बन्धवचनानामभि-  
व्यञ्जकत्वम् । 'तत्राप्यसौ ताप्स' इत्यत्र तद्वितनिपातयोः । 'सोऽप्यत्रैव  
निदन्ति राक्षसकुलं जीघत्यहो रावणः' इत्यत्र तिङ्गारकशक्तीनाम् ।  
'धिग् धिक् राक्षजितं', इत्यादौ श्लोकार्थं कृत्वद्वितसमाप्तगारणाम् ।

एवं विद्यस्य व्यञ्जकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सर्वांतिशयायिनी वन्धच्छाया समुन्मीलति । यत्र हि व्यञ्जयावभासिनः पदस्यैकस्यैव तावदाविर्भावस्तत्रापि काव्ये कापि वन्धच्छाया किमुत यत्र तेषां वहूनां समवाय । यथात्रानन्तरोदितश्लोके । अत्र हि 'रावण' इत्यस्मिन् पदे, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्येन ध्वनिप्रभेदेनालकृतेऽपि पुनरनन्तरोक्तानां व्यञ्जकप्रकाराणामुद्घासनम् ।

दृश्यन्ते च महात्मानां प्रतिभाविशेषभाजा वाहुल्येनैवं विधा वन्धप्रकाराः । यथा महर्षेव्यासस्यः—

अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारणा ।

श्वः इतः पापीयदिवसा पृथिवी गतयौवना ॥

अत्र हि कृत्तद्वितव्यचनैरलद्यक्षमव्यञ्जय, 'पृथिवी गतयौवना' इत्यनेन चात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनिः प्रकाशितः ।

और इस प्रकार का व्यञ्जक वाहुल्य हो जाने पर काव्य का सर्वोत्कृष्ट रचना सौन्दर्य आभिव्यक्त होता है । जहाँ व्यञ्जय से प्रकाशमान एक भी पद का आपिर्भाव हो सके उस काव्य में भी कुछ अनिर्वचनीय सौन्दर्य आ जाता है तो फिर जहाँ पैसे वहूत से पढ़ों का एकत्र सम्बिनेश हो जाय उसका तो कहना ही क्या । जैसे इसी ऊपर कहे श्लोक में । इस में 'रावण' इस पद के अर्थान्तर-संक्रमित वाच्य [ लक्षणामूल ] ध्वनि भेद से अलद्दकृत होने पर भी [ उसमें ] अनन्तरोक्त व्यञ्जक प्रकारों का [ भी ] उद्घासन होता है ।

मिशेष प्रतिभाशाली महात्माओं [ महारथियों ] की इस प्रकार की रचना शैलियाँ यहुतायत से पाई जाती हैं । जैसे महर्षि व्यास का '—

[ अथ ] समय सुख पिरहित और दुःख परिपूरित हो गए हैं और गतयौवना पृथिवी के उच्चरोक्त बुरे दिन आरहे हैं ।

इस [ उदाहरण ] में [ अतिक्रान्त और प्रत्युपस्थित पदों में 'कृत' प्रत्यय रूप ] कृत, [ पापीद में 'द्व' प्रत्यय रूप ] तदित, [ और काला का वहुवचनरूप ] वचन [ इन सब ] से [ निर्वेद को सूचित करते हुए शान्त रस रूप ] असलद्यक्षम-व्यञ्जय [ रसध्वनि ], और 'पृथिवी गतयौवना' इस [ में गतयौवना पद ] से अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [ अविवितवाच्य ] ध्वनि प्रकाशित होता है ।

अणणत्त वज्र वालक अन्हाअन्ति कि मं पुलोपसिएम् ।  
हो जाआभीरुआणं तड विच्छ ण होई ॥

[अन्यन ब्रज वालक स्नान्ति कि मा 'प्रलोकयस्येतत् ।

भो जायाभीरुकाणा तटमेन न भवति ॥ इतिच्छाया ]

कृत-'क'-प्रयोगेषु प्राकृतेषु तद्वितविषये व्यञ्जकत्वमावेद्यत एव ।  
अवद्वातिशये क ३ । समासाना च वृत्त्यौचित्येन विनियोजने ।

निपाताना व्यञ्जकत्व यथा —

अयमेकपदे तथा वियोग प्रियया चोपनत सुदुःसहो मे ।  
नववारिधरोदयादहोभिर्भवितव्यं च निरातपत्वरम्यै ॥

अरे लडके तुम कहीं और जाओ नहाती हुई सुक को [ ससृह ] क्यों  
देख रहे हो । [अपनी] पत्नी से डरने वालों के मतलब का यह टट नहीं है ।

यहाँ जलाशय के टट पर नहाती हुई किसी स्वैरिणी को ससृह नैवों से  
देरने वाले विद्यादित युवक के प्रति उसको चाहने वाली स्वैरिणी की यह उर्कि  
है । उसमें 'जायाभीरुकाणा' इस सम्बन्ध पट्टी से उस प्रच्छन्न कामुकी का ईर्ध्या-  
तिशय सूचित होता है । और वह ईर्ध्या, विश्वलभ्म शृङ्गार को अभिव्यक्त करती  
है । साथ ही भीरुक पद में जो अवशार्थक 'क' प्रत्यय तद्वित का है वह भी अवशा  
तिशय द्वारा ईर्ध्याप्रसभ्म को परिपुण करता है ।

'क' प्रत्यय के प्रयोग से सुक प्राकृत पदों में तद्वित विषयक व्यञ्जकत्व  
भी सूचित होता ही है । [ जैसे यहाँ ] अवज्ञातिशय में क प्रत्यय [ ईर्ध्या विप-  
खम्भ का व्यञ्जक ] है । कृति के अनुरूप [ समासों की ] योजना होने पर  
समासों का [ व्यञ्जकत्व होता है । उसके उदाहरण यहाँ नहीं दिए हैं । ]

निपातों का व्यञ्जकत्व [ का उदाहरण ] नैमे :—

एक साथ ही उस [ हृदयेश्वरी ] प्रिया के साथ यह आसदा वियोग  
था पड़ा और उस पर नए बादलों के उमड़ आने से आतपरहित मनोहर [ वर्षा  
के ], दिन होने लगे । [ अब यह सब कैसे सहा जायगा ] ।

१. अन्यन ब्रज वालक तृप्णायमान व्यमालोऽयस्येतत् ।

भो जायाभीरुकाणी युत्साह सम्बन्ध एव न भवति ॥ दी०

२. अवज्ञातिशय क यह पाठ निं० दी० में नहीं है ।

इत्यत्र च शब्दः ।

यथा वा :—

मुहुरङ् गुलिसंवृताधरोष्ट प्रतिपेधात्मरविक्लवाभिरामम् ।

मुग्रमसविद्विं पद्मलाद्या कथमप्युन्नमितं न चुम्बित तु ॥

अत्र तु शब्दः ।

निपाताना प्रसिद्धमपीह योतकत्वं रसापेक्षयोक्तमिति द्रष्टव्यम् ।

यहाँ च शब्द [ व्यञ्जक है ] ।

यहाँ दो बार च का प्रयोग किया गया है । वह इस बात को सूचित करता है कि उसके प्रयोग के साथ काकतालीय न्याय से जो ये वर्णों के दिन आ पड़े वह जले पर नमक के समान प्राणहरण के लिए पर्याप्त हैं । अतएव 'रम्य' पद से उद्दीपन विभावत्व सूचित होता है । इस प्रकार निपातद्वय का प्रयोग विप्रलभ्म शङ्कार को अभिव्यक्त करता है । यह 'विक्रमोर्धशीय' नाटक में पुरुरवा की उकि है ।

अथवा [निपात के व्यञ्जकत्व का दूसरा उदाहरण] जैसे—

[ मेरे ज्ञावदस्ती चुम्बन का प्रयत्न करने पर ] बार बार अगुलियों से ढके हुए अधरोष्ट वाला और [मान जाओ, जाने दो, इत्यादि] निषेधप्रक शब्दों की विक्लिता से मनोहर तथा कन्धे की ओर मुड़ा हुआ सुन्दर पलकों व ली [ प्रियतमा शुद्धन्तला का ] का सुख किसी प्रकार ऊपर उठा लो लिया परन्तु चूम उर्ध्वं पाया ।

‘— यहाँ ‘तु’ यह शब्द [ पश्चात्ताप व्यञ्जक और उस चुम्बनमात्र से इत्यता का सूचक होने से शङ्कार रस को अभिव्यक्त करता है । ]

निपातों का योतकत्व [ हमारे उपजीव्य वैयाकरण मत में ] प्रसिद्ध होने पर भी यहा रस की दृष्टि से [ फिर से ] कहा है यह समझना चाहिये ।

वैयाकरण सिद्धान्त में निपात अर्थ के योतक ही होते हैं याचक नहीं । ‘योतका प्रादयो येन निपातश्चादयो यथा ।’ वै० भ० । उनको वाचक न मान कर केवल योतक मानने अ कारण यह है कि उनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता । इस प्रकार योतकत्व प्रसिद्ध होने पर भी वह योतकत्व केवल अर्थों के प्रति विवक्षित है । इसलिए यहाँ पिशीर रूप से रसों के प्रति योतकत्व प्रतिपादन किया गया है ।

उपसर्गाणा व्यञ्जकत्वं यथा —

नीवारा शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणामव ,  
प्रस्तिंगवा क्वचिदिंगुदीफलभिद सूच्यन्त एतोपला !  
विश्वासोपगमादभिन्नगतय शब्द सहन्ते मृगा ,  
तोयाधारपथारच वल्कलशिखानिष्प्यन्दरसाङ्केता ॥  
इत्यादौ ।

द्वित्राणा चोपसर्गाणमेऽन पदे य प्रयोग सोऽपि रसव्यक्त्यनु-  
गुणतयैव निर्दोष । यथा—

“प्रभ्रश्यत्युत्तरीयतिनपि तमसि समुद्रोद्य वीतावृतीन् द्राग्  
जन्तून्” ।

उपसर्गों का व्यञ्जकत्व [ का उदाहरण ] जैसे —

शुक युक्त कोटरों के मुख से गिरे हुए नीवार कण घृणों के नीवे  
घिखरे पड़े हैं । वहाँ वहीं चिकने पाथर हैं जो इस बात की सूचना देते हैं  
कि उनसे इगुदीफल लोडने का काम लिया जाता है । सर्वथा आश्रयस्व  
होन से, आने वालों के शब्द को सुन कर भी मृगों की गति में कोई  
परिवर्तन नहीं होता है और जलाशयों के मार्ग [ स्नानोत्तर गीले ] वर्त्तन  
वस्त्रों से टपकती हुई वृद्धों की रेखाओं से अद्वित है ।

इत्यादि में ।

यहाँ ‘प्रस्तिंगवा’ में ‘प्र’ उपसर्ग ‘प्रश्वेण स्तिंगवा प्रस्तिंगवा’ इस प्रकार  
प्रकर्ष को सुचित करता हुआ इगुदीफलों की सरसता का व्योतक होकर आश्रम के  
सौंदर्यातिशय को व्यक्त करता है । कोई कोई यहाँ ‘तापसस्य फलविषयो  
अभिलापातिरको धन्यते’ तापस का धन्यविषय अभिलाप का अतिशय यहाँ  
ध्यनित होता है यह व्याख्या करते हैं । परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्केत नहीं  
है क्योंकि अभिजानरामाकृति नाटक में यह राजा दुष्यन्त की उक्ति है । तापस  
की नहा । आलोककार ने यह ‘शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टा’ यह पाठ रखा है ।  
परन्तु दूसरी जगह ‘शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टा’ पाठ पाया जाता है । यह पाठ अधिक  
अच्छा जान पड़ता है ।

दो तीन उपसर्गों का जो एक पद में प्रयोग होता है वह भी रसा  
भित्यकि के अनुकूल होने में ही निर्दोष है । जैसे—

उत्तरीय [ हुपटा ] के समान अन्धकार क लिंगजाने [ राशि के अन्ध

इत्यादौ ।

यथा वा—

‘मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तम् ।

इत्यादौ ।’

कार के दूर हो जाने] पर आवरण रहित जन्मतुओं को देखकर [ सूर्यशत्रु ] ।

इत्यादि में [ ‘समुद्रीच्य’ पद में एक साथ ‘सम् उत् पि’ इन तीन उपसर्गों का प्रयोग सूर्यदेव की कृपा के अतिशय का व्यञ्जक और रसानुवृत्त होने से निर्दोष है । ]

अथवा जैसे—

मनुष्यरूप से आचरण करते हुए को ।

इत्यादि में ।

[ ‘मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तम् । यहां सम् उप और आट् इन तीन उपसर्गों का प्रयोग भगवान् के लोकानुप्रहेच्छा के अतिशय का अभिव्यञ्जक है । ]

निर्णयसामरीय तथा दीधिति युक्त सत्करण में इस श्लोक के बाद एक श्लोक और दिया है । परन्तु लोचन में उसका उल्लेख नहा है । अतएव वालप्रिया वाले सत्करण में उसे मूल पाठ में नहीं रखा है । इसीलिए हमने भी उसे यहां मूल पाठ में नहीं रखा है । पर भी उसकी व्याख्या दिप्पणी रूप में कर रहे हैं ।

मदमुखरक्षोत्पुन्मयूर् प्रविरलवामनवृत्तस्त्रिवेशम् ।

वनमिदमवगाहमानभीम व्यसनमिवोपरि दाहणत्वमेति ॥

इत्यादौ प्रशङ्ख्य, श्रीपद्मनन्दसिकस्य च व्यञ्जनत्वमधिक व्योत्यते ।

मद मुखर कणातों और उपरको मुख उठाए मयूरों अथवा उन्मत्त मयूरों से युक्त बहुत छोटे छोटे और विरल वृक्षों से युक्त यह बन श्रापति के समान या रोग के समान प्रवेश करते समय [ प्रारम्भ में ] भयानक [ लगता है ] और आगे चल कर दाशण दुरदायक बन जाता है ।

१ नि० सा० स० में ‘य स्वप्ने सदुपानतस्य इत्यादौ च ।’ इतना अधिक पाठ है ।

निपातानामपि तथैव । यथा ॥—

‘अहो चतासि सृष्टियवीर्यं’ ।

इत्यादौ ।

इत्यादि में [ प्रधिरल का ] प्रशब्द [उपसर्ग] का और ‘आपच्छुन्दसिन्’ [ वृत्त ] का व्यञ्जकत्व अधिक सूचित होता है । ‘पर्यन्ते यौ तथैव शेष लौपच्छुन्दसिन् सुधीभिरुक्तम्’ यह ‘आपच्छुन्दसिक’ छुन्द का लक्षण है । यहा वस्तु व्यञ्जन द्वारा वह भयानक रस का व्यञ्जक होता है ।

इनमें से पहिला उदाहरण मयूरमट के ‘सूर्यशतक’ से लिया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है —

प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्विपि तमसि समुद्वीक्ष्य वीतावृतीन् द्राक् ,  
जन्तु स्तेन्तु न् यथा यानतनु वितनुते तिग्मरोच्चर्मरीचीन् ॥  
ते सान्द्रीभूय सत्र क्रमविशददशाशादशालीविशालम् ,  
शश्यत् सम्भादयन्तोऽम्बरमभलमल मङ्गल वो दिशन्तु ॥

दूसरे उदाहरण का पूरा श्लोक निम्न प्रकार है :—

मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्त, स्वतुदिग्मामान्यवृत्तानुमाना ।  
योगीश्वरैररप्यसुरोघमीश, त्वा वोदधुमिच्छन्त्युधा कुर्तु ॥

तीसरा ‘य स्वन्ते सदुपानतस्य’ इत्यादि उदाहरण लोचनद्वार ने नहीं दिया है । अतएव वह पाठ प्रामाणिक नहा है । फिर भी कुछ पुस्तकों में पाया जाता है । यरन्तु उसका पूरा पाठ नहा मिलता है ।

निपातो के विषय में भी वैसा ही है । [ अथात् दो तीन निपातों के पृक् साथ प्रयोग [हीने पर भी इसव्यक्ति के अनुरूप होने से कोई दोष नहीं होता ] । जैसे —

ओहो ! तुम यडे सृष्टियवीर्य पराक्रम याले हो ।

इत्यादि में ।

‘अहो चतासि सृष्टियवीर्य’ इत्यादि में क्रम से आश्चर्य और ऐद आदि के बोधक अहो और ‘नन्’ यह दोनों निपात मदन के पराक्रम के अलौकिकत-सच्चन द्वारा रस को प्रकाशित करते हैं अत निरुद्ध हैं । यह उद्धरण ‘कुमारसभम्’ के तृतीय संग से लिया गया है । कामदेव के प्रोत्साहनार्थ इन्द्र की उक्ति है । पूरा श्लोक इस प्रकार है ॥—

यथा वा —

ये जोवन्ति न मान्ति ये स्वपुरुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति ये',  
प्रस्थन्दिप्रमदाश्रव पुलकिता हृष्टे गुणिन्युजिते ।  
हा धिक् कप्रमदो कन यामि शरण तेपा जनाना कृते,  
नीताना प्रलय शठेन विधिना साधुद्विप पुष्यता ॥

इत्यादौ ।

सुरा समभ्यथयितार एते, कार्ये त्रयाणामपि विष्पानाम् ।  
चापेन ते कम, न चातिहिंश्च, अहो वतासि स्पृहणीयबीर्य ॥

—दु० स० ३, २० ।

अथवा [अनेक निपातों के रसानुग्रण सह प्रयोग का दूसरा उदाहरण]  
जैसे —

गुणी नरा की वृद्धि देखकर, जो जीते हैं, जो अपने शरीर में पूले  
महीं समाते, और जो आनन्द से नाचने लगते हैं, जिनके आनन्दाश्रु बहने लगते  
हैं, और जिनका शरीर [आनन्द से] रोमाञ्चित हा उठता है हा धिक्कार है,  
सज्जन पुरुषों के द्वेषियों का पोपण करने वाले हुए दैव ने उनका अव्यन्त  
प्रिनाश कर दिया वह बड़े हुए ख की बात है, उनके [प्राप्त करने के] लिए मैं  
किस की शरण म जाऊ ।

हयादि में —

यहा 'हा धिरु' इस निशतद्वय से गुणियों की अभिवृद्धि से प्रसन्नता  
अनुभव करने वाले महापुरुषों का श्लाघातिशय और दैव की असमीद्यकारिता के  
कारण, निवदातिशय ध्वनित होता है ।

इस स्थल की लोचन टीका का पाठ निर्णयसागरीय और वाराणसीय  
दोनों सरकरणों में भ्रम है । निर्णयसागरीय सरकरण में तो 'हा धिरु' के बाद कुछ  
पाठ छुटे होने का सूचक विदिया दी हुई है । वहाँ का पाठ इस प्रकार ल्यापा  
है । 'हा धिगिति तिशयो निवदातिशयश्च ध्वायते ।' वाराणसीय सरकरण में  
पाठ इस प्रकार ल्यापा है—'श्लाघातिशयो निवदातिशयश्च अहो नतेति हाधिगिति  
च ध्वायते' । यह पाठ भी भ्रम है । इसमें अहो वत यह अश इससे पूर्व क  
उदाहरण 'अहो वतासि स्पृहणा' से सबध रखता है । उस उदाहरण के

पदपैनरुमत्य च व्यञ्जकत्प्रपेक्ष्येव कदाचित् प्रयुज्यमान शोभा  
मावहति । यथा —

यद् वश्चनाहितमतिर्हुचादुगम्भीं ,  
कार्योन्मुख सलनन कृतक ब्रजीति ।  
तत् साधवो न न विदन्ति, विदन्ति किन्तु ,  
कर्तुं वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥  
इत्यादौ ।

नीचे दिए हुए 'इत्यादौ' की व्याख्या में 'अहो वतेति' लिखा गया है। जिसका अभिप्राय यह है कि उस उदाहरण में 'अहो वत' इन दो निपातों का प्रयोग व्यञ्जक है। इस प्रकार सबसे पहिले 'अहो वत पाठ, और उसके अन्त में विहाम चिह्न छापना चाहिये था। उसके बाद 'हा धिगिति च श्लाघातिशयो निवदातिशयश्च भून्यते' यह पाठ देना चाहिये। इस अश का सम्बन्ध प्रकृत उदाहरण से है। अथात् इस उदाहरण में हा और धिन् यह निपात नमश श्लाघातिशय और निवदातिशय को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार सशोधित पाठ इस प्रकार होना चाहिये।

अहो वतेति । हा धिगिति च श्लाघातिशयो निवेदातिशयश्च भून्यते । यह सशोधन दोना सस्तरणों के पाठ की त्रुटिया नो पूर्ण कर देता है।

कुभी कभी व्यञ्जकत्व की दृष्टि से ही प्रयुक्त पदों की पुनरुक्ति भी शोभाननक होती है । जसे —

[दूसरों को] धोया देन वाला [और अपना] काम निकालने वाला हुए पुरुष जो खुशामद की वनायता वारें करता है उसरों सञ्जन पुरुष नहीं समझत यह [वात] नहीं है, दूर समझते हैं किन्तु उसक प्राग्रह को अस्वीकार करन में समर्थ नहीं होते ।

इत्यादि म ।

यहां पहिले 'न न विदन्ति' नहीं जानते हैं ऐसी गात नहीं है अथात् जानते ही हैं। इस नन् द्रव्य की वनोक्ति से 'विदन्ति' इस अर्थ का सूचन किया। और दुवारा पिर साहात् 'विदन्ति' का प्रयोग किया है। यह 'न न विदन्ति' की वनोक्ति, और उससे प्राप्त 'विदन्ति' पद की पुनरुक्ति उनके शानातिशय को अभिव्यक्त करती है।

यहाँ पर 'पदप्रदेश च वाक्यादेरपि यथासुभ्युपलक्षणम्' लिय कर लोचनकार ने पद को वाक्य का भी उपलक्षण माना है। अथात् वाक्य की

कालस्य व्यञ्जकरत्य यथा —

सम विसम णिंग्सेसा समन्तओ मन्दमन्दसआरा ।

अद्वा होहिन्ति पहा मणोरहण पि दुलधा ॥

[ समविषमनिर्विशेषा समन्ततो मन्द मन्दसआरा ।

अचिराद भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुर्लभ्या ॥

—इतिच्छाया

अत्र ह्यचिराद् भविष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन्  
पदे प्रत्यय कालविशेषाभिधायी रसपरिपोषहेतु प्रकाशते । अय हि  
गाथार्थं प्रवासविग्रलमभृज्ञारविभावतया विभाव्यमानो रसगान् ।

पुनर्वत्ति भी व्यञ्जक होती है । इसका उदाहरण 'र नावली' नाटक का निम्न  
श्लोक दिया है —

द्वीपादन्यस्मादपि, मय दाप नलनियेदिशाऽप्य तात् ।

आनीय भृगिति घण्यते विधिरभिमतमभिमुखाभूत ॥

क एवैः । द्वीपादन्यस्मादपि इत्यादि ।

यहा इस श्लोक की आवृत्ति इष्ट लाभ की अवश्यग्माप्तिके दर्शन  
वरती है ।

काल का व्यञ्जकरत्य [वा उदाहरण] नैस —

[ वयोऽकाल म सब रास्तों में पानी भर जाने स ] सम विषम [ ऊच  
रास्ते ] को गिरोपता से रहित, से घर्यन्त मन्द सधार सुख [ घायन् न्यून  
सहया और मादगति के सधार युक्त ] सार मार्गं शीघ्र ही मनारथ स भा  
ग्यमय हो जावेग ।

यथात्र प्रत्ययांशो व्यञ्जकस्थथा क्वचित् प्रकृत्यांशोऽपि दृश्यते ।  
यथा :—

तद् गेहं न तमिति, मन्दिरमिदं लघावकाशं दिवः ,  
सा धेनुर्जरती, चरन्ति करिणामेता घनाभा घटाः ।

स उद्ग्री मुसलध्वनिः, कलमिदं सङ्गीतकं योपिता-

मारचर्यं दिवसैद्विंजोऽयमियती भूमि समारोपितः ॥

अत्र इलोके 'दिवसै' रित्यस्मिन् पदे प्रकृत्यांशोऽपि द्योतकः ।

सर्वनाम्नां च व्यञ्जकत्वं यथानन्तरोकते । इलोके । अत्र च  
सर्वनाम्नामेव व्यञ्जकत्वं हृदि व्यवस्थाप्य कविना क्वेत्यादि शब्दप्रयोगो  
न कृतः ।

जैसे यहा प्रत्यय अश व्यञ्जक है ऐसे ही प्रकृति भाग भी [व्यञ्जक  
रूप में] देखा जाता है । जैसे :—

[कहा] वह टूटी-फूटी दीवारों का घर, और [कहां आज] यह आकाश-  
चुम्बी महल, [कहां इसकी] वह बुढ़िया गाय [और कहां आज] ये मेघों के  
समान [काली-काली और ऊंची] हायियों की पंक्तियां फूम रही हैं । [कहां]  
वह मूसल की छुद ध्वनि, और [कहां आज सुनाई देने वाला] यह सुन्दरियों  
का मनोहर सङ्गीत । आरचर्य है इन [थोड़े से] दिनों में ही इस [दरिद्र]  
प्राणीय [सुदामा] की इतनी अच्छी हालत होगई ।

इस इलोक में 'दिवसै' इस पदमें प्रकृत्यांश [दिवस शब्द] भी [इस  
प्रतिपादित अर्थ की अत्यन्त असम्भाष्यमानता का] अभिव्यञ्जक है ।

सर्वनाम भी अभिव्यञ्जक होते हैं जैसे अभी कहे गए [तद् गेहं]  
इलोक में । यहां सर्वनामों के व्यञ्जकत्व की मन में रख कर ही कवि ने 'कव'

इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया है ।  
यहा 'तद् गेह न तमिति' में तत् यह सर्वनाम 'न तमिति' के प्रकृत्यशके साथ  
मिलकर घर की अत्यन्त दरिद्रता का सूचक, मूपकाचासीर्ण दुर्दशा को व्यक्त करता  
है । यहा केवल 'तत्' सर्वनाम ही व्यञ्जक नहीं है । क्योंकि अवैले सर्वनाम से  
तो घर का उत्कर्ष भी प्रकट हो सकता था । परन्तु 'न तमिति' के सदकार से  
वह, घर की हीन अवस्था का अभिव्यञ्जक होता है । इसी प्रकार 'सा धेनुर्जरती'

अनया दिशा सहदयैरन्येऽपि व्यञ्जकुर्विशेषा स्वयमुल्प्रेक्षणीया ।  
एतच्च सर्वं पदनाम्यरचनाद्योतनोक्त्यैर् गतार्थमपि वैचियेण ० युत्पत्तये  
पुनरुक्तम् ।

ननु<sup>१</sup> चार्यसामर्थ्याचेष्ट्या रसादय इत्युस्त, तथा च सुनादीना  
व्यञ्जकुर्वयैचियकथनमनितमेव ।  
उक्तमप्त एवाना व्यञ्जकोक्त्यवसरे ।

इत्याद में भी प्रमुख शब्द सहस्र सर्वनाम को ही अवक मानना चाहिए । केवल सर्वनाम को नहा । यहा 'तत्' शब्द अनुभूताथस्मारक वेन व्यञ्जक है । इसलिए क्रमश स्मृति और अनुभव के सूचक 'तत्' और 'इद' शब्द के द्वारा स्मृति और अनुभव की अवन्त विशद विषयता के सूचन स आशर्चर्य का उद्दीपक प्रतीत होता है । 'तत्' और 'इद' शब्द के अभाव में यह विशेष अर्थ प्रतीत नहा हो सकता है इसलिए वे सर्वनाम पद ही प्रधानतया व्यञ्जक हैं ।

इसी प्रकार से अन्य व्यञ्जकों को भी सहदय पुरुप स्वय समझ लें । यह सब [ सुप , तिन् आदि की व्यञ्जकता जो १६ वीं कारिका में कही है, दूसरी कारिका में कहे हुए ] पद वाच्य रचना आदि की घोटनाकि से ही गतार्थ हो सकता है फिर भी भिन्न प्रकार स व्युत्पत्ति [ ज्ञानगृहि या तुदि वैशय ] के लिए ही दुवारा कहा है ।

[ प्रश्न ] अर्थ की सामर्थ्य स ही रसादि का आज्ञप हो सकता है यह पहले कहा जा चुका है । उस दशा में [ केवल सुव्यादि के वाचक न होने से ] सुव्यादि का नानाप्रकार से व्यञ्जकत्व वर्णन करना असहज हो है ।

[ उत्तर ] पदों की व्यञ्जकता के प्रतिपादन के अवसर पर इस विषय में [ उत्तर ] कह चुके हैं ।

पृष्ठ २२२ पर इसका यह उत्तर दे चुके हैं कि व्यनि व्यवहार में वाचक व प्रयोगक नहा है आपनु व्यञ्जकत्व प्रयोजक है । पदों की व्यञ्जकता के प्रसङ्ग में यह यहाँ उत्तराइ थी कि पद तो केवल अथस्मारक हैं वाचक नहा तम अव चक पदों स व्यञ्जक की प्रतीति वैस होगी । वहा उसका समाधान यह किया था कि व्यञ्जकता का प्रयोजक वाच्यता न हो इसलिए अवाचक पदों में भी व्यञ्जकता रहने में कोइ वाधा नहीं है । इस प्रकार एक बार इस विषय का निष्पय हो चुका था परन्तु विशेष महत्वपूर्ण बात होने के कारण उसको स्थूलानिगमन वाय स दृढ करने के लिए फिर दुगाय यहा कहा है ।

किञ्च, अर्थविशेषात्प्रत्यत्वेऽपि रसादीनां तेपार्मर्थविशेषाणां  
व्यञ्जकशब्दविनाभावित्याद् यथा प्रदर्शितं व्यञ्जकस्वरूपपरिज्ञानं  
विभज्योपयुज्यत एव । शब्दविशेषाणां चान्यत्र<sup>१</sup> च चारुत्वं यद्  
विभागेनोपदर्शितं तदपि तेपां व्यञ्जकत्वेनैवावस्थितमित्यवगमन्तव्यम् ।

यत्रापि तत् सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जके रचनान्तरे  
यद् हृष्टं सौष्ठुदं तेपां प्रवाहप्रतितानां, तदेवाभ्यासादपोद्धृतानामप्य-  
वभासत इत्यवसातव्यम्<sup>३</sup> । कोऽन्यथा तुल्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुत्व-  
विपयो विशेषः स्यात् ।

साथ ही [ यह डेतु भी है ] अर्थ विशेष से ही रस की अभिभ्यक्ति  
मानने पर भी, उनकी अर्थ विशेष के व्यञ्जक शब्दों के विना प्रतीति नहीं हो  
सकती है । अतएव जैसा कि दियाया गया है [ उस प्रकार ] व्यञ्जक के स्वरूप  
का अलग-अलग करके ज्ञान [ रसादि की प्रतीति में ] उपयोगी है ही । और  
अन्यत्र [ भामहविवरण में भट्टोद्धारण में ] शब्दविशेषों का जो चारुत्व अलग अलग  
प्रदर्शित किया है वह भी उनके अर्थव्यञ्जकत्व के कारण ही अपवस्थित होता  
है यह समझना चाहिए ।

और जहाँ [ जिस शब्द में ] वह [ चारुत्व ] इस समय [ शृङ्खारादि अपवस्थितिक  
स्थल में प्रयोग काल में ] प्रतीत नहीं होता वहाँ [ उस शब्द में ] भी व्यञ्जक  
दूसरी रचना में समुदाय में प्रयुक्त उन शब्दों का जो सौष्ठुद [ चारुत्व ] देखा  
था उन शब्दों के उस [ व्यञ्जक ] समुदाय से अलग हो जाने पर भी  
अभ्यासवश वह चारुत्व प्रतीत होता रहता है यह समझना चाहिये ।  
अन्यथा [ सभी शब्दों में ] वाचकत्व के समानरूप होने से [ विन्दी विशेष  
शब्दों में ] चारुत्व विषयक भेद दहाँ से आरेगा ।

वर् चन्दनादि शब्द शृङ्खार रस में चारुत्व व्यञ्जक होते हैं परन्तु यीभत्स  
आदि में वही अचारुत्व व्यञ्जक होते हैं । इस लिए यीभत्सादि रसों में प्रयुक्त  
होने पर यह सर् चन्दनादि शब्द शृङ्खारादि के समान चारुत्व के व्यञ्जक नहीं  
होते । मिर भी अनेक बार सुन्दर अर्थ के प्रतिशब्दन से अधिग्रासित होने के कारण  
उनमें उस अर्थ को अभिभ्यक्त करने की सामर्थ्य माननी ही चाहिए यही चारुत्व-  
व्यञ्जक शब्दों का अन्य शब्दों से भेद है ।

१. तत्रान्यत्र च नि० दो० । २. न तत् प्रतिभासते नि०, दो० ।

<sup>३</sup> इत्यवस्थातव्यम् नि०, दो० ।

अन्य एवासौ सहदयसंवेद्य इति चेन्, किमिद महदयत्वं नाम । किं रसभावानपेत्तकाव्याधितसमयविशेषाभिहृत्वम् उत रसभावादिमयकाव्यस्वरूपपरिज्ञानैपुण्यम् । पूर्वस्मिन् पञ्चे तथाविधसहदयव्यवस्थापितानां शब्दविशेषाणां चारुतनियमो न स्यात् । पुनः समयान्तरे राज्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात् । द्वितीयस्मिन्स्तु पञ्चे रसज्ञतैव सहदयत्वमिति । तथाविधैः सहदयैः संवेद्यो रसादिसमर्पणसामर्थ्यमेव नैसंगिर्कं शब्दानां विशेष इति व्यञ्जकत्वाश्रव्येव<sup>१</sup> तेऽपां मुख्यं चारुत्वम् । याचकत्वाश्रयाणान्तु<sup>२</sup> प्रसाद एवार्थपैक्ष्या तेषां विशेषः । अथानपेत्तायां<sup>३</sup> त्वनुप्रासादिरेव ॥१६॥

यदि यह कहे कि [ शब्दों के चारुविशेष का नियामन ] सहदयसंवेष कोई अन्य ही [ निशेषता ] है । तो [ यह पूछना चाहिए कि ] यह सहदयत्व [ आपके मत में ] क्या है । १. क्या रस भाव की अपेक्षा के बिना ही काव्याधित सहदेत विशेष का ज्ञान रखना ही सहदयत्व है ? अथवा रसभावमय काव्य के स्वरूप परिज्ञान की कुशलता [ सहदयत्व है ] ? यदि पहिला पञ्च मानें तो इस प्रकार के सहदयों द्वारा निर्धारित शब्द विशेषों के चारुत्व का नियम नहीं दर सहता क्योंकि [ दूसरी बार अन्य प्रकार से ही उन शब्दों का सहदेत किया जा सकता है । [ इसलिए पहिला पञ्च ठीक नहीं है ] ।

दूसरे [ 'रसभावादिमय-काव्य-स्वरूप परिज्ञान तैपुण्यमेव सहदयत्वम्' इत ] पञ्च में रसज्ञता का नाम ही सहदयत्व हुआ । इस प्रकार के सहदयों से मंधेष्ठ [ शब्दविशेषों के चारुत्व का नियामन ] शब्दों की रस समर्पण [ रसाभिव्यक्ति ] वी स्वाभाविक सामर्थ्य ही शब्दों की [ चारुत्वोत्तम वी नियामक ] विशेषता है । इसलिए मुख्यतया व्यञ्जकत्व [ शक्ति ] के अधित ही शब्दों दा चारुत्व [ निर्धारित होता ] है ।

याचकरात्रय [ चारुत्व हेतु ] उन [ शब्दों ] के अर्थ को अपेक्षा होने पर प्रसाद [ गुण ] ही उनका भेदक है । और अर्थ की अपेक्षा न होने पर अनुभासादि ही [ अन्य साधारण शब्दों से विशेष भेदक है । ]

अर्थात् जौँ व्यञ्जक शब्द का उपयोग नहीं होता वेदत वाचन शब्द से

१. व्यञ्जकरात्रय एव निः ३० । २. याचकत्वार्थपत्तु निः ३० ।  
३. अर्थपैक्षाणी निः, अर्थां (म) पैक्षाणी ही ।

एवं रसादीना व्यञ्जकस्वरूपमभिधाय तेपामेव विरोधितं  
लक्षयितुमिदमुपद्रम्यते—

 प्रवन्धे मुक्तके वापि रसादीन् वन्दधुमिच्छता ।  
यत्नः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम् ॥१७॥

प्रवन्धे मुक्तके वापि रसभावनिवन्धन प्रत्याहतमनाः कविविरोधि  
परिहारे पर्य यत्नमादधीत । अन्यथा त्वस्य रसमय श्लोक एकोऽपि  
सम्यद् न सम्पद्यते ॥१७॥

ही चारुत्व प्रतीत होता है वहा चारुत्व के बोधक शब्दों में अन्य शब्दों से जो  
विशेषता होती है वह वाचक के आश्रित ही रहती है । और उसके भी दो रूप  
होते हैं । एक जहा केवल शब्दनिष्ठ चारुता की प्रतीति हो और उस में अर्थ  
शान की कोई आवश्यकता न हो ऐसे शब्दनिष्ठ चारुता योतक शब्दों का अन्य  
शब्द से भेद करने वाला विशेष धर्म अनुप्राप्तादि शब्दालङ्कार हैं । और जहा  
चारुत्व प्रतीति में अर्थज्ञान की सहायता भी, अपेक्षित होती है वहा 'प्रसाद गुण'  
चारुता योतक शब्दों को अन्य शब्दों से भिन्न करता है ।

इस प्रकार सुगादि के वाचक न होने पर भी यह रस के अभिव्यञ्जक हो  
सकते हैं क्योंकि वाचक शब्द उनकी सहायता से ही अपना अर्थ बोध कर सकते  
हैं । अतः व्यञ्जय अर्थ के व्यञ्जक शब्द से अविनाभूत होने के बारण, और  
प्रातिपदिक के सुवादि सहयोग से ही अर्थ बोधक होने से सुवादि भी रसादि के  
अभिव्यञ्जक होते हैं इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हुआ ॥१६॥

इस प्रकार रसादि के अभिव्यञ्जकों के स्वरूप का प्रतिपादन कर के  
[ अव ] उन्हीं [ रसादि ] के विरोधियों का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए  
यह [ अगला प्रारण ] प्रारम्भ करते हैं ।

प्रथन्ध काव्य अथवा मुक्तक [ काव्य ] में रसादि के निवन्धन की  
इच्छा रखने वाले बुद्धिमान् [ कवि ] को [ रस के ] विरोधियों के परिहार के  
लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

प्रथन्ध [ काव्य ] अपग्र मुक्तक [ काव्य ] में रसवन्ध के लिए

कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिदृष्टव्यानी-  
त्युच्यते :—

विरोधिरससम्बन्धविभावादिपरिग्रहः ।

विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम् ॥१८॥

अकाएड एव पिञ्चित्तिरकाएडे च प्रकाशनम् ।

परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम् ।

रसस्य स्याद् विरोधाय वृत्यनौचित्यमेव च ॥१९॥

समुसुक करि, विरोधियों के परिहार के लिए पूर्ण प्रयत्न करे । अन्यथा उसका एक भी इकोक रसमय नहीं हो सकता है ॥१७॥

रस के विरोधी पाच प्रभार के होते हैं । कारिका के आधे आधे भाग में एक-एक वा वर्णन किया गया है । इस प्रभार यह ढाई कारिका इस विषय की होती है । परन्तु सख्या देते समय इन पर १८ तथा १९ दो ही कारिकाओं की सख्या दी गई है । जिससे १९ कारिका का कलेश तीन पक्कि का हो गया है । एक विषय से सम्बद्ध होने से और आगे की कारिकाओं में गढ़न का न हो इस लिए यह सख्या प्रम रखा गया है । अन्य उन सत्तरणों में ऐसा ही प्रम है ।

[ रसादि के ] यदि विरोधी जिनको यत्नपूर्वक करि को बचाना चाहिए फैन से है, यह बहलाते हैं ।

१. विरोधी रस के सम्बन्धी विभावादि का महण कर लेना ।

२. [ रस से ] सम्बद्ध होने पर भी अन्य वस्तु का अधिक रिस्तार से यद्यन करना ।

३. असमय में रस को समाप्त कर देना अथवा अनेत्रमर में उमड़ा प्रकाशन करना ।

४. [ रस का ] एवं परिपोषण हो जाने पर भी बार-धार उग्रता उत्तीर्ण करना ।

५. और प्रश्वार-का अन्वेषण ।

[ ये पाँचों ] रस के निरोपकारी होते हैं ।

प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां विभावभावानुभावाना परिप्रहो रसविरोधहेतुकः<sup>१</sup> सम्भावनीयः ।

तत्र विरोधिरसविभावपरिप्रहो यथा, शान्तरसविभावेषु तद्-विभावतयैव निरुपितेष्वनन्तरमेव शृङ्गारादिविभाववर्णने<sup>२</sup> ।

विरोधिरसभावपरिप्रहो यथा प्रियं प्रति प्रणयकलहकुपितासु कामिनोपु वैराग्यकथाभिरनुनये ।

विरोधिरसानुभावपरिप्रहो यथा प्रणयकुपितायां प्रियायामप्रसी-दन्त्यां नायकस्य कोपावेशविवशस्य रौद्रानुभाववर्णने ।

रसों का विरोध तीन प्रकार से होता है । किन्हीं का आलम्बन ऐक्य में, किन्हीं का आश्रय ऐक्य में और किन्हीं का नैरन्तर्य से ।

वीर और शृङ्गार का, हास्य, रौद्र और वीभत्स के साथ सम्बोगशृङ्गार का, और वीर, करण तथा रौद्रादि के साथ विप्रलभ्म शृङ्गार का विरोध आलम्बन ऐक्य से ही होता है ।

२. आश्रय ऐक्य से वीर और भयानक का तथा

३. नैरन्तर्य तथा विभाव ऐक्य से शान्त और शृङ्गार का विरोध होता है ।

प्रस्तुत रस की इष्टि से जो विरोधी रस हो उससे सम्बन्ध रखने वाले विभाव, अनुभाव तथा स्यभिचारी भावों का वर्णन [सब से पहिला] रसविरोधी हेतु समझना चाहिए ।

अ. उनमें विरोधी रस के विभाव परिप्रह [का उदाहरण] जैसे शान्तरस के विभावों का उसके विभाव रूप में ही वर्णन करने के बाद तुरन्त ही शृङ्गार के विभाव का वर्णन करने लगना । [शान्त और शृङ्गार का नैरन्तर्येण विरोध होने से पेसा वर्णन दोगाधार्यक है ।]

ब. विरोधी में रस के भाव [स्यभिचारी भाव] के परिप्रह [का उदाहरण] जैसे, प्रिय के प्रति प्रणय-कलह में कुपित कामिनियों के वैराग्य चर्चा द्वारा अनुभव वर्णन में ।

स. विरोधी रस के अनुभाव के परिप्रह [का उदाहरण] जैसे प्रणय-

अर्थं चान्यो रसभन्नहेतुर्यत् प्रस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोऽन्यस्य  
कथश्चिदन्वितस्यापि विस्तरेण कथनम् । यथा विप्रलभ्मशृङ्खारे  
नायकस्य कस्यचिद् वर्णयितुमुपकान्ते', कवेर्यमकाश्यलङ्घारनिवन्धन-  
रसिकृतया महता प्रनन्धेन पर्वतादिवर्णने ।

कलह में कुपित मातिनी के प्रसन्न न होने पर कोपाविष्ट नायक के रौद्रानुभावों  
का वर्णन करना ।

यहा भाव शब्द से व्यभिचारी भाव का ही प्रहण करना चाहिये,  
स्थायीभाव का नहा क्योंकि पूर्व स्थायीभाव का विच्छेद हुए तिना विरोधी स्थायी-  
भाव का उदय समर ही नहीं है । इसलिये 'भाव' शब्द को सामान्यवाचक होते हुए  
भी यहा व्यभिचारीभाव परक ही समझना चाहिये ।

इस प्रकार का उदाहरण यह है —

प्रसादे वर्तस्य, प्रकट्य मुद, सन्त्यज रूप,  
प्रिये शुद्धन्त्यङ्गान्यमृतमित ते सिद्धातु वच ।  
निधान सौख्याना क्षणमभिमुत्त स्थापय मुख,  
न मुखे प्रत्येतु प्रभवति गत कालदरिण ॥

प्रसन्न हो जाओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध को छोड़ दो । प्रिये  
मेरे अङ्ग से जा रहे हैं, उन पर अपने वचनामृत की वर्णा करो । समस्त सुखों  
के आधार स्वरूप अपने मुख को ज्ञान सामने करो । अगि सरले ! काल रूप हरिण  
एक बार चले जाने पर फिर नहीं लौट सकता ।

इस प्रकार वैराग्य कथा से प्रणय कलह-कुपित कामिनी का अनुनय शृङ्खार  
विरोधी होने से परित्याज्य है । क्योंकि वैराग्य कथा से तल्लान हो जाने पर तो मिर  
शृङ्खार में अनुत्तीर्णी नहीं हो-सकती-अतएव वह हैव है ।

—पद [दूसरा] रसभन्न का हेतु और है कि, प्रस्तुत रूप से किसी प्रभार  
सम्बद्ध हान पर भी [रूप से भिन्न] किमी अन्य वस्तु का विस्तार पूर्वक  
वर्णन । जैसे किसी नायक के विप्रलभ्म शृङ्खार का वर्णन प्रारम्भ कर कवि का  
यन्त्रादि रथना के अनुराग से अन्यन्त विस्तार के साथ वर्ततादि का वर्णन  
करने लगता । [जैसे 'किरातातु नौय' [काल्य] में सुराङ्गापिलामादि । अथवा  
हयप्रीय वथ में हयप्रीय का अति विस्तृत वर्णन ।]

अयं चापरो रसभङ्गहेतुरवगन्तव्यो यद्काण्ड एव विच्छिन्ती  
रसस्याकाण्ड एव च प्रकाशनम् ।

तत्रानवसरे विरामो यथा नायकस्य कस्यचित् सृष्टिर्णीयसमागमया  
नायिकया क्वचित् परां परिपोपदबीं प्राप्ते शृङ्खारे, विदिते च  
परस्परानुरागे, समागमोपायचिन्तोचितं व्यवहारमुत्सृज्य स्वतन्त्रतया  
व्यापारान्तरवर्णने ।

अनवसरे च प्रकाशनं रसस्य यथा प्रवृत्ते \*प्रवृद्धविविध-  
वीरसंक्षये कल्पसक्षयरूपे सम्रामे “रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायम्-  
स्यानुपकान्तविप्रलभ्मशृङ्खारस्य निमित्तमुचितमन्तरेणैव शृङ्खारकथाया-  
यमदतारवर्णने ।

नचैवविधे विषये दैवव्यामोहितत्वं कथापुरपस्य परिहारो,

३. अकाण्ड [ अनवसर ] में रस को विच्छिन्न कर देना अथवा  
अनवसर में ही उसका विस्तार [ वरने लगना ] यह भी और [ तीसरा ] रसभङ्ग  
का हेतु है ।

अ. उसमें अकाण्ड में विराम [ का उदाहरण ] जैसे इसी नायक का  
जिसके साथ समागम उसको अभीष्ट है ऐसी नायिका के साथ [ इसी प्रकार ]  
शृङ्खार [ रति ] के परिणुष हो जाने और [ उनके ] परस्पर अनुराग का पता  
लग जाने पर उनके समागम के उपाय के चिन्तन योग्य व्यापार को छोड़ कर  
स्वतन्त्र रूप से इसी अन्य व्यापार का वर्णन करने लगना । [ जैसे ‘रसावली’  
[ नाटिक ] में ‘वाश्रध्य’ के आने पर सागरिका थी विस्तृति । ]

ब. अनवसर में रस के प्रकाशन [ का उदाहरण ] जैसे नाना वीरों के  
विनाशक कल्प प्रलय के सुमान भीषण संमाम के प्रारम्भ हो जाने पर विश्वलभ्म  
शृङ्खार के प्रसङ्ग के बिना और बिना किसी उचित कारण के रामचन्द्र सरीखे  
देवपुरप का भी शृङ्खार कथा में पढ़ जान का वर्णन करने में [ भी रसभङ्ग होठा  
है जैसे - बेलीमंहार के द्वितीय अङ्क में महाभारत का सुषु ग्राम्भ हो जाने पर  
भी भानुमती और दुर्योधन के शृङ्खार वर्णन में । ]

इस प्रकार के विषय में [ यहा दुर्योधन ने दैववश व्यामोह में पढ़ कर  
वह सब कुछ किया इस प्रकार ] कथा नायक के दैवी व्यामोह से उस दोष का

१. विच्छिन्ति दा० प्रि० । २. प्रयनम् नि०, दी० । ३. रसस्य नि० में  
नहीं है । ४. प्रदृत दा० प्रि० । ५. दैवप्रायस्य नि०, दी० ।

यतो रसवन्ध एव कवे: प्राधान्येन 'प्रदृष्टिनिवन्धनं युक्तम् । इतिष्वृत्त-  
चर्णनं तदुपाय एवेत्युक्तं प्राक् "आलोकार्थी यथा दीपशिखायां  
यत्त्वान् जनः" इत्यादिना ।

अत एव चेतिष्वृत्तमाववर्णनप्राधान्येऽज्ञाङ्गिभावरदितरसभाव-  
निवन्धेन च कवीनामेवंविधानि स्वलितानि भवन्तीति रसादिरूप-  
व्यञ्जयतात्पर्यमेवैपां युक्तमिति यत्त्वोऽस्माभिरारब्दो न ध्वनिप्रति-  
पादनमात्राभिनिवेशेन ।

पुनश्चायमन्यो रसभङ्गहेतुरवधारणीयो यत् परिपोवं गतस्यापि  
रसस्य पौनःपुन्येन दीपनम् । उपसुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलव्यपरिपोपः  
पुनः पुनः परामृश्यमाणः परिस्लानकुसुमकल्पः कल्पते ।

तथावृत्तेव्यवहारस्य यदनौचित्वं तदपि रसभङ्गहेतुरेव । यथा  
नायकं प्रति नायिकायाः कस्याश्चिदुचितां 'भङ्गिमन्तरेण स्वयं  
सम्भोगाभिलापकथने ।

परिहार नहीं हो सकता है क्योंकि रस वन्धन ही विकी प्रदृष्टि का मुख्य कारण  
है और इतिहास वर्णन तो उसका उपाय मात्र ही है । यह यात "आलोकार्थी  
यथा दीपशिखायां यत्त्वान् जनः" इत्यादि से [ प्रथम उद्घोत की नवम कारिका  
में ] पहिले ही [ ४० ५० पर ] कह दुके हैं ।

इसलिए केवल इतिहास के वर्णन का प्राथम्य होने पर अहं और  
अहो भाव का विचार किए धिना ही रस और भाव का निवन्धन करने से करियों  
से इस प्रकार के [ सब ] दोष हो जाते हैं अतः रसादिरूप व्यञ्जय तथारथ ही  
उनके लिए उचित है इसी दृष्टि से हमने यह [ ध्वनि-निरूपण का ] यत्त्व प्राप्त  
किया है केवल ध्वनि के प्रतिपादन के आग्रह के बारत्य ही नहीं ।

४. फिर यह [ चीथा ] और रसभङ्ग का हेतु समझना चाहिए कि  
रस के परिपुष्टि को प्राप्त हो जाने पर भी यार-यार उहोस बरना ।  
अपनी [ विभावादि ] सामग्री से परिपुष्ट और उपसुक्त रस यार-यार इपनं  
करने से मुराक्काए हुए शूल के समान ग़लिन हो जाता है ।

५. और [ पांचवा ] ध्वनहार का जो अनौचित्य है यदि भी रसभङ्ग का  
ही हेतु द्वोता है । जैसे नायक के प्रति किसी नायिका का उचित हाथ भार

यदि वा वृत्तीना भरतप्रसिद्धानां केशिक्यादीनां काव्यालङ्कारान्तर-  
प्रसिद्धानामुपनागरिकाद्याना वा यदनौचित्यमविपये निवन्धनं तदपि  
रसभङ्गहेतु ।

के गिना स्थय [ शब्दत ] सम्भोगाभिज्ञाप कहने मे [ व्यवहार का अनौचित्य  
हो जाने से रसभङ्ग होता है । ]

अथवा भरत प्रसिद्ध कैशिकी आदि वृत्तियों का अथवा दूसरे [ भामह  
कृत ] काव्यालङ्कार [ और उस पर भट्टोदटहृत 'भामह विवरण' ] में प्रसिद्ध  
उपनागरिका आदि वृत्तियों का जो अनौचित्य अर्थात् अविषय में निवन्धन है  
वह भी रसभङ्ग का [ पाचन ] हेतु है ।

भरत के नाम्य शास्त्र में कैशिकी, सात्वती, भारती तथा आरभटी चार  
वृत्तियों का वर्णन किया गया है । उनके लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं—

कैशिकीलक्षणम् ।—

या श्लेष्णनेपथ्यविशेषचिन्ना, स्त्रीसुता या वहुनृत्यगीता ।  
कामोपभोगप्रभवोपचारा, ताँ कैशिकीं वृत्तिमुदाहरन्ति ॥

सात्वतीलक्षणम् ।—

या सत्वनेनैह गुणेन युजा, न्यायेन वृत्तेन समन्विता च ।  
हपोत्कटा सहृतशोरभावा, सा सात्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥

भारतीलक्षणम् ।—

या वारू प्रधाना पुरुषप्रयोजया, स्त्रीवर्जिता सस्कृतवाक्ययुजा ।  
स्वनामधेयैर्भरतै प्रयुजा, सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥

आरभटीलक्षणम् शङ्खारतिलङ्घे :—

या चित्रयुद्भ्रमशस्त्रपातमायेन्द्रजालप्लुतिलङ्घितादया ।  
ओऽविगुर्यंकरपन्धगाढा हेया वृष्णे. सारभटीति वृत्तिः ॥

इनकी उत्तरति भरत मुनि ने चारों वेदों से इस प्रकार बताई है :—

शून्येदात् भारती वृत्तिः, यतुवेदात्तु सात्वती ।

कैशिकी सामयेदाच्च, शेषा चार्थर्यणी तथा ॥

इन वृत्तियों के अनुचित प्रयोग से अथवा भट्टोदट प्रतिषादित उत्तर  
नागरिका आदि वृत्तियों—जिनका कि वर्णन हम फौदे पृष्ठ २५१ पर कर चुके  
हैं—के अनुचित प्रयोग से भी रसभङ्ग होता है यह आगे बढ़ते हैं ।

एवमेषां रसविरोधिनामन्येपाञ्चानया दिशा स्वयमुत्प्रेरितानां  
परिहारे सल्कविभिरवहितैर्भवितव्यम् । परिकरदलोकारचान् ।

मुख्या व्यापारविषया, सुक्खीनां<sup>१</sup> रसाद्यः ।  
तेषा निवन्धने भाव्यं तै, सदैवाप्रमादिभि, ॥  
नीरसस्तु प्रवन्धो य, सोऽपशब्दो महान् क्वये, ।  
स तेनाकविरेव स्यादन्येनासमृतलक्षणं, ॥  
पूर्वे विश्वद्वलगिरः कवयः प्रापकीर्तय ।  
तान् समाधित्य न त्यज्या नीतिरेपा मनीषिणा ॥  
वाल्मीकिव्यासमुख्यारच ये प्ररथाता, कवीश्वरा, ।  
तटभिप्रायनाहोऽय नास्माभिर्दर्शितो नय ॥ इति ॥१६॥

इस प्रकार इन रसविरोधियों [ पाचों हेतुओं ] का और इसी मार्ग से स्वयं उत्प्रेरित अन्य रसभद्र हेतुओं का परिहार करने में सल्कवियों को सापेधान रहना चाहिए । इस विषय के संमह श्लोक [ इस प्रकार ] है—

१. सुक्खियों के व्यापार के मुख्य विषय रसादि है उनके निवन्धन में उन सल्कवियों को सदैव प्रमाद रहित [ जागरूक ] रहना चाहिए ।

२. कवि का जो नीरस काष्य है वह [ उसके लिए ] महान् अपराह्न है । उस नीरस काष्य से वह कवि हो नहीं रहता । [ कविस्प में ] कोई उसका नाम भी याद नहीं करता ।

महामास्य में व्याकरण शास्त्र के प्रयोगों का प्रतिपादन करते हुए महर्षि पतञ्जलि ने 'तेऽमुख' प्रतीक से अपराह्न से वचन भी एक प्रयोगन यतलाया है । 'तेऽमुख देलयो हेलय इति दुर्वृत्त परामूख' । तस्माद् ब्राह्मणेन न भेद्यतये नास्माधितये । भेद्यतो ह वा एव वदपराह्नः । भेद्या मा भूमेय-ध्येय व्याकरणम् ।' म० मा० परमरात्रिदृ । जिस प्रकार वैयाकरण के लिए अपराह्न का प्रयोग भेद्यताग्रहक होने से अत्यन्त परिवर्जनीय है इसी प्रकार कवि के लिए नीरस काष्य भी रचना अपराह्न सदृश होने से अत्यन्त गर्हित है । यह भाष्य यहाँ 'गोऽपाहृतो महान् क्वये' से अभिन्न होता है ।

३. [इन विषमों का उल्लंघन करने वाले] स्वराह्नद रथना करने वाले जो भूर्वृत्ति प्रसिद्ध हो गए हैं उनके [उदाहरण की] सेवर तुष्टिमान [नगरवि] को यह नीति नहीं लोडनी चाहिए ।

विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम् ।

वाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला ॥२०॥

स्वसामग्र्या<sup>१</sup> लब्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिना, विरोधि-  
रसाङ्गाना, वाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्ताना सतामुक्तिरदोषः<sup>२</sup> । वाध्यत्वं  
हि विरोधिना शम्याभिभवत्वे सति, नान्यथा । <sup>३</sup>तथा च तेपामुक्तिः  
प्रस्तुतरसपरिपोषायैव सम्पद्यते ।

४. [ वयोंकि ] वाल्मीकि व्यास इत्यादि जो प्रसिद्ध कवीश्वर हुए हैं उनके अभिग्राय के विस्तृत हमने यह नीति निर्धारित नहीं की है ।

अपितु ये नियम सर्वथा उनके अभिग्राय के अनुकूल ही हैं । इसलिए  
यदि कोई पूर्व कवि स्वच्छन्द रचना कर के भी प्रसिद्ध हो गए हैं तो कवि  
बनने के इच्छुक नवकवि को उनकी इस स्वच्छन्दता का अनुकरण नहीं करना  
चाहिए ॥१६॥

इस प्रकार सामान्यत विरोधियों के परिहार का निरूपण करके उस  
नियम के अपवाद रूप जहा विरोधियों का साथ साथ वर्णन भी हो सकता है  
उन स्थितियों का निरूपण करते हैं—

विवक्षित [प्रधान] रस के परिपुष्ट [लब्धप्रतिष्ठ—सुस्थिर] हो जाने पर  
तो [१] वाध्य रूप अधया [२] अङ्गरूपता को प्राप्त विरोधियों का कथन दोष  
रद्दित है ।

प्रधान रस के अपनी [विभावादि] सामग्री के आधार पर परिपुष्ट हो जाने पर  
पर विरोधियों [अर्थात्] विरोधी रस के अङ्गों वा, [१] वाध्य अथवा [२] अङ्ग-  
भाव को प्राप्त रूप में वर्णन करने में कोई दोष नहीं है । [वयोंकि] विरोधियों  
[विरोधी रसाङ्गों] का वाध्यत्व उनका अभिभव सम्भव होने पर ही हो सकता  
है अन्यथा नहीं । अतएव उनका [वाध्य रूप] वर्णन प्रस्तुत रस का परिपोषक  
हो होता है । [इसलिए विस्तृत रसों के अङ्ग भी प्रहृत रस से अभिभूत  
अर्थात् वाधित होकर उस विवक्षित [प्रधान]। रस के परिपोषक ही हो जाते हैं  
अत ऐसी दशा में उनका वर्णन करने में कोई द्वानि नहीं है ।]

अङ्गभाव को प्राप्त हो जाने पर तो विरोध ही समाप्त हो जाता है ।  
[इसलिए अङ्गभाव को प्राप्त विरोधी रस के वर्णन में भी कोई द्वानि नहीं है ।]

१. स्वसामग्रो नि० दी० । २. अदोषा नि०, निर्दोषा दी० । ३. नि०,  
दी० में 'तया च' नहीं है ।

अङ्गभावं प्राप्ताना च 'तेषां विरोधित्वमेव निवर्तते ।' अङ्गभाव-प्राप्तिहि तेषां स्वाभाविकी समारोपकृता वा । तत्र येषा नैसर्गिकी तेषां तावदुक्तावविरोध एव । यथा विप्रलभ्मशृङ्खारे तदङ्गानां व्याधादीनाम् । 'तेषा च तदङ्गानामेवादोषो नातदङ्गानाम् ।

उन [ विरोधी रसाँहों ] का अङ्गभाव भी स्वाभाविक अथवा समारोपित [ दो ] रूप से हो सकता है । उनमें जिनका स्वाभाविक अङ्गभाव है उनके वर्णन में तो अविरोध ही है । जैसे विप्रलभ्म शृङ्खार में [ उसके अङ्गभूत ] व्याधि आदि का [ अविरोध है ] । उन [ व्याधि आदि व्यभिचारी भावों ] में उस [ विप्रलभ्म शृङ्खार ] के अङ्गभूत [ व्यभिचारियों ] का वर्णन ही दोष रहित है उससे भिन्न [ जो ] उस [ विप्रलभ्म में शृङ्खार ] के अङ्ग नहीं हैं, उनका नहीं ।

'विप्रलभ्मशृङ्खारे तदङ्गाना व्याधादीनाम् । तेषा च तदङ्गानामेवादोषो नातदङ्गानाम् ।' इस पंक्ति का आशय यह है कि रसों के व्यभिचारीभाव सम्मिलित रूप से ३३ माने गए हैं । साहित्यदर्पणकार ने उनका सप्रह इस प्रकार विया है :—

निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजडता श्रीग्र्यमोही विवेदः ,  
स्थप्नापस्मारगर्वा मरणमलसतामर्पनिद्रावहिता ।  
श्रीमुक्ष्योन्मादशङ्कः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसनासलङ्गा,  
हर्पासूयाविषादा. सधृतिचपलता ग्लानिचिन्तावितर्सी ॥

सा. द. ३, १४१ ।

व्यस्तिशदभी भावः समाख्यातास्तु नामतः,,  
विरोधा व्यभिचारिणः । का. प्र. ४, ३४ ।

इनमें से उप्रता, मरण, आलस्य और उग्रप्रसा को छोड़ कर शेष सब शृङ्खार इस के व्यभिचारी भाव होते हैं । 'त्यक्तयौप्रथमरणालस्युग्रप्सा व्यभिचारिण' । सा० द० ३, १८६ । और कवय रस में निर्वेद, मोह, अस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, अम, विषाद, जडता, उन्माद और चिन्ता यह व्यभिचारी भाव होते हैं । 'निर्वेद मोहापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिश्रमाः । विषादजडतोन्माद-

१. तदुक्तावयविरोध एव निः । २. अङ्गभाव प्राप्तिहि तेषां स्वाभाविकी समारोपकृता वा । तत्र येषां नैसर्गिकी तेषां तावदुक्तावविरोध एव इतना फाठ निः में नहीं है । ३. तेषां च निः, दोः में नहीं है ।

तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान्<sup>१</sup> । आश्रय-  
विच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेदप्राप्तेः । करुणस्य तु तथाविधे विषये  
परिपोषो भविष्यतीति चेत्, न । तस्याप्रस्तुतत्वात्, प्रस्तुतस्य च  
विच्छेदात् । यत्र तु <sup>२</sup>करुणरसस्यैव काव्यार्थत्वं तत्राविरोधः ।

शृङ्गारे वा मरणस्यादीर्घकालप्रत्यापत्तिसम्भवे कदाचिद्गुपनिवन्धो  
नात्यन्तविरोधी । दीर्घकालप्रत्यापत्तौ [तु]तस्यान्तरा प्रवाहविच्छेद एवे-  
त्येवंविधेतिवृत्तोपनिवन्धनं रसबन्धप्रधानेन कविना परिहृतव्यम् ।

चिन्ताद्यव्यभिचारिणः<sup>३</sup> । सा०द० ३, २२५ । इस प्रकार व्याधि आदि शृङ्गार और  
करुण दोनों के समान व्यभिचारीभाव हैं । करुण और विप्रलभ्मशृङ्गार का आलम्भ-  
नैकप्रयेन विरोध ऊपर पृष्ठ २६० पर दिखाया जा चुका है । व्याधि आदि व्यभिचारीभाव  
दोनों के अङ्गों में पटित है । अतः, वह दोनों के अङ्ग हो सकते हैं और दोनों के साथ  
उनका स्याभाविक अङ्गाङ्गभाव सम्बन्ध है । इसलिये जो व्याधि आदि विप्रलभ्म  
शृङ्गार के विरोधी करुण रस के अङ्ग हैं वह विप्रलभ्म शृङ्गार के विरोधी हैं । परन्तु  
उन व्याधि आदि का शृङ्गार के साथ भी स्याभाविक अङ्गाङ्गभाव है । इसलिये  
विप्रलभ्म शृङ्गार में भी व्याधि आदि का वर्णन करने में कोई दोष नहीं है परन्तु  
आलस्य, उग्रता, जुगुप्ता, आदि जिन व्यभिचारियों का शृङ्गार में अङ्गभाव नहीं  
है परन्तु करुणरस में है, उन का विप्रलभ्म शृङ्गार में वर्णन दोषाधारक ही  
होगा । यह उक्त पक्ति का अभिप्राय है । ‘विप्रलभ्मशृङ्गारे तदङ्गाना व्याध्य-  
दीनाम् ।’ का भाव यह हुआ कि व्याधि आदि करुण रस के अङ्ग होने से  
विप्रलभ्म शृङ्गार के साथ उनसा विरोध हो सकता है परन्तु वह शृङ्गार के भी  
अङ्ग हैं इसलिये ‘तदङ्गाना अर्थाद् विप्रनभ्मशृङ्गाराङ्गाना व्याध्यादीनामविरोधः’ ।  
परन्तु ‘व्याध्यादि’ से सभी व्यभिचारी भावों का ग्रहण न कर लिया जाय इसलिये  
आगे ‘तेषा च तदङ्गानामेऽप्यो नतदङ्गानाम् ।’ लिख कर यह सूचित किया कि  
जो व्याधि आदि शृङ्गार के भी अङ्ग हैं उन्हीं का वर्णन हो सकता है जो शृङ्गार  
के अङ्ग नहीं केवल करुण के अङ्ग हैं उनका वर्णन तो दोषजनक ही होगा । अतः  
एव उनका वर्णन नहीं करना चाहिये ।

मरण के उस [विप्रलभ्मशृङ्गार] का अङ्ग हो सकते पर भी उसका  
वर्णन करना उचित नहीं है । यदोंकि आधर्य [आकृम्यन रिभास] का ही

१. न न्याय्य. नि०, दो० । २. करुणस्यव नि०, दो० ।

नाश हो जाने से रस का अत्यन्त पिनाश हो जायगा। यदि यह कहो कि ऐसे स्थान में कहण रस का परिपोषण होगा [ तो रस का सर्वथा नाश तो नहीं हुआ । ] यह कहना उचित नहीं है क्योंकि कहण रस प्रस्तुत रस नहीं है और जो [ विप्रलभ्म शृङ्खार ] प्रस्तुत है उसका अत्यन्त विच्छेद हो जाता है। [ हा ] यहाँ करणरस काव्य का मुख्य रस है यहाँ तो [ मरण वर्णन में भी ] विरोध नहीं है।

अथवा शृङ्खार में जहा शीघ्र ही उनका समागम किर हो सके ऐसे स्थान पर मरण का वर्णन भी अत्यन्त विरीधी नहीं है। [ परन्तु जहाँ ] दीर्घकाल चाद पुनः सम्मिलन हो सके वहा तो बीच में रस प्रवाह का विच्छेद ही हो जाता है अतएव रसप्रधान कर्ति को इस प्रकार के इतिवृत्त के वर्णन को वचाना ही चाहिए।

यहा आलोककार ने लिखा है कि मरण विप्रलभ्म शृङ्खार का अङ्ग हो सकता है परन्तु ऊपर 'त्यक्त्वैप्रयमरणालस्यजुगुप्ता व्यभिचारिणः' । सा० द० ३, १८६ जो उद्धृत किया है उसमें मरण को शृङ्खार का अङ्ग या व्यभिचारीभाव नहीं माना है।

आलस्यैप्रयजुगुप्ताभिर्मावैस्तु परिवर्जिताः ।

उद्भावयन्ति शृङ्खार सर्वे भावा स्वपश्या ॥ ना० शा० १०८

भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के इस श्लोक में मरण को भी शृङ्खार में चर्जित नहीं किया है। अतः प्रतीत होता है कि नवीन आचार्यों ने नायिका या नायक में से किसी की मृत्यु होजाने पर विप्रलभ्म की सीमा समाप्त होकर करण की सीमा आजाने से प्रवाह के विच्छिन्न हो जाने से मरण को विप्रलभ्म का अङ्ग नहीं माना है। परन्तु उसकी यह कल्पना भरत मुनि के अभिप्राय के विपद्ध प्रतीत होती है। आलोककार ने भरत के नाट्यशास्त्र के आधार पर ही अपना यह प्रकरण लिखा है। भरत मुनि ने जो मरण को विप्रलभ्म शृङ्खार में भी व्यभिचारीभाव माना है वह इसी अदीर्घकालीन प्रत्यापत्ति के आधार पर माना है। और उसका वर्णन भी उस रूप में कालिदास आदि के ग्रन्थों में मिलता है। कालिदास ने रघुनाथ में लिखा है :—

तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहुकन्यासरयोः ।

देहन्यासादमरणणनलेखमासाद् सदः ।

पूर्वाकाराधिकचतुरया सङ्गतः कान्तयासौ  
लीलागारेष्वरमत् पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु ॥

'अत्र सुट्टे रत्यज्ञता मरणस्य'। लिख कर लोचनकार ने उसकी रत्यज्ञता का पोषण किया है। यह श्लोक रघुवश के आठवें सर्ग का अन्तिम श्लोक है। इन्दुमती के मर जाने के आठ वर्ष की बीमारी के बाद अब जे गङ्गा और सरयू के सङ्गम पर शरीर त्याग कर देवभाव को प्राप्त किया और उस देव लोक में पहिले ही पहुंची हुई पहिले से अधिक चतुर कान्ता इन्दुमती के साथ नन्दन बन के भीतर बने लीलाभवनों में रमण किया। यह श्लोक का भाव है। यहा वर्णित मरण इसी श्लोक में वर्णित रति का अङ्ग है। इस रूप में मरण को शृङ्खार का अङ्ग माना गया है।

परन्तु मूल प्रश्न से विप्रलभ्म शृङ्खार से चला था। मरण विप्रलभ्म  
शृङ्खार का अङ्ग हो सकता है या नहीं। इस उदाहरण से उसकी विप्रलभ्म शृङ्खार के प्रति अङ्गता सिद्ध नहीं होती है। सभोग शृङ्खार के प्रति अङ्गता प्रतीत होती है और वह भी विलक्षण काल्पनिक है।

परिषद्वारा जगन्नाथ ने अपने 'रसगङ्गाधर' नामक ग्रन्थ में शृङ्खार के प्रसङ्ग में 'जातप्राय' और 'चेतसा आकाञ्चित' दो रूप से मरण के वर्णन का विधान किया है। जैसे :—

दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती शयने सम्प्रति सा विलोकितासीत् ।

अधुना खलु हन्त सा कृशाङ्गी गिरमङ्गीकुरुते न भाषितापि ॥

इसमें जातप्राय मरण और निम्न श्लोक में मन से आकाञ्चित मरण का वर्णन किया है।

रोलभ्वाः परिपूर्यन्तु हरितो भङ्गारकोलाह्लै ,

मन्दं मन्दमुपैतु चन्दनयनीजातो नभस्वानपि ।

माचन्तः कलयन्तु चूतशिखरे वेलीपिकाः पञ्चमः ,

प्राणा. सत्यरमश्मसारक्ठिना गच्छन्तु गच्छ्यन्त्यमी ॥

इस प्रकार जातप्राय, मनता आकाञ्चित तथा अचिर प्रत्यापत्ति युक्त इन तीन रूपों में शृङ्खार रूप में भी मरण का वर्णन प्राचीन कविपरम्परा में पाया जाता है। और भरत मुनि को भी अभिप्रेत ज्ञान पड़ता है। परन्तु वास्तविक आत्मान्तक मरण किसी को अभिप्रेत नहीं। अतएव साहित्यदर्पणकार आदि जिन आचार्यों ने मरण को शृङ्खार में व्यभिचारीभाव नहीं माना है उनका अभिप्राय वास्तविक या आत्मन्तक मरण के निपेध से ही है—ऐसा समझना चाहिये।

४४१

तत्र लब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधिरसाङ्गाना बाध्यत्वं-  
नोक्तावदोयः ।

यथा :—

कनाकार्यं शशलद्मणं क्वच कुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा;  
दोपाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो, कोपेऽपि कान्तं मुरम् ।  
किं वद्यन्त्यपकलमपाः कृतधियः, स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा,  
चेतः स्वारथ्यमुपैष्टि कं सलु युवा, धन्योऽधरं पास्यति ॥

इस प्रकार नैसर्गिक अङ्ग भाव का निरूपण किया । नैसर्गिक से भिन्न अङ्गता सगारोपित अङ्गता समझनी चाहिए इसलिए उसका लक्षण यहा नहीं किया है । उदाहरण आगे देंगे । विरोधी रसाङ्गों के १. बाध्यरूप, तथा अङ्गाङ्गभाव में २. नैसर्गिक अङ्गाङ्गभाव तथा ३. समारोपित अङ्गाङ्गभाव इस प्रकार तीन रूपों में निरूपण में दोप नहीं है यह ऊपर का सारांश हुआ । इन तीनों के उदाहरण आगे देते हैं ।

उनमें प्रथम रस के लब्धप्रतिष्ठ [ परिपुष्ट ] हो जाने पर बाध्यरूप से विरोधी रसाङ्गों के वर्णन में दोप नहीं होता [ इसका उदाहरण ] जैसे :—

अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी के स्वर्ग को चले जाने पर विरोध-स्कण्ठि राजा पुरुरवा के मन में उठते हुए अनेक प्रकार के विचारों का इस पन्थ में व्याप्तम वर्णन है । अर्थ इस प्रकार है :—

१. कहा यह अनुचित कार्य और कहां उज्ज्वल चन्द्रवंश ! [ वितर्क ]
२. क्या यह फिर कभी देखने को मिलेगी ? [ औसुन्ध ]
३. और ! मैंने तो [ कामादि ] दोषों का दमन करने वाला शास्त्रों का ध्वन किया है । [ मति ]
४. क्रोध में भी कैसा सुन्दर [ उसका ] सुख [ लगता था ] [ स्मरण ]
५. [ मेरे इस व्यवहार को देख कर ] धर्मात्मा विद्वान् लोग क्या कहेंगे । [ शक्ता ]
६. वह तो अब स्वर्ण में भी दुर्लभ हो गई । [ दैन्य ]
७. और चित्त धीरज धरो । [ धृति ]
८. न जाने कौन सौभाग्यशाली युवक उसके शधरामृत का पान करेगा । [ चिन्ता ]

२०३.] ..

यथा वा पुण्डरीकस्य महाश्वेतां प्रति प्रवृत्तनिर्भरानुरागस्य  
द्वितीयमुनिकुमारोपदेशवर्णने ।

स्वाभाविक्यामङ्गभावप्रापावदोपो यथा :—

अभिमरतिमलसङ्घदयतां प्रलयं मूर्छां तमः शरीरसादम् ।

मरणं च जलदभुजगञ्जं प्रसद्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥

इत्यादौ ।

यहा विषम सर्वा वाले अर्थात् १ वितर्क, ३ मति, ५ शङ्का, ७ धृति  
यह शान्तरस के व्यभिचारी भाव हैं। और सम सख्या वाले अर्थात् २ श्रौत्सुक्य,  
४ सुमरण, ६ दैन्य और ८ चिन्ता यह शृङ्खार रस के व्यभिचारी भाव हैं।  
शान्त और शृङ्खार रस का नैरन्तर्य तथा आलम्बन ऐक्य में विरोध होता है। यहाँ  
इन दोनों का नैरन्तर्य भी है और आलम्बन ऐक्य भी है। इसलिए सामान्य नियम  
के अनुसार उनका एक वर्णन रस विरोधी होना चाहिए था। परन्तु उसमें विषम  
सख्या वाले शान्त रस के व्यभिचारी भावों को सम सख्या वाले शृङ्खार रस के  
व्यभिचारी भाव वाधने वाले हैं। अर्थात् वितर्क का श्रौत्सुक्य से, मति का स्मृति  
से, शङ्का का दैन्य से और धृति का चिन्ता से वाध हो जाता है। इस लिए  
वाध्यत्वेन कथन होने के कारण दोष नहीं है।

[काव्यप्रकाश की टीकाओं में 'कमलावर', 'भीमसेन' आदि ने इस पद्य  
को देवयानी को देखने पर राजा ययाति की उकि माना है वह ठीक नहीं है। ]

अथवा जैसे [ कादम्बरी में ] महाश्वेता के ऊपर पुण्डरीक के अत्यन्त  
मोहित हो जाने पर दूसरे मुनि कुमार के उपदेश वर्णन में [ प्रदर्शित शान्तरस  
के अह, सुर्य शृङ्खार रस के अहों से वाधित हो जाते हैं और अन्त में रति  
स्थिर रहती है ]। इसलिए वाध्यत्वेन उनका प्रतिपादन दोष नहीं है ]।

[ विरोधी रसाङ्कों की ] स्वाभाविक अङ्गरूपता प्राप्ति में अद्वेषता  
[ का उदाहरण ] जैसे :—

अभिमरति [ इसकी व्याख्या पृष्ठ १६७ पर भी कर लुके हैं ] ।

मेघ रूप मुजह से उत्पन्न रिष [ जल तथा रिष ] रियोगिनियों को  
चढ़का, चैचैनी, अलम्बद्यता, प्रलय [ चेतना स्पष्ट ज्ञान और चेष्टा का  
अभाव ], मूर्छा, मोह, शरीरमद्वना और मरण उत्पन्न कर देता है ।

इत्यादि में ।

समारोपितायामप्यविरोधो यथा 'पाण्डुक्षामसित्यादौ' ।  
यथा वा 'कोपात् कोमललोलग्रहुलतिकापाशेन' इत्यादौ ।

[ यहां करण रसोचित व्याधि क अनुभाव भ्रमि आदि का विश्लेषण में भी सम्भव होने से नैसर्गिकी अङ्गता होने से अविरोध है । ]

समारोपित अङ्गता में भी अविरोध [ होता है उसका उदाहरण ] जैसे—'पाण्डु चामम्' इत्यादि में ।

अथवा जैस 'कोपात् कोमललोलग्रहुलतिकापाशेन' इत्यादि में ।  
'पाण्डु चामम्' आदि पूरा श्लोक इस प्रकार है—

पाण्डु चाम बदन हृदय सरस तवालस च वपु ।  
आवेदयति नितान्त ज्ञेत्रियरोग सम्ब्रहृदन्त ॥

हे सति तेरा पाण्डुवर्ण मुरझाया हुआ चेहरा, सरस हृदय और अलस देह तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य राग की सूचना देते हैं । [ ज्ञेत्रिय रोग उससे कहते हैं जिसकी इस शरीर में चिकित्सा सम्भव न हो अर्थात् अत्यन्त असाध्य ।—ज्ञेत्रियचू परद्वेषे चिकित्स्य । ]

इस श्लोक में करणोचित व्याधि का वर्णन है परतु श्लोप वश वहा विश्लेषण शृङ्खार में भी नायिका में उनका आरोप कर लिया है । अतएव उनकी शृङ्खार के प्रति समारोपित अङ्गता होने से शृङ्खार में करणोचित व्याधि का वर्णन दोष नहीं है ।

दूसरा 'कोपात् कोमल' इत्यादि पूरा श्लोक और उसका अर्थ पृष्ठ १६० पर दिया जा चुका है । वहा से देखो । यहा 'कोपात्', 'बद्ध्या', 'हृयते' इत्यादि रीढ़ रथ के अनुभावों को रूपक वल से शृङ्खार में आरोपित कर और रूपक का 'नाति निवद्यैपिता' के अनुसार अत्यन्त निराह न करने से ही उसके अङ्गों की शृङ्खार के प्रति समारोपित अङ्गता होती है । इस समारोपित अङ्गता के कारण ही शृङ्खार में उनका वर्णन निर्दिष्ट है ।

एक वाध्यरूपता, और नैसर्गिक तथा समारोहित रूप से दो प्रकार की अङ्गता, इस प्रकार विरोधी रसाङ्गों के अविरोध सम्बद्धक तीन हेतु ऊर रत । हैं । अब एक प्रधान के अन्तर्गत अङ्गभूत दो विषेश रसाङ्गों क अविरोध का चौथा उपाय अथवा अङ्गरूपता का तीसरा भेद और दिखाते हैं ।

इयं चाङ्गभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्वात्<sup>१</sup> प्रधान एकस्मिन् वाक्यार्थे रसयोर्भावयोर्वा परस्परविरोधिनोद्वयोरङ्गभावगमनं, तस्यामपि न दोपः । यथोक्तं “क्षिपो हस्तावलग्न.” इत्यादौ ।

कथं तत्राविरोध इति चेत् द्वयोरपि तयोरन्यपरत्वेन व्यवस्थानात् ।<sup>२</sup>

अन्यपरत्वेऽपि विरोधिनोः कथं विरोधनिवृत्तिरिति चेत्, उच्यते, विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वं<sup>३</sup> नानुवादे । यथा :—

एहि, गच्छ, पतोतिष्ठ वद मौनं समाचर ।

एव माशामहप्रस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥

इत्यादौ ।

यह [ आगे वच्यमाण ] अङ्गभाव प्राप्ति दूसरे प्रकार की है कि जहा आधिकारिक होने से एक प्रधान वाक्यार्थ में परस्पर विरोधी दो रसों या भावों की अङ्गरूपता प्राप्त हो । उस [ प्रकार की अङ्गता में भी विरोधी रसाङ्गों के वर्णन ] में दोप नहीं है । जैसा कि पदिले [ पृष्ठ १२१ पर ] ‘हितो हस्तावलग्न.’ इत्यादि में कह चुके हैं ।

वहा कैसे अविरोध होता है वह पूछें, तो उत्तर यह है कि उन [ द्वयों विप्रलम्भ और कहण ] दोनों के अन्य [ शिव प्रभावातिशय मूलक भक्ति ] के अङ्ग [ रूप में ] व्यवस्थित होने से । [ अविरोध है ] ।

[ प्रश्न ] अन्य के अङ्ग होने पर भी उन विरोधी रसों के विरोध की निवृत्ति कैसे होती है । यह पूछते हो तो समाधान यह है कि विधि अश में दो विरोधियों के समावेश करने में दोप होता है अनुवाद में नहीं ।

जैसे—

आशा रूप ग्रह के चक्रर में पढ़े हुए याचकों के साथ धनी लोग आश्रो, जाश्रो, पढ़ जाश्रो, खड़े हो जाश्रो, योलो, चुप रहो, इस प्रकार [ कह कर ] रेल करते हैं । [ अपांत् बभी चुद कभी चुद मनमानी बात कह कर उनसे खिलवाइ करते हैं ]

इत्यादि [ उदाहरण ] में ।

१. अधिकारिकत्वात् निः । २. व्यवस्थापनात् निः, दोः । ३. बानुयादे निः, बालप्रिया ।

अब हि विधिप्रतिपेक्योरनूद्यमानत्वेन समावेशो न विरोध-  
स्तथेहपि भविष्यति । श्लोके हास्मिन् ईर्ष्याविप्रलभ्मशङ्कारकरणवस्तुनो-  
र्न विधीयमानत्वम् । प्रिपुरस्त्रिप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वात्, तदङ्ग-  
त्वेन च तयोर्व्यवस्थानात् ।

यहाँ [ पहिं गच्छ आदि में जैसे ] विधि और प्रतिपेद के केवल अनूद्य-  
मान रूप में सन्निवेश करने से दोष नहीं है इसी प्रकार यहा [ चितो हस्ता-  
वलग्न इत्यादि में ] भी समझना चाहिए । इस श्लोक [ चितो हस्तावलग्न  
इत्यादि ] में ईर्ष्याविप्रलभ्म और करण विधीयमान नहीं है । प्रिपुरारि शिव  
के प्रभावातिशय के मुख्य वाक्यार्थ हीने, और [ ईर्ष्या प्रिप्रलभ्म तथा करण ]  
इन दोनों के उसके अङ्ग रूप में स्थित होने से [ उनका परस्पर प्रिप्रीय  
नहीं है ] ।

यहा 'एहि' और 'गच्छ' यह दोनों विरोधी है इसी प्रकार 'पत' और  
'उत्तिष्ठ' तथा 'वद' और 'मौन समाचार' यह विरोधी वार्ते हैं । परन्तु यहा  
इनका विधान नहीं किया गया है अपितु धनिकों के याचकों के साथ इस प्रकार  
के व्यवहार का अनुयाद मात्र किया गया है । विधि अश में यदि इस प्रकार  
विरोधियों का समावेश होता तो वह दोष होता परन्तु यहा अनुयाद अश में  
उनका समावेश दोषाधायक नहीं है ।

एक प्रधानभूत अर्थ के अन्तर्गत अनेक अप्रधान अर्थात् गौण अर्थों का  
परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार होता है इसका विचार भीमासा के 'आरुण्याधिकरण'  
में किया गया है । ज्योतिष्ठेम याग के प्रकरण में 'अरुण्या पिङ्गाद्या एक-  
हायन्या गवा सोम वीणाति' यह वाक्य आता है । इस वाक्य में ज्योतिष्ठेम  
याग में प्रयुक्त होने वाले सोम अर्थात् सोमलता के क्रय करने के लिए अरुण-  
वर्ण की, पिङ्गलवर्ण के नेत्र वाली और एक वर्ण की, गौ देकर सोम न्रय करने  
का विधान किया गया है । शब्दबोध की प्रक्रिया में नैयायिकों ने 'प्रथमा-  
न्तार्थमुख्यविशेष्यक', वैयाकरणों ने 'धात्वर्थमुख्यविशेष्यक' और भीमासकों ने  
'भावनामुख्यविशेष्यक' शब्दबोध माना है । तदनुसार यहा भीमासक मत से  
भावना मुख्य प्रयोग्य है अतएव आरुण्यादि का प्रथम भावना के साथ अन्वय  
होता है । अरुण्या, पिङ्गाद्या, एकहायन्या, इन सब में तृतीया विभक्ति करणत्व-  
बोधिका है । अतएव तृतीयाखुति वलात् इन सब का क्रय करणुक भावना  
में प्रथम अन्वय होता है । और पीछे वाक्य मर्यादा से उनका परस्पर सम्बन्ध

होता है। इसी प्रकार 'एहि गच्छ' इत्यादि में सुरय कीदार्थ के अङ्गरूप से 'एहि' 'गच्छ' आदि का अन्यथ 'राजनिकट्यवस्थित आततायिद्वय' +याय से प्रथम मुख्यार्थ के माध्य होता है। जब तक प्रधान के साथ उनका सम्बन्ध नहा हो जाता है तब तक उनका दूसरे के साथ सम्बन्ध या अवसर ही नहीं आता। और पीछे परस्पर सम्बन्ध होने पर भी मुख्यार्थ से प्रभावित होने के कारण उनका विरोध अकिञ्चित्कर रहता है।

इसी प्रकार 'किसो इस्तावलग्न' इत्यादि में करुण और विग्रलम्म शङ्खार दोनों शिव के प्रभावातिशय के अङ्गरूप में अवित होते हैं इसलिए उनमें विरोध नहीं आता।

विधि भाग अर्थात् प्रधान अश में विरोध होने पर तो दोष होता है। जैसे उपर्युक्त ज्योतिशेष के ही प्रकरण में 'अतिरात्रे पोदशिन गृह्णाति' और 'न तिराते पोदशिन गृह्णाति' यह दो विवर वाक्य मिलते हैं। यहा विधि अश में ही दोनों का विरोध होने से उनका विकल्प मानना पड़ता है। यही दोष होजाता है। परन्तु गौण अश अर्थात् अनुवाद भाग में जैसे 'एहि गच्छ' इत्यादि श्लोक में अनुवाद भाग गौण अश में विरोध रूप ने पर भी फोरै दोष नहा होता है। इसी प्रकार 'किसो इस्तावलग्न' इत्यादि का विरोध प्रधान अश में नहीं अपितु अङ्गभूत अथात् गौण अनुप्रद अश में होन से दोषाधायक नहीं है।

[प्रश्न] विधि और अनुग्राद मीमांसा के पारिमितिक शब्द हैं। उनके यहा 'अशातापशात्रको वेदभागो विधि अशात अर्थ क जापक वेद भाग विधि कहलाता है। और उनक मन में 'आमायस्य नियार्थत्वादानथक्य मतदथानाम्'। मी० अ० १ पा० २ य० १ में निर्धारित सिद्धान्त के अनुमार यागादि इत्या ही सुरयत विधि रूप होता है। उन दशा में रसों में तो विधि अनुग्रादरूपता सम्भव नहीं हो सकती है। तब तिर आपने विधि प्रीर अनुग्राद वी शरण सेकर सङ्घति लगाने का जो प्रयत्न दिया है वह ऐस बनेगा।

[उत्तर] इसका समाधान यह है कि यहा विधि और अनुग्राद शब्द को [लक्षण्या] सुरु और गौण अथ का वोधक समझना चाहिए। इन प्रधान और गौण के साथ भी वाच्य नहा जोड़ना चाहिए। प्रधान जो प्रधानतया वाच्य हो वह विधि और जो गौणतया वाच्य हो वह अनुग्राद एवं नहा बहना चाहिए। व्येक्ति उस दशा में रसों के वाच्य न होकर व्यङ्ग्य होने के कारण य

न च रसेपु विध्यनुवादव्यवहारो नास्तीति शक्य वक्तुम्  
तेषा वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात् । वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यौ विध्य-  
नुवादी तौ तदाचिप्ताना रसाना केन वर्णेते ।

यैवां साक्षात् काव्यार्थता रसादीना नाभ्युपगम्यते तैस्तेषा  
तन्निमित्तता तात्रद्वश्यमभ्युपगम्तव्या । तथाप्यत्र इलोके न विरोधः ।

विधि रूप नहीं हो सकेंगे । अतएव विधि शब्द काक्षण्या वेवल प्रधान अर्थ को  
और अनुग्राद शब्द अप्रधान अर्थ को सूचित करता है । इस प्रकार का प्रधान  
और गौणभाष्य रसों में भी हो सकता है । इसलिए विधि और अनुग्राद रूप में  
जो समन्वय ऊपर किया गया है उसमें कोई दोष नहीं है । यही प्रश्न और उत्तर  
मूल ग्रन्थ की अगली परियों में किए गए हैं ।

रसों में विधि और अनुग्राद व्यवहार नहीं होता है, यह नहीं कहा जा  
सकता है । क्योंकि उन [रसों] को वाक्यार्थ रूप में स्वीकार किया  
जाता है । वाच्य रूप वाक्यार्थ में जो विधि और अनुग्राद रूपता रहती है  
उसको उस [वाच्यार्थ] से आचिप्त [व्यङ्ग्य] रसादि में कौन रोक सकता  
है । [जब वाक्यार्थ में विधि अनुग्राद रूपता रह सकती है तो व्यङ्ग्य रसादि  
में नहीं रह सकती है यह कैसे कहा जा सकता है । उनमें भी अप्य रह  
सकती है ।]

अथवा अनूयमान रूप से विश्वद रसों के एकत्र समावेश की जो वात  
कही है, उसे आप नहा मानना चाहते हैं तो उसे छोड़िए । दूसरी तरह से  
सहकारी रूप में भी उनके अविरोध का उपग्रहण किया जा सकता है । किसी  
तीसरे प्रधान के साथ मिल कर दो विश्वद सहकारी भी बात कर सकते हैं ।  
जैसे जल अमिन को द्वुभक्ता देता है इसलिए ये दोनों परस्पर विश्वद हैं परन्तु  
तीसरे प्रधानरूप तरहुन च वल या दाल आदि पाक्य वस्तु के साथ सहकारी रूप  
में मिल कर ये दोन पक्य ओदन, मात को सिद्ध करते हैं । अथवा शरीर में  
विश्वद स्वभाव याले वात, दित्त, कफ भी मिल कर शरीर धारण रूप अथविया  
सम्पादन करते हैं । इस प्रमाण 'किसी इस्तावलम्' में भी सहकारी भूत शङ्खार और  
कशण रस प्रधान भूत शास्त्रवरागानिजन्य दुरितदाह के साथ मिल कर शिव के  
प्रतापातिशय रूप 'भाव' का दोतन रूप कार्य कर सकते हैं । यह अगली परियों  
का भाव है ।

अथवा जो रसादि को साक्षात् काप्य [काप्य वाक्यों] का अर्थ नहीं

यस्मादनूद्यमानङ्गनिमित्तेभयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानाशाद्  
भावविशेषप्रतीतिस्त्पद्यते ततश्च न कश्चिद् विरोधः । दृश्यते हि  
विरुद्धोभयसहकारिणं कारणात् कार्यविशेषोत्पत्तिः । विरुद्धफलोत्पादन-  
हेतुत्वं हि युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्धं न तु विरुद्धोभयसहका-  
रित्वम् ।

मानते उनको भी उन [रसादि] की तन्निमित्तता [वाक्यार्थ व्यङ्ग्यता] अवरय स्वीकार बरनी होगी । तब भी इस श्लोक [चिप्तो हस्तावलग्नः] में विरोध नहीं रहता ह । क्योंकि अनूद्यमान जो अङ्ग [अर्थात् रसाङ्गभूत हस्ताहेपादि विभाव] तन्निमित्तक जो उभयरसवस्तु [अर्थात् उन हस्ताहेपादि से प्रतीत होने वाले जो उभय अथात् करण और विप्रलभ्य शृङ्खाल रूप रसवस्तु रसजातीय तत्व] यह जिसका सहकारी है ऐसे विधीयमान अंश [शाम्भवशरामिनजन्य हुरितदाह] से भाव विशेष [रतिदेवादिपिया भाव—प्रेयोलङ्घार विषय—शिव के प्रतापातिशय मूलक भक्ति] की प्रतीत उत्पन्न होती है । इसलिये कोई विरोध नहीं है । दो विरुद्ध [जल और अग्नि रूप शीतोष्ण] जिसके सहकारी है ऐसे कारण [मुट्य कारण आदि] से कार्यविशेष [ओदन, भाव, आदि] की उत्पत्ति देखी जाती है ।

[तथ तो फिर विरोध का कोई अर्थ ही नहीं रहा, वह सर्वथा अकिञ्चिकर हो जाता है । यह नहीं समझना चाहिये क्योंकि] एक कारण का एक साथ [युगपद] विरुद्ध फलों के उत्पादन का द्वयुत्त्व [मानना यही] विरुद्ध है दो विरोधियों को उसका सहकारी मानने में कोई विरोध नहीं है ।

अच्छा इस प्रकार आपने वाक्य में तो करण और शृङ्खाल के विरोध का परिहार कर दिया । परन्तु प्रश्न यह रह जाता है कि यदि अभिनय नाटक में इस प्रकार का वाक्य आजाय तो उसका अभिनय करते समय इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थ का अभिनय कैस किया जाय । इसका उत्तर यह है कि अनूद्यमान गौण वाच्यार्थ वे पिप्य में 'एहि गच्छ पत उत्तिष्ठ' आदि वे अभिनय में जो प्रकार अवलभ्यन किया जाय वही 'क्षिप्तो हस्तापलग्न' आदि के विपर्य में भी अवलभ्यन बरना चाहिये । इसका अर्थ यह हुआ कि 'क्षिप्तो हस्तापलग्न' इत्यादि में शिव के प्रभाव या दोतन करने में करण के अधिक उत्पयोगी होने से यह अधिक प्राकरणिक अर्थ है । विप्रलभ्य शृङ्खाल तो 'कामीगार्दांपराधः' इत्यादि उपमा बल से आता है और प्रभावातिराय दोतन में उसका कोई उपयोग नहीं है इससे वह दूरस्थ अर्थ

‘एवं विधिविरुद्धपदार्थविषय कथमभिनय प्रयोक्तव्य इति चेत् अनूद्यमानैरविधवाच्यविषये या धारा सापापि भविष्यति । एव, विध्यनुवादनयाश्रयेणात्र श्लोके परिहृतस्तावद् विरोध ।

किञ्च, नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित् प्रभावातिशयवर्णने तत्प्रतिपक्षाणा य कहणो रस स परीक्षाणा न वैकलन्यमादवाति प्रत्युत प्रीत्यतिशयनिमित्तता प्रतिपद्यते । इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिरुत्तात् तद्-विरोधविधायिनो न करिच्छद् दोष । तस्माद् वाक्यार्थभूतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी <sup>१</sup>रसविरोधीनि वक्तु न्याय्य न तज्जभूतस्य कस्यचित् ।

है । अतएव अभिनय करते समय कहण रस को प्रधान मानकर पहले ‘साश्रुनेत्री भरामि’ तक का अभिनय कहणोपयोगी अभिनि से प्रस्त के समान भय, पवरहट, विष्णुत हृषि, शश्रु आदि का प्रदर्शन करते हुए, ‘रामीगाढ़ीगराघ’ पर तनिक सा प्रणय कोपोचित अभिनय करके फिर ‘स दहतु दुरित’ पर उग्रतापूर्ण सायेप अभिनय करके महेश्वर के प्रभावातिशय के द्वीतीय में अभिनय का समाप्त करना चाहिये । यही विषय अगली परियों में समष्ट किया है ।

इस प्रकार का विरुद्धपदार्थविषयक अभिनय कैसे करना चाहिय ? यह प्रश्न हो तो, इस प्रकार के [ निरुद्ध ] अनूद्यमान चाच्य [ पृहि गच्छ पत उत्तिष्ठ इत्यादि ] के विषय में जो वात है वही यहा भी होगी । [ अथात् पृहि गच्छ, पत, उत्तिष्ठ आदि का अभिनय जिस प्रकार किया जायगा उनी प्रकार ‘विष्टी हस्तावलम्न’ में भी कहण और शृङ्खार का अभिनय किया जा सकता है ] इस प्रकार विषि और अनुवाद को नीति का आश्रय लेकर इस श्लोक [ विष्टी हस्तावलम्न ] में विरोध का परिहार हो गया ।

और किसी प्रशासनीय उत्कर्षप्राप्त नायक के प्रभावातिशय के वर्णन में उसके शत्रुओं का [ शत्रुओं से सम्बन्ध रखने वाला ] जो कहण रस [ होता है ] वह विरेक्षणोल प्रेक्षकों को विकल नहीं करता अपितु आनन्दातिशय का कारण यन्ता है अतएव विरोध करने वाले उस [ करण ] के विष्टी शक्ति [ चित्तद्रुति स्वप्न स्थकार्यापादन में असम्प ] होने से फोई दाप महां होता ।

<sup>१</sup> एवं विरुद्धपदार्थविषय नि० । <sup>२</sup> यो स रस इतना पाठ नि०, ही० में अधिक है ।

अथवा वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित् करुणारसविषयस्य ताटशेन  
शृङ्खारवस्तुना भङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोपायैव जायते । यतः  
अक्रुतिमयुरा पदार्थः शोचनीयता प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिं संसर्य-  
माणैर्विलासैरथिकतरं 'शोकावेशमुपजनयन्ति । यथा :—

अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दन ।  
नाभ्युहृजघनसर्शी नीवीविल्ल सन कर ॥

इत्यादी ।

इसलिये वाक्यार्थीभूत [ प्रधान ] रस अथवा भाव के पिरोधी को ही रसपिरोधी  
कहना उचित है । किसी अङ्गभूत [ गौण ] के [ पिरोधी को रसपिरोधी कहना  
उचित ] नहीं [ है ] ।

'हिप्तो हस्तावलग्न' में करण और शृङ्खार के विरोध का दो प्रकार से  
परिहार दिखा नुके हैं । अब तीसरे प्रकार से और उसी विरोध का परिहार  
दिखाते हैं । पहले समाधानों में करण और विप्रलभ शृङ्खार दोनों को अन्य का  
अङ्ग मानकर उनके अपिरोध का उपपादन किया था । अब इस तीसरे समाधान  
में शृङ्खार को करण का ही अङ्ग बताकर समाधान करते हैं ।

अथवा वाक्यार्थं रूप किसी करण रस के पिषय को उसी प्रकार के  
वाक्यार्थं रूप शृङ्खार पिषय के साथ किसी सुन्दर ढग से जोड़ देने पर घह रस  
का परिपोषक ही हो जाता है । क्योंकि स्वभावत सुन्दर पदार्थं शोचनीय  
अवस्था को प्राप्त हो जाने पर पूर्व अवस्था के [ अनुभूतचर ] सौन्दर्य के  
स्मरण से और भी अधिक शोकावेग को उत्पन्न करते हैं । जैसे :—

[ सम्भोगावसर में ] तगड़ी को हटाने वाला, उन्नत उरोजों का मर्दन  
करने वाला, नाभि, जंधा और नितम्ब का स्पर्श करने वाला और नारे की  
खोलने वाला यह [ प्रियतम ] का वहो हाथ है ।

इत्यादि में ।

महाभारत के युद्ध में भूरिश्चा के मर जाने पर युद्ध क्षेत्र में उसके कटे  
हुए अलग पड़े हाय को देखने उसकी पत्नी के पिलाप के प्रसङ्ग में यह इनोक  
श्वागा है । यहा भूरिश्चा के मर तुक्कने से नायिकागत करण रस प्रधान है ।  
पूर्णवस्थानुभूत शृङ्खार का यह स्मरण कर रही है । अतः सत्त्वर्यनाय यह शृङ्खार

तदप्रिपुरयुवतीना शाम्भव शराग्निराद्वापराव कामी यथा  
व्यवहरति' तथा व्यग्रहतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्वेव निर्विधेयम् । तस्माद् यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोषाभाव ।

इत्थं च —

कामन्त्य चक्षत्कोमलाङ्गुलिगलद्रक्तै सदर्भा स्थली ,  
पादै पातितयावकैरिव पतद्वाघास्तुधौतानना ।  
भीता भर्तुकरवलम्बितकरास्त्वद्वैरिनार्थाऽधुना ,  
दावाग्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युर्धाद्विवाहा इव ॥

इत्येतमादीना सर्वेषामेव निविरोधत्वमवगन्तव्यम् ।

यहा करण रस का और अधिक उद्दीपक हो जाता है । इसी प्रकार 'व्यवहार इस्तावलम्' में अग्नि से व्रत त्रिपुर युवतियों का करण, प्रधानरूप से वाक्यार्थ है । परंतु शाम्भव शराग्निं की चेष्टाओं के अवलोकन से पूवानुभृत प्रणयन्त्रिलह के वृत्तात का स्मरण शोक का उद्दीपन विभाव बनाए उसको और परिपुण करता है ।

इसलिये यहा आदर्शपराव कामी जैसा व्यवहार करता है शाम्भव शराग्नि ने त्रिपुर युवतियों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया । [ अतएव समर्थमाण कामी व्यवहार वर्तमान करणरस का परिपोषक होता है ] इस प्रकार से भी निविरोधत्व है ही । अत इस पर जितना जितना अधिक विचार करते हैं उतना ही उतना अधिक दोषाभाव प्रतीत होता है ।

और इस प्रकार—

धायल हुई कोमल अगुलियों स रक्त टपकाती हुई, धरपूव मानो  
महायर लगे हुए पैरों से, कुशाकर युक्त भूमि पर चलती हुई, गिरते हुए  
आसुश्चों से सुख को धाए हुए, भवमीत होने से यतियों के हाथ में हाथ  
पकड़ाए हुए, तुम्हारे शत्रुओं की स्थिता इस समय फिर दुयारा विवाह के लिए  
उद्यत सी द्रावाग्नि के चारों ओर पूर्म रही है ।

इस प्रकार के सभी [ उद्दाहरण ] में विरद्ध प्रतीक होने वाल रसादिक्यों  
का अविरोध समझना चाहिये ।

यहा विवाह की सूनि शत्रु तियों के यतमान विभिन्नमूलक शोक रूप  
स्थायीभाव की उद्दीपन विभाव बन कर शोकातिशय को व्यक्त करती है । यहा

एवं तावद्रसादीनां विरोधिरसादिभिः समावेशासमावेशयोर्विषय-  
विभागो दर्शितः ॥२०॥

इदानीं तेषामेकप्रबन्धविनिवेशने न्याय्यो यः ब्रह्मस्तं प्रतिपादयि-  
तुमुच्यते :—

प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिघन्धने ।

एको रसोऽङ्गीकर्तव्यस्तेषामुत्कर्पमिच्छता ॥ २१ ॥

प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीर्णतया अङ्गाङ्गि-  
भावेन 'बहवो रसा उपनिवध्यन्ते इत्यत्र प्रसिद्धौ सत्यामपि यः प्रबन्धानां  
व्यावातिशययोगमिच्छति' तेन तेषा रसानामन्यतम् करिचद् विवक्षितो  
रसोऽङ्गित्वेन विनिवेशयितव्य इत्यर्थं युक्ततरो मार्ग ॥२१॥

'वाध्यामुद्धीतानना' में विवाहकाल में वाध्यामु का सम्बन्ध होमाग्नि के धूम से  
अथवा परिवार और घर से त्याग जन्य दुख के कारण समझना चाहिए ।

इस प्रकार रसादि का विरोधी रसादि के साथ समावेश और असमावेश  
का विषय विभाग प्रदर्शित कर दिया ॥२०॥

अब उन [रसों] के एक प्रबन्ध में सन्निवेश करने के विषय में जो  
उचित व्यवस्था है उसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं :—

प्रबन्धोऽपि [ महाकाव्य या नाटकादि ] में अनेक रसों का समावेश प्रसिद्ध  
[ भरतमुनि आदि से प्रतिपादित तथा प्रचलित ] होने पर भी उनके उत्कर्प  
को चाहने वाले [ कवि ] को विसी एक रस को अङ्गी [ प्रधान ] रस [ अवश्य ]  
यनाना चाहिये ।

महाकाव्यादि [ अनभिनेय ] अथवा नाटक आदि [ अभिनेय ] प्रबन्धों  
में, [ नायक, प्रतिनायक, पताकानायक, प्रवरीनायक आदि निष्ठत्वेन ] . यितरे  
[ विप्रकीर्ण ] रूप में अङ्गाङ्गभाव से अनेक रसों का नियन्धन किया जाता है  
इस प्रकार की प्रसिद्धि [ परिपाठी ] होने पर भी जो [ कवि ] प्रबन्ध के  
सौन्दर्यांतिशय को चाहता है उसे उन रसों में से किसी एक प्रतिपादनाभिमत  
रस को ही प्रधान रूप से समाप्ति करना चाहिये । यही अधिक उचित  
मार्ग है ।

१. वा पाठ अधिक है नि०, दो० । २. व्यावातिशयमिच्छन् नि० ।

ननु रसान्तरेषु वहुपु प्राप्तपरिपोषेषु सत्सु कथमेकस्याङ्गिता न  
विरच्यत इत्याशङ्कये दमुन्यते ॥—

रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसग्य यः ।

नोपहन्त्यङ्गितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥२२॥

प्रबन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुतः सन् पुनः पुनरनुसन्धीयमानत्वेन  
त्यायो यो रसस्तस्य सकलबन्धव्यापिनो<sup>१</sup> रसान्तरैरन्तरालवर्तिभि  
समावेशो य एत नाङ्गितामुपहन्ति ॥२२॥

एतदेवोपयादयितुमुन्यते :—

कार्यमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते ।

तथा रसस्यापि विधी विरोधो नैव नियते ॥२३॥

प्रबन्ध में अनेक रस रहते हुए भी एक रस को अङ्गी बनाना चाहिए  
यह ऊपर कहा है । परन्तु प्रश्न यह है कि वह अन्य रस यदि परिपोष प्राप्त हैं  
तब तो वे अङ्ग नहीं हो सकते प्रधान ही होंगे । और यदि परिपोष प्राप्त नहीं हैं  
तब वे रस नहीं कहे जा सकते । ऐसो दशा में रसत्व और अङ्गत्व यह दोनों  
बातें विवद हैं । अतः अन्य रसों के होने पर वह अङ्ग रहे और एक रस अङ्गी  
बन जाये यह कैसे हो सकेगा । इस प्रश्न का समाधान करते हैं ॥२३॥

अन्य अनेक रसों के [ एक साथ ] परिपोष प्राप्त होने पर [ उनमें  
से किसी ] एक का अङ्गी होना विरोधी क्यों नहीं होगा इस यात की आशङ्का  
करके यह कहते हैं :—

[ प्रधान रस का ] अन्य रसों के साथ प्रस्तुत [ प्रधान ] रस का जो  
समावेश है वह स्थायी [ प्रथमव्यापी ] रूप से प्रतीत होने वाले इस [ प्रस्तुत  
प्रधान रस ] की अङ्गिता [ प्राधान्य ] का विधातक नहीं होता है ।

प्रबन्धो [ काव्य या नाटकादि ] में [ अन्यों की अपेक्षा ] प्रथम  
प्रस्तुत और यार यार उपलब्ध होने से जो स्थायी रस है, समूर्ण प्रबन्ध में  
[ आद्यन्त ] वर्तमान, उस रस का बीच बीच में आए हुए अन्य रसों के साथ  
जो समावेश है, वह [ उसके ] प्रधान्य [ अङ्गिता ] का विधातक नहीं होता  
है ॥२३॥

इसी के उपपादन करने के लिए कहते हैं :—

१. सकलरसव्यापिन निः०, सकलसंवित्याविन दी० ।

सन्ध्यादिमयस्य प्रबन्धशरीरस्य यथा कार्यमेकमनुयायि व्यापकल्प्यते न च तत् कार्यान्तरैर्न सङ्गीर्यते, न च तैः सङ्गोर्यमाणस्यान्तरस्य प्राधान्यमपचीयते, तथैव रसस्याष्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणं विरोधो न कश्चित् । प्रत्युत प्रत्युतिविवेकानामनुसन्धानवतां सचेतस्तथाविधे विषये प्रहादातिशय प्रवर्तते ॥२३॥

जैसे प्रबन्ध में [आद्योपान्त] व्यापक [प्रासङ्गिक अवान्तर कार्य अथवा आरयान वस्तु से परिपुष्ट] एक प्रधान कार्य [विषय आरयान वस्तु] रखा जाता है [और अवान्तर अनेक कार्य उसको परिपुष्ट करते हैं] इसी प्रकार रस की विधि [एक प्रबन्धव्यापी अङ्गी रस के साथ अङ्गभूत अवान्तर रसों के समावेश] में भी विरोध नहीं है ।

सन्धि आदि से युक्त प्रबन्ध [मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहण सन्धि इप पश्च सन्धि युक्त प्रबन्ध अथात् नाटकादि] शरीर में जैसे समस्त प्रबन्ध में व्यापक निरन्तर विद्यमान एक [आधिकारिक वस्तु] कार्य को रचना की जाती है । वह आधिकारिक वस्तु [कार्य] अन्य [प्रासङ्गिक] कार्यों से सङ्गीर्य नहीं होता हो सो यात् नहीं है । [अन्य प्रासङ्गिक वस्तुओं से आधिकारिक वस्तु का सम्बन्ध अवश्य होता है] परन्तु उनसे सम्बन्ध होने पर भी उस [आधिकारिक मुख्य कथापस्तु] का प्राधान्य कम नहीं होता है । इसी प्रकार [अन्य अनेक अङ्गभूत रसों के साथ प्रधान भूत] एक रस का [अङ्गिवेश] सन्निवेश करने में कोई विरोध नहीं होता । अपितु प्रिवेती और पारर्ती सहदयों को इस प्रकार के विषयों में और अधिक आनन्द आता है ॥२३॥

प्रिरोध दो प्रकार का हो सकता है एक 'सहानवस्थान प्रिरोध' और दूसरा 'व्ययातक भाव प्रिरोध' । सहानवस्थान प्रिरोध में दो पदार्थ समान रूप से उत्तर की स्थिति में एक जगह नहीं रह सकते हैं । और व्यय घातक भाव प्रिरोध में तर तक व्यय का वय नहीं हो सकता जर तक घातक का उदय नहीं होता । अर्थात् घातक के उदय होजाने के बाद ही अगले ज्ञाण में व्यय का नाश हो सकता है । इन दोनों प्रकार के प्रिरोधों में व्यय घातक प्रिरोध ही मुख्य प्रिरोध है । सहानवस्थान पक्ष गौण होने से अविरोधकल्प है । रसों में भी कुछ रसों वा परस्पर सहानवस्थान मात्र में प्रिरोध है अर्थात् यदि समान स्थिति में एक साथ नहीं रह सकते हैं । और कुछ का 'व्यय घातक' प्रिरोध है । तो जिनका वेवल

ननु येषां रसानां 'परस्पराविरोधः यथा वीरशृङ्गारयोः, शृङ्गार-  
हास्ययोः, रौद्रशृङ्गारयोः, चीराद्गुतयोः, चीररौद्रयोः, रौद्रकरणयोः, शृङ्गार-  
द्गुतयोर्वा तत्र भवत्वशृङ्गाङ्गिभावः । तेषां तु स कर्थं भवेद् येषा परस्पर  
चाध्यवाधकभावो यथा शृङ्गारवीभत्सयोः, चीरभयानकयोः, शान्तरौद्रयोः,  
शान्तशृङ्गारयोर्वा इत्याशङ्क्येदमुच्यते :—

सहानवस्थान विरोध है उनका तो परस्पर शृङ्गाङ्गि भाव हो जाने में कोई स्टिनर्ड नहीं है परन्तु जिनका 'वध्य घातक' विरोध है उनमें परस्पर शृङ्गाङ्गि भाव नहीं यन सकता है । इस दृष्टि से यहा आशङ्का करके उसके समाधान के लिए अगली कारिका लिखी गई है । इसी भाव को लेकर अवतरणिका करते हैं :—

जिन रसों का परस्पर अविरोध है [ वध्य घातक भाव विरोध नहीं है ] जैसे वीर और शृङ्गार का [ युद्ध नीति, परामर्श आदि से, कन्यारान के साम में ], शृङ्गार और हास्य का [ हास्य के स्वयं पुरुपार्थ न होने और अनु-रञ्जनात्मक होने से ], रौद्र और शृङ्गार का [ भरत के नाट्य शास्य में 'शृङ्गारच तैः प्रसर्भं सेव्यते' में, तैः रौद्रप्रभृतिभिः रक्षोदानयोद्दत्तमनुष्ठैः सेव्यते इस च्यात्या से रौद्र और शृङ्गार का कथशिल् अविरोध है । केशल नायिका  
चित्यक उप्रता बचानी चाहिपु । ] वीर और अद्गुत का [ वीरस्य चैव यत्कर्मं सोऽद्गुतः, भृ० ना० ], रौद्र और करण का [ रौद्रस्यैव च यत्कर्मं स शेषः करणो रसः ], अथवा शृङ्गार और अद्गुत का, [ जैसे राजावली में ऐन्डजालिक के वर्णन प्रसङ्ग में ] यहाँ अङ्गाङ्गिभाव भले ही हो जाय । परन्तु उनका यह [ अङ्गाङ्गिभाव ] कैसे होगा जिनका चाध्यवाधक भाव [ विरोध ] है । जैसे शृङ्गार और शोभास का [ आलम्बन रूप नायिका में अनुरक्षित से रति की, और आलम्बन से पलायमान रूप से जुगुप्ता की उत्पत्ति होती है इसलिए आलम्ब-  
नैवय में रति और जुगुप्ता दोनों का चाध्य-घातक भाव विरोध है ] वीर और भयानक का [ भय और वध्याह का आलम्बनैवय में 'चाध्य-घातक भाव' विरोध है ] शान्त और रौद्र का [ नैरन्तर्य और विभावैवय दोनों रूप में 'क्षयघातक भाव' विरोध है ] अथवा शान्त तथा शृङ्गार का [ विभावैवय तथा नैरन्तर्य में विरोध है इन में अङ्गाङ्गिभाव कैसे बनेगा ] इस आशङ्का से यह कहते हैं ।

अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे ।  
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्याद् विरोधिता ॥२४॥

अङ्गिनि रसान्तरे शङ्खारादौ प्रबन्धव्यङ्गये सति, अविरोधी विरोधी वा रसः परिपोषं न नेतव्यः । तत्राविरोधिनो' रसस्याङ्गिरसापेक्षात्यन्तमाधिक्यं न कर्तव्यमित्यर्थं प्रथमः परिपोषपरिहारः । उत्कर्पसाम्येऽपि तयोः विरोधासम्भवात् ।

यथा—

एकन्तो रुद्धश्च पिण्डा अणणन्तो समरतूरणिष्ठोऽसो ।

गोदेण रणरसेण च भडस्स दोलाइच्छं हित्याम् ॥

[ एकन्तो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्धनिष्ठोः ।

स्नेहेन रणरसेन च भट्ट्य दोलायित हृदयम् ॥ इनिच्छाया ]

दूसरे रस के प्रधान होने पर उसके अविरोधी अथवा विरोधी [ किसी भी ] रस का [ अत्यन्त ] परिपोष नहीं करना चाहिए । इससे उनका अविरोध हो सकता है ।

प्रधानभूद शङ्खारादि रस के प्रबन्ध व्यङ्गय होने पर उसके अविरोधी अथवा विरोधी रस का परिपोषण नहीं करना चाहिए । [ उस परिपोषण के तीन प्रकार के परिहार क्रम से कहते हैं ] १—उनमें से अविरोधी रस का शङ्खी प्रधानभूत रस की श्रेष्ठता अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिए । यह प्रथम परिहार है । उन दोनों का समान उत्कर्प हो जाने [ तक ] पर भी विरोध सम्भव नहीं है ।

जैसे—

एक ओर प्रियतमा रो रही है और दूसरी ओर युद्ध के याजे का घोष हो रहा है । अतः स्नेह और युद्धासाह से धीर का हृदय दोलायमान हो रहा है ।

[ यहाँ धीर और शङ्खार का साम्य होने पर भी अविरोध है । ]

अथवा [ दो रूपों में साम्य होने पर भी अविरोध वा दूसरा उदाहरण ]

यथा वा—

कण्ठाञ्छ्रुतग्राहमालावलयमिथ करे हारमावर्तयती,  
कृत्वा पर्यङ्गवन्ध विपधरपतिना मेषलाया गुणेन।  
मिथ्यामन्त्राभिजापस्तुरुदधरुटव्यज्जिताव्यक्तहासा  
देवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तप्र हष्टा तु घोडव्यात् ॥

इत्यत्र ।

अङ्गिरसनिरुद्धाना व्यभिचारिणा प्राचुर्येणानिवेशनम्, ' निवेशने  
या त्रिप्रमेवाङ्गिरसव्यभिचार्यतुवृत्तिरिति द्वितीय ।

जैसे —

गले में से हार को तोड़ [ निकाल ] कर हाथ में नपमाला के समान  
उसको फेरती हुई, नागराज के स्थान पर मेषलारा सूत्र से पर्यङ्ग बन्ध आसन  
बाध कर झटमूठ मन्त्र जप के कारण हिलते हुए अधरणुर से अभिव्यक्त हास  
को प्रकट करती हुई, सन्ध्या नामक [ सप्तली ] के प्रति ईर्ष्यावश, महादद का  
उपहास करती हुई देखी गई, देवी पार्वती तो तुम्हारी रक्षा करें ।

इसमें [ प्रकृत ईर्ष्या प्रिप्रलभ्म और तद्रिरोधी मन्त्र जपादि से व्यङ्ग्य  
शान्त हन दोनों रसों का सम्बन्ध होने पर भी विरोध नहीं है ] ।

२—अङ्गिरस के विहृद, व्यभिचारी भावों का आधक निवेश न करना,  
अथवा निवेश करने पर शीघ्र ही अङ्गिरस के व्यभिचारी रूप में परिणत कर  
देना यह [ परिपोष के परिहार का ] दूसरा [ प्रकार ] है ।

विरोधी रस के व्यभिचारीभावों का यदि निवेश न किया जाय तो उसका  
परिपोष ही नहा होगा और नवयह रस कहा जा सकेगा । अतएव 'वा' से दूसरे विकल्प  
सी प्रबलता सूचित होती है और यह दोनों विकल्प अलग अलग नहीं हैं यह भी  
सूचित होता है । अन्यथा तीन के स्थान पर चार परिहार पक्ष बन जावेंगे । दूसरा  
पक्ष यह है कि विरोधी रस के व्यभिचारीभाव का निवेश बरने पर भी उसको शीघ्र  
ही अङ्गिरस के व्यभिचारी भावरूप में परिणत कर देना चाहिये । जैसे पृष्ठ १६०  
पर दिए हुए "कोपात् कोमलबाहुलतिरापारोन" इत्यादि श्लोक में अङ्गीभूत  
रति में अङ्ग रूप से जो रीढ़ के स्थायीभाव बोध का निवेश किया है उसमें 'पद्म्या  
हट' इस पद से उपर्यन्त रीढ़ रस के व्यभिचारीभाव [ बोध ] का, 'हट्या' और

वहूना समवेताना रुपं यस्य भवेद् यहु ।  
स मन्तव्यो रस. स्थायी शेषाः सञ्चारिण्यो मता. ॥

भ० ना० ७, ११६।

उक दोनों मत वाले इस श्लोक की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। रसों में अङ्गाङ्गिभाव या स्थायी सञ्चारीभाव मानने वालों के मत में इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि, चित्तवृत्ति रूप अनेक भावों में से जिसमा रूप वहु अर्थात् अधिक प्रमन्ध-यापक हो उसको स्थायी रस मानना चाहिए और शेष को व्यभिचारी। इस मत में 'रस. स्थायी' यह अलग-अलग पद है। वह रस स्थायी अर्थात् अङ्गी रस होता है शेष रस सञ्चारी अपना अङ्गरस होते हैं। किसी किसी जगह 'रस. स्थायी' इस प्रकार के विसर्गयुक्त पाठ के स्थान पर 'रस स्थायी' ऐसा विसर्ग रहित पाठ है उस दशा में इस मत वाले 'खर्परे शरि' इस वार्तिक से विसर्ग का वैकल्पिक लोप मानकर सञ्चति लगाते हैं। इस प्रकार इस मत से भरत मुनि ने रसों के स्थायी अर्थात् अङ्गी रूप और सञ्चारी अर्थात् अङ्ग रूप दोनों रूप स्थीकार किये हैं। लोचनकार ने भागुरि मुनि को रसों के स्थायी सञ्चारी मानने वाले पद का समर्थक बढ़ाते हुए लिखा है कि "तथा च भागुरिपि, किं रसानामपि स्थायीसञ्चारितास्तीति आकृत्याःयुपामनैवे-त्तरमनोचद् वादमिति ।" अत. रसों का स्थायो सञ्चारी भाव अर्थात् अङ्गाङ्गिभव होता है यह भागुरि मुनि को भी अभिमत है। अतएव इस मत को ही प्रधान मानकर आलोककार ने भी विस्तारपूर्वक उसके उपपादन का प्रयत्न किया है।

दूसरे मत वाले रसस्थायी को एक समस्त पद मानते हैं और उसमें 'द्विताय-भितानीनपतिनगतात्यस्तप्राप्नापन्ने.' इस पाणिनीसूत्र में स्थित 'गमिगम्यादीनामुण्ड-सख्यानम्' वार्तिक से समाप्त मानकर 'रसाना रसेषु वा स्थायी रसस्थायी' ऐसा विग्रह करते हैं। यह रसों का नहा उनके स्थायीभाव भा अङ्गाङ्गिभाव अथवा स्थायी सञ्चारीभाव मानते हैं। एक रस में स्थायीभाव होने पर भी वह दूसरे रस का सञ्चारी भाव हो सकता है। जैसे श्रोथ रीढ़ रस का स्थायीभाव होने पर भी यार रस में व्यभिचारीभाव होता है। अथवा एक रस में जो व्यभिचारीभाव है वही दूसरे रस में स्थायीभाव हो सकता है जैसे तत्वशान विषयक निवद शान्तरस में स्थायीभव होता है यद्यपि अन्य जगह वह व्यभिचारी भाव ही है। अथवा वहा एक व्यभिचारी भाव भी दूसरे व्यभिचारी भाव की अपक्षा स्थायी हो जाता है जैसे 'विक्रमोर्बर्शी' नाटक में चतुर्थ अङ्क में उन्माद। इस प्रकार भावों की स्थायिता और सञ्चारिता की प्रतिपादन करने के लिए भरत मुनि ने यह श्लोक लिखा है यह इस मन वालों

एवमनिरोधिना पिरोधिना च प्रबन्धस्थेनाङ्गिना रसेन समावेशे  
साधारणमविरोधोपाय प्रतिपादेदानीं विरोधितिपयमेन<sup>१</sup> त प्रतिपाद  
यितुभिद्मुच्यते —

पिरुद्धैकाश्रयो यस्तु पिरोधी स्थायिनो भवेत् ।

स पिभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽन्यदोपता ॥२४॥

एकाधिकरण्यविरोधी नैरन्तर्यविरोधी चेति द्विविधो पिरोधी ।  
तत्र प्रबन्धस्थेन स्थायिनाङ्गिना रसेनौचित्यापेक्षया विरुद्धैकाश्रयो यो

का कहना है । वे श्लोक के पदों का समन्वय इस प्रकार करते हैं कि चित्तवृत्ति रूप अनेक भावों में स जिसका अधिक विस्तृत रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है और वही रसीकरण योग्य होता है इसी स उसको रसस्थायी कहते हैं । शेष सब व्याभिचारी होते हैं । इसी लिये एक रस का स्थायीभाव दूसरी जगह व्यभिचारी अथवा एक रस का व्यभिचारी भाव दूसरी जगह स्थायी भाव हो जाता है ।

इस प्रसार पाइले मत में साक्षात् रसों ना, और दूसरे मत में उनके स्थायी भावों का साक्षात्, और परम्परा या लद्दणा से रसों का अङ्गाङ्गिभाव या उपकार्यपक्षारक भाव हा सकता है । इसलिये दोनों ही मतों में विरोधा रसों के अविराध का उपपादन किया जा सकता है ॥२४॥

इस प्रकार प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ उसके अविरोधी तथा विरोधी रसों के समावश में साधारण अविरोधोपाय का प्रतिपादन करके अथ [ पिशय रूप स ] विरोधा रस के ही उस [ अपिराधापादक उपाय ] का प्रतिपादन करने के लिए यह कहते हैं —

स्थायी [प्रधान] रस का नो विराधी एकाधिकरण्य रूप स विराधा हो उससे पिभिन्नाश्रय कर दना चाहिए [ फिर ] उसके परिपोष म भी कोई दोष नहीं है ।

विरोधी [ रस ] दो प्रसार के होते हैं, १ एकाधिकरण्य विरोधी और २ नैरन्तर्य विरोधा । [ एकाधिकरण्य विरोधी के भी किर दो मेंद हा नाते हैं आलम्बन के [ एक्य में विरोधी और आश्रय के एक्य में विरोधी ] ] इन में से

विरोधी यथा वीरेण भयानकः स विभिन्नाश्रयः कार्यः । तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्तद्विपक्षविपये सन्निवेशयितव्यः । तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि य परिपोषः<sup>१</sup> स निर्दोषः । विपक्षविपये हि भयातिशयवर्णने नायकस्य नयपराक्रमादिसम्पत् सुतरामुद्योतिता भवति । एतच्च मदीयेऽनुभुन्यरितेऽनुभुन्य पातालादतरणप्रभज्ञे वैश्यनेन प्रदर्शितम् ॥५॥

एवमैकाधिकरण्यविरोधिनः प्रबन्धस्थेन स्थायिता रसेनाङ्गभावगमने निर्विरोपित्वं यथा तथा दशितम् । द्वितीयस्य तु तत्प्रतिपादयितुमुच्यते : —

प्रबन्ध के प्रधान रस की दृष्टि से जो एकाधिकरण विरोधी रस हो, जैसे वीर में भयानक, उसको भिन्न आश्रय में कर दना चाहिए । [ अर्थात् ] उस वीर का जो आश्रय कथानायक उसके विपक्ष [ प्रतिनायक ] में [ उस भयानक रस ] का सन्निवेश करना चाहिए । ऐसा होने पर उस विरोधी [ भयानक ] का परिपोषण भी निर्दोष है । [ अर्थात् ] विपक्ष [ शशु ] विपक्षक भय के अतिशय के बर्णन से नायक की नीति और पराक्रम आदि का याहूल्य प्रकाशित होता है । यह यात मेरे 'अनुभुन्यस्ति' [ नामक काव्य ] में अनुभुन्य के पातालगमन के व्यापक में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है ।

एकाधिकरण्य विरोधी का अर्थ यह है कि समान अधिकरण या आश्रय में दोनों रस न रह सकें । जैसे वीर और भयानक ये दोनों रस एक आश्रय अर्थात् एक नायक में एक नायक नहीं रह सकते हैं । वीर का स्थायीभाव 'उत्साह' और भयानक का स्थायीभाव 'भय' यह दोनों एक जगह सम्मिलन होने से इन दोनों का आश्रय ऐक में विरोध है । इसका परिचार करने का सीधा उपाय यह है कि वीर को नायक निष्ठ और भयानक को प्रतिनायक-निष्ठ रूप से उभयनियदृष्टि किया जाय । ऐसा करने से उम वीर विरोधी भयानक ना परिपोष न बेचन निरोप होगा अभिन्न वीर रस का उत्तर्वाधायक होगा । और उसको अधिक चमकार युन देना देगा ॥६॥

प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ एकाधिकरण रूप विरोधी का, अङ्गभाव होकर जिस प्रकार अविरोध हो सकता है वह प्रकार दिखला दिया । अब

एकाश्रयत्वे निदोपो नैरन्तर्ये पिरोधगान् ।

रसान्तरच्युतधिना रसो व्यङ्गचो' सुमेधसा ॥२६॥

य पुनरेकाधिकरणत्वे निपिरोधो नैरन्तर्ये तु पिरोधी स रसान्तर-  
च्युतधानेन प्रवन्धे निवेशयितव्य यथा शान्तशृङ्खारौ नागानन्दे  
निवेशितौ ।

दूसरे [ अर्थात् निसक निरन्तर समावेश में पिरोध होता है उन नैरन्तर्ये पिरो-  
धियों ] के भी उम [ प्रपिराधीपषादक प्रसार ] को दियाने के लिए यह  
कहते हैं -

निस [ रस ] के एक आध्रय म नियन्त्रन में दोष नहीं है [ परन्तु ]  
निरन्तर [ पास पास अध्यवहित स्प से ] समावेश में पिरोध आता है, उसको  
[ दानों के ] बीच म अपिरोधी रस के क्षयन से च्यवहित करके तुद्धिमान्  
करि को बर्णन करना चाहिए ।

और जा [ रस ] एक अविकरण में अपिरोधी है परन्तु नैरन्तर्ये में  
पिरोधो है उसका दूसरे रस के व्यवहान से प्रवन्ध में समावेश करना चाहिए ।  
जैसे नागानन्द में शान्त और शृङ्खार [ बीच में दानों के अपिरोधी अद्भुत  
रस के समावेश से च्यवहित करके ] का समावेश किया गया है ।

नागानन्द में “शागस्यासदमित्यवैमि न च मे ध्वसीति न प्रत्यय” इत्यादि  
से लेकर परार्थरारीरपितरणहरा निर्यदण पयन्त शान्त रम है । और उसका  
पिरोधी मलयपती नियम शृङ्खार है । इन दोनों के बीच में दोनों के अपिरोधी  
अद्भुत रस का “अहो गीतमहो वादित्रम्” आदि से समावेश और उसी की  
पुष्टि के लिए “च्यक्तिशृङ्खनवातुना’ आदि का समावेश किया गया है । इस  
प्रसार नैरतर्ये पिरोधी रहो द बीच में अपिरोधी रस का समावेश कर देने से  
उनका अपिराप हो सकता है ।

यहाँ भाष्कार न नागानन्द के शान्त और शृङ्खार रस का उदाहरण  
दिया है । परन्तु कुछ लोग शान्त रस को अलग रख दी नहा मानते हैं । और  
न नागानन्द को शान्त प्रधान नाटक मानते हैं, “प्रपितु उसका मुख्य रस दृश्य वीर  
मानते हैं । इस नियम का निरापर से उपरादन भी ‘धनघन’ के ‘दशरूपक’ और

उसकी 'धनिक' पिरचित टीका में पाया जाता है। यहा आलोककार ने इस मत का खण्डन करके शान्त रस को अलग रस सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। शान्त रस को न मानने वालों की ओर से धनिक ने जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है कि—

कुछ लोग कहते हैं कि भरत मनि ने शान्त रस के विभावादि का प्रतिपादन नहीं किया है अतएव शान्त रस नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि अनादिकालीन रागद्वय के प्रवाह का सर्वथा उच्छ्रेद असम्भव होने से रागद्वयोच्चेदात्मक शान्त रस सम्भव नहीं है। तीसरे लोग चीर आदि रस में शान्त रस का अन्तर्भाव करते हैं। इनमें ने कोई पक्ष माना जाय या न माना जाय इसमें धनिक को कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना तो यह है कि नाटक में शान्त रस की पुष्टि नहीं हो सकती है। क्योंकि शान्त की स्थिति में समस्त व्यापारों का विलय हो जाता है। उस समस्त व्यापारशृङ्खला रूप शान्त रस का अभिनय हो ही नहीं सकता है अतएव धनिक और धनञ्जय नाटक में राम के स्थायीभावत्व का निरेप करते हैं।—“शममपि वेचित् प्रादु पुष्टिंतस्य नाट्येतु ।”

निवेदादिरतादृप्यादस्थायी रवदते कथम् ।

वैरस्थायेऽ तत्सोऽस्तेनाशी रथायिनो मताः ॥ दश रु० ४, ३६ ।

अर्थात् स्थायीभाव का जो यह लक्षण किया गया है—

पिष्टद्वैरपिष्टद्वैर्भावैर्विच्छिन्नते न य ।

आत्मभाव नयत्यन्यान् स स्थायी लक्षणरः ॥ दश रु० ४, २४ ।

यह निवेद में नहीं पड़ता है। इसलिए यह स्थायीभाव नहीं वेदन व्यभिचारी भव है। और उसका सर्वयावाहोरतिह्य होने से उसका परिपोष भी नाटक में नहीं हो सकता है, यदि किया जाएगा तो यह नीरस ही होगा। अतः निवेद स्थ यी भाव नहीं है और न शान्त रस हा कोई रस है। रही नागानन्द की वास सो उसमें शान्त रस बताना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें मलयनती के प्रति अनुग्रह और अन्त में विद्याघरचंद्रवर्णिन्य की प्राप्ति का जो वर्णन है यह शान्त रस के सर्वथा प्रतिकूल है। अतएव उसमें शान्त रस नहीं है। अपितु द्वयायीर्वे अनुस्य उत्साह उत्साह स्थायी भाव होने से ऊर रस है। इस प्रकार शान्त रस का अन्तभाव चीर रस में करने हैं। इन्हीं सब पदों का खण्डन करके शान्त रस की सिद्धि करने के लिए अन्तोऽक्षर ने अगला प्रमुख उदाया है।

शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोपस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत  
एव । तथा चोक्तम् :—

यच्च कामसुरं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः पोदर्शीं कलाम् ॥

यदि नाम सबेजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नैतावताऽसाव-  
लोकसामान्यमहानुभावचित्तवृत्तिविशेषः । प्रांतक्षेप्तुं शक्य । ३८ च  
वीरे तस्यान्तर्भावं करुं युक्तः । तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात् ।  
अस्य चाहद्वारप्रशमैकरूपतया स्थितेः । तयोरुचैवप्रियविशेषसद्ग्राहेऽपि  
यद्यैवयं परिकल्प्यते तद्वीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः । दयावीरादीनां तु  
चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहद्वारारहितत्वेन शान्तरसप्रभेदत्वम्,  
इतरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न करिचद् विरोधः ।  
तदेवमस्ति शान्तो रमः । तस्य चाविन्द्रसव्यवधानेन प्रबन्धे विरोधि-  
रससमावेशो सत्यपि निर्विरोधत्वम् । यथा प्रदर्शिते विषये ॥३८॥

तृष्णा नाश से उत्पन्न सुख का जो परिपोप तत्स्वरूप शान्त रस  
प्रतीत होता ही है [ अर्थात् उसका अपलाप, निषेध नहीं किया जा सकता है ]  
इसी से कहा है—

इसार में जो काम सुख और जो ध्लौकिर महान् सुख है यह दोनों  
तृष्णा द्वय [ सन्तोष जन्य ] सुख की सोलहर्वीं कला के घरावर भी नहीं है ।

यदि में [ शान्त रस ] संप्रसाधारण के अनुभव का विषेय नहीं है तो  
इसमें असाधारण महापुरुषों के चित्तवृत्ति विशेष रूप शान्त रम दा निषेध नहीं  
किया जा सकता है । और न वीर रस में उमड़ा अन्तभावं करना उचित है ।  
क्योंकि वीर रस अहद्वारमय स्वरूप से स्थित होता है और इस शान्त की स्थिति  
अहद्वार प्रशम स्वरूप से होनी है । उन [ शान्त और वीर ] दोनों में इस प्रकार  
का भेद होते हुए भी यदि ऐक्य माना जाव तो किर वीर और रौद्र को  
भी पृक्ष ही मानना होगा । दयामोर आदि वीर चित्तवृत्ति विशेष पदि द्वय प्रकार  
के अहद्वार से रहित हो तब तो उसको शान्त रस का भेद वह सत्ते है  
अन्यथा [ अहद्वारमय चित्तवृत्ति होने पर ] वीर रस का भेद होता, ऐसी  
स्थिरस्था करने से उनमें कोई विशेष नहीं होगा । इस प्रकार शान्त रम है ।  
और विशेषी रस का समावेश रहने पर भी अविन्द रम के द्वयगान से प्रयत्न्य

१. विशेषवत् निः, दी० । २. वीरे च तस्यान्तर्भाव एतुं उत्त निः ।

एतदेव स्थिरीरुत्तमिदमुच्यते—

रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि ।

निवर्तते हि रसयोः समावेशं विरोधिता ॥२७॥

रसान्तरव्यवहितयोरेकप्रभ्यस्थयोरपि विरोधिता निवर्तते इत्यन्तं काचिद् धान्तिः । यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्त्या नीत्या विनष्टता निवर्तते ।

यथा :—

भूरेगुद्विष्यात्रवपारिजातमालारजोवासितवाहुमध्याः ।

गाढं गिवाभिः परिभ्यमाणान् सुराह्नानाश्चित्प्रभुजान्तरालाः ॥

भशोणितैः क्रव्यमुजा स्तुरद्वि. पचैः रगानामुपवीड्यमानान् ।

संयोजिताच्चन्दनपारिमेरैः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलैः ॥

यिमानश्चेत्तत्त्वे निश्चरणा कुनृत्वाचिष्टतया ददानीन् ।

निदिश्यमान न ललमागुलोभिर्वीरा स्वदेहान् पतितानपश्यन् ॥

इत्यादौ । अब हि शृङ्खारवीभत्सयोस्तद्ग्रयोर्वा वीरस-  
व्यवधानेन समावेशो न विरोधी ॥२७॥

विरोधमविरोधं च सर्वग्रेत्थं निरूपयेत् ।

विशेषतस्तु शृङ्खारे सुकुमारतमो' ह्यसी ॥२८॥

यथोक्तलक्षणानुसारेण विरोधाविरोधी सर्वेषु रसेषु प्रवन्धेऽन्यत्र  
च निरूपयेत् सहदयः । विशेषतस्तु शृङ्खारे । स हि रतिपरिपोपात्मक-  
त्वाद्, रतेश्च स्वल्पेनापि निमित्तेन भङ्गसम्भवात्, सुकुमारतमोः  
सर्वेभ्यो रमेद्यो मनागपि विरोधिसमावेशं न सहते ॥२८॥

[ध्यपत्तराद्यों, रत्वेश्याद्यों] द्वारा अंगुली [के संकेत] से दिलाए जाते हुए, गृह्णी  
की धूल में सने हुए, शगालियों से गाढ़ आलिङ्गित और मासाहारों पत्तियों  
के रक्त में सने हुए, तथा हिलते हुए पत्तों से हथा किये जाते थीर [ सुदभूमि  
में ] पढ़े हुए अपने शरीरों को देया ।

इत्यादि में । यहा शृङ्खार थीर यीभास रस अथवा उसके अहों [स्थायी-  
भावों, रतिद्रुतया जुगुप्ता] का थीर रस के व्यवधान से समावेश पिल्द नहीं है ।

यहा 'वीरु' कर्ता और 'स्वदेशन्' कर्म है । सारे वाक्य में अनुगतरूप से  
उनकी प्रतीति होती है और समस्त वाक्य में ही शृङ्खार तथा यीभ स अथवा  
उनके स्थायीभाव रति और जुगुप्ता व्यापक है इसलिए वीरस के बीच में  
व्यवधान की प्रतीति नहीं जान पड़ती है फिर भी 'भूरेणुदिग्धान्' इस विशेषण के  
बोध से वीपत्स, और 'नवपारिजातमालारजोवासितशाहुमध्याः' इस विशेषण के  
बोध से शृङ्खार, और इन दोनों के बीच विशेष्य बोध के स्वर में थीर रस यी प्रतीति  
होती है । इस प्रकार यहा शृङ्खार तथा यीभस के बीच में थीर का व्यवधान होने  
से उनका समावेश उचित है ॥२७॥

विरोध तथा अविरोध का सर्वथ इसी प्रकार निरूपण करना चाहिए ।  
विशेष कर शृङ्खार में, क्योंकि यह सदन्ये अभिक सुकुमार होता है ।

उपयुक्त लक्षणों के अनुमार प्रदर्शन कार्य में और अन्यत्र [ मुश्तकों  
में ] सदृश्यों को सब रथों में विरोध अथवा अविरोध को परिषानना चाहिए ।  
विरोध कर शृङ्खार में । क्योंकि यह रथ के परिषेप रूप होने से, थीर रति

अवधानातिशयवान् रसे तत्रैव सत्कविः ।

भवेत् तस्मिन् प्रमादो हि भट्टित्येवोपलक्ष्यते ॥२६॥

तत्रैव च रसे सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सौकुमार्यातिशययोगिनि  
कविरवधानवान् प्रयत्नवान् स्यात् । तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्य सहृदयमध्ये  
किप्रमेवावज्ञानचिपयता भवति ॥२६॥

शङ्खारसो हि संसारिणा नियमेनानुभवविपयत्वात् सर्वरसेभ्यः  
कमनीयतया प्रवानभूतः । एवं च सति :—

विनेयानुन्मुखीरुतुं काव्यशोभार्थमेव वा ।

तद्विरुद्धरसस्पर्शस्तदङ्गानां न दुष्प्यति ॥३०॥

के तनिक से भी कारण से, भड़ हो जाने से, सब रसों से अधिक सुकुमार है  
और विरोधी के तनिक से भी समावेश को सहन नहीं कर सकता है ॥२८॥

सत्कवि को उसी [ शङ्खार ] रस में अत्यन्त सावधान रहना चाहिये  
[ क्योंकि ] उसमें [ तनिक सा भी ] प्रमाद तुरन्त प्रतीत हो जाता है ।

सब रसों से अधिक सुकुमार उसी रस में कवि की सावधान, [ और ]  
प्रयत्नशील होना चाहिए । उसमें प्रमाद करने वाले उस [ कवि ] की सहदयों  
के बीच शीघ्र ही तिरस्कार निषयता हो जाती है ॥२६॥

शङ्खाररस समस्त सांसारिक पुरुषों के अनुभव का निषय अत्यन्त होता  
है अत सांदर्भ की दृष्टि से प्रधानतम है । ऐसा होने से :—

शिष्यो वी [ शिष्यशीय विषय में ] प्रवृत्त करने की दृष्टि से अथवा  
काव्य की शोभा के लिए उस [ शङ्खार ] के विरोधी [ शान्त आदि ] रसों में उस  
[ शङ्खार ] के अड्डों [ व्यभिचारी भावादि ] का स्पर्श [ पुष्ट ] दृष्टित नहीं होता  
जैसे, लोचनकार निर्मित स्तोत्र में,

त्वा चन्द्रचूड सहसा सृशन्ती प्रागेश्वर गाढनियोगतां ।

ता चन्द्रकान्तादृतिपुत्रिकैव उन्निद् विलीयापि विलीयने मे ॥

इस श्लोक में चन्द्रचूड शिव की स्तुति है । शङ्खार की पढ़ति में

१. भगित्येवावभासते द्व०, भगित्येवोपलक्ष्यते तिं० ।

शृङ्गारविरुद्धरसस्पर्शः शृङ्गाराङ्गाणं ॥ यः स न केवलमविरोध-  
लक्षणयोगे सति न दुष्प्रति, यावद् विनेयातुन्मुखीकर्तुं काव्यशोभार्थमेव  
वा कियमाणो न दुष्प्रति । शृङ्गररसाङ्गैरुन्मुखीकृताः सन्तो हि विनेयाः  
सुगमं विनयोपदेशान् गृहन्ति । सदाचारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोप्ती,  
विनेयज्ञनहितार्थमेव मुनिभिरत्वतारिता ।

चन्द्रचूड शिव को पति, और अपनी बुद्धिवृत्ति को चन्द्रकान्त मणि से निर्मित पुतली के समान सुन्दर अपनी अर्थात् स्तोत्र रचयिता की पुत्री तथा शिव की पत्नी रुप माना है । वह तुदि वृत्ति अपने प्रियतम शिव से वहून काल से रियुक्त होने के भारण अत्यन्त प्रियोग सन्तप्त है । शिव के ध्यान में तनिक देर के लिए चित्त एकाप्र होने से, चन्द्रचूड शिव का स्वर्ण पासर वह तदाकारापन होने से स्वरूप निरीन, पति के आलिङ्गन में सर्वात्मना रिलीन सी होन्तर चन्द्रचूड के सर्वं से द्रष्टव्य होन्तर रिलीन हो जाने वाली चन्द्रकान्त पुत्तलिश के समान रिलीन हो जाती है ।

यहां शान्त रस के विभाव, अनभाव आदि का भी शृङ्गाररस की पद्धति से निरुपण किया गया है । यदि सीधी शान्त रस की शैली में इस बात को कहा जाय तो वह, सब सहृदयों को उतनी रुचिर नहीं होगी जितनी इस प्रकार हो जाती है । यहा शृङ्गार रस के प्रियेषी शान्त रस में भी शृङ्गार का पुट लग जाने से काव्य में चमत्कार आया है इसलिये काव्यशोभा इस प्रकार के पुट का एक प्रयोजन है ।

दूसरा मुख्य प्रयोजन शिष्यों की शिक्षणीय विषय में प्रवृत्ति करना है । इसलिये उपदेशाप्रद वेदादि को 'शब्द प्रधान' होने से 'प्रभु शब्द', और इतिहास पुण्यादि को 'अर्थात्तर्यपथान' होने से 'मुद्रच्छब्द', तथा काय नाटकादि को 'एत तात्पर्य' प्रधान होने से 'कान्ता शब्द' के समान माना है । निनमें 'कान्ता-शब्द-सम्मिन्न' काय नाटकादि से राख्यों को रगारादन पूर्वक रिक्ता ग्राप्त होने से रिख्यों का उन्मुखीकरण उनका मुख्य प्रयोजन है ।

शहार के अहों का जो शहार विश्वदर्शकों के माध्य रद्दगं है वह केवल दूर्भेदत अविरोध सद्यों के होने पर ही निर्देश हो यह बात नहीं है अपितु शिष्यों को उन्मुख परने अथवा कारण शोभा की दृष्टि में रिख्या जाने पर [भी]

किञ्च शृङ्खारस्य सरलजनमनोहरभिरामत्वात्<sup>१</sup> तदङ्गसमावेशः  
काव्ये शीभातिशयं पुष्प्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि<sup>२</sup> रसे शृङ्खारङ्ग-  
समावेशो न विरोधी । तत्त्वच :—

सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रस्या विभूतयः ।

किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम् ॥

इत्यादिपु नास्ति रसविरोधोपायः ॥३०॥

दूषित नहीं होता है । शृङ्खार रस के अहों से प्रहृत हुए शिष्यगण सदाचार के उपदेशों को आनन्दपूर्वक प्रहण कर लेते हैं । [भरतादि] मुनियों ने शिवणीय जानों के हित के लिए ही सदाचारोपदेश रूप नाटकादि गोष्ठी [मरडली] की अवतारणा की है ।

और शृङ्खार के सब लोगों के मन को हरण करने वाला और सुन्दर होने से उसके अहों का समाप्तय काव्य में सौन्दर्य के अतिशय की घृदि करने वाला होता है इस प्रकार से भी विरोधी रस में शृङ्खार का समावेश विरोधी नहीं है । इसलिये :—

यह ठीक है कि स्थित्यां वडी मनोरम होती है, यह ठीक है कि [प्रश्वर्य] पिभूति वडी सुन्दर होती है, किन्तु [उनका भोग करने वाला यह] जीवन [तो] मत्त स्त्री के कठाश के समान अत्यन्त अस्थिर है ।

इत्यादि में रस विरोध का दोष नहीं है ॥३०॥

यहा सब जगत् की अनित्यता रूप शान्त रस के विभाव का वर्णन करते हुए 'त्वा चन्द्रचूड' इत्यादि के समान किसी विभाव का शृङ्खार पद्धति से वर्णन नहीं किया है । किन्तु 'सत्यं शब्द से मानों पर-हृदय में प्रेश कर करि बहना चाहता कि इम मिथ्या ही वैसाय की वात नहीं करते श्रपितु यह 'रुमा' और 'रस्या विभूतयः' जिसे लिए हैं वह जीवन ही दत्तना अस्थिर है । 'मत्ताङ्गनापाङ्गमङ्ग' शृङ्खार रस का विभावरूप अङ्ग है । मत्ताङ्गना के सर्वभिलपयणीय कठाश की अस्थिरता से पिश्व के 'पिभूति' और 'रुमा' आदि विषयों की अस्थिरता की उपरा देने से वैराग्य वा विषय सरलता से समझ लिया जाता है ॥३०॥

१. सत्तनमनमनोऽभिरामत्वात् दी० । २. विरोधिरसे नि�०, दी० ।

विज्ञायेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः ।

विषयं सुकविः काव्यं कुर्वन् मुहूर्ति न कवचित् ॥ ३१ ॥

इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासानां परत्परं विरोधस्थाविरोधस्य च विषय विज्ञाय सुकविः काव्यविषये अतिभानिशयसुकविः काव्यं कुर्वन् न कवचिन्मुहूर्ति ॥ ३१ ॥

एव रसादिपु विरोधाविरोधनिष्पणस्योपयोगित्वं प्रतिपाद्य च्यञ्जकवाच्य वाचक निष्पणस्यापि तद्विषयस्य तत्प्रतिपाद्यते :—

वाच्यानां वाचकानां च यदीचित्येन योजनम् ।

रसादिविषयेणैतत् कर्म मुख्यं महाकवेः ॥ ३२ ॥

वाच्यानामिनिवृत्तिरिशेषाणा वाचकानां च तद्विषयाणा, रसादिविषयेणैचित्येन यद् योजनमेतन्महाकवेमुर्वर्तं कम् । अयमेव हि महाकवेमुख्यो व्यापारो यद्रसादीनेव मुख्यतया फल्यार्थकृत्य तद्व्यक्तयनुगुणत्वेन शब्दानामर्थाना चोपनिषद्वनम् ॥ ३२ ॥

इस प्रकार रस आदि के अविरोध और विरोध के विषय की समझ कर वाच्य रचना करने वाला कवि वही भ्रम में नहीं पड़ता है ।

इस प्रकार अभी वही रीति से, रस आदि अर्थात् रस, भाव और चदाभासान्<sup>१</sup> के परत्पर विरोध और अविरोध के विषय की समझ कर वाच्य के विषय में रसादिविषय [ अतिभानिशय ] हुआ सकति काव्य इत्या परते हुए अहीं व्यापोह [ भ्रम ] में नहीं पड़ता है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार रस आदि में विरोध और अविरोध के विषय वी उपयोगिता प्रतिपादन करके, उम [ रसादि ] विषय के व्यञ्जक, वाच्य [ कथा वस्तु ] तथा वाचक शब्दादि के विषय का भी उपयोगिता प्रतिपादन करते हैं :—

वाच्य [ कथावस्तु ] और [ उमरे ] वाचक शब्दादि ही रसादि विषयक अविषय की इटि से जो योजना करना है यही महाकवि का मुख्य कारण है ।

वाच्य अपार्ट इनिष्टू [ कथावस्तु विषय ] और उमके सम्बन्धी वाचक शब्दादि का रसादि विषयक अविषय की इटि से योजना करना है यह महाकवि का मुख्य कारण है । रसादि वा मुख्यपरम से कारण पा विषय द्वारा यह उमके सम्बन्धी अपार्ट अविषय का विषय करना यही महाकवि का मुख्य कारण है ॥ ३२ ॥

एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिवन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्ध-  
मेवेति प्रतिपादयितुमाह' :—

**रसादनुगुणत्वेन व्यवहारोऽर्थशब्दयोः ।**

**औचित्यवान् यस्ता एता वृत्तयोः द्विविधाः स्थिताः ॥३३॥**

व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण औचित्यवान् वाच्याश्रयोपनागरिकाद्य वृत्तयो हि रसादितात्पर्येण सन्निवेशिताः कामपि नाट्यस्य काव्यस्य च छायामावहन्ति । रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जीवभूताः । इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव ।

रसादि के तात्पर्य से [ रसादि को प्रधान मान कर ] यह काव्य रचना भरत [ के नाट्यशास्त्र ] आदि में भी प्रसिद्ध है यह प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं :—

रस आदि के अनुकूल शब्द और अर्थ का जो उचित व्यवहार है वही ये दो प्रशार की वृत्ति मानी जाती है ।

व्यवहार को ही वृत्ति कहते हैं । उनमें रसानुगुण औचित्य यत् ओ वाच्य अर्थ का व्यवहार है वह कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं । और वाचक [शब्द] आधित जो व्यवहार है वह उपनागरिकादि वृत्तियाँ हैं । रसादिपरतया [रसादि के अनुकूल, रसादि को प्रधान मान कर ] प्रयुक्त की गई [ कैशिकी आदि तथा उपनागरिकादि ] वृत्तियाँ नाटक और काव्य में [ क्रमशः ] वृद्ध अनिवार्यनीय सौम्दर्य उत्पन्न कर देती हैं । रसादि उन दोनों प्रशार की वृत्तियों के आधमभूत है ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वृत्ति शब्द साहित्य में अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है । यहाँ भरत के नाट्यशास्त्र की कैशिकी आदि और भट्टोद्धर आदि की अभिमत उपनागरिका आदि वृत्तियों का अर्थव्यवहार और शब्द व्यवहार रूप से सुन्दर और सुवोध भेद किया है । शब्द व्यवहार में भी शब्दरचना की दृष्टि से उपनागरिकादि और अर्थमें धानुकूल व्यापार की दृष्टि से अभिधा-लक्षणा आदि को वृत्ति कहा जाता है । इन प्रशार की व्यवस्था में वृत्ति शब्द के तीन अर्थ बिल्कुल अलग अलग और साफ़ ही लाने हैं ।

१. प्रतिपादयितुमिदमुच्यते दी० । २. विविधा इमूताः नि० ।

अप्र केचिदाहुः, 'गुणगुणिव्यवहारो न्सादीनामितिवृत्तादिभिः  
सहयुक्तो, न तु जीवशरीरव्यवहारः। रसादिमयं हि वाच्यं प्रतिभासते,  
न तु रसादिभिः पृथग्भूतम्' इति ।

अत्रोच्यते, यदि रसादिमयमेव वाच्यं यथा गौरत्वमयं शरीरं  
एवं सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने नियमेनैव गौरत्वं प्रतिभासते  
सर्वस्य, तथा वाच्येन संहेयं रसादयोऽपि सहदृश्यस्यासहदृश्यं च  
प्रतिभासेन् । न चैवम् । तथा चैततु प्रतिपादितमेवं प्रथमोद्योते ।

स्यान्मतम्, रत्नानामित्र जात्यत्रं प्रतिपत्तृविशेषतः । सबेद्य  
वाच्यानां रसादिरूपत्वमिति ।

नैवम्, यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपा-

[ पूर्वपत्र ] छुट्ट लोगों का कहना है कि हृतिवृत्त [ कथापस्तु ] के  
साथ रसादि का गुण गुणो व्यवहार ही युक्त है । जोप और शरीर व्यवहार  
नहीं । [ वयोकि ] वाच्य [ कथापस्तु गुण, रसादि स्वयं गुणो से युक्त होने  
से ] रसादिमय प्रतीत होता है [ आमा से भिन्न शरीर के समान ] रसादि से  
शृण्व [ प्रतीत ] नहीं [ होता है ] ।

[ सिद्धान्त पद ] इस पर हम यह कह सकते हैं कि यदि वाच्य  
[ कथापस्तु ] गौरत्वमय शरीर के समान रसादिमय ही होता तो जैसे शरीर  
की प्रतीति होने पर [ हरणक व्यक्ति को ] गौरत्व की प्रतीति अपरत्य होती  
है इसी प्रकार वाच्य के साथ ही महदृश्य, अमहदृश्य सब को रसादि की प्रतीति  
भी होती चाहिए । दरन्तु पेत्सा होता नहीं है, इसे इस प्रथम उद्योत में  
['शब्दार्पणासननामायेण्य न पेत्सते' इत्यादि कारिका ७ एष ५६ में] प्रति-  
पादन कर युक्त है ।

[ पूर्वपत्र ] जिस प्रकार इन्हों पा दाक्षं [ जायाय, उरुषजर्त्यय ]  
विशेषज्ञ [ जीहरी ] ही जान सकता है [ हर एक व्यक्ति को यह धर्तीत नहीं  
होता ] दसो प्रकार वाच्य [ कथापस्तु ] का रसादिमय [ रसादिमय स्वयं  
गुणोऽकर्त्त ] विशेषज्ञ [ सहदृश्य ] को ही प्रताप होता है [ सर्वंसाधारण को  
नहीं ] यदि यह अभिनन द्वारा नहीं, [ उत्तर यह है कि ] :—

[ सिद्धान्त पद ] यह दाढ़ नहीं है । वयोकि जैसे उरुषजात ए स्व

येपामपि स्वरूपविशेषप्रतीतिनिमित्तं व्यञ्जकत्वं यथा गीतादि-  
शब्दाना, तेपामपि स्वरूपप्रतीतेव्यञ्जकप्रतीतेऽच नियमभावी<sup>१</sup> क्रम ।  
‘ततु शन्दस्य कियापौर्वपर्यमनन्यसाध्यतत्फलघटनास्वाशुभाविनीषु  
वाच्येनाविरोधिन्यभिधेयान्तरविलक्षणे रसादौ न प्रतीयते ।

काव्ये रसप्रतीतिर्न भवति तगोचित् प्रकरणावगमादि सहकारी नास्तीत्याशक्याह  
चदि चेति । प्रकरणावगमो हि क उच्यते, किं वाक्यान्तरसहायत्वं, अथ वाक्यान्तराणा  
सम्बन्धिवाच्यम् । उभयपरिश्नेऽपि न भवति प्रकृतवाक्यार्थावेदने रसोदय ।  
स्वयमिति । प्रकरणमात्रमेव परेण केनचित्रेषा व्याख्यातमिति भाव । न चान्य  
व्यतिरेकता वाच्यप्रतीतिमपन्हुत्य, अदृष्टसद्भावाभावी शरणत्वेनाश्रिती मात्स-  
र्यादधिक किञ्चित् पुष्टीत इत्यभिप्राय ।

इस व्याख्या में लोचनकार ने मूल के ‘च्यव’ पद को भिन्नक्रम मान कर  
उसे ‘अवनधारितप्रकरणाना’ के साथ जोड़ कर सङ्गति लगाने का प्रयत्न किया है ।  
अर्थात् जिनको स्वय काव्य शब्दों के वाच्य वाचक भाव का ज्ञान नहा है, जो काव्य  
शब्दों के अर्थ को नहीं समझते और अर्थ न समझने के कारण स्वय प्रकरण  
मी नहीं समझ सकते परन्तु किसी दूसरे ने उनको प्रकरण बतला दिया है ।  
‘प्रकरणमात्रमेव परेण केनचिद् देपा व्याख्यात’ उनको अर्थ के न समझने पर  
मी रस की प्रतीति होनी चाहिए । परन्तु होती नहीं है इसलिए रस प्रतीति में  
वाच्य प्रतीति का भी उपयोग है । इस प्रकार की व्याख्या लोचनकार ने दी है ।  
उन्हीं के अभिप्राय के अनुसार हमने अनुग्राद किया है । क्योंकि अन्य सब  
व्याख्याओं की अपेक्षा यह व्याख्या अधिक सरल और स्वारसिक व्याख्या है ।

\* और [ दूसरे प्रश्न के शार्द्धा म ] जहा [ गीतादि में ] स्वरूप विशेष  
प्रतीति मूलक व्यञ्जक न है जैसे गीतादि शब्दों म उनक यहा भी स्वरूपविशेष  
की प्रतीति और व्यञ्जक की प्रतीति में क्रम अवश्य रहता है । मिन्तु शब्द की  
[ वाचक्त्वं और व्यञ्जक्त्वं रूप अथवा प्रभिग व्यञ्जनास्वप ] कियाओं का  
पौरापर्य [ क्रम ] प्रकारान्तरामाध्यफलक विप्रभाविनी रचनाओं में वाच्य क  
अपिरोधा तथा अन्य वाच्यों से विकल्पण रसादि [ स्व व्यञ्जक के बोधन ] में  
[ वह क्रम ] प्रतीत नहीं होता है ।

‘तत्’ से लेकर ‘प्रतीयते’ पर्यन्त इस पक्ति की व्याख्या लोचनकार ने इस प्रकार की है। ‘ननु संश्वेत् क्रमः कि न लद्यते इत्याशङ्कामाह।’ यदि क्रम है तो मालूम क्यों नहीं पहता, ऐसी शङ्का करके कहते हैं तत् इति। ‘क्रियापौर्वार्थ्यमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह।’ यदि क्रम है तो मालूम क्यों नहीं पहता, ऐसी शङ्का करके कहते हैं तत् इति। ‘क्रियापौर्वार्थ्य’ से क्रम का स्वरूप कहते हैं। ‘क्रियेते इति क्रिये’ वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीती, यदि वाभिधाव्यापारो, व्यञ्जनापरपर्याप्तो व्यञ्जनव्यापारश्चेति क्रिये। ‘क्रियेते इति क्रिये’ यह ‘क्रिये’ इस शब्द की व्युत्पत्ति है। जो की जावें ये दोनों क्रियाएं ‘क्रिये’ हुईं। इसमें वाच्य और व्यङ्ग्य प्रतीति रूप दो क्रियाएं अथवा अभिधा व्यापार और व्यञ्जना नामक व्यञ्जन व्यापार यह दो ‘क्रिये’ शब्द से प्रदृश की जा सकती हैं। ‘तयोः पौर्वार्थ्यं न प्रतीयते।’ उनका पौर्वार्थ्य-नम-प्रतीत नहीं होता है। क्व। रसादी विषये। कीदृशि, अभिधेयान्तरगद् अभिधेयविशेषाद् विलक्षणे उर्ध्वपैवानभिधेये, अनेन भवितव्यं तावत् प्रमेणेत्युक्तम्। तथा वाच्येनाविरोधिनि, विरोधिनि तु लद्यत एवेत्यर्थः।’ कहाँ प्रतीत नहीं होता। रसादि विषय में। कैसे रसादि में। अभिधेयान्तर अर्थात् अभिधेय विशेष से भिन्न, अर्थात् सर्वथा अनभिधेय रसादि में। इससे यह दृचित किया कि क्रम अपर्य होना चाहिये। तथा वाच्य से अविरोधी रसादि में क्रम लक्षित नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि विरोधी में लक्षित होता है। ‘कुतो न लद्यते इति निमित्त-सतमीनिर्दिष्टं हेत्यन्तरगमे हेतुमाह। आशु भाविनीष्ठिति।’ क्यों नहीं लक्षित होता है इस विषय में निमित्त सतमी से निर्दिष्ट हेत्यन्तरगमं हेतु कहते हैं। ‘आशु-भाविनीषु।’ अनन्यव्याधतत्त्वजस्तुट्टनासु, सहृदनाः पूर्वं माधुर्यादिलक्षणाः प्रतिपादिताः गुणनिष्पत्त्यावधरे, ताश्च तत्कलाः, रसादिप्रतीतिः फः यासां तथा अनन्यत् तदेव साध्यं यासां नदि श्रोजेष्वन्नायाः क्रृणादिप्रतीतिः साध्या।’ घटना से माधुर्यादि का प्रदृश करना चाहिये यह चात पहुँचे गुण निष्पत्त के अवसर पर कह नुक्के हैं। ‘तत्कलाः’ का अर्थ रसादि प्रतीति जिनसा फल है यह करना चाहिये। ‘अनन्य लाभ्य’ से वही मियोर पल जिनका है अर्थात् श्रोज के अनुगुण घटना से करण आदि की प्रतीति नहीं हो सकती। यह दृचित किया। ‘ननु भ्रत्येऽसहृदनार्थस्तिः, क्रमसु किं न लद्यते अत आद आशुभाविनीषु वाच्यप्रतीति-शास्त्रप्रतीयग्नेन स्निर भर्दति ता रसादीन् भावयन्ति तदास्माद् निदप्रतीयर्थः।’ सहृदनाओं की रिप्ति जैसे आप कहते हैं वैष्णी हो पत्तु क्रम क्यों नहीं मालूम होता इसके उत्तर के लिए ‘आशुभाविनीषु’ कहा है। वाच्य प्रतीति की प्राप्तिका रिप्ति मिया हो यह शीमां से रकादि का आसाद करा देती है।

कवचित्तु लक्ष्यत एव । यथानुरणं स्तुपव्यहृच्य प्रतीतिपु । तत्रापि कथमिति चेदुच्यते । अर्थशक्तिमूलानुरणस्तुपव्यहृये, ध्वनौ तावदभिधेयस्य तत्सामर्थ्यान्विप्तस्य चार्यस्य, अभिधेयान्तरविलक्षणतया, अत्यन्तविलक्षणे ये प्रतीती तयोरशक्यनिन्हयो निमित्तनिमित्तभाव इति सुन्दरमेव तत्र पौर्वपर्यम् । यथा प्रथमोद्योते प्रतीयमानार्थसिद्धचर्य-सुदार्दत्तासु गाथासु । तथानिधे च चिपये वाच्यव्यङ्ग्ययोरत्यन्तविलक्षणत्वाद् यैव एकस्य प्रतीतिः सैवेतरस्येति न शक्यते वक्तुम् ।

शब्दशक्तिमूलानुरणस्तुपव्यहृये तु ध्वनौ :—

“गावो व पावनाना परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ।”

इत्यादावर्थद्वयप्रतीतौ शब्द्यामर्थद्वयस्योपमानोपमेयमावप्रतीति-

कहीं [ सलच्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के भेदों में वाच्य और व्यङ्ग्य का ब्रह्म ] दिखाई देता ही है । [ सलच्यक्रम और असंलच्यक्रम व्यङ्ग्य दोनों में व्यङ्ग्यता समान होने पर भी एक जगह ब्रह्म प्रतीत होता है और दूसरी जगह नहीं, इस भेद का क्या कारण है, इस आशङ्का से आगे बढ़ते हैं ] जैसे अनुरणस्तुप [ संलच्य ब्रह्म ] व्यङ्ग्य की प्रतीतियों में । यहां भी कैसे प्रतीत होता है यह प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि [ सलच्यक्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्तयुक्त और अर्थशक्तयुक्त दो सुरूप भेद हैं उन दोनों में ब्रह्म लिंगित होता है यह प्रतिपादन करते हैं ] अर्थशक्तिमूल सलच्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि में अभिधेय [ अर्थात् वाच्यार्थ ] और उसकी सामर्थ्य से आविष्ट [ अर्थात् व्यङ्ग्य ] अर्थ के, अन्य वाच्यार्थों से गिलजरण होने से यह दोनों जो अत्यन्त गिलजरण [ वाच्य और व्यङ्ग्य रूप ] प्रतीतियां हैं । उनके कार्य कारण भाव को द्विपाया नहीं जा सकता है, इसलिए उनमें पौर्वपर्य [ ब्रह्म ] स्पष्ट ही है । जैसे प्रथम उत्थोत में प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि के लए उदाहृत [ ब्रह्म धार्मिक इत्यादि ] गाथाओं में । ऐसे स्थलों में वाच्य और व्यङ्ग्य के अत्यन्त भिन्न होने से जो एक [ वाच्य या व्यङ्ग्य ] की प्रतीति है वही दूसरे [ व्यङ्ग्य या वाच्य को ] प्रतीति है यह नहीं कहा जा सकता है । [ अतपूर्व अर्थशक्तिमूल संलच्य ब्रह्म व्यङ्ग्य ध्वनि में ब्रह्म अवश्य ही मानना होगा ] ।

[सलच्यन्तम व्यङ्ग्य ध्वनि के दूसरे भेद] शब्दशक्तिमूल संलच्यक्रम व्यङ्ग्य

रुपमवाचकपदविरहे सति, अर्थसामर्थ्यादाज्ञिप्तेति, तत्रापि १सुलज्जमभिधेयव्यञ्जयालङ्गारप्रतीत्योः पौर्वार्पणम् ।

पदप्रकाशशब्दशक्तिमूलानुरणरपव्यञ्जये २पि ध्वनौ विशेषण-पदस्योभयार्थसंबन्धयोग्यस्य योजक पदमन्तरेण योजनमशब्दमप्यर्थादवस्थितमित्यत्रापि पूर्ववदभिधेयतत्सामर्थ्याज्ञिप्तालङ्गारमात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेव पौर्वार्पणम् । आर्थ्यपि च प्रतिपत्तिस्तथाविधे विषये ३उभयार्थ-सम्बन्धयोग्यशब्दसामर्थ्यप्रसाधितेति शब्दशक्तिमूला कल्प्यते ।

ध्वनि में “गारो व पावनानां परमपरिमिता प्रीतिमुख्यादयन्तु” हृस्यादि [ ४४ १५४ पर उदाहृत ] उदाहरण में, शब्दतः दो शब्दों की [शब्ददी] प्रतीति होने पर भी, उस अर्थद्वय के उपमानोपमेय भाव की प्रतीति उपमायाचक वद के अभाव में अर्थसामर्थ्य से व्यहृय होती है । इसलिए यहाँ भी अभिधेय [ यात्य ] और व्यहृय [ उपमा ] अलङ्गार की प्रतीति में पौर्वार्पण [ क्रम ] स्पष्ट दिखाई देता ] है ।

[ संलब्धवद्यम व्यहृय ध्वनि के शब्दशक्तिमूल व्याप्ति वद के अन्तर्गत वाच्य-प्रकाश्य के ‘गारो वः’ हृस्यादि उदाहरण में वाच्य और व्यहृय का क्रम स्पष्ट होने के अतिरिक्त ] वद प्रकाश्य शब्दशक्तिमूल संलब्धवद्यम व्यहृय ध्वनि में भी [ जिसका उदाहरण “ग्रानु” धनैरर्थिजनस्य वान्दा, दैवन एष्टो यदि नाम नास्ति । पथि प्रसन्नाम्बुधस्तङ्गः, पूषोभवा किञ्च जह शुतोऽहम् ।” ४४ २१० पर दिया जा चुका है उम्मे ] दोनों शब्दों [ कृप और अहम् ] के साप सम्बन्ध योग्य विशेषण [ जह ] को, जोड़ने वाले शब्द के दिना भी [ दोनों शब्दों ] योजना अशाद् होते हुए भी अर्थात् जिस से निरिचत होती है । इसलिए यहाँ भी ५३ [ अर्थात् वाच्यगत शब्दशक्तिमूल के उदाहरण ‘गारो व’ ] के समान वाच्य अर्थ [ यहो जहाव का दोनों और अन्वय होने से दीपसालङ्गार यात्य है । ‘अग्राभिधेयालङ्गारो दीपकम् जहस्योभयान्वयान् । तामामर्थादिष्ठा चोपमा ।’ और उसकी सामर्थ्य में आदिष्ठ अलङ्गार की प्रतीतियों में पौर्वार्पण [ क्रम ] निरिचत ही है । ऐसे स्थलों पर [ व्यहृत अलङ्गारादि की ] प्रतीति आयी होने पर भी दोनों शब्द सम्बन्ध के दोनों शब्द की सामर्थ्य में उपन्त होती है । इसलिये शब्दशक्तिमूला मानी जाती है । ]

१. सुसःय नि०, श०० । २. उभयार्थसामव्यपयोगशब्दमामर्थप्रतिप्रसाध-भूतेति नि०, श००, प्रमदिता या० शि० ।

अविवक्षितवाच्यस्य तु ध्वने प्रसिद्धस्त्रविपथवैमुख्यप्रतीतिपूर्वक-  
मेवार्थन्तरप्रकाशनमिति नियमभावी क्रम । 'तत्राग्निवक्षितवाच्यत्वादेव  
वाच्येन सह व्यङ्ग्यस्य क्रमप्रतीतिविचारो न कृत । तस्माद्भिवाना-  
भिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योर्निमित्तनिमित्तभावान्त्रियमभावी  
क्रम । स तृत्युक्त्या क्वचिलद्वयते क्वचिन्नलद्वयते ।

यहा निर्णय सागरीय सस्करण में 'शब्दसामर्थ्यप्रतिप्रसवभूता' और  
वनारस के सस्करण में 'प्रसाधिता' पाठ है । इनमें निर्णयसागरीय सस्करण में  
'प्रति' शब्द अधिक जान पड़ता है । उससे तो अर्थ भी उल्टा हो जाता है । 'प्रसव'  
का अर्थ उत्पत्ति और 'प्रति प्रसव' का अर्थ प्रलय होता है । इसलिए 'प्रतिप्रसव'  
पाठ तो असङ्गत है । उससे तो प्रसवभूता पाठ ठीक हो सकता है । चारणसीय  
पाठ में 'प्रसूता' की जगह णिजन्त 'प्रसाधिता' प्रयोग भी सुसङ्गत नहा है । परन्तु  
'प्रतिप्रसवभूता' जैसा असङ्गत भा नहा है । 'प्रसाधिता' पाठ उन दोनों से अच्छा  
है अत यहाँ मूल में उसी पाठ को स्थान दिया है ।

इस प्रसार विवक्षितात्यपर वाच्य ध्वनि के सलद्वयनमयङ्ग्य भेद के  
आधान्तर भेद शब्दशक्तिमूल तथा अथरवान्तिमूल दोनों में क्रम सुलक्षित होता है  
और असलद्वयनम रसादि में नहीं यह दिखा चुके । अब अविवक्षित वाच्य  
[ सलद्वयामूल ] ध्वनि में भी क्रम सुलक्षित होता है यह दिखाते हैं —

अविवक्षित वाच्यध्वनि [ के आधान्त तिसकृत वाच्य के उदाहरण  
'नि श्वासान्ध्य इवादर्श' और आधान्तर संक्षिप्त वाच्य के 'रामाऽस्मि सर्वं सहे'  
उदाहरण पहिले दिए जा चुके हैं उन ] में ध्वने प्रमिद्व चर्यं या प्रताति से  
विमुख होकर ही आधान्तर का प्रकाशन होता है अतएव क्रम अवश्यभावी है ।  
परन्तु वाच्य के अविवक्षित होने से ही वाच्य के साथ व्यङ्ग्य के क्रम की प्रतीति  
का विचार नहीं किया गया है । इसलिये वाच्य और वाच्य [ शब्द और अर्थ  
की प्रतीतियों के समान वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रतीतियों में वाच्य कार्य भाव  
होने स क्रम अवश्यभावी है । [ इन्तु ] उत्त प्रकार म वह [ क्रम ] कहाँ सुलक्षित  
होता है और कहाँ [ असलद्वयनम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि में ] सुलक्षित नहीं  
चौतर है ।

इस उद्योत के प्रारम्भ में "एव व्यङ्ग्यमुग्नैः ध्वनैः प्रदर्शित सप्तभेदे

तदेवं व्यञ्जकमुखेन धनिप्रकारेषु निरूपितेषु कश्चिद् ब्रूयात्, किमिद व्यञ्जकत्वं नाम ? व्यञ्जयार्थप्रकाशनम् ? न हि व्यञ्जकत्वं व्यञ्जयत्वं 'चार्थस्य' । व्यञ्जकसिद्धयधीन व्यञ्जयत्वं, व्यञ्जयापेक्षया च व्यञ्जकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यसंश्रयादव्यवस्थानम् ।

ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यञ्जयस्य सिद्धिः प्रगेव प्रतिपादिता । तत्सिद्धयधीना च व्यञ्जकत्वसिद्धिरिति कः पर्यनुयोगावसरः ?

सत्यमेवैतत् । प्रागुक्तयुक्तिभिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुते सिद्धि कृता, स त्वयोँ व्यञ्जयतयैव कस्माद् व्यपदिश्यते ? यत्र च प्राधान्येनायस्थानं तत्र वाच्यतयैवासौ व्यपदेष्टुं युक्तः । तत्परत्वाद् वाक्यस्य<sup>१</sup> ।

स्वरूपे, पुनर्व्यञ्जकमुखेन प्रकाशयते” यह प्रतिशा की थी तदनुसार यहा तक व्यञ्जक मुख से धनि प्रभेदों का निरूपण किया । अब उपस्थार करते हुए प्रथम उद्योत में समर्थित व्यञ्जय व्यञ्जक भाव को ‘स्थूलानिवनन न्याय’ से हट करने के लिए मिर पूर्वपक्ष करते हैं ।

[ पूर्वपक्ष ] इस प्रकार व्यञ्जक की इष्टि से धनि के भेदों का निरूपण करने पर कोई [ भाष्ट, प्रभाकर अथवा वैयाकरण ] कह नहकता है कि, यह व्यञ्जकत्व व्या पदार्थ है ? व्यञ्जय अर्थ का प्रकाशन [ करना ही व्यञ्जकत्व है ] ? [ सो ढीक नहीं है क्योंकि ] अर्थ का व्यञ्जकत्व अथवा व्यञ्जयत्व [मिदि] नहीं हो सकता । व्यञ्जक का सिद्धि के अधीन व्यञ्जय की और व्यञ्जय की इष्टि से व्यञ्जक की सिद्धि [ हो सकती ] है इसलिए अन्योन्याश्रय होने से [ दोनों ही ] सिद्ध नहीं हो सकते हैं ।

[ व्यञ्जकत्व वादी उत्तर पक्ष ] वाच्य से अतिरिक्त व्यञ्जय की मिदि पहले ही [ प्रथम उद्योत में ] प्रतिपादित कर लुके हैं । उसकी मिदि के द्वारा व्यञ्जक की सिद्धि हो जायगी इस प्रकार प्रश्न करने [ पर्यनुयोग ] का कौन सा [ अर्पण, कोई नहीं ] अवसर है ?

[ व्यञ्जकत्व प्रतियोगक मीमांसक आदि का पूर्वपक्ष ] ढीक है, पहिले कही हुई युक्तियों से वाच्य से भिन्न अर्थ की मिदि [ आप प्रथम उद्योत में ] कर लुके हैं । [ परन्तु प्रश्न यह है कि ] उस अर्थ को व्यञ्जय ही

१. चार्थस्थापि निः, दोः । २. वाचकत्वस्य निः, दोः ।

अतश्च तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः, किन्तु स्य व्यापारान्तरकल्पनया ? तस्मात् तात्पर्यविषयो योऽर्थः स तावन्मुख्यतया वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविधे निपये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तत्प्रतीतेहपायमात्रं, पदार्थप्रतीतिरिव वाक्यार्थप्रतीतेः ।

क्यों कहते हैं ? [ वाच्य क्यों नहीं कहते या फिर वाच्य को भी व्यङ्ग्य क्यों नहीं कहते ? अर्थात् वह दोनों अर्थ समान ही है ] जहाँ [ वह अर्थ ] प्रधान रूप से स्थित है वहाँ उसको वाच्य कहना ही उचित है क्योंकि वाच्य मुख्यतः उसी का प्रतिपादन करता है । इसलिए उस [ अर्थ ] के प्रभाशक वाच्य का [ उस अर्थ के वोधन में ] अभिधा [ वाचकत्व ] व्यापार ही होता है । [ तथ ] उसके [ व्याचकत्व नामक ] शब्दग्रंथालय की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है । इसलिए [ वाच्य का ] तात्पर्य रिपयीभूत जो अर्थ है वह मुख्यार्थ होने से लाल्हा अर्थ है । और इस प्रकार के इत्यलोग में छोच में जो दूसरे वाच्यार्थ की प्रतीति होती है वह उस [ मुख्य ] प्रतीति का उपायमात्र है । जैसे पदार्थ प्रतीति, वाक्यार्थ प्रतीति की [ उपाय मात्र होती है ] ।

यहा कुमारिल भट्ट, तथा वैयाकरण—आदि की ओर से यह सामान्य पूर्वपक्ष किया जा सकता है । इस विषय में ‘श्लोक वार्तिक’ के ‘वाक्याधिकरण’ में दी हुई निम्न कारिका में ‘भट्ट मत’ इस प्रभार दियाया है—

‘वाक्यार्थमितये तेषा प्रवृत्तौ नान्तरीयम् ।  
पाके ज्ञालेव वाच्याना पदार्थप्रतिपादनम्’ ॥

पाक के लिए इन्धन के ज्ञाला रूप अवान्तर व्यापार के समान वाक्यार्थ वोध के लिए शब्दों का पदार्थ प्रतिपादन रूप अवान्तर व्यापार भान्तरीयम् उपायमात्र है । अर्थात् शब्दों से उपस्थित होने वाले पदार्थों से, तात्पर्य रूप से जिस अर्थ वा प्रतिपादन होता है वही वाक्यार्थ है और वह वाच्य ही है । प्रभाकर के मत में भी पदार्थ और वाक्यार्थ में ‘निमित्तनिमित्तभाव’ है । और ‘(सु)ऽयमिषीरिव दीर्घीर्तरो अभिधा व्यापार’ के सिद्धान्त के अनुसार एक ही अभिधा व्यापार से वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों शब्दों की प्रतीति हो जाती है । रिशेप बात यह है कि प्रभाकर ‘अन्विताभिधानगादी’ हैं इसलिए उनके मत में पदार्थ और वाक्यार्थ का निमित्तनिमित्तभाव केवल उत्पत्ति की दृष्टि से ही है जैसे की दृष्टि से तो प्रथम वाक्यार्थ की ही प्रतीति होती है पदार्थ की नहीं । क्योंकि उनके अन्विता-

अन्नोच्यते—यत्र शब्दः स्वार्थमभिदधानोऽर्थान्तरमवगमयति तत्र यत्तस्य स्वार्थभिधायित्वं यच्च तदर्थान्तरावगमहेतुत्वं तयोरविशेषो विशेषो वा ? न तावदविशेषः । यत्मात्तौ द्वौ व्यापारौ भिन्नविषयै भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव । तथाहि वाचकत्वलक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वार्थविषयः, गमकत्वलक्षणस्तु अर्थान्तरविषय । १ न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यञ्जयोरपहोतुं शक्यः । एकस्य सम्बन्धित्वेन प्रतीयेते रपस्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन । वाच्यो द्वार्यः साक्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी, तदितरस्त्वभिषेयसामर्थ्यान्तिप्त । सम्बन्धिसम्बन्धी । यदि च स्वसम्बन्धित्वं साक्षात्स्य स्यात् तदार्थान्तरव्यवहार एव न स्यात् । तस्मात् विषयभेदस्तावत् तयोर्व्यापारयोः सुप्रसिद्धः ।

‘मिधानवाद’ की सङ्गति इसी में लग सकती है । प्रभाकर जिस प्रभार उत्पत्ति में पदार्थ और वाक्यार्थ का कारणकार्यमाव मानते हैं इसी प्रकार वैयाकरण भी मानते हैं । वरन्तु प्रभाकर भत का कार्यकारणमाव पारमार्थिक है और ‘सोटवादी’ वैयाकरण के यहा वह आपारमार्थिक है । इस प्रभार इन तीनों मतों की ओर से यह व्यञ्जकत्व विरोधी मामान्य पूर्वपक्ष किया जा सकता है । आगे इसका उत्तर देते हैं ।

[ सिद्धान्त पक्ष ]—इस [ पूर्वपक्ष के होने ] पर यह [ सिद्धान्तपक्ष ] कहते हैं । जहां शब्द अपने अर्थ को अभिधा से घोषन करके, दूसरे अर्थ का वोध कराता है, वहा उस [शब्द] का जो स्वार्थ का अभिधान करना और परार्थ का वोध कराना है, उन दोनों में अभेद है अथवा भेद ? अभेद तो [यह] कह नहीं सकते हैं । क्योंकि वह दोनों व्यापार विभिन्न विषयक और भिन्न रूप [ अलग ही ] प्रतीत होते ही हैं । जैसे कि शब्द का ‘वाचकत्व’ रूप व्यापार अपने अर्थ के विषय में और गमकत्व रूप व्यापार दूसरे अर्थ के विषय में होता है । वाच्य और व्यञ्जय अर्थ के विषय में [ शब्द के ] स्व और पर [ अर्थ विषयक ] व्यवहार को क्षिपाया नहीं जा सकता है । [ क्योंकि ] एक [ वाच्यार्थ ] की [ शब्द के साथ साक्षात् ] सम्बन्धित रूप में प्रतीति होती है और दूसरे की [ शब्द के ] सम्बन्धी [ [ अर्थ ] के सम्बन्धी [ परम्परा सम्बन्धित ] ] स्व से प्रतीति होती है । वाच्यार्थ साक्षात् शब्द का सम्बन्धी है और उससे भिन्न

१. पत स्वपरव्यवहारा वाच्यगम्ययोरपहोतुमशाश्वय दो०, तत स्वपरव्यवहारो वाच्यगम्ययोरपहोतुमशाश्वय नि० ।

रूपभेदोऽपि प्रसिद्ध एव । नहि यैवाभिधानशक्तिः सैवावगमनशक्तिः । अव्याचकस्यापि गीतशब्दादे रसादिलक्षणार्थावगमदर्शनान् । अशब्दस्यापि चेष्टादेरथविशेषकाशनप्रसिद्धे । तथादि “ब्रीडायोगान्नतवदनया” इत्यादि श्लोके चेष्टाविशेषः सुकविनार्थप्रकाशनहेतुः प्रदर्शित एव । तस्माद् भिन्नविषयत्वाद् भिन्नरूपत्वाच्च स्वार्थाभिधायित्वमध्यान्तरावगमहेतुत्वं च शब्दस्य यत्, तयोः स्पष्ट एव भेदः ।

विशेषश्चेत्, न तर्हादानीमवगमनस्य”, अभिधेयसामर्थ्यान्विष्ट-

दूसरा अर्थ तो वाच्यार्थ की सामर्थ्य से आकृष्ट सम्बन्ध सम्बन्धी [ परम्परया शब्द से सम्बद्ध ] है । यदि उस [ वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ ] का [ शब्द के साथ ] साक्षात् स्वसम्बन्धित्व [ शब्दसम्बन्धित्व ] हो तो उसमें [ अर्थान्तर, वाच्यार्थ से भिन्न ] दूसरा अर्थ, यह व्यवहार ही न हो । इसलिए [ स्वार्थ विषय में वाच्य व्यवहार और परार्थ विषय में व्यक्त्य व्यवहार होने से ] उन दोनों व्यापारों का विषय भेद प्रसिद्ध ही है ।

[ वाच्य और व्यक्त्य का स्वरूप भेद भी प्रसिद्ध ही है । ] जो [ शब्द की ] अभिधान [ वाचक ] शक्ति है वही अवगमन [ व्यक्तक ] शक्ति नहीं है । क्योंकि जो गीत आदि के शब्द वाचक नहीं [ अभिधा शक्ति से रहित ] है उनमें भी रसादि रूप अर्थ की अवगति होती है । और [ न वेवल अभिधा रहित अपितु ] शब्द प्रयोग रहित केवल चेष्टादि से भी अर्थविशेष का प्रकाशन प्रसिद्ध है । जैसे “ब्रीडायोगान्नतवदनया” [ पृष्ठ २२७ ] इत्यादि श्लोक में सुकवि ने चेष्टा विशेष को अर्थप्रसाशन का हेतु दिखाया ही है । इसलिए भिन्न विषय और भिन्न स्वरूप होने से शब्द के जो ‘अर्थाभिधायित्व’ और ‘अर्थान्तरावगमहेतुत्व’ है उनका भेद स्पष्ट ही है । [ इसलिए शब्द के स्वार्थाभिधायित्व और अर्थान्तरावगमहेतुत्व को अविशेष अभिन्न नहीं मान सकते हैं । इस प्रकार अविशेष पक्ष गणित हो जाता है । दूसरा पक्ष विशेष का था । उसके सम्बन्ध में आगे कहते हैं ] ।

[ स्वार्थाभिधायित्व तथा परार्थविगमहेतुत्व रूप शब्द भर्म में ] यदि विशेष [ भेद ] है तो फिर अवगमन रूप, अभिधेय सामर्थ्य में आकृष्ट दूसरे अर्थ को वाच्य नाम से कहना उचित नहीं है । [ उस वाच्यसामर्थ्यान्विष्ट ] अर्थ का शब्दव्यापार का विषय होना तो इमें अभिमत ही है । परन्तु व्यक्त्य रूप में

स्यार्थान्तरस्य वाच्यत्वव्यपदेश्यता । शब्दव्यापारगोचरत्वं तु तस्यास्माभिरिष्यत एव, तत्तु व्यहृथत्वेनैव, न वाच्यत्वेन । प्रसिद्धाभिवाजान्तरसम्बन्धयोग्यत्वेन च तस्यार्थान्तरस्य<sup>१</sup> प्रतीते शब्दान्तरेण स्यार्थाभिवायिना यद्विपथीकरण तत्र प्रकाशनोऽस्तिरेव युक्ता ।

न कि वाच्य रूप से । क्योंकि उस दूसरे [ वाच्य अतिरिक्त ] शर्थ की प्रतीति [ निस व्यञ्जक अवाचक शब्द से इस समय उसमा वोध कराया गया है उस से भिन्न, अन्य ] प्रसिद्ध वाचक शब्द के सम्बन्ध से भी हो सकती है । इसलिए [ किसी शर्थ को अपने वाचक शब्द से न कह कर ] अभिधा शक्ति से अपने दूसरे शर्थ के वाचक [ किसी ] दूसरे शब्द द्वारा जो वोध का रिषय बनाना है उसके लिए 'प्रकाशन' कहना ही उचित है [ वाच्य या वाचक आदि कहना उचित नहीं है । इसलिए व्यहृथ और व्यञ्जक शब्द का प्रयोग भी करी है । ]

अभी ऊपर पृष्ठ ३४४ पर श्लोक वार्तिक की 'वाक्यार्थमितये' इत्यादि कारिका उद्धृत करके वाच्य और व्यहृथ अर्थ का पदार्थ वाक्यार्थन्याय दिखलाया था । जैसे पाक के उत्पादन में काढ़ों का व्वला रूप अवान्तर व्यापार होता है इसी प्रकार पदों से वाक्यार्थ वोध होने में पदार्थवोध अवान्तर व्यापार माप्र है । इस मत का समर्थन करते हैं ।

समर्थन में पहिली यात तो यह है कि कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, तथा वैयाकरण आदि की ओर से यह सामान्य पूर्वाङ्क किया गया था । उनमें से 'होगवादी' वैयाकरण तो इस पद पदार्थ और वाक्यार्थ विभाग को ही अवश्य अपारमार्गिक मानते हैं —

पदे न वणा विद्यन्ते वर्णप्रयया न च ।

वाक्यात् पदानामयतः प्रविदेषो न कथन ॥ वै० भ० ।

यह सब पद पदार्थ कलना असत्य है यत्तत्र वाचकों के गिर्हण के लिए ही उसका उपयोग है । असल 'रोट' ही सत्य है । इसलिये वैयाकरण मन में 'पदार्थ वाक्यार्थन्याय' नहीं बन सकता है । जो कुमारिल भट्ट आदि इस पद पदार्थ आदि व्यवहार को असत्य नहीं मानते हैं उनके मन में भी पट और उमड़े उत्पादन अपना समाधिकरण का न्याय यहीं सामूहिक होगा । पट के उत्पादन करणे का सम्मानिकरण कराते हैं । जब पट बन सकता है तब उसके उत्पादन या समर्पिकरण

<sup>१</sup> तस्यार्थान्तरस्य च अन्तोमे हो०, वि० ।

त च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाच्यव्यङ्ग्ययोः । यतः पदार्थप्रतीति-  
रसत्येवेति<sup>१</sup> कैरिचद् विद्वद्विरास्थितम् । यैरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते  
तैर्वाक्यार्थपदार्थयोर्वटतदुपादानकारणेन्यायोऽभ्युपगन्तव्यः । यथा हि घटे  
निष्पन्ने तदुपादानकारणाना न पृथगुपलम्भस्तथैव वाक्ये तदर्थे वा  
प्रतीते पदतदर्थानाम् । तेषां तदा विभक्तनयोपलम्भे वाक्यार्थवुद्धिरेव  
दूरीभवेत् । न त्वेष वाच्यव्यङ्ग्ययोन्यायिः । न हि व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने  
वाच्यवुद्धिर्दूरीभवति । वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य प्रकाशनात् ।  
तस्माद् घटप्रदीपन्यायस्तयोः । यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीतावुत्पन्नायां  
न प्रदीपप्रकाशो निर्वर्तते तद्वद् व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यावभासः । यत्तु  
प्रथमोद्योते “यथा पदार्थद्वारेण” इत्याशुक्तं “तदुपादत्वमात्रात् साम्य-  
विवक्ष्या ।

६५०

कपाल अलग प्रतीत नहीं होते । इसी प्रकार वाक्य बन जाने पर पदों की, और  
वाक्यार्थ प्रतीति में पदार्थों की प्रतीति अलग नहीं होगी । यह भी अभीष्ट नहीं है  
इसलिये भट्ठ, नैयायिक, प्रभाकर आदिक मत में भी ‘पदार्थ वाक्यार्थ न्याय’ नहीं  
बन सकता है । चौद्ध दर्शन क्षणमङ्गरादी दर्शन है । उसमें पदों का अस्तित्व ही  
नहीं बनता है । और साख्य सिद्धान्त में भी वाक्यार्थप्रतीति काल में पदार्थ तिरोहित  
हो जाते हैं । इस प्रकार किसी दार्शनिक मत में ‘पदार्थ वाक्यार्थ’ न्याय नहीं बन  
सकता है यह बात बहते हैं ।

वाच्य और व्यङ्ग्य का पदार्थ वाक्यार्थ भी नहीं है । क्योंकि युद्ध-  
विद्वान् [ वैयाकरण ] पदार्थ प्रतीति को असत्य ही मानते हैं । जो [ भट्ठ,  
नैयायिक आदि ] इसको असत्य नहीं मानते हैं उनको वाक्यार्थ तथा पदार्थ में  
घट और उसके उपादान [ समवायिकारण ] का न्याय मानना होगा । जैसे घट  
के बन जाने पर उसके उपादान कारणों [ समवायिकारण कपालों ] की अलग  
प्रतीति नहीं होती इसी प्रकार वाक्य अथवा वाक्यार्थ की प्रतीति होने पर [ क्रमशः ]  
पद और पदार्थ की अलग प्रतीति नहीं होती । [ तब पदार्थ वाक्यार्थ न्याय कैसे  
बनेगा ] उस समय [ वाक्य प्रतीतिकाल में पदों और वाक्यार्थ प्रतीतिकाल में  
पदार्थों की ] उनकी पृथक् रूप से प्रतीति मानने पर वाक्यार्थ उड़ि ही नहीं  
रहेगी । [ क्योंकि एक संपूर्ण अर्थ को योधन करने वाले पद समुदाय की ही

१. प्रस्तयेवेति नि०, दी० । २. तदुपादत्वमात्रस्य विवशया नि०, दी० ।

नन्वेवं युगपदर्थद्वययोगित्वं वाक्यस्य 'प्राप्तं, तद्गावे च तस्य वाक्यतैव विषट्टते । तस्या ऐरार्थ्यलक्षणत्वात् ।

वाक्य इहते हैं । 'अर्थेस्त्वादेकं वाक्यं' इत्यादि जैमिनीय मूल के अनुसार अर्थ का पूरक्त्व होने पर ही वाक्यत्व होता है । इसलिए पदार्थ और वाक्यार्थ की अलग प्रतीति नहीं मानी जा सकती है । और जब अलग प्रतीति नहीं होती है तब 'पदार्थ वाक्यार्थ' न्याय भी नहीं बन सकता है । वाक्य और व्यहृत्य में यह बात नहीं है । व्यहृत्य की प्रतीति होने पर वाक्य उठि दूर ही जाय सी नहीं है । व्यहृत्य प्रतीति वाक्य प्रतीति की अभिनामाविनी [ वाक्य प्रतीति के बिना व्यहृत्य प्रतीति हो नहीं सकती है ] रूप में प्रसारित होती है । इसलिये उन दोनों [ वाक्य और व्यहृत्य प्रतीतियों ] में प्रदीप घट न्याय लागू होता है । [ अर्थात् ] जैसे प्रदीप द्वारा घट की प्रतीति हो जाने पर भी प्रदीप की प्रतीति नहीं हो जाती [ वह भी होती रहती है ] इसी प्रकार व्यहृत्य की प्रतीति हो जाने पर भी वाक्य की प्रतीति होती रहती है । [ यहाँ प्रश्न यह होता है कि "यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थं सम्प्रतीयते । वाक्यार्थं पूर्विदा तदृत् प्रतिपचस्य चस्तुत ।" ] प्रथम उद्योग की इस दसरी कारिका से वाक्य और व्यहृत्य में पदार्थ-वाक्यार्थ न्याय आपके मत से भी प्रतीत होता है । इस यहा उमों का पराइन कैसे किया है । इससा समाधान करते हैं ] प्रथम उद्योग में जो 'यथा पदार्थ द्वारेण' इत्यादि कहा है वह केवल [ जैसे पदार्थ योध, वाक्यार्थ योध का उपाय होता है इसी प्रकार वाक्यार्थ योध व्यहृत्यार्थ प्रतीति का उपाय होता है इस ] उपायस्य रूप सारण्य को कथन करने की इच्छा में ही ज़ियाया था ।

यह 'पदार्थ-वाक्यार्थ-न्याय' का दूर्वरक्ष तात्पर्याणुकि से व्यहृत्योध के निराकरण के अभिन्नत्य से उठाया है । इष्टक पूर्व अभिधा शर्ति से व्यहृत्य अर्थ के योध का निराकरण किया था । पदार्थ से वाक्यार्थ योध तत्त्वाणुकि से होना है उपके निराकरण के लिए इस पृष्ठे उठाकर निश्चय किया है । अतः इस 'पदार्थ वाक्यार्थ-न्याय' द्वाने दूर्वरक्ष में से तात्पर्याणुकि को न मानने याके, 'अन्वितभिकानदादी' का सम्बन्ध इन्हें उन्नति की हड़ि से सम्बन्धित रूपीय ।

[प्रत्येक यदि घट प्रदीप-न्याय से वाक्यार्थ और व्यहृत्यार्थ दोनों की प्रतीति मानेंगे तो ] इस प्रकार पारप के पृष्ठ साथ दो घर्प होते यांगों और लेणा होने पर उपरा वाक्यार्थ हो जहाँ रहेगा बदोहि व्यहृत्यार्थ हो रहा [ वाक्य ] का स्वरूप है ।

नैप दोपः । गुणप्रधानभावेन तयोर्ब्यवस्थानात् । व्यङ्ग्यस्य हि क्वचित् प्राधान्यं वाच्यस्योपसर्जनभावः । क्वचिद्वान्यस्य प्राधान्यम-परस्य गुणभावः । तत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव । वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं निर्देश्यते । तस्मात् स्थितमेतत् व्यङ्ग्यपरत्वेऽपि काव्यस्य न व्यङ्ग्यस्याभिधेयत्वमपितु व्यङ्ग्यत्वमेव ।

किञ्च व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनाविवक्षाया वाच्यत्वं तावद् भवद्विर्नाम्युपगन्तव्यमत्परत्वान्त्रिव्यङ्ग्यस्य । तदस्ति तावद् व्यङ्ग्यशब्दानां कश्चिद् विषय इति । यत्रापि तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपहूयते । एवं तावद् वाचकत्वादन्यदेय व्यञ्जकत्वम् ।

इतश्च वाचकत्वाद् व्यञ्जकत्वस्यान्यत्वं, यद्वाचकत्वं शब्दैकाश्रय-

[ उत्तर ] यह दोप नहीं आता है क्योंकि उन [ वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ ] की गुण और प्रधान रूप से व्यवस्था है । कहीं व्यङ्ग्य का प्राधान्य और वाच्यार्थ उपसर्जन [ गीण ] रूप होता है और कहीं वाच्य अर्थ का प्राधान्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ का गुणभाव होता है । उनमें से व्यङ्ग्य का प्राधान्य होने पर ध्वनि [ काल्प ] होता है यह कह ही चुके हैं । और वाच्य के प्राधान्य होने पर दूसरा प्रकार [ गुणीभूतव्यङ्ग्य ] होता है यह आगे कहेंगे । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि काल्प के व्यङ्ग्य प्रधान होने पर भी व्यङ्ग्य अर्थ अभिधेय नहीं अपितु व्यङ्ग्य ही होता है ।

इसके अतिरिक्त जहाँ व्यङ्ग्य का प्राधान्य विवक्षित नहीं है वहाँ शब्द के तत्पर [ गुणीभूत व्यङ्ग्य के प्रतिपादन परक ] न होने से उस [ गुणी-भूत व्यङ्ग्य अर्थ ] को आप वाच्यार्थ नहीं मानेंगे । उस दशा में [ यह मानना ही होगा कि ] शब्द का कोई व्यङ्ग्य अर्थ भी है [ जो शब्द के तत्पर न होने, अर्थात् गुणीभूत होने से, वाच्य नहीं है अत व्यङ्ग्य है ] और जहाँ उस [ व्यङ्ग्य ] का प्राधान्य है वहा उसके स्वरूप का नियंत्रण इस लिए करते हैं । इस प्रकार वाचकत्व से व्यञ्जकत्व अलग ही है ।

इसलिए भी वाचकत्व से व्यञ्जकत्व भिन्न है क्योंकि वाचकत्व के पल शब्द के आधित रहता है और व्यञ्जकत्व शब्द और अर्थ दोनों में रहता है । [ क्योंकि ] शब्द और अर्थ दोनों का व्यञ्जकत्व प्रतिपादन किया जा सका है ।

इस प्रकार यहा तर यह सिद्ध किया कि अभिधा शक्ति और तत्त्वयों

मितरत्तु शब्दाश्रयमर्थाश्रयं च । शब्दार्थयोद्देयोरपि व्यञ्जकत्वस्य प्रतिपादि-  
तत्वात् ।

गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षण्या चोभयाश्रयापि भवति । किन्तु  
ततोऽपि व्यञ्जकत्व स्वरूपतो विषयतश्च भिद्यते । रूपभेदस्तावदयम्,  
शक्ति से भिन्न व्यञ्जकत्व या अवन व्यापार अलग ही है । आगे लक्षणा से  
उसके भेद का प्रतिपादन करते हैं ।

मुख्य वाचक से व्यञ्जक शब्द का भेद निरूपण कर के अब अमुख्यार्थक  
शब्द से भी व्यञ्जक का भेद दिखलाते हैं । अमुख्य शब्द व्यवहार, मुख्यार्थ वाधित  
होने पर सादृश्येतर सम्बन्ध से लक्षणा द्वारा, अथवा सादृश्य सम्बन्ध से उपचार  
द्वारा दो प्रकार से होता है । अतएव अमुख्य से भेद दिखाने में लक्षणा और  
गौणी वृत्ति से भेद दिखाना अभीष्ट है । अभिधा और तात्पर्याख्या वृत्ति से  
इसके पूर्व भेद दिखा चुके हैं । इस प्रकार अन्य सब वृत्तियों से व्यञ्जकत्व का  
भेद सिद्ध हो जाने से व्यञ्जकत्व को अलग मानना ही होगा यही ग्रन्थकार का  
अभिप्राय है ।

वाचकत्व से भेद दिखाते हुए जो अन्तिम युक्ति दी थी कि वाचकत्व  
केवल शब्दाश्रित रहता है और व्यञ्जकत्व शब्द तथा अर्थ दोनों में आश्रित रहता  
है । वहाँ से गुणवृत्ति का सम्बन्ध जोड़ कर पूर्वपक्ष उठाते हैं कि गुणवृत्ति या  
लक्षणा तो शब्द और अर्थ दोनों में रहती है तब उस से व्यञ्जकत्व का क्या  
भेद है । उसका उत्तर यह कहते हैं कि उपचार तथा लक्षणा के शब्द तथा अर्थ  
उभय में आश्रित होने पर भी स्वरूपभेद तथा विषयभेद से व्यञ्जकत्व उससे भिन्न  
ही है ।

ग्रन्थ की 'गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षण्या चोभयाश्रयापि भवति' इस पक्ष के अर्थ में थोड़ी भ्रान्ति हो सकती है । उसके अनुसार उभयाश्रया के  
अर्थ का उपचार और लक्षणा इन दोनों का ग्रहण उभय शब्द से किया जा सकता  
है । परन्तु वास्तव में उभय शब्द से 'शब्द' और 'अर्थ' का ग्रहण अभीष्ट है । इस  
लिए क्लोडनसर ने 'उभयाश्रयापि शब्दार्थाश्रय' लिख ले उसकी व्याख्या ही है ।

गुणवृत्ति तो उपचार [सादृश्य मूलक अमुख्यार्थ में प्रयोग] तथा लक्षणा  
[सादृश्येतर सम्बन्ध से अमुख्यार्थ में प्रयोग] से दोनों [ग्रन्थ तथा अर्थ  
उभय] में आश्रित होती है, किन्तु उससे भी व्यञ्जकत्व, और विषयता  
व्यञ्जकत्व का भेद है । स्वरूप भेद तो यह है कि अमुख्यतया

यदमुख्यतया व्यापारो गुणवृत्तिः प्रसिद्धा । व्यञ्जकत्वं तु मुख्यतयैव  
शब्दस्य व्यापारः । नहाथाद् व्यञ्जयन्यप्रतीतिर्या तस्या अमुख्यत्वं  
मनागपि लक्ष्यते ।

अर्थं चान्यः स्वरूपभेदः, यद् गुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थितं  
वाचकत्वमेवोच्यते । व्यञ्जकत्वं तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव ।  
एतच्च प्रतिपादितम् ।

अर्थं चापरो रूपभेदो यद् गुणवृत्तौ यदार्थोऽर्थान्तरमुपलक्ष्यति,  
तदोपलक्षणीयार्थत्वाना परिणत एवासौ सम्पद्यते । यथा ‘गङ्गायां घोषः’  
इत्यादौ । व्यञ्जकत्वमार्गे तु यदार्थोऽर्थान्तरं घोतयति तदा स्वरूपं  
प्रकाशयन्नेवासावन्यस्य प्रकाशक, प्रतीयते प्रदीपवत् । यथा “लीला-  
कमलपत्राणि गणयामास पार्वती” इत्यादौ ।

[ अर्थ का बोगन करने वाला ] शब्द व्यापार गुणवृत्ति [ नाम से ] प्रसिद्ध  
है और व्यञ्जकत्व मुख्यतया । [ अर्थबोधक ] व्यापार है । जो तीन प्रकार के  
[ रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि तथा अलङ्कार ध्वनि ] व्यञ्जणों की प्रतीति होती  
है उसका अर्थ [ वाच्यार्थ ] से किसी प्रकार तनिक भी अमुख्यत्व नहीं दिखाई  
देता है ।

और दूसरा स्वरूपभेद यह है कि अमुख्य रूप से स्थित वाचकत्व ही  
ही गुणवृत्ति है और व्यञ्जकत्व वाचकत्व से अत्यन्त भिन्न होता है । यह कह  
कुके है ।

और [ तीसरा ] रूपभेद यह है कि गुणवृत्ति में जय पूर्क अर्थं [ का  
चाचर शब्द ] दूसरे अर्थ को लक्षणा द्वारा वीक्षित करता है तथा [ जहनस्यार्थी  
या लक्षण लक्षणा में ] लक्षणीय अर्थ रूप में परिणत होकर ही लक्षणार्थं होता  
है । जैसे ‘गङ्गाया घोषः’ में [ गङ्गा पद अपने अर्थ को छोड़कर तट रूप में  
परिणत होकर ही तट अर्थ को बोधन करता है । ] व्यञ्जकत्व की पढ़ति में जय  
अर्थ दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करता है तथा प्रदीप के समान यह अपने स्वरूप  
को प्रकाशित करता हूँया ही अन्य अर्थ का प्रकाशक होता है । [ अर्थान् जहन-  
स्वार्थी लक्षणा में गङ्गा पद अपने सुख्य अर्थ को सर्वया छोड़कर तटरूप अर्थान्तर

यदि च यत्रातिरस्कृतस्यप्रतीतिरथोऽर्थान्तर लक्ष्यति तत्र  
लक्षणाव्यवहारः कियते, तदेव सति लक्षणैः सुख्य शब्दव्यापार इति  
प्राप्तम् । यस्मात् प्रायेण<sup>१</sup> वाक्यानां वाच्यत्यतिरिक्ततात्पर्यनिपयार्था-  
वभासित्वम् ।

ननु तत्प्रक्षेप्ति यदार्थो व्यज्ञयत्यं प्रकाशयति तदा शब्दस्य  
कीटशो व्यापारः<sup>२</sup> ।

का बोधक होता है व्यञ्जक शब्द अपने स्वार्थ को भी प्रकाशित करता हुआ  
अर्थान्तर का बोधक होता है यह तीसरा भेद है जिससे व्यञ्जकरप गुणवृत्ति से  
अलग है ।] जैसे 'लीलाकमलप्राणि गणयामास पार्वती' में [ पहिले मुद्यार्थ  
का बोध होता है और उसके बाद वह वाच्यार्थ, व्यज्ञय लज्जा अपना अवहित्या  
रूप शङ्खाराह को अभिन्यक्त करता है ] ।

[प्रश्न] लक्षण में भी अजहत्स्वार्था अथवा उपादान लक्षणा नामक एक  
ऐसा भेद भी होता है कि जिस में शब्द अपने मुख्यार्थ का तिरस्कार या परित्याग  
निए बिना ही अर्थान्तर का बोधक होता है । इसलिए जहत्स्वार्था अथवा उस पर  
आधित 'अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य' ध्वनि में गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व के स्वरूप का  
अभेद भले ही न हो परन्तु अजहत्स्वाया लक्षणा और उस पर आधित अर्थान्तर  
सम्मिल वाच्य ध्वनि में तो गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व अभिन्न या एक ही है ।  
इस पूर्वपक्ष को उठाकर उसका रागदृष्ट बताते हैं ।—

और यदि जहा [ अजहत्स्वाया उपादान लक्षणा अथवा अर्थान्तर-  
सम्मिल वाच्य ध्वनि में ] अर्थ, अपनी प्रतीति का परित्याग किए बिना  
अर्थान्तर को लिहित करता है वहा लक्षणा व्यवहार [ ही ] करें तो तब किर  
[ अभिन्न के भी स्थान पर ] लक्षणा ही शब्द का मुख्य व्यापार है यह आ जाता  
है । क्योंकि अधिकाश वाच्य, [ स्वार्थ का परित्याग किए बिना भी ] वाच्य स  
भिन्न तात्पर्य विषयोभूत अर्थ के प्रकाशक होते हैं ।

[ प्रश्न ] आपके मत में भी जब अर्थ [ रसादि, अलङ्कार रूपा यस्तु  
रूप ] व्यज्ञयत्व का प्रकाशित करता है तब शब्द का किस प्रकार का  
व्यापार होता है ।

१. प्रायेणीष निः, दो० ।

उच्यते—प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दपशेनैवार्थस्य तथाविधं व्यञ्ज-  
कत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः [ अस्त्वलद्गतित्वं, समयानुपयोगित्वं,  
पृथगवभासित्वज्ञेति व्रयं ] कथमपहृयते ।

[ उत्तर ] प्रकरण आदि सहकृत शब्द की सामर्थ्य से ही अर्थ में  
उस प्रकार [ वस्तु, अलङ्कार अथवा रसादि ] का व्यञ्जकत्व होता है, इसलिए  
उसमें शब्द के उपयोग [ अर्थात् अस्त्वलद्गतित्व, समय अर्थात् संकेतप्रह के  
अनुपयोगित्व और पृथगवभासित्व ] को किस प्रकार द्विपाया नहीं जा सकता है ।

प्रश्नकर्ता का आशय है कि शब्द के अर्थ के बोधन में दो ही प्रकार  
के व्यापार हो सकते हैं एक तो मुख्य और दूसरा अमुख्य । आपके मत में जब  
अर्थ ‘व्यञ्ज’ होता है वहां भी शब्द का या तो मुख्य या अमुख्य इनमें से ही कोई  
एक व्यापार होगा । जब अर्थ के प्रकाशन में मुख्य व्यापार होता है उसी को  
वाचकत्व कहते हैं और जब अमुख्य व्यापार होता है उसी को गुणवृत्ति कहते  
हैं । इसलिए आपके अभिमत अर्थ के प्रकाशन में भी या तो वाचकत्व अभ्यास  
गुणवृत्ति इन दोनों में से ही कोई एक प्रकार का व्यापार मानना होगा । इनके  
अतिरिक्त व्यञ्जकत्वादि रूप और कोई तीसरा प्रकार नहीं हो सकता है ।

उत्तर का अभिप्राय यह है कि वह व्यापार तो मुख्य ही होता है परन्तु  
सामग्री भेद से वह वाचकत्व से अलग है । यहां प्रश्न जितना स्पष्ट है उत्तर  
उतना ही अस्पष्ट है । लोचनकार ने जो “मुख्य एवासी व्यापारः सामग्री-  
भेदात्त्वं वाचकादतिरिच्यत इत्यभिप्रायेणाह उच्यते इति” लिख कर जो व्याख्या  
ही है वह पूर्ण स्पष्ट समाधानकारक नहीं है । भेद को स्पष्ट करने के लिए  
गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व में मुख्यतः तीन द्वारा के स्वभेद प्रतिपादित किए हैं ।

१—अमुख्य व्यापार गुणवृत्ति और मुख्य व्यापार व्यञ्जकत्व है । यहां मुख्य  
अमुख्य का अभिप्राय अस्त्वलद्गतित्व और स्वलद्गतित्व से है । इसका आशय  
यह है कि गुणवृत्ति में स्वलद्गति अर्थात् वाधितार्थ होकर शब्द दूसरे अर्थ का  
बोधन होता है परन्तु व्यञ्जकत्व में स्वलद्गतित्व अथवा वाधितार्थ होना आवश्यक  
नहीं है । यह गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का पदिला रूप भेद है । गुणवृत्ति के  
अन्तर्गत उपचार और लद्दणा दोनों आ जाते हैं । लावण्यादि स्थलों पर शब्दा-  
भित सादृश्यमूलक गौण व्यवहार उपचार, और अर्थात् अमुख्य व्यवहार लद्दणा  
रूप यह दोनों गुणवृत्ति हैं । इन दोनों में शब्द स्वलद्गति होता है और  
व्यञ्जना में नहीं दृश वारण यद व्यञ्जकत्व से भिन्न है ।

निपवभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यञ्जकत्वयो ख्यष्ट एम । यतो व्यञ्जकत्वस्य  
रसादयो, अनाहारप्रिशेषा, व्यञ्जयरूपावन्दिन्वन् वस्तु, चेति त्रय विषय १ ।  
तत्र रसादिप्रतीतिर्गुणवृत्तिरिति न केनचिदुन्नयते न च शक्यते वक्तुम् ।  
व्यञ्जयालङ्कारप्रतीतिरिति तथैव । २ वस्तु चारत्वप्रतीतये स्वशब्दानभिधेयत्वेन यन् ३ प्रतिपादप्रितुमिष्यते तद् व्यञ्जयम् । तच्च न सर्वगुणवृत्तेभिर्विषय । प्रसिद्धचनुरोगम्बामपि गौणाना शब्दाना प्रयोगदर्श-

२—गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का दूसरा भेद यह दिखाया है कि अमुख्य रूप से स्थित याचकत्व ही गुणवृत्ति होता है । अर्थात् उसमें किसी न किसी रूप से उक्तप्रह का प्रयोग होता है । इसी से लक्षणा को ‘अभिधापुच्छभूता’ कहा है । परन्तु व्यञ्जकत्व में सकेतप्रह का उपयोग नहीं होता है ।

३—गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का तीसरा भेद यह दिखाया है कि गुणवृत्ति में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का अभेद प्रतीत होता है, और व्यञ्जकत्व में वाच्य और व्यञ्जय का अभेद नहीं, भेद होता है । दोनों की अलग अलग प्रतीति होती है ।

इस प्रकार इन तीन रूप से गुणवृत्ति तथा व्यञ्जकत्व का स्वरूप भेद प्रतिगदन कर प्रब विरेष भेद से भी उन दोनों का भेद भी दिखाते हैं ।

गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का विषयभेद भी स्पष्ट ही है । क्योंकि व्यञ्जकत्व के विषय ‘रसादि’, ‘अलङ्कार’ और व्यञ्जयरूप ‘वस्तु’ यह तीन हैं । उनमें से रसादि की प्रतीति को कोई भी गुणवृत्ति नहीं कहता है, और न कह ही सकता है । व्यञ्जक अलङ्कार की प्रतीति भी ऐसी ही है । [ अर्थात् उसको न कोई गुणवृत्ति कहता है और न कह सकता है । ] चारत्व की प्रतीति के लिए वाच्य भिन्न [ स्वशब्दानभिधेयत्वेन ] रूप से निसका प्रतिपादन इष्ट हो वह ‘वस्तु’ व्यञ्जय है । वह सब गुणवृत्ति का विषय नहीं है । क्योंकि प्रसिद्धि [ अर्थात् रुदि वश लावण्य आदि शब्द ] और अनुरोध [ अर्थात् व्यवहार के अनुरोध से ‘वदति दिसिनीप्रश्नायनम्’ शादि में ] से भी गौण शब्दों का प्रयोग देखा है । जैसा कि पहिले कह सुक है । और जहा [ गहाया घोष इ'शादि शब्दोग्नवदी लक्षण में शैत्य

१ अतस्तद्गतित्वं समयानुपयोगित्वं पृथगवभासित्वं चेति त्रय इतना पाठ निं०, दी० में अप्रिय है । २ वस्तुचारत्वप्रतीतये या० प्रि० । ३ प्रतिपादप्रितु या० प्रि० ।

नात् । तथोक्तम् प्रारु । यदपि च 'गुणवृत्तेविपेयस्तदपि च व्यञ्जकत्वानु-  
प्रवेशेन । तस्माद् गुणवृत्तेरपि व्यञ्जकत्वस्यात्यन्तविलक्षणतम् ।  
वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाभितत्वेन व्यवस्थानम् ।

**पाठनव्य का अतिशय ]** गुणवृत्ति का विपय होता भी है वहां व्यञ्जकत्व के अनुप्रवेश से [ वस्तु व्यञ्जय गुणवृत्ति का विपय ] होता है । इसलिए गुणवृत्ति से भी व्यञ्जकत्व अत्यन्त भिन्न है वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से विलक्षण [ भिन्न ] होने पर भी उन दोनों [ वाचकत्व तथा गुणवृत्ति ] के आध्रय ही उस [ व्यञ्जकत्व ] की स्थिति होती है ।

इस अनुच्छेद में 'वस्तु चेति त्रय विपय' इसके बाद निर्णयसागरीय सस्करण में 'अस्त्वलद्गतित्व, समयानुपयोगित्व, पृथगवभासित्व चेति त्रयम्' इतना पाठ और भिनता है । परन्तु उसकी सङ्गति यहाँ नहीं लगती है । इस स्थल पर यह पाठ अनावश्यक और असङ्गत है उसके बीच में आजाने से आगे वाक्य की पूर्व वाक्य से जो स्पष्ट सङ्गति है उसमें वाधा पड़ती है । 'अतएव यहा तो यह निश्चित रूप से प्रमाद पाठ है । 'लोचनकार' ने इसकी व्याख्या "उच्यते" के बाद और "विपयभेदोऽपि" इससे पूर्व करते हुए लिखा है । "एवम् स्वलिद्गतित्वात्, कथञ्चिदपि समयानुपयोगात् पृथगवभासित्वान्वेति विभिः प्रकारैः प्रकाशकत्वस्यैतदितिरीतरूपव्याख्यायाश्च गुणवृत्ते स्वल्पभेद व्याख्याय विपय-भेदमायाह । विपयभेदोऽशीति" । इससे प्रतीत होता है कि 'लोचनकार' दो वाक्य पढ़िले इस पाठ को मानते हैं । दीक्षितिकार ने यहा इस पाठ को रख कर उसकी व्याख्या की है । उनका यह प्रयत्न 'लोचनकार' के विपरीत भी है और सुसङ्गत भी नहीं । वाराणसीय दूसरे सस्करण में इस पाठ को वहाँ स्थान नहीं दिया गया है । यह बात भी लोचनकार की व्याख्या के प्रतिकूल होने से अनुचित है । अतएव लोचनकार की व्याख्या का ज्ञान रखते हुए 'तत्रोपयोगः' के बाद और 'कथमपन्हूयते' से पूर्व इस पाठ को रखना चाहिए । तब 'उच्यते' से आगे वाक्य इस प्रकार बनेगा ।

"उच्यते, प्रकरणाद्यवन्वित्वानशब्दयशेनैरार्थस्य तथाविधं व्यञ्जकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः, अस्त्वलद्गतित्व समयानुपयोगित्वं पृथगवभासित्वं चेति त्रय कथमन्हूयते ।

व्यञ्जकत्व हि क्वचिद् वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते, यथा  
पिवचितान्यपरवाच्ये ध्वनौ । क्वचिच्चु गुणहृत्याश्रयेण यथा  
अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ । तदुभयाथयत्प्रतिपादनायैत्र च ध्वने  
प्रथमतर द्वो प्रभेदावुपन्यस्तो तदुभयाश्रितत्वाच्च तदेकरूपत्वं तरय  
न शक्यते वक्तुम् । यस्मान्त तद् वाचकत्वैकस्तप्तमेत्र क्वचिल्ल  
क्षणाश्रयेण वृत्ते न च लक्षणेकस्तप्तमेव, अन्यत्र वाचकत्वाश्रयेण

इस प्रसार के पाठ की व्याख्या निम्न प्रकार होगी । इसके पूर्व प्रश्नकक्षा  
का प्रश्न यह था कि तुम्हरे अथात् व्यञ्जकवादी के मत में जब शब्द व्यञ्जय  
त्रय को प्रकाशित करता है तब शब्द का व्यापार मुख्य या अमुख्य बैसा होगा ।  
यदि मुख्य व्यापार होगा तो वाचकत्व के अन्तर्गत होगा और अमुख्य होगा तो  
गुणवृत्ति के अन्तर्गत होगा । इनके अतिरिक्त तीसरा कोई प्रकार समवन्हा है ।  
इस प्रश्न का उत्तर 'उच्चते' से दिया है । उत्तर का आशय यह है कि प्रसरणादि  
सहजन् शब्द सामग्र्य से ही अर्थ का उस प्रकार का व्यञ्जकत्व उनता है इसलिए  
व्यञ्जकत्वस्थल में शब्द के व्यापार को मानना ही होगा, साथ ही वहा शब्द के  
अस्त्वलदृगतित्व, समयानुपयोगित्व और पृथगवभासित्व को भी मानना होगा ।  
इसके विपरीत लक्षण या गुणवृत्ति में स्त्वलदृगतित्व, समय अथात् संकेतग्रह का  
उपयोगित्व और वाच्य तथा लक्ष्य का पृथगनवभासित्व प्रतीत होता है । अतएव  
व्यञ्जक व गुणवृत्ति से संबंध मिन है । इसलिए रसादि तथा अलङ्घार और वस्तु  
तीनों व्यञ्जय अथ शब्द व्यापार के विषय होने पर भी समयानुपयोगित्व अथात्  
संकेतग्रह का उपयोग न होने से वाचक संभिन्न, और अस्त्वलदृगतात्त्व के कारण  
लक्षण से भिन्न, तथा पृथगनवभासित्व के कारण उपचार से भिन्न व्यञ्जक व व्यापार  
के विषय होते हैं यह मानना होगा । इस प्रकार की व्याख्या करने से उस स्थल  
की पक्षित में उत्तर में जो अस्त्वता आती है वह भी दूर हो जाता है । और इस  
पाठ की सङ्गत भी लग जाती है । इसलिए इमने इस पाठ की उचित स्थान  
पर कोष्ठक में दे दिया है ।

व्यञ्जकत्व कहीं वाचकत्व के आवित रहता है जैस विविदान्यपरवाच्य  
[ अभिधामूल ] व्यनि में, और कहीं गुणवृत्ति के आधय स नैस, अविवित  
वाच्य [ लक्षणामूल ] व्यनि में । उस [ व्यञ्जकत्व ] के उभय [ अपात्  
वाचक तथा गुणवृत्ति ] में आवितत्व के प्रतिपादन के लिए ही सदम  
पदिके व्यनि के [ अविवितवाच्य और विविदान्यपर वाच्य ] ए

च्यवरथानात् । न चोभयर्थवत्त्रेनैव तदेकैररूपं न भवति, याचह्वा-  
चदत्त्वत्तद्वाणादिस्पर्वात्तगद्वर्मत्तेनापि । तथाहि गीतध्यनीनामपि  
व्यञ्जकत्तमस्ति रमादित्तिपयम् । न च तेषां वाचकत्तनं लक्षणा वा  
कथश्चिल्लक्ष्यते । शब्दाऽन्यत्रापि<sup>१</sup> विषये व्यञ्जकत्तवस्य दर्शनाद्  
वाचकत्तादिशब्दधर्मप्रकारत्त्वमयुक्त वक्तुम् । यदि च<sup>२</sup> वाचकत्त्व-  
लक्षणादीना शब्दप्रवाराणा प्रसिद्धप्रकारविलक्षणत्वेऽपि व्यञ्जकत्त्वं  
प्रकारत्तेन परिकल्प्यते तचशब्दस्यैव प्रकारत्तेन कस्मान्न परिकल्प्यते ।

भेद किए गए हैं । उभयाधित होने के कारण ही वह [ व्यञ्जकत्त्व ] उन  
[ वाचकत्त्व और गुणवृत्ति ] के साथ एक रूप [ वाचकत्त्व वा गुणवृत्ति रूप—  
उनसे अभिन्न ] नहीं कहा जा सकता है । [ अपितु उन दोनों से भिन्न है ]  
व्योक्ति कहीं [ प्रतिवित्तगच्छ लक्षणामूल ध्यनि में ] लक्षणा के आध्रय भी  
रहने से वह [ व्यञ्जकत्त्व ] वाचकत्त्व रूप ही नहीं ही सकता है । और कहीं  
[ विवक्षितान्यपरवाच्य ध्यनि में ] वाचकत्त्वाध्रय भी रहने से लक्षणारूप भी  
नहीं हो सकता है । और न केवल उभय [ वाचकत्त्व तथा गुणवृत्ति ] का धर्म  
होने से ही तदेकरूप [ वाचकत्त्व तथा गुणवृत्ति ] नहीं होता । [ अर्थात्  
व्यञ्जकत्त्व के वाचकत्त्व आथवा गुणवृत्ति रूप न होने का केवल उभयाधित होना  
यह एक ही कारण नहीं है अपितु आगे यताए हुए और भी कारण उसको  
वाचकत्त्व तथा गुणवृत्ति से भिन्न करते हैं ] अपितु वाचकत्त्व और लक्षणा  
आदि व्यापार से रद्दित [ गीत आदि के ] शब्दों वा धर्म होने से भी [ व्यञ्जकत्त्व,  
वाचकत्त्व तथा गुणवृत्ति भी भिन्न है ] । जैसे गीत वी ध्यनि में भी रसादि  
विषयक व्यञ्जकत्त्व रहता है परन्तु उनमें वाचकत्त्व आपवा लक्षणा इसी प्रकार  
भी दिखाई नहीं देती । [ इसके अतिरिक्त ] शब्द से भिन्न [ वैष्ण आदि ]  
विषय में भी व्यञ्जकत्त्व के पांच जान से उसे वाचकत्त्व आदि रूप शब्दधर्म  
विशेष कहना उचित नहीं है । और यदि प्रसिद्ध [ वाचकत्त्व तथा गुणवृत्ति  
रूप ] भेदों से [ पूर्वोक्त हेतुओं से ] अतिरिक्त होने पर भी व्यञ्जकत्त्व को  
वाचकत्त्व और लक्षणा आदि शब्द धर्मों [ प्रकार धर्म ] का विशेष प्रकार  
मानना चाहते हैं तो उस [ व्यञ्जकत्त्व ] को शब्द वा ही [ प्रकार ] विशेष भेद  
कहो नहीं मान लेते । [ यदि प्रदलतर गुणितयों से वाचकत्त्व तथा गुणवृत्ति से  
व्यञ्जकत्त्व का भेद रपष्ट मिद हो गया है फिर भी आप उस व्यञ्जकत्त्व को

१. च निं०, दो० में अधिक है । २. निं० में च नहीं है ।

तदेवं शब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाशः; वाचकत्वं गुणवृत्ति-व्यञ्जकत्वं च । तत्र व्यञ्जकत्वे यदा व्यञ्जनप्राधान्यं तदा ध्वनिः, तस्य चाविविक्षितवाच्यो विविक्षितान्यपरवाच्यरचेति द्वौ प्रमेदा-वनुकान्तौ प्रथमतरं तौ सविस्तरं निर्णीतौ ।

वाचकत्वं या गुणवृत्ति के भेदों में ही परिगणित करने का असङ्गत प्रयत्न कर रहे हैं तो उसको शब्द का एक अलग प्रकार मानने से आपको क्या आपनि है । ]

लोचनभार ने इस पक्षि की व्याख्या करते हुए लिखा है “व्यञ्जकत्वं वाचकत्वमिति यदि पतायी कल्पयने तर्हि व्यञ्जकत्वं शब्दं इत्यपि पर्यायता कस्मान् कल्पयते, इच्छाया अव्य इत्यत्त्वात् ।” अर्थात् यदि व्यञ्जकत्वं और वाचकत्वं को पर्याय मानना चाहते हैं तो व्यञ्जकत्वं और शब्दं को भी पर्याय क्यों नहीं मान लेते । क्योंकि आपका इच्छा तो अप्रतिहत है, वह कहा रोकी नहीं जा सकती । इसका भाव यह हुआ कि जैसे शब्द को व्यञ्जकत्वं का पर्याय मानना युक्तिसङ्गत नहीं है इसी प्रकार व्यञ्जकत्वं को वाचकत्वं का पर्याय मानना भी युक्ति विघ्न है । यह व्याख्या हमें सचिवत्र प्रतीत नहा होती । उसके स्थान पर ‘तच्छुद्दस्यैव प्रभारत्वेन कस्मान्न परिकृत्यते’ का अर्थ उस व्यञ्जकत्वं को शब्द का ही एक अलग प्रकार या धर्म क्यों नहीं मान लेते अर्थात् व्यञ्जकत्वं को शब्द का एक अलग धर्म मान लेना अधिक युक्तिसङ्गत है । यह व्याख्या अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होती है । इसका भाव यह हुआ कि प्रवल्ल युक्तियों से वाचकत्वं और व्यञ्जकत्वं का भेद सिद्ध हो जाने पर भी उसे वाचकत्वरूप मानना तो अत्यन्त अनुचित है उसके बजाय उस व्यञ्जकत्वं को वाचकत्वं और गुणवृत्ति आदि से भिन्न तीसरा शब्दधर्म मान लेना अधिक युक्तिसङ्गत है । अतः उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इसके अनुसार व्यञ्जकत्वं को वाचकत्वं से भिन्न सिद्ध करने वाले अनुमान वाक्य का स्वरूप इस प्रकार बनेगा । “व्यञ्जकत्वं अभिधालद्वयान्यतरत्वापन्द्रिनप्रतियोगिताकभेदवत् शब्दवृत्तित्वे सति शब्देतरवृत्तित्वात् प्रमेयत्ववत् ।” इस अनुमान में गौणी को लक्षणा के ही अन्तर्गत मान कर वाक्य में ‘अभिधालद्वयान्यतरत्वापन्द्रिनप्रतियोगिताकभेदवत्’ को साध्य रखा है । परन्तु मीमांसक के यहाँ गौणी वृत्ति अलग है । उसके अनुसार अनुमान वाक्य यनाना हो तो “व्यञ्जकत्वं अभिधालद्वयागीरण्यतरत्वापन्द्रिनप्रतियोगिताकभेदवत्” यह साध्य का रूप होगा ।

इस तरह शब्द व्यवहार के तीन प्रकार होते हैं । वाचकाव, गुणवृत्ति

अन्यो व्रूयात् । ननु विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनी गुणवृत्तिता नास्तीति यदुन्यते तद्यक्तम् । यस्माद् वाच्यवाचकप्रतीतिपूर्विंका यत्रार्थान्तरप्रतिपत्तिस्तत्र कथं गुणवृत्तिव्यवहारः । नाहि गुणवृत्ती यदा निमित्तेन केनचिद् विपद्यान्तरे शब्द आरोप्यतेऽत्यन्ततिरस्तृतस्वार्थो, यथा 'अग्निर्माणवक' इत्यादी, यदा वा स्वार्थमंशेनापरित्यजस्तत्सम्बन्ध-

और व्यञ्जकत्व उनमें से व्यञ्जकवक [ भेद ] में जब व्यङ्गव का प्रागान्य होता है तथा ध्वनि [ काच्य ] कहलाता है । और उस [ ध्वनि ] के अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य यह दो भेद ऐसे हैं और पहिले ही उनका सविस्तर वर्णन किया जा सकता है ।

यद्यपि उपर्युक्त प्रकरण में अभिधा, लक्षणा और गौणी से भिन्न व्यञ्जकत्व की सिद्धि का जा सकता है फिर भी अविवक्षित वाच्य अर्थात् लक्षणा मूल ध्वनि के अर्थान्तरसक्तमित वाच्य भेद में साहश्यमूलक गौणी अथवा अजहृतस्वार्था उपादान लक्षणा और अत्यन्ततिरस्तृतवाच्य ध्वनि में जहृतस्वार्था रूप लक्षणलक्षणा से भेद को और स्पष्ट करने के लिए यह अगला पूर्वपक्ष उठाते हैं । पूर्वपक्ष का आशय यह है कि अभिधामूल अथवा विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में वाचकत्व और गुणवृत्ति से भेद स्पष्ट है परन्तु अविवक्षित वाच्य अथवा लक्षणा-मूल ध्वनि, गौणी तथा लक्षणा से भिन्न नहीं हैं ।

[ पूर्वपक्ष ] धर्म [ क्वोई ] कह सकता है कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति नहीं होती यह जो कहते हैं सो ठीक है । क्योंकि जहाँ [ विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में ] वाच्य-वाचक [ अर्थ और शब्द ] को प्रतीति-पूर्वक [ व्यङ्गव रूप ] अर्थान्तर की प्रतीक्षा होती है वहाँ गुणवृत्ति व्यवहार हो ही कैसे सकता है । [ क्योंकि वहाँ वाच्य और व्यङ्गव की अलग अलग और प्रकार से प्रतीति होती है । इसलिए विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति नहीं रह सकती है । इसी प्रकार आगे कहे हेतु से गुणवृत्ति में विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि नहीं रह सकती है ] गुणवृत्ति में जब किसी शिरोप कारण से शिरान्तर में [ उसके अवाचक ] शब्द का अपने अर्थ को अत्यन्ततिरस्तृत दर आरोप [ मूलक व्यवहार ] किया जाता है जैसे 'अग्निर्माणवकः इत्यादि में [ अग्नि शब्द का अपने अर्थ को छोड़कर तेजस्वितादि सादृश से यालक में धारोपित

द्वारेण विपयान्तरमाक्रामति यथा 'गङ्गाया घोप' इत्यादौ तदा विवक्षितवाच्यत्वमुपपद्यते । अत एव च विवक्षितान्यपरवाच्ये धनौ वाच्यवाचकयोद्भ्योरपि स्वरूपप्रतीतिरथापगमनं च दृश्यत इति व्यञ्जकत्वव्यपहारोगुरुत्यनुरोधी । स्वरूप प्रमाशयन्नेव परावभासको व्यञ्जक इत्युच्यते । तथाविधे विपये वाचकत्वस्यैव व्यञ्जकत्वमिति गुणवृत्तिव्यपहारो नियमेनैव न शक्यते कर्तुम् ।

अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिर्गुणवृत्ते कथ मिथ्यते । तस्य प्रभेदद्वये गुणवृत्तिप्रभेदद्वयरूपता लक्ष्यत एव यत २ ।

व्यवहार किया जाता है तब यहा अथन्त तिरस्कृत वाच्य' या जहात्स्वार्थलक्षण तो मानी जा सकती है परन्तु विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि नहीं ] अथवा कुछ अश में अपने अर्थे को छोड़कर [ सामीप्यादि ] सम्यम्भ द्वारा [ गङ्गा आदि शब्द जय ] अथान्तर [ तर आदि रूप अर्थ ] का वाध कराता है जैसे 'गङ्गाया घोप' इर्यादि में । तब ऐसे स्थलों पर अविवक्षित वाच्य [ लक्षणामूल ध्वनि ] हो सकता है । [ परन्तु विवक्षितान्यपर वाच्य नहीं हो सकता है । अथपूर्व जहा विवक्षितान्यपर वाच्यध्वनि होता है वहा गुणवृत्ति न रहने से और जहा गुणवृत्ति रहती है वहा विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि न रहने से उन दोनों की पूर्वविपयता नहीं हो सकती है यह कहना तो ठीक ही है ] इसीलिए विवक्षितान्तपरवाच्यध्वनि में वाच्य और वाचक दोनों के स्वरूप की प्रतीति और [ व्यञ्जय ] अर्थ का ज्ञान पाया जाता है इसलिए व्यञ्जकत्व व्यवहार युक्तिसङ्गत है । [ क्योंकि ] अपने रूप को प्रकाशित करते हुए [ दीपकादि के समान ] पर के रूप को प्रकाशित करने वाला ही व्यञ्जक बहलाता है । ऐस उदाहरणों में [ वाचकत्व और व्यञ्जकत्व स्पष्ट रूप स अलग अलग प्रतीत होते हैं अत ] वाचकत्व का ही व्यञ्जकत्व रूप है इस प्रकार का गुणवृत्ति [ मूलक ] व्यवहार निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है । [ इसलिए विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि गुणवृत्ति रूप नहीं है यह ठीक है । ]

परन्तु अविवक्षित वाच्य [ लक्षणामूल ] ध्वनि गुणवृत्ति से कैसे अलग हो सकती है । उसके दोनों भेदों [ अथान्तर सक्रमित वाच्य तथा अथन्त

२ निं० दो० में यत को अगले वाच्य के साथ जोड़ कर यनोऽयमपि न दोय' पाठ रखा है ।

अयमपि न दोषः । यस्माद्विवित्वाच्यो ध्वनिगुणवृत्तिमार्गं-  
अयोऽपि भवनि, न तु गुणवृत्तिरूप एव । गुणवृत्तिहिं व्यञ्जकत्वशून्यापि  
दृश्यते । व्यञ्जकत्वं च यथोक्तव्यारूपहेतुं व्यञ्जनं विना न व्यवतिष्ठते ।

गुणवृत्तिस्तु वान्यधर्माश्रयेण व्यञ्जयमात्राश्रयेण चाभेदोपचार-  
रूपा सम्भवति, यथा 'तीक्ष्णत्वादग्निर्माणपक.', 'आलहादकत्वाचन्द्रे  
एवास्या मुखम्' इत्यादौ । यथा च 'प्रिये लने नास्ति पुनरुक्तम्' इत्यादौ ।

तिरस्कृत वाच्य ] मे गुणवृत्ति के दोनों भेद [ उपचार और लक्षणारूप स्पष्ट ]  
दिखाई देते ही हैं । [ अथान्तर सक्षमित वाच्य ध्वनि उपादान लक्षणा अथवा  
अजहतस्वार्था लक्षणा और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जहतस्वार्था अथवा  
लक्षण लक्षणा रूप या गुणवृत्ति स्पर्श व्रतीत होती है । अतएव वह लक्षणा या  
गुणवृत्ति से कैसे भिन्न हो सकती है । यह प्रश्नकर्ता का आराय है ] ।

[ उत्तर ] यह दोष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि अविवित वाच्य  
ध्वनि गुणवृत्ति लक्षणा के मार्ग का आश्रय भी ज्ञेता है किन्तु वह गुणवृत्ति  
लक्षणा स्पर्श नहीं है । क्योंकि गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व रहित भी हो सकती  
[ लापेयादि पदों से व्यञ्जय प्रयोजन के अभाव में भी गुणवृत्ति या केवल  
रूपिमूलक लक्षणा पाई जाती है । यहाँ गुणवृत्ति है परन्तु व्यञ्जकत्व नहीं ]  
और व्यञ्जकत्व पूर्वोक्त चारूप हेतु व्यञ्जय के विना नहीं रहता [ इसलिए गुण-  
वृत्ति और अविवित वाच्य ध्वनि पक नहीं है । ]

गुणवृत्ति तथा अविवित वाच्य ध्वनि के भेद प्रतिगदन के लिए और  
भी हेतु देते हैं ।

अभेदोपचार रूप गुणवृत्ति से वाच्य धर्म के आश्रय से [ रुदि  
हेतुक ] और व्यञ्जयमात्र के आश्रय से [ प्रयोजनवती ] हो सकती है । जैसे  
तेजस्वितादि धर्मंयुक्त होने से यह लड़का अग्नि है तथा आनन्ददायक होने से  
इसका मुख चन्द्रमा है, हृत्यादि में । और प्रिय जन में पुनरुक्त नहीं होती,  
हृत्यादि में ।

ये तीन उदाहरण अभेदोपचार रूप गुणवृत्ति के दिए हैं । माणपक में  
अग्नि का, मुख में चन्द्र का अभेदारोप मूलक उपचार व्यग्रहार होने से यह गौणी  
के उदाहरण हैं और वाच्य धर्माश्रयेण यह उदाहरण दिए गए हैं । वाच्य धर्माश्रय  
का अर्थ रुदि हेतुक किया गया है । परन्तु 'अग्निर्माणपकः' में तेजस्वितादि  
और दूतरे उदाहरण में 'आलहादकत्वातिशय' रूप प्रयोजन व्यञ्जय होने से यह

यापि लक्षणारूपा गुणवृत्तिः साप्युपलक्षणीयार्थसम्बन्धनाचाभयेण  
चाररूपव्यञ्जयप्रतीति विनापि सम्भवत्येव, यथा 'मङ्गा. क्रोशन्ति'  
इत्यादौ विपदे ।

दोनों तो वाच्यधर्माश्रयेण के स्थान पर व्यञ्जयधर्माश्रयेण के उदाहरण हीने चाहिए थे । इनको ग्रन्थकार ने वाच्य धर्माश्रयेण के उदाहरण रूप में कैसे प्रस्तुत किया है । यह शङ्का उत्तम हो सकती है । इसों लिए लोचनकार ने इसकी विशेष रूप से व्याख्या करके लिखा है कि "वाच्यविवको यो धर्मो अभिधायामरसतस्या-अयेण तदुपर्व इणायेत्यर्थ । श्रुतार्थापत्ताविगार्थान्तरस्याभिधेयार्थोपपादन एव पर्यवसा-नादिति भावः" । सभ्य मूलकार ने भी उस व्यञ्जय प्रयोजन व्यौ आशङ्का से ही केवल 'अग्निर्माणवक' इतना उदाहरण नहा दिया है अपितु तीदण्डादि जो व्यञ्जय माना जा सकता है उसकी व्यञ्जयता की आशङ्का को मिटाने के लिए ही उस तीदण्डादि को भी स्वशब्द से वाच्य रूप में प्रस्तुत करते हुए 'तीदण्ड-स्वादभिन्माणवक' यह उदाहरण दिया है । इसमें तीदण्डत धर्म शब्दत ही उपात्त है अतः वह व्यञ्जय नहीं हो सकता । अतः ये उदाहरण वाच्यधर्माश्रयेण ही के हैं व्यञ्जय धर्माश्रयेण के नहीं यह वात मूल से ही स्पष्ट हो जाती है । परं भी यदि किसी को आग्रह हो तो उसकी हृषि से ही मूल में वाच्यधर्माश्रय का साप्तरा उदाहरण "प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्" दिया है । यह उदाहरण पहिले पृष्ठ द४ पर उदाहृत प्राकृत पद्य का छायामाग है ।

लोचनकार वा आशय यह है कि 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुद्धते' यह श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण है । देवदत्त दिन में नहीं खाता परन्तु स्थूल हो रहा है ऐसा सुनने वाला उसके रात्रिभोजन की कल्पना करता है । यहा रात्रिभोजन वाच्य न होकर अर्थात् तत्त्व से आकृति होता है परन्तु वह केवल श्रूयमाण पीनत्व का उपपादक मात्र होता है । चार्हत्व हेतु नहा । इसी प्रकार 'अग्निर्माणवक' अथवा 'चन्द्र एव मुखम्' इत्यादि उदाहरणों में तेजस्वितादि और आह्वादकत्वादि धर्म शब्दत, उपात्त न भी हों तो भी अथोकृति हो कर भी वह अग्नि और माणवक के अभेद रूप वाच्यार्थ के उपपादक मात्र होने से और चार्हत्व हेतु न होने से रूढिके ही उदाहरण हैं । इसलिए वाच्यधर्माश्रयेण के उदाहरण रूप में ये उदाहरण ठीक ही हैं । यह लोचनकार का अभिप्राय है । इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों में अभेदोपन्नारूपा गुणवृत्ति का वाच्यधर्माश्रयेण प्रयोग दिखाया । अब लक्षणा रूपा गुणवृत्ति का वाच्यधर्माश्रयेण प्रयोग दिखाते हैं ।

और जो लक्षणा रूपा गुणवृत्ति है वह भी लक्ष्यार्थ के साथ सम्बन्ध

यत्र तु सा चारस्पद्यज्ञवहेतुस्तत्रापि व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेनैव,  
वाचकत्ववत् ।

असम्भविना चार्थेत यत्र व्यवहारः, 'यथा सुवर्णपुण्या पूर्थिवीम्'  
इत्यादौ, तत्र चारस्पद्यज्ञवप्रतीतिरेव प्रयोजकेति तथाविधेऽपि  
प्रिपये गुणवृत्तौ सत्यामपि ध्वनिन्यवहार एव युक्त्यनुरोधी । तस्माद-

मात्र के आध्रय से, चार व रूप व्यज्ञव प्रतीति के दिना भी हो सकती है । जैसे  
'मञ्चा ब्रोशन्ति' भचान चिल्लाते हैं इत्यादि में ।

'मञ्चा ब्रोशन्ति' में भचानरूप अनेकन पदाथ में चिल्लाने की सामर्थ्य न होने  
से मञ्च पद उपदान [रुडि] लक्षणा से मञ्चस्थ पुरुषो का वोधक होता है । इस  
प्रकार ऊपर अभेदोपचाररूपा गुणवृत्ति और 'मञ्चा ब्रोशन्ति' में लक्षणा रूपा  
गुणवृत्ति, व्यज्ञय प्रयोजन आदि के दिना रुडि से ही अन्य अर्थ का वोधन कराती  
है । इसलिए व्यज्ञय के अभाव में भी गुणवृत्ति की स्थिति होने से अविवक्षितवाच्य  
लक्षणा मूल ध्वनि के अर्थान्तरसक्रमित वाच्य और अत्यन्तरस्तृत वाच्य दोनों  
भेद गुणवृत्ति से अत्यन्त भिन्न हैं—यह सिद्ध किया । अब आगे प्रयोजनवती  
लक्षणा भी अविवक्षितवाच्य लक्षणा मूल ध्वनि से भिन्न है यह प्रतिपादन  
करते हैं ।

और जहा वह [लक्षणा] चारस्पद्य व्यज्ञय की प्रतीति का हेतु  
[प्रयोजिना] होती है वहाँ [वह, लक्षणा] भी वाचकत्व के समान व्यञ्जकत्व के  
अनुप्रवेश से ही [चारस्पद्य व्यज्ञय प्रतीति का हेतु] होती है ।

अभिधामूल विभक्तिन्यपरवाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व को  
आप भी अलग मान चुके हैं । 'गतोऽस्तमर्ह' इत्यादि अभिधा स्थल में अभिपरण  
कालादि व्यज्ञय की प्रतीति व्यञ्जनानुप्रवेश से ही होती है । इसी प्रकार लक्षणा  
मूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि स्थल में भी यदि लक्षणा चारस्पद्य हेतु होती है तो  
व्यञ्जना के अनुप्रवेश से ही वह चारस्पद्य हेतु हो सकती है, सतत नहीं । इसलिए  
वहाँ ध्वनि व्यवहार होता है ।

जहा असम्भव अर्थ [आरोपमूलक गुणवृत्ति] से व्यवहार होता है  
जैसे 'मुवर्णपुण्या पूर्थिवीम्' इत्यादि [४० ०८ पर उदाहर] में, वहा चारस्पद्य-  
व्यज्ञर की प्रतीति ही उस [आरोपमूलक गुणवृत्ति व्यवहार] की हेतु है  
इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों में गुणवृत्ति होने पर भा [अनायास प्रशुर  
धनोपादन रूप चमकारी व्यज्ञय के कारण ही गुणवृत्ति व्यवहार होन से]

विवक्षितवाच्ये ध्वनौ, द्वयोरपि प्रभेदयोर्व्यञ्जकत्वविशेषाग्निशिष्ठा गुण-  
वृत्तिर्न तु तदेकरूपा सहृदयहृदयाह्वादिनी । 'प्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वाद्  
विषयान्तरे तदृपशून्याया' दर्शनात् । एतच्च सर्वं प्राक् सूचितमपि सुट्टर-  
प्रतीतये पुनरुक्तम् ।

ध्वनि व्यवहार ही युक्तिसङ्गत है । इसलिए अविवक्षित वाच्य [ लक्षणामूल ]  
ध्वनि में [ अर्थान्तरसंक्षिप्त वाच्य और अत्यन्ततिरस्तृत वाच्य ] दोनों भेदों में  
व्यञ्जकत्व विशेष से युक्त गुणवृत्ति सहृदयहृदयाह्वादिनी होती है । तदेक-  
रूपा नहीं [ अर्थात् गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व एक नहीं हैं ] क्योंकि [ गुणवृत्ति ]  
प्रतीयमान, [ चारुत्व हेतु रूप व्यञ्जय ] की प्रतीति का हेतु नहीं है । दूसरे स्थानों  
पर [ अग्निर्माणवक्तः आदि में ] उस [ गुणवृत्ति ] को उस [ व्यञ्जकत्व ] से  
रहित पाते हैं । [ अग्निर्माणवक्तः, अथवा, नास्ति पुनरुक्तम्, आदि उदा-  
हरणों में गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व शून्य पाई जाती है । इसलिए 'सुवर्णपुष्पा'  
आदि में भी व्यञ्जना के द्वारा ही चारुत्व रूप व्यञ्जन की प्रतीति  
होती है । गुणवृत्ति रूप से नहीं । अतः अविवक्षित वाच्य ध्वनि से भी गुण-  
वृत्ति अलग है ] यह सब बातें पहले [ प्रथम उद्योग में ] सूचित [ सूच्यम  
रूप से ] की जा चुकी हैं फिर भी अविवक्षित रूप से प्रतिपादनार्थ यहां  
किर कही है । [ स्वरूप भेद और निमित्तभेद प्रतिपादन के कारण पुनरुक्त  
नहीं है ] ।

यहा निर्णयसागरीय उंस्करण में प्रतीयमान के बाद विराम लगा दिया गया  
है । और शेष वाक्य को अलग रखा है । यह उचित नहीं है । लोचनकार ने  
'प्रतीयमानप्रतीतिहेतुत्वात्' को सम्मिलित मान कर ही 'नहि गुणवृत्तेश्चारुत्व-  
प्रतीतिहेतुत्वमस्तीति दर्शयति' लिखा है ।

दीधितिकार ने सहृदयहृदयाह्वादिनी में से न को हटा कर सहृदयहृदया-  
ह्वादि को प्रतीयमान का विशेषण बना कर एक समस्त पद कर दिया है ।  
उनका यह प्रयत्न भी ठीक नहीं है । व्यञ्जकत्व विशेषाग्निशिष्ठा, गुणवृत्ति  
ही सहृदयहृदयाह्वादिनी हो सकता है रथय गुणवृत्ति न सहृदयहृदयाह्वादिनी  
होती है और न प्रतीयमान की प्रतीति हेतु । यह अभिप्राय है । 'लोचन'

१. प्रतीयमाना । नि०, सहृदयहृदयाह्वादिप्रतीयमानप्रतीतिहेतुत्वात्  
दी० । २. तदृपशून्यायामूल नि, दी० ।

श्रीपादिकत्व रूप से व्यञ्जन का अभिधा से भेद सिद्ध कर अब 'लिङ्गत्व-न्याय' से भी अभिधा से व्यञ्जन का भेद सिद्ध करते हैं। लिङ्गत्व न्याय का अभिप्राय यह है कि न्याय शास्त्र प्रतिपादित अनुमान की प्रक्रिया में धूम आदि को 'लिङ्ग' और वनिह आदि को 'साध्य' कहा जाता है। 'लिङ्ग' शब्द का शर्य होता है 'लीन अर्थे गमयति इति लिङ्गम् ।' जो लीन अर्थात् छिपे हुए-प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाले अर्थ का वोधक हो उसको 'लिङ्ग' कहते हैं। धूम पर्वत पर स्थित; परन्तु प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाली वनिह का वोध कराता है। धुवा उठता हुआ देख कर दूर से ही यह ज्ञान हो जाता है कि "पर्वतो वनिहमान् धूमवत्त्वात् ।" पर्वत पर अग्नि है क्योंकि पर्वत पर धुवा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार धूम लिङ्ग कहलाता है, वनिह साध्य और पर्वत पक्ष। परन्तु पर्वत का यह 'पक्षत्व' वनिह का 'साध्यत्व' और धूम का 'लिङ्गत्व' हर समय उस रूप में काम नहीं करते हैं। जिस समय अनुमान करने की इच्छा होती है उसी समय वह इस रूप में उपयोगी होते हैं। घर की रसोई में धुगा भा देते हैं और वनिह भी। परन्तु यहाँ न रसोई पक्ष कहलाती है, न धूम को लिङ्ग कहते हैं, और नाहीं वनिह साध्य है। क्योंकि वहा वनिह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उसको अनुमान से सिद्ध करने की इच्छा नहीं है। इसलिए पक्ष, लिङ्ग और साध्य व्यवहार के रूप अनुमान की इच्छा 'अनुमित्ता' या तिसाधयिता के ऊरर निर्भर है। इसी प्रकार शब्द का व्यञ्जकत्व प्रयोका की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए व्यञ्जकत्व में लिङ्गत्व का सामग्री है। इसके अतिरिक्त धूमादि लिङ्ग व्याप्तिप्रद रूप अर्थ सामग्री के सहजार से ही अर्थ के अनुमापक होते हैं। 'व्याप्तिप्रलेन अर्थगमक लिङ्गम्' यह भी लिङ्ग का अनुकूलण है। धूम से वनिह का वोध करने में 'यत्र यथा धूमस्तन तत्र वनिहः' इस व्याप्ति के प्रदण की आवश्यकता होती है। उसके बिना धूम, वनिह का अनुमापक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार व्यञ्जक शब्द को व्यञ्जय अर्थ के वोध कराने के लिए प्रकरणादि वैशिष्ट्य रूप सामग्री की सहायता आवश्यक होती है। यह भी लिङ्गत्व और व्यञ्जकत्व की एक समानता हो सकती है। परन्तु इसको लिङ्गत्व न्याय का प्रवर्तक नहीं मानना चाहिए। क्योंकि नैयायिक अपने लिङ्गत्व को श्रीपादिक धर्म नहीं मानता है। वह उसे नियत स्वाभाविक सम्बन्ध कहता है। इसीलिए आलोककार ने यहा नेवल इच्छाधीनल तो ही लिङ्गत्व न्याय का प्रवर्तक माना है।

और इस व्यञ्जक भाव का लिङ्गत्व न्याय [ लिङ्गत्व साम्य ] भी दिखाई देता है। जैसे लिङ्गत्व आप्रयों [ धूमादि ] में इच्छा [ अनुमित्ता ]

लिङ्गत्वन्यायरचास्य व्यञ्जकमावस्य लक्ष्यते । यथा<sup>१</sup> लिङ्गत्व-  
माश्रयेष्वनियतावभासम्, इच्छाधीनत्वात्, स्वविपयाव्यभिचारि च,  
तथैवेदं यथा दर्शितं व्यञ्जकत्वम् ।

शब्दात्मन्यनियतत्वादेव<sup>२</sup> च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शक्या  
कल्पयितुम् । यदि हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मनि  
नियततापि स्थाद् वाचकत्ववत् ।

के अधीन होने से अनियत रूप [ सदा न प्रतीत होने वाला ] होता है और  
अपने विषय [ साध्य वन्हि आदि ] में अव्यभिचारी [ सदा नियत ] होता है ।  
इसी प्रकार, जैसे कि ऊपर दियाया जा चुका है, यह व्यञ्जकत्व [अपने आश्रय  
शब्दों में इच्छाधीन होने से अनियत और स्वविषये अर्थात् व्यष्टय अर्थ के  
योग्यन में नियत अव्यभिचारी ] है ।

शब्द स्वरूप में अनियत होने से ही उस [ व्यञ्जकत्व ] को वाच्यत्व  
का भेद महीं माना जा सकता है । यदि वह [ व्यञ्जकत्व ] वाचकत्व का भेद  
[ प्रकार ही ] होता तो वाचकत्व के समान शब्द स्वरूप में नियत भी होना  
चाहिए । [ परन्तु वह शब्द स्वरूप में नियत नहीं है । प्रकारादि सहकार से  
ही व्यञ्जकत्व होता है । अतः व्यञ्जकत्व वाचकत्व से भिन्न है । ]

वाचकत्व से व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध करने के लिए अभी  
व्यञ्जकत्व को 'श्रीपाठिक' घर्में बतलाया गया है । अर्थात् शब्द और अर्थ का  
व्यञ्जकत्व रूप 'श्रीपाठिक' सम्बन्ध भी होता है । यह बात भीमासा दर्शन के  
“श्रीतत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः” इत्यादि अ० १, पा० १ स० ५ के विश्व  
है । उस सूत्र में शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध माना है । 'श्रीतत्तिक' का  
अर्थ नित्य करते हुए सूत्र के भाष्यकार शब्दस्यामी ने लिखा है कि “श्रीतत्तिक  
इति नित्यं ग्र.म. । उत्तत्तिर्हि भाव उच्यते लक्षणया । अभियुक्तः शब्दार्थयोः  
सम्बन्धः । नोतन्त्योः पश्चात् सम्बन्धः ।” इस शब्दस्यामी के भाष्य और भीमासा  
सूत्र के साथ व्यञ्जकत्व रूप शब्द अर्थ के श्रीपाठिक सम्बन्ध के रिहेप का  
परिवार करते हुए पौश्रेण तथा श्रीरूपेण वाक्यों में भेद मानने वाले भीमासक

१. तथाहि लिङ्गत्वमादयेषु नियतावभासम् नि०, (घ) नियतावभासम्  
दी० । २. शब्दा- स्मनि नियतत्वादेव नि०, (घ) नियतत्वादेव दी० ।

श्रीपादिकत्व रूप से व्यञ्जकत्व का अभिधा से भेद सिद्ध कर अब 'लिङ्गत्व-न्याय' से भी अभिधा से व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध करते हैं। लिङ्गत्व न्याय का अभिधाय यह है कि न्याय शास्त्र प्रातपादित अनुमान की प्रक्रिया में धूम आदि को 'लिङ्ग' और वनिह आदि को 'साध्य' कहा जाता है। 'लिङ्ग' शब्द का अर्थ होता है 'लीन अर्थं गमयति इति लिङ्गम्।' जो लीन अर्थात् छिपे हुए-प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाले अर्थ का नोंधक हो उसको 'लिङ्ग' कहते हैं। धूम पर्वत पर स्थित, परन्तु प्रथम दिखाई न देने वाली वनिह का बोध करता है। धुवा उठता हुआ देख कर दूर से ही यह ज्ञान हो जाता है कि 'पर्वतो वनिहमान् धूमवत्त्वात्।' पर्वत पर अग्रिम है क्योंकि पर्वत पर धुवा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार धूम लिङ्ग कहलाता है, वनिह साध्य और पर्वत पक्ष। परन्तु पर्वत का यह 'पक्षत्व' वनिह का 'साध्यत्व' और धूम का 'लिङ्गत्व' हर समय उस रूप में काम नहा करते हैं। जिस समय अनुमान करने का इच्छा होता है उसी समय वह इस रूप में उपयोगी होते हैं। घर की रसोई में धुवा भी देखते हैं और वनिह भी। परन्तु यहाँ न रसोई पक्ष कहलाती है, न धूम को लिङ्ग कहते हैं, और नाहीं वनिह साध्य है। क्योंकि यहाँ वनिह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उसको अनुमान से सिद्ध करने की इच्छा नहा है। इसलिए पक्ष, लिङ्ग और साध्य व्यवहार केवल अनुमान की इच्छा 'अनुमित्सा' या सिसाधियित के ऊर निर्भर है। इसी प्रकार शब्द का व्यञ्जकत्व प्रयोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए व्यञ्जकत्व में लिङ्गत्व का सामय है। इसके अतिरिक्त धूमादि लिङ्ग व्याप्तिप्रद रूप अन्य सामग्री के सद्वार से ही अर्थ के अनुमापक होते हैं। 'व्याप्तिगलेन अर्थंगमक लिङ्गम्' यह भी लिङ्ग काभलायण है। धूम से वनिह का नोंध करने में 'यत्र यत्र धूमस्तन तत्र वनिहः' इस व्याप्ति के प्रदृश की आवश्यकता होती है। उसके पिना धूम, वनिह का अनुमापक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार व्यञ्जक शब्द को व्यझ्य अर्थ के बोध कराने के लिए प्रकरणादि वैशिष्ट्य रूप सामग्री की सहायता आवश्यक होती है। यह भी लिङ्गत्व और व्यञ्जकत्व की एक सम नता हो सकती है। परन्तु इसको लिङ्गत्व न्याय का प्रवर्तक नहीं मानना चाहिए। क्योंकि नैयायिक अपने लिङ्गत्व को श्रीपादिक धर्म नहा मानता है। वह उसे नियत स्वाभाविक सम्बन्ध कहता है। इसीलिए आलोककार ने यहा केवल इच्छाधीनत्व को ही लिङ्गत्व न्याय का प्रवर्तक माना है।

और इस व्यञ्जक भाव का लिङ्गत्व न्याय [ लिङ्गत्व सामय ] भी दिखाई देता है। जैसे लिङ्गत्व यात्रयों [ धूमादि ] में इच्छा [ अनुमित्सा ]

स च तथाविध श्रौपाधिको धर्म शब्दानामौत्पत्तिकशब्दार्थ-  
सम्बन्धवादिना वाक्यतत्त्वविदा पौरुषेयापौरुषेययोर्वाक्ययोर्विशेष-  
मभिदधता नियमेनाभ्युपगन्तव्य । तदनभ्युपगमे हि तस्य शज्जार्थसम्बन्ध-  
नित्यत्वे सत्याप्ययौरुषेययौरुषेययोर्वाक्ययोर्वर्त्तप्रतिपादने निविशेषत्व  
स्यात् । तदभ्युपगमे तु पौरुषेयाणा वाक्याना पुरुषेच्छानुविधानसमारो-  
पितौपाधिकव्यापारान्तराणा सत्यपि स्त्राभिधेयसम्बन्धापरित्यागे मिथ्या-  
र्थतापि भवेत् ।

सम्भव हो सकता है । इसलिए पौरुषेय लौकिक वाक्यों में बक्ता के भ्रम, प्रमाद, विश्वलिप्ता आदि दोष युक्त होने से मिथ्यार्थकता हो सकती है । वैदिक वाक्य किञ्चि पुरुष [ यहा पुरुष शब्द से ईश्वर ना ग्रहण होता है ] के निर्मित नहीं हैं । अतएव उनमें मिथ्यार्थकता सम्भव नहीं है । यही पौरुषेय अपौरुषेय वाक्यों का अन्तर है ।

इस प्रकार 'पौरुषेय' वाक्यों का तात्पर्य उन्हें 'अपौरुषेय' वाक्यों से भिन्न करता है । यह तात्पर्यार्थ अभिधा से प्रतीत नहा हो सकता क्योंकि वह सकेति अर्थ नहा है । और न लक्षणा से प्रतीत हो सकता है क्योंकि वहा लक्षणा की मुख्यार्थसाध आदि रूप सामग्री नहा है । अतएव इस तात्पर्यार्थ का ओध अभिधा और लक्षणा से भिन्न व्यञ्जना वृत्ति से ही हो सकता है । इसलिए भीमासक के न चाहने पर भी उसे व्यञ्जना वृत्ति स्वीकार करनी ही होगी । इसलिए शब्द में तात्पर्य रूप 'श्रौपाधिक' धर्म उसे भी स्वीकार करना होगा । उस श्रौपाधिक धर्म के सम्बन्ध से पदार्थ के स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है । इस युक्तिक्रम से ग्रन्थभार भीमासकों के लिए श्रौपाधिक धर्म व्यञ्जकत्व की अनिवार्यता इस प्रकारण में सिद्ध करते हैं ।

और इस प्रकार का वह [ व्यञ्जकत्व रूप ] श्रौपाधिक धर्म शब्द और अर्थ के निय सम्बन्ध को मानने वाले और पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्यों में भेद मानने वाले वाक्य के तत्त्व को जानने वाले [ और वान्य में शक्ति मानने वाले भीमासक ] को अवश्य माना पड़ेगा । उसके स्वीकार किए विना शब्द और अर्थ का निय सम्बन्ध होने पर भी पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्यों के अर्थ-ओधन में समानता होगी । [ भेद का उपपादन नहीं हो सकेगा ] और उस [ व्यञ्जकत्व रूप श्रौपाधिक धर्म ] के स्वीकार कर लेने पर पौरुषेय वाक्यों में अपने वाच्यवाचकभाव [ रूप निय ] सम्बन्ध का परिव्याग किए विना भी पुरुष

के लिए भी श्रौपाधिक व्यञ्जकत्व की अनिवार्यता प्रतिपादन करने के लिए अगला प्रकरण ग्राम्य करते हैं।

मीमांसा के सिद्धान्त में वेद 'अपौरुषेय' हैं और उनका स्वतःप्रामाण्य माना जाता है। लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होने से पौरुषेय हैं, उनका प्रामाण्य वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा रखने से परत है। वैदिक वाक्य स्वतः प्रमाण हैं और लौकिक वाक्य परतः प्रमाण हैं। 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तपैद्वय खतस्त्वम्।' 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तपैद्वय परतस्त्वम्।' अर्थात् जहाँ ज्ञान की ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री प्रामाण्य के ग्रहण करने के लिए अपेक्षित हो वहा परतः प्रामाण्य होता है और जहाँ ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही प्रामाण्य का भी ग्रहण ज्ञान के ग्रहण के साथ ही हो जाता है वहा स्वतःप्रामाण्य होता है। लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होते हैं। पुरुष में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दीप हो सकते हैं, अतएव पुरुष के दोषों के सम्बन्ध से लौकिक या 'पौरुषेय' वाक्यों में अप्रामाण्य आ जाता है। परन्तु वेद 'अपौरुषेय' हैं, उनमें 'पुन्दोप' के सर्वर्ग की सम्भावना न होने से वह स्वतः प्रमाण हैं, यह मीमांसकों का सिद्धान्त है।

मीमांसक शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध मानते हैं इसलिए उनके यहा शब्द भी नित्य है। परन्तु शब्दों के समूहरूप लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित और अनित्य हैं। जैसे मालाकार पुरुषों का उत्पादक नहीं होता फिर भी उनके क्रमिक सन्निवेश रूप माला का निर्माता होता है, इसी प्रकार पुरुष नित्य शब्दों का उत्पादक न होने पर भी उनके क्रमबद्ध वाक्यस्थरूप का निर्माता होता है, अतः लौकिक वाक्य 'पौरुषेय' अर्थात् पुरुषनिर्मित होते हैं।

इस प्रकार शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध होने से उनके मत में वाक्य को कभी निरर्थक अथवा मिथ्यार्थक नहीं होना चाहिए। इसलिए लौकिक वाक्य भी वैदिक वाक्य के समान स्वतःप्रमाण ही होने चाहिए। फिर भी मीमांसक लौकिक वाक्यों में पुरुषदोप के सम्बन्ध से अप्रामाण्य मानते हैं। इस अप्रामाण्य अथवा पौरुषेय अपौरुषेय वाक्यों के भेद का उपरादन वाच्यार्थ-योधकता के आधार पर नहीं हो सकता है क्योंकि वाच्यार्थ की योधकता तो पौरुषेय अपौरुषेय दोनों प्रकार के वाक्यों में समान ही है। किन्तु तात्पर्ययोधकत्व के आधार पर ही उन दोनों वाक्यों का भेद सम्भव है। वाक्यनिर्माता पुरुष की इच्छा ही तात्पर्य है। पुरुष के असर्वंश और अभिन्न आदि से युक्त होने के कारण उसके तात्पर्यविरक्तीभूत अथवा इच्छा के विषयीभूत अर्थ में मिथ्यात्व भी

सत्यमेतत्, किन्तु वक्त्रभिप्रायप्रकाशनेन 'यद्ब्यञ्जकत्वं तत्सर्वे-  
पामेव लौकिकानां वाक्यानामविशिष्टं', तच्चु<sup>१</sup> वाचकत्वान्न भिद्यते ।  
ब्यङ्गश्च हि तत्र नान्तरीयकतया व्यपस्थितम् । न तु विवक्षितत्वेन ।  
<sup>२</sup> यस्य तु विवक्षितत्वेन ब्यङ्गश्च स्थितिस्तद्ब्यञ्जकत्वं ध्वनिव्यवहारस्य  
प्रयोजकम् ।

यस्त्वभिप्रायविशेषरूप ब्यङ्गश्च शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते तद्वयति  
विवक्षित तात्पर्येण प्रकाश्यमान सत्<sup>३</sup> । किन्तु तदेव केवलमपरिमित-  
विषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य न प्रयोजकमव्यापकत्वात्<sup>४</sup> । तथा<sup>५</sup> द्विशित-  
भेदत्रयरूप तात्पर्येण योत्यमानमभिप्रायरूपमनभिप्रायरूप च सर्वमेव  
ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तव्यञ्जकत्वविशेषे<sup>६</sup> ध्वनिलक्षणे  
नातिव्याप्तिर्न चाव्याप्ति ।

ब्यङ्गश्च के सम्बन्ध के कारण ] ध्वनि व्यवहार हो जायगा [ सभी लौकिक वाक्य  
ध्वनि कहलाने लगेंगे । ]

[ उत्तर ] यह ठीक है । वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन से जो व्यञ्जकत्व  
आता है वह तो सब लौकिक वाक्यों में समान है । किन्तु वह वाचकत्व से भिन्न  
नहीं है । क्योंकि उनमें ब्यङ्गश्च, वाक्य के अविनाभृत रूप से स्थित है, विवक्षित  
रूप में नहीं । [ ब्यङ्गश्च के विवक्षित न होने से उसमें ध्वनि व्यवहार नहीं किया  
जाता है ] और जिस ब्यङ्गश्च की स्थिति तो [ प्रधान रूप से ] विवक्षित रूप में  
है वही व्यञ्जकत्व ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक होता है । [ अत सब लौकिक  
वाक्य ध्वनि नहीं है ] ।

जो अभिप्राय विशेषरूप ब्यङ्गर शब्द और अर्थ से प्रकाशित होता है  
वह तात्पर्यरूप [ प्रधानरूप ] से प्रकाशन हो तो विवक्षित [ ब्यङ्गर ] कहलाता  
है । किन्तु केवल वह ही, अपरिमित [ स्थलों पर होने वाले ] ध्वनि व्यवहार  
का कारण नहीं है [ ध्वनि व्यवहार की अपेक्षा ] अव्यापक होने से । जैसे कि ऊपर

१ यदि व्यञ्जकत्व निः, यदिद व्यञ्जकत्व दी० । २. ननु निः ।  
३ यस्य तु यह पाठ निः में नहीं है । न तु विवक्षितत्वेन व्यञ्गशस्य व्यवस्थिति ।  
तद व्यञ्जकत्व ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम् ऐसा पाठ रहता है निः ।  
४ शब्दार्थाभ्यामेव दी० । ५ यत निः । ६ न प्रयोजकम् व्यञ्जकत्वात्  
दी०, निः में प्रयोजकम् के बाद विराम है । ७. ततु दी० । ८. प्रयोजनायत्  
कत्वविशेषव्यनिनक्षणे निः, दी० ।

दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्र्यन्तरसम्पाद-  
सम्पदितौपाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियत्वम् । तथा हि हिममयूर-  
प्रभृतीनां निर्वापितसकलजीवलोकं शीतलत्वमुद्विहतामेव प्रियाविरहदहन-  
दद्यमानमानसैर्जैरैरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव ।  
तस्मात् पौरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि वैसर्गिकेऽर्थसम्बन्धे मिथ्यार्थत्वं  
समर्थयितुमिच्छता वाचकत्वव्यतिरिक्तं किञ्चिद्द्रूपमौपाधिकं व्यक्त-  
मेवाभिधानीयम् । तच व्यञ्जकत्वाद्वते नान्यत् । व्यञ्जकत्वप्रकाशम् हि  
व्यञ्जकत्वम् । पौरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिप्रायमेव  
प्रकाशयन्ति । स च व्यञ्जय एव न त्वभिधेयः । तेन सहाभिधानस्य  
वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धाभावात् ।

नन्वनेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां इव निव्यवहारः  
प्रसक्तः । सर्वेषामप्यनेन न्यायेन व्यञ्जकत्वात् ।

की इच्छा [तात्पर्य] के अनुसरण करने वाले दूसरे औपाधिक [ व्यञ्जकत्व रूप ]  
व्यापार युक्त वाक्यों की मिथ्यार्थकता भी हो सकती है ।

अपने स्वभाव का परिचय किए थिना भी अन्य कारण सामग्री के  
संयोग से औपाधिक अन्य व्यापारों को प्राप्त करने वाले पदार्थों में पिपरीत  
क्रियाकारित्व देखा जाता है । जैसे समस्त संसार को शान्ति प्रदान करने वाले  
शीतल स्वभाव से युक्त होने पर भी, प्रिया के विरहानल से सन्तुष्ट चित्त वाले  
पुरुषों के दर्शनगोचर चन्द्रमा आदि [ शीतल ] पदार्थों का सन्तापकारित्व  
प्रसिद्ध ही है । इसलिए [ शब्द और अर्थ का ] स्वाभाविक [ निय ] सम्बन्ध  
होने पर भी पौरुषेय वाक्यों की मिथ्यार्थकता का समर्थन करने की इच्छा रखने  
वाले [ मीमांसक ] को वाचकत्व से अविरित [ वाक्यों में ] कुछ औपाधिक रूप  
अवश्य ही मानना पड़ेगा । और वह [ औपाधिक रूप ] व्यञ्जकत्व के सिद्धाय  
और कुछ नहीं [ हो सकता ] है । व्यहाय अर्थ का प्रकाशन करना ही व्यञ्जकत्व  
है । पौरुषेय वाक्य मुद्रण रूप से [ वका ] पुरुष के अभिप्राय को ही [ व्यहाय  
रूप से ] प्रकाशित करते हैं । और वह [ पुरुषाभिप्राय ] व्यहाय ही होता है,  
वाक्य नहीं । [ क्योंकि ] उस [ पुरुषाभिप्राय ] के साथ वाचक वाक्य का  
वाक्य वाचकभाव सम्बन्ध [ संकेतप्रद ] नहीं होता है । [ इसलिए मीमांसक वो  
वक्ता के अभिप्राय रूप औपाधिक अर्थ के बोध के लिए वाक्य में व्यञ्जकत्व  
अवश्य मानना होगा । ]

[ प्रश्न ] इस प्रकार तो सभी लौकिक वाक्यों का [ पुरुषाभिप्राय रूप

परिनिश्चितनिरपभ्रंशशब्दवृहणां विपरिचतां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तो-  
इयं ध्यनिव्यवहार इति तैः<sup>१</sup> सद् किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।

कृत्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिना तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवायं  
च्यञ्जकभावः शब्दानामर्थान्तराणामित्याविरोधश्चेति न प्रतिक्षेप्यपदची-  
मवतरति ।

वाचकत्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम्, किमिदं  
स्वाभाविकं शब्दानामादोस्वित् सामयिकमित्यादाः । च्यञ्जकत्वे तु  
तत्पृष्ठभाविति भावान्तरसाधारणे लोकप्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को  
विमतीनामवसर ।

अलौकिके हृदये तार्किकाणां विमतयो निसिलाः<sup>२</sup> प्रवर्तन्ते न  
तु लौकिके । न हि नीलमधुरादिष्वशेषलोकेन्द्रियगोचरे वाधारहिते

[ 'निरपभ्रंश गलितभेदप्रपञ्चतया अविद्यास्स्काररहितम्' इति  
खोचनकार ] अविद्यास्स्काररहित शब्दवृहण का निरचय करने वाले [ वैयाकरण ] विद्वानों के मत का आधर्य लेकर ही [ हमारे शास्त्र में ] यह ध्यनि-  
व्यवहार प्रचलित हुआ है इसलिए उनके साथ विरोध अविरोध की चिन्ता की  
आग्रह्यकता ही क्या है । [ अर्थात् उनके साथ विरोध हो ही नहीं सकता है ।  
थत् उसके परिहार की चिन्ता भी अर्थ है । ]

शब्द और अर्थ का कृत्रिम [ अनित्य ] सम्बन्ध [ संकेतकृत वाच्य-  
वाचकत्व रूप ] मानने वाले प्रमाणविदों [ नैयायिकों ] के मत में तो [ दीपक  
आदि ] अन्य अर्थों के [ व्यञ्जकत्व के ] समान शब्दों का व्यञ्जकत्व अनुभव  
सिद्ध और निर्पिरोध [ ही ] है, अत [ नैयायिक मत में व्यञ्जकता ] निराफरण  
[ परेडन ] करने योग्य नहीं है ।

तार्किकों [ नैयायिकों ] की वाचकत्व के विषय में, क्या शब्दों का  
वाचकत्व स्वाभाविक है अथवा संकेतकृत इत्यादि प्रकार की विप्रतिपत्तिर्था  
में ही हों परन्तु उस [ वाचकत्व ] के बाद आने वाले, और [ दीपक आदि ]  
अन्य पदार्थों के समान लोकप्रसिद्ध अनुभूयमान व्यञ्जकत्व के विषय में तो  
मतभेद का अवसर ही कहों है ।

१. यं. वा० प्रि० । २. भावान्तरासाधारणे नि० । ३. विमतयो  
निसिला के स्थान पर नि०, ही० में अभिनिवेदा पाठ है ।

तस्माद्वाक्यतत्त्वविदां मतेन 'तावद् व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दो  
च्यापारो न 'विरोधी प्रत्युतानुगुण एव लक्ष्यते ।

दिखाए हुए भेदभव [रसादि, वस्तु, अलङ्कार] रूप, तात्पर्य से थोट्यमान अभिप्राय रूप [रसादि] और अनभिप्राय रूप [वस्तु तथा अलङ्कार रूप] सभी ध्वनि व्यवहार के प्रयोजक हैं । अतएव [यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुप-सर्जनीकृतस्वार्थौ व्यञ्जक वाच्यप्रिशेष स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । १,१३ । इत्यादि कारिका में] पूर्वोक्त व्यञ्जकत्व विशेष रूप ध्वनि लक्षण मानने में न अतिव्याप्ति होती है और न अव्याप्ति ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि सभी लौकिक वाक्य वक्ता के अभिप्राय के व्यञ्जक होने से ध्वनि ऊहलाने लगेगे यह जो अतिव्याप्ति अभी दिखाई थी, और उसी के आधार पर अभिप्राय रूप जो नहीं है ऐसे वस्तु या अलङ्कार के व्यञ्जक में ध्वनि व्यवहार नहीं हो सकेगा यह अव्याप्ति बनती है । यह दोनों दोप तब तो हो सकते हैं जब सामान्यत अभिप्रायव्यञ्जकत्व को ध्वनि का लक्षण मानें । परन्तु अभिप्रायव्यञ्जकत्व सामान्य को ध्वनि लक्षण न मान कर अभिप्राय विशेष रूप और कहीं वस्तु आदि रूप चमत्कारी व्यञ्जन के प्राधान्य में ध्वनि व्यवहार माना गया है अतएव उक्त कारिका में कहे ध्वनि लक्षण में न अतिव्याप्ति है और न अव्याप्ति ।

इसलिए वाक्यतत्त्वज्ञों [मीमांसकों] के मत में व्यञ्जकत्व रूप [वाचकत्व सम्बन्ध गुणवृत्ति से भिन्न] शब्द च्यापार का मानना विरोधी नहीं अपितु अनुदूल ही प्रतीत होता है ।

इस प्रकरण के प्रारम्भ में भीमासक, वैयाकरण और नैयायिक आदि की ओर से एक सामान्य व्यञ्जकत्व विरोधी पूर्वपक्ष उठाया गया था । अब उसका खण्डन कर उपसद्वार करते हैं । उस उपसद्वार में मीमांसक मत में व्यञ्जकत्व च्यापार विरोधी नहीं अपितु अनुदूल जान पड़ता है—यह बहा । आगे वैयाकरण सिद्धान्त के साथ ध्वनि व्यवहार का अपिरोध इस प्रकार दिखाते हैं कि इस आलङ्कारिकों ने तो ध्वनि शब्द ही वैयाकरणों से निया है अतएव उनके सिद्धान्त के साथ हमारे ध्वनि सिद्धान्त के विरोध-अविरोध की चर्चा करना ही व्यर्थ है ।

परिनिश्चितनिरपभ्रंशशब्दव्रक्षणां विपरिचतां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तो-  
ज्यं ध्यनिव्यवहार इति तैः<sup>१</sup> सद किं विरोधाविरोधी चिन्त्येते ।

कृत्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिना तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवायं  
व्यञ्जकभावः शब्दानामर्थान्तराणामिल्याविरोधरचेति न प्रतिक्षेप्यपदवी-  
मवतरति ।

वाचस्त्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम्, किमिद्द-  
स्वाभाविक शब्दानामाहोस्त्वत् सामयिकमित्याद्याः । व्यञ्जकत्वे तु  
तत्पृष्ठभाविनि भावान्तरसाधारणे लोकप्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को  
विमतीनामवसरः ।

अलौकिके ह्यर्थं तार्किकाणा विमतयो निरिलाः<sup>२</sup> प्रवर्तन्ते न  
तु लौकिके । न हि नीलमयुरादिप्वशेषलोकेन्द्रियगोचरे वाधारद्विते

[ 'निरपभ्रंशं गजितभेदपद्मपद्मतया अविद्यासस्काररहितम्' इति  
खोचनकारः ] अविद्यासंस्काररहित शब्दव्रक्ष का निश्चय करने वाले [ वैया-  
करण ] विद्वानों के मत का आधार लेकर ही [ हमारे शास्त्र में ] यह ध्वनि  
ध्यवहार प्रचलित हुआ है इसलिए उनके साथ विरोध-अविरोध की चिन्ता की  
आपराहन द्वारा ही यथा है । [ अर्थात् उनके साथ विरोध हो ही नहीं सकता है ।  
अत उसके परिहार की चिन्ता भी यथ्य है । ]

शब्द और अर्थ का कृत्रिम [ अनिय ] सम्बन्ध [ सकेतहृत यात्य-  
यात्यकर्त्व रूप ] मानने वाले प्रमाणविदो [ नैयायिकों ] के मत में तो [ दीपक  
आदि ] अन्य शब्दों के [ व्यञ्जकर्त्व के ] समान शब्दों का व्यञ्जकर्त्व अनुभव  
सिद् और निर्विरोध [ ही ] है, अत [ नैयायिक मत में व्यञ्जकता ] निराकरण  
[ गणदण ] वरो योग्य नहीं है ।

तार्किकों [ नैयायिकों ] को यात्यकर्त्व के विषय में, यथा शब्दों का  
यात्यकर्त्व स्वाभाविक है अपना सकेतहृत दृष्ट्यादि प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ  
मले हो ही परन्तु उस [ यात्यकर्त्व ] के बाद आने वाले, और [ दीपक आदि ]  
अभ्य पद्मायों के समान खोड़प्रमिद अनुभूपमान व्यञ्जकर्त्व के विषय में उसे  
मतभेद का अवभाव ही कहा है ।

१. ये चा० प्रि० । २. भावान्तरामाधारणे नि० । ३. विमतयो  
मतिलाले स्थान पर नि०, दी० में अनिनिवेदा पाठ है ।

तत्त्वे परस्पर विप्रतिपन्ना दृश्यन्ते । न हि वाधारहितं नीलं नीलमिति ब्रुवन्नपरेण प्रतिपिध्यते नैतन्नीलं पीतमेतदिति । तथैव व्यञ्जकत्वं वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्दरूपाणां च चेष्टादीनां यत्सर्वेषामनुभवसिद्धमेव । तत्केनापन्हृयते ।

अशब्दमर्थं रमणीयं हि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा निवद्वाश्चानिवद्वाश्च विद्यपरिपत्सु विविधा विभाव्यन्ते । \*तानुपहस्यमानतामात्मनः परिहरन् कोऽतिसन्दधीत् सचेताः ।

\*ब्रूयात् ! अस्त्यतिसन्धानावसरः । व्यञ्जकत्वं शब्दानां गमकत्वं तत्त्वे लिङ्गत्वम्, अतश्च व्यञ्जयप्रतीतिलिङ्गप्रतीतिरेवेति लिङ्गलिङ्गभाव-

ताकिको [ नैयायिकों ] को [ आत्मा आदि ] अलौकिक [ खोक प्रत्यक्ष के अगोचर ] अर्थों के विषय में सारी विप्रतिपत्तिया होती हैं लौकिक [ प्रत्यक्षादिसिद्ध ] अर्थ के विषय में नहीं । नील मधुर आदि [ में से निर्धारणे सम्भवी ] सर्वलोक प्रत्यक्ष और अवाधित पदार्थ के विषय में परस्पर मतभेद नहीं दिखाई देता है । याथा रहित नील को नील कहने वाले किसी को [ दूसरा ] निषेध नहीं करता है कि यह नील नहीं है, यह पीत है । इसी प्रकार वाचक शब्दों का, अवाचक शब्दरूप गीत आदि ध्वनियों का और [ अशब्दरूप ] चेष्टा आदि [ तीनों ] का व्यञ्जकत्व जो सबके अनुभवसिद्ध ही है उसका अपलाप कौन कर सकता है ? विद्वानों की गोष्ठियों में शब्द से अनभिधेय [ अभिया द्वारा शब्द से कथित न किए जा सकने वाले ] सुन्दर [ चमत्कारजनक ] अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले अनेक प्रवार के पदम और व्यापार [ शब्द रूप में ] निवद अथवा अनिवद् पाए जाते हैं । अपने आपको उपहास्यता से बचाने वाला कौन बुद्धिमान् उनको स्वीकार नहीं करेगा ?

[पूर्व पक्ष] कोई कह सकता है कि [ व्यञ्जकत्व को ] अस्वीकार करने का अवसर है । शब्दों के [ अन्यार्थ ] वोधकत्व [ गमकत्व ] का नाम ही व्यञ्जकत्व है । और वह [ गमकत्व ] लिङ्गत्व [ रूप ] है । इसलिए व्यञ्जय की प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति ही है । अतएव लिङ्ग-लिङ्गभाव ही उन शब्दों

१. एव पद नि में नहीं है । २. तत्त्वेनाभिभूयते [ पन्हृपते ? ] ऐसा पाठ नि० में है । ३. तथा व्यापारनिवन्धाश्च नि०, दी० । ४. नानु नि० । ५. कोऽभिसन्दधीत नि०, दी० । ६. (ब्रूयात्) अस्त्यभिसन्धानावसरे नि०, दी० ।

एवं तेषां व्यज्ञयव्यज्ञकभावो नापरः कश्चित् । अतश्चैतद्वश्यमेव चोद्व्यं यस्मादुक्त्रभिप्रायापेक्षया व्यज्ञकत्वमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितम् । वक्त्रभिप्रायश्चानुमेयरूपं एव ।

'अत्रोच्यते, नन्वेवमपि यदि नाम स्यात् तत्किञ्चरिष्टं नम् । वाचकत्वगुणवृत्तिव्यतिरिक्तो व्यज्ञकत्वलक्षणः शब्दव्यापारोऽस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम् । तस्य चैवमपि न काचित् ज्ञातिः । तद्विव्यज्ञकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यद्वा । सर्वथा प्रसिद्धशब्दप्रकारविलक्षणत्वं शब्दव्यापारविषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवावयोर्प्रिंवादः ।

का व्यज्ञय-व्यज्ञक भाव है और [ जिझ लिङ्गिभाव से ] अलग हुआ नहीं है । और इसलिए भी पेसा अवश्य मानना चाहिए कि वक्ता के अभिप्राय को इष्ट से व्यज्ञकत्व का प्रतिपादन [ अर्थात् व्यज्ञक और व्यज्ञय का जिझ-लिङ्गिभाव ] तुमने [ व्यज्ञकवादी ने ] अभी [ मीमांसक के खण्डन के प्रसङ्ग में ] किया है और वक्ता का अभिप्राय अनुमेय रूप ही होता है । [ अतपूर्व जिसे व्यज्ञकवादी व्यज्ञना व्यापार का विषय मानना चाहता है वह अनुमान का विषय है । अत व्यज्ञना अनुमिति के अन्तर्गत है यह पूर्णपूर्ण का अभिप्राय है । ]

[ उत्तर पृष्ठ ] इसका उत्तर यह है कि यदि [ थोड़ी देर के लिए प्रौद्धिवाद से ] पेसा भी मान लें तो हमारी क्या हानि है । हमने तो यह स्वीकार किया है कि वाचकत्व और गुणवृत्ति से अतिरिक्त व्यज्ञकत्व रूप [ अलग तीसरा ] शब्द व्यापार है । उस [ सिद्धान्त ] की पेसा [ व्यज्ञय व्यज्ञक भाव को जिझलिङ्गिभाव रूप ] मानने पर भी कोई हानि नहीं [ होती ] । वह व्यज्ञकत्व [ धारे ] लिङ्गत्व रूप हो अपवा अन्य हुआ, प्रत्येक दशा में प्रसिद्ध [ अभिधा तथा गुणवृत्ति रूप ] शब्द व्यापार से भिन्न, और शब्द व्यापार का विषय वह [ व्यज्ञकत्व ] रहता ही है, इसलिए हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है ।

यह 'प्रौद्धिवाद' से उत्तर हुआ । अपनी प्रौद्धता या परिदृश्य को प्रकट करने के लिए किसी अनभिमत वात को दुख समय के लिए स्वीकार कर लेना 'प्रौद्धिवाद' कहलाता है । यहा व्यज्ञय व्यज्ञक भाव का जिझ लिङ्गी रूप होना

न पुनरेयं परमार्थो यद् व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमेव सर्वत्र, व्यञ्जय-  
प्रतीतिश्च लिङ्गप्रतीतिरेवेति ।

यदपि स्वपञ्चसिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितं, त्वया वक्त्रभिप्रायस्य  
व्यञ्जयत्वेनाभ्युपगमात् तत्प्रकाशने शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति तदेतद्यथारमा-  
भिरभिहितं तद्विभज्य प्रतिपाद्यते, श्रूयनाम् ।

द्विविधो विषयः शब्दानाम् । अनुमेयः प्रतिपाद्यश्च । तत्रानुमेयो  
विवक्षालक्षणः । विवक्षा च शब्दस्यरूपप्रकाशनेच्छा शब्देनार्थप्रका-  
शनेच्छा चेति द्विप्रकारा । तत्राद्या न शब्दव्यवहाराङ्गम् । सा हि प्राणि-  
त्यमात्रप्रतिपत्तिफला । द्वितीया तु शब्दविशेषावधारणावसितव्यव-  
हितापि 'शब्दकरणव्यवहारनिवन्धनम्' । ते तु द्वे अप्यनुमेयो विषयः  
शब्दानाम् ।

16-12 1166

सिद्धान्त पक्ष को वास्तव में इष्ट नहीं है । पिर भी प्रीढता प्रदर्शन के लिए थोड़ी  
देर के लिए मान लिया है । अतः यह उत्तर 'प्रीढिवाद' का उत्तर है । वास्तव  
उत्तर आगे देते हैं ।

वास्तव में तो यह बात ठीक नहीं है कि व्यञ्जकत्व सब जाह लिङ्गत्व  
रूप और अव्यञ्जय की प्रतीति सर्वत्र [ अनुभिति ] लिङ्गप्रतीति रूप ही हो ।

और अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए जो हमारे कथन का अनुयाद  
किया है कि तुमने [ व्यञ्जकत्वपादी ने ] वक्ता के अभिप्राय को अव्यञ्जय माना है  
और उस [ वक्ता के अभिप्राय ] के प्रकाशन में शब्दों का लिङ्गत्व ही है । सो  
इस विषय में जो हमने कहा है उसको अलग-अलग स्वेच्छा कर कहते हैं  
[ अच्छी तरह ] सुनो ।

शब्दों का विषय दो प्रकार का होता है, एक अनुमेय और [ दूसरा ]  
प्रतिपाद्य । उनमें से [ अर्थ की कहने की इच्छा ] विवक्षा अनुमेय है । विवक्षा  
भी शब्द के [ अनुरूपी ] स्वरूप के प्रकाशन की इच्छा, और शब्द से अर्थ  
प्रकाशन की इच्छा स्वरूप दो प्रकार की होती है । उनमें से पहिली [ शब्द के  
स्वरूप प्रकाशन की इच्छा ] शब्दव्यवहार [ शब्द योग ] का अन्न [ 'उप-  
कारिणी' ] नहीं है । केवल प्राणिय मात्र की प्रतीति ही उसका फल  
है । [ शब्द का स्वरूपमात्र अर्थात् अर्थहीन द्यक्त या अद्यक्त ध्वनि को है  
प्राणी कर सकता है, अर्थेन नहीं । इसलिए शब्द के स्वरूप मात्र प्रकाशन से

प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुर्थं प्रतिपादन समीहापिपथीकृतोऽर्थ । स च द्विविधो, वाच्यो व्यज्ञचरेच । प्रयोक्ता हि कदाचित् स्वशान्देनार्थं प्रकाशयितु समीहते, कदाचित् स्वशानामिधेयत्येन प्रयोजनापेक्षया कथाचित् । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विपय शदाना न लिङ्गितया स्वरूपेण प्रकाशते, अपितु कृपिमेणाकृपिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । पिवक्षाविपयत्वं हि तस्यार्थस्य शान्दैलिङ्गितया<sup>१</sup> प्रतीयते न तु स्वरूपम् ।

प्राणी का ज्ञान तो अवश्य हो सकता है परन्तु उससे किसी प्रकार के अर्थ का ज्ञान न हो सकने से वह शब्द बोध या शब्द व्यवहार में अनुपयोगी है ] दूसरी [ अर्थ प्रकाशनेच्छा रूप ] शब्द विशेष [ वाचकादि ] के अवधारणा से व्यवहित होने पर भी शब्दकारणक व्यवहार अथात् शब्द बोध व्यवहार का अह होती है । ये दोनों [ शब्द सम्बन्धी इच्छाए ] शब्दों का अनुमेय विपय है । [ विशेष प्रकार के शब्द को सुन कर शब्द स्वरूप प्रकाशन की इच्छा अथवा शब्द द्वारा अर्थ प्रकाशन की इच्छा का अनुमान होता है । इसलिए यह दोनों इच्छाए शब्दों का अनुमेय विपय हैं । ]

[ शब्द ] प्रयोक्ता की अर्थ प्रतिपादन की इच्छा का पिपथीभूत अर्थ [ शब्द का ] प्रतिपाद्य विपय होता है । और वह वाच्य तथा व्यज्ञय दो प्रकार का है । प्रयोक्ता कभी अपने [ वाचक ] शब्द से अर्थ को प्रकाशित करना चाहता है और कभी किसी प्रयोजन विशेष [ गोपनकृत सौन्दर्यातिशय लाभादि के बोधन ] की दृष्टि से स्व शब्द [ वाचक शब्द ] से अनभिधेय रूप से । [ इनमें से पहिला स्वशब्दाभिधेय अर्थ वाच्य और दूसरा स्वशब्दानभिधेय अर्थ व्यज्ञय अर्थ होता है ] शब्दों का यह दोनों प्रकार का प्रतिपाद्य [ विपय अनुमेय रूप से स्वरूपत प्रकाशित भई होता अपितु [ नैयायिक मत म संकेतादि रूप ] इतिम [ अनित्य ] अथवा [ सीमासक मत में नित्य शान्दार्थ सम्बन्ध ] अकृपिम [ अभिधा व्यज्ञना रूप ] अन्य सम्बन्ध से [ प्रकाशित होता है ] । [ वक्ता के शब्दों को सुन कर, लिङ्ग रूप डन ] शब्दों से उस अर्थ का विवरा विषयत्व [ वक्ता अमुक अर्थ कहना चाहता है यद वात ] तो अनुमेय रूप में प्रतीत हो सकता है परन्तु [ अर्थ का ] स्वरूप [ अनुमेय रूप से ] नहीं [ प्रतीत होता ] ।

यदि हि लिङ्गितया तत्र शब्दानां व्यापारः<sup>१</sup> स्यात् तच्छब्दार्थं सम्यद् मिथ्यात्वादिविवादा एव न प्रवर्त्तेन्, भूमादिलिङ्गानुमितानु-मेयान्तरवत् ।

यहाँ अनुमान का स्वरूप यह होगा—‘अयमर्थो अस्य विवक्षाविपय-एतदुच्चरितशब्दबोधत्वात्’। इस अनुमान से विवक्षाविपयता ही साध्य है, अर्थका स्वरूप नहीं। अर्थ का स्वरूप तो ‘पक्ष’ रूप होने से ‘साध्य’ नहीं हो सकता। अतएव अनुमान से विवक्षाविपयत्व ही की सिद्धि होने से वही उसका विपय हो सकता है। और अर्थका स्वरूप ‘पक्ष’ होने से अनुमिति विपय नहीं हो सकता है। ‘पक्ष’ का लक्षण ‘सन्दिग्ध साध्यवान् पक्ष’ है—जिसमें साध्य की सिद्धि की जाय उसको ‘पक्ष’ कहते हैं। यहाँ ‘अयमर्थ’ में ‘विवक्षाविपय’ विवक्षाविपयत्व सिद्ध किया जा रहा है। अतः अर्थ का स्वरूप यहा पक्ष है, अनुमेय नहा।

यदि उस [ अर्थ ] के विपय में लिङ्गी रूप से शब्द का पूर्यापार हों [ अर्थात् शब्द से अनुमान द्वारा अर्थ की सिद्धि हो ] तो भूम आदि लिङ्गों से अनुमित दूसरे [ वद्धि आदि ] अनुमेयों के समान शब्द के अर्थ के विपय में भी यह ठीक है अथवा मिथ्या इस प्रकार के विवाद न उठें।

‘नानुपलब्धे न निषेतिऽर्थे न्याय प्रवर्तते किन्तर्हि सशयिनेऽर्थे’—इस न्याय सिद्धान के अनुसार सन्देह होने पर ही अनुमान की प्रवृत्ति होती है और अर्थ के अव्यभिचारी व्याप्तियुक्त हेतु से साध्य की सिद्धि की जाती है। अतएव शुद्ध हेतु से अनुमान द्वारा जो अर्थ की सिद्धि होती है वह प्राय यथार्थ ही होती है, उसमें न सन्देह का अवसर होता है और न मिथ्यात्व की सम्भावना। इसी प्रकार यदि शब्द से उत्पन्न होने वाला शान अनुमिति रूप हो तो उस अर्थ के विपय में भी सम्यक्त अथवा मिथ्यात्व के विपय में विवाद नहीं हों।

वैशेषिक दर्शन में शब्द का अन्तर्माय अनुमान में किया गया है और उसका हेतु ‘समानविभित्व’ दिया गया है। ‘शब्दादीनामस्यनुमानेऽन्तर्मायः समानविभित्वात्’। अर्थात् जिस प्रकार अनुमान में पहिले १ व्याप्तप्रद, २ लिङ्गदर्शन, ३ व्याप्तिसमृति, और उसके बाद ४ अनुमिति होती है, टीक इसी प्रकार शब्द में पहिले १ सकेतप्रद, २ पदज्ञान, ३ पदार्थसमृति के बाद ४ शब्द बोध होता है। इस प्रकार दोनों की विधि समान होने से शब्द अनुमान ही है यह वैशेषिक का

व्यज्ञाचरचार्थो वाच्यसामर्थ्याद्विप्रतया वाच्यवच्छब्दस्य सम्बन्धी  
भवत्येव । साक्षादसाक्षाद्वावो हि सम्बन्धस्याप्रयोजकः । वाच्यवाचक-  
भावाश्रयत्वं च व्यञ्जकत्वस्य प्रागेव दर्शितम् । तस्माद्वक्त्रभिप्रायरूप  
एव । व्यज्ञाचे लिङ्गतया शब्दानां व्यापारः । तद्विपर्याकृते तु प्रतिपादयतया ।  
प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्रायरूपेऽनभिप्रायरूपे<sup>१</sup> च वाचकत्वेनैव व्यापारः  
सम्बन्धाभ्यरेण वा । न तावद्वाचकत्वेन यथोक्तं प्राक् । सम्बन्धाभ्यरेण  
व्यञ्जकत्वमेव ।

मत है । श्वाय आदि<sup>२</sup>में इसका खण्डन अन्य प्रकार से किया गया है । परन्तु  
यहा आलोककार ने जो युक्ति दी है वह उनसे विलुप्त भिन्न नहीं युक्ति है ।

[ यहां व्यज्ञप्त अर्थ के शब्द द्वारा योध होने के विषय में यह शब्द हो  
सकती है कि व्यज्ञप्त अर्थ शब्द से कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं है इसलिए शब्द  
से उसकी प्रतीति नहीं हो सकती है । इस शब्द को मन में रख कर अगली  
यक्षि लिखी गई है ] और व्यज्ञप्त अर्थ वाच्य अर्थ की सामर्थ्य से आसिष्ट  
होने से वाच्य के समान शब्द का सम्बन्धी होता ही है । साक्षाद्वाव अथवा  
असाक्षाद्वाव सम्बन्ध का प्रयोजक नहीं है । [ अर्थात् साक्षात् सम्बन्ध  
भी हो सकता है और असाक्षात् परम्परा से भी सम्बन्ध हो सकता है । इसी  
लिए न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान में अपेक्षित दृष्टिदृश्य तथा अर्थ का छः प्रकार का  
सम्बन्ध माना गया है । उन छः सम्बन्धों में संयोग और समग्राय सम्बन्ध तो  
साक्षात् सम्बन्ध होते हैं और शेष संयुक्त समवाय, संयुक्त समग्रेत समग्राय,  
समग्रेत समवाय और विशेष्य प्रियेषण भाव आदि प्रुरम्परा सम्बन्ध माने गए  
हैं । ] व्यञ्जकाव का वाच्यवाचकभाव पर आश्रिताव पहिले ही [ गृष्ठ पर ]  
दिया जुके हैं । इसलिए वक्ता के अभिप्राय रूप व्यज्ञप्त के विषय में ही शब्दों  
का लिङ्ग रूप से व्यापार होता है और उसके विषयभूत [ अर्थ के ] विषय में  
तो प्रतिपाद रूप से [ शब्द व्यापार होता है ] यहां वक्ता के अभिप्राय को  
व्यज्ञप्त कहा है सो केवल स्थूल रूप से चल रहे व्यज्ञप्त शब्द की दृष्टि से  
कह दिया है । वास्तव में तो ये व्यञ्जकारूप अभिप्राय के केवल अनुभावसामय होने  
से अभिप्राय अनुमेय होता है [ व्यज्ञप्त नहीं ] उस प्रठीयमान [ व्यज्ञप्त ]  
अनभिप्राय रूप [ वस्तु ] और अभिप्राय रूप [ जैसे, 'उमासुरे विष्य-

१. एव पाठ नि०, थो० में नहीं है । २. अनभिप्रायरूपे पाठ नि० में  
नहीं है ।

न च व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वरूपमेव, आलोकादिष्वन्यथा दृष्टवात् । तस्मात् प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गत्वेन सम्बन्धी वाच्यवत् । यो हि लिङ्गत्वेन<sup>१</sup> तेषां<sup>२</sup> सम्बन्धी यथा दर्शितो विषयः, स न वाच्यत्वेन प्रतीयते, अपितूपाधित्वेन<sup>३</sup> । प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य लिङ्गित्वे तदु-विषयाणां विप्रतिपत्तीनां लौकिकैरेव क्रियमाणानामभावः प्रसञ्च्येतेति । एतच्चोक्तमेव ।

फलाधरोऽप्ते व्यापारयाभास विलोचनानि' इत्यादि में चुम्बनाभिप्राय रूप ] में या तो वाचकत्व से ही व्यापार हो सकता है अथवा अन्य [ व्यञ्जकत्व ] सम्बन्ध से । [ अभिप्राय को अभी ऊपर की पंक्ति में अनुमेय कहा है, और यहां उसको व्यञ्जय कह रहे हैं, इसमें 'वदतोऽवादात्' की शङ्का नहीं करनी चाहिए । जहां अभिप्राय को अनुमेय कहा है वहां वक्ता के अभिप्राय से मतलब है । वक्ता का अभिप्राय अनुमेय ही है । और जहां उसको व्यञ्जय कहा है वहां 'उमामुखे' जैसे उदाहरणों में शिव के अभिप्राय आदि का ग्रहण है । इस वाच्य में शिव का चुम्बनाभिलाप व्यञ्जय ही है । वाच्य या अनुमेय नहीं । इस प्रकार विषय-मेद से विरोध का परिहार हो जाता है । उनमें वाचकत्व से तो व्यनता नहीं जैसा कि पहिले कह चुके हैं [ क्योंकि व्यञ्जय अर्थ के साथ सकेतप्रह नहीं है ] और सम्बन्धान्तर [ मानने ] से व्यञ्जकत्व ही होता है ।

[ दोपक के ] आलोक आदि में अन्यथा [ अर्थात् लिङ्गत्व के अभाव में भी घटादि का व्यञ्जकत्व ] देखे जाने से, व्यञ्जकत्व [ सदा ] लिङ्गत्वरूप ही नहीं होता है । [ प्रश्नाश घटादि का अभिष्यञ्जक तो होता है, परन्तु वह घटादि का अनुमिति हेतु न होने से लिङ्ग नहीं होता । ] इसलिए व्यञ्जक का लिङ्ग ही होना आवश्यक नहीं है । इस लिए प्रतिपाद्य [ व्यञ्जय ] विषय वाच्य की तरह ही लिङ्गत्वेन शब्द से सम्बद्ध नहीं है । [ अर्थात् जैसे वाच्य अर्थ शब्द से अनुमेय नहीं है इसी प्रश्नाश व्यञ्जय अर्थ भी शब्द से अनुमेय नहीं है ] और जो लिङ्गी रूप से उन [ शब्दों ] का सम्बन्धी [ शब्दों से अनुमेय ] है जैसा कि [ ऊपर ] दिखाया हुआ [ वक्ता का अभिप्राय या विवरण रूप ] विषय, वह वाच्य रूप में प्रतीत नहीं होता है, अपितु औपाधिक [ वाच्यादि अर्थ में विशेषणीभूत ] रूप से प्रतीत होता है । प्रतिपाद्य विषय

१. लिङ्गत्वेन नि०, दी० । २. तेषां पाठ नि०, से नहीं है । ३. औपाधिकत्व नि०, दी० ।

को निहो [ अनुमेय ] मानने पर उसके विषय में लौकिक पुरुषों द्वारा ही की जाने वाली विप्रतिपत्तियों का अभाव प्राप्त होगा । यह कह ही चुके हैं । [ शुठ ३८० पर कह चुके हैं कि अनुमेय अर्थ निरचित ही होता है, उसमें सम्बद्ध मिथ्यात्व आदि विप्रतिपत्तियों का अप्रसर नहीं है । ]

ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में दो प्रकार के दार्शनिक मत हैं । एक भीमासुक का 'स्वतः प्रामाण्यवाद' और दूसरा नेशायिक का 'परतः प्रामाण्यवाद' । 'स्वतः प्रामाण्य' का अर्थ है 'ज्ञानमाइशातिरिक्तानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम्' । अर्थात् ज्ञानग्राहक और प्रामाण्यग्राहक सामग्री यदि एक ही ही तो स्वतः प्रामाण्य होता है । भीमासुक मत में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों का प्रदृशण 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थात् चित्त' से होता है इसलिए स्वन् प्रामाण्य है । 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिः' का आराय यह है कि पहिले 'अय घटः' यद् ज्ञान होता है । इस ज्ञान से घट में ज्ञातता नाम का एक धर्म उत्पन्न होता है । इस धर्म को भीमासुक 'ज्ञातता' धर्म कहता है । यद् 'ज्ञातता' धर्म 'अय घटः' इस ज्ञान से पहिले नहीं था, 'अय घटः' इस ज्ञान के बाद घट में उत्पन्न हुआ है । इस लिए यह ज्ञानजन्म्य ही होता है । अर्थात् उसका कारण ज्ञान ही होता है । 'ज्ञातता' धर्म की प्रतीति बाद में होने वाले 'ज्ञातो मया घटः' इत्युद्दित रूप में होती है । इस 'ज्ञातो मया घटः' में घट में रहने वाली ज्ञातता प्रतीत होती है । यद् 'ज्ञातता' अपने कारण ज्ञान के बिना घट में नहीं आ सकनी थी । इसलिए अन्यथा अर्थात् अपने कारण रूप ज्ञान के अभाव में अनुपमन होकर अपने उपग्रहक अर्थ ज्ञान की कल्पना करती है । इसीको 'ज्ञानता अन्यथानुपर्तिप्रसूता अर्थात् चित्त' कहते हैं । इस प्रकार 'ज्ञाततान्यथानुपर्तिप्रसूता अर्थात् चित्त' से ज्ञान का और उसके साथ ही इन में रहने वाले 'प्रामाण्य' दोनों का प्रदृशण एक ही सामग्री से हो जाने और 'ज्ञानमाइशातिरिक्तानपेक्षत्वं रूपं स्वतस्त्वं बन जाने से ज्ञान को 'स्वतः प्रमाण्य' ही मानना चाहिए, यद् भीमासुक का मत है ।

नेशायिक इस स्वतः प्रामाण्यवाद की आपारभूत 'इन्तता' को ही नहीं मनता है । उसका कहना है कि यदि 'ज्ञातो मया घटः' इस प्रतीति के बल पर घट में आप एक 'ज्ञातता' धर्म मानते हैं तो तिर 'इदो मया घटः' के आपार पर 'इन्तता' धर्म, 'इन्तो मया घटः' के आपार पर 'इन्तता' धर्म, 'इदो घटः' के आपार पर 'इन्तता' अर्दि धर्म भी मानने चाहिये । इस प्रकार नए-नए धर्मों की कल्पना भी जाय ली बका गौरव होगा, इस लिए 'ज्ञातता' नम क्य कोई धर्म नहीं है । भीमासुक यदि यह कहे कि विषय नियम के उत्तरादन के लिए इन्तता का मानना

आवश्यक है तो उसका उत्तर यह है कि विषय नियम का उपपादन शातता के आधार पर नहीं होता है अपितु घट और शान का 'विषय-विषयिभाव' स्वाभाविक है।

विषय नियम के उपपादन में शातता का उपयोग मीमांसक इस प्रकार मानता है कि 'अय घट' इस शान का विषय घट ही होता है पट नहीं होता। इसका क्या कारण है? नैयायिक यदि यह कहे कि 'अय घट' यह शान 'घट' से पैदा होता है इसलिए इस शान का विषय घट ही होता है पट नहीं, तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि 'अय घट' शान जैसे घट से पैदा होता है इसी प्रकार आलोक और चक्र भी तो उसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं। तब फिर घट के ही समान आलोक तथा चक्र को भी 'अय घट' इस शान का विषय मानना चाहिए। इसलिए नैयायिक के पास विषय नियम के उपपादन का कोई मार्ग नहीं है। हम मीमांसकों के मत में शातता ही इस विषय नियम का उपपादन करती है। 'अय घट' इस शान से उत्पन्न होने वाली शातता घट में ही रहती है, इसलिए 'अय घट' इस शान का विषय घट ही होता है पट नहीं। इस प्रकार विषय नियम का उपपादन करने के लिए 'शातता' का मानना आवश्यक है। उसी 'शातता' के द्वारा उसके कारणभूत शान का, और शानागत धर्म 'प्रामाण्य' का एक साथ ही प्रदृश्य होने से शान का रूप प्रामाण्य मानना ही उचित है। यह मीमांसक मत है।

इस पर नैयायिक का कहना है कि 'शातता' के आधार पर विषय नियम मानने में दो दोष आ जावेंगे। एक तो 'अतीतानगतयोर्विषयत्वं न स्यात्' और दूसरा 'अनवस्था च स्यात्'। इसका अभिप्राय यह है कि मीमांसक के कहने के अनुसार घण्डिपदार्थ शान का विषय इसलिए होते हैं कि उनमें शातता धर्म रहता है। धर्म उसी पदार्थ में रह सकता है जो विद्यमान हो। यदि धर्मों पदार्थ ही विद्यमान न हो तो 'शातता' धर्म कहा रहेगा? परन्तु अतीत इनिहास आदि के पढ़ने से चारान्य, चन्द्रगुप्त आदि अतीत वर्तियों का और ज्योतिष आदि से भावी सूर्यमहण आदि का शान इमको होता है। अर्थात् वह अतीत और अनागत पदार्थ हमारे शान के विषय होते हैं। यह अतीत और अनागत पदार्थ विद्यमान नहीं हैं इसलिए उनमें शातता धर्म नहीं रह सकता है। यदि शातता धर्म के रहने से ही विषय माना जाय तो फिर अतीत और अनागत पदार्थ विषय नहीं हो सकेंगे। यह एक दोष होगा।

दूसरा दोष अनपस्था है। उसका आशय यह है कि शातता का भी हमको शान होता है तो शातता उस शान का विषय होती है। इसलिए शातता में शातता माननी होगी। और वह दूसरी शातता भी शान का विषय होती है इसलिए उसमें तीसरी, इसी प्रकार चौथी आदि अनन्त जातताएं माननी होंगी और इस प्रकार अनपस्था होगी। इसलिए इन दो महा दोषों के कारण शातता के आधार पर विषय नियम मानना उचित नहीं है। अपितु घर और शान का विषय विग्रहिभाव स्थाभाविक है। अतः शातता के मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यह शातता ही भीमासुक के स्वत प्रामाण्यवाद का मूल आधार थी। जै उसका ही खण्डन हो गया तब 'द्विन्ने मूले नैव पत्र न शाला' न्याय के अनुसार स्वत प्रामाण्यवाद का स्वप्न ही उत्तरण हो जाता है। इस प्रकार भीमासुक के स्वत प्रामाण्यवाद का खण्डन कर नैयायिक अपने परत प्रामाण्यवाद को निम्न प्रकार स्थापित नहा है।

परत प्रामाण्य का लक्षण 'ज्ञानप्राह्वकातिरिक्वपेत्त्वं परतस्त्वम्' है। अर्थात् शान प्राह्वक और प्रामाण्य प्राह्वक सामग्री एक न होकर अलग अलग होने पर परत प्रामाण्य होता है। नैयायिक मत में शान प्राह्वक सामग्री तो 'अनुव्यवसाय' है और प्रामाण्य प्राह्वक सामग्री 'प्रवृत्तिसापल्यमूलक अनुमान' है। ज्ञान विषयक शान का 'अनुव्यवसाय' कहते हैं। 'अय घट' शान के बाद 'घटमह जानामि' यद ज्ञान होता है। 'अय घट' इस प्रथम शान का विषय घट होता है। और उसके बाद 'घटज्ञानवान् अहम्' या 'घटमह जानामि' आदि द्वितीय शान 'न्या विषय' विषयन्न होता है। इस ज्ञान विषयक द्वितीय ज्ञान से 'न्या विषय' 'अनुव्यवसाय' कहता है। इसी उत्तरि, प्रथम 'अय घट' इस ज्ञान से ही होती है। भीमासुक की 'ज्ञान' भी 'अय घट' इस ज्ञान से ही उत्तरन होती है और नैयायिक वा 'अनुव्यवसाय' भी उसी से उत्तरन होता है। परन्तु उन दोनों में भेद यह है कि भीमासुक की 'ज्ञान' घट में रहने वाला धर्म है, और नैयायिक वा 'अनुव्यवसाय' आमा में रहने वाला धर्म है।

नैयायिक के मामें ज्ञान का प्रह्लय वा इन 'अनुव्यवसाय' से होता है। और उसके आमाण्य का प्रह्लय वैदेष 'प्रवृत्तिसापल्यमूलक अनुमान से होता है। प्रवृत्तिसापल्यमूलक अनुमान, वा प्रभिप्रप धर है कि परिते मतुभ्य को ज्ञान आदि द्वितीय पदार्थ का ज्ञान होता है। ताके बाद यह उसके प्रह्लय आदि के लिए प्रहृत होता है। इन प्रहृति के होते पर पर्द टमर्डि प्रवृत्ति सुख होती है तो यह धर्मो ज्ञान वा प्रमाण समझता है। और मदमर्ति विजा आदि में प्रवृत्ति का

यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीती  
क्वचित् क्रियमाणाया तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न शब्द-  
व्यापारविषयताहानिस्तद्वृद्ध व्यङ्ग्यस्यापि ।

बाद जल की उपलब्धि न होने से प्रवृत्ति विभल होने पर अप्रामाण्य का ग्रहण होता है । इस प्रकार प्रवृत्तिसापल्यमूलक अनुमान से प्रामाण्य और प्रवृत्ति वैफल्य मूलक अनुमान से अप्रामाण्य का ग्रहण होता है । अतः शान और प्रामाण्य की ग्राहक सामग्री अलग-अलग होने से प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परतः हैं । मीमांसक प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य दो परतः मानता है । नैयायिक का फहना है कि यह 'अर्धजरीती'-‘आधी तीतर आधी बटेर’ वाला न्याय ठीक नहीं है । अत या तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों को स्वतः मानो या फिर दोनों को परतः ही मानो । और इन दोनों पक्षों में से दोनों को परतः मानना ही ठीक है ।

इस प्रकार प्रामाण्य और अप्रामाण्य के निर्णय में मीमांसक जिस अर्थापत्ति को प्रमाण कहता है वह भी नैयायिक के मन में अनुमान ही मानी जाती है । इसलिए दोनों में ग्रहण में अनुमान का सम्बन्ध आता है । अतः प्रामाण्य और अप्रामाण्य सत्यता और असत्यत्व के अनुमान साध्य होने से व्यङ्ग्य अर्थ के सत्यत्व असत्यत्व ग्रहण के लिए भी अनुमान की आवश्यकता होगी ही । अतः व्यङ्ग्य अर्थ भी अनुमान का विषय होता ही है । सिर सिद्धान्त पद्म की ओर से उस व्यङ्ग्य अर्थ की अनुमानविषयता का जो खण्डन किया गया है वह उचित नहीं है । इस शब्दों को मन में रख कर अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं ।

जैसे वाच्य [ अर्थ ] के विषय में अन्य [ अर्थापत्ति, अथवा अनुमान आदि ] प्रमाणों के सम्बन्ध से प्रामाण्य का ग्रहण होने पर कहीं उस [ वाच्य अर्थ ] के प्रमाणान्तर [ अर्थापत्ति अनुमान आदि ] का विषय होने पर भी शब्द व्यापार के विषयत्व की हानि नहीं होती है [ उसे शब्द व्यापार शब्दयोग का विषय माना ही जाता है ] । इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ में भी [ प्रामाण्य और अप्रामाण्य के निश्चय में अर्थापत्ति अथवा अनुमान आदि प्रमाणों का उपयोग होने पर भी उसे व्यङ्ग्यना रूप शब्द व्यापार का विषय मानने में कोई हानि नहीं है ] समझना चाहिए ।

[ अन्य लौकिक तथा वैदिक वाक्यों के अनुष्टान आदि परक होने से उनमें प्रामाण्य या अप्रामाण्य ज्ञान का उपयोग है परन्तु काही वाक्यों का उपयोग तो वेवल चामकारिक प्रवीति कराना हो है । उस में

काव्यविषये च व्यङ्ग्यप्रतीतीना सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजक-  
त्वमेवेति तत्र प्रमाणान्तरन्यापारपरीक्षोपहासायैव सम्पद्यते। तस्माल्लिङ्गि  
प्रतीतिरेव सर्वत्र व्यङ्ग्यप्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम् ।

**'यत्त्वनुमेयरूपव्यङ्ग्यविषय शब्दाना व्यञ्जकत्वं, तद् ध्वनि-  
व्यवहारस्याप्रयोजकम् । अपि तु व्यञ्जकत्वलक्षणं शब्दाना व्यापार  
औत्पत्तिकशब्दार्थसम्बन्धवादिनाप्यभ्युपगमन्तव्य इति प्रदर्शनार्थमुप-  
स्थितम् । तर्द्धं व्यञ्जकत्वं कदाचिलिङ्गत्वेन कदाचिद्रूपान्तरेण शब्दानां  
चाचकानामवाचकाना च सर्ववादिभिरप्रतिचेष्ट्यमित्ययमस्माभिर्यत्नं  
आग्रह्यः ।**

प्रामाण्य—अप्रामाण्य के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है इसलिए वहा इस  
दृष्टि से अनुमान का प्रवेश मानने की भी आवश्यकता नहीं है ] काव्य के  
विषय में व्यङ्ग्य प्रतीति के सत्यत्व और असत्यत्व के निरूपण का अप्रयोजकत्व  
होने से उनमें प्रमाणान्तर के व्यापार का विचार [ यह केवल शुष्क तर्कवादी  
है रसिक नहीं इस प्रकार ] उपहासजनक ही होगा । इसलिए सर्वत्र अनुमिति  
[ लिङ्गि-प्रतीति ] ही व्यङ्ग्य प्रतीति होती है यह नहीं कहा जा सकता है ।

ओरीजो अनुमेय रूप व्यङ्ग्य [ वक्ता का अभिप्राय आदि ] के विषय  
में शब्दों का व्यञ्जकत्व है वह ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक नहीं है । अपितु  
शब्द अर्थ का नियम सम्बन्ध मानने वाले [ भीमासुक ] को भी [ वक्ता के  
अभिप्रायादि में ] शब्दों का [ वाचकत्व से भिन्न ] व्यञ्जकत्व रूप व्यापार  
स्वीकार करना ही होगा इस यात्र के दियत्वाने के लिए ही [ वास्तव में अनु-  
मेय परन्तु अभिधार्दि विलक्षण व्यापार के कारण व्यङ्ग्य रूप से निर्दिष्ट वक्ता  
के अभिप्राय के विषय में शब्दों का व्यञ्जकत्व व्यापार ] यह [ भीमासुक के  
मत के प्रसङ्ग में ] दिखाया था । वह व्यञ्जकत्व कहीं अनुमान रूप से  
[ वक्ता के अभिप्राय रूप व्यङ्ग्य के बोधन में ] और कहीं अन्य रूप से  
[ घटादि की अभिव्यक्ति में दीपादि की प्रत्यक्ष रूप से व्यञ्जकता, अवाचक  
गीत ध्वनि आदि की रसादि के विषय में स्वरूपशरणस्यै व्यञ्जकता,  
विवितान्यपर वाच्य ध्वनि में अभिधा सहकार से व्यञ्जकता, अविवित  
वाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति के सहयोग से व्यञ्जकता इत्यादि किसी रूप में ]

तदेव गुणवृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यो नियमेनैव तावद्विलक्षणं व्यञ्जकत्वम् । तदन्तःपातित्वेऽपि तस्य 'हठादभिधीयमाने तद्विशेषस्य ध्वनेर्यत्प्रकाशनं विप्रतिपत्तिनिरासाय सहदयव्युत्पत्तये वा तत्क्यमाणमनतिसन्धेयमेव' । नहि सामान्यमात्रलक्षणेनोपयोगिविशेषलक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कर्तुम् । एवं हि सति सत्तामात्रलक्षणे कृते सकलसद्वस्तुलक्षणानां पौनरुक्त्यप्रसङ्गः ॥३३॥

तदेवम्—

**विमतिविषयो य आसीन्मनीपिण्णां भततमविदितसतत्वः ।  
ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम् ॥३४॥**

वाचक-अवाचक [ सभी प्रकार के ] शब्दों का, सभी वादियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा इसीलिए हमने यह यथा प्रारम्भ किया है ।

इस प्रकार गुणवृत्ति और वाचकत्व आदि शब्द प्रकारों से व्यञ्जकत्व अवश्य ही भिन्न है । हठर्वेक उस [ व्यञ्जकत्व ] को उस [ अभिधा अथवा गुणवृत्ति ] के अन्तर्गत मानने पर भी, उसके प्रिशेष प्रकार ध्वनि का विप्रतिपत्तियों के निराकरण करने के लिए अथवा सहदयों की व्युत्पत्ति [ परिज्ञान ] के लिए जो प्रकाशन [ प्रत्यक्षार के द्वारा ] किया जा रहा है उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । [ इसी पदार्थ के ] सामान्य लक्षण मात्र से [ उसके अवान्तर ] उपयोगी प्रिशेष लक्षणों का नियंत्रण नहीं हो जाता है । यदि ऐसा [ नियंत्रण ] हो तथा तो [ वैशेषिक मत में द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहने वाली जाति ] सामान्य मात्र का लक्षण कर देने पर [ उसके अन्तर्गत शृंखिद्यादि नी द्रव्य, रूप-रस आदि २४ गुण, और उत्तेपणादि पश्चविध कर्म आदि ] सभ सद् वस्तुओं के लक्षण ही व्यर्थ [ पुनरुत्तर ] हो जावेंगे । [ इसलिए लक्षण और गुणवृत्ति से भिन्न व्यङ्गय प्रधान ध्वनि के बोय के लिए व्यञ्जना को अलग घृणा ही होगा ] ॥३४॥

इस प्रकार,

ध्वनि नाम का जो काव्य भेद [ ताकिंक आदि ] विद्वानों की विमति [ मतभेद ] का विषय [ अवश्य अथ तक ] निरन्तर अविदित सदरा रहा उसको हमने इस प्रकार प्रकाशित किया ॥३४॥

१. न प्रहादभिधीयमानस्येतद्विशेषव्यस्य निः०, दी० । २. अनभिसन्धयमेव दी० ।

प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यज्ञयः कोव्यस्य दृश्यते ।  
यत्र व्यज्ञयात्मये वाच्यचारुत्वं स्यात् प्रकर्पवत् ॥३४॥

व्यज्ञयोऽर्थो ललनालावश्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये  
ध्यनिरित्युक्तम् । तस्य<sup>१</sup> तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्पे गुणीभूत-  
व्यज्ञयो नाम काव्यप्रभेदः प्रकल्प्यते । तत्र वस्तुमात्रस्य व्यज्ञयस्य  
तिरस्तृतवाच्येभ्यः<sup>२</sup> प्रतीयमानस्य कदाचिद्वाच्यरूपवाक्यार्थापेक्षया  
गुणीभावे सति गुणीभूतव्यज्ञयता ।

गुणीभूत व्यज्ञय का निरूपण—

इस प्रकार ध्यनि नामक प्रधान काव्यभेद का सविस्तर और सप्रभेद  
निरूपण करके अब गुणीभूत व्यज्ञय का दूसरे काव्य भेद का निरूपण प्रारम्भ  
करते हैं । जहाँ व्यज्ञय अर्थ से वाच्य अर्थं अधिक चमत्कारी हो जावे उसे  
गुणीभूत व्यज्ञय कहते हैं । गुणीभूत व्यज्ञय के आठ भेद माने गए हैं ।  
१. इतराङ्ग व्यज्ञय, २. काकु से आकृति व्यज्ञय, ३. वाच्य सिद्धि का अङ्गभूत  
व्यज्ञय, ४. सन्दिग्धप्राधान्यव्यज्ञय, ५. तुल्यप्राधान्यव्यज्ञय, ६. असुन्दर व्यज्ञय,  
७. अगृह व्यज्ञय और ८. असुन्दर व्यज्ञय, इन्हों का निरूपण आगे करेंगे ।

जहाँ व्यज्ञय के सम्बन्ध होने पर वाच्य का चारुत्व अधिक प्रकर्पे युक्त  
हो जाता है वह गुणीभूत व्यज्ञय नाम का काव्य का दूसरा भेद होता है ।

[ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम् । यत्तन्  
प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावश्यमिवाहनासु ॥ ३,४ इत्यादि कारिका में ]  
ललनाथों के लावश्य के समान जिस व्यज्ञय अर्थ का प्रतिपादन किया है  
उसमा प्राधान्य होने पर ध्यनि [ काव्य ] होता है यह कह जुके हैं । उस  
[ व्यज्ञय ] के गुणीभाव हो जाने से वाच्य [ अर्थ ] के चारुत्व को वृद्धि हो  
जाने पर गुणीभूत व्यज्ञय नाम का काव्य भेद माना जाता है । उनमें [ अवि-  
विहित वाच्य, लचणा मूल ध्यनि के अत्यन्त तिरस्तृत वाच्य प्रभेद में ] तिरस्तृत  
वाच्य [ वाले ] शब्दों से प्रतीयमान वस्तु मात्र व्यज्ञय के कभी वाच्य रूप  
वाक्यार्थ की अपेक्षा गुणीभाव [ प्राधान्य ] होने पर गुणीभूत व्यज्ञय [ काव्य ]  
होता है । जैसे :—

१. तस्यव नि०, दी० । २. शब्देभ्यः पाठ नि०, दी० में अधिक है ।

यथा :—

लावण्यसिन्धुरपैव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते ।  
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमण्डालदण्डाः ॥

अतिरक्तनवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्य. प्रतीयमानस्य व्यङ्ग्यस्य  
कदाचिद्वाच्यप्राधान्येन 'काव्यचारुत्पापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूत-  
व्यङ्ग्यता । यथोदाहतं, 'अनुरागवती मन्धया' इत्येवमादि ।

[ नदी के किनारे स्नानार्थ आई हुई बिमी सरली को देख कर विसी रसिक जन को यह उक्ति है। इसमें युवती को स्वयं नदी सूप में धर्यन दिया है। ] यहाँ [ नदी तट पर ] यह नहूँ बौन सी लावशय की नदी आगई है जिसमें घन्दमा के साथ कमल तैरते हैं, जिसमें हाथी की गण्डस्थली उभर रही है, और जहाँ बुद्ध और ही प्रकार के कढ़ली कारड तथा गृणाल दृश्य दिखाई देते हैं।

यहा मिन्यु शब्द से परिपूर्णता, उत्तर शब्द से कठारपूर्णता, शशि शब्द से मुष्प, द्विदमुभवती शब्द से स्वनयुगल, कदलीकाएट शब्द से ऊर्धव्युगल और मृणाल दण्ड शब्द से भुजा रूप अर्थं अभिभ्यक होता है। इन सब शब्दों का मुख्य यथा सर्वथा अनुराग दोनों से 'निश्चामान्य इवादर्शशब्दन्द्रमा न प्रकाशते' इत्यादि उदाहरण के गमान उनका अत्यन्त तिरस्वार हो जाने से, वह अद्वैत अर्थं का प्रकाशन बरतते हैं। इगलिए आयम् तिरस्कृत याच्य यश्चुभिनि है। परन्तु उग्रा 'लायरेयमिन्युग्मरेव दि वेयमत्रा' में याच्य, आशा वी शोभ वृद्धि में ही उत्तरेण होता है आएव यदि यत्तरं गदाहङ्गम् गुणीभूत अद्वैत है।

कभी अनिरुद्ध वाच्य शब्दों में प्रत्ययमान इयहर वा काच्य वे  
शब्द की ओरेवा में वाच्य का प्रागम्य होने में गुणीभाव हो जाने पर  
गुणीभूत इयहर तो हो जाती है जैसे, अनुरागमनी गन्धा हायादि उदाहरण  
[ पृष्ठ १० पर ] देखुके हैं ।

दर्शक अनुग्रहकों का सम्मान आदि गलोर में अतिथियत वाच्य, सभ्या दिवस शब्द से एवं वाच्य नायक नविक व्यवहार की प्रतीति का वाच्य के ही चमत्कार का ऐसा होने से इत्याहु एवं वाच्य नायक अस्तीभृत व्यवहार है।

१. वायर पर निः, दीः मे जीः ।

तस्यैव स्वयमुक्त्या प्रकाशीकृतत्वेन गुणीभावो<sup>१</sup> यथोदाहतम् ,  
‘सकेतकालमनसम्’ इत्यादि । रसादिरूपब्यङ्ग चस्य गुणीभावो रसवद  
लङ्घारे<sup>२</sup> दर्शित । तत्र च तेषामाधिकारिकग्राक्यापेक्ष्या गुणीभावो  
<sup>३</sup> विवहनप्रवृत्तभृत्यानुयायिराजवत् ।

ब्यङ्गचालक्कारस्य गुणीभावे दीपकादिरिप्य ॥३५॥

उसी [ व्यङ्गय वस्तु ] के स्वय [ अपने वचन द्वारा ] प्रकाशित कर  
देने से [ वाच्यसिद्धयङ्ग व्यङ्गय ] गुणीभाव होता है । जैसे ‘सकेत कालमनस’  
इत्यादि उदाहरण [ पृ० १८३ पर ] दिया जा चुका है ।

रसादि रूप व्यङ्गय का गुणीभाव रसवद् अलङ्कार [ के प्रसङ्ग ] में  
दिखा चुके हैं । वहा [ रसवदलङ्कार में ] उन [ रसादि ] का आधिकारिक  
[ सुख्य ] वाक्य की अपेक्षा से विवाह में प्रवृत्त [ वर रूप ] भूत्य के अनुयायी  
राजा के समान गुणीभाव होता है ।

इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि व्यङ्गय होने से रस ही सब प्रधान  
होता है । ‘परन्तु जैसे राजा यदि कभी अपने किसी इपापात्र सेवक के विवाह में  
सम्मिलित हो तो वहा वर रूप होने से सेवक का प्राधान्य होगा और राजा उसका  
अनुयायी होने से गौण ही होगा । इसी प्रकार रसवदलङ्कार आदि की स्थिति में  
रस के प्रधान होते हाएँ भी उस समय मुरथता किसी अन्य की ही होने से रसादि  
उसके अज्ञ अर्थात् गुणीभूत होते हैं ।

‘आधिकारिक’ शब्द का लक्षण दशरूपक में इस प्रकार दिया गया है ।

आधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रसु ।

तनिर्वल्यमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम् ॥

दशरूप० १, १२ ।

फल के स्वामित्व को अधिकार और उस फल के भोक्ता को अधिकारी  
कहते हैं । उस अधिकारी हारा सम्पादित व्यापक वृत्त को ‘आधिकारिक’ वस्तु  
कहते हैं ।

व्यङ्गय अलङ्कार के गुणीभाव का विषय दीपक आदि [ अलङ्कार ] हैं ।

ग्रसुत और अप्रसुत पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध होने पर दीपकालङ्कार

१ गुणभाव नि० दी० । २ गुणीभाव रसवदलङ्कारविषय प्राक्  
दण्डि दी० गुणीभावे रसवदलङ्कारो दण्डि नि० । ३ विवाह नि० ।

तथा :—

प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यवन्धाः सुखावहाः ।

ये च तेषु प्रकारोऽयमेव' योजयः सुमेधसा ॥३६॥

ये चैते<sup>१</sup> परिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविधार्थरमणीयाः<sup>२</sup>  
सन्तो विवेकिना सुखावहा. काव्यवन्धास्तेषु सर्वेष्वेवायं प्रकारो गुणी-  
भूतव्यङ्गयो नाम योजनीयः । यथा :—

होता है । 'प्रस्तुतप्रस्तुतयोदाऽरुन्तु निगद्यते' । द्वितीय उत्तर में पृष्ठ १६२ पर  
'चन्द्रमऊएदि यिसा' इत्यादि श्लोक उद्धृत करके यह दिखाया है कि उसमें चन्द्र-  
मयूरै., कमलै:, बुसुमगुच्छै, और 'सूजनै' में तथा निशा, नलिनी, लता और  
काव्यरुदोभा में सादृश्य व्यङ्गय है परन्तु यह सादृश्य या उपमा चमत्कारजनक  
नहीं है अपितु दीपकल अर्थात् एकधर्माभिसम्बन्ध के ही चमत्कार जनक होने  
से दीपक नाम से हा अलङ्कार व्यवहार होता है । उपमा नाम से नहीं । अर्थात्  
उपमा व्यङ्गय होने पर भी वाच्य दीपकलङ्कार का अङ्ग है । अतएव गुणीभूत  
व्यङ्गय है । दीपकादि में अ दि पद से उसी प्रकार के रूपक, परिणाम शादि  
अलङ्कारों का भी ग्रहण कर लेना चाहिये । इस प्रकार व्यङ्गय के वस्तु अङ्कार  
तथा रसादि यह तीना भेद गुणभूत ही सकते हैं ॥३४॥

प्रसन्न [ प्रसाद गुण युक्त ] और गम्भीर [ व्यङ्गय सम्बन्ध से अर्थ-  
गम्भीर्युक्त ] जो आनन्ददायक काव्य रचनाएँ, [हो] उनमें उद्दिमान् करि दो  
इसी प्रकार का उपयोग करना चाहिये । [ व्यनि के सम्बन्ध न होने पर गुणीभूत  
व्यङ्गय की योजना से भी कवि की कविपद की प्राप्ति हो सकती है । अन्यथा  
तो फिर कविता उपहासयोग्य ही होती है । ]

और जो यह नाना प्रकार [ अपरिमितस्वरूपा ] की उत्तर [ अलौकिक  
व्यङ्गय के सम्पर्क ] प्रकार के अर्थ से रमणीय प्रकाशमान रचनाएँ रिद्वानों के  
जिए आनन्ददायक होती है उन सभी काव्य रचनाओं में गुणीभूत व्यङ्गय नाम  
का यह प्रकार उपयोग में लाना चाहिए । जैसे :—

१. प्रकारोऽयमेव नि०, दी० । २. परिमितस्वरूपा नि०, दी० । ३. तथा  
रमणीया नि०, दी० ।

जन्म्भी दुहिदा जामाउओ हरी तम घरिणिआ गङ्गा ।

अभिअभिअङ्गा च सुआ अहो कुडुम्ब महोअहिणो ॥

[ लक्ष्मीदुर्हिता जामाता हरिस्तस्य दृहिणा गङ्गा ।

अमृतमृगाङ्को च सुतागहो कुटुंब महोदधे ॥

—इतिच्छाया ॥३६॥

वाच्यालङ्कारवर्गोऽय व्यङ्ग्यांशानुगमे सति ।

प्रायेणैव परां छायां निभ्रल्लच्ये निरीद्यते ॥३७॥

वाच्यालङ्कारवर्गोऽय व्यङ्ग्याशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वा

यथायोगनुगमे सति च्छायातिशय विभ्रल्लक्षणारैरेकदेशोन दशित ।  
स तु तथारूप प्रायेण सर्व एव परिद्यमाणो लद्ये तिरीद्यते ।

लक्ष्मी [ समुद्र की ] पुनी है, विष्णु जामाता है, गङ्गा उमवी पली है,  
अमृत और चन्द्रमा [ सरीखे ] उसके पुत्र हैं । अहा महोदधि वा एसा [ उत्तम ]  
परिवार है ।

यहाँ 'लक्ष्मी' पद से सर्वस्पृहणीयता, 'विष्णु' पद से परमैश्वर्य, 'गङ्गा'  
पद से परमपावनत्य तथा सकलमनोरथपूरणदमत्य, 'अमृत' पद से मरणमयो  
पशमक्त्व, और मृगाङ्क पद से लोकोत्तराहादजनकत्वादि रूप व्यज्यमान वस्तु  
व्यङ्ग्य है, और वह 'अहो कुटुम्ब' से वाच्य विश्मय रूप पोषक होकर गुणीभूत  
व्यङ्ग्यरूप से चमत्कारजनक होती है ।

लोचनकार ने यह 'अमृतपद' का अर्थ वारुणी किया है और उससे  
गङ्गा स्नान तथा हरिचरणाग्रधन आदि शतश उपायों से उपलब्ध लक्ष्मी का  
चन्द्रोदय पानगोष्ठी आदि रूप में उपयोग ही मुख्य पल है । इसलिए वह लक्ष्मी  
नैलोक्यसारभूत प्रतीत होकर 'अहो' शब्द वाच्य विश्मय का अङ्ग होकर गुणीभूत  
व्यङ्ग्यरूप का उपादान करती है । इस प्रकार की व्याख्या की है । यह 'व्याख्या'  
पाशुपत सम्प्रदाय के अनुकूल प्रतीत होती है ॥३६॥

यह [ प्रसिद्ध ] वाच्य अलङ्कारों का वर्ण व्यङ्ग्य अश के स्तर्पर्य से  
काव्यों में प्राय अध्यन्त शीभावित्य को प्राप्त होता हुआ पाया जाता है ।

यह [ प्रसिद्ध ] वाच्य अलङ्कारों का समुदाय व्यङ्ग्यरूप स्वयं अलङ्कार अपना

तत्रातिशयोक्तिर्यमलङ्कारमधितिष्ठति कविप्रतिभावशान्तस्य  
चारुत्यातिशययोगोऽन्यस्य त्वलङ्कारमात्रतैवेति सर्वालङ्कारशरीरस्वीकरण  
योग्यत्वेनाभेदोपचारात् सैव सर्वालङ्काररूपा, इत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्य ।

तस्याश्चालङ्कारान्तरसर्फीर्णत्वं कदाचिद्वाच्यत्वेन, कदाचिद्  
व्यज्ञयत्वेन । व्यज्ञयत्वमपि कदाचित् प्राधान्येन कदाचिद् गुणभावेन ।  
तत्राद्ये पक्षे वाच्यालङ्कारमार्ग । द्वितीये तु ध्वनावन्तभाव । तृतीये  
तु गुणीभूतव्यज्ञयरूपता ।

उस में कवि की प्रतिभावश अतिशयोक्ति निस अलङ्कार को प्रभावित  
करती है उसको [ ही ] शोभातिशय प्राप्त होता है । अब तो [ चमत्काराति  
शयरहित केवल ] अलङ्कार ही रह जाते हैं । इसी से सब अलङ्कारों का रूप  
धारण कर सकने की जमता के कारण अभेदोपचार से वही सर्वालङ्कार रूप है,  
यही अर्थ समझना चाहिए । [ भामह ने जो कहा है उसका यह अर्थ समझना  
चाहिये इस प्रकार यहाँ बड़ा लम्बा अन्वय होता है ] ।

निर्णयसागरीय सद्करण में ‘सर्वेव वक्तोकि’ के स्थान पर ‘सर्वत्र वक्तोकि’  
पाठ है । परन्तु यहाँ वृत्तिकार ने जो सैव सर्वालङ्काररूपा’ व्यारथा की है उससे  
‘सर्वेव वक्तोकि’ यही पाठ उचित प्रतीत होता है । परन्तु भामह के काव्यालङ्कार  
‘मुद्रित सद्करण में ‘सर्वत्र’ पाठ ही पाया जाता है । और अब्य प्राचीन ग्रन्थों  
में भी जहा जहा भामह की यह कारिका उद्धृत हुई है उनमें ‘सर्वत्र’ पाठ ही  
रखा गया है । इससे भामह का मूल पाठ तो ‘सर्वत्र’ ही जान पड़ता है परन्तु  
ध्वन्यालोककार ने उसके स्थान पर ‘सर्वेव’ पाठ उद्धृत किया है और तनुसार  
ही उसकी वृत्ति में व्यारथा की गई है । इसलिए यहा॒ ध्वन्यालोककार का अभिमत  
पाठ ही मूल में रखा गया है । भामह का वास्तविक पाठ नहा ।

उस [ अतिशयोक्ति ] का अन्य अलङ्कारों के साथ सङ्कर कभी वाच्यत्वेन  
और कभी व्यहायत्वेन [ होता है ] । व्यहायत्व भी कभी प्रधान रूप से और  
कभी गौणरूप से [ होता है ] । उनमें से पहिले [ वाच्य रूप ] पद में वाच्या  
लङ्कार का मार्ग है । दूसरे [ प्राधान्येन व्यहाय ] पद में व्यति में भातर्मादि होता  
है । और तीसरे [ व्यहाय के अप्राधान्य पद ] में गुणीभूत व्यहायता होती है ।

तत्र च गुणीभूतव्यज्ञयतायामलङ्घाराणां केषाद्विदलङ्घारविशेष

जैसे ।—

असमाप्तिगीपस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्त्विन ।

अनाक्रम्य जगत्सर्वे नो सन्ध्या भजते रवि ॥

यहाँ रवि और सन्ध्या में नायक-नायिका के व्यवहार का आरोप गम्यमान है । परन्तु यह वाच्य समासोक्ति का अविनाभूत है । उसके बिना समासोक्ति बन ही नहीं सकती है अतएव यह गुणीभूत होने से गुणीभूत व्यज्ञय है ।

५.—पर्यायोक्त यदा भज्ञाग गम्यमेवाभिधीयते ॥ सा० द० १०, ६० ।

जैसे ।—

सृष्टास्ता नन्दने शश्या केशसभोगलालिता ।

सावज्ञ पारिजातस्य मञ्जर्यो यस्य सेनिकै ॥

यहा हयप्रीव ने स्वर्य को विजय वर लिया है यह व्यज्ञय अश है परन्तु उसके बिना पर्यायोक्त का स्वरूप ही नहीं बनता है अतएव पर्यायोक्त का अविनाभूत होने से व्यज्ञय गुणीभूत होता है ।

६.—वक्तुनो वक्तुमिश्य विशेषधतिपत्तये ।

निरेभाभास आद्येषो वक्त्यमाणोक्तगो द्विषा ॥

—सा० द० १०, ६४ ।

जैसे ।—

तव विरहे हरिणाही निरीद्य नवमालिका दलिताम् ।

इन्त नितान्तमिदाना आ द्विं इतजल्पतैरथवा ॥

यहा व्यज्ञय अर्थ है 'मरिध्यति' । परन्तु यह वाच्य आद्येष का अविनाभूत है । उसके बिना आद्येष अलङ्घार का स्वरूप ही नहीं बन सकता है अतएव यह गुणीभूत व्यज्ञय होता है ।

‘—उस गुणीभूत व्यज्ञयता में किन्हीं अलङ्घारों का अलङ्घार विशेष गम्भित होने का नियम है । जैसे व्याज्ञ स्तुति के प्रेषोऽलङ्घारगम्भीर [के विषय] में ।

उक्ता व्याज्ञस्तुति पुन ।

निन्दास्तुतिभ्या वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः ॥

—सा० द० १०, ५६ ।

गर्भतायां नियमः । यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोऽलङ्घारगर्भत्वे । केपाञ्चिदलङ्घार-  
मात्रगर्भतायां नियमः । यथा सन्देहादीनामुपमागर्भत्वे ।

केपाञ्चिदलङ्घारणां परस्परगर्भतापि सम्भवति, यथा दीपकोपमयोः ।

व्याजस्तुति में वाच्य निन्दा से प्रतीयमान राजा या देवादि विषयक रति  
रूप 'भाव' व्यङ्ग्य होता है । और वह स्तावरुनिष्ठ स्तवनीयविषयक ग्रेम स्प  
व्यङ्ग्य 'भाव', वाच्य व्याजस्तुति के गर्भ में अवश्य रहेगा । अन्यथा व्याजस्तुति  
बन ही नहीं सकती । अतएव गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है । यह राजा या देवादि  
विषयक रति, 'भाव' कहलाती है । और भाव के अन्याङ्ग होने पर प्रेयोऽलङ्घार  
होता है । इसलिए व्याजस्तुति में प्रेयोऽलङ्घार का होना आवश्यक है ।

२—किन्हीं अलङ्घारों में अलङ्घार मात्र गर्भित होने का नियम है ।  
जैसे सन्देहादि के उपमा गर्भ होने में । [ उपमा शब्द यहां सात्रय मूलक  
अलङ्घारों का ग्राहक है । ]

सन्देह अलङ्घार का लक्षण निम्न है ।—

सन्देहः प्रश्नेऽन्यस्य सशयः प्रतिभोग्यितः ।

शुद्धो निश्चयगम्भोऽयो निश्चयान्त इति विधा ॥

—सा० द० १०, ३५ ।

जैसे :—

अ॑यं मार्त्यः किं, स खलु तुरगोः सप्तमिरितः ।

शृणुः किं उर्वाः प्रसरति दिशो नैव नियतम् ॥

कृतान्तः किं सादान्मदिपमहोऽमाविनि पुनः,

समालोक्याजी त्वा विदधिति रिक्लगान् प्रतिमयः ॥

इत्यादि सन्देहालङ्घार के उद्याहरणों में उपमा नियमतः गर्भ में रहती  
है । ऐसे से उपमा भी एक अलङ्घार जिसे क्य ही नाम है । अतएव इसको भी  
अलङ्घार विद्येय गर्भता के नियम वलेवं में ही रखना चाहिए या । परन्तु  
उपमा में नाना अलङ्घारों का स्पष्ट भारण करने की सामर्थ्य है इत्येवं  
अलङ्घार गमनाय गमन कर ही अलङ्घारमात्र गर्भता का उदाहरण गमना है ।

३—हिन्दी अलङ्घारों में परस्पर गर्भता भी हो सकती है । जैसे

तत्र दीपमुपमागर्भत्वेन प्रसिद्धम् । उपमापि कदाचिह्नीपकच्छाया-  
नुयायिनी । यथा मालोपमा । तथा हि 'प्रभामहत्या शिखयेव दीपः' इत्यादौ  
स्फुटैव दीपकच्छाया लक्ष्यते ।

तदेवं व्यङ्ग्यांशसंसर्वे सति चारुत्त्वातिशययोगिनो रूपकादयो  
अलङ्काराः सर्व एव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य मार्गः । गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं च  
तेषा तथाजातीयानां सर्वेषामेवोक्तानामनुकृतानां सामान्यम् । तल्लक्षणे  
सर्व एवैते सुलक्षिता भवन्ति ।

दीपक और उपमा में । उनमें से उपमागर्भ दीपक प्रसिद्ध ही है परन्तु कभी-  
कभी उपमा भी दीपक ही छायानुयायिनी होती है । जैसे मालोपमा में  
इसी से 'प्रभामहत्या शिखयेव दीप' इत्यादि में दीपक की छाया स्पष्ट ही  
प्रतीत होती है ।

प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्विमार्गयेव निदिवत्य मार्गः ।

सक्तारसत्येव गिरा मनीषी तथा स पूतश्च निभूयितश्च ॥ कुमार स० १,२८

यह कुमारसम्भव का श्लोक है । इसमें मालोपमा अलङ्कार है । मालो-  
पमा का लक्षण है—'मानोपमा यदेकस्योपमान वहु दृश्यते' । यदि एक उपमेय  
के अनेक उपमान हों तो मालोपमा अलङ्कार होता है । यहां पार्वती के जन्म से  
हिमालय ऐसे पवित्र और सुरोमित हुआ जैसे प्रभायुक्त दीप शिर्षा से दीपक,  
अथवा जैसे निमार्गंगा गङ्गा में व्याघ्राश, अथवा जैसे सद्वारपी वाणी से  
विद्वान् पुश्य पवित्रं और 'अस्त्वृते होंगा हैं । यहां एक उपमेय युं भीन उपमान  
होने से मालोपमा है । परन्तु मालोपमा के गर्भ में दीपक अलङ्कार है 'प्रस्तुता-  
प्रसुयोदापक तु निगच्यते' । प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्माभिक्षमन्य  
होने से दीपक अलङ्कार होता है । यहां पार्वती के सम्बन्ध से हिमालय का  
पवित्र होना प्रस्तुत है और उसके उपमानभूत तीनों अर्थ अप्रत्युत हैं । उन  
चारों में 'पूतश्च' और 'निभूयितश्च' रूप एक धर्म का सम्बन्ध होने से दीपक-  
लङ्कार हुआ । अतएव यह दीपकगर्भ उपमा का उदाहरण हुआ ।

इस प्रकार व्यङ्ग्य के संस्पर्श होने पर शोभातिशय को प्राप्त होने  
वाले रूपक आदि सब ही अलङ्कार गुणीभूत व्यङ्ग्य के मार्ग हैं । और गुणी-  
भूत व्यङ्ग्यत्वा उस प्रकार के [ व्यङ्ग्य संस्पर्श से चारुव्यायोगी ] कहे गए  
[ दीपक तुलययोगिता आदि ] या न कहे दुष्ट [ सम्बद्ध आदि ] उन 'सभी  
अलङ्कारों में सामान्य रूप से रहता है । उम [ गुणीभूत व्यङ्ग्य ] के लक्षण

एकैकस्य 'स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरहितेन प्रति-  
पदपाठेनेव' १ शब्दा न शक्यन्ते तत्त्वतो निर्णातुम् । आनन्द्यात् ।  
अनन्दा हि वाग्मिकल्यासत्प्रधारा एव चालङ्घारा ।

हो जाने पर [ या समझ के लिए मे ] यह सब ही [ अलङ्घार ] सुलिखित हो  
जाते हैं ।

इस बा श्रमिकाय यह है कि विच्छिन्नति विशेष के आधायक व्यङ्ग्य-  
सम्पर्श के अभाव में, 'गौरिव गवय' यहा उपमा, 'आदित्यो यूप' इत्यादि में  
रूपक, 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इत्यादि में सन्देह, शुचि में 'इद रजतम्' इत्यादि  
में आनन्दमान्, उसी शुचि में 'नेष शुचि इद रजतम्' इत्यादि में अपन्हुति,  
इसके विपरीत उसी शुचि में 'नेद रजत इय शुचि' इत्यादि में निश्चय,  
'आदौ-तौटकिती' इत्यादि में यथासख्य, 'आदा 'भज्यन्ताम् भुज्यन्ताम् दीव्यन्ताम्'  
इत्यादि में श्लेष, वीनो देवदत्त दिवा न भृद्वते' इत्यादि में अधांपत्ति, 'स्थान्वोरिच्च'  
इत्यादि में तुल्ययोगिता, 'गामश्व पुष्प पशु' इत्यादि में पुष्प के प्रस्तुत होने पर  
दीपक, 'द्वा सुरणां सयुजा सखाया' इत्यादि में अतिशयोक्ति अलङ्घार नहा है ।  
इसलिए व्यङ्ग्य के अभाव में अलङ्घारत्व का अभाव होने से 'तदभावे तदभावो  
व्यतिरेक' इत्यादि रूप व्यतिरेक, तथा चन्द्र इय मुख्यम् । मुख चन्द्र इत्यादि में आ-  
लङ्घादक्त्व आदि व्यङ्ग्य का सम्बन्ध होने पर अलङ्घारत्व होने से 'तत्सत्वे तत्सत्ता-  
न्यय' रूप अन्यय का प्रहरण होने से, अन्यय व्यतिरेक से यह निर्णय होता है कि  
व्यङ्ग्य सम्बन्ध ही अलङ्घारता का प्रयोजक है । जैसे ईपनिंगूट कामिनी के कुच  
कलश अपने से सम्बद्ध हार आदि अलङ्घारों के शोभाजनक होते हैं इसी प्रकार  
यह गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व सभी अलङ्घारों का खाद्यतातिरिय प्रदान करता है । यह  
गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व सभी अलङ्घारों का खाद्यारण धर्म है । गुणीभूत व्यङ्ग्य के  
लक्षण होने से ही अलङ्घारों का लक्षण पूर्ण हो जाता है । इसी से अलङ्घार  
मुन्हित, पूर्णतया लक्षित होते हैं, अन्यथा 'गौरिव गवय' आदि के समान उनमें  
अव्याप्ति आदि आना अनियार्य है ।

सामान्य सदृश रहित प्रत्येक अलङ्घार के अङ्ग अङ्ग स्वरूप कथन  
में सो प्रतिपद पाठ से [ अनन्त ] शब्दों के [ ज्ञान ] के समान उन [ अलङ्घारों ]  
का, अनन्त होने से, पूर्यं ज्ञान नहीं हो सकता । कथन को अनन्त शैक्षिया  
है और वही अनन्त अलङ्घार के प्रधार है ।

गुणीभूतव्यज्ञयस्य च प्रकारान्तरेणापि व्यज्ञयार्थानुगमलक्षणेन विषयत्वमस्त्येव । तदयं धनिनिष्पद्धरूपो द्वितीयोऽपि महाकवि-विषयोऽतिरमणीयो लक्षणीय सहदयै । सर्वथा नारत्येव सहदयहृदय-हारिण काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शेन सौभाग्यम् । तदिदं काव्यरहस्य परमिति सूरिभिर्विभावनीयम् ॥३७॥

सामान्य लक्षण द्याय ही उनका ज्ञान हो सकता है । अलग-अलग प्रत्येक अलङ्कार के समस्त भेदोपभेद आदि का ज्ञान सम्भव नहीं है । जैसे प्रतिपद पाठ से शब्दों का ज्ञान असम्भव है । यह 'प्रतिपदपाठ' शब्द महाभाष्य में आए हुए प्रकरण की ओर संकेत करता है । महाभाष्य में शब्दानुशासन की पद्धति का निर्धारण करते हुए लिखा है —

"अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे वर्त्तये सति । क शब्दाना प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठ कर्तव्य , गौरश्व पुरुषो हस्ती शङ्कुर्मिमृगो ग्राहण इत्येवमादय शब्दा पठित्या । नेत्याह । अनभ्युपाय शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठ । एव हि ध्यूते वृद्धस्तिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्र प्रतिपदोक्ताना शब्दाना शब्दपार यत्र प्रोक्ताच, न चान्त जगाम । वृद्धस्तिरित्वं प्रवक्ता, इन्द्रश्च व्येता, दिव्य वर्षसहस्रमध्येयनकालो न चान्त जगाम । किं पुनरग्रवेद सर्वधा चिर जीवति स वर्दशत जीवति ।

और गुणीभूत व्यज्ञय का विषय [ केवल पूर्व अलङ्कार में दूसरे व्यज्ञय अलङ्कार के सम्बन्ध से ही नहीं अपितु वरतु अथवा रसादि रूप अन्य ] व्यज्ञय अर्थ के सम्बन्ध से अन्य प्रशार से भी होता ही है । इसलिए अति रमणीय महाशिरि विषयक यह दूसरा व्यनि प्रवाह भी सहृदयों को समझ लेना चाहिए । सहृदयों के हृदय को मुरग करने वाले काव्य का ऐसा कोई भेद नहीं है, जिसमें व्यज्ञय अर्थ के सम्बन्ध से संबद्ध न आजाता हो । इसलिए विद्वानों को यह समझ लेना चाहिए कि यह [ व्यज्ञय, और वेपल व्यज्ञ यसस्पर्श ही ] काव्य का परम रहस्य है ।

यहा गुणीभूत व्यज्ञय को भवनि का नि प्यन्द बहा है । उसका अर्थ उसकी दूसरी धारा या उससे उत्पन्न दूसरा प्रगाह ही हो सकता है । उसका सार नहीं समझना चाहिए । दधि का सार नमनीत है । इस प्रकार गुणीभूत व्यज्ञय को धनि का सार नहीं कहा जा सकता है । उसे अ घक से अधिक 'आमिदा' द्यना वे जन का स्थान दिया जा सकता है । गर्म दूध में दही ढाल देने से यह कष जाता है उसका जो जलीय अर्थ है उसे 'आमिदा' कहो है—'हप्ते पयसि दव्यमय,

मुख्या महाकरिगिरामपलंकृतिभृतामपि ।

प्रतीयमानव्यायैपा भूषा लज्जेव योपिताम् ॥३८॥

अनया सुप्रसिद्धोऽप्यर्थः किमपि कामनीयकमानीयते । तद्यथा—  
विश्वमोत्त्वा मन्मयाज्ञाविधाने ये मुग्याद्याः केऽपि लीलाविशेषाः ।  
अत्तणुण्णणास्ते चेतसा केवलेन, स्थित्वैकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥

- इत्यत्र, केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिदधता प्रतीयमानं  
\*व्रस्त्वक्लिष्टमनन्तमर्पयता का छाया नोपपादिता ॥३८॥

सा वैश्वदेव्यामिक्षा' । गुणीभूत व्यङ्ग्य अधिक से अधिक आमिक्षा स्थानीय ही हो सकता है न यतीत स्थानीय नहीं । इसी प्रकार उस गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य में अतिरमणीयता ध्वनि की अपेक्षा नहीं अपितु चित्रकाव्यादि की दृष्टि से ही हो सकती है । प्रथम उद्योग में ध्वनि को 'सकलसरकविकान्योपनिषद्भूत' कहा था, उसी का उत्तरसहार 'काव्यरहस्य' शब्द से यहा किया है । इसी बात को अगली कारिका में उत्तमा द्वाया समर्थित करते हैं ।

अज्ञानार आदि से युक्त हीने पर भी जैसे क्षम्भा ही बुलबुझों का मुख्य अज्ञानार होती है, उसी प्रकार [उपमादि अज्ञानारों से भूयित हीने पर भी] यह व्यङ्ग्यायांक की छाया ही महाकवियों की वाणी का मुख्य अज्ञानार है ।

इस [प्रतीयमान की छाया या व्यङ्ग्य के संस्पर्श] से सुप्रसिद्ध [वदुवर्णित होने से यासींहुए] अर्थ में भी युक्त अनिर्वचनीय [नृत्य] सौन्दर्य था जाता है । जैसे ।—

[अनुरुलप्यशास्त्र] कामदेव की आज्ञापालन में गुणादी [यामखोणना सुम्भरी] के गिरणाम [परिचर्य, तथा मदनोद्धेकजन्म ग्रापा साभ्यस आदि के घ्यंस] से उपग्रह और केवल वित्त से [भी] यहुपर्य प्रतिचय न त्रोन जो कोई अनिर्वचनीय हात भाव [होते] हैं, वह प्राप्ति में दैठ कर [तम्भ द्वाहर] चित्तत करने योग्य होते हैं ।

इस उदाहरण में यात्य अर्थ को स्पष्ट रूप से न कहने याके 'किंतर' इस पद ने अनन्त और प्रक्षिप्त व्यङ्ग्य का योग्यत कराने हुए कौन सा मीम्बूर्य नहीं उपमन कर दिया है ॥३८॥

आगे काव्यर्जित गुणीभूत व्यङ्ग्य का निष्पाय करते हैं —

अथान्तरगतिः काक्षा या चैपा परिवृश्यते ।

सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥३६॥

या चैपा काक्षा स्वचिदर्थात् प्रतीतिर्दृश्यते सा व्यङ्ग्यस्यार्थस्य गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यलक्षणं काव्यप्रभेदमाश्रयते ।  
यथा —

**‘स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्रा’ ।**

और कावद्वारा जो यह [प्रसिद्ध] अथान्तर [विलक्षण भिन्न अर्थ, अथवा उसी अर्थ का वैशिष्ट्य, अथवा उसका अभाव रूप अन्य अर्थ] वी प्रतीति दिखाई दती है वह व्यङ्ग्य के गौण होने से इसी [गुणीभूत व्यङ्ग्य] भेद के अन्तर्गत होती है ।

और कहीं काक से जा यह [प्रसिद्ध] अन्य [वाच्य अर्थ से भिन्न १ अथान्तर, अथवा उसी वाच्य अर्थ का २ प्रथान्तर संक्षिप्त विशेष, अथवा ३ तदभाव रूप विविध] अर्थ की प्रतीति देखी जाती है वह व्यङ्ग्य अर्थ के गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य नामक काव्यभेद के अन्तर्गत होती है । जैसे —

‘मर [भीमसेन के] जीवित रहते उत्तराष्ट्र के पुत्र [कौरव] स्वस्थ रहे ।’

यह ‘वर्णीसदार’ नारक में भीमसेन वी उक्ति का अतिम चरण है । पूर्ण श्लोक इस प्रकार है —

लाक्षागदानलविगानं सभाप्रवेशौ ,  
प्राणेतु वित्तनिचयेतु च न प्रदृत्य ।  
आशृथं पाण्डवधूररिधानकेशान् ,  
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धर्तराष्ट्रा ॥

लाक्षागद में आग लगाकर, रिप का अन्न खिला कर और दूतमभाद्वारा हमारे प्राणों और धन सम्बति पर प्रदाहर कर और पाण्डवों की स्त्री द्वोरी के वस्त्र खाचों की दुरचेता करके भी, मुझ भीमसेन के नाते जी पृथराष्ट्र के पुत्र निरिचात होकर बैठ जाए । यहा ‘यह अथमर है’ यह अर्थ काढ़ से अभियन्त होता है ।

बोलने के दृग या लहने को ‘काढ़’ कहते हैं—‘भिनकरणनिर्धारै काढ़रियमिधीयते’ । काढ़ शब्द ‘कठ लौल्य’ धातु से बना है । साकाँद या नियकाँद रूप में विशेष दृग से बोला जाने वाला काढ़ पुनः वाच्य प्रहृत वाच्यार्थ

यथा वा —

आम असइओ ओरम पइव्वए ण तुए मलिणिअं सीलम् ।  
कि उण जणस्स जाओ व्व चन्दिलं त ण कामेमो ॥

[ आम असत्य , उपरम पतिव्रते न तया मलिनित शीलम् ।  
कि पुर्जनस्य जायेव नापितं त न कामयामहे ॥

—इतिच्छाया ।

शब्दशस्त्रिरेव हि रजभिधेयसामर्थ्याच्चिप्तकाकुसदाया सती,  
अर्थप्रतिपत्तिहेतुर्न काकुमात्रम् । विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात्  
काकुमात्रात् तथाविवार्थप्रतिपत्त्यसम्भयात् । स चार्थ काकुविशेषसदाय  
शब्दव्यापारोपाखडोऽर्थयैलभ्य इनि व्यङ्ग्यरूप एव । वाचकृत्वानुगमेनैव  
तु यदा तद्विशिष्टग्रन्थप्रतीतिस्तदा गुणीभूतव्यङ्ग्यतया तथारिधार्थ-

से अतिरिक्त अन्य अर्थ की भी श्लाकाद्वा करता है यही उसका लौल्य है । इसी के  
कारण उसे बाकु कहते हैं ।

अथवा जैसे —

अच्छा ठोक है, हम असती हैं, पतिव्रता महारानी, पर आप चुप  
रहिए । आपने तो अपना चरित्र भ्रष्ट नहीं किया । हम क्या साधारण जन  
की हितयों के समान उस नाईं की कामना म करें ।

यहा स्वयं नीच नापित पर अनुरक्त होकर भी हमारे ऊपर आक्षय करती  
है । इत्यादि अनेक व्यङ्ग्य, अनेक पदों में, काकु द्वारा प्रतीत होते हैं । अतएव  
यह गुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

[ काकु के उदाहरणों में ] शब्द की [ अभिधा ] शक्ति ही अपने  
वाच्यार्थ की सामर्थ्य से आधिप्त, काकु की सहायता से अर्थविशेष [ व्यङ्ग्य ] की  
प्रतीति का कारण होती है, अकेली काकुमात्र [ ही ] नहीं । क्योंकि अन्य स्थलों में  
स्वप्नाहृत काकुमात्र स उस प्रकार क अर्थ की प्रतीति असम्भव है । और वह  
[ काकु से आधिप्त ] अर्थ काकु विशेष की सहायता से शब्द व्यापार [ अभिधा ]  
में उपाख्य होने पर भी अर्थ की सामर्थ्य से लभ्य होने स व्यङ्ग्य स्पष्ट ही होता  
है । उत [ आधिप्त अर्थ ] से विशिष्ट वाच्यार्थ की प्रतीति जब वाचकश्व  
[ अभिधा ] की अनुगमिनी [ गुणीभूत ] स्पष्ट में होती है तब उस अर्थ के प्रकाशक  
कार्य म गुणीभूत व्यङ्ग्यरूप से व्यवहार होता है । व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्य का  
कथन करने वाले [ पाद्य ] का गुणीभूत व्यङ्ग्यश्व [ होता ] है ।

योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः । व्यञ्जयनिशिष्टवाच्याभिधायिनो हि गुणी-  
भूतव्यञ्जयत्वम् ॥३६॥

इस उन्तालीसर्वा कारिका में 'सा व्यञ्जयस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता' पाठ आया है । उससे कुछ लोग यह अर्थ लगाते हैं कि काकु से जो अर्थान्तर की प्रतीति होती है उसके गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यञ्जय होता है । अर्थात् उसका प्राधान्य होने पर ध्वनि काव्य भी हो सकता है । इस प्रकार काकु में ध्वनि और गुणीभूत व्यञ्जय दोनों प्रकार मानते हैं और उन दोनों अर्थात् 'काकु ध्वनि' और काकु गुणीभूत व्यञ्जय की विषय व्यवस्था इस प्रमार करते हैं कि जहाँ काकु से आक्षित अर्थ के बिना भी वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्ण हो जाय और प्रकरणादि की पर्यालोचना के बाद व्यञ्जय अर्थ का बोध हो वहाँ 'काकु ध्वनि' होती है और जहाँ काकु से आक्षित अर्थ के बिना, वाच्यार्थ की प्रतीति ही समाप्त न हो वहाँ 'गुणीभूत व्यञ्जय काकु होता है । ऐसे लोगों ने —

तथाभूता दृष्ट्वा नृपसदसि पञ्चालतनया ,  
वने व्याधे, सार्थे सुचिरमुपित वल्लभधरै ।  
विराटस्यावासे रिथतमनुचितारम्भनिभृत ,  
गुहः रेद खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुपु ॥ -

इत्यादि श्लोक को 'काकु ध्वनि' का उदाहरण माना है । यह श्लोक भी पूर्व उदाहृत श्लोक के समान वेणीसिंहार नाटक में भीमसेन के द्वारा वहा गया है । उसका भाव यह है कि राजा धूतराष्ट्र की सभा में नज़ीरी की जाती हुई द्रीपदी को देख कर गुरु सुधिष्ठिर को दुख नहीं हुआ । इस वल्लभ धारण कर व्याधों के साथ वर्णों वन में रहे, इससे भी उनको रेद नहीं हुआ । और विगट के यहाँ घृतनला तथा पाचक आदि का अनुच्छेद देश धरण कर जब इस रेद पारदय छिप कर रहे तब भी उनको बोध नहा आग । पर आज जग में कौरवा पर बोध करता हूँ तर वह मेरे ऊपर नाराज़ होते हैं ।

यह वाच्य अर्थ यहाँ व्यञ्जय अर्थ के बिना भी परिपूर्ण हो जाता है । परन्तु इसके बाद प्रकरण आदि की आलोचना करने पर मेरे ऊपर नाराज़ होना उचित नहीं है कौरवों पर ही बोध करना चाहिये । इस, काकु से आक्षित, अर्थ की प्रतीति होती है । इसलिए इसको 'काकु ध्वनि' का उदाहरण मानते हैं और पिछले 'स्यस्या भवन्ति मनि जीवनि घारंगणा' इत्यादि के 'गुणीभूत व्यञ्जय काकु' का उदाहरण मानते हैं ।

प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युवत्या प्रतीयते ।

विधातव्या सहदयैर्न तत्र ध्वनियोजना ॥ ४० ॥

सङ्क्षिणीं हि रुश्चद् ध्वनेगुणोभूतव्यङ्ग्यस्य च लक्ष्ये दृश्यते  
मार्गः । तत्र यस्य<sup>१</sup> युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः । न सर्वत्र  
ध्वनिरागिणा भवितव्यम् । यथा :—

पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।

सा रञ्जयित्वा चरणो कृताशीर्मल्येन तां निर्वचनं जघान ॥

परन्तु लोचनकार काकु में ध्वनि मानने के लिए तैयार नहीं हैं । वे  
काकु को सदैव गुणीभूत व्यङ्ग्य ही मानते हैं । ‘काकुप्रयोगे सर्वत्र शब्दस्पृष्टवेन  
व्यङ्ग्यस्योन्मीलितस्यापि गुणीभावात्’ । काकु के प्रयोग में प्रतीयमान व्यङ्ग्य भी  
सदा शब्द से स्पृष्ट होने से गुणीभूत ही रहता है । अतएव ‘काकुध्वनि’ मानना उचित  
नहीं है । इस मत के अनुसार कारिका में ‘गुणीभावे’ पद की सतमी, ‘सति सतमी’  
नहीं, अपितु ‘निभित्ते सतमी’ है ॥ ३६ ॥

और जो [ काव्य ] तर्क से [ युक्त्या ] इस [ गुणीभूत व्यङ्ग्य ] भेद का  
विषय प्रतीत होता है, सहदय पुरुषों को उसमें ध्वनि को नहीं जोड़ना चाहिए ।

ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के सङ्कर का भी कोई मार्ग उदाहरणों में  
दिखाई देता है । उनमें जो [ पच ] तर्क से समर्थित होता है उसी के अनुसार  
नामकरण [ वयहार ] करना चाहिए । सब जगह ध्वनि का अनुरागी नहीं होना  
चाहिए । [ यिना युक्ति के ध्वनि के अनुराग में गुणीभूत व्यङ्ग्य को भी ध्वनि  
नहीं कहने लगना चाहिए ] ।

जैसे —

[ यह शुभारसम्भव के संग्रहवें सर्वे का १६ वां श्लोक है । सखी ने  
पार्वती के ] चरणों को [ लाक्षाराग से ] रञ्जित कर [ यह आशीर्वाद दिया  
नि ] इस चरण से [ सुरत के रिसी दन्त विशेष में, अथवा सपटनी होने से ]  
पति [ शिव ] के सिर पर स्थित चंद्रकला का स्पर्श करना इस प्रसार  
परिहासपूर्वक आशीर्वाद प्राप्त पार्वती ने दिना हुए बोले माला से उस [ सर्पी ]  
को मारा ।

यथा च :—

प्रयच्छ्रुतोच्चैः कुमुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन लभ्निभता ।  
न किञ्चिद्दूचे चरणेन केवलं लिलेय वाप्पाकुललोचना भुवम् ॥

इत्यत्र 'निर्वचनं जघान', 'न किञ्चिद्दूचे', इति प्रतिपेधमुखेन व्यज्ञयस्यार्थस्योक्त्या किञ्चिद् विपयीकृतत्वाद् गुणीभाव एव शोभते । 'यदा वकोक्ति विना व्यज्ञयोऽर्थस्तात्पर्येण प्रतीयते 'तदा तस्य प्राधान्यम् । यथा 'एवंवादिनि देवपौ' इत्यादी । इह पुनरुक्तिभूत्यास्तीति<sup>३</sup> वान्यस्यापि प्राधान्यम् । तस्मान्नात्रानुरणनरूपव्यज्ञयध्वनिव्यपदेशो विधेयः ॥४०॥

और जैसे —

[ यह दिरात के अष्टम सर्ग में अर्जुन के तपोभृत के लिए आई हुई अप्सराओं के वर्णन प्रसङ्ग में किसी अप्सरा के वर्णन का श्लोक है । ]

जैसे [ उस अप्सरा की पहुँच से अधिक ऊँचाई पर लगे हुए, अथवा उच्छृष्ट ] फूलों दो [ तोड़ कर ] देते हुए प्रिय के द्वारा अन्य अप्सरा [ गिपष ] के नाम से संदेशित की गई मानिनी अप्सरा उच्च बोली नहीं आंखों में आंसू भर कर वेवल पैर से जमीन को हुरेदती रही ।

यहां [ इन दोनों श्लोकों में श्रमशः ] 'निर्वचनं जघान' दिना हुदृ कहे मारा और 'न किञ्चिद्दूचे' हुदृ कहा नहीं इस प्रतिपेध द्वारा, व्यज्ञय अर्थ [ प्रथम श्लोक में लज्जा, अपहिता, हप्त, हृष्या, सौभाग्य, अभिमान आदि और दूसरे श्लोक में सानिशय मन्त्र सम्भार ] इसी प्रश्न में अभिधा [ उक्ति ] का ही विपय हो गया है अतः [ उपर्या ] गुणीभाव ही उचित प्रतीत होता है । और जब उक्ति के दिना तापर्य रूप में व्यज्ञय अर्थ प्रतीत होता है तब उस [ व्यज्ञय ] का प्राधान्य होता है । जैसे 'पूर्ववादिनि देवपौ' [ ४० १८१ ] इत्यादि में । यहां [ पञ्चुः 'शिरस्त्वन्द्रवज्ज्ञा' तथा 'प्रयच्छ्रुतोर्च्छैः' इत्यादि दोनों श्लोकों में ] तो वथन की लौकी से [ व्यज्ञय की प्रतीति ] है, इसलिए वार्त्य का भी प्राधान्य है । इसलिए यहां संलग्नवक्तम् व्यज्ञय व्यनि व्यपहार उचित नहीं है । [ अर्थात् यह दोनों गुणीभूत व्यज्ञय ही के उदाहरण हैं । संलग्नवक्तम् व्यज्ञय अविनि के उदाहरण नहीं है । ] ॥४०॥

१. तस्माद् दशोरित विना दी० । २. तत्र दी० । ३. अग्नि नि०

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्गं योऽपि ध्वनिरूपताम् ।

धते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ ४१ ॥

गुणीभूतव्यङ्गं योऽपि काव्यप्रकारो रसभावादितात्पर्यालोचने  
पुनर्धनिरेव सम्पृश्यते । यथात्रैवानन्तरोदाहृते 'श्लोकद्वये ।

यथा च :—

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मृजत-  
स्तवैतत्प्राणेशाजघननसनेनाश्च पतितम् ।

कठोरं स्त्रीचेतस्तदलमुपचारैर्विरम है,  
क्रियात्कल्याण वो 'हरिरनुनयेष्वेवमुदित ॥

यह गुणीभूत व्यङ्ग्य का प्रकार भी रस आदि तात्पर्य का विचार करने से  
फिर ध्वनि [ काव्य ] हो जाता है । [ संख्यकम् व्यङ्ग्य की इटि से गुणीभूत  
होने पर भी रसादि के विचार से वह ध्वनि रूप में परिणित हो सकता है । ]

गुणीभूत व्यङ्ग्य नामक काव्य का भेद रस आदि के तात्पर्य के विचार  
करने से फिर ध्वनि रूप ही हो जाता है । जैसे ऊपर उदाहृत [ पत्युः 'गिरश्वन्द-  
कला' तथा 'प्रयच्छतोष्चै' ] दोनों श्लोकों में । [ गुणीभूत व्यङ्ग्य का  
उपयोग कर रुके हैं । फिर भी उन दोनों में श्वार रस के प्रायान्य होने  
से ध्वनि काव्यत्व उत्थित ही है । ]

ओर [ दूसरा उदाहरण ] जैसे ।—

हे सुभग [ इष्टण मुक्तसे भिन्न अपनी छिसी और ] प्रायेश्वरी को  
[ सुरतोत्तरकाळ में भूल से स्वयं पारण की हुई ] इस बाली से [ मेरे ] गिरते  
हुए आसुओं को पौछने पर भी [ सौन्दर्ये-सौभाग्यादि अभिमानशालिनी यह  
चृपभाजुसुता ] राधा तुम से प्रसन्न होने वाली नहीं [ दुराराधा ] है । इती  
का वित्त [ सप्तली सम्मोगादि रूप अपमान की सहम न छर सकने वाला बहु ]  
कठोर होता है, इसलिये तुम्हारे यह सर्प [ मानापमोहन के छिप की जाने वाली  
चाढ़ रूप ] इषाय व्यर्थ है, उन्हों रहने रहे । मतामे के अवसरों [ अनुनवेषु ]  
पर [ राधा द्वारा ] इस प्रकार कहे जाने वाले इष्टण तुम्हारा बहमाय करें ।

१. द्यारंवोदाहृतेऽनतरद्वलोक्द्वये । पया च दो० । २. हरिरनुनयेष्वेव-  
मुदित नि० ।

एवं स्थिते च 'न्यकरो श्यमेष' इत्यादि श्लोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यज्ञयविशिष्टवाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद्वाक्यार्थीभूतरसापेक्षां व्यञ्जकत्वमुक्तम् । न तेषां<sup>१</sup> पदार्थानामर्थान्तरसंकमितवाच्यध्वनिभ्रमो विधातव्यः । विवक्षितवाच्यत्वात् तेषाम् । तेषु हि व्यज्ञयविशिष्टत्वं वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यज्ञयरूपपरिणतत्वम् । तस्माद्वाक्यं तत्र ध्वनिः, पदानि तु गुणीभूतव्यज्ञयानि ।

यहा सुभग विशेषण से बहुपल्लभत्व और उन अनेक स्त्रियों से अमुकत्व, ग्रन्थ स्त्री की साड़ी [जग्नवसन] के प्रत्यक्ष होने से उसका अनपहवनीयत्व तथा सप्रेम धारणीयत्व, विपक्षनायिका के प्रति कोप का श्रौचित्य, उसके छिपाने के प्रयत्न से उसके प्रति आदराधिक्य, राधा इस अरने नाम के उच्चारण से परिभवासहिष्णुत्व, दुराराधा पद से मान की दृढ़ता और अपराध की उप्रता, चित्त की कठोरता से स्वाभाविक सौकुमार्य का परित्याग सहज और प्रसादनानर्दत्व, 'उपचारै' के वहुवचन से नायक का चाढ़कगठणाटवल, 'अनुनयेषु' के वहुवचन से नायक की इस प्रकार की अवस्था की बहुलता और नायिका का सौभाग्यातिराय आदि, व्यज्ञय होने पर भी, वाच्य के ही उपरारी होते हैं इसलिए उसकी हटि से यह गुणीभूत व्यज्ञय काव्य है । परन्तु इस में ईर्ष्या विप्रलभ्म की प्रधान रूप से अभिभृत्ता हो रही है इसलिए उसकी हटि से यह ध्वनि काव्य है । इसलिए यहा भी पूर्ववत् ध्वनि श्रीर गुणीभूत व्यज्ञय दोनों का योग है ।

इस प्रकार [ ध्वनि और गुणीभूत व्यज्ञय के ग्रिय विभाग की ध्यवस्था हो जाने से ], 'न्यकरो श्यमेष' इत्यादि श्लोक में निर्दिष्ट पदों के व्यज्ञय विशिष्ट वाच्य के प्रतिपादक [ उस हटि से गुणीभूत व्यज्ञर होते ] पर भी समस्त श्लोक के प्रधान व्यज्ञय [ थोर ] रस वीर हटि से [ उससे ] ध्वनि [ व्यञ्जकरूप, ] कहा है । उन [ श्लोकों व्यञ्जक पदों ] में अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि वा अम नहीं करना चाहिए वशोकि उनमें वाच्य विवित है । [ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि, लक्षणमूल अविवित वाच्य का भेद होता है । यहा श्लोकस्थ व्यञ्जक पदों में वाच्य अविवित नहीं विवित है । अतः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि उनमें नहीं समझना चाहिए ] उनमें वाच्य अर्थ का व्यज्ञय विशिष्ट फलीत होता है । व्यज्ञय रूप में परिणतत्व

न च केवलं गुणीभूतव्यज्ञान्येव पदान्यलद्यक्रमव्यज्ञान्येवने-  
र्थञ्जकानि, यावदथोन्तरसंक्रमितवाच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि ।  
यथापैनश्लोके 'रामण' इत्यस्य प्रभेदान्तररूपव्यञ्जकत्वम् । यत् तु वाक्ये  
रसादितात्पर्यं नास्ति गुणीभूतव्यज्ञान्येवैः पदेरूद्धासितेऽपि तत्र गुणीभूत-  
व्यज्ञान्येव समुदायधर्मः ।

यथा :—

रांजानमपि सेवन्ते विषमप्युपभुजते ।  
रमन्ते च सह स्त्रीभिः कुशलाः सलु मानया ॥

इत्यादौ ।

नहीं [ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के "कदली कदली, करभः करभः, करिराजकर-  
करिराजकर." इत्यादि उदाहरणों में वाच्यार्थं व्यज्ञयरूपतया परिणत हो जाता  
है ] हसक्षिप् उस [ 'न्यक्कार' आदि ] में वाच्य [ सम्पूर्ण श्लोक ] ध्वनिरूप है  
और पद चो गुणीभूत व्यज्ञयरूप है ।

और केवल गुणीभूतव्यज्ञय पद ही असंलब्धक्रम व्यज्ञय [ रसादि ] ध्वनि  
के व्यञ्जक नहीं होते हैं अपितु अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि व्यरूप वाले पद  
भी [ रसादि ध्वनि के अभि व्यञ्जक होते हैं ] जैसे हसी श्लोक में 'रामण' हस  
[ पद ] का ध्वनि के दूसरे प्रभेद [ अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ] का [ वीर रस का ]  
व्यञ्जकव है । जहा गुणीभूत व्यज्ञय पदों से [ रसादि के ] प्रकाशित होने पर  
भी, वाच्य रसादिपर नहीं होता वहां गुणीभूत व्यज्ञयता ही सनुदाय [ वाच्य ]  
का भी घर्म होती है । जैसे :—

चतुर मनुष्य [ अर्थान्त हु साच्य ] राजा की सेवा भी कर सकते हैं,  
[ सप्त प्राण प्रियाशक ] विष भी पा सकते हैं, और [ विषाधरित वार्ली ] द्वियों  
के साथ रमण भी कर सकते हैं ।

इत्यादि में ।

यह 'राजा' की सेवा, विष का भवण, और द्वियों के साथ विषाधर अत्यन्त  
कष्ट साच्य और विषीत परिणामजनक होते हैं । इत्यादि व्यज्ञय से दिराट  
यात्र अर्थं चमक्कार मुख हो जाता है । अतः यही गुणीभूत व्यज्ञयता है ।  
यापि ही रात्र इसे अग्नि विवेद रथयों भाग की भी अभिरक्ति उन ने ही

वाच्यव्यज्ञयोश्च प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रथलो ग्रिधा-  
तव्यः । येन ध्यनिगुणीभूतव्यज्ञयोरलङ्घाराणां चासङ्कीर्णे विषय-  
सुज्ञातो भवति । अन्यथा तु प्रसिद्धालङ्घारविषय एव व्यामोहः प्रवर्तते ।  
यथा ॥—

लावण्यद्रिणव्ययो न गणितः क्लेशो महान् स्वीकृतः ३,  
३ स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः ।  
एपापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वराकी हता,  
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनिहितस्तन्यास्तनुं तन्वता ॥

इत्यत्र ४ व्याजस्तुतिरलङ्घार इति व्याख्यायि केनचित्, तन्न चतुरस्मै।  
यतोऽस्याभिधेयस्य, एतदलङ्घारस्वरूपमात्रपर्यवसायित्वे ५ न सुरिलष्टता ।

है । परन्तु उसका प्राधान्य विवक्षित न होने से पद और वाक्य दोनों ही गुणीभूत  
व्यज्ञयन्हैं ।

वाच्य और व्यज्ञप के प्राधान्य अप्राधान्य के परिज्ञान के लिए अस्यमत  
यथा करना चाहिए जिससे ध्वनि, गुणीभूत व्यज्ञप और अलङ्घारों का सङ्ग  
रहित विषय भली प्रकार से समक्ष में था जाये । [ अन्यथा तु ] उसके विना  
तो प्रसिद्ध [ वाच्य ] अलङ्घारों के विषय में ही भ्रम हो जाता है । जैसे—

[ इसके शरीर निर्माण में विवाता नै ] ज्ञातव्य सम्बिलि के द्वय की  
दिन्ता भी नहीं की, [ स्वय ] महान् कष्ट उदाया, स्वच्छन्द और सुखपूर्वक  
यैठे हुए [ सम्बन्धी ] खोगों के लिए चिन्ताग्नि प्रदीप कर दिया और अनुस्प  
वर के अभाव में यह विचारी भी मारी गई । मालूम नहीं विवाता ने इस  
सुन्दरी के शरीर की रक्षना करने में कौन लाभ सोचा था ।

इसमें व्याजस्तुति अलङ्घार है पेसो व्याख्या हिसी ने की है, वह ठीर  
नहीं है । इसके अर्थ को वेवल व्याजस्तुति के रवस्प पूर्वसाया मानने में  
वह [ इसका वाच्यार्थ ] सुसहृत नहीं होता । वयोंके यह किसी रागी [ उस  
सुन्दरी में अनुरक्त, अथवा मक्षिन वापना वाले पुरुष ] वा वितकं [ विदार-

१ तपाहि नि०, दी० । २ अन्ति नि० । ३. स्वच्छन्द अरतो जनस्य  
द्वाये चिन्ताउद्वरो निर्मित नि० सर्वोन्नत्य दी० । ४. इति । अग्र दी० ।  
५ पर्यवसायित्वेन नि० ।

यतो न तावदयं रागिण वस्यचिद्विकल्प । तस्य 'एवापि स्वयमेव तुल्य रमणाभागाद्वराकी हता' इत्येवंविधोकत्यनुपपत्ते । नापि नीरागस्य । तस्यैवंविधविकल्पपरिहारैकायापारत्वात् ।

न चाय श्लोक अप्रचित् प्रबन्ध इति श्रूयते, येन तत्प्रकरणानुगतार्थतास्य परिकल्पयते ।

तस्मादप्रस्तुतप्रश्नसेयम् । यस्मादनेन वाक्येन गुणीभूतात्मना नि सामान्यगुणावलेपाध्मातस्य निजमहिमोत्तर्यजनित समत्सरजननवरस्य

धारा ] नहीं है । उस [ अनुरागयुक्त अथवा मलिन वासना युक्त ] की [ और से ] अनुरूप पति के न मिलने से यह विचारी भी मारी गई इस प्रकार का अथवा सङ्गत नहीं जान पाता । [ क्योंकि अनुरक्त पुरुष तो अपने को ही उसके योग्य समझता है । उसके मुहूर्त स्वयं अपनी विन्दा अनुपरन्त है । और मलिन वासना वाले पुरुष की ओर से यह कारणयोक्तिं सम्भव नहीं हो सकती ] और न किसी राग रहित पुरुष की [ यह उस्ति है ] क्योंकि उस [ वीतराग पुरुष ] का इस प्रकार के [ रागनन्य ] विदेषों का परिहार ही प्रधान ध्यापार है । [ वीतराग पुरुष जगत् से अत्यन्त उदासीन होता है वह इस प्रकार के विषय का विचार भी नहीं कर सकता है ] ।

यदा निष्पल और असङ्गत धर्य करने वाले विधाता की निटा वाच्य है । उससे अनन्यसामान्य सीन्दर्यशालिनी रमणी के निर्माण कीशल की सम्मति द्वारा, व्यक्त रूप से विधाता की सुनि सूचित होने से, व्याजस्तुति दो यक्ती है । यह व्याजस्तुति मानने वाले का आशय है । पराटन करने का आशय यह है कि इसमें असाधारण सीन्दर्यशालिनी रमणी के निर्माण से जो विधाता की सुनि गम्य मानी जा सकती है, वह तभी, जब कि यह किसी अनुरक्त पुरुष की उत्ति हो । परन्तु अनुरक्त पुरुष कुम्ह दोने पर भी कामवेता में अपने को ही उसके अनुहर यमझना है उठके मुरा से 'तुल्यरमणाभाग्नाही हता' यह डकि उचित नहीं प्रतीत होती । इसलिए यदा विधाता की सुनि गम्य न होने से यह व्याजस्तुति अलद्धार नहीं है ।

और यह श्लोक दिस्ती प्रबन्ध [ काम्य ] में है, यह भी नहीं गु ॥ इसमें उस के प्रकरण के अनुहर धर्य की कल्पना की जा सके [ और उसके आधार पर व्याजस्तुति अलद्धार की सङ्गति लगाई जाय ] ।

इसलिए यह अनुरुप प्रमाणा [ अलद्धार ] है । इसीकि इस [ गुण-

विशेषज्ञमात्मनो न कञ्चिदेवापरं पश्यत् परिदेवितमेतदिति प्रकाश्यते ।  
तथा चायं धर्मकीर्ते श्लोकं इति प्रसिद्धिः । सम्भाव्यते च तस्यैव ।  
यस्मात्—

अनध्यवसितावगाहनमनल्पधीशचिना-

प्यहृष्टपरमार्थतत्वमधिकाभियोगैरपि ।

मतं भम जगत्यलन्वसदृशप्रतिप्राहकं,

प्रयास्यति पयोनिधे पय इति स्वदेहे जराम् ॥

इत्यनेनापि श्लोकेनैवंविधोऽभिप्राय प्रकाशित एव ।

भूत स्वरूप ] अप्रस्तुत वाच्य [ अर्थ ] से अलोकसामान्य [ लोकोत्तर सामादि ] गुणों के दर्शन से गर्वित, अपन [ पाणिदत्य आदि ] महिमा के उत्कर्ष से, ईर्ष्यालु प्रतिपक्षियों के मन में ईर्ष्या उवर उत्पन्न कर देने वाले और किसी को अपने [ ग्रन्थादि का ] विशेषज्ञ न समझने वाले, किसी [ धर्मकीर्ति सरीखे महाविद्वान् ] का यह निर्वेद सूचक बचत है । ऐसा प्रतीत होता है । जैसा कि यह धर्मकीर्ति भा श्लोक है । यह प्रसिद्ध भी है । [ हेमेन्द्र ने अपनी औचित्य विचार चर्चा में किया है कि लावण्यदविषय व्ययों न गणित इत्यादि 'धर्म कीर्ते' ] और उस ही का हो भी सकता है । क्योंकि—

अनश्च-प्रचुर धीशक्ति [ बुद्धि ] वाले पुरुष भी जिस मेरे दार्शनिक मत पो [ अवगाहन ] पूर्णतया समझ नहीं सकते हैं और अधिक ध्यान देन पर भी उसके रहस्य तक नहीं पहुंच पाते हैं ऐसा मेरा मत [ दार्शनिक सिद्धान्त ] सेसार में योग्य शृणीता के अभाव के कारण, अनश्च-प्रचुर धीशक्ति युक्त पुरुष भी जिस [ समुद्र-जल ] के अवगाहन का साइंस न कर सकें, और अपनत ध्यान देने पर भी जिस के रानीं को न देख सकें, ऐसे समुद्र के जल के समान अपने [ धर्मकीर्ति अथवा समुद्र के ] शारीर में ही जीर्ण हो जावेगा ।

इस श्लोक में भी हसी प्रकार [ अपने अनन्य सदृश पाणिदत्य का गर्व और योग्य शृणीता न मिलने से अपने ज्ञान के निराकार से उत्पन्न निर्वेद रूप ] का अभिप्राय प्रकट किया ही गया है ।

यहाँ परिले श्लोक में प्रथम चरण का वाच्य लावण्यदविषय वे गणना गत और बलेशातिशय रीढ़िकार से परिदेवक, धर्मकीर्ति अथवा उत्कर्ष के उत्कृष्टगुणमणिदत्तव, द्वितीय चरण के वाच्य अप्रस्तुत स्वदृश जनों क विनाशनलो-गादन से अपने अधिक अपनी कृति के उत्कर्ष के कारण प्रतिक्षर्षी विद्वानों में

अप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्द्विवक्षितत्वं, कदाचिद्-  
विवक्षितत्वं, कदाचिद्द्विवक्षिताविवक्षितत्वमिति ब्रथी वन्धच्छ्राया । तेव्र  
विवक्षितत्वं यथा—

परार्थे यः पीडामनुभवति [भङ्गे] इपि मधुरो,  
यद्रीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।  
न, संप्राप्तो वृद्धि यदि स भृशमज्जेत्रपतितः,  
किमिचोर्देषोऽसी न पुनरगुणाया मरुमुवः ॥

‘इष्टोऽद्वयन रूप श्रीर तृतीय चरण के बाच्य अप्रस्तुत तुल्यरमणमागद्धरमी हता  
आदि से सर्वाधिकमन्यत्व श्रीर विधाता के तन्मीनिमाण निष्कलत्व रूप, चतुर्थ  
चरण के अप्रस्तुत वाच्य से अपने अथवा अपनी कृति के निर्माण के निष्कलत्व से  
निर्वेद रूप प्रस्तुत की प्रतीति होने से ‘अप्रस्तुतात्यख्यतं चेद् गम्यते’ इत्यादि रूप  
अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है ।

अगला अनध्यवसितावगाहन आदि श्लोक भी धर्मस्तीर्ति का श्लोक है ।  
उसमें भी इसी प्रकार का निर्वेद अभिव्यक्त होता है । ‘धर्मस्तीर्ति वौद् दार्शनिक  
हुए हैं । उनके ‘प्रसाण वार्तिक’ श्रीर ‘न्याय यिन्दु’ प्रत्य वौद् न्याय के उत्कृष्ट  
प्रत्य है श्रीर अत्यन्त प्रतिष्ठित है । इस श्लोक में उन्होने इस बात पर दुःख प्रकट  
किया है कि उनके मत को यथार्थ रूप में समझने वाला बोहे नहीं मिलता है ।  
योग्य समझ सकने वाले विद्वान् के अभाव में उनका मन समुद्र के पानी के समान  
उनके भीनर ही पहा-पहा जग को प्राप्त हो जायगा । इस श्लोक के समानार्थ ही  
पूर्णोक लालण्डादि श्लोक भी धर्मस्तीर्ति का ही श्लोक प्रतीत होता है श्रीर उसमें  
अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार ही मानना उचित है । व्याजस्तुति मानना ठीक नहीं है ।

अप्रस्तुत प्रशंसा में जो वाच्य होता है वह कहीं [उपर्यमान होने से]  
विवित, कहीं [प्रत्युपर्यमान होने से] अविवित श्रीर कहीं [र्द्धपतः उपर्य-  
मान होने से] विविक्षितविवित होता है । इस प्रकार तीन प्रकार की रचना-  
रौद्री होती है । [अप्रस्तुतप्रशंसा के पांच भेदों में मे अविवित मुख्य अप्रस्तुत  
मे गुरुद्वय प्रस्तुत की प्रतीति रूप जो पद्धम भेद है उसके ही वह तीन भेद होते  
हैं । योप चारों के नहीं] उसमें मे [वाच्य अप्रस्तुत] के विविताएँ का [ददाहरण]  
जैसे—

[‘परार्थे यः पीडा’ इष्टादि इष्टोऽप्यपम उपर्यमान में १४८ पर आ

### यथा वा ममैव—

अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपा , सफलता  
 भवत्येषा यस्य शशमुपगताना विपयताम् ।  
 निरालोके लोके कथमिदमदो चज्जुरधुना,  
 सम ज्ञातं सर्वेन समस्थवान्यैरवयवै ॥

अनयोहि द्वयोः श्लोक्योरिज्जुचज्जुपी विवक्षितस्वरूपे एव, न च प्रस्तुते । महागुणस्याविपयपतितत्प्रादप्राप्तप्रभागस्य कस्यचित्स्वरूपमुख्यं वित्तु द्वयोरपि श्लोकयोस्तात्पर्येण प्रस्तुतत्प्रान् ।

### अविवक्षितत्त्वं यथा—

चुका है । यहा स उसका अर्थ देखो । यहा अप्रस्तुत विवक्षित घाच्य इच्छु पद से प्रस्तुत महागुणरूप की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशस्ता अलङ्कार है और वाच्यार्थ भी उपपदमान होने से विवक्षित है । ]

### अथवा जैस मरा ही—

यह जो सुन्दर आकृति वाले [ मनुष्यों के हाथ, पैर, मुख आदि अवयव ] दियाई देते हैं इन [ अहों ] की सफलता निस [ चज्जु ] वे शशमात्र को विपय होने [ दियाई देने के ] कारण होती है, आशर्चर्य है कि [ इस समय ] इस अन्धकारमय जगत् में वह चज्जु भी कैसे अन्य सब अवयवों के समान [ अर्थ ] अपग्र समान भी नहीं [ अपितु उन से भी गहरे थीती ] हो गई है । [ क्योंकि अन्धकार में भी हाथ, पैर आदि अवयवों से काम लिया जा सकता है परन्तु चज्जु लो यिलकुल ही थेकार है । यहाँ अप्रस्तुत चज्जु से इसी अत्यन्त हुशाल महागुणरूप की, निरालोक विवेकहीन स्वामी आदि के सम्बन्ध से अन्य अवयवों के सम्म से कार्यान्वय आदि प्रस्तुत की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशस्ता है और उसमें वाच्यार्थ, उपपद्म होने से विवक्षित है । ]

इन दोनों [ 'परार्थे य पीटा०' हृष्यादि तथा 'अमी ये०' हृष्यादि श्लोकों ] में इच्छु और चज्जु दोनों विवक्षित स्वरूप और अप्रस्तुत हैं । अस्थान [ चिरुण स्वामी आदि ] के सम्बन्ध से उल्लंघन को प्राप्त न हो सूक्ष्मे वाले

कस्त्वं भोः । कथयामि दैवहृतकं भां विद्धि शाखोटकं,  
वैराग्यादिव वच्चि, साधु विदितं, कस्मादिदं कथयते ।  
वामेनान्न घटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते,  
न च्छायाऽपि - परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे ॥

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युक्ती सम्भवत इत्यविवक्षिता-  
भिधेयेनैवानेन श्लोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपवर्तिनो निर्धनस्य कस्यचिन्म-  
नस्विनः परिदेवितं तात्पर्येण वाक्यार्थीकृतमिति प्रतीयते ।

**विवक्षितत्वाविवक्षितत्वं यथा—**

उप्पहजाआए असोहिणीएँ फलुसुमपत्तरहिआए ।  
वेरीएँ घइं देन्तो पामर हो ओहसिजिजहासि ।

किसी महा गुणवान् पुरुष के स्वरूप की प्रशंसा के लिए ही दोनों श्लोक तात्पर्य  
रूप से प्रस्तुत हैं । [अप्रस्तुत इच्छा तथा चक्षु से प्रस्तुत महाउरप की प्रशंसा  
करना ही दोनों श्लोकों का तात्पर्य है अत यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है  
और इच्छा, चक्षु दोनों विषयित हैं ] ।

**अविवक्षित वाच्य [ का उदाहरण ] जैसे—**

अरे तुम कौन हो ? यताता हूँ, मुझे भाग्य का मारा [ अमागा ]  
शाखोट [ सिद्धोरा नामक वृक्ष विरोप ] जानो । कुछ वैराग्य से कह रहे ही ऐसा  
जान पड़ता है । ठीक समझे । ऐसे क्यों कह रहे हो [ क्या बात है ] । यहाँ से  
यहाँ [ रास्ते से हट कर उत्तरी ] थोर बहा यह का रुण है । परिक लोग [उसके  
नीचे लेटने, बैठने, रोटी बनाने, सोने आदि में] सब भक्त से उसका सहारा लेते  
हैं और ठीक रास्ते में रुदा होने पर भी मेरी छाया से भी फिसी का उपकार  
नहीं होता । [ इसी बात का मुझे हुए है ] ।

तृष्ण विरोप [ शाखोट ] के साथ प्रस्तोत्तर नहीं हो सकते हैं इसकिए  
अविवक्षित वाच्य [जिसका] याच्य अप्रस्तुत अर्थ शाखोट और प्रस्तोत्तर परिक आदि  
अर्पणविवक्षित नहीं हैं ] इस रसोफ में सगृद हुए पुरुष के समीप रहने वाले फिसी  
निर्धन मनस्वी पुरुष के हुए गोदागार हो को तात्पर्य रूप से याच्यार्थ बनाया है ऐसा  
प्रतीत होता है ।

**विवक्षिताविवक्षित [ वाच्य अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण ] जैसे—**

मुमां [ दमरे पच में नीच खुल ] में बापन्न हुई, कुरुप [ वृक्ष पथमें

[ उत्पथजाताया अशोभनायाः फलकुसुमपत्रहितायाः ।  
 वदर्या वृत्ति ददत् पामर भो अवहसिष्यसे ॥ इतिच्छाया ]  
 अत्र हि वाच्यार्थो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवी ।  
 तस्माद्वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये ॥४१॥  
 गुणप्रधानभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्थैवं व्यवस्थिते ।  
 काव्ये उभे ततोऽन्यद्यत् तच्चित्रमभिधीयते ॥४२॥  
 चित्रं शब्दार्थमेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् ।  
 तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम् ॥४३॥

कंटीजी और स्त्री पक्ष में यदसूरत ], फल, फूल और पत्रों से रहित [स्त्री पक्ष में सन्तान आदि से रहित ], वेरी [ दूसरे पक्ष में ऐसी किसी स्त्री ] की बाड़ लगाते हुए [ स्त्रीपक्ष में उसकी रक्षा करते या घर में बसाते हुए ] और मूर्ख तेरा सब लोग उपहास करेंगे ।

यहाँ [ अप्रस्तुत वेरी की बाड़ लगाना अनुचित होने से वाच्य विविहित, और प्रस्तुत स्त्री पक्ष में किसी प्रशार वृत्ति शरण-देना या घर में बसाना आदि रूप से उपयोगी होने से वाच्य विविहित हो सकता है । इस प्रकार विविहिताप्रिविहित वाच्य अप्रस्तुत प्रशासा का उदाहरण है ] वाच्य न संभवी है और न अस्यन्तं असम्भवी है ।

इसलिए वाच्य और व्यङ्ग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य वा यथार्थक निरोक्त्य करना चाहिए ॥४४॥

इस प्रकार व्यनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के निरूपण वा उपराहरण कर आय आगे काव्य के तीसरे भेद चित्र काव्य भा निरूपण प्रारम्भ करते हैं ।

#### चित्रकाव्य निरूपण—

इस प्रकार व्यङ्ग्य के प्रधान और गुणभाव से स्थित होने पर यह द्विनों [ व्यनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य ] काव्य होते हैं । और उन से भिन्न जो [ काव्य ( रह जाता ) ] है उसे [ चित्र के समान काव्य के लालिक व्यङ्ग्यस्प से विहीन उन्दोषद काव्य की प्रतिष्ठिति के समान होने से ] चित्र [ काव्य ] कहते हैं ।

१. नि०, दी० में 'न चासम्भवी' इतना पाठ नहीं है ।

व्यङ्ग्यस्थार्थस्य प्राधान्ये १८ अनिसज्जितकाव्यप्रकार , गुणभावे तु गुणीभूतव्यङ्ग्यता । ततोऽन्यद्रसभावादितात्परहित व्यङ्ग्यार्थविशेषप्रका  
शनशक्तिशून्य च काव्य केवलवाच्यगचकरैचित्यमात्राथेयेषोपनि  
वद्वमालेख्यप्रख्य यदाभासते तधिग्रम् । न तन्मुख्य काव्यम् । काव्यानु  
कारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छब्दचित्र यथा दुष्करयमकादि । वाच्यचित्र  
तत शब्दचित्रादन्यद् व्यङ्ग्यार्थसस्पर्शरहित, प्राधान्येन वाक्यार्थतया  
स्थित रसादितात्परहितमुत्प्रेक्षादि ।

शब्द और अर्थ के भेद से चित्र [ काव्य ] द्वा प्रकार का होता है ।  
इनमें से कुछ शब्द चित्र होते हैं और उन [ शब्द चित्र ] से भिन्न अर्थचित्र  
[ कहलाते ] हैं ।

व्यङ्ग्य अर्थ का प्राधान्य होन पर अनि नाम का काव्य भेद [ होता है ]  
और गौण होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्यस्य होता है । उन [ अनि तथा गुणीभूत  
व्यङ्ग्य दोनों ] से भिन्न रस भाव आदि में तात्पर्य स रहित और व्यङ्ग्यार्थ विशेष  
के प्रकाशन की शक्ति से रहित, केवल वाच्य वाचक [ अर्थ और शब्द ] के  
वैचित्र्य के आधार पर निमित जो काव्य आनेत्रय [ चित्र ] के समान [ तात्पर्यक  
रूप रहित प्रतिकृति मात्र ] प्रतीत होता है उस को चित्र [ काव्य ] कहत हैं ।  
वह मुख्य रूप से [ यथार्थ ] काव्य नहा है अपिनु काव्य की अनुकृति [ नक्कल ]  
मात्र है । उनमें से कुछ शब्द चित्र होते हैं जैसे दुष्कर यमक आदि । आंतर अर्थ  
चित्र शब्दचित्र से भिन्न, व्यङ्ग्य सस्पर्श रहित रसादि तात्पर्य स शून्य,  
प्रधान वाक्यार्थ रूप से स्थित उत्प्रेक्षा आदि [ अर्थचित्र या वाच्यचित्र ] होता है ।

'चित्र काव्य' को रसादि तात्पर्य रहित और व्यङ्ग्यार्थविशेष के प्रकाशन  
की शक्ति से शून्य कहा है । यह दोना विशेषण रसादि के अविविक्तत्व और  
व्यङ्ग्यार्थ विशेष के अविविक्तत्व को मान कर ही सहज होंगे । वैसे तो प्रयेक  
पदार्थ का काव्य में किसी न किसी रस से कुछ न कुछ सम्बन्ध होगा ही है ।  
क्योंकि आत्म विभावत्व तो सभी पदार्थों में आ सकता है । इसलिये उनमें  
सर्वप्रथा रसादि रहित होना सम्भव नहा है । इसलिये रसादि तात्पर्य रहित का अर्थयदी  
है कि व्यङ्ग्य अर्थ होने पर भी यदि वह विवित नहीं है तो 'चित्र काव्य' होगा ।  
इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थावशेषप्रधान शक्ति शून्यता भी व्यङ्ग्य वस्तु आदि के  
अविविक्त होने पर ही उम्मनी चाहिये ।

अथ किमिदं चित्रं नाम ? यत्र न प्रतीयमानार्थं संस्पर्शः । प्रतीयमानो हार्थस्त्रिभेदः पाक् प्रदर्शितः । तत्र, यत्र वस्त्रलङ्घारान्तरं वा व्यङ्ग्यं नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतो विषयः । यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव । यस्माद्वस्तु संसर्शिता काव्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद् रसस्य भावस्य धाङ्गत्वं प्रतिपद्यते, अन्ततो विभावत्येन । चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः । न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद् यत्र चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति । तदनुत्पादने या कविविषयतैव तस्य न स्यात् । कविविषयश्च चित्रतया कर्शिचन्निरूप्यते ।

[पूर्वपक्ष] अच्छा यह 'चित्र काव्य' क्या है ? जिस में प्रतीयमान [व्यङ्ग] अर्थ का सम्बन्ध न हो ? [उसी को चित्र काव्य कहते हैं, न ?] प्रतीयमान अर्थ [वस्तु, अलङ्घार और रसादि रूप] तीन प्रकार का होता है यह यात पहिले प्रतिपादन कर चुके हैं । उनमें से जहाँ वस्तु अवया अलङ्घारादि व्यङ्गय न हो उसको उसे 'चित्र काव्य' का विषय भले ही मान लो । [परन्तु] जो रसादि का विषय न हो ऐसा कोई काव्य भेद सम्भव नहीं है । क्योंकि काव्य में किसी वस्तु का संस्पर्श [पदार्थ योगत्व] न हो यह युक्तिसदृत नहीं है । और संसार की सभी वस्तुएँ किसी रस या भाव का अङ्ग अवश्य ही बन जाती है [अन्य रूप से रस सम्बन्ध न सम्भव हो सके तो भी] अन्ततः विभाव रूप से [प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी रस से सम्बन्ध हो हो जाता है] रसादि [के अनुभगात्मक होने से और अनुभव के चित्तवृत्ति रूप होने से] चित्तवृत्ति विशेष रूप ही है । और [संसार में] ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी प्रकार की चित्तवृत्ति को उत्पन्न न करे । अथवा यदि यह [वस्तु] उस [चित्तवृत्ति] को उत्पन्न नहीं करती है तो वह किं का विषय ही नहीं हो सकती है । [क्योंकि सांख्य, योग आदि दर्शनों के सिद्धान्त में इन्द्रिय प्रणालिका अर्थात् ओऽग्र आदि द्वारा चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध होने पर चित्त का अर्थात् योग परिणाम होता है उसी को चित्तवृत्ति कहते हैं] और उसी में पुरुष को योग होता है । चित्तवृत्ति प्रमाण अर्थात् प्रभा का सामग्री रूप हीती है और उससे पुरुष को जो योग होता है वही प्रभा या उमड़ा फल कहलाता है । इसी को ज्ञान बहते हैं । इसलिए यदि चित्तवृत्ति उत्पन्न न हो तो उस

अग्रोच्यते । सत्य न ताद्वक् काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीना  
मप्रतीति १ । किन्तु यदा रसभावादिविवक्षाशून्य कवि शब्दालङ्कार-  
मर्यालङ्कार वोपनिषद्भास्ति तदा तद्विवक्षापेहया रसादिशून्यतार्थस्य  
परिकल्प्यते । प्रियक्षोपाखड़ एव हि काव्ये शब्दानामर्थ । वाच्यसामर्थ्य  
वशेन च कविविवक्षाविरहेऽपि तथाविधे निषये रसादिप्रतीतिर्भवन्ती  
परिदुर्बला नवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो  
व्यवस्थाप्यते । तदिदमुक्तम्—

रसभावादिविषयनिवक्षापिरहे सति ।  
अलङ्कारनिवन्धो य स चित्रग्रिषयो मतः ॥  
रसादिपु विवक्षा तु स्यात्तात्पर्यवती यदा ।  
तदा नास्त्येव तत्काव्य धनेर्यन्तः न गोचर ॥

एतच्च चित्र कर्मीना विशृद्धलगिरा रसादितात्पर्यमनपेद्यैष काव्य

पदार्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता है । अत वह कवि का ज्ञान का निषय नहीं  
हो सकती है । ] कवि का विषय [भूत] कोई पदार्थ ही चित्र [काव्य, कवि कर्म]  
कहलाता है ।

[सिद्धान्त पृष्ठ] ठाक है, ऐसा कोई काव्य प्रकार नहीं है जिसमें रसादि  
की प्रतीति न हो । किन्तु रस, भाव आदि की विवक्षा से रहित कवि, जब  
अर्थालङ्कार अथवा शब्दालङ्कार की रचना करता है तब उसकी विषया की दृष्टि  
से [काव्य में] रसादिशून्यता को वर्णना करते हैं । काव्य म विवित अर्थ ही  
शब्द का अर्थ होता है । उस प्रकार के [चित्र काव्य] के विषय म कवि की  
[रसादि विषयक] विषया न हाने पर भी यदि रसादि की प्रतीति होती है तो वह  
दुर्बल होती है इसलिए भी उसको नीरस मान कर चित्र काव्य का विषय माना  
है । सो ऐसा कहा भी है—

रस, भाव आदि की विवक्षा के अभाव में जो अलङ्कारों का रचना है  
वह चित्र [काव्य] वा विषय माना गया है ।

और जब रस भाव आदि की तात्पर्य रूप [प्रधान रूप] स विषय हो  
तथ पेरसा कोई काव्य नहीं हो सकता है जो भवनि का विषय न हो ।

विशृद्धलगिरा वाणी पाले कवियों को, रसादि में तात्पर्य की अपेक्षा किए चिना

प्रपृत्तिदर्शनादस्माभि. परिकल्पितम् । इदानीन्तनानां तु न्याये काव्य-  
नयव्यवस्थापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्यप्रकारः ।  
यतः परिपाकवता कवीना रसादितात्पर्यविरहे व्यापार एव न शोभते ।  
रसादितात्पर्ये च नास्त्येव तद्वस्तु यदभिमतरसाङ्गता नीयमानं न प्रगुणी  
भवति । अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचितरसविभावतया<sup>१</sup> चेतन-  
वृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्गताम् । तथा  
चेद्मुच्ते—

आपारे काव्यसंसारे कविरेकं प्रजापति ।  
यथास्मै रोचते विश्व तथेदं परिवर्तते ॥  
शृङ्गारी चेत्कवि. काव्ये जात रसमयं जगत् ।  
स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत् ॥  
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनयत् ।  
व्यवहारयति यथेष्टु सुरुवि काव्ये स्वतन्त्रतया ॥

ही काव्य [रचना की] प्रवृत्ति देख । से ही हमन इस चित्र [काव्य] की कल्पना  
की है । उचित काव्यमार्गं का निपारण कर दिए जाने पर [ध्वनि प्रस्थापन  
के याद के] आधुनिक कवियों के लिए तो ध्वनि में भिन्न और कोई काव्य प्रकार  
है नहीं । रसादि तात्पर्ये के बिना परिपाकवान् कवियों वा व्यापार ही  
शोभित नहीं होता । [प्रत्यदानि स्यजन्त्येव परिपृत्तिमहित्युताम्, सं शब्दस्यार-  
निष्याताः शब्दपाकं प्रचक्षते ॥ रसादि वीरा इटि स उचित शब्द और अर्थ की,  
जिसमें एक भी शब्द को इधर उपर अर्थपा परिवर्तन करने का अवशाय न  
हो—इस प्रवार की रचना का जिन्होंने अभ्यास हो गया है यह कवि परिपाक-  
युक्त कवि होते हैं] । रसादि [मे] तात्पर्य होन पर तो कोई धमनु ऐसो  
नहीं है जो अभिमत रस का अङ्ग बनान पर धमन न ढटे । [प्रशास्त्रयुक्त  
न हो जाय] । अचेतन पदार्थ भी कोई ऐस नहीं हैं जा हि दंग में, उचित रस  
के बिभाग रूप से अपवा [उनके साथ] जैनम् व्यवहार के सम्बन्ध डारा रस का  
अङ्ग न यन सके । जैसा कि यहाँ भी ह—

अनन्त काव्य जगत् में [इससा निमोंता] केवल कवि ही एव प्रजापति  
[वहा] है । उसे जैसा अख्यालगता दंग पर विश्व दमा प्रकार वदल जाता है ।

तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मना रसतात्मयं प्रत कवेस्तदिच्छया  
तदभिमतरसाङ्गता न वर्ते । तथोपनिषद्यमान वा न चारुत्वानिशयं  
पुष्णाति सर्वमेतच महाकवीनां काव्येषु हश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्य  
प्रबन्धेषु यथायथ दर्शितमेव । स्थिते चैव सर्वं एव काव्यप्रकारो न ध्यनि  
धर्मतामतिपतति । रसाद्यपेक्षाया कवेगुणीभूतव्यज्ञचलक्षणोऽपि प्रकार  
स्तद्वतामपलम्बते, इत्युक्तं प्राक् ।

यदा तु चादुपु देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवरथानं,  
हृदयप्रतीषु च <sup>१</sup>सप्रक्षरुगाथासु कासुचिद् व्यज्ञच्चिष्ठवाच्ये<sup>२</sup>  
प्रावन्य तदपि गुणीभूतव्यज्ञयस्य ध्यनिभ्यन्दभूतत्वमेवेत्युक्तं प्राक् ।  
तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशो क्रियमाणे प्रायमिकानामभ्यासा  
र्थिना यदि पर चित्रेण व्यवहार । प्राप्तपरिणतीनान्तु ध्यनिरेव काव्य-  
मिति स्थितमेतत् ।

यदि कवि इसिक [ शङ्कार प्रधान ] है तो यह सारा जगत् रसमय  
[ शङ्कारमय ] हो जाता है और यदि वह वैरागी है तो यह वह सब ही नीरस हो  
जाता है ।

सुकनि [ अपने ] काव्य म अचेतन पदार्थों को भी चेतन के समान और  
चेतन पदार्थों को भी अचेतन के समान जैसा चाहता है जैसा व्यवहार करता  
है ।

पूर्ण रूप से रस में तत्पर कवि की ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती है  
जो उसकी इच्छा से उसके अभिमत रस का अङ्ग न बन जाय अथवा इस प्रकार  
[ रसाङ्गतया ] उपनिषद् ही कर चारुत्वातिशय को पोषित न करे । यह सब  
कुछ, महाकवियों के काव्यों म इष्टिगोचर होता है । हमने भी अपने काव्य  
प्रबन्धों [ विषमयाणलीला शुरुनवरित और देवीशतक आदि ] में उचित रूप  
से दियाया है । इस प्रकार [ सब पदार्थों का रस के साथ सम्बन्ध ] स्थित हो  
जाने पर [ सर्वं पव ] कोई भी काव्य प्रकार अनिस्तुता का अतिरिक्त मण नहीं  
करता । कवि को रसादि की अपेक्षा होने पर गुणीभूतव्यज्ञय रूप भेद भी इस  
[ ध्यनि ] का अङ्ग बन जाता है, यह पहिले कदम्बुके है ।

जय राजा आदि की स्तुतियों [ चादु, खुशामद, राजादि की स्तुति ]

१ इत्युक्त निं० में नहीं है । २ षड्प्रज्ञादिगायात्रु निं०, पट प्रज्ञादि  
गायासु दी० ३ व्यज्ञप्रविशष्टव्याच्यात निं०, दी० ।

तदयमत्र संग्रहः—

यस्मिन् ररो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते । १

संवृत्याभिहित १ वस्तु यत्रालङ्कार एव वा ॥

काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यञ्जयप्राधान्यैकनिवन्धन २ ।

सर्वत्र तत्र विषयी झेयः सहृदयैर्जनैः ॥४३॥

सगुणीभूतव्यञ्जनैः सालङ्कारेः सह प्रभेदैः स्वैः ।

सङ्करसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥४४॥

अथवा देवताओं की स्तुतियों में रसादि की अङ्गरूप से [ भावरूप से ] स्थिति हो, और [ प्राकृत कवियों की गोठी में हित्रश्वललिया नाम से प्रसिद्ध विशेष प्रकार की ] हृदयवती [ अमक ] सहदयों [ 'सप्रशक्ता सहदया उच्यन्ते' हृति खोचनम् ] की किन्हीं गाथाओं में व्यञ्जय विशिष्ट वाच्य में प्राधान्य हो तब भी गुणीभूतव्यञ्जय, ध्वनि की विशेष धारा रूप ही होता है यह बात पहिले कह आए हैं । [ दीधितिकार ने सप्रशक्त की जगह पट्टमज्जक पाठ माना है—'मर्मार्पिंकाममोरेषु लोकतत्वार्थयोरपि । पट्टमु प्रज्ञास्ति यस्योर्च्चै पट्टमज्ज हृति संस्मृत ॥' हृति त्रिकाएड शेषः । ] हृस प्रकार [ ध्वनि के ही प्रधान होने पर ] आधुनिके विषयों के लिए काध्यनीति का उपदेश [ शिराण ] करने में [ स्थिति हृस प्रकार है कि ] यदि [ आवश्यकता हो तो ], केवल अभ्यासार्थी भले ही 'चित्र काव्य' का व्यवहार कर लें, परन्तु परिपक्व [ सिद्धहस्त ] कवियों के लिए तो ध्वनि ही [ पूर्कमात्र ] काव्य है यह सिद्ध हो गया ।

इसलिए हृस विषय में यह [ सारांश ] संग्रह हुआ —

जिस काव्य मार्ग में रस अथवा भाव, तात्पर्य [ प्रधान ] रूप से प्रकाशित हों अथवा जिसमें गोप्यमान रूप [ कामिनी लुच कलशामन् सौम्यदूर्यातिशय हेतु से ] से वस्तु अथवा अलङ्कार प्रकाशित हों, उन सब में केवल व्यञ्जय के प्राधान्य के कारण सहृदयजन, ध्वनि को विषयों [ तीनों प्रकार की ध्वनि जिसका विषय है पेसा ] अथवा प्रधान समझें ॥४३॥

अलङ्कारों सहित गुणीभूत व्यञ्जयों के साथ, और अपने भेदों के साथ सङ्कर तथा संगृहि से [ ध्वनि ], भिन्न अनेक प्रकार का प्रकाशित होता है ।

१ संवृत्याभिहितो वा० प्रि० । २. ध्वनेव्यञ्जय प्राधान्यंहनिवन्धन नि०, दी० ।

तत्त्व च ध्वने स्वप्रभेदै , गुणीभूतव्यज्ञचेन , वाच्यालङ्कारैरेच  
सङ्करसंसृष्टिव्यवस्थायां क्रियमाणाया वहुप्रभेदता लक्ष्ये दृश्यते । तथाहि  
स्वप्रभेदसङ्कीर्ण , स्वप्रभेदसंसृष्टो , गुणीभूतव्यज्ञचसङ्कीर्णो , गुणीभूत-  
व्यज्ञशसंसृष्टो , वाच्यालङ्कारान्तरसङ्कीर्णो , वाच्यालङ्कारान्तरसंसृष्टो ,  
संसृष्टलङ्कारसङ्कीर्ण , संसृष्टालङ्कारसंसृष्टेति वहुधा ध्वनि प्रकाशते ।

उस ध्वनि के अपने भेदों के साथ, गुणीभूत व्यज्ञय के साथ, और  
वाच्यालङ्कारों के साथ, सङ्कर और संसृष्टि [ दो या अधिक भेदों की परस्पर  
निरपेक्ष स्वतन्त्र रूप से एक जगह स्थिति को संसृष्टि कहते हैं । और अङ्गाङ्गि-  
भूत आदि रूप में स्थिति होने पर सङ्कर होता है । सङ्कर के 'अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर',  
'एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर' और 'सन्देहसङ्कर' यह तीन भेद होते हैं] की व्यवस्था  
करने पर लक्ष्य [कार्यों] में बहुत भेद दिखाई देते हैं । इस प्रकार १—अपने  
भेदों [ ध्वनि के मुख्य भेदों ] के साथ सङ्कीर्ण [विविधसङ्कर युक्त] २—अपने  
भेदों के साथ संसृष्टि, [अनपेक्षतया स्थित] ३—गुणीभूत व्यज्ञय के साथ सङ्कीर्ण,  
४—गुणीभूत व्यज्ञय के साथ संसृष्टि, ५—वाच्य अन्य अलङ्कारों के साथ  
सङ्कीर्ण, ६—वाच्य अन्य अलङ्कारों के साथ संसृष्टि, ७—संसृष्टि अलङ्कारों के  
साथ सङ्कीर्ण, ८—संसृष्टि अलङ्कारों के साथ संसृष्टि इस रूप में यहुत प्रकार का  
ध्वनि प्रकाशित होता है ।

लोचनकार के अनुसार ध्वनि के ३८ भेदों की गणना ।—

लोचनकार ने द्वितीय उग्रोत की ३१ वीं कारिका तथा तृतीय उच्चोत की  
इस तैतालीसवीं कारिका की व्याख्या करते हुए दो जगह ध्वनि के प्रभेदों की  
गणना की है । पहिली जगह 'एव ध्वने प्रभेदान् प्रतिपात्र' इस मूल ग्रन्थ की  
व्याख्या करते हुए ध्वनि के पैंतीस भेदों की गणना इस प्रकार की है ।—

'अविद्वितवाच्यो विविद्वितान्यपरवाच्यरचेति द्वौ मलमेदौ । आद्यस्य द्वौ  
भेदौ, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्योऽर्थान्तरसत्रमितवाच्यश्च । द्वितीयस्य द्वौ भेदौ,  
अलद्यकमोऽनुरणनस्पश्च । प्रथमोऽनन्तभेद । द्वितीयो द्विविध, शब्दशक्ति-  
मूलोऽर्थशक्तिमूलश्च । पश्चिमस्त्रिविध कविप्रौढोऽस्त्रिकृतशरीर, कविनिरद्ववकृ-  
त्रौढोऽस्त्रिकृतशरीर, स्वत सम्पर्यी च । ते च प्रयेक व्यङ्गश्चयुक्तयोऽप्त-  
भेदनयेन चतुर्थेते द्वादशप्रियोऽर्थशक्तिमूल । आद्याश्वत्वारो भेदा इति योद्यु  
मुख्यभेदा । ते च पदवाक्यप्रकाशत्वेन प्रत्येक द्विविधा वद्यन्ते । अलद्यकमस्य  
तु वर्णपदवाक्यसङ्कराप्रवर्थप्रकाशयत्वेन पञ्चविंशद् भेदा ।'

अर्थात् ध्वनि के अविद्वितवाच्य [ लक्षणमूल ] और विविद्वितान्य-

परवाच्य [ अभिधामूल ] यह दो मूल भेद हैं। उनमें से प्रथम अर्थात् अविवक्षित वाच्य के अर्थान्तरसंक्षिप्तवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य यह दो भेद होते हैं। द्वितीय अर्थात् विवक्षितान्यपरवाच्य [ अभिधा मूल ] ध्वनि के असंचयकमव्यञ्जय और संलक्षणकमव्यञ्जय यह दो भेद होते हैं। इनमें से प्रथम असंलक्षणकमव्यञ्जय [ रसादि ध्वनि ] के अनन्त भेद हैं। इसलिए वह सब मिला कर एक ही माना जाता है। दूसरे अर्थात् सलक्षणकमव्यञ्जय के शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इस प्रकार दो भेद होते हैं। इनमें से अन्तिम अर्थात् अर्थशक्तिस्तुदभव ध्वनि के स्वतःसम्भवी, कविग्रीढोकिसिद्ध तथा कविनिवदवक्तृग्रीढोकिसिद्ध यह तीन भेद होते हैं। इन तीनों भेदों में से प्रत्येक व्यञ्जय और व्यञ्जक दोनों में उच्चभेद [ वस्तु और अलङ्कार ] नीति से चार भेद होकर कुल बारह प्रकार का अर्थशक्तिस्तुदभव ध्वनि होता है। इन बारह भेदों में से पहिले चार भेद अर्थात् अविवक्षित वाच्य के दो भेद तीसरा असंलक्षणकमव्यञ्जय और चौथा शब्दशक्तिस्तुदभव भेद मिला देने से बारह और चार मिल कर सोलह भेद हुए। यह सब पदगत और वाक्यगत होने से दो प्रकार के होकर ३२ भेद हुए। असंलक्षणकमव्यञ्जय पद और वाक्य के अतिरिक्त वर्ण, सहृदयता तथा प्रबन्ध में भी प्रकाश्य होने से उसके तीन भेद और जुड़ कर ध्वनि के कुल ३५ भेद हो जाते हैं। इनमें जहाँ 'व्यञ्जयव्यञ्जकयोषकभेदनयेन चतुर्थेति' लिखा है वहाँ कुछ पाठ भ्रष्ट हो गया जान पड़ता है।

### काम्यप्रकाश कृत ४१ ध्वनिभेद :—

जहाँ लोचनकार ने ध्वनि के कुल ३५ भेद माने हैं, वहाँ काम्यप्रकाश ने ५१ शुद्ध भेदों की गणना की है। उनकी गणना की शैली इस प्रकार है :—

अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भरेद् ध्वनी ।

अर्थान्तरे सक्षिप्तमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ॥ २४ ॥

विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः ।

कोऽप्यलक्षणकमव्यञ्जयो लक्षण्यन्यज्ञयकमः परः ॥ २५ ॥

रसाद्यवतद्यभासभावशान्त्यादिकमः ।

मिलो रसाद्यलङ्कारादलङ्कार्यतया स्थितः ॥ २६ ॥

अनुस्वानाभसंलक्षणकमव्यञ्जयस्थितिस्तु यः ।

राज्याद्योभयशक्त्यस्तिर्धा स क्षितो ध्वनिः ॥ २७ ॥

अलङ्कारोऽथ वस्त्येष शब्दाद्यत्रावभासते ।  
 प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्ययुद्भवो दिधा ॥ २८ ॥  
 अर्थशक्त्युद्भवोऽप्यथो व्यञ्जकः सम्भवी स्वतः ।  
 प्रौढोक्तिमात्रासिद्धो वा कवेस्तेनोभितस्य वा ॥ २९ ॥  
 वस्तु वालङ्कृतिवेंति पद्मेदोऽसौ व्यनक्ति यत् ।  
 वस्त्वलङ्कारमथवा तेनाय द्वादशात्मकः ॥  
 शब्दार्थोभयभूरेकः, भेदा आषादशास्य तत् ।  
 रसादीनामनन्तत्वाद् भेद एको हि गणयते ॥

अर्थात् अविवक्तितगात्र्य में अर्थान्तरसकमित वाच्य तथा अत्यन्त-  
 तिरस्कृत वाच्य यह दो भेद और विवितान्यपर वाच्य में शब्दशक्त्ययुत्य के  
 वस्तु, अलङ्कार रूप दो भेद, अर्थशक्त्ययुत्य के वारह भेद, उभय शक्त्ययुत्य का  
 एक भेद और असलक्ष्य क्रम व्यञ्जय का एक भेद इस प्रकार विवक्तितान्यपर  
 वाच्य के  $2 + 12 + 1 + 1 = 16$ , तथा अविवक्तितगात्र्य के दो कुल मिलाकर  
 $16 + 2 = 18$  अठारह भेद हुए ।

वाक्ये द्वयाः, पृदेऽप्यन्ये, प्रवन्धेऽप्यर्थरक्तिभूः ।  
 पदैकदेशरचनावर्णेऽप्यि रसादयः ॥  
 भेदास्तदेकपञ्चाशत् ॥

अर्थात् ऊपर जो १८ भेद दिखाए थे उनमें से उभयशक्त्ययुत्य भेद  
 केवल पद में होने से एक, और शेष सबह भेद पद तथा वाक्य में होने से ३४  
 और अर्थशक्त्ययुत्य के वारह भेद प्रवन्धगत भी होने से वारह और मिल कर  
 $1 + 34 + 12 = 47$  और रसादि असलद्यक्रम के १. पदैकदेश, २. रचना,  
 ३. वर्ण, तथा अपि शब्द से ४. प्रवन्धगत चार भेद और मिला कर  
 $47 + 4 = 51$  भेद होते हैं । साहित्यदर्पणादि में भी यही ५१ भेद प्रकाशन्तर से  
 दिखाए हैं । साहित्यदर्पण के भेदों का वह प्रकार हम इस उच्चोत के ग्राम में  
 पृ० २११ पर दिखा चुके हैं ।

‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’ के भेदों की तुलना—

ऊपर दिए हुए विषयण के अनुसार ‘लोचन’ में ज्ञनि के गुद ३५ भेद  
 दिखाए हैं और ‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’ आदि में उनके रूपान पर ५१  
 भेद दिखाए गए हैं । इस प्रकार ‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’ आदि के भेदों में १६

भेदों का अन्तर है। अर्थात् काव्यप्रकाश आदि में लोचन से सोलह भेद अधिक दिखाए गए हैं। यह सोलहों भेदों का अन्तर विवितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के भेदों में ही हुआ है। जिनमें मुख्य भेद तो अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के भेदों में है। लोचनकार ने अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के बारह भेद दिखा कर पिर उनके पद और वाक्य गत भेद दिखाए हैं। इस प्रकार अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के २४ भेद ही जाते हैं। 'काव्यप्रकाशकार' ने पद और वाक्य के अतिरिक्त प्रबन्ध में भी अर्थशक्त्युद्धव के बारह भेद माने हैं। जो लोचनकार ने नहीं दिखाए। इस प्रकार लोचन के मत में अर्थशक्त्युद्धव के २४ भेद और काव्यप्रकाश के अनुसार ३६ भेद होते हैं। अर्थात् बारह भेदों का अन्तर तो इस में है। इसके अतिरिक्त शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि के लोचनकार ने वेवल पदगत तथा वाक्यगत यह दो भेद किए हैं। वस्तु और अलङ्कार के भेद से भेद नहीं किए हैं। काव्यप्रकाश में शब्द शक्त्युत्थ के वस्तु और अलङ्कार व्यञ्जय के भेद से दो भेद करके पिर उनके पद गत तथा वाक्यगत भेद किए हैं। अत नाव्यप्रकाश में शब्दशक्त्युत्थ के चार भेद होते हैं और लोचन में केवल दो भेद। अत दो भेदों का अन्तर यहा आता है। इसके अतिरिक्त लोचन में उभयशक्त्युत्थ नाम का कोई भेद परिणामित नहीं किया है। काव्यप्रकाश में उभयशक्त्युत्थ को भी एक भेद माना गया है। इस लिए काव्यप्रकाश में एक भेद यह नह जाता है। इस प्रकार शब्दशक्त्युत्थ में वस्तु तथा अलङ्कार के दो भद, अर्थशक्त्युत्थ में प्रबन्धगत यारह भेद, और उभयशक्त्युत्थ का एक भद यह सब मिलका। १५ भेद तो सलक्ष्यक्रम व्यञ्जय के अन्तर्गत काव्यप्रकाश में अधिक दिखाए हैं। और सोलहवा भेद असलक्ष्यक्रम की गणना में अधिक है॥ असलक्ष्यक्रम व्यञ्जय रसादि ध्वनि का दैसे तो 'लोचन' तथा काव्यप्रकाश दोनों जगह एक ही भेद माना है। परन्तु लोचन में उस असलक्ष्यक्रम व्यञ्जय के १ पद, २ वाक्य, ३ र्ण्य, ४ सद्घटना तथा ५ प्रबन्ध में व्यञ्जय होने से पाच भद माने हैं। काव्यप्रकाश में इन पाचों के अतिरिक्त पदैकदेश अर्थात् प्रहृति प्रत्ययादि गत एक भेद और माना है। अत काव्य प्रकाश में असलक्ष्यक्रम व्यञ्जय के भदों में भी एक भेद अधिक होने से 'लोचन' की अपेक्षा कुल सोलह भेद अधिक हो जाते हैं। इसलिए जहा लोचन में ध्वनि के शुद्ध ३५ भेद दिखाए हैं, वहाँ काव्यप्रकाश में ध्वनि के शुद्ध ५१ भेद दिखाए गए हैं।

समृद्धि तथा सद्धर भेद से लोचनकार की गणना—

२ वेवल इन शुद्ध भद की गणना में ही यह अन्तर पाया जाता है अस्ति

उन शुद्ध भेदों का संसृष्टि तथा सङ्कर मेद से जब आगे विस्तार किया जाता है तो उस विस्तार में भी साहित्यशास्त्र के विविध ग्रन्थों में अत्यन्त महत्वपूर्ण मेद पाया जाता है। लोचनकार ने गुणीभूतव्यज्ञय, अलङ्कार तथा घनि के अपने भेदों के साथ संसृष्टि तथा सङ्कर से घनि के ७४२० मेद दिखाए हैं। काव्य-प्रकाशकार ने केवल घनि के इक्यावन शुद्ध भेदों की संसृष्टि तथा सङ्कर से १०४०४ और उनमें ५१ शुद्ध भेदों को जोड़ कर १०४५५ मेद दिखाए हैं। और साहित्य-दर्पणकार ने सङ्कर तथा संसृष्टि कृत ५३०४ तथा ५१ शुद्ध भेदों को जोड़ कर ५३५५ मेद दिखाए हैं।

पूर्व ये पञ्चविंशद्भेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यज्ञयस्यापि मन्तव्याः । स्वप्रभेदास्तावन्तः । अलङ्कार इत्येकसप्ततिः । तत्र सङ्करत्रयेण संसृष्ट्या च गुणने द्वे शते चतुरर्थीत्यधिके [२८४] । तावता पञ्चविंशतो मुख्यभेदाना गुणने सप्त चहसाणि चत्वारि शतानि विंशत्यधिकानि [७४२०] भवन्ति ।

लोचन० उद्योत ३, का० ४३

भेदास्तदेवपञ्चाशत् तेषां चान्योन्ययोजने ।

सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ॥

वेदखाविधवियच्चन्द्राः [१०४०४], शरेषुयुगलेन्दवः [१०४५५]

काव्यप्रकाश चतुर्थोऽङ्गास ६२, ६५ ।

तदेवमेकपञ्चाशद्भेदास्तस्य भवनेमताः ।

सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ।

वेदखाविनशयः [५३०४], शुद्धैरिषुगण्याविनियायकाः । [५३५५]

साहित्यदर्पण चतुर्थं परिच्छेद १२ ।

इन तीनों में यद्यपि लोचनकार सबसे अधिक प्राचीन और सबसे अधिक प्रामाणिक हैं, परन्तु इस प्रियय में उनकी गणना सबसे अधिक चिन्त्य है। उन्होंने घनि के शुद्ध ३५ मेद, उतने ही [ ३५ ही ] गुणीभूत व्यज्ञय के, और अलङ्कारों का मिला कर एक भेद, इस प्रकार कुल ७१ भेदों की संसृष्टि तथा सङ्कर दिखाने के लिए ७१ को चार से गुणा कर  $71 \times 4 = 284$  मेद किए। और उनको फिर शुद्ध पैंतीस भेदों से गुणा कर  $284 \times 35 = 7420$  मेद दिखाए हैं। इस में सबसे बढ़ी त्रुटि तो यही दियाई देती है कि २८४ और ३५ का गुणा करने से गुणनफल ६८४० होता है परन्तु लोचनकार उसके रूपान पर केवल

७४२० लिप रहे हैं। यह गणना की प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली तुष्टि है। इसके अतिरिक्त और भी विशेष बात इस प्रसङ्ग में चिन्तनीय है।

‘लोधन’ को एक और चिन्त्य गणना —

लोचनकार ने ‘पूर्वं ये पञ्चनिशङ्कदेवा उमतास्ते गुणीभूतं यज्ञयथापि  
मन्तव्या ।’ लिख कर जितने ध्वनि के भेद होते हैं उतने ही गुणीभूत व्यज्ञय के  
भी भेद माने हैं। परन्तु काव्यप्रकाश ने इस विषय का प्रतिगादन कुछ मिन्न  
प्रकार से किया है। वह लिखते हैं —

‘एषा भेदा यथायोग वेदितव्याश्च पूर्ववत् ।

यथायोगमिति :—

व्यव्यन्ते वस्तुमानेण यदालकृतयस्तदा ।

प्रुव ध्वन्यज्ञता तासा काव्यद्वृत्तेस्तदाथयात् ॥ [ ध० २, २६ ]

इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमानेण यदालक्कारो व्यज्यते न तत गुणीभूतं  
व्यज्ञयत्वम् ।’

का० प्र० ५, ४६ ।

‘तथा हि स्वत सम्भवि कविप्रीढोक्तिसिद्ध-कविनिवद्वद्वत्तुप्रीढोक्तिसिद्ध-  
वस्तुव्यज्ञयालक्काराणा पदराक्यप्रस्वयन्तरेन वस्तुं यज्ञयालक्कारस्य नवविषय  
मिति ध्वनिप्रभेदसख्यैकपश्चाशतो नम्नूनेन [ ५१ - ६ = ४२ ] अष्टाना भेदाना  
प्रत्येक द्विचत्तारिंशद् [ ४२ ] विष्यद मेति मिलितः ४२ × ८ = ३३६ । गुणीभूत-  
व्यज्ञयस्य पद्यत्रिशदधिकविशातभेदा. [ ३३६ ]’ काव्यप्रकाश दीक्षा ।

इसके अनुसार काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि के श्रथशक्तयुद्धव भेद के  
अन्तर्गत वस्तु से अलक्कार व्यज्ञय के स्वत सम्भवी, कविप्रीढोक्तिसिद्ध, तथा कवि-  
निवद्वद्वत्तुप्रीढोक्तिसिद्ध यह तीन भेद और उनमें से प्रत्येक के पद, वाक्य तथा प्रवर्घ-  
गत होने से ३ × ३ = ९ वस्तु से अलक्कार व्यज्ञय के कुल नौ भेद दिखाए थे।  
इन नौ प्रशारों में क्वन ध्वनि ही होता है गुणीभूत व्यज्ञय नहीं जसा कि धन्यालोक  
की ऊपर उद्धृत कारिका से सिद्ध होता है। अतः ध्वनि के ११ भेदों में से इन  
नौ को कम करक ५१ - ६ = ४२ भेद होते हैं। इहलिए कुन मिलाकर  
४२ × ८ = ३३६ गुणीभूत व्यज्ञय के शुद्ध भेद होते हैं। यद् काव्यप्रकाशकार का  
आराय है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि का-यप्रकाश ने धन्यालोक की ऊपर  
उद्धृत भी हुई [ २, २६ ] कारिका के आधार पर वस्तु से अलक्कार व्यज्ञय के

नी भेदों को कम करके गुणीभूत व्यङ्ग्य के भेद माने हैं। क्योंकि जहा वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है, वहा धन्यालोक की उक्त कारिका के अनुसार 'प्रूय धन्यव्यङ्गता' धनि ही होती है। गुणीभूत व्यङ्ग्य नहीं। लोचनकार ने इस और ध्यान नहीं दिया है। न केवल इस गणना में अपितु वस्तु तथा अलङ्कार व्यङ्ग्य के भेद से गणना करने का ध्यान भी उनको नहीं रहा है। इसलिए अर्थशक्त्युद्धव के जो बारह भेद उन्होंने दिखाए हैं, उसमें भी नुटे रह गई है। उभयशक्त्युद्धव की भी जो लोचनकार छोड़ गए हैं वह सब चिन्त्य है।

**'काव्यप्रकाश'** तथा **'साहित्यदर्पण'** की गणना :—

जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है '**'काव्यप्रकाश'** तथा '**'साहित्यदर्पण'** दोनों में ध्वनि के शुद्ध ५१ भेद माने गए हैं। परन्तु इनकी ससुष्टि और सङ्कर प्रक्रिया से जो भेद सख्त्या दोनों ग्रन्थों में निकाली गई है उसमें दोनों ग्रन्थों में बहुत भेद है। '**'काव्यप्रकाश'** में ससुष्टि सङ्कर कृत भेदों की सख्त्या १०४०४ तथा साहित्य दर्पण में ५३०४ सख्त्या दी गई है। इस सख्त्या भेद का कारण वस्तुतः गणना शैलियों का भेद है। '**'साहित्यदर्पण'** ने '**'सङ्कलनप्रक्रिया'** से और '**'काव्य प्रकाश'** ने '**'गुणनप्रक्रिया'** से भेदों की गणना की है। इर्थालिए इन दोनों में सख्त्या का इतना भेद आता है।

**गुणन प्रक्रिया** :—

इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि के ५१ भेदों का एक दूसरे के साथ मिश्रण करने से प्रत्येक भेद का एक अपने सजातीय और पचास विजातीय भेदों के साथ मिश्रण हो सकता है। उदाहरण के लिए अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि की भी निरपेक्षतया स्थिति हो सकती है। उस दशा में 'मिथोडनपेक्षतयैषा स्थितिः ससुष्टिरूप्यते।' एक उदाहरण में दो जगह अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि के रहने से उनकी ससुष्टि हो सकती है। यह तो सजातीय भेद के साथ संसुष्टि हुई। इसी प्रकार उसकी पचास अन्य भेदों के साथ जो ससुष्टि होगी, वह विजातीय भेदों से ससुष्टि कहलावेगी। इस प्रकार एक भेद के ससुष्टि जन्य इक्यावन भेद हो सकते हैं।

ध्वनि के शुद्ध इक्यावन भेदों में से प्रत्येक के यह इक्यावन भेद हो सकते हैं। परन्तु उन सब का योग क्या होगा। इस प्रश्न पर जब विचार करते हैं तब वहीं सङ्कलन और गुणन की प्रक्रियाओं का भेद उपरिथित होता है। साधारणतः इक्यावन भेदों में से प्रत्येक के इक्यावन भेद होते हैं इस लिए इक्यावन को इक्यावन

से गुणा कर देने पर  $५१४५१ = २६०१$  भेद ससृष्टि जन्य हो सकते हैं। यह परिणाम 'गुणनप्रक्रिया' से निकल सकता है। इसी को यहा हमने 'गुणनप्रक्रिया' कहा है। इस ससृष्टि के अतिरिक्त १. 'अङ्गाङ्गभाव सङ्कर', २. 'सन्देह सङ्कर' और ३. एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर यह तीन प्रकार का सङ्कर भी हो सकता है। इसलिए इससे तिगुने अर्थात्  $२६०१ \times ३ = ७८०३$  सङ्कर कृत भेद हो सकते हैं। ससृष्टि तथा सङ्कर कृत इन कुल भेदों को जोड़ देने से  $२६०१ + ७८०३ = १०४०४$  भेद होते हैं। यही सख्या काव्यप्रकाश में ध्वनि भेदों की दी है। इसमें ५१ शुद्ध भेदों को और जोड़ देने से  $१०४५५$  भेदु काव्यप्रकाश के अनुसार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में ससृष्टि के भेद मालूम करने के लिए इक्यावन इक्यायन का गुणा किया गया है इसलिए हमने इस प्रक्रिया को 'गुणनप्रक्रिया' कहा है। और काव्यप्रकाश ने इस गुणनप्रक्रिया को ही यहा अपनाया है।

### सङ्कलन प्रक्रिया —

यहाँ ध्वनि भेदों की गणना में काव्यप्रकाशकार ने 'गुणनप्रक्रिया' का अवलम्बन किया है। परन्तु काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में विरोधालङ्कार के प्रकरण में उन्होंने इससे भिन्न प्रक्रिया का अवलम्बन किया है।

४जातिश्चतुर्भिर्जात्यावैर्विरुद्धा स्याद्गुणस्त्रिभि ।

निया द्वाम्यामपि द्रव्य द्र०येणैवेति ते दश ॥

इसका अभिप्राय यह है कि १. जाति, २. गुण, ३. निया और ४. द्रव्य इन चारों का परस्पर विरोध वर्णन करने पर विरोधालङ्कार होता है। और उसके दस भेद होते हैं। साधारणत जाति का जाति आदि चारों के साथ विरोध हो सकता है। इसलिए उसके विरोध के चार भेद हुए, एक सजातीय के साथ और तीन विजातीयों के साथ। इसी प्रकार गुण का भी एक सजातीय और तीन विजातीयों के साथ विरोध हो कर चार भेद हो सकते हैं। इसी प्रकार निया और द्रव्य के भी चार-चार भेद हो सकते हैं। इसलिए यदि ध्वनि स्थल वाली 'गुणनप्रक्रिया' का अवलम्बन किया जाय तो यहाँ भी चार और चार का गुणा करके विरोध के सोलह भेद होने चाहिए। परन्तु काव्यप्रकाशकार ने यहाँ केवल दस भेद माने हैं। और उनका परिगणन इस प्रकार किया है कि यन्त्रि चारों के चार-चार भेद ही होते हैं परन्तु जाति का गुण के साथ जो विरोध है उसकी गणना जाति विरोध वाले चार भेदों में आ जुकी है। इसलिए गुण के जाति के साथ भेद की गणना में विद्यमान उस भेद की सबका दिसाव करते समय कम कर

देना चाहिए। अन्यथा वह एक भेद दो जगह जुड़ जाने से सख्त्या ठीक नहीं रहेगी। इसलिए जाति के विरोध के चार भेद होंगे परन्तु गुण के विरोध में तीन ही भेद रह जायेंगे। क्योंकि एक भेद की गणना पहिले आ चुकी है। इसी प्रकार किया विरोध के भेदों में एक और कम होकर दो और द्रव्य के विरोध के भेदों में कमश। एक और कम होकर केवल एक ही भेद गणना योग्य रह जायगा। इसलिए विरोध की कुल सख्त्या जानने के लिए चार और चार का गुण नहीं करना चाहिए अपितु एक से लेकर चार तक की सख्त्याओं को जोड़ना चाहिए। क्योंकि जाति के ४, गुण के ३, किया के २ और द्रव्य का १ भेद ही गणना में सम्मिलित होने योग्य रह जाता है। अतएव एक से लेकर चार तक जोड़ देने से विरोध के १० भेद होते हैं। इस प्रकार विरोध अलङ्कार के दस भेद होते हैं। इस प्रक्रिया में एक से लेकर चार तक का सङ्कलन या जोड़ किया गया है। इसलिए इस प्रकार को हमने 'सङ्कलन प्रक्रिया' कहा है।

### साहित्यदर्पण की 'सङ्कलन प्रक्रिया' की शैली—

साहित्यदर्पणकार ने ध्वनि प्रभेदों की गणना में इसी 'सङ्कलन प्रक्रिया' वाली शैली का अवलभ्यन किया है। ध्वनि के शुद्ध भेद वो काव्यप्रकाश तथा 'साहित्यदर्पण' दोनों में इक्यावन ही माने गए हैं। परन्तु उनके सर्वस्मिन्न तथा सङ्कर कृत भेदों की सख्त्या में बहुत अधिक अन्तर ही गया है। इसका कारण यही गुणन तथा सङ्कलन प्रक्रिया वाली शलियों का भेद है। काव्यप्रकाशकार ने विरोधालङ्कार के स्थल में जिस शैली वा अवलभ्यन किया है, साहित्यदर्पणकार ने ध्वनि मेंदों की गणना में उसी शैली वा अवलभ्यन किया है। इस प्रक्रिया के अनुसार ध्वनि के प्रथम भेद की एक सजातीय और पचास विजातीय भेदों के साथ मिल सकने से ५१ प्रकार की संस्कृति होगी। इसी प्रकार दूसरे भेद की मी ५१ प्रकार की संस्कृति होगी। परन्तु उनमें से एक की गणना पहिले भेद के साथ ही चुकी है इसलिए दूसरे भेद की केवल ५० प्रकार की संस्कृति परिगणनीय रह जायगी। इसी प्रकार तीसरे भेद की ४८, चौथे भेद की ४८, इत्यादि नम से एक एक घटते घटते अन्तिम भेद की केवल एक प्रकार की संस्कृति गणना योग्य रह जायगी। इसलिए संस्कृति के कुल भेदों की सख्त्या जानने के लिए इसपालन को इक्यावन से गुणा न करके एक से लेकर इक्यावन तक की सख्त्याओं को जोड़ना उचित है। साहित्यदर्पणकार ने एक से इक्यावन तक की सख्त्याओं को जोड़ कर ही १३२६ प्रकार की संस्कृति और उससे तिगुने  $1326 \times 3 = 3978$  यद्वा

मेदों को जोड़ कर वह  $1326 + 3678 = 5304$  सख्ता निकाली है। इसलिए साहित्यदर्पण की शाली को हमने सङ्कलन प्रक्रिया की शैली बता है।

### सङ्कलन की लघु प्रक्रिया—

सङ्कलन प्रक्रिया के अनुसार एक से लेकर इक्यावन तक की सख्ताओं के जोड़ने के लिए गणित शास्त्र की प्राचीन सस्कृत पुस्तक 'लीलावती' में एक विशेष प्रकार दिया है—

एको रशिद्विधा स्थाप्य एकमेकाधिक कुरु ।

समाधेनासमो गुण्य एतत्सङ्कलित लघु ॥

अर्थात् एक से लेकर जहाँ तक जोड़ करना हो उस अन्तिम राशि को दो जगह लिन लो, और उनमें से एक सरया में एक और जोड़ दो। ऐसा करने से एक सख्ता सम हो जायगी और एक विषम। इनमें जो सम सख्ता हो उसका आधा करके उससे नियम सख्ता को गुणा कर दो। जैसे यहाँ एक से लेकर इक्यावन तक जोड़ना है तो एक जगह इक्यावन और दूसरी जगह उसमें एक जोड़ कर बावन लिया जाय। इसमें बावन सख्ता सम है इसलिए उसका आधा कर छूटवीस से नियम सरया इक्यावन को गुणा कर देने से  $51 \times 26 = 1326$  सख्ता आती है। यही एक से लेकर इक्यावन तक जोड़ होगा। इसको चौगुण कर देने से  $5304$  सहस्रि तथा सङ्कलन प्रकार कृत भेद हुए और उनमें  $51$  शुद्ध मेदों को मिला देने से साहित्यदर्पण की [सङ्कलन] प्रक्रिया के अनुसार ध्वनि  $\neq$   $5304$  भेद होते हैं।

इस प्रकार काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में ध्वनि मेदों की गणना में जो यह भेद पाया जाता है इसका कारण दोनों जगह अपनाई गई गुणन प्रक्रिया और सङ्कलन प्रक्रिया वाली शैलियों का भेद है यह स्पष्ट हो गया।

### काव्यप्रकाश की द्विविध शैली का कारण—

'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' में ध्वनि के मेदों की सख्ता में जो अन्तर पाया जाता है उसका कारण यह हो जाने पर भी एक प्रश्न यह रह जाता है कि काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि तथा विरोधालङ्कार की गणना के प्रसङ्ग में अलग अलग शैलियों का अवलम्बन किया। साधारणत विरोधालङ्कार के स्थल में उन्होंने जो 'सङ्कलनप्रक्रिया' का अवलम्बन किया है वही उचित प्रति होता है। उसी के अनुसार ध्वनिमेदों की भी गणना वैसे ही करनी चाहिए थी जैसे साहित्यदर्पण में की गई है। परन्तु काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि के प्रसङ्ग में उस

शैली का अवलम्बन नहीं किया है। यद्यपि उन्होंने इस भेद का कोई कारण स्वयं नहीं दिया है परन्तु उनके टीकाकारों ने उसकी सज्जति लगाने का प्रयत्न किया है।

ऊपर यह दिखाया था कि धनि के ५१ शुद्ध भेदों में से प्रत्येक की इक्यावन प्रकार की संसृष्टि हो सकती है। परन्तु गणना का योग करते समय प्रथम भेद के इक्यावन प्रकार के बाद दूसरे भेद के ५० प्रकार ही गिने जावेंगे क्योंकि दूसरे भेद के साथ प्रथम भेद वीजों जो संसृष्टि होगी उसकी गणना तो प्रथम भेद की गणना में ही आ जुकी है। इसी प्रकार अगले भेदों में एक-एक संख्या घटते-घटते अनितम भेद की बेवल एक ही प्रकार की संसृष्टि गणना योग्य रह जायगी। इसलिए 'सङ्कलनप्रक्रिया' वाली शैली में एक से लेकर इक्यावन तक का जोड़ किया जाता है। परन्तु 'गुणनप्रक्रिया' वाली शैली में एक एक भेद घटाने वाला क्रम नहीं रहता है। उसमें प्रत्येक भेद की इक्यावन प्रकार की ही संसृष्टि होती है। इसलिये ५१ × ५१ का गुणा ही किया जाता है। गुणन प्रक्रिया में जो एक-एकों भेद को घटाया नहीं जाता है इसका कारण उन संसृष्टियों में वैज्ञानिकी की कल्पना है। अर्थान्तर संक्रमितवाच्य की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ जो संसृष्टि है वह इन दोनों के भेद में आवेगी। इसलिए 'सङ्कलनप्रक्रिया' में उसको केवल एक ही जगह सम्मिलित किया जाता है। परन्तु यह भी हो सकता है कि अर्थान्तर संक्रमित वाच्य की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ जो संसृष्टि हो वह, अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की संसृष्टि भिन्न प्रकार की हो। एक में अर्थान्तर संक्रमित का और दूसरे में अत्यन्त तिरस्कृत का प्राधान्य होने से वह दोनों संसृष्टियां अलग-अलग ही हों। इसलिए उन दोनों की ही गणना होना आवश्यक है। अतः उनसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मान कर ही कदाचित् काव्यप्रकाशनार ने धनि मेदों में से प्रत्येक के ५१, ५१ ही संसृष्टि प्रकार माने हैं। और उनका गुणा कर  $51 \times 51 = 2601$  संसृष्टि के तथा उससे तिगुने  $2601 \times 3 = 7803$  लक्ष भेदों को मिला कर  $2601 + 7803 = 10404$  संसृष्टि लक्ष भेद माने हैं।

टीकाकारों ने काव्यप्रकाश वीजों गुणन प्रक्रिया पे समर्थन के लिए यह एक प्रकार दिखाया है। उससे यद्य पर की गुणन प्रक्रिया वाली शैली का समर्थन हो कर्त्तव्य हो जाता है। परन्तु विरोधालक्ष्म वाले सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का पैजात्य क्यों नहीं माना इसका कोई विनिगमन करें नहीं दिया है। इसलिए मूल राजा का निराण नहीं हो पाता है।

तत्र स्वप्रभेदसङ्कीर्णत्वं कदाचिदनुग्राहानुप्राहकभावेन, यथा, 'एवं-  
वादिनि देवपूर्णे' इत्यादो । अत्र हृष्टशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यज्ञयव्यज्ञवनि-  
प्रभेदेनालद्यकमव्यज्ञयव्यनिप्रभेदोऽनुगृह्णमाणः प्रतीयते ।

एव कदाचित्प्रभेदद्वयसम्पातसन्देहेन यथा :—

सणपाहुणिश्चा देवर एसा जाआए किपि ते भणिदा ।

रुद्रह पडोहरवलहीधरान्म अणुणिउज्जउ वराई ॥

[क्षणप्राधुणिका देवर एपा जायथा किमपि ते भणिता ।

रोदिनि शून्यवलभीयुहेऽनुनीयता वराकी ॥ इतिच्छाया]

अत्र हानुनीयतामित्येतत् पदमर्थान्तरसंकमितवाच्यत्वेन विव-  
क्षितान्यपरवाच्यत्वेन च सम्भाव्यते । न चान्यतरपक्षनिर्णये, प्रमाण-  
मस्ति ।

उनमें से अपने भेदों के साथ सङ्कर [तीन प्रकार से होता है जिसमें  
पहिला प्रकार] कभी अनुग्राह-अनुप्राहक भाव से [होता है] जैसे, 'एवं-  
वादिनि देवपूर्णे' [४८ १५] इत्यादि मे । यहां अर्थशक्त्युद्भव 'संलचयकमव्यज्ञय  
[लज्जा अथवा अग्नित्या] भेद से असलचयकमव्यज्ञय [अभिलापदेतुक  
विप्रलभ्म शङ्कार] अनुगृह्णमाण [पोष्यमाण] प्रतीत होता है । [लज्जा यहां  
चयमित्यारीभाव रूप से प्रतीत हो रही है इसलिए भाव रूप न होने से  
संलचयकमव्यज्ञय है । और वह अभिलापदेतुक विप्रलभ्म शङ्कार को पोषण  
करे रही है । इस प्रकार यहां अग्निभाव सङ्कर है ।]

कभी दो भेदों के आजाने से सन्देह से [सन्देह सङ्कर हो जाता है]  
जैसे :—

हे देवर सुम्हारी पत्नी ने [क्षण] उस्सर की पाहुनी [अतिथि,  
उत्तर में आई हुई] इससे युक्त कद दिया है [जिससे] वह शून्य वलभी गृह  
में रो रही है । उस विचारी को मना लेना चाहिए ।

यहां 'अनुनीयताम' यह पद [उपभोग प्रकर्ष सूचन रूप व्रयोजन से,  
तात्यर्थानुपपत्ति मूलक खदणा द्वारा] अर्थान्तरसंकमित वाच्य [रूप अविष-  
यित वाच्य, तथा रोदन निहृतिगमनक व्यापार रूप अनुनय अभिष्या द्वारा  
योग्यित होने से] और विवितान्यपर वाच्य [च्छनि दोनों] रूप से सम्भव है ।  
और [दोनों ही पक्षों में उपभोग व्यज्ञय होने मे] कियो पक्ष में निर्णय करने में  
कोई [रिनिगमक] प्रमाण नहीं है । [अतः यहां सन्देह सङ्कर है ।]

एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन तु व्यञ्जयत्प्रमलद्यन्मव्यञ्जयस्त्रप्रभेदान्तरापेक्षया बाहुल्येन सम्भवति । यथा 'स्तिग्धरयामल' इत्यादी । रवप्रभेदसंसृष्टित्वं च यथा पूर्वोदाहरणं एव । अप्र इर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतपान्यस्य च संसर्गं ।

गुणीभूतव्यञ्जयसङ्कीर्णत्वं यथा 'न्यककारो श्यमेव मे यदरय' इत्यादी । 'यथा वा —

असलव्यक्तमव्यञ्जय [ रसादि ध्वनि ] का अपने अन्य प्रभेदों के साथ [ अन्यप्रभेदापेक्षया ] एकाश्रयानुप्रवेश [ रूप सङ्कर ] बहुत अधिक हो सकता है । [ क्योंकि काव्यों में एक ही पद से अनेक रसादि भावादि की अभिव्यक्ति पाहं जाती है । ] जैसे 'स्तिग्धरयामल' इत्यादि में । [ यहा स्तिग्धरयामल इत्यादि से प्रिलम्भ शहार और उसके व्यभिचारी भाव शोका वेग दोनों को अभिव्यक्ति होने से पृकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर है । ] अपने भेद के साथ समृष्टि जैसे पूर्वोक्त [ स्तिग्धरयामल ] उदाहरण में ही । यहा [ राम पद के अत्यन्त तु खसहिष्णु राम परक होने से ] अर्थान्तरसक्रमित वाच्य ध्वनि और [ लिप्त तथा सुहृद शब्द से व्यञ्जय ] अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का [ निरपेक्षतया स्थिति रूप ] संसर्ग [ होने से समृष्टि ] है ।

इस प्रकार ध्वनि के अपने भेदों के साथ सङ्कर तथा समृष्टि को दिखा चुकने के बाद अब गुणीभूत व्यञ्जय के साथ सङ्कर के दो उदाहरण देते हैं । इन उदाहरणों में तीनों प्रकार के सङ्कर आजाते हैं ।

गुणीभूत व्यञ्जय का [ ध्वनि के साथ ] सङ्कर [ का उदाहरण ] जैसे — 'न्यककारो श्यमेव यदरय' इत्यादि [ श्लोक ] में ।

इस श्लोक की व्याख्या बीछे ही शुकी है । इसक अलग अलग पदों से प्रकाशित गुणीभूत व्यञ्जय का समस्त श्लोक से प्रकाशित अमलद्यन्मव्यञ्जय रेस ध्वनि के साथ अङ्गाङ्गिमाव सङ्कर होता है । यहा समस्त वाक्य से प्रकाश्य असलद्यन्मव्यञ्जय रसादि ध्वनि तीन सी है इस विषय में व्याख्याकारों में प्राय तीन प्रकार के मत दिखाई देते हैं —

१—लोचनकार ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है—“तथादि म

पर्वा तृत्यदलाना जनुमदशरणोदीपन. मोऽभिमानी,  
पृष्ठणारेशोत्तरीय-प्रयन्तनपटु पाण्डवा यस्य दासाः ।  
राजा दुःखामनादेगुरुं ग्रनुजशतस्याह्नराजत्य मित्रं,  
फगास्ते दुर्योग्नोऽसी पथयत न रणा द्रष्टुगम्भ्यागती स्मः ॥

यदरय इत्यादिनि सर्वे रेण पदार्थेभिर्भासादिरूपतया रीढ़ एवानुगृहते ।” अर्थात् उनके मन में रीढ़रम इस श्लोक का प्रधान भवन है ।

२—गाहि रदपण क टासाकार तस्यागीरा जी ने इस श्लोक में शान्त रस क स्थायीभाव निवद को व्यङ्ग्य माना है । उन्होंने लिखा है—“जीवत्यहे रायण.” इत्यादिना यश्यमाने इसानीजस्यरूपदेन-रेनानुभावेन सर्वालत स्वावमानन निर्विदारय भावरूपोऽसनद्यक्षम-व्यङ्ग्यो भवनि ।

यदि दोना भव एक दूसर स विक्षुद्ध भवनि मान रह है ।

३—तीसरे नवीन भव यह है कि रायण क मोध और निर्वेद आदि से पोर्चित रायण का युद्धोत्त्वाद दी आसाद पदग्रा रो प्राप्त होता है । अत वीर रस ही इस श्लोक का प्रधान व्यङ्ग्य है ।

प्रथ्यालोकस्तर न स्वय इसारा रोला नहा है । उन्होंने असलद्यक्षम व्यङ्ग्य की वास्त्यायाभूत मात्र व्यङ्ग्यविहिष्ट वाच्यार्थ का अभिधया बोधन करने वाले पदों स चोत्य, गुणाभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर दिखा दिया है । परन्तु वास्त्यायाभूत असलद्यक्षमव्यङ्ग्य, रीढ़, वीर, अथवा निर्वेद कीन सा है इस विषय पर उन्होंने कोई प्रगाश नहा ढाला है ।

[इसी गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ सङ्कर का दूसरा उदाहरण देते हैं]।  
अथवा जैस :—

[वेणीसदार नारक के पश्चम अङ्क में कौरवों का विघ्यस करने के बाद, भागे हुए दुर्योधन को खोजते हुए भीम और अर्जुन की यहउचित है] जुए के छुलों [पाण्डवों पा राज्यापदरण करने के लिये जुए के शठता पूर्ण छुल प्रपञ्च] का करने वाला, [पाण्डवों के विनाश के लिए वारणावत में बनवाए हुए] लाल के घर में आग लगाने वाला, द्वौपदी के बेश और वस्त्र सीचों में चतुर, पाण्डव जिसके दास हैं [अर्थात् पाण्डवों को अपना दास बताने वाला] हु शासन आदि का राजा, सौ अनुजों का गुरु [अपने से छोरे सब कौरवों का ज्येष्ठ या पूर्ण] अहराज [कर्ण] का मिथ्र, वह अभिमानी दुर्योधन कहा है ? बताओ, हम

अत्र ह्यलद्यन्तमन्यज्ञयस्य वास्यार्थीभूतस्य न्यज्ञयपिशिष्टवाच्या-  
भिधायिभि पदै सम्मिश्रता<sup>१</sup> ।

[ भीम और अर्जुन ] व्रोध से [ उसे मारने ] नहीं, [ इस समय तो केवल ]  
देखने आए हैं ।

यहा [ अर्थात् 'न्यज्ञारो' और 'कर्ता दृतच्छलाना' ] इन दोनों श्लोकों  
में ] वास्यार्थीभूत [ समस्त श्लोक से प्रकाशित ] असलद्यन्तमन्यज्ञय [ रीढ़,  
धीर या निर्वेद आदि इसी का नामत उल्लेख नहीं किया है ] का, व्यज्ञय  
विशिष्ट वाच्यार्थ [ गुणीभूत व्यज्ञय ] को अभिधा से वोधन करने वाले पदों  
[ से चोत्य गुणीभूत व्यज्ञय ] के साथ सङ्कर [ अन्नाहित्वाप रूप ] हैं । [ पदे  
सम्मिश्रता में 'पदै' से पद चोत्य गुणीभूत व्यज्ञय अर्थ ही लेना चाहिए ।  
क्योंकि साक्षात् पदों के साथ व्यनि का सङ्कर सम्भव नहीं है । ]

इन दो उदाहरणों में गुणीभूत व्यज्ञय के साथ व्यनि के तीनों प्रकार  
के सङ्कर आ जाते हैं । प्रथमकार ने वास्यार्थीभूत असलद्यन्तमन्यज्ञय रातादिघ्यनि  
के साथ पदप्रकाशय गुणीभूतव्यज्ञय का 'अङ्गाहित्वाप' रूप एक ही सङ्कर दिखाया  
है । दूसरा 'सन्देह सङ्कर' इस प्रकार होता है कि दूसर श्लोक में 'पाण्डवा यस्य  
दासा' इस अश से व्यज्ञय विशिष्ट वाच्यार्थ ही श्रोधीदीपक हो सकता है इसलिए  
यहा गुणीभूत व्यज्ञय हो सकता है । अथवा 'दृतदृत्य गुप्त को जाप्त रसागी का  
दर्शन अपश्य करना चाहिए' इस प्रकार वाचकव्यव्यनि भी हो सकता  
है । यह दोनों ही चमत्कारजनक हैं अतएव सायकव्याधार प्रमाण के अमाव में  
उन दोनों का 'सन्देह-सङ्कर' भी हो सकता है । और वाचकपदों में ही गुणीभूत  
व्यज्ञय के साथ रसव्यनि भी रहता है इसलिए उन दोनों का एकाश्रयानुप्रयोग  
सङ्कर भी हो सकता है, अतएव इन दो उदाहरणों से ही गुणीभूतव्यज्ञय के साथ  
व्यविध सङ्कर का निष्पत्ति हो जाता है ।

इन श्लोकों में गुणीभूतव्यज्ञय और व्यनि अर्थात् प्रधनव्यज्ञय का  
[ विविध ] सङ्कर दिखाया है । इउमें यह शद्वा हो सकती है कि एड दी श्लोक  
में अभिन्ना होने वाला व्यज्ञय अर्थ प्रधन व्यनि रूप भी रह, और गुणीभूत  
व्यज्ञय भी यह जाय यह रैस हो सकता है । आगे इसका समाप्तान करते हैं ।  
समाप्तान का आशय यह है कि गुणीभूत व्यज्ञय पदों में रहता है और व्यनि का

अतएव च पदार्थश्रयत्वे गुणीभूतव्यज्ञयस्य, वाक्यार्थश्रयत्वे च ध्वनेः सङ्कीर्णतायामपि<sup>१</sup> न विरोधं स्वप्रभेदान्तरवत् । यथा हि ध्वनिप्रभेदान्तराणि परस्पर सङ्कीर्णते, पदार्थवाक्यार्थश्रयत्वेन च न विरुद्धानि ।

प्रधान व्यञ्जय वाक्य में रहता है । अतः उन दोनों का आश्रय मेद हो जाने से उसमें कोई विरोध नहीं होता ।

इसीलिए [ उदाहरणों में ध्वनि और गुणीभूत व्यञ्जय, दोनों के एक साथ पाए जाने से ] ध्वनि के अपने प्रभेदों के समान, गुणीभूत व्यञ्जय को पदार्थ में आश्रित और ध्वनि को वाक्यार्थ में आश्रित मानने पर [ उनका ] सङ्कर होने पर भी कोई विरोध नहीं आता । जैसे ध्वनि के अन्य भेदों का परस्पर सङ्कर होता है और [ एक के ] पदार्थ [ और दूसरे के ] वाक्यार्थ में आश्रित होने से विरोध नहीं होता [ इसी प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यञ्जय को भी क्रमशः वाक्यार्थ और पदार्थ आश्रित मानने से उनके सङ्कर में कोई विरोध नहीं होता । ]

यहाँ किसी पुस्तक में ‘तथाहि’ पाठ मिलता है और किसी में ‘यथाहि’ । यह पाठ मेद लोचनकार के समय में भी था । और वह स्वयं भी ठीक पाठ का निश्चय नहीं कर सके इसलिए उन्होंने ‘तदेव व्याचष्टे यथाहीति । तथाऽतापीत्यध्याहारोऽप्र कर्तव्य । तथाहि इति वा पाठ ।’ यह लिखा है । अर्थात् यदि ‘यथाहि’ यह पाठ माना जाय तब तो ‘तथा अत्रापि’ इतने पद का अध्याहार करना चाहिए । तब अर्थ ठीक होगा । अथवा फिर तथाहि यह पाठ होना चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि लोचनकार को ‘यथाहि’ यही पाठ ही मिला था । और ‘तथाहि’ पाठ का उनका सुभाव है । कदाचित् इसीलिए आगे दोनों पाठ मिलने लगे हैं ।

ध्वनि और गुणीभूत व्यञ्जय को क्रमशः वाक्याश्रित और पदाश्रित मान कर उन दोनों के सङ्कर का जो उपपादन ऊपर किया है वह ‘अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर’ और ‘सम्बेद सङ्कर’ में तो ठीक हो जाता है परन्तु ‘एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर’ में तो दोनों का एक ही आश्रय होगा अतएव आश्रय मेद से ध्वनि और गुणीभूतव्यञ्जय की स्थिति का जो अविरोध निर्णय किया था, वह बहा लागू नहीं हो सकेगा । क्योंकि एकाश्रय में ध्वनि और गुणीभूत व्यञ्जय दोनों जैसे रह सकेंगे । यह शब्दां है, इसका

<sup>१</sup> सङ्कीर्णतायामविरोध निः दोः ।

किञ्चैकन्यज्ञयथयते तु प्रधानगुणभावो विमुद्धयते न तु  
व्यज्ञयमेदापेक्षया, ततोऽप्यस्य न विरोध ।

अय च सङ्करसस्तिव्यवहारो धूनामेऽन्त्र वाच्यवाचकभाव  
इव व्यज्ञशन्यञ्जकमापेऽपि निविरोध एव मन्तव्य ।

यत तु पदानि कानिचिदपिवक्तिवाच्यान्यनुरणनरूपव्यज्ञश-  
वाच्यानि वा, तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यज्ञययो ससृष्टत्वम् । यथा ‘तेपा  
गोपवधूविलाससुहृदाम्’ इत्यादी । अत्र हि ‘विलाससुहृदा’ ‘राधारह  
सात्तिणा’ इत्येते पदे ध्वनिप्रभेदरूपे । ‘ते’, ‘जाने’ इत्येते च पदे गुणीभूत-  
व्यज्ञयरूपे ।

समाधान आगे करते हैं । समाधान का आशय यह है कि पदिला परिहार व्यवक  
मेद से किया या, उसी प्रकार यहा व्यज्ञय मेद से परिहार हो सकता है । अर्थात्  
एकाश्रय में रहने वाले दो अलग अलग व्यज्ञय हैं, एक प्रधान या ध्वनि रूप, और  
दूसरा गुणीभूत । यह दोनों भिन्न भिन्न व्यज्ञय एक जागह रह सकते हैं । इसमें  
कोई विरोध नहीं है । यद एक ही व्यज्ञय को ध्वनि और उसी को गुणीभूत कहा  
जाय, तब तो विरोध होता । परन्तु दोनों व्यज्ञय क भिन्न होने से विरोध नहीं  
है । यद समाधान ‘एकाश्रयानुप्रयोग सङ्कर’ में प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार ता-  
- करता ही है उसके साथ ‘अन्नज्ञिभाव’ और ‘सन्देह सङ्कर’ में भी लागू हो सकता  
है । क्योंकि उन दोनों भेदों में भी व्यज्ञय अलग अलग होने से ध्वनि और  
गुणीभूत व्यज्ञय क ‘अन्नज्ञिभाव’ अथवा ‘सन्देह सङ्कर’ में कोई विरोध नहीं आता  
है । इसी बात को सूचित करने के लिए मूल में ‘ततोऽप्यस्य न मिराघ’ कहा है ।  
यहाँ अरि शब्द पूर्व परिहार को अनेका इसका ‘सवतोमुखत्व’ सूचित करता है ।

और एक ही अप्यरूप में चांडित प्रधान और गुणभाव तो विरद्ध हो  
सकते हैं परन्तु व्यहार भेद की अवश्या स [ भिन्न भिन्न अप्यरूपों में मियत प्रधान  
गुणभाव मिरापी ] नहीं । इसक्षिप्त भी इस [ ध्वनि और गुणीभूत व्यज्ञय के  
सङ्कर ] का मिराप नहीं है । [ सङ्कर और समृष्टि प्राय वाच्य अलङ्कारों में ही  
प्रमिद है, परन्तु वह व्यज्ञय अपौं में भी हा सकते हैं इसका उपपादन करते हैं ]  
पाप्य वाचक भाव [ वाप्याखङ्कार स्व ] में अहूत स [ अलङ्कारों ] का सङ्कर और  
समृष्टि व्यवहार विस प्रकार होता है उमों प्रकार व्यज्ञय-व्यज्ञक भाव [ व्यज्ञय  
रूप अनेक ध्वनि अभद्रो अथवा ध्वनि और गुणीभूत व्यज्ञय ] में भी उम  
निर्विरोध समझना चाहिए ।

[ ध्वनि और गुणीभूत व्यज्ञय के सङ्कर का प्रदर्शन कर अब उन्हीं

वाञ्छालद्वारसङ्गीर्णत्वमलच्यक्रमन्यज्ञचापेत्या रसवति सालद्वारे  
काव्ये सर्वत्र सुव्यवस्थितम् । प्रमेदान्तराणामपि कठाचित्सङ्गीर्णत्वं  
भवत्येत् । यथा मैव—

संस्कृति का उपयादन करते हुए उदाहरण देते हैं ] जहाँ कुछ पद अविवक्षित  
वाच्य [लक्षणामूल ध्वनि परक] और कुछ पद [कानिचित् पद दोनों की निरपेक्षता  
का सूचक है । जिससे सङ्कर का अवकाश नहीं रहता । ] सलच्यक्रम व्यङ्ग्य  
परक हों वहाँ [वाच्य से व्यङ्ग्य] ध्वनि और [उस प्रधान वाच्यार्थीभूत ध्वनि  
की अपेक्षा से गुणीभूत अविवक्षित वाच्य अथवा सलच्यक्रम रूप] गुणीभूत  
व्यङ्ग्य की समूहित है । जैसे ‘तेपा गोपरध्यविलाससुहृदाम्’ इत्यादि में । यहाँ  
'निलाससुहृदाम्' और 'राधारह सालिणाम्' यह दोनों पद [लतागृहों के  
रिशेपण रूप हैं । परन्तु अचेतन लतागृहों में 'मैत्री' और 'सालिख' जो कि  
वस्तुत चेतन धर्म है नहीं रह सकते हैं । अतएव उनमें अत्यन्त तिरकृत  
वाच्य ध्वनि होने से ] ध्वनि [अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद] रूप है । और  
'ते' तथा 'जाने' यह दोनों पद [वाच्य के उपकारक अनुभवैकगोचरत्व और  
उपेक्षाविषयीभूतत्व रूप] गुणीभूत व्यङ्ग्य [के] रूप हैं । [इस प्रकार वाच्यार्थी-  
भूत, प्रवासदेतुरुक विप्रकर्म शङ्कार के साथ 'निलाससुहृदाम्', और 'राधारह  
सालिणाम्' पदों से वाच्य अत्यन्त तिरकृत वाच्य ध्वनि के यहाँ गुणीभूत हो  
जाने से गुणीभूत व्यङ्ग्य की निरपेक्षतया हित्यति होने के कारण ध्वनि और  
गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों की समूहित है ।]

इस प्रकार गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि की समूहित और सङ्कर का  
उपयादन कर आगे वाञ्छालद्वारों के साथ भी उनसा उपयादन करते हैं ।

रसध्वनि युक्त और [रसादि] अलद्वार युक्त सभी काव्यों में  
असंलच्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि व्यङ्ग्य की अपेक्षा के साथ से] वाच्य अलद्वारों  
का [अर्थात् व्यङ्ग्य अलद्वार नहीं । अलद्वार के व्यङ्ग्य होने पर सो यदि वह  
अलद्वार प्रधान है तो अलद्वार ध्वनि का और अप्रधान होने पर गुणीभूत  
व्यङ्ग्य का सङ्कर हो जायगा । अतएव वाच्य रिशेपण रखा है ] सङ्कर  
मुलिरिच्छत ही है [रसादि ध्वनि से भिन्न वस्तुध्वनि तथा अलद्वार ध्वनि रूप]  
अन्य प्रभेदों का भी कभी [वाच्य अलद्वारों के साथ] सङ्कर हो ही जाता है ।  
जैसे मेरे ही [निम्न रखोक में]—

१ रसवति रसालद्वारे च वाच्ये निः० दो० ।

या व्यापारवदी रसान् रसयितुं काचित् कवीना नवा,  
हृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविपयोन्मेषा च वैपश्चितो ।  
ते द्वे अप्यनलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो वयं,  
आन्ता, नैव च लब्धमन्विशयत् । त्वद्भक्तिनुल्यं सुप्रम् ॥

इत्यत्र विरोधालङ्कारेणार्थान्तरसक्रमितवाच्यस्य ध्यनिप्रभेदस्य  
सङ्कीर्णत्वम् ।

वाच्यालङ्कारसमृष्टत्वं च पदापेक्षयैव । यत्र हि कानिचित्सदानि  
वाच्यालङ्कारभाज्ञि कानिचित्त्वं ध्यनिप्रभेदयुक्तानि । यथा—

हे समुद्रशार्थी [ विष्णु भगवान् ] रसों के आस्त्राद के लिए [ शब्द  
योजना में ] प्रथमनशील कवियों की [ प्रतिपल नवोन्मेषपशाज्ञिनी ] जो कुछ  
अपूर्व हृष्टि है, और प्रमाणसिद्ध अर्थों को प्रकाशित करने वाली जो विद्वानों की  
'वैपश्चितो' हृष्टि है, उन दोनों के द्वारा इस विश्व को रात दिन देखते देखत  
हम यक गए, परन्तु आपको भवित के समान सुप्र [ अन्यत्र ] वहीं नहीं मिला ।

यहा विरोधालङ्कार के साथ अर्थान्तरसक्रमित वाच्य ध्यनि भेद का  
सङ्कर है ।

यही कवि की प्रतिभा और दार्शनिक की परिणत उद्दिश से 'निर्वर्णन'  
अर्थात् 'चाहुप शान' या देखना सम्भव नहा है, अतएव विरोध उपस्थित होता  
है । परन्तु 'निर्वर्णन' पद वा 'सामान्य शान' अर्थ करने से उस विरोध का परिदृश्य  
हो जाता है । इस प्रकार विरोधाभाष अलङ्कार होता है । और 'निर्वर्णन' पदाय  
अर्थात् चाहुप शान के सामान्य शान रूप अर्थान्तर में सक्रमित हो जाने से  
अर्थान्तर सक्रमित वाच्य ध्यनि भी होता है, ऐसा मानकर विरोधालङ्कार तथा  
अर्थान्तर सक्रमित वाच्य ध्यनि का एतमध्यानुप्रयेश रूप सङ्कर होता है ।

वाच्य अलङ्कारों का [ ध्यनि के साथ ] समृष्टि [ निरपेक्षतया स्थिति ]  
पदों को हृष्टि में ही होती है [ वाच्य से प्रकाशित समाप्तिवित आदि अलङ्कार  
से ध्यनि रूप प्रधान अद्वय के परिपोषक होते हैं, निरपेक्ष नहीं । अतएव  
उनका सङ्कर ही यन सफलता है । समृष्टि नहीं । ] जहा कुछ पद वाच्य अलङ्कार  
से युक्त हों और कुछ ध्यनि के प्रभेद से युक्त हों [ वहीं ध्यनि और वाच्य  
लङ्कार की समृष्टि होती है ] जैस—

[ यह कालिदास के मेयनूत का इसका है । विराजा, उत्तमिनी ]  
मगरी का पर्णन करते हुए यह मेय न कहता है । ] जहा [ निय विराजा

दीर्घीकुर्वन् पटु मदकलं कृजितं सारसानां,  
प्रत्यूपेषु स्फुटितमलामोद्मैत्रीकपाय।  
यत्र स्त्रीणा हरति सुरतग्लालिमङ्गानुकूलः,  
शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचादुकारः ॥

अत्र हि मैत्रीपदमपिवक्षितवान्यो ध्वनि, पदान्तरेष्व-  
लङ्घारान्तराणि ।

उडजयिनी लगारी में ] प्रातः काल सारसों के रमणीय और मद के कारण अस्थन्त मधुर शब्द को फैलाने वाला, जिसे हुए कमलों की सुगन्धि के समर्क से सुगन्धित और अङ्गों को अच्छा लगाने वाला, शिप्रा नदी का बायु नव-नियुक्त की ] प्रार्थना में [ खुशामद करने वाले ] चादुकार प्रियतम के समान, स्त्रियों की सुरत जन्य ध्रान्ति को हरण करता है ।

यहा मैत्री पद में अविवित वाच्य ध्वनि और अन्य पदों में अन्य [पटु, दीर्घीकुर्वन् में गम्योद्येषा, प्रत्यूपेषु में स्वभावोक्ति, प्रियतम इव में उपमा आदि] अलङ्कार हैं । [ अतः ध्वनि की वाच्यालङ्घारों के साथ संस्हृणि है । ]

लोचनकार ने लिखा है 'तिश्रापिचिनोऽभी वात इति नागरिको, न तविदधो ग्राम्यप्राय इत्यर्थ ।' यत्र च परनाडि तथा नागरिकः स तर्ग-वश्यमभिग-नयो देश इति मेरदूते मेर प्रति कामिन इयमुक्ति । इसके नागरिक पद क प्रयोग पर इश्वर्णी इरते हुए लोचन तथा बालिप्रिया टाका सर्वात मुद्रित वाराणसीय सक्षरण में टिप्पणीकार ने लिखा है—

'अर्यं राष्ट्रो 'नगरात्मुखनप्रायोदययोः' इति वाणिजीयद्युरेण टका निधन्नन् । तत्र भरता भद्रोजदाक्षितेन तु नागरिकशब्दश्चारशिल्पिनोषदाद्वयो न तु सामान्यतो निषुण्ये ।'

टिप्पणीकार का यह लेख एकदम प्रमाद विजूग्मित ज्ञान पड़ता है । 'नगरात्मुखनप्रायोदययोः' यूत्र स ठक् प्रत्यय नदा 'उन्' प्रत्यय होता है । नगर शब्द से उन् प्रत्यय करक 'नागरक' शब्द बनता है, 'नागरिक' नहीं । भद्रोज-दीक्षित ने भी कामुदा में इस यूत्र का 'उत्त' में 'उन्' प्रत्यय का ही विधान किया है । "नगरराष्ट्राद् उन् स्यत् कुस्तन प्रार्थये च गम्य । नागरकश्चौदः ठिस्या वा । उस्तन इति विम्, नागर बादणा ।" ज्ञान पड़ता है कि टिप्पणीकार ने कीमुदी याद वरते समय इस उत्र में 'नागरक' क रूपान पर 'नागरिक' यह

### संसृष्टालङ्कारसङ्कीर्णे ध्वनिर्यथा :—

दन्तश्चतानि करजैश्च विपाटितानि ,  
प्रोद्धिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे ।  
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा ,  
जातश्चैमुनिभिरप्यवलोकितानि ॥

अत्र हि समासोक्तिसंस्कृतेन विरोधालङ्कारेण सङ्कीर्णस्यालङ्घ्य  
कमव्यङ्ग्यस्य ध्वने प्रकाशनम्, दयावीरस्य परमार्थतो वाक्यार्थी-  
भूतत्वात् ।

अशुद्ध उदाहरण याद कर लिया है। उसी अशुद्ध सृष्टि के आधार पर यह  
टिप्पणी लिख दी है। और 'नगरात्कुत्सनप्रावीणयोः' सूत्र की वृत्ति के देखने  
का भी कष्ट उठाए बिना ही इस सूत्र से ठक् प्रत्यय का विधान कर डाला है।  
इस प्रकार भट्टोजिदीक्षित के लेख की भी दुर्गति कर डाली है।

संसृष्ट अलङ्कार के साथ सङ्कीर्ण ध्वनि का [ उदाहरण ] जैसे :—

अत्यधिक भूत्य न कारण अपने ही बच्चे को खा जाने के लिए उत्तर  
किसी सिंहिनी को देखकर उस बच्चे को बचाने के लिए अपना शरीर भक्षणार्थ  
सिंहिनी को दे देने वाले 'बोधिसत्त्व' की प्रशसा करते हुए कोई कहता है।

[ कारुण्यवश और दूसरे पक्ष में शङ्कारवश ] सघन रोमाङ्गयुक्त आपके  
शरीर पर, रक्षण की इच्छा वाली और दूसरे पक्ष में अनुरक्त मन वाली, मृग-  
राजवधू [सिंहिनी, पक्षान्तर में किसी राजवधू] ने जो दन्तवृत्त और नरवृत्त किए  
उम्हें सुनियो ने भी सतृप्त [ दूसरों की प्राणरक्षा में अपने शरीर का उपहार दे  
देने का यह सौभाग्य हमको भी प्राप्त होता इस भावना से, और दूसरे शङ्कार  
पक्ष में अनुरक्त मन वाली राजवधू के दन्तवृत्त और नरवृत्त प्राप्त करने की  
इच्छा से युक्त ] होकर देखा ।

यद्या, [ सिंहिनी, में, रात्रेणी, के, व्यवहार, का, समारोप, देने, से, ] समा-  
सोक्ति से संसृष्ट [ 'मुनिभिरपि संसृष्टैः' से सूचित ] विरोध अलङ्कार के साथ  
सङ्कीर्ण [ रोमाङ्गादि अनुभाव द्वारा परिपोषित बोधिसत्त्व के दयावीर रस का  
स्थायीभाव दयोत्साह रूप अभिष्यञ्जयमान ] श्रह-लक्ष्यव्यङ्ग्य ध्वनि का प्रकाशन  
होता है। व्योक्ति वास्तव में दयावीर [ रस ] ही [ मुख्य ] वाक्यार्थीभूत है।

संसृष्टालङ्घारसंसृष्टत्वं ध्वनेर्यथा ।—

अदिणअपश्चोआरसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु ।

सोहइ पसारिअगिआणं खच्चिच्चं मोरवन्दाणम् ॥

[ अभिनवपयोदरसितेषु पथिकश्यामायितेषु [ सामाजिकेषु ] दिवसेषु ।

शोभते प्रसारितप्रीवाणा [ गीताना ] नृत्त यूरवृन्दानाम् ॥

इतिच्छाया ।

अत्र हुपमारूपकाभ्या शब्दशब्द्युद्धवानुरणनरूपव्यञ्जयत्य ध्वने: संसृष्टत्वम् ॥४४॥

संसृष्टालङ्घार के साथ ध्वनि की संसृष्टि [ का उदाहरण ] जैसे :—

[ यह गाथा सप्तशती का पद है ] अभिनव मेघों का गर्जन जिनमें हो रहा है और पथिक रूप सामाजिकों से युक्त, अथवा पथिकों को श्याम से मालूम होते हुए, [ वर्षा के ] दिनों में गर्दन फैलाकर अथवा गान करते हुए मोरों का नृत्य [ वडा ] सुन्दर लगता है ।

यहा उपमा और रूपक [ की संसृष्टि ] के साथ शब्दशब्द्युद्धव सलध्यकमध्यद्वय [ ध्वनुध्वनि ] की संसृष्टि है ।

यहा 'पहिअसामाइएसु' इस प्राकृत पद की सरकृत छाया दो प्रकार की हो सकती है । एक तो 'पथिकश्यामायितेषु' और दूसरी 'पथिकसामाजिकेषु' । इनमें से पहिली छाया अर्थात् 'पथिकश्यामायितेषु' के भानने पर श्यामा अधेरी रात के समान आचरण वाले इस अर्थ में 'कतु': वयडूसलोपश्च ३, १, ११ इस शब्द से उपमान वाची श्यामा शब्द से वयट् प्रत्यय होने के कारण उपमा अलङ्घार, और 'पथिकसामाजिकेषु' ऐसी छाया भानने पर 'पथिका एव सामाजिका' । इस प्रकार रूपक हो सकता है । इन दोनों के परस्पर यापेत्त न होने से दोनों की संसृष्टि है । और उसके साथ 'सामाइएसु' इस शब्द के परिवृत्तसह होने के कारण शब्दराजिमूल, उदीनव्यातिशय रूप वस्तुध्वनि की संसृष्टि होती है । आलोड़वार ने यहा उपमा और रूपक की संसृष्टि भानी है परन्तु साहियदर्पणार ने 'पहिअसामाइएसु' इस एक पद में ही दोनों अलङ्घारों ने होने से 'एसाध्य नुप्रेरेण सङ्कर' भाना है ।

यहाँ संसृष्टालङ्घार सङ्कीर्णत्व तथा संसृष्टालङ्घार संगृप्तत्व इन दो के उदाहरण दिये हैं । इनमें साथ ही संदीर्णलङ्घार सङ्कीर्णत्व और सङ्दीर्णलङ्घार संगृप्तत्व यह दो भेद और भी हो सकते हैं परन्तु उदाहरण इन्हीं के अन्तर्गत आ गए हैं इस लिए अलग नहीं दिए गए हैं । जैसा कि अभी या हय-

एवं ध्वनेः प्रभेदाः प्रभेदभेदाश्च केन शब्द्यन्ते ।

संख्यातुं, दिङ्मात्रं तेषामिदमुक्तमस्माभिः ॥४५॥

अनन्ता हि ध्वने, प्रकाराः । सहदयाना व्युत्पत्तये तेषा दिङ्मात्रं कथितम् ॥४६॥

इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिविवेच्यः प्रयत्नतः सञ्ज्ञिः ।

सत्काव्यं कर्तुं वा ज्ञातुं वा सम्यग्भियुक्तैः ॥४७॥

उक्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्काव्यः सहदयाश्च नियतमेव काव्यविषये परा प्रकर्पदवीमासादयन्ति ॥४८॥

अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्वमेतद्यथोदितम् ।

अशक्तनुचञ्जिव्यक्तुं रीतयः सम्प्रवर्तिताः ॥४९॥

दर्पणकार का मत दियाया है उसके अनुसार 'पहिचासामाइएसु' पद में उपमा और रूप का सङ्कर होता है । उस दशा में यही सङ्कीर्णलङ्घार संसृष्ट्य का उदाहरण बन जाता है । उसमें उपमा और रूपक के सङ्कर के साथ वस्तु ध्वनि की समूहि है । और उन्हीं के साथ रसध्वनि का अङ्गज्ञिभावसङ्कर मानने से वही सङ्कीर्णलङ्घार सङ्कीर्णत्व का उदाहरण बन सकता है । अतः इन दो भेदों के अलग उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रही ॥४४॥

इस प्रकार ध्वनि के प्रभेद और उन प्रभेदों के अवान्तर 'भेदों की गणना कौन कर सकता है । हमने उनका यह दिङ्मात्र प्रदर्शन किया है ।

ध्वनि के अनन्त प्रकार हैं । सहदयों के ज्ञान के लिए उनमें से थोड़े से दिङ्मात्र [ ही हमने ] कहे हैं ॥४५॥

उत्तम काव्यों को धनाने अथवा समझने के लिए प्रस्तुत सञ्जनों को इस प्रकार जिस ध्वनि का लक्षण किया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक विवेचन करना चाहिए ।

उक्त स्वरूप ध्वनि के निरूपण में निपुण सत्कारि और सहदय निश्चय ही काव्य के विषय में अव्यन्त उत्कृष्ट पदवी को प्राप्त करते हैं । [ यह प्रकर्प-लाभ ही ध्वनि विवेचना का कल है ] ॥४६॥

अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाले इस पूर्वोक्त काव्य तत्त्व की ध्याल्या कर सकने में असमर्थ [वामन आदि] ने रीतिया प्रचकित की ।

एतद्ध्वनिप्रगत्तनेन<sup>१</sup> निर्णीतं काव्यतत्वमस्फुटस्फुरितं सु  
शक्तुवद्द्विः प्रतिपादयितुं वैदभीं गौड़ी पाञ्चाली चेति रीतयः प्रवर्तिता  
रीतिलक्षणविधायिनां हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक् स्फुरितमार्  
दिति लक्ष्यते<sup>२</sup> । तदत्र स्फुटतया सम्प्रदशितमित्यन्येन<sup>३</sup> रीतिलक्षणेन  
किञ्चित् ॥४७॥

इस धनि के प्रतिपादन से [ अथ स्पष्ट रूप से ] निर्णीत [ परन्तु री  
प्रवर्तक वामन आदि के समय में ] अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाले हस  
[ धनि रूप ] काव्य तत्त्व को प्रतिपादन कर सकने में असमर्थ [ वामन आदि  
आचार्यों ] ने वैदभीं गौड़ी, और पाञ्चाली आदि रीतियां प्रचलित कीं ।  
रीतिकारों को यह [ धनि रूप ] काव्य तत्त्व अस्पष्ट रूप से तुच्छ थोड़ा थोड़ा  
भासता [ अवश्य ] था पेसा प्रतीत होता है । उसको [ अथ हमने ] यहां स्पष्ट रूप  
से प्रतिपादन कर दिया इसलिए अब [ धनि से भिन्न ] अन्य रीति लक्षणों  
की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जब धनि का कोई स्पष्ट चिन लोगों के सामने नहीं था बेबल एक  
अस्पष्ट धु धली छाया प्रतीत होती थी और उन समय के आचार्यों में धनि की  
उस अस्पष्ट रूप रेखा को स्पष्ट रूप से चिनित करने की प्रतिभा का अभाव था,  
उस समय काव्य सौन्दर्य के उस मूल तत्त्व को उन्होंने रीति रूप में प्रतिपादन  
करने का प्रयत्न किया । अब हमने काव्य के आत्मभूत उप मूल धर्मि तत्त्व को  
अत्यन्त स्पष्ट और विस्तृत रूप में प्रतिपादन कर दिया है इस लिए उन रीतियों  
के लक्षण आदि करने की आवश्यकता नहीं है । धनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है ।  
रीतियों का यहुत परिमित । इस लिए रीतियों में धनि का नहीं अग्रिमु धनि  
में रीतियों का अन्तर्भीकृत हो सकता है । इस लिए रीतियों के लक्षण की  
आवश्यकता नहीं है । यह ग्रन्थवार का अभिप्राय है ॥४७॥

रीतियों के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के उचित व्यवहार की प्रसरक दो  
प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में पाया जाता है । भरत के नाम्य  
शास्त्र में 'वृत्तयो नाम्यमातर' सथा 'सर्वेषामेव काव्याना वृत्तयो मातृशः  
स्मृताः ।' इत्यादि वचन मिलते हैं । नाम्य शास्त्र में मुख्यतः नाम्योपयोगी भारती,  
सातती, रैशिनी और आरभटी इन चार प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया

१. वर्णनेन नि० दो० । २. लक्ष्यते पाठ नि०, दो० में नहीं है ।
३. सम्प्रदशितेनाम्येन वा० प्रि० ।

'शब्दतत्त्वाश्रयाः कारिचर्दर्थतत्त्वयुजोऽपराः ।

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥४८॥

अस्मिन् व्यञ्जयव्यञ्जकभावविवेचनामये काव्यलक्षणे ज्ञाते सति  
या. कारिचर्दर्थतत्त्वाश्रया शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याइचार्थतत्त्व-  
सम्बद्धा कैशिक्यादयस्ताः सम्यग् रीतिपदवीमन्तरन्ति । अन्यथा तु  
तासामहष्टार्थानामिव वृत्तीनामभ्रद्वेत्यर्थमेव स्यान्नानुभवसिद्धतत्त्वम् ।  
एवं सुदत्तयैव लक्षणीय स्वरूपमस्य ध्वने ।

है । दशरूपक ने 'तद्व्यापारात्मिका वृत्तिः' कह कर नायनादि के व्यवहार को  
ही वृत्ति बताया है । धन्यालोकभार ने भी 'व्यवहारो हि वृत्तिरिस्तुच्यते' [३,३३]  
लिख कर व्यवहार को ही वृत्ति बताया है । वृत्तियों का निरूपण हम पहले  
कर चुके हैं ।

भरत की चारों वृत्तियों का सम्बन्ध रसों से है और यह व्यवहार रूप है  
इसलिए धन्यालोककार ने उनको 'आर्थात् वृत्ति' कहा है । इनके अतिरिक्त उद्गट  
आदि ने जिन उपनागरिका आदि चार वृत्तियों का प्रतिपादन किया है । उनका वर्णन  
भी हम कर आए हैं । इन उपनागरिका आदि वृत्तियों का सम्बन्ध मुख्यतः शब्दों से  
है इसलिए आलोककार ने इनको 'शब्दात्मित वृत्ति' माना है । इन दोनों प्रकार की  
वृत्तियों का प्रयोजन सद्व्यानुभवगोचर चमत्कार विशेष को उत्पन्न करना ही है ।  
और ध्वनि का प्रयोजन भी यही है । इसलिए जग तक ध्वनि के सिद्धान्त का सम्पूर्ण  
रूप से आविर्भाव नहीं हुआ था ताकि इन वृत्तियों की सत्ता अलग बनी रही  
सो ठीक है । परन्तु ध्वनि सिद्धान्त के स्पष्टास्तरण के बाद जैसे 'श्रीति' की अलग  
आवश्यकता नहीं रही, इसी प्रकार 'वृत्तियों' की भी आवश्यकता समाप्त हो जानी  
है । यह ध्वनिकार का कथन है । इसी बात का उपरादन आगे के प्रकरण में  
किया गया है ।

इस [ ध्वनि रूप ] काव्य स्वरूप के जान लेने पर कुछ शब्द तत्त्व में  
आधित [ भट्टोदयादि वी अभिमत उपनागरिकादि ] और कूसरी धर्मतत्त्व पर  
आधित [ भरताभिमत कैशिकी आदि ] जो कोई वृत्तियों हैं यह भी [ रातियों  
के समान ] याएक रूप ध्वनि के अन्तर्गत ] प्रकाशित हो जाता है । [ कारिका  
के उत्तरार्द्ध में कुछ अध्यादार किए दिना बाक्य अपूर्ण रह जाता है । वृत्तिभार

एतदृध्यनिप्रवर्तनेन<sup>१</sup> निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरितं सद-  
शक्तुवद्द्विः प्रतिपादयितुं वैदर्भी गौड़ी पाञ्चाली चेति रीतयः प्रवर्तिताः।  
रीतिलक्षणविधायिना हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक् स्फुरितमासी-  
दिति लक्ष्यते<sup>२</sup>। तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितमित्यन्येन<sup>३</sup> रीतिलक्षणेन न  
किञ्चित्॥४७॥

इस धनि के प्रतिपादन से [ अथ स्पष्ट रूप से ] निर्णीत [ परन्तु रीति  
प्रवर्तक वामन आदि के समय में ] अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाले इस  
[ धनि रूप ] काव्य तत्त्व को प्रतिपादन कर सकने में असमर्थ [ वामन आदि  
आचार्यों ] ने वैदर्भी गौड़ी, और पाञ्चाली आदि रीतियां प्रचलित की।  
रीतिकारों को यह [ धनि रूप ] काव्य तत्त्व अस्पष्ट रूप से तुछ थोड़ा थोड़ा  
भासता [ अवश्य ] या ऐसा प्रतीत होता है। उसको [ अथ हमने ] यहां स्पष्ट रूप  
से प्रतिपादन कर दिया। इसलिए अथ [ धनि से भिन्न ] अन्य रीति लक्षणों  
की कोई आवश्यकता नहीं है।

जब धनि का कोई स्पष्ट चिन लोगों के सामने नहीं था वेवल एक  
अस्पष्ट युधली छाया प्रतीत होती थी और उस समय के आचार्यों में धनि की  
उस अस्पष्ट रूप रेखा को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने की प्रतिभा का अभाव था,  
उस समय काव्य सौन्दर्य के उस मूल तत्त्व को उन्होंने रीति रूप में प्रतिपादन  
करने का प्रयत्न किया। अब हमने काव्य के आत्मभूत उस मूल भावी तत्त्व को  
अत्यन्त स्पष्ट और विस्तृत रूप में प्रतिपादन कर दिया है इस लिए उन रीतियों  
के लक्षण आदि करने की आवश्यकता नहीं है। धनि का द्वेष बहुत विस्तृत है।  
रीतियों का बहुत परिमित। इस लिए रीतियों में धनि का नहीं अग्रिमु धनि  
में रीतियों का अन्तर्भूत हो सकता है। इस लिए रीतियों के लक्षण की  
आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्नकार का अभिप्राय है। ४७॥

रीतियों के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के उचित व्यापार की प्रवर्तक दो  
प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में पाया जाता है। भरत के नान्य  
शास्त्र में 'वृत्तयो नान्यमातरः' तथा 'सर्वेषामेव काव्याना वृत्तया मातृकाः  
स्मृताः।' इत्यादि वचन मिलते हैं। नान्य शास्त्र में मुख्यतः नान्योपयोगी भारती,  
सालती, वैशिङ्गी और आरभटी इन चार प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया

१. वर्णनेत नि० दो०। २. लक्ष्यते पाठ नि०, दो० में नहीं है।
३. सम्प्रदर्शितेनान्येन या० प्रि०।

**'शब्दतत्वाश्रयाः कारिचिदर्थतत्वयुजोऽपराः ।  
वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥४८॥'**

अस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावनिवेचनामये काव्यलक्षणे ज्ञाते मति या. कारिचित्प्रसिद्धा उपनागरिकाद्या. शब्दतत्वाश्रया वृत्तयो याइचार्थतत्त्व-सम्बद्धा कैशिक्यादयस्ता. सम्यग् रीतिपदवीमवतरन्ति । अन्यथा तु तासामदप्रार्थनामिव वृत्तीनाम् श्रद्धेयत्वमेव स्यान्नानुभवनिद्रत्यम् । एवं सुटतयैव लक्षणीय स्वरूपमस्य ध्वने ।

है । दशरूपक ने 'तद्व्यापारात्मिका वृत्ति' कह कर नायमादि के व्यवहार को ही वृत्ति बताया है । ध्वन्यालोककार ने भी 'व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते' [३,३३] लिख कर व्यवहार को ही वृत्ति बताया है । वृत्तियों का निरूपण हम पहिले कर चुके हैं ।

भरत की चारों वृत्तियों का सम्बन्ध रखो से है और वह व्यवहार रूप है इसलिए ध्वन्यालोककार ने उनको 'आर्थात् वृत्ति' कहा है । इनके अतिरिक्त उद्घट आदि ने जिन उपनागरिका आदि चार वृत्तियों का प्रतिपादन किया है । उनका वर्णन भी हम कर आए हैं । इन उपनागरिका आदि वृत्तियों का सम्बन्ध मुख्यतः शब्दों से है इसलिए आलोककार ने इनको 'शब्दाश्रित वृत्ति' माना है । इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का प्रयोजन सहदयानुभवगोचर चमत्कार विशेष को उत्पन्न करना ही है । और ध्वनि का प्रयोजन भी यही है । इसलिए जर तरु ध्वनि के सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से आविर्भाव नहीं हुआ था तर तक इन वृत्तियों की सत्ता अलग बनी रही सो ठीक है । परन्तु ध्वनि सिद्धान्त के स्पष्टाकरण के बाद जैसे 'रीति' की अलग आवश्यकता नहीं रही, इसी प्रकार 'वृत्तियों' की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है । यह ध्वनिकार का कथन है । इसी बात का उपगादन आगे के प्रकरण में किया गया है ।

इस [ ध्वनि रूप ] काव्य स्वरूप के जान लेन पर कुछ शब्द तत्त्व में आधित [ भट्टोदयादि की अभिमत उपनागरिकादि ] और दूसरी अपेक्षा पर आधित [ भरताभिमत कैशिकी द्वादि ] जो कोई वृत्तिया है वह भी [ रोतियों के समान ध्यापक रूप ध्वनि के अन्तर्गत ] प्रकाशित हो जाती है । [ कारिका के उत्तरार्द्ध में कुछ अप्याहा किं विना काव्य अपूर्ण रह जाता है । वृत्तिकार

यत्र शब्दानामर्थना च केषाच्छ्रितप्रतिपत्तिविशेषसंवेद्यं जात्यत्वमिव  
रत्नविशेषाणां चास्त्वमनाख्येयमवभासते कान्त्ये तत्र ध्वनिव्यवहार इति  
यलक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयुक्तमिति 'नाभिधेयतामर्हति । यतः  
शब्दानां 'स्वरूपाश्रयस्तावदमिलप्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोग', वाचकाश्रयम्  
प्रसादो व्यञ्जकत्वं चेति विशेषः । अर्थना च स्फुटत्वेनावभासन व्यङ्ग्य-  
परत्वं 'व्यङ्ग्याशविशिष्टत्वं चेति विशेष । तौ च विशेषौ व्याख्यातुं  
'शक्येते व्याख्यातौ च वहु प्रकारम् ।'

मैं भी उसकी व्याख्या में 'ता सम्बग् रीतिपद्धीमवतरन्ति' लिख कर उसकी  
व्याख्या की है । अथात वह वृत्तिया भी रीतियों के समान ध्वनि में अन्तर्भूत  
हो जाती है ।

इस व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभाव के विवेचनामध्य काव्य लक्षण के विदित हो  
ही जाने पर जो प्रसिद्ध उपनागरिकादि शब्दतत्त्वाधित वृत्तिया और जो अर्थ-  
तात्र से सम्बद्ध कैशिकी आदि वृत्तिया हैं वह पूर्णरूप से रीति मार्ग का  
अपलब्धन करती है । [ अर्थात् जैसे व्यापक रूप ध्वनि में रीतियों का अन्तर्भव  
हो जाता है, इसी प्रकार दोनों प्रकार की वृत्तियों का अन्तर्भव भी व्यापक  
ध्वनि में हो जाता है । उनके अलग लक्षण आदि की आवश्यकता नहीं रहती ]  
अन्यथा [ यदि सहदयानुभवगोचर चमत्कार विशेष जनक ध्वनि के साथ  
वृत्तियों का तादात्म्य अभेद न माने तो सहदयानुभवगोचर चमत्कार विशेष  
जनकत्व के अतिरिक्त वृत्तियों का और कोई दृष्ट प्रयोजन यह ही नहीं सकता  
है इसलिए ] अदृष्ट पदार्थों के समान वृत्तियों, अध्रदेय हो जावेंगी, अनुभव  
सिद्ध नहीं रहेगी ।

इस प्रकार इस ध्वनि का स्पष्ट रूप में लक्षण किया जा सकता है ।

'जहाँ इन्हीं शब्दों और अर्थों का चास्त्व विशेष, रत्नों के जाग्यात्  
[ उद्दृष्ट जातीयत्व ] के समान विशेषज्ञ सवेद्य और अवरणीय रूप में  
प्रतीत होता है उस काव्य में ध्वनि व्यवहार होता है' किसी ने यह जो ध्वनि  
का लक्षण किया है वह असुक और इसलिए कहने योग्य नहीं है । [ शीघ्रित-  
वार ने 'अभिधेयता' की जगह 'अवधेयता' पाठ रखा है । इसके अनुगार व्याख्या

१. नावधेयतामर्हति नि०, दी० । २. स्वरूपभदास्तावत् नि० । ३. व्यङ्ग्य-  
विशिष्टत्व नि० । ४. व्याख्यातुमशक्यो व्याख्यातौ वहुप्रकारम् नि०, दी० ।

तद्व्यतिरिक्तानारथेयविशेषसम्भावना तु विवेकावसादभाव-  
मूलैव । यस्मादनार्थेयत्वं 'सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति ।  
अन्ततोऽनारथेयशब्देन तस्याभिधानसम्भवात् ।'<sup>३</sup>

सामान्यसंस्पर्शिकल्पशब्दागोचरत्वे सति प्रकाशमानत्वं तु  
'यदनार्थेयत्वमुच्यते क्वचित् तदपि काव्यविशेषाणां रत्नविशेषाणामिव  
न सम्भवति । तेषां लक्षणकारैव्यर्थकृतरूपत्वात् । रत्नविशेषाणां च

देने योग्य नहीं है । यह अर्थ होगा ] क्योंकि शब्दों का स्वरूपगत विशेष  
अविलष्टत्व [ श्रुतिरुद्ध आदि दोपराहित्य ] होकर अपुरुक्तत्व, तथा [ शब्दों का  
ही दूसरा ] वाचकात्व [ बोधकत्व ] गठ प्रियोप प्रसाद [ गुण ] तथा व्यञ्जकत्व,  
[ यह दो शब्द के मिशेप धर्म हो सकते हैं इसी प्रकार ] और अर्थों की स्पष्ट  
प्रतीति, व्यङ्ग्यपरता, तथा व्यङ्ग्यविशिष्टता यह विशेष [ धर्म ] हो सकते हैं ।  
वह दोनों [ शब्दगत तथा अर्थगत ] प्रियोप [ धर्म ] व्याख्या करने योग्य है ।  
और [ उनकी हमने ] अनेक प्रकार से व्याख्या की [ भी ] है । [ दीधितिकार  
ने 'व्याख्यातुमशक्यौ' पाठ माना है और, 'किन्हीं की दृष्टि में उनका व्याख्यान  
असम्भव होने पर भी' यह अर्थ किया है ] इन [ शब्द और अर्थ निष्ठ विशेष  
चाहत्व हेतुओं ] के अतिरिक्त मिसी अवर्णनाय विशेष की सम्भावना [ कल्पना ]  
विवेक के अल्पन्ताभाव से [ अर्थात् मूर्खतावश ] ही हो सकती है ।

क्योंकि अनार्थेयत्व [ अवर्णनीयत्व ] का अर्थ समस्त शब्दों का  
अविषयत्व ही है । [ और ] वह [ सर्वशब्दागोचरत्व रूप अनार्थेयत्व ] किसी  
[ भी पदार्थ ] का सम्भव नहीं है । [ क्योंकि प्रग्नेश पदार्थ का कोई न कोई  
नाम होगा ही उसो नाम से वह आर्थेय होगा । और दुर्जनतोप न्याय से ऐसा  
कोई संज्ञारहित पदार्थ भाज भी लैं तो भी ] अन्ततः 'अनार्थेय' इस शब्द से  
तो उसका अभिधान [ अथन ] सम्भव होगा ही । [ इसलिए किसी पदार्थ को  
अनार्थेय नहीं कहा जा सकता । अतएव अनि को अनार्थेय कहना उचित  
नहीं है । ]

सामान्य [ जात्यादि ] को ग्रहण करने वाला जो सविकल्पक ज्ञान  
[ नाम चात्यादिथोजनासहित सपिकल्पकम् ] उसका विषय न होकर [ अर्थात्

१. विवेकावसादगर्भरभममूर्संव नि०, दो० । २. शब्दार्थगोचरत्वेन दो० ।

३. तदभिधानात् दो० । ४. तदनार्थेयत्वमुच्यते नि० ।

सामान्यसम्भावनयैव मूल्यस्थितिपरिकल्पनादर्शनाच्च । उभयेषामपि तेषां प्रतिपत्तिविशेषसंवेद्यत्वमस्त्येव । वैकटिका एव हि रत्नतत्त्वविदः, सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः ।

यत्वनिर्वैश्यतत्रं सर्वलक्षणविपयं वौद्धानां प्रसिद्धं तत् तन्मतपरीक्षायां प्रन्थान्तरे निरूपयिष्यामः । इह तु प्रन्थान्तरथवणलुचप्रकाशनं सहृदय-वैमनस्यप्रदायीति न प्रक्रियते । वौद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं तथाऽस्माकं ध्वनिलक्षणं भविष्यति ।

निर्विकल्पक ज्ञान के रूप में] प्रशास्यमानता रूप जो अनाख्येयत्व [का लक्षण] कहीं बताया गया है वह भी रत्न विशेषों के समान काव्य विशेषों में सम्भव नहीं है । क्योंकि लक्षणकारों ने उनकी व्याख्या कर दी है । [ अत एव रत्न और काव्य दोनों ही विकल्प ज्ञान के अविषये नहीं अपितु विषय होने से अनारयेय नहीं हो सकते हैं ] और रनों में तो सामान्य [रत्नत्व] सम्भारना से ही मूल्य स्थिति की कल्पना देखा जाती है । और वह दोनों [रत्न और काव्य] विशेषों द्वारा सवेच्य है । क्योंकि [ वैकटिक ] जीहरा रत्नों के तत्त्व की समझते हैं । और सहृदय काव्य के रमज़ होते हैं । इसमें किस की मतभेद हो सकता है ।

बौद्ध दर्शन हण्डभङ्गादी दर्शन है । उसके मत में सभी पदार्थ ज्ञातिक हैं । इसलिए उनमें लक्षण नहीं किये जा सकते हैं । अतएव अनिश्चय या भी लक्षण सम्भव नहीं है । और वह अनारयेय ही है । यह पूर्वतः होने पर उत्तर देते हैं ।

बौद्धों के मत में समस्त पदार्थों का जो अलक्षणीयत्व [अनिर्वैश्यनीयत्व] प्रसिद्ध है उसका विवेचन हम अपने दूसरे ग्रन्थ [ 'विनिश्चय' नामक बौद्ध प्रन्थ की 'धर्मोत्तमा' नामक विवृत्ति प्रन्थ ] में उनके मत की परीक्षा के अप्रसर पर करेंगे । [ जिसका सार यह होगा कि बौद्धों का हण्डभङ्गवाद का सिद्धान्त ही ठीक नहीं है । अतएव उसके आधार पर अलक्षणीयत्व का सिद्धान्त भी नहीं बन सकता है । ]

यहाँ तो [ उस अस्यन्त शुष्क और बठिन ] दूसरे प्रन्थ के विषय की सनिक सी चर्चा [ प्रकाशन ] भी सहृदयों के लिए वैमनस्य दायक होंगी इसलिए [ हम उसको इस समय ] नहीं कर रहे हैं । [ फिर भी इतना कह देना तो उचित होगा कि बौद्ध लोग सब वस्तुओं को ज्ञातिक और अलक्षणीय

‘तस्माल्लक्षणान्तरस्याघटनादशब्दार्थत्वाच्च तस्योक्तमेव ध्वनि-  
लक्षणं साधीयः ।

तदिदमुक्तम् :—

अनाख्येयांशभासित्वं निर्वच्यार्थतया ध्वनेः ।

न लक्षणं, लक्षणं तु साधीयोऽस्य यथोदितम् ॥

इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके  
तृतीय उद्योतः



मानते हुए भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के लक्षण करते हैं अतएव ] यदों के मर में  
[ शणिकत्व और अलक्षणीयत्व होते हुए भी ] प्रत्यक्षादि के लक्षण के  
समान हमारा ध्वनि लक्षण भी हो सकता है ।

इसलिए [ हमारे लक्षण के अतिरिक्त ] अन्य कोई लक्षण न किए जाने  
और उस [ ध्वनि ] के वास्तव अर्थ न [ अ-शब्दार्थ ] होने से पूर्वोक्त [ हमारा किया  
हुआ ] ध्वनि लक्षण ही ठीक है ।

इसी को [ संग्रह रूप में ] इस प्रकार कहा है :—

ध्वनि के निर्वचनीय अर्थ होने से अनाख्येयांशभासित्व उसका लक्षण  
नहीं है । उसका ठीक लक्षण जैसा हमने कहा है वही है ।

श्री राजानक आनन्दवर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक में  
तृतीय उद्योत समाप्त हुआ

८२६३

इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरमिदान्तशिरोमणिविरचनायां  
'आलोकदीपिकारूपाया' हिन्दीवारयायां  
तृतीय उद्योतः समाप्तः

—☆—

## चतुर्थ उद्योतः

४५८

एवं ध्वनि सप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य, तदव्युत्पादने  
प्रयोजनान्तरमुच्यते :—

ध्वनेयर्यो गुणीभूतव्यज्ञयस्याध्वा प्रदर्शितः ।

अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥१॥

य एष ध्वनेर्गुणीभूतव्यज्ञयस्य च मार्गं प्रकाशितस्तथा  
फलान्तरं करिप्रतिभानन्त्यम् ॥१॥

अथ ‘आखोरदीपिकाया’ चतुर्थ उद्यात

इस प्रथार विप्रतिपत्तियों के निराकरण के लिए भेदोपभेद सहित  
ध्वनि का निरूपण करके, उसम् प्रतिपादन का दूसरा प्रयोजन [भी] बताते हैं ।

गुणभूतव्यज्ञय सदित ध्वनि का जो मार्गं प्रदर्शित किया है इस  
[मार्ग का अवलम्बन करने] में कवियों की प्रतिभा शक्ति अनन्तता को प्राप्त  
कर लेती है ।

यह जो ध्वनि और गुणीभूतव्यज्ञय का पथ प्रदर्शित किया है उसका  
दूसरा फल कवि भी प्रतिभा [काव्योक्तर्य जनक शक्ति] का आनन्द्य  
[अविद्युन्नत्व] है ॥१॥

[प्रश्न] ध्वनि और गुणीभूतव्यज्ञय यह दोनों काव्यनिष्ठ धर्म हैं । प्रतिभा  
गुण करिनिष्ठ धर्म है । अतः यह दोनों व्यधिकरण धर्म हैं । अर्थात् इन  
दोनों ने व्यधिकरण-आधार अलग अलग हैं । कार्यकारणभाव समानाधिकरण  
धर्मों में ही ही सक्त है । व्यधिकरण धर्मों में कार्यकारणभाव भानने से तो  
देवदत्त का कर्म यजदत्त के फलभोग का श्रध्यना देवदत्त का जान दग्धदत्त की  
समृति का कारण होने लगेगा । अतः व्यधिकरण धर्मों में कार्य कारण भाव नहीं  
हो सकता । ऐसी दशा में ध्वनि और गुणीभूतव्यज्ञय, भिन्न व्यधिकरण में रहने  
वाली, [व्यधिकरण] कर्विप्रतिभा के आनन्द वे हठ उन्हें हो सकेंगे । यह प्रश्न  
कर्ता का आशय है । इसके उत्तरदाता का आशय यह है कि ध्वनि और गुणी-

कथमिति चेत्—

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता ।

वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ॥२॥

अतो<sup>१</sup> धनेरुक्तप्रभेदमध्याद्यन्यतमेनापि । प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातनकृतिनिष्ठार्थस्त्वर्त्ववत्यपि नवत्वमायाति । तथाह्यविवक्षितप्राञ्यस्य धने प्रकारद्वयसमाश्रयणेन नवत्वं पूर्वार्थं नुगमेऽपि यथा—

स्मित किञ्चित्तु मुग्ध तरलमधुरो दृष्टिविभव ,  
परिस्पन्दो ग्राचामभिनवपिलासोर्मिसरस ।<sup>२</sup>

भूत व्यङ्ग्य नहा अपितु उनका 'ज्ञान' काव्यप्रतिभा के आनन्द का हेतु होता है । 'ज्ञान' और 'प्रातभा' दोनों काव्यनिष्ठ धर्म हैं । अतएव 'ज्ञानद्वारक सामानार्थ करण्य' को लेफुर काय कारण भाव मानने में कोई दोष नहीं है । इसी आशय से पूर्वपक्ष उठाकर अगली कारिका में उसका उत्तर दिया है ।

यदि काई पूछ कि [ ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य करि प्रतिभा के आनन्द के हेतु ] कैसे [ होंग ] तो [ उत्तर यह है कि ] —

उन [ ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य ] में स किसी एक से भी विभूषित [ करि ] की वाणी [ वाल्मारि, व्यास आदि अन्य कवियों द्वारा प्रतिपादित अतएव ] पुरात अर्थों स युक्त [ वाच्य वाचक भाव स सम्बद्ध ] होन पर भी नवीनता [ अभिनव चाहूँ ] को प्राप्त हो जाती है ।

इन ध्वनि के उक्त भेदों [ ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य ] में स किसी एक भी भद्र स युक्त [ कवि की ] पुरातन कवि निष्ठद अर्थों का वर्णन करने वाली वाणी [ भा ] नवीनता [ अभिनव चाहूँ ] को प्राप्त हो जाती है । पूर्व [ कविविषित ] अथ का सम्बन्ध होन पर भी अविवक्षित वाच्य [ लक्षण मूल ] ध्वनि के दोनों [ अर्थान्तरसंरक्षित वाच्य तथा अन्यन्तरिस्तृत वाच्य ] प्रकारों के आधय स नवीनता [ का उदाहरण ] जैम —

नव धौरन का स्पश करन वाली [ वय सन्धि में वर्तमान ] मृगनवयनी

१ अतो हि नि०, दो० । २ विलासोर्मिसरस नि० ।

गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमलः १,  
स्पृशन्त्यास्तारुहयं किमिव हि न रम्यं मृगदृशः ॥

इत्यस्य—

सविभ्रमस्मितोद्भेदा लोलाच्यः प्रस्वलद्विगिरः ।  
नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ॥  
इत्येवमादिपु श्लोकेषु सत्स्वपि तिरस्तुतवाच्यव्यवनिमपाश्रयेणा-  
पूर्वत्वमेव प्रतिभासते ।

की तनिक सी मधुर मुरुगान, चश्चल और सुलच्छण मीठी दृष्टि का सौन्दर्य, नवीन [ पिलास ] पूर्ण उक्तियों से सरस वाणी का प्रयोग, विविध हावभारों को प्रियसित करने वाली उक्तियों का उपक्रम, [ इत्यादि में से ] कौन सी धीज मनोहर नहीं है । [ सभी उक्त मुन्दर और रमणीय हैं ] ।

इस [ श्लोक ] का—

विभ्रम [ शक्ता चेष्टा विशेष ] से युक्त, जिनकी मन्द मुरुगान विल रही है, आंमे चश्चल और वाणी सहस्रदा रही है, और नितम्बाँ [ के अति भार ] के कारण जो धांर-धांरे चलने वाली कामिनियाँ हैं, यह किसको प्रिय नहीं लगती है ।

तथा—

यः प्रथमः, प्रथमः स तु तथा हि हतहस्तिवहलपललाशी ।  
श्वापदगणेषु सिंहः, सिंहः केनाघरीक्रियते ॥

इत्यस्य, —

स्वते ज्ञः क्रीनमहिमा केनान्येनातिशय्यते ।  
महद्धिरपि मातङ्गैः सिंहः किमभिभूयते ॥

इत्येव मादिपु श्लोकेषु सत्त्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमा-  
श्रयेण नवत्वम् ।

तथा—

जो प्रथम है वह तो प्रथम [ ही ] है, जैसे हिंस प्राणियों में, मारे हुए  
हाथियों के प्रचुर मास को खाने वाला सिंह, सिंह ही है, उसे कौन नीचा  
[ तिरस्कृत ] कर सकता है ।

इसका,

अपने प्रताप से गौरव प्राप्त करने वाले [ महापुरुष ] से बढ़ कर कौन  
हो सकता है । क्या बड़े-बड़े [ विशालकाय ] हाथी भी मिंह को दया  
सकते हैं ?

इत्यादि [ प्राचीन ] श्लोकों के होते हुए भी [ 'यः प्रथम' इत्यादि  
नवीन श्लोक में द्वितीय बार प्रयुक्त 'सिंहः' तथा 'प्रथमः' पदों में ] अर्थान्तर-  
संक्रमित वाच्य ध्वनि के आध्रय से नवीनता आ गई है ।

यहा 'यः प्रथमः' इत्यादि श्लोक के 'पूर्वांश्च' में दूसरी बार प्रयुक्त 'प्रथमः'  
पद, और उत्तरांश में दूसरी बार प्रयुक्त 'सिंहः' पद पुनरुक्त होने से, यथाभृत,  
अन्वित न हो सकने के कारण अबहत्स्वार्थां लक्षण के द्वारा असाधारण्य,  
परानभिमवन् यत्व, आदि विशिष्ट 'प्रथम' तथा 'सिंह' अर्थ के बोधक होते हैं ।  
अतः उनमें अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि के सम्बन्ध से यह नवीनता प्रतीत होने  
लगती है ।

विवक्षितान्यपरवान्यस्यापि, उक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्वं 'यथा—  
निद्राकैतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वक्त्रं वधूः,  
वोधत्रासनिरुद्धचुम्बनरसाऽप्याभोगलोलं स्थिता ।  
वैलद्याद्विमुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भणः,  
साकांशप्रतिपत्ति नाम हृदयं यातं तु पारं रतेः ॥

\*इत्यादेः इलोकस्य—

शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिन्नन्दनै-  
निद्राव्याजमुषागतस्य सुचिरं निर्वर्णयं पत्युमूर्यम् ।

अविवक्षित वाच्यध्वनि के समर्क से नूतन चारूत्व की प्राप्ति के उदाहरण दिखा कर अब विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के असलच्यक्रम व्यङ्ग्य मेद के सम्पर्श से नवीन चारूत्व की प्राप्ति का उदाहरण देते हैं ।

विवक्षितान्यपर वाच्य [ अभिधामूल ध्वनि ] के भी पूर्वोक्त [ सलाद्य-  
अम व्यङ्ग्य तथा असलच्यक्रम व्यङ्ग्य ] प्रकारों [ में से असंलच्यक्रम व्यङ्ग्य  
ध्वनि रूप प्रकार ] के समाश्रय से नर्वीनता [ प्राप्ति ] का [ उदाहरण ] जैसे—

[ नर परिणीता ] वधू नींद का यहाना करके लेटे हुए, पति के मुख पर अपना मुख रख कर, उनके जग जाने के दूर से अपनी मुम्बन की इच्छा को रोक कर भी [ आभोग ] चुम्बनेच्छा के प्रतिष्ठण वदने के कारण चश्मा [ अथवा बार यार निद्रा ] को परीक्षा करते हुए चश्मा खड़ी है । और [ मेरे चुम्बन कर लेने से ] लज्जा के कारण यह कहीं प्रियुग न हो जाय, यह सोच कर [ चुम्बन इयापार का ] आरम्भ न कर सकने वाले उस [ नायक ] का भी हृदय [ मनोरथ पूर्ति न हो पाने से सामाज भले ही हो, परन्तु ] रति [ रम्यास्याद ] के पार पहुंच गया ।

इत्यादि इलोकः,

वास गृह [ अपने सोने के फ्लोर ] को [ अन्य साथी आदि से ] शून्य [ इत्तली, एकान्त ] देख कर, धोंते से पलग पर से थोड़ा सा उठाकर, नींद का यहाना किए हुए पति के मुख को यहुत देर तक [ कहीं जाग तो नहीं रहे हैं ]

१. तत्रातश्यप्रमप्रकारसमाधयेणान्यपात्वम् नि०, दी० में यथा के पूर्व इतना पाठ अधिक है । २. इत्यस्य नि० ।

विस्त्रव्यं परिचुम्भ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं,  
लज्जानम्रमुखी प्रियेण इसता वाला चिरं चुम्भिता ॥

इत्यादिपु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम् ।

यथा वा 'तरङ्गभूभङ्गा' इत्यादि श्लोकस्य 'नानाभिन्नमद्भ्रू' ।

इत्यादि श्लोकापेक्षयाऽन्यत्वम् ॥२॥

'युक्त्यानयानुसर्तव्यो रसादिर्वहुविस्तरः' ।

<sup>३</sup>मितोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमागां यदाश्रयात् ॥३॥

इस दृष्टि से ] देखने के बाद [ वास्तव में सो रहे हैं ऐसा समझ कर ] विश्वास पूर्णक चुम्भन कर के, उनके कपोलों को [ चुम्भन के कारण ] रोमाज्ज युक्त देख कर, लज्जा से नम्रमुखी उम नबोदा वधू को हंसते हुए पति ने बहुत देर तक चुम्भन किया ।

इत्यादि श्लोकों के रहते हुए भी [ 'निद्राकैतविनः' इत्यादि नवीन श्लोक में ] नूतनता प्रतीत होती है ।

'शून्य वासगृह' इत्यादि श्लोक में वाला रूप आलम्भन, शून्य वासगृहादि उद्दीपन प्रभाव, लज्जा आदि व्यभिचारीभाव, उम्यारघ परिचुम्भन रूप अनुभाव आदि से यद्यपि शृङ्गार रस चर्चणा गोचर होता है परन्तु ये भी लज्जा, व्यभिचारीभाव के स्वशब्दवाच्यत्व तथा 'निर्वर्य' पद से श्रुतिकटुत आदि दोषों के कारण रसापक्ष्य होना अनिवार्य है । उसकी अपेक्षा प्रायः उसी अर्थ के चोबक 'निद्राकैतविनः' इत्यादि श्लोक में दोनों की परस्पर चुम्भनाभिलापधारा से संसूच्यमान रति, दोनों की समानाकार चित्तवृत्ति को प्रकाशित रखती हुई कुछ स्वरूप से परिपोष को प्राप्त होकर आस्त्वाद का विषय बनती है । और उस अद्भुत रूप से परिपोष को प्राप्त होकर आस्त्वाद का विषय बनती है । अतएव असलद्यमन्यज्ञय च्वनि के साम्राज्य के कारण इसमें अपूर्वता प्रतीत होती है ।

अथवा जैसे 'तरङ्गभूभङ्गा' इत्यादि [ पृ० १२८ पर दिए हुए ] श्लोक की 'नानाभिन्नमद्भ्रू' इत्यादि [ प्राचीन ] श्लोक की अपेक्षा [ अमलद्यव्यक्तमन्यज्ञय च्वनि के प्रभाव में ] अत्यंता प्रतीत होती है ॥२॥

इसी प्रकार अथ्यन्त विस्तृत रसादि का अनुसरण करना चाहिए ।

इत्यादिपु सतत्वपि ।

तस्यैवार्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यञ्जयसमाश्रयेण नवत्वम्, यथा—  
‘एवंवादिनि देवपौ’ इत्यादि श्लोकस्य,

कृते वरकथालापे कुमार्यः पुलकोदूगमैः ।

सूचयन्ति स्युहामन्तर्लक्ष्यावनताननाः ॥

इत्यादिपु सत्सु’ ।

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यञ्जयस्य कविप्रौढोऽस्तिनिमित्तशरीर-  
त्वेन नवत्वम्, यथा—

“सज्जइ सुरहिमासो” इत्यादेः;

सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीयाः ।

रागवतामुत्कलिकाः सहैव सहकारकलिकाभिः ॥

[ कम्पायमान और सामाजिक मर्यादा से च्युत होती हुई ] पृथ्वी को धारण  
[ धारण तथा पालन ] करते हैं।

इत्यादि के होने पर भी [ पूर्वोक्त ‘धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः’ ]  
इत्यादि उदाहरण में नृतनता प्रतीत होती है व्याख्यानिक उसमें शब्दशक्त्युद्भव  
अलङ्कार व्याख्यान के कारण अभिनन्दन धारण आ गया है । ]

उसी [ विवितान्यपरवाच्य ] के अर्थशक्त्युद्भव रूप संलग्नव्यक्तम् व्यङ्ग्य  
[ भेद ] के आश्रय से नवीनता [ का उदाहरण ] जैसे—‘एवंवादिनि देवपौ’  
इत्यादि [ पृष्ठ १८१ पर दिए हुए श्लोक ] की,

वर की चर्चा के अपसर पर लज्जा में सुख नीचा किए हुए कुमारियाँ  
पुलकों के उद्गम से ही आनंदिक इच्छा को अभिव्यक्त करती हैं।

इत्यादि के रहने पर भी । [ इस श्लोक में लज्जा और स्युहा वाच्य रूप  
में कथित होने से उतनी चमत्कार जनक नहीं प्रतीत होती है । ‘एवंवादिनि’  
इत्यादि श्लोक में वही अर्थशक्त्युद्भव व्याख्यान रूप व्यङ्ग्य के सम्बन्ध से, विशेष  
चमत्कारजनक होने से, अपूर्ण प्रतीत होती है । ]

अर्थशक्त्युद्भव संलग्नव्यक्तम् के कविप्रौढोऽस्तिनिमित्त भेद से नवीनता ।  
जैसे—‘सज्जयति सुरभिमासो’ इत्यादि [ पृष्ठ १८१ पर उदृष्ट ] श्लोक की,

इत्यादिपु सत्सवप्यपूर्वत्वमेव ।

अर्थशक्त्युद्धवानुरणनस्पव्यज्ञयस्य कविनिवद्वयकृत्प्रोटोक्ति-  
निष्पन्नशरीरत्वे सति, नवत्वं यथा—

‘याणिअथ हत्यिदन्ता इत्यादि गाथार्थस्य,

करिणी वेहृत्यअरा मह पुत्तो एककश्चालडिणिराई ।

हत्यासोन्हाएँ तह कहो जह कएडकरएडअ वहइ ॥

[करिणीवैघव्यमरो मम पुत्रैऽक्ष्माएडविनिपाती ।

हनस्तुपया तथा हृतो यथा कालडकरएडक नहर्ति ॥ इनिद्वाया]

एतमादिपर्येषु सत्सवप्यनालीढतैऽप ।

वसन्त ऋतु के आने पर आच्छ मन्त्रियों के साथ ही प्रणयी जनों की  
रम्य उत्करणात् सहसा आपिभूत होने लगती है ।

इत्यादि के हाने पर भी अपूर्व व ही होता है । [ यहाँ कविप्रौदीक्ति-  
सिद्धवस्तु से मदन विनृभण सूप वस्तु व्यहृत होने के कारण नवोन चारता  
आ जाती है । ]

अर्थशक्त्युद्धव सलच्यकम व्यहृय के कविनिवद्वयकृत्प्रोटोक्ति-सिद्ध  
सूप होने पर अभिनवव [ चारता प्रतीति का उदाहरण ] जैसे—

‘वणिनक हस्तिदन्ता’ [ पृष्ठ २२० पर उदाहरण ] इत्यादि गाथा के  
अर्थ की—

[ केवल ] पृक ही याण के प्रयोग स [ मदमत हाथियों को मार कर ]  
हाथियों को विघ्ना करने वाले मरे पुत्र को उस अमागिनी पुत्रवधु ने  
[ निरन्तर सम्भोग दारा ] एसा [ शीखवीर्य ] कर दिया है कि [ अब वह  
सारा ] त्योर लादे पूमता है ।

इत्यादि अर्थों [ समानार्थक श्लाघ ] क रहते हुए भी [ ‘वणिनक  
हस्तिदन्ता’ इत्यादि श्लोक में कविनिवद्वयकृत्प्रोटोक्ति मिद प्यहृय के प्रभाव  
से ] नृतनता ही है ।

जैसे ध्यनि के व्यहृय भेद के आधय से काष्यार्थों में नृतनता आ जाती

यथा व्यज्ञभेदसमाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यते,  
तथा व्यञ्जकभेदसमाश्रयेणापि । तत्तु प्रन्थविस्तरभयान्तं लिख्यते ।  
स्वयमेव सहद्यैरभ्यूल्यम् ॥४॥

है उसी प्रकार व्यञ्जक भेद के आश्रय से भी [ ही सत्ती है ] प्रन्थ विस्तार के भय से उसे नहीं लिख रहे हैं । सहद्य [ पाठक ] उसको स्वयं ही समझ लें ।

निर्णयसागरीय तथा दीधिति टीका वाले सस्करण में 'विशिष्टक' इत्यादि उदाहरण के पूछ निम्न पाठ और दिया है—

"साग्रविद्यरणज्ञोऽवणहथालम्ब समुण्डमन्तेहि ।

अबुद्धणाभिमव मम्महस्य दिशण तुह शरेहि ॥

अस्य हि गाथार्थस्य,

उदित्तर कञ्चाभोञ्चा जह जह अणआ विणन्ति वालानाम् ।

तह लदावासो व्य मम्मटो हिअथमाविसद ॥

[ उदित्तरकञ्चाभोगा यथा यथा स्तनना वर्धन्ते वालानाम् ।

तथा तथा लव्यावास इव मन्मथो हृदयमाविशति ॥ इतिच्छाया ]

एतद्गाथार्थेन न पोनदक्षयम् ।"

[ साग्रव इत्यादि गाथा की छाया तथा व्याख्या पढ़िले पृष्ठ १६६ पर दी जा चुकी हैं । ] इस गाथा के अर्थ की—

केशपाश से शोभायमान वालिकाओं के स्तन व्योर्यों बढ़ते हैं त्योंत्यों अवसर प्राप्त कामदैव हृदय में प्रविष्ट हो जाता है ।

इस गाथा के अर्थ के साथ पुनरुक्ति नहीं होती है । यहाँ द्वितीय श्लोक में वाच्योत्प्रेक्षा द्वारा यीवनारम्भ में वालिकाओं के हृदय में मदन के प्रवेश का वर्णन है । परन्तु प्रथम श्लोक में वही अर्थ कविनिवद्ववकृप्रीदोर्च्छि सिद्ध व्यज्ञभ रूप से प्रतीत होने से अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है । काशी के वालिमिया टीरामुक सस्करण में 'साग्रव' इत्यादि और 'उदित्तर' इत्यादि दोनों उदाहरण नहीं दिए हैं । निर्णयसागरीय सस्करण में उदित्तर . .... के आगे कुछ पाठ हुआ हुआ है । दीधितिकार ने उस पाठ की उदित्तर मान कर उसे पूर्ण कर दिया है ।

अत्र च पुन पुनरुक्तमपि सारतयेद्दमुन्यते —

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्निपिधे सम्भवत्यपि ।

रसादिमय एकस्मिन्नकविः स्याद् वधानवान् ॥५॥

अस्मिन्नर्थान्तर्यहेतौ व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे 'विचित्रे शब्दानां<sup>१</sup> सम्भवत्यपि कविरपूर्वार्थलाभार्थी<sup>२</sup> रसादिमय एकस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जक भावे यत्नादवधदधीत । रसभावतदाभासरूपे हि व्यङ्ग्यव्यञ्जकेषु च यथानिर्दिष्टेषु वर्णपदव्याकुर्याचनाप्रवद्येव वद्यहितप्रशस्त्र संख्या सर्वमपूर्व काव्य सम्पदते । तथा च रामायणमहाभारतान्पु सह्यामादय पुन पुनरभिहिता अपि नननया प्रकाशन्ते ।

प्रवन्धे चाङ्गी रम एक एतोपनिवृथ्यमानोऽर्थविशेषलाभं लाया- । तिशय च पुष्ट्याति । कस्मिन्निपति चेत्, यथा रामायणे यथा वा महाभारते । रामायणे हि कहणे रम स्वयमादिकविना सूप्रित “शोक

इस गियर में यार यार कहे हुए होने पर भी, सार रूप होने से [फिर] यह कहते हैं—

इस व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव के नाना प्रकार सम्भव होने पर भी कोव केवल एक रसादिमय भेद में [ही] भ्यान लगावे ।

अर्थों की अनन्तता के हेतु इस व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव के नाना रूप सम्भव होने पर भी अपूर्व [लोकात्तर चमकार पूर्ण काव्य] अर्थ की सिद्धि के लिए, कवि केवल एक रसादिमय व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव में प्रयत्नपूर्वक ध्यान दे । रस, भाव और तदाभास [रसाभास तथा भावाभास] रूप व्यङ्ग्य और उसके व्यञ्जक पूर्वोक्त वर्ण, पद, वाक्य, रचना तथा प्रवन्ध में सावधान कवि का सारा ही काव्य अपूर्व बन जाता है । इसीलिए रामायण, महाभारत आदि में सप्ताम आदि अनेक यार वर्णित होने पर भी [सप्त जगह] नए नए से प्रतीत होते हैं ।

प्रवन्ध [काव्य] में प्रक ई प्रधात रस उपनिषद् होकर अर्प विशेष की सिद्धि तथा सौन्दर्यात्मिक की पुष्टि करता है । जैसे कहा ? यह पूछो तो

१ विचित्र वा० प्रि० । २ शब्दानां पाठ नि०, दी० में मही० ।

३ लाभार्थ नि०, दी० ।

‘ शोकत्तमागत ” इत्येववादिना । नि-यूंदश्च स एव सीतात्यन्तवियोग पर्यन्तमेव स्वप्रत्यन्धमुपरचयता ।

महाभारतेऽपि शारत्राव्यरूपलक्ष्मायान्व। यनि वृप्तिणपाण्डवविर सावसानवैमनस्यदायिनों समाप्तिमुपनिवधनता महामुनिना वैराग्यजनन तात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रवन्वस्य दर्शयता मोक्षलक्षणं पुरुषार्थं शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षाविपयत्वेन सूचित । एतचाशेन विवृत मेवान्यैर्व्याख्यातिधायिभि । स्वयं चोद्गीर्णं तेनोदीर्णमहामोहमग्नं मुजिहीर्पता लोभमतिविमलझानालोकदायिना लोकनाथेन—

यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारवत् ।

तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशय ॥

इत्यादि बहुर कथयता । ततश्च शान्तो रसो रसान्तरै, मोक्ष लक्षणं पुरुषार्थं पुरुषार्थान्तरैस्तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्येन विवक्षाविपय इति महाभारततात्पर्यं सुव्यक्तमेवावभासते ।

[उत्तर यह है कि] जैसे रामायण में अथवा जैसे महाभारत में। रामायण में ‘शोक श्लोक रमागत’ इहने वाले आदि कवि [वाल्मीकि] ने स्वयं ही करण रस [का अङ्गित्व प्राधान्य] सूचित रिया है और सीता के अत्यन्त वियोग पर्यन्त ही काव्य की रचना वरके उससा निर्वाह भी किया है।

शास्त्र और काव्य रूप [दोनों] की छाया से युक्त महाभारत में भी यादों और पाण्डवों के विस्त विनाश के कारण वैमनस्यजनक समाप्ति की रचना कर महामुनि [व्यास] ने अपन काव्य के वैराग्योरपादन रूप तात्पर्यं को मुख्यतया प्रदर्शित करते हुए मोक्ष रूप पुरुषार्थं तथा शान्त रस सुख्यं रूप से [इस महाभारत काव्य का] विवक्षा का विपय है यह सूचित किया । अन्य व्याटयाकारों ने भी किसी अंश में यही व्याख्या की है । और उभइते हुए घोर अज्ञानान्धकार में निमग्न ससार का द्वार करने की इच्छा से उड़ज्वल ज्ञान रूप प्रकाश को प्रदान करने वाले विश्वनाता [व्यासदेव] ने स्वयं भी,

जैसे जैसे इस रित्यन प्रपञ्च की असारता और मिथ्यास्पता की प्रतीति होती है, वैसे वैसे इसके विपय में वैराग्य होता जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

अनेक स्थानों पर इस प्रकार कह कर प्रकट किया है । इसलिए गुणीभूत अन्य

अद्वाङ्गिभावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादितमेव । पारमार्थिकान्त-  
सत्त्वानपेक्षया शरीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य च स्वप्राधान्येन चारुत्व-  
मप्यविरुद्धम् ।

ननु महाभारते यावान्विवक्षाविपयः सोऽनुक्रमण्यां सर्वं एवानु-  
क्रान्तो न चैतत्त्र दृश्यते, प्रत्युत सर्वपुरुषार्थप्रवोधहेतुत्वं सर्वरसगम्भीत्वं  
च महाभारतस्य तस्मिन्नुदेशे स्वशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते ।

अत्रोन्यते—सत्यं, शान्तस्यैव रसस्याङ्गित्वं महाभारते, मोक्षस्य  
च सर्वपुरुषार्थम्यः प्राधान्यमित्येतत्र स्वशब्दमिथेयत्वेनानुक्रमण्यां  
दर्शितम्, दरितं तु व्यज्ञचत्वेन—

‘भगवान्वासुदेवश्च कीर्तिऽत्र सनातनः ।’

रसों से अनुग्रह शान्त रुद्ध, तथा गुणीभूत ग्रन्थ पुरुषाण्यों [धर्म, धर्म, काम] से  
अनुग्रह मोक्ष रूप पुरुषार्थ ही मुख्यतया वर्णनीय हैं यह महाभारत का तात्पर्य  
स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है ।

[प्रधान रस के साथ अन्य] रसों का अद्वाङ्गिभाव जैसे होता है वह  
प्रतिपादन कर ही सुके हैं । वास्तविक आन्तरिक तत्व [आत्मा] की उपेक्षा  
करके [गौण] शरीर के प्राधान्य के समान [महाभारत में वास्तविक प्रधान-  
भूत शान्त रस तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ की उपेक्षा करके, अन्य ओर आदि रस  
तथा धर्म आदि पुरुषार्थ] रस तथा पुरुषार्थ के अपने प्राधान्य से भी चारुत्व  
मानने में भी कोई विरोध नहीं है । [परन्तु पारमार्थिक रूप में, वह मूँह  
विचार के सदृश ही होगा ।]

[प्रथम] महाभारत में जितना प्रतिपाद्य रिपय है वह सब ही  
[उसकी] अनुक्रमणी में इस से [स्वयं ही] लिख दिया गया है । परन्तु  
वहाँ यह [शान्त रस तथा मोक्ष पुरुषार्थ का प्राधान्य] दिखाहै नहीं देता है ।  
इसके रिपरीत महाभारत का सब पुरुषाण्यों के ज्ञान का हेतुत्व और सर्व रस-  
युक्तत्व उस स्थान [अनुक्रमणी] में स्वयं शब्द से सुचित प्रतीत होता है ।

[उत्तर] इस रिपय में इस यह कहते हैं कि यह ठीक है महापराल  
में शान्त रस का ही मुख्यत्व, और [अन्य] सब पुरुषाण्यों की उपेक्षा मोक्ष का  
प्राधान्य, यह [दोनों] अनुक्रमणी में अपने वाचक शब्दों से नहीं दियाए हैं,  
परन्तु व्यज्ञय रूप से दियाए हैं ।

इस [महाभारत] में नियंत्र धासुदेव भगवान् की कीर्ति गार्द गार्द है ।

इत्यस्मिन् वाक्ये ।

अनेन ह्यमर्थो व्यज्ञयत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते पण्डवादिचरितं यत्कीर्त्यते 'तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्चरूपञ्च, परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते । तस्मात्<sup>१</sup> तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति भवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिपुनिःसारासु रागिणो गुणेषु वा नयविनयपराक्रमादिष्ठमीषु केवलेषु केषुचित्सर्वात्मना प्रतिनिविष्टथिय । तथा चाप्ते—पश्यत नि सारता संसारस्येत्यमुमेवार्थं योतयन्<sup>२</sup> सुटमेवावभासते व्यञ्जकशस्त्यनुगृहीतश्च शब्द । एवविधमेवार्थं गम्भीरृतं सन्दर्शयन्तोऽनन्तरश्लोका लक्ष्यन्ते । 'स हि सत्यम्' इत्यादय ।

इस वाक्य में ।

इस [वाक्य] से यह अर्थ व्यज्ञन रूप से विचित है कि इस महाभारत में पाण्डव आदि के चरित्र का वर्णन जो किया जा रहा है वह सब विरसा घसान और विद्या प्रपञ्च रूप है । परमार्थ सत्य स्वरूप भगवान् वासुदेव की ही यहाँ कीति गाढ़ गई है । इसलिए उस परम पैशवर्यशाली भगवान् में ही अपना मन लगायो । नि सार विभूतियों में अनुरक्त मत हो । अथवा नीति विनय, पराक्रम आदि के जल इन मिन्हीं गुणों में पूर्ण रूप से अपने मन को मत लगायो । और आगे—'ससार की नि सारता को देप्तो' इसी अर्थ को व्यज्ञन-व्यञ्जक शक्ति से युक्त शब्द अभिव्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार के अन्तर्निहित अर्थ को प्रकट करते वाले आगे के 'स हि सत्य' इत्यादि श्लोक दिखाई देते हैं ।

अनुकमणी के वह श्लोक जिनका निर्देश यहाँ सिया गया है इस प्रकार है—

वेद योग सविज्ञान धर्मोऽर्थः काम एव च ।  
धर्मार्थकामशास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च ॥

१ 'तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्च, परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते' । इतना पाठ नि० में नहीं है । २ तत् नि० । ३. घोतयत् नि० ।

अयं च निगूढरमणीयोऽर्थे महाभारतावसाने हरिवंशवर्णनेन समाप्तिं विदधता तेनैव कविवेदसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक्सुटीकृतः । अनेन चार्थेन संसारातीते, तत्वान्तरे भक्त्यतिशयं प्रवर्तयता सकल एव सांसारिको व्यवहारः पूर्वपक्षीकृतोऽध्यक्षेण<sup>३</sup> काशते । देवतातीर्थतपःप्रभृतीनां च प्रभावातिशयवर्णनं तत्यैव परब्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभूतित्वेनैव देवताविशेषाणामन्येषां च । पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि वैराग्यज्ञननात्पर्याद्वैराग्यस्य च मोक्षमूलत्वान्मोक्षस्य च भगवत्प्राप्त्युपायत्वेन मुख्यतया गीतादिपु प्रदर्शितत्वात्परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव परम्परया ।

लोक्यागविधान च समृद्धो हृष्टवान् शृणि ॥

इतिहासाः सर्वैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च ।

इह सर्वमनुकान्तमुक्तप्रन्थस्य लक्षणम् ॥

इत्यादि में सर्वपुरुहार्थ के प्रतिशदन का वर्णन है । वह प्रशनकर्ता के अभिमत श्लोक हैं । उत्तर पक्ष की ओर से निर्दिष्ट श्लोक निम्न हैं—

भगवान् वासुदेवस्त्र वीर्यतेऽत्र सनातनः ।

स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च ॥

शाश्वतं ब्रह्मं परमं श्रुतं ज्योतिः सनातनम् ।

यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥

इस निगृह और रमणीय अर्थ को महाभारत के अन्त में हरिवंश के वर्णन से समाप्ति की रचना करते हुए उन्हीं कवि प्रजापति हृष्ण द्वैपायन [ घ्यास ] ने ही भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है । और इस अर्थ से लोकोत्तर भगवन् तत्व में प्रगाढ़ भक्ति को प्रशृत करते हुए [ महाकवि घ्यास ] ने समस्त सांपारिक व्यवहार को ही पूर्वपृष्ठ रूप [ वापित त्रिपद ] बना दिया है यह यात्र प्रतीत होती है । देवता, तीर्थं और तप आदि के अतिशय के प्रभाव का वर्णन उमी परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने से ही, और उसकी त्रिमूर्ति रूप होने से चन्द्र देवता गिरेणों का वर्णन [ महाभारत में किया गया ] है । पाण्डव आदि के चरित्र का वर्णन का भी वैराग्यांपादन में तापय होने से और वैराग्य के मात्र हेतु तपा मोक्ष के मुख्यतः परम्परा ही

वासुदेवादिसंज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितशक्त्यास्पद परं त्रह्ण गीतादि-  
प्रदेशान्तरे पु तदभिवानत्वेन लक्ष्मप्रसिद्धि माधुरप्रादुभोगानुकूलसम्भल-  
स्तररूपं पिवक्षितं न तु माधुरप्रादुर्भावाश पव, सनातनशब्दविशेषितत्वात् ।  
रामायणादिपु चानया सज्जया भगवन्यूर्त्यन्तरे व्यवहारदर्शनात् । निर्णय-  
तश्चायमर्थः शब्दतत्त्वविद्धिरेव ।

तदेव मनुकमणीनिर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्व्यतिरेकिण सर्वस्या-  
न्यस्यानित्यता प्रकाशयता मोक्षलक्षण एवैक परं पुरुषार्थं शास्त्रनये,  
नायनये च तृष्णाक्षयसुखरिपोलपणक्षणं शान्तो रसो महाभारतस्या-  
क्षित्वेन विचित इति सुप्रतिपादितम् ।

प्राप्ति का उपाय रूप से गीतादि में प्रतिपादन होने से परम्परया [ पाण्डवादि  
चरित वर्णन भी ] परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय रूप में ही है ।

‘वासुदेव’ आदि इन सज्जाओं का गाच्यार्थं गीतादि अन्य स्थलों में इस  
नाम से प्रसिद्ध, अपरिमित शक्ति युक्त, मधुरा में गाढ़भूत [ कृष्णापतार ]  
द्वारा धारण किए [ रामादि ] समस्त रूप युक्त, परब्रह्म ही अभिप्रेत है ।  
केवल मधुरा में प्राढ़भूत [ वसुदेव के पुत्र तृष्ण ] अशमात्र नहीं । क्योंकि  
उसके साथ सनातन विशेषण दिया हुआ है । और रामायण आदि में इस  
[ वासुदेव ] नाम से भगवान् के अन्य स्वरूपों का भी व्यवहार दियाई देता  
है । शब्द तत्त्व के विशेषणों [ वैयाकरणों ] ने इस विषय का निर्णय भी कर  
दिया है ।

‘मृध्यमध्यक्षुष्मिण्कुरुम्यश्च’ इस पाण्डिति रूप के ‘माध्य’ पर ‘महामाध्य के  
टीकाकार ‘कैयट’ ने लिखा है—

“वथ पुननित्याना शब्दानामनित्या धक्षादिवशाश्वयणान्वारयान गुण्यते ।  
अत्र समाधि । त्रिपुराणामूर्त नाम कुय दिनि न्यायनामधमादिवरा अपि निया एत ।  
अथवाऽनित्योपाध्येणापि नित्यावारयान दृश्यते । यथा शाश्वयण कालम्य” ।

इसी सत्र पर काशिकाकार ने लिखा है कि—

“शब्दा हि नित्या एव मनोऽनन्तर काङ्क्तालीयतशात् तथा सर्वेतिला ।”

इस प्रकार भगवान् को छोड़ कर अन्य सब वस्तुओं की अनित्यता  
प्रकाशित करने वाले अनुक्रमणी निदिष्ट वास्तव म, शास्त्र दृष्टि से बेवल मोक्षरूप  
परम पुरुषार्थ [ ही महाभारत का मुख्य पुरुषार्थ ] और काम्य दृष्टि से तृष्णा

अत्यन्तसारभूतत्वाचायमर्थो व्यङ्गयत्वेनैव दर्शितो, न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो द्वयः स्त्रशब्दानभिधेयत्वेन प्रसाशितः सुतरामेव शोभामायहृति । प्रसिद्धिरचयमस्त्वेव विद्यग्विद्वत्परिपत्सु यद्भिमततरं वस्तु व्यङ्गयत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्दवान्यत्वेनैव । तस्मात्स्थितमेतत्—अङ्गीभूतरसासाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवनवर्थलाभो भवति वन्धच्छ्राया च महती सम्पद्यत इति ।

अतएव च इसानुगुणार्थविशेषोपनियन्वयमन्द्रारान्तरविरहेऽपि छायातिशययोगि लक्ष्ये हरयते । यथा :—

मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः ।  
यैनैकचुलके हृषी दिव्यी तौ मत्यस्त्वच्छुषी ॥

इत्यादी । अत्र हद्वातरसानुगुणमेकचुलके भूत्यकन्त्वपदर्शनं छायातिशयं पुष्पणाति । तत्र हृषेकचुलके सफलजलनिधिसन्निधानादपि

के रूप से जन्य सन्तोष सुख के परिपोष रूप शान्त रस ही महाभारत का प्रधान रस अभिप्रैत है यह भली प्रकार प्रतिपादन वर दिया गया ।

अत्यन्त सार रूप होने से यह अर्थ [ महाभारत में शान्तरम और मोङ्ग पुरुषार्थ का प्रायान्व ] एवं [ घनि ] रूप से ही प्रदर्शित किया है वाच्य रूप से नहीं । सारभूत अर्थ अपने वाचक शब्द में वाच्य रूप में उपस्थित न होकर [ व्याङ्गय रूप से ] प्रकाशित होता है तो अत्यन्त शोभा को प्राप्त हाता है । चतुर गिर्दानों की मण्डली में यह प्रसिद्ध है ही कि अधिक अभिन्नते वस्तु व्याङ्गर रूप से ही प्रकाशित की जाती है साथात् वाच्य रूप से नहीं । इसलिए यह मिद हुआ कि प्रधानभूत रस के आश्रय में काष्ठ को रचना करने पर नवीन अर्थ की प्राप्ति होता है और रचना का सौन्दर्य यहुत अधिक पढ़ जाता है ।

इसीलिए अन्य चतुर्द्वारों के अभाव में भी रस के अनुरूप अर्थ प्रियोग की रचना काव्यों में सौन्दर्यातिरायगतिर्वि दियाई देती है । जैसे :—

योगिरात् महात्मा अगम्यद सुनि [ की जर हो ] सरोऽहट है । जिन्होंने पुढ़ ही शुद्ध में उन दिव्य मास्य और करङ्ग [ अमरातो ] का दर्शन कर किया ।

इत्यादि में । यही अद्वृत रस के अनुरात एक शुद्ध में मर्द्य और असुप का दर्शन [ अद्वृत रस के ] सौन्दर्य को अत्यन्त बढ़ाता है । उसमें

दिव्यमत्स्यकरुद्धपदर्शनमनुण्णेत्वादद्वृतरसानुगुणतरम् । चुण्णं हि वस्तु लोकप्रसिद्धचादुतमपि नाश्रयं कारि भवनि । न चानुण्णं वस्तु पनिवध्यमानमद्भुतरसस्यैवानुगुणं यानद्रसान्तरस्यापि । तथाथा :—

सिजज्जइ रोमश्चिज्जइ वेवइ रन्धातुलग्नपडिलग्गो ।

सोपासो अज्ज यि' सुहृद्य तीइ जेणासि बोलीणो ॥

[स्त्रियति रोमाञ्चति वेपते रथ्यानुलामप्रनिलग्नः ।

स पाश्वोऽद्यापि सुभग येनारथतिकान्तः ॥ इतिच्छाया ]

एतद् गाथार्थाद्वाव्यमानाद्या रसप्रतीतिर्भवति, सा त्वां द्वाव्य स्त्रियति रोमाञ्चते वेपते इत्येवंविधादर्थत् । ग्रतीयमानमनामगपि नो जायते ।

तदेवं ध्वनिप्रभेदसमाश्रयेण यथा काव्यार्थाना नवत्वं जायते तथा प्रतिपादितम् । गुणीभूतव्यङ्गयस्यापि ग्रिभेदव्यङ्गयोपेत्या ये

एक चुक्ल में सम्पूर्ण समुद्र के समा जाने से भी अधिक दिव्य मात्स्य और कच्चप का दर्शन विल्लुल अपूर्व होने से अहुत रस, के अधिक अनुकूल है । लोक प्रसिद्धि में अख्यन्त अद्वृत होने पर भी अनेक बार की देखी हुई वस्तु आश्रयोपादक नहीं होती । अपूर्व वस्तु का वर्णन न केवल अद्वृत रस के अपिगु अन्य रसों के भी अनुकूल होता है । जैसे —

हे सुभग, उस संकरी शब्दी में [ तुलामेष, काङ्क्तालीयेच ], अकर्मात् उव्येच [ मेरी सखी, नायिका ] के जिम पारवं से लग कर तुम निकल गए थे वह पारवं अथ भी स्वेदयुक्त, रोमाञ्चित और अम्पित हो रहा है ।

इस गाथा के अर्थ की भावना बरने से जो रस की प्रतीति होती है वह, ‘तुमको देप कर [ सृष्ट्या पाठ भी है, दृकर ] वह [ नायिका ] स्वेदमुख झुलकित और अम्पित होती है’ इस प्रकार के प्रतीयमान अर्थ से विल्लुल नहीं होती है । [ त्वा दृष्ट्वा त्रिवयति हृष्यादि अर्थं चिरपरिचित है और ] उस के व्याहृत होने पर भी उतना अमरकार नहीं प्रतीत होता वितना ऊपर के लोक में घण्यित नहीं करपना युक्त अर्थ के व्याहृत होने पर प्रतीत होता है ।

इस प्रकार ध्वनि भेदों के आश्रय से जिस प्रकार काव्यार्थों में नरानता आ जाती है वह प्रतिपादन वर दिया । तीन प्रकार के व्याहृत [ रसादि, वस्तु

प्रकारास्तत्समाध्रयेणापि काव्यवस्तुनां नवत्वं भवत्येव । तत्त्वति  
विस्तारकारीति नोदाहृतं, सहृदयैः स्वयमुत्प्रेक्षणीयम् ॥५॥

ध्वनेरित्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च समाध्रयात् ।

न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रतिभागुणः ॥६॥

सत्स्वपि पुरातनकविप्रवन्धेषु यदि स्यात्प्रतिभागुणः । तर्स्मि-  
स्त्वसति न फिश्चिदेव कवेर्स्त्रस्ति । वन्वच्छायाप्यर्थद्वयानुरूपशब्द-  
सन्निवेरोऽर्थप्रतिभानाभावे कथमुपस्थिते । अनपेत्तितार्थपिशोपाक्षर-  
रचनैव वन्वच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानाम् । एवं हि सत्यर्थानपेत्त-  
चतुरमधुरवचनरचनायामपि काव्यव्यपदेशः प्रवर्तेत् । शब्दार्थयोः

तथा अलङ्कार की ] इष्टि से गुणीभूत व्यङ्ग्य के भी जो भेद होते हैं उनके  
आध्रय से भी वाव्य वस्तुओं में नवीनता आ जाती है । यह [ उदाहरण देने  
पर ] अत्यन्त विस्तार जनक है इसलिए उसके उदाहरण नहीं दिए ।  
सहृदयों को स्वयं समझ लेने आहिष्टु ॥५॥

यदि [ वदि में ] प्रतिभा गुण हो तो इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत  
व्यङ्ग्य के आध्रय से काव्य के [ वर्णनीय रमणीय ] अर्थों वी कभी समाप्ति ही  
नहीं हो सकती है ।

प्राचीन कवियों के प्रयत्नों [ काव्यों ] के रहते हुए भी, यदि [ करि  
में ] प्रतिभा गुण है [ तो नवीन वर्णनीय तात्पर्यों की समाप्ति नहीं हो सकती  
है ] । और उत्त [ प्रतिभा ] के न होने पर तो करि के [ पास ] कोई वस्तु  
नहीं है [ जिससे यह अत्यं चम झारयुक्त काव्य या निर्माण वर सके ] । दोनों  
अर्थों [ ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य ] के अनुरूप शब्दों के व्यनिपेश सूप,  
रचना का सीन्द्रिय भी [ आररथक ] अर्थ वी प्रतिभा [ प्रतिभान, प्रतिभा ] के  
आभार में कैसे आ सकता है । [ ध्वनि अपाप्त गुणीभूत व्यङ्ग्य ] अपं की  
अपेक्षा के बिना ही अप्तुओं की रचनामात्र ही रचना का सीन्द्रिय [ रचना  
सीन्द्रिय जनक ] है यह यात सहृदयों के [ दृढ़प के ] समीप नहीं पहुँच  
सकती । ऐसा होने पर [ ध्वनि अपाप्त गुणीभूत व्यङ्ग्य के बिना भी अपर  
रचनामात्र से रचना में सीन्द्रिय मानने से ] तो अर्थहीन् [ ध्वनि, गुणीभूत

१. सनिवेशोऽप्य वा० त्रि० । २. प्रदाने नि० ।

साहित्येन काव्यत्वे कर्थं तथाविधे विषये काव्यव्यवस्थेति चेत्, परोप-  
निबद्धार्थविरचने यथा 'तत्काव्यत्वव्यवहारस्तथा तथाविवानां काव्य-  
सन्दर्भाणाम् ॥६॥

न चाथोनन्त्यं व्यङ्गचार्थपैक्ष्यैव, यावद्वाच्यार्थपैक्ष्यापीति प्रति-  
पादयिमुच्यते—

अवस्थादेशकालादिविशेषैरपि जायते ।

आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥७॥

शुद्धस्थानपैक्षितव्यङ्गयस्यापि वाच्यस्थानन्त्यमेव जायते स्वभावतः ।  
स्वभावो ह्ययं वाच्याना चेतनानामचेतनानां च<sup>३</sup> यदवस्थामेदा-  
ईशभेदात्कालभेदात्स्वालक्षण्यभेदाद्यानन्तता भवति तैश्च तथा व्यवस्थितैः

चान्द्रय अर्थ से रद्दित ] चतुर [ समास आदि रूप से सङ्गठित ] और मधुर [ मधु कोमल अक्षरों से परिपूर्ण ] रचना में भी काव्य व्यवहार होने जाएगा ।  
शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव [ साहित्य ] में ही काव्यत्व होता है इसलिए  
उस प्रकार के [ अर्थहीन, चतुर, मधुर रचना ] विषय में काव्यत्व की व्यवस्था  
कैसे होगी [ अर्थात् काव्य व्यवहार प्राप्त नहीं होगा ] यह कहें तो [ उत्तर यह  
है कि ] दूसरे के [ मत में ] उपनिवद [ शब्द निरपेक्ष उत्कृष्ट भवनि रूप ]  
अर्थ [ से युक्त ] रचना में जैसे [ केवल अर्थ के वैशिष्ट्य में ] काव्य व्यवहार  
[ यह करता ] है इसी प्रकार इस प्रकार के [ अर्थनिरपेक्ष शब्द रचना मात्र ]  
काव्य सन्दर्भों में भी [ काव्य व्यवहार ] होने जाएगा । [ अतएव अर्थनिरपेक्ष  
अक्षर रचनामात्र रचना सौन्दर्य का हेतु नहीं है ] ॥६॥

केवल व्यङ्गय अर्थ के कारण ही अर्थों में अनन्तता [ विविग्रता,  
नूतनता ] नहीं आती है अपितु वाच्य अर्थ विशेष की अपेक्षा से भी [ अर्थ की  
अनन्तता, नूतनता ] हो सकती है । इसी को ग्रन्तिपादन करने के लिये  
कहते हैं :—

शुद्ध [ व्यङ्गय निरपेक्ष ] वाच्य अर्थ की भी अवस्था, देश, काल आदि  
के वैशिष्ट्य से स्वभावत अनन्तता ही ही जाती है ।

शुद्ध अर्थात् व्यङ्गय निरपेक्ष वाच्य [ अर्थ ] का भी स्वभावत आनन्द  
हो ही जाता है । चेतन और अचेतन वाच्य अर्थों का यह स्वभाव है कि

सद्ग्री प्रसिद्धानेकस्तभागानुसरणहृपया स्तभावोक्त्यापि नावदुषनिवध्य-  
मानैर्निरवधि काव्यार्थं सम्पद्यते । तथा ह्यवस्थाभेदान्वयतं यथा—

भगवती पार्वती कुमारसम्भवे 'सर्वपिमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि-  
भिरुक्तिभि प्रथममेव परिसमापितहृपत्रर्णनापि पुनर्भगवत शम्भोर्लौचन-  
गोचरमायान्ति 'वसन्तपुष्पाभरण वहन्ती' मन्मथोपकरणभृतेन भज्ञ-  
न्तरेणोपवर्णिता । सैव च पुनर्नभेद्वाहसमये प्रसाध्यमाना 'ता प्राङ्-  
सुरीं तत्र निवेश्य तन्मीम्' इत्याद्युक्तिभिर्नवेनैव प्रकारेण निरूपितहृप-  
सीष्ठवा<sup>३</sup> । न च ते तस्य कर्त्तरेकत्रैऽप्सरुकृत्वा वर्णनप्रकाश अपुनरुक्त-  
त्वेन वा नवनार्थनिर्भरत्वेन वा प्रतिभासन्ते ।

अपस्था भेद, देशभेद, कालभेद और स्वरूप भेद से [ उनकी ] अनन्तता हो  
जाती है । उन [ वाच्यार्थों ] के उस प्रकार [ देश, काल, अपस्था आदि भेद से नए-  
नए अर्थों के प्रकाशन रूप में ] व्यवस्थित होने पर अर्थाৎ प्रकार के प्रविद्ध  
स्तभावों के वर्णन रूप स्तभावोंकि सभी [ वाच्यार्थों की ] रचना करने पर  
काव्यार्थ अनन्त रूप हो जाता है । इनमें से अपस्था भेद के कारण नवीनता  
जैसे —

कुमारसम्भव में 'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि उक्तियों से पहिले  
[ एक बार ] भगवती पार्वती के रूप वर्णन के समाप्त हो जान पर भी फिर  
शङ्कर भगवान् के सामने आती हुई पार्वती वो 'उपमत्पुष्पाभरण वहन्ती'  
इत्यादि से कामदेव के साधन रूप में प्रदारा-तर स कि [ दुष्टारा ] वर्णन  
किया गया है । और इस नवीन रिवाह के समय [ सर्वी रूप में रिवाह के  
याद कि दूसरे जन्म में पार्वती रूप में शिव के साथ रिवाह, नवीन रिवाह  
शब्द ए अभिव्रेत ह ] अलट्कृत की जाती हुई पार्वती के सौन्दर्य का 'ता प्राङ्-  
सुरीं तत्र निवेश्य तन्मीम्' इत्यादि उक्तियों से कि [ तीसरी बार ] नए दृग  
से वर्णन स्थित है । [ अपस्था भेद से कि ए यह वर्णन सो मुन्द्र ग्रतात होते  
हैं । ] परन्तु करि के एक ही जगह अनेक बार कि ए हुए वे वर्णन अपुनरुक्त  
रूप अपवा अभिरार्थं परिपूर्ण रूप नहीं प्रतात होता है । [ उसका ध्यान  
रखना चाहिए ] ।

'न च ते तस्य कर्त्तरेकत्रैऽप्सरुकृत्वा वर्णनप्रकाश अपुनरुक्त्वेन वा न-

<sup>३</sup> (इत्यादि) शोष्या यत खण्डा है 'नि । - निरपित्तोऽप्त्वा नि ।

दशितमेव चैतद्विपमवाणीलीलायाम्—

ए अ ताण घडू ओही ए अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुचा ।

जे विवभमा पिआण अत्था वा सुकइवाणीणम् ॥

[न च तेपा घटतेऽनधिर्न च ते हश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ता ।

ये विभ्रमा, प्रियाणामर्दी वा सुकविनाणीनाम् ॥ इतिच्छाया]

नवार्थनिर्भरत्वेन प्रतिभासन्ते ।' यह पाठ आपातत बुद्ध अष्टपद्य-सा दीखता है। क्योंकि इसके पूर्व वाक्य में यद दिप्याथा है कि पार्वती के रूप का तीन बार वर्णन करने पर भी वह नवीन ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार इस वाक्य के बाद के थार्थ द्वारा विषमगाणीलीला का जो श्लोक उद्धृत किया है वह भी इस प्रकार की कवि धारणी की अपुनश्चता का ही प्रतिपादन करता है। इसलिए समान्यतः वे वर्णन पुनरुचत अथवा नवनवार्थशून्य प्रतीत नहीं होते हैं। इस प्रकार के अभिग्राय को प्रकट करने वाला वाक्य होना चाहिए। अर्थात् अपुनश्चत्वेन के स्थान पर पुनरुचत्वेन और नवनवार्थनिर्भरत्वेन के नवनवार्थशून्यत्वेन ऐसा पाठ हीना चाहिए था। तब इस वाक्य की सङ्गति ठीक लगती। परन्तु सभी सरकरणों में 'अपुनश्चत्वेन' और 'नवनवार्थनिर्भरत्वेन' यही पाठ पाया जाता है। अतएव इसको प्रमाद पाठ न मान कर, 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' के अनुसार इसने इसी व्याख्या करने वा प्रयत्न किया है।

इस पाठ के अनुसार इस पति का भाय यह है कि यद्यपि एक पदार्थ वा अनेक गार वर्णन होने पर भी इसमें नवीनता आ जाती है। परन्तु वह सब वर्णन एक स्थान पर नहीं अपितु अलग अलग होने चाहिए। एक ही स्थान पर विए हुए ऐसे वर्णनों में से पुनरुचिं ही होती है। वे अपुनश्चिं अथवा नवनवार्थनिर्भरत्वेन नहीं प्रतीत होते। अतएव कवि वो इस बात ध्यान रखना चाहिए।

यह एक निशेष बात बीच में इस वाक्य द्वारा प्रतिपादन कर दी है। इसके बाद जो विषमवाणीलीला का उदाहरण दिया है उससा सम्बन्ध इस वाक्य से नहीं अतिरुपूर्व वाक्य से है, यह समझना चाहिए। तभी उसकी सङ्गति ठीक होगी। इसी लिए इसने उसे अलग अलग अनुच्छेद के रूप में रखा है। पहिले अनुच्छेद का भाय मिलासर पाठ नहीं रखा है।

यह इस विषमवाणीलीला में दिया ही शुक्र है :—

प्रियतमाणोः [ अथवा प्रियजनोः ] के जो हाव भार और सुकविदीं की वाणी के जो धार्य हैं इनकी न कोई सीमा हा वन सक्ती है और न ये [ किसी भी दशा में ] पुनर्स्त प्रतीत होते हैं।

अयमपरश्चावस्थाभेदप्रभारो यद्चेतनानां सर्वेषां चेतनं द्वितीयं  
रूपमभिमानित्वप्रसिद्धं हिमवद्गङ्गादीनाम् । तच्चोचितचेतनविषयस्वरूपे-  
योजनयोपनिवध्यमानमन्यदेव सम्पद्यते । यथा कुमारमम्बव एव पर्वत-  
स्वरूपस्य हिमवतो वर्णनं, पुनः भूमिप्रियोक्तिपु चेतनतस्वरूपापेक्षया  
प्रदर्शित तदपूर्वमेव प्रतिभाति । प्रसिद्धश्चायं सत्करीना मार्गः । इदं  
च प्रस्थानं कविव्युत्पत्तये विषयमवाणीलीलायां सप्रपञ्चं दर्शितम् । चेत  
नानां च वाल्याद्यवस्थाभिरन्यत्वं सत्करीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामर-  
स्थाभेदेऽप्यवान्तरावस्थाभेदान्नानात्वम् । यथा कुमारीणां कुमुमशर-  
भिन्नहृदयानामन्यासां च । तत्रापि विनीनानामविनीनाना च ।

अचेतनानां च भावानामारम्भाद्यवस्थाभेदभिन्नानामेकैकश  
स्वरूपमुपनिवध्यमानमानन्त्यमेवोपयाति । यथा :—

अवस्था भेद का यह और [ दूसरा ] प्रकार भी है कि हिमालय गङ्गा  
आदि सभी अचेतन पदार्थोः ॥ अभिमानी [ अभिमानी देवता ] रूप में दूसरा  
चेतन रूप भी प्रसिद्ध है । और वह उचित चेतन विषय के स्वरूप योजना से  
उपनिवद् [ ग्रथित ] होकर [ अचेतन रूप से भिन्न ] रुद्र और ही ही जाता  
है । जैसे कुमारसम्बव में ही [ आरम्भ में ] पर्वत रूप से हिमालय का वर्णन  
[ है ] फिर सप्तविषयों के प्रिय वचनों [ चाहूक्षियों ] में उस [ हिमालय ] के  
चेतन स्वरूप की दृष्टि से प्रदर्शित वह [ हिमालय का दुबारा किया हुआ वर्णन ]  
अपूर्व सा प्रतीत होता है । और सत्करियों में यह मार्ग [ अचेतनों के चेतनपद्  
वर्णन का मार्ग ] प्रसिद्ध ही है । करियों की व्युत्पत्ति के लिए विषयमवाणीलीला  
में इस मार्ग को हमने विस्तारपूर्वक प्रदर्शित किया है ।

चेतनों का वाल्य आदि अवस्था भेद से भेद साक्षियों में प्रसिद्ध ही है ।  
चेतनों के अवस्थाभेद [ के वर्णन ] में अवान्तर अवस्था भेद से भी भेद हो  
सकता है । जैसे काम के वाण से विद्व द्वद्यमवाली तथा अन्य [ स्वस्य ]  
कुमारियों का [ अवान्तर अवस्था भेद से ] भेद होता है । उनमें भी विनीत  
[ नम्र ] और उच्छ्रुतल [ कन्याओं ] का [ अवान्तर अवस्था आदि के भेद से  
नानाव हो जाता है ] ।

आरम्भ आदि अन्याभेद से भिन्न अचेतन पदार्थों का स्वरूप [ भी ]  
अखण्ड अलग वर्णन से अनन्तता को प्राप्त ही ही जाता है । जैसे :—

हंसानां निनदेषु यैः कवलितैरासज्यते कृजता-  
मन्यः कोऽपि कपायकण्ठलुठनादाधर्घरो विभ्रमः ।  
ते गम्प्रत्यकठोरवारणवधूदन्ताडकुरस्पर्धिनो  
निर्याताः कमलाकरेषु विसिनीकन्दाग्रिमधन्थयः ॥

एव मन्यत्रापि दिशानयानुसर्तव्यम् ।

देशभेदान्तानान्वमचेतनानां तावत्, यथा वायूनां नानादिगदेश-  
चारिणामन्येषामपि मलिलकुमुमादीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामपि मानुष-  
पशुपक्षिप्रभृतीनां प्राप्तारण्यसलिलादिसमेधितानां परस्परं महानिवशेषः  
समुपलक्ष्यत एव । म च विविन्य यथायथमुपनिवध्यमानस्तथैवानन्त्य-  
मायाति । तथा हि—मानुषाणामेव तावद्विग्देशादिभिन्नानां ये व्यवहार-  
व्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेषां केनान्त संक्षयते गन्तुम्, विशेषतो  
योपिताम् । उपनिवध्यते च तत्सर्वमेव सुरुचिभिर्यथाप्रतिभम् ।

जिन के खाने ये कलने हुए हंसों के निजादों में, मधुर कण्ठ के संयोग  
से घर्घर ध्वनि सुन लुक नथा ही [ अपूर्व ही ] विभ्रम उत्पन्न हो जाता है,  
वरिष्ठी के नए औमल दन्ताड्डुरों से स्पर्धा करने वाली मृणाल की वह नवीन  
गन्धियां इस समय तालाबों में थाहर निरुल आई हैं ।

यहा मृणाल की नवीन गन्धियों के आरम्भ का वर्णन होने से आवश्यकेद  
मूलत चमत्कार प्रतीत होता है ।

इस प्रशार और जगह भी इस मार्ग का अनुसरण किया जाना  
चाहिए ।

देश भेद से पहिले अचेतनों का भेद जैसे, [ मलय आदि देश और  
दविण दिशाओं ] विभिन्न दिशाओं और स्थानों में संचरण करने वाले पवनों  
का, और अन्य जल नगा पुष्प आदि का भी भेद प्रसिद्ध हो है । चेतनों में  
भी प्राम, अरण्य, जल त्रादि में पले हुए मनुष्य, पशु, पक्षी प्रसृति में परस्पर  
भेद दिशाई ही देता हूँ । वह भी विचारपूर्वक टीक टंग से चलित होने पर  
उसी प्रशार अनन्त हो जाता है । जैसे नाना दिग् देश आदि से भिन्न मनुष्यों  
के ही स्यवहार और व्यापार आदि में जो नाना ग्रकार के भेद पाये जाते हैं उन  
सब का पार कौन पा सकता है । प्रियोकर स्त्रियों के [ निषय में पार पाना  
असम्भव ही है ] । सुकृति लोग अरनी प्रतिभा के अनुसार उस गवका वर्णन  
करते ही हैं ।

कालभेदाच नानात्वम् । यथर्तुभेदाद्वयोमसलिलादीनामचेतनानाम् । चेतनानां चौत्सुक्यादयः कालप्रिशेषाभ्यर्थिणः प्रमिद्वा एव । स्वालक्षण्यप्रभेदाच सकनजगदुगतानां वस्तूना विनियवनं प्रसिद्धमेव । तच्च यथावस्थितमवि तावदुपनिवध्यमानमनन्ततामेव काव्यार्थस्यापादयति ।

अब केचिद्वचक्षीरन् । यथा सामान्यात्मना वस्तुनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते, न विशेषात्मना । तानि हि स्वयमनुभूतानां 'सुखादीनां तन्निमित्तानां च स्वरूपमन्यतारोपर्याद्वा' 'स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेणोपनिवध्यन्ते' कविभिः । न हि तैरतीतमनागतं वर्तमान च परिचित्तादिस्वलक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षीकृयते । तच्चानुभाव्यानुभवसामान्य सर्वप्रतिपत्तसाधारणं परमितत्वात्पुरात्मनामेव गोचरीभूतम् । तस्य विषयत्वानुपर्याप्तत्वे । अतएव स प्रकारविशेषो वैरद्यतनैरभिनवत्वेन प्रतीयते तेपां भ्रममात्रमेव, भणितिकृतं वैचित्र्यमात्रमन्नास्तीति ।

काल भेद से भी भेद [ होता है ] जैसे वस्तुओं के भेद से दिग् आकाश जल आदि अचेतन [ का भेद होता है ] और काल [ वसन्तादि ] विशेष के आधर्य ते चेतनों के श्रीत्सुक्य आदि प्रसिद्ध ही हैं । समस्त संसार की वस्तुओं की अपने स्वरूप [ स्वालक्षण्य ] भेद से विशेष [ काव्य में ] प्रसिद्ध ही है । और वह [ स्वरूप ] जैसा कुछ है उसी रूप में उपनिधद्वा होकर भी काव्य के विषय वी अनन्तता को उत्पन्न करता है ।

[ पूर्व पक्ष ] यहां [ स्वालक्षण्यकृत भेद के विषय में ] कुछ लोग कह सकते हैं कि वस्तुपै सामान्य रूप से ही वाच्य होती है, विशेष रूप से नहीं । कवि लोग उन स्वयं अनुभूत सुषादि वस्तुओं और उन [ सुषादि ] के साधनों [ स्वक्, चन्दन, वनिता आदि ] के स्वरूप को अन्यत्र [ नायकादि में ] आरोपित करके अपने और दूसरों [ नायकादि ] के अनुभूत सामान्यमात्र के आधार्य से उन [ नायकादि के सुषादि और उसके साधनों ] का वर्णन करते हैं । वे [ कवि लोग ] योगियों के समान अतीत, अनागत, वर्तमान दूसरों के चित्त [ व्यक्तियों और उनमें रहने वाले सुपर्दुष ] आदि का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं । और वह अनुभाव्य [ सुखादि ] तथा अनुभावक [ उस

तत्रोच्यते । यत्तत्वं सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्तिः, तस्य च परिमितत्वेन प्रागेव गोचरीकृतत्वान्नास्ति नवत्वं काव्यवस्तुनामिति । तदयुक्तम् । यनो यदि सामान्यमात्रमाश्रित्य काव्यं प्रवर्तते किं कृतस्तद्विं महाकविनिवेद्यमानानां काव्यार्थानामतिशयः । वाल्मीकिव्यतिरिक्त-स्यान्यस्य कविव्यपदेश एव वा । सामान्यव्यतिरिक्तस्यान्यस्य काव्यार्थ-स्याभावात् । सामान्यस्य चादिकविनैव प्रदर्शितत्वात् ।

उक्तिवैचित्रयान्नैप दोष इति चेत् ।

सुखादि के साधन स्फूर्ति, चन्दन वनितादि ] सामान्य समस्त अनुभवकर्ताओं के लिए एकरूप [ हैं और ] परिमित होने से प्राचीनों [ कवियों ] को ही ज्ञात हो सके हैं । वह उनको ज्ञात न हुआ हो यह सम्भव नहीं है । इसलिए उस [ स्वाखल्यरूप ] प्रकार विशेष को जो आजकल के लोग अभिनव रूप में अनुभव करते हैं, वह उनका अभिमान मात्र ही है । केवल उक्ति वैचित्र्य ही है [ वस्तु में नवीनता नहीं है, उक्ति वैचित्र्य के कारण ही नवीनता का भ्रम या अभिमान न होने लगा है । यह पूर्वपक्ष का आशय है । ]

[उत्तर पक्ष] उस विषय में हमारा कहना है कि [ आपने ] जो यह कहा है कि सामान्य मात्र के आधार से काव्य रचना होती है और उस [ सामान्य ] का ज्ञान पहिले ही [ कवियों ] को हो सका है अवश्यक काव्य-वस्तुओं में नवीनता नहीं हो सकती है । यह [ कहना ] उचित नहीं है । क्योंकि यदि सामान्यमात्र के आधार से काव्य की रचना होती है तो महाकवियों द्वारा वर्णित काव्य पदार्थों में विशेष लारतस्य स्त्रिस [ कारण ] से होता है । अथवा वाल्मीकि [ आदिकवि ] को छोड़ कर अन्य किसी को कवि ही स्त्रिस आधार पर कहा जाता है । क्योंकि [ आपके मत में ] सामान्य के अतिरिक्त और कोई काव्य का यर्थ विषय नहीं हो सकता है और सामान्य का प्रदर्शन आदिकवि [ वाल्मीकि ] ही कर सके हैं । [ इसलिए अन्य किसी के पास यर्थ नवीन विषय न होने से अन्य कोई कवि न कवि हो सकता है और न वाल्मीकि से भिन्न उसकी रचना में कोई नवीनता ही आ सकती है । ]

[ यह सिद्धान्त पक्ष की ओर से पूर्वपक्ष पर प्रश्न है । पूर्वपक्षी उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर इसका उत्तर देता है ] उक्ति के वैचित्र्य के कारण यह दोष नहीं आ सकता है । [ अर्थात् उक्ति कथनशैली के विचित्र होने से महा-

किमिन्मुक्तिरैचि-यम् ? उक्तिर्हि वाच्यविशेषप्रतिपादि 'वचनम् ।  
तद्वैचि-ये<sup>१</sup> कथं न वाच्यवैचि-यम् ? वाच्यवाचरूपोरप्रिनाभावेन  
प्रवृत्ते । वाच्याना च काव्ये प्रतिभासमानाना यद्रूपं तत्तु<sup>२</sup> प्राणविशेषा  
भेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिरैचित्यपादिना वाच्यवैचि-यमनिन्द्रिताप्य  
वश्यमेवाभ्युपगन्तव्यम् ।

### तद्यमन संक्षेप —

वाल्मीकिव्यतिरित्स्य यदेकस्यापि कस्यचित् ।  
इष्यते प्रतिभार्थपुरु<sup>३</sup> तत्तदानन्त्यमक्षयम् ॥

कवियों की रचनाओं में तारतम्य होता है और इसी उक्ति वैचित्र के आधार  
पर अन्य कवियों को कवि कहा जा सकता है ।

[ आगे सिद्धान्त पक्ष की ओर से इसी का अपने नरीनता पक्ष  
का साधक बनाया जाता है ] यह कहो तो यह उक्ति वैचित्र वया [ पदार्थ ]  
है । वाच्यविशेष को प्रतिपादन करने वाले वचन का नाम ही उक्ति है । उस  
[ वचन ] के वैचित्र मानने पर [ उसके ] गान्धार्य में वैचित्र क्यों नहीं  
होगा ? वाच्य और वाचक की तो अपिनाभाव सम्बन्ध से प्रवृत्ति होती है ।  
[ इसलिए वाचक उक्ति में वैचित्र होने स वाच्य में भी वैचित्र होना  
आवश्यक है ] कान्य में प्रत त होने वाले वाच्यों का नी स्वरूप है यह [ कवि  
के स्वयं अनुभूत ] प्राणविशेष [ प्रश्नात्मक प्रमाण से कवि द्वारा स्वयं गृहीत  
सुखादि तथा उसके साधनादि ] से अभिन्न रूप में ही प्रतीत होता है ।  
[ इसलिए केवल सामान्यमात्र के आश्रय से ही नहीं अपितु स्वयं अनुभूत विशेष  
के भी आश्रय से कान्य रचना होती है । अतदूद उसमें अनन्तता होना अनिवार्य  
है । ] इसलिए उक्तिरैचित्र मानने वाले को इच्छा न रहते हुए भी वाच्य  
का वैचित्र अवश्य ही मानना होगा ।

अतएव इस रिपय का सारांश यह हुआ कि —

यदि वाल्मीकि के अतिरिक्त किसी पृक भी कवि के पदार्थों में प्रतिभा  
[ का सम्बन्ध ] मानना अभीष्ट है तो यह आनन्द [ सर्वंत्र ] अस्य है ।

१ वाच्यविशेषप्रतिपादनवचनम् निः । २ षचित्प्रेण निः । ३ प्राण  
निः । ४ प्रतिभानन्त्य निः ।

किञ्च, उक्तिवैचित्र्यं यत्काव्यनवत्ये<sup>१</sup> निवन्धनमुच्यते तदस्मत्पन्ना-  
उगुणमेव । यतो यावानयं काव्यार्थानन्त्यभेदहेतुः प्रकारः प्राग्दर्शितः  
स सर्वे एते पुनरुक्तिवैचित्र्याद्विगुणतामापद्यते । यद्यायमुपमाश्लेषादि-  
रलङ्घारवर्गे<sup>२</sup> प्रभिद्वा । स भणितिवैचित्र्यादुपनिवध्यमानः स्वयमेवानव-  
विर्वर्वते पुनः शतशाखताम् । भणितिश्च<sup>३</sup> स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता सतीः  
प्रतिनियतभाषागोचरार्थवैचित्र्यनिवन्धनं पुनरपरं काव्यार्थानामानन्त्यमा-  
पादयति । यथा भमैत—

\*महमह इति भणन्त उ वज्जदि कालो जणस्स ।

तोइ ण देड जणादण गोअरी भोदि भणसो ॥

[मम मम इति भणतो नजति कालो जनस्य ।

तथापि न देवो जनार्दनो गोचरीभवति मनसः ॥ इतिच्छाया]

और उक्ति वैचित्र्य को जो काव्य में नवीनता ढाने का हेतु कहते हैं  
वह तो हमारे पद के अनुकूल ही है । वयोः॒ठि काव्यार्थ के आनन्द्य के हेतु रूप  
में यह [ अवस्था, काल देश आदि ] ब्रितने प्रकार पहिले दियाए हैं वह सब  
उक्ति के वैचित्र्य से फिर द्विगुण [ अनन्त ] हो जाते हैं । और जो यह उपमा  
श्लेष आदि वाच्य अलङ्घार वर्गं प्रसिद्ध हैं वह स्वयं ही अपरिमित होने पर भी  
उक्ति वैचित्र्य से उपनियद हो कर फिर सैकड़ों शालाश्चों से युक्त हो जाता  
है । और अपनी भाषाओं के भेद से व्यवस्थित [ विभिन्न ] उक्ति [ भणिति ]  
भी विशेष भाषा [ प्रसिनियत, उस विशेष भाषा ] पिष्पक शब्दों के वैचित्र्य के  
कारण काव्यार्थों में फिर और भी आनन्द्य उत्पन्न कर देती है । जैसे मेरा ही—

[ यह ] मेरा [ वह ] मेरा कहते-कहते ही मनुष्य [ के जीवन ] का  
[ सारा ] समय निहत जाता है परन्तु मन में जनार्दन भगवान् का सारांकार  
नहीं हो पाता ।

यहाँ प्रतिवृण जनार्दन को मेरा-मेरा कहने वाले को भी जनार्दन  
प्रत्यक्ष नहीं होते यह विरोद्धाया 'मह मह' इस मैन्धव भाषामयी भणिति  
से विचित्रता युक्त हो जाती है ।

१. काव्यनवत्येन नि० । २. अलङ्घारमार्गः नि० । ३. व्याख्याभेदेन  
नि० । ४. बहुमह इन्ति भणितउ वं ओई विजयास्स ते इलादे । ओ जाण-  
इगुमोगो अरिमो तिविणं.....सा इत्यम् ॥ नि० में यह पाठ दिया है और  
उसका ध्यानानुवाद नहीं दिया है । नि० ।

‘इत्य यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लक्ष्यतेऽन्त काव्या  
र्थानाम् ॥७॥

इदन्तूच्यते,

अपस्थादिविभिन्नाना वाच्यानां प्रिनिवन्धनम् ।

यत्प्रश्नित प्राक् ,

भूम्नैः दृश्यते लक्ष्ये,

‘न तच्छ्रव्यमपोहितुम् ।

तत्तु भाति रसाथयात् ॥८॥

तदिदमन् सज्जेपेणाभिवीयते सत्कीर्तामुपदेशाय —

रसमाचादिसम्बद्धा यद्यौचित्यानुसारिणी ।

अन्वीयते नस्तुगनिर्देशकालादिभेदिनी ॥९॥

इस प्रकार चितना ही जितना [ इस पर ] रिचार करते हैं उतना  
उतना ही काव्यार्थों का अन्त नहीं मिलता है । [ उतनी ही काव्यार्थ में  
अनन्तता प्रतीत होती है ] ॥७॥

[ अब ] यह तो कहना है कि —

अपस्था आदि के भेद से वाच्यार्थों की रचना,

जो पहिले [ सातवीं कारिका म ] कही जा सकी है ।

काव्यों [ लक्ष्य ] में अहुतायत से दिखाई देती है,

उसका अपलाप नहीं दिया जा सकता है ।

वह रस के आश्रय से [ ही ] शोभित होती है ॥८॥

इसलिए साक्षियों [ सत्करि बनने के इच्छुक नवीन करियों ] के  
उपदेश के लिए इस विषय में सज्जेप से यह कहना है कि —

यदि श्रीचित्य के अनुसार रस, भाव आदि से सम्बद्ध और देशकाल  
आदि के भेद से युक्त वस्तु रचना का अनुसरण किया जाय ॥९॥

१ इत्य पद नहीं है निं० २ निं० सहकरण में ‘भूम्नैः दृश्यते लक्ष्ये न  
तच्छ्रव्य द्यपोहितुम्’ को कारिका के उत्तरार्द्ध का पाठ रखा है और ‘तत्तु भाति’  
‘रसाथयात्’ को वृत्ति माना है ।

तत्का गणना कवीनामन्येषा परिमितशक्तीनाम् ।  
याचस्पतिसहस्राणां सहस्रैरपि यत्नतः ।  
निवद्वापि चर्यं नैति प्रकृतिर्जगतामिव ॥१०॥

यथाहि जगत्प्रकृतिरतीतकल्पपरम्पराविर्भूतविचित्रवस्तुप्रपञ्चा सती पुनरिदानीं १परिक्षीणापरपदार्थनिर्माणशक्तिरिति न शक्यतेऽभिधातुम् । तद्वदेवेयं काव्यस्थितिरनन्ताभि कविमतिभिरुपभुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नवनवाभिर्युत्पत्तिभि परिवधते ॥१०॥

इत्थं स्थितेऽपि,

सम्वादास्तु भवन्त्येव वाहुल्येन सुमेधसाम् ।

स्थितं ह्येतत् संवादिन्य॒ एव मेवाविनां बुद्धयः । किं तु,  
नैकरूपतया सर्वे ते मन्तव्या विपश्चिता ॥११॥

तो परिमित शक्तिवाले अन्य [साधारण] करियों को तो यात ही क्या, वाचस्पति सहस्रों के सहस्र भी [ हजारों लाखों वृद्धस्पति भी मिलकर ] यलपूर्वक उसका वर्णन करें तो भी जगद् की प्रकृति [ उपादान कारण ] के समान उसकी समाप्ति नहीं हो सकती है ।

जैसे तिगत कल्प कल्पान्तरों में विविध वस्तुमय प्रपञ्च की रचना करने वालों जगद् की प्रकृति [ मूल कारण ] होने पर भी अब अन्य पदार्थों के निर्माण में शक्तिहीन हो गई है, यदि नहीं कहा जा सकता है । इसी प्रकार यह काव्य स्थिति, अनन्त [ असंख्य ] कवि बुद्धियों से उपभुक्त [ वर्णित ] होने पर भी इस समय शक्तिहीन नहीं है अपितु [ उन करियों के वर्णनों से ] नवी-नवी व्युत्पत्ति [ प्राप्त करने ] से और बुद्धि को प्राप्त हो रही है ॥१०॥

ऐसा [ देश काल अवस्था आदि भेद से आनन्द्य ] होने पर भी, प्रतिभावालियों में सम्बाद [ समान उकितया ] तो बहुतायत से होते ही हैं ।

यह तो सिद्ध हो दे कि प्रतिभावालियों की बुद्धियां एक दूसरी से मिलती हुई होती हैं ।

परन्तु,

विदान युग्म उन सब [ समाजों ] को यूक्त है न समझें ॥११॥

१. परिक्षीणापदार्थनिर्माणशक्तिरिति निं० । २. सम्वादिन्यो मेघाविनां निं० ।

कथमिति चेत्,

सम्बादो हन्यसादश्यं तत्पुनः प्रतिविम्बवत् ।

आलेख्याकारवत्तुल्यदेहिवश शरीरिणाम् ॥१२॥

सम्बादो हि काव्यार्थस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना माहशयम् । तत्पुन शरीरिणां प्रतिविम्बवदालेख्याकारवत्तुल्यदेहिवश विधा व्यवस्थितम् । किञ्चिद्भिक्षु काव्यवस्तु वस्त्रन्तरस्य शरीरिणः प्रतिविम्बकल्पम्, अन्यदालेख्यप्रस्त्रयम्, अन्यतुल्येन शरीरिणा सदृशम् ॥१२॥

तत्र पूर्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम् ।

तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत्कविः ॥१३॥

तत्र पूर्वं प्रतिविम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहृतव्यं सुमतिना । यत्स्तदनन्यात्म, तात्त्विकशरीरशून्यम् । तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्यं

क्यों [ [उन समझे] यह [प्रश्न] हो तो [उत्तर यह है कि],

अन्य के साथ सादृश्य को ही सम्बाद कहते हैं । और वह [सादृश्य] प्राणियों के प्रतिविम्ब के समान, चित्र के आकार के समान और दूसरे देहधारी [प्राणी] के समान [तीन प्रकार का] होता है ।

दूसरी काव्य वस्तु के साथ काव्यार्थ का सादृश्य ही सम्बाद कहा जाता है । फिर वह [सादृश्य] प्राणियों के प्रतिविम्ब के समान, अपवा चित्रगत आकार के समान, और तुल्य देही के समान तीन प्रकार से होता है । कोई काव्य वस्तु, अन्य शरीरी [काव्य वस्तु] के प्रतिविम्ब के सदृश [होती है], दूसरी [चित्र के समान और तीसरी तुल्य देही के समान [दूसरी काव्य वस्तु के सदृश होती] है ॥१२॥

\* उनमें से पहिला [प्रतिविम्बकल्प सादृश्य पूर्ववर्णित स्वरूप से भिन्न] अपने अलग स्वरूप से रहित है [अत. त्याग्य है] । उसके बाद का [दूसरा चित्राकारतुल्य सादृश्य] तुच्छ स्वरूप [होने से यह भी परिसाज्य] है । और तीसरा [तुल्यदेहिवत्] तो प्रसिद्ध स्वरूप है [अत] अन्य वस्तु के साथ [इस तृतीय प्रकार के] साम्य को कवि परिणाम न करे ।

उन में से पहिले प्रतिविम्ब स्वरूप काव्य वस्तु को दुर्दिमान् को द्वोह देना चाहिए । क्योंकि यह अनन्याम् अपांत् तात्त्विक स्वरूप से रहित है । उसके बाद चित्र तुल्य साम्य, शरीरान्तर [स्वरूपान्तर] से [युक्त होने पर

शरीरान्तरयुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम् । तृतीयन्तु 'विभिन्न-  
कमनीयशरीरसद्ग्रावे सति सप्तमग्रादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना ।  
न हि शरीरी शरीरिणान्येन सद्शोऽप्येक एवेति शक्यते वक्तुम् ॥१३॥

एतदेवोपपादयितुमुच्यते—

'आत्मनोऽन्यस्य सद्ग्रावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि ।  
वस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम् ॥१४॥

तत्त्वस्य सारमूतस्यात्मन सद्ग्रावेऽग्रायन्यस्य पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि  
वस्तु भातितराम् । पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु शरीरवत्परां  
शोभा पुष्यति । न तु पुनरुक्तत्वेनावभासते । तन्व्या शशिच्छायमि-  
वाननम् ॥१४॥

भी तुच्छ रूप होने से परित्याज्य ही है । [ सद्ग्राव होने पर भी ] भिन्न, [ और ]  
सुन्दर शरीर से युक्त तीसरे [ प्रकार ] की काव्य वस्तु अन्य से मिलती हुई  
होने पर भी कवि को नहीं छोड़ना चाहिए । एक देहधारी [ मनुष्य या प्राणी ]  
दूसरे देहधारी के समान होने पर भी एक [ अभिन्न ] ही है पेसा नहीं कहा  
जा सकता है ॥१३॥

इसी का उपपादन करने के लिए कहते हैं—

[ प्रसिद्ध वाच्यादि से विलक्षण व्यङ्ग्य रसादि रूप ] अन्य आत्मा के  
होने पर, पूर्व स्थिति [ प्राचीन कवियित पदार्थों ] का अनुसरण करने वाली  
वस्तु भी चन्द्रमा की आभा से युक्त कामिनी के मुख्यमण्डल के समान अधिक  
शोभित होती है ।

सार [ रसादि रूप व्यङ्ग्य ] आत्मभूत अन्य तत्त्व के होने पर भी, पूर्व  
स्थिति का अनुसरण करने वाली [ प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित ] वस्तु भी  
अधिक शोभित होती है । पुरातन रमणीय छाया से युक्त [ अन्य कवियों द्वारा  
पूर्वस्थिति ] वस्तु [ तुश्य ] शरीर के समान अवस्था शोभा को प्राप्त होती है ।  
पुनरुक्त सी श्रीत नहीं होती । जैसे शशी की [ पुरातन रमणीय ] छाया से  
युक्त कामिनी का मुख्यमण्डल [ पुनरुक्त सा प्रतीत नहीं होता अपितु आवन्त ]  
सुन्दर लगता है । [ इसी प्रकार काव्य में भी समझना चाहिए ] ॥१४॥

१. 'विभिन्न' पद निः में नहीं है । २. तत्त्वस्यान्यस्य निः ।

एवं तावत्सम्पादानां । 'समुदायरूपाणा वाक्यार्थाना विभक्ता सीमानः । पदार्थरूपाणा च वरत्वन्तरसहशाना काव्यप्रस्तूना नास्त्येव दोष इति प्रतिपादयितुमिदमुच्यते —

अज्ञरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी ।

नूतने स्फुरति राव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति ॥१५॥

न हि वाचस्पतिनाप्यज्ञराणि पदानि वा कानिचिदपूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते । तानि 'तु तान्येवोपनिवद्वानि न काव्यादिपु न गता विरुद्ध्यन्ति । तथैव पदार्थरूपाणि श्लेषादिमयान्यर्थतत्त्वानि ॥१५॥

तथात् —

इस प्रकार [ अथ तत्र ] समुदाय रूप [ अर्थात् ] वाङ्मयों द्वारा प्रति पादित सादृश्य युक्त [ काव्यार्थों ] की सीमा का विभाग किया गया । [ अथ आगे ] अन्य [ पुराने पदार्थ रूप ] वस्तुओं से मिलती हुई 'पदार्थ रूप' काव्य वस्तुओं [ की रचना ] में कोई दोष है ही नहीं इसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं —

जहा [ जिस काव्य में ] नवीन स्फुरण होने वाले काव्यार्थ [ काव्य वस्तु ] में पुरानी [ प्राचीन कवि निश्चद कोई ] वस्तु, अत्तर आदि [ आदि पद से पद का ग्रहण ] की [ पुरातनी ] रचना के समान निश्चद की जाती है वह निश्चित रूप से दूषित नहीं होती यह स्पष्ट ही है । .

[ स्वय ] वाचस्पति भी नवीन अत्तर अथवा पदों की रचना नहीं कर सकते । और काव्य आदि में बार बार उन्हीं उन्हीं को उपनिशद् करने पर भी [ जैसे वह ] नवीनता के विस्तृ नहीं होते, इसी प्रकार पदार्थ रूप या श्लेषादि मय अर्थं तत्त्व । [ भी नवीन नहा यनाएँ जा सकते हैं और अज्ञरादि योजना के समान उनको उपनिशद् करने से नवीनता का निराध नहीं होता । अथात् नवीनता आ ही जाती है ] ॥१६॥

इसलिए —

१ वाचस्पतेदिताना काव्यार्थाना विभक्ता सीमान निः । २ 'तु' निः में नहीं है ।

यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किञ्चित्,  
त्स्फुरितमिदमितीयं वुद्धिरभ्युजिहीते ।

‘सुरणेय काचिदिति सहदयाना चमलृतिस्त्वद्यते —

अनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु ताटक्,  
सुरुपिरुपनिवधननिन्द्यतां नोपयाति ॥१६॥

जहा [ जिस उस्तु के पिथय + ] लोगों [ सहदयों ] को यह कोई नई सूफ़ [ सुरणा ] है इस प्रकार की अनुभूति होती है [ नई पा पुरानी ] जो भी हो वही वस्तु रम्य [ कहलाती ] है ।

जिसके विषय में यह कोई नई सूफ़ [ सुरणा ] है इस प्रकार की चमलृति सहदयों को उत्पन्न होती है —

पूर्व [ विवियों के बर्णन ] की द्वाया से युक्त होने पर भी उस प्रकार की वस्तु का बर्णन करने वाला कवि निन्दनीयता वा प्राप्त नहीं होता ।

१ इस कारिका वे पूर्वांड और उत्तरांड के बीच में यृति की एक घंटित जैसी कि हमने मूल पाठ में दी है वालप्रिया वाले सस्वरण में पाई जाती है परन्तु दीघिति तथा नि० सा० सस्वरण में नहीं पाई जाती । सोचनवार के ‘इति कारिका खण्डीहृत्य वृत्तो पठिता’ इस लेख के अनुसार दोनों भागों परो प्रलग करने वाली यह पठित धीय में होनी ही चाहिए । इसलिए हमने मूल पाठ में रखी है ।

इसी प्रकार हसी उद्यात की आठवीं कारिका वे पूर्वांड के घाद, ‘पत्प्रदाग्नित प्राक्’ यह यृति, तथा उत्तरांड के दोनों चरणों के बीच में ‘न सद्दृश्य व्यपोहितु’ यह वृत्ति पन्थ है । ग्रन्थ सस्वरणों में इस पाठ को अनुढ़ दाया है । इसी प्रकार आरहवीं कारिका वे पूर्वांड और उत्तरांड के बीच में भी गत भाग यृति का है । सोलहवीं कारिका वे अत वी यृति में भी दीघिति तथा नि० सा० सस्वरण का पाठ जैसा कि टिप्पणी में दिखाया है, बहुत भिन्न है । इसी प्रकार आगती १७ वीं कारिका वे बीच में भी एक पठित वृत्ति रूप में है । यह सब बीच बीच में वृत्ति भाग लोचन सम्मत होने से ही यहाँ मूल में रखे गए हैं ।

'तदनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादृक् तादृचं सुकविविवक्षित-  
व्यङ्गच्छायाच्यार्थसमर्पणसमर्थशब्दरचनरूपया वन्यच्छाययोपनिवधन-  
निन्द्यतां नैव याति ॥१६॥

तदित्यं स्थितम्<sup>३</sup> :—

प्रतायन्तां वाचो निमित्तविविधार्थमृतरसा,  
न सादः<sup>३</sup> कर्तव्यः कविमित्तविविधे स्वविषये ।

सन्ति नवाः काव्यार्थाः, परोपनिवद्वार्थविरचने न कश्चित्  
कवेगुण इति भावयित्वा :—

परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः,  
सरस्वत्येवैपा घटयति यथेष्ट भगवती ॥१७॥

परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुरुवे. सरस्वत्येषा भगवती यथेष्ट  
घटयति वस्तु । येषां सुकवीनां प्राचनपुरेयाभ्यासपरिपारुवशेन प्रवृत्ति-

पूर्व [ कवियों के वर्णित विषयों की ] छाया से युक्त होने पर भी उस  
प्रकार की वस्तु को, जिसमें व्यङ्गय विवक्षित हो एसे वाच्यार्थ के समर्पण में  
समर्प सन्निवेश रूप रचना सौठव से उपनिवद् करने वाला कवि कभी निन्दा  
को प्राप्त नहीं होता ॥१६॥

इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि :—

[ कविगण ] विविध अर्थों के अमृत रस से परिपूर्ण वाणियों का प्रसार  
करें । अपने [ कल्पना से प्रसूत ] विषय में कवियों को किसी प्रकार का संकोच  
या प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

नगान काव्यार्थ हैं, दूसरों के वर्णित अर्थों की रचना में कवि का कोई  
[ प्रशसा ] लाभ नहीं होता ऐसा सीचकर :—

दूसरे के अर्थ को ग्रहण करने की इच्छा से रहित सुन्नति के लिए  
सरस्वती देवी स्वयं ही यथेष्ट वस्तु उपस्थित कर देती है ।

दूसरे [ कवि ] के अर्थ को ग्रहण करने की इच्छा से विरत मन घाले

१. "यदपि तदपि रम्य काम्यतारीर यत्तोकस्य किञ्चित्सुरित-  
मिदमितीय बुद्धिरभ्युजित्तोते स्फुरणेय काचिदिति सहृदयाना चमत्कृतिरत्यन्ते"  
इतना पाठ वाक्यारम्भ में अधिक है निं० । २. स्थिते निं० । ३. याद निं० ।

स्तेऽपि परोपरचितार्थपरिप्रहनि. शुद्धाणां स्पव्यापारो न कचिदुपयुज्यते । सैव भगवती सरस्वती स्पव्यमभिमतमर्थमाविर्भावियति । एतदेव हि महाकवित्वं महाकवीनामिल्योम् ।

<sup>१</sup>इत्यक्षिटरसाभयोचितगुणालङ्घातशोभाभृतो<sup>२</sup>,  
यस्माद्ग्रस्तु समीहितं चुकृलिभिः सर्वं समासाच्छते ॥  
काव्याख्येऽस्त्रिलसौख्यधाम्नि विवुधोद्याने ध्वनिर्दीर्घितः  
सोऽर्थं कल्पतरुपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम् ॥

सुकवि के लिए यह भगवती सरस्वती यथेष्ट घस्तु सङ्घटित कर देती है। पूर्व जन्मों के पुण्य और आभ्यास के परिपाकवश जिन सुकवियों की [ काव्य-निर्माण में ] प्रवृत्ति होती है दूसरों के विरचित अर्थ ग्रहण में निःस्पृह उन [ सुकवियों ] को [ काव्य-निर्माण में ] अचना प्रयत्न करने की कोई आपरायकता नहीं होती। वही भगवती सरस्वती अभिवान्द्वित अर्थ को स्वयं ही प्रकट कर देती है। यही महाकवियों का महाकवित्व [ महस्व ] है।

### इत्योम् —०.—

यह 'इत्योम्' शब्द वृत्तिप्रथम् की समाप्ति वा सूचक प्रतीत होता है। अतः श्रागे के उत्तरकारात्मक दोनों श्लोक कारिंग ग्रन्थ के अश समझने चाहिए, परन्तु उनका अर्थ सदृश होने से उन पर कोई वृत्ति लिखने की आवश्यकता न सम ह कर ही वृत्ति नहीं लिखी गई है और वृत्ति-भाग को यहाँ समाप्त कर दिया गया है। सभी सुस्करणों में उनको वृत्तिभाग वाले घास्त में द्याया है। उसी परमरा के अनुकार हम भी उनको वृत्ति वाले घास्त में देरेहैं। इन श्लोकों में ग्रन्थ के विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन आदि का पुनः प्रदर्शन करते हुए ग्रन्थवार अपने ग्रन्थ की समाप्ति कर रहे हैं।

इस प्रकार सुन्दर [ अविलोप्त ] और रस के आध्रय से उचित गुण तथा अलङ्कारों की शोभा से युक्त तिस [ ध्वनि स्पष्ट कश्पतर ] में सौभाग्य-शाली कविजन मनोगान्द्वित सब वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, सर्वानन्द परिपूरित विद्वान्नों के काव्य नामक उद्यान में बहर वृक्ष के समान महिमा याला वह ध्वनि [ हमने यहा ] प्रदर्शित किया वह [ सौभाग्यशाली ] सदृशों के लिपि [ भोग्य ] आनन्ददायक हो।

१ नित्याक्षिटप्त निः । २. शोभात्तो निः ।

सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्मचिरप्रसुप्त-  
कल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत् ।  
तद्व्याकरोत्सहृदयोदयलाभेतो-  
रानन्दवर्धनं इति प्रथिताभिधानः ॥

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके  
चतुर्थ उद्योतः ॥  
समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

उत्तम काव्य [ रचना ] का तत्त्व और नीति का जो मार्ग परिपक्व उद्दि-  
वाले [ सहृदय विद्वानों ] के मनों में चिर काल से प्रसुप्त के समान [ अव्यक्त  
रूप में ] स्थित था, सहृदयों की अभिषृद्धि और लाभ के लिए, आनन्दवर्धन  
इस नाम से प्रसिद्ध मैंने उसको प्रकाशित किया ।

—०—

श्री राजानक आनन्दवर्धनाचार्यविरचित ध्वन्यालीङ् में  
चतुर्थ उद्योत समाप्त हुआ ।

श्रीघ्याविकाशमासाभ्यां, द्विसहस्रोऽष्टकोत्तरे ॥  
ध्वन्यालोकस्य व्याख्येयं, पूरितालोकदीपिका ॥

—०—

उत्तरप्रदेशस्थ 'पीलीभीत' मण्डलान्तर्गत 'मक्तुल' ग्रामनिवासिना  
श्री शिवलालवर्णशामहोदयानीं तनुजनुगा,  
वृन्दावनस्थगुहकुलविश्वविद्यालयाधीतविद्येन, तत्रत्याचार्यपदमधितिष्ठता,  
एम० ५० इत्युपपदधारिणा, श्रीमद्वाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना  
विरचिताया 'आलोकदीपिकाख्याया' हिन्दीख्यायाया  
चतुर्थ उद्योतः समाप्त ।

—०—

समाप्तश्चार्यं ग्रन्थः ।

## परिशिष्ट १

( अन्यालोकी कारिगर्द सूची )

### [ अ ]

१ अकारट एवं प्रिक्षित्ति:	२८८
२ अहोश्चित्तास्त्वलङ्घाराः	१३०
३ अस्तरादिरचनेय योज्यते	४८७
४ अतिद्वयाप्तेरथाद्याप्तेः	८३
५ अतो द्वान्यतमेनापि	४४४
६ अनुगतमपि पूर्वद्वयायया	४८८
७ अनुस्वानोपमन्यद्वयः	१६०
८ अनुस्वानोपमारमापि	२६७
९ अनेनानन्त्यमायाति	४५४
१० अन्वीयते यस्तुगति	४८३
११ अष्टप्रयत्ननिवर्त्यः	१४५
१२ अर्थशक्तेरबङ्गारः	१६०
१३ अर्थशक्त्युद्वयस्त्रन्यः	१८०
१४ अर्थान्तरगतिः ११३यां	४०४
१५ अर्थान्तरे सदृशमितं	९६
१६ अर्थोऽपि द्विविधो लोकः	१८७
१७ अकड्डारान्तरध्यहय	२०५
१८ अकड्डारान्तरस्यापि	१६१
१९ अलंकृतीना शक्तापरि	२२७
२० अलोहसामान्यमभिद्यननि	४५
२१ अपदानातिरायवान्	३२८
२२ अपरथादिविभिन्नाना	४८३
अद्वयादेशकाव्यादि —	४७४
अविरोधी विरोधी वा	३१६

२५ अविवक्षितवाच्यस्य धने ६६

२६ अप्रिवक्षितवाच्यस्य पदवावय २११

२७ अन्युपत्तेरयत्वेर्वा २०६

२८ अशब्दनुवद्भिद्यकितु ४४७

२९ असंलग्नमोयोत १०३

३० असमासा समासेन २२६

३१ अस्फुटस्फुरितं काच्य ४४७

### [ आ ]

१ आपिह प्रयातङ्गाः	१६३
२ आमनोऽन्यस्य सद्भावे	४८६
३ आनन्दमेव वाच्यस्य	४७४
४ आलेरयाकारवत्तुलय	४८५
५ आबोकार्पी यथा दीप	५०

### [ इ ]

३७ इतिवृत्तवशायातो	२५७
३८ ह्राष्टिवृद्ध रसां	४८०
३९ ह्रयुक्तवदयो य.	४४७

### [ उ ]

४० उवायतेरणाशर्यं यत्	८६
४१ उप्रेषयाप्यन्तरामीष्ट	२५७
४२ उर्धीपनश्चमने	२५०

### [ ए ]

५३ दक्षाप्रपत्ये निर्देश —	३२३
५४ एषोऽप्नोद्देशं	३१२

४५ एतद्यथोत्तमौचित्यं	२५४	७० तथा रसस्यापि विघ्नी	३१३
४६ एवं धनेः प्रभेदा	४४७	७१ तदस्यामुरणनस्प	२११
[ ओ ]		७२ तदा तं दीपयन्तयेव	२२५
४७ शौचित्यवान् यस्ता एताः	३३२	७३ तथा दीर्घसमासेति	२२६
[ क ]		७४ तदुपायतया तद्वत्	५०
४८ कस्यचिद् धनिभेदस्य	६४	७५ तद्वसचेतसां सोऽर्थः	५२
४९ कार्यमैर्कं यथा व्यापि	३१३	७६ तद्विश्वदरसस्पशः	३२८
५० काले च ग्रहणत्यागौ	१५०	७७ गदायतिष्ठेत् शब्दार्थौ	१३६
५१ काष्ठप्रभेदाधयतः	२४८	७८ तन्मर्यं कान्यमाश्रित्य	१३०
५२ काष्ठस्यात्मा धनिरिति युधैः	५	७९ तद् व्याकरोत् सहृदय	४६१
५३ वायस्यात्मा स एवार्थः	४३	८० तमर्थमवलङ्घनते	१३०
५४ काष्ठायेऽसिल	४६०	८१ तस्याह्नानीं प्रभेदा ये	१४०
५५ काष्ठे उभे ततोऽन्यत्	४१८	८२ तृतीयन्तु प्रसिद्धात्म	४८५
५६ काष्ठे तस्मिन्दलद्वाराः	११६	८३ तेऽज्ञानाः परी द्वायां	२०४
५७ कृत्तदितसमासैरेच	२७०	८४ तेपामानन्तयमन्योन्य	१४०
५८ केचिद् घार्चां स्थितमविषये	५	[ न ]	
५९ क्षमेण प्रतिभावात्मा	१६२	८५ दित्मात्रं सूच्यते येन	१४१
६० क्षीशद्वन्दवियोगोत्थः	४३	८६ इष्टपूर्वा अपि हार्थीः	४६१
[ ग ]		[ ध ]	
६१ गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती	२३१	८७ यते रसादितात्पर्य	४०६
६२ गुणप्रधानभावात्म्यो	४१८	८८ भूवै ष्यन्यद्वाता तासां	२०४
[ च ]		८९ ष्वनेत्रस्य प्रवन्येतु	२६७
६३ चाहयोऽपदंते व्यहृयः	२०५	९० ष्वनेत्रामाहिभावेन	१०४
६४ विश्रं शास्त्रायभेदेन	४१८	९१ ष्वनेत्रित्यं गुणीभूत	४७३
[ त ]		९२ ष्वनेदः स गुणीभूत	४५४
६५ त पव गु निवेशनते	२२८	९३ ष्वन्यात्मन्येव शहारे	१३८
६६ तत्परत्वं न वायस्य	१११	९४ ष्वन्यात्मभूते शहारे यमकादि	१४२
६७ तत्र दिग्भिरदस्तदित्यं	४१८	९५ ष्वन्यात्मभूते शहारे नमीदय	१४६
६८ तत्र पूर्वमनन्यात्म	४१८	[ न ]	
६९ तत्र वाय्यः प्रविष्टो यः	४८५	९६ न गु देवत्या रास्त्र	४३३
	१८	९७ न गु देवत्या रास्त्र	४५७

६८ निश्चदा सा दर्थं नैति	४८४	१२६ भवेत्तस्मिन् प्रमाणो हि	३२८
६९ निव्युद्गावपि चाङ्गते	१५०	१२७ भूमैव दृश्यते लक्ष्ये	४८३
१०० निवर्तते हि रसयोः	३२६	[ म ]	
१०१ नूतने स्फुरति काश्यवस्तुनि	४८७	१२८ माध्यर्थमार्दतां याति	१३४
१०२ नैकरूपतया सर्वे	४८८	१२९ मितोऽप्यनन्तरां प्राप्तः	४५६
१०३ नोपहन्त्यज्ञितो सोऽस्य	३२३	१३० मुख्यां वृत्तिं परित्यग्य	८७
[ प ]		१३१ मुख्या महाकविगिरो	४०३
१०४ परस्वादानेच्छाविरतमनसः	४८९	[ य ]	
१०५ परिपोर्यं गतस्यापि	२८८	१३२ यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त	१६
१०६ परिपोर्यं न नेतव्यः	३१६	१३३ यत्नः कार्यं सुमतिना	२८८
१०७ प्रकारोऽन्यो गुणीभूत	३८८	१३४ यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयी	४७
१०८ प्रकारोऽयं गुणीभूत —	४०८	१३५ यत्र प्रतीयमानोऽप्येः	२०६
१०९ प्रतायन्तां घाघो निमित	४८९	१३६ यत्र व्यज्ञेयान्वये वास्य	३८६
११० प्रतीयमान पुनरन्यदेव	१८	१३७ यत्राप्येः शब्दो या तमर्थं	५३
१११ प्रतीयमानच्छायैषा	४०३	१३८ यत्राप्तिरिक्तयते स्वोक्त्याः	१८४
११२ प्रथानुयमादाग्न्यो	४१८	१३९ यथा पदार्थद्वारेण	५१
११३ प्रथानेऽन्यथा धारयार्थं —	११८	१४० यथा व्यापारनिष्पत्ती	५२
११४ प्रथन्यस्य रसादीनो	२५७	१४१ यद्यपि तद्यपि रम्यं यत्र	४८८
११५ प्रथम्ये मुक्तके वापि	२८८	१४२ यदुदिश्य फलं यत्र	८७
११६ प्रभेदस्याद्य निषयो	४०७	१४३ यदूद्यन्तरस्याहिमूतस्य	२१०
११७ प्रसवागमीरपदाः	३६२	१४४ यस्तात्पर्येण्य यस्तत्पद्	१८०
११८ प्रसिद्धेष्वपि प्रवन्धानां	३१२	१४५ यस्तयज्ञद्यक्षमध्यादः	२२४
११९ प्राप्येण्व परो द्यायां	३६३	१४६ परिमध्युक्तः शब्देन	१६३
१२० प्रोदोत्तिमात्रनिष्पत्त	१८७	१४७ मुख्यान्तरानुसर्त्यः	४५८
[ प ]		१४८ ये ष तेषु प्रकारोऽप्यं	३६२
१२१ बदुधा व्याहृतः सोऽप्येः	१८	१४९ योऽप्येः सहदृशरक्षाः	१३
१२२ व्याप्यानामहमार्थं या	२६६	[ र ]	
१२३ उद्दिग्मादिकालोका	१५१	१५० इताः विषयार्थं	२५४
१२४ उद्दी तत्पार्थेऽप्तिर्थो	५२	१५१ इतमावतरामाय	१०४
[ म ]		१५२ इतरप्योन्नदीचित्य	२५४
१२५ मरया विषये नैकर्थं	८१	१५३ इतरसाम्परिधानेः	१५

[ ई ]

२७ ईसाकलुसस्त्र ग्रित

[ उ ]

२८ उदिचण्डु पदिथ कुसुमं

२९ उत्कम्पिनी मय०

३० उहामोर्कविकाँ [रक्ताऽ]

३१ उन्नतः प्रोलुसदारः

३२ उपोदरागेण [पाणिनि]

३३ उप्पदजशाहुँ असोडिनीँ

[ ए ]

३४ एकन्तो हश्व विद्या

३५ एमेव जयो तिस्ता

३६ एवंवादिनि [कु० सं०]

३७ एहि मद्य पतोत्तिष्ठ [ध्याप]

[ क ]

३८ कथाचिद्व्याघ्रमाला

३९ कथाशरीरमुखाय [परि०]

४० कपोते पश्चाली

४१ कमज्जामराणी मलिका

४२ करियो वेद्यशरो

४३ कर्ता धूषद्युक्ताना [वेणीमं०] ४३८

४४ कस्त्र भो. कथयामि

४५ कः सपदे [मेघ०]

४६ कस्त्र य य होइ [गा०स०] २५४

४७ काष्याप्तिनि [संप्रहः]

४८ किमिप हि मधुराणी [शाकु०] २१२

४९ कि दास्तेन म मे दयास्यमि १२०

५० कुरिप्राणो पश्चाली

५१ कुरो वरक्ष्याकारे

५२ कोपाक्षोमल [ध्याप०] १६० ३०३

५३ क्षामन्त्रयः उत्तीमक्षाद्य लि ३११

५४ क्षामार्यं रुण० [दिक्षमी०४] ३०१

५५ पितो इस्तारज्ञनः [अमरक] १२१

[ ख ]

५६ रं येऽत्युज्वलयन्ति

५७ रणपाहुणिया देश्वर

[ ग ]

५८ गवर्णं च मत्तमेह [गौदगदो] १०६

५९ गापो वः पावनार्ण ३४०

[ च ]

६० चक्रभिधातप्रसभाज्ञयैव १५२

६१ चञ्चद्भुजभ्रमित [वेणीमं०] १३६

६२ चन्द्रनासकमुजग २००

६३ चन्द्रमङ्ग पृदि शिसा १८२

६४ चमदिथ माणस १६७

६५ चलापाहाँ दर्दिं [श्चाहु०] १५१

६६ चुमित्रज्ञह सघहुच ८४

६७ चूधंकुराच्छस्ति [हरितिष्ठ] २१६

[ ज ]

६८ जा पुजा वणुटेसे [गा०स०] १६६

[ श ]

६९ श अ ताय घटह शोही ४७६

[ त ]

७० तं ताण सिरिमही [रिंवा०] १६६

७१ तदगेन् नदभिति २८४

७२ तन्त्री मेयज्ञकार्द [रिद्धमो०] १२६

७३ तत्परादेव शावदार्पी [परि०] ७३

७४ तमर्यमेयज्ञन्ते [प्रस्त्या०] २३५

७५ तद्वद्युभद्रा [दिक्षमी०] १२८

७६ तस्या निनारि हारण १६५

७७ तर्त्रा प्राद्युम्नी लत्र [उ०सं०] ४७५

७८ तात्रा चाप्तिन तुणा [प्रियम] १००

७९ तालैः शिरद्वयय [संप्रह०] २७४

८० तसेवा धोयहोदर १६६

८१ तेया गोपरपूर्णिलामसुददा १२६

८२ त्रायाहूलः परिवत्र० [मात्र] २०१

१४० रसभावादितात्पर्य [सं०]	१२२
१४१ रसाद्विषु प्रिवदा तु	४२१
१४२ रसवन्निति हि वस्तुनि [संघट]	१४८
१४३ राजानमपि सेवन्ते	४११
१४४ रसभावासाहभाव [संघट]	१४८
१४५ रामेण प्रियजीवितेन तु	२१४

[ ल ]

१४६ क्षेत्रो दुहिदा जायाइठो	३१३
१४७ ज्ञावण्य कान्ति [ज्ञयवर्धन]	१६४
१४८ ज्ञावण्यद्विषयच्ययो न	४१२
१४९ ज्ञावण्यसि-धुरपर्वै	३६०
१५० लीलाकमलपत्राणि [कु० सं०] ३५८	

[ व ]

१५१ वद्वच मह विद्य [गा०]	२३
१५२ वरसे मा मा वियाद	१८५
१५३ वसन्तपुष्पाभरण [कु० सं०]	४७५
१५४ विणिअथ दृष्टियदन्ता	२२०
१५५ वाणीर कुद्धोद्दीण	२०७
१५६ वालमीकिद्यास [परि०]	२८५
१५७ वालमीकिद्यतिरितस्य	४८१
१५८ विच्छितिशोभि० [परि०]	२२३
१५९ विमानपर्यन्तुत्तले निषेद्याः	२२६
१६० विसमहाथो काणवि	२१६
१६१ विक्षमभोत्या यन्मयाज्ञा	४०३
१६२ वीराण्य इमह धुसिय	१६५
१६३ वृच्छेऽस्मिन् महा [हथ०]	२१८
१६४ वीडायोगाक्षत [शाह० प०]	२२७
१६५ व्यहारव्यञ्जक [परि०]	५५
१६६ व्यहारव्यथा [परि०]	७३
१६७ व्यहारव्यथा प्रतिभा [परि०]	७२

[ श ]

१६८ विवरिणि वव तु नाम	७६
१६९ गूत्यं धानगृह [अम०]	४५८

१७० शेषो हिमगिरिस्वर्व [भामह]	४६
१७१ शोकः इखोकत्व [रामा०]	४६
१७२ शङ्खारी चेत् कवि. काव्ये	४२८
१७३ श्यामास्वहं चकित [मेघ०]	१६०
१७४ इखाध्याशेषतनुः	१६६

[ स ]

१७५ संवृत्याभिहितं [आ०व०]	४२४
१७६ सकेतकालमनसं	१८८
१७७ सम्ब्रहे शुरहिमासो	१८८-२२०
१७८ सरकार्यतत्वनय [आ०व०]	४६१
१७९ सर्वं मनोरमा रामाः	३३०
१८० सन्निति सिद्धरसश्वयाः	२६४
१८१ सर्वत्तेहाः समिध [स्थाप]	११२
१८२ समविसर्वाणन्विसेसा	२८३
१८३ सर्वेकशशरणमच्य	१७८
१८४ सर्वोपमाद्रव्य [कु० सं०]	४७५
१८५ स वत्तुमविक्लान् शक्त.	१६७
१८६ सविभ्रमस्मितोद्भेदा	४५६
१८७ सर्योग्निर्वै कृद्यमुज्जी	३२६
१८८ स दृतिरामा देवः	१५६
१८९ साम्राविद्येणग्रोद्वय	१८८
१९० सिद्गह रोमान्विषमह	४७२
१९१ सिद्गिपिद्यकशणउर	१६०-२२९
१९२ सुरमिसमये प्रवृत्ते	४६२
१९३ सुवर्णपुष्पी पृथिवी	७८
१९४ सैषा सर्वत्र यक्षोत्ति [भामह]	३४४
१९५ स्त्रियश्यामल [भामानाटक]	८८
१९६ स्मरनवनदी पूरेणोदा	२२८
१९७ स्तिमते किद्धिन्मुख्य	४५५
१९८ स्वतेज कीरतमहिमा	४५७
१९९ स्वस्था भवन्ति [येणी०]	४०४

[ द ]

२०० हंसानां निनदेषु	४७८
२०१ हित्यद्वाविद्यमष्टु	१६८